

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

राजस्थान विश्वविद्यालय की द्वितीय बर्ष कला के पाठ्यक्रमानुसार

भारतीय अर्थ-व्यवस्था की समस्याएं

[Problems of Indian Economy]

संस्करण

एस० एल० दोषी
प्रधानाचार्य
राजनीय गहाविद्यालय झुगरपुर

आर० एस० शर्मा
प्रधानाचार्य
आरदा सदन महाविद्यालय मुकुन्दगढ़

रमेश बुक हिपो
जयपुर

प्रकाशक :

कृजमोहन लाल माहेश्वरी
रमेश बुक डिपो
जयपुर

◎ सर्वाधिकार सुरक्षित

भूल्य 17·50

मुद्रक -

कूलेलाल प्रिन्टसं,
जयपुर

भूमिका

द्वितीय बर्दं भाषा के विद्यार्थियों के हितावै 'भारतीय अर्थ-व्यवस्था की समस्याओं' पर यह पुस्तक लिखी गई है। प्रत्येक पुस्तक की अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं। इसमें भी कुछ विशेषताएँ हैं, यथा भाषा की सरलता, पाठ्यक्रमानुसार अध्यापी का कम और जूलाई 1973 तक के बाँकड़ों एवं तर्फों का समावेश। भारतीय अर्थ-व्यवस्था की अनेकानेक समस्याएँ हैं और ये समस्याएँ भी अत्यन्त जटिल हैं। इन समस्याओं के विश्लेषण और उनके निवारण के उपायों पर विस्तृत विवेचन एक पाठ्य-पुस्तक में करना कठिन है। परन्तु इन समस्याओं की जानकारी रखना प्रत्येक भारतीय शिक्षार्थी के लिए आवश्यक है। हमारा इस पुस्तक में इस दिला में ही प्रयास रहा है।

पुस्तक के मंशोधन एवं संबद्धन में हमें श्री जेऽकेऽटणन, प्राध्यापक, दाणिजय महाविद्यालय, जयपुर का जो सहयोग मिला है उसके लिये हम उनके आशारी हैं।

हम आशा हैं कि पुस्तक शिक्षक वाचुओं की हचि के अनुकूल और विद्यार्थियों के लिए हितकर लिङ् होगी।

हम श्री राधाकृष्ण माहेश्वरी, अवस्थापक, रमेश बूक हिपो, जयपुर के आशारी हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित करने में हचि दिखलायी। उनकी स्वीकृति एवं सहयोग के बिना याद यह पुस्तक प्रकाशित नहीं होती। हम चन्द्रोदय प्रेम के व्यवस्थापक को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनके सहयोग के बिना इस पुस्तक का मुद्रण इतने कम समय में सम्भव नहीं हो सकता था। पुस्तक में यशोवत्र मुद्रण व्यवस्थापकों रह गई है जिसके लिए पाठ्यक्रम हमें करेंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव

(Impact of British Economic Policies on Indian Economy)

ओरेंजेव की मृत्यु के पश्चात् यूहन्स्टह एवं कूट के कारण देश की सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था दिग्डगयी थी। आन्तरिक असामिक के कारण इस काल में विटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी (British East India Company) ने राजनीति में प्रवेश करना प्रारम्भ किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कम्पनी ने यही अद्येत्री राज्य की जड़ें मजबूत कर ली। सन् 1757 ई में प्लासी के बुढ़ के पश्चात् कम्पनी ने बगाल के शामन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, उस समय दिसान तथा राज्य के मध्य, जानीरदारों आदि के हृषि ने कई मध्यस्थ थे। केवल दक्षिण भारत में अब भी किसानों का भूमि पर अधिकार अधिकार था। जब तक कोई किसान सरकार को एक निश्चित भूमि कर देना रहता था, तब तक वह भूमि का मालिक बता रहता था। उन समय तक वह भूमि ने बेश्वर नहीं किया जाता था।

सन् 1760 ई से प्राचीन भूमि-अधिकारी को समाप्त करने के उद्देश से एक नयी व्यवस्था जिसे नोलामी व्यवस्था कहते हैं, बगाल के बद्रवान तथा मिठापुर जिलों में प्रारम्भ की गयी। इसके अनुसार भूमि अधिकारिम लगान देने वाले नो तीन वर्ष के लिए नोलाम बर दी जाती थी। सन् 1772 ई से यह व्यवस्था पूरे बगाल सूखे से लालू कर दी गयी, जिसके अन्तर्गत भूमि का पचवर्षीय प्रबन्ध किया गया। पौच वर्षों के बाद भूमि बर में हृद कर दी जाती थी तथा भूमि पुन नोलाम कर दी जाती थी।

इस काल में मालगुजारी या लगान वसूली का कार्य प्राप्त कम्पनी के भूमालों द्वारा कर्मचारियों द्वारा किया जाता था। वे बड़ी कठोरता से किसानों से उचित या अनुचित तरीकों द्वारा लगान वसूल करते थे। उन्होंने कृपकों की दशा सुधारने अथवा तरकालीन मिचाई व्यवस्था बोनाये रखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए। कर वसूली के सम्बन्ध में स्वयं रजाइप का यह विचार था, "हमें जो बुछ बाज मिल

महता है, वह हम अब इसे के, आने वाला कल स्वयं अपना ध्यान रखेगा।” “[“ Let us get what we can today, let tomorrow take care for itself ”] इस नीति के परिणामस्वरूप ही सन् 1770 ई में बगाल में भयबह अकाल पड़ा, जिससे नहा की एक निर्हाई जनसंख्या समाप्त हो गयी।

इसके पश्चात् सन् 1777 तथा 1781 ई में भूमि सम्बन्धी व्यवस्था में कई मशोधन किये गये, परन्तु लगात व मालगुजारी की रकमों में नियंत्रण तृतीय होने के कारण बगाल, बिहार तथा उडीसा में हृषि व नियानों की स्थिति और अधिक शोषणीय होगी गयी। सन् 1772 ई के बाद बारेत हैस्टिंग के बाल में पांच-वर्षीय भूमि कर निर्धारण व्यवस्था के स्थान पर एक-वर्षीय व्यवस्था चालू की गयी थी ऐसा के कृषि-दिक्षाम के बिए घानक सिद्ध हुई।

रान 1784 से पिट्टा डण्डिया एन्ट के अन्तर्गत करगानी का व्रद्धासन सीधे बाउन के नियंत्रण में ले लिया गया तथा लॉड कार्नेवलिन द्वारा भारत वा गर्जन जनरल बना कर भेजा गया। काफी समय तक विचार-विमर्श वरने के पश्चात् सन् 1793 में लाई बानेवालिम ने स्थायी बन्दोबस्त की घोषणा की।

मूर्मि का स्थायी बन्दोबस्त या जमीदारी प्रथा

सन् 1793 में लाई बानेवालिम ने इस प्रथा को सर्वप्रथम बगाल, बिहार व उडीसा में लागू किया। इन्हनु नाद में नक्कर इसे देश के अन्य भागों, जैसे—गुजरात के पूर्वी भाग, बंगाल, उक्कर तथा दशिया मद्रास में भी लागू किया गया। इसके अन्तर्गत पहले के बर एवन करने वाले व्यवितयों व राजस्व-कलेक्टरों वां भूमि में विनी मध्यस्थि के अधिकार देखा भू-स्वामी यना दिया गया। ये अधिकार उन्हे स्थायी तौर पर दिये गये।

ऐसा अनुग्रान है कि सन् 1973 ई में केवल बगाल से ही 30,91,000 पाँड बालगुजारों के लाए बगूत किये गये। इस प्रथा के अन्तर्गत विभिन्न ज्ञेशों वे स्वान नी दरे भिन्न-भिन्न थी। मद्रास म स्थायी बन्दोबस्त के बाल में गालगुजारी उपज के $\frac{1}{2}$ या $\frac{1}{3}$ भाग के बराबर निर्वागित की जाती थी, जिसे बाजार भाव में रूपयों में बदल कर नहारी लगाने में जगा बरता पढ़ता था। गालगुजारी निर्धारित परतों समव तुल उपज से भी उत्पादन व्यय घटा दिया जाता था। प्रत्येक जमीदार को अपने दोनों में भूमि-मुद्रार तथा निचाई की व्यवस्था दरने का उत्तरदायित्व सीधा दिया गया। सन् 1799 में बहुता बमूल दरने के लिए जमीदार द्वारा विधेय रूप से बानूनी अधिकार ब्रदान किये गए, जिसमें लगात न देने का, क्रान्तकार के ग्राम की छुरी, की व्यवस्था भी।

इस कानूनी अधिकारों में जमीदारों की स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गयी। उन्होंने दरकारकर दो वर्षीय कर दाता जिम्मे कृषिगत वर्ष-व्यवस्था का हास दूआ। इस व्यवस्था से नस्कारी व्याप में भी, भविष्य में बोई तृतीय नहीं हुई तथा सरकारी आप न्यूनतम स्तर पर रह गयी। जमीदारों ने भूमि-मुद्रार द्वारा दिया में भी कोई उत्पाद

मही दिखाया तथा ऊंची दर से लगान लेना। प्रारम्भ कर दिया। यह व्यवस्था अवैश्य-निक भूमि व्यवस्था थी जिसके कारण समूर्ण सामाजिक बातावरण दृग्गत हो गया।

उपर्युक्त दोषों से यह रूपट है कि स्थायी बन्दोबस्तु एक सफल प्रशासी नहीं रही तथा इनी कारण समव-समय पर हृषिकृष्णगढ़ गर विचार करने वाले आधोंगो [हृषि कमीशन (1928), लैंड रेवेन्यु कमीशन, बंगल (1940) तथा (बुडलैंड कमीशन (1943, 1945)) ने इसके उम्मूलन की मिफारिज की थी, यहाँ तरह कि 19वीं शताब्दी में ही जब इस व्यवस्था को भारत के अन्य भागों में लाए करने के प्रदर्श पर विचार किया गया था, तब तन् 1821ई से इन्हीं द्वे सचालक बोर्ड (Board of Directors) ने इसका विरोध किया था। सन् 1883ई से भी भारत मनिक (Secretary of State for India) ने बाइमराव (Viceroy) को अन्तिम रूप से यह अदैश दिया कि इस व्यवस्था को नापाल कर दिया जाय।

अस्थायी बन्दोबस्तु (Temporary Land Settlement)

जिन स्थानों पर भूमि का स्थायी बन्दोबस्तु नहीं किया जा सका, वहाँ अस्थायी बन्दोबस्तु का तरीका अपनाया गया। इस व्यवस्था के बीचे मरकार का दृष्टिकोण यह था कि भू-राजस्व की आप वो लोधियाँ बनाय और निश्चित अवधि के बाद उनमें दृढ़ि कर दी जाय। इसका परिणाम यह होता था कि भूमि-तुष्टार आदि के कारण जर्मीदारों का लगान बढ़ने पर भरकारी जाय भी बह जाती थी।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत भी जपीदार नौज बनुपरिषत भू-स्वामित्व या अधिकार ही रखते थे। वे न्यूट बेटी नहीं करते थे। वे नियन्तों की भूमि लगान पर उठा देते थे तथा प्राप्त लगान से से अन्या हिस्सा रख दर होप मरकार को देते थे। यह प्रथा बंगल उमरी पदास, यू-पी व बनारग को छोड़ दर होप के अन्य भागों में लाए की गई। ऐपतवाड़ी तथा महालवाड़ी भूमि व्यवस्थाये भी अस्थायी बन्दोबस्तु के अन्तर्गत ही आती थीं।

इस प्रथा में भी जपीदारी प्रथा के दोष, जैसे-जिमानों का शोषण, अन्ति लगान, अनुपर्याप्त भूमि स्वामित्व, किमानों की बैद्यती जादि पाये गये। इस पढ़ति के अन्तर्गत बटाई प्रथा व शिक्की कालतवारी की प्रथा भी पाई जाती थी।

रैयतवाड़ी प्रथा (Ryotwari System)

रैयतवाड़ी प्रथा की नीव सन् 1708म सुनरो ने सन् 1792मे यद्राग मे लाई थी। सन् 1798मे भूमि की यह व्यवस्था समूर्ण मध्याम-ज्ञेत्र मे रकायित कर दी गयी। बाद से जल्दर यह प्रथा बस्तर्इ एव उत्तरी भाग्न ने प्रिटिश शोधों मे भी लाए कर दी गई। इस प्रथा के अन्तर्गत राज्य व रैयत वे बोध प्रत्यक्ष सम्बन्ध

स्थापित किया गया तथा किसान ही भूमि का स्वामी हीता था। स्थानीय राजकीय कर्मीदारी प्रत्येक कालकार की भूमि का पूर्ण व्यौरा रखता है तथा राज्य द्वारा घोषित दरों के आधार पर कृपक की राजस्व चमा करना हीता है। मालगुजारी की दरे 20 से 30 दर्यों के लिए निश्चित कर ही गयी तत्पदभात् इनमें संशोधन कर दिया गया।

मालगुजारी प्रथा: उपज के नुसार के बराबर निर्धारित की जाती थी, जिसे हर्षणों में आदा करना पड़ता था। 1855ई में भूमि की ऐमायश करना वर 30 दर्यों वन्दौदास्त की व्यवस्था की गयी, तथा मालगुजारी मुद्रा उपज के नुसार के बराबर निश्चित की गयी। बम्बई में भी सन् 1835ई में भूमि की ऐमायश कराकर भूमि को किसी दे आधार पर 9 चर्चों में चाट दिया गया तथा उनकी खेत्रों के आधार पर मालगुजारी निश्चित की गयी। सन् 1839ई में बम्बई लैंड रेवेन्यू कोड (Bombay Land Revenue Code) का निर्माण किया गया जिसके अनुसार मालगुजारी भूमि के प्रयोग करने के उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित की जाने लगी।

इस व्यवस्था द्वारा भूमि का प्रबन्ध लिये जाने के पश्चात् गावों की सामूहिक प्रक्रिया समाप्त हो गई। भूमिधर निहाव अथवा रैशत में कर्मीदारी की भावना भी गई तथा स्वयं खेतों न करके अपने लीचे बहुत से विवाही आदतकार रहने लगा। इस प्रथा के अन्तर्गत भूमि कर निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भूमि अधिकारियों (Land Revenue officers) को सौंप दिया गया था। वे अफसर किसानों को तग बरने थे, तथा कर अमूली में कठोर उपायों को भी अपनाते थे। इस प्रकार वे बुराहयों को दैलकर स्वयं तर टाँबपु गुनरों ने जो किसी तमम रैयतवाड़ी प्रथा का समर्नक था, इसके परिवर्तन की प्रकारिया की।

महलवाड़ी प्रथा (Mahalwari System) :

कर्मीदारी तथा रैयतवाड़ी प्रथाओं के दोषों को दूर करने तथा उनके स्वतंत्र पक्षों को मिला कर महलवाड़ी प्रथा बालू की गयी। उत्तर प्रात, पञ्चाव तथा मध्य प्रातान के बुद्ध लेनों में भूमि व्यवस्था महलवाड़ी प्रथा के अनुसार ही गयी। सन् 1833ई के रेग्युलेशन एन्ट (Regulation Act-1833) के अनुहार सर्वप्रथम आगरा व अवध में लागू किया गया था।

इस प्रथा के अन्तर्गत किसी लेव की महालों या गावों में चाट दिया जाता था। प्रत्येक महाल की हायि भूमि पर या तो उस महाल के समस्त कृषकों का समुच्च अधिकार होता था या किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार कई व्यक्तियों का समुच्च अधिकार होता था। किसान का भूमि पर व्यनियोग स्वामित्र, पैदुक व अपेक्षक अधिकार रहता था। जिसका भूमि पर पैदुक स्वामित्र नहीं था उनको

भूमि का पारस्परिक सदृशावता के आधार पर समझते के द्वारा बटवारा किया जाता था।

अतः इसमें सरकार का सम्बन्ध अकिञ्चित भूमिभर किसानों से न होकर सदके लिए किसी एक व्यक्ति अथवा नमुदाग से होता था। यह अकिञ्चित अथवा समुदाय ही सरकार को सदकी दरक से भूमि-लगान चुकाने के लिए उत्तरदायी माना जाता था। इसके अन्तर्गत भी सरकार ने कुपिय के विकास में प्रत्यक्ष हृष्ण से भाग नहीं लिया।

ग्राम प्रणाली (Village System)

बजाव में भूमि व्यवस्था 'ग्राम प्रणाली' के आधार पर प्रारम्भ की गयी। इस प्रणा के अन्तर्गत भूमि पर निली स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया। माल-गुजारी की रकम गांव के मुखिया या सरकार के प्रतिनिधि द्वारा बसुल की जाती थी। सम्पूर्ण ग्राम गमाज के लिए वार्षिक मालगुजारी की रकम मरकार द्वारा दी थी। ग्राम प्रणाली आधिक हृष्ण में चालू रही इसके दो कारण थे—

(1) वजाव ज़र्बोजी राज्य में अन्त में सुमिलित किया गया था, अतः नपी भूमि-व्यवस्था द्वारा बहु की परम्परागत सामाजिक व्यवस्था को पूर्णतया समाप्त नहीं किया गया।

(2) चूंकि वजाव पर बुछ समय पूर्व ही विजय प्राप्त की गई थी तथा बहु के लोगों में घुड़ीय जोश समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए विदेशी शासकों ने ग्राम गमाज के प्रति उनकी भावनाओं को बनाने रखने का ही प्रयास किया।

अन्त में हम यह कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में विदेशी प्रशासकों ने जिन भूमि व्यवस्थाओं को लाएँ किया उनसे भारतीय कृषि में कोई सुधार नहीं हुआ। भूमिपति या रैयत राज्य-कर के भार से दरना दवा रहता था कि वह भूमि-मुशारों के सम्बन्ध में विचार भी नहीं करता था। साथ ही भूमिभर रैयत तथा जमीदार स्वयं भूमि पर काढ़त या खेती नहीं करते थे। उनका स्वार्थ एवं हित कृषकों से प्राप्त होने वाले लगान तक सीमित था। वे अपनी स्वार्थ-हितिहास के लिए लिमानों पर धोर अर्थात् रकरते थे तथा उनका शोषण न रहते थे। जब कभी जमीदार या मर्कार द्वारा (रैयतवाड़ी फेजो में) लगान की दरी में बृद्धि की जाती तो ये मध्यस्थ मी दमी या उससे ज्यादा ननुसात में अपने हिस्से की मात्रा करते और फलस्वरूप खात्तविक जोतने वाले पर लगान का भार बढ़ता नहा गया। डा. बी. बी. भट्ट द्वारा प्रस्तुत अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका इस तथ्य की पुष्टि करती है।¹

1 V. V. Bhatti, Aspects of Economic Change and Policy in India, Chapter 2
England's Debt to India by Leipziger edited by B. M. Bhatia.

19वीं शताब्दी में भू-राजस्व

(करोड रुपयों में)

वर्ष	भू-राजस्व	करों से प्राप्त कुल आय	1 का 2 से प्रतिशत
1867-68	20.3	33.7	60.2
1877-78	20.0	34.9	57.3
1895	26.2	56.5	46.4

मुझ मिलाकर कृपक को शुद्ध उपज के 60%, से 100%, तक लगान के रूप में देना होता था। इन सुधूर्म मरमेश दत्त ने यह लिखा है कि “कृपि से प्राप्त लाभ का 50% लिया जाना किसी भी सम्य सरकार के हाथा शासित अन्य देश के भू-राजस्व से कही अधिक भारपूर्ण है।¹

कर भार बढ़ने के अलावा भूमि सुधार के कार्यक्रमों के न जपनाने व जिसनों की बठिनाइयों की ओर कोई ध्यान न देने के कारण अधिकार्ड कृपक खेतिहार अर्थिक साक्षरह गय और भारतीय इृषि की दमा निरन्तर घिरती चली गयी। अविक एवं दने के कारण कृपक वर्ग में ध्यापक निर्णयना भी जिस कारण उनका वाय त्रुशलता बन हो गयी तथा भूमि से अधिक पैदावार प्राप्त करने की उनकी दृच्छा मर गयी। विदेशी सरकार का केवल भूमि से अधिक ने अधिक आय प्राप्त करने का व्यय रहा। इसका प्रमाण तो इसी तथ्य में मिलता है कि सन् 1870 से 1880 के बीच 230 करोड़ रुपये से अधिक भू-राजस्व के रूप में बसूल किये गये, परन्तु मिचार्ड के साथना के विवाह पर राज्य ने इस अवधि में केवल 25 करोड़ रुपये सर्व किए। यही मब भारतीय कृपि के विकास में गतिरोध लाने को पर्याप्त था। वास्तविक बात तो वह थी कि अप्रज अधिकारी मिचार्ड अथवा कृपि व्यवस्था के अन्य सुधारों को पेस के बरबादी मानते थे।²

इन्वीसधी जातांडी में हृषि विकास की विशेषताएँ—सन् 1857 ई के पूर्व भूमि व्यवस्थाओं में अनेक परिवर्तन किय गय थे। रेमतवांडी व्यवस्था का विस्तार किया गया था तथा लाड चिलिपम वैटिंग द्वारा मन् 1833 ई में अवधि व आगरा में महालदारी प्रभा लागू की गई थी। कृपक वर्ग उस समय काफी सम्पन्न था। देश

1. Ramesh Dutt Indian Economic History of India Vol. I Chapter 12 & 13

2. Ramesh Dutt The Eco. History of India, vol. II p. 263.

ने साधानों तथा अन्य व्यापारिक फैलो के नियंत्रण में अधिक कुद्दि की गई। मन् 1875 ई. में भारतीय हिसाड्डियों के विघ्न (Sepoy Mutiny) के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने इस देश की शासन की ओर अपने हाथों में ले ली। सदोपगत सरकार न आन्तरिक शान्ति को बनाये रखते तथा आन्तरिक धोनों में बचा भाल बन्दगाहों तक पहुँचाने के लिए देश में सड़कों तक रेलों का तेजी से विकास किया। इससे इंग्लैंड की निर्मित वस्तुओं को आन्तरिक भालों में पहुँचाने में मुश्यमा हुई। हृषि की स्थिति भी दिन-प्रणाली-दिन प्रणाली मरी। जिनके परिणामस्वरूप निम्न विदेषीयों में देखने को मिलती थी—

(1) भारत इंग्लैंड का एक हृषि-प्रधान उपनिवेश होना—इंग्लैंड ने औद्योगिक शान्ति होने के पश्चात् यहाँ को निर्मित भाल वी प्रति तथा कच्चे भाल तथा औद्योगिक अमिको के लिए साधानों की पूर्ति करने लाला देश भारत ही था। देलो व मछक के निर्माण ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति में और भी महत्वोंग प्रदान किया, जिससे यह देश 19वीं शताब्दी के अन्त तक इंग्लैंड पर पूर्ण रूप से परावलम्बी दम गया।

(2) भोजन दुर्भिक्षा—देश से खाद्यान्तों का नियर्वात होने से अन्य की कमी हो गई। सन् 1800 ई० से लेकर सन् 1900 ई० तक नियमित रूप से जबाल पड़ते रहे, जिसके परिणामस्वरूप इन सौ वर्षों में 2 करोड़ 14 लाख अधिक यों की गुरुत्व हो गई। 19वीं शताब्दी के अन्त में 80 ग्रामिश जनसंख्या अपनी जीविका के लिए हृषि पर निर्भर थी। हृषि की गृहिणी पर ही लोहो का सुख तथा उत्तमी गम्भीर थी और फसलों के नाप ही जाने पर देश में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी।

(3) हृषि अमिक वर्ग का प्रादुर्भाव—19वीं शताब्दी में जिन भूमि-व्यवस्थाओं की व्यापूर्ण किंवदं यथा उन्हें अन्तर्गत भूमि-कर तक्षणी की व्यवस्थाये इन्हीं इंडिया थी कि विमानों की भूमि पर अपना अधिकार बनाये रखना कठिन हो गया। जमीदारों अथवा गृहमालों के अध्यात्मिकों से बचने के लिए वे अपना गेन छोड़कर दूरस्थी की भूमि पर काम करते रहे। इस प्रकार एक ऐसे हृषि अमिक वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ जो अनुपस्थित जमीदारों, व्यापारियों तथा प्रहृजों हारा शोषित रिया जाने लगा।

(4) न्यायिक इंवेष्टिगेशन का प्रारंभ—तरीन भूमि-व्यवस्थाओं स्था भू-पर्यो की नवीन प्रणालियों के शब्दलन में आने के बाद जमीदारों के अधिकारों को सुरक्षित बनाये तथा रैबन या किसानों से एक गिरिचरण रखने भू-पर के रूप में वसूल करने के लिए कानूनी बदालती, बदालती कीम, न्यायिक जाति, कुर्की आदि भी व्यवस्थाये चालू की गयी।

(5) दृष्टिकों को ऊर्जा-प्रस्ताव—नवीन भूमि-कर व्यवस्थाओं के अन्तर्गत लगान वा मालगुजारी किस कठोरता से वसूल की जानी थी, किसानों के पात्र उत्तर से बचने

का एकमात्र उपाय महाजनों वा साहूकारों से कृष्ण लेना था। साथ ही गतिहासी में अकाल पढ़ने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई थी। कर भार की निरतर बुद्धि से किसानों की ग्रहण-प्रतिक्रिया भी बढ़ती गयी।

(6) सरकारी नीति—ग्रिटिंश सरकार की नीति भूमि-कर के हृप में अधिक से अधिक आप प्राप्त करनी थी। कृषि सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भूमि बेचने, रहन रखने तथा हस्तान्तरित करने के नवीन अधिकारों के प्रदान विए जाने से भूमि का विभाजन और अपखण्डन इस सीमा तक हो गया कि जोत की इकाईया अनार्थिक हो गई। राज्य और भू-स्वामियों तथा कृपकों के दीन मध्यस्थों की एक ऐसी लम्बी कड़ी कार्यशील हो गयी, जिससे किसानों का शोषण अधिक होने लगा।

प्रश्न

- “विनाश की प्रक्रिया जो विदेशी शासन की स्थापना के साथ शुल्क हुई और जिसे विदेशी प्रशासन की शक्ति ने सहायता दी, वह अन्ततोगत्वा भारत में आर्थिक गतिहीनता था जड़ता में परिणत हुई।” इस कथन की भारत में उनीसवी जातीजनी की विद्या नीति के सब्दर्थ में पुष्टि करें।

(राज प्रथम वर्ष दी. सी., 1971)

घरेलू उद्योगों का पतन (Decline of Indigenous Industries)

"At a time when the West of Europe, the birth place of the modern industrial system was inhabited by uncivilized tribes, India was famous for the wealth of her rulers and for the high artistic skill of her craftsmen."

—Industrial Commission, 1918

विटेन की औद्योगिक कान्ति, जो अठारहवीं शताब्दी के मध्य में शुरू हो गई थी, ने सिर्फ विटेन में ही छोटे उद्योगों तथा शमिकों का ही शोषण नहीं किया, बल्कि भारतीय व्यवस्था को भी प्रभावित किया। इस औद्योगिक कान्ति के प्रभाव भारत में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक पूर्ण स्प से आ गये, जिससे देश का प्राचीन औद्योगिक ढाँचा गिर कर अपना प्राचीन वैभव एवं कीर्ति सो बैठा। जैसा कि औद्योगिक कमीशन 1918 की रिपोर्ट में कहा गया है—“उस समय जबकि पश्चिमी यूरोप में, जो कि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का जन्म स्थान है, असभ्य लोग निवास करते थे, भारत अपने शासकों की अपार सम्पत्ति तथा अपने शिल्पकारों की कलात्मक राधे कृदर्शनों के लिए प्रनिहृ था।” इस विवरण से यह स्पष्ट है कि प्राचीनकाल से ही भारत में कृषि के साथ-साथ उद्योगों का भी विकास किया गया, लेकिन बड़े-बड़े उद्योगों का हमेशा से ही अभाव रहा। परन्तु आरम्भिक प्राम समाज में जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकास प्राचीन काल से किया था, उसमें घरेलू उद्योगों का ही विशेष महत्व था। इन उद्योगों के छोटे होने के बावजूद भी, “भारत एशिया की कृषि रूपी जनती, मानव सम्पत्ति का औद्योगिक कारखाना तथा विश्व व्यापार की धुरी था।”¹

I. India was the agricultural mother of Asia, the industrial workshop of civilization and the hub of world's commerce.

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि "भारतीय उद्योग के बाल स्थानीय आबश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करते थे, बल्कि व्यापनी निमित्त बस्तुएँ विदेशी को भी भेजते थे।"¹ बस्तुतः पश्चिम में औद्योगिक कान्ति के शताब्दियों पूर्व, भारतीय समाज अत्यधिक समृद्धिप्राप्ती था। भारत में निमित्त व्यापक बस्तुएँ विश्व में अद्वितीय मानी जाती थीं। भारत विभिन्न प्रकार की बस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्माता था। यहाँ की द्वाका वीं मलतेज विद्वन्-विद्युत थी, लोट के उद्योग का भी समृद्धि विद्युत हो चुका था तथा अनेक बस्तुएँ, जैसे—मूर्तीतथा देवमी वृक्ष, शाल दुशाले, चन्दन की बनी बस्तुएँ, नागज जूते, वस्त्र, घमड़, चीनी, नील, उम्बारू, रण, नमक, चाप, सीना, ताढ़ा, कोयला, लकड़ी, अफीम तथा विलासिता की बस्तुएँ भारत से विदेशी को भेजी जाती थीं। विदेशी व्यापार अधिक विकसित होने के कारण सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में तथा सक्रवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मुगल शासकों द्वारा ऐन्डवं अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। भारत की समृद्धि ने ही विदेशी व्यापारियों द्वारा की यहाँ के व्यापार से लाभ उठाने के लिए आकृष्ट किया था। त्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अंग्रेज व्यापारियों की एक ऐसो तर्फ़ित सत्रधा थी जिसका साभाकारी व्यापार भारत की मनमत्ता, चंट, कमीवे और कङ्गाई के काम की बतृशो, हीरं-जवाहरान तथा ऊनी और रेशमी कपड़ों पर आधारित था।

अत्रीम भारत में हिन्दू शासकों के द्वाल तक नो भारतीय उद्योग गाँवों में ही प्रदृष्ट नथा विविसिन होते रह, यद्यपि उस समय भी नगरी (धार्मिक स्थानों तथा राज-घारियों) में कुछ उद्योग धन्य स्वावित निधे रथे। परन्तु मध्यकाल, विशेषकर मुगल शासन-न्देश में विभिन्न उद्योग-धन्ये नगरों में ही केन्द्रित होने लगे थे। इसका प्रमुख कारण यह था कि मुगल शासकों द्वारा शाम समाज की व्यवस्था में हस्तक्षेप किये जाने तथा दृष्टि पर उन्नी ही मालगुजारी से परेशान होकर, विल्यकारों ने नगरों में वसना प्रारम्भ कर दिया था। यही कारण है कि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में गाँवों के उद्योग-धन्यों की अपेक्षा नगरों के उद्योग धन्य व्यवस्था व्यवस्थित था। इन उद्योग धन्यों के द्वारा व्यवितरण नगर में रहे वाले धनी व्यवितयों तथा राजव दर-धार के कुलीनवशी सामन्वयी तथा नवायों की आबश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बस्तुएँ निमित्त ही जानी थीं। उम समय हाथ से बन हुए मूर्ती कपड़ का उद्योग ही मुख्य उद्योग था। आर सी दल का कथन है कि 'बुनाई का काम जनता का राष्ट्रीय उद्योग वा ज्ञान करता है का काम लालों हितया करती हैं।'

इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारतीय उद्योगों में मूर्ती कपड़ों का उद्योग आधिक विकसित एवं विस्तृत था। इसके केन्द्र ढाका, लखनऊ, अहमदाबाद,

गांगपुर, मधुरा आदि थे। इन उद्योगों के अतिरिक्त काश्मीर तथा पश्चात् ऊनी दुशालो के लिए बनारस, नासिक, पूना, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम् तथा तजौर पीतल, तांबे तथा अन्य धातुओं की बस्तुओं के लिए, पश्चात् तथा सिंध ढाल-तक़वार के लिए तथा राजपूताना के कई नगर पठ्ठर की सूदाई, मीनाकारी आदि के लिए प्रसिद्ध थे।

भारतीय उद्योगों की क्रमिक अवस्था

भारतीय उद्योगों की अवस्था म. 1757 ई० से ही प्रारम्भ हो गई थी, जबकि पलामी के युद्ध के पश्चात् विद्या ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बगाड़, विहार तथा उडीया में नियुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई थी। अपने यातन काल के प्रारम्भ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय व्यापारियों की अधिक मूल्य देकर औद्योगिक केन्द्रों से माल सरीदारों का प्रमदिदा किया। इस व्यवस्था को नालू दरवेश उसका एक मात्र उद्देश्य भारतीय व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त जरता था। वह अपने प्रतिरक्षणीय विदेशी व्यापारियों, फ्रान्सीसी तथा इच्छकम्पनीयों को भारतीय व्यापार को विसी फ्रांकर पतनपते का बलबर नहीं देना चाहती थी। इस व्यवस्था भारतीय बस्तुओं की माल पर एक बार एकाधिकार प्राप्त कर लेने के बाद कम्पनी ने उनकी माला रामगो, गूल्हो आदि की अपने पक्ष में नियन्त्रित करना प्रारम्भ पर दिया। परिचामस्वक्षण भारतीय व्यापारियों की स्वतन्त्रता समाप्त हो गई। वे कम्पनी की माल तथा उनके द्वारा निर्धारित मूल्य पर आवित हो गये। इससे उनका काम जल्द होने लगा तथा बुनकरों को कम पारियां भिजने लगा। व्यापारी अपना स्वतन्त्र व्यापार छोड़ दर कम्पनी के वेतन भोगी गुमाइनी के हप गे काम करने लगे और बुनकरों का अधिक शोषण करने लगा। व उत्पादकों से कम से कम मूल्य पर बस्तुएँ खरीदते थे। इसका परिचाम वह हुआ कि धीरे धीरे देश का सूती वस्त्र उद्योग नष्ट हो गया।

कम्पनी न भारतीय उत्पादकों को कम से कम तक व्यवस्था देकर उनके अधिक तरफ वस्तुएँ प्राप्त करने को नीति अपनाई थी। धीरे धीरे कम्पनी ने जब सम्पूर्ण भारत पर अधिकार गर दिया तब वह नीति सभी भारतीय उद्योगों के सम्बन्ध में लागू की गई। वागाल में कम्पनी न मूली तथा रेशमी बपड़ों का अधिक गे अधिक नियन्त्रित हरन के लिए स्वयं अपनी फैब्रिक्या हवापिन की।¹ भारतीय वारीयों ना इन फैब्रिक्यों पे काम करने के लिए बाध्य किया गया। इतना ही नहीं उन्हें उग समय तक केकटरी गे बाहर जान नहीं दिया जाता था जब तक कि वह एक नियन्त्रित गाना में काम पूरा नहीं कर सके थे। अन्य स्थानों पर नियुक्त व्यापारिक रेकीडन्टों (Commercial Residents) यों द अपेक्षा दिये गये कि गानों में रहने वाले कारीगरों

¹ Quoted by Karl Marx Capital A Critical Analysis of Capitalist Production " Vol I, P 432

जो बिना उपयुक्त नुगतान किये अधिक माल का उत्पादन कराया गया। इस प्रकार कारीगरों की स्थिति कम्पनी के दाहो की तरह थी। इस नीति का इतनी कठोरता से पालन किया गया कि वहुत से कारीगर अपना पैतुक व्यवसाय छोड़ कर गांवों में जाकर खेतों करने लगे। सन् 1834-35 ई० से कम्पनी के शवकंर जनरल ने अपनी एक ट्रिप्पेट ने लिखा था, “वार्षणग्न के दूनहारा में ऐसी बदलाव रियति का अन्य नोई दृष्टान यात्रा ही मिले। भारतीय भूगि गूही वस्तों के बनकरों की हड्डियों से सफद नजर आती है।”¹

इस प्रकार धोरे-धीरे भारतीय व्यापार संघ उत्पादन-व्यवस्था पर कम्पनी का नियन्त्रण और अधिकार बढ़ता गया। परन्तु 18वीं शताब्दी के अन्त तथा 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब इंग्लैंड की ओरोगिक कान्ति के परिणामस्वरूप वहाँ वस्त्र-उत्पाद बड़े पैमाने पर स्थापित किया गया, तब से भारत को एक निर्यातक देश (exporter) के स्थान पर आयान्त्र देश (importer) बनाने के प्रयत्न किये जाने लगे। इस दिशा ने भवसे पहले नन् 1813 ई० में चार्टर अधिनियम के अन्तर्गत ईस्ट इंडिया कम्पनी वा भारत से व्यापार करने का एकाधिकार तभाज्ञ कर दिया गया, बोर्ड के इंग्लैंड के उद्योगात्मि वस्ते उद्योगों का नियंत्र माल भारत जैसे उपनिवेश में बेचकर ही विटिय ओरोगिक कान्ति को मफल बनाना चाहते थे। इनके लिए दूसरा उपाय यह किया गया कि वहाँ की सरकार ने इसलक्ष्य व्यापार की नीति अपना कर उद्योगपतियों को भारत को अधिक में अधिक नियमित माल नियान्त करने की छूट दे दी तथा दूसरी तरफ टटकर (ट्रिप्पिं) नीति द्वारा अपने देश के उद्योगों को सरकार प्रदान करने के लिए भारतीय नियमित वस्तुओं के आपात को कम कर दिया। परिणाम-स्वरूप सन् 1814 ई० से मन् 1835 ई० तक भारत में ब्रिटिश नियमित मूली वस्तों के आपात में १० गुने से अधिक बढ़ि हुई (एक विलियन गज में बढ़ कर ५१ गज गये गई), जबकि भारतीय नियमित मूली वस्तों का नियंत्र निरन्तर कम होता गया (मन् 1814 ई० में १½ मि धान, मन् 1844 ई० में 63,000 धान तथा सन् 1850 ई० में सम्पूर्ण ब्रिटिश नियान्त का 1½ भाग)।

इस दबावि में सन् 1833 में एक चार्टर अधिनियम के द्वारा कम्पनी की समस्त व्यापारिक क्रियाएँ ममाप्त कर दी गयी और इंग्लैंड के पूर्जीपतियों को भारत में अपनी पूँजी विनियोजित करने का अधिकार प्रदान दिया गया। इस विसेषाधिकार के कालस्वरूप वहाँ के पूर्जीपतियों ने यहाँ अपनी फैक्टरियों रचायित की तथा अन्य उपकारों में प्रवेश करना प्रारम्भ कर दिया। विदेशी पूर्जी के प्रवेश

1. “The cassery hardly finds a parallel in the history of commerce. The bones of the cotton-weavers are bleaching the plains of India.”

से हथा व्यापार पर शिट्टा व्यापारियों का एकाधिकार होने के कारण भारतीय प्राचीन उद्योग धन्य नष्ट होने लगे।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि उनीसवी शताब्दी के मध्य तक भारतीय उद्योग धीरे-दीरे अबनति की स्थिति में थे । इन उद्योगों की रियल के विषय में मॉन्टगोमरी मार्टिन (Montgomery Martin) ने अपनी रिपोर्ट ने लिया था, “सूरत, दाका, मुर्शिदाबाद तथा अन्य स्थानों का, जहां भारतीय बस्तुएँ निर्मित की जाती थीं, विनाश एक ऐसी कृष्णाद वास्तविकता है, जिसके सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता ।”¹ इसी सम्बन्ध में रान् 1880 ई. ने शहर हेनरी कॉटन ने कहा था, “सन् 1787 ई. से भारत से इगलेंड को 30 लाख हजार रुपय नी डाका मार्गिल का निर्यात किया गया था, सन् 1817 ई. से उसका निर्यात पूर्णतया बन्द हो गया ।” “दे फुटुप्प, जो (इस उद्योग के बारण) समृद्धियाली थे, नगरों को छोड़ने के लिए विवश हो गये तथा जीविकोपार्जन के लिए गांवों में आश्रय ढेरे लगे ।” इस प्रकार की विनाश की स्थिति केवल दाका में ही नहीं बल्कि सभी जिलों में उत्पन्न हो गयी थी ।²

भारतीय घरेलू उद्योगों की अवनति के कारण

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय घरेलू उद्योगों की अवनति के विविध विविध मूल्य कारण थे ।

(1) मूल सामाजिक काल में गृह-करह तथा शास्त्रीय अशान्ति और गोब्र की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने पारस्परिक करह और खुड़ होने के कारण वैतानीय राजन्य-सत्ता बराबर कमज़ोर होती गयी । जागीरदारों, नवाबों और सामन्तों में भी कूट पड़ गयी । परिणामस्वरूप देश की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी । ऐसी रियलि ने घरेलू उद्योगों का समृच्छित विकास नहीं किया जा सका ।

(2) राज-दरवारों के सशक्ति का अभाव देश में व्यापक राजनीतिक अशान्ति होने के कारण, कारबानी तथा नायों में काम करने वाले कारीगरों की निर्मित वस्तुओं की मात्र कम हो गयी । राज-दरवार, सामन्तों, नवाबों आदि दो-

1. “The decay and destruction of Surat, of Dacca of Murshidabad and other places where native manufactures have been carried on, is too painful a fact to dwell upon.”

Murray, Hugh “History of British India” p. 16

2. “In 1787 the exports of Dacca muslin to England amounted to Rs. 30 lakhs of rupees, in 1817 they had ceased altogether. Families which were formerly in a state of affluence have been driven to desert the towns and betake themselves to villages for a livelihood. This decadence had occurred not in Dacca only, but in all districts.” Ibid, p. 16

इनको बोड मुरक्का एव सरक्षण नहीं मिला जिसमें सूनी व रेशमी कपड़ों के उद्योग की स्थिति बहुत ही गरजत हो गयी।

(3) विदिशा ईस्ट इंडिया कम्पनी को नीति, मुगल शामन के कमज़ोर होने ही कम्पनी का गज़बनेतिह प्रभाव बढ़ने लगा। कम्पनी ने दिसेंब्टोरना में बारी-गरो में अधिकारियों काम के दौरान कम ने कम मज़बूती देने अधिकारियों माल को न्यूमनम मूल्य पर भर्ती दिया। नीति अपनायी, डस्टे बारीगढ़ों में काम करने का उल्लास कमाल हो गया। फलस्वरूप घरेलू उद्योग धीरे-धीरे समाप्त होने लगे।

(4) देशी व्यापारियों का घटार हुआ प्रभाव व्यष्टिनी सरकार स्वापित होने के पहले अब्रेज व्यापारियों को निमित माल बेचने का काम देशी व्यापारियों व्यापारियों समझिया गये थे। परन्तु कम्पनी सरकार वी पहली ही राजनीतिह इकिल न त केवल अपने शामन का विस्तार किया, बल्कि देश के आन्तरिक तथा विदेशी, दोनों ही व्यापारों पर एकाधिकार प्राप्त करने की नीति अपनायी। व्यापारियों देशीहेन्टों गुमानों तथा अन्य कई प्रकार के मध्यस्थियों ने अपनी के लिए देश के आन्तरिक व्यापारों न निमित माल लाने करने का विशेषाधिकार देकर देशी व्यापारियों को अपने द्वारे बमाल दर दिया गया। जान्तरिक देशीय वैदिक, व्यापारियों आदि व्यवस्थाओं के उन्नति होने से घरेलू उद्योगों की कांच माल की पूर्ण घन-मस्तिष्ठा जान्तरिक ताका तो पूर्ण जागा निर्गित बरतुओं की विक्रम-व्यवस्था पूरी नहीं बी ता मरी। उन गठकों परिषाम्बद्ध हए उद्योगों की चलाना कठिन हो गया।

(5) बीदोगिरि जानित का प्रभाव डगलेट की बीदोगिरि जानित की मर-स्त्रा भारतीय धन्द्य, उद्योगों की विकल्पना एव अवनति पर निर्भर थी। विदिश सरकार ने ५५८ डगलेट-गिटेन में नवजात उद्योगों को एक बोर्ड तो भारतीय धन्द्युओं के जावान पर २५० से ६०० प्रतिशत नव आयान नृत्यावार सरपाण प्रशान दिया जिनसे भारतीय निर्मित धन्द्युओं का वहा आयात धीरे-धीरे कम गया विन्दुल ही ममाप्त कर दिया गया। दूसरी नरक मारत में स्वतन्त्र व्यापार वी नीति अपना वर विदिश उद्योगों की निर्मित बरतुओं से देशी बाजारों ने भर दिया गया। गर्वीन-निर्गित बरनुए हाथों में बनी बरतुओं म कही अधिक सुरक्षी थी। परिषाम्बद्ध हए देश में विदेशी धन्द्युओं पर व्यवस्था अधिक होने लगी। देशी धन्द्युओं की मांग कम हो जाने पर घरेलू उद्योगों को बनाये रखना कठिन हो गया।

(6) विदेशी सरकार दो व्यापार नीति डगलेट ने अपने व्यापार के विवाद के लिए तो स्वतन्त्र व्यापार वी नीति अपनायी, परन्तु भारत को इसे अपनाने की छूट प्रदान नहीं दी। बीदोगिरि जानित की मालना के लिए भारतीय बाजारों में विदिश मूर्नी धन्दों को होने के लिए व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं को बाध्य होना

पटा, अपेक्षि इगलेंड में वहाँ सूखी भाल शुल्क-मुक्त था। सूखी घस्त्र पर बेबल 2½ प्रतिशत शुल्क ही था, जबकि भारतीय बस्तुओं पर इतना अधिक शुल्क लगाया गया कि वे बस्तुएँ विदेशी बस्तुओं की भाल्डी में छिक न सको। इसके माध्य ही इगलेंड को निर्यात की जाने वाली बस्तुओं पर वहा 40 से 60 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाना था जिससे वहा भारतीय बस्तुओं का बाजार पूर्णतया समाप्त हो गया। इसके माध्य ही भारतीय बस्तुओं पर अध्य प्रतार के बह भी लगाये जाते थे, जैसे पुन निर्यात में लायी गयी बस्तुओं पर रक्षानीय कर, विदेशी जहाजों से लायी गयी बस्तुओं पर उत्पादन कर आदि। इसके विपरीत इगलेंड में भारत में आयात की गई बस्तुओं पर बहुत ही कम 3½ प्रतिशत भूल्पानुसार आयात शुल्क लगाया जाना था जो भि भारतीय बस्तुओं पर लगाये गये मूल्यानुसार कर (6 से 18 प्रतिशत) से बहुत ही कम था। यहा तक कि इगलेंड में आयात किये गये देशी भाल पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया।

(7) नवे समाज का निर्माण अप्रेजी राजव के दिस्तार के माध्य-माध्य पुराने मामली समाज का पतन होता गया। अप्रेजों ने जमीदारों, व्यापारियों तथा प्रशासन के लिए जिन अधिकारियों के लिए नए समाज का निर्माण किया, वे अप्रेजी सरकार की नीति के ममर्दन थे। उन्होंने अपनी रामाजिङ् प्रनिधानों को बढ़ाने के लिए अप्रेजों के दृष्ट-प्रहृत नो अपनाया तथा मन्त्री विदेशी बस्तुओं का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। इसके अनियन्त्रण इस नवे समाज की आधिक स्थिति भी इतनी जल्दी नहीं थी कि वह धरेलू उद्योगों की बहुमूल्य बस्तुओं को खरीद सकता था। इसाँा भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव गढ़ा और उन्होंने प्राचीन परम्परारत बस्तुओं का उत्पादन बढ़ाव दिया।

(8) यातायात तथा संदेश-व्यापान का विकास, देश में तेजों से सदकों का विस्तार तथा रेलों का विकास, व्येज नहर का निर्माण तथा तार व ढाल की मुविधाये उपचलब्ध होने के बाद देश के भीतरी भागों में भी दूर-दूर तक विदेशी भाल पहुँचाया गया। इससे भारतीय उद्योगों की विस्तृत बस्तुओं की मात्रा समाप्त हो गयी। धरेलू उद्योग विदेशी बस्तुओं की प्रतिस्पर्द्धा में कम मूल्य वाली बस्तुओं का उत्पादन नहीं बह भवते थे कारण अधिक नमूने तक न दिया जाते। रानाइंड के अनुसार “इम्फेंड के आधीन भारत के महान् राज्य ने उन्नीमध्ये जाताव्यों में प्राचीन उपलिखेयों का स्थान न दिया। यह व्याधीन राज्य एक प्रकार से अप्रेजों का वह कृषि-क्षेत्र है जहाँ कच्चा माल देवा किया जाता है, जिसे अप्रेज व्यापारी विटिश पूँजी और धार्म द्वारा निर्मित माल का हृष्ट देते हैं। विटिश जहाजो द्वारा इगलेंड ऐज देते हैं। वाद में किर वही माल अप्रेज व्यापारियों द्वारा इसी आधीन राज्य (भारत) में विटिश कर्मों ने भाग निर्यात न कर दिया जाता है। भाष-विक्षित तथा भशीनों के विकास

तथा गतायात की सुविधाओं ने भिलकर इस मुग की उपर्युक्त प्रवृत्ति को और भी बल दिया। इसके परिणामस्वरूप यह नहान् अधीन राज्य धीरे-धीरे सुषिक्षायें में अधिकाधिक प्रवृत्त होता गया और निमित वस्तुओं के ध्यवसाय का बड़ी तेजी से पत्तन शपाट रूप से दिखलायी पड़ने लगा।”

(9) अपेक्षी राज्य की उपेक्षापूर्ण नीति : राजाडे के उक्त विचार से यह स्पष्ट है कि अपेक्षी राज्यको ने भारतीय उद्योगों को जीवित रखने के लिए कुई प्रयास नहीं किया। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत को इम्फ़ैंड बा. एक ऐसा हृषि-प्रधान उत्तिनेश बनाना था, जहा से उम्र देश के उद्योगों के लिए कच्चे माल तथा लोगों के लिए खाद्यान्नों का निर्यात किया जा सके। यहाँ के उद्योगों में भी वह नवीन घन्नो आदि के प्रणोग की सुविधायें दी जाती, तो शायद पुराने उद्योग पुन जीवित हो उठे।

(10) जन-साधारण की उपेक्षा उन्नीसवीं शताब्दी में राजनीतिक, रामाजिक तथा बाधिक जीवन में इतनी तेजी से परिवर्तन हुए कि जन-साधारण भारत्यवादी बन गया। अत्यानार और अनानार के बारण यहाँ के सोग शान्तिपूर्ण व्यवस्था के लिए अधिक दृच्छु थे। साथ ही राजमण काल में तेजी से बदलती हुई परिरक्षितियों तथा क्षणने परम्परागत जीवन के गच्छ मामलस्य रक्षाप्रित नहीं कर रहे। परिणामस्वरूप वे कृपि पर अधिक ध्यान देने लगे।

(11) बड़े-बड़े उद्योगों का विकास उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से भारतीय पूजीपतियों ने कठोर बड़े उद्योगों के विकास की और स्थान देना आरम्भ कर दिया। यद्यपि उम्रके पूर्व उन्होंने अपेक्षी वामको के सुरक्षण में नापी पूजी एकत्र की थी, फिर भी उन्होंने घरेलू उद्योगों की गिरती हुई दशा को सुधारने के प्रयत्न नहीं किये। कालान्तर में सूनी-कपड़ा उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किये जाने के बाद हृषि-करणों द्वारा निमित सूती वस्त्रों का घरेलू उद्योग धीरे-धीरे अबनति की बरम सीमा पर पहुँच गया।

उपर्युक्त वारणी से यह है कि सड़कों, रेलों, तार, स्वेज महर का निर्माण तथा अल व अल दोनों ही पालायाए साधनों में प्रत्येक सुधार ने भारतीय कारीगर धी कठिनाइयों को कैवल बढ़ाया ही नहीं बल्कि उसे अन्त में पराजित भी कर दिया। अपेक्षी सरकार ने पूर्णतया देन के भीतरी भागों के बाजार तक अपेक्षी व्यापारियों के पहुँचने की सुविधाओं के निर्माण पर ही अपना म्यात केन्द्रित किया। एक और तो अपेक्षी उत्पादनों को भारतीय याजारों का शोषण करने के लिए पूरी-नूरी सुविधायें दी गयी तथा, दूसरी ओर भेनती कारीगर को अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। इस विवरण से यह जात होता है कि भारतीय

धरेलू उद्योगों की अवनति जहाँ एवं वरक चिट्ठिं सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के परिणामस्वरूप हुयी थी, वही दूसरी तरफ देश की कुछ आन्तरिक परिस्थितियों वा भी उनके विनाश पर अप्रश्यक प्रभाव पड़ा था। माहस, पूजी का समुचित प्रयोग, बदलती हुयी परिस्थितियों में जीवन के प्रति नया धृष्टिकोण, विदेशी सम्पर्क से आपूर्ति उत्पादन-विधियों के ज्ञान की प्राप्ति और इन सब ऐ उपर रखेकी भावना वा अभाव होने से भारतीय परम्परागत उद्योग का पतन होना स्वाभावित था।

उपर्युक्त कारणों से वह स्पष्ट है कि विदेशी सरकार की नीति प्रारम्भ से ही देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था पर एकाधिकार प्राप्त करने की थी। प्रारम्भ में उसने यहाँ के अन्तरिक व्यापार को अपने पूर्ण अधिकार में हेला लिया। उद्योग-धन्धा की उत्पादन-व्यवस्था को स्वयं अपने हित में नियन्त्रित करने के बाद यहाँ के व्यापारियों के उत्पादन अस्तित्व को समाप्त कर दिया। बालान्तर में इसी धन में इगलेंड ने अपने घनी व्यवसियों ने पूजी ने देश में प्रवेश किया और विदेशी फैक्ट्रिया ख्यापित भी गयी। विदेशी पूजीबाड़ ने यहाँ के व्यापिकों तथा बुनकरों का शोषण किया जिसके कलालक्षण न केवल यहाँ के उद्योग घन्थे समाप्त हो गये, बल्कि अधिकाज कारीगर, दस्तकार एवं बुनकर अग्रना गैरुक पेशा छोटकर गाड़ों में जाकर कृपक झुन गये। इगलेंड की ओरोगित खान्ति ने मृतप्राय उद्योगों को अन्तिम टेम पहुंचाये और मनोनि चिर्मित व्यक्तियों की उत्पत्तिकर्ता में चिट्ठिं सरकार की व्यापारिक नीति के कारण भारतीय धरेलू उद्योग न टिक सके। साथ ही विदेशी सरकार वी भारतीय उद्योगों के विवास के सम्बन्ध में अपनायी गयी औरोगिक नीति देश वे जीवोगिक विवास के लिए घातक सिद्ध हुई।

प्रश्न

1 “19वीं शताब्दी के गूर्हाहूँ में कृषि तथा भारतीय कुटीर उद्योगों का मठबन्धन समाप्त हो गया। नवा आप इम कथन से सहमत हैं? मार्द हा, तो इस मञ्च-धन से अपने विचार प्रकट कीजिए।

2 अनीत काठ में परम्परागत भारतीय उद्योगों में भारतीय समूद्धि में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया था? इस रामबन्ध में प्रा. संक्षिप्त लेता लिखिए।

3 अबेजो न क्यों भारतीय उद्योगों वो समाप्त करने की ओर विशेष चाहत दिया?

4 “19वीं शताब्दी में भारतीय कुटीर उद्योगों की अवनति के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए।

5 पिछली शताब्दी में श्राचीन भारतीय औरोगिक व्यवस्था के समाप्त होने का भावी औरोगिक विवास पर यदा प्रभाव पड़ा?

३

रेल-नीति

(Railway Policy)

"The Indian people feel that this construction (of railroads) is undertaken principally in the interests of commercial and moneyed classes and what it assists in the further exploitation of our resources"

—G K GOKHALE

भारत म अप्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद विटिश मरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों को राजनीतिक इष्ट से एक सूत्र मे पिरोने की ओर ध्यान दिया। परन्तु यातायात तथा सदेशवहन के नाथनों के अभाव मे इस उद्देश्य की पूर्ति सम्भव नहीं थी। इसके साथ ही देश के भीतरी भागों से कच्चा माल लाने तथा विदेशी निर्मित वस्तुएँ दूर दूर के बाजारों तक पहुँचाने के लिए भी लेज गति मे चलने वाली रेलों का निर्माण करना आवश्यक समझा गया। वास्तव मे रेलों के निर्माण के पहले न तो अग्रज भारतीय परम्परागत जीवन म पूर्णतया प्रत्येक ही कर सके थ और न ही विदेश के बनने हुए बाजार से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने मे सफल हो सके थ ।

उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही रेल निर्माण की व्यवस्था की गयी। रेलों वा निर्माण हो जाने के बाद भारतीय सम्हृति, जीवन तथा इर्थ व्यवस्था पर उत्का ज्ञानिकारी प्रभाव पड़ा। विदेशी मरकार ने भी इस कार्य को विशेष महत्व इसन्हें दिया था, क्योंकि उमने यह वल्पना ही थी कि रेलों का निर्माण व विकास होने के बाद भारत की सभी आर्थिक बुराइया एवं कमिया स्वतं दूर हो जावेंगी ।

रेल निर्माण का प्रारम्भ

(१) प्रारम्भिक अनुबंध— भारत मे रेल-निर्माण का प्रमाणाब सबसे पहले सन् 1831-32 ई मे रखा गया था। उस समय यह विचार किया गया था कि

सर्वेश्वरम रेलवे लाइन के बल मुद्रा में ही निर्माण की जाय। परन्तु उस समय तक भाष-शक्ति का प्रयोग न किये जाने के कारण ऐसे योड़ों के द्वारा ही व्यीची जा सकती थी। इसके पश्चात् सन् 1843 में भाष-शक्ति से जब ने बाली रेलों के निर्माण की योजना इंग्लैंड में तैयार की-गयी। यद्यपि विटिश इंडिया कम्पनी के सचालनों (Directors) ने इस योजना का विरोध किया था, किंतु भी निरन्तर आधिक तथा राजनीतिक दबाव पड़ने पर तथा अन्त में तत्कालीन गवर्नर जनरल, लॉर्ड हार्डिंग, की ओरदार सिफारिश पर रेलनीति का प्रस्ताव उन्हे स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद रेल निर्माण करने वाले प्रवर्तकों (Promoters) तथा कम्पनी के सचालनों में रेल-निर्माण में लगायी गयी योजी पूँजी पर दिये जाने वाले व्याज अथवा लाभांश (Dividend) के सम्बन्ध में उरकारी गारंटी के विषय पर काफी समय तक मतभेद बना रहा। अन्त में सन् 1849 ई में यह मतभेद भी प्रवर्तकों के पक्ष में ही समाप्त हो गया। इसी वर्ष भारत-याचिन (Secretary of State for India) द्वारा रेल निर्माण के सम्बन्ध में ईस्ट इंडिया कम्पनी (East India Company) तथा ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे कम्पनी (Great India Peninsula Railway Company) के साथ किये गये समझौतों (Agreements) पर हस्ताक्षर किये गये। रेलनीति के सम्बन्ध में किये गये ये पहुँच अनुशन्य थे, जिनमें कुछ शर्तें निश्चित की गयी थीं, जो निम्नलिखित हैं—

(1) रेल निर्माण एवं सचालन के कार्य निजी कम्पनियों द्वारा किये जायें।

(2) रेलवे कम्पनियों को गूगि उरकार द्वारा नियुक्त प्रधान की जायेगी।

(3) कम्पनियों द्वारा एक वर्ष की गयी पूँजी पर ईस्ट इंडिया कम्पनी 99 वर्षों तक 5 प्रतिशत वीं दर से व्याज देगी। यदेकी कम्पनियों द्वारा लगायी जाने वाली पूँजी पर 4½ से 5 प्रतिशत व्याज की गारंटी देगी।

(4) कम्पनी यिता मूल्य लिये 99 वर्षों के पृष्ठे पर भूमि देगी।

(5) इन अधिकारों के बदले में कम्पनी रेलों के व्यय एवं सचालन पर नियन्त्रण का अधिकार रखेगी।

(6) दोनों रेलवे कम्पनियां डाक, माल तथा युद्धीय सामग्रिया कम भाड़े पर ले जायेंगी।

(7) गारंटी किये गये व्याज से अधिक जो अतिरिक्त लाभ होगा वह उस समय तक ईस्ट इंडिया कम्पनी सदा रेलवे कम्पनियों के मध्य बाटा जायेगा। यदि तक कि गारंटी के बाधार पर प्राप्त किये गये छूटों का भुगतान नहीं कर दिया जायेगा। इसके बाद समस्त लाभ पर रेलवे कम्पनियों का अधिकार होगा।

(8) 99 वर्षों के बाद सम्पूर्ण रेल-व्यवस्था भारत सरकार के अधिकार में चली जायेगी। उस समय मनीन न प्लाट तथा रोलिंग स्टॉक को छोड़कर अन्य इसी रेल-सम्पत्ति के लिए कोई मुआवजा (Compensation) नहीं दिया जायेगा।

(9) त्रिटिया ईस्ट इण्डिया कम्पनी प्रब्रह्म 25 अयवा 50 वर्षों के बाद घट्टे की अवधि समाप्त होने के पहले भी पूर्णी-स्टॉक तथा अक्षों का मूल्य चुका कर किसी भी कम्पनी से उसके रेल-न्यायाल-व्यवसाय को सरीद संवेदी।

(10) रेलवे कम्पनियों को भी यह अधिकार होगा कि वे इसी भी समय 6 महीने का नोटिस देने के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अपने अधिकारों से समर्पित वरके अपनी वास्तविक विनियोजित पूरी वापस माप हक्केगी।

(11) सन् 1853 ई० से सन् 1868 तक रेल-निर्माण—उपर्युक्त सभी यहाँ अध्यले 20 वर्षों में किये गये रेलवे निर्माण सम्बन्धी अनुबंधों का आधार बन गयी। परन्तु रेल-निर्माण सम्बन्धी वीति तथा समवी विधि के सम्बन्ध में अभी तक कोई कंसाला नहीं निया जा गका। अन्त में, यह निश्चय किया गया कि त्रिटिया पूरी जी दृष्टिता से भारत में रेलों का निर्माण एसी कम्पनियों द्वारा किया जाये, जिनका समाप्तेलन (Incorporation) इंग्लैंड में किया गया हो। वह नीति लॉर्ड-डल्होजी (Lord Dalhousie) द्वारा सन् 1853 ई० म निर्धारित की गयी थी। उन्होंने यह प्रस्ताव खाला था कि रेलवे पहले चार मूल्य टक्के रेल लाइनों का निर्माण किया जाए जिससे सभी प्रेसीडेंसियों को आपस में रेलों द्वारा जोड़ा जा सके। यह आदा भी अक्षत की गयी कि इन ट्रक लाइनों के बन जाने पर देश के कुपि पदार्थों के निकात में काफी सुविधा हीगी। फलतवह्य रेल-निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया और सन् 1869 ई० तक गारन्टी वर्गनियों द्वारा 4,255 मील लम्बी रेलवे लाइन का कार्य पूरा कर लिया गया। इस अवधि में गारन्टी किए गए व्याप की दर 4 $\frac{1}{2}$ से 5 प्रतिशत तक थी।

परन्तु सन् 1869 के पहले रेलवे-निर्माण वार्ष अधिक भर्ता तथा सचौला सिद्ध हुआ, जबकि 5 प्रतिशत व्याप की गारन्टी मिल जाने के कारण रेलवे कम्पनियों न रेलवे निर्माण कार्य के अधिकाधिक घन विनियोजित करना प्रारम्भ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रारम्भ से ही सरकार को गारन्टी के रूप में कम्पनियों ने अधिक भर दना पड़ा। लॉर्ड डल्होजी का अनुमान था कि प्रति मील रेलवे लाइन पर 8,000 वीं व्याप होगे, जबकि वास्तविक व्याप (भूमि की लागत छोड़कर) ज्ञानभरा प्रति मील 18,000 वीं के बराबर था। इस अधिकार्य के कई कारण थे, जैसे कार्य प्रारम्भ करने में लम्बन होने वाली कठिनाईया, कुशल अमियों का अभाव स्थानीय दगड़ों का ज्ञान न होना, अनुभव की कमी, औड़ी लाइनों (ब्रॉडगेज Broad-gauge) का चुनाव, ऊंची नियम वा निर्माण कार्य, अनावश्यक बुहारी लाइने आदि।

परन्तु बास्तव में मुझतः गारन्टी की गयी अधिक रकम का भुगतान किये जाने के कारण ही अनुमान से अधिक धन व्यय हुआ था।

(iii) आरम्भ में ही अधिक धन व्यय ही जाने के कारण रेल निर्माण-कार्य की गति घोमी हो गयी। अब सन् 1869 में गवर्नर जनरल रार जॉन लारेन्स (Sir John Lawrence) ने यह मुजाहद पेश किया कि बंतमान पद्धति, जिसके अन्तर्गत गूरा लाभ को कम्पनी को प्राप्त होता है और पूरी हाति सरकार को लहूल करनी पड़ती है, समाप्त कर दी जाय। उन्होंने यह नी मुजाहद दिया कि नवी रेलों का निर्माण गारन्टी कम्पनियों के स्थान पर राजव द्वारा व्याज पर उधार लिये गये रापवाल अथवा सरकार की आप में से कुछ धन निकालकर किया जाय। उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तथा सन् 1870 ई. से मन् 1880 ई. तक की अवधि में रेलों का निर्माण राजव द्वारा किया गया। सन् 1880 तक सरकार ने 2,493 मील लम्बी रेल लाइनों का निर्माण कर लिया तथा कुल रेलवे लाइनों का विस्तार 8,494 मील तक ही इस अवधि में प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 2½ करोड़ रुपये जून के रूप में लेना तय किया।

(iv) सन् 1884 में सन् 1905 तक—यद्यपि सरकार द्वारा रेल-निर्माण का सर्वोला था, फिर भी उसकी गति घोमी होने के कारण अग्रेज व्यापारों, उद्योगपति तथा अधिकारी रेलवे-विकासकार्य से सन्तुष्ट नहीं थे। इनके दायरे ही इस कार्य के लिए सरकारी आय का एक बहुत बड़ा भूगत भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था। सन् 1880 ई. में “हुगिन आयोग” (Famine Commission) ने भी यह मिकारित की कि दुर्भिक्ष से बचने के लिए देश में 20,000 मील रेल लाइनों का होना आवश्यक है। अब लॉर्ड रिपन ने सन् 1869 में बदली हुयी नीति को पुनः संवोधित करने का मुजाहद किया। इस विचार करने के लिए सन् 1884 ई. में एक बंसदीय प्रबन्ध समिति (Parliamentary Select Committee) नियुक्त की गयी। इस समिति ने रेल मार्ग के तीव्र विस्तार पर जोर दिया और यह मुजाहद किया कि इस कार्य में दोनों ही सम्भाव्ये—सरकार तथा निवी कम्पनियाँ तेजी से काम करे। इस प्रकार पुनः गारन्टी पद्धति को अपनाया गया, यद्यपि इस बार इमंको मात्रे कुछ ठीक थी। व्याज की दर पटाकार 3½ प्रतिशत वर दी गयी। साथ ही यह भी निश्चय किया कि प्रारम्भ ते ही रेल सरकार भी ताम्हिता होगी तथा सरकार को अतिरिक्त लाभ में 3/5 भाग मिलेगा। सरकार ने भी इस कार्य में सुविध भाग लेना प्रारम्भ कर दिया, जिससे सन् 1884 ई. के बाद से रेल-निर्माण एवं विस्तार का काम बड़ी देरी से आगे बढ़ा। सन् 1905 की ही से जून तक 28,034 मील लम्बी रेल लाइनें बन चुकी थीं जिनकी लागत 350 करोड़ रुपये थीं।

उन्नीसवीं शताब्दी में रेल-निर्माण की विशेषताएँ

उन्नीसवीं शताब्दी में रेल-निर्माण की विशेषताएँ अप्रसिद्धि थीं

(१) भारतीय पूँजी का अभाव—प्रारम्भ में रेलवे-निर्माण-कार्य में विदेशी (ब्रिटिश) पूँजी ही विनियोजित की गयी थी। भारतीय पूँजी वा विनियोग नहीं के बराबर था।

(२) साहस का अभाव—रेलवे निर्माण एवं सचालन में जिस उपलब्ध एवं साहस की आवश्यकता थी, उसका संदर्भ अभाव था। रेलवे प्रणाली के प्रवर्तक पूँजी-दाता सरकारी गारंटी के आधार पर ही इस कार्य का सचालन करने के लिए दैदार हुए थे। इसके अभाव के बे इस कार्य के लिए सरकार द्वारा निर्गमित अर्थ-वर्जनों में ही घन लगाने को तैयार थे।

(३) इन्वोल्वर्ड शाताब्दी के बन्त तक हुआनि—पिछली शताब्दी के अन्त तक रेलवे से इतना लाभ भी नहीं हुआ था कि उसमें विनियोजित पूँजी पर दिये जाने वाले व्याज की भी व्यवस्था की जा सके। सन् 1900 ई. में पहली बार लाभ हुआ, परन्तु उस समय तक सरकार 76 करोड़ रुपये गारंटी दिये गये व्याज के लिए दे चुकी थी।

(४) रेल-मार्ग का तीव्र गति से विकास—पिछली शताब्दी के अन्त तक रेल-मार्ग का विकास बहुत ही तेजी से किया गया था, यद्यपि इन वर्षों में सरकार भी कई वित्तीय कठिनाइयों का जामना करना पड़ा था। यह इस बात से स्पष्ट है कि जबकि सन् 1850 ई. से सन् 1891 ई. तक के 41-42 वर्षों में केवल 17,308 मील लम्बे रेल मार्गों का निर्माण किया गया, तब सन् 1892 ई. से सन् 1901 ई. तक के 14 वर्षों में ही 10,746 मील लम्बे रेल-मार्गों का निर्माण-कार्य पूरा बर किया गया।

रेल-निर्माण का आर्थिक प्रभाव

अपेक्षा जास्ती की हाईट से रेलों वा भारतीय आर्थिक जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रारम्भ से ही इस बात की केवल कल्पना ही नहीं की गयी थी, बल्कि यह पिस्तान सो किया गया था कि रेलों के निर्माण से भारत की गरीबी नष्ट पहा दार-दार पड़ने वाले अकाल को समाप्त किया जा सकेगा। सन् 1844 ई. में जॉन चैपमैन (John Chapman) ने सड़कों के पिस्तान की अपेक्षा रेल-निर्माण पर विद्याप और दिया था। सन् 1884 ई. की रागीबीय प्रबर हासिति (Partialimentary Select Committee) न रेल-विस्तार की जोरदार सिफारिश की थी। उसका यह विचार था कि रेल-विस्तार से दुर्भिक्ष से सुरक्षा मिल सकेगी, आनंदिक तथा विदेशी व्यापार को बढ़ावा जा सकेगा, उपजाऊ क्षेत्रों तथा कोषले की क्षाती से कच्चा माल उथा कोयला प्राप्त करने में मुश्किल होगी, लोनों को रोजगार मिल मिलाया जाएगा उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में भुधार होगा। सन् 1896 ई. में रेल समर्थ के गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्लिङन ने रेलों के आर्थिक महत्व के गाम-साम उसके मामाजिक तथा राजनीतिक भूत्त को भी ध्यान में रखने पर विदेशी खार दिया था।

उन्होंने आशा व्यवस्था की दी कि, "महान भारतीय रेल व्यवस्था आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति तथा लोगों की राजनैतिक शान्ति को बढ़ाने का सर्वशक्तिमान माध्यम बनायी जा सकती है।"

भारत में रेलों के विकास का प्रभाव अर्थ-व्यवस्था के हर क्षेत्र पर पड़ा। इस विकास के कारण देश के कृषि-उत्पादन में वृद्धि हुई, बयोकि मण्डियों का विकास हो जाने तथा अन्तर्राजीय बाजारों से सम्पर्क स्थापित हो जाने से कृषि की फसलों की अच्छी कीमत प्राप्त होने लगी। बंगाल में जूट, डिटर प्रदेश और विहार में गम्भा, आसाम में चाय के बागानों का विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ। इसके अतिरिक्त देश में कई उद्योगों का बहुत ही तीव्र गति से विकास हुआ, बयोकि शहियों की गतिशीलता में वृद्धि हुई। कल्पना माल आसानी से प्राप्त होने लगा, तथा तीयार माल आसानी से उपभोक्ताओं तक पहुंचने लगा।

रेलों के विकास से देश में सिर्फ हाँग तथा उद्योगों का ही विकास नहीं हुआ, बल्कि रोजगार की गुविधाओं में वृद्धि, आन्तरिक व्यापार में वृद्धि, बकाल आदि का सामना, कौमों में स्थिरता अद्वितीय पर भी रेलों के विकास का प्रभाव प्रभाव घड़ा।

परन्तु रेल-व्यवस्था का बहुमान उद्देश्य भारत का आधिक व्योपण बरना ही था। यदि उस समय भारतीय यरेलू उद्योगों तथा अन्य उत्पादन स्रोतों का मात्र ही माध्य विकास किया जाता, तो सम्भवतः रेलवे-निर्माण एवं विस्तार से देश को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता। परन्तु रेलों द्वारा भारतीय लच्चे माल तथा खाद्यान्नों का निर्धारित करके देश में न हो उद्योग-घन्थों को पनपने दिया गया और ए ही दुर्भिक बोरोका गया। इसके अतिरिक्त रेलों के निर्माण वर जो अत्यधिक व्यवधार हुआ, उसका भार भारतीय जनता पर ही भारी कर के हृष में पड़ा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विद्वाली याताहारी में यातायात के साधनों में शान्ति के साथ-साथ औद्योगिक शान्ति, अर्थात् भारत में लोहे व इसपात तथा अन्य आधारभूत उद्योगों के विकास, की दिशा में सुरक्षार द्वारा प्रदत्त न किये जाने के कारण देश की उत्तनी आर्थिक प्रगति नहीं हुई जितनी की अपेक्षा प्रवासकों से कल्पना की गयी थी। बास्तव में रेल-निर्माण से अप्रेजों को ही लाभ हुआ, बयोकि उनको अपने व्यापार का विस्तार करन तथा पूँजी विनियोजित करने के अधिक स्रोत खुल गए।

प्रश्न

1. 19वीं शताब्दी में भारत में रेल-निर्माण पर एक सक्रियता लेव लिखिए।
2. विद्वाली याताहारी में अप्रेजों सुरक्षार ने भारत में रेलों का निर्माण क्यों किया? क्यरणों पर व्यक्ताद्वारा लिखिए तथा उसके आर्थिक लाभों वा दन्तेवाक कीजिए।
3. रेलवे-निर्माण के सम्बन्ध में आप गारमटी प्रश्न से बया समझते हैं। इसकी शर्तों का उल्लेख करते हुए उनके औचित्य पर विचार प्रकट कीजिए।

आर्थिक निकास

(Economic Drain)

"As the price of her rule in India, out of the revenues raised in India nearly one-fourth goes out of the country, and is added to the resources of England"

—Dadabhai Naoroji

दूसरी भारत के आर्थिक शोपण अर्थात् भारतीय धन की निकासी (drain of wealth from India) के सिद्धान्त का प्रतिपादन रावणश्वर मदादा भाई नौरोजी ने सन् 1867 ई० में किया था, फिर भी यदि इस विषय पर गम्भीर रूप से विचार किया जाये तो यह ज्ञान होगा कि इस प्रकार की प्रक्रिया सन् 1757 ई० से प्लासी के युद्ध के पश्चात् से ही प्रारम्भ हो गई थी। हाँ, यह अवश्य है कि उस समय धन की निकासी कम्पनी अधिकारियों द्वारा की गई थी। वह सम्पूर्ण कार्य व्यापसंगत नहीं था। इसीलिये बारेन हैमिट्राज के विरुद्ध इमलैंड में भ्राह्मियोग (Impeachment) बला था, कलाइव की भर्तना की गई थी तथा अन्य कम्पनी अधिकारियों के इस प्रकार के आचरण पर क्षोभ प्रकट किया गया था। परन्तु सन् 1857 ई० के बाद जब से भारत क्रिटिक साम्राज्य का एक अग बन गया, तब से अरेजी राज्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारत का आर्थिक शोपण किया गया। इसके विरुद्ध सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने प्रचार करना प्रारम्भ किया था। बाद में चल कर इन 'आर्थिक निकासी या शोपण' की ज़स्टिस रानाडे, आर० सी० दत्त तथा अन्य राष्ट्रवादियों (Nationalists) ने भी कटु आलोचना की थी।¹

इमलैंड द्वारा भारत के आर्थिक शोपण को स्पष्ट करते हुए दादा भाई नौरोजी ने 2 मई, सन् 1867, को ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन, लन्दन, (East India

1. "The great railway system of India" could be made an all powerful agent in the promotion of the material and social advancement and political tranquillity of the people" Quoted by Bipan Chaudhuri in "The Rise and growth of Economic Nationalism in India," p. 179.

Association, London) के समक्ष कहा था, “भारत में एकत्र की गयी आय वा लगभग 1/4 भाग भारत में बासन करने का मूल्य है जो देश से बाहर चला जाता है तथा इंग्लॅंड के माध्यन्मे जोड़ दिया जाता है।” सन् 1872 ई० में जरित रानाडे ने पूना में इए गये अपने एक भाषण में कहा था, “भारतीय राष्ट्रीय आय का 1/3 से अधिक भाग किसी न किसी रूप में रिटिर गरकार द्वारा ले जाया जाता है।” (Of the national income of India more than one-third was taken away by the British in some form or other)। इस सम्बन्ध में सन् 1838 में मॉन्टगोमरी मार्टिन ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा था, “इंग्लॅंड से इस प्रकार (चन) की निरन्तर तथा बढ़ती दूरी निवासी ने उसे भी निर्धन बना दिया होता, तब (यह कल्पना की जाती है कि) ऐसे भारत को उसके किसानों का ठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जहाँ प्रत्येक अमिक की दैनिक गजदूरी दो से तीन घंटे के बराबर है।”¹

आर्थिक शोषण या धन-निकासी के रूप तथा उसकी गणना।

(Forms and Calculation of Economic Drain):

(i) आर्थिक शोषण या धन-निकासी के रूप : ईस्ट इंडिया कम्पनी के अमर आर्थिक शोषण का रूप यह था कि वह भारत में एकत्र किये गये राजस्व की आय (revenues) का एक भाग निकालकर अपने व्यापारिक धारों में विनियोजित कर देती थी। याद में चल कर राष्ट्रवादियों ने भारत से इंग्लॅंड का उस समी धन एवं स्वतंत्री के एंसे स्वतन्त्ररण को धन-निकासी या आर्थिक शोषण का ही रूप माना, जिसके बदले में भारत को किसी प्रकार का वार्षिक, व्यापारिक दशा धन के रूप में प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होता था। इससे यह स्पष्ट है कि आयत यर मिशन का अधिक्षय (excess of exports over imports), आर्थिक शोषण का ही एक अन्य रूप था। धन-निकासी के अन्य रूप निम्नलिखित थे,

(1) कम्पनी की आय का अधिकांश गाग विदेशी बाजार में विनियोग,

(2) कम्पनी के असधारियों को भारत में विनियोजित विदेशी पूँजी पर दिया गया लाभाव,

(3) भारत पर साइरिंजिक ऋण (Public Debt),

(4) भारत में दाम करने वाले अप्रेज अधिकारियों की आय के एक भाग वा इंग्लॅंड को हस्तान्तरण,

1. ‘So constant and accumulating a drain even on England would have impoverished her how severer then must be its effects on India, where the wages of labour is from two pence to three pence a day.’

(5) भारत में बगूल निये गये राजवंश का अधिकार भाग प्रशासन, सुरक्षा, रेल-व्यवस्था आदि पर व्यव;

(6) 'गृह व्यय' (Home Charges) जो भारत-सचिव (Secretary of State for India) द्वारा भारत के लिए इंग्लैण्ड में किये जाते थे। इन खर्चों में निम्नलिखित मध्ये शामिल थीं :

(i) भारतीय सावेजनिक वित्त पर उपरा गारटी रेलवे कम्पनी को दिया गया ध्वज,

(ii) भारत को भेजी गई युद्ध-सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार की मामलियों नी लापत्त,

(iii) प्रत्यास्तन तथा पुद्द-सम्बन्धी व्यय जिनका भुगतान भारत के लिए इंग्लैण्ड में किया जाता था, जैसे भारत सचिव के कार्यालय का प्रशासन-व्यव तथा ऐसे यूरोपीय अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन व भर्ते की रकम, जो पहुँचे भारत म काम कर चुके थे।

(7) भारत ने पिनियोंकित विदेशी नियमी पूँजी पर उपार्जित लाभ।

(ii) धन-निकासी या आर्थिक शोषण की मात्रा

सन् 1814-15 ई० में 3,446,016 पौ० के बराबर धनराशि भारत से बाहर भर्ती थी। सन् 1837 ई० में यह बढ़ कर 6,162,043 पौ० के बराबर यहुच गयी थी। कम्पनी वासन के अन्तिम 24 वर्षों में (सन् 1834-35 से सन् 1857-58 ई० तक) कुल कर या धन-निकासी (Institute) की रकम जो भारत से इंग्लैण्ड की भेजी गयी थी 101,830,989 पौ० के बराबर थी। इस प्रकार इस अवधि में कुल बगूल की गयी मालगुजारी का आवा भाग इंग्लैण्ड भेज दिया गया। दादा भाई नीरोजी के अनुमार धन-निकासी के निम्नलिखित आकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

धन-निकासी

वर्ष	वार्षिक वैसत पौ० ई० में
1835 से 1839 तक	5,347,000
1840 से 1844 तक	5,930,000
1845 से 1849 तक	7,607,000
1850 से 1854 तक	7,458,000
1855 से 1859 तक	7,730,000
1860 से 1864 तक	17,300,000
1865 से 1869 तक	24,600,000
1870 से 1872 तक	27,400,000

सन् 1893 ई० में 25 करोड़ रुपयों से अधिक धन की निकासी हुई थी तथा सन् 1897 तक के चिल्हे दस वर्षों (सन् 1883 ई० से सन् 1892 ई० तक) में लगभग 359 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में सन् 1901 ई० जै डी० ई० वाचा (D E Wacha) ने बताया था कि आर्थिक धन निकासी लगभग 30 से 40 करोड़ रुपयों तक होती रही है।

आर्थिक शोषण के आर्थिक परिणाम

बार० सौ० दश ने इस बटे पैमाने पर भारतीय धन की निकासी के आर्थिक परिणामों के विषय में लिखा है— “जब किसी देश से कर वसूल करके वहाँ व्यव किये जाते हैं तब द्रव्य लोगों के मध्य ही चलने में रहता है, व्यापार, उद्योग तथा कृषि को फलनीय बनाता है तथा इस प्रकार किसी न दिसी रूप में लोगों के पास पहुँच जाता है। परन्तु जब किसी देश में वसूल किये गये कर की रकम किसी दूसरे देश में भेज दी जाती है तो यह रकम उस देश के लिए हमेशा के लिए ढूँढ जाती है, वह उसके व्यापार या उद्योगों का नहीं बढ़ाती, या लोगों के पास किसी भी रूप में नहीं पहुँच जाती।”¹ इस कथन से यह स्पष्ट है कि यदि भारत में वसूल किये गये करों की रकम अद्यता सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय भारत के आर्थिक विकास तथा उद्योग-धन्धों को विकासित करने में व्यव की जाती तो सम्भवतः भारत में आधुनिक उद्योग धन्धों का विकास कर का हो गया होता। इस प्रकार के औद्योगिक विकास से देश में लोगों को रोजगार मिलता तथा देश की गरीबी घट जाती। परन्तु विदेशी शासकों ने केवल भारत के शासन का नियंत्रण, उनके बदले में भारत के उद्योगों, व्यापार आदि का विकास नहीं किया। न ही उस धन का प्रयोग लोगों की आर्थिक वित्ति को सुधारने के लिए ही किया गया।

इन प्रकार के आर्थिक शोषण से भारत की उत्पादक पूँजी (Productive Capital) धीरे-धीरे कम होती गयी। धन निकासी के कारण ही देश में लोगों के पास पूँजी-सम्बन्ध नहीं हो सका। पूँजी-सूचय न होने से ही देश में लोगों नी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकी। इनके साथ ही इसी कारण से देश में न तो पूँजी-निर्माण ही लम्बा और न ही देश का औद्योगिक विकास सम्भव हो सका। आर्थिक-निकासी से वह हालत यही तक ही सीमित नहीं रही, कल्कि इयङ्कर ने भारत पर

1 For when taxes are raised and spent in a country the money circulates among the people, fructifies trade, industries and agriculture and in one shape or another, reaches the mass of the people. But when the taxes raised in a country are remitted out of it, the money is lost to the country for ever as it does not stimulate her trade or industries or reach the people in any form.

—R C Dutt Econ. History of India, p. xiv.

सार्वजनिक रूप का भार भी लाद दिया, जिसके परिणामस्वरूप यह रूप की मात्रा बहुत ही अधिकतम व्याज की दर पर इगलंड पहुंचा दिया गया।

भारत से इस आर्थिक निकासी का परिणाम यह हुआ कि इगलंड में विकास के कार्यक्रमों न जोर पटा, तथा इगलंड विद्व ने मध्यम राष्ट्रों में गिरा जाने लगा और भारतीय अर्थ-व्यवस्था जो कि 'शोन की चिडिया' के नाम से जानी जाती थी, आर्थिक विकास में बहुत ही पीछे रह गयी।

प्रश्न

1. आर्थिक शोषण का भारत से इन की निकासी से आप क्या समझते हैं ?
उसके विभिन्न रूपों तथा 19 वीं सदावदी में उसकी कुल अनुमानित रखने का उल्लेख कीजिए।

2. आर्थिक शोषण का भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था ?

स्वतन्त्रता के पूर्व भारत की आर्थिक निष्क्रियता

(India's Economic Stagnation Before Independence)

"Development concerns not only man's material needs but also the improvement of the social conditions of his life. Development is, therefore, not only economic growth but growth plus change, Social, cultural and institutional as well as economic."

—U N O.

भारत मन् 1947 से स्वतन्त्र हुआ। उमके पूर्व यहां पर अयोजी राज्य था। प्रभुत्वात्मक विद्यि सामाज्यदादियों ने भारत को अपना एक महत्वपूर्ण कृषि-प्रधान उपनिवेश हो माला था। यही की अर्थ-व्यवस्था उपनिवेशीय अर्थ-व्यवस्था (colonial economy) के रूप में ही विकसित की गयी थी। अत यह स्वाभाविक था कि यहां वा आर्थिक विकास गतिशील (dynamic) न होनेर निष्क्रिय ही रहा। विद्यि सरकार ने भारत को अपने आधिपत्य में लेने के बाद यहां की परम्परागत अर्थ-व्यवस्था (traditional economy) को बनाये रखने का ही निरन्तर प्रयास किया था। 19वीं शताब्दी के अंत में अथवा 20वीं शताब्दी के पूर्वाद्दूँ में जो बड़े-बड़े उद्योग स्थापित भी किये गये, वे बुनियादी उद्योग (basic or key industries) नहीं थे। परिणामस्वरूप भारत में स्वतन्त्रता के पूर्व आधुनिक तरोंके पर औद्योगिक विकास का ढाँचा तैयार नहीं किया जा सका, विससे भारत एवं अविकसित तथा पिछड़ा हुआ देश माना जाता रहा।

स्वतन्त्रता के पूर्व आर्थिक निष्क्रियता के कारण :

किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था के गतिशील होने के लिए यह आवश्यक है कि यह अपनी परम्पराओं को छोड़कर नयी दिशा वी ओर आगे बढ़े। सुदैव कृषि पर आधारित अर्थ-व्यवस्था अविकसित देश का प्रतीक है। उसके विकास के द्वारा जब औद्योगिक युग में प्रवेश करने के लिए एक मजबूत आषार-शिला तैयार कर सकी

जाती है, तब देश आगे बढ़ने व कहा उठने की स्थिति (take off stage) में आ पाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले तब विदेशी सरकार ने त तो विचार हुए कृषि-उद्योग को सुधूपवर्सिक्ल ढंग से विकास निया और न ही औद्योगिक विकास का वृनियादी ढाँचा ही तैयार किया। वास्तव में ये दोनों कार्य नियो देश की याप्तीय सरकार ढारा ही पूरे किये जा सकते हैं। अतः सन् 1947 के पूर्वे परतव्र भारत में अधिक नियन्त्रितता के कारणों का जानना आवश्यक है, जो निम्नलिखित है—

(1) भारत का परतव्र होना—विदेशी सरकार ने प्रारम्भ से भारत का आर्थिक शोषण किया था। यहाँ के व्यापार, उद्योग, वैकिंग व्यवसाय सभी का विकास इंग्लैंड की अर्थ-व्यवस्था के विकास तथा अप्रेजो के हित के लिए ही किया गया। आर्थिक शोषण होने से देश में निरंतर पूँजी का अभाव बना रहा। विदेशी सरकार की नीति यहाँ पर अपेक्षी राज्य की प्रभुता को बनाये रखने की ही रही थी। तब देश आद्युनिक औद्योगिकवाद (modern industrialism) की ओर झपक्कर नहीं हो सका, जिससे केवल कृषि पर ही जापारित अर्थ-व्यवस्था आगे न बढ़ सकी।

(2) परम्परागत अर्थ व्यवस्था—विदेशी सरकार ने इंग्लैंड से औद्योगिक आति के पहचान अपने उद्योगों के लिए कच्चे गाल तथा अनुकूल के लिए खाड़ीनी की पूर्ति करते के लिए भारतवर्ष की अर्थ व्यवस्था को कृषि पर ही जापारित रखा। परन्तु कृषि के विकास के लिए जिस पैमाने पर मिचार्ड व्यवस्था तथा आधुनिक यथोक्ती की आवश्यकता थी, उस पैमाने पर इनकी पुनिनहीं की गई। परिणामस्वरूप भारतीय कृषि एक गान्धूती तुआ बनी रही। स्वयं नियिकन रहने पर वह औद्योगिक विकास में आवश्यक सट्टांग प्रदान नहीं कर सकी।

(3) बढ़ती हुई जनसंख्या—भारतवर्ष की जनसंख्या तिरन्तर बढ़ती ही रही है। जनसंख्या में बृद्धि होने से उमड़ा भार भूमि पर ही पड़ा है। उद्योग-धन्धकों का धोका सीमित होने से 70-80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर ही जीविता वे लिए नियंत्र रही है। फलस्वरूप कृषि-उत्तादादान के कम होने से लोगों का जीवन-स्तर नीचे गिरना स्वाभाविक है। भारत स्वतन्त्र होने के पहले तक कृषि प्रधान देश ही रहा। परन्तु आवश्यक सुधार नहीं किये जाने से कृषि अविकसित रही जिससे वह बढ़ती हुई जनसंख्या को आवश्यकताओं को पूर्य न कर सकी। यही वारण है कि अधिकान भारतीय जनता के जीवन-स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ।

(4) संस्थागत दोष (Institutional Defects)—अप्रेजो का शासनकाल भारतीय परम्परागत जीवन का गतिहीन एवं नियिक ऐतिहासिक काल कहा जा सकता है। भाग्यजिक एवं धार्मिक हस्तियों में उलझा हुआ भमाज अधिक भाग्यादी हो चुका था। दूसरी ओर, विदेशी सरकार ने भारत में जिस पूँजीयादी व्यवस्था को विकसित किया था, उसने कृषि एवं औद्योगिक दोनों ही क्षेत्रों में निर्धारित व्यक्तियों (किसानों

उत्ता श्रमिकों) का शोषण हो दिया था। लिटिज पूर्जी, व्यापार तथा उद्योग-घनधो ने भारत के अधिक विकास पर वर्ष ध्यान दिया था। प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली (Managing Agency Systems) ने सदैव पूर्जीपतियों के हितों को ही ध्यान में रखा जाता था। बैंकिंग, बीमा आदि व्यवसायों का उद्यिक्षण भी अप्रेज़ सरकार के हितों की रक्खा करना ही रहा था, जिस कारण भारतीय पूर्जी का विनियोजन भी देश के अधिक विकास पर नहीं किया जा सका।

(5) शिक्षा तथा अडानता—विदेशी सरकार ने मुख्या, आन्तरिक शाति तथा सरकार की शक्ति को मुट्ठ बनाए रखने की ओर ही विदेश ध्यान दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज में एक ऐसे वर्ग को लंबार किया गया जो प्रशासन गवर्धी कार्य करने में समर्थ हो सके। बैंकानिक तथा तकनीकी शिक्षा का उतना प्रयार नहीं किया गया था जितना कि देश के लिए आवश्यक था। इस प्रकार शिक्षा का व्युचित विकास न होने से देश अडानता के अधिकार में डूबा रहा। परिणामस्वरूप विदेशी की तरह यहा आधुनिक उद्योग-व्यवस्था के शास्त्रिय नहीं किये जा सके।

(6) श्रमिकों की अकुशलता—श्रमिकों के अशिक्षित होने के कारण ही उनकी उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई। इसका यह परिणाम हुआ कि उनके जीवन-नार में मूल्धार नहीं थुका। श्रमिकों ही अशिक्षित भी नहीं किया गया। केवल उनका शोषण हो किया गया। फलस्वरूप उद्योग-धनधो की अपेक्षा कुणि पर निर्भर रहना ही लोग पसंद करते थे। ✓

(7) लघु तथा घ्रेलू उद्योग धनधो का अविकसित होना—विदेशी सरकार ने कुटीर तथा लघु उद्योगों को विकास की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। 18वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध तथा 19वी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में उनकी नीति ता दरम्परागत उद्योगों की नमाज़ करने की ही थी। भारतीय पूर्जीपतियों ने भी 19वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापित वर्तने की ओर ही विदेश ध्यान दिया था। वहे उद्योग भी केवल सूती-प्रस्त्रों तथा जूट की वस्तुओं के उत्पादन के लिए स्थापित किये गये थे। फलस्वरूप बेरोजगारी भी सम्भवा हमेशा बढ़ी ही रही।

(8) विदेशी सरकार की नीति—विदेशी सरकार की आरम्भ से ही यह भीति रही थी कि भारत की सामाज्य वर्ष-व्यवस्था में विसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाय। इस चृदेश से हो विदेशी पूर्जी ने लर्ज-व्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों वी अपने अधिकार में कर रखा था। बड़े-बड़े उद्योगों पर लिटिज पूर्जीपतियों द्वा री अधिकार था। बड़े पैमाने पर उत्पादन किये जाने अथवा उद्योगों पर सरकार का प्रश्न नियन्त्रण था। इसके साथ भारतीय उद्योगों के विस्तार के लिए आवश्यक पूर्जी, बच्चा बाल, तकनीकी सहायता, मशीन, बल ज पुर्जे आदि की मुविधायें अप्रेज़ पूर्जीपतियों के

राहगेंग तथा नये उद्योगों के प्रबलंग एवं सचालन पर उनका एकाधिकार देने पर ही प्राप्त बीजा सकती थी।

(9) टट-कर नीति—सरकार भी टट-कर नीति भी देन के औद्योगिक विकास के लिए बातक रही है। अग्रेजी सरकार ने औद्योगिक कमीशन-1918 तथा राज-वित्तीय आयोग (Fiscal Commission)-1921 द्वीपोटों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। विभेदात्मक सरकार नीति (Discriminating Protection Policy) तथा मान्द्राज्ञ-मस्त्रधी ग्रियाती नीति (Imperial Preference) के कारण पूर्ण रूप से औद्योगिक विकास नहीं किया जा सका। आयात में निरन्तर दृढ़ि के कारण मूती-वस्त्र तथा लौह व इस्पात उद्योगों वो बाधी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे देश में औद्योगिक विकास की गति धीमी पड़ गई।

(10) देश में असत्तुलित औद्योगिक विकास—प्रथम तथा द्वितीय विश्व-युद्धों ने वह स्पष्ट कर दिया कि देश का औद्योगिक विकास असत्तुलित रहा है। यहाँ केवल उपगोग-प्रस्तुओं के उत्पादन पर ही विशेष ध्यान दिया गया था। यहाँ तक कि रेल-निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के बाद भी लौह व इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए प्रयत्न नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त विश्व-युद्धों की अवधि में औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर तो सरकार विशेष ध्यान देती थी, परन्तु युद्ध हमारा होने के बाद यह पुनः अपनी पुरानी नीति, उद्योगों वा विकास न होने देने (de-industrialisation) की नीति को प्रयोग गे लायी थी। यही कारण है कि द्वितीय विश्व-युद्ध के काल में भी देश विश्व राष्ट्रों की युद्ध-साधनीय राष्ट्रियों को आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ था। अमरीकन टेक्नीकल मिशन न दम्भवई के जहाजी गरम्पत के कारसाने के नामों का निरीक्षण करने पर यह पाया था कि वहाँ चोटी की माल, कोती नाड़ों के लिए लौटे की टिकों तथा रेलो के लिए 'स्विचिगर' नाने का काम होता था। 'इंटर्न इकॉनोमिस्ट' ने भी सन् 1945 में अपने एक लेख में यह प्रकाशित किया था कि "हम लोग सभी कुछ, परन्तु कुछ नहीं, तैयार कर सकते थे। हम लोग प्रत्येक वस्तु तथा किसी भी वस्तु की पूर्ति करने वाले, इस पृथ्वी की सभी वस्तुओं के ठीक करने वाले तथा मरम्भत करने वाले थे, परन्तु किसी भी वस्तु के बनाने वाले नहीं थे। हम लोगों की जोई उत्पादन-व्यवस्था नहीं थी, जोई थोड़ा नहीं थी। इसके विपरीत केवल एक योजना स्पष्ट रूप से पूर्ण यह थी कि युद्ध के पश्चात् देश के औद्योगीकरण को रोका जाय।"¹

1. "We could make everything and yet nothing. We were just suppliers of anything and everything, masters, reporters of all things on earth, but the makers of none. We had no system, no plan. Rather there was a plan clear-cut and thorough to prevent the industrialisation of the country in the post-war period." —*Eastern Economist*, Aug 31, 1945

उपर्युक्त कारणों के परिणामस्वरूप ही भारत के स्वतन्त्र होने के बाद राष्ट्रीय सरकार को विरासत में ऐसी अर्थ-व्यवस्था मिली जो अनेक वीमारियों से पीड़ित थी। स्वतन्त्रता-प्राप्ति ही उसका एकमात्र उत्तराधि नहीं था। उसको ठीक करने के लिए उसकी मूलश्राव शिराओं में नवजीवन ढालना था। औद्योगीकरण, पूर्जी-निर्माण, विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी का प्रयोग, सस्थान युनिनिर्माण, वित्तीय सुविधाएं, भारतीय उद्योगों को विदेशी स्पर्दा से सरकण आदि को कुछ ऐसी पूर्वामी आवश्यकतायें थीं जिनके लिए राष्ट्रीय सरकार को प्रयत्न करना था। इन आवश्यकताओं को पूर्ति एक योजनावधि तरीके से ही की जा सकती थी। अब देश ने पचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश के आर्थिक एवं सामाजिक नव-निर्माण के लिए आवश्यक वदम उठाये हैं।

प्रश्न

1. स्वतन्त्रता के पूर्व भारतीय अर्थ-व्यवस्था क्या बान्धव में अविवसित थी ?
इस सम्बन्ध में आप अपने विचार प्रकट दीजिए।
2. परतन भारत में आर्थिक स्थिरता के कारणों पर प्रकाश डालिए।
3. "भारत में जब तक अप्रेजी राज्य रहा, उमन इस देश के आधुनिक उद्योगों के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।" इस कथन को स्पष्ट दीजिए।
4. भारत की आर्थिक स्थिरता में भारतीय पूर्जीपतियों तथा परम्परागत जीवन-पद्धति का कहा तक दोष रहा है ?

द्वितीय खण्ड

1. भारत में जनसंख्या



2 भारत में बेरोजगारी की समस्या

Problems of Un-employment of India

भारत में जनसंख्या

(Population in India)

"The rapid increase of population in our country is one of the most disquieting problems with which we are faced. Despite the wide popularity and efficient organisation of the Family Planning Programme, the population continues to grow at an alarming rate, thus striking at the very roots of planned development."

—S Radhakrishnan

रिमी भी दश के अर्थिक विकास में बहु को जनसंख्या का महत्वपूर्ण धोगदान होता है। बिस देश में अनुकूल जनसंख्या तथा लोधों में दश को ममृद्धशाली बनाने की भावना पाई जाती है, वह देश निश्चय ही पर्याप्त पर सफलता प्राप्त करता जाता है। इसके विपरीत जिन देशों वी जनसंख्या उनके माध्यन्तों के अनुच्छेद नहीं है, अर्थात् वह या च्यापा है, वे देश प्राप्त पिछड़े रह जाते हैं। भारतवर्ष एक ऐसा ही देश है जहा जनसंख्या साधनों की तुलना में बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। जनसंख्या की इस वृद्धि के कारण देश के अर्थिक विकास को घबका लगता है। देश की यह बड़ी हुई जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप बनी हुई है। इस बड़ी हुई जनसंख्या के कारण ही जाज कई अन्य अर्थिक समस्यायें भी हमारे सामने आ रही हुई है, जैसे—स्थान की समस्या, विरोजगारी की समस्या, निवास की समस्या पिछड़ेपन को दूर करने की समस्या आदि। जब तक हमारे देश में जनसंख्या की समस्या का समाधान उत्तिहास के नहीं कर लिया जाता, तब तक हम इससे नम्रविधि तभाम समस्याओं को भी हात नहीं कर सकते। बच तो यह है कि हमारे पर्याप्त आयोजन उसी समय मफल हो सकते हैं जबकि हम अपनी बढ़नी हुई जनसंख्या पर प्रभावशाली रोक लगाने में मफल हो जायेंगे।

जनसंख्या वृद्धि का इतिहास

भारतवर्ष की जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। आज भारत के पास युल विन्च के भूक्षेत्र का 2.4% भाग है, जिससे उसे विश्व की कुल जनसंख्या के 15% भाग वा भरण-पोषण करना पड़ रहा है। सन् 1881 ई० में भारतवर्ष में

पहली बार जनगणना हुई थी। उस समय भारत की जनसंख्या 25.4 करोड़ थी। सन् 1921 ई० तक जनसंख्या वीर्य गति कृच्छ्र-नुल थी थी थी। सन् 1921 ई० के महानियमानन के बर्द तक भारत की जनसंख्या म नोई महसूपूर्ण वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन उसके पश्चात् जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है :—

भारत मे जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या का वर्ष	जनसंख्या (करोड़ मे)	दस वर्षीयवां वृद्धि वर्षी (करोड़ मे)	दशवां वृद्धि वर्षी
1901	23.6	—	—
1911	25.2	+1.6	+5.73
1921	25.1	-0.1	-0.31
महानियमानन का वर्ष			
1931	27.9	+2.8	+11.01
1941	31.9	+4.0	+14.22
1951	36.1	+4.2	+13.31
1961	43.9	+7.8	+21.50
1971	54.7	+10.8	+24.06

उक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत मे सन् 1921 ई० तक जनसंख्या वृद्धि की समस्या नहीं थी। इसके अतिरिक्त इन दरों मे वृद्धि की दर भी कोई विशेष ढंगी नहीं थी वरन् अन्य देशों की तुलना म काफी कम थी। सन् 1919 ई० मे अकेले इन्हरूएन्जा महामारी मे ही 2 करोड़ 20 लाख अवक्तव्यों की मृत्यु हो गई। 1921 से पूर्व भारत जनसंख्या परिवर्तन (demographic transition) की पहली अवस्था म था। लेकिन इसके बाद यह जनसंख्या विस्तोट की दृगरी अवस्था मे पहुँच गया। इसी कारण 1921 ई० वर्ष की महानियमानन का वर्ष बनते हैं।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ से जन्म दर तथा मृत्यु दर के अध्ययन ने यह बात स्पष्ट हो जाती है। सन् 1901 ई० से सन् 1921 ई० तक जन्म दर 46 से 49 प्रति हजार के बीच थी और मृत्यु दर 41 से 48 प्रति हजार के बीच थी। लक्षित सन् 1921 से सन् 1961 तक जन्म दर तो आप स्थिर ही रही लेकिन मृत्यु दर मे वास्तविक गति आ गई। मृत्यु दर जो 1911-21 मे 48.6 प्रति हजार थी वह सन् 1961-66 मे केवल 17.2 रह गई। 1969 मे जन्म दर प्रति हजार 39 रह गई है। 1973-74 तक यदि परिवार नियोजन सम्बन्धी सभी कार्यक्रम योजनानुसार सफल होते रहे हो जन्म दर प्रति हजार 32 तक हो जाने की सभायता है।

1 अप्रैल 1971 ई० को जनसंख्या 54 7 करोड़ थी। पिछले दशक में अर्धता, 1961 व 1971 के बीच जनसंख्या 10 79 करोड़ बढ़ी है। इस तरह पिछले दशक में जनसंख्या में 24 57 प्रतिशत वृद्धि हुई। यूरोप अमेरिका में जनसंख्या की वृद्धि दर चिन्ह दशक में 2 46 प्रतिशत रही। भारतवर्ष में प्रत्येक डेढ़ सेकंड में एक व्यक्ति जन्मा दिया होता है।

जनसंख्या का घनत्व (Density of Population) :

जनसंख्या के घनत्व से हमारा तात्पर्य किसी देश में प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले निवासियों की संख्या से है। यदि किसी देश की कुल जनसंख्या वो वहाँ के क्षेत्रफल से विभाजित कर दिया जाय तो वहाँ की जनसंख्या का घनत्व मान्य हो जाता है। सन् 1971 के भारत की जनसंख्या का घनत्व 182 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या का वितरण विभिन्न राज्यों में समान नहीं है। एक ओर तो बहुत बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार व महाराष्ट्र, दूसरी ओर आसान व जम्मू कश्मीर राज्य हैं, जहाँ जनसंख्या बहुत कम है। जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों की स्थिति इन प्रकार है—

भारत के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या का घनत्व (1971 में)

राज्य	जनसंख्या का घनत्व	राज्य	जनसंख्या का घनत्व
दिल्ली	2723	आनंद प्रदेश	157
केरल	548	मैसूर	153
पश्चिमी बंगाल	507	बंगल	150
बिहार	324	उडीपा	141
सामिलनाडू	316	गुजरात	136
उत्तर प्रदेश	300	मध्य प्रदेश	94
पंजाब	268	राजस्थान	75
हरियाणा	225	हिमाचल प्रदेश	62
महाराष्ट्र	164	नागार्जुन	31

भारतवर्ष में जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या के औसत घनत्व में भी वृद्धि होती जा रही है। यदि हम भारत की जनसंख्या के घनत्व की तुलना अन्य देशों से करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों में ओवार पर भारत का स्थान सब्द्धम जन-घनत्व वाले देशों में जाता है। भारत की स्थिति न ही जापान, इण्डोनेशिया व जार्मनी पूरी है जिनका घनत्व सन् 1968 में क्रमशः 273, 227, व 243 था और न ही अमेरिका, स्स या कनाडा जितनी अच्छी है जिनका घनत्व क्रमशः 21, 11 व 2 था।

जनसंख्या के घनत्व में ग्रन्ति के कारण :

उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि भारतवर्ष के विभिन्न भागों में जनसंख्या वा घनत्व समान नहीं है। इस भिन्नता के कई कारण हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1. प्राचीनिक दशा . मानवान्यत पहाड़ी और पहारी भागों में जीवन-धारण अपेक्षाकृत नव्विं होता है। पश्चिम ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व मैदानों की अपेक्षा कम होता है।

2. जलवायु मानवान्यत जिन क्षेत्रों का जलवायु रवाह्य-बढ़क होता है तथा गुरुष व उच्चांशों के अनुकूल होता है, वहा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। लोग नाधारणतया अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में ही रहना पसन्द करते हैं।

3 वर्षा जनसंख्या का घनत्व वर्षा की गाढ़ा पर भी निर्भर करता है। उचित समय और उचित सावा में वर्षा आने वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वा घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, वर्णांशि ऐसे क्षेत्रों का आविक विकास काफी तीव्र गति से हो जाता है।

4. सिंचाई की सुविधाओं वर्षा के अनाव म भी यदि इसी क्षेत्र विशेष में सिंचाई की समुचित सुविधाओं उपलब्ध हैं तो ऐसे क्षेत्रों में भी जनसंख्या वा घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होगा। उदाहरणार्थे, पश्चाव का घनत्व बहुत कुछ सिंचाई की सुविधाओं के पारण ही अधिक है।

5. भूमि की उर्बंता जिन क्षेत्रों की जमीन अधिक उपजाऊ होती है, उन क्षेत्रों में वर्षा उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों से अधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। यही कारण है कि उत्तर का गगा-सतलज वा गंदान बहुत पर्याप्त बस्ता हुआ है, वर्णांशि यहाँ नींगट्टी बहुत उपजाऊ है, जबकि राजस्थान में महभूमि होने के कारण कम जनसंख्या निवास करती है।

6. औद्योगिक उन्नति औद्योगिक हृष्टि से विकसित क्षेत्रों में लोगों को भरण-पोपण के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कलहन्यहन ऐसे क्षेत्रों में अधिक लोग रहने लगते हैं।

7. सुरक्षा एवं शास्ति जो स्थान सीमाओं से दूर एवं नुरक्षित है, वहा जान माल की बोई खतरा नहीं है तथा यहा शान्तिमय जीवन विताया जा सकता है, ऐसे क्षेत्रों में प्राय अधिक लोग वस जाया करते हैं, वर्णांशि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी और अपने व्यवसाय की सुरक्षा प्रिय होती है।

8. परिवहन की सुविधा परिवहन की सुविधा वाले क्षेत्रों में भी जनसंख्या

अपेक्षाकृत अधिक निवास करती है, यदोकि ये क्षेत्र आर्थिक हाँट से सामान्यत उन्नतिशील होते हैं।

9 लग्निज सम्पत्ति की उपलब्धि विहार, मध्यप्रदेश, उडीसा आदि राज्यों के उन क्षेत्रों में जनसंख्या वा घनत्व बढ़ गया है, जहाँ लग्निज पदार्थ निकाले जाते हैं, यदोकि इसे क्षेत्रों में सानों में काम करते के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होती है और लोग मूलिक वास्त्र इन्हीं क्षेत्रों में बहु जाते हैं।

10 राज्य की राजधानी राज्य की राजधानी राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र होती है, फलस्वरूप वहाँ जनसंख्या का घनत्व अन्प नगरों की अपेक्षा अधिक होता है।

11 दीक्षणिक केन्द्र वाराणसी, अलीगढ़, इलाहाबाद आदि नगरों में जनसंख्या वा घनत्व इसलिए अधिक है कि शिक्षण केन्द्र होने के बारण वहाँ दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं।

12 धार्मिक बारण हरिहार, वाराणसी, मथुरा, अजमेर आदि कुछ धार्मिक तपरों का घनत्व इसलिए बढ़ गया है, यदोकि धार्मिक जनता प्रायः ऐसे स्थानों पर बसना अनन्द करती है।

13 आइस-प्राइस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक बारणों ये जब जनसंख्या का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवास प्रवास होता है, तब जिन क्षेत्रों में आवास होता है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है तथा जिन क्षेत्रों से प्रवास होता है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम हो जाता है।

विषय भारतवर्ष में जनाधिकर्य है ?

भारतवर्ष में जनाधिकर्य है या नहीं, इस सवधार में दो विचारधाराएँ पाई जाती हैं। कुछ विद्वान् भारतवर्ष में जनाधिकर्य को स्थिति का स्वीकार करते हैं तथा देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक करने का जीर्यार रानवर्दन बरतते हैं। इसके विपरीत दश में कुछ ऐसे भी विद्वान् हैं जिनका मत है कि भारत में जनसंख्या अधिक नहीं है। यही नहीं, उनका यह भी मत है कि बगर जनसंख्या और भी बढ़ जाय तो भी भारत उस बढ़ी हुई जनसंख्या के भरण पोषण में समर्थ है। सही वस्तु स्थिति जानने के लिए इन दोनों दृष्टिकोणों का संक्षेप में विवेचन करना आवश्यक है। ये दृष्टिकोण हैं —

(क) आशावादी दृष्टिकोण प्रायः ये लोग अपने मत की पुस्ति के लिए अनुकूलतम् जनसंख्या पिछान्त की दरण लेते हैं तथा इनका बहना है कि यदि देश में ग्राहणिक साधनों वा सम्पूर्ण शोषण किया जाय तो जनसंख्या का भार इतना महसूस

नहीं होगा जितना कि अप महमूस होता है। ब्राह्मावादी दृष्टिकोण रखने वाले विचारकों ने निम्नलिखित तर੍हे दिये हैं —

1. प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आप में वृद्धि जनुवृत्तम् जनसंख्या सिद्धान्त हमें यह बताता है कि यदि देश गे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो, तो जनाधिकार नहीं होगा। भारतवर्ष मे राष्ट्रीय आप मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। सन् 1950-51, 1955-56, 1960-61, 1965-66, 1967-68 मे त्रिमास. प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 247.5, 267.8, 293.2, 302.7 तथा 323.3 हजार थी। चूंकि राष्ट्रीय आप मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, इसलिए जनाधिकार नहीं माना जा सकता।

2. प्रचुर प्राकृतिक साधन भारतवर्ष मे प्राकृतिक साधनों के असुल भड़ार भरे पड़े हैं। हमारे देश मे बन सम्पत्ति और खनिज सम्पत्ति की कमी नहीं है। कमी केवल यह है कि इन साधनों का समुचित विदोहन नहीं हुआ है। समुचित विदोहन हो जाने पर जनसंख्या का मूल स्वतं गायब हो जायेगा।

3. अर्थ-व्यवस्था का विछारण वर्तमान समय मे भारतीय कृषि पिछड़ी है। उम्हु व कुटीर उद्योग आप समाप्त हो चुके हैं। भविष्य मे इनके विवास की बहुत सम्भावनाएँ हैं। कृषि म कई गुनों वृद्धि करके नवा कुटीर उद्योगों का विवास करके भारतवर्ष वर्तमान जनसंख्या से भी अधिक जनसंख्या का भरण पौष्टि कर सकता है। स्वयं गहात्मा गांधी ने कुटीर उद्योगों के महत्व के सम्बन्ध मे वहां था कि यदि इनका समुचित विकास कर दिया जाय तो ये वर्तमान जनसंख्या से दूनी जनसंख्या का भरण-पौष्टि करने मे समर्थ होंगे।

4. जनसंख्या का घनत्व सहार के बहुत से देशो मे जनसंख्या का घनत्व हमारे देश की व्यपेशा कही अधिक है। उदाहरणार्थ, जापान, इण्डिन, इटली मे जनसंख्या का घनत्व क्रमशः 273, 227, व 175 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो-मीटर है, जबकि भारत मे जनसंख्या का घनत्व केवल 160 है। जब अधिक जनसंख्या के घनत्व वाले क्षेत्र मे जनाधिकार की समस्या नहीं है, तब भारतवर्ष मे ही कैसे जनाधिकार हो सकता है?

5. जन-वृद्धि दर यद्यपि वर्तमान समय मे जन वृद्धि-दर 2.46 प्रतिशत है, तथापि यदि वीर्यकालीन दर पर हटिटा जाय तो ज्ञात होगा कि 1901-1951 की अवधि मे भारत मे जनसंख्या केवल 52% वृद्धि हुई, जबकि मसार के बहुत अधिक देशो मे जनसंख्या की वृद्धि उसी अवधि मे 100%, हुई अतः भारत मे जनाधिकार नहीं बहा जा सकता, परन्तु देशो की तुलना मे भारत की जनसंख्या व्यपेशाइत कम दर से बढ़ रही है जैसा कि आगे पृष्ठ पर दी गई तालिका से स्पष्ट है।

1881 से 1930 के बीच 50 वर्षों में
जनसंख्या में वृद्धि

देश	जनसंख्या में वृद्धि वर्ष
भारत	39 प्रतिशत
हगलेंड	54 "
जापान	74 "
अमेरिका	186 "

6 इयि उपज बढ़ने की सम्भावना डा० आर० के० दास का मत है कि भारतवर्ष में केवल 30 प्रतिशत जमीन का ही सही प्रयोग हो रहा है। 70% कृषि-प्रौद्य भूमि वर्ष्य पड़ी हुई है। हमारी नदियों का पानी अधर्य बहु जाता है। वर्दि इनका 10%, भाग भी सिचाई के काम आ सके तो उपज में पर्याप्त वृद्धि हो राखती है और जनसंख्या का भार इतना भ्रम्मनुम नहीं होगा।

7 अन्य तर्क जाशावादी अधिकार प्राय वह भी बहते हैं कि मनुष्य के बल ऐट लेकर ही पैदा नहीं होता, वो हाथ भी लाता है। अत जनसंख्या की वृद्धि में अनावश्यक रूप से घबराना उचित नहीं है। कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि उद्योगों में उत्तराल असिद्धों का अभाव है और इस अभाव पर वे जनाधिकरण नहीं मानते।

(स) निराशावादी हृष्टिकोण

निराशावादी हृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों का नहाना है कि भारतवर्ष में दर्तामान समय में जनाधिकरण है। उनके तर्क प्राय माल्यस में जनसंख्या मिछान्त एवं आघातित है। निराशावादी विद्वानों ने अपने मत के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिये हैं—

1 जनसंख्या में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि माल्यस के सिद्धान्त के अनुमान भारतवर्ष में जनाधिकरण पाया जाता है, वर्तोंकि यहा जनसंख्या में खाता सामग्री की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से वृद्धि हुई है। भारतवर्ष में इतना खात्तान्त नहीं है कि पश्च की समस्त जनसंख्या का भरजन्योग्य हो सके। 15 अगस्त, सन् 1947 से नवम्बर 1966 की अवधि में भारत को 2534 करोड़ लूपयों का खात्तान्त विदेशी से भगाना पड़ा, अत देश में जनाधिकरण है।

2 प्राहृष्टिक प्रतिबन्धों का नागू होना माल्यस में यह भी बताया है कि जन-दल में जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है तब प्रकृति अपने नृशस्त हाथों से बड़ी हुई जन-संख्या का सहार कर देती है। भारतवर्ष में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ समय-समय पर फैलने वाली महामारिया, अकाल, आदि की स्थिति, ये सब बातें सामित करती हैं कि भारतवर्ष में जनाधिकरण है।

3 ऊंची मृत्यु दर यस् 21 वर्षों के आधिक नियोजन के बाबजूद भी भारतवर्ष ने मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है जो प्राहृतिक प्रणिवन्धों वी उपस्थिति का आमाम देती है तथा जनाधिक्य वी पुष्टि करती है।

4 नोबा जोन गतर भारतवर्ष में स्वभग 90%, लोग भूल वी गीमा के निष्ट हैं। लोगों वो मुविधाओं और दिलामिता की बोत कहे, आवश्यक आवश्यकताओं वी बहुत भी नहीं मिल पाती। त तन टकने वो वपड़ा और न पेट भरते वो भोजन मिलता है। यह स्थिति जनाधिक्य वी दोतन है।

5 देशार्थी का पाया जाना भारत में जनाधिक्य में वारण ही ऐव बहुत बढ़ी मस्त्या में बेकार हैं। प्रथम पश्चर्याद्य योजना के अन्त में बेकारों की सस्ता 35 लाख वी जो थड़ कर चौथी योजना वे अन्त तक स्वभग । दरोड़ 50 लाख हो जायेगा। इरनी बड़ी मस्त्या म लोगों दा बेकार होना यह साधित करता है कि देश में जनाधिक्य है।

6 बस्तुओं के मूल्यों में घृद्धि जनाधिक्य के कारण ही हृपि व उद्दोग के सेत्रों में योजनाओं के पलस्वाहप जो वृद्धि हुई है, वह जनसाधारण की आवश्यकता से बहु पठ जाती है और बाजार म इन बस्तुओं के मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ जाते हैं।

7 शिक्षा का अभाव जनाधिक्य में वारण ही भारत म तीन-चौथाई लोग शिक्षा प्राप्त करन में अमर्मय हैं, बयोकि बटती हुई जनमस्त्या की शिक्षा-मुविधाएं दिलाना दिन पह रहा है।

उपर्युक्त तथ्य यह पूर्णतया साधित कर देते हैं कि भारतवर्ष में जनाधिक्य वी स्थिति है। जो लोग यह कहते हैं कि भारत में जनमस्त्या की समस्या है ही नहो, वे केवल कल्पना-लोक में ही विचरण करते हैं। सच तो यह है कि यदि हमने जनमस्त्या वो रोकने के लिए तुरन्त कदम न उड़ाये तो हमारा सारा आर्थिक नियोजन जहापल हो जायेगा। अत सोच-ममत्ताकर जनमस्त्या वो सीमित करना परमावश्यक है, अन्यथा जनावृद्धि हमारी जायिक प्रगति वो निगल जायेगी।¹

प्रतिद्वं अर्थसात्वी एव विद्वान् डा० राधाशमल मुखर्जी, डा० शानचन्द्र, प्रो० दत्तात्र, बादि के मतानुसार भारतवर्ष में जनाधिक्य वी समस्या विश्वान है।

भारतीय जनसंस्था की विशेषताएँ भारतवर्ष में जनमस्त्या सम्बन्धी विशेषताएँ अप्रलिखित हैं —

1. "Careful population planning is an urgent necessity in India as population growth would tend to eat up economic growth in a marked manner."

→Alak Ghosh, Indian Economy—Its Nature and Problems, p. 175.

१. जनसंख्या की अधिकता—भारतवर्ष में सन् 1971 ई० की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 54.7 करोड़ है। देश के दर्तमान साधनों को देखते हृदये महा जनसंख्या आवश्यकता से अधिक है। भारतवर्ष में यद्यता ही निर्धनता, सामन्वय और चीज़ जम्ह दर, राजानामों की चिन्हाजनक कमी तथा अकालों की उपस्थिति—ये गमी लक्षण देश में जनाधिक्य सावित करते हैं।^१ सप्ताह में चौंक बो छोड़ कर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 1/४ भाग है।

२ जनसंख्या के घनस्तर में अन्तर—भारत के सभी भागों में जनसंख्या का घनस्तर एक भा नहीं है। एक ओर प० बगाल, उत्तर प्रदेश व केरल में जनसंख्या वा घनस्तर अधिक है तो दूसरी ओर बास्टन, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू व काश्मीर में जनसंख्या का घनस्तर बहुत कम है। अमेरिका की तुलना में यहा जनसंख्या का घनस्तर अधिक है, जबकि जापान की तुलना में कम। भारत, अमेरिका व जापान में जनसंख्या का घनस्तर क्रमशः 160, 21 व 273 है।

३ कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कम है—सन् 1971 की जनगणना के अनुसार १ से 14 वर्ष तक की उम्र वाले 41.1 प्रतिशत, १५ से 55 वर्ष तक की उम्र वाले 51.1 प्रतिशत तथा 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले 7.8 प्रतिशत अवित्त थे। इस आवृत्ति तथा से यह पता चलता है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अन्य देशों में कम है।

४ स्त्री पुरुष अनुपात में दिप्तिया एव—सन् 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या 28.30 करोड़ तथा स्त्रियों की यसपा 26.19 करोड़ थी। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में इस समय प्रति हजार पुरुषों के पीछे 932 स्त्रियाँ हैं। स्त्री-पुरुष अनुपात (Sex Ratio) के हृष्टिकोण से गतविधि योरोप के अनेक भाग स्त्री बहुसंख्यक है, जिन्हें भारतीय जनसंख्या पुरुष बहुसंख्यक है। यदि हम देश के विभिन्न राज्यों में स्त्री-पुरुष अनुपात का जबलीकरण करें तो पता चलता है कि केरल व उडीसा स्त्री बहुसंख्यक राज्य है। बिहार, तामिलनाडू, झान्ध प्रदेश, मैसूर एवं मध्य प्रदेश यद्यपि पुरुष बहुसंख्यक जनसंख्या वाले राज्य हैं तो भी इनमें स्त्रियों की संख्या राष्ट्रीय औसत (932) से अधिक है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, पश्चिमी बगाल, जराम व पञ्चाब ऐसे प्रान्त हैं जहाँ रिक्यों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। सन् 1901 की तुलना में अगले दशकों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की यस्था में निरस्तर कमी होनी चली गई है जैसा कि अपले पृष्ठ पर दी गई तालिका से स्पष्ट है—

१ "The appalling poverty of our people, usually high birth rate, serious food shortages accompanied by famines, are usually considered to be the symptoms of over population in India."

हित्रियों प्रति हजार पुरुष

समस्त भारत	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971
	963	953	940	934	947	941	932

5 औसत दम का कम होना—भारत म सन् 1901 से 1960 ई० के बीच पुरुषों की औसत आयु 41.9 वर्ष तथा स्त्रियों की औसत आयु 40.6 वर्ष थी। स्त्री एवं पुरुष दोनों की सन्मिलित औसत आयु 41.2 थी। इस समय भारत में जन्म के समय प्रत्याशित आयु 53 वर्ष है। आयु प्रत्याशा मृद्गु दर पर निर्भर करती है और मृद्गु दर स्वयं बीमारी जीवन-दशाओं, पोषण स्तर, स्त्रियों की देखभाल, शिक्षा भरण कर आदि अनेक तत्त्वों पर निर्भर करती है। यदि हजार जन्म दग्धों से तुलना करें तो हमारे देश के निवासियों की औसत उम्र कम सालों पहली है। अमेरिका में गुरुणी व स्त्रियों की औसत उम्र कमशः 65 व 70 वर्ष है। सेविन यह सांकेतिक विषय है कि औसत आयु उत्तरोत्तर बढ़ि वी दिशा में है जैसा कि निम्न तालिका में स्पष्ट है—

भारत में जन्म के समय प्रत्याशित आयु

(वर्षों में)

दशक	पुरुष	स्त्रिया
1901-1910	22.59	23.31
1911-1920	19.42	20.91
1921-1930	26.91	26.56
1931-1940	32.09	31.37
1941-1950	32.45	31.66
1951-1960	41.90	40.60
1961-1965	48.70	48.10
1966-1970	53.20	52.60

6 जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर—भारत में जनसंख्या बड़े तीव्र गति से बढ़ रही है। सन् 1951 से 1961 ने जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% थी। पिछले दशक में अर्थात् 1961–1971 की अवधि में जनसंख्या 10.79 करोड़ बढ़ी है। इस प्रकार जनसंख्या में 24.7 प्रतिशत वृद्धि हुई अर्थात् जनसंख्या की वृद्धि दर 2.46 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। इस समय तो भारतवर्ष में हर 1½ सेवण्ड के बाद बच्चा दैदा होता है और हर वर्ष 210 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। भारतवर्ष एक आस्ट्रेलिया जपनी जनसंख्या में जोड़ लेता है। 1994 तार्क, एक अनुमान बो अनुमान भारत को जनसंख्या 100 करोड़ तक हो जाने का अनुमान है।

7 जन्म व मृत्यु दर का केंचा होना—भारत की जनसंख्या की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ जन्म दर व मृत्यु-दर अत्यंदेशी की अपेक्षा ऊँची है। सन् 1951–61 के दीये जन्म-दर 42 प्रति सहस्र तथा मृत्यु दर 23 प्रति सहस्र थी। पिछले दशक में यह वृद्धि 13 प्रति सहस्र थी। इगलेंड व फ्रास में जन्म-दर क्रमशः 15.9 व 19.4 तथा मृत्यु दर क्रमशः 12.6 तथा 13.9 है। सन् 1961 से 1971 के दशक में मृत्यु दर घट कर 15.6 प्रति हजार रह गई लेकिन जन्म दर इसी अवधि में लहूत कम घटी, अर्थात् 42 प्रति हजार दे घट दर 39.8 प्रति हजार रह गई। इस प्रबार हम देखते हैं कि जनसंख्या स्वाभाविक वृद्धि दर सेवी से बढ़ रही है जिसके कारण हम जनसंख्या विस्कोट की स्थिति वा अनुभव बर रहे हैं।

8 गाँवों में अधिक जनसंख्या—भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते गाँवों में वसता है। सन् 1961 की जनगणना के अनुमान भारत की कुल जनसंख्या का 18 प्रतिशत भाग शहरों में लोग शप 82 प्रतिशत भाग ग्रामों में निवास करता है। सन् 1971 की जनगणना के अनुमान 43.8 परोड़ अर्थात् 80 प्रतिशत अधिक गाँवों में रहते थे, जबकि 10.9 करोड़ अर्थात् 20 प्रतिशत लोग नगरों में निवास करते थे। यदि पिछले वर्षीय दशकों का अध्ययन किया जाये तो पता चलता है कि अब उत्तरोत्तर शहरों की ओर जनसंख्या बढ़नी जा रही है, जैसा कि निम्न तालिका से हमें है—

भारत में 1911–1961 के बीच गाँवों व नगरों की जनसंख्या

जनगणना का वर्ष	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971
गाँवों में जनसंख्या का प्रतिशत	90.1	90.6	88.7	87.9	86.1	82.7	82.2	80
नगरों में जनसंख्या का प्रतिशत	9.9	9.4	11.3	12.1	13.9	17.3	17.8	20

9 व्यवसाय के अनुसार जनसंख्या में भिन्नता—राष्ट्रान्तर व्यवसायों को 3 बगैंचे में बाटा जा सकता है—हृषि, पशु पालन, मरुत्यु पालन एवं बन आदि व्यवसायों को प्रार्थनिक उद्योग या व्यवसाय कहते हैं, क्योंकि वे उद्योग प्रकृति की सहायता से चलाये जाते हैं तथा मानव जीवन के लिए वे प्रायः अनिवार्य से होते हैं। द्वितीयक उद्योग या व्यवसाय में छोटे व बड़े पैमाने परे निर्माण उद्योग समिलित किए जाते हैं। उभी कभी लाल खोदने के व्यवसाय को भी इसी में समिलित किया जाना है हालांकि वह उद्योग प्रार्थनिक उद्योगों की श्रेणी में गिना जाना चाहिए। तृतीयक (Tertiary) क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त प्रबन्ध आदि की क्रियाएँ समिलित की जाती हैं। सामान्यतः प्रार्थनिक उद्योगों की प्रकान्तता पिछड़ी हुई वर्षे व्यवस्था की दोस्तक मानी जाती है, जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों की प्रकान्तता विपक्षी अर्थ-व्यवस्था की प्रतीक समझी जाती है। कोलिन क्लार्क (Colin Clark) के शब्दों में— प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का ऊँच वौतत सार का तात्त्विक उद्योगों पर अधिकों पे वहे अनुपात से काम करने में नदा सम्बन्ध रहता है। प्रति व्यक्ति विन्म वास्तविक आय का सदा तृतीयक उद्योगों में काम करने वाले अधिकों की जम संख्या और प्रार्थनिक उद्योगों में कार्य वरन वाले अधिकों की विधि का संख्या से समरूप होता है।¹ अर्थ विकासित व उद्योग प्रधान देशों वी तुलना में हमार देश के अधिकतर लोग जाती में लगे हुए हैं जबकि उन देशों में अधिकतर लोग उद्योगों में लगे हैं। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में जेवल 4%, तथा अमेरिका में 9% लोग ज्ञानी गे लगे हुए हैं जबकि भारत में 72.28%, लोग ज्ञानी में लगे हुए हैं। मन 1951 तथा 1961 में विभिन्न व्यवसायों के अनुसार जनसंख्या का वितरण इस प्रकार रहा—

कार्यशील जनसंख्या का नेतृत्ववार विभाजन

व्यवसाय या पेशा	प्रृथ्य अधिकों का वितरण	
	1951	1961
1 हृषि व लनिहर अधिक	66.85	64.88
2 बग, यानानो व खानो में काम करने वाले	2.79	3.10
3 घरेलू उद्योगों में लगे हुए व्यक्ति	9.84	11.27
4 निर्माण कार्यों में लगे हुए लोग	1.19	1.41
5 व्यापार व वाणिज्य में लगे हुए लोग	5.49	5.29
6 परिवहन व सनार में लगे हुए लोग	2.04	2.28
7 सेवाओं में लगे हुए लोग	11.80	11.77

1 Colin Clark The Conditions of Economic Progress p. 182

देश के अनुगामी जनसंख्या के विवरण सम्बन्ध में आकड़ों का अध्ययन करते हैं देश परी अर्थात् अपरिवर्त्या का पिछला प्रयत्न स्पष्ट ही जाता है। भारत की 70 प्रविधिन से अधिक जनसंख्या कृपि व सम्बन्धित व्यवसायों में व्याप्त है। 10 से 12 प्रविधिन जनसंख्या स्थान, उद्योग तथा नियोग कार्यों में लगी हुई है। 15 से 17 प्रविधिन लोग तृतीयक व्यवसायों में लगे हुए हैं। 1951 ने 1961 के मध्य जहाँ कृपि भेलगे हुए व्यक्तियों का अनुपात पटा है वहाँ बाजारा, उद्योगों तथा परिवहन में लगे हुए व्यक्तियों का अनुपात बाकी बढ़ा है। फिर भी अन्य देशों वाले तुलना में यहाँ भी जनसंख्या की हृषि पर निर्भरना बहुत अधिक है। भारतीयन यह वास्तव है कि हृषि पर जनता की अधिक निर्भरता नियंत्रण की दीपक होती है क्योंकि हृषि इसके करने वाले प्रतेर व्यक्ति की उत्पादिता नगरित उद्योगों द्वारा तृतीयक सेवा में व्याप्त करने वाले व्यक्तियों की तुलना में केवल एक निर्हार्द होती है। द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में नए गति से विकास न होने के कारण हृषि दीन के अर्तिगत लोगों वाले दोउगार नहीं मिल पाए रहा है, परन्तु हृषि घामील क्षेत्रों में बहुत धैर्याने पर अड्डे-रोडगार की स्थिति बरी हुई है। भारत में प्रार्थित देशों की प्रजनता की निरन्तरी विवरणित हालिद्वारा से स्पष्ट हो जाते हैं—

दर्शन	1901	1931	1951	1961	1967
प्रार्थित अपरिवर्त्य	71.8	74.8	72.1	72.3	73.2
द्वितीयक अपरिवर्त्य	12.6	10.2	10.6	11.7	10.9
तृतीयक अपरिवर्त्य	15.6	15.0	17.3	16.0	15.9
योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

जहाँ तक तृतीयक सेवा पर मन्दाच्चर है “20वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही यह लगभग स्थिर रहा है। इसमें बहुत बहुत व्यापक व्यवसाय व्यापक हुआ है। व्यापक बाजार की इनमें योद्धा कमी ही हुई है जो हमारे मिन्डेन दो प्रतीक हैं।

तृतीयक सेवा में जनसंख्या का अनुपात भी योद्धा ही अच्छा-बद्दला रहा है। इसमें बहुत योद्धा सी शृङ्खि हुई है। यही वार्ता है कि भारत में निर्भरता एवं देशों-गार्यों को सम्पत्ति बनी हुई है। नियोजन बाजार में योद्धोंगत उत्पादन में शृङ्खि हो

जाने के बाष्पबूद भी भारत के व्यावसायिक ढाँचे में अब तक नो विमेप अनंत नहीं पहा है। इन समस्याओं को यदि प्रशासनाली टग से मुक्तजाना है तो हमें द्वावसायिक, ढाँचे में परिवर्तन करके दिनीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में अधिक लोगों को गोबरार दिलाना होगा।

10. आधिकों की अधिकता—भारत में समुक्त परिवार प्रशासनी है बारण काम करने वाले लोगों के उपर आधिकों का बोन अधिक है। नमार के सम्बन्ध में बासे बाँड़ लोगों में जे शायद ही कोई देन ऐसा हो जहाँ आधिकों की इनकी अधिकता हो। 1961 की जनगणना के अनुनार इस्यु वर्गने वाले केवल 42.7%, नथ आधिक लोग या अनुदायादल उपरोक्ता 57.3% थे।

11. निम्न जीवन रहर—भारतवर्ष की जनसम्पद की एक विमेपता यह भी है कि वहाँ के लोगों का रहन-पहन का स्तर अपेक्षाकृत अधिक नीचा है। लोगों को आरन्यक भावन्यकताओं को पूर्ण करने वाले में दिनाई पड़ती है। उनमें स्तर नीचा है।

12. सामान्य चिठ्ठियान—भारत के लोगों में जिका या प्रनार पर्माल नहीं हूजा है। जब भी जगत 74% भाग जिका की मूलिधारों में अचिन है। परस्वरूप लोगों का चिठ्ठि स्तर नीचा है। पीपिटक पदायों के अभाव में जागीरियां कमज़ा नीची हैं।

भारत में जनाधिकरण के कारण-

भारतवर्ष में अनाहृष्ट बटा तीव्र गति में हो रही है, जह इसके नाशों को जानना जाबन्दर हा जाता है। नाधारण मरुदंगर का रम होना तका जन्म-वर्द ना बर्गा यनसम्पद की दर की वृद्धि को बढ़ाया देते हैं। वे बारण जो जन्म-इर को प्रभावित करते हैं, वही जनसंखा वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। यक्षेप में भारतवर्ष में जनाधिकरण के द्वारा निम्नदियन हैं-

1. विवाह की अनिवार्यता—भारतवर्ष में विवाह अविवाह शामिक व सामाजिक वायं है। वे व्यक्ति जो शादी के रिता रह जाते हैं, नमाज उठ जड़ते, निगाह में नहीं देखता। विवाह की आपस्ता एवं अनिवार्यता जन्म-वृद्धि में सहायता है। परिचमी देशों में ऐसी दान नहीं है। भारतवर्ष में सभान उत्पन्न करने योग्य जियों में से 76 प्रतिशत जियों विवाहित हैं, ब्रह्मि इस्यंड में 35 वर्ष की आयु की देवल 33 प्रतिशत जियों ही विवाहित होनी है।

2. द्वाल-विवाह—भारतवर्ष में लगभग 60 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 15-20 वर्ष की उम्र में हो जाता है। फलस्वरूप प्रजनन की अवधि का विस्तार हो दाता है, क्योंकि सामाजिक स्थियों में 45 वर्ष की आयु तक प्रजनन-शक्ति पाई

जाती है। 13 से 45 वर्ष की अवधि परिवार में बच्चों की बाढ़ दा देती है। इगलेड लघु असेक्टो में 30 वर्ष की आयु की अविवाहित रिप्रेशन 41 व 23 प्रतिशत है।

३ संयुक्त परिवार प्रथा—भारतवर्ष में जनावृद्धि के लिए संयुक्त परिवार प्रथा भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। यहा सामूहिक दायित्व हीने के कारण, सन्तान पैदा करते समय, माता-पिता अपना उत्तरदायित्व अनुभव नहीं करते, यद्योविं उनके भरण-योग्य पा दायित्व मीथे उनके कन्यों पर न होकर संयुक्त परिवार पो जिम्मेदारों इन लानी है।

४ सत्सान की हीन लातता—धार्मिक एवं सामाजिक हृदिकादिगा के कारण लोगों में मनान-लाजगा पाई जाती है। वे समझते हैं कि विना पुनर्पैदा हुए उनको मृदित नहीं हों बढ़ती। सत्तान प्राप्ति के लिए बड़-बड़े अनुठात किये जाते हैं। मतान प्राप्ति की यह सीढ़ लालसा जनमस्या को अवास नहीं से बढ़ाती है।

५ जातान एवं द्रुशिक्षर्त्तु-भाग्यन के एक लोधाई लोग ही शिक्षित हैं। अशिक्षित लोग अशिक्षित एवं अज्ञानों होने के कारण भाग्यदादी बन गए हैं तथा वे बच्चों को भगवान की देन ममतारे हैं, जिसे गौकना धर्म के विश्व आचरण बरता समझते हैं।

६ मनोरजन के साथों का अभाव—हाँ चन्द्रशेखर के मतानुसार “ची ममभोग भाग्य इह पूर्ण गप्टीय खेल है”¹ भाग्नीय प्रियानों व धर्षिकों की जीवन की नीरसता को दूर करने के लिए मनोरजन ममवन्धी सेवाए उपलक्ष्य नहीं हैं फलनदरक्ष के अपने घरा में ही अपनी नीरसता को दूर कर भेजे हैं, जिसका परिणाम जनाधिक्य के स्पष्ट में प्रकट होना है।

७ निर्धनता—भारत में निर्धन लोगों के परिवार प्राय घड़े पाये जाते हैं। इसका मूल्य कारण यह है कि निर्धन लोग बच्चों से बेम तम्भ में ही काम करना अुह बर देते हैं जिससे वे वे परिवार पी आव बहा मारें। अत वे जनमस्या कम करने के पथ में नहीं हैं।

८. अधिक बाल मृत्यु दर—भारतवर्षे गे बाल मृत्यु दर बहुत है, अत माता-पिता इसलिए अधिक मरने वाले नहते हैं कि वहि उनमें से कुछ लसमग में भाल-कर्दालिन हो जाय नो भी कुछ बच्चे यहे रहें। अत मृत्यु के विरुद्ध दीया करन की यह प्रतृति जनमस्या में गुढ़ि कर देसी है।

९. निरीधक मुविधाओं का अभाव—भारत की जनसंख्या वा कुछ भाग परिवार नियोजन बरना चाहता है, परन्तु आवश्यक मुविधाओं एवं जालकारी के

1. "Sampay is the national sport in India." Dr. Chandra Shekhar

अनाव में वह ऐसा नहीं कर पाया। साथ ही हमारे देश में सहजे उपचारण भी लोगों को उपलब्ध नहीं हैं।

10. जलवायु का प्रभाव—इण्ड जलवायु के कारण भारत में स्त्रियों में प्रवृत्तन-विकास (Puberty) जल्दी धूँह हो जाती है और अपेक्षाकृत अधिक होती है। फलस्वरूप जन-वृद्धि की गति घट जाती है।

11. बहु-विवाह प्रथा—भारत में अब तक लोग इह शादियां कर रहते थे। मुसलमानों में तो यह रिवाज सामाजिक प्रथा जाना है। बहु-विवाह के कारण जन-संख्या बहुत तोड़ गति से बढ़ती है।

12. आवास की समस्या—शन् कुठ वर्षों में बहुत से भारतीय लड़ा, बर्नी, पारिस्तान, वेनिया आदि देशों में राजनीतिक परिस्थितियों के कारण द्विदेश वापस आनए हैं, जहां जनसंख्या में बढ़ोगरी हो गई है।

13. विवाद विवाह—भारतवर्ष में कुछ नीचों जातियों में विवाद विशेष द्विरिक्षण स्त्रियों के पुरुषविवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है, जिससे जनसंख्या में बढ़ोतारी को बढ़ा मिलता है।

14. दिवियों के प्रति सहयोगी भाषण का अभाव—भारतवर्ष में स्त्री-संसूचना की आधिक हाफिट से परगायीन होने के कारण केवल कामबृति की पूर्ति का साक्षन व धर्म-नृहस्थी मन्महान्मने याला माना जाता है। यह भी जनसंख्या की वृद्धि का एक प्रमुख कारण है।

15. विभाजन का प्रभाव—भारतवर्ष में 1947 के बाद जनसंख्या के भारत में वृद्धि का एक कारण यह भी रहा है कि देश के विभाजन वे बाद अविभाजित भारत के कुल देश का 77%, भाग भारत में रहा तथा दोप 23%, पारिस्तान चला गया, जिसकि जनसंख्या का 81% भाग भारत में रह गया और केवल 19% भाग पारिस्तान में गया। फलस्वरूप भारत में जनसंख्या वा भार अपेक्षाकृत अधिक रहा।

16. आधिक नियोजन का प्रभाव—विषय नियोजन वाले में एक ओर विकिसा सुविधाओं के विस्तार के कारण लेग, मलेशिया, हेझा आदि महामारियों की कमी के कारण मृत्यु दर में वास्ती कमी हो गई है जबकि धूतरी ओर जन्म दर में इतनी कमी नहीं हुई फलस्वरूप जनसंख्या अवाधि गति से बढ़ती रही है।

जनसंख्या वृद्धि के उपर्युक्त बणित कारणों में से ब्राह्म-विवाह तथा जादी की अनिवार्यता ही जनसंख्दि के प्रमुख कारण है। यथापि जनसाधारण की निर्धनता भी जनसंख्दि का एक महत्वपूर्ण कारण मानी जा सकती है, तथापि गहराई से देखते पर सामाजिक एवं धार्मिक कारण ही इस समस्या के मूल में सर्वोपरि है। डा०

ज्ञानचंद के शब्दों में, "भारत में अत्यधिक जन्म दर सामाजिक तथा धर्मिक परिस्थितियों का परिणाम है। अतएव जब वह हमारे सामाजिक एवं नैतिक बालावस्था में आग्रह परिवर्तन नहीं होगा, तब तक पश्चिमी देशों की तरह हमारे देश में भी जन्म दर में कोई भवी आशा नहीं की जा सकती।"¹

जनसंख्या की वृद्धि के प्रभाव—भारत में जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि ने कई भौतिक समस्याओं को कर दी है जिनमें से प्रमुख निम्न हैं—

1. भूमि पर जनाभाव से वृद्धि—जनसंख्या की विस्तार वृद्धि ने भूमि पर जनाभाव को आवश्यकता से अधिक बढ़ा दिया है। इनमें कृषि उपज तो कम हो ही गई है गाय ही मात्र कृषि विधायक भूमि समस्याओं उपर्यन्त हो गई है।

2. बेकारी की समस्या—भारत में केली हुई बेकारी का नवमे महावपूर्ण कारण जनसंख्या का अधाध गति में बढ़ना ही है। जब भक्त जनसंख्या की वृद्धि पर प्रभावशाली नियन्त्रण न देखाया जावेगा तब नक्काशी की समस्या का भवावान सम्भव नहीं है।

3. खातावान की समस्या—खातावानों को बढ़ाते के हमारे सारे प्रयत्न जनावृद्धि के कारण असफल हो गय है। जिनमा खातावान हृषि पञ्चवर्षीय योजनाओं में बढ़ाते हैं, उसके अनुपात में कहा अधिक जनसंख्या बढ़ जानी है। परम्पराहृष्ट खातावानों की बड़ी पूर्वावृत्त बनी रहती है।

4. निर्धनता की समस्या—भारत के सोग निर्धनता में फिर रह है। जनावृद्धि के कारण अधिकांश जनता का जीवन स्तर बहुत नीचा है। इस से निर्धनता एवं दूरिदंता को उम मध्य तक दूर नहीं किया जा सकता बद सक की जनसंख्या की सीमित नहीं किया जाता।

5. औद्योगिक केन्द्रों के दृष्टिरिक्षाम—जनसंख्या की वृद्धि न रहने से निवास नी समस्या पैदा कर दी है। लोगों को गन्दे एवं अस्वास्थ्यकर बालावरण में रहते के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में निवास एवं अन्य शुद्धियाओं को बढ़ाना ममत नहीं है, परम्पराहृष्ट लोगों दो नवरो जै कष्टमय जीवन दिवाना पड़ रहा है।

6. छम राष्ट्रीय आय की समस्या—भारतवर्षे पञ्चवर्षीय योजनाएँ बालावरणपर्यन्त नियासिया की आय बढ़ाना चाहता है। यहाँ हुई जनसंख्या राष्ट्रीय आय को

1. The high birth rate in India is a part of our culture and it is only when the moral sentiments of the community change either by choice or by the force of circumstances, that a fall in the birth rate comparable with the fall which has taken place elsewhere can be expected.

तीव्र गति से नहीं बढ़ते देती। एक और कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो दूसरी ओर उसमें भाग लेने वालों की संख्या बढ़ जाती है, पलस्वरूप प्रति व्यक्ति जाय जो को दो गुना रहती है। भूतपूर्व योजना मंत्री श्री अशोक मेहता ने ठीक ही कहा है, "जनसभ्या में बृद्धि रात्रि वे चोर के समान हैं जो हमारी आर्थिक विकास में प्राप्त सफलता को हम से लूट ले जाता है।"

7. पूंजी निर्माण में वाया—जनसरया की वृद्धि ने भारत में पूंजी निर्माण की गति को भी हृत्याहित कर दिया है क्योंकि जनसाधारण नो जीवनस्तर बनाने रखने के लिए अधिक उपभोक्ता वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इसका परिणाम यह होता है कि बचत तथा विनियोग घट जाते हैं। तृनीय पञ्चवर्षीय योजना में ठीक ही कहा गया है, "एक अल्प विवित अर्थ-व्यवस्था में जहाँ प्रति व्यक्ति पूंजी बहुत कम होती है, जनसरया की वृद्धि की अधिक दर बचत की मात्रा में बढ़ोत्तरी बरका और भी कठिन कर देती है जिस पर अधिकतर उत्पादन और आय में वृद्धि की सम्भावनाएँ गिर्भर रहती हैं। इसके अतिरिक्त विनियोग का अधिकांश वथा पूंजीगत वस्तुओं की अपेक्षा अवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर लगाना वडेगा जिसके पलस्त्रवृप्त विकास की सम्भावित दर और कम हो जायेगी।"

8. कार्यक्षमता में हास की समस्या—अधिक जनसरया के कारण राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है विस्ते लोगों का रहन-नहन या स्तर नीचा हो जाता है। नीचा रहन-नहन का स्तर लोगों की आर्थ-क्षमता पर प्रतिकूल असर आती है।

इसके बलावा जनसरया की अवाद वृद्धि समाज के लोगों में तनाव का बातावरण पैदा करती है, क्योंकि लगातार बढ़ती हुई जनसभ्या उनके सभी मनसूबों पर पानी फेर देती है और उनमें निराशावादी इटिकोण पैदा करती है। छात्रों में अनुशासनहीनता, राजनीतिक क्षेत्र में अस्थिरता एवं आर्थिक विकास में गतिरेष्ट के मूल में जनसभ्या की ही समस्या छिपी हुई है। बार-बार होने वाले प्रज्ञन के कारण ही श्रमिक दीर्घकाल तक उत्पादन कार्यों में भाग नहीं ले सकती, फलस्त्रवृप्त आर्थिक विकास में वाया उत्पन्न होती है।

जनसभ्या की वृद्धि के भववर परिणामों तथा परिवार नियोजन की तीव्र आवश्यकता को व्याज में रखते हुए डॉ. चन्द्रशेखर ने ठीक ही कहा है, "हम बहुत जल्दी में हैं। एक रात की भी प्रवीशा नहीं कर सकते। पाच इनट की हर भूल में बच्चे का जन्म हो जाता है और प्रतिवर्ष भारत में एक आस्ट्रेजिया के बराबर जनसभ्या आकर जुड़ जाती है। परिवार नियोजन के बिना हम रात एक भयावह स्वप्न है।"

भारत में जनसंख्या

जनसंख्या की वृद्धि के दुष्परिणामों को चर्चा करते हुए दिसम्बर 1958ई० में अधिक भारतीय चिकित्सा परिषद में भारत सरकार के गत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री शॉ० कर्माकर ने मेरे उद्घार प्रकट किये थे “जनसंख्या में असाधारण वृद्धि राष्ट्र के सामग्रीय समस्याएँ उत्पन्न कर रही हैं जिन्होंने देश के विवास में बाधाएँ उत्पन्न कर रही हैं। देश का स्वास्थ्य अविक्षयों के गुण देश के पुनरुत्थान इत्यादि चीजें प्रत्यक्ष अपवा परोक्ष हैं जिनसंख्या की ममस्या पर ही आधारित है।”¹

जनसंख्या समस्या सम्बन्धी मुझाइ—भारत में ही नहीं, जनसंख्या की ममस्या विवर भर के लिए अभियाप सिद्ध हो रही है। प्रति चिन्ट 225 बच्चों का जन्म होने से प्रति विकट परिस्थिति पैदा हो गई है खामतीर से उम समय जबकि न हो भूमि का विस्तार किया जा सकता है और न उर्बंग जनित को ही एक सीमा से अधिक बढ़ाया जा सकता है। अब हम ममस्या को मुलकाना अत्यधिक आवश्यक है। हस ममन्या में निम्नलिखित मुझाइ महत्वपूर्ण है—

1. शिक्षा का प्रसार—शिक्षित होने पर कोण प्राय 'मोटर बार अद्यता बच्चे में दृष्टि मोटर कार को ही ध्यानिता देग।' प्रो० महालालोविस ने भी अपने अनुसंधान में ज्ञानार्थ पर यह नताया है कि जिन परिवारों में शिक्षा का श्रवाण पाया जाता है, उन परिवारों में प्राय कम बच्चे होते हैं।

2. देर हे विवाह—उड़वियों दी विवाह उम कम ने यम 20 वर्ष कर देती चाहिए। इससे प्रबन्धन-कानून बन ही जायेगा, फलतः यह जनसंख्या भी घटेगी। जनसंख्या का नून के हात विवाह की आयु बढ़नी चाहिए।

3. जनसंख्या का समाव वितरण—जनसंख्या का धेनिक वितरण गमान किया जाना चाहिए ताकि जनभाग मध्य स्थानों पर एक सा रहे।

4. जैतिक समय पर बल—जोगों में आत्मसंयम की भावना का विकास किया जाना चाहिए जैसा कि गांधीजी का मुजाहिद था। आत्मसंयम जनावृद्धि को रोकने का एक प्रभावशाली एवं आदर्श तरीका है। व्यावहारिक दृष्टि में अवश्य यह कठिन प्रयोग होता है।

1. “The abnormal increase in our population is posing serious threat before nation. It is lowering the standard of living, increasing conditions of unemployment, and arresting the growth of the country. The health of the nation—the quality of individual, the economic recovery of the country, are based directly or indirectly on the problem of population.”

5. ओटोगीकरण—देश में यहै कि लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास करके तथा भाषनों का ममुनिन विदोहन बरके जनसंख्या की समस्या को हल किया जा सकता है।

6. इश्यों की सार्विक स्वतंत्रता—मिश्यों को सिक्षित कर यदि उन्हें सार्विक स्वतंत्रता दिला दी जाय तो वे निदेश ही परिवार की सीमित सत्ते के लिए प्रयत्नमील रहेंगी, क्योंकि मिश्या सामान्यतः प्रमव जी के निरन्तर पीड़ा से बचना चाहनी है।

7. अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास—डॉ० राधाकृष्णन मुकुर्जी तथा डॉ० एम० चन्द्रेश्वर ने जनसंख्या की ममस्या को हज़ बरने के लिए भारतीयों द्वारा विदेश प्रवास नीति जा समर्थन किया है। डॉ० चन्द्रेश्वर के मतानुसार प्रवास जन संख्या बाले देशों में किया जाय तथा इस बायं कोई अन्तर्राष्ट्रीय मस्था कराने।

8. परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को बढ़ाया जाय—देश में परिवार नियोजन के अधिकारिक बेन्द्र सोसे जाय तथा विकासित रीयों को परिवार नियोजन के बारे में आदेशक जागरूकी दी जाय। गर्भ निरोधक रीति, वन्यजाग्रण की रीति तथा निरोधक टिक्कियों एवं लूप आदि वा अधिकारिक प्रचार किया जाय।

9. विवेकहीन मानवता पर रोक—भूतपूर्व जनसंख्या आमुक्त यो गोपालस्वामी जा सुशाद है कि यदि विसी स्त्री के 3 बच्चे हों तो क्यों हैं और उनमें से एक भी जीवित है तो उसके जागरानी मानवता पर कानून रोक लगा देनी चाहिए।

10. अन्य सुझाव—(1) जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण को सुधार कर आधिक सहुत्पन्न स्थानित किया जाय, (2) जनसंख्या आवोग की जनवृद्धि के रोकने के उपायों पर भी सुनाव देना चाहिए, (3) उच्च क्षेत्रों की लड़कियों को परिवार नियोजन सम्बन्धी शिक्षा देनी चाहिए तथा (4) परिवार नियोजन जार्यक्रमों को सामूहिक विवास-संष्ठों के माध्यम से लाए बरना चाहिए।

जनसंख्या नीति—भारत नरकार की जनसंख्या नीति को निम्नलिखित चार कालों में विभाजित किया जा सकता है—(1) उपेक्षा बाल वर्षान् 1947 के पूर्व वा समय, (2) तटस्थला-नाल वर्षान् 1947 से 1951 तक, (3) अनुभवकर्त्ता वर्षान् 1951 से 1961 तक, (4) नियवण नीति के प्रारम्भ का दाल वर्षान् 1961 के बाद वा समय। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व नन् 1938 में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण देने हुए जन्म दर वो नियकित बरने के लिए परिवार नियोजन की मिकारिया की थी। सन् 1946 में भोर परिवर्ति ने छपनी रिपोर्ट में जन्म दर को नियकित बरने के लिए परिवार नियोजन का समर्थन किया था। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भी परिवार नियोजन की जावश्वता स्वीकार

की थी लेकिन वे कृतिम साधनों के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए संघर्ष में रहने वाला हाह दी थी।

भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की शुरुआत स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त नियोजन काल में ही सही अद्यों में की गई। भारत सरकार की यत्नमान जनसंख्या नीति वी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—(1) जन्म दर को यान् 1975-76 तक 41 प्रति हजार से घटा कर 25 या 20 प्रति हजार तक लाना, (2) देश के प्रत्येक दम्पत्ति को छोटे परिवार नो आवश्यकता को समझाना, (3) जिस दम्पत्ति की 3 रान्ताने है उन्हें आपरेशन के लिए दैनंदिन करना, (4) जनसंख्या निषेधन रान्त रान्तधी कुछ कानूनी पहलुओं पर सिंचय लेना, जैसे (क) लड़कियों की विवाह की व्यूहातम आयु 16 से बढ़ा कर 20 वर्ष करना, (ख) किन्हीं स्थितियाँ गे गर्भपात को बैधानिक रूप देना, (ग) अविवाहित व्यक्ति को आयकर में छूट देना तथा (घ) तीन बच्चों के बाद अनिवार्य बन्धाकरण की व्यवस्था करना।

भारत में परिवार नियोजन (Family Planning in India)—परिवार नियोजन से तात्पर्य परिवार को सौच समझ कर रीप्रित रखता है तथा बच्चों की उत्पत्ति में पर्याप्त काम्यता रखता है। परिवार नियोजन का प्रमुख उद्देश यह है कि सन्तान दम्पत्ति की इच्छानुसार होनी चाहिए न कि बठनाकर। परिवार नियोजन के लिए सततिनिरोध की उचित विधियों को अपनाना आवश्यक होता है। पाश्चात्य देशों ने तो परिवार नियोजन को वर्षों पूर्व अपना लिया था और याज यह उनके जीवन का अभिन्न अंश बन चुका है। भारत में परिवार नियोजन की ओर विगत 15-20 वर्षों से विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

परिवार नियोजन के साधनों के सम्बन्ध में कुछ लोग संघर्ष पर बह देते हैं और सतत निश्चह के उपर्योग को अनेकांक मानते हैं। लेकिन यह विचार सूख संदर्भिक है। अपवाहर म इराके अन्तर्गत वे प्रभावशाली उपाय थाने हैं जिनसे जन्म दर पर प्रभावपूर्ण रोक लगाई जा सके। इनके अन्तर्गत दर में शादी, गिर्ल्स, लूप, गोलियों का प्रयोग, बन्धाकरण, नियन्त्रित आदि उपाय आते हैं।

प्रथम पचासीय योजना में परिवार नियोजन—प्रथम पचासीय योजना में 126 परिवार नियोजन केन्द्र शहरी में तथा 21 ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये। इस योजना में 19 अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये गए तथा केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड (The Central Family Planning Board) बनाया गया। इस योजना में 65 लाख रुपये नियंत्रित किये गये थे, परन्तु केवल 18 लाख रुपये ही खर्च किये जा भके। विश्व स्वास्थ्य राष्ट्र के Dr Stone को इस समस्या पर मुद्राव देने के लिए आमन्त्रित किया गया था।

हितोप एवं वर्षीय योजना में परिवार नियोजन—दूसरी योजना में 5 करोड़ रुपये की धनराशि परिवार नियोजन के कार्यों के लिए निर्धारित की गई थी। इम योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए एवं केन्द्रीय परिवार नियोजन बायोग की स्थापना की गई तथा प्रत्येक राज्य में भी इसी प्रकार के परिवार नियोजन बायोग स्थापित किए गए। समाचार पत्रों, विज्ञापनों, पोस्टर तथा फ़िल्मों के द्वारा जन-साधारण को परिवार नियोजन के विषय में प्रशिद्धि करने का प्रयास किया गया। इस योजनावधि में 549 शहरी केन्द्र तथा 1100 आमीन केन्द्र स्थापित किए गए।

तृतीय एवं वर्षीय योजना में परिवार नियोजन—तृतीय योजना में 24.86 करोड़ रुपये परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय किए गए। इम योजना के अन्त ही भारतवर्ष में 11000 परिवार नियोजन बेन्द स्थापित किए गए। इस योजना की अवधि में परिवार नियोजन सम्बन्धी विषेष सम्बन्ध बनाया गया। तृतीय योजना में बघटकरण के आपरेशनों की गणना 13.3 लाख रही। स्वास्थ्य गत्वात्य का ताप बढ़ाव कर स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन गत्वात्य रखा गया तथा इसके आधीन एक सचिव की देखरेख में एवं परिवार-नियोजन विभाग बनाया गया। एक केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्था की भी स्थापना की गई।

1966-69 की अवधि में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 63.38 करोड़ रुपये व्यय किये गए।

चतुर्थ एवं वर्षीय योजना में परिवार नियोजन—चौथी योजना में परिवार नियोजन के लिए 315 करोड़ रुपये के परिव्यय की अवधि है और सन् 1973-74 तक वर्तमान अन्य दर 39 प्रति हजार को पठाकर 32 प्रति हजार पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। परिवार नियोजन की इम योजना में भर्वैच्च प्राशमिकता भी गई है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बघटकरण, लूप तथा खाने की घोलियाँ एवं इन्जेक्शन के गर्भाराष्टक तरीकों के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। चालू गम्भीरोक्त उपायों को भी आगे बढ़ाया जायेगा ताकि 1973-74 तक 100 लाख व्यक्ति इन्हे अपना सके। इन उपायों के फलस्वरूप 1973-74 तक 280 लाख दम्पतियों के सुरक्षित होने की सम्भावना है तथा योजना की अवधि में कुल 180 साल बच्चों के जन्म के टलने की आशा है।

दिग्नन नियोजन काल ग परिवार नियोजन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। देश में सबसे रवड़, गर्भ निरोधकों को पूर्ण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने 'निरोध' नामक फ़िल्मी को लोकप्रिय बनाया है। इसकी विनी के 2 लाख केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। जुलाई 1971 तक 99 लाख नस्वरन्दी के आपरेशन किये

य, 39 लाख लूप प्रयोग किए गए। सन् 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 में उम्मीद 16.6 लाख, 14.2 लाख तथा 12.8 लाख बत्त्यकरण आपरेशन किए गए।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों का मूल्यांकन—यद्यपि विगत वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों का खूब जोर-शोर से प्रचार किया गया है, तथापि इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इसके अनेक कारण हैं, जिनमें से प्रमुख हैं, (i) शामिल क्षेत्रों में कम प्रचार के कारण भारत को अविक्षित रूप से विस्तृत जनसंरक्षण तक यह कार्यक्रम नहीं पहुँच सका, (ii) गर्भ निरोध के अधिकारा साधनों का नि-शुल्क उपलब्ध न होना, (iii) लूप के प्रतिकूल प्रभावों के विषय में कूटी अफवाहों का बोलबाला, (iv) निवी टाकटरों व दाइयों द्वारा इन कार्यक्रमों का विरोध (v) लूप लगवाने वाली स्थियों की पीड़ा एवं इलाज की उपेक्षा (vi) औरतों को इन कार्यक्रमों के लिए पूरी तरह तैयार न किया जाना (vii) इन विधियों का ज्ञान होने हुए भी इनका प्रयोग न किया जाना (viii) परिवार नियोजन कार्यक्रमों में लगे हुए कम्बचारियों में अनुभव का अभाव (ix) पौलिक गर्भ निरोधकों को (oral contraceptives) बनाने वालों द्वारा लूप के विरुद्ध कार्यवाही का बोलबाला एवं लक्ष्य प्राप्त नहरे में जहलवाजी (x) धार्मिक एवं साम्प्रदायिक विरोध आदि।

उपर्युक्त कारणों से परिवार नियोजन कार्यक्रमों को आवाहीत सफलता नहीं प्राप्त ही सभी है।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता के लिए मुझाद

(i) विवाह की आवृत लड़के के लिए कन से कम 20 वर्षों के लिए लड़की के लिए 20 वर्षों निश्चित की जानी चाहिए (ii) परिवार में 3 बच्चे हो जाने के बाद प्रत्येक भारतीय पिता जो आपरेशन करा रहा चाहिए ताकि सतान न हो सके (iii) कोइ, स्त्री-विकास प्रबलपन जैसे असाध्य रोगों से बीड़ित पुरुषों अथवा स्त्रियों का अनिवार्य रूप से आपरेशन करवा देना चाहिए (iv) जीव में अधिक सताने उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों पर कठ लगाना चाहिए ताकि वे अधिक सतान पैदा करने में हस्तीलाहित हों भाव ही बग सनान वाले व्यक्तियों को कर में हूट देकर प्रोत्साहन दिया जाए, (v) जनसाधारण में परिवार सीमित करने की प्रणा देन के लिए देश के कोनें-कोने में परिवार नियोजन गुविज्ञानों का जाल बिछा दिया जाए (vi) परिवार नियोजन चार्यक्रमों को सावंजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के साथ मिला दिया जाए, (vii) परिवार निरोधक दवाओं एवं उपकरणों का देश में उत्पादन बढ़ावा जाए और उन्हें जन-साधारण में नियुक्त वितरित किया जाए (viii) परिवार नियोजन के लिए प्रचार जनता की भाषा तथा अभिज्ञि के अनुसार किया जाए, (ix) परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जनसाधारण को शिक्षित करने के लिए अधिक सर्वा में परिवार नियोजन

पेन्ड्र एवं अस्ताल कोले जाय, (x) प्रतुषि पाल मे दिए जाने वाले मानून्व लाभो की एक या दो सतान के बाद सगाएत पर दिया जाय, (xi) परिवार नियोजन विधियो को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने के लिए प्रलोभन दिये जाय, (xii) परिवार नियोजन कार्यशमो के लिए योग्य, बनुभवी एवं सहानुभूति रखने वाले कर्मचारियो की ही नियुक्ति की जाय, (xiii) व्यवकरण को अधिकाधिक प्रोत्साहित दिया जाय तथा 2 या 3 शनानो के बाद विवाहित स्त्रियो के लिए गर्भपात बराने की नालूनी छूट दी जाय, (xiv) यौन शिक्षा को व्यायाम के विषय के हृप मे मान्यता प्रदान की जाय।

प्रपत्ताहार

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत की वटती हुई जनसंख्या देश के आर्थिक विकास मे दायर हो रही है। इनने देश म नियामा का बातावरण पैदा कर दिया है। हमारे आर्थिक प्रगतियों को गफलता मे जनसंख्या की समस्या ही बाधक है। भारत का जनसंमुदाय इस समस्या को हल किये विना अच्छे जीवन-स्तर की कम्पना ही नहीं कर सकता। अब सभी व्यवित्रियो, महायोद्धे व सरकार वा यह कर्तव्य सो जाता है कि इस समस्या के रामाधान के लिए मिलजुल कर प्रभावशाली निवार उठायें। विना जन-गम्ययोग के इस सप्तरथा को नहीं मुलझाया जा सकता। सच सो यह है कि यदि हम इस समस्या का समुचित नियामन कर ले तो हमारी अन्य बहुत सी समस्याएँ स्वतं मुलझ जायेगी। इस सम्बन्ध मे श्री अदोक मेहता ने ठीक ही कहा है, “जनसंख्या बढ़ि, भारतीय दुर्गे मे छुपा हुआ एक ऐसा भयवर शत्रु है, जो हमारी समस्त योजनाओ को नष्ट-भ्रष्ट कर रहा है। यदि देशारी दूर करनी हो, बन्न सकट दूर करना हो, नियामा की समस्या हल करनी हो या प्रति व्यवित्र आय बढ़ानी हो, तो हमे जनसंख्या की बढ़ि पर कठोर नियन्त्रण करना ही पड़ेगा।” भूतपूर्व यित्था मन्त्री थी एम सी चांगला ने भी बहुत हुई जनसंख्या के सम्बन्ध मे दृष्टि रोचक बात कही है, “यदि जनसंख्या को बढ़ने से रोका न गया तो हमारी प्रगति रेत पर दिखने के समान होगी जिसको जनसंख्या मे बढ़ि की लहरें घिटा देगी।”

देश का भावी सुल एवं समृद्धि इसी बात पर निर्भर है कि हम जनसंख्या को बाद को रोकने मे कहाँ तक तया किननी जल्दी समर्पण होते हैं। आज हमारे पाम ठहरने और रक्त कर विचार करने का समय नहीं है। हमे तो तुरन्त ही क्यर कस कर जनसंख्या के विस्फोट को रोकने का प्रयास करना चाहिए। परिवार नियोजन आदोलन कीरिया, लाइब्रार्न, हागकाम आदि एवियाई देशो मे सफल हुआ है। भारत मे भी यह गफल होफर रहेगा। आवश्यकता वेवल इसन्धान की है कि हम इसे सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील हो जाय।

प्रश्न

1 भारत की जनसंख्या की मुख्य विशेषताओ का वर्णन कीजिए।

- 2 भारतवर्ष में परिवार नियोजन के महत्व तथा उसकी प्रगति का पूर्णता विवेचन कीजिए। (राज० टी० ही० सी० तृतीय वर्ष 1964)
 (राज० बी० ए० अ० अ० न० 1967, शोट्टोट)
- 3 भारत में जनसंख्या घनत्व के क्या कारण हैं और उसके क्या आर्थिक परिणाम होते हैं? (राज० बी० ए० 1966)
- 4 जनसंख्या की वृद्धि का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आप राष्ट्रीय आय में वृद्धि वाहित समझते हैं, तो जनसंख्या के बारे में आपकी क्या नीति होगी? (राज० टी० ही० सी० तृतीय वर्ष 1965)
- 5 “जनसंख्या की सुमस्या का युद्ध-स्तर पर मुकाबला करना चाहिए।” इस कथन की पूर्णता विवेचना कीजिए। (राज० प्रथम वर्ष टी० ही० सी० कला 1969)
- 6 भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। इसे रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? (राज० प्रथम वर्ष टी० ही० सी० कला 1964, 1967)
- 7 “जनसंख्या की नियंत्रण वृद्धि को हापिट में रखते हुए अनन्त काल से भारतीय अर्थ व्यवस्था अस्थिर बनी रही है, उसमें सचित परिवर्तन नहीं किये गये।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो कारण दीजिए। (राज० प्रथम वर्ष टी० ही० सी० कला 1968)
- 8 भारत में परिवार नियोजन के महत्व तथा उसकी प्रगति का पूर्णतया विवेचन कीजिए। (राज० प्रथम वर्ष टी० ही० सी० कला 1965)
- 9 सक्षिप्त टिप्पणी—परिवार नियोजन (राज० प्रथम वर्ष टी० ही० सी० कला 1968)

भारत में बेरोजगारी की समस्या

(Problem of Unemployment in India)

बेरोजगारी की समस्या विश्व के समस्त अल्प-विकसित देशों की प्रमुख समस्या है। भारत जैसे विश्वाल बहुतन महायक देश के लिए तो यह और भी अटिल हप में हमारे समक्ष उभरी रिलाई है। यह वर्षों से भारत में बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती ही चा रही है। इसका हप अत्यन्त भीषण बनता जा रहा है। प्रत्येक थोने में, चाहे वह शहर हो अथवा गोद, प्रत्येक वर्ग में चाहे वह शिक्षित हो अथवा अशिक्षित, कुशल अभिक हो अथवा अकुशल, पुन्हो व स्थिरो इत्यादि सभी ने बेरोजगारी के स्पष्ट दर्जन होते हैं। भानवीय माध्यनों के अपव्यप्र के साथ ही साथ कई अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं का प्रार्द्ध भाव भी इसीसे होता है। इस हटिंग से भी बेरोजगारी की समस्या महान्‌पूर्ण एवं विचारणीय है।

भारत में बेरोजगारी का आकार एवं प्रकृति (Nature and Extent of Unemployment in India)—उन्नत एवं समृद्ध देशों में बेरोजगारी का जो हप एवं प्रकृति पाई जाती है वैसी प्रवृत्ति भारत जैसे अल्प-विकसित (Under-Developed) देश में नहीं पाई जानी। केन्स (Keynes) ने समृद्ध देशों में बेरोजगारी का जो स्वच्छ चरित्रा है वहू चक्रीय (Cyclical) माना है जो सफल भाग (Effective demand) के अभाव से उत्पन्न होती है। विष्व भारत जैसे अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी की विधि पूर्णांगत अभाव के माथ ही अन्य सहायक माध्यनों के अभाव से भी बनी रहती है। इस हटिंग से विविध देशों में बेरोजगारी चक्रीय एवं अचक्रीय रहती है जबकि अल्प-विकसित देशों में इसका स्वहप अटिल एवं बुनियादी (Basic) होता है मोटे हप भारत में बेरोजगारी के लोन स्वहप हटिंग होते हैं प्रमुखतः खेल-हप में बेरोजगारी है अथात् प्रशाल धर्म-वाक्ति के प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिल पा रहा है। हमारे देश की प्रत्येक पचवर्षीय योजना के साथ इस प्रवार की बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। इसका हप अवात् सम्पूर्ण वर्ष भर के लिए अध्य-विकसित (Partial Unemployment) का है अवात् सम्पूर्ण वर्ष भर के लिए अध्य-विकसित का रोजगार में विलयन नहीं हो पा रहा है। इसे सूलो अद्वे बेरोजगारी की मज्जा वी

जा सकती है। तृतीय रूप में वेरोजगारी निम्न उत्पादकता के कारण होती है। हमारे कृषकों की उत्पादकता अर्थ, भूमि अवधि नगण्य है। ऐसी वेरोजगारी छिपी हुई भानी जाएगी।

एक अन्य प्रकार से यदि इसका बर्गीकरण किया जाए तो इसे हम (i) कृषि वेरोजगारी (ii) औद्योगिक वेरोजगारी तथा (iii) विलिह एवं मध्यम व्येष्ठि के लोगों द्वारा पाई जाने वाली वेरोजगारी, इन तीन रूपों में विभक्त करेंगे। भारत में जार्थिक विकास के साथ-साथ वेरोजगारी भी बढ़ी है। किन्तु इन सम्बन्ध में पूर्ण एवं विश्वसनीय आकड़ों का उपलब्ध हाना कठिन है। इसलिए आकड़ों के अभाव ने वेरोजगारी के आकार एवं प्रकार की न्यायोचित जाच भी कठिन है।

प्रथम पचवर्षीय योजना के दृष्टि में भारत में कुल वेरोजगारी 5 मिलियन व्यक्तियों की थी तथा जनसंख्या वर्द्धिकों देखते हुए यह बनुमान लगाया गया कि यह बढ़ कर योजना के अन्त तक 9 मिलियन पहुंच जाएगी। जिसमें से कुल 4 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार की सुविधाएं प्रदान की गयी। अत प्रथम योजना के अन्त तक यह वेरोजगारी 5 मिलियन व्यक्तियों की थी। योजना आयोग ने दूसरी पचवर्षीय योजना में वेरोजगारी की वित्तीकूल समाप्त करने की घोषणा की तथा योजना के अन्त तक वेरोजगारी की संख्या वा बनुमान 15.3 मिलियन रखाया तथा इतने ही व्यक्तियों ने रोजगार देने वाले लक्ष्य निर्धारित किया लेकिन सरकार की अन्त तीतियों के बारण दूसरी योजना में अन्त तक कुल 9 मिलियन व्यक्तियों के लिए सरकार ने कई

दीसरी योजना में मानव व्यवित के पूर्ण उपयोग के लिए सरकार ने कई विकास कार्यक्रम लागू करने के लक्ष्य निर्धारित किए। दूसरी योजना के 9 मिलियन वेरोजगारों को मिलाकर हीसरी योजना के अन्त तक यह संख्या 26 मिलियन बढ़ जाने की आशा थी लेकिन सरकार ने कुल 14 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार की सुविधाएं प्रदान की तथा तीसरी योजना में अन्त तक कुल वेरोजगारों की संख्या 12 मिलियन पहुंच गई। यह वेरोजगारी और बढ़नी चली गई तथा 1971 के अन्त तक भारत में कुल वेरोजगारों की संख्या बढ़ नर 21 मिलियन पहुंच गई है। अत वेरोजगारी की समस्या भारतीय अर्थ व्यवस्था में एक चिकट समस्या बन गई है। योजनावधि विकास के साथ साथ यह वेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है।

वेरोजगारी के कारण (Causes of Unemployment)—जहाँ तक वेरोजगारी के कारणों का प्रत्यन है प्रश्न में इसके कारण भिन्न-भिन्न हैं। किन्तु कुछ समृद्ध सामाजिक कारण हैं जिनका विवेचन निम्नान्त शीर्षकों में सन्तुष्ट है।

(1) जनसंख्या में तीव्र वृद्धि—हमारी अर्थ व्यवस्था की सबसे बड़ी गंभीरता जनसंख्या की समस्या है। इसना साप्ट बनुमान प्रत्येक दसवर्षीय जनगणनाओं से सहज ही लगाता जा सकता है। सन् 1961 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 43 करोड़ थी जो बांसुमान में बढ़कर 54.7 करोड़ के लगभग हो गई है। प्रति वर्ष देश में 2.2 की दर से जन वृद्धि हो रही है। फर्स्टलेव श्रम शक्ति में भी तीव्र वृद्धि हुई है। रोजगार के अवसर इस तुलना में अत्यधिक स्फूर्त है। अत जनसंख्या की वृद्धि निरन्तर एवं बुनियादी बेरोजगारी को जन्म दे रही है।

(2) युद्धोत्तर आर्थिक मरम्मी एवं छटनी (Retrenchment)—अग्र देशों की भाँति भारत में भी युद्धोत्तर आर्थिक मरम्मी का गहरा प्रभाव पड़ा। युद्धोत्तर कानून में कई विभाग जो प्रभिस्थापिन दिए गए थे, जैसे नागरिक ममरण विभाग (Civil Supply Department) आदि समाप्त कर दिए गए, उनमें वृत्ति प्राप्ति लोगों की सह्या में निकाल दिए थे। छटनी की इन कुल्हाड़ी के परिणामस्वरूप पुराने रोजगार की समस्या पुनः आ खड़ी हुई। इसमें गर्वाधिक कठिन परिस्थितियों में मध्यमवर्ग थों पिस्ता पड़ा। पुनर्वर्ण गवाहाय में भी अत्यधिक छटनी कर दी गई।

(3) दोष पूर्ण शिक्षा पद्धति—हमारी बांसुमान शिक्षा प्रणाली एकमात्र कल्पों की अनुशासना है। देश में प्रचलित शिक्षा पद्धति का नीत्योगिक प्रगति के साथ अपेक्षित सहुलन का सर्वथा अभाव है। प्रति वर्ष विश्वविद्यालयों से लायों की संख्या में विद्यार्थी मैट्रिक, इन्टर तात्त्व और आदि गास करके निकलते हैं। जिन्होंने कि रोजगार की दलासा गे इच्छर-उच्छर भटकना पड़ता है। सर एचरसन ने बजाद गणित की हंस्यार की गई रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि बांसुमान शिक्षा पद्धति छात्रों को विदेशी परीक्षाओं के लिए तैयार करते का एक जाल मात्र था। फलस्वरूप प्रत्येक शिक्षित वर्ष सरकारी नौकरी की तालिया में रहता है। दूसरे, इस शिक्षा-पद्धति ने ऐंटूक पेटो को भी पशु बना दिया। शिक्षा की यह अनुरूपता ही है। किनानों ने भी अपने बच्चों को नौकरी की ओर ही ब्रेंडिंग किया है। इसके साथ ही देश में उत्तरीकी शिक्षा का अभाव है। केवल पुस्तकीय शिक्षा बेकारी की समस्या का उपाय नहीं हो सकती।

(4) कृषि का पिछड़ापन—बहुबनसाह्य देश होने के कारण हमारे देश में कृषि पर जन भार अत्यधिक है। कृषि करने के पिछड़े एवं प्राचीन लोहीको के कारण अधिक उत्पादन क्षमता का अभाव है एवं अधिक व्यक्तियों दो रोजगार नी सुविधाएँ नहीं प्रदान की जा सकती। इससे प्रामीण होओं में बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी बढ़ी है।

(5) लघु एवं कृदीर उद्योगों का व्यवाद—एक विशाल जनसंख्यक देश के लिए उसके लघु स्वयं कुटीर उद्योग-व्यवस्थे प्राणस्वरूप हैं। देश की पुरानी दासता के कारण उनको उचित सरकार नहीं मिल पाया। इसके माध्यम ही मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से सहस्रों व्यक्ति बेरोजगार हो गए। मशीनों द्वारा विशाल पैसाने पर दर्जे वरतुओं में उत्पादन लागत कम करती है। फलस्वरूप कुटीर उद्योग इस प्रतियोगिता में नहीं ठहर सके और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव बेरोजगारी पर पड़ा।

(6) सामाजिक कारण—कुछ जाति-प्रथा, शीघ्र विवाह, समुक्त परिवार एवं सामूदायिक असमानताओं के कारण नवयुवकों की प्रशंसित सम्बन्धी महत्वाकांक्षाओं को छेड़ गहराती है। जाति-प्रथा नवयुवकों को अन्य छोटे कासी की ओर जाने से रोकती है तो शीघ्र विवाह द्वारा उन पर परिवारिक बोझ शीघ्र ही लाद दिया जाता है। परिणामस्वरूप प्रगति का क्षेत्र अखूरा रह जाता है। घर के प्रति मोह की भावना भी बेरोजगारी का एक कारण है।

उपर स्पष्ट हुए इन कारणों के अतिरिक्त अनुशासन एवं शिक्षित श्रमिकों की सहाया में कुछ भी बेरोजगारी के बड़ों का प्रमुख कारण है। डॉ राव ने इस सम्बन्ध में एक कारण यह भी दिया है कि जमीदारी प्रथा के उन्मूलन के फलस्वरूप उनकी मात्राहती में कार्य करने वालों के भी बेरोजगार के साधन नष्ट हो गए। मात्र ही स्वयं जमीदार लोग भी जीवित पालने के लिए नीकरियां ढंगे लगे हैं। इसके साथ ही हितयों में निधा प्रमार के बारण मध्यम येणी की विद्यायां भी बेरोजगार चाहते लगी हैं। अत अपर्याप्त है कि बेरोजगारी की संगस्पा को किसी अवधा कुछ पहलूओं ने नहीं बोधा जा सकता।

बेरोजगारी दूर करने के उपाय (Remedies) बेरोजगारी की समस्या इसनी विकट एवं गम्भीर है जिसके लिए किसी एक उपाय को लाए नहीं किया जा सकता। हमारे देश वी बेरोजगारी बुनियादी (Basic) है अत इसके लिए अल्प-कालीन तथा दीर्घकालीन उपाय कार्य में लाने होंगे। जगानी पवित्रयों से इन्हीं उपायों का समावेश है।

(1) अल्प कालीन उपाय अल्प-काल में बेरोजगारी दूर करने के निम्नानुसूत उपाय कार्य में लाने चाहिए।

(i) मोजनाओं के अन्तर्गत विए गए कार्यों जैसे सिनाई एवं शक्ति परियोजनाएँ अतदि में अध्यया मठकों के निर्माण कार्यों में प्रतिक्रिया की स्थापना की जानी चाहिए।

(ii) लघु एवं कृदीर उद्योगों की अधिकाधिक प्री नाहन दिया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक वस्तियों की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही साथ

कुटीर उद्योगों की वस्तुओं को नथ वर इन्हे बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(iii) जिन दिक्षाश्रो में मानवीय संवित का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है उनमें प्रशिक्षण मुद्रिधारों को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही बवस्क विद्यालय एवं एक अध्यापक रक्कूलों द्वारा प्रशिक्षणों में भूमि ली जाए।

(iv) यातायात एवं परिवहन सेवाओं में वृद्धि की जानी चाहिए। मात्र ही राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं में विकाय की प्रवृत्ति अपनाई जाए, जिससे अधिकाधिक जन-संख्या इनमें रोजगार पा सके।

(v) निर्माण-कार्यों के विविध तरीके ग्रहण किए जाए। गृह निर्माण एवं लिंग सम्बन्धी कार्यों की प्रशिक्षण इनके लिए अत्यावश्यक है।

(vi) आमोंग एवं निजी कारों में सहायक निर्माण कारों को प्रोत्तमाहन दिया जाना चाहिए।

(2) दीर्घकालीन उपाय—(i) जनगरणा में वृद्धि-वरना का निया जाए। जनता में वम वच्चों की भावना का विकाय विश्वास के द्वारा दिया जाए। 'वम मतल सुखी इन्सान' की भावना के साथ जन-जागृति होनी चाहिए।

(ii) आधिक विकाय की शैली में लीडता जानी चाहिए। उद्योगों का शीर्ष विकाय होना चाहिए नाथ ही औद्योगिक विविधता अपनानी चाहिए ताकि रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सके। इसके अन्वयान्त व्यम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए एवं विभिन्न वय का अधिकावा भग्न उद्योगों की ओर लगाया जाए।

(iii) हमारी मूल समस्या कृषि की है। इसी दृश्यावलम्ब में वृद्धि के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाए। साथ ही मिचाई, राजायनिक खाद्य एवं प्रीटायुगावक दबावों के प्रयोग द्वारा कृषि की प्रति एक ढंग पैदावार में वृद्धि के प्रयास किए जाए।

(iv) वर्तमान शिक्षा पद्धति में व्यवहारिकता को स्थान दिया जाए। तकनीकी प्रशिक्षण को शिक्षा का मुख्यावार बनाया जाए। शिक्षा का सम्बन्ध रोजगार में सहाय्य होना चाहिए। देन की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्या तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

(v) देश में रोजगार कार्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाए जो रोजगार सम्बन्धी सूचनाओं के अतिरिक्त व्यवसायिक क्षेत्र में भी मार्जन-दर्दन वरे एवं दालार सुधारन्ती सूचनाओं का एकत्रीकरण करे।

(vi) समय-मध्य पर सरकार द्वारा पूरक जन बहुमान नार्मा को प्रोत्तम दिया जाए।

उपर के इन कारणों के अतिरिक्त, अतिरिक्त अग्र शक्ति का प्रयोग उत्पादक कार्यों में किया जाना चाहिए। पारिश्रमिक गृहनाम आवश्यकताओं की ध्यान में रख-

कर दिया जाना चाहिए। श्रामीय क्षेत्रों में सम्बद्ध द्वारा ग्राम-सुधार जैसे कार्यों में प्रोत्साहन की आवश्यकता है। ऐसी योजनाओं द्वारा ग्रामों में रोजगार उपलब्ध हो सकेगा, ग्राम ही तकनीकी ज्ञान में भी नियमितता बढ़ावड़ यनी रहेगी। इतके साथ ही जन-प्रवास (Migration) द्वारा देश में जनसंख्या का प्रगतव विशेष स्थानों से कम दिया जाए। इससे समस्या की समान रूप ने सधनता रहेगी कही अधिक कही मम की नहीं।

वेरोजगारी दूर करने के लिए समय-न्युनत्व पर विभिन्न राज्यों की रिपोर्टों में भी इस सम्बद्ध में उल्लाप दर्शाये गए हैं। हमारे देश के भौतिक एवं प्राकृतिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया गया है। मद्रास समिति ने 'क्षेत्रीय उपनिवेश' (Farm Colonies) का गुणाव भी दिया था, किन्तु व्यवहारिकता इसमें कम ही है। इस सम्बद्ध में उल्लाप वृत्तिशीलता जॉब मणिति ने एक यह भी मुकाबल दिया था कि उच्चतर कक्षाओं में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाए जो तीर्ण बुद्धि वाले हों, जिनमें उच्चन्वशी वी प्रतिभा हो। यदि ऐसे छात्र निर्धन हैं तो उन्हें मरकारी सहायता प्रदान की जाए। द्रावनकोर की समिति ने एक नुकाब यह दिया था कि प्रत्येक प्रकार की मरवारी नोकरी के लिए प्रतियोगिता-भरीशा रखी जाए।

मझें अर्थों एवं शिक्षित वर्षों में वेरोजगारी—हमारी वर्तमान वेरोजगारी में शिक्षित व्यक्तियों को समस्या अति विकट है। इसमें एसे शिक्षित गव्यम-उत्पन्न सम्बन्धिता है जो आर्थिक हृष्टि से इन्हें सुहृद नहीं है कि अपने रोजगार की स्वयं व्यवस्था कर सके। वे लोग शारीरिक श्रम के योग्य भी नहीं होते माथ की साम्यानिक क्षमता उच्चस्तर की शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। एक शिक्षित व्यक्ति का अधिक समय तक वेरोजगार रहना दिया जौ सुरक्षा एवं भिंगता में बढ़ा व्यवधान है। ऐसे लोग अपने निए आदानप्रदान कर भाषण स्पर्शित उत्पन्न वर मानते हैं।

इस प्रकार की वेरोजगारी प्राप्त शिक्षा प्रणाली के दूषित होने का खोनक है। प्रतिवर्ष विद्यालय सम्प्रयाम में विद्यार्थियों का शिक्षणन्मास्याओं से निकलना तथा शिक्षा का पुस्तकीय होना इसका प्रधान कारण है। वर्तमान शिक्षा पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान के कुछ नहीं हैं जो शिक्षित वर्षों के हाथ पैर काट देती है व उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रगत बना देती है। दूसरे, अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत धारणाय, उद्योग आदि का पर्याप्त विद्याम नहीं है। बुवकों वा अम में विद्याम नहीं, अम का गौरव, अम की महत्ता उनकी हृष्टि में उपेशारीय तथा है। बुवकों की महावाकाशा अम के स्तर से ऊची है। इतके माथ ही आर्गनिर्भरता, समुक्त परिवार प्रवास एवं अन्य सहायक व्यवस्थायों की सुचना एवं प्रदर्शन के माध्यमों के अभाव में गव्यम-वर्गीय वेरोजगारी विवेप चढ़ी है।

इसके लिए शिक्षा प्रणाली को मुधार कर हो व्यवहारिक एवं व्यवसायिक स्पष्ट दिया जाना आवश्यक है। मात्र ही साथ आर्थिक विकास के अधिकाधिक लक्ष्य समझ आने चाहिए।

अर्थप्रयोग एवं कृषि बेरोजगारी—इस प्रकार की बेरोजगारी का यही अर्थ है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में अधिकान सोनों को पूर्ण कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता है। भूमि पर जनविकास भार ही इसका मूल कारण है। हृषकों की यह बेरोजगारी अवृद्धि अवश्य अप्रदर्शन है। बास्तव में हृषिकान तो यहीं होता है जिसमें जुटे हुए हैं किन्तु अनुसार में वे अधिक ही हैं।

इसका प्रमुख कारण जनसत्त्वा की उत्तरेतर वृद्धि, हृषि की प्रहृति पर निर्भरता बल्य-विकास अर्थ-व्यवस्था, कृषि का अलाभकारी होना, ग्रामीण बातावरण की प्रतिकूलता, समृद्धि-परिवार-प्रथा, उत्तराविकास के तिथम, आदि है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि प्राप्त जीवन में शिक्षा का प्रमाण दिया जाए। साथ ही अर्थ-व्यवस्था को उचित रूप में बनाया जाए। शिक्षित जनता स्वयं ही अनदृद्धि पा दिशेव बरेगी। इसके साथ ही भूमि सम्बन्धी बालकों ने आवश्यक मुधार किया जाए। दीन और्धोगीकरण, मुटीर उद्योगों का विकास, हृषि प्रणाली ने गवीनहन प्रयोग कर उत्पादन थापता में वृद्धि, तथा लघु विकास कार्यक्रम, निवाई, सड़क निर्माण नया अन्य गार्ड-जिनिव कार्यक्रमों को अपना कर इस प्रकार की बेरोजगारी ढूर बी जा मजबूती है।

पचवर्षीय योजनाएं एवं रोजगार नीति—बेरोजगारी की विकट समस्या को हृषिकान में रखने हुए हमारी राष्ट्रीय सरकार ने देश ता विकास नियोजन द्वारा करना चाहा। इन योजनाओं का एक मुख्य उद्देश्य लोगों को रोजगार दिलाना रहा है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना हमारी। इन पचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण नया गहरी धन्ना म बेरोजगार व्यक्तियों के लिए बार्य की व्यवस्था करना, जनाधिकान के माय कठ रही श्रम-दाकिन का उपयोग करना एवं गृह उद्योग एवं हृषि में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना आदि विधय प्रमुख रहे हैं। आगामी पन्तियों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विए गए रोजगार सम्बन्धी बार्यों का ही दल्लेख सन्निहित है।

प्रथम योजना—प्रथम पचवर्षीय योजना विभाजन के कलहवाह्य उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रख कर बनाई गई तथा हृषि के विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई। प्रथम योजना के अन्त तक उत्ती ही बेरोजगारी बनी रही जो कि योजना के गहरे में थी (5 मिलियन व्यक्ति)। कुल रोजगार 4 मिलियन व्यक्तियों को

दिया गया, जो कि प्रथम योजना के अन्त तक कुल 9 मिलियन बेरोजगारों में से थे। प्रथम योजना में रोजगार न बढ़ने का जो मुख्य कारण था, वह यह था कि नए प्रकार के विनियोगों को नहीं जटाया जा सका तथा मजदूरी और आय में जो वृद्धि हुई उससे व्यवितरण के उपभोग-स्तर में भी लीक वृद्धि हुए, जिससे बचत को नहीं बढ़ाया जा सका। इसके साथ-साथ जैमे-पैसे नई टेक्नोलॉजी का विकास होता है, रोजगार में वृद्धि नहीं होती वल्कि उम अनुपात में बेरोजगारी फैल जाती है, जिसको कि योजना आयोग ने विशेष महत्व नहीं दिया। योजना आयोग ने कुल मानव-व्यक्ति का भी ठीक अनुमान नहीं लगाया, जिसके कारण बेरोजगारी और वर्ष $4\frac{1}{2}$ में। अतः प्रथम योजना में सरकार ने देश में रोजगार की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए।

दूसरी योजना—दूसरी योजना के अन्त तक कुल बेरोजगारों की संख्या 9 मिलियन पहुंच गई तथा कुल रोजगार इस अवधि में 6.3 मिलियन व्यक्तियों को दिया गया, हालांकि सरकार ने दूसरी योजना में रोजगार की सुविधाएँ अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने का ऐय इसलिए अपने हाथ में लिया कि दूसरी योजना-उद्योग-प्रधान' थी, इसलिए नए उद्योगों के विकास के माध्यम से रोजगार के माध्यन भी उपलब्ध कराए जा सके। लेकिन वही विनियोग की समस्या, मानव-व्यक्ति का गलत अनुमान लगाना, उपभोग-स्तर का बढ़ना, सरकार की गलत नीतियाँ, विदेशी विनियम की नमस्याएँ आदि कुछ ऐसी ममस्याएँ थीं, जोकि देश में रोजगार की सुविधाएँ निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार नहीं उपलब्ध करा सकी। साम तीर से योजना आयोग ने जनसंख्या वृद्धि का अनुमान 1% से लेकर 1.3% के बीच में लगाया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि 2% की दर से हुई जिससे मानव व्यक्ति का अनुमान ठीक प्रकार से नहीं लगाया जा सका।

तृतीय योजना—तीसरी योजना में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने रोजगारों के प्रभावों की व्यापकता पक्ष समृद्ध, ग्रामीण औद्योगिक वर्ष तथा ग्रामीण निर्माण कार्यों-इन तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया। तीसरी योजना के अन्त तक कुल बेरोजगारों वी संख्या 26 मिलियन पहुंच जाने का लक्ष्य था, जिसमें से 14 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार देने के बाद 12 मिलियन व्यक्ति तीसरी योजना के बन्न तक बेरोजगार रहे। तीसरी योजना में इस समस्या को दूर करने के लिए सुरक्षार की उच्ची समस्याओं का सामना करना पड़ा, जोकि प्रथम दो योजनाओं में थी। ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए, उनको पूरा नहीं किया जा सका। चीन के बुद्ध के कारण नए उद्योगों वा विकास नहीं किया जा सका तथा साथ ही मात्र जनसंख्या वृद्धि 2.5% की दर से हुई, जबकि योजना आयोग द्वारा समावित दर बहुत ही कम थी।

चतुर्थ योजना—1969 में जिन समय चतुर्थ योजना का प्रारम्भ हुआ, उस समय भारत में कुल वेरोजगारों की संख्या 16 मिलियन थी, जिसमें 25 मिलियन नए व्यवित्रियों के थम-शक्ति में प्रवेश नहीं जाने में यह सत्या बट कर 41 मिलियन पहुँच जाने का भय है। चतुर्थ योजना के विकास कार्यक्रमों के अनुसार 21 मिलियन व्यवित्रियों को रोजगार की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकती है तथा वानी 21 मिलियन व्यवित्रियों के अन्त तक वेरोजगार रह जाएंगे। 1971 के अन्त तक की वेरोजगारी नीं संख्या को देखते हुए जोकि 21 मिलियन है, यह आपका की जा रही है, जिन योजना के अन्त तक शायद यह संख्या 30 मिलियन के ऊपर पहुँच जाएगी। सरकार ने रोजगार दिलाने के दून लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के स्तर में सुधार, टेक्नीक विकास का विकास, निर्माण कार्यों का विकास, लघु उद्योगों का विकास, ग्राहकित भावनों को दूढ़ निकालना, आदि कार्य का अपने हाथ में लिए है। लेकिन जिन पार्श्वस्थितियों में देश की अर्थ-व्यवस्था चल रही है, यह प्रेरोजगारी और वढ़ती चली जाएगी।

पाचवी योजना—पाचवी योजना जो कि 1974 से शुरू होने वाली है, रोजगार की समस्या को एक विशेष महत्व दिया गया है। शिक्षित वेरोजगारों तथा अशिक्षित वेरोजगारों के लिए अलग-अलग सरकारी नीतियाँ बनाई गई हैं। पाचवी योजना में ग्रामीण निर्माण वर्ष, लघु पालन व्यवसाय, लघु उद्योगों के विकास की तरफ सरकार न विशेष ध्यान दिया है। इन दोनों का विकास देश की ग्रामीण जनता को रोजगार दिलाने के लिए करते हो अधिक रखता है। इसके लिए पाचवी योजना में 3600 करोड़ हजार का प्रावधान रखा गया है। शिक्षित वेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए अलग-अलग वर्ग के व्यवित्रियों को अलग-अलग रोजगार दिलाने वा लक्ष्य निर्धारित दिया गया है। अत याचवी योजना में देश में गरीबी तथा वेरोजगारी समाप्त करने के लिए सरकार हठ सवल्प है।

निष्ठकर्त्ता 22 वर्ष के अधिक नियोजन के बाद गी भारत अस्त्वन्त विषय समस्याओं में घिरा हुआ है। गरीबी तथा वेरोजगारी यह दो समस्याएँ ऐसी हैं जोकि यिसी दो देश के विकास के कार्यक्रमों में एक विशेष महत्व रखती है, लेकिन भारत सरकार ने अपनी चारों योजनाओं में इन समस्याओं के लिए कोई विशेष कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया। कुछ समस्याएँ नो प्राकृतिक देन हैं और कुछ ऐसी हैं, जिनके लिए सरकार स्वयं विमेदार है। देश की वढ़ती हुई जनसंख्या, विशेष भाषनों का अभाव, उपभोग के स्तर का नहाना जिससे चक्कत द्वारा प्रोत्तमाहन नहीं मिल सकता, अशिक्षा, औद्योगिकरण का अभाव, आर्थिक विकास की धीमी दर, नवीगतिम प्रशिक्षणों की कमी आदि कुछ ऐसी समस्याएँ हैं, जिनके ऊपर सरकार वा ध्यान इत-

परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य है। अगर यही गरीबी, अमर यही वेरोजगारी देश में बढ़ती रहे तो अवश्यमेव देश में एक ऐसी कालि आएगी जिसको इंआज का नौजवान दर्दान नहीं करेगा। अत उसकार को इन दो समस्याओं का समाधान (गरीबी तथा वेरोजगारी) अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर दूर करने के प्रयत्न करने चाहिए।

प्रश्न

1. भारत में बढ़ती हुई वेरोजगारी के कारणों की विवेचना कीजिए तथा उनको दूर करने के सुझाव दीजिए।

2. भारत की एकलिंग योजनाओं में सुरक्षार द्वारा उठाए गए कदम बताइये।

तृतीय खण्ड

- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि
(Agriculture in India's Economy)
- 2 भारत में भूमि का उपयोग, कृषि उपज एवं फसलों का स्वल्प
(Land Utilisation, Agricultural Products and Cropping Pattern in India)
- 3 भूमि का उप विभाजन एवं लघुक्षण
(Subdivision and Fragmentation of Land)
- 4 भारत में सिवाई उपरक एवं अन्य कृदिगत आवास
(Irrigation, Fertilizers and other Agricultural Inputs in India)
- 5 भूमि व्यवस्था एवं भूमि-सुधार
(Land Tenures and Land Reforms)
- 6 खाद्यान्नों को उत्पत्ति एवं खाद्य नीति
(Production and Food Policy)
- 7 नवीन कृषि नीति
(New Agricultural Strategy)
- 8 भारत में कृषि साधन
(Agricultural Credit in India)

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि

(Agriculture in India's Economy)

"Everything may wait but agriculture cannot. There is nothing more important in India to-day than better agriculture"

—Jawahar Lal Nehru

भारत एक कृषि-आधार देश है। यहाँ की 70% जनसंख्या कृषि पर ही अपनी जीविका के लिए निर्भर रहती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को गांवों का देश तथा कृषि का भारत की आत्मा बताया है। उच्चांशी जैवात् एक देशी ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि के महत्वपूर्ण स्थान की चर्चा करते हुए तथा ही कहा है, "भारत के आर्थिक जीवन में सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ अन्य व्यवसायों की अपेक्षा कृषि की अत्यधिक प्रथानता है।"

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व

भारत में कृषि के प्रभुत्व के मानवत्व में जितना लिया जाय, बोला है। वास्तव में भारतीय आर्थिक व्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी के समान है। भारत की अर्थ-व्यवस्था में कृषि के महत्व का अनुमान हम निम्नलिखित तथ्यों से लगा सकते हैं।

1. जीविका का प्रमुख स्रोत : भारतवर्ष की कुल जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाष्य, प्रत्यक्षरूप से, अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यदि परोक्ष स्पर्श से कृषि पर आक्रित लोगों को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो यह प्रतिशत बहु बर और अधिक ही जायेगा। सन् 1901 से लेकर सन् 1971 तक के जनसंख्या सम्बन्धी आकड़ों को देखने से पनाचलता है कि कृषि पर निर्भरता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत की तुलना में अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा कैनेडा जैसे दिक्षित देशों में कृषिजीवी लोगों की संख्या 20 प्रतिशत से भी कम है और कहीं-कहीं तो 5 प्रतिशत से भी बर है।

2. राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत : कृषि हमारी राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। राष्ट्रीय आय समिति तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय समन्वय द्वारा प्रकाशित आंकड़े इन बात की पुष्टि करते हैं कि भारतवर्ष में कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित रोजगारों,

यथा पशुपालन, बन धरमाग, आदि का राष्ट्रीय आय में लगभग 45%, योगदान है। भारत में शितनी आय व्यापार, परिवहन व उद्योग-घटनी से मिला बर प्राप्त होती है, उतनी राष्ट्रीय आय वी केवल हृषि से ही प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आय वी हृषि से भारत को अन्य देशों से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में हृषि का स्थान दिनांक ऊँचा है। आस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा इण्डिया में राष्ट्रीय आय का अनुशंशा 13, ३ व ५ प्रतिशत भाग ही हृषि से प्राप्त होता है।

३. राष्ट्रीय सरकारी की आय का प्रमुख स्रोत। भारतवर्ष में राष्ट्रीय सरकारी की हृषि से पर्याप्त आय प्राप्त होती है। हृषि-सेवों से मिलने वाली मालगुणारी उनकी आय का एक महत्वपूर्ण एव स्थायी साधन है। राज्य भरकारी के बजटों में करों से प्राप्त आय का 30 से 50 प्रतिशत भाग तथा बूल आय का लगभग 15 प्रतिशत भाग भू-राजस्व या मालगुणारी से ही प्राप्त होता है। हृषि भूतकाल म भी सरकार की आय का प्रमुख स्रोत थी और आज भी प्रमुख स्रोत बनी हुई है।

४. खाद्य सामग्री की उपलब्धि भारत में ५४.७ करोड़ जनसंख्या तथा ४० करोड़ पशुओं के लिये भोजन एव चारा हृषि में ही प्राप्त होता है। दुर्भाग्यवश यदि जिसी वर्ष हृषि की दशा बिगड़ जाती है तो देश की अन्य देशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है। गांधारणां आवश्यक खाद्य पदार्थों का केवल ५ प्रतिशत भाग ही बाहर से मिलनाना पड़ता है और देश में ही उपलब्ध हो जाता है।

५. औद्योगिक विकास के लिये हृषि का महत्व : हृषि हमारे देश के प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति का स्रोत है। मूली वस्त्र उद्योग, गटगन उद्योग, चीनी उद्योग, बनस्पति घी तथा तेल उद्योग एव बगान उद्योग, ये सभी प्रत्यक्ष हृषि में हृषि पर आधित है। बहुत से कुटीर व लम्बे उद्योग, यथा हाथ बारठा बुनाई, तेल पेट्रोल, चावल जूटना आदि, भी कच्चे माल के लिए हृषि पर ही आधित रहते हैं। फलों का उद्योग, अचार-मुरब्बा उद्योग, मधू-मरस्ती, मुर्गी-मालन आदि भी हृषि पर निर्भर रहते हैं। यही नहीं, हृषि उद्योगों के लिए बालनीय अम दक्षिण प्रदान वर औद्योगिकरण में सहायता प्रदान करती है। हृषि विकास औद्योगिक विकास को एक आधार प्रदान करता है और भविष्य में आधिक विकास का मार्ग प्रस्तुत करता है।

६. रोजगार का प्रमुख साधन सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 68.63% भारतीय कार्यशील जनता को हृषि रोजगार प्रदान करती है। १ अप्रैल, 1971 को भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या लगभग 18.4 करोड़ थी, जिसमें से लगभग 42.87 प्रतिशत व्यवित विसाने वे तथा 25.76 प्रतिशत लेतिहर किसान थे।

7. अन्सर्टाईट्रोप व्यापार में कृषि का महत्व : भारतवर्ष से निर्यात की जाने वाली बस्तुओं में तिलहन, तमबाकू, चाय, जूट, लाल, मसाले आदि वा महत्वपूर्ण स्थान है। ये सभी बस्तुएँ कृषि से ही प्राप्त की जाती है। ग्रन् 1941ई० से पहले भारत के निर्यात का शीत-चौथाई भाग कृषि उत्पादों का ही था। आज भी लगभग 50 प्रतिशत निर्यात होने वाली बस्तुएँ कृषि से ही प्राप्त होती है। यहीं नहीं, यदि निर्यात होने वाली निर्मित बस्तुओं में 20 प्रतिशत कृषि अवश्य को और मिला किया जाय तो कुल निर्यात में कृषि का दोगुना 70 प्रतिशत के लगभग ही जायेगा। भारत ये केवल चार का निर्यात ही प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये का होता है।

8. सरकार के वित्तीय दावें का आधार भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वित्त-व्यवस्था बहुत सीमा तक कृषि पर ही आधित है। मालामुखीरी के अदिक्षिका विक्री कर, सिलाई-कर, कृषि आद-कर, सम्पत्ति-कर व सुधार-कर, स्टाप्प फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, इयादि राज्य गरकारों की आय के प्रमुख साधन हैं, जो कृषि पर निमंत्र लोगों से ही प्राप्त होते हैं। केन्द्रीय सरकार भी इसी प्रकार कृषि-पदार्थों के नियंत्रण में नियंत्रित कर तथा कृषि पर आधारित उद्योगों की उत्पत्ति से उत्पादन कर प्राप्त करती है। भारत में कृषि की दशा दीप रहने पर ही वित्त मन्त्री अपने बजट को मनुष्कित रख सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए किसी विद्वान ने यह दीक्षा ही कहा है कि 'भारतीय बजट मानवून पर निर्भर जुआ है।'

9. परिवहन के लिए कृषि वा महत्व . भारत कृषि-प्रधान देश होने के नाते ग्रामों का देश है। यहाँ परिवहन के माध्यों को मुख्यतः रेलों को जितनी आवश्यकता का उत्पादक जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के जाने रो होती है, उन्होंनी आप अन्य उद्योगों में नहीं हो पाती। परिवहन के साधनों के अतिरिक्त सदैश बाहन के माध्यों—डाक एवं तार सेवाओं—को भी कृषि से पर्याप्त आप प्राप्त होती है। उन कृषि परिवहन एवं सदैश बाहन के साधनों के विकास को प्रोत्त्वाद्वृत्त बरती है।

10. कृषि का आधिक नियोजन में महत्व : भारत में आधिक नियोजन की सफलता कृषि उत्पादन पर निमंत्र करती है। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में सरकार ने कृषि को प्रधानता दी थी। इस योजना की सफलता का मुख्य कारण भी कृषि उत्पादन में आशाहीत बढ़ि ही था। दूसरी योजना में कृषि को गौण स्थान देने के कारण ही वह पूर्ण रूपल नहीं हो गयी। तृतीय योजना में पुनः कृषि को आवश्यक महत्व दिया गया है। तृतीय योजना के बाद बनाई गई वापिक योजनाओं में भी कृषि की विनोद महत्व दिया गया है। भारत की चारुर्य योजना एवं आप वाली अन्य योजनाओं में भी कृषि के महत्व को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में अमरकलता हमारी सारी योजनाओं को चौपट कर सकती है।

11. कृषि का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्व : भारतीय कृषि ने अन्तर्राष्ट्रीय सेवन में विशेष महत्व प्राप्त है। चाय, भूगफली व गन्ने के उत्पादन में भारत का स्थान सासार में प्रथम है। तिलहन, तम्बाकू, पटमद आदि के उत्पादन में भी भारत को गहरवपूर्ण रखान प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि की उपज ने भारत को विश्व के कृषि-उपज-भानचिन में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है।

12. मूल्य-स्तर को प्रभावित करने में कृषि का महत्व : मूल्य-स्तरों के स्थानित्व के सम्बन्ध में भी भारतीय कृषि का विशेष महत्व है। भारत में मूल्य-स्तर कृषि उपजों दो प्रभावित होते हैं। जिस वर्ष उपज बहुत होती है, उस वर्ष साधालों के मूल्य चढ़ जाते हैं, फलस्वरूप अन्य मधी वस्तुओं के मूल्यों में भी बढ़ि हो जाती है। इसके विपरीत यदि उपज अच्छी होती है, तो साधालों का मूल्य गिर जाता है, फलस्वरूप अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी कमी जा जाती है। बात भारत के मूल्य-स्तर पर कृषि उपजों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

13. आन्तरिक व्यवसाय एवं बैंकिंग व्यवस्था के क्षेत्र में कृषि का अद्दत्व— भारत के आन्तरिक व्यापार में कृषि का बहुत अधिक महत्व है। भारतीय मण्डिया एवं नगरों के व्यापारिक क्षेत्रों में प्राय जो कुछ व्यापार होता है, उगम कृषि उपज की ही प्रशाननता होती है। इनी प्रकार भारतीय बैंकिंग व्यवसाय भी बहुत कुछ परोक्ष रूप में कृषि पर ही आधित है। भारत में भारतीय बैंकिंग व्यवसाय का विकास एवं प्रगति बहुत कुछ इस बात पर निर्भए करते हैं कि बैंक कृषि क्षेत्र में अपनी साख का कितना विस्तार करते हैं।

14. कृषि का राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में महत्व— कृषि का भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी महत्व है। कृषक भारतीय गणराज्य के बहु-साधक नागरिक है। राज्य की विधान सभाओं एवं देश की लोक सभा में उनके भुने हुए प्रतिनिधियों का बहुमत है। ये राज्य के लिए रीढ़ की हड्डी के समान हैं। इसीलिए राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में उनका विशेष प्रभाव है। देश की रक्षा के लिए भी इनमें से ही सैनिक प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में कृषि का बहुत अधिक महत्व है। समस्त देश का आविक दाता ही एक प्रकार से कृषि पर आधारित है। भारत की अर्थ-व्यवस्था में कृषि के महत्वपूर्ण स्थान को दृष्टिकोण में रखते हुए ही वी जाँत रसन ने एक स्थान पर उचित ही लिखा है, "यदि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सुधार करना है, तो यहां की कृषि को उन्नति वरनी माहिए।" यदि भारतवर्ष में कृषि असफल रहती है तो यहां की समस्त अर्थ-व्यवस्था असफल हो जायेगी। अत आर्थिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में यह एक निविच्छन मत बनता जा रहा है ति आर्थिक विकास की शक्तिता के

लिए एक सुदृढ़ कृषि व्यवस्था का होना बहुत ही आवश्यक है। विद्वान् अर्थव्यापारी 'कोल एवं हूबर' ने भारतवर्ष के सदर्म में ठीक ही कहा है कि "अर्थ-व्यवस्था के पिछले हुए काग (कृषि) का विकास सम्पूर्ण आर्थिक विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है और यदि कृषि विकास की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो एन्पूर्ण आर्थिक विकास गतिहीन हो जायेगा।"¹ भारत की आर्थिक व्यवस्था में कृषि का महत्व यह है, इसका अभाव भारत के भूतपूर्व गवर्नर जनरल लाउ मेयो (Mayo) के निम्न-लिखित कथन से भी समाया जा सकता है—

"आने वाली अनेक वीडियो तक यह एवं सम्भाल के विकास की दृष्टि से भारत की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से उगमकी कृषि की प्रगति पर ही निर्भर करती। युसार में मन्महत्व कोई भी ऐता देश नहीं है जिसका कृषि में हताना प्रत्यक्ष, सीधा एवं चानिप्प स्वार्य निर्धारित है। भारत सरकार के बल मरकार ही नहीं, अपितु एक भू-स्वामी भी है।"²

भारतीय कृषि की पिछड़ी हुई दशा (Backwardness of Indian Agriculture)

यद्यपि भारत एक कृषि-प्रधान देश है, तथापि यहा की कृषि व्यवस्था अद्यत्ता रिट्टडी हुई है। याही कृषि कमीवान के सामने अपनी गवाही देते हुये भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि रालाहकार डॉ० क्लाउडटन ने कहा था, "भारत में हवारी पिछड़ी हुई जातियाँ नो ढे हो, हमारे पिछले हुए उद्योग भी है और इन उद्योगों में से दुर्गम्य-वश हुपि भी एक है।"³ उन्होंने इसी सम्बन्ध में यह भी कहा था, "हम चाहे जिस हृष्टिकोण से देये, कृपको के बेतों का आकार व दर्नावट, प्रयोग में आने वाले हुपि औजार व खाद, फसलों के हेर-केर (Rotation of crops) की पद्धति, दीखों का गुण, सिचाई-नुविधाओं एवं भूमि-मुद्धार सम्बन्धी स्थिति, विक्री-व्यवरथा, पशुपालन व्यवस्था, सहायक उद्योग, सभी उन्निकाणों से हवारा कृषि-उद्योग अर्थात् पिछड़ी हुई स्थिति में है, जिसके फलस्वरूप कुल एवं प्रति एकड़ उत्तावन अत्यधिक कम है, जो जन्य देशों में पैदा होने वाली उपज का प्राय एक-तिहाई या एक-चौथाई भाग होता है और यह भी सूखा या अकाल के समय लगभग दून्ह बी जाता है।

1. "For generations to come, the progress of wealth and civilization in India must be dependent on her progress in agriculture. There is perhaps no country in the world in which the state has so immediate and direct interest in agriculture. The Government of India is not only a Government but also the chief landlord."¹ —Lord Mayo

2. "In India we have our depressed classes, we have to our depressed industries, and agricultural unfortunates, as one of them."² Dr. Clouston

डॉ० बलाउस्टन का मत है कि भारतवर्ष की कृषि उपज अन्य देशों की तुलना में अद्यधिक कम है। निम्न लालिका में भारतवर्ष के कृषि-उत्पादन की तुलना सरकार के कुछ प्रमुख देशों से की गई है—

प्रति हेक्टर किलोग्राम में भू-उपज (1968 में)

देश	उपज	देश	उपज
घान		कृषि-उपज	
भारत	1610	भारत	120
जापान	5720	इस	830
सं रा अमेरिका	4960	मैक्सिको	730
पेहँ		मौगफली	
भारत	1100	भारत	650
इण्डिया	3550	जापान	2070
मरकी		अमेरिका	
भारत	1000		
अमेरिका	4930		
फारा	5260		

भारत की कृषि उत्पादकता में वृद्धि बड़ी भीगी गति से ही रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में भूमि की उत्पादनशीलता सामान्यतः बढ़ती रही है तथा उसे बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गये। यब से भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारम्भ हुआ है तब से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होई है। सन् 1949-50 से 1970-71 की अवधि में कृषि की उत्पादकता में जो वृद्धि होई है, वह निम्नलिखित लालिका से जानी जा सकती है।

कृषि-उत्पादिता सूचनाएँ

वर्ष	साधारण उत्पादिता	पैर साधारण उत्पादिता	सभी उत्पादों की उत्पादिता
1949-50	100	100	100
1960-61	117	106	118
1965-66	105	103	110
1970-71	146	118	141

भारतवर्ष में कृषि में प्रति अभिक उत्पादन भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत में कृषिकार्य के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, उससे बहुत अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। कृषि क्षेत्र में अब उत्पादकता के सम्बन्ध में ढाँचा बदलीतस्थित का अनुमान है कि भारत में औसत वार्षिक श्रम-उत्पादकता (डालयों में) 105 है, जबकि नार्वे, इण्डिया, कनाडा, जापान, अमेरिका, आर्टेलिया, न्यूज़ीलैंड य एशियाई जर्मनी में क्रमशः 973, 2157, 2126, 2265, 2408, 2442, 3481, 3495 हैं।¹

भारतीय कृषि के पिछड़े होने के कारण

भारतवर्ष में कृषि पिछड़ी हुई दशा में है, यह बात ज्ञान के अध्ययन से पूर्ण रूप से सम्बन्ध हो जाती है। इस पिछड़ेपन के कई कारण हैं, जो साधारण में हाल प्रकार हैं—

1. जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार—जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण भारतीय कृषि अनार्थिक हो गई है, क्योंकि जनसंख्या को दबाव के कारण सेत लोटे-छोटे ही गये हैं जिन पर लाभाद्यक इष्टि नहीं की जा सकती। सेतों को न ही परती लोडा जा सकता है, और न ही पर्याप्त मात्रा में लाद ही दी जा सकती है। प्रो॰ जॉन ई॰ रसेल (John E. Russell) का अनुमान है कि नी एकड़ भूमि पर योलैंड में 31 व्यक्ति, रमानिया में 30 व्यक्ति, बल्गेरिया में 33 व्यक्ति तथा चिटोन में केवल 6 व्यक्ति बास करते हैं, जबकि भारत में प्रायः इन्हीं ही भूमि पर 148 व्यक्ति काम करते हैं। कल्पवेश भारत में भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है।

2. सेतों का छोटा आकार—भारत के सेत बहुत छोटे हैं। यहा किनानों को छोटे-छोटे सेतों में, जो काफी दूरी में बिंदरे हुए होते हैं, सेती बरसी होती है। इससे उनका समय व श्रम नष्ट होता है। वे आधुनिक कृषि-यन्त्रों के प्रयोग से भी वर्जित रह जाते हैं। भारतवर्ष में औसत जोत का आकार लगभग 7.5 एकड़ है, जबकि जर्मनी में 21 एकड़, इण्डिया में 62 एकड़, डेनमार्क में 80 एकड़ तथा अमेरिका में 145 एकड़ हैं। इन प्रकार सेतों का आर्थिक आकार कृषि उपज की वृद्धि के मार्ग में बहुत दूरी बाधा बनती रहता है।

3. सत्ती के पुराने ढा—भारतीय कृषक स्त्रियां ही हैं। वह आज भी उन्हीं

¹ Dr. Balraj Singh: Next Step in Village India, p. 42

पुराने तरीको से खेती करता है जिससे उपज नहीं बढ़ सकती।¹ न तो खेतों को छा से लाद दे पाता है और न ही आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल। दक्षीर के फकीर होने के कारण उसकी खेती की हालत आज भी बेसी ही है जैसी पहले थी, जबकि समार के अन्य देश कृषि उत्पादन में उत्तरीतर वृद्धि करते जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से कृषकों हारा आधुनिक ढग के बन्धों का, जैसे ऊपरे हुए हस्त, परिगतंड, चारा काठने की गशीनें आदि के प्रयोग किये जाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इनका उपयोग अभी बहुत सीमित है। डॉ विलियम कैप के बनुतार ट्रैक्टर द्वारा एक एकड़ जूनाई वरने पर केवल 3 रु. 14 पैसे लागत आती है जबकि दुर्वल पशुओं द्वारा 9 रु. 83 पैसे। इनमें वर्लों के बारे पर 6 रु. 88 पैसे व्यय होते जबकि ट्रैक्टर के पेंट्रोल पर केवल 1 रुपया ही व्यय होता।²

4. खाद का अभाव—भारत में सेनों को गोवर यी खाद दी जाती है। देश में गोवर का प्रयोग उपल दानने में भी किया जाता है, कलस्वरूप लगभग 355 मिलियन टन गोवर उपलों के लिए जला दिया जाता है। हृदी, मठली या आधुनिक नई खादों का प्रयोग बहुत कम है, कलस्वरूप उत्पादकता भी बहुत कम है। गोमानिक खाद खारीदने की धनता न होने के कारण किनार खेतों की आवश्यक खाद नहीं दे पाता।

5. उत्तम बीजों पा अभाव—भारत में अच्छे बीजों को ही बोका जाय, एहत नहीं है। प्रायः विमान के पास जो बीज होते हैं या गाव के महाजन या इनियै से जो बीज मिल जाते हैं, यिसले उन्हें ही यो देगा है। अच्छे बीजों के जभाव म अच्छी कमल की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत के विभिन्न राज्यों में प्रगतिशील बीजों का प्रयोग केवल 18 से 20 प्रतिशत ही होता है।

6. कमज़ोर पशुओं द्वारा खेती—भारत में किन पशुओं द्वारा खेती की जानी है, वे प्रायः दुर्वल होते हैं। न तो उन्हें भर पेट चारा मिल पाता है और न दीपारियों

1. The farmer by using the old type of wooden plough and light appliances works on the field. The plough that looks like a half open pea pod and just scratches the soil and hand sickle made for a child than for a man, the old fashioned iron wing tray that woes the wind to shift the grass from the chaff and rude chopper with its waste of fodder, are still placed from their primitive and immemorial functions."

—M. L. Darling, Punjab Peasant in Prosperity and Debt, p. 157

2. Dr. K. William Kapp, Hindu Culture Economic Development & Planning in India, p. 131.

में मुख्लिन, ऐसे गद्य लेनों की उपज बढ़ाने में समर्थ नहीं हो पाते। पश्चात्रों की नस्ल भी चटिया किस्म की है। कमज़ोर पृथक् पटिया विस्तम के पश्चात्रों से गहरी जुताई सम्भव नहीं होती और बिना गहरी जुताई कृषि लाज नहीं बढ़ाई जा सकती।

7. फसलों के रोग, शीटाणु व चूहों द्वारा शर्ति—समय पर पानी व लाद न मिलने के कारण फसले प्राप्त रोगप्रस्त हो जाती है एवं उनमें कीड़े लग जाते हैं, जो फसलों को चौपट कर देते हैं। प्राय टिहिड़ीयों के दल अच्छी खड़ी हुई फसल को चट कर जाते हैं। राष्ट्रीय व्यावहारिक शौध परिषद (N C A E. R.) का अनुमान है कि भारत के कुल साधारण का 15 प्रतिशत भाग कीड़े-धड़ीओं, टिहिड़ीयों व चूहों द्वारा खेतों में नष्ट बर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत अनाज गोदामों में कीटाणुओं व नूहों द्वारा नष्ट कर दिया जाना है। इस प्रकार प्रतिवर्ष लगभग 1500 करोड़ रु. की शर्ति हो जाती है।

8. कृषकों की निर्धनता—भारतीय हृषक अव्याधिव निर्धन है। वह मुश्किल से अपना भरण-योग्य कर पाता है। येतों में सुपार सम्बन्धी दायें को करने के लिए उपरोक्त पास घन का अभाव रहता है और वह उपज बढ़ाने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। फलस्वरूप कृषि की अवस्था पिछड़ी की पिछड़ी ही रह जाती है। निर्धनता हृषक को कृषि विवास के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। वह कृषि को लाभ की भावना से न करके मुज़र बसार करने की भावना मात्र से करता है, अतः कृषि विकास में किसी बाइवर्यनक प्रगति की कल्पना करना व्यथा है।

9. कृषकों की अविक्षिका—अविक्षिक हैंने के कारण दिग्गज हडियादी है। वह कृषि उपज बढ़ाने के महत्व की भली भावि नहीं समझ पाता। प्राय अपनी शक्तिएँ एवं साधन फालतू कायों में यवा देता है, यवा मुनदमबाबी एवं शादी-विवाह के अवसर पर पानी की नरहं पैसा उहा देता है। यदि इसे वह कृषि उपज बढ़ाने में प्रयोग करे तो उपज निश्चय ही कुछ न कुछ बढ़ सकती है, पर अविक्षिक हैने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता।

10. तिचाई के साधनों का अभाव—भारत जैसे कृषि-प्रधान देश की कृषि व्याप्ति पर निर्भर करती है जो अविक्षिक रहती है। अतः तिचाई के साधनों पर नियतानों को आधित रहना पड़ता है। नोल्ड (Knowels) ने इस सम्बन्ध में टीक ही कहा है, “भारत में मानवून न आये तो कृषि उद्योग में तालेन्बन्दी हो जाय।”¹ भारतवर्ष में कुछ हृषि-योग्य जमिं में 22 प्रतिशत की कृषिग साधना हारा तिचाई नी जाती है तथा 78 प्रतिशत को प्रकृति की कृषि पर ढोड़ दिया जाता है। डॉ० वेप

1. “If monsoon fails, there is a lock-out in Agricultural industry in India.”

—Knowels

के अनुमार मनह पर उपलब्ध जल सम्पदा का 40 प्रतिशत से भी कम भाग मिचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

11. प्राहुडिक प्रकोप—भारत में प्राचिवर्ष बाढ़ों से करोड़ों रुपयों की कृषि उपज नष्ट हो जाती है। नभी-नभी इसी प्रकार सूखा पड़ने से, वर्षा के अभाव ने करोड़ों रुपये की फसल मूल्य कर नष्ट हो जाती है। इस प्रकार भारत अनिवृत्ति, अनावृत्ति, समय से पूर्व वृष्टि तथा समय के बाद तृष्णि की समस्या निरन्तर बनी रहती है। वर्षा की इस अविश्वितता तथा अनियन्त्रितता के फलस्वरूप कृषि को प्रायः भीषण क्षति उठानी पड़ती है। बस्तुत भारतीय कृषि 'मानसनी जुझा' बनकर रह जाती है। वही नहीं, भूमि-कटाव तथा उदंरा वक्ति के क्षय का भी कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

12. कृषकों की अद्याप्रस्तता—भारतीय कृषक भूज में जन्म लेता है, बड़ा है एव मर जाता है, मर कर जृण वा भार वपनी सनानों पर छोड़ जाता है। खेती में ऐदावार एक तो ज्यादा होती ही नहीं और यदि किसी वर्ष अच्छी फसल हो भी गई तो किनाक किंबुलबची में घन गवः बैठता है और जृणी वा जृणी घना रहता है। अद्याप्रस्तत मालीय विमान देनी के पिछड़ेगन को नहीं मुधार सकता।

13. फरारी की विजी हो असुविदा—भारतीय शासी में परिवहन के साधनों का अभाव है। भारतीय कृषक गाव के साहकारे के फरारी होते हैं। इन सबका प्रभाव यह होता है कि गाव में ही उसे अपनी कमल वेचनी पड़ती है। उसे अपनी मेहनत का गूरा लान नहीं मिल पाता, क्योंकि गाव में प्रायः बहुत कम मूल्य पर उसे अपनी फसल बेचने के लिए वाच्य होना पड़ता है।

14. कुटीर उद्योगों का पतन—गाव में कुटीर उद्योगों के पतन के परिणाम-स्वरूप कृषकों की आपदानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत समाप्त हो गया है। जब वे वेरोगमारी वा अर्जुन-त्रोज्यमारी के विवार हो रहे हैं। सभी लोगों के देनी पर आश्रित होने के कारण ये भी अनाधिक हो गई हैं और उपज उत्तरोत्तर घटती जा रही है। कुटीर उद्योगों के पतन ने कृषकों की निधन दरना दिया है। फलस्वरूप वे कृषि में पतन लगाने में अनमर्य हैं।

15. बोगदूर्ण लगान प्रथा—जगेझो के समय जगीदारी प्रथा ने कृषि-नुस्खार के रास्ते में रोडे अटकाये थे। वर्तमान समय में प्रथमि कृषक मू-स्वामी हो गया है, पर यहुत से गिरानों दी जाते जगीदारिक है, अब पै लगान देने में असमर्थ है। वरन्तु उन्हें कुछ न कुछ लगान अब भी देना ही पड़ता है। लगान का यह भूत उन्हें हमेशा मताता रहता है और उन्हें मत लगा कर रहे ही नहीं करते देता।

16 किसानों का पिरा हुआ स्वाध्य—भरपेट भौजन न मिलने के कारण किसान प्राय दुखल रहता है। उन पर भी महामारियों का प्रकोप उसे और भी दुखल एवं बकायेंदुश्ल बना देता है। बीमारियों में प्राय उसे प्रकृति का ही सहारा लेना पड़ता है। स्वाध्य के गिरे हुए हूंते के कारण विस्तार खेती में अधिक परिश्रम नहीं कर पाते। विलाभिन्न परिश्रम के कृषि की उपयोग को बढ़ाना सम्भव नहीं है।

17 निराशावादी एवं भारतवादी दृष्टिकोण—भारतीय किसान 'भारत' कर भरोसा करता है और हाथ पर हाथ घेरे बैठा रहता है। भारतवादी हीने के कारण वह बालभी दृष्टि जाता है। अभावों से भरी जिन्दगी उसमें निराशा बैठा करती है और वह फिर किसी भी कार्य में मत नहीं लगा पाता। परिणामस्वरूप, कदि किसान के नाट्य दृष्टिकोण के कारण पिछड़ी रह जाती है।

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि भारतीय कृषि प्रणाली अद्यन्त दोषपूर्ण है। यह परम्पराओं से जकड़ी हुई है। थोड़ा लशोक मेहना ने दीप ही बहा है, 'शृंपि के क्षेत्र में स्थिरता की रिप्ति ही एक परम्परागत समाज का मुख्य लक्षण है। ऐसे समाज में पुरानी विमी पिटी कृषि की पढ़तिया, पानी य उर्वरकों का अपर्याप्त उपयोग विस्तृत रूप से भूमि की बकाबट एवं मिट्टी का कटाव, इमज़ोर व अलाभप्रद छग के बीच तथा पुराने खेती के यत्र देखते को मिलते हैं।'¹

कृषि की पिछड़ी हुई दशा को सुधारने के सुझाव

भारतीय कृषि के पिछड़ेपन को दूर करना नितान्त आवश्यक है, नियोकि इसके बिना हग न तो देश को खाद्यान्तों के गामले में आत्म निर्भर बना रहते हैं और न ही देश की गम्भीर आर्थिक अवस्था को ही सुधार सकते हैं। यदि भारतवर्ष का आर्थिक उत्थान करना है तो भारतीय कृषि म सुधार परमावश्यक है। यिन्हा कृषि सुधार के देश की दृष्टिकोण दशा से छुटकारा पाना असम्भव सा लगता है।

भारतीय कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नान्त सुझाव भवस्पूर्ण है—

1 आर्थिक जोतों का निर्माण—भारत में कृषि जोतों और अधिक उपचारजनक एवं अपर्याप्त ये रोका जाना चाहिए तथा खेतों के व्यूनतम आकार को निश्चित कर दिया जाना चाहिए ताकि कृषि जोत अनार्थिक न हो सके। यो खेत छोटे-छोटे हैं और विलरे हुए हैं, ऐसे खेतों की नकलनी कर दी जानी चाहिए। चक्कबन्दी के अनियन्त्रित सहकारी खेतों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

1. Ashok Mehta Presidential Address to the 24th Conference of the Indian Society of Agricultural Economics, Dec., 1961

२. मिचाई की उत्तम व्यवस्था—यद्यपि मिचाई वी बड़ी-बड़ी योजनाओं देश में चल रही है और इस क्षेत्र में काम भी किया गया है, तथापि खेती के विस्तृत संत्र अब भी मिचाई की मुविधाओं से बचित है। कुओं, तालांगो, नहरों एवं ट्रॉपर बैलों की सुविधाये खेत के अनुकूल बटाई जानी चाहिए। यिन पर्याप्त मिचाई के साथनों के अच्छे बीज तथा उच्चरक्षों जादि के प्रयोग से योचित लाभ नहीं उठाया जा सकता। भारत में विभिन्न मिचाई योजनाओं के बाबजूद भी अभी तक देश के कुल वर्कन्सों का केवल 10 प्रतिशत भाग ही मिचाई के लिए प्रयुक्त होता है, शेष जल व्यर्थ चला जाता है। अत वृष्टि व्यवस्था को सुधारने के लिए उपलब्ध जल वा अत्युत्तम उपयोग होना चाहिए।

३ भू-जनरासार पर रोक ग्रामीण धेनों में परिवार नियोजन के साथअभी भी प्रभावशाली दृग में कैफ्यता जात ताकि जनमस्था न बढ़ सके, लोगों के खेत आर्थिक बने रह, उनकी स्थिति मुधार सके और वे वृष्टि मुधार में अपना योगदान दे सकें। लोगों को कृपि के अनियन्त्रित जन्म उद्योगों में रोकार देवर भी भूमि पर जनाभार कम किया जा सकता है।

४ कृटीर उद्योगों का विकास . कृटीर एवं लघु उद्योगों के विकास से भूमि पर जनमस्था वी नियंत्रित कर ही जायगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और सोने खेती में मुधार कर सकेंगे। कृषि पर उद्दिन भार होने से हृषि पुन लाभदायक बन्धा हो सकेगी। अब वृष्टि धेन वी बेकारी एवं अर्द्ध-बेकारी को दूर करने के लिए महिम नदम उद्योग जाने चाहिए।

५ कृषि-यन्त्रों का प्रयोग : सरकार को अपने उपर्युक्त योगठनों के माध्यम से खेती के उन्नत एवं आधुनिकतम यन्त्रों को उपलब्ध कराने की व्यावस्था करनी चाहिए ताकि किसानों दो उपित्त एवं कम मूल्य पर कृषि-यन्त्र प्राप्त हो सके और वे इनकी महायना में कृषि-उपज बढ़ा सकें। कुल मिला पर भारत में 12,500 एकड़ पर एक ट्रैक्टर है, जबकि अब देशी में इतने ही कृषि धेन पर ट्रैक्टर इस प्रकार हैं, जापान 9, परियासी अमेरी 33, डेनमार्क 57 तथा ब्रिटेन 106। उत्पादन बढ़ि के लिए हृषि यन्त्रों में बढ़ि करना बहवल्त आवश्यक है।

६ उत्तम कोटि के बीजों का प्रयोग सरकार को विभिन्न फसलों के उत्तम बीजों के नमूने में अनुमधन बनाना चाहिए गया उचित मूल्य पर इन बीजों को किसानों द्वारा पृष्ठान्त की रायकस्था करनी चाहिए। ऐसा नहीं से हृषि उपज में 20 प्रतिशत तक बढ़ोनी की जा सकती है। इसके लिए प्राप्तेक जिले में सरकारी अधिकारी कामों वी रायपना वी जानी चाहिए, जहां सुधरे बीजों वी खेती करके उनकी मात्रा बढ़ाई जा सके। बीजों दो सुरक्षित रखने के लिए अच्छे बीज गोदामों वी स्थापना भी वी जानी चाहिए।

7 खाद का प्रयोग देश में हीते बाके गोदार वा दुम्पबोग रोकना चाहिए तथा उसे केवल खाद के रूप में ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। प्रचार द्वारा इसानों को अच्छी खाद के महत्व से परिचित कराना चाहिए। रामायनिक खाद को, जो अपने देश में बनाई जा रही है, उचित मूल्य पर वितरित करने की व्यवस्था इसी जानी चाहिए। उचित प्रकार की खादों से कृषि उपज को दूना किया जा सकता है। भारत में लगभग 10 लाख टन में भी अधिक ग्रामायनिक खाद की मात्रा है, जबकि आवश्यक तथा देश के उत्पादन से कवल 6 लाख टन खाद ही उपलब्ध हो पानी है। अत खाद के उत्पादन के बूढ़ि तथा इनके वितरण में सुधार करके इसका कृषि उपज बढ़ाने के लिए यथोनित उपयोग किया जाना चाहिए।

8 पशुओं की दशा में सुधार खत्ती के बायें में आने वाले तमाम पशुओं को खार की पर्याप्त मात्रा मिलनी चाहिए। उनके रोगों के इलाज एवं उनकी नस्ल सुधारने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। बुल लोगों का यह भी सुझाव है कि बूढ़े एवं शर्कित होने वाले पशुओं को विषट् जर दिया जाय इससे बचे हुए पशुओं को भर पैट द्वारा मिळ सकेगा तथा पशु-नस्ल सुधार सकेगी।

9 सहकारिता का प्रसार : गाड़ी में महकारी आनंदोलन का विकास किया जाना चाहिए। सहकारी सेवा, सहकारी कृषि साल, सहकारी विषयन व्यवस्था आदि किसानों की अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाई जा सकती है। भारतीय कृषि की पिछड़ी हुई दशा से अगर कोई मुखिय दिला मिलता है तो वह सहकारी आनंदोलन ही है।

10 कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार भारतवर्ष की भूमि का एक बहुत बड़ा भाग देकार पड़ा हुआ है। एक अनुमान के अनुमान भारत की लगभग 80 करोड़ एकड़ गुणि में से केवल 32 करोड़ एकड़ भूमि में ही कृषि की जाती है। क्षेत्र भूमि जगत, महस्यल, अधबा वजर के रूप में है। अत जगलों को साफ बरके तथा महस्यलीय भूमि में मिचाई सुविधाओं का विस्तार करके कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में बूढ़ी की जानी चाहिए। तराई की सादर योजना, उडीसा की दाढ़कारण योजना एवं तत्त्वी राजस्थान की नहरी मिचाई योजनाओं की भावि सम्य योजनाएँ अपनाई जानी चाहिए।

11 अन्य सुझाव कृषि अवस्था को सुधारने के लिए अन्य अनेक सुझाव दिये जा नक्ते हैं, यथा (क) फसलों की कोटाइयों से रक्षा की व्यवस्था, (ख) कृषि को में शिक्षा प्रसार, (ग) भूमि संरक्षण की व्यवस्था, (घ) कूर्चि विषयन की उचित व्यवस्था, (ङ) ग्रामीण क्षेत्र में विविहन के साधनों का विकास, (च) कृषि गाउँ की व्यवस्था, (छ) कृषि के क्षेत्र में नए-नए अनुसाधानों द्वारा उपज बढ़ाने के लिए प्रवर्तन (ज) फल त्रिनियोगिताओं द्वारा कृषकों का प्रोत्साहन, तथा (झ) कृषकों में कृषि के प्रनि आशादारी इटिकोण पेंदा करना आदि।

संक्षेप में, भारत जैसे अद्वैतिक सित देश में, जहाँ कृषि को देश की भवं-व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, कृषि की उन्नति मुख्यतः उत्तम खाद, अच्छे धीज, कीटो-मकोड़ों को मारने वीं दबा तथा मिचाई की सुविधा आदि पर निर्भर करती है। इस सन्दर्भ में प्रो. लिविस (Lewis) का निम्नांकित कथन महत्वपूर्ण है-

"The secret of rapid agricultural progress in the under-developed countries is to be found much more in agricultural extension in fertilisers, in new seeds, in pesticides and in water supplies than in altering the size of the farm, introducing machinery, or in getting rid of middle-men in marketing operation."¹

प्रश्न

१ हमारी ग्राम्यीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि के महत्व का विवेचन कीजिए और भारतीय कृषि में वर्म उत्पादकता के नारणों का उल्लेख कीजिए।

(राज. वि. प्रश्न अर्थ टी. डी. सी. १९६५)

२ भारतीय कृषि के पिछड़पन के बारण बताइये। आपके मतानुसार कृषि के पिछड़पन का रास्ते महत्वपूर्ण कारण कौन-न्मा है? उत्तर को पुष्टि के लिए कारण दीजिए।

(रा. वि. वो. वो. ए. १९६०)

३ कृषि उपज कम होने के नारणों पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(रा. वि. वि. वो. ए. १९६३)

४ भारतीय कृषि-मुख्यार को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन कीजिए और यह भी समझाइये कि इसकी गति अधिक तीव्र कैसे की जा सकती है?

(राज. वो. ए. १९६६)

५ भारत में प्रति एकड़ कृषि उत्पत्ति कम होने के क्या कारण है? इसे बढ़ाने के उपाय बताइये।

(अग्ररा वो. ए. १९६२)

६ भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएँ कौन सी हैं? उनको हल करने के लिए अपने सुझाव दीजिए।

(राजस्थान प्रश्न अर्थ टी. डी. सी. कला १९६९)

भारत में भूमि का उपयोग, कृषि-उपज एवं फसलों का स्वरूप

(Land Utilisation, Agricultural Products and Cropping Pattern
in India)

"Every village's first concern will be to grow its own food crops and cotton for its cloth. It should have a reserve for its cattle, recreation and play ground for adults and children. Then if there is more land available it will grow useful money crops thus excluding tobacco, opium and the like."

— MAHATMA GANDHI

भारत में भूमि का उपयोग (Land Utilisation in India)

किसी देश के आर्थिक विकास में उस देश की सम्पूर्ण भूमि का प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु उस भूमि के केवल उस भाग का प्रभाव पड़ता है जिसका किसी न किसी आर्थिक क्रिया में उपयोग किया जा सके। किसी देश की समस्त भूमि कृषि उपयोग के लिए भी उपलब्ध नहीं होती। देश के कुछ भू-क्षेत्र में बन, पहाड़, झील, चारागाह, मकान, सड़क, नहर, रेल आदि अनेक दूसरे उपयोगों के लिए भूमि छोड़ने के अतिरिक्त हमें वह भूमि भी छोड़नी पड़ती है जो मरुथल, दलदल आदि की हार्ट से कृषि के काम नहीं आ सकती है। उक्षेप में किसी भी देश में कुछ भौगोलिक क्षेत्र में से ढूँढ़ सबको निवासने के पश्चात जो भू-भाग बचता है, वही कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाया जाना है।

भारतवर्ष में कुल भौगोलिक क्षेत्र 32 68 हैक्टर अथवा 81 करोड़ एकड़ है। इसमें से 30 56 करोड़ हैक्टर अर्थात् 93 5 प्रतिशत भूमि की जानकारी के आनंदे उपलब्ध है, लेकिन शेष 2 12 करोड़ हैक्टर क्षेत्र की जानकारी से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कुल भू-क्षेत्र में से 19 42 करोड़ हैक्टर भूमि कृषि-योग्य है। शेष 13 26 करोड़ हैक्टर क्षेत्र पर कृषि नहीं की जा सकती है, अर्थात् 41 प्रतिशत

भूमि हृषि कार्य में नहीं आ रही है। भारतवर्ष में सन् 1950-51 व 1967-68 में भूमि के उपयोग की स्थिति निम्न तालिका में दिए गए आवड़ों में ज्ञात की जा सकती है :

भूमि पर उपयोग (हेक्टेड में)

मद	1950-51	1967-68
1 कुल क्षेत्र जिसके बाहर है उपलब्ध है	26.43	30.21
2 बन	4.05	6.23
3 वृक्षों की फसलें व वृक्ष-ज्ञागूह की भूमि	1.99	0.41
4 स्थायी चारागाह व गाँवर भूमि	0.67	1.39
5 ऊनर व हृषि के अयोग्य भूमि एवं ये नीं ने अनियन्त्रित अन्य कार्यों में प्रयुक्त भूमि	4.75	4.81
6 हृषि-योग्य बजर भूमि	2.29	1.66
7. चालू परती छोड़ कर अन्य गती भूमि	1.74	0.87
8 चालू परती	1.07	1.21
9 विशुद्ध हृषि क्षेत्र	11.87	13.97
10 एक रो अधिक दान हृषित क्षेत्र	1.92	2.33
11 कुल हृषित क्षेत्र	13.19	16.30

भारतवर्ष में 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 5470 लाख है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा 0.6 हेक्टर बानी है। यदि हम कुल भू-क्षेत्र से हृषि व्ययोग्य भूमि नो हटा दे तथा तृप्ति पर्वतों, पठारों से विद्यु हुई भूमि, कन्ठ कारण, राजस्पाति का मरुस्थल आदि वे नियाम दे तो प्रति व्यक्ति हृषि योग्य भूमि जो 1961 में 0.30 थी वह 1971 में घट कर 0.25 हेक्टर रह गई। खेती-योग्य भूमि में तृढ़ि की अपेक्षा जनसंख्या में कही अधिक नीत्र गति से पृष्ठ होने के कारण प्रति-व्यक्ति भू-क्षेत्र का घटना स्वाभाविक ही है।

यद्यपि प्रति व्यक्ति भू-क्षेत्र हमारे देश में 0.25 है तथापि यदि हम प्रति हृषक भू-क्षेत्र जो ले तो यह 1.75 हेक्टर होता है, योकि 1971 की जनगणना के अनुसार देश में 787 लाख हृषक व जो 1380 लाख हेक्टर तुवाई की भूमि के स्थानी थे और इस भूमि पर लेनी चारते थे। अधिक भारतीय ग्रामीण साख मन्देश्वर के प्रतिवेदन के अनुसार भारतवर्ष में वहे हृषक जो कुल हृषकों का 30 प्रतिशत है, कुल तुवाई क्षेत्र के 58 प्रतिशत भाग ग खेती करते हैं। इन वहे हृषकों में से उपर के 10% हृषकों के पास 30 प्रतिशत तुवाई का भेत्र है। मध्यम हृषक, जो कुल हृषकों का 40% है, 30% से भी कम क्षेत्र पर तुवाई करते हैं। छोटे विमान जिम्बा-

अनुप्राप्त लगभग 30 प्रतिशत है, केवल 10 प्रतिशत से कुछ ही अधिक क्षेत्र पर युवाई करते हैं। यदि हम औसत युवाई क्षेत्र के हिसाब से देखें तो देश के बड़े कृषकों के पास 12 हैक्टर या कुछ अधिक, मध्यम कृषकों के पास 25 हैक्टर या इससे कुछ अधिक तथा छोटे किसानों के पास केवल 120 हैक्टर की ही जोते उपलब्ध हैं। इस प्रकार भारतवर्ष में न केवल युवाई क्षेत्र का वितरण ही असमान है, अपितु प्रति कृषक मूलि की गामा भी बहुत कम है।

कृषि उपज

भारतवर्ष एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध प्रकार की मिट्टी पायी जाती है। यही कारण है कि भारतवर्ष में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। हमारे देश का कुल भू-क्षेत्र 81 करोड़ एकड़ है। समस्त भू-क्षेत्र में से केवल 39.4%, भूमि पर ही वास्तविक उप से कृषि की जाती है। कृषि-योग्य मूलि गें से केवल 5.15 करोड़ क्षेत्र पर वर्षे गे एक से अधिक किसानों उगाई जाती है।

भारत की फसलें—समस्त भारत में सामान्यतः भौगोलिक के अनुसार निम्न-लिखित दो फसलें होती हैं—

1 खरोफ—इसमें ज्वार, दाघरा, मवका, चावल (धान), मूँग, उड्ड, जूट, सम्भाव, कपास, तिळहन, गन्धा आदि कृषि प्रकार उगाई जाती है। ये फसलें जून या जुलाई माह में बोई जाती हैं और अक्टूबर या नवम्बर में काट ली जाती है।

2 रबी—इसमें गेहूँ चना, जौ, अलसी, राई आदि की फसलें उगाई जाती हैं। ये फसलें अक्टूबर या नवम्बर में बोई जाती हैं और अप्रैल या मई में काट ली जाती है।

उक्त फसलों के अनियन्त्रित कुछ ऐसी भी फसलें हैं जो वर्षे भर खड़ी रहती हैं। इन्‌हाँ बारहमासी कसले कहते हैं, जैसे गरमा, चाय, कहवा, नारियल इत्यादि।

इकानोमिक टाइम्स के अनुसार विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार सन् 1964-65 में, कुल कृषि-उत्पादन में खरीक की कसलों का भाग 62% था, रवी की कसलों का भाग 24% था और बारहमासी कसलों का भाग 14% था। केवल गायानों के उत्पादन में खरीक की कसलों का भाग 71% था तथा रवी की कसलों का भाग 29%, था।

कसलों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है—

(क) साधा कसले तथा (ख) अ-साधा कसले।

(क) साधा कसले—हमारे देश की प्रमुख साधा कसले निम्नलिखित हैं—

1 चावल—भारत में चावल अधिकार्थ जनसंख्या का भोज्य पदार्थ है।

इसके लिये तेज गर्भी तथा अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिये इसको

पैदावार नदी के डेल्टाओं, तटीय प्रदेशों एवं मानवन के दिनों बाहु से घिर जाने वाले क्षेत्रों में होती है। यह मुख्यत चमाल, पिहार, उडीसा, मध्य प्रदेश, नामिलनाडू, उन्नर प्रदेश, झजग और महाराष्ट्र में पैदा किया जाता है। हमारे देश में धान की कई विस्त्रे खोई जाती है तथा धान जी क्षेत्री में अनेक नरीकों का उपयोग किया जाता है।

भारत में साधानों के उत्पादन के लगभग 40%, भाग में चावल होता है। विश्व के चावल उत्पादन क्षेत्र का 33%, भाग भारतवर्ष में है। इस प्रकार भारतवर्ष विश्व में चीन के बाद चावल का प्रमुख उत्पादक है। सन् 1935 ई. में दर्मा के भारत से निवल जाने के बाद हमारी आत्मनिर्भरता समाप्त हो गयी है और अब हमें विदेशों से चावल आपान करना पड़ता है। सन् 1970-71 में 424 लाख टन चावल पैदा हुआ जो कि 374 लाख हैंटर भूमि पर बोया गया था तथा इसकी 1134 किलो ग्राम प्रति हैंटर थी। सन् 1950-51 में यह 380 लाख हैंटर भूमि पर बोया गया था तथा 206 लाख टन पैदा हुआ। उस समय इसकी उत्पादना 668 किलोग्राम प्रति हैंटर थी। योजनावाल में चावल का उत्पादन लगभग 92 प्रतिशत था।

भारत में चावल की पैदावार बढ़ाने के लिये जापानी दग वा प्रयोग किया जा रहा है और आदा है कि निकट भविष्य में हम आत्मनिर्भर हो जावें। इस ही में चावल (घास) की 11 नई विस्त्रे प्रारम्भ की गई है।

2 ऐह—ऐह उनरी भारत के लोगों का मुख्य भोजन है। इसके लिये ठाड़ी और शुष्क जलवायु नी आवश्यकता पड़ती है। इनका उत्पादन उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, विहार, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान में होता है। साधानों के कुल उत्पादन में 12% भाग गेहू़ वा है। सन् 1970-71 में 179 लाख हैंटर भूमि पर ऐह बोया गया था तथा 232 लाख टन इसकी उपज हुई थी। इसकी उत्पादना 1299 किलोग्राम प्रति हैंटर थी। जबकि 1950-51 में यह 97 लाख हैंटर क्षेत्र में बोया गया था, 64 लाख टन पैदा हुआ था तथा इसकी उत्पादना केवल 663 किलोग्राम प्रति हैंटर थी। इस प्रकार 1950-51 से 1970-71 के मध्य गेहू़ के क्षेत्र में 84 प्रतिशत और उपज में 36.3 प्रतिशत बढ़ि हुई। देश के विभाजन के पश्चात् गेहू़ के उत्पादन में भी भारत बब आत्मनिर्भर नहीं रहा है और इसका विदेशी से आपान किया जाता है।

3 उदार-वाकरा—ये साधान निर्धन व्यक्तियों के भोजन के हृष में प्रयोग होते हैं, क्योंकि ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। ये दोनों ही खारीक की कमले हैं तथा इनके लिए गर्म तथा शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। ये कहाले भारत के विभिन्न भागों में उत्पादित जाती है। महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तामि लनगढ़,

पंजाब, राजस्थान, विहार तथा उत्तर प्रदेश में ये साधारण प्रमुखता उत्पादे जाते हैं। ज्वार की ओसत प्रति हैक्टर उपज 1970-71 में 470 किलोग्राम तथा बाजरे की 620 किलोग्राम थी।

4. मक्का (Maize)—यह पशु खाद्य एवं मानवीय आहार दोनों के लिए ही प्रमुखता किया जाता है। इस फसल का औद्योगिक महत्व भी है। मक्का की खेती यद्यपि सारे भारतवर्ष में होती है तथापि उत्तर प्रदेश, विहार एवं पंजाब इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। विगत नियोजन काल में इसकी फसल के क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों में ही वृद्धि हुई है। सन् 1950-51 व 1970-71 में इसकी कमल के क्षेत्रफल में 87 प्रतिशत और उत्पादन में 232 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सन् 1970-71 में 74 लाख टन मक्का पैदा हुई थी। तथा 58 लाख हैक्टर भूमि में बोई गई थी। इसकी उत्पादिता इस वर्ष 1270 किलोग्राम प्रति हैक्टर थी।

5. जी (Barley)—यह गेहू के ही आकार का होता है तथा इसे अपेक्षाकृत कम उपजाऊ भूमि एवं पानी की आवश्यकता होती है। इसका महत्व साधारण के साथ-साथ नगदी फसल के रूप में भी है, यद्योकि इससे बीयर (Beer) भी बनायी जाती है। भारत में जी मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान में उत्पादा जाता है। भारत में 1970-71 में 26 लाख हैक्टर भूमि में जी बोया गया था तथा लगभग 29 लाख टन उत्पादन हुआ जबकि 1950-51 में वह 31 लाख हैक्टर भूमि पर बोया गया था तथा 24 लाख टन पैदा हुआ था।

6. चना (Gram)—यह गेहू व जी के साथ ही बोया जाता है तथा इसके लिए उच्च अवश्यकता, बहुत ही मिट्टी व कम वर्षा की आवश्यकता होती है। चना मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गढ़वाराण्ड, गुजरात, विहार, आधि प्रदेश व पश्चिम बंगाल में बोया जाता है। भारत में लगभग 10 लाख हैक्टर भूमि पर चना बोया जाता है और प्रति वर्ष लगभग 58 लाख टन पैदा होता है।

7. दालें (Pulses)—बने के अलादा भूमि, उड्ढ, मटर, मसूर, मोठ, अरहर आदि की दालें भी देश भर में बोई जाती हैं। शाकाहारी लोगों के लिए यह प्रोटीन वा मासूक स्रोत है तथा भनुष्य के शोजन के आवश्यक जग है। भारतवर्ष में 1970-71 में 224 लाख हैक्टर भूमि में दाले बोई गई थी जोर 116 लाख टन उत्पादन की गई थी।

(ख) अ-खाद्य फसलें—अ-खाद्य फसलों में तनु या रेशे वाली फसलें, ये फसलें व अन्य फसलें जाती हैं।

(अ) तनु या रेशे वाली फसलें—भारत में रेशे वाली फसलों में पटसन व कमाच मुख्य है—

१ कपास—यह भारत की सबसे बड़ी रेणु वाली पसंद है। हमारे में कपास पैदा करने वाले देशों में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में कपास प्रायः सभी भागों में बोई जाती है, परन्तु उत्पादन की हिटि में दक्षिण भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र इसके लिए सर्वोत्तम है। गुजरात, बाह्य झीलेश व मद्रास में भी कपास सैदा की जाती है। भारत में इस समय बुल कृषि क्षेत्र के ४८ प्रतिशत भाग में कपास पैदा की जाती है। भारतवर्ष में सन् १९५०-५१ में ५९ लाख हेक्टर क्षेत्र में कपास बोई गई तथा २९ लाख शाठ कपास का उत्पादन हुआ। सन् १९७०-७१ में ७६ लाख हेक्टर भूमि पर इसे बोगा गधा तथा ४६ लाख गाढ़ी का उत्पादन हुआ। इस वर्ष कपास की उत्पादिता १०८ किलोग्राम प्रति हेक्टर थी, जबकि १९५१ में वह केवल ४४ किलोग्राम प्रति हेक्टर थी। भारत में वीं जाने वाली कपास की विस्त्रित विद्या होती है। वर्त दम्भे रेज की विधान आवश्यकी जाती है।

२ पटसन या जूट—जूट की सेती के लिए गर्म तथा तर बहुत बहुत नदी द्वारा लाई हुई मिट्टी सपा वर्षावा दर्पण की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में जूट मूल्यवान् ५० बगाल, बिहार, आसाम द्वीर उडीगा म संग्राम जाता है। कुल उपज की आधी मात्रा बेंगल बगाल में ही पायी जाती है तथा आसाम व बिहार में लगभग २०-२० प्रतिशत उत्पादन होता है। बिहार में पूर्व अखड़ भारत की जूट के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त था। बिहार के कृष्णस्वरूप बगाल प्रान्त के पटसन लगाने वाले क्षेत्र का एक तिहाई भाग पाकिस्तान में छला गया, जबकि पटसन के भारे कारखाने भारत में ही रह गये। इन कारखानों के लिए कभी माल की गुणित्यवस्था के लिए यह आवश्यक हो गया कि जूट वीं उपज बढ़ाई जाव। सन् १९७०-७१ में लगभग ७५० लाख हेक्टर भूमि में जूट की लेती की गई और ४९ लाख गाढ़ी वैद्या की गई। भारत में जूट का प्रयोग बोरियाँ, पर्व, दरियाँ आदि बनाने में किया जाता है।

(अ) पेय कक्षले—पेय कक्षले में चाय, वहना व तम्बाकू की शामिल किया जा सकता है। चाय व बहुत तो उत्तेजक पेय माने जाते हैं और तम्बाकू तना पौधा करने वाला पदार्थ माना जाता है।

३ चाय—भारतवर्ष विश्व में चाय उत्पादन करने वाले देशों में सर्वप्रथम है तथा चाय निर्यात भरने वाले देशों में भी भारत का नाम सर्वप्रथम आता है। चाय सुरक्षा के मुद्दे क्षेत्र आसाम, ५० बगाल, काशी की घाटी तथा तीनगिनी की पहाड़ियाँ हैं। भारतवर्ष में १९७०-७१ में लगभग ३,५३,००० हेक्टर भूमि पर चाय गई और ४ लाख २२ हजार टन उत्पादित ही गई। देश में कुल उत्पादन का लगभग ३० से ३५ प्रतिशत भाग उत्पादों किया जाता है, शेष निर्यात कर दिया जाता है, ब्रिटिश के कृष्णस्वरूप लगभग १० करोड़ रुपये के नीचे भरवार के पौधे में आ जाने हैं।

भारत में कृषि उपज

2 बायो या कहवा—नाय की भाँति कहवे भी पहाड़ी ढालों पर उगाया जाता है। भारत में मैसूरु राज्य में देश के बुल उत्पादन की 80% प्रतिशत नहवा उत्पन्न विधा जाता है। तामिलनाडू व केरल में भी कहवे का उत्पादन होता है। हमारे देश में लगभग 11 करोड़ हेक्टर भूमि पर कहवा बोदा जाता है। सन् 1970-71 में यांको का उत्पादन 108000 टन हुआ।

3 तम्बाकू—तम्बाकू उत्पादन के द्वेष में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तम्बाकू के लिए उपजाऊ भूमि एवं शिचाई की आवश्यकता पड़ती है। भारत में बगल, गुजरात, महाराष्ट्र, आनंद, विहार व तामिलनाडू तम्बाकू उत्पादन के क्षेत्र हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में भी छोटी बहुत गाँवों में तम्बाकू पैदा की जाती है। भारत में 1970-71 में तम्बाकू 45 लाख हेक्टर भूमि में बोई गई और 344 लाख टन पैदा की गई। भारत विदेशों को तम्बाकू का निर्यात करता है।

(ii) अन्य फसलें (i) गन्ना—गन्ने की पैदावार के लिये उपजाऊ जमीन, तेज गर्मी, चिकनी चिट्ठी तथा तेज बर्पा की आवश्यकता होती है। भारत में गन्ने के उत्पादन क्षेत्र उत्तर प्रदेश, विहार, १० बगल, पंजाब व महाराष्ट्र हैं। भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में भी गन्ना पैदा होता है, परन्तु उत्तर प्रदेश के मुकाबले में कम पैदा होता है। उत्तरी क्षेत्रों में लगभग 70% गन्ने की उपज होती है। दक्षिणी क्षेत्र में प्रति एकड़ गन्ने की उपज अधिक है और साथ ही यह काफी रक्षार भी होता है। 1970-71 में भारतवर्ष में गन्ने की खेती 27 लाख हेक्टर भूमि पर की गई और 132 लाख टन गन्ने का उत्पादन किया गया। प्रति हेक्टर गन्ने का उत्पादन 4966 लाख टन था। 1950-51 से सन् 1970-71 तक गन्ने की फसल के क्षेत्र में 60 प्रतिशत तथा उपज में 135 प्रतिशत बढ़ि हुई।

(iii) तिलहन—भारतवर्ष में पैदा की जाने वाले मुख्य तिलहन हैं—गूगफली, अलसी, एण्ड, गरसो, तिल, बिनीला, नारियल आदि। तिलहन का प्रयोग भोजन बनाने में तो किया हो जाता है, साथ ही साथ सादूल, दबादर्या, इत्र, बानिस आदि के निर्माण में भी इनका प्रयोग होता है। विश्व के तिलहन उत्पादक देशों में भारत का प्रमुख स्थान है। गूगफली के उत्पादन में तो भारत विश्व में प्रथम है। अलसी के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है तथा एण्ड के उत्पादन में तो भारत को एकाधिकार प्राप्त है। भारत में लगभग कुल कृषि के 8.6% भाग में तिलहन बोए जाते हैं। सन् 1970-71 में 153 लाख हेक्टर भूमि पर तिलहन की खेती की गई तथा 92 लाख टन तिलहन पैदा किया गया। प्रति हेक्टर तिलहन का उत्पादन 599 किलोग्राम था।

(iv) रबड़—भारत में रबड़ मुख्यतः दक्षिण भागों में ही पैदा किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तामिलनाडू, मैसूरु एवं केरल हैं। भारत का अधिकांश

रबड़ केरल में उगाया जाता है। भारत में लगभग 1 लाख 55 हजार हेक्टर भूमि पर रबड़ उगाया जाता है और लगभग 46 हजार टन पैदा किया जाता है।

अन्य फसलों एवं दूपजों के अतिरिक्त भारत में जन्य वस्तुओं भी पैदा की जाती है। यदि प्रकार के फल एवं सम्बिन्धिया भी उगाई जाती हैं। तब तो यह है कि भारत-वर्ष में उगाई जाने वाली समाप्त वस्तुओं का उखलेम करना कठिन है, परन्तु जिन वस्तुओं का आर्थिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक महत्व है, उन्हीं का वर्णन इस अध्याय में किया गया है।

भारत में फसलों का स्वरूप (Cropping Patterns in India)

एक प्रगतिशील देश ने फसलों का स्वरूप देश की परिस्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता रहता चाहिये, तभी उस देश की कुण्डि-प्रधानी उस देश के आर्थिक विकास में वरदान काढ़ित हो सकती है। फसलों के स्वरूप में क्षिरता कृषि-क्षेत्र की प्रगति को चुनौती देती है तथा राष्ट्र के नियोजित विकास में वाधा दिनारी है। आज हम नियोजन के मुग में रह रहे हैं। हम देश में उन्हीं और उन्हीं ही बारतीयों का उत्पादन करना चाहते हैं, जिनकी तथा जिनकी देश को आवश्यकता है। यदि कृषि उत्पादन अनियोजित तथा आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो और फसलों का स्वरूप देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बदला जा सके तो नियोजन, खासकर कृषि क्षेत्र में, अग्रहण हो जायेगा। अत आज के मुपर में फसलों के स्वरूप तथा देश की आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन भी सम्भालना का होना अतिआवश्यक है।

फसलों के स्वरूप में परिवर्तन की सम्भावना फसलों के स्वरूप में परिवर्तन करना सम्भव है अथवा नहीं, यह एक विवादास्पद प्रियग है। कुछ विद्वानों ने मत है कि फसलों के स्वरूप की बदलना असम्भव है या अत्यधिक कठिन है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने यह मत है कि फसलों के स्वरूप को बदला जा सकता है। श्री एम. एन. सिन्हा के अनुसार फसलों को नहीं बदला जा सकता। उसका कहना है कि, “परम्परानुद तथा ज्ञान के अत्यन्त निम्न स्तर वाले देश ने, कृषक नवे प्रयोग करने की सेवार नहीं होता। ने हर एक बात को चादासीनता एवं भाग्यवादिना की मानवा से स्वीकार करते हैं। उनके लिये लेती व्यापार की वस्तु न होकर बोयन की एक प्रणाली है। एक कुण्डि-प्रधान समाज में, जिनके सदस्य परम्पराओं में बहुत ही एक अविशित है, कल में परिवर्तन की अधिक भास्त्रावना नहीं रहती है।”¹

भारत जैसे हृषीकारी एवं प्रजातात्क्रिक देश में वी सिन्हा का उक्त मत कुछ-

¹ S. N. Sinha Economics of Cropping Patterns, AICC Economic Review, Vol. I no. 1964

कुछ सही हो सकता है, व्योकि प्रजातात्रिक देश में सरकार के पास ऐसे अधिकार नहीं होते कि वह किसलो की फसल विशेष को उगाने या न उगाने के लिए बाध्य कर सके। ऐसे देशों में फसलों के स्वरूप गे परिवर्तन के लिए न तो नियंत्रण ही किया जा सकता है और न नियंत्रण हो दिया जा सकता है। फिर भी उन स्थानों में जहाँ जा सकता है और न नियंत्रण हो दिया जा सकता है, फसलों के स्वरूप वो बदला जा सकता पहली बार सेवी की व्यवस्था की जा रही हो, फसलों के स्वरूप वो बदला जा सकता है। ऐसी व्यवस्था में भरकार यीज, गानी, खाद, खजन या आधिक सहायता देकर फसलों के स्वरूप में परिवर्तन वरा सकती है।

समाजवादी देशों में फसलों के स्वरूप में परिवर्तन करना अपेक्षाकृत आमान नाम है। ऐसे देशों की सरकारों को केवल यह तथ जरना होता है कि वोन मी कमल और किनी भूमि पर उगाई जानी चाहिए। यदि सरकार ने इन सम्बन्ध में अनियंत्रित ले लिया है तो सरकारी घरों के प्रबन्धक। एवं कृषकों को यह नियम लागू करना ही होगा।

फसलों के स्वरूप को नियंत्रित करने वाले तथ्य

फसलों के स्वरूपों नियंत्रित करने वाले कई वार्षिक वार्षिक विद्या हैं, जिनमें से प्रमुख यह है—

(क) भौतिक कारण फसलों के स्वरूप की नियंत्रित करने में किसी प्रदेश विशेष की मिट्टी, जलवायु, वर्षा आदि या महावृष्टि योगदान रहता है। उदाहरणार्थ, यदि घार व बाजार जूँक अमीन य बम वर्षा वाले क्षेत्रों में हो सकता है तो क्षाम के लिए बाली मिट्टी लाहर भट्टे दे लिए उगाऊ दूसर मिट्टी को लावड़ियता होती है धान के लिए वर्षा की अधिकता होता होता आवश्यक है। अन मासाचूल फसलों का स्वरूप भौतिक या भौगोलिक वारंगों पर निर्भर परता है। यदि इन कारणों में परिवर्तन हो जाय या प्रमुख भौतिक परिवर्तियों को अपन अनुकूल बना तक तथा सिचाई, खाद आदि के हारा तो फसलों के स्वरूप को बदला जा सकता है।

(ख) आधिक कारण देश की फसलों के स्वरूप का प्रभावित करन म आधिक कारणों का बहुत बड़ा हाय होता है। आज के भौतिकवादी युग भ दिमान इन कारणों से काफ़े प्रभावित होता है। आधिक दृश्यों म विभा मुख्य है—

1. कृषि व्यवस्थाओं के मूल्यों में परिवर्तन—जिन कृषि वस्तुओं के मूल्य उच्च होते हैं, किसान प्राप्त उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में जुट जाते हैं। इसके विपरीत जिन वस्तुओं के मूल्य नीच हैं या निरते रहते हैं, किसान ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कम या घन्व कर दते हैं। आवड़ारिक अधिकारों से मूल्य य परिवर्तनों और फसलों के ढाओं में परस्पर सम्बन्ध स्थापित होता है। याक और कृषि मन्त्रालय ने भी इस सम्बन्ध में जो तथ्य प्रक्रिति किये हैं उनके यह जान होता है कि मूल्यों में परिवर्तन का उत्तु विशेष के उत्पादन के शक्तिकूल पर प्रभाव पड़ता है।

२ अधिक साम्राज्य आय की सम्भावना—कुछ विद्वानों का मत है कि किसान की अधिक आय की अभिलाषा फसलों के ढाने या स्वदृप पर प्रभाव धालती है। किसान प्राय उन्हीं फसलों की चागाना चाहते हैं जिनसे उन्हें अपेक्षाकृत अधिक आय प्राप्ति की सम्भावना होती है। इन सम्बन्ध में डॉ० राजकृष्ण वा मत है कि फसलों के स्वदृप को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण फसल का प्रति एकड़ बारें लाभ होता है। यदि किसी एक फग्न का अपेक्ष लाभ अन्य फसल से नम है, तो कुछ पहली बाली फसल को जगह दूसरी फसल हो दैदा बरेग।

३ खेत का व्यापार—खेत के आकार और फसलों के स्वदृप से प्रतिष्ठ सम्बन्ध रहता है। छोटे से खेत रखने वाले किसान वहे से रखने वाले विद्वानों वी अपेक्षा अधिकारिक फसलों के लिये नम धोषकृत वा प्रयोग करते हैं जबकि भवसे पहले वे अपनी आवश्यकता नी दूर्ति के लिए साथ पदार्थों वा उत्पादन करना चाहते हैं, यदि उसके बाद जीवन वा टुकड़ा बच जाता है, तब वे अधिकारिक फसलें उगाते हैं, अन्यथा नहीं।

४ जीवित के विद्वद् बीमा—भौतिक कारणों से फसलों के नाट हो जाने के भय में कभी कभी किसान गाया-य फसल के बजाय अन्य फसलें बी दरते हैं, जिनके बोने में नग रो बग जीवित होती है। उदाहरणार्थ, नूपुर धोनो में गेहूं व बांकर ज्वार आजगा इनलिए बोंदा जाना है कि यदि वर्षा पर्याप्त न भी हो तो भी वह फसलें हो जायेगी। अत फसल सम्बन्धी जीवित वो वसंतक म बरते की आवश्यकता न भी फसलों के ढाने को प्रभावित किया है।

५ आदानों को पूर्ति—दीज, लाद, पानी वी उपलब्धता और भवार गृह शिष्यत परिवहन वी मुश्विद्धाएं भी फसलों के स्वदृप वा प्रभावित करती हैं। मध्य प्रदेश के अनेक किसानों ने मृगफली के दीजों की आमनी से उपतःकना वे कारण ही इसकी लेनी को बापी बढ़ा लिया है। इसी प्रकार अन्य बादानों की उपलब्धि का प्रभाव भी कुपि के स्वदृप पर पड़ता है।

६ भूज व्यवस्था—किसान भू-स्वामी होने के नाने फसलों के स्वदृप की अपने अधिकतम लाभ को इस्ति भे रखते हुए सब चुनता है और वह लाभदायक फसल की जगह अधिक लाभदायक फसल ढोना है। बटाई ध्रुवा व गन्तर्गत वास्तविक लेटी वसने वाले धनिकों वो भूमिपरिवारों के फसलों के अनुरप ही फसलों प। स्वदृप स्वीकार बरता होगा। जैसा नालिक कहेगा, उन्हें वही और उननी ही फसल लोनी होगी।

(ग) सरकारी नीति एव सहायता—सरकार वैधानिक प्रशासनिक एव अन्य उपायों से फसलों के स्वदृप मे परिवर्तन बर सकती है। सरकार वित फसलों को

भारत में जनसंख्या एवं फसलों का बदलता स्वरूप (1900-1945)

वर्ष	जनसंख्या का निदेशक	कुल बोहर्ग गई भूमि के क्षेत्र का निदेशक		
		खाद्य फसलें	अन्यान्य फसलें	कुल फसलें
1901-1915	100.0	100.0	100.0	100.0
1921-1925	108.0	100.1	118.2	108.9
1931-1935	120.5	111.3	132.5	114.8
1941-1945	137.9	113.8	141.3	218.4

झपर दी गई मार्गिणों से यह स्पष्ट है कि दीनवी जनावरी के प्रथम 45 वर्षों में देश की जनसंख्या 37% प्रतिशत बढ़ी, जबकि कुल बोहर्ग गया क्षेत्र के बहुत 18% प्रतिशत ही बढ़ा। इस अवधि में खाद्य-पदार्थों के क्षेत्र में 13.8 प्रतिशत बृद्धि हुई, जबकि अन्यान्य पदार्थों के दोष में 41.3 प्रतिशत बृद्धि हुई। इस अवधि में नाशन-फसलों में मरम्मत अधिक बृद्धि गई है क्षेत्र में (34.9%) तथा मरम्मत वर्ष एवं ज्वार के क्षेत्र में (10.82) है। चावल, बाजरा एवं चन की फसलों ने कमश 17,422.2 तथा 13.3 प्रतिशत बृद्धि हुई। ज्वार या व्यावसायिक फसलों के अन्तर्गत सबसे अधिक बृद्धि गल की फसल में (53.6%) तथा मरम्मत कम बृद्धि रेखावाली फसलों (23.9%) में है। तिलहन तथा दालान-न्यमलों की उपज में बृद्धि कमश 28.6 तथा 42.8 प्रतिशत ही। इस अवधि में कुल फसलों के अनुपात में खाद्य-पदार्थों का अनुपात 3.3 प्रतिशत में बदल हो गया तथा ज्वार व्यावसायिक फसलों द्वा अनुपात इतनी ही मात्रा में बदल याद। कुल बोहर्ग गया क्षेत्र भी 1900-01 ई. में 2772 लाख एकड़ म बढ़ कर मन् 1944-45 ई. में 3283 लाख एकड़ ही गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद फसलों का स्वरूप

(Cropping-pattern after Independence)

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद मरम्मत का अवल म बृद्धि हुई है, लेकिन घ्यान में देखन पर पता चलता है कि ज्वार फसलों में खाद्य फसलों की मुलता में कही अधिक बृद्धि हुई है।¹

अप्रैल एप्रिल पर दी गयी नालिका फसलों में स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को दर्शानी है। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्वार फसलों के आधीन क्षेत्रफल धीरे-धीरे बढ़ा है, जबकि खाद्यार्थिक या प्रयाद्य फसलों के आधीन ज्वारका क्षेत्रफल ठेजी से बढ़ा है। इस परिवर्तन के बावजूद भी खाद्य फसलों का अब भी सबसे अधिक

1 Indian Agriculture in Brief, 1971, pp 95-97.

महसूव है, जोकि मध्यस्तु धौत्रफल का $\frac{1}{4}$ में अधिक भाग इन्हीं फलों को पेंदा करने में प्रयुक्त होता है।

भारत में फलों का बदलता स्वरूप (1950-51 से 1970-71 तक)

वर्षपि	खाद्य-फलों	अन्याइ-फलों	कुल फलों
1949-50	100.0	100.0	100.0
1950-51	97.9	100.8	99.9
1955-56	111.9	130.7	115.0
1960-61	116.9	141.2	120.8
1965-66	116.5	154.6	122.5
1968-69	121.9	146.2	125.6
1969-70	125.1	151.4	129.1
1970-71	125.4	153.2	129.6

भारत में एक बनुमान के आधार पर 75% से 80% भाग पर खाद्य फलों पेंदा ही जाती है, 10% लेते पर तिलहन, 6% कंत्र पर रेतोबासी फलों और 3.5% भाग पर दाढ़ान व अन्य फलों उपराई जाती है।

भारत के लिये आदर्श उपज स्वरूप

भारत के लिये आदर्श उपज-स्वरूप क्या हो ? इग नम्बर्स में प्रथम 3 विचारधारये पाई जाती हैं। कुछ विद्वानों द्वा यह यत है कि भारत के मामते खाद्य उत्पादन व्यापक है। अत खाद्यालों के उत्पादन पर लेपकारुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। दूसरे प्रकार के विद्वानों का मत है कि कृषदों की आधिक दबाव में मुशार उम समय ही हो जाता है, जबकि उनकी उत्पत्ति वा अधिकारिया मूल मिले। दूसरे दबावों में, वे व्यापारिक फलों के उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में प्रतीत होते हैं। तीसरे मूलदायक के विद्वानों का मत है कि हमें केवल वे ही फलों उत्पादनी चाहिये जो योजना आयोग द्वारा विभिन्न परिस्थितियों को इंटिकोण में रख कर नियमित हुए योजना-नदयों से प्राप्त करने में सहायक हों जूँ कि हमारे देश का योजना-बद्ध पिकाम ही रहा है, अत तीसरा इंटिकोण ही भारत के लिये आदर्श उपज-स्वरूप निर्धारण के लिये उनम सावित होगा।

प्रश्न

1 भारत की मूल्य व्यापारिक फलों नपा है तथा उनका भीगोलिक विवरण क्या है ? (आगारा बी. काम 1962)

2 फलों के स्वरूप से आप क्या समझते हैं ? फलों के स्वरूप की निर्धारित गरने वाले तत्वों की विवेचना कीजिये।

3 भारतवर्ष में फलों के स्वरूप का ऐतिहासिक विवेचन फ़ीज़िंग तथा भारत के लिये आदर्श फल स्वरूप वा मूल्य दीवान।

भूमि का उप-विभाजन एवं अपखण्डन

(Sub-division and Fragmentation of Land)

"The inefficiency of agriculture is due more to the small size and scattered nature of the holding than due to ignorance or want of alertness on the part of the peasants."

—Dr. R. K. Mukerjee

हृषि वीं उत्पादकता बहुत बुढ़े सेतों के आकार पर निर्भर करती है। भारत जैसे विशाल हृषि-प्रधान देश में जहाँ बनसप्तरा नीति यति से बड़ रही हो एवं हृषि-योग्य भूमि भीमित हो खेतों का छोटा होना स्वामाविक है। भारत में हृषि अनाविक है। खेतों का छोटा होना हृषि को और भी अलाभकारी बना दता है। आज देश में हृषि-उत्पादन की वृद्धि के लिए यानि प्रदत्त किये जा रहे हैं तबा कृषि उन्नति के लिए बनेके योजनायें बनाई जा रही हैं। इन योजनाओं में भूमि के उप-विभाजन एवं अपखण्डन की समस्या के ध्वन्ययन एवं निवारण का बहुत अधिक महत्व है। इस समस्या को हठ किये बिना नया आविक जोनों के निर्माण के बाबत में हृषि में क्रांति-कारी परिवर्तन लाना सम्भव नहीं है।

हृषि-इकाइयों के आकार

हृषि-जातों का वर्गीकरण विद्वानों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से किया गया है। साधारणतः हृषि-जीतों को तीन भागों में बाटा जाता है, (i) आविक जोत; (ii) आधारभूत जोत, तथा (iii) अनुचून्तम जोत।

(i) आविक जोत—आविक जोत के सम्बन्ध में थी कीटिंग के बिचार इस प्रकार है—“आविक जोत से आशय ऐनी जोत में है जिससे कि हृषि अपने व्यावसायिक अध्ययन के बाद इतनी आशय प्राप्त वर्ते कि उसका एवं उसके परिवार का बाराम के साथ उचित स्प से जीवन-निर्वाह हो सके।”¹

३० मान ने भी इसी से मिलती-जुलती परिभाषा दी है। उनके शब्दों में “एक आधिक जोत वह है जो एक अंतर्राष्ट्रीय आकार के परिवार की जीवन का मतोप-जनक समझ जाने वाला अनुनतम स्तर प्रदान करता है।”¹

आधिक जोत का आकार यथा हो, इस पर भी विडानों के मर्दों गे अन्तर पाया जाता है। कीटिंग के मतानुमार मिचाई के लिए कम से कम एक बच्छे कुए की सुविधा के साथ 40 से 50 एकड़, एक ही चक्र की भूमि, आधिक जोत कहलायेगी। ३० मान का निचार है कि 20 एकड़ भूमि को आधिक जोत का आकार माना जा सकता है। और स्टेनेंजेविंग (Stanley Jevings) के अनुमार आधिक जोत वही है जो रहन-सहन का उचित सार प्रदान नहीं है। उनके अनुमार आधिक इकाई में कम से कम 30 एकड़ भूमि होनी चाहिए। डार्लिंग (Darling) के अनुसार यदि किसान के पास आथ के अन्य साधन प्राप्त हैं तो 8 से 10 एकड़ भूमि उसकी अनुनतम स्तर प्रदान करने के लिए काफी है।²

आधिक जोत के आकार को निर्धारित करने वाले भूरुप तत्व निम्न हैं : (1) कृषि भूमि की उच्चरा शक्ति, (2) कृषि-विधि (3) मिचाई की सुविधा, (4) सौनी का स्वल्प, (5) उचाई जाने वाली कगल की प्रकृति, (6) बाजार से दूरी या निकटता, (7) कृपक की सामाजिक दशा एवं (8) कृषि का उद्देश्य। इन तत्वों को ध्यान में रख कर ही आधिक जोत का निर्धारण किया जाना चाहिए।

(ii) आधारभूत जोत—यह कृषि जोत की सबसे छाटी इकाई है। इससे कम भूमि पर खेतों का काम करना अवशिक होता। अतः आधारभूत जोत से हमारा सात्सवं अक्षितगत आपार पर की जाने वाली लाभदायक युक्ति के लिए आवश्यक अनुग्रह दोनों से है।

(iii) अनुकूलसत्तम जोत—ऐसे जादर्णे जोत भी कह सकते हैं। यह खेत का बहु आकार है जिसमें एक किसान को उसके द्वारा लियावे गये अथ व पूँछी से अधिक-तुरा लाभ प्राप्त होता है। भारत में जादर्णे जोत का आकार आधिक जोत के आकार का नीम गुना अधिक पाना जाता है।

उच्च जोनों के अलापा एक पारिवारिक जोत भी होती है। पारिवारिक जोत ऐ हमारा घरलव कृषि-गृणि के ऐसे आकार होते हैं जो किसानों को कम से कम इतनी पैदावार आवश्यक हिलाये, जिससे उनको प्रतिवर्ष 1,600 रुपये की ओमल आमदनी प्राप्त हो रहे तथा मजबूरी व आवश्यक लब्जों को निकाल कर कम से कम 1,200 रुपये प्रतिवर्ष दें पड़ने जायें।

1. H Mann Land & Labour in Deccan Villages.

2. M L Darling Punjab Peasants in Prosperity & Debt.

भारत में कृषि-भूमि का उप-विभाजन एवं अपखण्डन

भारतवर्ष से कृषि जोतों की दो मुख्य रामस्वार्थ हैं, यथा—(i) उप-विभाजन, तथा (ii) अपखण्डन। सरैया नहकारी समिति के मतानुसार—‘अनुरपादक एवं अलाभ-प्रद खेती भारतीय हृषि उत्पादन में सबमें बड़ी बाधा है।’ समिति के विचारानुसार अलाभकारी हृषि जोतों की दो समस्याएँ हैं—(क) खेतों के आकार का छोटा होने जाना, तथा (ख) किसानों के खेत एक खक में न होकर दूर-दूर फैलने जाना। अब इन समस्याओं का विस्तारपूर्वक विवेचन लघेक्षित है।

उप-विभाजन का अर्थ—हृषि जोतों के उप-विभाजन से हमारा तालिम परिवार के विभाजन अथवा अन्य कारणों से एक जोत के बड़ी व्यक्तियों द्वारा बीच बट जाने से है। हमारे देश में यह एक प्रथा सी हो गई है कि भू-स्वामी की मृत्यु के पश्चात् उसकी भूमि छोटे-छोटे भागों में बट जाती है। उप विभाजन या तो भू-स्वामी द्वारा अपनी भूमि का कुछ भाग देते देने, दान मा उपहार में दे देने आदि से होता है। इस प्रकार देश में प्रत्यक्ष भू-स्वामी की मृत्यु के पश्चात् या उसके जीवन-काल में ही भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बट जाती है और उसके खेतों का आकार धीरो-धर्पीड़ी छोटा होता जाता है। यह प्रक्रिया हमारे देश में लम्बे समय से चली आ रही है और अब भी चल रही है।

अपखण्डन का अर्थ—हृषि जोतों के अपखण्डन से आशय है खेती का एक जगह न होकर अनेक जगहों पर विखरे होना। भूमि के छोटे छोटे टुकड़े एक खक में न होकर दूर-दूर विखरे होते हैं तथा इन टुकड़ों के बीच प्राप्त काफी अन्तर होता है, जिसके कारण इन सब टुकड़ों को मिला कर एक खेत के रूप में खेती नहीं की जा सकती। भारत में भूमि का उप-विभाजन (Sub-division) प्रायः अपखण्डन (Fragmentation) के साथ साथ पाया जाता है।

भारत में कृषि जोतों का आकार :

(अ) उप-विभाजन—भारत में कृषि-जोतों का आकार बहुत छोटा है, जबकि ग्राहार के अन्य देशों से हृषि जोतों का आकार बड़ा है, जैसा कि निम्न शालिका से स्पष्ट है।

देश	जोत का औसत आकार (एकड़ में)	देश	जोत का औसत आकार (एकड़ में)
न्यूज़ीलैण्ड	491	हास्केन्ड	26 00
अमेरिका	143	ब्रैन्चार्क	37 05
इंग्लैण्ड	20	भारत	7 39
फ्रांस	20		

भूमि का उपविभाजन एवं अपवर्जन

विछ्ले पृथ्वी पर दी गई सारिणी से स्पष्ट है कि भारत में कृषि-जोत अन्य देशों की तुलना में काफी छोटी है। देश के विभिन्न राज्यों में भी जोतों का आकार विलम्बित है, जैसा कि आगे दी गई तालिका से ज्ञात होता है :¹

भारत के विभिन्न राज्यों में प्रति कृषक परिवार द्वारा जोतों गई भूमि का औसत (एकड़ में)

राज्य	प्रति परिवार औसत भूमि	राज्य	प्रति परिवार औसत भूमि
केरल	1.8	आनंद प्रदेश	3.0
जम्मू एवं कश्मीर	3.8	मैसूर	10.5
पश्चिमी बंगाल	4.1	मध्य प्रदेश	10.6
तामिलनाडु	4.6	गुजरात	12.5
आसाम	4.7	पहाड़पाट्ट	12.9
बिहार	4.8	पंजाब	13.8
उडीया	5.2	राजस्थान	16.0
उत्तर प्रदेश	5.3	समृद्ध भारत	7.39

भारत में कृषि जोतों के उप विभाजन की सीमा का अनुभान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है—

जोतों का क्षेत्र	संख्या		क्षेत्र	
	लाख म	प्रतिशत	लाख एकड़ में	प्रतिशत
1 एकड़ से कम	266	42.1	40	1.2
1 एकड़ से 5 एकड़	180	29.1	484	14.4
5 एकड़ से 10 एकड़	88	14.2	623	18.3
10 एकड़ से 20 एकड़	54	8.7	752	22.4
20 एकड़ से 40 एकड़	25	4.1	695	20.7
40 एकड़ से 100 एकड़	10	1.6	563	16.8
100 एकड़ से अधिक	0.1	0.2	200	6.0

Source: National Sample Survey, 8th Round.

1. Shri P. S. Sharma, A Study of the Structural and Tenurial Aspect of Rural Economy in the light of 1961 Census. Indian Journal of Agricultural Economics, Oct.-Dec. 1965.

पृष्ठ 105 पर दी हुई उग्र की तालिका से स्पष्ट है कि भारत में मुल जोनों का 71-72 प्रतिशत भाग 5 एकड़ वा इससे भी नहीं है।

(ब) अशहदन : भारतवर्ष में खेतों का बासार छोटा नहीं है, अपितु किसानों के खेत दूर-दूर फैले हुए हैं जिसमें खेतों करने में बड़िनाई होती है। यी डालिम के अनुमार पजाव के एक गांव में 548 भू-स्वामियों के पास 16,000 खेत थे। यी रामलल मल्ल यी जाव के अनुमार, पजाव के होशियारपुर जिले के देरामपुर गाँव में 34% किसानों में से प्रत्येक के पास 15-25 टुकड़े थे। कृषि सम्बन्धित शाही आयोग ने एक उदाहरण में बनाया है कि पजाव में एक जमीदार की भूमि 800 टुकडों में बटी हुई थी और दूर-दूर फैली हुई थी। डा० गान ने विष्णुलाल सुदाहरण नामक गांव में पता लगाया कि 156 भू-स्वामियों के पास 729 खेत थे, जिनमें 446 खेत एक एकड़ से कम थे तथा 211 खेत $\frac{1}{2}$ एकड़ से कम थे। यी कीटिंग (Keatinge) के अनुसार वस्त्रद्वारा के एक गांव में आधे एकड़ से भी कम आकार का खेत लगभग 20 स्वामियों में बटा हुआ है। रत्नागिरि में किसी खेत का आकार प्रायः 000625 एकड़ तक छोटा होता है जिस पर बैलों की जोड़ी का भुड़ना तक बड़िन हो जाता है। देन म हाल ही में यिए गए रोन प्रबन्ध अध्ययनों से भी खेतों के अस्तक छाटे तथा भिन्न-भिन्न हथातों पर फैले होने का पता चलता है।

इस विभाजन एवं अशहदन के कारण देश में जन-विभाजन एवं अप-खण्डन उत्तरोत्तर हाला आया है और होता जा रहा है। इसके अनेक कारणों में से मुख्य कारण इस प्रकार है—

(1) उत्तराधिकार नियम भारत में कानून द्वारा मूलक पिता की सम्पत्ति में पुत्रों की बराबर हिस्सा मिलता आया है। नये कानून के अनुसार हिन्दूओं में न केवल पुत्रों को ही, बरन् पुत्रियों को भी इस प्रकार वा अधिकार दिया गया है। इससे दिन-प्रतिदिन उप-विभाजन एवं अप-खण्डन बढ़ता जा रहा है और भविष्य में भी यदि महं न रोका गया, तो इसी प्रकार बढ़ता रहेगा।

(2) जनसंस्था में बृद्धि भारतीय इपकों के पास जीविका का साधन के बहुत खेती ही है। जनसंस्था-बृद्धि के साथ-नाम खेतों पर जनाधार बढ़ता जाता है, जोकि खेती के सिवाय कृषकों के पास अन्य धन्धा ही नहीं है। 1923 में ब्रिटिश जन-गणना विवरण-वच के अनुसार सन् 1921 की तुलना में प्रति घण्टित कृषि का धोव लगभग 25% का हो गया। अनुमान है कि कृषि पर आधित ग्रन्ति व्यवित के भाग में जीसतन एक एकड़ से भी कम भूमि आती है, जो कि सतोषजनक जीवन विताने के लिए अत्यधिक कम है। प्रो० दाहिया व पर्नेन्ट के मतानुसार, “भूमि का उप-विभाजन और अप-खण्डन न केवल उत्तराधिकार व दायाधिकार के नियमों के कारण

होता है, अपितु इसका कारण ही प्रगति से बढ़ती हुई जनसंख्या की भूमि की पास है जिसे अर्थात् व्यावसायों में रोजगार विलाना सम्भव नहीं होता।¹¹

(3) व्यक्तिगत का उदय पाइचारय सम्भवा से प्रभावित होकर, भारतीय भी अब परिवार से पृथक् रहने लगे हैं। इससे परिवार की खेती के उप-विभाजन एवं अपखण्डन में बृद्धि हुई है।

(4) समुक्त कुटुम्ब-प्रथा का हास भारत में समुक्त कुटुम्ब-प्रथा टूटती जा रही है जिससे भूमि का उप विभाजन निरन्तर बढ़ रहा है, क्योंकि परिवार का हर सदस्य खेत में से अपना हिस्सा अलग कर लेता है।

(5) कुटीर उद्योगों का विवर लिटिया साप्राच्य की स्वार्थपूर्ण नीति के कारण हातारे कुटीर उद्योग नष्ट हो गये, जिससे इन उद्योगों में लगी हुई जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती पर आश्रित हो गया। इससे भूमि के उप-विभाजन एवं अपखण्डन में बृद्धि स्थानांतरिक हो थी।

(6) भूमि से प्रेष भारतीय कृषक का भूमि से व्यग्र होता है। वह गूणि की जीविता का सापन ही नहीं समझता, बरन् प्रतिष्ठा व सम्मान का आधार भी मानता है। अत वह व्यक्ति पैतृक भूमि से हिस्सा पाने के किए लालायित रहता है।

(7) कृषकों में अव्यवस्थिती अव्यवस्थिती कृषक ऋण भार से प्राप्त दबा रहता है और भूमि को वह धरोहर के द्वारा ने रखा है। ऋण न चुका सकने पर भूमि का हिस्सा गहानन का द देना है, जिससे भूमि का उप-विभाजन होता है।

(8) कृषि-प्रथा के दोष देश की कृषि पद्धति दीप्तपूर्ण है। फसलों के हेर पर के लिए कुछ भूमि, बिना खेती किये छोड़ती पड़ती है। भूमि के हिस्से कर लिये जाते हैं, जिससे भूमि टुकड़ों में बट जाती है।

(9) उन्नता से अन्तर कुछ खेतों की भूमि उपजाऊ होती है और कुछ वी कम उन्नत होती है, जिससे उत्तराधिकारी दोनों प्रकार की भूमियों में हिस्सा बटते हैं और इस प्रकार भूमि के टुकड़े अधिक हो जाते हैं।

(10) साझ की प्रथा भारत में कृषि की 'बटाई' प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के अन्तर्गत भू-स्वामी स्वयं खेती न करके अन्य सौंपों में भी खेती करा सकता है। अत भू-स्वामी अपर्यं भूमि को कई व्यक्तियों को 'बटाई' पर उठा देता है। इस प्रकार यत विवर जाते हैं।

¹¹ "Thus subdivision and fragmentation of land were not only due to the Laws of Succession and inheritance but to the land hunger created by growing population incapable of being absorbed in non-agricultural occupations."

(11) हृषकों में अधिक्षा एवं अतोनता : भारतीय कृपक वज्ञानका के कारण उप-विभाजन एवं अपन्द्राटन वी बुराइया नहीं नमलता, जिम्मे वह जबदब्बी, सहकारी एवं नामूद्दिहा कृपि का विरोध करता है।

(12) अर्थ व्यापक औद्योगीकरण का अभाव, खेती की चर्चबन्दी का न होना, राजाओं, नवाचों एवं जमीदारों द्वारा प्रमल होने अपने नौकरों को भूमि दे दुकड़े इनाम में देने की आदत आदि कारण भी भूमि के उप-विभाजन एवं अपन्द्राटन के लिए उत्तरदायी हैं।

उप-विभाजन एवं अपन्द्राटन के लाभ भाग्य में बई विद्वान् ऐसे भी हैं जो उप-विभाजन एवं अपन्द्राटन को देश-हित में ममलते हैं। इनमें डा० राधाकमल मुकुर्जी प्रमुख हैं। डा० मुरर्झों के अनुनार—“भारत के कई भागों में जलग-अलग खेतों पर कई प्रकार की फसलें उगाई जानी हैं। यहाँ उम होने या उमका वितरण हर खेत में उचित न होने पर यहि एवं फसल नष्ट हो जानी है तो दूसरे खेत में अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है। इसके बलादा भारत में फसलों का हेटफेर, जो भारतीय एवं पास्चात्य कृपि में बनाना है, इनमिये न भव हो जाता है कि वहाँ के खेत अपेक्षित हैं।”

लेकिये में उप-विभाजन एवं अपन्द्राटन के नमर्थन का प्रयास निम्न तर्कों द्वारा किया जाता है—

(1) प्रत्येक उत्तिन को भूमि का कुछ न कुछ भाग मिल जाता है जो न्यायमन्त्र है, (2) सबके पास भूमि होने से सबकी रक्ति कृपि में खेती रहती है, (3) छोटे-छोटे खेतों पर यहन सेती लाभदायक रहनी है, (4) भूमि का बेच्चीवारण नहीं हो पाता, (5) कुटीर उद्योगों के अभाव में अधिकतम जनसंख्या जो रोजगार निकल जाता है, (6) घराटों के परन्ती रहने से सुविधा रहनी है, (7) पूरे दृष्टक परिवार को दाम मिल जाता है, (8) हर व्यक्ति को बुरे मोताम में भी कृपि से कुछ न कुछ प्राप्त हो ही जाता है, तथा (9) कई फसलें एवं नाय बोकर दिसान स्वाक्षर्मी का सहाय है।

भारत सरकार के कृपि प्रबन्ध अध्ययनों द्वारा निकाले गए महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी यह मिठ करते हैं कि देश को अर्थ-व्यवस्था में छोटे खेतों का महत्व बढ़े खेतों की अपेक्षा अधिक है। ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं— 1) प्रति एकड़ उपज और खेतों की अपेक्षा अधिक होगी, (ii) बड़े खेतों की तुलना में छोटे खेतों पर अधिक अमिन्ड काम में लगाये जा सकते हैं, (iii) जिनमें भी राज्यों के आकड़े अपलब्ध हैं, उन सब में छोटे फार्में पर बढ़े खेतों की अपेक्षा अधिक उपज होती है;

(iv) छोटे खेत की जिधिक प्रतिशत भूमि सिचित है; (v) सिचित भूमि में असिचित भूमि की तुलना ने जिधिक असिको की आवश्यकता होती है, (vi) छोटे खेतों से काफी सहया में दाहरी असिक-जनदूरी पर रखे जाते हैं।

उप-विभाजन एवं अपवाहन के दोष भूमि के उपनिविभाजन एवं अपवाहन के दोष बहुत चम्पीर हैं और इन दोषों की तुलना में उन्होंका महत्व पौका पड़ जाता है। इसके प्रमुख दोष इम प्रकार हैं—

1. ३० मान ते उप-विभाजन तथा अपवाहन के सामूहिक दोषों का घर्षण करते हुए यह है, “भूमि के टुकड़ों में बढ़ जाने के कारण विचान वा उत्साह हण्डा पड़ जाता है, अम भी बहुत हानि होती है, हृदयनदी के कारण बहुत-सी भूमि व्याय चली जाती है और खेतों पर महन सेली करना लगभग हो जाना है।”¹

2. भूमि वा दुर्घटोग खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में बढ़े होने भे खेतों के बीच में मेड एवं रास्ते बनाने से बहुत-सी जमीन, जिसमें यंगी होती चाहिये, बेकार ही पड़ी रहती है।

3. अम य समय का दुर्घटोग खेत दूर-दूर होने से कृपक को एवं टुकड़े से दूसरे में जाने के लिए बाकी समय एवं धम नष्ट करना पड़ता है।

4. जोत को अनाविकना निरस्तर उपनिविभाजन के कारण, खेत छोटा होते होते इतना अनाविक हो जाता है, जिससे कृपक के परिवार का गुजारा भी पुरिकल हो जाता है।

5. मिचाई में अनुविधा छोटे-छोटे टुकड़ों की सिचाई के लिए न हो वह हर टुकड़े से कुछ लादवा सकता है लेकिन प्रत्येक टुकड़े के गाम से होकर नाली भी निकलता सकता है, जिसमें मिचाई की सुविधा से खेत बिचित रह जाते हैं।

6. कृषि-सुधार में अनुविधा खेतों का छोटे-छोटे टुकड़ों में बढ़े होने से दृष्टि-मुद्दार भी सम्भव नहीं हो पाता। दैनंदिन, दैनंदिन, दीखल इन्जिन एवं अन्य ग्राम्यनिक कृषि-विना छोटे-छोटे खेतों पर लाभदायक नहीं होते। पक्की बाड़ बनाना व पशुओं के बाड़ बनाना भी इन टुकड़ों पर लाभदायक नहीं होता।

7. मुकदमेवाजी में दृष्टि : छोटे-छोटे खेतों की मेडे बनाने में भी अनेक दिक्कतें आती हैं। एक किसान ने दूसरे व्यक्ति की जरा भी भूमि मेडे बनाने के लिए की तो लडाई-जगड़ा हो जाता है। यहा तक कि मुकदमेवाजी की नीति या जाती है।

1. “Fragmentation destroys enterprise, results in an enormous wastage of labour, leads to a very large loss of land owing to boundaries and makes it impossible to cultivate holdings as intensively as would otherwise be possible.”

गांवों में ऐसी घटनाएँ होता सामान्य नात हो गई है। इनी तरह पानी की नालिया व पनु निशालने के भी जगड़े होते हैं।

1. उद्दीरकता हास मूमि के एक छोटे टुकड़े से परिवार की साध आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए मध्ये टुकड़ों पर सेती करनी होती है। मूमि परती नहीं छोड़ी जा सकती, जिसमें उर्वरा-शब्दित का उत्तरोत्तर हास होता जाता है।

2. देख-भाल को बढ़िनाई पगलो पो गुधारने एवं पक्षु-पश्चियों से गत्ता के लिए सेतो की निरत्तर देख-भाल आवश्यक होती है। केवल दूर-दूर सेत होने के कारण कृषक उचित देख-भाल नहीं कर पाता।

3. उत्पादन व्यय में बढ़ि छोटे और विसरे हुए सेतो पर कृषि करने ने उत्पादन व्यय अपेक्षाकृत बढ़ जाना है। एक अनुमान के अनुसार हर 500 मीटर की दूरी पर शग के ऊपर 5 3% खाद ले जाने पर 20% से 25% तक सलिलन से घर तक उपज लाने में 15% तक व्यय बढ़ जाते हैं।

4. किसानों के रुचभार में १ दिन छोटे-छोटे खेनों पर लागत व्यय अधिक होने के कारण जाम जम जिलता है। कृषक बढ़िनाई से अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाना है। भावी विपक्षियों के लिए कुछ भी नहीं बचा पाता। जीक्षण में आकस्मिक विपक्षिया आमी ही रहती हैं, उसे अट्टन लेना ही पड़ता है, जिससे उनका झण्ड-भार बढ़ा जाता है।

5. विस्तृत व गहन खेती का न होना। मूमि के नीमित होने के कारण, भारतीय किसान न जो अभियान, यतादा, आद्वैतिया की भाँति विस्तृत खेती की ही अपना सकता है और मध्यनों वी मीमितता के कारण न ही हालंह की भाँति गहन खेती ही कर सकता है। ढाँ मान के शब्दों में “वस्तुत विकास” में छोटे खेनों की सभी बुराइया है, वयोंकि मध्यनरी और धन बचाने वाली विदियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता और दूसरी ओर वर्ते खेतों को भी दुराइयाँ इसमें हैं जिनकि स्वयं किसान द्वारा बहुत गहन कृषि वी विदियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता जो कि छोटे खेनों के व्यायियों के लिए एक बहुत बड़ा लाभ है।¹

जोरों के उप-विभाजन एवं अप-खादन के दोषों की व्याख्या करते हुए, ढाँ राधाकमल मुख्यर्जी ने ठीक ही कहा है, “भारत के अधिकांश भागों में कृषि की

1. “It has, in fact all the evils of very small holdings in that it prevents the use of machinery and labour-saving methods and on the other hand, of large holdings in that it hinders the adoption of really intensive cultivation by hired labour which is a great advantage of the small holders.”

अनुद्यादकता के लिए किसानों की असमानता लापरवाही अथवा जाम करने की अनिच्छा आदि की अपेक्षा जोनों के उप विभाजन तथा अपवर्गन अधिक उत्तरदायी है। इस प्रकार की जोनों में किसान की घरीवाल मात्रा में काम नहीं मिलता जिससे वह वर्षे के अधिकांश समय में बेकार रहता है। किसानों की भूमि-प्रस्तुता जोनों के उप-विभाजन का कारण तथा परिणाम दोनों हैं और कभी-कभी उदासीनता तथा अप्रस्तुता साथ-साथ चलती है।¹

उप-विभाजन एवं अपवर्गन के दोष निवारण के उपाय

जोनों के उप विभाजन एवं अपवर्गन से कारण, भारत जैसे वृष्टि-प्रधान देश की लेती अनार्थिक हो गई है। वह देश जो कभी धन-धार्य के दरियाँ रहता था, आज अकाल के क्षण पर यड़ा है। अब इस समस्या का हल निकालना परमाब्द्यक है। इस समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में निम्न गुजार महत्वपूर्ण है—

- (क) आधिक जोनों का निर्माण,
- (ख) राहकारी कृषि,
- (ग) सहकारी जाम अवधि, तथा
- (घ) अन्य सुझाव।

(क) आधिक जोनों का निर्माण—उप-विभाजन एवं अपवर्गन के दोषों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि आधिक इकाइयों का निर्माण किया जाय। इस दिना में निम्न कदम लड़ाये जाने चाहिए।

1 जोनों की अधिकतम सीमा निर्धारण—इस व्यवस्था के अनुसार जिन लोटों के पास निर्वाचित अधिकतम सीमा में अधिक भूमि हो, वह सरकार के अधिकार में आ जानी चाहिए ताकि इस भूमि दो उन किसानों को दिया जा सके जिनके लिए अर्थात् अधिक है। इसमें अनाधिक आवेदन आधिक एवं लाभकार बन सकेंगी।

2 बंकहानिक रोजगार की व्यवस्था—जिन किसानों के पास बहुत ही लोटों जोते हैं, उन्हें अपनी जोते लोट का गाड़ी में जग्हा बेक्षणिक भन्दे लेने को प्रेरित करना चाहिए। इससे ढोटी ढोटी जोनों को मिला कर आधिक जोत बनाने में सहायता मिलेगी।

¹ In many cases, at the heart of ex-ceil use is due more to the small size and scattered nature of the holdings than to ignorance or want of alertness on the part of the peasants. Such holdings do not afford sufficient work for the cultivator and leave him almost unemployed during most part of the year. Agricultural indebtedness is at once the cause and effect of the excessive division of holdings and very often enforced idleness and debtfulness go together.

३. उत्तराधिकार नियमों में सुधार—वर्तमान प्रणाली के अनुसार पिना की सम्पत्ति से पुत्र-मुत्रियों को समान हिस्सा मिलता है। इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था भी जानी चाहिए कि भू-सम्पत्ति के बड़े लड़के को ही प्राप्त हो। ऐसी व्यवस्था भी सामाजिक न्याय के प्रतिकूल होगी तबा इससे असन्तोष की भावना पैदा होना स्वाभाविक ही है, अत इससे यह सुधार और पर दिया जावे कि भू-सम्पत्ति नी बड़े लड़के को ही मिले, लेकिन वह इस सम्पत्ति की आय में से आनुपातिक भाग अपने भाइयों नी भी दे। इससे उप-विभाजन की भमस्या काफी हट तक सुधर जायेगी।

४. विभाजन की न्यूनतम सीमा-निर्धारण—सरकार को अधिनियम बना कर विभाजन की एक न्यूनतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए, जिससे अधिक भूमि का विभाजन न हो सके।

५. चकवाणी—चकवाणी से शारपर्य कई छोट-छोटे खेतों को पुनर्घटनस्या हारा एक बड़े चक या खेत में परिवर्तित करता है। इस व्यवस्था में भी इष्टकों के बिले रहे हुए छोटे-छोटे खेतों को इकट्ठा कर लिया जाता है, किर हर भू-स्वामी को उसको आवश्यकतानुसार एवं नक में खेतों का वितरण कर दिया जाता है। स्ट्रिलंड के अनुसार, "चकवाणी वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा स्वाभिव्यक्तिरूपको को अपने दधर-दधर विषये हुए खेतों के बदले में उसी किस्म एवं कुल उतनी ही आकार के एक-दो खेतों को लेने के लिए राजी किया जाता है। इस तरह का विनियम योरोप के सभी देशों में पिछली तीन शताब्दियों में सम्पन्न हुआ है।"¹

(ब) सहकारी खेती (Co-operative Farming)—सहकारी खेती नामूहिन द्वाया व्यक्तिगत रौपी के बीच वह रास्ता है डॉ. ओटो शिलर (Otto Schiller) के शब्दों में, 'सहकारी कृषि कृषि-व्यवस्था का वह है, जिसमें भूमि का प्रयोग संयुक्त है में किया जाता है।'² जिन किसानों के पास छोटे छोटे या मध्यम आकार के खेत हैं, वे महकारी कृषि समिति यना कर सहकारी ढग पर कृषि कर सकते हैं। इससे इन खेतों के छोटे आकार भमाप्त हो जायेंगे और बड़े पैमाने की कृषि के लाभ प्राप्त हो जायेंगे। सहकारी कृषि मुद्रयत चार प्रकार यी हो सकती है—(१) सहकारी

1. "It is a process whereby owners of right-building tenants are persuaded or compelled to surrender their scattered plots and receive in these place an equal area of land of the same quality in one or two blocks. An exchange of this land has in the past three centuries been carried out in all the countries of Europe." —*Strick Land*

2. "Co-operative Farming is understood as a form of farm management in which the land is used jointly." —*Otto Schiller*

समुक्त कृषि, (ii) सहकारी उन्नत कृषि, (iii) सहकारी काशकार कृषि, एवं (iv) सहकारी सामूहिक कृषि। कृषक अपनी सुविधानुसार इसमें से किसी भी एक व्यवस्था को चुन कर सहकारी कृषि पार रहते हैं एवं उप-विभाजन व अपस्थण्डन के दोषों में बच सकते हैं। इनका संस्थान विवरणीय दिया जा रहा है।

(1) सहकारी समुक्त कृषि (Co-operative Joint Farming)—इस व्यवस्था के अन्तर्गत समितिया सदस्यों की छोटी छोटी जोड़ों को मिलाकर एक बड़ी जोड़ बना करते हैं। परन्तु प्रत्येक सदस्य का अपनी भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है। समितिया स्वयं अपने कार्मों पर खेती सम्बन्धी सभी व्यवस्था बरती रहती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत बड़े मजले की खती के प्राय सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं।

(2) सहकारी उन्नत कृषि (Co-operative Better Farming)—इस प्रकार की कृषि व्यवस्था के अन्तर्गत कृपा अद्यो कृषि का नव्य प्रबन्ध करते हैं।

समिति कृपकों को खती सुधारने के लिए अच्छे दीज, अच्छी साद, आधुनिक कृषिधन, तापाई तथा विषटन आदि की सुविधाएँ प्रदान करती हैं। इस प्रणाली की सेवा सहकारिता (Service Co-operative) की भूमि नहीं है।

(3) सहकारी काशन एवं कृषि (Co-operative Tenant Farming)—ये समितिया प्राय उत्ती स्थानों वे लिए उपयुक्त होनी है जहा नई भूमि को खती योग्य बनाकर गया हो। इन व्यवस्था के अन्तर्गत खती की पोजना तो सामूहिक रूप से बनाई जाती है, लेकिन पोजना का नियान्वयन व्यक्तिगत रूप से होता है। नई प्राप्त की गई भूमि को इस प्रणाली के अन्तर्गत पर्हि हिस्सों गे वाटा जाता है तथा प्रत्येक हिस्सा एक किमत को दे दिया जाता है। किमत, नियन्त्रित योजना नुसार ही खती करता है।

(4) सहकारी सामूहिक कृषि (Co-operative Collective Farming)—इस व्यवस्था के अन्तर्गत गभी किमता की भूमि आपमें मिला दी जाती है। इसके अन्तर्गत समिति न केवल खती की ही व्यवस्था करती है अपितु भूमि की भी मालिक होती है। कृपकों का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त हो जाता है। गदस्यों को उनके कार्य के लिए मजदूरी भी दी जाती है तथा उसी अनुपात में उनमें लाभ भी वितरित किया जाता है। इस प्रकार की प्रवा अभी तक हमारे देश में नहीं चालू ही पाई है।

सहकारी खेती के गुण—भारतवर्ष में भूमि मुमारी वा अनियन लक्ष्य सहकारी खेती की स्थापना करता है। सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों का प्राप्त करने में सहकारी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। महाराष्ट्र मार्गी के शब्दों में, “मेया यह हठ विश्वास है

कि हम तब तक कृषि का पूरा लाभ नहीं उठा सकते, जब तक कि हम सहकारी खेती न करने लगें। वहां यह बात विदेश सम्मत प्रतीत नहीं होती कि एक गांव के 100 किसान परिवार जमीन को 100 हिरण्य में बांटने के बजाय गिर कर सामूहिक खेती करें और उससे प्राप्त आय आपमें बाट लें।” स्वर्गीय पंडit जवाहरलाल नेहरू भी, सहकारी कृषि के प्रश्न समर्थक थे। सामाजिक महत्वातीरे कृषि से निमापित लाभ प्राप्त होते हैं—

(1) सहकारी कृषि में कृषि डाऊ में बृद्धि होगी, (2) गांवों में रहने वाले लोगों की शरीरी दूर होगी तथा सामवालियों में इससे एक नए जीवन एवं एक नई आशा वा सचार होगा, (3) सहकारी कृषि में वर्गहीन राष्ट्रज (classless society) की स्थापना करना सरल एवं सुविधापूर्ण होगा, (4) साक्षात्कों के राजकीय व्यापार (State Trading in Food grain) को बदल मिलेगा, (5) जोनों की वर्धिततम सीमा के निर्दीरण में महावना प्राप्त हासी, (6) सहकारी कृषि उपचिकाजन एवं अपशुद्धि के दोषों को दूर कर सकेगी तथा वैज्ञानिक कृषि को नम्बद बनायेगी, (7) धर्म-निकित की पूर्ण व्य से उपयाग किया जा सकेगा, (8) कृषि में सम्मिलित पूजों, जैसे बैल, वृषभ-न्यून, चिंचाई के साधनों का जच्छी प्रकार से उपयोग सुन्दर हो सकेगा (9) सहकारी कृषि हाथ कमलों का नियोजन (Crop-planning) सम्पर्क हो सकेगा (10) कृषि सम्बन्धी आइटें एकत्रित करने में सुविधा होगी और विद्यासारी आइटें प्राप्त किये जा सकेंगे, (11) सहकारी कृषि हाथा हृषकों की सामाजिक सशक्ति, अच्छी निवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधाये दियाँ जाएंगी, (12) सहकारी कृषि के पञ्चवर्ष सरकार तथा हृषकों में अधिक सहयोग बढ़ाया जिससे सरकार को अपनी कृषि नीति लागू करने में सुविधा होगी, जैसे खाजाना बेसुली की नीति, बीजों के वितरण की नीति आदि तथा (13) सहकारी कृषि के पञ्चवर्ष किसानों का सामाजिक एवं नैतिक स्तर ऊँचा उठाया, सामृद्धि भावना (Community spirit) वैदा होगी तथा लोकतंत्रीय भावना वा विकास होगा।

सहकारी नेतृत्व के दोष—सहकारी राहीं का विरोध सामाजिक सिभ्वन वारसो में हिया जाता है।

(1) कृषक में निजों उथम, उत्थाह तथा उत्तरदायित्व की भावना स्थापन हो जाएगी तथा वह केवल एक श्रमिक मात्र रह जाएगा, (2) किसान का अपनी भूमि से इतना लाभाव है कि वह इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए सहकारी नेतृत्व की मफलना में सदैह है, (3) सहकारी कृषि ब्रोकरेज की ओरसाइन करेगी, कल-स्वद्वय ब्रोकरेजगारी वह जायेगी, (4) सहकारी कृषि समितियों के विरोध एवं सचालन

के लिए योग्य तथा कुशल प्रबन्धकों का अभाव है, (5) सहकारी कृषि के अन्तर्गत उपज में प्राप्त लाश तथा मजदूरी का वितरण करना कठिन कार्य होगा, (6) भारतीय कृषक हड्डियों से दधा होने के कारण नए विचारों का स्वागत नहीं करता, अतः भारत का आमीण सेवों वालावरण सहकारी कृषि के अनुचूल नहीं है, तथा (7) बड़े खेतों की अपेक्षा कई देशों में छोटे खेतों से अधिक उपज प्राप्त होती है।

(ग) सहकारी पास प्रबन्ध (Joint Village Management)—योग्यता जायेग न उप-विभाजन एवं अपशुण्डन में मुश्ति पाने के लिए अनिम लक्ष्य सहकारी आम-प्रबन्ध रखा है। इसके अन्तर्गत समस्त गाँव को एक इकाई गाना जायेगा। मूर्मि पर स्कारित्व तो धरकित-विशेष का ही होगा, विशु खेतों का काम सामूहिक रूप से किया जायेगा। गाँवों की सारी जर्मीन बढ़े-बढ़े हिस्सों वा क्लाकों में बाट दी जायेगी, ताकि बड़े पैंगाने की कृषि के लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रकार भूमि के सभस्त वर्तमान अविकार तथा पैंतक सम्पत्ति के माध्य एवं मदा से जले जा रहे विषम सुरक्षित बने रहेंगे। यह व्यवस्था जलत आवक है तथा इसके द्वारा शानिष्ठ ढग में परिवर्तन किया जा सकता है।

अन्य सुझाव

1. श्रीद्वयिक विकास—भारतवर्ष में बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास किया जाय तथा गुरीर बड़ोंसे थोपुतीर्वित विद्या जाय, ताकि भूमि पर से जनसंख्या का भार कम हो सके और जोतों का उप-विभाजन एक सके।

2. जनसंख्या-वृद्धि पर विषयक्रम—भारत में उप-विभाजन एवं अपशुण्डन की नमस्था, जनसंख्या की वृद्धि के नाश-न्याय जटिल होती गई है। अन् जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए प्रभावशाली बदग उठाये जाने चाहिए, ताकि भूमि वा उप-विभाजन बीर न हो पाये।

3. शिक्षा का प्रसार—शिक्षा के प्रसार से लोग उन्नत खेती के महत्व को नमस्तेग, जिसमें भूमि का उप-विभाजन व अपशुण्डन नहीं होने देंगे। जाय ही नहवारी खेती एवं वरदनदौ जैसी व्यवस्थाओं में ही होने लगें।

4. नये क्षेत्रों में खेती की जाय—इसी में अभी तक याम में न जा रही छमर एवं बजर भूमियों का कृषि योग्य बनाना चाहिए, जिसमें कृषि क्षेत्रों का विनाश नहीं हो सके। हृषिकेश ग्रामीण हृषकों से ऐसी भूमि के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5. भूमि का राष्ट्रीयकरण—कुछ विद्वानों का मत है नि भारत यो समस्त भूमि का राष्ट्रीयकरण करके मरकारी कृषि व्यवस्था प्रचलित यो जाय, पर यह मुक्ताव व्यावहारिक प्रनीत नहीं होता।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम ।

(1) अधिकतम जोत की सीमा का निर्धारण—भारत के विभिन्न राज्यों में जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले अधिनियम पारित हो चुके हैं। ये अधिनियम निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी अधिकतम भूमि रख सकता है। साथ ही ये भविष्य में भूमि प्राप्त करने पर भी रोक लगाते हैं।

इन व्यवस्था को नामू करने के कारण राज्य-सरकारों को नई मात्रा में भूमि प्राप्त हुई है, जिसका बटवारा भूमिहीन किसानों में विद्या जा रहा है।

(2) भारतीय विभाजन एवं रोक—भविष्य में भूमि के और अधिक टुकड़े न हो सकें, इसलिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ऐसी न्यूनतम सीमाएँ निर्धारित कर दी गई हैं, जिसमें नीचे उप-विभाजन नहीं हो सकता। कुछ राज्यों में न्यूनतम धेर इस प्रकार है—झज्जी 8 एकड़, उत्तर प्रदेश $3\frac{1}{2}$ एकड़, यम्ब प्रदेश 5 एकड़ सिंचित एवं 15 एकड़ असिंचित भूमि ।

(3) चक्रवर्ती की व्यवस्था—जोनों की चक्रवर्ती का अर्थ है, यिन्हें कूएँ, सनों के स्थान पर किसान को एक चक्र भा तक लेनों के कुर्त मूल्य के बराबर एक धन प्रदान करना है। उप-विभाजन एवं अपखण्डन की नमस्ता का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तमाधार है। चक्रवर्ती किसान द्वारा स्वेच्छा ने की आवश्यकी है, सहकारी सम्पादकों के माध्यम से की जा सकती जषबा सरकारी अधिकारियों द्वारा याम पचासत के महत्वों में वी जा सकती है। भारत सरकार न पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चक्रवर्ती की व्यवस्था पर धर्याप्त और दिया है। द्वितीय योजना के अन्त तक 1 20 करोड़ हैक्टर भूमि की चक्रवर्ती हो चुकी थी। होसरी योजना में 2 4 करोड़ हैक्टर भूमि वी चक्रवर्ती की जानी थी। मार्च 1969 तक 2 96 बिल्लों हैक्टर भूमि की चक्रवर्ती की जा चुकी थी। नवुवे पचवर्षीय योजना 1969-74 में 3 90 करोड़ हैक्टर भूमि पर चक्रवर्ती वी जाने की योजना है। चक्रवर्ती का कार्य पश्चात्, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, झज्जरेश, राजस्थान व महाराष्ट्र में सतोरोपनक रहा है, जबकि गुजरात, मैसूर व त्रिहार म इसकी प्रयत्न धोमी रही है। भारतवर्ष में चक्रवर्ती सबधी अधिनियम 13 राज्यों एवं सभी ग्रामों में पारित किय जा चुके हैं। बासाम, जम्मू व काश्मीर तथा पश्चिमी बगाल में भी नक चक्रवर्ती का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। अस्ता है कि ये राज्य भी इन धार म गोप्त व्यवस्था उठायेंगे।

(4) सहकारी दृष्टि एवं सहकारी पाय-व्यवस्था—सरकार ने दृष्टि के विकास में सहकारी कृषि के सहकार को स्वीकार करत हुए पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सहकारी कृषि के विवाद की व्यवस्था वी है। प्रथम पचवर्षीय योजना ने प्रायः सभी राज्यों में सहकारी कृषि के सम्बन्ध में व्यावरण विभाग दिया गया। द्वितीय योजना-

बधि में सहकारी कृषि के विकास हेतु उचित बृद्ध नीति रखी गई। नूरीय योजना के अन्त तक 5,500 कृषि (महाराष्ट्री) उपग्रहिया बनी थीं। मार्च 1966 के अन्त तक 2,749 महाराष्ट्री कृषि समितियां मार्गदर्शी परियोजनाओं (pilot-projects) के लिए भी मैं स्थापित ही चुको थीं और 177 लाख एकड़ कृषि क्षेत्र उनके अधिकार में था। 30 जून 1969 तक भारतवर्ष में कुल 8143 महाराष्ट्री कृषि समितियां थीं, जिनकी संख्या गश्त 2.2 लाख थीं। केवल 2 अनियत कृषकों ने ही सहकारी कृषि समितिया स्थापित की है तथा ये कुल क्षेत्र के नगद भाग अवृत् 4 प्रतिशत की गांत करती है। इन समितियों के अन्तर्गत 4.5 लाख हेक्टर कृषि क्षेत्र था।

फरवरी 1960 में प्रकाशित नियंत्रिता समिति की रिपोर्ट में महाराष्ट्री नगदियों की सफल बनाने के सम्बन्ध में यहा यदा है, “असफल सहकारी समितियों का अध्ययन यह बतलाता है कि वे जिन कारणों में असफल हुईं, उन्हें दूसरी महाराष्ट्री समितियों में दूर किया जा सकता है और नए सहकारी समितियों का उदाहरण हमारे इस प्रत्यक्ष की पुस्ट करता है कि सहकारी खेती छोटे और सधारण वर्ग के कृषकों के लिए अच्छी है और यह सफल हो सकती है। बाबश्वकता इस बात परी है कि सरकार और जनता दोनों मिल एवं इस दिशा में निरन्तर प्रयत्न करें।”¹

(5) वेकार भूमि को खेती के योग्य बनाने के लिए प्रयत्न—वेकार भूमि को खेती के योग्य बनाने क्लौर कृषि अधिकों को बसाने की केन्द्र-प्रयोजित योजना के अन्तर्गत मार्च 1968 तक 1,83,468 हेक्टर वेकार भूमि खेती योग्य बनाई जा चुकी थी। इसमें संबंधी अधिक 30,738 हेक्टर भूमि महाराष्ट्र में तथा उम्मेद 44,538 हेक्टर भूमि पजाव तरीके हैं। इस भूमि पर एक लाख से अधिक भूमिहीन अधिक अधिक बसाये जा सकते हैं। सरकार अधिक परिवार अर्थात् 40,039 परिवार पजाव में बसाये माये हैं। भूमि-मुद्दार अवय तथा अप्त व अनुदान के रूप में बसाने के प्रारम्भिक वय पर सरकार ने 4 करोड़ 59 लाख रुपये खर्च किये।

अभी बेन्द्र प्रयोजित योजनाओं वाले लाभ अधिका भूमिहीन कृषि अधिकों को ही मिल रहा है। ऐसे लोगों में कृषि कार्य संयुक्त लेनी सहकारी समितियों के द्वारा किया जा रहा है। सुधारी गई भूमि के अधिकार भाग में खेती की जा रही है।

1. Thus successful societies offer experience which can be avoided in others and unsuccessful ones confirm our belief that co-operative farming is good for small and medium cultivators and can be a success. What is needed is the sustained and continuous efforts on the part of the people and the government.

उपनिवेशाजन एवं अपखण्डन भारतीय कृषि के लिए अनियाप बना हुआ है। इससे हृद्यारा पाना हमारे लिए आवश्यक है, अन्यथा हमारी कृषि की अवस्था पिछड़ी रह जायेगी। सेतो के उपनिवेशाजन एवं अपखण्डन को रोकने के जिन उपायों की चर्चा हम लग बर तुके हैं, उनमें सहकारी कृषि ही सर्वोत्तम है एवं देश की परिस्थितियों के अनुकूल है। याहे इस दिशा में प्रगतिशील कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

प्रश्न

1. आर्थिक जोन विभाजन क्षेत्र है? भारत में कृषि जोनों के उप विभाजन तथा अपखण्डन के कारण जौर दोष मक्षेष में समझाइये नया इम समस्या के उपचार के लिए सुझाव दीजिए। (राजस्थान टी० ई० मी० प्रथम वर्ष कला 1964)

2. मक्षिज टिप्पणी लिखिये—(1) भारत में कृषि जोन।

(राजस्थान टी० ई० मी० प्रथम वर्ष कला 1965)

3. भारत में अलामनारी कृषि जोनों की समस्या का विवेचन कीजिए। इसके उपचार के लिए क्या ज्ञान विधे जा सकते हैं? (बागरा वी० प० 1965)

4. भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से कृषि-जोनों के विभाजन और अपखण्डन की समस्या को दूर करने के लिए जो उपाय ग्रहण किये गये हैं, उनका विवरण दीजिए। (राजस्थान टी० ई० मी० प्रथम वर्ष कला 1968)

भारत में सिंचाई, उर्वरक एवं अन्य कृषिगत आदान

(Irrigation, Fertilizers and other Agricultural
Inputs in India)

"The need for providing irrigation facilities to all villages cannot be emphasised too greatly. This is the foundation upon which agriculture depends for its progress and in the absence of which it remains a gamble."

—Mahatma Gandhi

भारत कृषि-प्रधान देश है। कृषि-उपज पानी की उपलब्धि पर निर्भर करती है। मानवन्यत पानी वर्षा से प्राप्त होता है, परन्तु वर्षा भारत में अनियन्त्रित रहती है और कृषि को केवल वर्षा के महारे ही नहीं छोड़ा जा सकता। अतः कृषि-उत्पादन-क्षेत्र के लिए निचाई का महत्व बड़ा जाता है। सिंचाई के अभाव ने भारतीय कृषि वर्षा के हाथ का बुझा ही बनी रहेगा। अतः कृषि-विकास के लिए सिंचाई के पर्याप्त साधनों का होना परमावश्यक है। सर चाहमं ट्रैवीलियन के शब्दों में

"भारतवर्ष में सिंचाई ही भव कुछ है। जल गोने से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि जब भूमि पर जल पड़ता है, तो भूमि की उर्वरा-शक्ति में कम से कम 6 गुनी बढ़ जाती है और वह भूमि जो कमी वज्र पड़ी रहती थी, उपजाऊ हो जाती है। अतः भारत में सिंचाई ही सब कुछ है!"¹

इसी सदर्शने में श्री नानावती व अजारिया के ये विचार उल्लेखनीय हैं, "भारतीय कृषि वर्षा के हाथ का जुआ है। किनी वर्षा वर्षा होती ही नहीं और यदि होती भी है तो यमर्य से बहुत गहरे या यमर्य में बहुत बाद में, यहाँ तक कि सामान्य

1. "Irrigation is everything in India. Water is more valuable in India than gold, because when water is applied to land, it increases its productivity at least six fold and generally a great deal more."

वर्षों के वर्षों में भी समय पर वर्षों के न आने व वर्षों के मौसम के असमान वितरण के कारण भी अक्षाल की स्थिति उल्लंघन हो जाती है।¹

भारत में मिचाई को सुविधाग्रो के विकास की आवश्यकता एवं महत्व

भारत में मिचाई के लिए साधनों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ की मुख्य जनस्थान वा 70 प्रतिशत भाग दोती पर आधित है और यहाँ की होती सब मिचाई पर आधित है। भारत में मिचाई के महत्व के बारण निम्न हैं—

1 वर्षों की अनियिकता—भारत में वर्षों अनियिकता दृष्टी है। कभी समय से बाद में वर्षा होती है, कभी समय से पहले ही निकल जाती है। कभी यदि प्रारम्भ में शीक समय पर वर्षा हो गई, तो बाद के महीनों में वर्षा नहीं होती। पञ्चास्त्रप नागरीय हृषि मानसून वा चूत्रा बन कर रह जाती है। वर्षा की अनियिकता से हृषि, और रक्षा मिचाई-व्यवस्था ही बर सकती है।

2 वर्षों का असामिक वितरण—भारत के सभी भागों में वर्षा का समान वितरण नहीं है। यदि चेराप जी म 500 तक पानी बरस जाता है तो राजस्थान के वहाँ हिस्सों में ३ स भी कम पानी बरसता है। अब तक दर्शा जाने शक्तों में सेवा के लिए मिचाई की आवश्यकता पड़ती है।

3 वर्षों का असामिक वितरण—भारत में अधिकांश जल-कृषि जूल से अचून्बर तक होती है। सर्दियों में बहुत बाढ़ी वर्षा होती है। वह भी गड़ रथाना न नहीं होती। अत जिस महीनों में वर्षा होती है, उनको छोड़कर अन्य महीनों में सेवा के लिए मिचाई की आवश्यकता पड़ती है।

4 अधिक खल लाने वाली कालों का सामान—गन्ना, चावल, वर्षास आदि कुछ ऐसी फसलें हैं, जिन्हें पर्याप्त मात्रा में नियमित हानि के जरूर आहिए। ये फसलें केवल लाहौ जगहों पर उत्पादित जा सकती हैं, जहाँ मिचाई की पर्याप्त मुद्रिषा हो। धर्दियों में वर्षा की कमी या अभाव के कारण रखी की पर्याप्त कीमत के लिए मिचाई परमाद्यपक है।

5 हृषि उत्पादन में बृद्धि के लिये—भारत में जन्य देशों की तुलना में हृषि-उपज प्रति एकड़ बहुत कम है। मिचाई के साधनों में बृद्धि करके इसे बढ़ाया जा

¹ "Indian agriculture has been called a gamble in rains. In any year, not only may the rains not arrive, but they may arrive too early or too late. Even a year of normal average rainfall may, thus, witness famine condition because of the untimely commencement or end of the Monsoon and the uneven distribution of rainfall over the season."

सकता है। उत्तर बीज, खाद्य तथा आधुनिक धन्यों के प्रयोग का कानून उसी समय उठाया जा रहा है जिस पर्याप्त सिचाई मुविधाये उपलब्ध हो।

6 कृषि-व्योम सेवा के विस्तार के लिये भारत में बहुत सी भूमि मिचाई के साधनों के अनाव में वैकार गही हुई है। यदि मिचाई की व्यवस्था समुनित प्रकार से हो जाय तो इन खेतों को लहलहाते खेतों में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, राजस्थान नहर के बन जाने से राजस्थान में कई जगह नदी भूमि पर खेती प्रारम्भ नी गई है। इनी प्रकार बजर जमीन को भी मिचाई के साधनों द्वारा कृषि योग्य बनाया जा सकता है।

7 अकाल निवारण के लिये भारत जैसे अकाल-प्रस्त देश में मिचाई के साधनों का विकास करके, यानरूप पर निर्भरता नमाप्त की जा सकती है और वर्षा के अनाव में पहले बाल अकालों से बचा जा सकता है।

8 कृषि नियोजन की सफलता के लिये कृषि नियोजन से देश की अर्थ-व्यवस्था सुधारी जा सकती है, परन्तु स्वयं कृषि नियोजन उसी समय व्यक्त हो सकता है, जब वर्षा पर कृषि की निर्भरता समाप्त की जाय और मिचाई के साधनों का विकास किया जाय।

9 इन्होंनो के लिये कस्तों माल को व्यवस्था का लिये बहुत से उद्योग कृषि क्षेत्र के बच्चे माल पर निर्भर होते हैं। बच्चे माल की विरन्तर उपलब्ध उसी समय हो सकती है, जबकि वर्षा जा सहारा ढोड़ कर मिचाई के साधनों द्वारा कृषि की जाय।

10 सरकारी जाय में बृद्धि मिचाई के साधनों के विकास के फलस्वरूप कृषि-उत्पादन में बढ़ि होती है। इससे व्यापार, उद्योग, परिवहन आदि सभी को लाभ होता है। गमत आर्थिक दोष के विकास के फलस्वरूप सरकार को प्रायः वा परोदा दोनों हथों में लाभ पहुँचता है।

11 बड़तों हुई जनसंख्या में राहत पाने के लिये देश में उत्तरोत्तर नहाती हुई जनसंख्या की उदार पूर्ति के लिये अधिक जातियाँ की आवश्यकता पड़ती है। अधिक जातियाँ उत्पादन बढ़ा कर ही प्राप्त लिये जा सकते हैं। उत्पादन बढ़ाना मिचाई के साधनों पर निर्भर करता है।

12 देशीजाती एवं अद्वे देशीजाती की समस्या के हस्त के लिये भारत के शासीण खेतों में कैलों हुई देशीजाती एवं अद्वे देशीजाती की समस्या की भी मिचाई मुविधाओं के विस्तार से कुछ सीमा तक हल लिया जा सकता है, ज्योकि इन मुविधाओं के विकास से भूमि पर कई प्रकार के काम भिल सकेंगे।

13 अम्य कारण उपर्युक्त कारणों के अलावा भारत में मिचाई सुविधाओं

के विकास में अन्य कई लाभों की सम्भावना है, जैसे (I) इससे भारताहुँ का विकास हो सकेगा, (II) कृषकों व कृषि धरियों के जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा, (III) कृषि-उपज में बृद्धि के कारबद्धत्व विदेशी विनियम संबंध की समस्या हल हो सकेगी।

अत मिचाई के साधनों का भारत में बड़ा महत्व है और अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ इन साधनों के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। इह सम्बन्ध में श्री नोल्स (Knowles) के लिम्नोवित वाषपात्रा महत्वपूर्ण हैं

“सिचाई के वार्षीयों ने जीवन की रक्षा का प्रबन्ध किया है, क्योंकि भूमि की उपज उसके मूल्य तथा उसमें प्राप्त आय में नुस्खा है। अत दुर्भिक्ष के समय इस सहायता की अत्यधिक आवश्यकता पटनी है और यह मम्पूर्ण क्षेत्रों की सभ्य बनाने में सहायक है।”¹

सिचाई के महत्व पर प्रकाश ढालते हुए चतुर्थ गोविन्दा (1969-74) के प्राप्ति में कहा गया है, “दर्याला यानाओं एवं ठीक समय पर जल उपलब्ध होना कृषि उत्पादकता के प्रमुख नियरिकों में से है। सभग कृषि यी सम्भाननाजों का लाभ उदाहरण में नदिसे प्रमुख कठिनाई यह है कि वर्ष भर जल की नुस्खियाँ प्राप्त नहीं होती। देश के कुछ फलती क्षेत्र का भाग तु पूर्णत वर्षा पर ही निर्भर है जो कि वर्ष के कुछ ही महीनों में सकेन्द्रित रहती है। कहीं-कहीं वाधिक जल वर्षा से पर्याप्त है, किन्तु यमीं वी उपलब्धता इतनी अपर्याप्त होती है कि बहु कमले प्राप्त करने में कठिनाई रहती है। 70 प्रतिशत कमली क्षेत्र में वर्षा कम और अनिश्चित है, जिस कारण प्रमुख कठिनी नहीं यी सधन कृषि सम्भव नहीं हो पाती। इस प्रकार सिचाई का विकास भारतीय कृषि की प्रवर्गिति में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है।”²

भारत में जल की सम्भावनाएँ (Water Potential in India)

अनुमान है कि भारत में जमीन के ऊपर 1672 अरब 60 करोड़ घन मीटर (एक अरब 35 करोड़ 60 लाख एकड़ फुट) पानी है। जमीन के नीचे भी पानी का बहु भडार है जिसका अभी अनुमान नहीं लगाया गया है। भूमि की सरह के ऊपर के घानी के सम्बन्ध में वरकारी तीर पर अध्ययन करके पहले यह अनुमान लगाया गया था कि करीब 555 अरब घन मीटर (45 करोड़ एकड़ फुट) पानी सिचाई के योग्य है। लेकिन 1972 में सिचाई आयोग द्वारा दिए गए अनुमान के अनुमार 666 अरब घन मीटर (14 करोड़ एकड़ फुट) पानी सिचाई के योग्य हैं। जमीन के

1 Dr Knowles Economic Development of British Empire Overseas, Vol. I pp. 367-368.

2 Fourth Five Year Plan (Draft 1969-74) p. 182

सीधे 204 अरब धन मीटर (16 करोड़ 50 लाख एकड़ फुट) पानी सिंचाई के काम आ सकता है। सन् 1971 तक सिंचाई के काम में जमीन के ऊपर के जल साधनों में से 246 जल्द 70 करोड़ धन मीटर (20 करोड़ एकड़ फुट) पानी तथा जमीन के मीने के जल साधनों में भी 98 अरब 60 करोड़ धन मीटर (8 करोड़ एकड़ फुट) पानी का उपयोग होने लगा था। सिंचाई वाले धेन का दोनोंफल पहली योजना (1951) के प्रारम्भ में 2 करोड़ 26 लाख हैक्टर था, जो बढ़ कर 3 करोड़ 90 लाख हो गया।¹

भारत में सिंचाई के साधन भाग्य जैसे विश्वालै ऐश वी भौतिक रचना एकती नहीं है इसीलिए यहाँ पर विभिन्न साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है। एक ओर यदि उत्तरी भारत के कुओं और नहरों की प्राप्ति तथा है, तो दूसरी ओर दक्षिणी भारत में तालाबों की भवित्वार है। मध्यप में गिरावट के विभिन्न साधनों का विवरण इस प्रकार है-

1 कुओं द्वारा सिंचाई (Well Irrigation) भारतवर्ष में यह अति प्राचीनकाल से सिंचाई का साधन रहा है। अनुमान है कि देश में 20 लाख से भी अधिक कुएँ हैं जिसमें बाधे यो अधिक उत्तर प्रदेश में हैं तथा तमिलनाडु, पंजाब व महाराष्ट्र प्रान्तों में पाये जाते हैं। धोकलन एवं कुआ 5 एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकता है। भारत में कुओं व ट्यूब बेलों से विशुद्ध दोषे गंदे धेन के लगभग 14% भाग पर सिंचाई होती है। ट्यूब बेल 60 फुट से लेकर 300 फुट तक गहरा होता है और प्रति घण्टा 3,300 गैलन पानी सीधे सकता है। एक ट्यूब बेल में 500 एकड़ की सिंचाई आसानी से की जा सकती है। ट्यूबबेल द्वारा सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम गुजरात तथा महाराष्ट्र के धेन बड़े उपयुक्त हैं, यदोंकि वहाँ नूर्मि दी तिकली बतह दें जल है तथा भूमि भी उपजाऊ है। सन् 1965-66 तक सरकार द्वारा स्थापित ट्यूब बेलों की कुल संख्या 10,000 थी। जमीनाएँ द्वारा लगाये गए ट्यूब-बेलों की संख्या भी पर्याप्त है। १५ अनुमान के अनुसार भारत में अब तक 11 लाख ट्यूब बेल विभिन्न किये जा रहे हैं। कुएँ उत्तर प्रदेश के धनावा बिहार गुजरात, पश्चिम, महाराष्ट्र तथा भृगु प्रदेश में काफी संख्या में पाये जाते हैं। कुल उपचित शक्ति के लगभग 34% भाग में केवल कुओं से ही सिंचाई की जाती है।

2 तालाबों द्वारा सिंचाई नदियों या वर्षा के जल को संचित करके तालाबों का नियन्त्रण किया जाता है। सिंचाई का यह साधन भी पुराना है। भारत में

1. के एवं राष्ट्र बोर्ड 7 काल्पनी, 1971 प 27-28

विशुद्ध बोये गये क्षेत्र के लगभग 3.4% भाग में तालाबों द्वारा मिचाई की जाती है। तालाब बुजों की भानि व्यवित्रित सम्पत्ति नहीं हो सकते, बल्कि सरकार अथवा रामाज के होते हैं। भारत में तालाबों द्वारा मिचाई के क्षेत्र हैं—तामिलनाडु, अम्ब्र, मैसूर, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। तालाबों के निर्माण में नहरों अथवा बुजों की अपेक्षा कम पूँजी लगती है तथा इनका उपयोग तुरन्त होने लगता है। इनमें मिचाई करने में मवसे बटों कठिनाई यह आती है कि बर्धों के अभाव में पानी नहीं दब पाना और सिचाई नहीं हो सकती है। भारत में युड़े सिचित धोन की लगभग 1.7 प्रतिशत मिचाई तालाबों द्वारा की जाती है।

३. नहरों द्वारा सिचाई : मिचाई की हटिट रो वर्षों के बाद नहरों का हो स्थान है। भारत में नहरों मिचाई का महत्वपूर्ण साधन है। भारत में विशुद्ध बोये मने क्षेत्र के 7.7%, भाग पर तथा युल मिचित क्षेत्र के लगभग 42 प्रतिशत भाग पर नहरों द्वारा मिचाई होती है। भारत में नहरों मर्सी, मुदिधाकरक एवं मूनिश्चित सिचाई का साधन होने से अस्थायिक लोक प्रश्न हो रही है। लम्बाई की हटिट से भारत में नहरों सर्वाधिक है। भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, तामिलनाडु तथा आमन्द्र प्रदेश में नहरों से सिचाई होती है। नहरों तीन प्रकार वौ होती हैं

(क) बाहरसाथी या स्थायी नहरें ये नहरें सर्वे मिचाई के लिए पानी बनाये रखती हैं तथा इनके द्वारा सिचाई नियमित व रामयानुकूल होती, रहती है। सर्वकार इस प्रकार की नहरों के निर्माण पर जोर दे रही है।

(ख) मौसमों या स्थायी नहरें इनमें केवल वर्षा क्रतु में ही पानी आता है। फलस्वरूप ये वर्षों के मौसम में ही जल प्रदान कर सकती हैं।

(ग) बांध की नहरें ये वे नहरें हैं जिनमें शाठियों के दोनों बिनारों पर बांध लगा ताकि पानी इनटोडा किया जाता है और नूर्खे मीसम में उनका गदुपयोग किया जाता है।

४. नदी-घाटी-योजनाओं द्वारा सिचाई : “नदी घाटी-योजनाएं बर्त्तमान भारत के तीर्थ-स्थान हैं” स्पर्शीय प० नेहरू के इस वाक्य ने नदी-घाटी योजनाओं के महत्व की जल्क यित्ती है। भारत सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के दशात देश के आर्थिक उत्थान में हृषि के महत्वपूर्ण योगदान को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए बहुउद्दीय नदी घाटी योजनाओं के निर्माण का बीड़ा उठाया है। इन योजनाओं से एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होती, यथा-सिचाई की मुदिधा, जलविद्युत का निर्माण, नौकरियन, बाट-नियन्त्रण, गूमि-घाटाव-नियन्त्रण, सूक्ष्मारोपण, महस्य उदाय का विकास आदि।

भारत की प्रमुख नदी-घाटी योजनाएः : भारत की प्रमुख नदी-घाटी योजनाएँ अग्रलिंगित हैं :

१ भाष्टरा नगल योजना यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्दीप्य योजना है। इससे पवाव, हरियाणा एवं राजस्थान राज्य को लाभ प्राप्त हो रहा है। इस पर 175 60 करोड़ रुपये की लागत की अन्यायना है। यह योजना सन् 1948ई० में प्रारम्भ की गयी थी और लम्बाग्रन्थ पूरी ही चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष लम्बाग्रन्थ 67 6 काल एकड़ भूमि पर सिवाई की जाए रही है। इस योजना का सर्वाधिक महत्व यह रहा है कि उत्तरी राजस्थान न पूर्वी पवाव के रेखिले गांगो को सिवाई कांग लाभ मिलने लगा है जिसके कारण ये क्षेत्र अकाल की परिवर्ति के बाहर हो गये।

२ दामोदर घाटी योजना दामोदर घाटी योजना भी एक बहुउद्दीप्य योजना है जो पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्यों में दामोदर घाटी क्षेत्र के विकास के लिए बनाई गई है। यह संग्रह करने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत नदी पर नार स्थानों पर बाध बनाए गए हैं और नदी के दोनों ओर नहरें निकाली गई हैं। नहरों से लम्बाग्रन्थ 973 लास एवं भूमि पर सिवाई होने की सम्भावना है। इस योजना में सिवाई का लाभ बंगाल को तथा अन्य लाभ बिहार को भी प्राप्त होता है।

३ तुगड़ा योजना इस योजना को अन्त्य प्रदेश व मेसूर राज्य मिल कर कियान्वित कर रहे हैं। यह योजना लम्बाग्रन्थ 3 43 लास हक्कर भौमि को सिवाई का लाभ द रखेगी तथा इस पर 19 27 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। यह योजना चतुर्थ पचार्थीय योजना के अन्तर्गत अन्यन्त हो जावेगी। इस परियोजना से 3 83 लास एकड़ भूमि की सिवाई प्रारम्भ हो चुकी है।

४ हीराकुण्ड योजना यह उठीसा राज्य की योजना है तथा इस योजना के अन्तर्गत नदी पर हीराकुण्ड जलधार बनाया गया है जो सभी जलाशयों से विद्युत म बढ़ा है। यह जलाशय 10 748 फुट ऊँचा है और इससे 63 फुट एकड़ जल का अवृद्ध हो जाता है। इस योजना को दो भागों में पूरा किया जा रहा है। प्रथम भाग पूरा हो चुका है। इस पर 67 82 करोड़ रु० व्यय हो चुके हैं और 24 3 लास हैराकुण्ड भूमि की सिवाई की मुविधायें मिलने लगी हैं। दूसरे भाग से 6 38 लास हैराकुण्ड भूमि की सिवाई हो जाएगी तथा इस पर 14 95 करोड़ रु० के व्यय का अनुमान है।

५ राजस्थान नहर परियोजना जुलाई 1957 में द्वीपुला राजस्थान नहर योजना राजस्थान की मह भूमि की सिवाई करेगी तथा इस योजना को पूरा करने से 184 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। जाता है कि नहर में लम्बाग्रन्थ 26 लास एकड़ भूमि में सिवाई होगी। तथा बाधों के पूर्ण हो जाने पर चिह्नित होने 36 लास

एकड़ के लगभग हो जायेगा। मिचाई की सुविधा के साथ साथ इसके गगनवार, वीक्षनेर तथा जैसलमेर ज़िलो वा विद्याल रेगिस्ट्रान हरियाली से लहूलहा रठगा और घन-धान्य से परिपूर्ण हो जायेगा। राजस्थान नहर की कुल लम्बाई 3,100 मी होगी। इस नहर को दो चरणों में बनाने वा प्रस्ताप है। पहले चरण में 122 मील तक मुख्य नहर और उसकी वितरण प्रणाली वा निर्माण किया जाएगा। राजस्थान नहर 182 मील की लम्बाई तक (पीढ़र सहित) पूरी हो जूनी है और इसके नीचे वा 22 मील का निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

6 चम्बल योजना: चम्बल योजना राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकार की मिली जुली योजना है। इस योजना के अन्तर्गत चम्बल पर 3 बाध बनाये जायेंगे। पहला बाध कोटा म बोटा बैरेज के नाम से, दूसरा बांध गांधीमार वा दीमरा रामाप्रताप मार बाध के नाम से प्रयोगित है। इस योजना से राजस्थान की 7 लाख एकड़ भूमि को मिचाई की सुविधा प्राप्त होगी। बोटा बाध का कार्य पूर्ण हो जुका है तथा 20 नवम्बर मन् 1960 से मिचाई के लिए पानी मिलने लगा है। दूसरे और तीसरे चरण पर कार्य चल रहा है। कुल योजना के पूर्ण होने पर 1,66 लाख हैक्टर भूमि की मिचाई की सुविधाएँ प्राप्त होगी।

7 गंडक योजना: यह भारत व नेपाल सरकार की मिली जुली योजना है जिस पर दोनों सरकारों द्वारा 4 दिसंबर, 1959 को हृतकार किये गये थे। इस योजना से भारत म उत्तरप्रदेश और विहार की तथा नेपाल की लाभ प्राप्त होगा। इस योजना से लगभग 14,90 लाख हैक्टर भूमि की मिचाई हो सकेगी। यह योजना अधिकांशत चौथी योजना के अन्त तक पूर्ण हो जायगी।

8 कोसी योजना: इस योजना म भी विहार तथा नेपाल की मिचाई की सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी। इन योजनाओं में बाकटापाड़ा योजना तथा मध्य-शास्त्री व्याप, नागार्जुन सागर जादि योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इन तमाम योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर भारत म कृषि-व्यवस्था मिलित भूमि का भाग काफी बढ़ जायेगा।

सरकार एवं मिचाई को सुविधाएँ स्वतन्त्रता प्राप्ति के पथ पर हैं और उन पर काम चल रहा है। इन योजनाओं में बाकटापाड़ा योजना तथा मध्य-शास्त्री व्याप, नागार्जुन सागर जादि योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इन तमाम योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर भारत म कृषि-व्यवस्था मिलित भूमि का भाग काफी बढ़ जायेगा।

गवा यिनमें अन्य लाभों के अतिरिक्त कृषि-सेव की सिचाई का महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो रहा है। दूड़ी योजनाओं के साथ-साथ सरकार ने अनेक छोटी योजनाओं को भी साध किया है। इनके अन्तर्गत कुओं, नलबूथों, तालाबों एवं नहरों के निर्माण कार्य था। ये योजनाओं की द्वारा लाभ पहुँचाने वालों और अपेक्षाकृत कम जर्चीली रही है।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व सन् 1950-51 में भारत में मिचिंग झोने के ल 2,26 करोड़ हैंटर वा जो कुल कृषित क्षेत्रफल का 17.6% अवधि प्राप्त भाग से भी था था। प्रथम तीन पञ्चवर्षीय योजनाओं में, बड़ी, मध्यम तथा छोटी सिचाई परियोजनाओं पर लगभग 1830 करोड़ रुपये खर्च निए गए। इन सीको योजनाओं में बढ़ने वाले मध्यम मिचाई नारंकमो पर कमश्त 300,380 व 576 करोड़ रुपये आये गए। छोटी सिचाई योजनाओं पर प्रथम छिंटीय व दूसीय योजना में क्रमशः 70,250 व 260 करोड़ रुपये आये हुए।¹ इन योजनाओं के अन्तर्गत सिचाई के खोने में उठाये गए कदमों के पलस्तवरूप सन् 1965-66 में कुल मिनित क्षेत्रफल में 83 लाख हैंटर भूमि की बढ़ि हुई। इस प्रकार सन् 1965-66 में सन् 1950-51 की तुलना में कुल सिचित क्षेत्रफल में लगभग 36.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

सन् 1966 से 1969 तक अपनाई गई द्वादिक योजनाओं क्रमशः 134.5, 132.3, य 169.9 करोड़ रु बड़ी प मध्यम मिचाई योजनाओं पर खर्च किए गए। पलस्तवरूप कुल सिचाई क्षमता 375 लाख हैंटर हो गई। इस प्रकार 1950-51 से 1968-69 के मध्य मिचाई भूविधायों में 67% बढ़ि हुई।

अग्रेल मन् 1969 में देशीय सरकार ने भी अजीत ग्रसाद जैन की अध्यक्षता ये एक मिचाई आयोग का गठन किया था। आयोग ने निम्न बासों पर विचार किया: (1) सन् 1903 से लेकर अब तक गारम गे मिचाई के विकाश की समीक्षा करना तथा सिचाई से पलस्तवरूप उत्पादकता में बढ़ि के योगदान पर प्रतिवेदन प्रस्तुत वरना, (2) सूखा एवं अभावग्रन्थ संकेतों में सिचाई की अवधिय का अध्ययन करना तथा सुधार के लिए सुझाव देना, (3) यातानों की एक्ट से देश को आपनिर्भर बनाने के लिए सिचाई के सभी साधनों के विकास की विस्तृत रूपरेखा बनाना तथा इसके लिए आवश्यक दोधों का अनुग्रान लगाना, (4) विभिन्न सिचाई परियोजनाओं के लिए पानी की उपलब्धि देखना, (5) मिचाई के कार्यों के प्रशासनिक व सम्बन्धित व्यक्ति की जांच करना जिससे परियोजनाओं को शीघ्र धूरा किया जा सके, (6) सिचाई परियोजनाओं की स्थीकृति के आधार को सुझाना, तथा (7) सिचाई से सम्बन्धित किसी अभ्यंकित की जांच करके उपयोगी सुझाव देना।

1. Draft Fourth Five Year Plan (Original) 1966 p. 214

सिचाई आयोग ने अप्रैल 1972 में अपना विस्तृत प्रतिवेदन सरदार को दे दिया है। इस प्रतिवेदन में सिचाई, की नई मुदिषाओं के विकास के लिए बहुत सुझाव दिए गए हैं।

चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिचाई : तृतीय योजना की समाप्ति के पश्चात् मुख्य की स्थिति के कारण यह अनुभव किया जाना लगा कि वर्षा की अनिश्चितता की समस्या को लघु सिचाई योजनाओं द्वारा हल किया जा सकता है। फलस्वरूप तृतीय व चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना के मध्य की अवधि में कुओं व नलकूपों के विकास पर अधिक बल दिया गया। इस योजना में सिचाई की होटी परियोजनाओं पर 516 करोड़ ह रुपये वर्षों की परियोजनाओं पर 951 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया जिनमें से 384 प्रतिशत धनराशि योजना के प्रबन्ध दो वर्षों में खर्च की जा चुकी है। होटी योजनाओं पर कुल व्यय नीं जानी धनराशि का भी 58 प्रतिशत भाग प्रबन्ध 3 वर्षों में व्यय किया जा चुका है। चौथी योजना के दीरान 48 लाल हैटर अनिरिक्त भूमि पर सिचाई की मुदिषा प्राप्त होने लगी। इस प्रकार सन् 1973-74 में 1950-51 की तुलना में सिचाई क्षमता द्वग्रन्थ दोनों ही जापेगी। इस योजना में होटे कृपकों के जामार्द योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी तथा भूमि गत जल के सर्वेक्षण व विनाम पर जोर दिया जायेगा। इस योजना में वर्षा व विचाई व्यवस्था के अनाव बातें होनों को भी प्राथमिकता देने की व्यवस्था है।

भारत का तब तीन पञ्चवर्षीय योजनाएं तीन वर्षावाही योजनाएं पूरी कर चुका है। इस अवधि में 68 बड़ी और 486 छोटी योजनाओं का वार्ष हाथ में लिया गया जिनके द्वारा कुल क्षमता 1 करोड़ 64 लाख हैटर और 36 लाख हैटर भूमि की सिचाई हो सकेगी। इनमें 22 बड़ी तथा 329 छोटी योजनाएं पूरी हो गई हैं। ये पर कुकी विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त अलेक्टोरों का माम भी पूरे हिए जा चुके हैं, जैसे छिछले पांगहरे कुएँ खोदना, नलकूप लगाना, तालाबों की मरम्मत और होटे जौतों नदी-नालों का मुद्घारता काम आदि। इस सारी अवधि में (1951-71) तभी आकार की परियोजनाओं पर कुल 38 बरद 23 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

भारतीय सिचाई व्यवस्था की कमियां :

भारतीय सिचाई व्यवस्था में कई दोष व कमियां पाई जाती हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं-

1. नियोजन के वर्षों बाद भी, अभी तक सिचित दोष कुल क्षेत्र का केवल 23 प्रतिशत भाग ही है जो आवश्यकता से अधिक इस है। आज भी भारतवर्ष में शाखग 77 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र मानसून की दमा पर निर्भर करता है।

2 कुल सिंचित क्षेत्र के आधे से अधिक भाग पर कुओं तथा तालियों से सिंचाई होती है जो स्वयं वर्षा पर विभंग करते हैं। यदि वर्षा न हो तो ये साधन भी बेकार हो जाते हैं।

3 मालियों की यथोचित व्यवस्था के अभाव में, कई स्थानों पर पानी के जामाव (Water logging) की समस्या पैदा हो जाती है, जो भूमि की सतह पर ऐह घासी मिट्टी (alkaline) को जन्म देती है।

4 अधिकांश बड़ी बड़ी नदीों में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता।

5 मिचाई की उपलब्ध सुविधाओं का भी कई कारणों से यथोचित उपभोग नहीं हो पाता।

भारत में सिंचाई के साधनों के विस्तार में बाधाएं भारतवर्ष के कुछ-विकास के लिए लोक गति से सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना आवश्यक है, परन्तु इम विकास के मार्ग में कई कठिनाइयाँ हैं, जो इस प्रकार हैं-

1 धन साधनों कठिनाई सिंचाई की विविध योजना के विस्तार के लिए बहुत बड़ी धन राशि की आवश्यकता पड़ती है। दुर्भीमवश हमारा देश निर्धन है और बहुत अधिक धन राशि व्यय करते में असमर्प्य है। किसान भी निर्धन है और उनमें करों के हारा सिंचाई के लिए अतिरिक्त कर प्राप्त करते में कठिनाई होती है।

2 तकनीकी सिद्धी की कमी बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्राय ही विदेशों से विद्युपत्रों को बुलाना पड़ता है जो अत्यधिक लालौला है।

3 कुछकों से आविष्ट होनता भारी व्यवस्था का सरकारी पानी ममता कर उसका अपव्यय करते हैं। मात्र ही वे पहुँचे तो वर्षा की ओर आशान्वित होकर बैठ रहते हैं। जब वर्षा नहीं आती तब देर से नहरों पानी नक्कूपों के पानी के लिए भाग दोड़ करते हैं, पालवह्य पमला को ठीक समय पानी नहीं मिल पाता।

4 मिचाई के लिए आवश्यक सामग्री का अभाव सिंचाई की योजनाओं को कार्यान्वित शर्तों के लिए इस्तात मशीनें एवं सीमेट की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इतकी कमी के कारण हमारी मिचाई योजनाओं की प्रगति मनद पड़ जाती है।

5 अवृक्षधान के क्षेत्र में शिक्षितता। सिंचाई की विविध योजनाओं से सम्बन्धित अनुसधान के कार्य को प्राय उपरेक्षित रखा गया है। प्राय योजनाओं को दिना पूरी तरह अन्वेषण किये ही प्रारम्भ कर दिया जाता है। कल यह होता है ति

या तो धन की बरबादी होती है या योजना विशेष को बीच गे ही छोड़ दिया जाता है।

6 राजनीतिक उद्देश्यों की प्रयानता प्राय नेतागण अपने क्षेत्र में इस प्रकार की बड़ी-बड़ी योजनाओं को चालू करने के बारे में ऐसी सीलारामी करते हैं कि मानो ये योजनाएं राष्ट्र की न होकर उनकी व्यवितरण योजनाएं ही। उनका इन्टिकोण बोट प्राप्त करने का होता है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे केवल अपने ही क्षेत्र का विकास चाहते हैं। इस प्रकार जिन क्षेत्रों में सिन्धार्द की समुच्च ही आवश्यकता रहती है, वे क्षेत्र प्राय योजनाओं वी परिधि में ही नहीं आ पाते।

7 भ्रष्टाचार भारत में भ्रष्टाचार की एसी भरमार है कि इसकी चपट में बढ़े-चढ़े इजोनियर सक आ जाते हैं। देश के हित व कल्याण का ध्यान न रख कर, टेक्नोरो से गिर कर पैसे ला जाते हैं। कल यह होता है कि एक और योजना की खागत बढ़ जाती है और दूसरी ओर योजनाओं के कभी भी टूटने या क्षति प्रह्ल होने की आशका वर्ती रहती है।

8 जन सहयोग की कमी यद्यपि सिंचाई सम्बन्धी योजनाएं अनता के राष्ट्र के लिए ही बनाई जाती हैं तो भी जगता इनके प्रति उदासीनता का इन्टिकोण रखनी है। इसका कारण सम्भवत यह हो सकता है कि इन योजनाओं के बनने से उन्होंने राय नहा ली जाती है तथा योजना के निर्माण की धीमी प्रगति एवं पर्ने हुए भ्रष्टाचार से भी उनका उत्साह मारा जाता है।

सुधार भैसूर राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थी निबिलिंगप्पा की अध्यक्षता में एक समिति पार गठन, सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं को और अधिक सामरकी बनाने के सम्बन्ध में सुधार देने के लिए, किया गया था। इन समिति ने जनवरी सन् 1965 म अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी और सिंचाई व्यवस्था को मुपारने के सम्बन्ध में निम्नादित सुझाव दिये थे-

1 नई योजनाएं खालीलों के उत्पादन के इन्टिकोण से बनाई जाय। उन्हीं योजनाओं को लिया जाय जो पैदाचार व राष्ट्रीय हित की अधिकतम वृद्धि कर सकें।

2 सिंचाई योजनाओं में लान का इन्टिकोण भी रद्दुना चाहिए। समिति के मतानुसार यह लाभ की दर 15% अर्थात् 100 रुपयों के विनाश 150 रुपये की उत्पत्ति-दर से होना चाहिए। यह लाभ दर सामान्य क्षेत्रों के लिए है। निष्ठे क्षेत्रों में भी लाभ प्राप्त करना उद्देश्य होना चाहिए, जहाँ सामग्री की दर प्रारम्भ में कम ही नयो न हो।

3. विभिन्न योजनाओं में सम्बन्ध समिति ने छोटी, मध्यम व बड़ी योज-

नाओं में सम्बन्ध स्थापित करने की सिफारिश की है, जिसका सिचाई योजना को अधिकतम लाभकार बनाया जा सके।

4 व्यय का स्थानान्तरण सिचाई पर खच की निर्धारित राशि अव्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित न की जाय।

5 पहले पुरानी योजनाओं को पूरा किया जाय तई योजनाओं को उसी समय लिया जाय जब पुरानी योजनाएँ पूर्ण हो जाय।

6 जल-शुल्क को बसूती सिचाई से होने वाले लाभों के 25 से 40% भाग को जल शुल्क के हथ में दसूल किया जाय।

7 पुराना शुल्क देने वाले क्षेत्रों को प्रायमिकता जिन क्षेत्रों के किसान सुधार शुल्क देने वो तीव्र हो, उन क्षेत्रों को नई सिचाई योजनाओं में प्रायमिकता दी जाय।

अन्य सुझाव।

1 सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान किसानों व सहकारी समितियों को तलावों, झुझों व नलकूपों को बनाने के लिए सहायता के हथ में रख एवं अनुदान दिया जाय।

2 राज्य सरकारों को अधिक अनुदान केन्द्रीय सरकारों को भाटिए कि वह राज्य नगरकारों को अधिक अनुदान देकर विविध प्रकार की सिचाई की योजनाओं को विकास का सफल बनाये।

3 अनुदान का उपयोग जिन क्षेत्रों में सिचाई की सुविधाओं के विकास का बार्य किया जाय, वहां की जनता को अनुदान के लिए प्रतिरूपित किया जाय।

4 अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन—अनुमन्धान बैंड्री की सभ्या में वृद्धि की जाय तथा इसे प्रोत्साहन दिया जाय।

5 अनुचित उपयोग पर रोक पानी को किञ्चल्लचर्चों को रोकने के लिए सिचाई पर पानी के प्रयोग की मात्रा के आधार पर लिया जाय।

उपस्थान:

भारतवर्ष में सन् 1968-69 ई० तक तुल 30.9 मि. हैक्टर भूमि पर छोटी सम्पद जगत बड़ा योजनाओं द्वारा सिचाई सुविधाएँ उपलब्ध की, परन्तु देश की विधालना को देखते हुए ये सुविधाये अपर्याप्त हैं। भारत में अब भी भूमि का एक विधाल भाग जो भिचाई मोर्य है, भिचाई नी सुविधाओं से अचित है। अह मदि देश ने अनाल, अभाव, भूमध्यी से बचाना है और देश को फल घाय से परिपूर्ण करना है, तो भिचाई के साथों का चिकासा तेजी के साथ करना ही होगा। सिचाई की सुविधाएँ भिचाई पर हजारों एकड़ बड़र भूमि लहरहासे हुए खेतों में बदल जायेगी। देश

का साध सहृद जो हमेशा हमे भवनीत किये रहता है, हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगा।

रासायनिक उर्वरक (Chemical Fertilizers)

सर्वोच्च प्रधानमंत्री जवाहरलाल ने ठीक ही नहा या नि यदि हमारी खाद्य समस्या नहीं सुलझती, तो हमारी नभी योजनाएँ बेकार हो जायेंगी। खाद्य-समस्या को सुलझाने के लिए पैदावार बढ़ाना आवश्यक है और पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उपयोग अर्थात् आवश्यक है। यदि उन्नत कृषि विधियों और उत्तम जूकनिकारी विधियों तथा कीड़ा प्रशोधनों से फसलों की रक्षा करने के लिए प्रभावशाली उपायों के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करें तो देश में कृषि-उपज को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है।

पसंदों का आहार के रूप में नवजन, काम्फोरम और पीटाच की आवश्यकता होती है। ये समस्त पौधियां तत्कालीन प्रशार के रासायनिक उर्वरकों से मिल जाने हैं, जिनमें जमीनिया बल्केट, कैटिशम, जमीनिया नाइट्रेट, बूरिया ब्यूरोट बाक फ्लोटाम तथा मल्टेट आर्क फैटाम मूल्य हैं। अमरीका में इन्हीं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग भाज से कृषि उत्पादन में २०% प्रतिशत की वृद्धि हुई है। निश्चय ही भारत में इन उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा कर कृषि उपज में आगामी वृद्धि भी जा सकती है।

भारत में उर्वरकों का प्रयोग विभाग २० बर्डों से भारत में उर्वरकों के उत्पादन में यूरोट वृद्धि हुई है, किन्तु अब भी भारत में प्रायः एक उर्वरक की ओरान उत्पत्ति विशेष का कृति भाग है। भारतीय कृषक साइक द्वारा प्रयोग नाम भाज के लिए करते हैं। पशुओं की खाद को तो में प्राप्त इमान के रूप में जला डालते हैं और रासायनिक खाद खरीदने की उत्तम सामर्थ्य नहीं है, किन्तु रूप भारत में कृषि योग्य क्षेत्र में प्रति हेक्टेक उर्वरक का उपयोग विद्युत के अन्दर देशी की तुलना में बहुत कम था, जैसा निम्नालिका से जात होता है।

उर्वरकों का प्रति हेक्टेक उपयोग
(1966-67 में) (किलोग्राम में)

देश	प्रति हेक्टेक	देश	प्रति हेक्टेक
त्रिवेल्सेंड	६१०	चीन (ताइवान)	२७०
बेल्जियम	५२०	विद्युत	३४
न्यूजीलैंड	१०३	भारत	८
जापान	३३४		

यदि अखिल भारतीय ग्रीष्मत की तुलना में हम फिर्मन राज्यों द्वारा उपभोग किए जाने की स्थिति का अवलोकन करें तो कुछ राज्यों में उर्वरको का प्रयोग अधिक भारत में हो रहा है, जैसे, झामू व कास्मीर, तामिलनाडू, केरल, पश्चिम व आनन्द-प्रदेश में क्रमशः 41·82, 36·14, 23·24, 18·73 व 16·80 किलो उर्वरक प्रति हेक्टर उपभोग में राशा जाता है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में इसका इतना उपभोग नहीं होता। उदाहरणार्थ, राजस्थान, उडीसा, मध्य-प्रदेश व असम में प्रति हेक्टर केवल 2·16, 2·02, 1·95 व 0·98 किलोग्राम ही उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। देश में 'हरित आन्ति' को सफल बनाने के लिए उर्वरको का निरन्तर उपयोग बढ़ता जा रहा है।

उर्वरको का उत्पादन एवं व्यापार—भारतवर्ष में ऊपर फॉस्फेट व एमोनिया नल्केट द्वारीय विषयमुद्देश से पुर्व भी पैदा किया जाता था, लेकिन उर्वरक उद्योग का यस्तुत पिकाम पिछले 12 वर्षों में ही अधिक रेजी से हुआ है। इस समय देश में उर्वरको का उत्पादन सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों में हो रहा है। निजी क्षेत्र में उर्वरक पैदा करने के कारणाने, एलोर, बाराणसी, बडोदा, विशाखापट्टनम, कोटा व कानपुर में है। सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय उर्वरक निगम (Fertiliser Corporation of India) खाद का नवाने बढ़ा उत्पादक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी, 1961 में की गई थी। इस निगम के अन्तर्गत सिद्धी (बिहार), नागाल (पश्चिम), द्राम्बे (महाराष्ट्र), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) तथा नामहप (आसम) में काच इकाइया उर्वरको का उत्पादन कर रही है। निगम की 4 नई परियोजनाओं पर वाम चल रहा है जो शोप्र ही उत्पादन कार्य प्रारम्भ वार देंगी। ये परियोजनायें दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल), बरीनी (बिहार), नामहप (आसम), व निदरी (बिहार) में हैं।

इनके अलावा निगम ने तीन उर्वरक कारखाने स्थापित करने का उत्तरदायित्व भी मन्त्रालय है। कोयले पर आधारित में कारखाने सहार में गवर्नर बडे होंगे। इनकी स्थापना रामगुण्डम (आनन्द प्रदेश), तल्लेवर (उडीसा) और कोरवा (मध्य प्रदेश) में की जायेगी। रामगुण्डम के तल्लेवर में कार्य प्रारम्भ ही कुकुरा है। कोयले पर आधारित प्रत्येक कारखाने की लागत कराना 75 करोड़ रुपये होगी और उनकी दैनिक धमता 900 टन अमोनिया व 1500 टन यूरिया बनाने की होगी। यदि नाइट्रोजन बनाए तो इनमें से प्रत्येक कारखाना प्रति वर्ष 2,28,000 टन नाइट्रोजन बना सकेगा। सरकार ने गिरावन्त रूप ने त्वीकार कर लिया है कि हस्तिया (पश्चिमी बंगाल) में 73 करोड़ रुपये की लागत से एक उर्वरक परियोजना प्रारम्भ की जायेगी। यह कारखाना देश में उपलब्ध ईंधन-तेज पर आधारित होगा और इसकी वार्षिक उत्पादन

धनम् 3,77,000 टन नाइट्रोफाम्फेट, 1,65,000 टन यूर्सिया और 60,000 टन सोडा एवं होगी और नाइट्रोजन के हिसाब से इनसी वार्षिक उत्पादन क्षमता 1,50,000 टन होगी और फार्मफेट के हिसाब में 6000 टन।

भारतवर्ष में रासायनिक खाद के उत्पादन व आपात की स्थिति वा अनुसन्धान निम्न आँकड़ों में लगाया जा सकता है :

(पोषण के हजार टनों में)

वर्ष	नाइट्रोजन खाद		फार्मफेट खाद		पोटाश खाद
	उत्पादन	आपात	उत्पादन	आपात	
1951-52	16	29	11	—	8
1965-66	232	326	111	14	85
1969-70	716	667	222	94	120
1970-71	830	477	229	32	120

उपर्युक्त आँकड़ा स स्पष्ट है कि योजनावाल म रासायनिक खादों की पूर्ति में काफी कृदि भी गई है। चतुर्थ योजना के प्रारम्भ के दो वर्षों में नाइट्रोजन खाद की उत्पादन क्षमता 10.2 लाख टन से बढ़ कर 13.4 लाख टन हो गई है। इसका उत्पादन लक्ष्य योजना के बल तह बब संशोधित करके 24 लाख टन रखा गया है। उत्पादन में कृदि के बावजूद भी हाल के कुछ वर्षों में उत्पादन का काफी बाधाव लगा गया है। लगभग 130 रुपये का वार्षिक आपात हुआ है।

उगत बीच—कृषि उपज म वृद्धि के लिए उन्नत बीजों का प्रयोग जापस्थक है। इनके प्रयोग से उत्पादन में 10-12 प्रतिशत वृद्धि ही जा सकती है। भारतवर्ष में 1966 से अपनाई जा रही नई कृषि नीति के अन्तर्गत विभिन्न फलों में नई किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। हृषि विभाग एवं कृषि अनुसंधान की भारतीय परिषद ने उन्नत किस्म के बीजों का विकास करने एवं उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए बनेव भूत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं की विशेष प्रतिक्रिया की भारतवर्ष में विकास किया जा रहा है। इनी योजना में प्रत्येक विकास खण्ड में बीज फार्मों का निर्माण किया गया ताकि उन्नत किस्म के

बीजों की बड़ी हुई बात को पूछा किया जा सके। सरकार ने उन्नत किस्म के बीजों के उत्पादन एवं वितरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय बीज निगम (National Seeds Corporation) की स्थापना की है। सन् 1970-71 तक 146 लाख हेक्टर भूमि उन्नत बीजों के अन्तर्गत लाई जा चुकी है, जबकि अनुरूप गोजना के अन्त तक 250 लाख हेक्टर भूमि को उन्नत बीजों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है।

कृषि का यशोकरण (Mechanisation of Agriculture)

कृषि यशोकरण से तात्पर्य देती की समस्या कियाजो से हल बलाने से लेकर फसल के काठने व नेचने तक मशीनों का प्रयोग करना है। इसके अन्तर्गत बहु भी सम्भव होता है, पशु एवं मानव शक्ति की जगह यचों का कृषि कार्यों में प्रतिस्थापन किया जाता है। पास्चात्य देशों में कृषि में यशोकरण के कारण ही कृषि कानि हुई। बहु के कृषि आजकल इन्हन एवं आधुनिकतम कृषि यशों का प्रयोग करते हैं तथा कृषि को लाभदायक उत्पादन के रूप में व्यक्तिगत हुए हैं, जबकि दूसरी ओर भारतीय हृषकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कृषि औजार एवं कृषि कार्य के लिए अधिक उपयुक्त नहीं हैं।

विगत वर्षों में भारतवर्ष में ज्ञानी मशीनों प्रयोग दृष्टरों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। भारतवर्ष में एक और दो ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है तथा दूसरी ओर इनकी कमी की पूर्ति आयात करने की जा रही है। सन् 1970 में भारत में ट्रैक्टरों का उत्पादन 20500 हुआ था। देश में कृषि यशों की गाँव उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, जिसे पूरा करने के लिए पावर टिलां, डिस्क हैरोज आदि कृषि यशों के आपात की गई व्यवस्था की जा रही है। भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि यशों के वितरण की व्यवस्था के लिए कृषि उद्योग नियम स्थापित किए गए हैं। ये नियम ट्रैक्टर व अन्य कार्म मशीन को आसान शर्तों पर खेचते हैं या किराए पर देते हैं तथा सेवा केन्द्रों की व्यवस्था करते हैं।

कृषि यशोकरण के विषय में तर्क बहुत से विद्वानों का मत है कि भारत में कृषि के क्षेत्र में यशोकरण उपयुक्त नहीं है। यशोकरण के विषय में श. ये तर्क दिये जाते हैं— (1) भारत में खेतों का आकार इतना छोटा है (3 से 12 एकड़ के बीच) कि यशोकरण के लिए कोई जगह नहीं, (2) कृषि यशोकरण लालों हृषकों की बेरोजगारी के गति में ढकेल देगा। पूर्ण यशोकरण की विविधि में भारत में उपलब्ध कुल द्वेशकल को 30 से 40 लाख हृषकों द्वारा जोता जा सकता है, (3) कृषि यशो-

नरण से हमारी पशु सम्पत्ति कालतू हो जायेगी , (4) पूर्ण हृषि यन्त्रीकरण के लिए, बड़े ऐंगने पर काम मशीनरी को प्राप्त करना बहुत है क्योंकि विदेशी मुद्रा के सकट के बारण न तो इनका आयात हो सकता है और न निर्माण ही , (5) काम मशीनरी के परिचालन के लिए पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के सेल की अधिकाधिक आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी हमारे देश में कमी पाई जाती है ।

कृषि यन्त्रीकरण के पक्ष में तर्क कृषि यन्त्रीकरण के विषय में दिये गए वक्तों का उत्तर दिया जा सकता है । इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं (1) भारत की वर्तमान उन्नतीकी परिस्थितियों से 20 से 50 एकड़ के बाकार के खेतों के लिए उपयुक्त कृषि मशीनरी प्राप्त की जा सकती है बर्तात छोटे-छोटे खेतों पर भी यन्त्रों का उपयोग हो सकता है , (2) जारीक हप से यन्त्रीकरण करने पर बोरोजगारी का अर्थात् भव्य उत्पन्न नहीं होगा । साथ ही यन्त्रीकरण के परिणाम स्वरूप बोयले, लोहे, इत्यादि परिवहन आदि की अधिक गाग होने से नए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें , (3) कृषि मशीनरी का उत्पादन देश में ही किंग जा सकता है तथा आयात पर निर्भरता समाप्त भी जा सकती है , (4) पेट्रोल, डीजल व मिट्टी के तेल का उत्पादन हव्य भारत में बढ़ाया जा सकता है , (5) कृषि यन्त्रीकरण से बड़े ऐंगने की गितव्ययिताएं प्राप्त की जा सकती हैं , (6) कृषि यन्त्रीकरण कृपकों को भारी घका देने वाले कागों से छुटकारा दिला गकता है , (7) कृषि यन्त्रीकरण से प्रति वर्षित एवं प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है (8) कृषि यन्त्रीकरण उद्योग, परिवहन आदि के होत्र में रोजगार के साधन बढ़ा सकता है ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कृषि यन्त्रीकरण एक अच्छी नीति है । कृषि में यन्त्रों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ाने से उत्पादकता में वृद्धि होगी और रोजगार के साधनों का भी अन्तर्नोगत्वा दिकाए होगा ।

प्रश्न

1 संविधान दिप्ति लिखिए (अ) भारत में बहुउद्देशी नदी घाटी योजनाएँ । (राज० टी० डी० सी० प्र० वर्ष कला 1966)

2 भारतीय हृषि के लिए सिंचाई का क्या महत्व है ? पिछली दो योजनाओं में सिंचाई के विकास का मूल्यांकन कीजिए ।

(सागर, बी० ए० 1963)

3 भारत में यिकाई के विभिन्न माध्यनों का वर्णन कीजिए और उनके आर्थिक महत्व पर प्रकाश आँखें । (गोरखपुर बी० ए० 1960)

4. "नदी—शाटी प्रोजेक्शन वर्तमान भारत के गोपनीयता है।" विवेचन कीजिए। (राज० दी० ए० 1864)

5. 'राजस्थान नहर' पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(राज० दी० ए० 1964)

6. "भारत में कृषि-उन्नति के लिए सिंचाई के साधनों की उन्नति सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बिना क्षेत्र समस्या मुल्ज नहीं सुखती।" इस कथन की सर्वांगी कीजिए। (राज० दी० ढी० सौ० प्रथम वर्ष कला 1968)

7. Describe the steps taken during recent year for extension of irrigation facilities with particular reference to Rajasthan.

(Raj B A Second Yr 1960)

भूमि-व्यवस्था एवं भूमि-सुधार

(Land Tenures and Land Reforms)

'A land reform, which has stopped half-way or has been only half-heartedly undertaken, almost inevitably creates conditions which are inimical to justice as well as to overall development.'

— Prof . D R. Gadgil

भूमि-व्यवस्था से हमारा आशय उस व्यवस्था से है, जिसमें किसानों के भूमि सम्बन्धी अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की व्यवस्था होती है। किसान सर्वेव से ही अपनी भूमि के प्रति व्याकरणित रहा है। जिस व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि पर उसका अधिकार होता है उस व्यवस्था में वह जी-जात लगाकर उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करता है। जहाँ भूमि में उसे कोई अधिकार नहीं दिया जाता, वहाँ वह कृषि के प्रति उदासीन हो जाता है, कल्याणव्यष्टि उत्पादन भी कम हो जाता है। सक्षेप में, किसान को भूमि में अधिकार दिये विना, कृषि-उपज बढ़ाने की सभी योजनाएं वेश्वार साक्षित होगी। अत त्रिष्णु-उपज बढ़ाने में भूमि-व्यवस्था एवं भूमि-सुधारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

स्वतन्त्रता के समय भारत में प्रचलित भूमि-व्यवस्था

स्वतन्त्रता के पूर्व भूमि-व्यवस्था या भूमि-स्वामित्व प्रणाली की तीन प्रकार्यें, भारत में प्रचलित थीं, जो सक्षेप में निम्नलिखित हैं :

(क) रैंपतवाड़ी प्रथा (Ryotwari System) इस प्रथा को धार्म सुनारो ने सर्वप्रथम सन् 1972 ई० में गद्वास में लागू किया था। धीरे-धीरे वह प्रथा भूमिका, दरार, कुँआ, मध्य प्रदेश तथा आसाम में प्रचलित की गई। इस पद्धति में किसान का सम्बन्ध सीधे सरकार से होता है तथा बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता है। किसानों को सब अपने खेतों का लगान सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता है। जब तक वह लगान देता है, तब तक वह भूमि का स्वामी बना रहता है, परन्तु लगान न देने की स्थिति में भूमि पर राजप का स्वामित्व हो जाता है। किसानों को इस प्रथा में अपनी भूमि को प्रयोग में लाने, बदलने व छोड़ने का पूरा अधिकार होता है। इस

व्यवस्था में वहाँ मध्यस्थ नहीं थे, परन्तु जनसंख्या की उत्तरोत्तर हृदि के बारण इस प्रथा में भी काश्तकार व उप-काश्तकार पैदा हो गये। वल्लभस्थप यह व्यवस्था भी मध्यस्थों से अछूती न रही। यह प्रथा मध्यस्थ, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश में प्रचलित है।

(ब) महालबाड़ी प्रथा (Mahalwari System) : इस प्रथा का प्रचलन सर्वप्रथम अगरा व बबवध में सन् 1833 ई० में 'रेग्केन्ट एक्ट' के आधार पर हुआ। बाद में इसे पञ्चाव व मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में भी लागू कर दिया गया। 'महाल' शब्द का अर्थ है गांव। इस प्रथा में महाल या गांव से सम्बन्धित किसानों का एक समूह समूक्त व व्यक्तिगत रूप से अपना लगान चुकाता है। प्रत्येक गांव का एक नम्बरदार होता है जो गालगुजारी सरकारी कोष में नमा कराता है। इस प्रथा को 'सम्बन्धित ग्राम स्वामित्व प्रथा' भी कहते हैं। भूमि पर सभी लोगों का स्थायी सम्पत्ति के रूप में अधिकार होता है। इस प्रथा में गांव की बैकार व बजर भूमि, कुएँ, वृक्ष आदि सभी किसानों की समूक्त सम्पत्ति होते हैं। यदि जोई किलोग्राम प्रती भूमि छोड़ता है, तो समूप भूमि जीव वालों की हो जाती है। यह प्रथा उत्तर-प्रदेश, पंजाब, तथा मध्यप्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है।

(ग) जमीदारी प्रथा (Zamindari System) १ भारतवर्ष में जमीदारी प्रथा मुगलों के भ्रमण से चली था रही है, परन्तु वर्तमान जमीदारी प्रणाली के खीलांगन करने कर थेव लाई कानूनी संस्कारित की गयी है, जिसने सन् 1793 ई० में ग्राहीय किसान को एक निश्चित रकम देने के बदले भूम्याग्रिव अधिकार दिये थे। यह प्रथा उस समय इंग्लैण्ड में प्रचलित प्रथा पर आधारित थी। इस प्रथा में समृह भूमि का मालिय जमीदार होता है जो स्वयं भूमि को नहीं जोतता है, वरन् भूमि को लगान पर लठा देता है। इस प्रकार कानूनी तौर पर लगान देने वाली जिम्मेदारी जमीदार के ऊपर ही होती है जो सरकार एवं काश्तकारों के मध्य मध्यस्थता का कार्य करता है। जमीदार द्वारा सरकार को दिये जाने वाले लगान की मात्रा को प्रकार से निश्चित होती है : (त) स्थायी प्रबन्ध इसमें लगान की मात्रा हमेशा के लिए एक ही बार निश्चित कर दी जाती है, तथा (ख) अस्थायी प्रबन्ध-इसमें लगान की मात्रा समव एवं निश्चित की जाती है।

जमीदारी प्रथा को लागू करने से चिट्ठा सरकार को 'निलिजित लाभों' की सम्भावना थी —

- (1) सरकारी अय में विवरता एवं निश्चितता, (2) भूमि उन्नति का सम्भावना
- (3) एक स्थायी-भ्रक्तु शक्तिशाली वर्य का निर्याण, (4) परकारी आय की वसूली में तरफ़ता।

१ जमीदारी बद प्राप्त वर्षी राजी में लगान कर सी पड़े हैं।

जमीदारी प्रथा के दोष : गमय एवं परिस्थितियों के बदलने के साथ-साथ इस प्रथा में अनेक दोष देख हो गये, पहलस्वस्प, सर्वसाधारण जनता इस प्रथा की विरोधी हो गई। इसके मूल्य दोष निम्नलिखित हैं:

1. कृषकों का दोषण : जमीदारी ने अनुचित एवं अत्यधिक लगान लेकर तथा बेटे, बेगार एवं नगरानों की प्रथाओं द्वारा निर्धन एवं जर्जर कृषक वर्ग पा दोषण किया।

2 समाज पर अनुत्पादक वर्ग का भार—यह वर्ग कोई कार्य नहीं करता था। किसानों की गाड़ी कमाई को छीन कर विलासितापूर्ण जीवन विताना एवं ऐशोआराग करना ही इनकी विनाशकी रह गई थी।

3 भूमि गुप्तार से याता जमीदारी प्रथा के अन्तर्गत भूमि-मुद्धार पर तो न जमीदारों ने कोई मुद्धार विचार और न किसानों ने, क्योंकि किसानों को हमेशा ही बेदखली का भय बना रहता था।

4. देशबोही कार्य जमीदार अध्येता दासकों के मच्चे भक्ति थे। भारत के रक्षत्रहा आदीलन को दवाने के लिए इन्होंने देशभक्तों के उपर नाना प्रकार के अधिकार किये।

5 सरकार वो अधिक हानि एक और तो जमीदार किसानों से उनकी उत्पत्ति का लाभग 50 से 60% भाग लगान के रूप में लेता था और दूसरी ओर वह राजकार को सदा के लिए निश्चित लगान देता था जो प्रायः उनके द्वारा बहुत गये लगान से बहुत कम होता था। कल्पस्वरूप भरतार वो मालगुजारी में कम रक्त गिलती थी।

6 शामोण समाज में दो वर्गों का उदय : इस प्रथा के परिणामस्वरूप शामीण समाज दो वर्गों में बट गया, धनी एवं निर्धन वर्ग। धनी वर्षात जमीदार वर्ग सम्पन्न था एवं समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी। दूसरी ओर किसानों के अधिकार छिन गए तथा उन्हें दासों की भाँति जीवन-न्यून करने के लिए वाध्य होता पड़ा।

7 सरकार एवं कृषक वर्ग में दूरी : जमीदारी प्रथा के फलस्वरूप सरकार का ध्यान केवल मालगुजारी वसूल करने पर ही रहा। मालगुजारी भी उसे जमीदारों से मिलती थी, वे कृषकों से नहीं। परिणामतः सरकार का कृषक वर्ग से प्रत्यक्ष सम्पर्क समाप्त हो गया।

8. मुकदमेवानी में वृद्धि : जमीदारी प्रथा ने जमीदार आने स्वार्थ-सिद्धि के लिए प्राप्ति को बेदखल भर दिया करते हें तथा ज्ञेत दूसरे किसानों को ऊंची लगान दर पर उठा दिया करते थे। किसान ऐसी बेदखली का विरोध करते थे जिससे मुकदमेवानी में वृद्धि होती गई।

9. सामाजिक असतोष में बृद्धि जमीदार धन के नमे में दुरावारी बनते चले थे। भूलै, नगे, दरिद्र, किसानों की गाड़ी कमाई पर विलासितपूर्ण जीवन विहाने के कारण, वे जनता में पृथा की दृष्टि से देखे जाने लगे। उनके दुष्कारों का परिणाम यह हुआ कि समाज में भीषण असतोष की ज्वाला धधक उठी, जिसने विद्या सरकार की नीति हिला दी।

10. अनेक मध्यस्थों का जन्म जमीदारी प्रथा में जमीदारों की विलासी प्रवृत्ति के कारण वे इसका कार्य रखने न देखते थे, वरन् अपने कारिंदो पर छोड़ देते थे। कारिंदे आने काम को ध्यान ने रखते थे और बड़े-बड़े किसानों को उप-किसानों में भूमि बाटने की छूट दे देते थे, फलस्वरूप कई मध्यस्थ पैदा हो जाते थे। इम सम्बन्ध में पलाड़ कमीशन ने बताया है कि बगाल के मालिकजमीदार तथा तेती करने वाले वास्तविक किसानों के बीच 50 से भी अधिक मध्यस्थ थे।

इस प्रकार जमीदारी प्रथा ने देश के कुपक बर्ग का बगालार शोषण किया तथा उसे भूका, नगा और बागाल बता दिया। प्राचीन जात में खेती और खेती करने वाले को समाज में जो उच्च रक्कान प्राप्त था, उससे उसे नोचे गिरा कर गुलामी की भाँति जीवन-न्यासन करने पर बाध्य कर दिया गया। जमीदारों की ज्यादतिया इन्हीं बढ़ गई थी कि सिवाय इस प्रणाली की समाप्त करने के बीच बोई नारा ही न था। विना जमीदारों एवं जमीदारी प्रथा के हमाल दिये, कृषि की हीन अवस्था को सुधारा ही नहीं जा सकता था, जमीदार समाज का अनुपयोगी एवं अनुपादक अग बन गये थे। जमीदारी प्रथा एक अनुपस्थित जमीदारी थी जिसके विषय में कार्वर (Carver) ने बड़े उपयुक्त शब्दों में कहा है, “युद्ध, बकाल और महामारी के बाद परों को जित दुर्जीय का सामना बरना पड़ सकता है, वह है अनुपस्थित जमीदारी।”¹

भारतवर्ष में मूर्मि-सुधार (Land Reforms in India)

“न तो वैज्ञानिक कृषि और न सहकारिता ही प्रथाति कर सकती है, बल तक कि भूमि प्रणाली में सुधार न किया जाय”। भूमि-सुधार के सम्बन्ध में डॉ राधा काल मुख्याली के ये विचार पूर्णत तरीके संगत हैं —

भारतवर्ष में भूमि-सुधार सम्बन्धी कदम पद्धति स्वतन्त्रता प्राप्ति से सूर्व भी उठाए गये थे, लघापि वे प्रभावशाली न थे और भूमि-न्यवस्था प्राप्त ज्यों की तरीकी भी रही थी। जालादी के पश्चात देश की लोकप्रिय सरकार ने इस सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण कदम ढाये।

1. “Next to war, famine and pestilence the worst thing that can happen to the rural community is absentee landlordism.”

स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद ही उत्पादन में बृद्धि का वार्षिक दरतांते समय वह अनुभव किया गया कि हमारी भूमि-व्यवस्था में कई गम्भीर दोष हैं और उन्हें हूर किए विना कृपि विकास सम्भव नहीं। इन दोषों को ही करने के लिए 1947 के पहले भी कुछ वानूनी उपाय किए गए थे, परं ये अपर्याप्त सिद्ध हुए। स्थिति की गम्भीरता को और स्थितिशास्त्र में प्रदत्त नामर्तज़ित व्याख्या के बचतों से देखते हुए भूमि-व्यवस्था में तुरन्त सुधार करने को उच्च प्रायमिता दी गई। इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भूमि-नुधार वार्षिक एक निर्दिशि दिमा मिली। देश की पचबीसी योजनाओं में, प्रारम्भ से ही, भूमि-नुधारों के गहरव पर बल दिया गया और वह स्पष्ट है कि योग्यता देश में भूमि-सुधारों की उल्लेखनीय सफलता नहीं प्राप्त की जाती, देश की कृपि व्यवस्था नहीं मुख्य नहीं।

भूमि-सुधार के संदेश (Objectives of Land Reforms) :
भूमि सुधार कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं —

(i) भूमि-वासित्व तथा वितरण की विधमताओं को मिटा कर आर्थिक विधमता को बढ़ा करना, (ii) भूमि-क्षेत्र से दैवानिक दोषों से निवारण वरके कृपि-व्यवस्था के विकास के मार्ग को प्रशस्त करना, (iii) हीरि उत्पादन के मार्ग की मन्त्री कठिनाइयों को हूर करने अधिक उत्पादन के मार्ग को प्रशस्त करना, (iv) भूमि प्रबन्धक की भूमिल व्यवस्था को सम्भव बनाना, (v) आम तरह अवमर की यामाज़िक विधमताओं को मिटाना आदि।

पचबीसी योजना में भूमि सुधार प्रवर्म योजना में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर भूमि नीति निर्धारित की गई जिसकी प्रमुख बातें थीं—(i) राज्य तथा किसानों के बीच मध्ये प्रकार के मध्यस्थों को समाप्त करना, (ii) बड़े-पड़े भूस्वामियों की भूमि की नीमा निर्धारित करना और इन प्रकार प्राप्त हुई जितिरिज़ भूमि को बाड़ना; (iii) छोट-छोटे तथा मध्य बर्ग के भूस्वामियों के उत्पादन में बृद्धि करने के लिये जोती की चक्रवर्ती नरना, मूलि के उपविधान एवं अपदण्डन को रोकना तथा सहारी कृपि को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना, (iv) वास्तकारी कानूनों में सुधार जिससे उनमें कमी की जा सके तथा किसानों को इनके हारा जोती जाने वाली भूमि खरीदने की सुविधा प्रदान की जा सके, तथा (v) लोतिहर थमियों की स्थिति में सुधार करना। इन योजना काल में मध्यस्थों के उत्सुद्धन के सावन्य में पर्याप्त प्रगति हुई और प्राय सभी राज्यों में इस सम्बन्ध में कानून पास विए गए। देश की कुल भूमि का प्राय 43 प्रतिशत भूमि गवाहों के बाहरी भी जो अब राज्य

के अधीन ला गई थी। लेकिन अस्य भूमि सुधार कार्यक्रमोंसे लगात का नियमन व कमी तथा चकवन्दी अधि, के सम्बन्ध में विशेष प्रणति नहीं हुई।

द्वितीय चबर्योव योजना में भूमि सुधार को विशेष महत्व दिया गया। जोड़ों की अधिकतम सीमा निर्धारण करने का कार्य भी तीन या 4 बपों में समाप्त करने का सुझाव दिया गया। इस योजना में सहकारी सेही अपनाने पर बहुत जोर दिया गया था। राज्य सरकारों को ऐसा कदम उठाने के लिए कहा गया ताकि 10 बपों में ही देश के अधिकतर कृषि क्षेत्र में महकारिता के आधार पर कृषि की जा सके।

नागपुर का भूमि-सुधार प्रस्ताव (Nagpur Resolution on Land Reforms): द्वितीय योजनावधि में ही जनवरी 1959 में होने वाले नागपुर अधिकेशन में भूमि सुधार की पूर्ण रूप रेखा प्रस्तुत की गई, जिसकी प्रमुख बातें निम्नान्वित हैं —

(i) बाजीब सहान, शाम पचायत तथा ग्राम-सहकारिता पर आपारित हो जिनके पास पर्याप्त अधिकार व साधन हो।

(ii) कृषि का भावी हाना समुक्त नहकारी कुशिपर आवारित होना चाहिए।

(iii) बहुमाल उथा भावी जोड़ की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देना। चाहिए। इसके कल्पनारूप जो जमीन सरकार के कड़ने से आए उस पर पचायतों का अधिकार होना चाहिए तथा उसका प्रबन्ध भूमिहीन किसानों की सहायता के त्रैये में होना चाहिए।

(iv) कृषक को उचित लाभ दिलाने की हृष्टि वे हर फसल का उसकी बुद्धाई के भीतर से काढ़ी पहले न्यूनतम मूल्य निश्चित वार देना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर पैदावार को गोंधे ऊरीदेने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(v) बजार भूमि को कृषि बोग्य बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

(vi) लादानों के बोइ ब्यासार को राज्य के हाथ में सीपना चाहिए।

तृतीय योजना में भूमि सुधार के सम्बन्ध में प्रधान उद्देश्य उन कार्यक्रमों को कार्यन्वित करना था, जिने द्वितीय योजना में प्रारम्भ किया गया था। योजना में भूमि सुधार कार्यक्रमों को यथा शीघ्र पूर्ण बरते पर जोर दिया गया।

ततुर्थ पचायर्योव योजना में भी भूमि सुधार को कृषि विकास की योजना का एक आवश्यक अव माना गया है। इस योजनाकाल में भूमि सुधारों की दिक्षा में निम्न कदम उठाये जाने की व्यवस्था है। (i) योजनाकाल में भूमि सुधारों को कार्यन्वित करने पर विशेष लल दिया जायेगा, (ii) राज्य सरकारें लगान के प्रबलित लगाए एवं पट्टेदारी से सम्बन्धित बन्ध शर्तों में सशोधन करेंगी ताकि उत्पादन पर

अनुकूल प्रभाव पड़ सके; (iii) योजनाकाल में भूमिधिकारी का अधिकार तैयार करने की विशेष व्यवस्था की जायेगी; (iv) राज्यों की योजनाओं में भूमि की छोटी-छोटी हजारियों को मिलाने पर 28.4 करोड़ हेक्टेर के व्यवक्षय की व्यवस्था की गई है। (v) इस योजनाकाल से कृषि अक्षिक को बसाने पर राज्य सरकारों की योजनाओं पर 5.54 करोड़ रु. व्यव करने की व्यवस्था की गई है; (vi) योजनाद्वितीय में भूमि सुधार कार्यक्रम का सामयिक मूल्यांकन किया जायेगा।

भारत में भूमि-सुधार के उपाय (Land Reform Measures in India): स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भूमि-सुधार की दिशा में एक के बाद एक नये-नये कदम उठाये गये, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विवरित हैं :

(क) मध्यस्थों की समाप्ति (Abolition of Intermediaries)

(ख) कालान्तरी कानूनों से सुधार (Tenancy Reforms)

(ग) जोतों का सीमा निर्वारण (Ceiling of Land Holdings)

(घ) कृषि का पुर्वसंगठन (Reorganisation of Agriculture)

(क) मध्यस्थों की समाप्ति (Abolition of Intermediaries);

मध्यस्थों की समाप्ति एवं 'भूमि उसकी जो उसे लोते-बोये', वैष्णव पर्टी की कृषि-नीति के द्वारा महत्वपूर्ण आधार थे। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कार्यसं पार्टी ने अपने प्रथम चुनाव घोषणापत्र में यह खण्ड कर दिया था कि वह मृदलों को उचित मुश्किलों देकर, उनके भू-संवर्धन के अधिकारी को हमेशा हमेशा के लिए समर्पण कर देगी।¹ कलम्बन्ह प्रशिक्षित में जाते ही इसने जमीदारी, जमीदारी व अध्य नामों से फैली मध्यस्थता परों समाप्त कर दिया। ये मध्यस्थ देश की समस्त भूमि के 43 प्रतिशत भाग में फैले हुए थे। भारत के विभिन्न राज्यों ने आमे ग परों क्षेत्रों में अधिनियम पारित करके गध्यस्थों की समाप्त कर दिया है। जहाँ एहते जमीदारों के पास देश के कृषि गोपय क्षेत्र का 43%, था, वहाँ अब केवल 5% ही रह गया और 38% क्षेत्र पह जमीदारी समाप्त कर दी गई। लगभग 2 करोड़ हेक्टेकि किसानों का अब सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

जमीदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए जो कानून पास किए गए हैं, उनकी प्रमुख बातें निम्नांकित हैं :

(i) जमीदारों से उनकी भूमि लेते के बदले में उन्हें मुश्किलों के लिए वर्त दिया गया। यह घन उनकी भूमि की शुद्ध आय पा कुछ गुना है। इन मुश्किलों का

1. "The reform of land system, which is so urgently needed in India, involves the removal of intermediaries between the peasant and the State. The rights of such intermediaries should, therefore, be acquired on payment of equitable compensation."

—Land Reforms in India, p. 75.

आधार तथा दर विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न थी। ज्यो-ज्यो आय बढ़ती जाती, तथा त्यो दिए जाने वाले मुआवजे की दर घटती जाती है।

(ii) मुआवजे की रकम तगद या बाँड के रूप में दी जाने की व्यवस्था की गई थी तथा इनके चुकाने का समय 10 से 30 वर्ष रखा गया था। आसाम, बांग्ला प्रदेश, गंधग्रन्देश, तामिळनाडु, उडीसा, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों ने क्षतिपूर्ति या मुआवजा नगद देने का निश्चय किया, जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विहार, गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों ने नगद व बाँड के रूप में मुआवजा देने का निश्चय किया। बैंड-दे मध्यस्थी को प्राय बाँड देने का सिद्धान्त अपनाया गया तथा छोट मध्यस्थी को नकद में ही मुआवज देने का निर्णय किया गया।

(iii) जमीदारों द्वारा दुद खेती करने के लिए भूगि रखने की अनुमति दी गई है तथा अधिकतम भूगि की सीधा निश्चित कर दी गई है।

(iv) किसानों के लिए कृषि सम्बन्धी दरते पूर्ववत् ही हैं, अन्तर केवल इतना है कि अब उनका सरकार से सीधा सम्बन्ध है। अपने निश्चित रूपान का कुछ गुना धन देकर वे भूस्वामित्र के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

(v) मुआवजे के रूप में अब तक 570 करोड रुपयों में से केवल 320 करोड रुपये ही नकद या बाँडों के रूप में चुकाये गये हैं। इस प्रकार देश के 43 प्रतिशत द्वैत में जमीदारी, जमीदारी व इनाम के रूप में फैले हुए मध्यस्थी के अधिकारों को समाप्त किया जा चुका है। इन सुधारों के बाद सरकार का लगभग ही करोड़ काल्पकारों से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो चुका है। पश्चिम जमीदारी प्रबन्ध अब समाप्त ही चुकी है, तथापि योजना आयोग भी भूमि नुधार समिति के अनुसार अभी भी भूमि का बहुत सा भाग अनुपस्थित भू-स्वामियों के पास है। इसे भी शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिए। निजी कृषि की व्यवस्था मही ढांग से भी जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत न केवल भू-स्वामी का गाव में रहता ही जहरी हो, अपिनु वह भूमि पर काप भी स्वयं करें। जमीदारी प्रबन्ध के उन्मूलन ही जाने से यह तही समझ सेना चाहिए कि कृषि विकास स्वत ही जायेगा। परिव जबाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 'यह तो केवल विकास के पार्श्व की एक बड़ी वाधा को हटाना है। इस वाधा के दूर हो जाने के पश्चात् भूमि व्यवस्था एसी की जानी चाहिए, जिसके पलस्त रूप भूमि के उप-विभाजन एवं बप स्पर्धन के दोप दूर हो सके तथा कृषि उत्पादन अधिकाधिक हो सके।

(vi) काल्पकारों कानूनों में सुधार (Tenancy Reforms) इस व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित सुधार जाते हैं-

(1) भू-जोतों की सुरक्षा (Security of Tenure),

- (ii) लगान में कमी (Reduction in Rents),
- (iii) किसानों को भू-स्वामित्र दिलाना (Ownership for Tenants)
- (iv) स्थायी सुधारों के लिए मुआवजा (Compensation for Permanent Improvements)
- (v) दगान से छूट (Remission of Rent), तथा
- (vi) अन्य सुधार (Miscellaneous Improvements)

(i) भू-जोतों की सुरक्षा (Security of Tenure) दबावग सभी राज्यों में या तो कानून बन। कर भू-जोतों की सुरक्षा बर दी गई है या की जा रही है। योजना आयोग का यह दृष्ट भवत है कि भूमि सुधारों वा उम समव्य तक की इ प्रभाव नहीं पड़ सकता, जब तक कि किसानों को उनकी जोता के सम्बन्ध में सुरक्षा न प्रदान की जाय।¹ भू-जोतों की सुरक्षा आवश्यक है तथा किसानों को इन सम्बन्ध में पूर्ण आश्वासन दिलाना चाहिए कि उनकी जमीन को किसी बहाने से कोई भी न के सकेगा तथा जब तक वे मालगुजारी देते रहें, उन्हें बेदखल न लिया जा सकेगा। इसका अच्छा परिणाम यह तिकलेगा कि किसान अपने खतों को हमेशा हमेशा के लिए अपना समझ कर उन पर स्थाया सुधार बरसें के लिए प्रेरणाप्रद होग। इसे भूमि में स्थायी सुधार होग। कृषक व कृषि की दशा में आश्वर्यजनन सुधार होग। कृषक को भूमि पर स्थायी अधिकार मिलगे से देश की कृषि अवस्था में आइनप्रॅनक प्रगति होगी। श्री गार्डर यग ने द्वारा गार्डर्न में ठीक ही बहा है 'निजी सम्पत्ति का जाहू रेत को गोना बना देता है। किंगी अंकित को एक चट्टान का सुरक्षित अधिकार दे दीजिय और वह इसे जावन में बदल देगा, उमे नो वर्ग के ठंक पर एक उगावन दे दीजिय और वह इसे मध्यस्थान में बदल देगा।'²

प्राय देश के सभी राज्य भू-जोतों की सुरक्षा के महत्व से परिचित है। 12 राज्यों में सभी सधीय शांतों में भू-जोतों की सुरक्षा सम्बन्धी नानून बा चुके हैं। देश की कुल वास्तव में आने वाली भूमि के 9%, भाग को पूरी सुरक्षा मिल चुकी है। 49% भाग में आगिक सुरक्षा तथा 19% भाग में अव्याहृत सुरक्षा प्राप्त हो चुकी है। अभी 12% भाग में सुरक्षा की अवक्षेपा नहीं हो सकी है। परन्तु इस और भी प्रश्न आरी है।

1 Planning Commission, Progress of Land Reforms, p. 7

2 "The magic of private property is as sand in o gold. Give a man a secure possession of black soil and he will turn it into a garden. Give him a nine years lease of a garden and he will convert it into a desert."

(ii) लगान में कमी (Reduction in Rents) : भूमि-सुधार कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी किया गया है कि लगान की दरें कम करदी गई हैं। पहले माध्यराणत कुल उपज का आधा भाग लगान के रूप में ले लिया जाता था। प्रथम पचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने किसान से कुल उपज का केवल $\frac{1}{2}$ से $\frac{1}{3}$ भाग तक ही लगान के रूप में लिए जाने की गिफारिश की थी। हिन्दीय योजना में भी इस बात पर काफी बल दिया गया था। परिणामस्वरूप विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में लगान की दरें नियर्वाचित कर दी हैं। इन दरों में समानता नहीं पाई जाती। आमाम, विहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, उडीसा, राजस्थान तथा सधीय क्षेत्रों में लगान कुल उपज का या या तो $1/4$ भाग है या इससे भी कम है। बांध प्रदेश, तार्गिलनाडु, पञ्चाब, हरियाणा, पंजाब व जम्मू व कश्मीर में लगान बच भी कुल उपज के $1/3$ भाग से लेकर $1/2$ भाग तक है, जो अनुचित रूप से अधिक है। उत्तर प्रदेश में काश्तकार बही लगान दे रहे हैं जो पहले वे जमींदारों की देते थे।

(iii) किसानों को भू-स्वामित्व दिलाना (Ownership for tenants) : भूमि सुधार कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी किया गया है कि सेती करने वाले किसानों को खेतों के स्वामित्व का अधिकार दिला दिया गया है। प्रारम्भ में वह किसानों को इच्छा पर था कि वे भूमि-स्वामी अधिकार खरीदें, परन्तु तीसरी पचवर्षीय योजना में ऐच्छिकता की भावना को हटाने का सुझाव दिया गया था। बंगाल, गुजरात, केरल, पंजाब-प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उडीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर क्षेत्रों में जो केन्द्रीय सरकार के अधीन है, किसानों के भू-स्वामित्व सम्बन्धी कानून बन चुके हैं। पुछ राज्य अभी ऐसे बच रहे हैं, जहाँ इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है, जैसे आसाम, विहार, जम्मू व कश्मीर एवं तार्गिलनाडु ने अब भी इस मन्दन्य में कानून बनाने शुरू हैं। जौधी योजना भी रूपरेखा में वह बताया गया था कि किसानों को भू-स्वामी बनाने के लिए अब रुई राज्यों में भी व्यवस्था कर दी गई है। फलस्वरूप 30 लाख लेनिहां व बटाईदर 70 लाख एकड़ भूमि के सालिक बन गए हैं। आशा है कि निकट सर्वेत्र से देश के सभी भागों में सेती करने वाले हृषक खेतों के इकामित अधिकार को प्राप्त कर लेंगे।

(iv) स्थाई सुधारों के लिए भूआवज्ञा (Compensation for Permanent Improvements). देश के नई राज्यों में इस प्रकार के नियम बना दिए गए हैं कि भूमि औडने के समय काश्तकारों के खेतों में बनाए गए घर, नालिया, बुखों तथा पेड़ लगाने आदि से सम्बन्धित भूमि सुधारों के लिए काश्तकारों को मुआवजा दिया जायेगा।

(v) संग्राह से छूट (Remission of Rent) : प्राकृतिक सकारे, जैसे बाढ़, सूखा, अकाल आदि के समय काश्तकारी का लगान नाफ़ कर दिया जाता है।

(vi) अन्य सुधार (Miscellaneous Improvements) : काश्तकारी से जैसे बाढ़ वाली बेबार को अब गैर-नानुमी छहरा दिया गया है। यदि नामी लगान न देने की स्थिति में नीलामी आदि करनी पड़ी तो वर्तमान फसल, हूल, बैल तथा अन्य कृषि यथा नीलाम नहीं किए जायेंगे।

(ग) जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण (Ceiling on Landholdings) भारत के अधिकारी राज्यों में हृषि-जोत को अधिकतम सीमा के निर्धारण से सम्बन्धित अधिनियम पासित किये जा चुके हैं। प्रत्येक राज्य में भूमि की स्थिति एवं उर्द्धरा शक्ति को ध्यान में रख कर अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित की गई है। जोतों की अधिकतम नीमा निर्धारण में दो प्रकार की सीमाओं का निर्धारण होता है, यथा (क) भूमि की जोत की भावी उच्चतम सीमा, अर्थात् भवित्व में कोई किसान अधिकतम कितनी भूमि रख सकेगा या जारीद सकेगा, (ख) वर्तमान जोतों की उच्चतम सीमा, अर्थात् वर्तमान मापदण्ड में किसान कितनी अधिकतम भूमि रख सकता है। जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करके कई लाभों की अपेक्षा की गई है, जैसे (i) सभी किसानों की भूमि का कुछ न बुछ भाग मिल जाय, (ii) बहुत बड़े-बड़े सेतों को उचित आकार में बदल दिया जाय, ताकि उनका प्रबन्ध आसानी से हो सके, (iii) अधिकतम सीमा निर्धारण के फलस्वरूप जो जगतेन सरकार की धन रहेगी, उम्मे और अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा, (iv) भूमिहीन अधिकों को भूमि-स्वामित्व मिलने के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी, (v) भूमि स्वामित्व पहले की अपेक्षा अधिक समान हो जाने से खेतों वाले चालवन्दी वरना वरल हो जायगा, (vi) भूमि के संग्राह विनाश से सहनारी कृषि के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा, (vii) आर्थिक समाजना ममाजबादी भागीज की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा।

जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से कुछ दोष उत्पन्न हो जाने की सम्भावना है, अब कुछ विहानों में अधिकतम जोत निर्धारित करने के विषय में तकनीकी प्रस्तुति किए गए हैं। ये नहीं हैं

(1) इस प्रकार प्राप्त की हुई भूमि से भूमिहीन अधिकों की उमस्ता का समाधान नहीं हो सकेगा, (ii) भूमि ऐसे लोगों के पास चली जायेगी, जिनके पास दोहरी वरने के लिए पर्याप्त संघरण नहीं है (iii) बड़े-बड़े सुव्यवस्थित खेतों के जिन पर वैशालिक फाल से आपुनिक लोही की जा सकती है, टुकड़ हो जायेंगे, (iv) जब यहाँ आय पर सीमा लगान उचित नहीं समझा जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र में जोत की अधिक-

तम सीमा निर्धारित करना व्यापक नहीं तभी है, (v) लोट-लोटे भू-स्वामी होने से बाजार में आकर यिकने वाली उपज की साजा (Marketable Surplus) कम हो जायेगी; (vi) आपसी बैर-विरोध में यदि तो सरकार के वित्तीय बोक में दृढ़ि तथा प्रशासन व्यवस्था आविष्कार की भी कठिनाईयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

वस्तुतः उच्चतम सीमा के विरोध ये दिए गए तक भ्रमपूर्ण एव आवार-रहित हैं। जमीदारी उन्मूलन के पश्चात् भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करना न केवल उचित है, अपितु आवश्यक भी है।

देश के विभिन्न राज्यों में अधिकतम जोत की जो सीमाएँ बर्तमान व भविष्य के लिए निर्धारित की गई हैं, वे अगलिलित हैं :

भारत के विभिन्न राज्यों में भूमि की उच्चतम जोत

राज्य	भागी जोतों की उच्चतम सीमा	बर्तमान जोतों की उच्चतम सीमा
आनन्द प्रदेश	10 से 216 एकड़	27 से 324 एकड़
आसाम	50 एकड़	50 एकड़
बिहार	20 से 60 एकड़	20 से 60 एकड़
गुजरात	19 से 132 एकड़	19 से 132 एकड़
जम्मू व कश्मीर	22 तो 75 एकड़	22 तो 75 एकड़
केरल	15 से 36 एकड़	15 से 36 एकड़
मण्ड प्रदेश	25 से 75 एकड़	25 से 75 एकड़
गान्धिनाडु	24 से 120 एकड़	24 से 120 एकड़
महाराष्ट्र	18 से 126 एकड़	18 से 126 एकड़
मैसूर	18 से 144 एकड़	27 से 216 एकड़
ठडीसा	20 से 80 एकड़	25 से 80 एकड़
पंजाब	30 प्रमाणित एकड़ ¹	30 प्रमाणित एकड़
राजस्थान	22 से 336 एकड़	22 से 336 एकड़
लखन प्रदेश	12.5 एकड़	40 एकड़
पश्चिमी बंगाल	25 एकड़	25 एकड़
हिमाचल प्रदेश	30 एकड़	30 एकड़

1 प्रमाणित एकड़ से लाखपर्यंत तो मेरे घाज से है, जिनमें 10 लाख देख या इससे भूमि के बाबत धन्य कोई दूसरी जाज पैदा होती है।

योजना बायोग ने सिफारिश दी है कि निम्न प्रदार के लिए उच्चतम जीत कानूनों के अन्तर्गत छोड़ दिए जाएं।

(i) चाय कहवा, रबट आदि के लिए, (ii) फलदार वृक्षों के समाइन वर्गों, (iii) विशेष क्षेत्र (Specialised farms) जैसे कि पशु-पालन, दूध व मसाले वैचारिक के लिए पशु रखना तथा जल के लिए भेड़ें पालना आदि, (iv) मुद्रवस्तित संगठित खेत (Efficiently managed farms consisting of complete blocks), तथा (v) चोनी की मिलों के आधीन गन्न के सेतु।

(ष) कृषि का पुनर्संगठन (Re organisation of Agriculture) इसके अन्तर्गत जो कार्य किए गए हैं, उनकी विवरण नीचे दिया जा रहा है।

1 चकवन्दी (Consolidation of holdings) इसान के विवरे हाँ सेतों को एक बड़े खेत में परिवर्तित करन की प्रक्रिया को चकवन्दी कहते हैं। इसमें उप-विभाजन व अपवर्जन सम्बन्धी तथाम होय दूर होने हैं। भूमि-मुद्धार कार्पेंटरों के अन्तर्गत चकवन्दी के कार्यों पर बल देने पर जोर दिया गया है। लेकिन सभी राज्यों में चकवन्दी की दिशा में हालान प्रगति नहीं हुई है। सन् 1957 से चकवन्दी के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों में चकवन्दी सर्वथी व्यव वा 20 प्रतिशत भाग देना स्वीकार कर लिया। द्वितीय योजना के बजूत तक 2 96 करोड़ एकड़ भूमि की चकवन्दी हुई थी। प्रथम हीन योजनाओं में लगभग 6 करोड़ एकड़ भूमि की चकवन्दी की गई। चतुर्थ योजना में चकवन्दी के लिए 28 4 करोड़ रुपय का प्रावधान किया गया है। पञ्जाब व हरियाणा राज्यों में चकवन्दी सम्बन्धी प्राय सभी कार्य पूरा हो चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नव्य प्रदेश, मेसूर, आनंद प्रदेश आदि राज्यों में चकवन्दी का कार्य दूर भूत से चल रहा है। चकवन्दी के कार्य में विभिन्न राज्यों में हुई प्रगति का अनुदान निम्न तालिका से लिया जा सकता है।¹

राज्य	चकवन्दी (लाख हेक्टर भूमि में)
हरियाणा	सम्पूर्ण कार्य पूरा हो गया
पंजाब	सम्पूर्ण कार्य पूरा हो गया
उत्तर प्रदेश	94 80
आनंद प्रदेश	3 39
बिहार	0 85

1 विद्युतीय ज्ञानार्थ वार्षिकी, दृष्ट 222

राज्य	चक्रवन्दी
ગુજરાત	10.11
ઝાન્સુ કાડમોર	0.25
મધ્ય પ્રદેશ	29.15
મહારાષ્ટ્ર	53.47
ગેગૂર	8.07
રાજસ્થાન	17.52
વિલાલી	0.68
હિમાચલ પ્રદેશ	1.55

2 સહકારી ખેતી કાંપેસ કે સત્ત્વ 1959 ઈંગ્રેઝી અધિવેશન ને સહકારી હૃતી સમબન્ધી પ્રસ્તાવ પાડું કિએ ગએ થે। ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન વ ગુજરાટ મેં સહકારી ખેતી કી દિગ્યા મેં ઉલ્લેખનીય પ્રગતિ હુદ્દી હૈ તથા ઇતિ રાજ્યો ને સહકારી સભાસહકાર દોડું સ્થાપિત કિએ ગએ હૈ। જ્યારે 1969 તથા 8143 સહકારી કુદ્રિ-સુમલિયા આપિતા હો ચુકી થી, જિનમે 2.19 લાખ સંદર્ભ થે ઓર જિનકે અનુર્ગત 4.25 લાખ હૈક્ટર ભૂમિ ભર ચુકી થી।

3 ભૂમિ પ્રદાન મેં સુધાર - પ્રથમ વ દ્વિતીય પદ્ધતીઓ મેં ભૂમિ કે કુદાળ પ્રદાન પર બલ દિયા ગયા હૈ। ઇસકે અનુર્ગત બેકાર પડી ભૂમિ કા ઉપયોગ, ઉત્તગ વીજો કા પ્રયોગ તથા ઐધે કાર્યક્રમ સમિલિત કિએ કાર્યો હૈ, જિનમે બીમારિયો એવ કીટાણુઓ પર રોક લગાઈ જા સકે। ભૂમિ-અનુભૂત મેં સુધાર સે સમબંધિત કાર્યો કો પ્રગતિ થીનો રહ્યો હૈ ઓર અની તથ કેવળ દો રાજ્યો ન સાચીય જોગો મેં હો ઇથ સમબંધ મેં કાનૂન બને હૈ।

4 ભૂ-દાન આન્ડોલન - સત્ત્વ 1951 ઈંગ્રેઝી મેં મહારાષ્ટ્ર ગાંધી કે પરમ શિષ્ય આચાર્ય બિનોદ ભાવે ને ભૂમિ કે ભરામાત વિતરણ તથા સમબંધિત અન્ય સંપર્કાંગો કે જિદાન કે લિએ ભૂ-દાન આન્ડોલન પ્રારંભ કિયા થા। યહ આન્ડોલન દેશ કે લઘુમા 1 કરોડ સે અધિક ભૂ-મિહીન કિશોર-પરિવારો કાં વડે ભૂ-સ્થાપિતો રો દાન મેં ભૂમિ પ્રાપ્ત કરકે ન્યૂમિ શિલાને મેં સસાર મેં એક અદ્વિતીય મિશ્રાલ હૈ। ભૂ-દાન કે ભાદ્ય-નાથ શામદાન ભી પ્રારંભ હો ચુકા હૈ। ભૂ-દાન વ શામ-દાન આન્ડોલનો કે પોછે ભૂમિ કે ઉચ્ચિત વિતરણ કા ઉદ્દેશ્ય હૈ જો બજાપ કાર્યી કો સે સફળ બનામા જાયેગા। માર્ચ 1967 કે અન્ત તથા કુઠ 42.7 લાખ એકાડ ભૂમિ ભૂ-દાન મેં મિલી, જિમું સે 12 લાખ એકાડ ભૂમિ વાટી જા ચુકી હૈ। અમસ્ત 1967 તથા 39,672 ગ્રામ ગ્રામ-

दान आन्दोलन के अन्तर्गत दान मिल चुके थे ।¹ सन् 1969 के दाद भूदान कार्यक्रम और अधिक तेजी से लागू किया गया है। इन समय भूमिहीन मजदूरों को पठान बनाने के लिए भी भूमि देने से सम्बन्धित कार्यक्रम भी आए रहे हैं।

भूमि-सुधार कार्यों की प्रगति की समालोचना भारतवर्ष में भूमि-नुधार, सम्बन्धी किये गये अनेक वार्ताओं के फलस्वरूप सम्प्रस्त्व वर्ग की समाप्ति हो गई है। किसानों को भू-न्यायिक प्राप्त हुआ है तथा उनकी जोतों को सुरक्षा प्राप्त हुई है। उनका लगान अब अपेक्षाकृत कम हो गया है। सेव जोतने वाला ही अब खतों का मालिक भी है। क्षाय ही सीमा निधरिण, चकवादी, महकारी खतों आदि के क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर प्रगति होती जा रही है, परन्तु यह बहु तु ख बीं बात है कि इन समाम सुधारों का क्रियान्वयन सर्वोपर्जनक नहीं रहा है। इनके क्रियान्वयन में कई दोष हैं जो निम्न हैं —

(i) भूमि-सुधार कार्यों के बीच समुचित समन्वय का बगाव पाया जाता है।

(ii) भूमि-नुधार नीति विलम्बपूर्ण रही है। सव्यस्थों के उन्मूलन में 10 घर्षण का समय लग जाता उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जगीकारी व जागीर-दारों को कानून से वच निकालने का मुख्यसर प्राप्त हो गया।

(iii) भूमि सुधार के फलस्वरूप मुकदमेवाजी को प्रोत्साहन मिला है, जिससे काफी समय व बन की बरवादी हुई है।

(iv) भूमि सुधार सम्बन्धी नीति देश के इए काफी धृष्टि धी, क्योंकि राज्य उरकार को कई दो स्पष्ट मूलावजे के स्प में बोले गए।

(v) भूमि सुधार सम्बन्धी अधिनियमों में अलग-अलग राज्यों में भिन्नता पाई जाती है तथा इनमें अनक दोष रह गये हैं। डा० डेनियल थोनर के अनुसार, “सच्ची बात तो यह है कि भारतवर्ष में भूमि सम्बन्धी कानून की कल्पना ही गलत ढंग से बीं गई है। विधान सभाओं में देश किये गए विषयको में काफी दग्धिया थी, किर इन विषयको में अनेक पातक संशोधन करके उन्हें और भी कमज़ोर कर दिया जाया।”²

(vi) भूमि सुधार सम्बन्धी नीति ने भू-स्थानियों में अनिश्चितता की भावना देता हुर दी। फलस्वरूप कुपि विनियोग व उत्पादन कम हो गया।

(vii) राज्य निला, खण्ड और जाम रहर पर सरकारी अधिकारियों का नकारात्मक इस भूमि सुधारों के मार्ग में रोड अटकाता है। राजस्व अधिकारी, खार कर पटवारी पटटदारों के प्रति उपेक्षा बरतते हैं।

1 India 1968 P 251

2 Dr. Dariel Thacker, Land and Labour in India P 8

(viii) सावेजिक कानून 480 (P. L. 480) के अन्तर्गत अमेरिका से आया ज्ञानों की प्राप्ति हो जाने के फलस्वरूप, दातान तथा भूमि-सुधारों को गम्भीरता-पूर्वक लागू करने की आवश्यकता ही नहीं अनुभव करता, जबकि कृषि-विकास के कारण को को लागू करने की जिम्मेदारी विशेषत उन्हीं पर है।

(ix) भूमि-सुधार की कल्पना और भूमि-सुधार नियम बनाने में काफी समय लगता है और साथ ही साथ भूमि-सुधार नियम बनाने और लागू होने में भी काफी समय लग जाता है।

(x) भूमि सुधारों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए समय लगता पर विभिन्न राज्यों में की गई जांचों से पता चला है कि भूमि-सुधार कानूनों का लाभ विस्तृत ढोओं से वास्तविक काश्तकार को बहुत कम मिल गया है।

(xi) जमीदारी उन्मुक्त कानून में रही अपर्युक्ताओं के कारण बड़े जमीदारों ने खुद पालत की जांच में काफी भूमि स्वयं रख ली है।

(xii) भूमि सुधार कानून में काश्तकारों को प्राप्त सरकार के बावजूद भी देश के कुल कृषि धोब के काफी बड़े भाग पर ऐसे कानूनी काश्तकारी (जैसे बटाई प्रथा) जारी है।

(xiii) अपर्युक्त प्रदेशों के कारण काश्तकार अपने दोनों सिद्ध वाले में अपने को असमर्थ पाते हैं, फलस्वरूप आज भी काश्तकारों की देशभूमि जारी है।

(xiv) भारतीय न्याय द्वारा भूमिहीन कृषि शमिकों व छोटे किसानों की सहायता के लिए जोतों को उच्चतम सीमा पर निर्धारण से भी विकल्प हुआ है। उच्चतम सीमा निर्धारण से कृषकों को अभी तक कोई लाभ नहीं प्राप्त हो सका है। कोरल, लड्डाला व मैसूर ने तो सीमा लगाने का कार्य अभी तक युल भी नहीं किया गया है। राजस्थान व आनंद में ये कानून लागू तो हो गये हैं, पर अब तक शहिरिक भूमि विवेप परिणाम में नहीं मिल सकी है। सध्य प्रवैश व अवम में प्राप्त भूमि दितरित की जा चुकी है पर पह यहुत कम है।

इस बलबीत सिंह ने भूमि सुधार सम्बन्धी दोयों का वर्णन करते हुए, लिखा है कि भूमि-सुधार कार्यों के अन्तर्गत भूमि वितरण की समस्या को अच्छी सहाय से सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया। भूमि को अब भी दूसरों से लूटवा कर हींग लाभ उठा रहे हैं। उगात भी किन्हीं प्राप्ती में अधिक लिया जा रहा है।²

2 "Not only have the recent land reforms not touched the issue of land distribution but they have also failed in preventing sub-leasing and rack-renting. Quite many of those who till the soil have no land rights whereas many of those who do not cultivate still own and possess land." Prof. Baljit Singh

सुझाव : भूमि-नुधारो के दोपो को दूर करने के लिए फोर्ड काउन्सेन के कृषि-उत्पादन-दल ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। ये सुझाव हैं : (1) भूमि-नुधारों के विषय में अनिश्चितता समाप्त की जाय, (2) कृषि-व्यवस्था में लोच होनी चाहिए, ताकि रोजगारों में दृढ़ि के समय भूमि जोतों के बाकार में सरलता से हथोषण किया जा सके, (3) रोजगार के अन्य साधनों को भी सोजना चाहिए, (4) वृपको वी भूमि-व्यवस्था में हनि लेने के लिए प्रेरित किया जाय, (5) भूमि-संरक्षण की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, तथा (6) अधिकतम जोत निर्धारित करने के साथ-साथ न्यूनतम प्रसाधनों को भी निश्चित कर देना चाहिए आदि।

भूमि-नुधार के उपर्युक्त सुझावों के अलावा भूमि प्रलेखों में भी राशोवन किया जाना चाहिए। उनमें सही व साजा जानकारी का समावेश किया जाना चाहिए। जिन राज्यों के प्रलेखों में नुटिया हैं, उन्हीं राज्यों के भू-स्वामियों के भू-प्रबिकार सुरक्षित है। उन सभी राज्यों में जहाँ बटाईदारों को काशकार नहीं माना गया है, बटाईदारों के नाम प्रलेखों में शामिल करके उन्हें काशकारों का स्तर प्रदान किया जाना चाहिए। रोजगार के वैकल्पिक गाधनों के अधार तथा वहन से बटाईदारों के भू-स्वामियों की जोतें अनाधिक होने के कारण बटाईदारों का एकम भू-स्वामी बनना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में बटाईदारों को बेदखली से बचाने के लिए भूमि पर लक्षी करने का मीसमी विधिकार दिया जाना चाहिए। बटाईदारों का लगान भी उपर ज्ञा अश न होकर नकद होना चाहिए तथा लगान का निर्धारण राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिये। लगान सम्बन्धी मामलों की सुनवाई दीवानी अदालतों के वजाय राजस्व अदालतों में होनी चाहिए। 'सुद-काल' की परिभाषा भी मरोधित करके गुविनसगत बनाई जानी चाहिए। 1948 में पारित बम्बई काशकारी कानून में दी गई खुद काश की परिभाषा को बादहूँ माना जा सकता है।

भूमि-सुधार के अन्तर्गत राज्य सरकारों को चाहिए कि वे जोतों की सीमा नीची करने के लिए उत्काल कदम उठाए। किसी स्थिति में भूमि की अधिकतम सीमा पारिवारिक जोत जे तिगुने से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रवेक पचायत में नामस्वरूप समिति बनाई जाहिए और भूमि-हृदयन्दी के पश्च गे जनमत तैयार करना चाहिए, क्योंकि वेदल सरकारी तज से क्रातिकारी भूमि सुधार कानून को लागू करना सम्भव नहीं है।

राजस्वाल से भूमि-सुधार सन् 1949 से पूर्व राजस्वाल कई छोटी-छोटी रियालतों में घटा हुआ था। हर राज्य के अपने-अपने नियम थे। तामाङ्गल:

लगभग 40 प्रतिशत कृषकों का राज्य से सीधा सम्बन्ध था। शेष 60% भूमि मध्यस्थी के पास थीं जो एक और तो किसानों से कापों मालगुजारी वसूल करते थे और दूसरी ओर सरकारी कौष में बहुत बह जमा करते थे। प्राप्त कुल उपज का 50% भाग मालगुजारी के रूप में वसूल किया जाता था, परन्तु राजस्थान राज्य बन जाने के पश्चात् यहां दूह गति में भूमि-सुधार कार्य किये गये।

सर्वप्रथम सन् 1949 में The Rajasthan (Projection of Tenants) Ordinance जारी किया गया। इसमें किसानों को वेदवली से बचाने की व्यवस्था की गई। सन् 1951 में Rajasthan Produce Rents Regulation Act पारित किया गया। इस अधिनियम में किसानों से कुल उपज के 1/6 भाग अधिक या अधिक मालगुजारी के रूप में, लिये जाने की वैधानिक व्यवस्था की गई। लगान या मालगुजारी सम्बन्धी एक और अधिनियम सन् 1954 में पारित किया गया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि मध्यस्थी किसानों से विवारित लगान के द्वारा भाग से अधिक लगान नहीं ले सकते।

सन् 1955 ई० में राजस्थान काश्तकारी कानून (Rajasthan Tenancy Act 1955) पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा काश्तकारों व उपकाशकारों को भूमि सम्बन्धी अधिकार प्रदान किया गया। अब खातेदार किसान भूमि को बेक सकते थे हथा गिरवी रख सकते थे। इस अधिनियम के अन्तर्गत किसानों व कृषि व्यापियों को गाव में नि-शुरूक भूमि मकान आदि बचाने के लिए दी जा सकती थी। बेगार प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था।

सन् 1959 ई० में जमीदारी व विशेषदारी उन्मूलन एक्ट (Rajasthan Zamindari and Biswedari Act, 1959) पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राजस्थान में जमीदारी व विशेषदारी को प्रथा को हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। लगभग 3, 24,587 जमीदार जमीदारी से मुक्त कर दिए गए तथा उन्हें लगभग 8 बिल्ड मुआवजे देने की व्यवस्था की गई। जानीदारी को समाप्त करने से समर्पित अधिनियम सन् 1952 ई० में ही पास किये जा चुके थे, लेकिन कुछ वैधानिक कठिनाइयों के कारण इन्हें देर हो लगा किया जा सका। जानीदारों को लगभग 64% करोड़ रुपये की राशि मुआवजे के हैं में दी गई।

राजस्थान में चकवन्दी के सम्बन्ध में भी अधिनियम पारित किया जा चुका है तथा अब तक 20 लाख एकड़ भूमि की चकवन्दी की जा चुकी है। भूमि की सीमा-निर्धारण के सम्बन्ध में भी सन् 1960 ई० में अधिनियम पारित किया

जो चुका है तथा संशोधन सहित अब ये नियम लागू किये जा चुके हैं। इन अधिनियमों के अनुसार राजस्थान में एक दृष्टक परिवार 22 से 336 सापारण एकड़ भूमि से अधिक नहीं रख सकेगा।

मूल्यांकन इम प्रकार पहल स्पष्ट है कि भूमि-सुधारों की दिशा में राजस्थान में काफी काम किया गया है। अब राजस्थान से जागीरदार, जमीदारी एवं विशेषदारी सभी प्रथायें समाप्त हो चुकी हैं और लगभग 90% से भी अधिक किसानों को भू-अधिकार प्राप्त है। परन्तु भूमि-सुधार कार्यक्रम में कुछ ब्रुटिया भी हैं जिनकी ओर योजना आयोग की राज्य-कार्यक्रम समिति ने ध्यान दिलाया है। इस समिति के अनुसार राजस्थान में भूमिकर तथा गू-राजस्व का छापा बैज्ञानिक नहीं है तथा भूमि कागून जटिल तथा भ्रामक है। समिति ने सुझाव दिया है कि किसानों की गुणिता के लिए सम्बन्धित कानून हिन्दी में प्रकाशित किये जाने चाहिए। समिति ने अपनी मर्वेशण रिपोर्ट में भूमि विषयक अधिनियमों को सरल बनाने, भू-राजस्व की परों में संशोधन करने तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की भी सिफारिश की है। बात है कि इन सुझावों को हाटिगत रूपते हुए राज्य सरकार भूमि-सुधार क्षेत्र में आवश्यक सुधार करेगी। राज्य सरकार ने भूमि-सुधार मन्त्रालयी नीति को गम्भीरतापूर्वक लागू करने का जो विचार किया है, इससे यह विश्वास किया जा सकता है कि निकट भविष्य में भूमि-सुधार के होने में उल्लेखनीय प्रगति होगी।

ग्रक्षेप में राजस्थान में जागीरें बापिस्त ले ली गई हैं और जमीदारी तथा विशेषदारी पट्ट समाप्त कर दिए गए हैं। भूतपूर्व शासकों के स्टेटों का अधिग्रहण करने के लिए कानून बनाया जा चुका है। प्रत्येक रैयत को बायिक 1200 रु. की न्यूनताम आय वाले क्षेत्र के पट्टे की पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है और उसे स्वामित्व का अधिकार भी है। जोत की सीमाएँ 22 से 336 एकड़ तक निश्चित हैं। अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यबाही जभी की जावी है।

निष्कर्ष इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भूमि-सुधार कार्यक्रम घड़े ही उत्ताह के साथ प्रारम्भ किए गये हैं। विभिन्न राज्यों ये जमीदारी, जागीरदारी या अन्य मध्यस्थों का उन्मूलन इत्त दिवाने में कातिकारी पथ रहा है। लेकिन भूमि सुधार कानूनों में अब भी कई ब्रुटिया हैं। कानून बनाने और उन्हें विद्यानिवास करने से पहले विलम्ब हुआ है। देश के कई भागों में अब भी बहुत सी भूमि पर खेती बटाई पढ़ति पर को जाती है। ऐच्छिक परिवार के नाम पर अब भी कारतारों की बेदहली होनी है। उचित लगान सम्बन्धी बाराओं को

भी प्रभावशाली ढग से लापू नहीं किया गया है। भूमिहीन एवं¹ छोटे किसानों के पास आज भी कृषि-कार्य के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। इन सबके बावजूद भी हम यह नहीं कह सकते कि भूमि-सुधार की दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है। कार्य हम यह नहीं कह सकते कि भूमि-सुधार की दिशा में ग्रो० दान्तवाला का अवधय हुआ है, लेकिन उसकी गति धीमी रही है। इस सन्दर्भ में ग्रो० दान्तवाला का यह कथन बड़ा ही उपयुक्त है, “भूमि-सुधार के लिए उठाए गए अव तक के कदम यह निश्चय ही दृष्टोपजनक है, किन्तु इन्हे लचित रूप में लागू करने के अभाव में इनका परिणाम सतीोपजनक नहीं हो पाया है”¹

गृणि-सुधार कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावशाली बनाने की हाँट से केंद्रीय सरकार देश की सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे भूमि-सुधार अधिनियमों की नीटियों को दूर करे तथा भूमि-सुधार कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढग से लागू करें, ताकि देश के बहुमहस्यक किसानों का कल्याण हो तथा कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके।

प्रश्न

1 स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत में सम्पन्न भूमि-सुधार के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। (राज० टी० डी० सी० प्रथम वर्ष कला 1967)

2 टिप्पणी लिखिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में सूमि-सुधार। (राज० टी० डी० सी० प्रथम वर्ष कला 1966)

3 स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत में सम्पन्न भूमि-सुधार के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। इस सम्बन्ध में राजस्वान का विशेष उल्लेख कीजिए। (राज० टी० डी० सी० प्रथम वर्ष कला 1965)

4 राजस्वान में भूमि-सुधार की प्रगति से आप कहा तक सतुष्ट है? कुपको के सतोग के लिए और अधिक कथा करना चाहिए? (राज० टी० डी० सी० तृतीय वर्ष कला 1965)

5 कृषि अर्थ-व्यवस्था में भूमि-सुधार का क्या महत्व है। राजस्वान में हुये भूमि-सुधार पर विशेष प्रकाश डालते हुए, भारत में आज तक हुए भूमि-सुधार का वर्णन कीजिए। (राज० टी० डी० सी० तृतीय वर्ष कला 1967)

1 “By and large, land reforms in India enacted so far and those contemplated in the near future . . . are in the right direction and yet due to lack of implementation, the actual results are far from satisfactory.”

6 स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरात राजस्थान में जो भूमि-सुधार किए गए हैं उसकी विवेचना कीजिए। अपने उद्देश्यों को पूरा करने में ये कहा तक सफल हुए हैं? इस सुदृश्यमें राज्य में भूमि की जोतो पर जो अधिकृतम और अधिनियम लागू किया गया है, उसकी विवेचना कीजिए। (राज० दी० सी० प्रथम कला 1967)

7 अपने देश में जमीदारी उन्मूलन से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था किस प्रकार प्रभावित हुई है? (राज० दी० डी० सी० प्रथम कला 1967)

8 सहकारी वृष्टि से व्या अर्थ है? भारत में इसके महत्व तथा प्रगति का उल्लेख कीजिए। (राज० दी० डी० सी० प्रथम वर्ष कला 1965)

9 State clearly the directions in which land reforms have been introduced in our country and examine their results
(Raj B A Honours, 1966)

खाद्याननों की उत्पत्ति एवं खाद्य नीति

(Production and Food Policy)

'It is amazing how at the present moment in India, the vital basic importance of agricultural production, and more especially Food Production, is the one firm thing on which every thing has to rest. When I come back to this the whole success and failure of our Planning hangs by that single thread of our agricultural production and especially food production.'

Pt. Jawahar Lal Nehru

भोजन भानव की मर्वप्रथम मर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जिस देश में खाद्यानों का अभाव होता है, वह देश आर्थिक हाँट से पिछड़ा रुग्ना माना जाता है। जिस देश की सरकार अपनी जनता को पेट भर भोजन नहीं दे सकती, वह सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल सकती। यह देश कभी भी सम्मानपूर्वक अपना शिर उठा कर नहीं चल सकता, जिसे भोजन के लिए दूसरे देशों का मुहूर ताकना पड़े। दुर्भाग्यवश, भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी खाद्यानों के मामले में आत्म-निर्भर नहीं है। इन अपने देश के लोगों को खाद्य सामग्री दिलाने के लिए प्रति वर्ष करोड़ी रुपयों का स्वाधान विदेशों से मरणाना पड़ता है। निरचय ही यह लज्जाजनक बात है कि देश की लगभग दो-तिहाई घण्ट-क्षकित कृषि उष्ण में लगी हुई है, फिर भी हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान पैदा नहीं होता। विलियम टी टर्नर ने ठीक ही कहा है-

"प्रजातन्त्र के जीवित रहने के लिए पर्याप्त खाद्यान्त की पूर्ति होना आवश्यक है, नयोंकि अन्य स्वतन्त्रताओं का उपयोग करने के लिए भूख से स्वतन्त्रता पाना परमावश्यक है।"

भारत में खाद्य समस्या केवल खाद्यानों के अभाव की ही समस्या नहीं है, वरन् वही विकट समस्या है तथा इस पर भारत का भविष्य निर्भर करता है। भूख गन्तव्य की एसो मूलभूत आवश्यकता है जिसकी पूर्ति किसी भी मूल्य पर होना आवश्यक

है। "पर्याप्त एवं पोषित भोजन के लमाव में भारत की विशाल जनसुल्खा के बल्पाण का आदर्स उनके लिए सामाजिक न्याय प्राप्त करना तथा जनतात्मक समाजबाद की स्थापना करना बिल्कुल बमम्ब्रव है।"^१ प्रो॰ बन्दुपाला ने ठीक ही बहा है, "भरा यह निश्चित विचार है, कि हम एक सबूत का सामना नहीं करते हैं, अपितु एक दीर्घकालीन रोग का उपचार करना है।"^२

खाद्य समस्या का स्वरूप

भारतवर्ष में खाद्य-समस्या के स्वरूप वो निम्नलिखित शीर्षकों के इन्दर्जित रूप द्वारा व्यक्त किया जा सकता है-

1 खाद्यान्नों की मात्रा में हमी भारतवर्ष की कुल जनसुल्खा के लघुभय एक तिहाई नाग वो पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। दौँ राष्ट्रान्नमल मूलजी के मतानुसार भारत ग अनाज की कमी होती जा रही है। इन कमी को पूरा करने के लिए हम हर वर्ष खाद्यान्नों का विदेश से आयात करता पड़ता है। सन् 1947 से सन् 1961 तक भारत ने औसतन प्रति वर्ष 30 लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया है। एह अनुमान के अनुमान यदि देश के समस्त लोगों को पर्याप्त भोजन दिया जाय तो लघुभय प्रति वर्ष 75 लाख टन खाद्यान्नों की वित्तिकृत मात्रा की आवश्यकता होती है। जिसे विदेशों से मगाहर पूरा किया जाता है। इस 60 लाख टन अन्न की ओर लग 10 लाख टन दालों की कमी होती है। सन् 1966 व 1971 में खाद्यान्नों का आयात अमरा 1 करोड़ 4 लाख टन व 87 लाख टन हुआ। मेरी दीनों वय सूखे के बयं से। सन् 1968 से पेंदानार में बृद्धि होने के कारण आयात में कमी हुई। सन् 1968, 1969, 1970 व 1971 में अमरा 57, 39, 36 व 21 लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया गया।

2 खाद्यान्नों के मूल्यों में उत्तरोत्तर बढ़ि स्पतनकता प्राप्ति के पहचात सन् 1955-56 से खाद्यान्नों के मूल्यों में निरन्तर बढ़ि हुई है। प्रथम योजना द्वाल म खाद्यान्नों के मूल्य में बढ़ि की अपेक्षा कमी रही। योक मूल्यों के सूचकांकों का आधार वर्ष 1952-53 को मानकर हम देखते हैं ति मार्च 1951 के अंत मे खाद्यान्नों के योक मूल्यों का सूचनाक 100 था, जो मार्च 1955 के अंत तक लग 70 रह गया था। जुलाई 1955 के बाद से खाद्यान्नों के मूल्य मे जो बढ़ि होनी प्रारम्भ हुई, वह निरन्तर बढ़ती चली गई। मार्च 1956 के अंत मे सूचनाक 86

¹ Without enough food, India's hope for improving her welfare achieving social justice and securing democracy will become almost impossible of attainment.

Ford Foundation Team

² M. L. Dastwala. India's Food Problem (1961) p. 1

ही गया दूसरी योजना की अवधि में (1961-62) में सांस्कृतिक के मूल्य में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तृतीय योजना काल में अनाज के भाव द्विगुण से भी अधिक हो गए। योक मूल्यों के सूचनाओं का आधार वर्ष 1961-62, मानने पर 1967-68 व 1968-69 में अनाज के सूचनाक तात्पर 228 व 201 रहे। 1970-71 में भी यह 207 हो गया। इस प्रकार 1961-62 से 1970-71 के बीच में सांस्कृतिक के भावों में दुगनी से भी अधिक वृद्धि हुई।¹

सांस्कृतिक के मूल्य ने जिस अनुपात में वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आय में इसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई, फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस्कृतिक खरीदने के लिए अप-शक्ति की कमी हो गई।

3 भोजन में पौष्टिक तत्वों का अभाव भारत के निवासियों को प्रतिदिन 3000 कॉलोरोज वी आवश्यकता है, किन्तु उसे केवल 2200 कॉलोरोज ही उपभोग के लिए मिल पाती है। सन् 1940 में सर जॉन मेगा (Sir John Megaw) ने अनुमान लगाया था कि भारत में केवल 39%, लोगों को उपर्युक्त भोजन प्राप्त होता है, 41% लोगों को चिम्म कोटि का और 20% लोगों को अधिकतम घूंगूल कोटि का भोजन प्राप्त होता है। इस गवाका अमर यह होता है कि भारतीयों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, फलस्वरूप वे प्रायः रोगभरत रहते हैं और देश में मूल्यव्युत्पत्ति भी अधिक है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यतुर्जित आहार की उपलब्धता करने के लिए हमें दालों के उत्पादन में 28.5%, सब्जियां में 65.3% फलों में 55.9%, दूध में 54.9%, तिलहन में 72.3%, ची में 10.0%, तथा अहो में 93.1% की वृद्धि करनी होगी।

4 सांस्कृतिक विवरण दृष्टस्था का दौदधर्षण होता। परिवहन के गाधनों का विकास देश के सभी क्षेत्रों में नहीं हुआ है। अत इई क्षेत्र अद्य भी देश में ऐसे हैं, जहाँ समय पर सांस्कृतिक परिवहन के साधनों के अभाव के कारण, नहीं पहुंच पाता। यही भी मूल्य नियन्त्रण भी प्रभावशाली नहीं है, फलस्वरूप धूम-खूर और चौर दाजारिये मनमानी भावों पर सांस्कृतिक विचरण है। इस प्रकार यदि देश में अनाज उपलब्ध भी हो तो वह अन-सांवादित को उचित मूल्य पर नहीं मिल पाता, अत भारत में सांस्कृतिक समस्या केवल उत्पादन की ही नहीं है अपितु सुधूरात्मित वितरण के अभाव की भी है।

5 निर्धन जनसंख्या के लिए सांस्कृतिक विवरण है कि वे अपने जीवन-नियर्वह के लिए आवश्यक सांस्कृतिक भी नहीं खरीद पाते। अत उन्हें केवल सांस्कृतिक ही नहीं दिलाना आवश्यक है, वरन् सस्ती दर से दिलाना जरूरी है, अन्यथा वे भूल से पीड़ित रह जायेंगे। इस प्रकार भारत

की वर्तमान साच ममता का एक प्रमुख कारण सामाजिक जनता में व्योचित क्षय-वित्त का अभाव है।

भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन (Food Production in India)

भारत वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन इसकी माम की तुलना में बहुत कम है। स्वतन्त्रता प्राप्ति में पूर्व भी भारत में उनका स्वादान्न नहीं पैदा होता था जिसकी इसकी माम थी किर भी विटिश भरवार ने खाद्यान्नों के अभाव को भुक्त हप हो रखीकार नहीं किया। 19वीं शताब्दी में भी खाद्यान्नों का उपादन आवश्यकता में बहुत था। ग्रन 1873 से 1906 के बीच खाद्यान्नों के कटकर मूल्य में, अभाव के कारण ही खाद्यान्नों के मूल्य में दाँड़ गये से भी अधिक दृढ़ि हुई थी।

बीमारी की शरू 19वीं से खाद्यान्नों का अभाव नव्यप्रगति 1921 से गम्भीरता में महसूस किया गया जबकि हमारे देश में खाद्यान्नों का लापाठ, निर्धारित में बहुत था। मन् 1936 में वर्षों के भारत में अलग हो जाने से चावल उत्पादन क्षेत्र में वर्षों तो मर्झ और खाद्यान्नों का उत्पादन 13 लाख टन से घट गया। मन् 1947 में देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप 77 लाख टन में खाद्यान्नों की वर्षी हो गई। विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत में जनसंख्या तो 82 शतांश रह गई जबकि खाली, परंगे होने वाले अन्तर्गत दोहरे जाने वाली भूमि का भाग नमन के बीच 66 व 65 प्रतिशत ही रह गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक देश में खाद्यान्नों का उत्पादन इनका नहीं हो पाया है कि हन इनके बावजूद हो मुक्ति पा सके।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में प्राप्त उन्नार-चक्र जाते रहे हैं। सन् 1950-51 में साद्यान्नों का उत्पादन तीनवाँ पाल करोड़ 51 लाख टन हुआ जो प्रथम योजना के अन्त में 6 करोड़ 92 लाख टन तक पहुंच गया। द्विनीय योजना के अन्त में यह 8 करोड़ 22 लाख टन हो गया। तृतीय योजना के अन्त में युवर एवं अकाल की विधि के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वर्षी हुई और उत्पादन घटकर 7 करोड़ 24 लाख टन रह गया। मन् 1967-68 के बाद से खाद्यान्नों के उत्पादन में निरन्तर बढ़ि होती रही है। नियोजन काल में खाद्यान्नों के उत्पादन से सम्बन्धित आइडों का यदि विश्लेषण किया जाए तो विशिष्ट होता है। 1964-65, 1967-68, 1969-1970 तथा 1970-71 के वर्ष खाद्यान्नों के उत्पादन की दृष्टि से सतोपञ्चनक रहे हैं, जैसा कि अगले पृष्ठ पर दिये गये जांचों में जात होता है।

के बाद में तो कभी सनय के पहले हो जाती है। कभी वर्षा आवश्यकता से कम लों कभी ज्यादा होती है। इस सबका असर यह होता है कि अनोन्यादन भी आवश्यक तानुरूप नहीं होता और साधानों की कमी हो जाती है।

3 देशी प्रक्रियों की बहुतता भारत की कृषि पर सर्वेन प्रकृति का प्रकोप छाया रहता है। प्रतिवय लाखों टन साधान बाड़, भूम्य, आधी, ओले या अत्यधिक वर्षा से नष्ट हो जाता है। कभी कभी टिड़डी दलों के हमलों के कारण भी बहुत सा अनाज नष्ट हो जाता है।

4 देश का विभाजन वर्षा व गांकिस्तान ने बलग हो जाने के परिणामस्वरूप देश के चावल व गहूं पैदा करने वाले काफी क्षेत्र इन देशों में चल गये। 1947 में देश के विभाजन से भारत अनाजों व अधीन भूमि का क्षेत्रफल केवल 75%, चावल उपजान का 65%, गहूं उपजाने का क्षेत्र 60% तथा सिंचाई का क्षेत्र केवल 69% हो रह गया। अबकि अन्तर्राष्ट्रीय 82% देश में रह गई। यही नहीं, बहुत बड़ी मुरझा ये अरण्याधिष्ठों व अन्य जाते वे कारण भूमि पर अन्तर्राष्ट्रीय ना दबाव बढ़ गया, जिससे खाद्यानों की कमी महसूस होने लगी। इस प्रकार विभाजन के कलस्वरूप देश में खाद्यान की कमी में उछिली हो गई और देश को खाद्यानों के अभाव के लिए विवश होना पड़ा।

5 प्रति एकड़ कम उपज भारतीय कृषि पिछड़ी होने के कारण प्रति एकड़ उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में कृषि की जाने वाली तुल भूमि के प्राप्त 4% प्रतिशत भाग में खाद्यानों की खाती होती है, फिर भी खाद्य कमलों की प्रति एकड़ कम उपज के कारण देश में यथोचित मात्रा में खाद्यान का उत्पादन नहीं हो पाना एक्स्ट्राहप देश में सरब जटिल यहि स्थिति बनी रहता है।

6 पसलों के स्वरूप में परिवर्तन भारत में किसानों का एक्टिकोण व्यवसायिक होना जा रहा है। भूम्य में उतार चढ़ाव को इयान में रख कर किसान बड़ी फसल बनाना त जो उसे अपेनाहून बांधिए लाभ दे। कलस्वरूप बन साधान फसलों गहूं जौ चना मटर आदि के स्थान पर वह व्यापारिक वस्तुएं, यथा कपान, जूट तिलहन ग ना आदि पैदा करता है, जिनके परिणामस्वरूप देश में खाद्यानों का अभाव हो गया है।

7 ऊर्ध्वित वितरण व्यवस्था भारत में खाद्यानों का वितरण त्राय व्यापारी दर्द के साथसम में होता है। ये लोग अपने अपने जम को बनाने के लिए अनाज संग्रह कर लेते हैं और बाजार में कृतिम कभी उत्पन्न वरनुवाकाजोरी करते हैं जिससे खाद्यानों की पूर्ति कम रह जाती है। सरकार हारा खाद्यानों के वितरण की प्रणाली भी बड़ी शिक्षित है। कभी कभी तो यहां तक होता है कि सरकार के पास अन्य के पर्याप्ति

भण्डार होने के बावजूद भी उनको उपभोक्ताओं तक ठीक समय पर नहीं पहुँचाया जाता।

8 फिल्मों के उपभोगस्तर में बृद्धि व्याकारिक फगल बोले के कारण कृपकों को अब अपेक्षाकृत अधिक ऐसे मिलने लगे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनका उपभोग मत्र तब गया है। इस प्रकार एक ओर तो वे अधिक खाद्याननों का उपभोग करने लगे हैं और दूसरी ओर उनके द्वारा खाद्याननों की उपज कम ही गई है, फलस्वरूप खाद्याननों का अभाव पाया जाता है।

9 अब भी बरबादी भारत में एक और भवित लोगों को खाने को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता तो दूसरी ओर सम्पन्न लोगों द्वारा वही इसी दावतों और भोजों में अन्न की वरचारी होती है। ब-प विश्वास के कारण लोग कीड़ों, चूहों, बन्दरों व अन्य जीव-जननुओं के मारन के विरोधी हैं। फलस्वरूप ये पशु पक्षी खाद्याननों के एक बहुत बड़ा भाग का सफाया कर जाते हैं। सेन्ट्रल फूड टक्कोलोजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट (Central Food Technological Research Institute) के अनुसार देश के कुल खाद्य उत्पादन का २० प्रतिशत भाग, जिसका मूल्य लगभग 4,000 करोड़ रुपय हांगा कीड़ों, कुत्तेर कर खाने वाले जानवरों द्वारा दोषपूर्ण राश्व-व्यवस्था के कारण नष्ट हो जाता है।¹

10 उपभोग-सम्बन्ध व्य आदतों में परिवर्तन डॉ राधाकर्ण मुखर्जी के मतानुसार उपभोग मूल्यन्वय आदतों में परिवर्तन भी खाद्याननों के अभाव के लिए उत्तरदायी है। एक और तो फिल्मों में पीटिक खाद्याननों के स्थान पर वटिया खाद्याननों के उत्पादन की प्रहृति यहती जा रही है दूसरी ओर बढ़िया खाद्याननों का उपभोग बढ़ रहा है, जिससे खाद्याननों की कमी महसूस होती है।

11 जनता की नियमता भारतवर्ष की अधिकाज जनसत्त्वा निर्भन है। नियंत्रण के कारण जन साधारण भौंह, चावल तथा अन्य पीटिक खाद्यानन खरीदने की स्थिति में नहीं है। जब देश में खाद्याननों के मूल्य में अत्यधिक बृद्धि हो जानी है, तो नियंत्रण लोग महाराष्ट्र के फलस्वरूप यथोचित भावांत्र में खाद्यानन नहीं खरीद पाते और उनके लिए स्वाच्छ समस्या क्षेत्र में गम्भीर स्पष्ट धारण कर लेती है। इस प्रकार कभी-कभी देश में खाद्याननों के हीते के बावजूद भी खाद्य-समस्या उपस्थित हो जाती है। सन् 1943 का बगाल का भीषण अकाल इसका बदलने ताहुरज प्रस्तुत करता है।

¹ Statesman, Dec. 10, 1965

12. समस्या के प्रति उदाहोन दिल्लीप. विगोडोर शुल्की एवं एचडीई मैसन ने भारत की खाद्य समस्या का एक बारण यह भी दत्तलाया है कि नव् 1964-65 तक भारत गरमार एवं जनना ने इन समस्या को यम्भीरतापूर्वक नहीं लिया। चूंकि भारत को पी. एल. 480 के अन्वर्षन अमरीकी अमाग सरलना ने भिन्न रखा है पलस्वरूप वहाँ वही भी स्वावलम्बन की दिशा में बढ़ने के लिए देशानदारी के प्रयाम नहीं हित रखा।

खाद्य समस्या को हल करने के सुझाव

भारत की खाद्य समस्या कोई साधारण मदद नहीं है, यदि एक पुरानी वीमारी है। प्रा. दानबाला न ठीक ही बहा है, "हमें एक मदद को नहीं, जरूर पुराने रोग को ठीक करना है और इसके उपचार आमान्य है, अमान्य नहीं।"¹

भारत अंसी विकासयोग व्यवस्था में, जिसमें जनसद्वा और जाति के बढ़ने के नारण खाद्यान्नों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, एक उपचुक राष्ट्रीय खाद्य नीति की आवश्यकता है, जिसके प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए, (i) खाद्यान्नों में अत्यन्तिर्भरता प्राप्त करता (ii) खाद्यान्नों का व्यापकर्ण वितरण, तथा (iii) खाद्यान्नों ने मूल्य को उचित स्तर पर स्थिर रखना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित मुद्राव दिए जा सकते हैं-

1. उत्पादन में वृद्धि भारत में खाद्यान्नों की उत्पत्ति में वृद्धि किये जिनमें खाद्य समस्या को नहीं सुलगाया जा सकता। अत चिनाइ की मुद्रितायें बढ़ाना, उत्तम वीज व खाद्य की व्यवस्था करना, चक्रवर्ती व गहरी खेती को अपनाना जादि ऐसे तरीके हैं जिनसे हीप ऊज में वृद्धि हो सकती है। श्री बन्ह के अनुमार नंजानिक तरीकों के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि उपज में आमान्यत 20 से 30 प्रतिशत तक बृद्धि की जा सकती है 20% उचित खाद्य के प्रयोग द्वारा, 5% उत्तम वीजों के प्रयोग द्वारा तथा 2% बोहे-मकोड़ों से फनलों की रक्षा के द्वारा।²

2. खेतों के क्षेत्र पर विस्तार बढ़ाव, दफ्तर भूमि, तराई की भूमि आदि की खेतों के बोग्य बनाकर खेती के दीप्र का विस्तार विद्या जाना चाहिए। भूमि सम्बन्धी उपलब्ध आठडो के अनुमार देन में 600 लाख एकड़ हीप योग्य भूमि बेकार है जिसका उद्घार कर हृषि-योग्य बनाया जा सकता है। ऐसी भूमि के उपयोग से देश की खाद्य समस्या का कुछ हद तक समाधान किया जा सकता है।

1. "While the cure is not a crisis but a chronic malady and the remedies for it are of a routine nature rather than of spectacular nature."

—Prof. M.L. Dantwala

2. *Burn Technical Possibilities of Agricultural Development in India.*

3 जनसंख्या निव ब्रण जनसंख्या पर रोक लगाए विना। इस समस्या का निराकरण सम्भव नहीं है क्योंकि जनसंख्या और खाद्य-भास्त्रीय अदि अपनी बर्तमान घटि में बढ़, तो जनसंख्या खाद्य सामग्री से नाकी जाग बढ़ जायेगी। अत 'Grow more Food' के साथ-साथ 'Grow less Children' आनंदीलन भी चलाया जाना चाहिए।

4 उपभोग की जाएती से सुधार भागीय बातें भाँजन म सुरक्षित अन्व वा ही उपभोग करने हैं। उन्हें अन्न का उपयोग कर करना चाहिए और फल, खाक-सब्जी, दाल, मास-गछड़ी का उपभोग उत्तरोन्नर बढ़ाना चाहिए।

5 मित्रश व्यवस्था में सुधार नव्यार को खाद्यान्त वितरण की व्यवस्था ऐसी बताने चाहिए जो भ्रष्टाचार, चोर-बाजारी व लाल फीतेशाही से मुक्त हो और लंगों को उचित मत्त्य पर खाद्यान्त प्राप्त हो सके। सरकार का उचित दर बाली सरबरी छुकानो पर अनाज बेचने की व्यवस्था करनी चाहिए।

6 देश का औद्योगिक इरारे भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम पड़ेगा। कृषि की उत्पादन ता बढ़ेगी उद्योगों के विकास मे राष्ट्रीय व्यवस्था भी बढ़ेगी। उस समय विदेशी से मी अनाज भगाना अनुपयुक्त होगा।

7 खाद्य नो के मूल्य की घारन्ती इसे किसानों को अपनी फहल का उचित मूल्य मिल जायेगा। फलस्वरूप वह उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा।

8 कृषि प्रशासन में सुधार प्रशासनिक लाल फीतेशाही दो दर करता, अनुसंधान, पराल नियोगन कृषि जून एव शनुदान व्यवस्था में सुधार करना, तथा राज्य के कृषि कर्मचारियों को सक्रिय बनाना परमादेश्वर है, अन्यथा कृषि में सुधार नहीं हो सकेगा और न ही उत्पादन में वृद्धि होगी।

9 यात्रीय उद्योगों को बढ़ावा देना किसानों मे फैली बेकारी और अद्वै-बेकारी को दूर करने के लिए कुटीर एव लघु उद्योगों का पुनर्जीवन किया जाना चाहिए। इससे दो लाभ होंगे। एक तो जनसंख्या का भूगि पर दबाव कम हो जायेगा और दूसरे किसानों की जासदनी बढ़ जायेगी, जिसे ये उत्पादन बढ़ाने मे प्रयुक्त कर सकेग।

10 सामुदायिक योजनाओं द्वारा प्रयत्न भास्त्रायिक विकाय योजनाओं द्वारा अपने ग्रामीणों मे लेजी लाकर खाद्य-समस्या को सुलझाया जा सकता है। भास्त्रायिक विकास लाभों के कार्यकर्ता किसानों को नई कृषि विधियों की शिक्षा देकर एव अन्य प्रनार की यावद्वारिक सुविधाएं देतर कृषि उपज बढ़ाने मे महत्वपूर्ण योग-दान दे सकते हैं।

11. दृष्टिभगवार-व्यवस्था : भगवार देश के बुल खाद्यान्त उत्पादन एवं उत्पन्नों के अनुमानों के आधार पर मात्रा में जिन्हीं अधिक खाद्यान्मों नी आवश्यकता हो, उने खाद्यान्त करके अपने भगवार पहले से ही भर दें, ताकि सकटवाल में इन्हीं भगवारों से खाद्यान्मों की पूर्णि दी जा सके।

12. राज्यों में सहयोग की भावना वा विसाम इन व्यवस्था दे निशान दे जिए देश के सभी गण्डों को पिछ कर प्रभावजानी उद्यम उठाने चाहिए। जिसे वाले राज्यों की नस्तारे अपने दायित्व को समझें तथा राजनीतिक एवं क्षेत्रीय स्थानों की पूर्णि के लिए जनावरप्रस्ता राज्यों से अनुहयोग न करें।

13. अन्य सुव्याप्त उत्तरोत्तर मुक्ताको के अतिरिक्त निर्माणित अन्य सुव्याप्तों की जोर भी ध्यान देने में व्यवस्था सुलग रही है, यथा—(1) पचादन निर्मितियों की व्यापारा एवं उत्पादन बढ़ाने का उत्तरदायित्व उद्योग कराना, (2) इन्हि उत्कारी निर्मितियों दा विचार दरका, (3) वडी योजनाओं के जलवा छोटी व मध्यम आवार वी निर्वाई योजनाओं दा निर्माण करना, (4) नूर्मि-व्यवस्था के माध्य फिरवाड करने के बजाय नूर्मि-व्यापार व्यवस्थी जानूरों से निर्माणित नरका, (5) गाय, खेन, मुँहियों आदि को अधिकारिक मरुद्या में पाल कर योजन में पोषित तत्वों की वृद्धि करना, (6) सरकार द्वारा खाद्यान्त जी जमादारी व नट्टेवाडी को रोकने के लिए प्रभावजानी उद्यम उठाना, (7) खाद्यान्मों के न्यूलों में वृद्धि न होने देने के लिए नस्तार द्वारा पर्याप्त 'वफर स्टाइ' दा निर्माण तिया, तथा (8) सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य बजट (National Food Budget) दा निर्माण आदि।

खाद्य-समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न :

1. खाद्यान्मों क मूल्यों पर नियन्त्रण एवं खाद्यान्त स्थिति खराब होने लम्हनी है, तब सरकार उचित विनाश के उद्देश से खाद्यान्मों के मूल्य पर नियन्त्रण लगा देनी है। नाना दे नन् 1942 ई० में पहरी वार इन प्रकार दा नियन्त्रण लगाया गया था, परन्तु नन् 1947 ई० में गांधीजी के अनुरोध पर हटा दिया गया। इसे तन् 1948 में पुन लगा किया गया। आज भी हिस्सों न इसी तरफ मौल्य-नियन्त्रण या नार्नियं व्यवस्था लागू है।

2. अधिक धन्न-उपजाऊ-आन्दोलन यह आन्दोलन भी नन् 1942 ई० में प्रारम्भ दिया गया, परन्तु उस समय यह नफ़ज़ नहीं हुआ था। सरकार के बाद इसे नवा रप दिया गया तथा उपज उपकरणोंय योजना में भाग्योदयित विकास कार्यक्रम से मिला दिया गया।

3. खाद्य स्वाक्षरत्व आन्दोलन नन् 1947 ई० में एक खाद्य स्वाक्षरत्वी आन्दोलन चालू दिया गया था। थी वे, एस. मुन्ही ने इन आन्दोलन को सफल

बनाने के लिए कई सुश्राव दिये। मन् 1952 ई० तक इस आनंदोलन के हारा देश को खाद्याननों के मामले में स्वाक्षरम्भी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा न हो सका।

4 खाद्याननों के नियंत्रण पर रोक केन्द्रीय सरकार ने ब्रगाल के अकाल के पश्चात् खाद्याननों के नियंत्रण पर रोक लगा दी है। खाद्याननों के नियंत्रण होने से देश के लिए खाद्याननों की उपलब्धता अब बढ़ जाएगी।

5 अन्त इच्छाओं आनंदोलन अनन्दन्यज्ञाओं आनंदोलन के अन्तर्गत किया गया और व्यापारियों द्वारा अनाज को युरक्षित भण्डारों में रखने के बेतानिक तरीके बताये जाते हैं, ताकि गहले—योद्धाओं द्वारा की गयी अनाज की रक्षा की जा सके। इस आनंदोलन को भी भारत गवर्नर ने ही बताया है।

6 विदेशों से खाद्याननों का आयात खाद्यानन की जमीं को पूरा करने के लिए सरकार विदेशों से यदी मात्रा में खाद्याननों का आयात करती है। सरकार ने अमेरिका, जार्स्ट्रेलिया, इनडा, वर्मांगांग सोवियत इत्य से विगत वर्षों में खाद्याननों का आयात किया है। अधिकन्तर अनाज अमेरिका से, सार्वजनिक निधि 480 के अन्तर्गत आयात किया गया है। मन् 1951 से 1971 की अवधि में लगभग 9 करोड़ टन खाद्यानन का आयात किया जा चुका है। विगत वर्षों में भारत में खाद्याननों के आयात की स्थिति का अनुमान निम्न तालिका से लिया जा सकता है।

वर्ष	खाद्याननों का आयात (मिलियन टनों में)
1951	6.9
1956	1
1961	6
1966	10.4
1967	8.7
1968	5.7
1969	3.9
1970	3.6
1971	2.1
1972	4 ¹

7 खाद्यानन का सरकार हारा विलण गवर्नर ने देश भर में सर्वो अनाज की दुकानें खोली हैं, जिनके माध्यम से डेप्रोबलांडो को छुचित मूल्य पर खाद्यानन उपलब्ध कराये जाते हैं। अगस्त सन् 1965 ई० में सरकार ने उन दुकानों में राशनिय प्रारम्भ कर दी, जिनकी आवाही 10 लाख से ऊपर थी। विगत वर्षों में सरकार हारा वितरित किया गया खाद्यानन बगले पृष्ठ पर दी गई। तालिका में दिखाया गया है।

1. अनुवादित 31 अक्टूबर 1971 तक हिन्दुस्तान 6 जुलाई, 1973

सरकार हारा खाद्यान्नों का वितरण

वर्ष	वितरण (लाख टन म)	वर्ष	वितरण (लाख टन म)
1960	49.4	1966	140.8
1961	39.8	1967	130.0
1962	43.7	1968	101.0
1963	51.8	1969	92.0
1964	86.7	1970	89.0
1965	100.8	1971	77.0
		1972	103.0

8 खाद्यान्नों की जमातोरी एवं मुनाफाखोरी पर रोक सरकार ने वह पैमाने पर खाद्यान्नों का राशह करने वाले व्यापारियों एवं उत्पादकों को मज़ा देने के लिए कानूनी व्यवस्था दी है। आवश्यक पदार्थ अधिनियम (Essential Commodities Act) तथा भारतीय प्रतिरक्षा नियम (D fence of India Rules) के अन्तर्गत उन व्यापारियों एवं उत्पादकों ने विद्ध कारबोहिया का ता सकती है जो अनुचित लाभ उठान के लिए जमातोरी का अपराध करते हैं।

9 भारतीय खाद्य नियम की स्थापना देश भर में खाद्यान्नों का न्यायपूर्ण वितरण करने के लिए तथा अलावा के मूल्यों को स्थिर बनाव रखने के लिए भारत सरकार ने जनवरी 1965 ई० में खाद्य नियम (Food Corporation of India) की स्थापना की। यह सरकारी प्रतिनिधि के रूप में खुले बाजार में खाद्यान्नों का क्रय-विक्रय करता है। खाद्यान्नों के न्यायोचित वितरण के साथ साथ यह नियम हीपि उपयोग करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

भारतीय खाद्य नियम द्वारा वितरण वर्गों में खाद्यान्नों के क्र्य विक्रय की दिशा में लिए गए कारबोहियों का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है।

भारतीय खाद्य नियम की प्रथमि

वर्ष	वर्ष	(लाख टनों में)
1969-68	प्रथम	विक्रय
1969-71	87.1	66.4
1970-71	97.3	88.5
	88.1	73.4

सन् 1970-71 में नियम ने 739 करोड़ रु. का खाद्यान्न सरेदा एवं 684 करोड़ रुपये का संधान किया।

10 अन्य प्रयत्न सरकार द्वारा खाद्य सप्तस्या को शुल्काते के लिए अन्य कई कदम भी उठाये जाये हैं, जैसे, (1) तृतीय योजना के अन्त में नई हीपि विकास

की विधि का अपनाया जाना, (ii) खाद्य नियन्त्रण एवं साधा ही क्षेत्रीय व्यवस्था; (iii) विद्याल भूमि भवारी वा गिरावं, (iv) नरकार द्वारा खाद्यान्मों की बहुली (v) खाद्यान्मों के संग्रह के लिए दंडों के अन्य पर प्रतिपथन, (vi) रिजर्व बैंक द्वारा बनाऊ का नट्टा वाग्यर रोबत के लिए साध नियन्त्रण आदि।

सरकार द्वारा उडाए गए उपर्युक्त कार्यों के लावजूद भी हमारी न्याय समस्या में सुधार नहीं हो सका है तथा यात्रा नीति प्राप्त असफल रही है जिनमें कई कारण हैं जैसे—(i) राजनीतिक दबाव में बदल रुपी मूल्य आपोग वीरि सिक्कादियों की अवहनना, (ii) शोष प्रणिकाल द्वारा यात्री बोजनाओं वीरि और अधिक व्यापार न देना, (iii) जनसूख्या के नियन्त्रण में असफलना, (iv) सरकार की नीतियों में व्यापार एवं इमार शोष सत्रुट हो जाना, (v) राज्यों में पारंपरिक सहयोग का अभाव, (vi) भ्रष्ट एवं ब्रभावहीन प्रशासन आदि।

पचवर्षीय योजनाएँ एवं खाद्य नीति (Food Policy under Five year Plans)*

आठवां सरकार ने खाद्य समस्या को मुख्यमाने के लिए नियोजन काल में कई महत्वपूर्ण कदम उडाए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है—

प्रथम योजना प्रथम योजना में मन् 1951-56 तक अधिक बन्द उत्पादन का लक्ष्य 76 मि० टन रखा गया, ताकि प्रति व्यक्ति 14 और आहार दिलापा जा सके। मन् 1952 हू० में अधिक बन्द उत्पादनों आनंदोलन की जांच के लिए कुण्ड-माचारी ममिति की नियुक्ति की गई। इस समिति ने प्रतापा कि इस आनंदोलन के अपेक्षित परिणाम नहीं निक्छे। इस समिति का गठ था कि गांव के लोगों के जीवन का उन्नत करने के लिए कृषि सूचार पर जोर दिया जाना चाहिए। आपात उभाव्य करने से समस्या नहीं सुलझ सकती। इस योजना के अन्तर्गत न्याय नीति में तीन बाहों पर जोर दिया गया—(i) खाद्यान्म के उत्पादन में वृद्धि, (ii) खाद्यान्म के वितरण वीरि उचित व्यवस्था, (iii) खाद्यान्म के आधात को यातासम्भव करना। इस योजना के अन्तर्गत कृषि विकास कार्बिक्य की मुद्रा बातें थीं। (i) नामुदायिक विकास परियोजनाओं तथा सामुदायिक प्रशार सेवा (Community Development Projects and National Extension Service) का प्रारम्भ किया जाना, (ii) मिचाई के द्वाटे बड़े साथों का प्रयोग करना, (iii) भूमि-सूधार सम्बन्धी कानून दाय बनाना, तथा (iv) कृषि वित तथा वेती के लिए लाद, यत्र आदि विविध प्रशार की सामग्री बुदाना। अनुकूल जलवायु एवं कृषि विकास कार्बिक्यों के प्रारम्भप खाद्यान्मों का उत्पादन दर्पे 1950-51 में 5.5 करोड़ टन के बढ़कर नन् 1955-56 हू० में 6.9 करोड़ टन हो गया। अच्छी प्रकल के फलस्वरूप खाद्यान्म का आयात तन् 1951 हू० में लगभग 69 लाख टन से घट कर नन् 1955 हू० में बेबढ़ 10 लाख टन रह गया।

दृष्टीय योजना । इम योजना में अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य एक करोड़ टन रखा गया था, अवधि सन् 1955-56 में 6.9 करोड़ टन से उत्पादन बढ़ा कर सन् 1960-61 में 7.5 करोड़ टन करना था । बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद गया केवल व राज्यों के हृषि मनियों द्वारा पुनर्विचार के बाद लक्ष्य बढ़ा कर 8.0 करोड़ टन पर दिया गया । हृषि उपज बढ़ाने के उन्हीं तरीकों पर जोर दिया गया, जिन्हे प्रथम योजना के अन्तर्गत मुकाबला गया था । योजना काल के दौरान खाद्यान्नों के मूल्य में अत्यधिक चूम्हा दिया गया । योजना काल के दौरान खाद्यान्नों की श्री अशोक मेहता द्वारा दिया गया गृहीत अन्तर्गत खाद्यान्न रिसर्चरेशन संगठन (Food Grains Stabilisation Organisation) की नियुक्ति भी गई । इस समिति ने खाद्यान्नों के लिए एक प्रभावशाली मूल्य-रिपोर्टरेशन नीति दो लागू करने के लिए एवं एक उपचुक्त संगठन अवधिक खाद्यान्न रिसर्चरेशन संगठन (Food Grains Stabilisation Organisation) की नियुक्ति दरने का मुकाबला दिया । अन्यकालीन मुकाबला के होर पर समिति ने गल्डे के बिनरण के लिए एवं प्राइज शाप' तथा गहकारी समितियों दो प्रधानता देने वाली सिफारिश की । समिति ने यामीन पद लघु दृश्यों के विकास पर तथा वाइनियरिंग एवं सिनार्ड की योजनाओं के विवाद्यन पर भी जोर दिया । समिति खाद्यान्न के उत्पादन व्यवस्था के लिए कोई गतिशील मुकाबला न दे सकी । सुरक्षार ने समिति के अधिकारी मुकाबलों को स्वीकार कर दिया । लेकिन इन प्रयत्नों के बावजूद भी इस योजना में अधिक सफलता न मिली तथा सन् 1960-61 ई० में खाद्यान्न उत्पादन 8.22 करोड़ टन हुआ । इस योजना के दौरान सन् 1958-59 ई० में तो साथ समर्थन ने भीषण रूप धारण पर लिया था ।

दृष्टीय योजना इम योजना में सन् 1965-66 तक खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 10 करोड़ टन रखा गया था, ताकि प्रति व्यक्ति सप्तव्य खाद्यान्न की मात्रा के 1961-62 ई० में 16 और से बढ़ा कर 1965-66 ई० में 17 और तक की जा सके । खाद्यान्नों के उत्पादन में बृद्धि के लिए सरकार ने इस योजना में कई महत्वपूर्ण कदम उठाय, यथा (i) हृषि पदार्थों के उत्पादन में बृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए बैन्ड न केन्द्रीय साध्य एवं हृषि मन्त्री की अध्यक्षता में हृषि उत्पादन परिषद (Agricultural Production Board) को स्थापना की गई, (ii) जून 1965 ई० में भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) की स्थापना की गई । यह निगम खाद्यान्नों के कई चिकित, सच्च तथा वितरण की व्यवस्था करेगा । (iv) जून 1965 ई० में ही एक वृद्धिन्मत्य परिषद (Agricultural Price Commission) की स्थापना की गई जो सरकार की मूल्य नीति के सम्बन्ध में आवश्यक परामर्श देगी । जलवाया परीक्षण एवं देश के उपर गुहारकट के दाढ़ों के परियानस्थल्य तृष्णीय योजना के लक्ष्य भी प्राप्त न विए जा सके । सृष्टीय योजना के अन्त में

खाद्यानन्द उत्पादन कमीभरा 7 42 करोड टन था, जो लक्ष्य से कम था। खाद्यानन्द-उत्पादन की कमी के कारण खाद्य समस्या ने भयकर रूप ले लिया। देश को अकाल से बचाने के लिए अमेरिका, कनाडा एवं आस्ट्रेलिया से अधिक मात्रा में खाद्यानन्द का आयात करना पड़ा।

खाद्यानन्द नीति समिति 1966

15 मार्च 1966 को श्री वी बंकटपैथा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसे प्रबलित क्षेत्रीय व्यवस्था और अनाज की बर्तमान बस्तूली व वितरण की जांच करने तथा देश के विभिन्न राज्यों व धर्मों के द्वीप उचित मूल्यों पर खाद्यानन्द के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए कहा गया था। इस समिति के प्रमुख मुद्दाओं में, (i) राष्ट्रीय खाद्य बजट बना कर, उपलब्ध अनाज का नियोजित वितरण किया जाय, (ii) खाद्य बजट के निर्माण, इसकी भवीता, संशोधन, व कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य परिषद का गठन किया जाय, (iii) नूदिहीन द्रुपदों को अन्य उपलब्ध कराने के लिए गाँवों में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाय, (iv) मूल्य स्थिरता के लिए कम से कम 40 लाख टन खाद्यानन्द का बफर स्टोक आवासी 3-4 वर्षों में निर्मित किया जाय तथा इसका प्रयोग भारतीय पाच नियम पो नीता जाव, (v) अनाज सप्तह के लिए गोदामों का तौरपर्याप्ति में निर्माण किया जाय तथा खाद्यानन्द बस्तूली को प्रारंभिकता दी जाय, (vi) उचित वितरण व मूल्य की स्थिरता के उद्देश्य की पृति के लिए अन्तर्राजीय गतिशीलता पर नियन्त्रण रखा जाय, (vii) भारतीय खाद्य नियम सभी राज्यों में प्रारंभिक कार्यालय स्थापित करे तथा दिन-शतिहित की बस्तूली एवं वितरण से सम्बद्ध रखे नथा (viii) खाद्यानन्द के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए जाय, तेकिन बस्तूली का संचय (Procurement-prices) न्यूनतम मूल्य से ज्यादा होना चाहिए।

एकवर्षीय योजनाएँ (1966-69) तृतीय योजना के पश्चात् देश में एक-एक वर्ष को तीन योजनाएँ कियाजित की गई। नन् 1966-67, 67-68 एवं 68-69 में नई कृषि नीति अनानाए जाने के कारण खाद्यानन्द का उत्पादन कम्या 74 2, 95 1 व 94 0 करोड टन हुआ। इन वर्षों में अच्छी वर्षी, अधिक उपज देने वाले दीजों, रानायनिक खाद्य, कृषि नायक द्वाराहयो आदि के अधिकाधिक उपयोग के कारण खाद्यानन्द के उत्पादन में वृद्धि हुई।

चौथी पञ्चवर्षीय योजना (1969-74) में खाद्य नीति चौथी योजना में खाद्य नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं :

- (1) उपभोक्ता मूल्यों की स्थिरता सुनिश्चित करना तथा विशेष रूप से कम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना।
- (2) उत्पादकों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्षोंत प्रोत्साहन देना।

(३) अनाजों का पर्सिन समीकरण भग्नार यानी 'बफर स्टाव बनाना,' ताकि कम और बढ़ती या गिरने की घटनों का मुकाबला किया जा सके।

इन योजना में उपमोरनाओं के हिनों की मुख्या के लिए नहारी समितियों तथा उचित मूल्य बानी दूरानों के माध्यम से खाद्यान्न पिण्डित किया जायेगा तथा नियंत्रित व्यापार को नियमित किया जायेगा। सरकार किसानों में खाद्यान्न भागीदार खाद्य नियम, गहकारी समितियों तथा ऐसी अन्य मत्त्याओं में खाद्यान्नों, ताकि विनामों को उत्तीर्ण उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

पर्सिन समीकरण भग्नार बनाने के लिए कार्य प्रारम्भ हो चुका है। 1968-69 म इसके लिए 20 लाख मीट्रिक टन अनाज एकत्र किया गया। इस भग्नार की बड़ातर 50 लाख मीट्रिक टन से जाने वा लक्ष्य है। प्रतिवर्ष 80 लाख से लेकर 1 करोड़ मीट्रिक टन तक अवध्य अनाज वसूल किया जायेगा। बनाज पर क्षेत्रीय प्रतिवर्ष लगाने की नीति को भी व्यापक्तारिक रूप दिया जायेगा।

चौथी योजना के उत्तराधिकार में उत्पादन का लक्ष्य 12.9 करोड़ टन रखा गया है। खाद्यान्नों की वृद्धि के लिए हुए उपज बटाने पर जोर दिया जायेगा तथा वर्तमान अवधि के उत्पादन के बढ़ि, (ii) हाफि उपकरणों की व्यवस्था, (iii) बच्चे विद्यम के बीचों के उत्पादन में बढ़ि, (iv) भूमि नरक्षण एवं भूमि सुव्याप्ति वर्तमान, (v) रामनियन उद्यगों की पूर्वि में बढ़ि, (vi) भूमि नरक्षण एवं भूमि सुव्याप्ति वर्तमान, (vii) अधिक उपज देने वाली फसलों पर जोर बांदि।

भारत सरकार की अंतिमान साठ-लीलि भारत सरकार की अंतिमान याद-नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—

(क) खाद्यान्नों की क्षेत्रीय व्यवस्था—इसके अन्तर्गत अनेक राज्यों के भौतिक लोन मिला कर एक क्षेत्र नियमित किया गया। इस प्रवार के अनेक लोन ग्रहे य खायल के लिए नियमित हिए गए, ताकि एक क्षेत्र विशेष में प्रतिरेत व अभाव के राज्य जा सकें तथा साथ के क्षेत्र विशेष में स्वतन्त्र हप से आवागमन हो सके। अग्रवाल वर्षानियों के द्वारा क्षेत्रीय व्यवस्था के विरोध किए जाने के कारण 4 अप्रैल 1970 पा गहरे के क्षेत्र भमाल कर दिए गए हैं।

(ल) बफर भग्नार (Buffer Stocks) का नियंत्रण नरना ताकि खाद्यान्नों के मूल्य में विश्वरण लाई जा सके। मन् 1968-69 मे 16 साल टन के स्टाक से यह कार्य प्रारम्भ किया गया था, जो 1971-72 तक 49 साल टन तक पहुँच चुका था तथा जिसका मूल्य 431 करोड़ रुपए था।

(ग) खाद्यान्नों में सरकारी व्यापार—भारतीय खाद्य नियम के माध्यम से सरकार अनाज वा नवीनियक बरनी है, ताकि मूल्यों में अनुचित उत्तार-चढ़ाव को रोका जा सके। हाल ही मे कई राज्य सरकारों ने अनाज के बोर व्यापार को अनेक हाथ में लेने की घोषणा की है।

(ब) सरकार अनाज की दुरानी तथा नगरी में राशनिय के माध्यम से सरकार उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज के वितरण की व्यवस्था कर रही है।

(ज) रिजर्व बंड अनाज का सट्टा व्यापार रोकने के लिए प्रभावशाली सात गिरफ्तरी दी गीति जफना रही है।

(ब) जलवा की खाद्य-आवश्यकता (Food habits) में परिवर्तन एवं सुधारित भोजन के लिए प्रदार का कार्य हिया जा रहा है।

(छ) निम्नतर वर्गी हुई जनसमुदाय पर रोक लगाने के लिए सरकार राष्ट्रीय बदल पर विवार नियोजन कार्यक्रम पर जोर दे रहा है।

(ज) खाद्यान्तों के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश से ही सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनमें नई कृषि विकास नीति (New Agricultural Strategy) महत्वपूर्ण है। अन हम निकट भविष्य में खाद्यान्तों के मालाले में आस्त मिर्च होने की बुलना कर सकते हैं।

अनाज के अन्यथा भेज आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के निष्पाकित विचार बड़ महत्वपूर्ण हैं।

बड़ मगद और यथा है जब हम अनाज से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन जायबाही दर्तनी च हिं। एसा करना इसलिए जरूरी है, विशेषज्ञ पर निश्चर रहने में अनेक अडिनाइया देख होगा है। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय उत्पादन में बढ़ि और चमूली के कार्यक्रम को और कुशल बनाना है। हम विश्वास कर जात बरगा तो इससे आत्मनिर्भरता का मर्म झक्का होगा। १ — श्रीमती इन्दिरा गांधी

प्रश्न

1. टिप्पणी लिखिये भारत में लाल भजस्या।

(राज टी दी सी प्रथम वर्ष कला 1965-67)

2. "सर्व समस्या का मुँड स्वर पह मुकाबला करता छात्रिये।" विवरण दीजिय। (राज बी प 1965)

"Even after fifteen years of economic planning, India faces at present a serious food crisis. Give reasons and outline the measures taken by the Government to solve the food problem in country" (Raj B A Honours, 1966)

4. भारतीय न्याय समस्या ने सुलझाने के लिए आप कौन-कौन से उपाय मुद्दापैरे? उन्ह मविस्तार भविष्याद्ये। (राज प्रथम वर्ष दी दी सी कला 1969)

नवीन कृषि नीति

(New Agricultural Strategy)

"The government should realise the urgency of the agricultural reorganisation problem and draw up a new agrarian policy, based on through institutional changes for the "dynamisation of the rural sector"

-Alak Ghosh

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की अर्थ-व्यवस्था का आधार कृषि है। जनसंख्या का लगभग तीन-चौथाई भाग कृषि पर आन्तरित है। देश की राष्ट्रीय आप में इसका महत्वपूर्ण भाग रहता है। परन्तु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहां कृषि की व्यवस्था दोनोंपक्ष है। कृषि देश की 55 करोड़ जनता को भरण-पोषण करने में वस्तर्व है। कृषक, जो कृषि-कार्य सम्पादित करता है, स्वयं निर्धन है। दिन भर के अधृत परिव्रम के बाद थो बकल का भोजन भी नसीब नहीं होता। कृषि वा यह पिछड़ापन स्वयं कृषक ही के लिए अभिभाव नहीं है, अपितु सारे देश के लिए भी लज्जा की बात है। नि सन्देह जाक कृषि का पिछड़ापन सरकार के लिए चुनौती है। यदि सरकार इस चुनौती का उचित उत्तर देने में समर्प है, तो देश सुशाहाली की व्यवस्था बदल सकता है, अन्यथा देश का साविध्य बर्नेशन से भी अधिक दुरा होगा। सरकार ने यह भली भांति समझ लिया है कि कृषि के विकास में और अधिक सम्बन्धित परोक्षण नहीं किये जा सकते। अब जड़े एवं हड़ नीति बनाकर कृषि का दीर्घ विकास परमावश्यक है। यदि देश में कृषि-विकास नहीं हो पायेगा तो देश आरेक्षित आर्थिक उन्नति नहीं कर पायेगा।

स्वतन्त्र भारत में कृषि-विकास एवं कृषि सम्बन्धी नीति

ओर्धकाश अस्पैदकीमत देशों में, जिन्हें अत्यधिक जनसंख्या बूढ़ीदार का सामना करता रहा है, भाग की तुलना में स्थान-वदार्थ और दृष्टिगत कञ्चे माल की अत्यधिक कमी है। इसका मुक्य कारण यह है कि इन देशों में प्रति एकड़ उत्पादन और प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम है। कृषि उपज बढ़ाने की विविध योजनाओं

के दावबूद् भी बहुत कम देश साथ उत्पादन में बढ़ि की दर वीर्यकाल तक बनाये रखने में मफल हुये हैं। सद्यक राज्य अमेरिका तथा प्राम में कमश गाठ प्रतिशत व पच्चीग प्रतिशत जनसंख्या देशों के व्यवसाय में लगी हुई है, फिर भी ये देश अपनी समस्त जनता के लिये खाद्यान्न उत्पादन करने की स्थिति में है। इसके विपरीत अल्प विकसित देशों में लगभग 63 से 70 प्रतिशत जनसंख्या खती करती है, सेकिन कि यह भी ये देश अपनी जनता के लिये पूरा खाद्यान्न पैदा करने की स्थिति में नहीं है और उन्हें दूरे विवर युद्ध के पश्चात् उन्नत देशों से खाद्यान्न आयात करने की आवश्यकता पड़ती रही है। भारतवर्ष भी ऐसा ही पक्ष अल्प-विकसित हृषि प्रपात देश है, जहां पर 70 प्रतिशत के लगभग जनसंख्या ज्ञेतों से ही अपना जीवन-न्यायन करती है। लेकिन कि भी खाद्यान्न के मामले में भारत को अन्य देशों का मुहताकना पड़ता है।

राजनन्तरा प्राप्ति के पश्चात् भारत की लोकप्रिय गवर्नर ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए हृषि विकास सम्बन्धी एक व्यावह एवं प्रभावशाली नीति अपनाई। आजादी के नाथ ही जाय देश का विभाजन हुआ, फलस्वरूप छूट, कपास जैसी महत्वपूर्ण कनाओं के उत्पादक धेनों का बहुन बड़ा भाग पाकिस्तान में चला गया। अत म्बतन्त्र भारत में, देश की सरकार को ऐसी नीति अपनाने की आवश्यकता पड़ी जिसमें जनता के लिये खाद्यान्नों एवं देश के जारदानों के लिये बुच्चे माल नी पर्याप्त उपलब्ध हो सके और देश हृषि जग्य पदार्थों में स्वावलम्बी बन जाय। इष दिया में प्रभावशाली प्रणाल, देश के आर्थिक नियोजन के साथ-साथ प्रारंभ हुआ। देश की एवं वर्षीय योजनाओं में हृषि को महत्वपूर्ण रूपान् दिया गया और पह मर्यादा उपिन भी पा, नकोकि भारत जैसे हृषि प्रवान देश में हृषि के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी।

प्रथम एवं द्वितीय योजना में हृषि

भारत में आर्थिक नियोजन नीं गफ्फाता ने लिए हृषि विकास अव्याह कार्य है। योजना आयोग के शब्दों में, 'देश के नियंत्रित आर्थिक विकास के किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिये हृषि पूर्णता एवं सुधार आधारभूत महत्व का है।' यद्यपि राष्ट्रीय अथं-प्रबल्लय के विविध लगाएक दूसरे में काफी सम्बन्धित है, तथा उन्हें कोई झेपाना अस्विकारितों द्वारा एपोक्सित आकर देता जात्है, तथापि नमूद्यों योजना उसी मध्य सफल ही मिली हुई थी, अन्त एवं गृषि का अधिकतम लाभदायक उपयोग हो। इस अर्थ में हृषि का महत्व आधारभूत एवं बड़ा व्यापक है।¹

¹ In any scheme of planned economic development of the country agricultural reorganisation and reform hold position of basic importance....While the

प्रथम पर्यावरणीय योजना काल में बढ़ी तथा गव्यम सिचाई की योजनाओं द्वारा मुल 63 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिचाई की मुनिधाएँ उत्पलब्ध हुईं। दोटी मिचाई पोजनाओं द्वारा इसी अवधि में मुल 100 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिचाई सुनिधा प्राप्त हुईं। प्रथम योजनावधि में खाद तथा उर्वरक के उपयोग में पर्याप्त बृद्धि हुई। अमोनियम सल्फेट की कूल खपत 2 लाख 75 हजार टन से बढ़कर 6 लाख टन हो गई। फास्फोरस खादों की खपत 43,000 टन से बढ़ कर 78,000 टन हो गई। योजनावधि में बेन्ड्रीय ट्रैक्टर संघ (Central Tractor Organisation) द्वारा लगभग 12 लाख एकड़ भूमि का उद्घरण (Reclamation) किया गया, राज्यों के अपने ट्रैक्टर संघों के द्वारा लगभग 28 लाख एकड़ भूमि का उद्घरण किया गया। भूमि गुप्तार कार्यों के लिए कियानों को अनुदान एवं झण्ण प्रदान किए गए, फलस्वरूप लगभग 30 लाख एकड़ भूमि वा उद्घार हुआ। देश के विभिन्न शासी में वीज उत्पादन हेन्डों की व्योला गया। नावि किमानों को उनके धीज प्राप्त हो सके। इस योजनावधि में जापानी तरीके से धान दी सेही पर जोर किया गया। राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं (National Extensive Service) के बन्कार्गत लगभग 40 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को लाभ प्राप्त हुए। प्रथम योजना काल में कृषि विकास सम्बन्धी विविध प्रयत्नों के फलस्वरूप कृषि पदार्थों के उत्पादन में 17 प्रतिशत तथा साधानों के उत्पादन में लगभग 120 लाख टन नींव बढ़ि हुईं। प्रथम योजनाकाल में कुछ बम्तुओं के उत्पादन में निर्वाचित लक्ष्यों से अधिक बढ़ि हुईं, जबकि कुछ वस्तुओं के उत्पादन में शक्य भी पूरे नहीं किए जा सके, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है-

फलस्वरूप	1950-51 में उत्पादन	1955-56 में उत्पादन-नक्श्य	1955-56 में वार्षिक उत्पादन	बास्तविक बृद्धि लक्ष्य के आधार पर
खाद्य (लाख टन में)	540	616	634	+ 42
गिरहर (लाख टन में)	21	53	26	+ 1
गन्ना (गड़) (लाख टन में)	26	63	60	- 3
क्षेत्र (लाख घानों में)	29	42	40	- 2
जूट (लाख टन में)	33	54	42	- 12

पिछे पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट है कि प्रयम योजनावधि में सांचाटों के उत्पादन में लक्ष्य से काफी अधिक वृद्धि हुई। निरहत व कपाम के उत्पादन में भी लक्ष्य लगभग पूरे हो गये, लेकिन गन्ह व बूट के उत्पादन में आवश्यकता वृद्धि नहीं हुई तथा उत्पादन लक्ष्य से बहुत हुआ।

प्रयम एवं चबर्योंय योजना में कृषि के नियोजित विकास की दिशा में भारत में पहली बार प्रयम किया गया था अनु कुछ नुटियों का रह जाना स्वाभाविक था। प्रयम योजना में कृषि विधक कार्यक्रम का प्रयम एवं सवाधिक महत्वपूर्ण दोष यह था कि योजना बनाते नमस्त्र देश में कृषि साल सम्बन्धी काई व्यापक योजना नहीं बनाई गई। कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम का दूसरा दोष यह था कि योजना में सहारी कृषि पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया था। योजना कृषि जान्दीलग को उपलब्ध बनाने के लिए सहारी ग्राम व्यवस्था को कृषि तथा ग्रामीण समाज के खन में अनिंग आवर्तन के स्वरूप में अपनाया था, परन्तु योजनावधि में गहराई सती की आवश्यकता सफलना प्राप्त नहीं हुई। सहारी कृषि जान्दीलग की असफलता का मुख्य कारण यह था कि सरकार के पाम उम्म नमस्त्र भूमि-मुनार की कोई विस्तृत योजना नहीं थी। प्रयम योजनाकाल में भूमि के उप विभाजन एवं अपदान की वृगड़ीयों को दूर करने के लिए काइ प्रभावशाली कदम लाहु उठाये गये, फलस्वरूप कृषि की औसत जोत ग्राम अवाधिक ही बनी रही।

उपर्युक्त दोषों के बावजूद भी कृषि उत्पादन में कार्याल वृद्धि हुई, जिसके लिये कुछ सीमा तक प्रहृति के महायोग को भी रथ दिया जा सकता है। योजनाकाल में कृषि में सम्बन्धित परिवर्तन नहीं किया जा सके, जो कृषि के स्वाधी विकास के लिए आवश्यक थे और जिनके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में सम्भवत आवश्यकन क वृद्धि हुई होती।

द्वितीय एवं चबर्योंय योजना में कृषि—भारत की द्वितीय प्रबल्योंय योजना उद्योग प्रष्टाने योजना थी। इस योजना में कृषि को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया। योजना आयोग का विचार था कि चक्रि प्रयम योजना ने कृषि को काफी सबल बनाया जा सका है, अत देश के संतुलित विकास को हास्ति म रखते हुए उद्योगों की इस योजना में प्राथमिकता देना आवश्यक था। द्वितीय योजना में कुल 4,800 करोड़ रुपये व्यय किया जान थ, जिनमें से 1,034 करोड़ रुपये कृषि विकास वे त्रिए प्रतिवर्त दिये गये थ। इस प्रवार यहां प्रथम योजना में कृषि कार्यक्रमों पर 31 प्रतिवार व्यय का प्रावधान था यहां दूसरी योजना में यह प्रतिवार छट कर 20 प्रतिवार ही रह गया। द्वितीय योजना में कृषि विकास पर वस्तुत 930 करोड़ रुपये ही व्यय किया जा सके। इनमें से 530 करोड़ रुपये कृषि तथा सामुदायिक विकास पर लर्च किया

गए तथा लगे 420 करोड़ रुपये, सिचाई की बड़ी व छोटी योजनाओं पर खर्च किए गये। हिंदीय योजना में कृषि, पशुपालन, बन व भूमि सरकार, महस्य उद्योग, महकारिता व विविध कृषि कार्यक्रमों में अवधा 170, 56, 47, 12, 47 व 9 करोड़ रुपये व्यय किए गए। प्रथम पचवर्षीय योजना में इसी बढ़ी पर क्रमशः 197, 22, 10, 4, 7, व 1 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। इस प्रकार पद्धति हिंदीय योजना में प्रथम योजना की तुलना में कृषि को कम महत्व दिया गया, तथापि हिंदीय योजना में कृषि पर कुल व्यय सामाजिक व्यय से अधिक था। हिंदीय योजना में कृषि कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय निम्न तालिका में विवरित गये हैं। (करोड़ रुपये)

मद	प्रस्तावित व्यय	वास्तविक व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
योजना प। कुल व्यय	4800	4600	100
हिंदीय तथा सामुदायिक विकास	568	530	11
सिचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	416	420	9
कृषि पर कुल व्यय	1054	951	20

हिंदीय पचवर्षीय योजना में कृषि सम्बन्धी प्रमुख तत्व थे (1) भूमि के श्रद्धांग का नियोजन, (II) अर्थ-कालीन व शीर्षकालीन लद्यों का नियोरण, (III) विकास कार्यकर्ते और सरकारी सहायता में समायोजन, तथा (IV) एक उचित मध्य नीति। हिंदीय पचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन में जो प्रगति हुई, वह निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

क्रमसे	1955-56 में उत्पादन	1960-61 में उत्पादन का लक्ष्य	1961-62 में वास्तविक उत्पादन	वास्तविक उत्पादन के आधार पर
खाद्यान्न (लाख टन)	658	805	797	+8
तिलहन (लाख टन)	56	76	65	-11
गन्ना गुड़ (लाख टन)	60	78	104	+26
कपास (लाख गांठ)	40	60	54	-11
पटसन (लाख गांठ)	42	22	40	-15

ऐसे पृष्ठ पर दी गई नीचे की तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि गने के उत्पादन को छोड़ कर, अन्य कृषि वस्तुओं के लक्ष्य नहीं प्राप्त किये जा सके। इसके लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियाँ काफी हृद तक जिम्मेदार थीं। यह भी आयोग लगाया जाता है कि राज्य मरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र में आवश्यक विनियोग न किए जाने से भी कृषि-विधक लक्ष्य नहीं प्राप्त हिए जा सके। योजना आयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने के महत्व से परिचित था, लेकिन फिर भी इसकी यह धारणा गलत साक्षित हुई कि कृषि पर विषेशकानुतं इम व्यय करने पर भी कृषि उत्पादन पर बुरा असर न पड़ेगा और कृषि क्षेत्र में उत्पादन-बढ़ा ही रहेगा।

द्वितीय योजना काल में सिवाई सम्बन्धी लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हिए जा सके। सन् 1951-56 में कुल 562 लाख एकड़ भूमि को सिवाई की सुविधा उपलब्ध थी। लक्ष्य यह था कि द्वितीय योजना के अन्त तक 800 लाख एकड़ भूमि पर सिवाई की जा सकें। किन्तु द्वितीय योजना के अन्त में लगभग 700 लाख एकड़ भूमि में ही सिवाई की सुविधा प्राप्त हो सकी। भ-संरक्षण सम्बन्धी कार्य भी आशालीं त प्रगति न कर सके। उर्वरकों के प्रयोग में, योजना के अन्तिम वर्ष को छोड़ कर, पृष्ठ नहीं की जा सकी। सक्षेप में द्वितीय योजना की अवधि में कृषि उत्पादन में मन्तोप-जनक प्रगति न हो सकी और यह योजना कुछ हृद तक इस दिना में असफल रही।

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में कृषि-तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में योजना आयोग ने पुन कृषि विकास को पर्याप्त महत्व दिया। योजना आयोग ने इस तथ्य को स्वीकृत किया कि 'तृतीय योजना की सकलता मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में उसकी सफलता पर निर्भर करती है। योजना आयोग के अनुसार ही, तृतीय योजना ने कृषि को गर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। बास्तव में द्वितीय योजना ने इस बात को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया था कि कृषि के उत्पादन में कमी आर्द्धिक विकास के गार्ग में बरोदा शाधा है, जिसे विसी भी उरह हूँकरना आवश्यक है।' इसलिए कृषि उत्पादन को यथा सम्भव अधिकतम बढ़ाना होगा और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए तृतीय योजना भे पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाने होंगे। तृतीय योजना में ग्राम-अर्थ-व्यवस्था के विकास के कार्यक्रम तैयार करते तथा नियान्वित बरते समय मार्गदर्शक निष्ठान्त यह होना चाहिए कि जो कुछ भी भौतिक रूप से व्यवहार्य है, उसे वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जाय और इस प्रवार प्रत्येक प्रदेश की शमता विकास अधिकतम सभव सीमा तक करना होगा।

नवीन कृषि नीति

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में कृषि विकास कार्यक्रमों पर कुल 1281 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसा कि निम्न तालिका में दिया गया है :—¹

कृषि उत्पादन पर ध्यय अध्यवस्था (करोड़ २०)

सद	ध्यय की जाने याली संख्याएँ	वास्तविक ध्यय
कृषि उत्पादन	226.07	
छोटी सिवाई योजनाएँ	176.76	
भूमि संरक्षण	72.73	
चहकारिता	80.10	1760
समुदायिक विकास	126.00	
बड़ी और साध्यम सिवाई योजनाएँ	599.34	
कुल ध्यय	1281.00	1760

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में कृषि, वस्तु मिलाई योजनाओं एवं मामूलायिक विकास कार्यक्रमों पर 1103 करोड़ रुपए ध्यय किये गये। संख्यम तथा बड़े भाकार की सिवाई योजनाओं पर तृतीय योजनावधि में 657 करोड़ रुपए खर्च किए एवं। इन प्रकार तृतीय योजना काल में कूपां कार्यक्रमों पर कुल 1760 करोड़ रुपए का ध्यय किया गया। जो इग योजना के कुल प्रशान्तित ध्यय का 22 प्रतिशत भाग था। तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सिवाई, भू संरक्षण, भूमि उठार, धान क्षेत्री, अन्देरे एवं मुद्दरे जनता के प्रयोग तथा साथ एवं उत्तरकों के प्रयोग पर पर्याप्त जोर दिया गया। गौयों के मरण, बीजों के उत्पादन एवं वितरण तथा वैज्ञानिक कियाजों के प्रयोग के कार्यक्रम को अपनाया गया।

1. तृतीय पञ्चवर्षीय योजना, पृष्ठ 317

तृतीय पचवर्षीय योजना में कृषि उपज के लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन की निम्नलिखित डार्इका में दिया गया है।¹

फसल	1962-66 ई० में उत्पादन का लक्ष्य	1965-66 संसाधित उत्पादन
खाद्यान्न (लाख टन म)	1000	723 0
तिण्ठन (लाख टन म)	100	61 4
गन्ना, गुट (लाख टन में)	102	121 0
ममास (लाख ग्राह)	70	48 0
जूट (लाख ग्राह)	62	45 0
तम्बाकू (हजार टन)	325	400 0
चाप (हजार टन)	408	373 0

तृतीय पचवर्षीय योजना में हार्षि विकास के क्षत्र में वर्षी गिरावा हुई। गर्ने ये जूट के लक्ष्य वो छाड़ वर अन्य फसलों के लक्ष्यों वो प्राप्त नहा दिया जा सका। वर्षी की अनिवार्यता और सूखे की स्थिति ने खाद्यान्नों के उत्पादन एवं उत्पोद्धारों में लिए कच्च माल के उत्पादन को घबड़ा पहुँचाया। इस योजनावधि में कृषि क्षत्र में वाढ़ित सुस्थागत परिवर्तन नहीं दिया जा सके और वह ही खतों के ऊपर विभाजन व अपखण्टन के दायों पर दूर किया जा गया। हार्षि सुधार के विभिन्न कार्यक्रमों की भी पूरों तरह से लागू नहीं दिया जा सका। इस योजना की अवधि में ही चीन व फांकिस्तान के हमले न भी कृषि विकास के मार्ग में बाधा पहुँचाई।

तृतीय पचवर्षीय योजनापाल में खाद्यान्न उत्पादन की इयत्ति कानून सुपरोने के विवरणों चली गई। सन् 1961-62 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 8 1 करोड़ चा परतु यह घट कर सन् 1962-63 व 1963-64 ई० में कमग 7 8 व 7 9 करोड़ टन ही रह गया। मन् 1964-65 व 1965-66 ई० में खाद्यान्नों का उत्पादन कमग 8 9 व 9 0 करोड़ टन ही रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि तृतीय योजना के कृषि उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य पूरे नहा हा सके।

तृतीय पचवर्षीय योजना में दान के 13 चुने हुवे जिलों में सप्त कृषि कार्यक्रम वो भी चालू दिया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए प्रत्येक राज्य में से एक जिला चुना गया, जिसमें हिचाई की दशाएं अनुकूल थीं, वर्षी निश्चित रूप से होती थी तथा जहा सहजारी आमोदोलन हठ आघार पर स्थापित हो चुका था। इस नए

कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों एवं सहकारी समितियों द्वारा सभी किसानों को उद्देश्य, उन्नत दीन तथा तकनीको महायता आदि देकर कृषि के सुधारीण विकास का प्रयत्न किया गया। कृषि कार्यक्रमों पर पर्याप्त जोर देने के बावजूद भी तृतीय पचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में सतोषजनक प्रगति न हो सकी। खाद्याननों की उपलब्ध कम हो जाने के कारण इनके मूल्यों में बढ़ि हुई। खाद्यानों के मूल्य में जो बढ़ि तृतीय योजना काल में प्रारम्भ हुई, वह उत्तरोत्तर बढ़ती गई और आज भी इस रामरप्पा का समाधान नहीं हो सका है।

सन् 1966-67, 1967-68 व 1968-69 की बार्षिक योजनाओं में कृषि कार्यक्रम पर क्रमशः 287, 321 व 304 करोड़ रुपये ब्यवहार किए गए। इस अवधि के दौरान सामुदायिक एवं मिश्राई के अन्तर्गत क्रमशः 170, 167 व 166 करोड़ रुपये और खर्च किए गए। इन वर्षों में खाद्यानन उत्पादन क्रमशः 74.2, 95.6 तथा 98 मिलियन टन हुआ।

चतुर्थ योजना (1969-74) में कृषि के लिए सरकारी क्षेत्र में 3817 करोड़ रु. ० तथा निजी क्षेत्र ने 1800 करोड़ रु. ० के विनियोजन का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन, लम्ब मिश्राई, भू-सुरक्षा, वित्तीय सहायता, सहकारिता, शामूहिक विकास एवं पचायतों पर क्रमशः 510, 476, 151, 263, 151 तथा 116 करोड़ रु. ० ब्यवहार किये जायेगे। सन् 1974 में अर्थात् चतुर्थ योजना के अन्त में खाद्यानन उत्पादन के 12.90 मिलियन टन तक पहुँच जाने की आशा है। योजना आयोग ने चतुर्थ योजना में कृषि नीति के अन्तर्गत जो प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए हैं, प्रथम, आगामी वर्षों गे प्रति वर्षीय लगभग ५ प्रतिशत भी दर से बढ़ि परने के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करना तथा छिंतीय छोटे किसानों तथा युवक क्षेत्र के किसानों सहित अधिक से अधिक ग्रामीण जनता को इन योग्य बनाना जि वे विकास कार्यक्रमों में भाग के सके तथा इससे लाभ उठा सके।

चतुर्थ योजना में कृषि उपज के निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए

फलाल	अनुमानित लक्ष्य
१ खाद्यानन (इस लाख मो० टन)	129.0
२ तिलहन (" ")	10.5
३ गन्नागुड़ (" ")	15.0
४ धनाधि (इस लाख गाडे)	8.0
५ चूट (" ")	7.4

उपर्युक्त विवेचन के अन्तर्गत हमने बहु देखा है कि भारतवर्ष में हृषि उपज अथवा खाद्यान्न उत्पादन में वायोजन बाल के अन्तर्गत बड़े उत्तार-बद्धाव हुए हैं। भारत जैसे प्रश्नति पर निर्भरता रहने वाले (जो) में ऐसा होता स्वाभाविक भी है। जब तक देश वी प्रगति पर निर्भरता समाप्त या कम नहीं कर दी जाए, तब तक सभ-वत् हृषि ऊज़ वी इस अस्थिरता से मुक्ति नहीं मिल सकती। नियोजन बाल के द्वारा भारत में होने वाले खाद्यान्न उत्पादन वी आगे बी मारणी म दिलाया गया है।

नियोजन-काल में खाद्यान्न-उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टनों में)	वर्ष	उत्पादन (मिलियन टनों में)
1951-52	55	1960-61	42
1952-53	61	1961-62	81
1953-54	72	1962-63	80
1954-55	70	1963-64	81
1955-56	69	1964-65	88
1956-57	72	1965-66	72
1957-58	66	1966-67	74
1958-59	78	1967-68	95
1959-60	76	1968-69	94
		1970-71	108
		1971-72	112

हृषि विकास सम्बन्धी सरकार भी नई नीति की प्रस्तावना—भारतवर्ष में हृषि की दिना बत तक सतोपकार नहीं रखी है। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि हमारे देश में इस समस्या को मुलाकाते के लिए न को समूहिक प्रयत्न दिये गये और न ही कृषि को परम्परागत सरीको से छुड़ाने के लिए बड़े स्तर पर कार्बं दिया गया। थी दरेशनाथ चट्टर्जी के शब्दों में, “दरअकल भारतीय हृषि की वित्ति में अभी तक मुश्किल न होने के बाबजो में एक दारण मह है कि परम्परागत हृषि-प्रश्नति से छुटकारा पाने के लिए बुहद स्तर पर अभी राज्यों द्वारा एकाधिकत होकर पूरी तरह से कदम नहीं उठाये गये। अन्यर्थ की बात तो यह है कि भारतीय दृष्टि के बारे में अभी तक लोग यह नहीं जानते कि इस क्षेत्र में वया वया ताप हो रहा है। हृषि सम्बन्धी आँखों में भी इई कमिया रह गई है, जिसके कारण सरकारी दोस्तों में भी आदाकाए व्यवस्था की जाने लगी है। सेती के लोक में हर्दि उपलब्धियों के भीतर

पहले पार लक्ष्य मात्र देतों की आधारभूत कठिनाइयों पर काढ़ा पाने के लिए काफी नहीं है।¹ अत चतुर्दं धर्वर्णीय योजना में कुछ व्यावहारिक काम उठाये जायेंगे और कृषि विकास के लिए नई नीति अपनाई जायेगी। चौथी योजना की प्रस्तावित स्परेला में कहा गया है, “यदि हमें अपने खात्तानों के आवाह पर निर्भरता समाप्त करनी है, तो उत्पादन की आधुनिक विधियों का अधिकाधिक प्रयोग करना हमारा कृषि विकास हारा प्रदर्श जान एवं सुविधाओं का उपयोग करना आवश्यक है। यदि हम अल्पकाल में ही परिणाम हासिल करना चाहते हैं तो कृषि विकास के लिये नई नीति (Strategy) अपनानी होगी।”²

कृषि-विकास की वर्तमान व्यूह रचना—(Present Strategy of Agricultural Development) : कृषि विकास की वर्तमान व्यूह रचना (Strategy) के अन्तर्गत कृषि विकास के दोनों गोंदिन मुख्य कार्यक्रमों को अपनाया गया है, वे निम्नलिखित हैं

1. **सिचाई सम्बन्धी नया दृष्टिकोण—**तरकार छारा स्वीकृत मूल निदानों में सिचाई आवश्यक के बारे में प्रमुख परिवर्तन हुआ है। अभी तक सिचाई आवश्यक पूरणतः अनावृण्टि के दिनों में नुकसान से बचने का एक साधन माना जाता था, लेकिन अब इस सिद्धान्त के आधार पर दूसरा निदान अपनाया गया है। इसके अनुगार सिचाई आवश्यक की कृषि-उपज बढ़ाने का एक प्रमुख साधन माना गया है। इस रानी में हुगरी प्रमुख बात यह है कि तभी दोनों पर समान रूप से ध्यान न देकर, कुछ चुने हुये खेतों में, जहाँ सुविधाएँ उपलब्ध हो, विदेश ध्यान दिया जायेगा। अब यह अनुभव किया जा रहा है कि छोटी सिचाई की योजनाओं पर एक

1. Indeed one of the reasons of the poor state of the Indian agriculture has been the inadequacy of concerted attention and action on a massive scale to cause a break away from tradition. Curiously, Indian agriculture has all along remained a dot; no body knowing exactly what has really happened. Agricultural statistics have been fraught with a number of anomalies on which doubts have been expressed even in official circles. “Historical exercises in forestry in the physical aspects of achievements have not been able to transcend the basic difficulties and inaccuracies.” Lakshmi Chatterji, Approach to Agriculture in the Fourth Five Year Plan, AICC Economic Review, Aug 68.

2. “If our dependence on imported foodgrains has to cease, it is necessary to make far greater use of modern methods of production and to bridge the gap between demand and production by the application of the latest advances in the science and agricultural use. A new strategy or approach is needed if we are to achieve results over a short span of time.” —Fourth Five Year Plan, A Draft Outline, P 325

और तो वम पैमा खच्चे होता है और दूसरी ओर मे योजनाएँ शीघ्र कल देने वाली होती हैं, अतः अब इनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इरडो-अमेरिकन सहायता कार्यक्रम के आधीन स्पिल औवर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट्स (Spill Over Tube-well Projects) आरम्भ किये गये हैं। देश के विभिन्न भागों में भूकूपों को खोदा जा रहा है। जमीन के भीतर के पानी का एता लगाने के लिए Ground Water Exploration Projects चलाये जा रहे हैं। इस प्रकार वर्षा और नहरी सिंचाई के अभाव को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि जल माध्यमों का अधिकतम उपयोग किया जा सके तथा प्रति एकड़ उपज बढ़ाई जा सके। 1966-67 और 1967-68 के दो वर्षों में लगभग 28 लाख हेक्टर भूमि को छोटी हिचाई की योजनाओं के अन्तर्गत लाया गया है और 1968-69 में 14 लाख हेक्टर भूमि पर छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लाया जाना था।¹

2 उन्नत बीजों के प्रयोग पर बल—तृतीय वृक्षवर्गीय योजना के बल मे कुछ नए प्रबार के बीजों को प्राप्ता किया गया था, जिन्हे बब उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। उन्नत किस्म के चावल बीज 1970-71 तक 51 लाख हेक्टर भूमि मे प्रयुक्त किए जाने की नम्भावना थी। चावल के उन्नत बीज काम मे लाने से प्रति हेक्टर 3363 से 6122 किलोग्राम उपज हुई है। बैंगूर तथा केरल प्रान्तों मे लाइनु क न 360 तथा रापमान न 3 के बीज से प्रति हेक्टर 5484 किलोग्राम से 6725 किलोग्राम चावल पैदा हुआ है। इसी प्रकार पट्टन के एवीटी 27 नम्भर के बीज से प्रति हेक्टर 4484 किलोग्राम से 5650 किलोग्राम तक उपज हुई। यहां तक कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों मे उन्नत किस्म के बीजों से 707 लाख हेक्टर भूमि पर खारीफ की पसल के लिए लेती की जा रही है और वन्हो हुई भूमि पर रबी की फसल लगाई जा रही है तथा डम यमचे क्षेत्र मे उन्नत बीज काम मे लाने की व्यवस्था कर दी गई है। राज्यों मे बीज वितान स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कि बीजों के उत्पादन, प्रभावीकरण और वितरण मे समन्वय स्थापित हो सके। सरकारी भाड़ारों द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से बीजों का वितरण किया जा रहा है। जनेक राज्यों मे 'बीज वहृगुणता काम' बनाए गए हैं। राष्ट्रीय बीज निगम की भी स्थापना की गई है।

3 कीट नशक औद्योगियों के प्रयोग पर बल—भारत मे कृषि क्षमतों की कीट मओडो से विशेष हानि होती है। नई कृषि योजना मे सरकार कीटाणु नाशक

1 भी बजाए सालव पी लिन्ड, मु० ५०२ीव राज्य पर्याय बाब एवं हृषि कुरि विकास योजना ना नया चरण लाइक नवीभा २६ जनवरी, १९६९.

ओपिंचियों और पौधों की रक्षा के उपकरण तंयार करने के लिए तेजी से कदम उड़ रही है तथा ओपिंचियों के वितरण बढ़ने की भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। देश में पौध संरक्षण निर्देशालय के अन्तर्गत 14 केन्द्रीय पौध संरक्षण केन्द्रों द्वारा पक्षलों के कोडो, रोगों आदि का निवारण करने के लिए प्रारम्भिक दिया जाता है तथा कीड़ों के विनाश सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की सेवाएं संपलबद्ध बाराही जाती है। विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों को कीटाणु नाशक ओपिंचियों और पौध संरक्षण से काम आने वाले यन्त्र दिए गए हैं। निर्देशालय के विसाम कफ्सलों पर कीटाणुनाशक ओपिंचिया छिड़कते हैं तथा टिड़की दलों के आप्रवण से कफ्सलों की रक्षा करते हैं। सन् 1965-66 में 1 करोड 65 लाख हेक्टर भूमि को पौध संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पहुँचाया गया था। सन् 1967-68 में इन कार्यक्रमों से 3 करोड 64 लाख हेक्टर भूमि को लाभ पहुँचा। सन् 1968-69 में पौध संरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1 करोड 46 लाख हेक्टर भूमि लाने का नार्यका रखा गया था।¹ कीटाणुनाशक ओपिंचियों और पौध संरक्षण उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति करने का आवश्यक भी सरकार द्वारा दिया गया है।

4 उर्वरकों के प्रयोग पर व्यक्ति—भारत में गोवर के जलाने से वृक्षिकर्ष 3 अरब 82 करोड 50 लाख रुपये की बवादि हो रही है। खाद की बवादि की रोकने के लिए तथा गए उर्वरकों के उत्पादन व प्रयोग की वृद्धि बरतने के लिए नई कृषि नीति से वल दिया जाया है। देश में उर्वरक उत्पादक क्रीत्याहित किया जा रहा है। राजाधानिक खाद के मामले में स्वाक्षरप्ती होने में अभी कई वर्ष लग सकते हैं। राजाधानिक खाद क उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा इनकी बढ़ी दो पूरा करने के लिए भारत सरकार ने आवश्यक विदेशी भूमि की व्यवस्था नीति²। जिन दोनों को इन पदार्थों की सर्वाधिक अतिरिक्तता है, वहा राजाधानिक खाद पदार्थ वितरित किए जा रहे हैं। भारी प्राप्ति में उर्वरकों के उत्पादन की योजनाएं चालू हैं। मल-मूँझ गुक्त पानी वे उपयोग भी योजनाएं भी विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में चल रही हैं। कम्पाहट खाद तथा नाइट्रोजनायल एम्पोरिट्रॉफ की वृद्धि की जा रही है। हड्डी की खाद को भी ग्रीष्माहन दिया जा रहा है तथा विसामों के मरण हरी खाद के दोनों का वितरण किया जा रहा है। उर्वरकों की कई मिलेंबों के लूपों पर नियन्त्रण दिया जा रहा है तथा इनके नियंत्रण पर प्रतिवर्द्ध लगा दिया गया है। इस समय देश में मिलरी, नागल, दाम्बे, खरकेला तथा अत्याय (केरल) में रसायनिक खाद का उत्पादन हो रहा है तथा कोटा व गोरखपुर में भी हाल ही में कार्य प्रारम्भ किया गया है।

1. Ibid.

उर्वरकों के बौर तए कारखाने स्वापित बरने की दिशा में बदल लठाये जा रहे हैं। भारत में प्रति हेक्टर दृष्टि भूमि 23, दिल्लीयाम राष्ट्रीयनिव खाइ की स्थान है, जबकि वित्त वा बोगत 22.19 डिल्लीयाम है। जहाँ उर्वरकों के उत्पादन की बढ़ावे के लिए निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं। 1965-66 में भारतवर्ष में उर्वरकों का उत्पादन 7.8 लाख टन था, पो 1967-68 में 16.84 लाख टन ही गया। 1968-69 के उर्वरक उत्पादन ना लक्ष्य 28 लाख टन रखा गया था।¹

5 कृषि धन्नों के प्रयोग पर चल—लगभग 20 धन्नों के अनुभव के आधार पर अब सभी यह स्वीकार करने लगे हैं कि येरी और उद्योगों का एक द्वारे में घनिष्ठ नमवन्य होना चाहिए। कृषि का विवाम बिना औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में ही है, वर्तोंकि कृषि धन्न तथा आवश्यक सामग्री उद्योगों से प्राप्त होनी है तथा उद्योगों द्वारा कृषि से व्यापारिक इमलों की प्राप्ति होनी है। नई कृषि नीति के अन्तर्गत खनी के लिए कृषि धन्नों की आवश्यकता को पूरा बरने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। कृषि उत्पाद निगम यहीं भी मधीनों और औजारों के निर्माताओं तथा किसानों के द्वारा गम्भीर रूपायित करने वा बाज़ मारेगा। इसके साथ-साथ यह निगम यहीं के औजारों पो खरीदा, इसपे धन्नों की व्यवस्था बरने तथा मधीनों और उपकरणों की भवस्तुत बरने वी भी व्यवस्था करेगा। मुद्रत छोटे किसानों की व्यावस्थाकरताओं वी बोर दिल्लीय ध्यान दिया जाएगा। छोटे किसानों के लाभ के लिए औजारों के छोटे-छोटे कारखाने, ट्रैक्टर गरम्पत करने के केन्द्र, इत्यादि नई कृषि नीति की महत्व बनाने के लिए खोके जा रहे हैं। इन गगय देश में देश के बने हुए ट्रैक्टरों की संख्या 13000 है, जबकि तुल ट्रैक्टरों की संख्या 6000 है। धन्नीकरण की दिशा में पहली तीन योजनाओं में प.जी की तरी, ऊ.जी निर्माण लागत, प्रचार की कमी आदि के कारण बोहु विशेष प्रणति नहीं की जा सकी। इन बठिनाइयों पर विज्ञप्ति पाने के लिए चौथी योजना में 250 चुने गए जिलों में से अत्येक में जिला स्तर पर एवं हृषि औजारों का केन्द्र लोकने का प्रस्ताव है जहाँ उल्लत कृषि औजारों का उत्पादन, राबिगिन, गरम्पत एवं प्रचार का कार्य किया जाएगा। चौथी धन्नीकरण योजना के अन्त तक देश में इस 20 प्रतिशत हृषि को उल्लत कृषि उपकरण, औजार एवं धन्न प्रदान बरने वा उक्ष्य निर्धारित किया गया है।

6 कृषि वित्त को सुदृढ़ बनाने पर चल—हृषि उपकरणों के लिए कृषि साख का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार नवीन हृषि नीति के अन्तर्गत किसानों द्वा-

आयान चारों पर अधिकाधिक भाग में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न करेंगी। चौथी योजनाद्वारा में सरकारी साल के ढाँचे में फसल-ऋण-प्रणाली (Crop Loan System) को अपनाया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन की आवश्यकताओं के अनुमार जूहे दिलाने का पूरा प्रवर्त्य निया जाएगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत उधार लेने वाले कृषक के भूमि के भल्य के कागार पर ऋण नहीं दिया जाएगा, बरत् बीज, खाद, औजार व कीटनाशक पदार्थों के रूप में ऋण दिए जायेंगे तथा शूष्णों को विपणन से रुक्षरित करने का प्रयत्न निया जाएगा। सामान्यतः कृषि ऋण सह-कारिता के गाव्यत से दिए जायेंगे, लेकिन जिन भागों में भारकारी अम्बोलन विकासित देश में हैं, वहां कृषि साल नियां (Agricultural Credit Corporations) द्वारा पूरक साधन के रूप में खोआ जाएगा। दीर्घकालीन ऋण केन्द्रीय भूमि विकास बैंक द्वारा दिए जायेंगे, जिनके जूहे पश्च रिकवर बैंक, स्टड बैंक व बीमा निगम द्वारा खरोड़े जायेंगे। व्यापारिक बैंकों की भी कृषि के लिए नित्य दिलाने के लिए कहा जा सकता है, साहित वह भी इस बार ध्यान दे तथा कृषि कार्यकर्ता को सफल बनाने में आवश्यक योगदान दे।

7 भूमि सुधार एवं भू संरक्षण पर वज्र—देश के ग्राम सभी भागों में मध्यमियों का उन्नत हो चुका है तथा अब भूमि के मालिक ग्राम, वे ही सोने हैं जो बासनव में भूगि जोखते हैं। पट्टेदारी प्रथा ने सुधार दिया गया है। उचित लगान निश्चित करने की देश में कठग उठाए गए हैं। जोनों की अधिकतम रीमा निश्चित की जा रही है तथा इससे बड़ी भूमि को भूमिहीन कृषकों ने बाट दिया गया है। जोनों की बदलनी और उनके ट्रूड-ट्रूड होने पर रोन लगा दी गई है तथा भारकारी व भारकारी पाप अवधि के विकास को प्रोत्तमाहन दिया गया है। भूमि सुधार के द्वेष में वज्र तर वे भव कार्य निये जा नुक है। नवी कृषि नीति के अन्तर्गत, चौथी पचार्यीय योजना में भूमि सुधार कार्यक्रम के दोषों को दूर करने के प्रयत्न निये जा रहे हैं। भू संरक्षण योजना के अधीन भूमि का संवैधान किया जा रहा है तथा देश के विभिन्न भागों में भू-संरक्षण के कार्यकर्ता वो तेजी से लागू किया जा रहा है।

8 सहायक सामग्री के उत्पादन वृद्धि पर वज्र—जीसल भारतवासी के नोडन में पोषक तत्त्वों की बढ़ाने के लिए सहायता अन्न पैदा करने के कार्यक्रम को भी बढ़ाया जायेगा। इह कार्यक्रम के अन्तर्गत अलू, लकड़वज्र, टैपेशी और केले जैसे काल तथा मछली और दूध की गुर्ति बढ़ाने की व्यवस्था भी जायेगी। मात्र ही साथ व्यापारिक फसलों की विविध योजनाओं पर भी अपत दिया जा रहा है। इन सब फसलों के उत्पादन के लिए समुचित मुद्रिधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

9 अनुकूल क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता के बढ़ाने पर जोर—गहन कृषि जिला

कार्यक्रम तथा पैकेज फोंडेशन—सन् 1959 ई० में भारत सरकार ने फोर्ड फोंडेशन (Ford Foundation) के विशेषज्ञों की एक समिति को आमतित किया, जिसका मुख्य कार्य भारतीय कृषि की समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनका समाधान करना था। इन विशेषज्ञों ने देश के विभिन्न भागों का विवित अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट 'India's Food Crisis and Steps to meet it' प्रेषित की। इस समिति ने बताया कि :

(1) यद्यपि देश के कृषि उत्पादन में निम्नले कुछ वर्षों में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है, परन्तु प्रति एकड़ उपज नहीं बढ़ सकी है। इसके लिए उत्कानीकी प्रयोगों को और भी अधिक प्रायोगिकता दी जानी चाहिए।

(2) उक्षणी की अति शीघ्र प्राप्त करने के लिए हमें सभी कृषि उन्नत करने के तरीकों को ऐसी जागहों में काम में लाना चाहिए, जहाँ पर इनसे शीघ्र ही पूल प्राप्त होने लगे। काम कर एंसे रथान चुने जाय, जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हों और साथ ही कमलों की देवी प्रकोप में रक्षा की जा सके।

फोर्ड फोंडेशन की उपर्युक्त रासाह गान्धे हुए भारत सरकार ने देश के खांखोंत्वादन में 50 से 60 प्रतिशत वृद्धि करने के लकड़ को व्यापार में रख कर महत्व कृषि जिला कार्यक्रम (Intensive Agricultural District Programme) तथा पैकेज पार्किंग (Package Programme) सन् 1960-61 से प्रारम्भ किया। यह कार्यक्रम उन ज़िलों में कार्यान्वित किया गया, जहाँ पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था यी तथा प्राकृतिक प्रकृतों की सम्भावना सबमें कम यी तथा साथ ही अब एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकारी समितियाँ और पक्कावर्ते पूर्ण उन्नत थीं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वप्रथम भाग ज़िलों को चुना गया। ये थे—तजोर (महाराष्ट्र), पश्चिमी गोदावरी (आंध्र प्रदेश), शाहगांव (बिहार), रायपुर (मध्य प्रदेश), ललितपुर (उत्तर प्रदेश), वार्डी (राजस्थान), लुधियाना (पंजाब)। गहन कृषि जिला कार्यक्रमों की सफलता को देख कर इस कार्यक्रम को धोरे-धोरे देख सभी राज्यों में भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इस प्रकार इस समय केरल को छोड़ कर यह कार्यक्रम देश के प्रदेशीक राज्य के एक-एक ज़िले में चल रहा है। केरल राज्य में इस कार्यक्रम को दी जान्नु किया गया है।

इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. इस कार्यक्रम के पूर्व देश में अरुण एवं अन्य कृषिगत आवश्यकताएँ समय पर समुचित रूप में पूरी नहीं होती थीं। लेकिन इस कार्यक्रम में कृषक की आवश्यकतानुसार सभी सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।

2. राज्यान्वित खाद, उन्नत दीज, अन्य तथा कीटनाशक पदार्थ आवश्यकतानुसार पूर्ण साजा में सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे।

नवीन कृषि-नीति

3. कुणिं उपज की विक्री से सम्बन्धित सभी दौषिण को दूर किया जायेगा। इन थोकों में सहृदारी विषयत की व्यवस्था होगी, जिससे खेतों को जपनी पालने का अच्छा मूल्य मिल सके।

4. भग्नार गूहों की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।

5. खेती करने के उन्नत ढंग को किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनों का आयोजन किया जायेगा।

6. सम्बन्धित थोकों में परिवहन के राधनों गे समृच्छित मुधार एवं विकास किया जायेगा।

7. अधिक उत्पादन के लिए सम्पूर्ण गाव नी एक योजना तैयार की जायेगी जिसमें उनके सानाजिक, आर्थिक बोदन की उठाया जायेगा तथा पशुओं के उत्पादन पर भी बल दिया जायेगा।

8. प्रत्येक ज़िले में लघु-अन्ते यन्हों के निर्माण, धीज-परीक्षण एवं भूमि-परीक्षण प्रयोगशालाएँ भी स्थापित की जायेंगी।

9. योजना के पूरी हो जाने पर इस कार्यक्रम की सफलता अधवा असफलता जानने के लिए इसका मूल्यांकन किया जायेगा।

10. कार्यक्रम गे लगे कार्यवत्तमानों का स्थानान्तरण एवं उन्नति उनकी पाँच वर्षों की प्रगति को ध्यान मे रख कर ही की जायेगी।

इस प्रकार गहन-कृषि-जिला-न्यूनकरण एवं दग्ध-सूखीय योजना के रूप मे चालू किया गया है। वर्तमान समय मे जबकि प्राकृतिक परिस्थितियों तथा विषयीत श्रद्धा-दस्ताओं ने हमें कुणिं उत्पादन वे लक्षणों मे पीछे छोड़ दिया है, महनता की नीति ही एकमात्र हन समस्याओं से निपटने वा उपाय है।

10. गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम—(Intensive Agricultural Area Programme) भारत मे 'गहन कृषि जिला नार्यक्रम' जो कुछ नीमित थोकों मे ही अपनाया गया है, जिसके कारण इनकी उपयोगिता भी कुछ सीमित थोकों को ही मिल पायी है। अत इनके अनुभव के आधार पर पैकेज रीति (Package System) को देश के अन्य सभाव्य थोकों में चालू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भी कृषि-विधान-कार्य प्राप्त उसी प्रकार चलाए जाते हैं, जिस प्रवार गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अतएव यहां इतना है कि इसके कार्यक्रम छोटे पैमाने पर होते हैं तथा व्यव से भी यचत होती है। इसी कारण गहन कृषि विकास कार्यों को चालू करना अपेक्षाकृत कम सर्वान्वि है। भारत मे ये नार्यक्रम 1960-61 से चालू किये गये थे। इस कार्यक्रम का भी प्रमुख उद्देश्य प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए

किसानों को कुछ उन्नत कृषि-रीतियों को एक साथ अपनाने की प्रोत्तमाहिन करता है। इस वापेक्षण के अन्तर्गत 75 दिलों में 646 खण्ड बान के लिए 54 दिलों में 356 खण्ड ज्वार-ज्वाजे के लिए और 30 दिलों में 200 खण्ड गेहूँ के लिए छाँटे जाते हैं।

इस प्रकार हम ऐसे हैं कि भारत नगरार में अपनी नवीन कृषि-नीति में वृद्धि उत्पादन बढ़ि के विषय में व्यावहारिक एवं सीमा कल देने वाली नीति अपनाई है। 1968 के प्रारम्भ होते-होते अत्यधिक फसल लगाने, अधिक प्रतिकल देने वाले बीज खेती के क्षेत्र में उत्तरे, छोटी योजनाओं का राष्ट्रीय आधार पर निर्माण करने, राष्ट्रीयनिवास खाद जैसे उत्पादन साधनों (inputs) की वृद्धि और उत्पादन के लिए सुगठन बनाने, राष्ट्रीयनुकूल याद, कीटगुनाहक औषधियों, खेती के औजारों, मुख्ये बीज तथा छेत्रीय व्यावस्था करने उत्पादिक के स्वयं में, देश में बड़ा वार्षिक पूर्ण विद्या गया है। सरकार की इस नीति आ किसानों ने भाष्यान्तर न्यायत दिया है और थे नीति में प्रस्तावित कार्यश्रमों को उत्तमानु में अपनाने लगे हैं। इस प्रकार के बहुमुखी कार्यश्रमों से, देश निश्चय ही कुछ बातों में दैदावार बढ़ाने के लिए नए लक्ष्यों तक पहुँच जायेगा।

नई कृषि नीति की स्मृति—भारत में नई कृषि नीति देश के अनुरूप है अथवा नहीं है, इस पर विद्वानों में महसेद पाया जाता है। कुछ विद्वान तो इसे देश की बहुमान परिस्थितियों में जावन्यक मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने इस नीति की सफलता पर सदेह ध्वनि किया है। जब दोनों प्रकार वी विचारणाओं का विवेचन करता उपरि होगा।

नई नीति के स्मर्थकों का मत—इस नीति के समर्थकों द्वे विचार हैं—

(1) इस नीति को अपनावर हन जरूरताल में ही 25 मिलियन टन जटिलियन खाद्यानन का उत्पादन करके खाली यात्रा के अन्त तक खाद्याननों के मामले में आत्मनियन्त्र हो जायेगे।

(2) भारत में नया जग बढ़ाने वाले साधनों को पूर्ति सीधित है। इनमें सीधित साधनों की चुने हुए श्रोतों में उपयोग वरके हम सबोहम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

(3) नई नीति में उर्वरकों के प्रयोग पर अधिक और दिया गया है, इसमें कृषि क्षेत्र में बहुमान प्रतिकल प्राप्त हो सकेगे।

(4) इस नीति ने अन्तर्गत अपनाए जाने वाले IADP व IAAP कार्यक्रमों को धोरे-धोरे व्यापक बनाया जा सकेगा। उन्नति कृषि अवस्था की वैयक्ति देश के

अन्य भागों के लोगों को इसी प्रकार के कार्यक्रम अपनाने की लिए आकर्षित किया जा सकता ।

(5) पहली नीति अतोत्तरश्वा खाद्यान्नों की उपज में बढ़ि करने, विदेशी वित्त-भव्य की नियन्त्रण में भद्र देखी, जो अभी खाद्यान्न आयात करने में चुकानी पड़ती है ।

नई नीति के विरोध में तर्क—भारत की नवीन कृषि नीति की आलोचना भी की गई है । प्रमुख आलोचना निम्न बातों को लेकर की जाती है ।

(1) डी धी के आर धी राव का भत है कि नई नीति से क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हो जायेंगी । इससे 6 करोड़ किसान परिवारों में असत्तोष फैलेगा ।

(2) नई नीति से सम्मान कुप्रक परिवारों में मम्पन्न क्षत्रों को अधिक लाभ पहुँचेगा और वह वात समाजवादी दिचारधारा के प्रतिकूल होगी ।

(3) श्री बार एस सावले (R S Savale) वा भत है कि नई नीति में उत्तरको पर गिराई हो भी अधिक जोर दिया गया है, जो उचित नहीं है । कृषि विकास में सिचाई को ही मर्यादित स्थान प्राप्त होता उत्पादन की हृष्टि से आपद्यक है ।

(4) डॉ पान्से (V G Pansé) तथा कुछ अन्य विद्वानों ने उत्तरको की प्रत्यावित भावाओं को अस्विक बतलाया है ।

(5) कुछ विद्वानों ने नई नीति की इस आधार पर आलोचना की है कि इसमें भूमि सुधारों पर आवश्यक जोर नहीं दिया गया है ।

(6) गहन कृषि जिला कार्यक्रम (JADP) के अन्तर्गत कृषि उत्पादन में आशानकूल बढ़ि नहीं हुई है । अत यह कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा, इसके गम्भीर में कुछ विद्वान वासानित नहीं है ।

(7) डा पान्से ने विदेशी रिस्म के दीजो की भारतीय परिस्थितियों में दोगे जाने की भी आलोचना की है । उसका भत है कि नवीन नीति के अधीन विदेशी दीजो को बहर पर पर्याप्त प्रवीण एवं अनुभव के बोता खतरे से स्तानी नहीं है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में नवीन कृषि नीति का मिला जुला दग्गाह हुआ है । यह सही है कि इस नीति के हारा अन्तोत्तरा हमें कृषि उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता मिलेगी, लेकिन यह तभी हीगा जब इस नीति को सोच सम्पूर्ण तथा परिस्थितियों वा ध्यान में रखते हुये अपनाया जाय । चूँकि सरकार कृषि विकास के बारे में स्थावराहिक रास्ता बहा रही है तथा किसानों में भी

डिपार्टमेंट की नई विधि अपनाने में जोश दिखाई पड़ रहा है। अत ऐसी आशा की जा सकती है कि कृषि विकास की नई व्युह रचना निश्चय ही भारतीय कृषि को उन्नति के पथ पर अग्रसर बनेगी।

नवीन कृषि नीति की सफलता के लिए सुझाव व सफलता की शर्तें: भारतवर्ष में कृषि विषयक नवीन नीति उसी समय उफल ही सकती है, जबकि निम्न-लिखित शर्तों का पालन किया जाय

(1) नवीन कृषि नीति से उसी समय अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती है, जबकि उचित प्रकार के रसायनिक उद्दंडकों का प्रयोग उचित मात्रा में तथा उचित समय पर किया जाय। इसलिए यह आवश्यक है कि उद्दंडकों के वितरण की उचित व्यवस्था की जाय तथा इनके प्रयोग के सम्बन्ध में किसानों को समृद्धि प्रशिक्षण दिया जाय।

(2) भारत जैसे विद्यालय देश में मिट्टी में विविधता पाई जाती है। इण्डिया जो बीज एक प्रकार नी मिट्टी में अच्छे परिणाम देता है, वह आवश्यक नहीं है कि अन्य मिट्टियाँ में भी उसी अच्छे परिणाम प्राप्त हो। अत कृषि वैशानिकों को मिट्टी वा पर्यावरण करना चाहिए तथा स्वस्थ लेंगों के लिए स्वस्थ बीजों के प्रिकास ने शोहताहिन नहीं चाहिए।

(3) कृषि कार्यों के लिए कृषकों को कम आजू दर पर उचित मात्रा में उचित समय पर अपने दिनान को व्यवस्था की जानी चाहिए, अन्यथा कृषक नवीन कृषि नीति का कामदा नहीं उठा पायेगे।

(4) चूंकि नवीन कृषि में परम्परावादी कृषि की अपेक्षा अधिक जोखिम है, अत इसकी सफलता के लिए कृषि मूल्यों की स्थिरता पर धड़ दिया जाना चाहिए, ताकि कृषकों ने उनकी महत्व व विनियोग का उचित पारिषमिक मिल सके।

(5) नवीन कृषि नीति की सफलता के लिए सरकारी विभागों, प्रचारपत्रों, सहकारी नियंत्रियों व अन्य इसी प्रकार की स्वतंत्रता में समर्पण होतापित कराया जाना चाहिए तथा इन्ह नवीन नीति की सफलता के लिए उत्तरदायी ठहराना चाहिये।

(6) नवीन कृषि नीति को विकासित करते रहने ही यह ध्यान रखना चाहिए कि इससे नियंत्रणी कृषक ही आवानिवत न हो, अन्यथा इससे आय की असारनता ने बढ़ जायेगी। प्रगतिशील किन्तु नियंत्रण किसानों को, जो बहुसंख्यक हैं, जो अधिकारिक इस नीति को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिये।

(7) फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहिए। इस दिशा में कृषि रोग तिरोधक उपायों को तथा फसल बीमा योजना को अपनाना चाहिए।

(8) भूमि सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो कमिया रह गई है, उन्हे शीघ्रांतिशीघ्र दूर किया जाना चाहिए। नवीन कृषि नीति की सफलता मुख्यतः इस बात पर निर्भर करेगी कि कृषक को सूद कास्त सम्पर्खी सुभस्या शीघ्रांतिशीघ्र हल की जाए।

प्रश्न

1. भारत में कृषि के सुधार के लिए सत् कुछ वर्षों में बया कदम उठाए गए हैं? उनके परिणामों की जाच कीजिए।

(राजस्थान वि. वि. दिलीप वर्मा द्वारा सी. 1969)

2. भारतीय अर्ब-व्यवस्था में कृषि के महत्व पर प्रकाश हाँलिए। विगत पचवर्षीय योजनाओं में कृषि की दबाव सुधारने के लिए उठाये गए महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख कीजिए।

3. भारतीय कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना (New Agricultural Strategy) की मरीधा कीजिए।

4. “भारतीय कृषि की दबाव, पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत उठाए गए कदमों के बाबजूद भी, दोषनीद ही बनी हुई है। आप इस कथन से कहा तक सहमत हैं? भारत में कृषि नीति की मफलता के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

5. भारत में कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना के पक्ष व विपक्ष में तक देते हुए अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

6. निम्नलिखित पर टिप्पणिया लिखिए—

(क) पैकेज कार्यक्रम (Package Programmes)

(ख) गहन कृषि जिला कार्यक्रम (Intensive Agricultural District Programme, IADP)

(ग) सामुदायिक विकास (Community Development)

(राजस्थान वि. वि. दिलीप वर्मा द्वारा सी. 1969)

भारत में कृषि-साख

(Agricultural Credit in India)

"The lesson of universal history is that essential of agriculture is credit. Neither the condition of the country, nor the nature of land tenure, nor the position of agriculture affects the one great fact that agriculturists must borrow."

—F. Nicholson

कृषि-धोन के लिए मात्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था परमादर्श है। खाते को हृषि स्वावलम्बी बन जाने के लिए मन् 1970-71 की अवधि तक देहाती क्षेत्रों की औषण सम्बन्धी आवश्यकता लगभग 2,400 करोड़ रुपये आकी गई थी। परन्तु भारतीय किसानों को कृषि-उपज देने के लिए सही एवं समय पर मात्र उपलब्ध नहीं हो पाती। "आजकल जिस प्रकार कृषि-साख उपलब्ध है, वह उचित मात्रा से कही बहुत ही कम है, उचित प्रकार की नहीं है और आवश्यकता की कमीती के सम्बन्ध में प्रायः सही व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती" १ अत यह अवश्यक है कि सरकार कृषि-साख समस्या की चुनौती को स्वीकार कर, कृषकों को सही एवं समय पर साख सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करे। ग्रामीण साख मर्केटें (Rural Credit Survey) के विवरण में ठीक ही कहा है, "मात्र कृपक की उसी प्रकार से सहायता करती है जैसे फासी पर लटकते हुए व्यक्ति को जल्लाद की रसी" २

कृषकों की साख सम्बन्धी आवश्यकताएँ अन्य उद्योगों की भाँति कृषि उद्योग में सफलता के लिए भी सरते एवं पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता है। भारतीय

1. "To-day the Agricultural credit that is supplied falls short of the right quality, is not of right type does not serve the right purpose and by a sheer want of need often fails to go to the right people"

All India Rural Credit Survey

2. "Credit supports the farmer as the 'ringman's rope supports the hanged'"

Rural Credit Survey

किसान बहुत ही छोटी जोल पर जीवन निवांह के लिए हृषि कार्य करता है। उसकी आवश्यकता कम होती है ति वह भूमि पर स्थायी सुधार नहीं कर सकता। वह दिन-प्रतिदिन के कृषि कार्य के उपर भी अपने पास से कुछ नहीं लगा सकता। पलस्ट्वल्प भारतीय हृषि में गांधी-अवश्यकता को सुधारे बिना किसी प्रकार की उन्नति की कल्पना करता निराजनजनक होगा। भारतीय किसान के लिए गांधी की उपलब्धि निरान्त आवश्यक है। कृषकों की साल सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में श्री निकलसन ने लिखा है, “किसानों को चालू रखने यथा बीज, खाद आदि का ऋण, पशु, औजार एवं कच्चे माल का ऋण, कृषि चुकाने, नयी भूमि खरीदने, सिंचाई एवं जल-निकासी की व्यवस्था करने, मवान आदि दबाने, भोजन-बदन खरीदने, भालगुजारी चुकाने बिवाह एवं बन्य रामाणिक उत्सवों पर सर्व करने, गहने खरीदने, मुकदमे लड़ने आदि के लिए साल की आवश्यकता पड़ती है।”¹

भारतवर्ष में कृषि साल की पूर्ति के लिए कोई सम्भागत रूप नहीं है। जृण देने के लिए महाजनों आवश्यक साझेकारों वी तो कमी नहीं है, लेकिन इन्हिंत व्यापक-रूप पर समर्थनुसार समर्पित साल की कोई व्यवस्था नहीं है। श्री० हैमिल्टन ने टीक ही कहा है, “यहां यावों में वहुन बैंकर है, किन्तु बैंक एक भी नहीं है।”²

कृषि साल के प्रकार : यदि सेती से सम्बन्धित आवश्यकताओं को आनंद ने रखा जाय तो किसानों को निम्न तीन प्रकार के साल की आवश्यकता पड़ती है।

1. अल्पकालीन जृण - ये 1० माह तक कम, अत्यधि के लिए, लिये जाते हैं। इनकी आवश्यकता सेती के चालू रखने और बीज, खाद आदि को खरीदने के लिए जृण-कठाई एवं मवदूरी चुकाने, मालगुजारी देने आदि के लिए पड़ती है। अल्प-कालीन जृण फसल के बाइ चुका दिये जाते हैं या उनके चुकाये जाने की आशा की जाती है। इसे नोतम्बी जृण भी कहा जाता है। केंद्रीय बैंकिंग जात्य सुविधा के अनुसार किसानों की अल्प-कालीन साधन की व्यापिक आवश्यकता कम से कम 3 से 4 अरब रुपये तक है। ३०० दललीतसिंह ने 3 से 6 अरब रुपये आका है।

2. मध्यकालीन जृण गद्य-कालीन जृण प्राय १५ महीनों से ५ वर्षों तक की अवधि के लिए लिये जाते हैं। इनकी आवश्यकता प्राय कुछों के निवासि, पशु व कृषि के वय सोल लगे, छोटे-छोटे हृषि-नुधार करने आदि के लिए पड़ती है।

3. दीर्घकालीन जृण - ये जृण प्राय ५ वर्षों से अधिक के लिए लिये जाते हैं। इस प्रकार के जृणों की आवश्यकता पक्के कुओं, नलगूप लगाने, तालाबों, वाधों

1. “People have many bankers but no bank.”

एवं पानी सोडने की तालिया बनवाने, उसर एवं पहाड़ी क्षेत्रों की समतल करने जगलों को साफ करने, नदीं बनाने, भूग्री सुधार, बाढ़ लगाने, महागी व भारी मशीहे जैसे ट्रैक्टर खरीदने, आदि वे लिए पड़ती हैं। केन्द्रीय योजना समिति के अनुसार किसानों की दीर्घकालीन साख की वार्षिक आवश्यकता एवं मेरे कम 2 अरब रुपये हैं।

भारत में कृषि-साख के साधन रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में कृषि साख के निम्नलिखित साधन हैं —

भृण का स्त्रोत	कुल साख का प्रतिशत (1951-1952)	कुल साख का प्रतिशत (1961-1962)
(अ) राजकीय एवं सहकारी साधन		
(1) सरकार	3 3	2 6
(2) सहकारी समितियाँ	3 1	15 5
(3) व्यापारिक बैंक	0 9	0 6
		— 18 7
(ब) व्यवितरण साधन		
(1) गणवन्धियों से भृण	14 2	8 8
(2) जनीदार	1 5	0 6
(3) कृषक महाजन	24 9	36 0
(4) पेंचोवर महाजन	44 8	13 2
(5) व्यापारी एवं आढ़तिया	5 5	8 8
(6) अन्य व्यवितरण	1 8	13 9
		— 81 3
कुल योग	100 0	100 0

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय कृषक को आपनी साख सम्बंधी बाढ़-व्यक्तियों की पूर्ति के लिए मुख्यतः महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो उसकी लकड़ाग जाधी भृण-आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। सहकारी समितियों एवं अन्य सम्बद्धों का योगदान बहुत कम है। ग्रामीण साख सर्वोच्च के अनुसार भारतीय किसान सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी साधनों से अनुमानल 150 करोड़ रुपयों का प्रति वर्ष कृषि लता है।

(1) सरकार द्वारा ऋण : भारतवर्ष में राज्य सरकारे कृषकों को अल्प तथा दीर्घ-कालीन, दोनों प्रकार के ऋण देती है, जिन्हे ग्रामीण ऋण (Gramvi Loans) कहते हैं। ये ऋण भूमि-गुधार अधिनियम 1883 एवं कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अन्तर्गत दिये जाते हैं। ग्राम अधिनियम के अन्तर्गत किसानों को मूँग में स्थापी गुधार करने ले लिए दीर्घकालीन ऋण 20 वर्षों तक के लिए दिये जाते हैं, जिनकी अद्यापी वार्षिक किशोरी में ब्याज (6 से 6½% ब्याज दर तक) नहिं होती है। दूसरे अधिनियम के अन्तर्गत किसानों को उनकी चालू आवश्यकताओं, खाद्य, बीज, बैल, खाद, हल आदि खरीदने के लिए अल्प-कालीन ऋण दिये जाते हैं। ये व्युपाएक या बो वर्षों के लिए दिये जाते हैं और इन पर ब्याज-दर भी कम होती है।

राजनीति कृषकों के बोय—परकार द्वारा दिये जाने वाले कृषकों की पढ़ति दीप्तपूर्ण है, जलस्वरूप ये ऋण किसानों में लोकप्रिय नहीं हो सके हैं। ये बोय इस प्रकार हैं—(i) इनके देने में बहुत समय लगता जाता है, (ii) ये बुल विनियट कार्यों के लिए ही दिये जाते हैं, (iii) इन पर ब्याज दर अपेक्षाकृत अधिक है, (iv) इनको प्राप्त परन्तु मेरी दीप्तियां कार्यवाहिनी करनी पड़ती हैं, (v) सरकारी कृषकार्य अवैध रूप से इनमें से अपना कमीजन काट लेते हैं, (vi) इन कृषकों को वसूल करने में कठीखत बरती जाती है, तथा (vii) छोटे किसानों को ऋण कठिनाई से प्राप्त होता है।

तकाबी कृषकों को डपडोगी बनाने के लिए सरकार को चाहिए कि वह इन्हे समय पर दे, इनका प्रचार जनता में करे ताकि इन्हे वसूली करने में सक्ती न बरते।

(2) सहकारी साध समितिया (Co operative Credit Societies)

गांधीजी में महाकारी साध समितियों की स्थापना का प्रबुद्ध उद्देश्यों किसानों को सहूल-कारी एवं महाननों के बगल से छुड़ाना है। यही एक ऐसा साधन है जो कि शामील करने में सहकारी के एको-विकार को समाप्त कर उन्हे उन्नीत ब्याज दर पर ऋण देने के लिए योग्य कर सकता है। इस समय देश में दो लाख से अधिक कृषि साध समितियां हैं, जिनकी सदस्यता दो करोड़ से भी अधिक है। ये समितियां ऋण, सम्बंधी सुविधाओं के साथ-साथ किसानों का मानसिक एवं नैतिक उद्यान भी करती हैं। एक अनुग्रह के अनुगार ये समितियां शामील परिवारों की 15 से 26 प्रतिशत शेष की पूर्ति करती हैं। ये समितियां अस्पकालीन, दीर्घकालीन एवं अनुनादक-तीनों प्रकार के ऋण देती हैं। इन समितियों दो सरकारी महायंता प्राप्त होती रहती है।

मन् 1951-52 में, रिजर्व बैंक के यामीन ऋण सर्वेक्षण के अनुमार सहकारी ऋण समितियों किसानों के बुल ऋण का लेवल 3 प्रतिशत भाग ही देनी थी। तब से सहकारी ऐजेन्सी ने सबल बनाने में लिए कई प्रयास किये गये, ताकि

बहु अधिकाधिक गांधा में कृषि नह्ये हेने में समर्थ हो सके। कलस्वरूप सन् 1961-62 में किसानों के कुल वार्षिक उधार में सहकारी समितियों द्वारा दिये गये नह्ये का अनुपात 15.5 प्रतिशत हो गया, अपनी उप वर्ष इन समितियों ने कुल मिला कर 244 करोड़ रुपये का नह्ये दिया। इन समितियों द्वारा दी जाने वाली भूज की मात्रा में हाल के बगौ में कफिल कुद्दि हुई है। यन् 1967-68 में इन समितियों द्वारा वितरित अरप एवं मध्य-कालीन नह्यों की राशि 460 करोड़ रुपये थी। इनके अलावा इन समितियों के द्वारा 75 करोड़ दीर्घ-कालीन नह्ये के रूप में दिये गये। सन् 1969-70 में लगभग 540 करोड़ रुपये के नह्ये सहकारी समितियों द्वारा अरप व माध्यम काल के लिए दिए गए। इसी चर्चे, केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के माध्यम से 153.3 करोड़ रुपये की दीर्घकालीन साल दिलाई गई।

सहकारी साल समितियों को कमिया सहकारी साल समितियों भी आसा-मुकूल लोकप्रिय नहीं हो सकी है और आज भी ग्रामीण जनता भाजानों के चम्पुल सूचना प्रक्रिया में प्रवर्त नहीं हो पाई है। सहकारी साल समितियों की असफलता एवं कमियों के ग्राम्य भूमि में सहकारी योजना समिति तथा अन्य कई विद्वानों ने निम्न नारण घटलाये हैं—

(i) सहकारी उदासीनता, (ii) जनता की निरक्षरता, (iii) आनंदोलन का कृषकों के सम्पूर्ण खोबन पर न फैल याता, (iv) प्रारम्भिक साल समितियों के बाकार का छोटा होना, (v) अवैतनिक सेवाओं पर निर्भर होना, (vi) दोपहर सचालन, (vii) सुठकों व भण्डार का अभाव, (viii) अमीमित चतुरदायित्व, (ix) सदस्यों का दोषपूर्ण चुनाव, (x) आनंदिक मतभेद, (xi) पश्चात, तथा (xii) अनियन्त्रित भुजतान इत्यादि।

ग्रहकारी राशि उमितियों के बचत दोषों को दूर करके इन समितियों में नये जीवन के संचार करते की आवश्यकता है, तभी ये तस्थायें और अधिक लोकप्रिय हो सकती हैं।

3 साहूकार या महाजन (Money Lenders) किसानों की साल प्रदान करते वाले योग्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोल ग्रामीण साहूकार या महाजन है। अति ग्रामीण समय से यह किसानों को नह्ये देने आये हैं और आज भी हमारी कृषि-सम्बन्धी माल का मर्यादिक भाग इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। साहूकार दो प्रकार के होते हैं—(i) देशेवर एवं (ii) बैरेंटियावर। वे माहूकार जो रुपये के लेन-देन के साथ-साथ चामीण धोतों में माल छोड़ने व बेचने का ध वा भी करते हैं, देशेवर माहूकार कहलाते हैं। कृषि राशि के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैर-पेशेवर साहूकार में जमीदार या लग्ज़ लिसान याते हैं, जिनका व्यवसाय रुपया

उधार छना-देना तो नहीं है, परन्तु उन पास होने पर ये अतीत रख कर हथया उधार देते हैं।

ये दोनों वर्ग मिल कर कृपको की साल सम्बन्धी 49% अवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऐदेवर महाजन तो अविकलन साल पर उपादन या अनुपादन, दोनों ही प्रकार के लक्षण, जिनमें किमी साल लिखा-यदी के गुरुत्व देखते हैं।

ऋण की साहूकारी प्रथा के दोष इस प्रथा से पीरेधीरे दोष आने लगे और साहूकारों ने खारेज ग्रामीण समाज का जीवन करना शुरू कर दिया। साहूकार प्रथा के कुछ दोष इस प्रकार हैं—(i) ऋण देते समय अधिक वर्ष राफ का व्यापक काट लेना, (ii) ऋण देने से पहले 'गिरह खुलाई' अर्थात् दक्षिणा की माँग करना, (iii) कोरे कागज पर किमान से दस्तखत करा लेना या अपुठे का निवाज लगवा लेना, ताकि निवाज हप ते व्याज न बमूल होने पर मनमानी रकम लिखी जा सके, (iv) व्याज या भूलधन प्राप्ति की रसीद नहीं देना, (v) ऋण सम्बन्धी लिखा-यदी से अद्य से अधिक रकम दर्ज बर लेना, (vi) व्याज की दर बहुत अधिक होना और चक्रवृद्धि दर से व्याज बहुत करना। अलिल भारतीय ग्रामीण साल सर्वेक्षण समिति (All India Rural Credit Survey Committee) ने ठीक ही कहा है "ऋण देने से उसे जो असुविधा, जालिम उठानी पड़ती है, उनको देखते हुए उनके हारा लो जाने वाली व्याज की दर बहुत अधिक प्रतीत होती है।" (vii) ये महाजन विसानों की अनुपादक कार्यों के लिए ये सुनामहा ये ऋण दे देते हैं, तथा (viii) ऋणों की भूमि या जागदाद का विक्रीनामा पहले से ही दस्तखत करके रख लेते हैं, ताकि भूगतान न मिलने पर वे उनकी जागदाद हड्डप सके।

साहूकारों द्वारा ये जाने वाली साल के सम्बन्ध में अपने विचार व्यवहार करते हुए प्रो॰ रिट्कर्नेंड ने कहा है, "नाहूकार द्वारा प्रदानकी जाने वाली साल का प्रणुल दोष यह नहीं है कि व्याज-दर के भी होती है, अवश्य शिमाद-किताब जूने होते हैं, बरन यह है कि वे अनुपादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं और फसल होने पर भी वे अपने ऋण के भुगतान के लिए बाधह नहीं करते। स्वभावत उनका उद्देश्य केवल यह होता है कि उनका रुपया लचित प्रधार से विनियोजित होता रहे और वे केवल व्याज पर ही जीवित रहे।"

साहूकारों की इसी दोष-प्रवृत्ति वी और बरह वैकिंग जाल समिति ने व्यात आवंपित करते हुए किया है, "साहूकार के लेन-देन का दर्श इस प्रकार का है कि एक बार उनके फेर मे पठ कर उससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है।"

सुलभ कृपि वित उप-समिति (ग्रामीण समिति) ने ऋण की भारतीय प्रथा के दोषों वो दूर करने के अनेक महाव्यूर्ण सुझाव दिये हैं, यथा—(i) भारतीय

का अनिवार्य पञ्चियन (रजिस्ट्रेशन), (ii) महाजनों को लाइसेंस देना, (iii) निवारिति विधि के अनुमार हिनाप-रिप्राव रखा जाना, (iv) महाजनों के बहीसातों व हिनाप-विताव का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए, (v) महाजनों हारा ली जाने वाली व्याज की दर सीमित की जाए (vi) अनुचित वसूलियों का नियेष किया जाए, (vii) प्राप्ति किये घन की रक्षीद देना, तथा (viii) रक्ष लेने वालों को समय समय पर व्यौदा देना आदि।

इस नियांसियों व्यावहारिक न होने के कारण क्रियान्वित नहीं की जा सकी है। माहूकारी प्रवा के दोष वब भी उने हुये हैं और इसके हाथों किसानों का खोपण हो रहा है। हृषकों में गिरावट तथा सहकारिता की भावना के प्रतार से ही इह प्रवा से मुक्ति मिल नहीं है। बंगाल अकाल आयोग (Bengal Famine Commission) ने साहूनारी प्रवा में मुधार बरामे का सुझाय देते हुए बताया था, "न्यूनतम महाजन वभी बहुत समय तक गाव में अप्प बाटने के काम को मुक्त्य रूप से करता रहेगा। इस बात को रवीकार कर लेने के आधार पर ही ग्रामीण साल के सम्बन्ध में कोई नीति बनाई जानी चाहिए, साथ ही यह भी स्वीकार परला पड़ेगा कि इस प्रणाली में भी मुधार करना पड़ेगा।"

4 व्यापारिक बैंक (Commercial Banks) इन बैंकों का हृषकों से सीधा सम्बन्ध नहीं है। महारारी साल सन्तुलियों तथा सरकारी ऐजेन्टियों की मह-योग देकर ये बैंक परोक्ष रूप से किसानों को वित्तीय सहायता दे सकते हैं। ये बैंक कृषि-विकास योजना के लिये आर्थिक सहायता देने वाले 'लैंड मार्टिग बैंकों' के अप्प एवं एक में रकम लगाते हैं। इसके अलावा ये बैंक उन उद्योगों में भी रकम लगाते हैं, जो उद्योग तथा खेती के ओवार सदघो अवृत्तों की पूर्णि करते हैं। परन्तु प्रत्येक रूप से हृषकों को न्यून देने में ये बैंक पूर्णत असमर्थ हैं। अभी तक स्टेट बैंक और द्रविया ने ही इस सबवध में कुछ कार्य किया है। अख्य बैंकों ने ग्रामीण वित्त में कोई उत्तेजनीय योगदान नहीं दिया है। बैंकीय वैकिंग जॉक समिति ने व्यापारिक बैंकों के सम्बन्ध में ठीक ही कहा था, "जैसे-जैसे व्यापारिक वैकिंग प्रणाली कृपक की ओर बढ़ती है, वैसे-वैसे वह खीमी बढ़ने लगती है और हृषक के हार पर पहुच कर गो नियान्त गतिशूल्य हो जानी है।" भन् 1967 ई० में रियर्व बैंक ने एक देहाती फूण ग्रामीण समिति की रचना की थी। इस समिति का मुक्त्य काम तो ऐसे दौर-तरीकों द्वारा मुक्ताना था, किनके अरिये वर्तमान वृषि दृष्टि अपवरशाओं को मज्दूत बनाया जा सके, ताकि वचवर्धीय योजना में बढ़ती हुई हृषि न्यून सम्बन्धी माल द्वारा पूरा किया जा सके। इस समिति में खास तौर से बहा गया था कि वह दृष्टि न्यून के सम्बन्ध में व्यापारिक बैंकों के योग-दान की जान करे। अक्टूबर 1967 में इस समिति के माध्य-

बैंक बांगो की लाभप्रद वातचीत हुई थी। जाना है कि इन विचार-विमर्शों से बैंक बालों को कृषि क्षेत्र के प्रति अपने नये रूप अपनाने में मदद मिलेगी।¹ सन् 1968 ई० में व्यापारिक बैंकों ने कृषकों को अधिक रुप्त्र देने का कैसला विश्वा था। सन् 1969 ई० में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप यह आशा की जाने लगी है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य व्यापारिक बैंक बद किसानों को सीधे रुप्र प्रदान करते लगेंगे। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वाया व्यापारिक बैंकों को कृषि के लिए क्रूप देने के लिए नई सुविधाएं तथा प्रोत्ताहत देने की घोषणा की गई थी। सन् 1969-70 में व्यापारिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1300 नए बैंक खोले थे। राष्ट्रीयकरण के बाद से व्यापारिक बैंकों द्वाया कृषि वित्त की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। जून 1971 में किसानों के खालों की गण्य 8 लाख से भी अधिक हो गई थी। जून 1971 तक व्यापारिक बैंक द्वारा कृषि साल के रूप में 6 अरब 43 करोड़ रुपये के रुप्र दिए जा चुके थे।

5 सम्बंधियों से रुप्त्र (Debts from Relatives) किसानों को अपने सम्बंधियों से भी रुप्त्र प्राप्त होता है। सन् 1951-52 के रुप्र सर्वेक्षण के बनुसार किसानों को अपने ग्रामस्थियों से कुल रुप्त्र का 14 प्रतिशत भाग प्राप्त होता था। सन् 1961-62 में यह भाग पट कर 8 प्रतिशत रहे गया। इस प्रकार के ग्रामों पर सामान्यतः खाज नहीं लिया जाता तथा इनकी बसूली की शर्तें भी आसान होती हैं। इस प्रकार के रुप्त्र किसानों को नवदिवाजनक लगते हैं।

6 भूमि बन्धक बैंकों द्वारा कृषि-साल की व्यवस्था किसानों की दीर्घ-कालीन रुप्त्रों की आवश्यकता भूमि बन्धक बैंकों द्वारा पूरी होती है। ये बैंक किसानों नी भूमि का धरोहर म रख कर उन्हें दीर्घ-कालीन रुप्त्र प्रदान करते हैं। भूमि-बन्धक बैंकों से मिलने वाले रुप्त्र की खाज की दर कम होती है और उसको काफी समय बाद लौटाया जाता है। इस प्रकार ये रुप्त्र कृषि विकास में बहुत सहायक हो सकते हैं। व्यापिक गत कुछ वर्षों में भूमि-बन्धक बैंकों ने काफी प्रगति की है, तथापि किसानों की गाज-गम्भीरी आवश्यकताओं की पूर्ति पर उनका योगदान कम रहा है। इन बैंकों द्वाया प्रति वर्ष जो रुपदा दीर्घ-कालीन रुप्त्रों के रूप में दिया जाता है, वह सर्वथा अपर्याप्त होता है। केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंकों की गण्य 1951-52 में 6 थी जो 1969-70 से बढ़ कर 19 हो गई, जबकि प्रायमिक भूमि विकास बैंकों की सह्या इसी अवधि में 289 से नढ़कर 309 हो गई। इसी अवधि में इनके द्वारा उधार दिए गए रुप्त्रों की मात्रा 3 बारोड रुपये से बढ़ कर 153 करोड़ रुपये हो गई।

7 कृषि-साल के क्षेत्र में रिजर्व बैंक का योगदान रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष रूप से

1 'कृषि वित्त नाविकायिक बैंकों के लिए जुनोरी,' शॉएड सोसाइटी, चलाम, चुनाई, 1968

कृषकों को ऋण नहीं देता, वरन् राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से देता है। राज्य सहकारी बैंकों से नेत्रीय महकारी बैंक भी और प्राथमिक महकारी समितियों को ऋण मिलता है और ये सश्याये अन्ततोगतवा किसानों को ऋण देती है। सन् 1950-51 में रिजर्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था, जबकि सन् 1970-71 में ये बढ़कर 420 करोड़ रुपया हो गया। रिजर्व बैंक की राशि का वितरण सहकारी नाल नियमितों के माध्यम से होता है।

यामीन साल सर्वोक्षण भवित्व 1954 के सुझाव पर दीर्घकालीन कृषिन्याय की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक ने दो होपों की स्थापना की :

(क) राष्ट्रीय कृषि साल (दीर्घकालीन) कोष [National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund] : यह कोष 3 फरवरी, 1956 को स्थापित किया गया। इस बोध में सरकार ने ग्राम्यम से 10 करोड़ रुपया जमा के रूप में दिये तथा अगले पाँच वर्षों में रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपया जमा करने की व्यवस्था थी। इस कोष के उद्देश्य है : (i) राज्य सरकार को 20 वर्षों की अवधि के लिए ऋण तथा अधिग्रह देना ताकि वे सहकारी संस्थाओं के अथ खरीद सकें; (ii) राज्य सहकारी बैंकों को 15 महीने से 5 वर्ष की अवधि के लिए नियमिक रूप से भूमि-व्यवस्था वंशों को अधिक से अधिक 20 वर्षों की अवधि के लिए ऋण देना, तथा (iv) रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय भूगि-व्यवस्था वंशों के आण्डन्य खटीदान।

30 जून 1971 को इस कोष ने 190 करोड़ रुपये जमा दे और इसमें से पुल 66 करोड़ रुपये उधार दिया हुआ था।

(ख) राष्ट्रीय कृषि साल (स्थिरीकरण) कोष [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] : इस कोष दो 30 जून, 1956 की स्थापना किया गया था। इस बोध वा उपनोग राज्य सहकारी बैंकों दो नियमिक रूप तथा अधिग्रह देने के लिए किया जाता है। इस कोष में जून 1956 से अगले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक द्वारा जमा किये जाने वाली व्यवस्था थी। 30 जून 1971 तक इस कोष में 30 करोड़ रुपये जमा दे और इसमें से 5 करोड़ रुपये के ऋण बकाया रहे।

रिजर्व बैंक केन्द्रीय भूमि व्यवस्था वंशों के ऋण पत्र खरीद कर, कृषि पुनर्वित्त नियम के अन्तर्गत, सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को प्राप्तिभित करतया इन बैंकों का नियोजन कार्ड करके कृषि नाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस प्रकार भारतवर्ष में कृषिन्याय के क्षेत्र में रिजर्व बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

४ कृषि-साल के अंत में स्टेट बैंक और इनिड्या का योगदान : स्टेट बैंक और इनिड्या की स्थापना र.न् 1955 में हुई (इस्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके)। यह बैंक कृषि-साल के क्षेत्र में विस्तार कर रहा है (i) इसने किसानों में बैंक प्रवृत्ति वाले लोकप्रिय बनाने के लिये चामीण लेनों में अपनी शाखाएँ खोली हैं। 30 दिसम्बर सन् 1971 तक इन शाखाओं की संख्या 2477 थी, (ii) यह बैंक सहकारी खाल समितियों को कम व्यावहार पर अल्पकालीन ऋण देता है, (iii) यह बैंक सहकारी विषयत एवं विषयत मतितियों को कृषि-वस्तुओं के विषयत में महानगता देता है, तथा (iv) यह बैंक वस्तुओं के सप्रह के लिये योदामों के निर्णय को प्रीताहित करता है (v) यह बैंक भूमि-वन्दक बैंकों को सहायता देता है।

स्टेट बैंक ने सन् 1969 में छोटे किसानों की चालू पूँजी सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक योजना लागू की है, जिसके अन्तर्गत वशु-पालन एवं युटोर उद्योगों के विकास के लिए उधार दिया जा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत भूमि विकास के लिए मध्यमकालीन ऋण भी दिए जा सकते हैं। लघु कृषक योजना की सफलता के लिए स्टेट बैंक कुछ योगों को (बालक की भाँति) गोद से देता है और उनमें रहने वाले सभी मज़ा किसानों की सभी प्रकार के कृषि कार्यों के लिए आर्थिक उपायता देता है।

५ कृषि पूनर्वित्त नियम ५ गांव 1963 को भारत सरकार ने रिजर्व बैंक की सहायता से फृष्टि पूनर्वित्त नियम की स्थापना की है। इसका उद्देश्य कृषि के लिए मध्यवकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करना है। यह नियम सहकारी व अन्य वृषि वित्त संस्थाओं को ऋण देकर उनके साधनों पर वड़ाता है। यह नियम १ करोड़ रुपये की पूँजी से प्रारंभ हिया गया था। ५ करोड़ रुपये इसे वैद्योग्य गरबार ने व्याज-गुणन-मूल के रूप में दिया था। नियम की अधिकृत पूँजी 25 परोड़ रुपये है। इसके अन्दर नियम, अनुसूचित बैंकों के नाम उल्लेखनीय हैं। नियम का प्रबन्ध ९ सदस्यों के एक सचालक मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष रिजर्व बैंक के वृषि साल विभाग के डेप्युटी गवर्नर है।

यह नियम मुख्यतः कृषि नाल की पूनर्वित्त संस्था है। यह कृषि विकास के वैदेन्यक वायरक्षणों के लिए वित्तीय महत्वाना प्रदान करता है, जिसके लिए केन्द्रीय सरकारी बैंकों तथा भूमि बन्धक बैंकों से पर्याप्त गट्टायता नहीं मिल पाती। इस नियम द्वारा जिन कार्यों के लिये सहायता दी जानी है वे हैं— (i) भूमि को कृषि-योग्य बनाने के लिये ऋण देना ताकि उपलब्ध निचाई सुविधाओं का उपयोग पूरी तरह निया जा सके, (ii) सुधारो, कानू, इलायची, अगूर आदि विदेशी प्रकार की कलाओं

ने विनियम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, (iii) वादिक बैठी के लिये बाब-इयक कृषि-घन्ता, जोड़े दूधबन्धन तथा पर्याप्त गेटा द्वारा विजली के प्रयोग के लिए वादिक महापता, तथा (iv) पशुपालन, डेरी फार्मों तथा भुग्गी पालन आदि योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

इस नियम से केन्द्रीय भूमि-व्यवस्था बंक, राज्य शहकारी बंक, बनुसूचित बंकों तथा गहकारी समितियों के जनरल और लैन बैंकों तथा अधिक से अधिक 25 बैंकों तक के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। या तो इन सम्पादों को उचित व पर्याप्त जमानत देने की आवश्यकता पड़ती है अथवा मूलधन व व्याज के भुगतान के लिये सरकार के आशयासन पर ही झूँग दिया जाता है। 30 जून 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में इस नियम ने काली प्रगति दिखाई। इस समय तक इसने कुल 59 करोड़ रुपए की राशि वितरित की थी। 1969-70 में इसने 142 योजनाएँ रखी हुई की जिनमें कुल 92.78 रुपए व्यय किए जाने थे। 1969-70 में इसने 28.60 करोड़ रुपए की राशि वितरित की थी।

10 कृषि वित्त नियम—इसकी स्थापना अप्रैल 1968 में थी राई। इसकी अधिकृत पूँजी 100 करोड़ रुपए तथा परिदृश पूँजी > करोड़ रुपये हैं। यह नियम व्यापारिक बंकों को कृषि गाढ़ बढ़ाने ये सहायता प्रदान करता है। इस नियम ने राज्य विजली बोर्डों, केरल बागान नियम लिमिटेड आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसकी वित्तीय सहायता के काल्पनिक ही प्रमुख छेटों की विश्वी म बृद्धि हुई है। इस नियम ने विराजन साल प्रदान करने वाली सम्पादों में समन्वय स्थापित करके कृषि वित्त की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस अध्ययन से पहुँचेपट है कि यद्यपि कृषि साल के धेन में कृषि सम्पादों अपना योगदान दे रही है, तथापि इसके उन्निति प्रयासों को बाबजूद भी ये मुख्य धार्ये, देश का कृषि क्षेत्र की विशालता को देखते हुए कम है। किसी भी प्रयोग याना में ऐसे सही व्याज दर पर धूँग की स्पलबिय कराना परमादेश्वरक है, किंतु कृष्टि समय में शहकारी पर प्रतिवर्ष लग जाने के पालवरहप तथा जमीदारी प्रधा के समाप्त हो जाने के कारण, किसी भी इन स्तोत्रों से धूँग नहीं प्राप्त हो रहा है और दूसरी ओर कृषि-विकास को शोस्त्राहन देने के कारण इनको साथ मन्दस्थी मार्ग बढ़ गई है। कृषि वित्त की गाँव बास्तव में क्षमागत मार्ग है, जो बढ़ती हुई कृषि के साथ बढ़ती जायेगी। अब कृषि साल के विस्तार के लिये और वादिक प्रयत्न किये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में निम्न मुझाव महत्वपूर्ण है—

1. शहकारी साल समितियों का विस्तार किया जाना चाहिये, जोकि ये सुमित्रिया कृषि साल के धेन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इन

समितियों द्वारा प्रदत्त बुद्धल कर्गचारियों के हाथ में होना चाहिए तथा इन्हे बमूल न होने वाले गाय तथा जातियाँ बहने वाले जूणों की संस्था घटानी चाहिए। सहकारी सास समितियों द्वारा सहकारी विक्री संस्थाओं में मामनवय स्थपित किया जाना चाहिए तथा कृषकों से उपज छूण (Crop Loans) को बढ़ावा देना चाहिए। किसानों को अपनी उपज सहकारी विक्री संवितियों के माध्यम से ही बेचनी चाहिये।

2 तकादी छूण व्यवस्था को सुरक्षा बनाना चाहिये। इसके अन्तर्गत अधिक एवं सुनवय पर जूण मिल जाने चाहिये। यदि ये जूण भी सहकारी सास समितियों के माध्यम से दिलाये जायें तो इनके दोप दूर हो जायेंगे और सहकारिता को बल दिलेगा। भारत सरकार की अमरीकी सरकार की तरह प्रत्याभूत जूण निगम (Guaranteed Credit Corporation) खोलने चाहिए, जो किसानों की जूण सम्बन्धी सभी आशयकाताओं को पूरा कर सके।

3 रिजर्व बैंक को मध्य एवं दीर्घालीन जूणों की अधिकाधिक व्यवस्था करनी चाहिए। इसे चाहिये कि यह देशी बंडों को अपने अधीन ले ले। रिजर्व बैंक विभिन्न संस्थाओं से किसानों को दिये जाने वाले जूणों में मामनवय का कार्य भी कुशलतापूर्वक कर सकती है।

4 व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि-माल के क्षेत्र में अधिकाधिक सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5 लाइसेंस-भूदा गोदामों (Licensed Ware Houses) की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिये, ताकि किसान इन गोदामों में अपनी उपज जमानत पर रख कर बैंकों से समीक्षित दर पर जूण प्राप्त कर सकें।

6 ग्रामीण क्षेत्रों में वचत के लिये किसानों को उत्ताहित करना चाहिए, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डारेखानों को गोद-गाँव तक पहुंचाना चाहिये तथा सहकारी समितियों का विकास किया जाना चाहिये।

7 भूमि-वन्यजनक बैंकों का अधिक विभानार किया जाना चाहिये तथा इनका व्यापक फ्लाउ विलाना चाहिये। इन्हे कुशल रटांफ रखना चाहिये। किलों की समय पर बसूली होनी चाहिए तथा इन्हे भूमि के लकड़ एवं सूधार दर जोर देना चाहिये।

8 महाजनों को राजन-सम्बन्धी कार्य करने के लिए लाइसेंस लेना चाहिये तथा उन्हें व्याज लेने के लिए उन्हें व्याज किया जाना चाहिये। रिजर्व बैंक को चाहिये कि वह इन पर प्रभावशाली निपटण रखे, जिससे किसानों का शोषण न हो।

9. कृषि-वित्त दो शेत्र में सहयोग करने वाली तथा संस्थाओं को उत्पादक अभ्यों पर ही जोर देना चाहिए।

10 सन् 1950 ई० में ग्रामीण जूण जाति समिति ने सन् 1954 ई० में ग्रामीण वर्षेवाण समिति, तभी 1960 ई० में बैंकुण्ड लाल समिति तथा अन्य समितियों

ने ग्रामीण कित्त व्यवस्था को सुधारने के लिए जो महत्वपूर्ण एवं व्यावहारिक मुद्राएँ दिये हैं, उन्हें शीघ्रतांकी अपनाना चाहिए।

11. किसानों द्वारा लिया गया अब छूटि कार्य को प्रोत्साहित करता है अब वा नहीं, वह एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। यदि किसानों को नकद अर्थ न देकर वस्तुओं के रूप में दिया जाय, तो वह कृषि कार्य में ही व्यष्ट किया जायेगा।

पचवर्षीय योजनाओं में कृषि साख

(Agricultural Credit in the Five Year Plans,

प्रथम पचवर्षीय योजना इत्या योजनावधि में घरकार तथा उहनारी सरकारी द्वारा 1955-56 ई० तक 43 करोड रुपए का कृषि-माला प्रदान किया गया। इसमें से 30 करोड रुपए अन्यकालीन, 10 करोड रुपए मध्यकालीन तथा 3 करोड रुपए दीर्घकालीन रुण के रूप में दिए गये।

द्वितीय पचवर्षीय योजना सरकार तथा सहकारी समितियों द्वारा इस योजनावधि में कुल 241 करोड रु० कृषि साख के रूप में प्रदान किए गए। इसमें 203 करोड रुपए अन्य अन्यकालीन साख के रूप में दिए गये तथा बींच 38 करोड रुपए दीर्घकालीन साख के रूप में थे।

तृतीय पचवर्षीय योजना इस योजनावधि में घरकार तथा सहकारी समितियों द्वाया कुल 550 करोड रुपयों का रुण प्रदान किया गया। इसमें से दीर्घ तथा गद्यग कालीन गाल की मात्रा 400 करोड रुपए तथा अन्यकालीन साख की मात्रा 150 करोड रुपए थी।

चतुर्थ पचवर्षीय योजना 1969-74 इस योजना के अन्तर्गत सन् 1973-74 तक 1050 करोड रुपयों के रुण विनियित करने का स्थिर है, सहकारी मस्ता द्वारा उत्पय योजना में 700 करोड रुपए कृषि साख के लिए दिए जाने का प्रावधान है। योजना-चयन में भूमि-विकास बैंकों का भी पर्याप्त विस्तार किया जायेगा। योजना में एक मुख्य प्रबल यह किया जायेगा। “दिल्ली किसानों के हित साधन के लिए सहकारी रुण समितियों और भूमि विकास बैंकों की नीति का और कार्य प्रणालियों में अनु-कूल परिवर्तन किया जाय। इस योजनाकाल में सहकारी बैंकों को शामिल छोड़ो में और अधिक शाखाएँ खोलने में एहायता दी जायेगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि-बींच में साख उपलब्ध कराने की समस्या हमारे लिए एक अमीर चुनौती बन गई है। “दिल्ली एकेनियों द्वारा जो कृषि साख आजकल प्रदान की जा रही है, वह ठीक मात्रा से कम है, ठीक घरकार की नहीं है तथा आवश्यकता की कमीटी को ध्यान में रखते हुए बहुत ठीक व्यक्तियों तक नहीं पहुच पानी।” अतः कृषि साख के दोनों को दूर कर पर्याप्त मात्रा में, सरकार

व्याज पर कृषिको को छह दिलाने की अवश्या बनिवार्थ है। इस क्षेत्र में सहकारी साध समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। गोरवाला समिति ने यीक ही कहा है, “राहकारिता असफल रही है, परन्तु सहकारिता को अवश्य सफल होना है।” सभय को माना है कि ग्रामीण, जून उत्पाद्य करने में आपारिक बैंक तथा नहाकारों साथ समितियां मिल कर कार्य करें। इस प्रकार इनके समिलित प्रयास से कृषि वित्त की समस्या सफलतापूर्वक सुलझाई जा सकती है।

प्रामोण ऋण-प्रस्तुता की समस्या

(The Problem of Rural Indebtedness)

ग्रामीण जून-नालीता के सम्बन्ध में यादी कृषि व्याग्रण का यह कथन सर्वथा सत्य है, “भारतीय कृषक जून में जन्म लेता है, जून में अपना जीवन ब्यतीत करता है, जून में ही मर जाता है।”¹ जून-प्रस्तुता चिनानों के लिए अभिभाव और देश की कृषि के पिछड़ेने का एक महत्वपूर्ण कारण है। यीमती बीचा एन्टे से जून-प्रस्तुता को कृषि के पिछड़े होने का एक महत्वपूर्ण कारण बताया है। भारतीय किनानों की जून-प्रस्तुता को थी उल्फ (Wolff) ने इस प्रकार व्यक्त किया है, “देश महाजन के बगूल में खोता हुआ है, जून की लेहियों ने कृषि को जकड़ रखा है।”²

ग्रामीण जून की दक्षता, भारतीय चिनानों दो प्रायः दीन प्रकार के जूनों की आवश्यकता होती है—दीर्घ-बालीन, मध्य-बालीन एवं अल्प-बालीन। इन जूनों की प्रकृति दो प्रकार की होती है—

(क) उत्पादक जून : उत्पादन कार्यों के लिए लिये जाने वाले जून उत्पादक कृषि कहलाते हैं। मुख्य-नुभार, मध्य-धी जून राद, बीज, पशु, बीजार, कुंबा चारि के सम्बन्ध में भावें करने के लिए लिये जाने वाले जून, उत्पादक जूनों की धरणी में आते हैं। भारत में इन जूनों की गान्धा अपेक्षाकृत कम रही है।

(ख) अनुत्पादक जून : उपभोग या रामायिक प्रतिष्ठानों को बनाए रखने के सम्बन्ध में लिये जाने वाले जून अनुत्पादक जून कहलाते हैं। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये शादी-न्पाह या मुकदमेवाली आदि के लिये जा जून लिये जाते हैं, वे अनुत्पादक जूनों की धरणी में आते हैं।³

1. “The Indian peasant is born in debt, lives debt in debt and bequeathes debt.”
Report of Royal Commission on Agriculture, p. 265.

2. “The country is in the grip of Mahajans. It is the bonds of debt that shackles agriculture.”—Wolff

3. शनीवीं शाद सरेत्र य समिति (गोरवाला संदिग्ध) 1951-52,

कृषि-कृषि की सीमा, समय-समय पर अनेक विहानों एवं समितियों वे ग्रामीण ऋण-प्रस्तता की सीमा के अनुमान लगाये हैं, जिससे भारत की ग्रामीण ऋण प्रस्तता की मात्रा पर प्रकाश पड़ता है। ये अनुमान इस प्रकार हैं—

वर्ष	अनुमानकर्ता	ऋण की मात्रा (लाखों रु.)
1911	तर एटबर्ड मैकलग्रेन	300 करोड़
1924	थी एम० एल० डालिंग	600 "
1931	वैद्यीय बैंकिंग जॉब समिति	900 "
1935	डॉ. पी० जॉ. थॉमस	1,200 "
1935	डॉ. राधा कृष्ण गांधीजी	1,200 "
1937	कृषि साक्ष विभाग-रिजर्व बैंक	1,800 "
1951	अ० मा० साल सर्वेक्षण समिति	750 "
1954	ग्रामीण साक्ष सर्वेक्षण समिति	364 लाख प्रति परिवार
1962	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	2,789 करोड़ (406 लाख प्रति परिवार)

इसका नालिका के अनुमानों से पता चलता है कि हिन्दीय विश्व-गुद्ध तक ग्रामीण ऋण की मात्रा में उत्तरीतर वृद्धि हुई है, किन्तु इस युद्ध के बुल रामय दाद तक ग्रामीण ऋणप्रस्तता में कमी आई है। इसका प्रमुख कारण खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि-उत्पादों के मूल्य में वृद्धि एवं किसानों वी आर्थिक स्थिति में सुधार माना जा सकता है। लेकिन स्वतन्त्रता के बाद बाले दशक में ऋण-प्रस्तता में पुन वृद्धि हुई है, जैसा कि रिजर्व बैंक की ग्रामीण ऋण एवं विनियोग सर्वेक्षण रिपोर्ट 1965, में पता चलता है। इस रिपोर्ट के अनुमान जून 1962 में भारत में कुल ग्रामीण ऋण-प्रस्तता की मात्रा 2,789 करोड़ रुपए थी। ऋण-प्रस्तत व्यक्तियों में 75% कृषक वे जिन पर 2,380 करोड़ रुपये का ऋण-भार था। औसत किसान परिवार पर ऋण-भार 406 रुपये था। केवल 1961-62 के वर्ष में ही ग्रामीण जनता द्वारा 1332 करोड़ रुपये ऋण लिए थए, जो वि प्रति परिवार 180 आना है। इन प्रकार हम देखते हैं कि भारत के गवाई में रहने वाले लोग अभी तक समृद्ध नहीं हो सके हैं। ग्रामीण ऋण के बल पूर्ण नहीं नहीं, बरन अब भी लिए जाते हैं।

ऋणप्रस्तता का कारण भारतीय कृषकों की ऋणप्राप्तता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1. कृषकों की निधनवता राष्ट्रीय आय समिति के अनुतार प्रति कृषक परिवार की वार्षिक आय २०० रुपये है। आय की इस कमी के कारण किसान गरीब है और उन्हें प्राप्त परिवार के भरण-वीपण के लिए ऋण लेना पड़ता है।

निर्भयता के कुचलक में फैसा हुवा भारतीय किसान अपनी धूमा धान करने के लिए साहूकारों द्वारा किसानों से जहर लेता है। निर्भयता किसान को जहर लेने के लिए वाध्य करती है और निर्भयता के कारण ही वह जहर बापस नहीं कर पाता, जो उस पर बोक्ख बन जाता है।

2 अनार्थिक जोरदारों का बाहुन्य देश से लगातार सप्तविंशति ग्राम अप्स्ट्रेंजर के कलेक्शन्स की कृषि जोतों का अप अनार्थिक हो गया है। खेती से पर्याप्त आप नहीं प्राप्त होती, जिससे जहर लेना बाबदक ही जाता है। और एम एल डार्लिंग ने भी कही रहा है, "विना जहर लिए कुछ एकड़ भूमि पर किसी परिवारका पालन-पोषण करने के लिए नुस्खा, परिश्रम वशा प्रित्यक्षयता भी अवश्यकताहोती है, जो प्राप्त गर्दे देशी में नहीं पाई जानी। जहर लिए किना चुखर-दसर करना उनीं प्रहार असम्भव है जिस प्रकार से कि अटलाटिक भारतागर के तूफान को कलना एक नाव के लिए असम्भव होता है। भारत में येत बहुत छोटे व विकरे हुए होते हैं और प्रकृति का व्यवहार भूमि पर भी विनाशक हो सकता है, जितना कि समुद्र पर।"¹

3 कृषि भूमि पर जननभार में वृद्धि भारतवर्ष में प्रति वर्ष जननस्था एक करोड़ की वृद्धि से बढ़ रही है। इस बढ़ी हुई जननरक्षा में लगभग 70 लाख खोल ग्रामीण लोक म बढ़ते हैं इसलिए जननस्था का भूमि पर भार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रति वर्षिक औपर आप कम होती जा रही है चूंकि अपनी आमदानी से उनका काम नहीं चलता, उन्हिंन वाष्प होकर जहर को जहर लेना पड़ता है। अहं लेने के गार्भ-मार्ग इनकी गर्भीय बढ़ती है तथा वे जहर चुकाने में असमर्पय ही जाते हैं।

4 कृषि की अनिवार्यता भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। छीक समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में वर्षी न होने पर कमल दिमाठ जाती है, और जीवन-साधन के दिए जहर जा सहाया लेना पड़ता है। इनकिए भारतीय कृषि की गान्धन का जुआ रहा रहा है।

5 प्राकृतिक प्रकोप वाहि, अकाल, पर्याप्ती के रोग एवं मिहीन-दलों के बाकृपण के कारण उत्पादन अत्यन्त कम हो जाता है। य प्रकोप प्राय आदा करते हैं और प्रकाशों के वर्ष जिसानों दो जहर अस्तर लेना पड़ता है।

6 चिताज वरी अस्वस्थता, अस्तर्जुनित, गूद, अपेक्षित खोजने के कारण रिसान प्राय दीमार रहता है। उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, जिससे वह कम उत्पादन कर पाता है। एक और वीमारी के कारण उसकी आमदानी कम हो जाती है तथा इसी और दवा-दार में उत्तरा वर्षीय बट जाता है। वलस्वरूप उसे जहर लेना पड़ता है।

1 M. L. Darling, Punjab Peasantry in Prosperity & Decline, p. 262.

७ बैतूक ऋण : ग्रामीण लोगों की बुद्धि वा एक प्रमुख वारण यह भी है कि ऐतूक ऋण न्यायोनित प्रतिवर्ष के अभाव में पिता से पुत्र को हस्तातिरित होता रहता है। इसीलिए वहा जाना है कि भारतीय कृषक को ऋण विरामन में किया है। वह कहने में ही पैदा होता है, कहने में ही रहता है और उन में ही मरता है। इसे प्रकार ऋण पीटी-दर-पीटी चलता है।

८ वृप्तदो की अगिला : अगिलित होन के बारण वह महाजन से ऋण लेते समय अगूड़ा लगा देना है। गहराजन मननाही रकम भरता रहता है और ऋण व्याप-मदर ही सूर नहीं पतन करता है। अगिला के कारण ही दिसात अच्छे ददों में भी मितव्यपता नहीं कर पाते तथा आए दिन अनावश्यक खर्च करके अपने मिरपर अनावश्यक ऋण का खोत लाद लेते हैं, जो उन्हें जिन्दगी भर टोना पड़ता है।

९ कृषकों की किलूलखर्ची : भारतीय विसान शादी, मृत्यु, शाढ़ आदि सामाजिक व धार्मिक उत्सवों पर पानी की तरह वैसा खर्च करता है, जिससे वह सदैव कृषणप्रस्त रहता है। एक अनुमान के अनुगाम भारतीय किसान अपने कृषक का 40 से 50 प्रतिशत भाग सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों पर व्यय करने के लिए जैता है। ग्रामीण ऋण नवेंद्रण (1951-52) के अनुमान इष्टक के नुस्खे कृषक वा लगभग 47 प्रतिशत भाग पारिवारिक खर्चों के लिए तथा शेष सेती के कार्यों के लिए था। पारिवारिक खर्चों में से 43 प्रतिशत विवाही तथा अन्य उत्सवों व मुकदमेवार्जी के लिए, 35 प्रतिशत मृत्यु के समय व्यय के लिए, तथा 30 प्रतिशत बीमारी तथा दबावी के लिए था।

१० मुकदमेवार्जी की आदत : विनान बहुत सा घन तो मुकदमेवार्जी में ही नष्ट कर देता है। डालिंग के अनुसार, "अक्सर यह कहा जाता है कि एक एकड़ के एक बहुत छीटे से भाग तक के लिए, हाईकोर्ट तक मुकदमा लड़ा जाता है तथा फौजदारी के मुकदमों में ज्ञारों न्यून व्यय कर दिये जाते हैं!"¹ मुकदमेवार्जी के लिए विसानों को कृषक लेना पड़ता है, अत असंधिक मुकदमेवार्जी भी ग्रामीण ऋण-प्रस्तवा वा एक बारण है। मुकदमेवार्जी के लिए भारतीय न्याय-नद्दियि एवं नूमि-प्रथा भी किसी हृद तक उत्तरदायी है।

११ महाजनों द्वारा शोषण महाजन भोले-भाले विसानों की मतमान लूटते हैं, अत्यधिक अज्ञ लेते हैं, लिखान-पटी में गडवडी बरते हैं तथा जापदावें हड्डी जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक बार उनके चमूल में कस कर वह निवल नहीं पाना, और पीटी-दर-पीटी कृषणप्रस्त बना रहता है। और एक^१ एक^२ डालिंग ने महाजनों द्वारा किसानों के इन शोषण का वर्णन करते हुए उचित ही कहा है,

1. M. L. Dabholkar—Punjab Peasantry in Prosperity & Debt, p. 76.

"किसान अपने लाग में उसी प्रकार बचत कर दिये जाते हैं, जिस प्रवार कि भेड़ अपने ऊन में बचित कर दी जाती है।"¹

12 पशु-धन की हाति धारे के अभाव एवं बीमारियों की भरभार के कारण पशु-धन का असामिक विनाश हो जाता है। पशुओं के रोग संबंधक एवं प्राप्तक होते हैं। एक मात्र सैकड़ों पशु मर जाते हैं। अत नये पशु खरीदने के लिए उसे जाह लेना पड़ता है, जबोकि पशुओं के दिना सेती नहीं की जा सकती।

13 सरकारी भूमि कर-फ्रीनि - श्री रमेशबहादुर दत्त एवं श्राव्य अनेक विहानों ने आमोण व्यवस्थाका प्रमुख कारण भूमि-कर की अधिकता बताया है। ये कर प्राप्त ऐसे भव्य पर एवं ऐसी कठोरता से वसूले जाते हैं कि इन्हें चुकाने के लिए किसानों को महाजनों में छोड़ी दरों पर जहर लेने पड़ते हैं। मिचाई-करों का भी प्राप्त यही असर होता है।

14 द्याज को छोड़ी दर द्याज वो इच्छी दर के कारण एवं दार जहर लेन के बाद उसे चुकाना कठिन हो जाता है। बम्बई जात समिति के अनुमार, "यह बात नहीं है कि द्याज जहर का जहर चुकाना है। दालाब में यह अधिक चुकाता है। ये तो छोड़ी द्याज की दर तथा महाजन की अनुचित बातें हैं, जो कि किसान की व्यवस्थाका कमी वही होने देती।"² भारतीय आमोण साझ सर्वेक्षण हनिति (All India Rural Credit Survey Committee) रिपोर्ट के अनुमार साहकार व महाजनों द्वारा ली जाने वाली द्याज दर कही-नहीं, जैसे विहार व उत्तर प्रदेश में 30 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल व हिमाचल प्रदेश में 40 प्रतिशत तथा उडीहा में 70 प्रतिशत तक पाई गई है।

15 दोषपूर्ण विषयन प्रणाली - आमोण होओं में गतिशाल की असुविधा तथा बूँदों की निर्धनता एवं विषयता के कारण उन्हें आमी फसल को गाँवों से ही बेचना पड़ता है। भाय महाजन ही समस्त फसल के आपे दास लेता कर अपना उचार चुकाता दर लेता है और किसानों का अपनी फलाल का आयोजित भूल्य नहीं मिल पहता और वह कह लेने के लिए विवश होता है।

16 सहायक द्याजों का अभाव नुटोर उडीहों का पतल हो जाने के कारण किसानों के पास अब सहायक द्याजों से ग्रान बास्तवी नहीं है, जिससे उन्हें अपेक्षित गाँवों की स्थिति फेल गई है। इस स्थिति में किसानों को भरण-दोषण के लिए जहर लेना पड़ता है। वर्ष के तीन, चार महीनों के अतिरिक्त वे प्राप्त घेकार रहते हैं।

1. "The raiyat was as easily shorn of his grain as the sheep of its fleece,"

—M. L. Darling, Ibid

17 भूमि के मूल्य में बढ़ि भारतीय किसानों में अधिक भूमि प्राप्त करने की लालसा पाई जाती है। भूमि का मूल्य अब पहले से कई गुना बढ़ गया है, अत उसे पहले से अधिक औष्ठ लेने की आवश्यकता होती है।

18 खातों में उत्पत्ति द्वारा नियम की विधायीतता किसान पैदावार बढ़ाने के लिए औष्ठ द्वारा अच्छे खाद, दीज, यज आदि का प्रयोग करता है, लेनिन वैदावार उठे आनुप्राचिक रूप से घटती दर पर प्राप्त होती है, जिसमें औष्ठ बना रह जाता है।

19 कृषकों को आर्थिक वित्त से परिवर्तन बढ़ानी करने के होने वाया भूमि के मूल्य बढ़ जाने के बारण, किसानों की औष्ठ लेने की शक्ति (भूमि को धरोहर रख कर) भी बढ़ रही है। फलत् सीधा सादा किसान अधिक औष्ठ लेहर औष्ठी का कर्ता ही बना रहता है। श्री एम एल शालिंग ने कीक ही कहा है, "किसानों की अनिश्चितता के समान ही किसानों की सम्मनता भी भारतीय दृष्टिकोणी की औष्ठ-प्रसरता का कारण बन जाती है।"

20 सरकारी नोति अथ जी शासन-काल में जमीदारों द्वारा कटोरणापूर्वक लगान वसूल किया जाता था। अन्य कई प्रकार से उनका शोषण किया जाता था, जिससे कृषक औष्ठप्रसरत रहता था। यही परिपाटी कई पिछडे इलाकों से अब भी पाई जाती है। किसानों की औष्ठ लेने की आदत भी पढ़ रही है।

इस प्रकार भारतीय कृषक की पिछड़ी मुई अवस्था उसे औष्ठ लेने को बाध्य करती है। परिस्थितियोवश वह औष्ठ लेने को बाध्य है। चूंकि उनके अधिकारों औष्ठ अनुत्पादक हैं तथा गृहीय व्यवसाय अनिश्चित एवं अलाभकारी है, अत उसकी औष्ठ-प्रसरता भी समस्या भी स्थायी-नीती ही बन गई है।

आमोंण औष्ठप्रसरता के दुष्परिणाम

आमीण औष्ठप्रसरता के कई दुष्परिणाम हृषियोवर होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं— (i) औष्ठक अधिकारिक निषेन होता जाता है और उसके रहन-सहन का सार भी निरता जाता है (ii) वृष्य उत्पादन पर वहूँ बुरा प्रभाव पड़ता है, वगोकि किसान ऐसन में काम करता है। वह जानता है कि जो कुछ पैदा होगा, महाजन से जापेगा, (iii) उसे भूमि को गिरवी रख कर औष्ठ लेना पड़ता है जिसे अन्तत महाजन हडप जाता है, (iv) औष्ठप्रसरता से कृषकों का नेतृत्व पतन होता है, जिसकि औष्ठी होने के कारण डेसे सहूकारों द्वारा अमुखिल ग्रकारों से तेवा वारनी पड़ती है, (v) कभी-कभी औष्ठप्रसरता के कारण उसे डेगार भी करवी पड़ती है, (vi) औष्ठप्रसरता के कारण ही उसे अपनी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता, (vii) भूमि कृषकों के हाथ से अकृषक बगे के हाथ में चली जाती है, जिससे भूमिहीन कृषि

अधिक बर्ग का उदय होता है, (VII) अहमप्रतता भूमि-नुधार के भार्ग में रोडे लट-वाती है, तथा (V) इससे राजनीतिक एवं सामाजिक असतोष फैलता है और अन्ततः साम्यवाद को बढ़ावा दिलहा है। इस सदर्भ में टाँथोंग का निम्नलिखित कथन यह उपग्रह त्रैतीय होता है—“अहमप्रस्ता समाज आवश्यक स्वरूप से एक सामाजिक जबाबागुस्ती है। विभिन्न लगां के भव्य असतोष ऐदा होना स्वामाजिक है और यह निरन्तर बढ़ता हुआ असतोष खतरगाह होता है। सम्भव है कि यह कभी भी त्रान्ति का स्वरूप न ले तो भी बार बार ऐदा होने वाला असतोष क्रान्ति से भी अधिक भयकर होता है। इगरे अकुशलता स्पायी बनती है और पुनर्निर्माण के कार्य रुक जाते हैं।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि ‘अहमप्रस्तता में भारतीय किसान को आर्थिक दृष्टि एवं दिवालिया, सामाजिक दृष्टि में हीन तथा नैतिक दृष्टि से प्रतिक्रिया दिया है।’ श्रोतृ बलक धोण के ठीक ही कहा है, “‘ज्ञान के भार से किसान को कठोर बना दिया है, उसकी कार्य-लमता नष्ट हो गई है और अपने कार्य के प्रति उसका कोई चक्षा ह नहीं रहा है। इगका परिणाम कग उत्पादन, निरन्तर अहमप्रस्तता और पेटुक झूलों के हप में हुमारे सम्मुख है।’ इन सबके पारस्परिक दूषित प्रभाव के कारण भारतीय कृषि की श्रगति विलुप्त रुक गई है और इसमें समृद्धि के दर्नन नहीं होते। शार्मिण ज्ञान किसान को उसी तरह सहाय किये हुए है, जिस तरह जल्लाद का रसा फासी वी सजा पाये व्यक्ति को सहारा देता है।”¹

अहमप्रस्तता को दूर करने के लिए सुझाव

वह अहमप्रस्तता समाज में आर्थिक कुचक्कों को जन्म देती है। अतः कुपकों को इससे मुक्ति दिलाना आवश्यक है। इस सदर्भ में ये मुक्तान उचित हैं—(i) झूपकों में विकास का प्रमाण दिया जाय, (ii) पुराने ज्ञानों के परिकोष्ठ के लिए उचित अविद्याय बनाये जाने चाहिए, (iii) महाकारी साय आद्वोलन को मूरुद किया जाय, (iv) कृषि देने वाली एवं बिनायों को केवल उत्पादक रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, (v) कृषि उत्पादन में योगक कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए, (vi) मालगुजारी वी दर नम होनी चाहिए तथा सबके के समय इससे मुक्ति वी व्यवरखा होनी चाहिए (vii) आर्थिक राकट के साथ इपको को आर्थिक सहायता;

1. The volume of indebtedness made him callous, undermined his efficiency and destroyed his initiative for work. The result was low productivity, perpetual indebtedness and ancestral debt. All these worked in a vicious circle and virtually sub merged Indian agriculture in a stagnant pool devoid of progress and prosperity. Rural credit supports the farmer as a hangman's rope supports the hanged.

(viii) कुटीर व सहायक उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, (ix) महाजनों की शोषण-नीति की समाप्ति; (x) किसानों की किनूल सर्ची की आदत कम करके बचत को प्रोत्साहन देना चाहिए, (xi) मुकदमेवाजी से बचाने के लिए ग्राम पञ्चायतों वा पुनर्गठन करना चाहिए, (xii) कृषि उपज के विक्रय की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, तथा (xiii) प्रचार हारा राष्ट्रगांजिक व्यवस्था को कम करके अपवृद्धि को रोकना चाहिए तथा सरकारी सहयोग प्रदान करना चाहिए।

ऋग्मप्रस्तावा को दूर करने के लिए किये गये सरकारी प्रयत्न

ग्रामीण ऋग्मप्रस्तावा से कृषि एवं कृपकों को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम लिये हैं —

भूमि के मुक्त हस्तान्तरण के फलम्भवस्प किसान भूमि की जमानत के भागाएँ पर मनमाना क्रृषि लेते हैं। इससे ऋग्म लेने-देने की प्रीत्साहन पिलता है और वीरों धीरों किसानों की जमीन महाजनों के हाथ में आने लगती है।

(1) भूमि हस्तान्तरण पर रोक क्रृषि के बदले किसान की भूमि हड्डप लेने के महाजन के प्रलोभन को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने कानून बनाये हैं। अब यह व्यवस्था की जा चुकी है कि क्रृषि के बदले किसान की भूमि साहाकार को नहीं दी या सकती, चाहे वह काशकार हो या नहीं। सन् 1901 ई० का पञ्चाव भूमि बेदखली अधिनियम इस सदर्भ में प्रथम उल्लेखनीय विवान है। बाजार भूमि के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध के साथ-साथ किसानों के श्रीजारो, गशुओं तथा मकान के कुर्की तथा नीलामी पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। किसान की गिरफ्तारी पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा व्यष्टों के किस्तों में भुगतान करने की व्यवस्था भी कर दी गई है।

(2) कृषक सहायता अधिनियम इस सम्बन्ध में सन् 1879 ई० में दक्षिण भारत में एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसका नाम दक्षिण कृषक सहायता अधिनियम रखा गया, जिनके अनुसार क्रृषि के कारणी की जाव तथा कृषकाताओं व कृपकों के दोष हुए प्रसविदों की जांच की व्यवस्था की गई। किसानों को विवालिया घोषित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई। द्याज मूलधन व ऊँची व्याज दर की कम करने की व्यवस्था की गई।

(3) क्रृषि को अनिवार्य कर से कम या समाप्त करने की व्यवस्था क्रृषि समझौता विधानों को कार्यनिवत करने में स्वेच्छा के सिद्धान्त से समझौतों में शीघ्रता नहीं हो पाती थी, इसीलिए इसे मुक्तारूप से कार्यनिवत करने के लिए कानून हारा क्रृषि को अनिवार्य से कम करने की व्यवस्था की गई। इस सम्बन्ध में तामिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, मैसूर तथा केरल में अधिनियम बन चुके

है। इनके अन्तर्गत (1) शृंखों की बढ़ाया रकमों तथा व्यापक-दरों की कम करणे की व्यवस्था, (2) अग्रामी घरों के लिए व्याज-दर निश्चित करणे की व्यवस्था, तथा (3) दकाया फूणों की रकम की इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि महाजन द्वारा वसूली की यही कुछ धन-राशि मूलधन के दुगने से अधिक न हो पाए।

(4) साहूकारों पर निपत्रण - याही कृषि यापोग ने विसानों को कृषि से छुटकारा दिलाने के लिए साहूकारों की शियाओं पर नियन्त्रण लगाने की सिफारिश की थी। अब विभिन्न राज्यों में सन् 1930 के बाद साहूकारों व महाजनों हारा धोपण को रोकने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। ये कदम हैं, (1) महाजनों की रजिस्ट्री एवं लाइसेन्स अध्य क्षेत्रों तथा देने के लिए, अग्राम व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व महाजनों की रजिस्ट्री करा कर लाइसेन्स लेना लड़के बना दिया गया है, ताकि गड़बड़ी करने पर उनका लाइसेन्स रद्द किया जा सके। पश्चात, विहार, बगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश से इस सम्बन्ध में व्यवस्था की या चुकी है। (2) कानून द्वारा यह आपाश्वक बना दिया गया है कि महाजनों को लेन-देन का हिताय नियमित रूप से रखना चाहिए। (3) कर्बं के लिए व्याज की अधिकतम दर निश्चित कर दी गई है तथा कई शास्त्रीय चक्र-वृद्धि व्याज लेने पर पावनी लगा दी गई है। (4) महाजनों हारा अब विसान के औंचार, पश्चु तथा मकान कुक्क नहीं छराये जा सकते हैं।

(5) कृषि समझौता विभान केन्द्रीय बैंकिंग जान समिति की सिफारिशों के आधार पर महाजन तथा श्रमिकों दोनों के पारस्परिक समझौते के अनुसार कृषि राशि की कम करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार का अधिनियम राष्ट्रप्रधारण मध्यप्रदेश में सन् 1933 में पारित हुआ था जिसके अनुसार कृषि राशि को कम करने के लिए कृषि समझौता बोर्ड (Debt Cancellation Board) की व्यवस्था की गई थी। इनी प्रकार के अधिनियम, पश्चात, बगाल, आसाम, मद्रास में क्रमशः सन् 1934, 1935, तथा 1936 में पारित हुए। यद्यपि इन सभी राज्यों में समझौता विभान की कार्यवाही भिन्न भिन्न है, फिर भी इनमें कुछ रामानन्द पाई जाती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत 3 में 9 लक्षणों का एक समझौता बोर्ड बनाया जाता है, जिसका अध्यक्ष एक सरकारी अधिकारी होता है। इस बोर्ड ने कृषि तथा कृषिकारों के प्रतिनिधि भी रहते हैं। बोर्ड के सदस्यों दोनों पक्ष अपना मामला प्रस्तुत करते हैं। कृषि-दराता भी नाशिक स्थिति को हार्डलैने में लगते हुए बोर्ड द्वारा कृषि की राशि कम कर दी जाती है और कृषि वसूली के लिए 15 या 20 घरों की किस्त निर्धारित कर दी जाती है।

कृषि समझौता बोर्डों को मध्य प्रदेश, बगाल, तामिलनाडु तथा पश्चात में कायदे रापूता मिलते हैं। लेहिन विसान के पास मर्टी हुई कृषि राशि पूकाने के साथम भी न होने के कारण कुछ कठिनाई उपभव हो जाती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसान

जब तक अपने भृण की अनिम फिश्ट नहीं चुका देता, तब तक उसे अन्यत्र से ज्ञान नहीं मिल सकता।

(6) वैकल्पिक एवेंग्टी की व्यवस्था सरकार ने सन् 1904 ई० से सहकारी साख आव्वोलन खला रखा है, जिसके माध्यम से गरकार ग्रामीण कृषकों ने कम ब्याज पर ज्ञान देने की व्यवस्था करती है। इस लेत्र में माल समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इही के कारण साहूकारी को भी अपनी व्याज दर नीची करनी पड़ी है। सहकारी साख के बन्दर्गांत अल्पशालीन ज्ञान के लिए सहकारी साख समितियों का तथा दीर्घकालीन ज्ञान के लिए भूमि-दनक वैकों की स्थापना की गई है।

(7) हितकारी विभागों की स्थापना इन विभागों का उद्देश्य कृषि व्यवसाय को लाभप्रद बनाना है। इनके हारा इकाइ-सुधार के अनेक उपायों से, जैसे चबदनी, अच्छे औबार, कृषि उत्पादन बढ़ाता है और कृषकों की आर्थिक दशा गुधरती है। फलत्वरूप उसे ज्ञान लेने की कम ज्ञानप्रस्ता पड़ती है।

उपर्युक्त विवेचन से भूष्ट है कि हमारे ज्ञान सम्बन्धी कानून प्रयत्नियों हैं, तथा इनसे भारतीय कृषकों को बहुत कुछ राहत मिली है। सहकारी साख समितियों के द्वारा जाने के फलत्वरूप तथा विगत द्वितीय विद्व युद्ध में महय दृष्टि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञानप्रस्ता में कुछ कमी अवश्य आई है, लेकिन यह कहना उपयुक्त न होगा कि ग्रामीण ज्ञानप्रस्ता की समस्या का समाधान हो गया है। ज्ञान सम्बन्धी कानूनों का किमानो हारा पूरा कायदा नहीं उठाया गया है, ज्योकि अधिकारी एवं निर्वनता ने उनके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न कर दी है। सरकार ने विगत कुछ बारों में इपि वित्त दिलाने के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका पहले विवेचन किया जा सकता है, लेकिन इन सभी उपायों से समस्या की गम्भीरता को ही कम किया जा सकता है, उसे पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सकता। इसका अनिम उपचार तो केवल हृषि की उन्नति में है। जब तक भारत में कृषि उद्योग को लाभ-दायक नहीं बनाया जाता, तब तक किमानों को झण लेने की ज्ञानप्रस्ता पड़ेगी तथा ज्ञानप्रस्ता भी बनी रहेगी।

ग्रामीण ज्ञानप्रस्ता वी समस्या भारतीय किमानो एवं देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए एक जटिल समस्या बनी हुई है। जब नक इस समस्या पर अनेक दिशाओं से विचार नहीं किया जायेगा, तब तक इसके हल होने की सभावना नहीं है। सरकार हारा इस क्षेत्र में किये गये कार्यों से किमानों को राहत बवश्य मिली है, परन्तु इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ बरना बाकी है। अभी इस समस्या का रूपांतर माल ही हूजा है। इसके स्थायी हल के लिए सरकार को अपनी सामाजिक एवं आर्थिक

वीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन 'सला' पढ़ें। देश की सदृशीद क्रियाएं तथा सामुदायिक घोजनाएं इस दिशा में प्रशसनीय प्रयत्न कर रही हैं।

प्रश्न

1 भारत में ग्रामीण अखंप्रस्तुता के कारण तथा दोप बताइये। इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या क्या कथा साधन अपनाये गए हैं?

(राज० टी० डी० सी० प्रथम वर्ष, कला, 1966, 1967)

2 भारत में बढ़ती हुई कीमतों के कारण ग्रामीण ग्रुप बढ़ रहा है या घट रहा है? इस समस्या के समाधान के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करें।

(राज० टी० डी० सी० कला, तृतीय वर्ष 1967)

3 ग्रामीण भारत की कर्तमान वित्त व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिये। क्या स्थिति सतोषजनक है? यदि नहीं, तो स्थिति सुधार के लिए अपने सुझाव दीजिए।

(राज० डी० ए० 1964)

(4) Is rural indebtedness increasing or decreasing in India? How would you like to solve this problem?

(Raj T D C Third Yr Arts 1964)

खण्ड-चतुर्थ

उद्घोग व श्रम

भारत में कुटीर व लघु उद्योग

(Cottage and Small Scale Industries in India)

"In the present and foreseeable future, cottage and village industries have an essential place in Indian economy and have to be encouraged in every way. India would become an industrialised nation only when there are lakhs of units of small industries functioning in different parts of the country."

—Jawahar Lal Nehru

भारतीय अर्थ व्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का अत्यधिक महत्व है। महात्मा गांधी के शब्दों में भारत का मौका उसके कुटीर उद्योगों में ही निहित है। भारतवर्ष में यद्यपि बाज बड़ बड़े उद्योगों का विकास हो रहा है, तथापि कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व पर इसका तंत्रिक भी बहुर नहीं पड़ा है। भारतवर्ष की बढ़ती हुई बनस्तर्या, ग्रामीण धात्रों की विधंता एवं फैली हुई येवारी तथा अद्वैतेवारी के सदम ने कुटीर उद्योगों का महत्व मदा बना रहेगा। सच तो यह है कि भारतवर्ष के ग्रामीण धात्रों की समस्याएँ उस समय तक हल नहीं की जा सकती, जब तक देश में कुटीर एवं लघु उद्योग धात्रों के ध्वेत्रों में समृच्छित विकास नहीं किया जाएगा।

अथ एवं परिभाषा

कुटीर उद्योग ये उद्योग मुख्य रूप से परम्परागत पद्धति पर चलाए जाते हैं और परम्परागत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इनमें वैतनिक थम का बहुत कम या बिल्कुल ही प्रयोग नहीं होता तथा केवल परिवार के सदस्यों की सहायता से ही बनाये जाते हैं। ये उद्योग पूर्ण कार्डिक अथवा अग कालिक हो सकते हैं। साधारणतया ये उद्योग कृषि से सम्बन्धित होते हैं तथा ग्रामीण धात्रों में स्थापित होते हैं। इस प्रकार के उद्योगों से पूजी की अपेक्षा थम की ही प्रधानता रहती है। याकित चालित मशीनों का उपयोग नहीं के बराबर होता है। इसकी बनी हुई चीजों की मात्रा प्रायः स्थानीय होती है। राज्य कोर्पोरेशन के बनुमार "कुटीर उद्योग बह है जो

पूर्णतया या मुख्यतः परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्ण या जानिक व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है।”¹ श्री चिन्तामणि देशमुख के शब्दों में, “कुटीर उद्योग का तात्पर्य नामानन बड़े उद्योगों के सुशठित उत्पादन को छोड़ इर उत्पादन के अन्य सभी रूपों से लगाया जाता है। जो व्यक्ति इसमें लगे होते हैं, वे मुख्य रूप से अपने ही प्रयत्न और निपुणता पर निर्भर होते हैं तथा अपने घरों में काम करते हुए बैद्यल साधारण औजारों का प्रयोग करते हैं। हाल ही में कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं के पात्रव्यवहर इनमें से कुछ ही उत्पाद नामने आए हैं। वे अधिकारत परम्परावाल शिष्यों के रूप में हैं और उत्पादन की आनुनिक प्रविक्षयों और रूपों के विवर विभिन्न स्तरों पर अपने को बनाए रखने के लिए निर्धार्य कर रहे हैं।”

* लघु उत्पाद लघु उद्योग कुटीर उद्योगों से बलग होते हैं। इनमें बेतन भोजी अभिक वार्ष बरते हैं तथा मनीनों का प्रयोग किया जाता है। ये प्राय छोटे-छोटे कारखाने के रूप में विविध वरकुबों का उत्पादन करते हैं। नामानन ऐसे उद्योग शहरों में स्थापित किए जाते हैं, जो दूर-दूर से कच्चा नाल मवयाने हैं तथा अपना तंयार माल दूर-दूर तक भेजते हैं। ये उद्योग नामानन पूर्ण-कालिक होते हैं। राज्यकोषीय आयोग के अनुसार “लघु उद्योग वह है, जो मुख्यतः 10 से 15 अभिकों द्वारा चलाया जाता है, जिनमें यह अभिक के घर पर नहीं चलाया जाता है। इसमें वे नव इकाईयाँ व स्थान वासिल बर लिये जाते हैं, जिनमें 5 लाख रुपये से बहुत पूर्ण लगी हुई होनी है।”² श्री चिन्तामणि देशमुख के मतानुसार, “छोटे पैमाने के उद्योग कुटीर उद्योग से कुछ भिन्न हैं, वह इन अर्थों में भिन्न है कि छोटे पैमाने के उद्योगों में अभिकों द्वारा लगाने वाले छोटे साहमोद्योगी भी सम्मिलित हैं।”

पहले लघु पैमाने के उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत उन उद्योगों को शमिलित निया जाता था, जिनमें 5 लाख रुपये से कम वी पूर्ण का विनियोग हुआ हो और परि शक्ति का प्रयोग हो रहा हो तो 30 से प्रमध तक शक्ति का प्रयोग न हो।

1. “A cottage industry is one which is carried on wholly or partly with the help of the members of the family either as a whole or as a part-time occupation.”


Report of the Fiscal Commission, p. 104.

2. “A Small Scale Industry is one which is operated mainly with hired labour, usually with 10 to 50 hands and is not carried on in the cottage of the worker. It includes all units or establishments having a capital investment of less than 3 lakhs.”

—Ibid., page, 104.

रहा हो तो 100 से कम व्यक्तियों को रोजगार दिया गया हो। लघु-उद्योग बोर्ड की विकारिशी को गान कर भारत सरकार ने, इसकी परिभाषा में सुधार कर दिया और अब उन उद्योगों के लघु उद्योगों के अन्तर्गत रखा गया, जो प्रति पारी शक्ति के प्रयोग के साथ 50 व्यक्तियों से कम को तथा विना शक्ति के प्रयोग के 100 व्यक्तियों से कम को रोजगार देते हो। भारत सरकार ने लघु उद्योगों की परिभाषा में मूल संशोधन दर दिया। अब कुटीर उद्योग में ऐसी ओलोगिक इकाइयाँ सम्मिलित की जाने लगी हैं, जिनमें पूँजी विनियोग 5 लाख रुपए से कम का हो, ताहे रोजगार पाने वाले शक्ति कितने ही बड़ों न हो। केन्द्रीय लघु उद्योग बोर्ड (Central Small Scale Industries Board) की विकारिशी के आधार पर लघु पैमाने के उद्योग की परिभाषा में 1966 में फिर एसंशोधन किया गया। नवीन संशोधित परिभाषा के अन्तर्गत पूँजी विनियोग की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ा कर 7.5 लाख रुपए तक दी गई है। पूँजी विनियोग से जात्यय केवल बन एवं मर्मान्तर पर किए गए विनियोग से है, भूमि व भवन पर विधा गया विनियोग सम्मिलित नहीं है। इस परिभाषा में भी शक्तियों वी संख्या पर जोर नहीं दिया गया।

कुटीर एवं लघु-उद्योगों का वर्गीकरण : राज-कोषीय नायोग ने मुटीर एवं लघु उद्योगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है-



कुटीर उद्योग दो प्रकार के होते हैं—गर्मीय एवं शहरी। गर्मीय कुटीर उद्योग भी दो प्रकार के होते हैं—जर्पकालीन व पूर्णकालीन। अल्पकालीन कुटीर

उद्योगों के अन्तर्गत कृषि में सहायता पहुँचाने वाले उद्योग आते हैं, जैसे ट्रैकरी बनाना, रेशग के कीटे पालना, हाथकरघा आदि।

पूर्ण-कालीन कुटीर उद्योग के अन्तर्गत वे उद्योग आते हैं, जिनमें गांव के रहने वालों को पूरे समय के लिए रोजगार मिलता है, जैसे, मिट्टी के बत्तें बनाना, बढ़ईगीरी करना, लुहारगोरी, इत्यादि। शहरी कुटीर उद्योग भी दो प्रकार के हो सकते हैं—अल्पकालीन व पूर्णकालीन। सामान्यत शहरों में पूर्णकालीन उद्योग ही पाये जाते हैं, जैसे नोने-चांदी का काम, लकड़ी के खिलौने बनाना तथा रेग आदि के कार्य। अल्पकालीन कुटीर उद्योग शहरों में प्रायः कम व्यधनाएँ जाते हैं। पतंज बनाने का उद्योग प्रायः अल्पकालीन होता है।

लघु-उद्योग दो प्रकार के होते हैं—(१) शहरी तथा (२) ग्रामीण। शहरी लघु उद्योग को भी दो हिस्सों में बाटा जा सकता है—अल्पकालीन व दीर्घकालीन। अल्पकालीन शहरी लघु उद्योग में वे काम आते हैं, जिनमें कारीगरों को मौसम-विशेष में योद्धे समय के लिए काम मिलता है, जैसे ईट बनाना। पूर्णकालीन शहरी लघु उद्योग में शहरों के स्थायी ह्य से बचने वाले कारखाने आते हैं, जैसे, चमड़े के कारखाने, होजरी के कारखाने आदि। अलाकालीन ग्रामीण लघु उद्योगों के अन्तर्गत गांव के मौसमी उद्योग आते हैं, जैसे गुड़ या लड्डारी बनाना। पूर्णकालीन लघु-उद्योग में वयं भर नलने वाले छोटे-पोट उद्योग आते हैं, जैसे-इूते बनाना, कालीन बनाना इत्यादि।

कुटीर एवं लघु उद्योगों पर महत्वपूर्ण अवश्यकता भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कुटीर उद्योगों के गहरव के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने कहा था, “भारत का डाढ़ार कुटीर उद्योग-घन्थों द्वारा हो सम्भव है।” बड़े पैमाने के उद्योगों पर बल देने वाले स्वर्गीय प्रधान मंत्री प० जवाहर लाल नेहरू भी कुटीर व लघु उद्योगों के महत्व से अनिन्दित नहीं थे। एक स्थान पर उल्लेख कहा है, “भारत तभी एक औद्योगिक राष्ट्र होगा जबकि यहाँ पर लादों की सूखा में छोटे-छोटे उद्योग हो। देश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विभाग में इन उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। योजना व्यायोग के शब्दों में, ग्रामीण उद्योगों को विकासित करने का ग्रामीण उद्योग, कार्य के अवसरों में वृद्धि करना है, अत्य एवं रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाना तथा एक अधिक सतुरित एवं एकीकृत अर्थ-व्यवस्था का गिरण करना है।”¹ इन उद्योगों का महत्व अत्यन्तिरिक्त कारण से बहुत अधिक है।

1. The primary object of developing small industries in rural areas is to extend work opportunities, raise incomes and standard of living and to bring about a more balanced and integrated rural economy.”

—Planning Commission,

1 कुटीर व लघु-उद्योग वेरीजगारी व अद्वै रोजगारी को दूर करते हैं भारतवर्ष में क्लोजगारी व अद्वै रोजगारी की समस्या का हृल बहुत बुल हड तर्फ कुटीर व लघु उद्योगों के विकास में ही निर्भ्रहत है। भारतीय किसान जो कि वर्ष में आधे से अधिक दिन तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, इन उद्योगों के द्वारा अपने खाली संग्रह का सहायता कर सकता है। वेरीजगार व्यक्ति छोट उद्योगों की स्थापना करने अपना भरण पोषण कर सकते हैं। वहे यारत्तालों की अपेक्षा लोटे लघु व कुटीर उद्योगों में ज्यादा लोगों को काम मिल सकता है। भारतवर्ष में इस समय अनुमानत कुटीर उद्योगों में 2 करोट व्यक्ति लग हुए हैं। केवल हस्तकर्षा उद्योगों में ही 50 लाख लोग लगे हुए हैं जो भी सराठित उद्योगों (बल पैसाने के उद्योग, शृणिज एवं यामान उद्योग) में लग हुए व्यक्तियों के दरावर हैं। अत वेरीजगारी की अमर्दार के समाधान की आशा केवल लघु व कुटीर उद्योगों द्वारा ही की जा सकती है।

2 कम पूँजी की आवश्यकता कुटीर उद्योगों को चालू करने के लिए अल्पवाल मरीनो एवं बड़ी इमारतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुटीर उद्योग पूँजी प्रधान (Capital intensive) न हावर अम प्रधान (Labour intensive) होते हैं। अत भारत जैसे देश के लिये इहा यामा यत् पूँजी का अभाव पाया जाता है, कुटीर व लघु उद्योग वड अनुकूल यादित हो सकते हैं। क्योंकि इन्हे कम पूँजी से चलाया जा सकता है तथा अधिक श्रमिकों को काम दिलाया जा सकता है।

3 आधिक विधमता का नियन्त्रण वड यैशाने के उद्योगों के कारण देश ग एक और नियन्त्रण का सम्भाल विद्यमान है तथा लोम जीवन की अनिवार्यताओं को भी पूरा करने में अपने को असाध्य पाते हैं, तथा दूसरी ओर अतुल बैमद नवर आता है। यह सामाजिक व्याप की हडिट में अनुचित है। कुटीर उद्योगों के विकास से इस प्रवार की आधिक विधमता पैदा नहीं होती। कुटीर एवं लघु उद्योग प्राय परिवार क सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं और जहां बेतन भोगी श्रमिकों से काम कराया जाना है, वहां भी उनका अधिक शोषण नहीं हो पाता, क्योंकि उत्पादक एवं श्रमिकों में निकट का सम्पर्क बना रहता है। ऐसे उद्योगों का प्रबन्ध प्राय व्यक्तिगत अवधा सामनारी पर जाधारित होता है, जिनकी पूँजी और आप दोनों ही आधिक नहीं होती, अन्यरूप इनके स्वामी भी आधिक वनकान नहीं बन पाते।

4 भूमि पर से जनभार का कम होना भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भूमि पर बनसक्या का भार अध्यधिक बढ़ा हुआ है। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के द्वारा ग्रामीण जग सुखा के एक बहुत बड़े भाग को भूमि पर से हटाया जा सकता है और राष्ट्राधिक कामी पर लगाया जा सकता है। इसमें भूमि पर भार कम हो जायेगा और कृषि जीते व्यावर हो जायेगी।

५. उद्योगों का विकासन्दीकरण : उद्योगों के केन्द्रीयकरण के कारण कई नगरों में अनेक समस्याएँ पैदा हो गई हैं तथा आवास की समस्या, नैतिक पतल एवं अस्वस्थ बातावरण जैसी समस्याएँ भी इनी के परिणाम हैं। ऐन्ड्रीयकरण की इन समस्याओं का नियाकरण कुटीर उद्योगों के विकास से दूर किया जा सकता है, क्योंकि कुटीर उद्योग देश के विभिन्न क्षेत्रों में चलाये जा सकते हैं। इनके लिए किसी स्थान-विशेष में केन्द्रित होना जहरी नहीं है। इनका विकास ग्रामीण व नगरी क्षेत्रों में समानता के साथ किया जा सकता है।

६. औद्योगिक संघर्षों से मुक्ति : कुटीर व लघु पेमाने के उद्योगों में पूँजी-पतियों व धर्मिकों के बीच नहीं होते। काम करने वाले प्रायः मध्ये धर्मिक होते हैं। यदि कोई पूँजी लगता भी है तो भी पेमाना ढोटा होने के कारण वह अपने धर्मिकों की समस्याओं से पूँजत परिवर्त होता है। इन समस्याओं के उत्तरण होते ही उनका समाधान वर दिया जाता है। इस प्रकार कुटीर व लघु उद्योगों के विकास से हड्डाले व लाले विद्यार्थी नहीं होती। औद्योगिक वातावरण सधर्षण न होकर सहृदयगमय होता है।

७. राष्ट्रीय आय में वृद्धि : कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास से जनसुख्या के एक बहुत बड़े माम को काम मिलता है, जिसमें देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee) के अनुसार भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय में, विद्यालयात्री उद्योगों की अपेक्षा लघु-उद्योगों का योगदान प्रति वर्ष अधिक होता है।

८. उत्पादित माल की श्रेष्ठता : कुटीर उद्योगों के लिए भारत प्राचीनकाल से प्रसिद्ध रहा है। कुटीर उद्योगों द्वारा बना हुआ माल श्रेष्ठ होता था तथा बफनी कलात्मक प्रवृत्ति वे लिए विद्वन्विद्यान था। आज भी कुटीर उद्योगों द्वारा बनाया गया माल अपेक्षाकृत अधिक कलात्मक एवं टिकाऊ होता है, वयोंकि इसे दवाने में कलाकार अपनी आत्मानुभूति से काम करता है, अन सामाजिक कुटीर उद्योगों का दवा हुआ माल अपेक्षाकृत अधिक होता है।

९. सहायक आय का उत्तम साधन कुटीर एवं लघु उद्योगों को अपनाकर गांव के सतिहर धर्मिक और नगरों में काम करने वाले धर्मिक अपनी जागदनी को बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार अपने रहन-सहन के स्तर को सुधार सकते हैं।

१०. कर्तव्य की स्वतन्त्रता : कुटीर व लघु उद्योगों में धर्मिकों को सकौन को तरह काम नहीं करता पड़ता। धर्मिक या कार्यीकर स्वतन्त्रापूर्वक एवं सुविशेषकुमार कार्य करते हैं। भारतीय कृषि का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है कि सोल स्वेच्छा से एवं स्वतन्त्रापूर्वक काम करता चाहते हैं। अतः कुटीर व लघु-स्तरीय उद्योग भारतीय लोगों के स्वभाव के अनुकूल पड़ते हैं।

11 समाजवादी समाज की स्थापना के अनुरूप देश में सही अर्थों में समाजवादी समाज की स्थापना उनी समझ हो सकती है, जबकि बड़े-बड़े उद्योगों की व्यवस्था कुटीर व लघु उद्योगों का विकास देश के कोने कोने में किया जाय। बड़े उद्योग आधिक विषयता को जन्म देते हैं, जबकि छोटे उद्योग इसे कूर करके गमत्त-पादी समाज की स्थापना में योगदान देते हैं।

12 राष्ट्रीय असम निर्भरता में सहायक यदि देश को आधिक क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाता है, तो पहली बार्थ कुटीर व लघु उद्योगों से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा से हो सकता है। ये उद्योग कम पूँजी से, विभिन्न वर्तुओं के उत्पादन के लिए देश भर में चलाये जा सकते हैं। बड़े पैमाने पर हर एक चीज के उत्पादन के लिए हमारी देश में माध्यनों का सुविधाज्ञों की कमी है। देश में कुटीर उद्योगों के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है।

13 सचालन की सरक्षा कुटीर एवं लघु उद्योगों का सचालन सुरक्षा में किया जा सकता है। व्यापक इनके लिए न ही अधिक पूँजी चाहिए, और न ही वहूँ अधिक प्रगतिशील कर्मचारी। इनके औरंगार भी देश में ही बनाये जा सकते हैं और इन्हें कच्चा माल भी सामील क्षेत्रों से भिल जाता है। अधिक भी आलानी से उत्पलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योगों का सचालन अपेक्षाकृत सरल एवं मुद्दियापूर्ण है।

14 मात्र के अनुरूप उत्पादन कुटीर व लघु-उद्योगों में उत्पादन व उपभोक्ता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है। उत्पादक, उपभोक्ता की रुचि व मौलिकी की मान्दा से परिचित होते हैं, अत उत्पादन उपभोक्ताओं की रुचि ने अनुमार उत्तरा ही किया जाता है, जितनी कि उनकी प्राप्त होती है। कुटीर व लघुस्तरीय उद्योगों में व्यवस्थिक उत्पादन या न्यून उत्पादन की समस्या पैदा नहीं होती।

15 देश की सम्पत्ति एवं सहकृति के अनुरूप भारतीय लोग सहयोग, सहानुभूति, समाजता, सहकारिता, भाईचारे की मानवता सत्य सुवेदके विकास की मानवता में सुरैव से ही विश्वास रखते चले आये हैं। कुटीर उद्योग इन्ही मानवताओं के पोषक है। बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास में विदेश, स्वार्थपरता, धोषण, कटूता, गला काटने वाली प्रतिस्पर्धा आदि अमानवीय प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिलाता है। अत ये उद्योग हमारी सम्पत्ति व सहकृति के अनुकूल नहीं हैं।

16 देश की सुरक्षा के अनुकूल आधुनिक युद्ध में दाढ़ देश के आधीनिक नश्तरों के औद्योगिक स्तरानों को पहले नाप करने की चेष्टा दरते हैं, ताकि उन वेश की वर्ष अद्यस्था को हिल भिल किया जा सके। कुटीर एवं लघु-उद्योगों की प्रधानता होने से देश को इस प्रकार की असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ता।

17. मात्रबीम मूल्यों की रक्षा : बड़े पैमाने के कारखानों में अमिक भी एक प्रकार की कार्य करने की मशीन बन जाता है। बड़े पैमाने के उद्योगों की प्रगति के फलस्वरूप उत्पन्न औद्योगिक नगरों में अमिकों का सामाजिक एवं नैतिक उत्थान लक जाता है, तथा मात्रबीम मूल्यों को आधात पहुंचता है, जबकि कुटीर एवं लघु-उद्योग से साधे जीवन एवं उच्च विचार की भावना पैदा होती है तथा मानवीय भूल्पों की रक्षा होती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की अर्थ-व्यवस्था में कुटीर एवं लघु-उद्योगों का विशेष महत्व है तथा इन उद्योगों के विकास को अत्यधिकता बहुत अधिक है। सन् 1956 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में इन उद्योगों की आवश्यकता एवं महत्व पर उल्लेखनीय जोर दिया गया है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव में यह पहुंच गया था कि "कुटीर एवं लघु उद्योग बड़े पैमाने पर तात्कालिक रीजणर प्रदान करते हैं, राष्ट्रीय आव के अधिक ल्यायोचित वितरण को सम्भव बनाते हैं तथा पु भी एवं योग्यता सम्बन्धी प्रसाधानों के अधिक प्रशावर्ग शोषण में सहायक होते हैं। यदि देश भर से औद्योगिक उत्पादन के छोटे-छोटे केन्द्र हस्तित कर दिए जाय तो अनियोगित नामीन रथ को सगरमा का बहुत कुछ समाधान हो सकता है।"¹² भारत सरकार की यदि देश की व्यर्थ व्यवस्था को सन्तुलित करना है तो उसे बड़े उद्योगों के साथ कुटीर उद्योगों के विकास पर भी समुचित ध्यान देना पड़ेगा। डा० श्वामा श्रसाद मुकनी के शब्दों में, "भारत गीवों का देश है, अतः सरकार की एन्टुलित अर्थ-व्यवस्था की इस्ति से कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को सुर्वाधिक महत्व प्रदान करना चाहिए।"

कुटीर उद्योगों का महत्व आज विश्व के सभी देशों में स्वीकार किया जा रहा है। कान्स, जर्मनी, इटली तथा रिवटजरलैंड में इन उद्योगों ने उल्लेखनीय प्रगति ची है। कान्स में सेरीकल्चर, सिल्वी कल्चर तथा नाइन कल्चर कृपकों के प्रमुख सहायक धन्धे हैं। रिवटजरलैंड में यही निर्माण सम्बन्धी वार्य सहायक उद्योग के रूप में ही विद्या जाता है। चीन एवं जापान में लासों परिवार अपने खात्री गम्य में बोक्त दालते हैं। कान्स में प्राय उभी कारखानों में 100 से बहु अमिक हैं। जापान में 80 प्रतिशत तो भी वर्षिक कारखानों में 30 से कम तथा बेल्जियम ने 90 प्रतिशत कारखानों में 5 से भी कम अधिक कार्य वरते हैं। इमलैंड में 5 से 30 वर्षियों

1. "They provide immediate large scale employment, they offer a better method of ensuring a more equitable distribution of national income and they facilitate an effective mobilisation of resources of capital and skill which might otherwise remain unutilised. Some of the problems that unplanned urbanisation tends to create will be avoided by the establishment of small centres of industrial production all over the country."

—Journal of Industry and Trade, Jan, 63.

को काम दिलाने वाले गरमानों की गत्ता काफी है, जिनमें कुल अग्र व्यक्ति के 29 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जमीनी में 12.6 प्रतिशत जनसंख्या जमीनी जीविका के लिए कुटीर उद्योगों पर निर्भर करती है। यहाँ तक कि अमेरिका में सन् 1965 में 95 प्रतिशत कारखाने लघु उद्योगों के क्षेत्र में थे, जिनमें देश के 40 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला हुआ था। इस प्रकार विश्व के जब सभी देशों ने कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व को समझ कर इन्हे अपनाया है तो भारत में इन उद्योगों का महत्व तो और भी अधिक है।

कुटीर एवं लघु उद्योगों की कठिनाइयां एवं समस्याएँ भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कुटीर उद्योगों के महत्व वो सभी स्वीकार करते हैं। लेनिन इन उद्योगों का विकास भारतवर्ष में उचित हप से नहीं हो पा रहा है। इन उद्योगों के विकास के मार्ग में कही कठिनाइया एवं समस्याएँ हैं। जब तक इनका नियन्त्रण नहीं हो जाता, कुटीर एवं लघु उद्योग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकते। ये कठिनाइयाँ अथवा समस्याएँ निम्नलिखित हैं-

1 वित्त सम्बन्धी कठिनाई कुटीर व लघुसंतरीय उद्योगों को कल्पा माल खरीदने, शित्यों को अंगदूरी देने, व हैमार माल के सबह के लिए अल्पकालीन आण की आवश्यकता होती है। मशीन, जोगार व भवल निर्माण के लिए मध्य व दीर्घकालीन आण की आवश्यकता पड़ती है। भारतवर्ष के शिल्पी निर्धन हैं और वे उपर्युक्त कारों के लिए पूँछी नहीं एकत्र कर पाते। महाजगो, सांगोपारो आदि से आण लेते पर एक तो व्याज अधिक देता पड़ता है, दूसरे ये लोग शिल्पियों के माल को बहुत सस्ता लाती वर उनका शोषण करते हैं। बम्बई अर्थिक तथा औद्योगिक जाव संिति 1940, ने अपने प्रतिवेदन में ढीक ही लिया है, “लघु तथा मध्यम आकार के उद्योगों की स्वीकृत्यावधि गमन्या वित्त की है। अविकाशित ये उद्योग किसी एक व्यक्ति के अधिकार में अक्षय साझेदारी में चलाये जाते हैं और उनके पास अपने खोजारों की दशा सुधारने के लिए पर्याप्त बन नहीं होता है। उनके पास कच्चे माल की स्थानीयता के लिए भी व्यावस्थक पूँछी नहीं होती और जब दाहर से आण लेना पड़ता है, तो उन्हें उंची दर से व्याज देना पड़ता है।”

2 कच्चे माल की समस्या इन उद्योगों की उचित मूल्य पर, उचित समय पर तथा उचित मात्रा में कल्पा माल नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये उद्योग भी प्राय उसी कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, जिन पर वडे उद्योग निर्भर करते हैं। वडे उद्योग वही मात्रा व ये नश्चित हप में कच्चे माल का व्यवहार है, अत उन्हें जच्छा, सस्ता व मध्यम पर माल मिल जाता है, जबकि सांटे उद्योगों के साथ से सुविधायें नहीं हैं। आपात किया हुआ कल्पा माल भी उन्हें बहुत देर से मिलता है। यही नहीं,

लघु-उद्योगों की जहू-निर्मित (Sesji)-finished) माल, जेसे मशीनी धागा, ट्रॉक वीचल की आदरे प्राप्त बरते में भी कठिनाई होती है।

3 उत्पादन की स्थिरादादी पद्धति हमारे कुटीर व लघुस्तरीय उद्योग अब भी प्राचीन औजारों का हो गये कर रहे हैं। उनके उत्पादन का डग भी बही पुराना है। इन कारबों के परिणाम स्वरूप दून उद्योगों में न तो उच्चबोधी बा और न ही उच्चास सजाक बन पाता है। इन उद्योगों के स्वरूप मध्यमधार की सुविधाओं का अभाव है यदा उचित प्रशिक्षण की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे शिल्पकार नवीन पद्धतियों एवं औजारों के प्रयोग से बचित रह जाते हैं।

4 विषयन की समस्या इन उद्योगों को पर्यावरण व विज्ञान की सुविधा नहीं होने के कारण, शिल्पियों की ऊँगड़स्ती, सगड़न के अन्नाव राष्ट्र मध्यमधारों की अधिकता के कारण, अपन उत्पादित माल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। प्राय लाभ का 40 प्रतिशत तक भाग मध्यस्था हारा हृदय निखा जाता है।

5 बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा बड़े वैभासे के उद्योगों को अपने वैभासे की विशालता के कारण कारबाने का अन्तर्रिक व बाहु बचते प्राप्त होती है। उनकी लागत व्यय बहुत कम हो जाती है। इसके विपरीत छोटे व कुटीर उद्योगों को ऊ चो लागत होने के कारण सस्ता माल बेचने में कठिनाई होती है। अत वे प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते। भारतवर्ष में कई कलात्मक घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा के कारण ही समाप्त हो गये हैं।

6 सगड़न का अभाव बुटीर उद्योग को चलाने वालों में सगड़न का अभाव है, जिससे कच्चे माल के खरीदने, दने हुए माल को बेचने, विज्ञापन करने, सामाज लाने व ले जान, वित्र प्राप्त करने आदि से कठिनाई होती है। बड़े वैभासे के उद्योगों को सगड़न के कारण समाप्त लाभ प्राप्त होते हैं, जबकि कुटीर व लघु-उद्योग सगड़न के अभाव में पिछड़े हुये रह गए हैं।

7 न्यायीय करों का बढ़ता हुआ नार भारतीय गामोज देशों में उथा छोटे-छोटे कस्तों में स्थानीय सरकारों ने अपनी आद्य को बढ़ावे के लिए अपने देशों से होकर जाने वाले माल पर कर मृद्दि की है। इससे कुटीर व लघु-उद्योगों को काफी झटि पहुँची है, यदोकि उनकी बस्तुयें और भी अधिक गहरी हो जाती हैं।

8 उपभोक्ताओं की अवृद्धि उपभोक्ता सस्ता व अच्छा माल प्राप्त करते हैं। कुटीर उद्योगों का माल अपेक्षाकृत अहंकार पड़ता है। अत लोग इन्ह वहाँ लरीदते। स्वदेशी भावना नी भी उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है। लोग विदेशी, सस्ते व दिसावटी माल को प्राप्तिमिक्ता देते हैं। परिणाम यह होता है कि इन उद्योगों को अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

9 शिलिपियों की अविज्ञा भारतीय शिल्पकार अधिकृत है। विज्ञा के अभाव में उन्हें दर्शित प्रशिद्धि नहीं दिया जा सकता। अविज्ञा के कारण ही उन्हें नम्बरस्थ ठांडे हैं तब्दा ने सचाइ नहीं बना पाते। विज्ञा के अभाव में ही उन्होंना दृष्टिकोण भी सकृदित व सीमित होता है, जो उन्हें विकास की ओर नहीं जाने देता और वे हृषिकायी यातावरण में भीड़ी बहुत प्रगति करके संतुष्ट ही जाते हैं।

10 उत्पादन का सीमित क्षेत्र भारतवर्ष में कुटीर उद्योग जनसाधारण के लिये आवश्यक बस्तुओं का उत्पादन न करके, विज्ञासिता की बस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इन बस्तुओं का मूल्य ऊँचा होता है कौर य बस्तुय सीमित भाग रखती है। किसी समय कारोबारों को इन बस्तुओं के निर्माण से बहुत लाभ हुआ करता था, परन्तु राजाओं, नवाबों व जमींदारों का युग समाप्त हो गया है और इन बस्तुओं का कच्चा मूल्य जनसाधारण नहीं दे सकते।

11 शिलिपियों ने सहयोग व सहकारिता का अभाव भारतवर्ष में इन उद्योगों को सहकारिता के आधार पर चलाने की चेष्टा नी जा रही है। सहकारी आनंदीकाल की प्रगति हमारे देश में भीमी रही है, फलस्वरूप इन उद्योगों को भी विकास के समुचित कदम प्राप्त नहीं हुए। मर्केट व वाडिया के मतानुसार अभियोग में सहयोग सथा सहकारिता का अभाव कुटीर उद्योगों के विकास में बाधक बन रहा है।¹

12 बड़ीनंदी तथा औजारों का अभाव भारतवर्ष में लघु उद्योगों के लिए बड़ीनंदी एवं औजार या तो पिछले ही नहीं और नदि मिलते हैं तो उनके लिए बहुत लंबे दाम देने पड़ते हैं। जिन जगहों पर लघु उद्योग विद्युत का प्रयोग करने लगे हैं, वहाँ प्रायः विद्युत नियमित रूप से नहीं प्राप्त होती और यदि मिलती भी है तो उसके लिये अधिक ऊँची दर देनी पड़ती है।

सुझाव :

भारतीय जैव व्यवस्था में कुटीर उद्योगों को एक योद्धवूर्ण सूमिरा निभानी है। परन्तु इन उद्योगों की कठिनाइयों व समस्याओं का हूँल निकालने पर ही में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनकी कठिनाइयों व समस्याओं को पूर करने के मुद्दों में अत्रालिखित महत्वपूर्ण हैं-

1 बड़े उद्योगों के साथ सहयोग कुटीर एवं लघु-उद्योगों एवं वडे ने मात्रे के उद्योगों के पश्च पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा को दूर करने के लिये इन उद्योगों के राख-

¹ *Media and Merchant Our Economic Problems* p. 86

खेत को जहाँ तक सम्भव हो बर्ग कर देना चाहिए। यदि यह सम्भव न हो तो जापान की तरह हमारे देश में भी छोटे और यह पैमाने के उद्योगों को विभिन्नित रूप से देया एक दूसरे के पुरक के रूप में उत्पादन कार्य करना चाहिए।

2 सुसंगठित विद्री व्यवस्था कुटीर एवं लघु उद्योगों द्वारा नियमित माल की विद्री के लिए यथोचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इन उद्योगों द्वारा नियमित माल की विद्री के लिए नगरों में विद्री बेन्ड खोले जाने चाहिए। देश-विदेश में इनके माल की प्रदर्शनिया आयोजित की जानी चाहिए। विद्री एवं विज्ञापन के लिए महकारी विक्री समीतियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

3 तकनीक में सुधार कुटीर एवं लघु उद्योगों की तकनीकी कुशलता बढ़ान के लिए, इन उद्योगों में प्रयोग में लाये जा रहे औजारों एवं उत्पादन विधियों में सुधार किया जाना चाहिए, तथा तकनीक सुधारने के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिए।

4 उचित प्रशिक्षण कुटीर एवं लघु उद्योगों में लगे कारीबरों को उत्पादन की आगुन्तकात्म विधियों की जानकारी कराई जानी चाहिए। उन्हें यथोचित प्रशिक्षण की सुविधामें दिलाने के लिए विभिन्न हस्तक्षणों से सम्बन्धित औद्योगिक विद्यालय खोले जाने चाहिए।

5 मशीनरी एवं औजारों की पूर्ति कुटीर एवं लघु उद्योगों को आगुन्तकात्म विधियों से सुलझाया करने के लिए किस्त खरीद-पद्धति (buy-purchase system) पर औजार दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन औजारों के मार्गीन शोओं में प्रदर्शन किये जाने चाहिए। इस दिला में मार्गदर्शी वर्कशॉप (Pilot Work Shops) महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

6 कच्चे माल की पूर्ति राज्य गरकारों की सहायता एवं सहकारिता के आधार पर, लघु उद्योगों को, कच्चे माल की उचित समय, उचित मात्रा एवं उचित मूल्य पर प्राप्त होने की सुविधा दिलाई जानी चाहिए।

7 वित्त सम्बन्धी सुविधा कुटीर एवं लघु उद्योगों को वित्त सम्बन्धी कठिनाई से बचने के लिए, अपनी सहकारी समितियां बनानी चाहिये, जो उचित समय पर इन व्यष्टि दर पर आवश्यक वित्त उपलब्ध करा सकें। नगरों में लघु उद्योगों को साझे प्रदान दरवे के लिए राज्य वित्त नियम बज़ल नाथन हैं, यदि वे अपनी कार्य प्रणाली की लालफीतेशाली से बचा सकें।

8 अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कुटीर एवं लघु उद्योगों के सम्बन्ध में इन बातों की जांच की जानी चाहिए कि बनेसान कुटीर एवं लघु उद्योगों में कौन से उद्योग ऐसे हैं, जो उन्नति कर सकते हैं तथा कौन से नए उद्योग जाभ में उल्लंघन जाकरते हैं।

भारत में कुटीर व लघु उद्योग

इस जानकारी पर प्रमुख कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम निर्दिष्ट किये जाय।

9. सर्वस्ती विजली की सुविधा जापान एवं हिंदूबरडे ने कुटीर एवं लघु-उद्योगों के विकास में सर्वस्ती विजली की सुविधा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय उद्योगों की प्रगति के लिए यहाँ भी सर्वस्ती विजली की सुविधा दिलाई जानी चाहिए, ताकि इनकी कार्य-मुश्किलता ने बढ़ि हो सके।

10. अच्युत सुजाता कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए उपर्युक्त वर्णित सुझावों के अतिरिक्त गुण अच्युत सुजाता भी दिये गए हैं, जैसे, (i) कुछ विशेष उत्पादन क्षेत्र लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित कर दिये जाने चाहिये, (ii) लघु उद्योगों के प्रत्येक उद्योग के लिए एक-एक ऐसी सस्था बनाई जावे जो सम्बन्धित उद्योगों की समस्याओं को हल कर सके, (iii) लघु उद्योगों के उत्पादन की श्रेष्ठता के स्तर विधारित किये जाने चाहिये तथा इन्हे समस्त उद्योगों पर लागू किया जाना चाहिए; तिधीरित किये जाने चाहिये तथा इन्हे समस्त उद्योगों पर लागू किया जाना चाहिए; (iv) कुटीर एवं लघु उद्योगों की वस्तुओं को विक्री कर, उत्पादन कर, विर्यात कर आदि करो से गुन्हा कर दिया जाना चाहिये, (v) देश में स्वदेशी भावना का लोगों में प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि लोग इन उद्योगों की वस्तुओं को यथै एवं चाव से खरीदें, (vi) विविधों को औद्योगिक सहकारी समितियों (Industrial Co-operatives) का गठन करके अपना सम्बन्ध ढड़ करना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन दल (International Planning Team) द्वारा दिए गए सुझाव कोड़े फाउन्डेशन हारा नियुक्त विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय दल ने सन् 1954 में निम्नलिखित प्रमुख सुझाव दिये।

1. देश के मिल भागों में चार बहुउद्देश तकनीकी मस्थान (Multipurpose Institute of Technology) की स्थापना की जाय। ये सम्पाद लघु उद्योगों को व्यावसायिक प्रबन्ध, वित्त तथा विक्रम सम्बन्धी महाराह प्रदान करेंगी।

2. नमस्ता सम्बन्धी एक राष्ट्रीय विकास (A National School of Design) की स्थापना की जाय। इस सम्बन्ध में कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिए नए-नए नमस्ता तथा डिजाइन आदि के सम्बन्ध में शिक्षा प्रदान की जायेगी।

3. लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विक्री के लिए एक पिक्चर सेवा नियम (A Marketing Service Corporation) की स्थापना की जाय, जो लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विक्रम व्यवस्था करे।

4. एक लघु उद्योग नियम (Small Industries Corporation) बनाया जाय। उत्पादन, प्रशिक्षण एवं तकनीकी विकास के लिए प्रदर्शनाये छोटे-छोटे केन्द्रों को बोला जाय।

5 दो निर्धात समर्थन कार्यालय (Export Promotion Office) से ले जाए, जिनमें से एक उत्तरी अमरीका में तथा दूसरा यूरोप में स्थान जाय।

गवर्नर ने इस दल की विफारियों के बाधार पर लघु-उद्योग सेवीय तकनीकी सम्पादन, राज्य वित्त निगम, राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम और विपणन सेवा सुगठन, आदि की व्यवस्थाएँ नी हैं।

कबैं समिति के सुझाव

प्रौ० कबैं की जन्मधिकार में ग्राम तथा लघु-उद्योग समिति (Village and Small Scale Industries Committee) ने सन् 1955 में असलिलित मुदाच दिये

(i) लघु उद्योग सहकारिता के बाधार पर स्थापित किये जाय, (ii) कबैं-विद्य समितियों को रखापना की जाय, (iii) राष्ट्रीय सहकारी विकास व गोदान निगम (National Co-operative Development and Warehousing Corporation) को लघु-उद्योगों की भी सहायता करनी चाहिए, (iv) स्टेट बैंक व रिजर्व बैंक द्वारा लघु-उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, (v) राज्य वित्त निगम द्वारा लघु-उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करना चाहिए, (vi) लघु-उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को शाम व लघु-उद्योग मन्त्रालय की स्थापना करनी चाहिए, (vii) कुछ बड़े पैमाने पर चलने वाले कारखानों के उत्पादन की खोपा निर्धारित कर देनी चाहिए, ताकि छोटे उद्योगों को भी वागर प्राप्त हो सके, (viii) बड़े पैमाने पर उत्पादित बस्तुओं के उत्पादन पर उप कर (cess) लगा कर इससे प्राप्त रकम को कुटीर व लघु-उद्योगों के विकास के लिए वाचि किया जाना चाहिए।

अधिल भारतीय लघु-उद्योग के सुझाव अधिल भारतीय लघु-उद्योग सम्बल (All India Small Scale Industries Board) ने अपनी बैठक में जुलाई, सन् 1966 में निम्नलिखित विफारियों की—(i) केन्द्र में एक वित्तीय सम्पा, वित्त-संवर्ती समस्या को मुलझाने के लिए स्थापित की जानी चाहिए, (ii) दुर्लभ कन्जे गाल की पूर्ति का 1/3 भाग लघु उद्योगों को दिया जाय (iii) लघु उद्योगों की पूँजी-सीमा 10 लाख रुपये रखी जाय, (iv) केन्द्रीय लघु-उद्योग संगठन (Central Small Scale Industries Organisation) को सुदृढ़ बनाने के लिए योग्य तकनीकी कमेंचारियों की नियुक्ति की जाय, (v) लघु-उद्योग सम्बन्धी आकड़े प्राप्त करने के लिए लघु-उद्योगों की, राज्य के उद्योग निवेशक से रजिस्ट्री कराना अनिवार्य बनापा जाय।

सरकार द्वारा कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के लिए उठाये गये कदम

भारत में कुटीर व लघु उद्योग

भारत सरकार ने अपनी 1948 व सन् 1956 की ओद्योगिक नीतियों में कुटीर व लघु उद्योगों के विकास पर समृच्छित बल दिया और देश के ओद्योगीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की। इन उद्योगों के लिए निम्नान्वित महत्वपूर्ण कार्य किए गये-

(I) विविध मण्डलों की स्थापना वर्चयि कुटीर व लघु उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी यामान्वत राज्य सरकारों की है, तथापि इन उद्योगों को प्रोत्साहन दिलाने के लिए भारत सरकार ने बहुत से बोर्डों की स्थापना की है, जिनके कार्य काम अलग-अलग हैं। ये बोर्ड सर्वदा उद्योगों के विकास का व्यावेष्य बढ़ाने में सहायता देते हैं। ये बोर्ड निम्नलिखित हैं-

(i) कुटीर उद्योग बोर्ड (Cottage Industries Board) इस बोर्ड की स्थापना लघु उद्योग के विकास के लिए लघु उद्योगों का सर्वेक्षण करने के लिए की जायी।

(ii) अधिक भारतीय साड़ी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (All India Khadi and Village Industries Board) यह बोर्ड जनवरी 1953 में स्थापित किया गया तथा सन् 1950 में साड़ी व ग्रामोद्योग जायोग की स्थापना की गई। यह आयोग साड़ी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिए कार्य करता है। इसके कार्यक्षेत्र में कई ग्रामोद्योग समिलित हैं—जैसा साड़ी तेल साफान, दिघासालाई, गुड, मधुमक्खी-पालन आदि। प्रत्येक राज्य में साड़ी तथा ग्रामोद्योग मण्डल भी इसी कार्य को सम्पादित करते हैं।

(iii) अधिक भारतीय हस्त शिल्प मण्डल (All India Handicrafts Board) इसकी स्थापना नवम्बर मह 1952 में की गई। 1958 में भारतीय हस्त-शिल्प विकास नियम की भी स्थापना की गई। यह बोर्ड दस्तकारी की यस्तुओं के उत्पादन तथा विक्री गे सुधार करने की चाटा करता है। इसने देश भर में 190 से अधिक भागांडर खोलकर शिल्प वस्तुओं की विक्री की व्यवस्था की है। इसने देश में 19 पाइलेट केंद्र खोले हैं, जिनमें प्रशिक्षण, अन्वेषण, परीक्षण आदि कार्य किये जाते हैं।

(iv) अधिक भारतीय हाथ करण मण्डल (All India Handloom Board) हाथ करण उद्योग के लिए सन् 1952 में इस बोर्ड की स्थापना की गई। इसने बूनकरों की सहकारी नियमितियों की स्थापना की है। इसने एक केन्द्रीय बाजार संचालन (Central Marketing Organisation) भी बनाया है।

(v) केंद्रीय विक्री संचालन (Central Marketing Organisation)— सन् 1953 में इस संसद की गई तथा इसका प्रयान कार्यालय मद्रास में

स्थापित किया गया। राज्य सरकारों को रगाई, बुलाई एवं ल्पान्तर के लिए मिले-जुले कारखाने सोने, आचार्निक औजारों की व्यवस्था बनने और विक्री केन्द्र खोलने वादि के लिए आर्थिक सहायता दी गई।

(vi) लघु उद्योग मण्डल (The Small Scale Industries Board) : अन्तर्राष्ट्रीय योजना विशेषज्ञ बल के सुझावों पर सन् 1954 में इसका गठन किया गया। यह लघु-उद्योगों के विकास की योजनाये बनाता है, उन्हें छागु करता है तथा लघु-उद्योगों को प्राचिपिक व अन्य सुविधाएँ देता है।

(vii) नारियल जटा भव्यक (The Coir Board) : यह सन् 1954 में गठित किया गया। यह नारियल की जटा से बनने वाली दस्तुओं को लोकप्रिय बनाता है। यह एक कारखाना भी सोलने जा रहा है, जिसमें नारियल की जटा से उत्तम कोटि की फसों बनाई जायेगी।

(viii) केन्द्रीय रेशम मण्डल (Central Silk Board) : यह सन् 1949 में गठित किया गया था। यह रेशम उद्योग के अनुसंधान व विकास के लिए महत्व-पूर्ण कार्य करता है।

2. तकनीकी सहायता कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास में तकनीकी सहायता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तकनीकी सहायता के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं।

(i) केन्द्रीय लघु उद्योग संस्थान (Central Small Scale Industries Institute) सरकार ने केन्द्रीय लघु उद्योग संस्थान की स्थापना की है, जो अपने सेवा गृह (Service Institutes) एवं प्रसार केन्द्रीय (Extension Centres) के साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की व्यवस्था करता है। अनेक राज्यों में लघु उद्योग सेवा संस्थानों (Small Industries Service Institutes) का जाल साझिला दिया गया है, जो छोटे उद्योगपतियों को नए लघु उद्योग स्थापित करने एवं उत्पादन बढ़ाने में तकनीकी सहायता देते हैं। इस समय भारतवर्ष में 19 लघु-उद्योग सेवा-संस्थान कार्य कर रहे हैं।

(ii) औद्योगिक प्रसार केन्द्र (Industrial Extension Centres) इनकी स्थापना तकनीकी सुधारने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए की गई है जिससे लघु उद्योग अपनी तकनीकी में गुप्तार कर सकते हैं।

(iii) लोकीय तकनीकी संस्थान (Regional Institutes of Technology) लघु उद्योगों को अपनी तकनीकी एवं प्रबन्ध में गुप्तार करने से शाम्बलित गुप्ताव देने के लिए देश में धार लोकीय तकनीकी संस्थानों की स्थापना की गई है।

(iv) नाना समवर्गीय एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई है, जो ए-नए डिजाइन बना कर उनका लघु उद्योग केन्द्रों में प्रदर्शन करता है, जिससे नई मशीनों का प्रयोग बढ़ाया जा सके।

(v) आनोदोग अनुसंधान संस्थान (Village Industries Research Institute) उत्तराधि एवं ग्रामीण उद्योगों से सम्बन्धित अनेक विषयों में अनुसंधान के लिए इसकी रथापना की गई है।

(vi) आविष्कार प्रोत्ताहन मण्डल (Inventions Promotion Board) यह मण्डल इनाम देकर व विद्युतीय सहायता द्वारा विलियों को आविष्कार करने के लिए प्रोत्ताहित करता है।

(vii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation) इसकी स्थापना सन् 1955 में हुई। यह निगम लघु उद्योगों को वित्तीय पर मशीनें दिलवाता है तथा व्यापक की दृष्टि बहुत कम ली जाती है। यह निगम सरकारी विभागों के लिए लघु उद्योगों द्वारा बनाए गए माल की स्वीकृत की भी व्यवस्था करता है एवं आदेश के अनुसार सामान बेंशार करने के लिए दू जी आदि के हथ में सहायता देता है। इससे सम्बन्धित चार संस्थान, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास व दिल्ली में खोले गए हैं।

३ वित्तीय सहायता कुटीर एवं लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता दिलाने के लिए निम्नानुकूल कदम उठाये गए हैं

(i) राज्य सहायते उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम (State Aid to Industries Acts) के अन्तर्गत क्रम प्रदान करती है। दिल्ली एवं त्रिपुरा योजनाओं में कपथ 13 व 17 करोड रु. इन नियमों के अन्तर्गत दिए गए। इन यहां की उपायिता सीधित है, क्योंकि इनकी वर राजि कम और जर्ने कड़ी है।

(ii) सन् 1960 से बैंकों व अम्य बृहण देने वाली संस्थाओं द्वारा गारंटी दिला कर बृहण देने की इम प्रस्तुता को रिजर्व बैंक चला रहा है, ताकि वे भव्याएं विना भव्य के लघु उद्योगों को अद्युत दे सकें। (iii) सन् 1956 में रेस्ट बैंक लघु उद्योगों के वित्तार व विवेकीरण के लिए यव्यकालीन बृहण देता है तथा मशीनों के क्रम के लिए 'किन्तु सात योजना' वे अधीन सात सुविधाएं देता है। (iv) सन् 1951 के राज्य वित्त अधिनियम के अधीन विभिन्न राज्यों में राज्य वित्त निगमों की स्थापना की गई है। ये निगम भी लघु उद्योगों को वित्त मुविधाएं प्रदान करते हैं। ये निगम अचल सम्पत्ति पर 10 से 12 वर्ष तक के लिए सम्प्रकालीन क्रम देते हैं जिससे स्थाई पू. जी की आवश्यकता की पूति ही जाती है। (v) रिजर्व बैंक वित्त नियमों की पू. जी ने हिस्सा लेफर व सहकारी तथा व्यापारिक बैंकों के माध्यम से लघु उद्योगों की वित्त

सम्बद्धी सहायता करता है, तथा (vi) औद्योगिक महकारी मिलियां शिल्पकारों को बागान शर्तों पर कठ सुविधा प्रदान करती हैं।

4 विषण शुभियाएँ वर्वे समिति ने गुप्ताव पर लघु हत्तीय एवं मुटीर सचेतों द्वारा निमित माल को महकारी डग से बेपने के लिए विषण निमित मिलियों व विषण सदों की स्थापना की गई है। इन उद्योगों द्वारा निमित माल की विक्री बटाने के लिए विभिन्न स्थानों पर विक्री बेट्ट खोले गए हैं। बनेक राज्य सरकारों ने वडे वडे नगरों में मुटीर उद्योगों एवं हस्तशिल्पों की फूटाने लाली हैं। सरकार अपने विदेशी दूतावासों तथा अन्य संगठनों द्वारा विद्यों में प्रदर्शनियों का आयोजन न करती है और ऐन्ड्र सोलती है, ताकि इनके नियान में दृढ़ हो सके।

5 औद्योगिक वस्तियों का निर्माण लघु उद्योग बोड के मुपाव पर मन् 1955 से राज्य सरकारों ने औद्योगिक वस्तिया (Industrial Estates) स्थापित करनी प्रारम्भ की है। इन वस्तियों में सरकार भवन, पातावाह, जल, निपित आदि की सेवायें प्रदान करती हैं ताकि उद्योगों का प्रादर्शिक एवं सतुर्जित विकास हो सके। ये वस्तिया 10 से 50 एकड़ टक के क्षेत्र में फैली होती हैं। सरकार यह भूमि देकर उसे ठीक करती है मात्रे बनवाती है तथा विभिन्न फैक्टरियों का निर्माण करती है। सरकार तारीय उपचार (Heat treatment), विजली की भटियों (Electric furnaces) आदि जैसी संयुक्त सेवाओं के लिए बहुशायें स्थापित करती है, जोकि छोट वारखानों से इनका प्रबाध सम्भव नहीं है। अमियो के निवास के लिए धरों की सुविधा भी प्रदान की जाती है। या तो य कंविन्या की ली लरीद ली जाती है या किराया लरीद प्रणाली पर ली जाती है। अगस्त 1959 तक भारत में तुल 501 औद्योगिक वस्तियों विभिन्न व्यवसायों में थी, जिनमें 65 से उत्तम वर्ष कार्य प्रारम्भ हो चुका था।

6 राज्य सरकारों द्वारा सहायता उपर्युक्त मुक्तिवालों के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने मुटीर व लघु उद्योगों के विकास के लिए और भी कई अन्य व्यव विध हैं यथा (i) ममिलित उत्पादन वायव्यम के अन्तर्गत बड लक्षणों से प्राप्त उपकर छोट उद्योगों पर व्यव विधा जाता है (ii) लघु उद्योगों को वरी म हूट तथा दरिवहन व्यव भ रियापत दी जाती है (iii) सरकार नुच चीजों की लरीद केवल लघु उद्योगों द्वारा नियित घस्तुओं की करती है, जैसे—सरकारी निम्न थणों के कर्म खारियों के लिए यूनीफार्म खारी वा ही वराया जाता है। (iv) उत्पादन के कुछ क्षय मुरीदित रख कर मुटीर एवं लघु उद्योगों को कुछ समय के लिए सरकार दिया जाता है, (v) राज्य द्वारा आर्थिक सहायता (Subsidies) देकर लघु उद्योगों की सहायता की जाती है।

सामान्यतः लघु-उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारी ही है। इस उद्योग की पूर्ति के लिए राजी राज्यों में उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries) तथा अन्य सहायक वित्तीय, विक्री एवं साहित्यीय उद्योगों का गठन किया गया है। इन उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की मुख्य कार्यवीति निर्धारण करना, विकास कार्यक्रमों में तालिमेज बैठाना तकनीकी सहायता दिलाना, प्रशिक्षण दिलाना तथा आर्थिक सूचना सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करना है।

पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कुटीर व लघु उद्योग

प्रथम पचवर्षीय योजना में शामोदोग व लघु उद्योगों पर 43 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। द्वितीय योजना के अन्तर्गत (I), कुटीर व लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता की गई। (II) विभिन्न उद्योगों की समस्याओं के निराकरण के लिए विविध महलों का गठन किया गया। (III) कुटीर उद्योगों की पूर्वत उद्योगों की प्रतिरप्ति से व्यवाते की व्यवस्था की गई। (IV) दस चूने हुये गांधीज उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया। (V) बृहत उद्योगों पर उपकरण लगाए गए। (VI) सहकारी संगठन, अनुसंधान, प्रशिक्षण आदि पर बढ़ दिया गया था।

द्वितीय योजना द्वितीय योजना में 175 करोड़ रुपये व्यवहार किये गए। सरकार ने इस योजना में कर्वे समिति यो मुख्य विकासितों पर अमल करने की चेष्टा की। इस योजना में उद्योग-विनाशक-सेवा तथा राज्यों में लघु उद्योग सेवा सम्बन्धी हथापित की गयी। 66 औद्योगिक विकासों का निर्माण किया गया, इनमें शाफ्टों पर प्रयोग वारने वाले लगभग 1,000 लघु-महारीय कारखाने शुरू किये गए।

इस योजना में कुटीर व लघु-उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए योजना अधिकारी ने कहा था, 'द्वितीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य रोजगार देना है। छोटे पैमाने के तथा गांधीज उद्योगों के द्वारा अधिक व्यक्तियों को काम मिलता है। उतनी ही पौंछी उगा कर इन उद्योगों में बड़े उद्योगों की अपेक्षा कही अधिक व्यक्ति चाहते जा सकते हैं। ग्रामों की अर्थ-व्यवस्था का अधिक सुनिश्चित रूप समन्वित विकास हो पाता है।'

इस योजनाकाल में कई छोटे उद्योगों, जैसे — बनोनी औजार, सिलाई यशीन, विजली के पक्कों, मोटरों, इमारती सामान और अन्य औजारी सम्बन्धी उद्योगों में विशेष वृद्धि हुई।

तृतीय योजना तृतीय योजना में अप्रलिखित झेत्री में प्रयत्न पारने के कार्य-अम रखते गए थे

1. उत्पादन में मुधार कर उत्पादन लगात घटाता ।
2. आर्थिक सहायता, अनुदानों, सुरक्षित बाजार आदि की व्यवस्था करना ।
3. गांवी एवं कस्बों में इन उद्योगों का विकास करना ।
4. लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों के सहायक के हैं में विकसित करना ।
5. कारीगरों को सहकारी ढंग पर समर्थित करना ।

तृतीय योजना तृतीय योजना में इन उद्योगों पर 241 करोड़ रुपये व्यय किये गये । इन उद्योगों में 63 लाख व्यक्तियों को पूर्ण कानूनीत रोजगार तथा 80 लाख व्यक्तियों को असमिक्त तथा अद्वैत-रोजगार दिलाया गया । जूते, चमड़, वाइस्कल, सिलाइ की मशीनों विजली के पांच, हाथ के बोजारों, रम, वार्मिंग, साबुन आदि के उत्पादन में इस योजनाकाल में 25 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई । तृतीय लघु-उद्योग निगम ने 1965-66 में 24.4 करोड़ रुपये के मूल्य की 16,000 मशीनें दिलवाई । इस योजना के अन्तर्गत इन उद्योगों के नियोंत्रण में भी वृद्धि हुई । 1960-61 की तुलना में नियोंत्रण 23 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1965-66 में 54 करोड़ रुपये के बराबर हो गया ।

वार्षिक योजनाओं में इन उद्योगों पर 132 करोड़ रुपये विद्युत व्यय हिए गए ।

चतुर्थ योजना (1969-74) इस योजना में सहकारी खेत्र में ग्राम एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए कुल 293 करोड़ रुपए की व्यय व्यवस्था है । इस योजनावधि में नियोंत्रण द्वारा लगभग 560 करोड़ रुपए की पूँजी लगाए जाने की आशा है । चौथी योजना के कार्यक्रम के उद्देश्य है—(क) लघु उद्योगों वृत्ति उत्पादन तकनीकी का नेतृत्व से विकास करना, (म) उद्योगों के कैनाव और विकेन्ट्रोफरण को बढ़ावा देना तथा (ग) कुपि आधारित उद्योगों का विकास करना ।

इस योजनावधि में कुटीर एवं लघु उद्योगों सम्बन्धी अनुसंधान सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, उत्पादन तकनीक विक्रमित की जाएंगी, डिजाइन को उन्नत बनाया जाएगा और औद्योगिक विस्तार सेवाओं तथा परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा । बड़े-बड़े शहरों में दम्भकारी केन्द्र स्थानों का बढ़ावा देना तथा वार्षिक वारस्तानों को नए एवं कच्चे माल की सुरक्षाई में प्रायोगिकता दी जाएगी ।

हाथकरघा, शक्ति चालिन करणा और सादी उद्योगों में किन्हाल अनुमानित 53,500 लाख भीटर सूती कपड़े के उत्पादन में वृद्धि होकर चौथी योजना के अन्त तक 42,500 लाख भीटर तक हो जाने की आशा है । हाथकरघा उत्पादन का नियोंत्रण मूल्य 1967-68 में लगभग 9 करोड़ रुपये रहा और 1973-74 तक इसके लगभग 15 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने का अनुमान है । नारिखल जटा उद्योग का नियोंत्रण मूल्य, जो 1967-68 में लगभग 13 करोड़ रुपए का था, 1973-74 तक बढ़ाकर लगभग 17 करोड़ रुपए हो जाएगा ।

चतुर्थ प्रोजना में, हाथकरणे एवं शित्तचालित करणे पर 42,98 करोड़ रु., सातवीं प्रथमोद्योग पर 96,43 करोड़ रु. नारियल जटा उद्योग पर 4,42 करोड़ रु., रेशम के कीडे पहलने के उद्योग पर 19,37 करोड़ रु., हस्तशिल्प पर 14,52 करोड़ रु., औद्योगिक सरकानो पर 13,15 करोड़ रु तथा शामोद्योग सम्बन्धी कार्यकारी पर 5,10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इस प्रकार इस योजना अवधि में कुटीर एवं लघु उद्योगों पर 293 करोड़ रु व्यय किए जाने का अनुमान है।

भारतवर्ष के कुछ प्रमुख कुटीर व लघुस्तरीय उद्योग—भारतवर्ष के कुछ प्रमुख कुटीर व लघु उद्योग अवलिखित हैं—

(1) हाथकरधा व सातवी उद्योग यह उद्योग देश का प्रमुख पुटीर व लघु स्तरीय उद्योग है। इस उद्योग में लगभग 24 लाख करपे हैं तथा 140 लाख व्यक्ति काम करते हैं। यह उद्योग देश के कुछ क्षेत्रों की भाग के $\frac{1}{2}$ भाग की पूर्ति प्रकार है। इस उद्योग के प्रमुख वेष्ट्र हैं-वनारस, इटावा, अमरोहा, टोडा, मठ, बारावाड़ी (उत्तर प्रदेश), चंदेरी (मध्य प्रदेश), कर्नाटक (महाराष्ट्र), कोकामटूर (प्रदीप) तथा नाशिंगपुर।

2 वारिपन की जटा वा उद्योग (Coir Industry) देश उद्योग में लगभग 1,20 लाख व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। यह उद्योग प्रति वर्ष 182 लाख टन नारियल जटा की रसी बनाता है यह उद्योग मुख्यतः केरल में स्थित है। इस उद्योग द्वारा निर्मित वर्तुकों का नियन्त्रण करके भारतवर्ष दिदेशी विनियम (10-12 करोड़ रुपये का) प्राप्त करता है।

3 गुड व खण्डसारी उद्योग यह उद्योग विहार व उत्तर प्रदेश में मुख्यतः स्थित है। हमारे देश में गन्ने के रस से गुड व खण्डसारी बनाया जाता है। लंबूर के रस से भी गुड बनाया जा रहा है। हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 80 से 100 लाख टन गुड बनाया जाता है। इसे कियान सहायक उद्योग के हृषि में अपनाते हैं।

4 सेल पेरने का उद्योग भारत में तिलहन बहुत बड़ी मात्रा में पेंदा किया जाता है तथा निर्यात भी किया जाता है। मार्मीज खेतों में जानी द्वारा तेल पेरा जाता है। यहाँ ने इसे छोटे-छोटे कारखानों में लघु उद्योग के हृषि में चलाया जाता है।

5 रेशम उद्योग यह उद्योग 35 हजार व्यक्तियों की पूर्ण रोजगार तक 27 लाख व्यक्तियों की जड़-रोजगार दिलाता है। भारत में ५० यगाल, अम्बाम, अमूर बाद्दीर, गध प्रदेश, विहार आदि राज्यों में यह उद्योग चलाया जाता है। भारत सरकार ने इस उद्योग के विकास के लिए कई अनुसायार केन्द्र खोले हैं। इस उद्योग से सम्बन्धित प्रशिक्षण देने के लिए 4 प्रादेशिक प्रशिक्षण संस्थायें भी खोली गई हैं।

6 बीड़ी-सिंगरेट उद्योग भारत विद्व के तम्बाकू उत्पादन का $\frac{1}{4}$ भाग पैदा करता है। इस उद्योग में लगभग 5 लाख लोग काम करते हैं। भारतवर्ष में महाराष्ट्र, मद्रास, गुजरातदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मैसूर आदि राज्यों में बीड़ी उद्योग चलाया जाता है। कलकत्ता, बंगलौर, महारानपुर, मूगेर, बंगलौर आदि सिंगरेट बनाने के मुख्य केन्द्र हैं।

7 चमड़े का उद्योग भारतवर्ष में विद्व के सर्वाधिक पश्चि पाये जाते हैं। इनके मरने पर इनके चमड़े के जूते व अन्य कई सामान कुटीर व लघु उद्योग में बनाये जाते हैं। आगरा, काशीपुर, मद्रास, दिल्ली, अमृतसर आदि जूते व चमड़े की अन्य वस्तुओं के बनाने के मेन्ट्र हैं।

8 अण्ड उद्योग भारत में अण्ड बहुत से कुटीर व लघु उद्योग पाये जाते हैं। यथा—बरेली हैविवारपुर, कर्तारपुर में लकड़ी का फर्नीचर, मेरठ एवं जालधर में लकड़ी के लकड़ के सामान, मैसूर गे चन्दन की लकड़ी तथा काश्मीर में अवरोट की लकड़ी पर लुढ़ाई ता बहुत नवीक काम किया जाता है। चीतल, नारा, कासा व चादी के बननी के उद्योग मुरादाबाद, नियांपुर, ब्रजराम, हाथरस, हरदोई, कर्नाटकाद आदि स्थानों में पाये जाते हैं। इन उद्योगों के अतिरिक्त बेकरी का काम, नास व बैत का काम, छाई, कटाई, बुनाई, कीच का सामान, बाद्य-वृद्ध बनाने, फलों की सुरक्षित पैक करने वादि से प्रबन्धित लघु उद्योग आदि भी हमारे देश के विभिन्न भागों में चलाए जाते हैं।

उपसहार

भारतवर्ष में कुल रजिस्टर्ड कारखानों में से 40,000 कारखाने वर्षान् 91.6% कारखाने लघु पैमाने पर चलाये जा रहे हैं। इनमें लगभग 14,37 लाख लोगों को काम मिला हुआ है। इन उद्योगों में लगभग 292 करोड़ रुपये की पूँजी समी हुई है, जो कुल नियाण उद्योग पूँजी का 2.28% भाग है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में इन उद्योगों का बहुत यहत्वपूर्ण स्थान है। उद्योग चाहै दबा हो या छोटा, आज के युग में सफलता उसी को मिल सकती है, जिसका माल बच्ची किस्म का होगा तथा अन्य उत्पादकों के साथ होड में टिक सकेगा। बत आवश्यकता इस बात की है लघु उद्योगों का पुर्वसंगठन एवं आधुनिकीकरण किया जाय। कुटीर उद्योगों के मार्ग की सभी विधायें हटा कर उन्ने यानीण क्षेत्र में महात्व-पूर्ण भूमिका निभाने के लिए पुरा जीवित किया जाय। कैन्दीय व राज्य सरकारे इन उद्योगों के प्रति अपना दायित्व निभाने की चेष्टा कर रही है। यह दिन दूर नहीं, जब ऐ उद्योग पुन अपने लोगों हृषि प्राचीन धर्मों को प्राप्त वर हकेगे। कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रबल ममत्वक साप्त वित्त बापू न थोक ही बहा पा।

'I have no doubt in my mind that we add to the national wealth if we help the small scale industries. True swadeshi consists in encouraging and reviving home industries. That alone can help the dumb millions.'

प्रश्न

1 भारतवर्ष में लघु उद्योगों के विकास का वर्णन करते हुये बताइये कि क्या वे समृद्ध होते हैं? यदि नहीं तो क्यों? इसका कारण बताइये।

(राज प्रथम वर्ष टी ही सी कला 1968)

2 संस्थान टिप्पणी लिखिये—'भारत में ग्रामीण उद्योगों का महत्व'।

(राज प्रथम वर्ष टी ही सी कला 1967)

3 भारतीय अर्थ व्यवस्था में कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है? इनके उचित विकास के मार्ग में मुख्य बाधाओं का उल्लेख कीजिये।

(राज प्र वर्ष टी ही सी कला 1964)

4 भारत में कुटीर उद्योगों को वित्तीय महायता प्रदान करने वाले वर्तमान साधनों को बताइये। उनकी कमी को पूरा करने के मुद्दाएँ दीजिए।

(राज बी ए 1963)

5 भारतीय अर्थ व्यवस्था में कुटीर उद्योगों के विकास का क्या महत्व है? इन वर्षों में इनके विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

(राज बी ए 1961, 62, 64)

भारत में औद्योगिकरण

(Industrialisation in India)

"The industrial programme for the Fourth Plan has to keep in view the objectives of development of backward regions and dispersal of industries with due regard to technical and economic considerations."

— A Draft Outline of Fourth Five-Year Plan.

आधुनिक दृष्टि के ओद्योगीकरण का शोगलेश भारतवर्ष में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराह्न में हुआ था। इटिय सरकार की उदासीनता। एवं उपेक्षापूर्ण नीति के कारण उद्योगों की प्रगति अपने प्रारम्भिक चरण में बहुत धीमी रही। बल्तुङ्ग उद्योगों के विकास की प्रतिया केवल प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् ही प्रारम्भ हुई। 1929 की महान मरणी, जिसने सम्पूर्ण विश्व की अर्थ-व्यवस्था को हिला दिया, भारतीय उद्योगों के सरकार गिर जाने के कारण जीवित देने रहे। द्वितीय विश्व युद्ध ने ओद्योगीकरण विकास में नई चेतना का सचार किया। लेबिन उस समय तक भी भारतीय उद्योगों का विकास देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख कर नहीं किया गया था। देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् ही देश की लोकशिय सरकार ने पचार्धीय योजनाओं के अन्तर्गत बड़े उद्योगों के विकास की आधारिता को मजबूत बना कर उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त किया। यत वर्षों में नियोजित दृष्टि से भीदोषिक विकास का परिणाम यह हुआ है कि देश में कुछ उद्योगों ने बड़ी तीव्र गति से उन्नति की है। आज भारतवर्ष के कुछ बड़े प्रमाणे के उद्योग विकास की दम सीमा तक पहुंच रहे हैं, जहाँ उनकी तुलना सासार के अन्य ओद्योगिक राष्ट्रों से की जा सकती है।

इस अध्याय के अन्तर्गत हम देश के कुछ प्रमुख उद्योगों के विकास, उनकी समस्याओं व उनकी वर्तमान स्थिति का अवलोकन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि वर्तमान समय में ओद्योगिक विकास के रास्ते में, हमारे देश में, क्या-क्या कारबटे

है, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है तथा सरकार इस दिलासे में क्या-व्यापक कदम उठा रही है। भारत का औद्योगिक विकास विश्व-विद्यात था। भारत जब तक अपने उद्योगों को कठिनाइयों को दूर करके औद्योगिक मानविक्ष पर अपना नाम नहीं ले कित कर देता, तब तक उसे अपनी प्रशंसा की गति विधिल नहीं करनी है।

1. लोहा व इस्पात उद्योग (Iron and Steel Industry)

परिचय

लोहा व इस्पात उद्योग, बाधारभूत उद्योगों में, सर्वोचित महत्वपूर्ण है तथा किसी भी देश का आधिक विनाश बहुत कुछ इस उद्योग पर ही निर्भीर करता है।¹ कृषि, उद्योग, परिवहन, सचार के साधन सेवा दैनिक जीवन में काम आने वाली संस्कृट वस्तुओं के निर्माण के लिए लोहा व इस्पात बहुत आवश्यक है। लोहे की उपयोगिता एवं महत्व में अ योजना नियंत्रण ने ठीक ही बहा है, "लोहा महल की रानी के लिए आवश्यक है, चाँदी महल की दासी के लिए और तांबा प्रत्येक कारीगर के लिए आवश्यक होता है, ऐसिन लोहा देश की समस्त अर्थ-व्यवस्था में अपना महत्व-पूर्ण स्थान रखता है।"² सच हो यह है, लोहा व इस्पात उद्योग न विवल औद्योगिक आधारशिला के निए ही आवश्यक है, अपितु वहनमान समूह अर्थ-व्यवस्था की आधारशिला के लिए ज़रूरी है। भारतवर्ष में लोहे व इस्पात उद्योग के विकास की रास्ताबनाए बहुत अधिक हैं, यथोकि इम उद्योग के विकास के लिए हमारे देश में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है। देश में 2,100 करोड टन लोहे के भडार है। चूना, पश्चर, मेगनीज व डोलामाइट जैसी धातुओं की भी प्रचुरता है। कोयले की सारांश भी निकट है। एवं गिराकर देश की रिपब्लिकों न इस्पात उद्योग के विकास के लिए बाहरीमय है।

उद्योग का विकास (Development of Industry) . भारतवर्ष में लोहे व इस्पात के उद्योग आ विकास बहुत पहले ही चुका था। श्री. विल्सन के भत्तानुमार, "लोहे की टकाई इ गलेण में ही थोड़े ही दिनों से प्रारम्भ हुई है, ऐसिन भारतवाही लोहे गलाने व इस्पात बनाने जौ कला का जान वस्त्रन्त्र प्राचीन काल से रखते हैं।"³ इसा से 300 वर्ष पूर्व दिल्ली में स्थापित अजोक की लाठ इसला प्रत्यक्ष प्रमाण है।

मार्क ने आधुनिक ढंग से लोहा बनाने का प्रयास सन् 1830 व 1875 ई में लिए गए थे। 1830 में जोधिया मार्शल हीथ (Joshua Marshall Heath) ने मद्रास के पांग लोहे बनाने के कारबाहे के लिए असफल प्रयत्न किया था। सन्

1. *Knowles Industrial and Commercial Revolution during the 19th Century*, p. 17.

1875 में बगाल में दाराकर आवरन वर्क्स (Barakar Iron Works) की स्थापना की गई, लेकिन यहाँ के बल लोहा ही बनाया जा सकता था, इसपात नहीं।

वारिया व मर्चेन्ट के अनुयार, भारतवर्ष में चौथी व पाँचवीं शताब्दी में भी टिकाऊ व सुन्दर लोहे की बस्तुओं का उत्पादन होता था तथा ये बस्तुये विदेशी को पर्याप्त मात्रा में निर्पात की जाती थीं।¹ आधुनिक युग में इह उद्योग भा बास्तविक प्रारम्भ सन् 1907 ई में माना जाता है, जोकि इसी वर्ष दिहार में राजी नागक स्थान पर थी जमलेद जी टाटा ने 'टाटा आवरन व स्टील कम्पनी' की स्थापना की थी। इससे सन् 1911 व सन् 1913 में क्रमशः बड़ा लोहा व स्टील का उत्पादन प्रारम्भ किया। प्रथम विद्र युद्ध से इह उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिला। उत्पादन तब आग दोनों में ही बढ़ि तृप्त हुई। बढ़ती हुई गोल की दूरी करने के लिए टाटा आवरन व स्टील वर्स का निर्माण किया गया तथा सन् 1918 में बगाल में आसनसोल के पास हरीपुर में 'इंडियन आपरेट व स्टील कम्पनी' की स्थापना की गयी। सन् 1923 में भद्राबती नामक स्थान पर एक जोर लोहे व इसपात का बारखाना चालू किया गया, जिस जागरूक 'नेस्टर आइरन व स्टील वर्क्स' के नाम से जाना जाता है।

1922-23 में इधु कारखाने को कड़ी विदेशी प्रतिस्पर्द्धि का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप सन् 1924 में इस उद्योग को सुरक्षण प्रदान किया गया, जो 31 मार्च, 1947 तक चालू रहा। 1939 में 'स्टील कारखाने वाल बाजाल' की स्थापना बनेपुर में ही गयी। द्वितीय विद्र युद्ध में इस उद्योग का सम्पुर्ण विकास हुआ, पर युद्ध समाप्त हो जाने के बाद ही इसे सकटो ने बेर लिया। सन् 1946 में भारत सरकार द्वारा एक 'स्टील पेनल' (Steel Panel) की नियुक्ति की गयी, जिसने यह सुनाव दिया कि यदि निकी उद्योगपति निर्धारित लक्षणों को प्राप्त करने में वसंतर्य होती सरकार को सार्वजनिक लोंग में लोहे व स्टील कारखाने स्कॉलने चाहिये।

सन् 1947 तक भारतीय लोहे व इसपात उद्योग की क्षमता बहुत कम थी, यद्यपि इसपात व लोहे की बनी हुई बस्तुओं की मात्रा बहुत थी। लोहे व इसपात की बस्तु की कमी को पूरा करने के लिए इसका विदेशों से आयान करना पड़ता था। आयान मूल्य भारत में उत्पादित मूल्य की अपेक्षा अधिक हुआ करता था।

इस उद्योग में सन् 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति स पूर्व भारतवर्ष में निम्न-लिखित तीन बड़े कारखाने थे (1) टाटा आवरन एंड स्टील कम्पनी, जबरोदपुर (TISCO), (2) स्टील कार्पोरेशन बॉफ बगाल, बनेपुर (SCOB); तथा (3) मैसूर आवरन एंड स्टील वर्स, मद्रासती।

1. *Wades and Merchant Our Economic Problems*, p. 379
2. इने दो वर्षों में 1951 में बनेपुर की इंडियन आवरन एंड स्टील कम्पनी से विदा किया।

बोजनाओं के अन्तर्गत सोहा व इस्पात उद्योग का विकास सन् 1948 में भारत सरकार ने अपनी पद्मली बीवादिक नीति घोषित की, जिसमें भविष्य में लोडे व इस्पात उद्योग का विकास सार्वजनिक क्षेत्र में करने का प्रावधान किया। प्रथम योजना में इस उद्योग के विकास के लिए 30 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था तथा 17 लाख टन स्टील के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। इसी योजना में 10 लाख टन क्षमता वाले 3 बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना सम्बन्धी कार्य को भी अनिवार्य माना गया। ये तीनों कारखाने राउरकेला (उडीसा), भिलाई (मध्य प्रदेश) व दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में निर्माण लगेंगी, इस व विटेन की आयिक व तकनीकी सहायता से स्थापित किये जाने थे। इस योजना में लोडे से ही स्थापित होंगे व स्टील उद्योगों को भी विकसित किया गया। चूंकि यह योजना मुख्यतः कृषि प्रधान थी, अतः उद्योगों के विकास के लिए कुछ अधिक प्रयत्न नहीं किए जा सके। लोडे व इस्पात के उत्पादन में केवल बोडी सी बृद्धि हुई, जो कि 1951-52 में 10 लाख टन से बढ़ कर 1955-56 में 12 लाख टन पहुंच गया।

द्वितीय योजना में इस उद्योग के विकास के लिए 431 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया तथा 43 लाख टन स्टील के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों कारखानों ने इस योजना में उत्पादन शुरू कर दिया था। यह कारखाने हारकेला (उडीसा) में जर्मन, भिलाई (मध्य प्रदेश) में हसीं तथा दुर्गापुर (बंगाल) में ब्रिटिश सहायता से स्थापित किए गए। इनमें से प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता 10 लाख टन थी। सार्वजनिक क्षेत्र में इन कारखानों के चालू करने के अतिरिक्त निलों क्षेत्र में स्थापित कारखानों को विस्तीर्ण तथा अन्य प्रकार की सहायता दिला कर उनके विस्तार को प्रोत्साहित किया गया। टाटा आयरन व स्टील ने अपनी तैयार इस्पात की क्षमता 8 लाख टन से बढ़ा कर 15 लाख टन की। इन्हियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के तैयार इस्पात की क्षमता 8 लाख टन तथा मेंसुर आयरन एण्ड स्टील कंपनी ने 85,000 टन तक अपनी क्षमता कर ली। सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों कारखानों के सम्मिलित उत्पादन का लक्ष्य 30 लाख टन था, जबकि इनका आस्तविक उत्पादन 1960-61 में 6 लाख टन हींहुआ। इन तीनों इस्पात कारखानों का प्रश्न तरकारी प्रबन्धक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बनायेंगे कर दिया गया। सन् 1960-61 में इस्पात का कुल उत्पादन 24 लाख टन था, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम रह गया।

तृतीय योजना में इस्पात उत्पादन का लक्ष्य 92 लाख टन रखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों कारखानों की क्षमता दूनी कर देने का निर्णय लिया। 10 लाख टन क्षमता वाले एक तर्द कारखाने को बाकारों में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना में उत्पादन लक्ष्य ये—इस्पात के दोनों 92 लाख

टन, तेंदुर इसपात 68 लाख टन। इस योजना में इस्पात विस्तार के कार्यक्रम पर 525 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस्पात विस्तार के कार्य का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग 20 लाख टन मिश्रित (alloy) व विशेष इस्पात (Special Steel) बनाने की योजना थी, यदोकि ये इस्पात मूलप्रयात होते हैं तथा इनके उत्पादन से विदेशी मुद्रा में काफी बचत की सम्भावना होनी है।

तृतीय योजना में इह उद्योग की प्रति सत्रोपचनक नहीं रही। सन् 1965-66 में इस्पात दोको का उत्पादन 65 लाख टन तथा तेंदुर इस्पात का उत्पादन बेष्ट 45 लाख टन ही रहा। सन् 1970-71 में इस्पात दोको का उत्पादन 61 लाख टन हुआ तथा 79 करोड़ रुपये का लोहा व इस्पात विदेशी को निर्यात किया गया।

17 अप्रैल, 1970 को प्रधानमन्त्री शीर्षकी इन्डिया गांधी ने सालेम (हमिलताहु), होसपेट (मैसूर) तथा विशाखापत्नम (आनध्रप्रदेश) में मिनी स्टील उत्पाट लगाने की घोषणा की। यह तीनों कारखाने मार्तीय इक्रीनियरों द्वारा लगाए जायेंगे।

भविष्य के कार्यक्रम इस्पात उद्योग की वर्तमान क्षमता को बढ़ा कर 1973-74 तक 120 लाख टन कर देने का सक्षय है तथा उत्पादन की सक्षय 108 लाख टन इस्पात है। बोकारो स्टील लिंग जनवरी 1964 में स्थापित की गयी, जिसका कि प्रथम चरण 1974 में पूरा होने की आशा है, तो विषय स्तर की सहायता से बनाया जा रहा है। बोकारो कारखाने की प्रारम्भिक क्षमता 15 से 20 लाख टन होगी, जिसे बाद में 40 लाख टन तक बढ़ाया जा सकेगा। भिलाई की वर्तमान 20 लाख टन की क्षमता को 35 लाख टन तक दुर्गापुर की वर्तमान 16 लाख टन की क्षमता को बढ़ाकर 34 लाख टन करने का लक्ष्य है। रुरकेला की उत्पादन क्षमता 25 लाख टन हो जायेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त, निजी क्षेत्र को भी विस्तार प्रदान किया जायेगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी व इण्डियन आयरन एंड स्टील कंपनी की उत्पादन क्षमता क्रमशः 20 व 10 लाख टन से बढ़ाकर चौधी योजना के अन्त तक क्रमशः 30 व 13 लाख टन कर दी जायेगी।

वर्तमान स्थिति इन क्षमता व्यवस्थाओं में लेते हुए ये इस्पात के नई कारखानों के उत्पादन में है, जिसमें से टाटा आयरन व स्टील कंपनी निजी क्षेत्र में है तथा बाकी पाँच कारखाने इन्डियन आयरन व स्टील कंपनी (जिसे सरकार ने 1972 में अपने हाथ से लिया), मैसूर आयरन व स्टील नक्स़ा तथा राऊरकेला, भिलाई व दुर्गापुर के कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। विहार में बोकारो नामक स्थ रपना

लौही सरकार की सहायता से बीमा लौह व इस्पात कारखाना स्थापित किया जा रहा है, जिसका प्रारंभिक निमन्दा कार्प मई 1968 से प्रारम्भ हो चुका है। सरकारी क्षेत्र में बोकारो के अतिविवित तीन मिनी स्टील फ्लान्ट स्यालेम, हास्पेट तथा विशालांपटनम में भी स्थापित किए जा रहे हैं। इन बड़े-बड़े कारखानों के अतिरिक्त देश में कई छोटे-छोटे कारखाने भी चल रहे हैं। यद्यपि भारत में विशेष गुच्छ वर्षों से इस्पात उद्योग के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। वर्षागत विश्व के इस्पात उत्पादन करने वाले देशों में इसका 13 वां स्थान है। भारत में कुल विश्व के इस्पात का केवल 1.42% इस्पात ही पैदा किया जाता है। प्रति व्यक्ति उपयोग की दृष्टि से भी भारत का स्थान 36 वां है। जबकि अमेरिका में प्रति वर्ष 488 किलोग्राम, रूस में 334, पश्चिमी जर्मनी में 428, जापान में 252 डिलोग्राम है, भारत में केवल 1.4 किलोग्राम है।

उद्योग की समस्याएँ ऐसे सुनाव लोहे व इस्पात उद्योग को बहुमान समय में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिनमें प्रमुख निम्न लिखित हैं—

1. बद्ध कोयले की कमी भारतवर्ष में लोहे को गलाने के लिये अच्छे कोयले की कमी है। इस कमी के कारण इस्पात उद्योग वौ असुविधा होती है। इस सम्बन्ध में कोयले की दुलाई व दूर से बद्ध कोयले लो लाने के लिये दुलाई की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

2. तकनीक व प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव इस उद्योग के लिये उच्च कोटि की तुलनीयी व प्रशिक्षित कर्मचारी देश में नहीं पिन पात। फलस्वरूप यहाँ व्यधिक बेतन देकर विदेशी से इन्हें दुलाना पड़ता है। लेकिन यह समस्या भी धीरे-धीरे हल हो जायेगी, वयोंकि दश में दोनिंग स्कूल व इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना हो गई है। विदेशी से श्री लीग प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आ रहे हैं।

3. परिवहन की कठिनाई हमारे देश में कच्चे लोहे को इस्पात के कारखानों में पहुँचाने के लिये स्वते, सुगम, पर्काप्त व द्रूतगमी साथत नहीं है। रेलों के विकास व कारखानों तक दोहरी काइन विद्युत किया जाना चाहती है।

4. इस्पात के मूल्य निर्धारण की समस्या भारतवर्ष में इस्पात की मात्र उत्पादन से अधिक है। परिणामस्वरूप इसका आयात किया जाता है। आयात किया हुआ इस्पात महमा पड़ता है, अतः सरकार उत्प्रभोक्ता की आगात दरोंपर ही माल बेचती है और होने वाले लाभ को, एक समझाकोग के माध्यम से, इस्पात के कारखानों के आधुनिकीकरण पर व्यय करती है। इस प्रकार निश्चित किया हुआ मूल्य परिवर्तित

होता रहता है, जिससे अनुविधा होती है। भारत-निर्भरता को स्थिति में यह समस्या स्वतः दूर ही जायेगी।

५ पूंजी का अभाव : लोहा व इस्पात उद्योग एक शारी उद्योग है जिसमें कारखाना लगाने के लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इस्पात का एक छोटा कारखाना लगाने में भी 150 से 200 करोड़ रुपए की पूंजी लग जाती है। पुराने कारखाने में अभिनवीकरण के लिए भी बहुत पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन भारत में पूंजी की कमी है, इसलिए इस उद्योग का तेजी से विकास नहीं हो सका। पूंजी के अभाव के कारण ही इस उद्योग के कारखाने सावंजनिक होते हैं में विदेशों से सहायता लेकर स्वापित किए जा रहे हैं।

इन पूंजिक कठिनाइयों के अलावा इस उद्योग के सामने नुच अन्य समस्याएँ भी हैं, जोसे—भजपूरों की अधिकता, अम एवं पूंजी के मध्य तनावपूर्ण सम्बन्ध विवेकीकरण व आधुनिकीकरण का अभाव, विजी क्षेत्र के प्रति सरकार की पक्षपाता-पूर्ण नीति आदि। चूंकि देश के आर्थिक विकास में लोह व इस्पात उद्योग को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, अतः इन उद्योग की सभी कठिनाइयों एवं समस्याओं को यथा शीघ्र दूर किया जाना चाहिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवर्ष ये लोह व इस्पात उद्योग दिनो-दिन उन्नति करता जा रहा है। प्राकृतिक गुणधारों की वेखते हुये यह वर्ल्ड की जागतिकी है कि भारतवर्ष निर्माण भविष्य में ही इस उद्योग में जारी-निर्भर हो जायेगा। स्टील उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार एक तर्ह नीति अपनाने जा रही है। जिसके अन्तर्गत उद्योग के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुचित व्यवस्था की जायेगी। सरकार विदेशों में लक्जकोटि के तकनीकी जानकारी की सेवाओं में भी लाभ उठाने की ओङकार दबा रही है।

सूती वस्त्र उद्योग (Cotton-Textile Industry)

श्री दुकानेन का भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के सुधारन में कथन है कि “भारत का सूती-वस्त्र उद्योग देश के अतीत का गोरख, वर्तमान और भविष्य का संदेह, किन्तु सदैव आशा की वस्तु रहा है।”¹

सूती-वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। प्राचीन काल में ही भारत इस उद्योग के लिए जाकी विश्वात रहा है। इस बात का प्रमाण हमारा दौर-

1. “For India cotton manufacture is ancient glory, past and present tribulation but always a hope.”

—D. H. Buchanan

स्थान है। आधुनिक समर्थन में यह उद्योगहमारे देश में व्यवस्था बढ़ सी वर्षे पुराजा है। इन उद्योग ने अपने इस छोटे से जीवन काल ने कई प्रकार के उत्तार चढ़ाव देखे हैं। वर्तमान समय में भी यही उद्योग देश के गणठित उद्योग में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बनारासीय क्षेत्र में भी, विश्व के प्रथम पाँच सूती-वहन उत्पादन करने वाले देशों में, भारतवर्ष का स्थान बाकी ऊँचा है। भारत विश्व के कुल सूती वस्त्र-उत्पादन का 14% मांग पैदा करता है। जापान के पश्चात् निर्यातक देशों में भारत का सबसे भवृद्धपूर्ण स्थान है तथा उत्पादक देशों में अमेरिका के पश्चात् इसका पहला स्थान है। इस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग न केवल हमारी विशाल जनसंख्या की कष्टे वी आवश्यकताएँ ही पूरी करता है, बरन् वहमूल्य विदेशी मुद्रा कमाने में भी यह काफी सहायक है। भारतवर्ष में सूती-वहन-उत्पादन दी तरह से किया जाता है—कुटीर व छोट उद्योग के रूप में तथा बड़े यंगने के रूप में। कुटीर उद्योग के रूप में, भारत में सूती-वहन उद्योग का अतीत बहुत घौरवन्न था। बड़े उद्योग के रूप में इसका विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही मूरुखतः प्रारम्भ हुआ।

संक्षिप्त इतिहास : आधुनिक ढाग के सूती-वहन उद्योग का प्रारम्भ सन् 1818 ई० से माना जा सकता है, जबकि कलकत्ते में प्रथम बिल स्थापित हुई। लेकिन वास्तविक विकास की दृष्टि से यह उद्योग केवल सन् 1854 ई० से भारतवर्ष में विकसित हुआ, जबकि वर्ष 1851 में कई सूती मिलों की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध में इस उद्योग को विकसित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किन्तु मुद्रोपरान्त अनेक समस्याएँ आने से, जैसे—हड्डाल, विदेशी से विशेषकर जापान से वित्तस्थदों, मूल्यों से उच्चावचन, विदेशी विनियम दरों में परिवर्तन आदि के कारण उद्योग पर बुरा अग्र रहा। उद्योग के सर्वांगीन विकास की ज्यान में रखते हुए 1927 में सरकार प्रदान किया गया।

सन् 1927 ई० से लेकर 1947 ई० तक इस उद्योग को सरकारी सरकार प्राप्त रहा। सरकार के अन्तर्गत इस उद्योग ने बड़े तेजी से प्रगति की। देश में विविध प्रकार के गूती वस्त्र तैयार होने लगे तथा वस्त्रों के उत्पादन में मुणालमक मुघार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने के समय भारत वस्त्र सम्बन्धी व्यवस्था आवश्यकता का 10 प्रतिशत मांग विदेशों से मिला था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह उद्योग अपनी उभयंति की चरम स्तरों पर पहुँच गया। एक ओर तो जापान से प्रतिस्पदा समाप्त हो गई तथा दूसरी ओर भिन्न देशों की सेनाओं के लिए बहुत अधिक आड़े प्राप्त हुए। वस्त्र सम्बन्धी मांग बढ़ गई, फलस्वरूप उत्पादन भी बढ़ गया। 1939 से 1944 के मध्य वस्त्रों के मूल्यों में लगभग पाँच गुनी वृद्धि हो गई। फलस्वरूप 1943 में उत्पादन तथा वितरण नियमित किया गया। सन् 1947 ई० में देश का

विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप भारतवर्ष व पाकिस्तान के हिस्से में क्रमशः 380 व 14 मिलें आईं। सन् 1947 ई० में कपाण उत्पादन करने वाला 40 प्रतिशत शाय पाकिस्तान में छले जाने के बारण, इसी यथै सूती वस्त्र पर से सरकार हटा किए जाने के कारण, सन् 1949 ई० से रुपये के अबमूल्यन को कारण तबा सन् 1950 ई० में हड्डतालों की लहर के कारण यह उद्योग कठिनाई में रहा।

प्रथम योजना : सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कार्यक्रम का शुभारम्भ सन् 1950-51 में प्रथम योजना के विकास के साथ हुआ। उस समय देश में 388 सूती चरण मिले थे, जिनमें 109 लाख तकुए और 194 लाख करघे थे। गृह का उत्पादन 118 करोड़ पौण्ड था तबा उत्पादन 372 करोड़ गज था। योजना के अन्त में 1955-56 ई० तक सूत का उत्पादन 164 करोड़ पौण्ड तथा कपड़े का उत्पादन 510 करोड़ गज हुआ। इस प्रकार योजनावधि में सूत के उत्पादन में 38.5 प्रतिशत तथा कपड़े के उत्पादन में 37.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति वस्त्र की खपत 1950-51 ई० में 11.8 गज से बढ़ कर 1955-56 ई० में 16.5 गज हो गई। उत्पादन में वृद्धि के कई कारण थे, जैसे—हवात की उपलब्धि में वृद्धि, काढ़े के वितरण, मूल्यों तथा उत्पादन पर नियन्त्रण का हटाया जाता व सरकार द्वारा कपड़े के नियांत्रण को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन आदि। इस योजनावधि में सूती वस्त्र उद्योग का दिक्षिणी ओरों से भी विस्तार हुआ।

द्वितीय योजना : द्वादशी योजना का शुभारम्भ 1956 से हुआ। इस योजना में सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन ज्ञा लक्ष्य 580 करोड़ गज रखा गया। प्रति व्यक्ति वस्त्र खपत को 16.5 गज से बढ़ा कर 18.5 गज करने का लक्ष्य रखा गया। नियांत्रण 100 करोड़ गज कपड़ा रखा गया। सन् 1958 में श्री रमन की अध्यक्षता में सूती-वस्त्र जात्य समिति गठित की गई। इस समिति ने वस्त्र उद्योग पर उत्पादन कर कम करने, विवेकीकरण व स्वचालित करघे लगाने के मुख्याव दिए। सन् 1960-61 तक देश में 479 सूती वस्त्र मिले हो गई। कपड़े का उत्पादन केवल 515 करोड़ गज रहा जो लक्ष्य से कम था। कपड़े के नियांत्रण में कमी हुई। इस योजनावधि में इस उद्योग की स्थिति दिग्गजने के कई कारण थे, जैसे—जापान, चीन व पाकिस्तान से प्रतिस्पर्द्धा, लागत व्यय में वृद्धि, खाद्यान्नों के गूँहों से वृद्धि, जिरहे लोगों की वस्त्र खरीदने की दमता कम हुई आदि।

तृतीय योजना : तृतीय योजना में मिल खेत्र के कपड़े में उत्पादन का लक्ष्य 580.4 करोड़ गज तथा शाये के उत्पादन का लक्ष्य 225 करोड़ पौण्ड निर्धारित किया गया था। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस योजनावधि में 25,000 स्वचालित करघे के लगाने की व्यवस्था थी। इस योजना के पहले चार बर्षों में सूती कपड़े

के उद्यान ने पर्याप्त प्रगति की, लेकिन अस्तित्व वर्षे निराशाजनक रहा। सन् 1965-66 से हमारे सूती वस्तु का उत्पादन केवल 515 करोड गज ही हुआ, जो लक्ष्य से कम था।

चतुर्वर्षीय योजना (1969-74) चतुर्वर्षीय योजना में मिल क्षेत्र में सूती वस्तु का उत्पादन का लक्ष्य 51,000 लाख मीटर तथा सूती धागे का उत्पादन 11,500 लाख किलोग्राम रखा गया है। योजना काल में पुनर्स्थान तथा आधुनिकी करण पर 132.5 करोड रुपये तथा विस्तारीकरण पर 134 करोड रुपये करने का ननुमान है।

भारतवर्ष में सूती वस्त्र उत्पादन की प्रगति निम्नछिपित तालिका से स्पष्ट हो जाती है :

मिलों द्वारा उत्पादित कपड़ा

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मीटर में)	नियांत्र (मिलियन मीटर में)	विदेशी मुद्रा (मिलियन डालर में)
1951-52	3727	—	—
1960-61	6728	628	120.8
1965-66	7740	486	97.2
1966-67	7313	418	80.6
1967-68	7511	450	87.1
1968-69	7902	497	94.0
1969-70	7753	437	92.9
1970-71	7596	447	100.4

बर्तमान हिफित बर्तमान समय में भारतवर्ष में 672 सूती-वस्त्रों की निलें हैं, जिनमें 381 कराई तथा 291 मिथित निलें हैं। इन उद्योग का वायिक उत्पादन 1,000-1400 करोड रुपयों का है।¹ इस उद्योग में 10 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से तथा 30 लाख सौंधों को परोक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। भारत की सूती मिलों में इस समय 170.8 करोड तक्कुये लगे हूप हैं तथा 209 लाख करपे काम

1. वौ सनुभाई शाह : सन्दर्भ, सन् 1968.

कर रहे हैं। इस उद्योग में विवली से बढ़पे बाले 2 लाख के लगभग करवे हैं तथा हाथ से बढ़ने वाके करघो की संख्या 30 लाख है। इस उद्योग में लगभग 500 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है। इस उद्योग में लगभग 120 करोड़ लूं की भारतीय कपास का प्रयोग होता है तथा भारत सरकार को इस उद्योग से प्रति वर्ष 40 करोड़ रुपये की आप्र प्राप्त होती है।

सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएँ (Main Features of Cotton Textile Industry)—भारत के सूती वस्त्र-उद्योग की प्रमुख विशेषताएँ निम्न लिखित हैं :

(i) हमारे देश में सूती वस्त्र उद्योग में कई क्षेत्र हैं, जैसे, मिल, विजली के करघे तथा हाथ करघे के क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में प्रतिश्पर्द्धा होती है, (ii) हमारे देश में नोट, सध्यम, महीन तथा उत्तम प्रकार, अर्द्धतंत्र, सभी प्रकार के बत्तों का निर्माण होता है; (iii) कच्छ बहन बनाने के लिए लम्बे रेधे बाली कपास का अभाव पाया जाता है, (iv) सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन तथा वितरण पर अतेक प्रतिवाप है; (v) इस उद्योग के अल्पांग कई अनार्थिक डबाइया चल रही है, (vi) यह उद्योग कुछ प्रमुख नगरों में ही केंद्रित रहा है जैसे, बम्बई, बहुमदाबाद, बांलपुर, दोलापुर आदि। बम्बई व बहुमदाबाद अभी भी इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं, जहाँ देश के कुल बत्तों व तकुशी से से आधे करघे व उक्त उपचार हैं, लेकिन धीरे धीरे इस उद्योग का विवेकानंदरण दिया जा रहा है।

उद्योग की समस्याएँ एव उपचार—इस उद्योग की कई कठिनाइयों व समस्याओं का सामना करना यह रहा है, जिनमें से प्रमुख निम्नान्ति है—

1. कच्चे माल की कमी—वर्तापि भारतवर्ष में विभाजन के परिणामस्वरूप एई यी कमी को पूरा करने के लिए बहुत प्रयत्न किये गये हैं, तथापि हमारी तीन पर्यावर्तीय योजनाओं में रही का उत्पादन 21 लाख गांठों से बढ़ कर 54 लाख गांठ हो गया तथा अब भी हमें हीट का, खास कर लम्बे रेधे बाली रई का, जायात्र करना पड़ता है। कपास की प्रति एकड़ उपचार भारत में बहुत कम है। घटिया किसी की कपास का उत्पादन भारतवर्ष में 120 पोइंट प्रति एकड़ है। कपास की कमी को पूरा करने के लिए हम प्रति वर्ष 60 करोड़ रुपये की कपास विवेशों से मानते आए रहे हैं। कपास की प्रति एकड़ उपचार बढ़ा कर ही इस समस्या का हल किया जा सकता है।

2. अलाभकर उत्पादन इकाइयाँ : भारत में इस समय सूती वस्त्र मिलों में से 45 की हालत अच्छी नहीं है। 31 मार्च 1969 तक 59 सूती वस्त्र मिलों दंड थोकणा 14 एसी मिलों थी, जो बन्द होने की हालत में थी। बगर वे बन्द हो जायें

तो लगभग 70 हजार मजदूर बेकार हो जायेंगे। एक नवीन जात्य के अनुमार 50 प्रतिशत मिले मात्र न्यूनतम स्तर की है। ये प्रतिवर्ष करोड़ी सूचे के घाठ पर चल रही हैं। भारत सरकार ने ऐसी अलाभकर इकाइयों की भद्र के लिए 'राष्ट्रीय कपड़ा नियम' रखायित किया है। सन् 1972 में भारत सरकार ने कानून बना कर देश की जिहानी सी बन्द मिलें थी, उनको अपने नियन्त्रण में ले लिया है।

3 अधिक लापत्त व्यय करने माल के मजदूरी तथा महगाई भूमि में बढ़ि हो जाते के परिणामस्वरूप, इस उद्योग की लापत्त व्यय बढ़ जाती है। महगाई के कारण इस उद्योग का उत्पादन-व्यय 27 प्रतिशत बढ़ गया है, जबकि प्राप्तियों में केवल 18 प्रतिशत ही बढ़ि हुई है। सरकार को चाहिए कि वह कच्चे माल की कीमत के बारे में उचित नीति अपनाये तथा कपड़े व सूत पर से उत्पादन शुल्क बम करे।

4 अभिनवीकरण की समस्या : भारतवर्ष में अधिकाश मर्जीने वहात पुरानी व यिसी पिटी हुई है जो बत्तमान एवं आगे की पूर्ति लक्षने में बहुमर्थ है। बढ़ि ही की मिलों में लगी हुई 75 प्रतिशत के लगभग मर्जीनी 25 वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं और यिस पिटी नहीं हैं। इससे इस उद्योग का उत्पादन कम हो गया है और उत्पादन लागत बढ़ गई है। उद्योग की कई आवश्यक गर्दीनों तो उपलब्ध भी नहीं हो रही हैं। राष्ट्रीय उद्योग नियम द्वारा इस सम्बन्ध में दी जाने वाली नहायता बढ़ाई जानी चाहिए तथा सन् 1959 ई० के कार्यकारी इल (Working Group) ने मिकारियों व सुनाबों पर अमल किया जाना चाहिए।

5 प्रतिस्पर्द्धी की समस्या भारतवर्ष को इस समय जापान, द्वितीय दाकिन्यतान से काफी प्रतिस्पर्द्धी का सामना करना पड़ रहा है। मार्कीय मिलों द्वारा बढ़िया किस्म का कपड़ा नहीं बनाया जाता, जैसा कि अमेरिका और लकाशायर की मिलों में बनाया जाता है। विदेशों में रुम्यता के प्रसार एवं जीवन-स्तर में सुधार के कारण अब विदेशों में मोटे तथा मध्यम किस्म के कपड़े का बाजार कम होता जा रहा है। हमारी मिलों में आधुनिक रूपों का प्रयोग भी विदेशी मिलों की भाँति नहीं किया जा रहा है, फलस्वरूप हम प्रतिस्पर्द्धी में नहीं टिक पा रहे हैं। साथ ही आपात करने वाले देशों ने तरह तरह के नियंत्रण लगा दिए हैं। मिथ, तुर्की तथा सुर्बंगाल आदि कई नए देश भी अपने नियंत्रित की बदाने की चेष्टा कर रहे हैं। इस प्रतिस्पर्द्धी का मुकाबला करने के लिए 'सूती बद्दल नियंत्रित सबर्वेन सुनिति' व 'सूती कपड़ा नियंत्रिति' इस उद्योग की सराहनीय सेवा कर रही हैं। अभिनवीकरण, प्रगतिशील, विज्ञापन आदि से इस उद्योग की मदद मिल सकती है। किस्म में सुधार एवं लागत में कमी करना आवश्यक है।

6 दूंबो की कमी भारतीय उद्योगों को आधुनिकता प्रदान करते के मार्ग में पूंछों का अभाव छटकता है। आधुनिक स्वचालित मशीनों को इस क्षेत्र में लगाने के लिए हमें लगभग 120 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। यह बर्थों में स्थापित विदेशी उत्पादों को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

7 मिल व हाथ करथा उद्योगों के बीच उचित समन्वय को समस्या—आज कल हाथ करथा उद्योग को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार वह उद्योगी पर डप्टर लगाती है जिससे इह ही और क्षति पहुंचती है। हाथ करथा उद्योग लोगों में बेरोजगारी दूर करते हैं अतः सरकार के इस कार्य को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। फिर भी प्रथल यह होना चाहिए कि लघु उद्योग अपने पेरो पर खड़ हो जाएं तथा वह उद्योगों को बनावश्यक करों से मुक्ति मिल जाए।

8 औद्योगिक विकास अन्य उद्योगों की अपेक्षा भारतवर्ष में सूती वस्त्र उद्योगी में श्रियक अपेक्षाकृत अधिक समर्थन हैं। परिणामवस्था आये दिन किंही न किसी वास्त को लेकर हड्डताखें होती रहती हैं, जिससे उद्योग की क्षति पहुंचती है। औद्योगिक विकास करके ही इस समरपाय को सुलझाया जा सकता है।

9 मशीनों का अभाव भारतवर्ष की मिलों में विदेशी मशीनों से काम चल रहा है। यह सचमुच ही बड़ो हड्डता की वात है कि यह बर्थों में हम इस दिशा में निम्रता समाप्त न कर सके। हम पोलैण्ड, जर्मनी रिपब्लिक पड़ जैसे छोट देशों से गूती उद्योग के लिए मशीनों का आपात करते हैं। देश की विदेशी मशीनों की बढ़ाने के लिए देश में सूती वस्त्र उद्योग सम्बन्धी मशीनों का निर्माण किया जाना चाहिए।

10 कांचोंप असनानन्दा भारतवर्ष में सूती वस्त्र उद्योग का विकास भारत के दूनियी भागों में उत्तरी भागों की तुलना में बिल्कुल ही नहीं हुआ है। इस क्षेत्रीय विपरमता को दूर करने के लिए जून 1961 में सरकार ने सूती घाग के उत्पादन के लिए 5 दफ्तियी कर्दों को 50,000 रुकुशों की कुल दरमता रखने वाले कारखाने खोलने की अनुमति दी है।

11 उत्पादन कर में चुंडि इष उद्योग की कठिनाइयों में एक प्रमुख कठिनाई यह ही है कि सरकार ने सूती कपड़ों व घागों पर उत्पादन कर उत्तरोत्तर दरवाया है और बढ़ानी जा रही है। सन् 1950-51 में सत्यान कर 9.26 करोड़ रुपये में बढ़कर 1955-56 में 28.18 करोड़ रुपए, 1960-61 में 66.40 करोड़ रुपये तथा 1965-66 में 28.18 करोड़ और 1968-69 में 117.98 करोड़ रुपये हो गए। इष प्रकार हड्डताखेते हैं कि सभी प्रकार के वस्त्रों के उत्पादन व्यवस्था का $\frac{1}{2}$ भाग उपादन कर (excise duty) के नेट बद्ध जाता है। अब इस उद्योग

पर सरकार द्वारा उत्पादन कर भार और अधिक न बढ़ाया जाना चाहिए तथा इसे हुए उद्योग को उठाने के लिए इसे सहायता दी जानी चाहिए।

12. अन्य समस्याएः : इस उद्योग को सन् 1965 ई. से मन्दी का सामना करना पड़ रहा है। जिससे उत्पादन व उत्पादन-अवधान कम हो गई है। अधिकों की कार्य-कुशलता भी अपेक्षाकृत कम है। अनुसधान की दृष्टि से भी यह उद्योग पिछड़ा हुआ है। अधिकों में प्रशिक्षण व तकनीकी ज्ञान का अभाव है। अधिकारित होने के कारण वे नई-नई विधियों का विशेष करते हैं। सूती कपड़ा उद्योग को पर्याप्त तथा नियन्त्रित विज़ली व शक्ति न मिलने के कारण भी बहुत कठिनाई होती है। जब तक ये कठिनाईया दूर नहीं कर दी जाती, तब तक यह उद्योग विकास के पथ पर नहीं बढ़ सकता।

सन् 1967 में सरकार ने सूती वस्त्र कम्पनी अधिनियम (Cotton Textile Companies Act) पास किया जिससे सरकार ने एक सूती वस्त्र निगम (Cotton Textile Corporation) की स्थापना का फैसला किया। फलस्वरूप अप्रैल 1968 में एक सूती वस्त्र निगम (Cotton Textile Corporation) की स्थापना की गई। इस निगम का काम सरकार द्वारा अपने अधिकार में ही गई बीमार मिलों को चलाने की व्यवस्था करना तथा वित्त प्रदान करना है। साथ ही यह निगम आधुनिक प्रकार की नई सूती मिले स्थापित करेगा।

भारतवर्ष से सूती वस्त्र उद्योग इस समय बड़ी दृष्टीय स्थिति से होकर गुज़र रहा है। प्रवर्त्यकों द्वी अकुशलता, अधिकों का असहयोगी रवेदा, सरकार की विवेकहीन नीति आदि कुछ ऐसे कारण हैं, जिन्होंने भारत के इस उद्योग की स्थिति असरदोषबनक बना दी है। उद्योगपतियों ने सभी को उद्योग में न लगा कर तथा पुरानी मर्दीन का प्रतिस्थापन न करके इस उद्योग की जड़ें सोड दी हैं। सरकार की शीघ्र ही इस और ध्यान देना चाहिये, अन्यथा यह उद्योग बहुत बड़े सकट में फ़स जायेगा, जिसके फलस्वरूप देश के औद्योगिकरण की बहुत बड़ी धूति होगी।

जूट उद्योग

(Jute Industry)

जूट उद्योग भारत का मिलियन श्रमुख उद्योग है तथा देश की अर्थ-व्यवस्था में इस उद्योग का एक विशिष्ट स्थान है। यह उद्योग दिलेकी मुद्रा प्राप्त करने का एक श्रमुख स्रोत है। भारतवर्ष में यह उद्योग सर्वदो से चला आ रहा है। जूट से टाट, बोरिया, छटाइया कालीन, दरिया, रसिया, पौदान आदि अनेक वस्तुयें बनाई जाती हैं। सन् 1947 के विभाजन से पूर्व जूट उद्योग के क्षेत्र में भारत का एक-पिकार था। देश के विभाजन के पश्चात्, पाकिस्तान हमारे इस उद्योग का प्रतिस्पदी

बन गया था। लेकिन 1971 में बगला देश एक नए राष्ट्र के हृप में उदय हो गया है, जिसमें भारतके जूट उद्योग का और विकास सम्भव हो गया है। भारतवार्ग में ही जूट पैदा किया जाता है। बगला में धनियों की अधिकता है तथा यह उद्योग मुख्यतः निर्यात पर आधारित है जब इष्ट उद्योग का बगल में ही इण्डियनरण हो गया है।

संक्षिप्त इतिहास सन् 1855 में श्रीरामपुर के निकट रित्तरामपाम में सर बाबू बाकलैण्ड द्वारा प्रथम आधुनिक पद्धति की जूट भिल की स्थापना की गई थी। श्रीरे-धीरे इस उद्योग का विकास होता रहा है। सन् 1859 में इस उद्योग ने पहली बार शक्ति आदित्य करथ का प्रयोग किया। 1868 य 1873 ह० के बीच इष्ट उद्योग ने सूबे घन कमाया तथा बद्रों अवधारियों को 25 ग्रतिशत तक लाभाश दिया। इन काल में इष्ट उद्योग की बहुत भी नई इकाईयाँ भी चालू हुईं। सन् 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इष्ट उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति की तथा इस समय देश में 60 जूट के कारखाने थे। युद्ध काल में नित्र राष्ट्रों की सेता के लिए भारतीय मिलों ने 130 करोड़ बोरे, 71 करोड़ पीण्ड जूट के कपड़े तथा 10 लाख पोण्ड बुत्तली तेंगार बी। जूट के सभी कारखानों ने इन समय बढ़ी हुई मात्र की पूरा करने के लिए अपनी सम्पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन किया। युद्ध काल में कारखाना अधिनियम ने डिलाई व कच्चे जूट के नियान पर पावनी लग जाने से इस उद्योग ने काफी लाभ कमाया। युद्ध की सकारित पर जूट की माँग में गिरावट हो गयी तथा सन् 1929 की आर्थिक मंदी का इस उद्योग पर बुरा प्रभाव गया। आर्थिक मंदी के कारण जूट की बस्तुओं का निर्यात करता था, वहा 1933-34 में केवल 11.4 करोड़ ह० वा सामान ही विदेशी की भेज सका। आर्थिक मंदी के काल में जूट के कारखानों में कार्य के पांचे कम दर दिए गए तथा यई करघों को बद्द बर दिया गया। 1936 में जूट के उत्पादन में बृद्धि करने सभा खेती सम्बन्धी अनुसंधान फो ओर्टसाहित करने के लिए भारतीय केंद्रीय जूट समिति (Indian Central Jute Committee) बनाई गई। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ होने से इस उद्योग की स्थिति स्वतं सुधर गई तथा उत्पादन व लाभ दोनों में बृद्धि हुई, क्योंकि युद्ध के कारण जूट के माल की मात्र बहुत बढ़ गई तथा जूट मिलों अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करने लगी।

सन् 1947 में देश के विभाजन का भारतीय जूट उद्योग पर बुरा असर पड़ा। 1947 में देश में 111 जूट बी मिले थीं। विभाजन के परिणामस्वरूप जूट की सभी मिलों भारतवर्ष में ही रह गईं, लेकिन जूट पैदा करने वाला 72% क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जिससे देश के लानने काढ़ने जूट की राष्ट्रपा उत्पन्न हो

गयी। पांचिस्तान के गन्धपूर्ण रवंदे के बारब भारत को जूट उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की चेष्टा करनी पड़ी। 1949 में भारतीय रुपये के अवस्थालयन परे जारण कर्वे माल के आवाहा में कठिनाई हुई। इस समय 72 लाख शाठों की आवश्यकता थी, जबकि देश में 33 लाख गाठे ही पैदा होते थे।

योजनाओं के अन्तर्गत उत्कृष्ट की प्रगति प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, कच्चे माल की दुग्ध से उत्पाद को आत्मनिर्भर बनाने के लिये नये कारखानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दगाल, निहार व आमाप में जूट की गहरी खेनी हारा उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न दिये गये। इस योजना में जूट के उत्पादन का लक्ष्य 51 लाख गाठे रखा गया तथा जूट नियित वस्तुओं वा लक्ष्य 12 लाख टन रखा गया था। ताकि 1955-56 में कच्चे जूट का उत्पादन 42 लाख गाठे हुआ था तजूट नियित वस्तुओं का उत्पादन 10.97 लाख टन हुआ था लक्ष्य से बहुत दूर। जूट के सामान का नियर्ति लक्ष्य 6.5 लाख टन से बहुकार 10.21 लाख टन बरने दा था, लेकिन योजना के अन्तिम वर्ष में चालतविक नियर्ति 8.75 लाख टन हुआ। हितीय योजना के अन्तर्गत केवल एक नई इकाई खोलने की आज्ञा प्रदान की गई। जूट के बने हुए माल में 12 लाख टन बृद्धि का लक्ष्य रखा गया तथा कच्चे जूट के उत्पादन का लक्ष्य 6.5 लाख टन गाठ रखा गया। नियर्ति का लक्ष्य 9 लाख टन रखा गया। योजनावधि में उत्पादन व्यवहार करने, मशीनों का आधुनिकी करण करने सम्मान नियर्ति व दाने के लिए विद्युत प्रयत्न लिए गए। इस योजना के अन्त में कच्चे जूट का उत्पादन केवल 43 लाख गाठ हुआ तथा जूट वस्तुओं का उत्पादन 9.70 लाख टन हुआ। तृतीय योजना ने कच्चे जूट का उत्पादन लक्ष्य 6.2 लाख गाठ रखा गया तथा जूट के सामान का उत्पादन लक्ष्य 13 लाख टन रखा गया। इसके अनावा 'मेस्टा' (जूट की स्थानापन घस्तु) से 13 लाख गाठ प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नियर्ति का लक्ष्य केवल 9 लाख टन रखा गया है। तृतीय योजना में कच्चे माल की पूर्ति सम्बन्धी कठिनाईयों के बावजूद उत्पादन व नियर्ति के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए। इस योजनावधि में जूट की कठिनाई कहाँ से तेज़ी से छिपाई है उत्तरांग हुआ है उत्तरांग हुआ है कठिनाई कहाँ पूरी तरह बचानीकरण कर दिया गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 74 लाख गाठ कच्चे जूट की उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस उद्योग की उत्पादन क्षमता नये कारखानों की तोलकर नहीं बढ़ाई जायेगी, अपितु पुराने कारखानों की विधानों ना ही विस्तार किया जायेगा। विगत दर्शों में जूट उद्योग में होने वाले उत्पादन को अप्रलिखित सालिका में दिताया गया है:

जूट निर्मित माल का उत्पादन (हजार टनी में)

वर्ष	उत्पादन
1950-51	837
1955-56	1071
1960-61	1097
1965-66	1302
1966-67	1117
1967-68	1156
1968-69	998
1969-70	944
1970-71	958

वर्तमान हिति भारतवर्ष में इह समय 112 जूट के कारखाने हैं। इन कारखानों में 101 कारखाने पर योगल में हैं। आध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में प्रमुख 4,3,3,1 कारखाने हैं। इन कारखानों में 73,000 कर्मचारी हैं। इन समस्त कारखानों की उत्पादन-क्षमता 14 लाख टन वाधिक है। इस उद्योग में लगभग 2,57 लाख लोग कार्य में लगे हुए हैं। तथा लगभग 91,49 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है। सन् 1970-71 में 190 करोड़ रुपये की जूट की वर्तुओं का निर्यात किया गया।

जूट उद्योग की प्रमुख विशेषताएँ (Special Features of the Jute Industry)

भारतीय जूट उद्योग की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं : (i) यह उद्योग पश्चिमी योगाच में ही केंद्रित है क्योंकि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ काण्डा माल, पानी तथा विज्ञी मरक्का से प्राप्त हो जाती है, (ii) भारत के जूट उद्योगों का उद्भव एवं विकास श्रिदिया पूँजी से हुआ है, (iii) भारतीय जूट उद्योग अपने विकास के लिए निर्यात एवं विदेशी बाजारों पर निर्भर है। भारत में उत्पादित जूट के माल का 80 से 90 प्रतिशत भाग का निर्यात कर दिया जाता है; (iv) इस उद्योग का नियन्त्रण प्रबन्धक एजेन्सियों के अधीन है। जूट उद्योग की उत्पादन क्षमता का लगभग 1/4 भाग दो प्रबन्धक एजेन्सियों के अधीन है, (v) बाजार में या पा नट मार्केट के अन्तर बढ़े हैं जबकि अन्य क्षेत्रों में स्थापित मिलों के बाजार छाटे हैं; (vi) जूट के उत्पादन एवं वितरण पर तारकार वे कभी किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं करते हैं, तथा (vii) विषत् कुछ दर्तों से जूट उद्योग का उत्पादन व निर्यात ग्राज़ स्थिर रहा है।

जूट उद्योग की कठिनाइयाँ एवं समस्याएँ तथा सुझावः भारतीय जूट उद्योग के सामने निम्नलिखित प्रमुख समस्याएँ हैं—

1. कच्चे माल का अमावः भारतीय जूट के समस्त कारखानों को अपनी सम्पूर्ण उत्पादन कारबंड के लिए कम से कम 72 लाख गांठों की आवश्यकता होती है। कच्चे जूट का उत्पादन इतना नहीं होता, उद्याहरणार्थ 1966-67 में कच्चे जूट की केवल 62 गाठे ही उत्पादन की गई थी। इस समस्या का निवान केवल यही है कि प्रति एकड़ डप्पे बड़ावे की ऐष्टा की जाय, अधोलियदि अधिक लेने में इसका उत्पादन किया जाने लगेगा, तो जासानों की पूति कम हो जायेगी।

2 विदेशी प्रतिस्पर्द्धा : भारतीय जूट उद्योग प्रमुखतः निर्यात उद्योग है, परन्तु उसे अब कठोर प्रतिस्पर्द्धा पा सामना करना पड़ रहा है। विदेशी प्रतिस्पर्द्धा का इस पर बहुत दुरा प्रभाव पड़ रहा है। पाकिस्तान के अंतरिक्ष नव्य-पूर्व तथा अफ़्रीका के सुदूरपूर्व के कुछ देश, जैसे—याइलैंड, घाना, नाइजीरिया आदि भी अपने-अपने देशों से भारतनिर्भरता की दृष्टि से जूट उद्योग वा विकास कर रहे हैं। भारत को प्रतिस्पर्द्धा की चुनौती का सामना करने के लिये; (i) कच्चे जूट की उत्पादन विधि सुधारकी चाहिये, (ii) अभिनवीकरण अभ्यास का चाहिये; तथा (iii) जूट-निर्यात वस्तुओं को आर्थिक सहायता (Export Bonus) देनी चाहिये।

3 अभिनवीकरण की समस्या : भारतीय जूट की मिलों में लगी हुई मशीनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान व अन्य देशों में नई-नई मशीनें लगाई गई हैं। अब यदि हमें प्रतिस्पर्द्धा का प्रभावशाली ढंग से सामना करना है, तो दिना देर किये इस उद्योग में अभिनवीकरण की योजना लागू की जानी चाहिये। भारत सरकार हारा बाषुनिकीकरण के लिए क्षण तथा अवश्यक मशीनरी आवाद करने के लिए लाइसेन्स दिए जा रहे हैं। देश में ऐसी मशीनरी हैंगार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक बाषुनिकीकरण पर 50 करोड़ रुपये लचं किए जा चुके हैं, लेकिन अभी और धनराशि की आवश्यकता है। यरकार हारा दीर्घकाल के लिए, कम व्याप पर इस धनराशि की अवध्या की जानी चाहिए।

4 स्थानापन वस्तुओं का भव्य : भारत से मुख्यतः टाट के बोरो का निर्यात किया जाता है। अमेरिका में टाट के स्थान पर अब कागज के बोरो का प्रयोग होने लगा है। अब अनेक स्थान पर वस्तुओं का भी निर्माण किये जाने की समस्या है। अतः हमें जूट-वस्तुओं के मूल्य कम करने होंगे, उनके उत्पादन में विविधता लानी होगी तथा नये नये वाकारों की सोज करनी पड़ेगी, ऐसा करने पर ही मह उद्योग प्रगति सकेगा।

5. छंची लागत व्यव : भारतीय जूट उद्योग को कच्चे जूट के लिये बेताकृत अधिक मूल्य देना पड़ता है। अभियो में मढ़दूरी की उत्तरोत्तर व्यवोत्तरी भी लागत व्यव बढ़ाती है। लागत व्यव वह जाने के परिणामस्वरूप इण उद्योग की प्रतिस्पद्धा संकेत कम हो जाती है। अत अभियोकरण, छोटी छोटी इकाइयों का एकीकरण, दो पालियों का चलना, कच्चे माल के लिये समोकरण भण्डारों की स्थापना करना, आदि कदम उठाये जाने चाहिये।

6. परिवहन मुद्रिताओं की कमी : जूट उद्योग प चंगाल में ही केन्द्रित है। प चंगाल अन्य बहुत से उद्योगों का भी केन्द्र है, इस कारण ऐसे अधिकारी जूट व जूट के माल के बजाय अन्य वस्तुओं की दुलाई को प्राप्तिकरण देते हैं। जूट की नदियों द्वारा लाया जाता है जो बड़ा अतुरिधारणक है। असम व बिहार में उत्पादित जूट यातायात के साथनों के अभाव के कारण चंगाल की जूट मिले तक नहीं पहुंच पाता। इस समस्या का निराकरण यातायात के साथनों के विस्तार द्वारा ही दूर किया जा सकता है। जूट उद्योग के लिये सस्ते व द्रुतगमी परिवहन के साथनों को सुविधा दिलाना आवश्यक है।

7. अनुसंधान मुद्रिताओं का अभाव . भारतवर्ष में जूट उद्यादन के सम्बन्ध में अनुसंधान सम्बन्धी मुद्रिताओं नी दहूष सीधित हैं। केन्द्र 'जूट उद्योग योविधाल' (Jute Industry Research Institute) करक्ता ही इस सम्बन्ध में कुछ अनुसंधान सम्बन्धी कार्य करती है। उत्पादन लागत को कम करने, उत्तम कोटि का माल बनाने तथा जूट की दर्दी तर्दी उपगोंगी वस्तुओं बनाने के लिए अनुसंधान सम्बन्धी मुद्रिताओं का विकास किया जाना चाहिये।

8. अन्य समस्यायां . जबत समस्याओं के अतिरिक्त, तहनीकी विदेशी की कमी, चुंगाल व प्रतिक्षित अभियो का अभाव, कीमतों में गिरावट, कच्चे जूट की पूर्ति की अनिवितता आदि कई अन्य समस्यायें हैं, जिनका निराकरण आवश्यक है। भारत की जूट निर्यात बढ़ाने के लिए करों में कमी की जाती चाहिए। पाकिस्तान अपने जूट के निर्यात पर 32 प्रतिशत उत्पादन (Subsidy) दे रहा है जबकि भारत निर्यात पर कर लगाता है। इससे जूट का निर्यात बढ़ हो रहा है। भारत से जूट का निर्यात 1960-61 में 284 मिलियन डालर से घट कर 1970-71 में 254 मिलियन डालर ही रह गया है।

जूट उद्योग की समस्याओं के निराकरण के कुछ सुझाव ऊर ग्रन्तुर किये गये हैं। भारत सरकार ने सन् 1962 ई० में दो यन० मी० शोधास्त्रकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इसे जूट उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने व सुझाव देने का कार्य सौनागया था। इसने सन् 1963 ई० में अपने निम्न-लिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं : (i) अच्छे किस्म के बीज व राष्ट्रायनिक खाद का

प्रमोग दरके प्रति एकड़ उपज बढ़ाई जाय, (ii) राजकीय कृषि विभागों के कार्य में सद्यगव्य स्थापित करने के लिये एक जूट विकास बोर्ड की स्थापना की जाय, (iii) कच्चे जूट के नग्न ह व वर्गीकरण की सुविधाएं दिलाई जाय तथा इनकी विक्री के लिये तिथिमति सहित एक गठन किया जाय, (iv) जूट फिलो की शक्ति की पूर्ण तिथिमति रूप से मिलनी चाहिये; (v) विदेशी भेज जूट आयार पर लगे निष्पत्तियों को हटाने के लिये नेट्टा की जानी चाहिये, (vi) नए-नए प्रकार के जूट उदायों के उत्पादन के लिये 'Market Intelligence Service' का गठन किया जाना चाहिए।

यह हृष्य का विषय है कि भारत सरकार ने परस्परागत वस्तुओं के उत्पादन एवं पुरान बाजारों में ही सामान की विक्री की प्रवृत्ति से दूर करने तथा नए क्षेत्रों को खोजने के लिए एक जूट समिति का गठन किया है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, "यदि जूट उद्योग कृतिम रेस्ट्रो (Synthetic Fibres) के प्रतियोगी के रूप में उत्पान प्राप्त करना चाहता है तो इसे भी तकनीकी परिवर्तनों का अनुकरण करना होया तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकता व रुचि की जानकारी प्राप्त करनी होगी। तकनीकी परिवर्तनों के अवलोकन से कुछ विशेष प्रकार की बद्धुएं बनाई जा सकती हैं जैसे सूखी थेले का उत्पादन, टाट (Hessian) को अधिक सकेद बनाने की प्रक्रिया आदि। सेविन अभी तक देश का जूट उद्योग इन नवीन उत्पादों (Products) के उत्पादन में बहुत ज्यादा हित लेता है। भारत की जूट मिले उपभोक्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को दूरा करने में रुचि नहीं लेती तथा विशिष्ट वस्तुओं के लिए निर्यात किए गए अनेक विद्युत बाँधों ने अवधीनार कर देती हैं।"

जूट उद्योग भारत को मूल्यवात् विद्युति विनियम दिलाने वाला उद्योग है। निर्यात बाजार का महत्व इस उद्योग के लिए स्वभावित अधिक है। अब अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा के इस गुण में, जूट उद्योग की प्रतिस्पर्द्धा दक्षित को बढ़ावा प्रदायक है, अन्यथा यह उद्योग समाप्त हो जायेगा। अतीत में इस उद्योग ने पर्याप्त नफ़लता प्राप्त की थी। तथा अब बगला देश के एक अलग राष्ट्र के रूप में उदय हो जाने से, अहा पाकिस्तान के कुल 60% कच्चे जूट का उत्पादन होता है तथा भारत व बगला देश की बढ़ती हुई विभागों द्वारा देखते हुए, इस उद्योग का भविष्य बहुत ही उत्तम है। सेविन इसके लिए भारत सरकार को भी अपने प्रयत्न जारी रखने होंगे।

चीनी उद्योग (Sugar Industry)

भारतवर्ष के मण्डिन उद्योगों में लोहा व इसपात्र उद्योग एवं सूखी वस्त्र उद्योग के पश्चात् चीनी उद्योग का ही स्थान है। चीनी भोजन का प्रमुख पदार्थ है, जिसका

1. Export market is the life blood of our Jute Industry."

—Morarji Desai

मनुषित आहार में पहल्वपूर्ण स्थान है। भारतीय वर्ष अवस्था में इसका दोहरा महत्व है। एक ओर तो कृषि के सेव में किसानों में प्रिय व्यावसायिक फसल है और दूसरी ओर यह महत्वपूर्ण उद्योग है जो जीवन की आवश्यक बारतु की दूति करता है। भारत वर्ष में इस उद्योग में लगभग 102 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है तथा डें लाख से भी अधिक अभियों को रोजगार मिला हुआ है। इस उद्योग के माध्य 20 लाख गन्ना उत्पादन करने वाले कृषि की समृद्धि भी जुड़ी हुई है। केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा उत्पादन कार के रूप में जाय प्राप्त होती है। गत कई वर्षों से चीनी के निर्यात से विदेशी विनियम भी प्राप्त किया जा रहा है।

सक्रिय इतिहास वैसे ही चीनी उद्योग हमारे देश का प्राचीन घरेलू उद्योग रहा है। पर बीसवी शताब्दी में सन् 1903 ई० से यह आधुनिक दृग के कारखानों के रूप में जलाया जा रहा है। इन उद्योग का विकास प्रारम्भ में धीमी गति से हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् सत्तार के अतेक देशों में चीनी के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई पलस्वरूप इसका मूल्य घिरने लगा। भारत में इस समय बहुत बड़ी मात्रा में चीनी का आयात होने लगा और यह पहा बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध होने लगी। भारत सरकार द्वारा आय की दृष्टि से विदेशी चीनी पर दर लगाया एया था, लेकिन इन पर के बाबजूद भी विदेशी चीनी का मूल्य भारतीय चीनी के मूल्य से कम ही पड़ता था। ऐसी स्थिति में भारत के गन्ना उत्पादक राज्यों में इस उद्योग के लिए सरकार की माय की जाने लगी। सरकार ने इस उद्योग की स्थिति की जाच करने के लिए 1929 में एक प्रशुल्क मण्डल नियुक्त किया जिसकी हिफारिशों के आधार पर इस उद्योग से 1931 में सरकार प्रशान विया गया।

सरकार के पश्चात् इस उद्योग ने बड़ी ही गति से विकास करना प्रारम्भ किया। सन् 1921-32 में देश में चीनी कारखानों की संख्या केवल 32 थी तथा ये 16 लाख टन चीनी का उत्पादन प्रतीत है। लेकिन सरकार से श्रोताहित होकर चीनी कारखानों की संख्या 1938-39 में धटकर 132 हो गई तथा चीनी का उत्पादन 6.7 लाख टन हो गया। सन् 1931 से पूर्व हम प्रतिवर्ष 10 लाख टन चीनी का आयात करते थे जो 1938-39 में धटकर बेबल 22 हजार टन रह गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार के पलस्वरूप कुछ ही वर्षों में भारत विश्व के चीनी उत्पादक देशों में सर्वोच्च रागे हो गये।

सन् 1939 के पश्चात् इस उद्योग ने विशेष उन्नति नहीं की। हिन्दी विश्व युद्ध से भारतीय चीनी उद्योग को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ बल्कि मार्ग बड़ जाने और यातायात की कठिनाई के भारण चीनी के वितरण पर दियन्द्रिष्ठ किया गया जो

1947 तक चलता रहा। सन् 1943-44 में चीनी का उत्पादन 12 लाख टन था जो 1946-47 में घटकर बेबल 9 लाख टन रह गया था।

सन् 1944 में इस उद्योग के कच्चे माल गन्ने की स्थिति सुधारने के लिये केन्द्रीय गन्ना समिति नियुक्त की गई। 1947 के देश के विभाजन पां असंत इष्ट उद्योग पर नहीं पड़ा, क्योंकि देश के चीनी के कारखाने व मन्ना उत्पादक क्षेत्र देश में ही रह गये थे। सन् 1950 ई० में इस उद्योग को दिया जाने वाला सरकार दृष्ट लिया गया।

प्रबन्धित योजनाओं से चीनी उत्पादन : प्रथम योजना। सन् 1951 भौं, अवृत्ति प्रथम योजना के प्रारम्भ में, भारतवर्ष में 158 चीनी के कारखाने थे जिनके द्वारा 11 लाख टन चीनी उत्पादन की जाती थी। इस योजना में चीनी उत्पादन का लक्ष्य 15.5 लाख टन रखा गया। योजना के द्वारा चीनी कारखानों की संख्या बढ़कर 160 हो गई और उत्पादन लक्ष्य से काफी अधिक निकल गया, अर्थात् अनियम वर्षे में उत्पादन 18.6 लाख टन पहुँच गया। उत्पादन बढ़ने के कालस्वरूप चीनी के मूल्य कुछ कम हुए तथा चीनी का आवात भी अब ज्ञातशक्ति न रहा। इस योजनावधि में इस उद्योग की प्रगति का प्रमुख रहस्य यह था कि योजना के अन्तिम दो वर्षों में गन्ने की काल बहुत अच्छी हुई जिससे चीनी मिलों को अग्नी पुरी धारगता भर काम करने का अवसर मिल सका। अत उत्पादन में आकाशीत वृद्धि हुई। इस योजनावधि में सन् 1954 में 43 चीनी मिलों की स्थापना तथा 42 दुरानी चीनी मिलों के विस्तार की एक योजना की स्वीकृति दी गई। इस योजनावधि में इस उद्योग के विकास के लिए 15 करोड रुपये व्यय किए गए। द्वितीय योजना में उत्पादन लक्ष्य 25 लाख टन रहा गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरानी मिलों के विस्तार पर बल गया। योजनावधि में सहकारी क्षेत्र में 35 नई मिलें खोलने का लक्ष्य था। इस योजनावधि के अन्त में चीनी मिलों की संख्या 175 थी। द्वितीय योजनाकाल में इस उद्योग के विकास एवं विस्तार कार्यक्रम पर 56 करोड रुपये व्यय किए गए। 1960-61 तक देश में 30 चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हो चुकी थीं। इस योजनाकाल में चीनी के उत्पादन में काफी उत्तर-चढ़ाव हुए। योजना के प्रथम वर्षे में चीनी का उत्पादन हीक रहा लेकिन अपले दो वर्षे खराब रहे। लेकिन, फिर, बाद में दो वर्षों में स्थिति सुधर गई तथा 1960-61 में चीनी का उत्पादन 30.29 लाख टन हुआ जो लक्ष्य से भी अधिक था। द्वितीय योजना में 30 से 35 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इस योजनावधि में सहकारिता के आधार पर 25 नए चीनी के कारखाने खोले जाने की अवस्था थी और यह आशा की गई थी कि लक्ष्य का सम्भग एक चौमार्ह उत्पादन सहकारी मिलों से प्राप्त होगा। चीनी उद्योग

सम्बन्धी मध्यीनरी के सम्बन्ध में भी यह आशा थी कि इस योजनावधि के अन्त तक देश इनके सम्बन्ध में खास-निर्भर हो जायेगा। तृतीय योजना के अन्त में अर्थात् 1965-66 में चीनी का उत्पादन 35·10 लाख टन हुआ। इस समय चीनी मिलों की सख्ता 186 थी जिसमें 65 सहकारिता के आधार पर चलने वाली मिलें थीं।

तृतीय योजना के बाद के दो वर्ष इस उत्पादन के लिए अच्छे सामित नहीं हुए, क्योंकि लगातार सूखे के कारण गल्ला उत्पादन बहुत कम रहा तथा इसके अभाव में कई मिलों को बन्द रहना पड़ा। 1966-67 में चीनी का उत्पादन केवल 23 लाख टन रहा तथा 1967-68 में 22·49 लाख टन। 1970-71 में यह उत्पादन 37·40 लाख मिलियन टन तक पहुँच गया।

चीनी योजना से चीनी का उत्पादन लक्षण 45 लाख टन रहा गया है। इस काल में 70 नये कारखाने और स्थापित किए जायेंगे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि चीनी के उत्पादन के लक्षणों को प्राप्त करने में हमें पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत उत्साहवर्धक सफलता प्राप्त हुई है। चीनी उत्पादन की वृद्धि बहुत कुछ हृषि पर निर्भर रहती है, क्योंकि गल्ला एवं हृषि पदार्थ है। गल्ले की उपज स्वयं अन्य कारणों के साथ प्राकृतिक कारणों पर भी निर्भर करती है। यही कारण है कि चीनी के उत्पादन में समस्त-समय पर घटनबद्ध होती रही है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है।

वर्ष (नवम्बर से अक्टूबर)	चीनी का उत्पादन (लाख टनों में)	वर्ष (नवम्बर से अक्टूबर)	चीनी का उत्पादन (लाख टनों में)
1955-56	18·90	1963-64	25·69
1956-57	20·74	1964-65	32·60
1957-58	20·00	1965-66	35·10
1958-59	19·51	1966-67	23·00
1959-60	24·82	1967-68	22·49
1960-61	30·29	1968-69	35·60
1961-62	27·14	1969-70	42·60
1962-63	21·52	1970-71	37·40

चीनी उद्योग की वस्तुमान स्थिति सन् 1969 तक देश में 205 चीनी के कारखाने थे। इसमें से अधिकतर कारखाने उत्तर प्रदेश (71) व बिहार (30) में थे। इन चीनी कारखानों की उत्पादन क्षमता 38.61 लाख टन के लगभग की है। इनमें 20 कारखाने सहकारी क्षेत्र में थे। अधिकतर सहकारी क्षेत्र के कारखाने महाराष्ट्र (20) में तथा कोयंगुड्गात, केरल, तमिलनाडु, झान्ध, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में हैं। चीनी उद्योग प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में केन्द्रित हो चपा था, लेकिन बद यह उद्योग देश के अन्य भागों में खासकर दक्षिण में भी विकसित हो रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मैसूर व आन्ध्र राज्यों में अब यह उद्योग उत्तरोत्तर विकसित होता जा रहा है। दक्षिण भारत में गाने की किसी विषय विपेक्षा कृषि अच्छी है। बहु के कारखाने उत्तर के बारखानों की विपेक्षा अधिक प्रदृढ़ कृशल हैं और हो सकता है कि निवट भविष्य में चीनी उत्पादन के क्षेत्र में वे उत्तर भारत से बाजी मार ले जाए। इस उद्योग के विकास में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हो रही है कि बद पिछले 15 वर्षों से सहकारिता के क्षेत्र में यह उद्योग सकलता से जलाया जा रहा है। इस उद्योग की एक अन्य विशेषता चीनी का निर्यात है। भारतवर्ष पहले चीनी के नामके में जात्यनिमंत्र नहीं था। उसे विदेशों से चीनी का आयात करना पड़ता था, लेकिन बद पूरे 22 वर्षों से यह उद्योग निर्यात के हाता देश को आवश्यक विदेशी मुद्रा भी प्रदान कर रहा है। गत कुछ वर्षों में चीनी के निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है—

चीनी निर्यात से अनुमान विदेशी मुद्रा

वर्ष	चीनी का निर्यात (करोड़ हॉ में)
1951-52	0.65
1955-56	0.96
1960-61	3.28
1965-66	11.34
1966-67	16.12
1967-68	15.94
1968-69	10.19
1969-70	8.59
1970-71	27.57

चीनी उद्योग की प्रमुख विशेषताएँ (Main Features of the Sugar Industry) भारत में चीनी उद्योग की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं :

(1) भारत में यह उद्योग मुख्यतः उत्तर प्रदेश व बिहार में ही केन्द्रित है। इन दो राज्यों में गन्ने की कुल फसल का 66 प्रतिशत भाग बोया जाता है तथा देश की कुल चीनी मिलों की 75 प्रतिशत मिलें इन्हीं दो राज्यों में हैं।

(2) भारतीय चीनी की उत्पादन लागत विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक है।

(3) इह उद्योग की अधिकांश मिलों की उत्पत्ति 20-30 वर्ष पूर्व हुई थी, अतः इनकी गतीय मुद्रणी है जिनके बदलने की आवश्यकता है।

(4) भारत में चीनी बो प्रकार की होती है, सफेद चीनी न खाइसारी। सफेद चीनी के उत्पादन पर खाइसारी के उत्पादन व मूल्यों का प्रभाव पड़ता रहता है, क्योंकि खाइसारी के मूल्य बढ़ जाते से गन्ने के पूर्ति की दिना मिलों की ओर न होकर खाइसारी उत्पादन की ओर हो जाती है।

(5) पहले यह उद्योग पूर्णतः नियंत्रित सेवा, लेकिन अब सहकारी क्षेत्र उत्तरोत्तर अधिक हिस्सा दटाता जा रहा है।

(6) भारत में पहले उत्पादन कम होने के पारण चीनी का बायात होता था, लेकिन वर नियंत्रित होने लगा है।

(7) भारतीय चीनी उद्योग पर सरकारी नियन्त्रण की प्रधानता रही है। सरकार ने इस उद्योग के उत्पादन मूल्य, वितुरण व परिवहन आदि पर समय-समय पर अपना नियन्त्रण रखा है।

(8) भारत में चीनी उद्योग की स्थिति उत्पादन की दृष्टि से सदैव अस्थिर रही है, कभी कम कभी अधिक।

उद्योग की समस्याएँ एवं सुझाव

भारतवर्ष में चीनी उद्योगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे निम्नांकित हैं :

1. उत्पादन लाभत की समस्या : भारत में चीनी उत्पादन की लागत विश्व की अन्य देशों की तुलना में अधिक है। गन्ने की प्रति एकड़ कम उपज, गन्ने में चीनी की मात्रा का कम होता तथा गन्ने के पेरने की कामता कम होने के कारण हमारी लागत व्यय बढ़ जाती है। भारतीय चीनी के उत्पादन में 60 प्रतिशत भाग गन्ने का होता है। अत लागत व्यय को कम करने के लिए उच्च कीटि का गन्ना पेंदा किया जाय, प्रति एकड़ उपज बढ़ाई जाय, गन्ने पेरने की कामता में भी बुद्धि की जाय।

2 रिपलि सम्बन्धी समस्या भारतवर्ष में चौनी उद्योग उत्तरी भारत में केन्द्रित हो गया है जबकि इनके विकास व उन्नति की दशाये दक्षिणी भारत में उपलब्ध हैं। वहाँ की अनुरूप रिपलि में उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक और सस्ता हो सकता है। सन् 1960-61 से उत्तर प्रदेश व दिल्ली में जहाँ देश का प्राय दो तिहाई गन्ना पैदा किया जाता है, गन्ने की प्रति एकड़ उपज कमश 12.0 तथा 11.2 टन थी जबकि तमिलनाडु व आनंद में 58.2 टन तथा महाराष्ट्र में 31 टन थी। अत देश में नई तुलने वाली चौनी की फंक्टरिया दक्षिण में ही खुलनी चाहिये।

3 प्रति एकड़ गन्ने की उपज का कम होना भारतवर्ष में प्रति एकड़ गन्ने की उपज अन्य चौनी उत्पादक देशों की तुलना में बहुत कम है। जावा तथा हड्डाई हीण में प्रति एकड़ गन्ने की उपज कमश 56 तथा 52 टन है जब कि भारतवर्ष में लोगत प्रति एकड़ उपज केवल 15 टन ही है। कानपुर व लखनऊ में प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए जो अनुसंधान यात्राएँ लाली गई हैं, वे इस क्षम्भ में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं।

4 गन्न की किस्म का खराब होना भारतीय गन्ने की किस्म अपेक्षाकृत खराब है, मार्गीय प्रति एकड़ उत्पादित गन्ने से 1.37 टन चौनी हिस्सती है, जबकि पश्चिम, हड्डाई हीण व जावा में प्रति एकड़ में उत्पादित गन्ने से कमश 2.58 टन, 6.88 टन तथा 6.44 टन चौनी प्राप्त होती है। गन्ने से प्राप्त चौरी का प्रतिशत बास्ट्रेलिया में 14.33, क्षूना में 12.25, मारिदास में 12.8 तथा जावा में 11.49 है। जबकि भारत में यह लेवल 9.5 प्रतिशत ही है। गन्न से अपेक्षाकृत कम चौरी प्राप्त करने का एवं कारण यह भी है कि पिलो में गन्ना पहुचाने से बेर होती है जिससे गन्ने का रस सूख जाता है और चौरी का अनुपात घट जाता है। उन्नत चौरी, सिन्हाई वी सुविधा, अच्छी ज्वाद आदि से उत्पादन की किस्म व मात्रा दोनों ही बढ़ाव जा सकती है।

5 अनाधिक आकार के चौरी के कारखाने हमारे देश में अधिकास चौरी के कारखाने स्टोट आकार वे हैं, जिनकी गन्ना पैरने की दैनिक धमता केवल 700-800 टन है। अन्य देशों में कारखानों की दैनिक गन्ने की धमता 3,000 टन होती है। 'भारतीय चौरी उत्पादकाल' (Indian Sugar Producers' Team) ने छोटी छोटी चौरी पिलो के बिलब का गुणव दिया है।

6 तानिक विशेषज्ञों व अनुसंधान सुविधाओं की कमी अनुसंधान के क्षम में भारतवर्ष में केवल थो स्थाए हैं। सामान्यत चौरी कारखानों को विशिष्ट प्रयोग प्राप्त विशेषज्ञ पिल मही पाते। अत अनुसंधान सम्बन्धी व तकनीकी प्रयोग क्षम याम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिये।

7. अद्योग पदार्थों के पूर्ण उपयोग की समस्या : चीनी टचोल में खोई, शीरा, प्रेसमह, केनट्रोटा आदि अद्योग पदार्थ बचते हैं, जिनसे विद्युत प्रशार की बमतुओं का निर्माण किया जा सकता है। भारत में इन पदार्थों का समूचा लाप नहीं उठाया जा रहा है। आजवर्त देश की चीनी मिलों में प्रत्येक 300 से 400 हजार टन शीरा (Molasses) निकलता है जिसमें से अधिकांश बेरार द्वारा जाता है। इसमें 20 से 25 प्रतिशत गैलन जलोहन तैयार की जा सकती है। गने की खोई से कागज, काढ़ दोड़ आदि तैयार किया जा सकता है। यदि इन अद्योग पदार्थों का यथोचित उपयोग किया जाय तो एक ओर तो कारखानों की आप ग्रृहित होगी तथा दूसरी ओर वे तीन वीं राजत भी पट आयेंगी। इन अद्योग पदार्थों का उचित उपयोग करने के लिए इस उद्योग को सामूहिक प्रबलत बरने चाहिए।

8. समर्थय का सम्बन्ध इस उद्योग के तीन दोगों, यथा—चीनी, गुड़, काढ़-सारी में सम्बन्ध नहीं है, फलस्वरूप एक दूसरे के मार्ग में बाधाएं पैदा हो जाती हैं, बड़ोहि सापेक्षिक मूल्यों भी अन्तर के कारण इनके परस्पर प्रतिस्पर्धा होने लगती है। अतः इन तीनों उद्योगों में सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए।

9. परिवहन सम्बन्धी गमन्या भारत में चीनी पिलों गने के खेतों के पास न होकर योही दूर होती है। इन सतीं से मिले रक्क गना पृथ्वीने में परिवहन की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। भारत के यामीण झेंजों में या तो गहके ही नहीं या देव अच्छी नहीं है। इसलिए जन से शिक नहीं गना। लूकाने में अगुविधा एवं देरी होती है। याच ही देरानों जान के मार्ग रनों का रस सूख जाना है। परिवहन मम्बन्धी असुविधाएं दूर करने, जो यह उद्योग की डनति के लिए रही, द्रुतगति व पर्याप्त परिवहन के साथ उपलब्ध न गए जाए।

10. नियंत्रित होन्या भारतवर्ष, चिदेशी मद्रास को प्राप्त करने के लिए मुच्छ वर्षों ने जीनी वा नियंत्र-रक्क रक्क है। जानक ए हालन-नी जपेश कृत विजयता के पारण, भारतीय चीनी घटनी पहल है। ऐसिन अन्तरास्ट्रीय मूल्य अन्तर जी राजि देणा न राखार इस उद्योग जो आदराप था जानारी में चीनी देशमें लिए प्रोत्तोहित नहीं है। इस प्रवार तरकार को धाटा होता है। यह समस्या उपादन मूल्य घटाकर सुलझाई जा सकती है।

11. अस्य समस्याएँ वर्दि प्रशार के वरी की समस्या, दैषन के अभाव की समस्या, परेलू भाग में वृद्धि की समस्या आदि अस्य समस्यायें हैं, जिनका निरापुरण चीन होगा चाहिए, ताकि उद्योग के विवास के मार्ग की वापर्ये दूर हो जाए।

इसर्वंत अस्यात् से हार्दिक हो जाता है कि इस उद्योग के नामने वर्तमान समय में वर्दि समस्यायें हैं। इनमें से मुच्छ समस्यायें जानानी से हल की जा सकती हैं। सरकार इस उद्योग की उन्नतशील व्यवासे के लिए प्रबल वर रही है। अनुसधान पर भी

बड़ अधिकारिक व्यापार दिया जा रहा है। सरकार को भीनी के वितरण गतवर्षी अपनी नीति सुधारनी चाहिए तथा समस्याओं को घरेसे हटाकर इस उद्योग को विकास-पथ की ओर ले जाने के लिये रचनात्मक कार्य करने चाहिए।

भारत में उद्योगों के पिछड़ेपन के कारण

यद्यपि भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् औद्योगिक विकास की गति में तेजी आई है, तथा नियोज सार्वजनिक क्षेत्रों में पुराने उद्योगों के विकास और नये उद्योगों को जाल करने के 'मराहनीय' प्रयत्न किये गये हैं, तथापि हमारे उद्योगों में विकास के उस रौप्यान पर अभी तक कदम नहीं रखा है, जिस पर विश्व के अन्य उद्योग-प्रधान देश वहाँ चुके हैं। भारतीय उद्योगों के विकास के मार्ग में अनेक बाधाएँ ये समस्याएँ हैं। इन बाधाओं को जब तक दूर नहीं कर सका जाता, तब तक हमारे उद्योगों का पिछड़ापन भी दूर नहीं हो सकता। ये समस्याएँ गश्त में निम्नलिखित हैं :

1. पूँजी का अभाव : भारतवर्ष में सामान्यतः पूँजी का अभाव पाया जाता है। लोगों में बहुत ही इच्छा, परित व साधनों की कमी है। इनके अभाव में पूँजी का नियमण गंद गति रो होता है। भारत में राष्ट्रगत व्यवितृष्णी की सूचा बहुत कम है। हमारी बनत की दर राष्ट्रीय आय का केवल 8.5% भाग ही है। दिना वूँजी के उद्योगों का विकास गतरक्षण सा प्रतीत होता है।

2. विदेशी पूँजी की कमी : देश की पूँजी कमोली है। विदेशी पूँजी की उपलब्धता भी पर्याप्त नहीं है। औद्योगिकरण के लिये आवश्यक पूँजीगत सामान, जेन्स, मशीनों के अभाव में देश के औद्योगिक विकास की वस्तुन नहीं दी जा सकती। हमें विदेशों में मशीनों की भारी सक्षमा में आवश्यकता होती है। ये विदेशी मशीन विदेशी पूँजी के अभाव में प्राप्त नहीं की जा सकती।

3. प्रत्युति पर निर्भरता : भारतवर्ष में विद्यालय उद्योग कृषि पर निर्भर है। शूली-न्यस्त उद्योग, शोली उद्योग, जूट-उद्योग आदि प्रमुख उद्योग कृषि पर आविष्ट हैं। जूषि वा उत्पादन प्राकृतिक प्रकोष्ठों के कारण अनिश्चित सा रहता है, फल-स्वरूप इन कारगरों को वच्चा माल नियमित रूप से नहीं मिल पाता। तथा मूल्यों में बहुत अधिक उत्तर चढ़ाव होते रहते हैं। इसका असर इन उद्योगों के विकास पर बुरा पड़ता है।

4. राजती शक्ति की कमी : भारतवर्ष में शक्ति के साप्तगों के रूप से जलनियंत्रण, कोयले व जल-विद्युत का प्रयोग किया जाता है। जल-विद्युत मा विकास जमी तक पूर्णका को प्र-प्ल नहीं कर पाया है। कोयला और लनियंत्रण तेल शक्ति के साप्तग के रूप में बहुत महंगे पड़ते हैं। दिना सूखे शक्ति के माध्यम के औद्योगिक विकास गति को तोड़ नहीं किया जा सकता।

5. आपदारभूत उद्योगों का अभाव : भारतवर्ष में उपभोग बस्तुओं से ग्राम-विद्युत उद्योगों का ही प्रमुखता से विकास हुआ है। इसपात, सोमेट, इन्जीनियरिंग, भारी रासायनिक तथा पूजीगत वस्तुओं के निर्माण के उद्योगों का देश में यथोचित विकास नहीं हुआ है। जारान, स्विट्जरलैण्ड व इटली जैसे देशों में भी भारत की अपेक्षा अधिक शमिल भावु व इन्जीनियरिंग जैसे मूलभूत उद्योगों में लगे हुये हैं।¹ मूलभूत उद्योगों के अभाव में सकार ओद्योगीकरण की कल्पना नहीं की जा सकती।

6. तकनीकी व प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव : भारत में तकनीकी विद्ये-पश्चों की वसी है। इनके अभाव में ओद्योगीकरण को नई दिशाएँ व उचित मार्ग दर्शन नहीं प्राप्त हो पाता। कर्मचारियों में भी सामान्य प्रशिक्षण के अभाव म अर्थात् पाये कृशालता नहीं पाई जाती। योजनावधि में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम अपनाने के कारबख्य, भविष्य में कृशल, प्रशिक्षित एवं मुदोम्य कर्मचारियों की व्यवसा में दृढ़ि हा जाने की आदा है।

7. सुधोम प्रबन्धकों का अभाव मेनेजरिंग के मनानुसार, भारत के लोगों की निर्भनता, भागिक व सामृद्धिक वन्धन तथा राज्यों से चली आ रही सकूचित विचारधारा न सुधोम प्रबन्धकों का अभाव पैदा कर दिशा है।² सुधोम प्रबन्धकों के अभाव में उद्योग-धन्धों का समूचित विकास नहीं हो सकता। जो योग्य प्रबन्धक हैं वे भी निर्जी द्वार्थों का राष्ट्रीय ह्वायों से ऊपर रखते हैं कारबख्य उद्योगों की गति अत्यन्त मन्द रही है और कुछ विशेष क्षमता तक ही सीमित रही है।

8. विदेशीकरण की ओरी ग्राहनि भारतवर्ष के मूली-वस्त्र, बूट व चीनी उद्योगों की मशीन कारों पुरानी पड़ गई है जिन्हे बदलने की प्रगति बहुत ओरी रही है। पुरानी मशीनों के कारण तथा विदेशीकरण की नीति को पूरी तरह न अपनाये जाने के कारण यहां के उद्योगों परी लाग्न अधिक हातों हैं जिसके विदेशी प्रतिस्पदियों का सामना नहीं कर पाते और उनका विकास अवश्य ही जाता है।

9. दृष्टिकोण की निर्भनता हाठ एवं आठ देशों के मनानुसार औद्योगीकरण की नीमी गति के लिए कृष्णों की गरीबी जिम्मेदार है।³ कृष्णों की क्रय खिल के अभाव में उद्योगों के बगे हुव माल को आवश्यक बाजार नहीं मिल पाता, कारबख्य औद्योगिक विकास की चति भी मन्द पड़ जाती है।

10. करों की अविकल्पा यत द्वार्थों से भारत सरकार ने कर्दै लगे कर लगान घुल कर विप्रेण्यं जैसे, उपहार वा, मृत्युक, अव्यहृत कर लाया। जलादत करों का

1. Economic Survey for Asia and Far East (1958) p. 96

2. Mellebaum Prospects for Indian Development p. 163-64

3. Dr A. R. Desai Nationalism After Independence, p. 107-8

भी भार अधिक है। इसके बलात्ता विकी कर व स्थानीय करो की भी अधिकता है। इन बरो से एक और तो पूँजी के मवय में उदासीनता आती है और दूसरी और चूंचोगपतियों से ओदीशीक विकास की भावना समाप्त हो जाती है।

11. ओदीशीक अव्वानित स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से अभियो की आधिक रिश्वत मुधारहे के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं। सरकार ने अपनी धर्म-नीति के माव्यम से एक और तो अभियो की मजदूरी, भर्ता, धोनस, आदि में बृद्धि की अनिवार्य अवस्था की है तथा दुसरी और उनके समानों को अन्यायिक महत्व देकर उन्हें हड्डतालों के लिए परीक्षण से प्रेरित किया है। इन सबका प्रभाव उद्योगों के विकास पर दूरा पड़ा है।

12. परिवहन के सावनों का अपर्याप्त विकास : यातायात व परिवहन के साधनों की कमी सासकर उन स्थानों पर महसूस होती है, जहाँ उद्योगों का केंद्रीय-कारण हो गया है। तमाम उद्योगों के सक जगह केन्द्रित हो जाने के परिणामस्वरूप लगेकाछुव कम महत्व के उद्योगों को यातायात सम्बन्धी पई नियमावधी का समान करना पड़ता है।

13. असंतुलित लोगोप विकास . भारत में, लोधीय व भौदीलिक दृष्टि से उद्योगों का संतुलित विकास नहीं हुआ है। बल्कि तां, बन्दई, नानपुर, अहमदाबाद, जमशेदपुर, शोलापुर, चिलाई, हुमपुर, सिन्धी, कोटा, तामिलनाडू आदि शहरों से ही अधिक उद्योग फैलित हैं। ऐसा का एक बहुत बड़ा भाग ओदीशीक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यह नया कारखाना खोलने का समय आता है जो राजनीतिक दबाव के कल-भवत्य में कारखाने उसी क्षेत्र में सुल जाते हैं जहाँ पहले से ही कई कारखाने विचारान होते हैं।

14. भारत सरकार की ओदीशीक नीति : भारत में स्वतंत्रता के बाद दो ओदीशीक नीतियों की कमश रन् 1948 व 1956 में घोषणा की गई रथा इसके बाद भी विभिन्न यमयों पर इन ओदीशीक नीतियों में कई बार परिवर्तन किए गए। प्रौ० यॉम का अनुमान है कि सरकार की ओदीशीक नीति ने उद्योगपतियों को निजी क्षेत्र की पूँजी की सुरक्षा के व्यवस्थ में शेष एवं अका में ढाल दिया है जिससे आशातीत ए जी हर कित्तियों नहीं हो रहा जो उद्योगों के विकास के लिए जरूरी हो।²

भारत में तोक गति से ओदीशीकरण के लिए सुझाव

(Suggestions for Rapid Industrialisation in India)

प्रारंभिक के ओदीशीक विकास में उपर्युक्त विभिन्न वाधाओं से रोके जट-नाये हैं। यदि हमें विद्य के ओदीशीक मानचित्र पर अपना स्थान बनाना है तो

ओर्योगिक विकास के लिए कई कदम उठाने पड़े, यथा, (i) पूजी निर्माण में बृद्धि-देव में पूजी निर्माण में दृढ़ की जानी चाहिए। देशवासियों को बवत के लिए प्रीत्त्याहित करना चाहिये। ओर्योगिक सहानों की दीर्घालीन व मण्डकालीन साख की पूर्ति के लिए वित्त निधियों के कोपों तथा कार्ये के बड़ी जानी चाहिये। (ii) प्राहृतिक साधनों का विवेकतुर्ण दंप से विदोहन किया जाना चाहिये। देश में उपर्युक्त खनिज पदार्थों, वन ग्रासनों विद्युत शक्ति आदि का देश के ओर्योगिक विकास के लिए योग्यता उत्पादन किया जाना चाहिए। (iii) परिवहन व सेवा-वाहन के साधनों का विहास किया जाना चाहिए ताकि देश के विभिन्न भागों से कच्चा माल एवं वर्क ओर्योगिक सहाना। मंसीब्रतिषाक्ष एवं कम खर्चों पर पहुँचाया जा सके ताकि इन हए माल को भी वाहार सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। (iv) व्यापिकों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए। शिक्षा, विज्ञान, प्रशिक्षण मुदिषाओं से धमिकों की कार्यक्षमता में योग्यता बृद्धि की जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा, अम कल्याण, आवास व्यवस्था, लाभ सहभाजन आदि योजनाओं द्वारा अधिकार में काय क प्रति रुचि एवं सत्त्वाह पैदा किया जा सकता है। (v) विदेशी-पूजी को आकर्षित बरत क प्रयत्न किया जाना चाहिए। भारत एक विकासशील देश है जिसके प्राहृतिक सौत विद्याल हैं लेकिन देश की आतंत्रिक पूजी के द्वारा ही इन प्रबुर साधनों का विदोहन नहीं किया जा सकता। अत सरकार जो इस प्रवार की ओर्योगिक नीति अपनानी चाहिए जिससे विदेशी पूजीपति हमारे देश में पूजी लगाने के लिए प्रोत्साहित हो। (vi) विदेशीकरण के कार्यक्रम में तेजी लानी चाहिए—भारत की विधिवादी चीजों, जूट एवं मूर्ती वस्त्र उद्योग की मरीजों को नई मरीजों से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। उद्योगों को चाहिए कि वे उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी सभी वापों में कुशलता की बृद्धि करें तथा उच्चों में इनों करें ताकि लागत व्यवधान न जाए। (vii) सरकारी लेन के उद्योगों की कुशलता सुधार व्यवस्था में प्रस्तुत बरता चाहिए। (viii) नियी उद्योगों व सार्वजनिक उद्योगों में गमन-वय स्थापित करना चाहिए। देश के ओर्योगिक विकास में सरकारी व नियी क्षेत्र दानों को मिलाकर कार्य बरता चाहिए। सरकार को चाहिए ति वह नियी क्षेत्र की कल्पे माल द दिन सम्बन्धी इन्डियों की दूर करे तथा इन उद्योगों को भी वही सुविधाएँ दिनाएं जो सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को प्राप्त हैं। सरकारी व नियी क्षेत्र में सुनिधाओं के आवार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। (ix) कुटीर व लघु उद्योगों व तथा बड़े उद्योग में प्रतिस्पद्धि की जगह सहयोग की भावना का बढ़ावा देना चाहिए तथा दोनों को विकास के अवसर दिए जाने चाहिए। इन उद्योगों में बजाय प्रतिस्पद्धि के सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए ताकि ये एक दूसरे के पूरक के रूप में वर्क करते हुए देश के ओर्योगिकरण की

गति को लीनता प्रदान करें। (३) अमिको व मालिकों के सम्बन्धों को मधुर बनाकर औद्योगिक सामिति की स्थापना के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए। आए दिन हड्डताल व तालेबन्दियों को रोकने के सभी सम्भव उपाय किए जाने चाहिए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त, योजनाबद्ध विकास के माध्यम से औद्योगिक नीतिं व विकास के बार्यं देश में काफी प्रगति हुई है। सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति के द्वारा सरकारी व नियोगी क्षेत्रों में तालेबल बैठाने की चेष्टा की है। उद्योगों की वित्तीय व्यवस्थाकान्त्रों की पूर्ति के लिए विशिष्ट वित्तीय सम्पादन खोली गई है। विद्या-प्रणाली को भी विधिकाधिक उद्योगोंमुख बनाया गया है। औद्योगिक बन्दुमध्याले को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को तथा दूसरी मैट्रिक्स संस्थाओं के साध्यम से प्रोत्ताहन दिया जा रहा है। मुद्रा चुने हुये क्षेत्रों में उपचुन श्रोताहन देकर विदेशी दूजी, तरनीकी जानकारी प्राप्त करने के भी प्रयाप्त किये गये हैं।¹ आशा है कि यहाँ सहकारी नीति वा सम्बल पाकर, उद्योगपरिवार व अमिकों के सहयोग से भारतीय उद्योग अविष्ट में महसूसपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करेगा।

प्रश्न

१. सक्रिय ठिकानी लिखिये—‘भारत में लौहा एव इसात उद्योग’।
२. भारत में सूकी-वस्त्र उद्योग अथवा चौली उद्योग के विकास तथा विद्युत उपराधाओं पर एक सक्रिय निवन्ध लिखिये।
३. भारतीय औद्योगिक विकास के कारणों का सम्बल कीजिए।
४. भारतीय उद्योगों की विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकृत कीजिए।
५. भारतीय सूकी वस्त्र का विकास इत्यादि बताते हुये इसकी प्रगति का उल्लेख कीजिए और बताइये कि इस उद्योग के सम्बन्ध कीन-कीन सी गम्भीर समस्यायें हैं।
६. भारतीय जूट उद्योग वा विकास इत्यादि बताते हुये इसकी प्रगति का उल्लेख बीजिये और बताइये कि इस उद्योग के सम्बन्ध कीन-कीन सी गम्भीर समस्यायें हैं।
७. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से ऐह तथा इसपात उद्योग की प्रगति वा सक्रिय विद्युत वीजिए तथा वह भी बताइये कि राज्य ने इसके विकास के लिए क्या प्रयत्न किये हैं?

1. यो क्रमस्त्रोग्यो बहुमद भारत का औद्योगिक विकासनुष्ठ प्रभुत विवराप, ज्ञानोर्गनक वित्त, अनुवारी 10, 1968

"Lack of finance has been the main drawback in the path of industrialisation of nearly all the underdeveloped countries. It is this factor that has been responsible for the co-existence of poverty and unused resources."

—U. N Report

वित्त आधुनिक उद्योग का जीवन रूपत है¹। इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उद्योगों की स्थापना एवं सफल सञ्चालन के लिए उचित ध्यान दर पर, सरकार में यथोचित मात्रा में वित्त वी पूर्ति आवश्यक है। अजूनकल उत्पादन की क्रियावै विशाल पैमाने पर की जा रही हैं, आज वित्त का कोई भी देश, औद्योगिक उत्पादन उत्त समय तक नहीं कर सकता। जब तक कि उद्योगों में होने वाले के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में पूँजी न हो। आधुनिक विशालकाय उद्योगों के लिए तो पूँजी प्राप्त के समान है। उनकी रुक्कड़ता। एवं असफलता इसी की पूर्ति पर निर्भर करती है। यद्यपि पूँजी की आवश्यकता छोटे पैमाने के उद्योगों को भी होती है, परन्तु उनकी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से की जा सकती है, वयोंकि उन्हें अपेक्षाकृत बहुत कम पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। बड़े उद्योगों को बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति किसी एक साधन से करना ग्राम्य असम्भव होता है। डॉ. नामतोषालदास के मतानुसार, किसी भी उत्पादक सूख्या के लिए आज के युग में, वित्त की व्यवस्था सरलतापूर्वक नियमित रूप से तथा उचित दर पर होना आवश्यक है।²

ओटोमिक वित्त की आवश्यकता - उद्योग बढ़ा ही अधिक छोटा, बिना पूँजी या वित्त के नहीं चलाया जा सकता। कार्य-सञ्चालन के लिए उद्योगों को अत्यधिक

1. "Finance is the life blood of Industry"

2. Nabhaqopal Das : Industrial Finance in India, p. 14

जब दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के वित्त की आवश्यकता होती है। कच्चे माल की सरीदारी के लिए, मजदूरी व बेतन के भुगतान के लिए, जिनी हुई वस्तुओं की विक्री तथा भेजने के लिए और इसी प्रकार के अन्य छोटे-मोटे कार्यों के लिए अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। अबत निर्माण, भवीतों के कागज आदि के लिए दीर्घकालीन पूँजी या वित्त की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः पूँजी वाजार उद्योगों की दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति करता है, जबकि मुद्रा वाजार अल्पकालीन वित्त सम्पन्नी व्यवस्था करता है।

बोद्धोगिक वित्त स्वेच्छा भारतवर्ष में बोद्धोगिक वित्त पूँजी से प्राप्त होता है। प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है —

1. निजी पूँजी (Personal Capital) : निजी पूँजी उद्योग में लगाई जाती है। प्रारम्भ में उद्योग निजी पूँजी के बल पर ही चलाये जाते थे। आज भी बोद्धोगिक क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में निजी पूँजी लगी हुई है। कई क्षेत्रों में निजी पूँजी के साथ-साथ सम्य स्त्रीों से भी पूँजी प्राप्त की जाती है, ताकि उद्योग को मुश्वरता-पूँजी चलाया जा सके। बहुत से नए उद्योगों की प्रारम्भिक काल में, जब उन्हें पूँजी मिलने का कोई अवधि साधन नहीं था, तब इसी साधन से पूँजी प्राप्त होती थी। पुरानों बोद्धोगिक मत्त्वाओं को भी सदृष्टि के समय प्राप्ति निजी पूँजी से ही सहायता मिलती है।

2. जनता द्वारा वित्तियोजन (Investment by Public) : उद्योग साधारणतः विभिन्न प्रकार के वित्तों का नियंत्रण करते हैं, जिन्हें पूर्ववित्त शर्ट (Preference Shares), साधारण शर्ट (Equity Shares) आदि। साधारण जनता अपनी बचत में से इन वित्तों की सहीदारी है। उसे इस वित्तियोग के प्रतिकालस्थलरूप लाभदार (Dividend) प्राप्त होता है तथा उद्योग को आवश्यक पूँजी मिलती है। अधिक आवश्यकता पड़ने पर बोद्धोगिक सम्पादने व्यवस्थाएँ व्युत्पन्न यत्र जारी करके जनता से आवश्यक पूँजी प्राप्त कर सकते हैं। व्युत्पन्न भी कई प्रकार के होते हैं। भारतवर्ष में व्युत्पन्न अधिक प्रचलित नहीं हो पाये हैं, जबकि (i) हमारे देश में सुव्यवस्थित पूँजी वाजार नहीं पाया जाता, (ii) व्युत्पन्न आरियों की अवधारियों की अवैक्षणिकता सम सुविधाएँ दी जाती हैं। (iii) इन्हे न ले कर्मनियों और न ही निवेशकों अधिक प्रमद करते हैं। (iv) भारत के बैंक भी उन कर्मनियों को उपार देने में सिमर्ही हैं जिन्होंने व्युत्पन्न बेकार पूँजी प्राप्त की हो। (v) सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों अधिक लोकप्रिय हैं।

इस प्रकार भारतवर्ष में बोद्धोगिक सम्पादन अपनी स्थायी पूँजी का अधिकार भाग शर्ट पत्रों द्वारा ही प्राप्त करती है। विगत वर्षों में भारत में अब पूँजी का नियंत्रण अप्रतिहित रहा है :

वर्ष	1951	1956	1961	1966	1967	1968	1970
शन राशि (करोड़ १० मे)	7.9	45.1	59.6	48.3	46.0	77.0	120.1

3. प्रबन्ध अभिकर्ता (Managing Agents) भारतवर्ष में औद्योगिक दैको के अभाव के कारण, बोर्डरिंग कित्त प्रदान करने का प्रमुख दायित्व प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर ही रहा है। कोई भी अस्थिति, कसं व्यववाह कम्पनी, जिसे कम्पनी के लाय किए गए ममलों ने कम्पनी के कार्यों की व्यवस्था वा अधिकार प्राप्त हो, प्रबन्ध अभिकर्ता कहलाता है। यह प्रणाली विवर में अपने टग की निराली प्रणाली है जो विवर के अव्य किमी देखा भे नहीं पाई जाती। प्रबन्ध-अभिकर्ता, औद्योगिक संस्थान को प्रारम्भिक पूँजी जटाने से सक्रिय सहयोग देते हैं। ये लोग अव्य वहेन्डे अव्यवाही होते हैं। उद्योग या कम्पनी के विकास एवं विस्तार के लिए जब यह अव्य-पन जारी किए जाते हैं तब व्यववाह ये यहुन वही मात्रा में इन अव्य प्रयोगों को अव्य खोरीदने हैं। इन्हीं घनीद से प्रभावित होकर जनता भी अव्य-प्रयोग में सरलता गे पूँजी कमाने को तैयार हो जा ते हैं। प्रबन्ध अभिकर्ता भी ही गरमी पर वेक भी कम्पनी को पूँजी उधार देने को तैयार हो जाते हैं।

प्रबन्ध अभिकर्ता सामान्यत निम्नलिखित सार्थ करते हैं। (i) ये किसी भी नई कम्पनी अव्यवाह कर्म को स्थापना में प्रदर्शक तथा पथ-प्रदर्शक (Promotees and pioneers) का कार्य करते हैं, (ii) ये नए उद्योगों के लिए स्थाली पूँजी की व्यवस्था करते हैं, उगाने पुनर्संयठन, विवेकीकारण एवं प्रसार के लिए दीर्घ पूँजी तथा अन्य कार्यों वे लिए अपकाम्भने पूँजी प्रदान करते हैं, (iii) ये उद्योगों के दैनिक प्रबन्ध का कार्य करते हैं, तथा (iv) ये उद्योग के लिए वचने माल, मधीनारी के खरीदने में तथा बने हुए माल दो वेष्टने में एजेंट का कार्य करते हैं।

भारत के औद्योगिक विकास में अभिकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस योगदान ने चर्चा करने हुए राजकीयों आयोग (Fiscal Commission 1945-50) ने कहा था, 'विगत 75 वर्षों में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रगार्नी ने भारतीय उद्योगों की अहवालपूर्ण देखा ही है। औद्योगीकरण के प्रस्तुति दिनों में यह न हो उद्योगों की ही अविस्ता थी और न पूँजी की ही, प्रबन्ध अभिकर्ताओं न उद्योगों की व्यवस्था की। भारत के सूनी वस्त्र, जूट तथा इस्तात आदि सुव्यवस्थित उद्योग अपनी वर्तमान वित्ति के लिए कई गुरुत्वपूर्ण प्रबन्ध अभिकर्ताओं के उद्योगपूर्ण वेतन के लाभों हैं।'

प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली ने निस्मन्देह भारत के ओद्योगिक विभाग में महत्व-पूर्ण योगदान दिया है, लेकिन विगत कई बयाँ से इस प्रणाली में कई दोष आ गए हैं, इनमें से प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं—

(i) प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के अन्तर्गत उद्योगों में ओद्योगिक प्रतिकल की अपेक्षा आविक प्रमुख प्रबन्ध होना जाता है।

(ii) प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के अन्तर्गत एक अभिकर्ता के अधीन अनेक उद्योग-बनों की व्यवस्था रहने के कारण, व्यवस्था ढांग से नहीं हो पाती।

(iii) अनेक प्रबन्ध अभिकर्ता फर्मों की व्यवस्था अयोग्य एवं जटिलाचारी व्यवस्थाएँ द्वारा होती है, जिससे इस प्रणा में नियन्त्रण सम्भवी अनेक बुगइया जा रहे हैं।

(iv) प्रबन्ध अभिकर्ता प्राय अपने प्रबोन एह कम्पनी की आधिकरण-राशि दूसरी कम्पनियों में लगा देते हैं। एक इकाई के विस्तारीकरण के लिए उपलब्ध धन को दूसरी इकाई के पुनर्जीवन के लिए लगा दिया जाता है, जिससे अनाविक इकाईया आपातक इकाई की ओष्ठ पर जीवित रहती है।

(v) व्यवस्थाएँ भूता, उत्पादन पर कमीशन, कच्च माल पर कमीशन, कार्ड-लेव चलाने के लिए घरराशि आदि के रूप में प्रबन्ध अभिकर्ता वहन वडी घरराशि कम्पनियों से प्राप्त करके उनका पोषण करते हैं।

प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के अन्तर्गत उत्तरन दोषों को दूर करने के लिए भारतीय कम्पनी अधिनियम में सभी समय पर संशोधन होए गए हैं। सन् 1968 के संशोधन के अनुगमार 1 संप्रल, 1970 से देश के सभी उद्योगों से प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।

4 ओद्योगिक बैंक (Industrial Banks) उद्योगों की दीर्घकालीन शृण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सन् 1905 ते ही हमारे देश म ओद्योगिक बैंकों के स्थापित किए जाने की चर्चा चल रही है। भारतवर्ष मे टाटा ओद्योगिक बैंक, फलकर्ता ओद्योगिक बैंक तथा भारतीय ओद्योगिक बैंक कम्पनी सन् 1917, 1919 व 1920 मे स्थापित किये गये, परन्तु प्रथम को चोडकर शेष असफल राखित हुए। हमारे देश मे ये दो ओद्योगिक बैंकोंग मिछ्नों के अनुकूल ढीक प्रकार से कार्य नहीं करने के कारण यह नहीं सके।

5 देशी महाजन (Indigenous Bankers) देशी महाजनी व बैंकरों द्वारा भी उद्योगों को आवश्यकता के समय विल प्राप्त होता रहा है। चूंकि इनके साधन सीमित होते हैं अह मे साधारण लोट ऊट उद्योगों वां ही वित प्रदान कर पाते हैं। यहा तक बड उद्योगों का प्रश्न है, उनकी आवश्यकताएँ बहुत अधिक होती हैं।

अब ये देशी महात्रनो पर निभैर नहीं करते। ये लोग सामान्यत व्यक्तिगत बालू (Personal Bonds) पर कृष्ण देते हैं तथा ब्याज की दर अपेक्षाकृत व्यक्ति के लिए है। अधिक युग में वे को य वित्तीय लिंगमो के प्रत्युभावित के कारण इनका कार्यक्षेत्र एवं महत्व औद्योगिक वित्त के सदर्भ में काफी कम हो गया है।

6 व्यापारिक बँक (Commercial Banks) व्याप रिह बँक सामान्यत अल्पकालीन कृष्ण प्रदान दरतो हैं जिनकी अवधि 1 वर्ष तक भी होती है। ये धरोहर रखकर भी कृष्ण देते हैं। साधारणा धरोहर के 70 प्रतिशत भाग तक कृष्ण के रूप में दिया जाता है। रारन्टी पद्धति के कारण, बड़े उद्योगपति ही इन बैंकों से रुपया प्राप्त कर पाते हैं। ये बैंक अधिकतर कार्यशील पूँजी ही प्रदान करते हैं। ये बैंक कानूनियों के अन्तर्भुक्त व्यवस्था कृष्ण पत्र स्वीकृत कर स्थापित हो जी की व्यवस्था करन से हमेशा कठिनता रहती है क्योंकि ऐसा करने से इनकी पूँजी सकट में पड़ सकती है और ये अपनी पूँजी को सकट में नहीं फ़साना चाहते हैं। विगत कुछ वर्षों से सरकार तथा रिजर्व बैंक ने भारतीय व्यापारिक बैंकों को, उद्योगी को दिस्त प्रदान करने के लिए काफी प्रोत्साहित किया है। सन् 1951 में अनुसूचित बैंकों ने अपनी अधिक राशि का 33.6 प्रतिशत उद्योगों को उधार दिया था जो 1961, 1964 व 1966 में बढ़कर क्रमशः 52.7 प्रतिशत, 59.2 प्रतिशत तथा 64 प्रतिशत हो गया। व्यापारिक बैंकों से वित्तीय उद्योगों के फ़लस्वरूप औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि का दो तिहाई भाग जिन चार उद्योगों को प्राप्त हुआ, वे हैं, सूती वस्त्र, इंजीनियरिंग, बीनी, गृह तथा जूट।

7 बीमा कम्पनिया (Insurance Companies) उद्योगों को पूँजी प्रदान करने वाली संस्थाओं में बीमा कम्पनियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीयकरण से पूँजी जीवन बीमा कम्पनिया अपनी पूँजी का एक महत्वपूर्ण भाग उद्योगों में विनियोजित करती थीं। सन् 1956 में जीवन बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद, अब जीवन बीमा नियम भी उद्योगों में पर्याप्त पूँजी रखा रहा है। यह दीर्घ-कालीन कृष्ण देने से समर्थ है। जीवन बीमा नियम अपने नियन्त्रित कोष का एक बड़ा भाग हक उद्योगों में लगा सकता है। 31 मार्च, 1970 को नियम की कुल संख्या 134.8 करोड़ 8.7 थी। इस अन्तरालि पे से कलापन 210.4 करोड़ 10 की राशि अद्यो तथा महत्व पञ्चों में विनियोजित थी, जो कुल विनियोजनों की लंबाई 15.6 प्रतिशत होती है।

8 सार्वजनिक जमा (Public Deposits) कुछ कम्पनिया सार्वजनिक जमा प्राप्त करके अपनी वित्त संस्थाओं आवश्यकता की पूर्ति करती है। यह प्रणाली

अहमदाबाद व बम्बई के सूती-वस्त्र उद्योग में पाई जाती रही है। लोग कारखानों में भापनी पूँजी जमा कर आते हैं तथा इस पर व्याप्र प्राप्त करते हैं। यह प्रणाली जीखिम से भरी हुई है, यदोकि जनता में पदि कम्पनी के प्रति अविश्वास पैदा हो जाय हो जनता अचानक अपनी पूँजी वापस तिकालना प्रारम्भ कर देती है। इससे कम्पनी की स्थिति खराब होने लगती है। इस प्रकार की जमा सिफ़ अच्छे भौत्य के नित्र के रूप में ही संवित हो सकती है।

केन्द्रीय बैंकिंग जात्य समिति के अनुसार बम्बई में सूनी वस्त्र मिलों ने अपनी कुल पूँजी का 11 प्रतिशत भाग तथा अहमदाबाद की मिलों में 39 प्रतिशत भाग सार्वजनिक जमा के हृप में प्राप्त किया था। लेकिन विगत 20 वर्षों से सार्वजनिक जमा का महत्व निरन्तर कम होता जा रहा है।

9 विनियोग प्रभ्यास्त (Investment Trusts) ये ट्रस्ट या प्रन्यास भी उद्योगों में पूँजी लगा कर उनको वित्त श्रद्धान बढ़ाते हैं। ये सद्व्याए विनियोजकों के लिए प्रतिभूतियों की सरीदारी व बेचने का नार्य करती हैं तथा इन विनियोजनों द्वारा विनियोजकों ने भारत उद्योग करती है। भारतवर्ष में ये सद्व्याए सन् 1930 से प्रारम्भ हुई थीं। इस समय भारतवर्ष ने इन सद्व्याओं की संख्या 600 से भी ऊपर है। इनकी पूँजी अधिकतर साधारण अद्यों में लगाई जाती है। बौद्धिगिक वित्त व्यवस्था में इन सद्व्याओं का कोई विशेष महत्वपूर्ण योगदान नहीं है।

10 सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भारतवर्ष में केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों द्वारा भी उद्योगों को आवश्यक वित्त प्रदान करने में सहायता देती है। राजशीष सहायता विधिवद (State Aid Industries Act) के अधीन राज्य सरकार उद्योगों नो वित्तीय सहायता देती है। इसात, उद्योग, सोमेट, कोयला उद्योग आदि उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय व राज्य सरकारों ने पर्याप्त पूँजी उपलब्ध कराती है। सरकार उद्योगों के हितों खरीद कर या वित्त निगमों के जसा खरीद कर भी उद्योगों को आण राज्यव्यवस्थी सुविधाये उपलब्ध कराती है।

11 बीडोगिक सहकारी समितियाँ हमारे देश के धारा, प्रत्येक राज्य में लघु उद्योगों को आर्थिक गहायता देने का प्रमुख साधन बौद्धिगिक सहकारी समितियाँ हैं। प्रत्येक राज्य में स्थापित खाड़ी एवं ग्राम्योंग मइल, विभिन्न बगों के उद्योगों पूँजी बौद्धिगिक सहकारी समितियों के माध्यम से आण व अनुदान देते हैं। सहकारी समितियाँ भड़ा पूँजी तथा दूषों के माध्यम से वित्तीय साधन प्राप्त करती हैं तथा सदस्यों को सही व्याज दर पर धनराशि उधार देती हैं।

12 विदेशी पूँजी - भारतवर्ष में आधुनिक उद्योगों का विकास विदेशी पूँजी की सहायता में ही हुआ है। आजकल पश्चिमी योजनाओं के अन्तर्वेत हमें विदेशी से काफ़ी पूँजी प्राप्त हो रही है। भारतवर्ष में इस समय विभिन्न देशों से लगभग

2000 करोड रुपये की विदेशी पूँजी लगी हुई है। इसमें से 1,200 करोड रुपये की पूँजी सो सावंजनिक खेत में रखी हुई है तथा शेष 800 करोड रुपये की पूँजी निवी धोके के उद्योगों में लगी हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त नियम, विद्व बैंक, अमेरिका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी तथा अन्य संस्थाएं, बैंक, पोलैंट, जेकोहस्ट्रीवार्क्स, गुप्तोहाविया आदि की सरकारी द्वारा विदेशी सहायता व पूँजी भी हमारे उद्योगों को प्राप्त हो रही है।

13 वित्तीय सेवाएँ स्वट्टनांत्र शापित के पश्चात् भारतवर्ष में उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए कुछ विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की गई है। ये संस्थायें बड़े व छोट सभी प्रकार के उद्योगों को अल्प, मध्यम व दीर्घकालीन वृप्त प्रदान करने की क्षमत्वा रखती हैं। ये संस्थायें निम्नलिखित हैं-

(अ) औद्योगिक वित्त नियम (Industrial Finance Corporation)

इस नियम की स्थापना सन् 1948 ई० में की गई थी।

(1) नियम के विभीत सामग्री इस नियम की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) 10 करोड रुपये है जो कि 5,000 रुपये के 20,000 अंशों में बटी हुई है। प्रारम्भ में बैंकल 5 करोड रुपये की पूँजी निर्गमित की गई जो 10,000 अंशों में विभाजित थी। 1960-61 में 2 करोड रुपए की अतिरिक्त अदा पूँजी निर्गमित की गई। भारत सरकार ने नियम के प्रारम्भिक 5 करोड रुपए के अंशों पर 2½ प्रतिशत वार्षिक का निम्नतम द्वारा तथा 2 करोड रुपए के अतिरिक्त अंशों पर 4 प्रतिशत वार्षिक द्वारा तथा मूलधन चुहाने की गारंटी दी है। मार्च 1972 तक नियम को शापन पूँजी (Paid up Capital) 8.35 करोड रुपये के बराबर थी। औद्योगिक वित्त नियम में पूँजी इन्डीय सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा लगाई जानी है। यह नियम खले बाजार में बांड व क्रण पत्र भी जारी कर सकता है। यह विद्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से मुद्रा प्राप्त करता है। इसे 18 महीनों के लिए 3 करोड रुपये तक 1% रेंज बैंक न भी प्राप्त हो नकरता है। मार्च 1972 तक इस नियम ने पुल 159.31 करोड रुपये के लग्न लिए थे, जिसमें से 61.25 करोड रुपये बौद्धों तथा लग्न पत्रों द्वारा, 70.67 करोड रुपये भारत सरकार से, 22.03 करोड रु. विदेशी मुद्रा में तथा 36.21 लाख रुपये रिजर्व बैंक से प्राप्त किए थे।

(ii) प्रबन्ध नियम का प्रबन्ध एक निर्देश मण्डल (Board of Directors) द्वारा दिया जाता है, जिसमें 12 सदस्य होते हैं। इसमें केन्द्रीय सरकार व रिजर्व बैंक के 3-3 मनोनीत व्यक्ति होते हैं। शेष 6 नियम के अन्य भागीदारों, बैंकों, बीमा कम्पनियों, रितियोग प्रभासों व सहकारी बैंकों द्वारा चुने जाते हैं। निर्देश मण्डल 5 व्यक्तियों की एक कार्यकारणी समिति को थपने अधिकार दे

देता है। इसी में से एक प्रबन्ध निदेशक (Managing Director) भी होता है। यह समिति ही बस्तुत इस नियम की व्यवस्था करती है। नियम या कार्य देश के उद्योग, उद्योग तथा उत्तराधिकार के हितों को व्यापार में रखते हुए व्यापारिक मिलानों पर चलाता जाता है। लेविन के द्वितीय सरकार मण्डल को नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर निर्देश दे सकती है।

(1) कार्य ओद्योगिक वित्त नियम के प्रमुख कार्य हैं, (1) ओद्योगिक संस्थानों को अचूक रूपा अधिग्रहन के तथा उनके द्वारा जारी किए गए अद्यतनों को भागीदारी 25 वर्षों में दिया जा सकता है।

(2) यह नियम ओद्योगिक संस्थानों द्वारा युले बाजार में जारी किए गए अद्यतों तथा अनुसुचित बेंचे व राज्य संस्कारी बेंचों से लिए गए अद्यतों, जिनका भुगतान 25 वर्ष तक अवधि में होना हो, गारन्टी दे सकता है।

(3) यह नियम ओद्योगिक संस्थानों द्वारा जारी किए गए अद्यतों व अद्यतों नी हास्टी (Underwrite) भर सकता है। लेविन जो अद्यत व अद्यत यह कार्य करते समय इसके पास रह जाय, वे 7 वर्ष के अंदर अवधि देख दिए जाने चाहिए।

(4) कुछ विद्युत उद्योगों को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में सहायता करना।

(5) विदेशी बैंक व वित्तीय संस्थानों द्वारा जिए गए अद्यत व साल प्रबन्ध पर गारन्टी देना।

(6) ओद्योगिक संस्थानों के राजक व असों का नाम करना।

(7) कुछ स्वीकृत ओद्योगिक संस्थानों द्वारा आयात की जाने वाली पूँजी-गत बस्तुओं पर विलम्बित सुगतान (Deferred Payment) के सम्बन्ध में गारन्टी देना।

यह नियम काम चाहने वाले संस्थानों के जावेदन पक्षों द्वा अद्यत स्वीकृत करते समय नियमित वाहतों को व्यापार में रखता है (1) उद्योग या राष्ट्रीय महत्व, (2) प्रबन्ध की सूखमता, (3) कार्यक्रम की लागत, (4) उत्पादनों की किसम, (5) प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति की प्रकृति, (6) प्राविधिक रूप स्वार्थियों एवं वन्दे भाज वी पूर्ति की प्राप्ति, तथा (7) नियमित उत्पादनों की देश के लिए आवश्यकता।

यह नियम 1960 के सशोधन के बाद से, किसी भी ओद्योगिक संस्थान की हिस्सा पूँजी में सीधे योगदान दे सकता है। यह केवल नार्वेजिनिक संस्थानों व संस्कारी संस्थानों को ही अद्यत देता है, किंतु संस्थानों को व साप्तोदारी संस्थानों की अद्यत नहीं देता। खान, उद्योग, बहागरानी व विजली उद्योगों की मध्य व दीर्घकालीन अद्यत दे सकता है। यह अधिक से अधिक किसी एक संस्थान को 1 करोड़ रुपये का

ही झूणे दे सकता है तथा झूण की अधिकतम अवधि 25 वर्ष हो सकती है। पहले व्याज की दर 7.5% थी, परन्तु नाचं सन् 1965 से देशी उद्योगों पर व्याज की दर 8.5 प्रतिशत तथा विदेशी उद्योगों पर 9 प्रतिशत कर दी गई है। झूण तथा व्याज का भुगतान समय से करने पर आपे प्रतिशत की छूट दी जाती है।

(iv) कार्य की प्रगति मार्च 31, सन् 1971 तक इस नियम के द्वारा 363 करोड़ रुपये झूण के रूप में देशी स्वीकार किए तथा 313 करोड़ रु. बोंडे गए। जिन उद्योगों ने इस नियम से झूण प्राप्त किया, वे ये हैं—सारा, निर्माण उद्योग, खनिज उद्योग, लर्वरक उद्योग, सूखी बस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, सीमेट, शीशा, रबड़ उद्योग आदि। नियम ने सन् 1957 से अधिगोपन कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है, तब से लेकर 31 मार्च 1969 तक उसने 2701 करोड़ रुपए की राशि के अधिगोपन स्वीकार किए। नियम द्वारा लगभग 70 प्रतिशत सहायता, स्वतंत्रता ग्राहकों के पदचारू शारम्भ किए गए तथा उद्योगों को प्रदान की गई है। नियम द्वारा कुछ रास्यों को अधिक झूण दिए गए हैं—महाराष्ट्र, प० बंगाल व मद्रास तथा कई क्षेत्र उपेक्षित रह गए हैं। इसी प्रकार झूण-राशि में भी पर्याप्त मिलता जाई जाती है। प्रधान उद्योगों की राशि 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक रही है तथा पि अधिकारी न्यून 40 से 50 लाख रु. के मध्य के ही रहे हैं। नियम द्वारा दिए गए अधिकारी उद्योगों की अवधि 12 वर्ष ही रही है लेकिन कुछ उद्यग 15 वर्ष की अवधि के लिए भी दिए गए हैं। नियम की अपेक्षा लाभ में यथोचित बढ़िया हुई जो इस बात की पुष्टि करता है कि नियम अपने कार्य में आविक दृष्टि से अत्यन्त कुशल जारी हुआ है।

(v) समालोचना बोक्सोगिक वित्त नियम की कई प्रमुख आलोचनाएँ की गई हैं जैसे, (1) इसने देश के अद्वितीय क्षेत्रों जैसे राजस्थान, मध्यप्रदेश के लौकोगिक विकास में बहुत कम सहायता पहुंचाई है, (2) नियम ने उद्योगों को जोखिम पूँजी नहीं दी है, (3) झूण की स्वीकृति में बहुत विलम्ब हो जाता है, (4) झूण देने समय कई बड़ी लाठे लगाई जाती है, (5) न्यून देने से पक्षपात दिया जाता है, (6) केवल सार्वजनिक व सहकारी संस्थाओं को ही न्यून दिया जाता है, (7) नियम सुधृति दर्शक के अतिरिक्त, प्रबन्ध-अनिकत्वाओं की वैयक्तिक गारमी लेता है, तथा (8) अधिगोपन (Underwriting) के क्षेत्र में नियम ने कोई विशेष प्रगति नहीं की, आदि।

उक्त आलोचनाओं में कुछेक तो सचित है, शेष उचित नहीं है। नियम का कार्य सामान्यतः साराहनीय रहा है। इसके वित्तीय साधन सीमित हैं, अत इसे सोन-

समझ कर ही दाव देना पड़ता है। जो दिमन्युं के ब्रॉड्री में यह बपने साधनों को नहीं लगा सकता। यसीं उद्योगों की वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए निगम के वर्षों को पूर्ण सफल नहीं कहा जा सकता, तथापि इस क्षेत्र में इसने भी कुछ किया है, वह सराहनीय है। आशा है भविष्य में भी यह उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता रहेगा।

(3) राज्य वित्त निगम (State Finance Corporation) भारतीय बीदोगिक वित्त निगम का काथ धोव नीमित होने के कारण, भारत सरकार ने लघु व सध्यम उद्योगों को ज्ञान सुविधाएं प्रदान करने के लिये 28 निवाचन दिन, 1951 को राज्य वित्त अधिनियम पारित किया। अब इस 'प्रकार के नियम भारत के प्राय सभी राज्यों में बन चुके हैं। जो क्षेत्र भारतीय वित्त निगम से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें इन नियमों से ज्ञान सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। राज्य वित्त निगम की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) कम से कम 50 लाख रुपये से लेकर अधिक से अधिक 5 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इन नियमों के फूटसेदार, राज्य सरकार, रिजर्व बङ, अनुसूचित बैंक, सरकारी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं होती हैं। जिनमें से तीन जौवाही अथवा पूँजी सरकारी, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंक, सरकारी बैंक, बीमा कम्पनियों, विनियोग ट्रस्ट तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। शेष एक जौवाही अथवा पैक द्वारा। राज्य वित्त निगम किसी एक संस्था को अधिक से अधिक 10 लाख रुपये तक की सहायता दे सकता है। ये अपने साधनों को बढ़ाने के लिए दौखों व ज्ञान पत्रों का विकास कर सकते हैं तथा जगता से 5 वर्षों की तिथि वाले अधिकार कर सकते हैं।

संचालन—इन नियमों का प्रबंध व सचालन बीदोगिक वित्त निगम को ही तरह होता है। जिसमें एक प्रबन्ध सचालक एवं कार्यालयों नियन्त्रित होती है। राज्य वित्त नियम राज्य के विभिन्न स्थानों पर बसने कार्यालय लोन सहते हैं। राज्य सरकार को रिजर्व बैंक की उमाह तो निगम को नीति सम्बन्धी विदेश देने का अधिकार प्राप्त है।

वार्ष—राज्य वित्त नियम नियन्त्रित कार्य कर सकते हैं

(1) बीदोगिक संस्थाओं द्वारा 20 वर्ष की अवधि के लिए, निए गए औरों वर गारंटी देना, (2) बीदोगिक संस्थाओं के अग, स्टाप व ज्ञान पत्रों का अधिग्रहण करना, (3) बीदोगिक संस्थाओं को अधिकारिक 20 वर्ष के लिए, ज्ञान अवधि लिप्रिय देना, (4) बीदोगिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित व्युत्पत्ति में पूँजी रागता।

प्रगति : इस समय भारतवर्ष में 18 राज्य वित्त निगम हैं। प्राप्त प्रत्येक राज्य में एक वित्त निगम है। मार्च 1972 तक इनकी मुल प्रदत्त पूँजी 23,16 करोड़ रुपये थी। तथा इन निगमों ने इमी व्यवस्था तक 154,71 करोड़ रुपये की सहायता दी।

आलोचना : राज्य वित्त निगमों की आधारनुसूल सफलता नहीं निर्धारित है। लघु उद्योगों की वित्ताय महादता करने में वे असमर्थ रहे हैं। निवृत्ति क्षेत्र की प्राप्ति व्यवस्था अपने विकास कार्यों के लिए 300 से 350 करोड़ रुपये की जावश्यकता है जिसका केवल 3/4 प्रतिशत भाग ही यह प्रदान कर पाते हैं। इन निगमों की निम्नलिखित आवार पर आलोचना की जाती है :

(1) इनके पास बहुत सा धन रिता प्रदोग के पड़ा रहता है; (2) निगमों द्वारा फ्रेग की हवीकृति तथा वास्तविक व्यापारी में बहुत समय लग जाता है, (3) निगमों द्वारा बसूल की जाने वाली व्याहूँ की दर बहुत अधिक है; (4) दामांगों के भगवान के लिए इन्हे राज्य भरवारों पर निर्भर करता पड़ता है, क्योंकि इनके साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, (5) आद्योगिक समस्याओं की आर्थिक स्थिति, उनमें सम्पत्तियों का भूल्याक्षण एवं रेहत वेनिंग की लटिलताओं के पारण, इनका कार्य कुशलता एवं शीघ्रता में नहीं हो पाता।

(इ) भारतीय औद्योगिक साइब व वित्तियोग निगम (Industrial Credit and Investment Corporation) भारतीय कम्पनी कानून के बन्तर्गत इस नियम की स्थापना एक निवृत्ति विभिन्न कम्पनी के टर्म में जनवरी सन 1955 से हुई थी। नियम की अधिकृत पूँजी 20 करोड़ रुपये तक प्रत्यक्ष पूँजी 3 करोड़ रुपये है, जो 100-100 रुपयों के अंगों पर विभक्त है। इसकी प्राप्ति पूँजी में भारतीय वंशों व बीमा कम्पनियों का 2 करोड़ रुपया, यूनाइटेड इंडियम एं पूँजीयनिगमों का 1 करोड़ रुपया, अमेरिकी पूँजीयनियों का 5। राज्य एवं नवा भारतीय जनता वा 15 करोड़ रुपया है।

नियम क उद्देश्य—इस नियम के उद्देश्य हैं— (i) निवृत्ति के उद्योगों के नियमित, विकास तथा उचितीकरण में सहायता देता, (ii) उद्योगों में देशी व्यवसा विदेशी पूँजी के प्रवेश व ग्रोथाहित करता, तथा (iii) विनियोग बाजार के विरकार को प्रोत्साहित करता।

नियम क कार्य : यह नियम उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमनियंत्रित कार्य है : (i) यह नियम निवृत्ति उद्योगों की सम्बद्ध व दीर्घकालीन सहायता देता है; (ii) यह नियम नवे वशों व प्रतिभूतियों का अभिगोपन करता है; (iii) यह नियम निवृत्ति सामग्री से प्राप्त ऋणों की गारंटी देता है, (iv) आवश्यकता पड़ने पर

तकनीकी, प्रयोग-सम्बन्धी हथा भवासनात्मक परामर्श भी देता है; (v) उद्योगों के विकास और नए आविष्कारों की व्यवस्था करता; तथा (vi) नए व्यवसायों तथा विनियोगों को प्रोत्साहन देना।

प्रगति : अपने विगत 17 वर्षों के कार्यकाल में नियम ने जौदोगिक विकास में महत्वपूर्ण कार्य दिया है। जनवरी 1955 से मार्च 1971 तक नियम ने 304 करोड़ रुपये के खण्डों की स्वीकृति प्रदान की है।

(६) राष्ट्रीय जौदोगिक विकास नियम (National Industrial Development Corporation) इस नियम की स्थापना मारत सरकार द्वारा 20 अक्टूबर सन् 1954 में की गई। इस नियम की अधिकृत पूँजी 1 करोड़ रुपये है तथा प्रदत्त पूँजी 10 लाख है है, जो मारत सरकार द्वारा ही प्रदान की गई है। मारत सरकार इस व अनुदान के रूप में भी इसे कावशक अन देती रहती है। यह नियम सरकारी वित्ती दोषों के उद्योगों को वित्त प्रदान करता है। यह नियम मुख्यतः पुनर्स्थापन एवं नवीनीकरण के लिए तथा मरीन आदि खरीदने के लिए इस प्रदान करता है तथा उद्योगों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिनका सम्बन्ध आवीजित विकास से है। यह पूँजीगत उत्तमों के उत्पादन को प्राथमिकता देता है। यह नियम ऐसे उद्योगों की स्थापना भी करता है जो वित्ती स्रोतों में सहायक उद्योगों की उत्तमता के लिए पथ-प्रदर्शन करे। यह उद्योगों के अशो, इच्छा-प्रयोग का अभियोगन करता है तथा उनकी गारंटी देता है।

राष्ट्रीय जौदोगिक विकास नियम ने सूती बस्त्र उद्योग, जूट उद्योग तथा मरीन उत्पन्न उद्योग को विदेश लाभ बहुचाला है। 31 मार्च 1971 तक इस नियम ने इन उद्योगों के लिए 28.02 करोड़ रुपये के इच्छ की स्वीकृति दी थी, जिनमें से 18.7 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका था।

(७) राज्य जौदोगिक विकास नियम नई राज्य सरकारों ने अपने-अपने रूप से, जौदोगिक विकास को तेज़ करने के लिए 1960 में राज्य जौदोगिक विकास नियम (State Industrial Development Corporation) की स्थापना की है। ये नियम राज्यों में उद्योगों का प्रबलंग, मुश्वर तथा विकास करने हैं। ये नियम प्रत्यक्ष विनियोग, इच्छ रथ्यित गुगलान, इच्छों के लिए गारंटी, अशो, इच्छ एवं बाड़ों के निर्मान का अभियोगन व स्थीर आदि के द्वारा जौदोगिक संस्थानों को सहायता पहुँचाते हैं। सन् 1971 तक भारत में इस प्रकार के 19 नियम विभिन्न राज्यों में स्थापित हैं। महाराष्ट्र तथा गुजरात के नियमों को छोड़ कर बाकी राज्यों के नियमों की अप पूँजी पूँजी रूप से राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें इन नियमों को आवश्यकतानुसार इच्छ, अभियन एवं अनुदान देती रहती हैं। इन नियमों

के कापों में त्रुक बाजार म बाजारों, उत्तर प्रदेश के लिंगपत तथा केंद्रीय व राज्य सरकारों, देशी व अन्य वित्तीय संस्थाओं व बाबिलोनों के अनुदान, चन्द्र, नग धरिय, जमाजो आदि के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। 1971-72 के दोरान, इन्होंने 20 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी।

(अ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India) देश के औद्योगिक विकास की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मई गत् 1964 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कार्य प्रारम्भ किया। इसकी स्थापना के दो प्रमुख उद्देश्य थे, एक ओर तो उत्तरोत्तर औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप बढ़नी हुई वित्तीय जावेदारीओं को पूरा करने के लिए तथा दूसरी ओर औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए। इन बैंक की अधिकृत पूँजी 50 करोड़ रुपये है, जो 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। इसके द्वारा 10 करोड़ रुपये की पूँजी निर्यातित ही गई है। निर्यातित पूँजी की मात्रा की भी बढ़ रहा जा सकता है। इसके साथीनों को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्षर न 10 करोड़ रुपये का व्याज ते भुक्ति छूट भी दिया है, जिसका भुगतान 15 वर्ष के पश्चात् 15 समान विस्तो में किया जायेगा। वित्त बह रियर्व बैंक में भी ज्ञान, सघर्ष व दीर्घकाल के लिए वित्तीय सहायता के सक्ता है। यह बैंक नियों व मध्यारों द्वारा प्रशासन की संस्थाओं की उत्तर प्रदान करता है तथा तनिज, परिवहन, निर्यात, होटल आदि उद्योग इनकी परिविधि में भाग लाते हैं।

औद्योगिक विकास देश की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे :

- (1) देश में अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा में समन्वय करना तथा इन संस्थाओं में लिए शीर्ष सुधारों के द्वारा में कार्य करना,
- (2) उद्योगों के लिए अवधि वित्त (term finance) का प्रदान करना तथा औद्योगिक इकाइयों की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना,
- (3) सघर्षमहानीन तथा दीर्घकालीन वित्त में पूँजी व माल सम्बन्धी अवस्थाओं की डूर करना।

इस बैंक के प्रमुख वार्ष्य हैं (1) भारतीय औद्योगिक वित्त नियम तथा राज्य वित्त नियमों द्वारा 3 व 25 वर्षों तक वा पुनर्वित्त प्रदान जरूरत, ताकि वे उद्योगों द्वारा वित्तीय उपलब्धि देसे, (2) औद्योगिक संस्थाओं के घुण पत्र, अर्थ आदि खरीदारों; (3) औद्योगिक संस्थाओं के अंतर्गत व अप्तों का अविनियोगन करना, (4) औद्योगिक संस्थाओं को प्राप्ति करने वाला देशके द्वारा प्राप्त छूटों की गारंटी करना, (5) औद्योगिक वित्तों द्वारा दीर्घकालीन करना, (6) नदे हृष्टों की हृष्टाना व वित्तार की योजना बनाना, (7) वित्तीय तथा विनियोग सम्बन्धी शौध

वांचे परमा, तथा (४) औदोगिक सरकारों की प्राविधिक व अवस्था सम्बन्धी महारोग प्रदान करना।

३१ मार्च सन् १९७१ तक औदोगिक विकास बंक ने ३३८.५ करोड़ रुपये की वित्तीय महायता भवीष्ट की थी, जिसमें से २५५.८ करोड़ रुपये दारावाद में वित्तरित किए गए।

(ए) भारतीय इकाई न्यास (Unit Trust of India) : -याम इकाई यह संस्था है जो अपने सदस्य विनियोक्ताओं के लिए प्रतिमूलियों का कम-विक्रय करती है। इसने अपना कार्य १ फरवरी १९६४ से ग्राहण किया तथा १ जुलाई १९६४ से इसने जनता को इकाइया (Units) बेचनी शुरू कर दी। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जनता के बचत व विनियोग की आदत को बढ़ावा देना है जिससे छोटे, मध्यम व बड़े, सभी प्रकार के विनियोगी देश के बीदोगिक विकास में योगदान दे सकें। इस संस्था में दक्षित प्राप्ति तथा भूनक्ति जोखिम के साथ वर्गित है, इस न्यास की पूँजी ५ करोड़ रुपये है। इस पूँजी में सरकारी तथा बड़े-सरकारी संस्थाओं का योगदान ४ करोड़ रुपये के बराबर है। शेष एक करोड़ रुपये की पूँजी अनुमूलित तथा जन-वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान हो गयी है। इसका प्रमुख कार्यालय बम्बई में है। इसकी प्रशंसनी इकाई वा मूल्य दम रुपये है और वोई भी व्यक्ति अपनी बचत के अनुसार गितनी भी संख्या में दस रुपये मूल्य वाली इकाइया खरीद सकता है। ग्राहण में इकाइया प्रशंसनी मूल्य पर बेची जाती थी, लेकिन इसके बाद प्रतिदिन ट्रस्ट द्वारा निवित्त किए गए मूल्य पर बेची जाने लगी। इन इकाइयों की ट्रस्ट को हस्तान्तरित किया जा सकता है।

सामान्यतः, यूनिट ट्रस्ट अपने साधनों का तीन-चौथाई मात्र उद्योगों में विनियोजित करता है। ३० जून १९७२ तक इसकी इकाइयों की कुल विकी ११८.९४ करोड़ रुपये थी तथा इनके पार्कों की संख्या ४,९९,५३३ थी। इसी अवधि तक भारतीय इकाई न्यास ने ६३ करोड़ रुपयों का विनियोजन किया था। इसी अवधि तक भारतीय इकाई न्यास ने ४८.७ करोड़ रुपये का विनियोजन किया था।

(ए) रुचित निगम (Resistance Corporation) : पुनर्वित निगम मध्यम व्यापार के उद्दीपनों को जिता रखने की दृष्टि से ५ जून १९५८ को भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत पश्चिमूक्त किया गया था। इस निगम की संधिहत पूँजी २५ करोड़ रु० है जो एक-एक लाख रुपये के २५०० अशों में बटी हुई है। निगम की प्रारम्भिक निर्गमित पूँजी १२.५ करोड़ रु० की ही थी।

यह निगम उद्योगों की गोप्य रक्षा नहीं देते अपितु बीदोगिक संस्थाएँ उन बंदों ने ऋण प्राप्त करती हैं जो इनके सदस्य हैं और ये सदस्य बंक निगम से ऋण

लेने हैं। अब प्राप्त करने वाले उद्योगों को निम्नलिखित 3 सर्वे पूरी करनी पड़ती थी, जैसे (1) अब प्राप्त करने वाले उद्योग की प्रवत्त पूर्जी 5 लाख रु. से 2.5 करोड़ रु. तक होनी चाहिए, (2) एक औद्योगिक इकाई को 50 लाख रु. से अधिक का बहुग नहीं पिल यक्षमा, तथा (3) अब 3 दर्पे से 7 दर्पे की व्यवधि के लिए ही दिया जाता है। निगम निजी क्षेत्र के उन उद्योगों को जिन्हे प्रबन्धनीय योजनाओं के अन्तर्गत समिलित किया गया है, वे को द्वारा दिए गए अद्योगों को पुनः उधार की सुविधाएं (re-lending facilities) देता रहा है। 28 मार्च 1961 से यह पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बना दिया गया। इसे 1 मित्रवर 1964 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) से गिरा दिया गया था।

(ओ) राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम (The National Small Industries Corporation) इस निगम की स्थापना कोई फार्म-डेशन के एक विषय पर इन की गई। इस निगम का मुख्य उद्देश्य कुटीर एवं लघु-स्वरीय उद्योगों को सशक्ति द शो साझन प्रदान करना है। इस निगम की अधिकृत पूर्जी 10 लाख रुपय थी, फिर्तु अब बढ़ा कर 50 लाख रुपये कर दी गई है। यह, सभी पूर्जी भारत सरकार द्वारा दी गई है। यह निगम ऐसे छोटे उद्योगों को सहायता देता है जो वित्त व्यवस्था के 100 व्यक्तियों और शक्ति के प्रयोग के साथ 50 व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने हैं। इसके क्षण का विस्तार करने के लिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तथा दिल्ली म यहांपर निगम स्थापित किए गए हैं। इस निगम के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं, (i) लघु उद्योगों द्वारा निर्मित की जाने वाली वस्तुओं के लिए सरकारी आदेश (Order) प्राप्त करना, (ii) ऐसे आदेशों की पूर्ति के लिए लघु उद्योगों को वित्तीय, तकनीकी तथा अन्य प्रकार से सहायता करना, (iii) छोटे व बड़े उद्योगों में इस प्रकार तुम्भ-व्यवस्था का लिए उद्योग बढ़े उद्योगों की आवश्यकता की बीजे बना राके, (iv) छोटे उद्योगों को वे को तथा अन्य लाल संस्थाओं से निलंबन वाले उद्योगों की गारन्टी करना। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम वायत्व में एक वित्तीय सम्भा न होकर एक लघु उद्योग विकास सम्भा ही है जो परीक्ष घट से लघु उद्योगों की सहायता करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्हे स्टॉट बैंक काँक इन्डिया से समझौता कर रखा है, जो इसकी गारन्टी योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देता रहता है। यह निगम लघु उद्योगों को hire purchase के आधार पर देश विदेश से भवीते प्राप्त करने से सहायता पहुंचाता है।

एन् 1971-72 में इस निगम ने 54.40 करोड़ रुपये की सरीद के लघु उद्योगों को आडंर वित्तीय क्रियार्थी पूर्ति 20,486 लघु इकाइयों द्वारा की जानी थी। यह

तिमाही खीखला, राजकोट तथा हुबड़ा में प्रोटोटाइप उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र चला रहा है। इन प्रणिक्षण बोर्डों से अब तक 3900 डिप्लिन प्रविधित हो चुके हैं।

भारत में ओद्योगिक वित्त के अभाव के कारण

भारत के ओद्योगिक विकास में पूँजी वी कमी सदैव प्रखरती रही है। यही कारण है भारत का अवैधित ओद्योगिक विकास नहीं हो सका है। एवत्तता के पश्चात् यद्यपि उद्योगों की आवश्यक वित्त प्रदाता करने के लिए सरकार ने बट्टे वदम उठाये हैं और इस उद्देश्य के लिए कई निगम व सम्बाए बनाई गई हैं, फिर भी देश की विकासता को देखते हुये ओद्योगिक वित्त व्यवस्था में कई ममियाँ नज़र आती हैं, जिनके प्रकार स्वरूप इन दिनों में बाहित प्रभाव नहीं हो सकी है। भारत में ओद्योगिक वित्त के अभाव के प्रमुख कारण निम्नान्वित हैं—

1 व्यवहार का निम्नस्तर भारतवर्ष में सामाजिक लोग नियंत्रित है। कुछ दिनें-बहुते व्यक्ति ही समझना नहीं क्षमता में रहते हैं। जाति की कमी के कारण बचत नहीं हो पाती। व्यवहार के अभाव से वेकों दे पास भी वित्त की कमी रहती है और देशोंमें घरेलू मात्रा में वित्त नहीं लगा पाती।

2 पूँजी का शर्मीलापन भारत में कुछ लोग बचत करने की क्षमता रखते हैं तथा वे पूँजी का सुधार पर के ओद्योगिक प्रतिभूतियों में लगा सकते हैं, लेकिन वे पूँजी का इस प्रकार विनियोजन न करके आभूषण आदि बनाने में करते हैं। पूँजी के इस शर्मीलापन के कारण उद्योगों दे साथ पूर्ण विनियोग नहीं हो पाता।

3 संगठित मुद्रा बाजार का पूँजी बाजार का अभाव भारतवर्ष में न ही संगठित मुद्रा बाजार ही पाया जाता है और न ही संगठित पूँजी बाजार। इनके अभाव में ओद्योगिक वित्त के लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती। शामिल क्षेत्रों की व्यवहार को एकप्र करने के साथ प्राप्त शास्त्र के बादायर हैं।

4 ओद्योगिक वेकों का अभाव : ओद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए यद्यपि ओद्योगिक वेकों की स्थापना के लिए प्रयत्न किए पाए, तथापि प्रवन्ध अभिन्नताओं की स्वार्थ नीति के कारण ये वेक प्राप्त नहीं हो पाए। इस समय ओद्योगिक विकास वेक के अवश्य ही कुछ मण्डलों से कार्य पर रहा है, जब्यादा ओद्योगिक वेकों का असाध देश के ओद्योगिक वित्त के मार्ग में दाखक रहा है।

5 अभियोगन-गृहों का अभाव भारतवर्ष में कम्पनियों के हिस्सों व पूर्ण गत्रों के अभियोगन की अचित आवश्या नहीं है। अभियोगन-गृहों की कमी के कारण ओद्योगिक सम्बानों को वित्त प्राप्त करने में बहिनाई भृत्यूप होती है।

6 व्यापारिक वेकों का सीमित क्षेत्र भारतवर्ष में व्यापारिक वेकों ने अपनी सक उद्योगों की अहंकारीन साधन-सम्बन्धों आवश्यकताओं की ही पूर्ति की है।

स्थायी या दीर्घकालीन ऋण देने की जो उत्तरी रुचि ही रही है और न धमढ़ा ही ।

7. कुशल साहसियों एवं प्रबन्धकों का अभाव : तुशल, योग्य व ईमानदार साहसियों व प्रबन्धकों के अभाव के कारण हमारे लोदीगिरि बस्तानों में विनियोग करने वाले व्यक्तियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाते । कई बार ता उम्हे प्रायः हासि उठानी पड़ जाती है । फलस्वरूप ऐसे अनुशासन एवं दोईमान लोगों को पूजी देने में व्यक्ति एवं संसारें जिज्ञपती हैं ।

8. सट्टेबाजी का प्रभाव दिग्न कुछ वर्षों में स्टाइलिंगों में सट्टेबाजी होने के कारण अशों के मूल्यों ने अधिक उत्तर-चढ़ाव होते रहे हैं । इन उत्तर-चढ़ावों के कारण प्रायः नियियोजक हृतोत्तमा-हित हो जाते हैं ।

9. सरकारी हस्तक्षेप में चृड़ि विधन कुछ वर्षों में लोदीगिरि थेव में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ गया है । सरकार ने उद्योगों व नियमन व नियन्त्रण के सम्बन्ध में तथा लोदीगिरि अभियोगों व सुरक्षा के लिए कई नियन्त्रित पारित निए हैं, जिससे लोदीगिरि विकास में बाधा पड़ी है । अम सम्बन्धी वानूओं के फलस्वरूप लोदीगिरि उत्पादन की दायत वह गई है तथा लाभ कम हो गए है । फलस्वरूप पूजीयतियों में अधिक विनियोजन करने की प्रेरणा को ठेम पड़ जी है ।

10. करों का बढ़ता हूथा भार : विगत वर्षों में सरकार हारा करी की मात्रा बढ़ाने के फलस्वरूप पूजी सचय एवं विनियोजन को आवाहन पड़ चा है । एवं वर्षीय योगनाओं के वायेशमों को विधान-बदल करने के लिए लगाए गए मुख्य कर, सम्पत्ति कर तथा पूजी लाभकर जैसे करी ने बचत व विनियोजन दोनों को हृतोत्तमा-हित विद्या है फलस्वरूप उद्योगों को योग्यता याचा में वित्त उपलब्ध नहीं हो पाता ।

11. अर्थ कारण उत्तर कारणों के अतिरिक्त अर्थ और कई कारण भी हैं, जिनके परिणामस्वरूप हमारे लोदीगिरि संस्थानों को उचित मात्रा में वित्त नहीं मिल पाता । ये कारण हैं—(i) जनता में जोड़िम की प्रवृत्ति वा अभाव; (ii) जनता में वैदिक आदत का अभाव, (iii) जनता का देको में विश्वास का न होना; (iv) इटाइ एवं सेंजों की कमी के फलस्वरूप प्रतिसूतियों के काय विक्रय में न छिनाई का होना, तथा (v) सरकार की दोषपूर्ण ब्रह्मलक नीति, (vi) भारतीय मध्यम वर्ग जो बचत की हारा पूजी का सचय विद्या करता था, मुद्रालक्षीति के कारण बरदाद हो गया है; (vii) राष्ट्रीयकरण के सब के कारणस्वरूप पूजीपति उद्योगों में पूजी जगाने और सकोच करते हैं, (viii) देश की लोदीगिरि योजनाएँ प्रायः इन्हीं अस्पष्ट एवं क्षपूर्ण हैं जिससे विनियोजक वा विश्वास प्राप्त करने में असफल रहता है ।

लोदीगिरि वित्त को सुपारने के सुझाव १८८३ में रिजर्व बैंक और इण्डिया ने थी ए० डी० लोक ने विद्यालय में एक समिति का गठन किया

था। इस नियमि ने बीजोगिक वित्त को सुधारने के लिए जो सुझाव दिये थे, वे महत्वपूर्ण हैं—(i) जिन पूँजीपत्रों को उद्योगों में पूँजी लगाने के लिए प्रेरित करने हेतु सरकार को उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न करने का वारंवासन देना चाहिए; (ii) रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह व्यापारिक बैंकों के लिए स्थानान्तरण की सुविधाओं का विस्तार करे, ताकि ये बैंक उद्योगों को वित्त प्रदान कर सकें, (iii) व्यापारिक बैंकों को अब तक सभ बनाने चाहिए और बीजोगिक उद्योगों के हिस्तों व उन पश्च पर्याप्त संख्या में संरीक्त चाहिए, (iv) रिजर्व बैंक को बिल बाजार की सुविधाएं कुछ उदार कर देनी चाहिए ताकि व्यापारिक बैंकों को अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध हो। गढ़े, (v) देश में शादी बैंकिंग का प्रसार किया जाना चाहिए तथा चलते फिले बैंक खोले जाने चाहिए, ताकि नगरिकों की बचतों को एकत्र किया जा सके, (vi) जमाकर्ताओं दो जमाकर्ता से बचाने के लिए जमा बीमा संश्ल (Deposit Insurance Scheme) की स्वापना की जानी चाहिए, (vii) व्यापारिक बैंकों के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा बिलों व हुड़ियों की पुनर्कंटीती की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, (viii) देश में विनियोग ट्रस्ट (Investment Trusts) की स्वापना की जानी चाहिए, (ix) राष्ट्रीय विकास निगम तथा बीजोगिक साल व विनियोग निगम की स्वापना की जानी चाहिए, तथा (x) लघुस्तरीय उद्योगों की वित्तीय सहायता की अलग से ०८बहस्ता होनी चाहिए।

उपर्युक्त सुनावों में से कई सुझावों को मात कर उन पर काम किया जा चुका है, ये सुझावों पर कीमत ही अपन किए जाने की आदा है। उक्त सुझावों के अतिरिक्त निम्नलिखित सुझाव भी महत्वपूर्ण हैं (i) भारतवर्ष में पूँजी-बाजार को अकिय बनाया जाय, (ii) वित्त सम्बन्धी बर्मेयन संस्थाओं व निगमों के साथत बढ़ाये जायें, (iii) जीवन बीमा कोषों व भवित्व निधि कोषों की अधिकाधिक धन-राशि उद्योगों को शाप्त होनी चाहिए, (iv) जमिनोपन के कार्यों को बढ़ाना चाहिए, (v) राज्य वित्त निगमों को परस्पर समन्वय स्थापित करना चाहिए, ताकि कोषों का पूर्णतया सहुपयोग हो सके। ऐसा न हो ति तही ज्यादा कोष रह जाय और जही आवश्यकता न रह, (vi) वित्तीय संस्थाओं को वित्त देने में विलम्ब नहीं बरना चाहिए, (vii) उद्यमकर्ताओं को उत्तम योजनाएं रखनी चाहिए तथा इमानदारी के कार्य बरना चाहिए, (viii) बीजोगिक बैंकों की स्वापना की जानी चाहिए, (ix) देश में मूँहों में हितरता लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ताकि बचत को प्रोत्याहन मिल सके, (x) गौदों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि गौदों की बचत वो एकत्र करके बीजोगिक विकास की ओर उत्प्रवाह किया जा सके; तथा (xi) देश में निलंबन (Hoarding) की श्रद्धा को घोनन चाहिए और लोगों में उत्पादन कार्यों में उन लगाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में औद्योगिक वित्त की समस्या को समाप्त नहीं गया है और इसके लिए समय समय पर कई कदम उठाये गये हैं। यदि हमें देश का औद्योगिक उत्पान करना है, तो इस दिशा में अभी भी और भी बहुत कुछ करना होगा। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् वेतों, वित्तीय समस्याओं और आय जनना के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। औद्योगिक वेत्त की स्वतन्त्रता तथा वित्तीय नियमों के प्रादुर्भाव के कारण आज उद्योगों को वित्त प्राप्त करने में किसी विहेय कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सरकार ने इस दिशा में उत्तमाहरणक कीति अपनाई है। आशा है कि निकट भविष्य में हमारे देश में औद्योगिक वित्त सम्बन्धी व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो जायगी।

प्रश्न

1. उन विभिन्न लोगों—प्रान्तरिक और बाह्य—का वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा बड़ पत्तने के उद्योग बढ़ाने वित्त की व्यवस्था करते हैं। उन इतिहाय समस्याओं का वर्णन कीजिए जो भारतीय डियोगों को वित्त प्रदान करती हैं।

(राज० प्र० ८०, टी० ३०० सी० कला, 1966)

2. औद्योगिक वित्त की समस्याओं को समझाइय। इन देश में औद्योगिक वित्त की समस्या के हुए के लिए सरकार द्वारा किये गये कार्यों का उल्लेख कीजिए।

(राज० टी० ३०० सी० सन्तुम वर्ष, 1964)

3. भारतवर्ष में औद्योगिक वित्त समस्या पर अपने विचार प्रकट कीजिए और समस्या के निराकरण में विभिन्न तियमों का योगदान निश्चित कीजिए।

(राज० बी० ए०, 1960)

4. सुशिल टिप्पणी लिखिए—‘औद्योगिक वित्त नियम’।

(राज० बी० ए०, 1963)

"The 1956 Industrial Policy Resolution charts a fresh course permitting a freedom of development in the private sector, but with checks and balances to prevent a detrimental concentration of economic power and wealth. The Resolution has been described by some observers as an economic constitution based upon its political counterpart—the Constitution of India."

S C Kuchhal

प्रतेक देश की सरकार को देश की अथ व्यवस्था तथा उसके उस समाज को जिसका कि वह भाग है, उसके साबों को आधुनिक प्रयोगों में निवैधत करने तथा देश में श्रौद्धोगिकरण की स्वत्थ परम्पराओं की स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण करता चाहिए। राष्ट्रीय श्रौद्धोगिकरण के अधिक में न हो देश का कृषि क्षेत्र ही विकसित हो गकता है और न ही देश से एह एता श्रौद्धोगिक द्वावा तैयार हो सकता है, जो उसे स्वावलम्बी एव समृद्धिशाली बनाने में सहायक हो पके। यही मूल कारण है विकास परिवासदब्द मरहार की अपनी श्रौद्धोगिक नीति स्पष्ट करनी पड़ती है। उस नीति में ही एक एसी जागिक प्रणाली एव व्यवस्था की स्पष्ट कर दिया है जो—

(1) समाज के मूल एव प्रायोगिक विकास के प्रति दलितों में इमानवकारी परिवर्तन पर जोर देती है, ताकि नरी विधियों का प्रसोत करके सत्यादेन में तेजी से वृद्धि की जा सके, (2) कृषि एव उद्योगों के समुलित विकास पर बल देकर एक सतुरुक्त शक्ति का कार्य करती है, (3) आधारभूत उद्योगों की स्थापना, जनोपयोगी सेवाओं के निर्माण की व्यवस्था तथा आधारभूत उद्योगों और उपभोग उद्योगों के प्रारम्भिक सम्बन्ध एव उसके स्थान के सम्बन्ध में सुरक्षा की जोखिम को नियन्त्रित करती है, (4) कार्य की दशाएं सुधारने की दृष्टि से पूरी तया अम के मध्य पारहरिक उपयुक्त व्यवस्था स्थापित करती है, (5) श्रौद्धोगिक विकास में कुछ क्षेत्रों में निवैध क्षम द्वारा जोखिम डालने की सम्भावना कम होने के कारण निजी (Private) क्षेत्र तथा राजकीय या सार्वजनिक (State or Public) क्षेत्र के सत्तरदायित्व

निर्धारित कर देती है, (6) देश में पूर्ण रोजगारी को सिद्धि लाने तथा देश का सहुलिल आर्थिक विकास करने के लिए बड़े उद्योगों तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों के मध्य सम्बन्ध स्थापित करती है, (7) विद्युतिक समठन एवं विधियों को इस प्रकार नियमित एवं नियन्त्रित करती है, जिससे हि उत्पादकों द्वाया उपभोक्ताओं का शोषण न दिया जा सके, तथा (8) देश के आर्थिक, विद्युतिक, औद्योगिक विकास के प्रारम्भिक चरण में विदेशी पूँजी, विदेशी दृष्टिकोण तथा विदेशी प्राविधिक ज्ञान जा समुचित प्रयोग के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति निर्धारित करती है।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व विदेशी सरकार की औद्योगिक नीति

(Industrial Policy of Foreign Government in India before Independence)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत की औद्योगिक नीति विदेशी सरकार की नीति थी। इनमें से शास्त्रान्धियों तक ब्रिटिश शासकों ने भारत के प्राकृतिक साधनों का विद्युत केवल अपने देश-इंगलैण्ड के हित में ही किया था। उन्होंने न केवल आर्थिक उद्योगों के विद्युतिक आधारभूत उद्योगों, के प्रति उपेक्षादूर्ज एवं बिंदुपूर्ण नीति अपनायी थी, तबा उनकी नीति अपने देश की औद्योगिक कार्यालय के यान्त्रिक बनाने के लिए भारत के परम्परागत लघु एवं कुटीर उद्योगों को कमाश नष्ट करने की ही रही थी। इंगलैण्ड में औद्योगिक कार्यालय के फलस्वरूप आधुनिक उद्योगों के विकास के पूर्व इस्ट इण्डिया कॉम्पनी के शासनकाल में भारतीय कुटीर उद्योगों को जीवित रखा गया था, जोकि इन उद्योगों द्वारा नियमित वस्तुएँ कम्पनी अधिकारियों की आप का साथत ही। इन वस्तुओं का निर्यात होता था, जिससे न केवल भारतीय दस्तकार एवं कारीगर उस समय की राजनीयक अव्यावस्था में अपने उद्योग को जीवित बताये रखने के लिए प्रयत्नशील थे, वल्कि विदेशी प्रशासक जो मुद्द्यत व्यापारी थे, इन उद्योगों से अधिकारिक लाभ उठाने के लिए उन्हें उचित व अनुचित सरकार प्रशंसन करते थे। परन्तु इंगलैण्ड की औद्योगिक नीति ने उम्पनी के सञ्चालकों को राष्ट्रीय हित में इस नीति को बदलने के लिए बाध्य किया। उन्हें अपने देश के उद्योग मर्यादा के विकास के नियमित भारत सरकार द्वारा माल के निर्यात होना भारत में इंगलैण्ड में नियमित माल के आपात पर विद्युत घायल बैंडिट करना पड़ा। फलस्वरूप भारत के विद्युतिक तुटीर उद्योग नष्ट हो गय और भारत इंगलैण्ड में उत्पादित वस्तुओं का एक बाजार मात्र रखा उठाने द्वायोंको के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने वाला एक उपनिवेश मात्र रह गया। ब्रिटिश सरकार की राज्य मर्यादा इष्टापित होने के बाद भी मुक्त व्यापार नीति का ही पाल न किया गया। टिट्यर्ने (Tittery) के अनुसार ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति वा यह सामान्य विद्युत था कि "इंगलैण्ड का बता माल भारत में बेचा जाए, जिसके बदले में भारतीय वस्तु ली जाए"।

ब्रिटिश सरकार की उपर्युक्त नीति से यह स्पष्ट सकेगा कि विदेशी सरकार उस समय भारत के बौद्धिक विकास की ओर हिस्सी भी स्पष्ट में ध्यान देने के लिए हैमार नहीं थी। उसकी नीति विद्वेष-पूर्ण थी, वरोः कि ब्रिटिश उद्योगों की प्रतिस्पद्धा में भारत में उद्योगों का विकास करने पर उसका शौचनिवेशिक बाजार समाप्त हो जाता, उसके उद्योगों के लिए काहूच माल की पूर्ति हर जाती रहा यहाँ बौद्धिक विकास का कम दृढ़ जाता। आवृत्तिक विवारकों का इन सम्बन्ध में यह मत है कि यदि उस समय की येज़ानिक खोजों तथा आधुतिक उद्योगों की विकासित करने के प्रयास भारत में भी किय जाते तो याज यह देश अविकसित राष्ट्रों के साथ बर्गीकृत न होकर विकसित राष्ट्रों के साथ बर्गीकृत होता।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में न केवल इण्डियन, बौद्धिक देशों में अप्रणीत यह विश्व का 'कारखाना' कहा जाने लगा था। उस समय भी ब्रिटिश सरकार ने भारत के बौद्धिक विकास की ओर काहूच ध्यान नहीं दिया। उसकी इस उपेक्षापूर्ण नीति के बावजूद भी कुछ विदेशी एजेंसी नहीं तथा प्रबन्ध अभिकल्पनाओं ने कल्पकाता में जटू उद्योग तथा भारतीय प्रबन्ध अभिकल्पनाओं ने दम्भई में बहुत उद्योग की स्थापना की। इन उद्योगों के स्थापित होते पर इन देश में आधुतिक उद्योगों का समारम्भ हुआ। इन नये उद्योगों तथा ऐल शताब्दी के विकास ने 19वीं शताब्दी के अन्त तथा 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अन्य पूर्जोपितियों का ध्यान नये उद्योग घन्हों की स्थापित करने की ओर आकर्षित हिता तथा उन्हें अ धारभूत उद्योगों को छोड़ कर अन्य उद्योगों की स्थापित करने की प्रवण प्रवाहत की, परम्परा सरकार की हवा इस हरक भी न होने के कारण प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व तक देश में युद्धकाल की लिपन परिच्छन्नियों का मास्ता करने के लिए यहाँ का बौद्धीयित ढाढ़ा दिर्घीक था। उस तमय तक देश में जटू, सूती बस्त्र, कागज, बोयला तथा अन्य उपभोक्ता उद्योग ही स्थापित ही सके थे। उन आधारभूत उद्योगों का यहाँ सर्वेत्या दर्शाव था, जो युद्धीय सामरियों की पूर्ति कर सकते थे।

प्रथम युद्ध काल प्रथम विश्वयुद्ध के समय विदेशी सरकार ने इस तथ्य को अनुभव किया कि भारत के बौद्धिक विकास के प्रति उसकी उपेक्षापूर्ण नीति उचित नहीं रही है। इस बात को मद्दूस करने के बाद महायुद्ध के समय तकहीं पूर्व नीति, भे कुछ परिवर्तन हुआ। युद्ध की लावशक्ताओं की पूर्ति करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। सन् 1916 में बौद्धिक सम्बालनाथी की जात्य करने के लिए बौद्धिक आयोग (Industrial Commission) की नियुक्ति की गयी। युद्ध समर्थनी की पूर्ति करने के लिए सन् 1917 में इण्डियन स्थुतिवान बोर्ड की भी स्थापना की गयी। इस आयोग ने सन् 1918 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में

उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया तथा इस सम्बन्ध में अनेक सूझाव दिये। परन्तु उरु रमय तक विश्व मुद्रा रामान्त्र हो चुका था। अत तत्कालीन सरकार ने उन मुझावी के अनुमान देश के औद्योगिक विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

सरकार एवं प्रगति—

प्रथम विश्व मुद्रा के बाब देश के औद्योगीकरण के प्रश्न पर विशेष ध्यान देने के कारण औद्योगिक द्वाने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस दिया मे केवल वह परिवर्तन हुआ कि सन् 1919 मे उद्योग को प्रान्तीय विषय बता दिया गया। विश्व मे शार्ति स्वापित हो जाने के बाद भारत को भी विश्वव्यापी मध्यी का निकार होना पड़ा। इसके अतिरिक्त विदेशी वित्तीय विषय बता दिया गया। विश्व मे शार्ति स्वापित हो जाने के बाद भारत को भी विश्वव्यापी मध्यी का निकार होना पड़ा। इसके अतिरिक्त विदेशी वित्तीय विषय बता दिया गया। उसी हमय देश मे स्वदेशी आन्दोलन ने जोर पट्टा और विदेशी वस्तुओं का बहिराहिम नियन्त्रण लगाया। रावेंच मारतीय उद्योगों को उचित सरकार प्रदान करने के सम्बन्ध मे याग की जाने लगी। सन् 1921 मे सर बाबाहिम रहीमुल्ला की अध्यक्षता मे नियुक्त ग्राम्य आयोग की सिफारिश पर सन् 1923 से विचारनात्मक सरकार की नीति वर्णनाई गयी। जिसके बनासार पूर्व-तिरिचंत सिद्धान्तों को ध्यान मे रखते हुए कुछ नुने हुए उद्योगों, जैसे चीनी, कागज, इस्पात, सूती वस्त्र आदि को सरकार प्रदान करने की नीति को कार्यान्वयित किया गया। परन्तु सरकार की यह नीति अधिक उपयोगी निष्ठ मही हुयी। चीनी, हीहै व इस्पात तथा सूती वस्त्र उद्योगों द्वारा इस सरकार की नीति से पेचल यही लाभ हुआ कि वे अपने अधित्त्व की वनाये रख सके। बास्तव मे भारतीय उद्योगों को सरकार प्रदान करने के लिए सरकार ने जिन गिरावटों की निर्धारित किया था, वे इतने बढ़ोर थे कि प्रत्येक उद्योग के लिए उनको पूरा करना कठिन था। यही कारण है कि भारतीय उद्योग इस सरकार नीति का पूरा लाभ न ढारा सके। थी ३०० एस० लोकनायक के शब्दों मे सरकार की यह नीति, 'अपरोधक तथा अपरिवारी द्वारा प्रतिक्रिया के सम्बन्ध मे सब्द समय दर दी गयी जान एवं उद्योग उद्योग सत्त्वन करने वाली बाधा थी।¹

हिन्दीय विश्व-मुद्रा काल द्वितीय विश्व मुद्रा काल के पूर्व देश मे आधारभूत उद्योगों का स वैधा व्यवाय था। थी आर० ३०० दत्त के बनासार तत्कालीन सरकार द्वी नीति अनोद्योगीकरण की थी। उसके दस समय औद्योगीकरण के सम्बन्ध से जो भी तीक्ष्ण घोषित जी थी, उस डल्लाडा साक थी। इस अगम्भीर हीलि जो समाप्त करने हेतु देश का औद्योगिक विकास करने के लिए सन् 1931 मे भारतीय राष्ट्रीय बांधने ने

¹ This policy of protection Was belated and meagre and the periodical in quest of progress was an irritating assurance' P.S. Lalnashan

आधारभूत उद्योगों तथा यातायात के राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया था। हन् 1935 में कुछ प्राप्ति में सोकप्रिय काशें गम्भिमण्डलों का गठन हुआ। अष्टटूंदर 1938 में हुए इन मन्त्रिमण्डलों के उद्योग मन्त्रियों के सम्मेलन में देश में बोधोगिक विकास के लिए नेहरूजी की अवधिकार में एक राष्ट्रीय योजना कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी को सध्यून देश के लिए एक बोधोगिक योजना तैयार करने वा भार सेवा करना।

सन् 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने पर प्राचीय काशें गम्भिमण्डलों को इस्तीका देता पड़ा। तत्पश्चात् देश के बोधोगिक उत्पादन वा सचालन एवं नियन्त्रण भारत के सुरक्षा नियमों के प्रभावसंत यित्या जाने लगा। उस समय स्थिति यह थी कि आलियों, देवों तथा कीलों से लेकर भारी गशीनों तक का आयात विदेशों से यित्या जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के आरम्भ होने पर इन सामरियों तथा आवश्यक रासायनिक पदार्थों तथा कल्पनुजीं का आयात बन्द हो जाने से खमड़ा तथा ताकूर जैसे उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति न की जा सकी। उस समय पुनः बोधोगिक विकास, विशेषकर आधारभूत उद्योगों की यामी महसूस की गई। तत्कालीन सरकार के लिए बोधोगिक ढाँचे में जो न्यूनताएँ थीं, उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करना आवश्यक हो गया। सेनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनेके छोटें-मोटे कारखाने स्थापित किए गए। साथ ही विद्यमान भारतीय उद्योगों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरणार्थी प्रदान की गयी। इस ज़िल में कुछ नये उद्योग, जैसे भारी रासायनिक उद्योग, जहाज-लिर्माण, अल्युमिनियम, बिल्डी के सामान, सार्विक आदि के उद्योग, स्थापित किए गए तथा मशीनों के कल्पनुजीं और पहा तक कि मशीनों में नियर्जि सन्धार्थी उद्योगों के विकास के लिए आधार भी तैयार किया गया। पश्चात् इस ज़िल में—जो भी बोधोगिक प्रारार एवं विकास हुआ, वह अव्यवस्थित एवं एकाग्री था। धार्सतव में बोधोगीकरण की सोमा देश की बोधोगिक सम्भाव्यताओं के अनुहय नहीं थी। अन्नराष्ट्रीय अन्न संच की एक रिपोर्ट (1946) के अनुसार, “यह विस्तार एक लम्बे असे तक विचार करने के बाद अथवा उचित ढंग से सम्बित योजना के अनुसार नहीं, बल्कि मुद्दीय स्थिति की आवश्यक पर्याय की पूर्ति करने के लिए ही हुआ था।”¹

“.....“यह (विकास एवं विस्तार) स्वयम्भवतः अव्यवस्थित था।”¹ सन् 1945 में ईस्टन इकॉनोमिस्ट ने दुस देश की सुरक्षारी नीति की समीक्षा करते हुए लिया

1. The expansion took place, not in accordance with a long considered or well co-ordinated plan, but in response to the imperative demand of the military situation““it was necessarily haphazard.”

या, हम लोग किर मी कुछ नहीं बना सकते थे। हम लोग केवल किसी भी वस्तु तथा प्रत्येक वस्तु की पूर्ति करने वाले थे, इस पृथ्वी पर की सभी वस्तुओं को सुपारने एवं उनकी भरमगत करने वाले, परन्तु किसी भी वस्तु के निर्माण नहीं थे। हम लोगों की कोई पठति, कोई योजना नहीं थी। (इसके विपरीत) एक योजना आवश्यक थी, युद्धोत्तर काल के लौशोगीकरण को रोकना।”¹

परन्तु उस समय देश में नियोजन के प्रति उत्साह होने के कारण राष्ट्रीय चेतना एवं लान्दोलन को धान्त करने के लिए विदिशासरकार को भारत की ओशोगिक नीति के विर्धारण की दृष्टि में कुछ आवश्यक देना आवश्यक हो गया। बुद्धकाल से ही सन् 1944 में सर आर्द्धर दलाल केन्द्रीय सरकार में नियोजन तथा पुनर्निर्माण (Planning and Reconstruction) विभाग के सदस्य नियुक्त किये गये। इस विभाग ने 22 अप्रैल, 1945 को ओशोगिक नीति की घोषणा की। सन् 1945 की नीति द्वारा प्रथम बार स्पष्ट शब्दों में उद्योगों के प्रति सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया। यह नीति बहुत ही उद्योगी थी, परन्तु राजनीतिक परिवर्तनों के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

बढ़तून 1947 में श्री डॉ सो० नियोगी की अध्यक्षता में ‘नियोजन बलाद्दार कार मण्डल’ (Advisory Planning Board) की नियुक्ति की गई। इस सम्बन्ध में उन्होंने रिपोर्ट फरवरी 1947 में प्रस्तुत की। बोर्ड ने मात्री नियोजन व प्रशासन के सम्बन्ध में महायुद्ध सुझाव दिए, जिनमें एक ‘योजना आयोग’, एक सलाहकार समिति (Consultative Body), एक ‘किन्धीय साहित्यी कार्यालय तथा एक स्थायी ‘प्रशुद्ध भग्नल का सगठन करना प्रसुच था। जहाँ तक द्वारा उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबन्ध राज्य करने का सम्बन्ध है, इस बोर्ड ने यह सुझाव दिया कि तत्कालीन धरित्वशितियों को व्यान में रखते हुए ऐसा करना बाढ़नीप नहीं होगा। परन्तु कुछ जापानी उद्योगों को राज्य के स्वामित्व एवं प्रबन्ध के अन्तर्गत लाना चाहिए।

युद्धोपरान्त भी विदिश गरकार ने देश के पन्नुस्ति ओशोगिक विकास तथा महायुद्धकाल में अर्थव्यवस्था के उत्पादन के कारण जो मशीर्वे चित रही थी, उनके नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापन की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही उस समय यह भी अनुभव किया गया कि प्रथम महायुद्ध के द्वारा से द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक विदिश सरकार की उपेक्षायुद्धी नीति का ही यह परिणाम था कि न तो भारत विद्यमान उद्योगों के लिए कल व पुजों के निर्माण व पूर्ति के लिए समर्थ हो सका था और ही वह कन्वे गाल तथा शत्रिन के सामग्री की कमी की पूर्ति करने में समर्थ था। यही कारण है कि यह के पश्चात भारतीय उद्योगों का उत्पादन घिरने लगा।

इन कारबों के अतिरिक्त युद्ध के पश्चात् वे तीन बर्थों की अवधि महामाल की अवधि थी, जिसमें ज़िटिश राज्य-सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तान्तरित किये जाने तथा देश के विभाजन के सम्बन्ध में आवश्यक वार्तालूप एवं किए गए थे जो रही थी। इन परिस्थितियों में विदेशी सरकार से देश के ओदोगिक ढांचे वौ सुधारने की तरफ / कोई प्रिय ध्यान नहीं दिया।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार की ओदोगिक नीति—15 अगस्त सन् 1947 का भारत स्वतंत्र हुआ। जनता में नये विश्वास तथा भई आज्ञा की लहर आयी। परन्तु देश के विभाजन के कारण आंतरिक परिस्थितिया अनुकूल नहीं थी। समूल ओदोगिक व्यवस्था अस्त-स्वतंत्र हो गई और राष्ट्रीय सरकार द्वारा एक स्पष्ट ओदोगिक नीति घोषित न किये जाने के कारण ओदोगिक क्षेत्र में अवैध-वाक्ता का बातावरण उत्पन्न हो गया। राष्ट्रीयकरण के भय से ओदोगिक विकास एवं प्रकार तथा भवीतों के आघूसीहरण एवं नवीनीकरण की प्रशियार्दें रुक्ख गयी, जिनके फलस्वरूप ओदोगिक उत्पादन कम हो गया, मूल्य स्तर में दृढ़ि हुई तथा अनान्त दौर करने के लिए दिवस्वर 1947 में एक ओदोगिक समेत आयातिन दिया गया। उस समय की अर्थात् परिस्थितियों पर प्रकाश ढालते हुए सम्मेलन के अध्यक्ष तरावहीन लड्डा मरी हाँ० ल्यालाशमाद पुष्करी ने कहा, 'आगि० परिस्थिति पत युद्ध के समय से गम्भीर है। मही अर्थों से अब हम ओदोगिक सदृष्टि की विदेशी व्यवस्था के लिए दृष्टि ओदोगिक नीति के फिल्म पहुँचो पर विचार किया तथा सरकार के समक्ष विभिन्न दिवं पिण्डियों प्रत्युत दी—

(1) देश की स्थिति एवं उत्पादन का उचित वितरण—जिससे भारतीय जनता वो सामाजिक न्याय पर आधारित मुविधाएँ मिले तथा जीवनस्तर में हेती से सुधार हो।

(2) देश के नागरों का समुचित उपयोग करने की आवश्यकता—जिससे वर्ग विदेश के हाथों में ही स्थिति रा रिके द्वारा न हो।

(3) के द्वीप नियोजन, सामंजस्य तथा नियोजन की आवश्यकता—जिससे अधिकतम नार्याशमना, उत्पादन और वेता के फिल्म भारतीयों का समुचित वितरण हो सके। साथ ही साथ मजदूरी व लाभ निश्चिन करने का न्यायमन्त्र तरीका अपनाया जाए।

(4) उद्योगों का तोन प्रत्युप भेंगियों में विभाजन किया जाए, सन् 1948 का ओदोगिक नीति प्रत्याप (Industrial Policy Resolution of 1948)

उपर्युक्त सुआओं को ध्यान में रखते हुए 6 अप्रैल, 1948 को केंद्रीय उच्चोग मन्त्री डॉ. नवाज़ पठान मुहम्मदी ने भारत सरकार की ओरोगिक नीति की घोषणा की। जिसकी प्रमृत द्वारा निम्नलिखित है—

(1) ओरोगिक नीति के लड़ेश्य—यह 1948 के ओरोगिक नीति प्रमाण में यह कहा गया कि—

(i) ओरोगिक नीति का उद्देश्य एस. समाज की स्थापना करना है, जिसमें मर्ही गार्फ़ी पों को समाज अवसर - यथा प्राप्त हो सके।

(ii) देश की वर्तमान अवस्था में जबकि अगिहाया करना जीवन नियंत्र ह स्तर वा जीवन ध्यानीत नहीं है, उत्पादन बृद्धि पर जोर दला जाहिए।

(iii) वर्तमान धन के पुनर्वितरण मान से जनन्याधारण के लिए बोई मोहिक अन्तर नहीं पहुँचा। इसका अर्थ केवल निर्मानता वा पुनर्वितरण होगा।

(2) उद्योगों का चार अधिकारों में विभाजन प्रस्ताव में यह कहा गया था कि उद्योगों के विभाजन में सरकार वीराकियता धीरे धीरे बढ़नी जाहिए। परंतु उपर्युक्त मार्गदर्शी को ध्यान में रखते हुए सरकार अपशिष्ट सीमा तक उद्योगों के विभाजन में नालग नहीं ले सकती। ऐसा सरकार न उद्योगों को चार तिन अधिकारों में विभाजित निया।

(अ) सरकार का एकाधिकार इस शरणी के अन्तर्गत तीन उद्योग रख यह— अद्यत उत्पन्न का निर्माण, वर्ग शक्ति का उत्पादन वा नियन्त्रण तथा रेल परिवहन। इन उद्योगों पर सरकार का एकाधिकार रखा गया।

(ब) उद्योग विभाजन का दायित्व भविष्य में केवल सरकार रख होगा इस श्रेणी के बान्धवंशीय यह आजागरण मूल उद्योग ग्रंथालय—उद्यान, लोहा व इस्पात, हवाई जहाज निर्माण समूद्री उत्पादन निर्माण ट्रीफोन, नाव तथा बहार दें तार वे सामान वा निर्माण (रेडियो ग्रीष्मीदिगं बटों के निर्माण) और खनिज तेल उद्यान। इन उद्योगों के सम्बन्ध में तीन बातें कहा गई थीं—

(i) इप श्रेणी के उद्योगों में नई इकाइयों की स्थापना केवल केंद्रीय व प्रान्तीय सरकारों द्वारा जनरल प्रोक निकायों (Public Authorities) द्वारा की जा सकती है। परन्तु यदि राज्य हिन या आवश्यक समझा गया तो नियी क्षत्र से भी सहायता ली जा सकती है।

(ii) इन उद्योगों में भविष्य बहतेमान इकाइयों को 10 वर्षे तक दिक्षित होने का पूर्ण अस्तर दिया जायेगा। इस वर्षों के पश्चात वी इन उद्योगों के राष्ट्रीय करण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। यदि किमी इकाइ का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया गया तो इसके लिए उचित मुआवजा दिया जायेगा।

(iii) पार्वनगिक शेत्र के उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था सार्वनगिक निगमों (Public Corporations) द्वारा की जायेगी।

(c) सरकारी नियन्त्रण तथा नियमन के अस्तुर्गत उद्योग : इस शेषी में वे मूल उद्योग रखे गए जिन पर सरकार का नियन्त्रण रखना आवश्यक है। इस शेषी के उद्योगों के लिए अधिक विनियोजन तथा प्राविधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा उनकी स्थिति का राष्ट्रीय महत्व होता है। अतः ऐसे उद्योगों पर सरकार का नियन्त्रण होना आवश्यक है। इस शेषी के उद्योग नियंत्री शेत्र में रहेंगे तथा उनका नियन्त्रण एवं नियमन सरकार द्वारा किया जाएगा। इन उद्योगों के राष्ट्रीय वर्चन का कोई भ्रष्ट नहीं है। परन्तु इन उद्योगों में भी सरकार तथी इकाइया (Units) स्थापित कर सकती है। इस शेषी में कुछ 18 उद्योग रखे गए, जिनमें से मुख्य पै हैं, नमक, गोठर, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल, भारी रमणीय, औषधि, खाद, रक्षायन, पावर अल्कोहल, रक्ष, सीमेट, चीनी, कागज, सूती लकड़ उद्योग, हवाई, गतिवहन, जल परिवहन, आदि।

(d) अन्य उद्योग : शेष मध्यी उद्योग माध्यारणतया नियंत्री शेत्र के लिए छोड़ दिए जायेंगे। उद्योगों पर सरकार का सामान्य नियन्त्रण रहेगा। परन्तु यदि नियंत्री उद्योग की प्रगति सन्तोषजनक नहीं हो तो सरकार हास्तक्षेप करने में नहीं हिचकेगी।

(3) कुटीर तथा लघु उद्योग : जीवोंगिक नीति में कुटीर तथा लघु उद्योगों के महत्व पर प्रत्याप ढाला गया। सरकार इन उद्योगों के विकास के लिए प्रयत्न बरेगी। ऐसे उद्योग मध्यात्मीय हाथों के पूर्ण उपयोग तथा कुछ उपयोग की वस्तुओं के सम्पन्न में मध्यात्मीय आत्मनिर्भरता प्राप्त बरने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन उद्योगों पर विकास राजा सरकारी का दायित्व है। परन्तु केंद्रीय सरकार इस दायत का पता लगाएगी कि वे उद्योग किस प्रकार तथा कहा तक बढ़ उद्योगी के साथ चलाए जा सकते हैं। सरकार इन मध्यी प्रकार के उद्योगों में सम्बन्ध स्थापिन बरने का प्रयत्न करेगी। कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिए सहकारिता पर जोर दिया गया।

(4) नट-कार नीति : सरकार की तट कर नीति इस प्रकार की होगी जिसमें अनावश्यक विदेशी प्रतिस्पर्द्धि को रोका जा सके तथा उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार डाले जिन देश के साथों का उपयोग किया सके।

(5) कर नीति : पूर्वीगत विनियोजन व दबते ने वृद्धि बरने के लिए तथा बुध व्यक्तियों के हाथों में सम्पत्ति के केंद्रीय प्रयत्न वो रोकते के लिए कर प्रणाली में अनावश्यक मुद्रार निया जाएगा।

(6) यम नीति औदोगिक विकास के लिए उत्तम औदोगिक सम्बन्ध व्यावहारक है। सरकार अमिको की विदेशी सुगरने का प्रयत्न करेगी। उद्योगों के लाभ में अमिको को भी हिंदू मिलेगा। तथा उद्योगों के सचायन में अमिको को भाषीदार बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। पूँजी पर भी उचित लाभ का ध्यान रखा जाएगा। अमिको की गृह-परम्परा के विवाहन के लिए आगामी 10 वर्षों में 10 लाख बनाए जायेग। औदोगिक जगड़ी के कंट्रैक के लिए उचित मशीनरी की रचायना की जाएगी।

(7) विदेशी पूँजी सरकार विदेशी पूँजी का स्वागत करेगी। इसके लिए सरकार निर्भवत विदेशी पारित करेगी। विवाहानुसार बहुमत-समिक्षक नियवध भारतीयों के हाथों में रहेगा। यदि राष्ट्रहित में व्यावस्थक समता। जाएगा, तो यह यत्न हार्दिक भा चा भवनी है। परन्तु प्रत्येक लक्ष्य-समाज में इन बातें पर ध्यान दिया जाएगा फि अन्न म धीरे-धीरे भारतीय विदेशी विदेशी विदेशी का स्थान बढ़ाय कर ले। यदि विदेशी पूँजी का राष्ट्रायकरण किया गया तो उचित मुआवजा दिया जाएगा। किन्तु धीरे-धीरे विदेशी पूँजी का प्रतिस्थापन भारतीय पूँजी द्वारा किया जाएगा।

(8) वितरण। वर्तमान समय में उत्पादन वृद्धि पर जोर दिया जाएगा और वितरण की समस्या पर भविष्य में विचार किया जाएगा।

(9) योजना आयोग विकास सम्बन्धी योजनाएं बनाने तथा उनको कार्य-नित करने के लिए एक 'एक्ट्रीय योजना आयोग' स्थापित किया जाएगा। इनी प्रकार 'कुटीर' उद्योग धन्धो के विकास के लिए 'कुटीर आयोग योड़े' समठित किया जाएगा।

सन् 1948 की नीति की आलोचनात्मक समीक्षा

सन् 1948 की नीति का कुछ क्षेत्रों में स्वागत किया गया तथा कुछ क्षेत्रों में इसकी कुछ आलोचना की गई। श्री मीनू मामानी के बनुमार इम नीति द्वारा 'भाजात्मनामङ्ग समाजवाद' की नीव ढाली गई। प्रोफेसर रखा के अनुमार यह नीति 'वाधीवाद समाजवाद' का विजय दी।" प्रो० के० टी० शाह० के अनुमार, "यह यह नीति नहीं थी जिसे एक प्रवर्तियोदय तथा उन्नति की आवाह रखने वाले देश द्वा० अपनाना चाहिए।" कुठ लोगों ने इस नीति को पूँजीपतियों का विरोधी बताया।

(1) निश्चित अर्थ-व्यवस्था—भारत सरकार की औदोगिक नीति निश्चित अर्थ-व्यवस्था (Mixed Economy) ही नीव ढालने की दिशा में पहला बद्य था। दस्तुतः कोई भी अर्थ-व्यवस्था परिवर्तन के मध्य निश्चित अर्थ-व्यवस्था होती है। निश्चित अर्थ-व्यवस्था को नियंत्रित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, शोकि

मानवविज्ञ तथा निजी क्षेत्र में सम्बन्ध स्थापित करना बड़ा ही दुष्कर कार्य होता है। योनों क्षेत्रों में सीमित साधनों पर प्राप्त करने के लिए स्पद्ध ही नक्ती है। ऐसी व्यवस्था को चलाने के लिए विभिन्न प्रवाह के नियन्त्रण की आवश्यकता पड़ती है, जिनसे अधिक विकास का मार्ग कभी-कभी अवरुद्ध हो सकता है।

मिथित अर्थ स्थवरया में इस पूर्णोक्तावी अर्थ-व्यवस्था से भगवान्नावी अर्थ-व्यवस्था की ओर अप्रसर हो रहे हैं। और और परिवर्तन लाना उचित है, परन्तु हमारे इस विशित स्थद्य होता चाहिए। दूसरी ओर लक्ष्य में परिवर्तन किया जा सकता है परन्तु हमें अपने बच्चों तथा आशासनों को भूलना नहीं चाहिए।

(2) विद्यास का अभाव—इस नीति के कारण उद्योगपतियों में विद्यास अभ्युदय नहीं हुआ। वे पूरी विनियोग करने से इच्छा लेते। बहुत उस समय देश में अधिक विनियोजन की आवश्यकता थी। परन्तु औद्योगिक नीति का विनियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सर आर्डेंशर दलाल के शब्दों में, "राष्ट्रीयकरण लाभाद की कीमा, लाभ में हिस्सा लिये जाने तथा 10 वर्षों के पश्चात् पूरी के विचारन के भव्य देवियोजन भवित हो गये।"

(3) राष्ट्रीयकरण का भद्र-इस नीति के कारण उद्योगपतियों में राष्ट्रीयकरण का भव्य यथा यथा। नेताओं द्वारा राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कई प्रवाह के परस्पर विरोधी विचार प्रगट किये गये। 10 वर्षों के पश्चात् भी राष्ट्रीयकरण का भव्य बना रहा। बहुत 10 वर्षों गे ही कोई औद्योगिक संव्यास लाभाजन के बोझ हो पाता है। यदि उसी समय इसका राष्ट्रीयकरण वर दिया जाता तो वे इसी भी विरोध देखें संस्थान की स्थापना नहीं करेगा। स्वर्णीय श्री जयाहरलाल नहरू ने राष्ट्रीयकरण से भगभीत न होने की सलाह दी थी तथा राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में लाभवान्मन दिया था¹, परन्तु उद्योगपतियों का भव्य दूर नहीं हुआ, इससे देश की औद्योगिक उन्नति पर जागा उपस्थित हुई।

(4) उत्पादन अथवा वितरण—बीजोगिक नीति में यह घोषणा की गयी कि उग राष्ट्र की प्रमुख समस्या उत्पादन में बहुत बरने वी थी, वितरण की समस्या द्वा समाधान उठाना आवश्यक नहीं था। बहुत यह विचार भासक है। उत्पादन तथा वितरण दोनों एक ही विषय पर दो हृष हैं। उत्पादन के पश्चात् वितरण की समस्या तुरन्त आती है।

(5) अस्पष्ट एवं अस्वीकरणक—बहुत इस नीतिद्वारा किसी भी पक्ष को अन्तोष नहीं हुआ। राष्ट्रीयकरण, लाभ में दिसा, प्रबन्ध में अमिको हारा भाग हीना

1. "Government's resources were meant to increase production and not supply them o a transfer of ownership."

आदि आश्वासन देकर भरकार ने बामपद्धी होने का दावा किया। साथ ही जाव राष्ट्रीयकरण का क्षेत्र भी दो-धीरे लीपित कर, डैची आव पर करो में छूट देकर तथा करो की ओरो के सम्बन्ध में दुर्बलता दिखाकर जातको में पूजीपतियों को प्रहल करने का प्रयत्न निया। 'इस नीति ने न उद्योगपतियों, न वित्तीयोंको न लौटो-गिक धर्मिक और न जनमानस्तरण को सम्बूद्ध किया। उत्पादन में किसी भी प्रकार की महावृष्टि वृद्धि के लिए जिस सक्रिय उत्तमाह तथा प्रगतिशीलता की आवश्यकता थी उसे लाने में मह नीति अमरकृत रही।'⁵

आलोचनाएँ असम्भव—एकपि उपर्युक्त आलोचनाएँ न्यायमस्त तथा उचित प्रतीत होती हैं, फिर भी देश की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इससे अच्छी आवश्यकिता मौति भी धोषणा नहीं की जा सकती थी। आर्थिक नीति का निर्माण आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। उस समय देश में उत्पादन वृद्धि की आवश्यकता थी। अब भरकार ने वितरण पक्ष पर ध्यान न दे भर उत्पादन पर ध्यान दिया। हमी प्रकार राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में भी नीति स्पष्ट थी। १० दर्यों के पश्चात् राष्ट्रीयकरण के बावजूद उन्हीं उद्योगों का दिया जाना था, जिनकी व्यापति यसीदउनक न होती। अब उत्पादन एवं बोद्धीयिक प्रश्न की हाईट में यह व्यवस्था संरक्षा उपर्युक्त थी। उत्पादन वृद्धि के लिए कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया गया। अनियों को प्रोत्याहरण दिया गया और उन्हें धोषणा में बद्धाने तथा उत्पादन में डिविन हिस्सा दिलाने की जो धोषणा की गयी वह सामाजिक स्थाय की पुर्णतया उचित थी।

मिथित अर्थ व्यवस्था की कटु आलोचना की गयी है, किन्तु तत्कालीन परिस्थितियों में मिथित अर्थव्यवस्था के विद्यान्त की व्यवस्थाएं के अर्थात् दूषण कोई मार्ग नहीं था। मूलभूत उद्योगों के विकास के लिए अधिक पूजी की आवश्यकता होती है तथा असरमय में लाभ भी प्राप्त नहीं होता। निजी पूजीपति उपमोक्षर उद्योगों में ही विनियोजन करते थे। अब भरकार की आधारभूत उद्योगों के विकास का दायित्व अपने लग्जर लेना अत्यावश्यक था। हमी प्रकार मुख्या समझनी उद्योगों को भी निश्ची उद्योगपतियों पर नहीं छोड़ा जा सकता था। तभी उद्योगों की सार्वजनिक क्षेत्र में रहना न की उचित था और न आवहारिक। अत मिथित अर्थ-

⁵ The policy satisfied neither the exigencies of industry, nor the interests and the industrial workers nor the general public . . . (It) failed to provide the dynamism and Positive stimulus which was required for any significant increase in production.⁶

व्यवस्था की जीत पूर्णरूपेण उपयुक्त थी। इस प्रकार सन् 1948 की औद्योगिक नीति को गवर्नरा उपयुक्त कहा जा सकता है।

उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951,

जौहोगिक नीति को कार्यान्वित करने और उद्योगों के नियमन तथा विकास के लिए अवटूर 1951 में भारतीय संसद ने उद्योग (विकास एवं नियम) अधिनियम पारित किया जा 8 मई, 1952 को लागू किया गया। इस एकट में प्रयत्न अनुमती में दिये गये उद्योगों के विकास तथा नियमन की व्यवस्था की गयी। प्रारम्भ में इस एकट के अन्तर्गत 37 उद्योग समिलित किये गये, जो बढ़कर सन् 1953 में 45 हो गये। मार्च 1947 में इसमें 34 अलिंगित उद्योग जोड़ दिये गये। इस एकट का मूल्य उद्देश्य नोबनाबद्ध विवास तथा उद्योगों का नियमन था। इस अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाएँ निम्नलिखित थीं :

(1) अनुमति उद्योगों की सभी वर्तमान इकाइयों का पंजीयन (Registration) निश्चित समय के अन्दर करना अनिवार्य है।

(2) केंद्रीय सरकार में लाइसेंस लिये विना दिखी भी नयी औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं की जा सकती और न वर्तमान इकाइयों का विराम किया जा सकता है।

(3) यदि इसी भी उद्योग का उत्पादन गिर जाता, उत्पादन व्यवय में वृद्धि हो, उत्पादित वस्तु के गुण (quality) में गिरावट आती हो या उपभोक्ताओं को हानि होने की समस्यावश हो अथवा उत्पादित वस्तुओं के भूल्य में अनुमति वृद्धि की गयी हो तो सरकार उस उद्योग की जांच कर सकती है और जांच के पश्चात् विस्तारित जांच दिये जा सकते हैं :

(क) वह उद्योग उत्पादन में वृद्धि तथा विकास का प्रयत्न करें।

(ख) वह उद्योग कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे उत्पादन की मात्रा वा गुण में विचार आये।

(ग) जिस उद्योग की जांच को पड़ी हो उसके भूल्य तथा वितरण पर सरकार द्वारा नियन्त्रण लगाया जाय।

(4) एगी जांच के पश्चात् उद्योग यदि दिये गये विदेशी वा पालत नहीं बरतता है, तो सरकार ऐसे उद्योग को उद्देश्य अधिकार लेते हुए जांच करती है। सन् 1943 के संशोधन के अनुसार सरकार विना जांच कराये भी उद्योग की प्रबन्ध व्यवस्था अपने हाथ में ले सकती है।

(5) अनुमति उद्योगों के विकास तथा नियमन के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय सलाहकार परिषद् (Central Advisory Council) गठाये जी व्यवस्था की गयी।

(6) नये उद्योगों तथा इकाइयों को लाइसेंस देने के लिए एक अनुज्ञादात्री समिति (Licensing Committee) नियुक्त करने की व्यवस्था की गयी।

(7) अनुबूचित उद्योगों या सम्बन्धित उद्योगों की उन्नति तथा विकास के लिए पृथक् पृथक् 'विकास परिषदों' (Development Councils) की स्थापना का आवश्यक दिया गया।

देशीय सलाहकार परिषद्—मई 1952 में इस परिषद् की स्थापना की गयी त्रिभुमि उट्टीग, थर्मिक, डपभावनाओं, ग्रामीणक उत्पादनों तथा सरकार के प्रतिनिधि है। इस समिति में कुल 30 सदस्य हैं। यह परिषद् अनुबूचित उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार की सलाह देने है। सरकार हम एकट के अंतर्गत नियम बनाते समय, उद्योगों को नियोजन देने गये या उत्तरी प्रदेश व्यवस्था अपने हाथ में देने समय की परिषद् में लाइह भली है।

विकास पर्याय—इन परिषदों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वार्षिकीकृत तथा नियोजित थेप में सम्बन्ध रखना तथा इन दाता पर ज्यान रखना है कि नियोजित थेप में उद्योग नियोजन के अनुसार कार्य करत है या नहीं। इन परिषदों में उद्योग-परिषदों, थर्मिकी, प्र०.विधिक विषयका तथा डपभावनाओं के प्रतिनिधि होते हैं। परिषदों के प्राप्त कार्य नियन्त्रित है—

(1) उत्पादन के लद्द अनुबूचि भूमाल देना, उत्पादन घोनाओं में सम्बन्ध स्थापित करना तथा समय समय पर उद्योगों की उन्नति की समीक्षा करना।

(2) उत्पादन को विकलनम करते, उत्पादन विधय में कमी करने तथा अस्तुओं के गुज म सुधार करने के लिए सुधार देना।

(3) कच्चा माल प्राप्त करते तथा नियन्त्रित करते साठ के वितरण में सहायता देना।

(4) प्राविधिक प्रगतिशाली को विकास देने तथा वैज्ञानिक व औद्योगिक सोष-कार्य को प्रोत्साहित करना।

(5) मरकार दाश सोषे गये मामलों पर अपनी सलाह देना।

इन परिषदों हो नियोजित मामलों की व्याख्या (Nurses for private enterprise) करा जाता है। देश के जनेक उद्योगों के लिये जीमो, झोनी नम्बर, कुत्रिम रैजामी बस्त्र, साइबिल, रेस्युल आदि में विकास परिषद् सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

अनुज्ञादात्री समिति—इस समिति में योजना आयोग तथा सम्बन्धित मन्त्रालय के प्रतिनिधि हैं। समिति नई इकाइयों को स्थापना होना पुरानी इकाइयों के विस्तार के लिए लाइसेंस देनी है। लाइसेंस देने समय पक्षवर्षीय योजनाओं के

चह्ये शब्दों तथा प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाता है। इस एकट के अन्तर्गत उन बोधांगिक स्थानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक नहीं है जिसमें 100 से ज्यादा असिकल काम करते हों तथा जिनमें स्थापी सम्भवि 10 लाख रुपये से कम हो।

जधिनियम की शासीका—उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम एक महावृण अधिनियम है। इसके हारा निजी शेहर पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। भारत का बोधांगिक विकास इस वात का साक्षी है कि देश में सुविधोवित तथा समर्पित हुए पर बोधांगिक विकास नहीं किया गया। उद्योगपतियों ने देश के हित का ध्यान नहीं रखा बहुक केवल उन्होंने उद्योगों की स्थापना की, जिससे उन्हें शीघ्र लाभ (quick return) प्राप्त हो "के। इनका परिणाम यह हुआ कि बोधांगिकरण की नीति मज़बूत नहीं हुई, जिससे भी पीछे बोधांगिक विकास में कठिनाइया हुई। ब्रौदीयिक द्वारा मज़बूत उद्योग (Basic Industries) द्वारा विकास न करना इस वात का प्रमाण है। जब देश के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अधिनियम की वाचन्यता दी।

इनमें नागर एक विशाल देश है जिसके बुल भाग आधिक हृष्टि से व्यूह पिछड़ हुए,^५ तथा दुर्गम एवं अधिक विकसित है। पूरे देश के बोधांगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि अची-विकास (Regional Development) पर ध्यान दिया जाय। इस अधिनियम द्वारा इस कार्य में जटायता मिली है।

तीसरे इस अधिनियम के बारण उद्योगिति मनमानी नहीं कर सकते। निष्पत्ति तथा जाच की व्यावस्था के बारण उद्योग हट शाधार (round footing) पर चलाये जायेंगे, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी तथा देश के आकृतिक राजनीति का सम्बन्ध उपयोग सम्बन्ध होगा। इस अधिनियम द्वारा बोधांगिक विकास की अवाधीय प्रवृत्तियों पर रोका जा सकेगा।

सन् 1956 की नई बोधांगिक नीति

30 अप्रैल, 1956 को भारत सरकार ने नई बोधांगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव अपनाया। इस प्रस्ताव द्वारा सन् 1948 की बोधांगिक नीति को समाप्त कर दिया गया तथा उसके बाद पर नई बोधांगिक नीति की प्रोपण की गई। पिछले आठ वर्षों (1948-1956) में कुछ महत्वपूर्ण आधिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण इसमें परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था। ये कारण निम्नलिखित हैं।

1) भारतीय संविधान—26 जनवरी, 1950 ने गणतन्त्र भारत का भव्य संविधान लान् दिया गया। इस संविधान द्वारा नायरिकों के लिए कुछ मोलिक अधिकारी की प्रोपण की गई तथा सरकारी नीति विषयक निर्देशक सिद्धान्तों

(Directive Principles of Policy) का उल्लेख किया गया। इन निर्देशक विधानों में इस विघ्नान का उल्लेख किया गया है कि "भीतिक साम्राज्यों का राष्ट्रमित एवं निष्ठक अधिकार तामुदायिक समाजता लाने के लिए हो तथा अर्थ-व्यवस्था का संचालन जन-माध्यरण के हितों के विरुद्ध न हो और वह तथा उत्पादन के साधनों पर सीमित दोष में केन्द्रीकरण न हो।" अत निष्ठान की इन विधानों के अनुरूप औद्योगिक नीति में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया।

(2) द्वितीय पचवर्षीय योजना—इस का आधिक विस्तृत नियोजन द्वारा किया जा रहा था। प्रथम पचवर्षीय योजना पूरी ही चूड़ी थी तथा द्वितीय पचवर्षीय योजना आरम्भ कर दा गई थी। यह योजना मूल स्वर्ग में उद्योग-प्रधान थी। प्रथम योजना के प्राप्त अनुभवों के आधार पर तथा इस द्वारा साथ गति से औद्योगीकरण करन के लिए भी औद्योगिक नीति में परिवर्तन करना आवश्यक था।

(3) समाजवादी समाज—प्रथम औद्योगिक नीति का उद्देश्य मिलित अर्थ-व्यवस्था की स्थापना करना था, परन्तु दिसंबर 1954 म समझौते के फिल के सामाजिक नीतियों का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना निश्चिन्त किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक खज्ज को विस्तृत करना आवश्यक हो गया। अत औद्योगिक नीति में परिवर्तन करना स्वाभाविक था।

सन् 1956 की औद्योगिक नीति की विवेदिता—सन् 1956 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव का उद्देश्य देश म समाजवादी समाज की स्थापना करना है। इस औद्योगिक नीति की प्रस्तावना म नहा गया है, "समाजवादी समाज का राष्ट्रीय उद्देश्य के हाथ म बनाना और योग्यतावाहन तथा दोष गति से विकास आवश्यकता इस बात की मांग करते हैं, कि आवारगूप्त एवं राष्ट्रिक (strategic) दबोची और सार्वजनिक हिन्द (public utilities) सार्वजनिक भूमि उदाग मार्वजनिक क्षेत्र में हो। अन्य आवश्यक उदाग भी जिनम इन्हों विधान याचा मे विनियोग की आवश्यकता है, जिसे वर्तमान परिस्थितियों मे केवल राज्य ही पूर्ज कर सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र मे होने वी लावश्यकता है। अन राज्य का अधिक विस्तृत क्षेत्र मे उद्योगों के भावी विकास का प्रयोग दायित्व सम्भालना है।" औद्योगिक नीति मे उन उद्देश्यों का भी हल्लेज विद्या गया जिन्हे प्राप्त करना था।

(1) व्यावह विकास की दर पुढ़ि करना तथा औद्योगीकरण की गति को सीधे करना,

(2) बड़े उदाग तथा भवीन-तिर्यग उदाग का विकास करना,

(3) सार्वजनिक क्षेत्र को विस्तृत करना,

(4) बहुत तथा बढ़ते हुए महकारी खेत (Co-operative sector) का निपाण करना,

(5) निजी एकाधिकार तथा कुछ ही हाथों में आर्थिक विवित को केंद्रित होने से रोकना; और

(6) आदि और सम्पत्ति की असमानता को सम करना।

इस बोधोगिक नीति की अन्य मुख्य बातें निम्नलिखित थीं।

(1) उद्योगों का विभाजन—उद्योगों दो तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। अणियों का विभाजन इम् ट्रूटि से किया गया, जिससे राज्य का सहयोग निरिचित हो सके।

(क) अनुसूची 'अ'—इसमें दो उद्योग समिलित किये गये, जिनके विकास का दायित्व एकमात्र सरकार पर होता। यह धोनी 8 अ. 1948 की बोधोगिक नीति की प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों को समिलित कर दिया गया। इस श्रेणी से तीन प्रकार के उद्योग समिलित हैं, सार्वजनिक हित सम्बन्धी उद्योग आधार-भूत उद्योग तथा यातायात एवं सामिजिक पदार्थ सम्बन्धी उद्योग। यूनी में 17 उद्योग समिलित किये गये हैं।¹ इन उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सरकार थी होती। परन्तु वर्तमान इकाइयों का विकास निजी शेष द्वारा किया जा सकता है। यदि राष्ट्र द्वित में आवश्यक समझा गया तो नई इकाइयों की रक्खणा में भी सरकार निजी शेष का सहयोग के सक्ती है, परन्तु रेलवे तथा बाणी यातायात, बदल-शहर तथा अनुशंसित के विकास पर सरकार का एकाधिकार रहेगा। यदि निजी शेष का सहयोग किया गया तो सरकार पूँजी में आधे से अधिक भाग (Majority participation) केरी पा अन्य विधि अपनायेगी, जिससे उद्योग वा नीति-नियंत्रित तथा नियन्त्रण सरकार के हाथ में हो।

(ख) अनुसूची 'ब'—इस अनुसूची में 12 उद्योग² समिलित हैं, जो धीरे-

1. अनुसूचि 'अ' में निम्नलिखित उद्योग हैं—अम्ब-जग्ज बगू फक्त, सोहा व इसपाता, सोहे, व इस्पाता की भारी दलाई व तैयारी, घारी मालीमै घारी बिज़नी के बजू, कीपता व लिपाइट, खनिक देल, बल्ला लोहा, मैगनीज कोष, लिपत गन्धक, सोना व हीरों वा छनव, खड़ा, सोडा, जला राग, आदि की जाने, खोड़ा व बल्ला माल मुद्रारना, बष्ट-कृतिन डलापान व शावित लूहित हुआई जहाज बलाना, हुआई यातायात, रेल यातायात, समुद्री जहाज बलाना दलोकोन एवं उसके तार, एवं बगर का मालान (रेडियो टेलीविंग ऐट लोड कर) और दिवानी का उत्थान एवं रिहरण।

2. अनुसूची 'ब' के उद्योग इह प्रकार है—चौटे वर्षशो की छोट हाँ 'अन्य लूनिक पदार्थ', अनुसूचीनिय एवं बहोह धन्युए जो प्रथम यूनी में नहीं है, यांत्रिक औद्योग, फैक्ट्रियाएव एवं टून, रसीन, राजनीतिक उद्योग की आधारात्म ताम्यारी, दाक्षायाम, खाद, झाज्जम रखर, औद्योग का कार्बोनाइटेशन, राजापनिक भोज, सरक यातायात एवं तक्कुड़ी यातायात।

धीरे राज्य के अधीन होंगे तथा भाग्यारणतया नवी इकाइयों की स्थापना सरकार द्वारा ही की जायेगी। निर्मी माहमी इन उद्योगों का विकास कर सकते हैं। इसके लिए जाहे दे उद्योगों की स्वयं स्थापना करें या राज्य के साथ भाग लें।

(ग) सम्युक्त उद्योग—ग्रध सभी उद्याग तत्त्वीय शक्ति में रह गये। इन उद्योगों का विवाद पूर्णतया निर्मी भूत पर छोट दिया गया। सरकार दिनी भी उपर्युक्त शक्ति से सम्बद्धित रुद्यागा तो स्थापना कर सकती है। सरकार हम शक्ति के उद्योगों की पचवर्षीय माननांशों के लक्ष्यों तथा प्राप्तिविकासी के अनुसार विकास नरने में अवश्यक सहायता देगी।

(2) दूसी एवं लघु उद्योग—ओडीओपिक नीति प्रस्ताव में पहले की भाँति ही कठीर एवं लघु उद्योगों के भूत्त्व को स्वीकार किया गया। इन उद्योगों द्वारा तुरंत बढ़ा मात्रा में रोजगार प्राप्त होता है, राष्ट्रीय आय का उचित वितरण होता है तथा एवं माध्यन उत्पादन में योग देने लगते हैं, जो सम्भवत इन उद्योगों का अनु प्रस्तुति में प्रकृत्यन नहीं होते। इन उद्योगों की सहायता के लिए बड़े पैमाने के उद्योग से उत्पादन पर कर (Differential Taxation) लगा कर उत्तर के उत्पादन को नीतित रखा जायेगा या प्रत्येक सहायता दी जायेगी। इस बात का ज्ञान रखा जाएगा कि कुठीर तथा एवं उद्योग आत्मनिर्भर होता है तथा उनका विकास बड़े पैमाने के उद्योगों के एक अंग के रूप में हो। उनकी उत्पादन प्रणाली में सुधार किया जायेगा तब उन्हें बस्तों दर पर विकली प्रदान की जायेगी। इस क्षय में श्रीदीपिक नहरनी विमितियों की प्रोत्तमाहत दिया जायेगा तथा ओडीओपिक वस्तियों के हारा इन उद्योगों की अवस्था में सुधार किया जायगा।

(3) क्षेत्रीय असमानता को दूर करना—देश के विभिन्न भागों में विकास सम्बन्धी असमानता का दूर किया जायगा जिससे ओडीओपिकरण के साथ देश की पूरी वर्द्ध व्यवस्था की प्राप्ति हो। ग्रामीण नियोजन का एक उद्देश्य पिछले हुए छात्रों में प्रशिक्षण के साधन तथा प्राप्तायात में भाग्यनांकों का विकास करना होता है। प्रन्दिश न प्रत्येक घर में ओडीओपिक तथा कृषि अवधि सम्बन्धियों के समर्थन पर जार दिया गया, जिससे देश के प्रत्येक भाग की जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके।

(4) श्रीदीपिक शार्ट उत्पाद के अनुसार उद्योगों में लग हुए नवी एको को उचित प्रोत्तमाहत (incentives) दिया जायेगा। श्रमिकों की काम करने वाला रहने की दशाओं में सुधार किया जायेगा, जिससे उनकी कार्य असता में दृढ़ि हो सके। श्रीदीपिक उन्नति के लिए ओडीओपिक शार्ट व्यवस्थक है। अम तमाजबादी प्रवाहन्त्र

का साझेदार है, अत उसे विकास के कार्य में सत्त्वाह से भाग लेना चाहिए। अम-समितिमो में सुधार तथा असिको एवं विशेषज्ञों को प्रबन्ध अदस्या में भाग लेने की नीति का पालन किया जायेगा।

(5) प्राविधिकों तथा प्रदर्शकों का प्रशिक्षण नयी बोल्डोगिक नीति में यह कहा याहे कि सार्वजनिक क्षेत्र में तथा कुटीर उद्योगों के सचालन के लिए प्राविधिकों तथा प्रबन्धकों को उचित प्रशिक्षण दिया जायेगा। विविधान्यों तथा वन्य गतियों में प्रशिक्षण दे लिए प्राप्त सुविधाओं में वृद्धि हो जायेगी।

(6) विदेशी पूँजी - विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में इस नीति में घोषणा कही की गयी, अब: प्रधानमन्त्री ने अप्रैल 1949 में इस सम्बन्ध में जो घोषणा की थी, उसे ही अपनाया गया। इसमें स्पष्ट किया गया था कि सरकार विदेशी पूँजी के स्वदेशी पूँजी में कोई भेदभाव नहीं करेगी।

(7) निजी क्षेत्र का नियमन तथा सहायता सरकार निजी क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, विशेषकर ऐसी बोल्डोगिक घोजनाओं में जिनमें यदो मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी सहायता का स्वदृप्य यहाँ बहु पूँजी में भाग लेना होगा बचवा वह क्षण यदो के रूप में होगी। निजी क्षेत्र के उद्योगों को सरकार की आर्थिक तथा रामाजिक नीतियों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के अनुसार निजी क्षेत्र उद्योग निपन्नित होंगे। जहाँ तक सम्भव होगा, उद्योगों को पूरी रक्तशब्दता दी जायेगी। यदि किसी उद्योग में सार्वजनिक तथा निजी दोनों पक्ष लगे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

इनके अतिरिक्त उद्योगों का हीन वर्गों में जो विभाजन किया गया है वह उन्हें एक-दूसरे स पूर्णनया अलग नहीं करेगा। इन क्षेत्रों में पारदर्शक नियंत्रण (Sectoral inter-dependence) के सिद्धान्त का पालन किया जायेगा।

(8) सार्वजनिक उद्योगों की प्रबन्ध-व्यवस्था प्रत्यावर में यह स्वीकार दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के भाव ही साथ इस क्षेत्र के उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था का महत्व यह गया है। प्रबन्धकों से योग्य विर्ग तथा उत्तरदायित्व समालने वाली भावना का पाया जाना आवश्यक है। अतः अधिकारों का विकेन्द्रित होना तथा सरकारी उद्योगों का क्षरपादिक सिद्धान्तों के अनुसार भलावा जाना आवश्यक है। जहाँ तक सम्भव हो, सरकारी उद्योगों के सचालन तथा प्रबन्ध व्यवस्था में स्वतंत्रता होनी चाहिए।

बोल्डोगिक नीति प्रस्ताव के अन्त में यह जाता व्यक्त की गयी थी कि इस क्षेत्री बोल्डोगिक नीति का सभी वर्ग द्वारा स्वागत होगा तथा इसमें राष्ट्रों का तीव्र परिसे बोल्डोगिकरण करने में मद्द दिलेंगी।

सन् 1948 तथा 1956 के प्रस्तावों की तुलना

बोद्धोगिक नीति विषयक इन दोनों प्रस्तावों में निम्नलिखित अन्तर दृष्टि-
गोचर होते हैं—

(1) सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार—सन् 1948 के प्रस्ताव में उद्योगों को ज्ञार बगों में विभाजित किया गया था, जबकि सन् 1956 के प्रस्ताव में उन्हें तीन बगों में ही बाटा गया। नवी बोद्धोगिक नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र का काफी विस्तार कर दिया गया तथा सुरक्षारी क्षेत्र में उद्योगों की संख्या बढ़ा दी गयी। 1948 की नीति के अनुसार केवल तीन उद्योगों पर सुरक्षार का एकाधिकार था और 6 उद्योग ऐसे थे, जिनमें नवी इकाइयों की स्थापना मरकार ही कर सकती थी। इसके अतिरिक्त 18 उद्योगों का सुरक्षार द्वारा नियमन तथा नियन्त्रण होना था। ये उद्योग पूर्णतया नियी क्षेत्र के लिए छोड़ दिये गये थे। परन्तु सन् 1956 की नीति के अनुसार किसी भी उद्योग की स्थापना मरकार द्वारा की जा सकती है तथा 17 आधार-उद्योगों का विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही किया जा सकता है।

(2) राष्ट्रीयकरण—सन् 1948 की नीति में यह कहा गया था कि द्वितीय धर्मों के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर 10 वर्ष इच्छात् पुनर्विचार होगा। परन्तु सन् 1956 की नीति में राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में काई भी व्यवस्था नहीं दी गयी है, बल्कि एक प्रकार का आवश्यन दिया गया है कि प्रथम धर्मों से सम्बन्धित नियी उद्योगों पर राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा। इन प्रकार दूसरी बोद्धोगिक नीति में नियी उद्योगों को राज्य द्वारा लिये जाने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है।

(3) नियी क्षेत्र—एक प्रकार से नियी क्षेत्र का भी नवी नीति में विस्तार किया गया। तीनो अण्डियों के अन्वर्गन चल जा रहे नियी उद्योग का विकास सार्वजनिक उद्योगों के साथ साथ होता रहेगा, परन्तु राज्य क्षारा उनका नियन्त्रण होता रहेगा जिसमें जनहित भी रक्षा हो सके।

(4) सहकारी क्षेत्र—मन् 1948 की बोद्धोगिक नीति में सहकारी क्षेत्र पर जोर नहीं दिया गया था, जबकि 1956 की नीति के अनुसार नियी क्षेत्र का विस्तार जहाँ तक सम्भव होता, सहकारी रूप में करने की व्यवस्था की गयी है।

(5) शिविल विभाजन—सन् 1948 की नीति के अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण कठोर ढंग से हिया गया था, परन्तु सन् 1956 की नीति में उद्योगों का वर्गीकरण प्रियिल है। योजना तथा देश वी आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी उद्योग की स्थापना किसी भी क्षेत्र में को जा सकती है।

सन् 1956 की नीति को समालोचना

सन् 1956 की आंतरिक नीति के सम्बन्ध में विभिन्न मत पाये जाते हैं। इन नीति की विभिन्न दृष्टि से निम्नलिखित आलोचनाएँ की गयी हैं।

(1) अपरी तोर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह नीति निजी द्वेष के प्रति अधिक उदाहर है परन्तु वास्तव में इस नीति द्वारा निजी क्षेत्र को संकुचित करने का प्रयत्न किया गया है। इस नीति में राष्ट्रीयकरण की घटकी परोक्ष रूप में विद्यमान है। आंतरिक नीति का यह बाब्त्व, "inherent right of the state to acquire any industrial undertaking would always remain" इस वायद की बार पर्याप्त मात्रे करता है।

(2) आंतरिक नीति के प्रस्ताव में लोक (flexibility) पर जोर दिया गया है परन्तु इसका प्रयोग 'सार्वजनिक काव' के ही लिये किया जायेगा वयोंकि सरकार किसी भी उद्योग को प्रारम्भ कर सकती है। इस प्रकार 'अनुमूली व' के उद्योगों में क्षेत्र में निजी काव का स्थान गौण रहेगा और नृतीय थेजों के उद्योगों में भी सरकार का दबल रहेगा।

(3) सहारी क्षेत्र के दिस्तार की जो दान प्रस्ताव में कही गयी है, वह भी आमक है। वस्तत सहारी क्षेत्र सरकार के निर्देशन पर ही कार्य करेगा और निजी काव के प्रनिनिधियों का स्थान सदैव गोप (Subsidiary) रहेगा। इस प्रकार भारत में सहारिता के नाम पर राजकीय पूँजीयाद (State Capitalism) को बढ़ावा देने वा प्रयत्न किया जा रहा है।

(4) आंतरिक रण के प्रश्न पर सरकार ने सिद्धान्ती (ideology) का ही ध्यान रखा है, अवरहरिकाता पर ध्यान नहीं दिया है। निजी क्षेत्र के महत्व में जो कपी की गयी, वह अवाञ्छनीय थी। अबम योगनान्काल से निजी क्षेत्र की सफलता को देखने हुए उसे प्रयुक्त स्थान प्रदान करना चाहिए था।

विदेशी पूँजी के विषय में प्रस्ताव म कोई अपवाह्य नहीं की गयी है। यदि इसके रास्तन्ध में नीति स्पष्ट होती तथा राष्ट्रीयकरण का संत्र निश्चित कर दिया होना हो विदेशी पूँजीवाली निशक होकर भारत में अधिक पूँजी विनियोजन कर सकते थे।

(1) विद्यवंश के अध्यक्ष श्री दूर्जित बर्नेश ने कहा है कि "यदि इस नीति दा गालन हृदान में किया गया तो सार्वजनिक क्षेत्र क विस्तृप्त एव प्रशासनात्मक साधनों पर, जिन पर पहले से ही अधिक भार है और अतिरिक्त भार पड़ेगा तबा महात्मपूँजी के विकास की गति सीमित हो जायेगी।"

सन् 1956 को ब्रौदीयिक नीति देश के लिए उत्तम है।

उपर्युक्त आलोचनाएँ बहुत कुछ एक पक्षीय हैं। बास्तव में, बहुमान ब्रौदीयिक नीति देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने की दिक्षा से एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से हो सकता है।

(1) सरकारी तथा निजी क्षेत्रों का विकास नगरी ब्रौदीयिक नीति में सरकार द्वारा बहुत बढ़ देने वाला कुछ सार्वजनिक हित के उद्योग लेने की घोषणा की गयी है। सरकार द्वारा ऐसे इकान, दबाइयाँ, खाद, रसायन तेल आदि भारी पूँजी बाले उद्योग के व्यवस्थित कुछ उपयोगिक समाज उत्पन्न करने की इकाइयाँ (सीमेंट, चीनी आदि) भी स्थापित की हैं। इनसे निजी साहम को किसी प्रकार कम करने का उद्देश नहीं है वल्कि उसके लिए यह अवधार है कि वह सरकारी क्षेत्र के तदोंगों से अधिक कार्यसमर्त प्रदर्शित कर बप्ते योगदान का अधिकाधिक महत्व प्रमाणित करे।

गत पंडह वर्षों में भारत की सम्पूर्ण उत्पादन सम्पदा में लोक शब्द वा भाषा जो 1950-51 में केवल 15% था 1960-66 में बढ़कर 35% हो गया है।¹ अनेक योजनाओं के हीते पर भी सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से देश में इकानियरिंग, बीप्रबंध, स्थापन, खाद तथा इन्डस्ट्रियल उद्योगों का विकास हुआ है। पिछली चार योजनाओं में सरकारी विनियोग वीर चूंदि का अनुमान निम्नलिखित तालिका से लाया जा सकता है।

उद्योगों में विनियोग¹

(हार्ड रेपोर्ट में)

	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तीसरी योजना	चौथी योजना
1 यार्डेजनिक शब्द	55	938	1520	3298
2 निजी शब्द	233	830	1050	2000

(2) निजी उद्योगों पर नियन्त्रण—विकासशील देशों में प्राय योजनारूप विकास करना होता है, और इस कार्य के लिए एक ओर तो प्रायभिन्नताएँ नियन्त्रण करनी पड़ती हैं दूसरी ओर सभी उद्योगों का विकास उन्नित दिनांकों से हो हो रहे यह अपने रखना पड़ता है। इस टॉपिक से भारत में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर नियन्त्रण की जो व्यवस्था भी गई है, वह उचित ही नहीं, आवश्यक भी है। इस कार्य के बीचित्रण का प्रमाण इस उच्च से मिलता है कि गत वर्षों में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कई अनुत्तर एवं वांद फॉन्टटियो और मिलों का प्रश्न्य संभाल कर

1. Fourth Five Year Plan—A Draft Outl. see, p. 11.

उन्हें चालू किया गया है। जब उद्योगों के लिए साइरेंस तथा पूँजी विनियोग के लिए पूर्यं अनुमति का उद्देश्य थही है, कि देश में पहले वही उद्योग विकसित हो, जिनकी अद्यधिक आवश्यकता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के विकास का यथेष्ट सन्तुलन रखा रहे। इन सभी दृष्टिकोणों से नवी औद्योगिक नीति के मन्त्रीने सरकार द्वारा सब क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करना तथा नवीनीकरण सभी उद्योगों के विकास का नियमन एवं नियन्त्रण करना सर्वोच्च न्यायसंपत्ति है।

(3) एकाधिकार का नियन्त्रण प्रो॰ जे॰ पी॰ लैटूइप ने अपनी पुस्तक Quiet Crisis in India में यह मत प्रकट किया है कि भारत में औद्योगिक एकाधिकार की प्रवृत्तियां बहुत प्रवल हैं। इस मत को पुष्टि राष्ट्रीय आय संकेन्द्रिय समिति न भी की है। इन दृष्टिकोणों से भारतीय औद्योगिक नीति ऐसी होनी चाहिए कि औद्योगिक माझारप (Industrial Empire) का अन्त हो सके। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव इन दिशा में सहजपूर्ण कदम है। भारतव में, आवश्यकता इस दात की है कि सरकार इग प्रस्ताव की भावना को यथावत् कार्यान्वयित करने की दिशा में उचित कदम उठाये। सरकार हारा सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए नवीनीकरण उद्योगपतियों को लाइसेंस देने से औद्योगिक एकाधिकार का अन्त करने में सहायता मिल सकेगी। जीती, होमेन्ट तथा विद्यासार्व उद्योगों में इस प्रणालीकार के अन्त के लक्षण प्रहट होने लगे हैं। यह अत्यन्त सम्मोर्चजनक स्पृहीत है।

इन तथ्यों से यह निष्कर्ष मिलता है कि नवी औद्योगिक नीति में एक और तो सरकारी क्षय को अधिकाधिक विकागित करने का प्रावधान है, दूसरी ओर नियोजित क्षेत्र को विकेट्रिन इप में विस्तृत करने की व्यवस्था है। अनेक क्षेत्रों में सार्वजनिक तथा नियोजित क्षेत्रों का मार्गनस्व एवं सहयोग कहा जा सकता है। इस प्रणाली के अधिकाधिक विकास के लिए सार्वजनिक एवं नियोजित क्षेत्र में एक और होड तय गये हैं, दूसरी ओर उनमें सहयोग का बानायरण यन गया है। तीसरे, सहायी दीव द्वारा भी औद्योगिक विकास की दिशा में भृत्यपूर्ण कदम उठाये गये हैं, उदाहरण के तौर पर, देश के शब्दार (चीनी) उत्पादन का लगभग तूनीयां एहाँ भी दीव फैक्टरियों द्वारा किया जाता है। अतः भारत में समाजवादी उत्पादक एवं उत्पादन के लिए नवी औद्योगिक नीति के अनुपार औद्योगिक विकास करना सर्वोच्च ध्येयपर होगा।

भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति : पाचवी परवर्षीय योजना के विकास नायेंकों को लाए करने के लिए 2 फरवरी तम् 1973 को भारत सरकार ने अपनी नवी औद्योगिक नीति की घोषणा की, जो कि 18 फरवरी तम् 1970 की

ओद्योगिक नीति की दशा में कुछ सुधार था। नई ओद्योगिक नीति में सन् 1956 की ओद्योगिक नीति के आधारभूत तत्वों को बही स्थान दिया गया। 'क' बन्नुमूली के कारबानो का विकास सार्वजनिक सत्र में छोड़ा गया, लेकिन सरकार अब उचित समझे तो इनका विकास निजी सत्र तथा विदेशी पूँजीपतियों के हाथ में भी छोड़ सकती है, लेकिन इसके साथसाथ यह भी व्यवस्था की गई कि इन उद्योगों के विकास के लिए छोटे पूँजीपतियों की प्राप्तिकरता दी जाएगी।

इस नई ओद्योगिक नीति पर बुटीर एवं लखु उद्योगों का विकास लोक गति से बढ़ने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था। 'संयुक्त राहस्य' को भी एक विशेष महत्व दिया गया, जिसमें सार्वजनिक तथा निजी धोन दोनों एक साथ सहयोग करके उद्योगों का विकास करेंगे।

नयी लाइसेंसिंग नीति (New Licensing Policy)

यह वर्षों में निरन्तर यह जनुमय बिया जा रहा था, कि भारत में उद्योगी को लाइसेंस देने की प्रणाली दोषगुरुण है और लाइसेंस व्यवस्था के कारण पक्षपाल और भ्रष्टाचार की प्रोत्तमाहन मिलता है। डा० बार० क० हजारी की रिपोर्ट से बिडला संस्थानों को अत्यधिक उदारतापूर्वक लाइसेंस देने के तथ्य प्रकृति में आये हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में ओद्योगिक विकास की गति हीद करने के लिए ओद्योगिक नीति में कुछ उदारता करने की आवश्यकता है।

हजारी रिपोर्ट की सिकाईयों के ऊपर पर, जो कि बहुत कुछ लाइसेंस दे छूट से सम्बन्धित थी, टोडयभा मंग्रह के दीर्घन यह निश्चय किया गया कि भारत सरकार एक नयी कमेटी को नियुक्त रखेगी, जिसका कि ब्रदर कार्प 1956 से 1966 के बीच में ओद्योगिक लाइसेंस प्रणाली का विवरण सम्बन्धी जाच बरगी। इस उद्देश्य से 22 जून 1967 की थी सुविधान दत वी अपक्षता में एक कमेटी पर गठित बिया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 17 जून 1969 को प्रस्तुत वी तथा इष कमेटी की नियुक्तियों के कानार पर 16 फरवरी, 1970 को भारत सरकार ने बड़ी लाइसेंस-नीति को घोषणा की। बाक्तव में नयी ओद्योगिक नीति को घोषणा सिर्फ दत कमेटी के सुनावों के आधार पर ही नहीं की गई, बल्कि घोषणा के समय हवार्ड रिपोर्ट, प्रशासनिक सुशास्त्र आयोग (Administrative Reforms Commission) तथा राजद वी बन्नुमान समिति (Estimates Committees) के सुनावों को भी सरकार ने ध्यान में रखा।

नयी ओद्योगिक नीति में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन देश के ओद्योगिक विकास की ध्यान में रहते हुए, तथा चतुर्थ पर्याप्त योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के

लिए की गई। चतुर्थ योजना ने योजना आयोग ने यह स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया है कि ममी आधारभूत व सुरक्षा की दृष्टि से भृत्यपूर्ण उद्योगों में जहाँ भारी विनियोग की मात्रा है, बौद्धिक लाइसेंस प्राप्त करना होगा तथा जिन उद्योगों के लिए विदेशी विनियोग भी आवश्यकता न हो, उनको लाइसेंस की आवश्यकता से मुक्त रखा जाए। इसके साथ-साथ लघु क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने 1956 की ही औद्योगिक नीति को संवर्धन दिया।

यहाँ पर सर्वप्रथम बौद्धिक लाइसेंस नीति जॉन समिति-दत्त कमेटी (The Industrial) Licensing Policy Inquiry Committee-Dutt Committee) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष निकाल कर नष्टी औद्योगिक नीति का वर्णन करेंगे।

बौद्धिक लाइसेंस सम्बन्धी दाकड़ी का विवरण

(1) निर्धारित कमता से अधिक कमता के लिए लाइसेंस देना : दत्त कमेटी ने यह स्पष्ट हप में व्यक्त किया कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में योजना के नियरित कमता से अधिक स्वीकृत कमता के लिए लाइसेंस दिए हैं। जिससे न को नियरित कमता ही के लद्य पूर्ण हो पाते हैं, तथा न ही योजना की प्राविकाताओं में ही कोइ स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित किया जा सका है। इसी कारण दत्त समिति ने यह विषय पर निकाल कि “लाइसेंस प्रणाली प्रस्तुत इस प्रकार से काम नहीं लगी है, कि लाइसेंसों की स्वीकृति और योजना प्राविकाताओं में कोई स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित न हो सका।”

(2) वार्षिकी व विजी क्षेत्र तथा औद्योगिक शीलि मन् 1956 में स्वीकृत औद्योगिक नीति प्रस्ताव में वर्णित अनुसूचियों के संरक्षणी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की निजी क्षेत्र में भी खोल दिया गया है, क्योंकि अनुसूची में शामिल उद्योग विभिन्न वर्गिका (broad categories) माथ भी तथा इनका अन स्पष्ट नहीं किया गया था। जिस प्रकार कि ‘लोहा एवं इलाकात’ एक विस्तृत वर्गी है इसका दोष किस प्रकार के कारणाने दक होगा, स्पष्ट नहीं किया गया, जिसमें निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया। उदाहरणार्थ मधीमी बौद्धिक उद्योग जिन्हें कि ‘A’ अनुसूची रखा गया, हिन्दुस्तान मशीन ट्रूस को 9 लाइसेंस दिए गए, यहाँ गंट-मरकारी लाइसेंस 226 लाइसेंस दिए गए। इन सम्बन्ध में नामिटि ने किया है कि यह स्पष्ट है कि लाइसेंस नीति अपने आप में इन सम्बन्ध में एक लीमित भाग ही भ्राता कर सकती है। अनुसूची ‘A’ में कुछ उद्योगों का गंट-मरकारी क्षेत्र द्वारा नियम करने और अनुसूची ‘B’ में विकास के लिए अधिकतर गैर सरकारी क्षेत्र की प्री-गाहित करने के नियंत्रण मरकार के सम्बन्ध में ही है।

(3) संतुलित क्षेत्रीय विकास : सरिनि ने यह भी स्पष्ट किया कि इस लाइसेंसिंग प्रणाली द्वारा कुछ ही राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, गुजरात तथा तांगिनाड़ु का विकास हो पाया करोकि वे हेठले इन राज्यों ने कुल लाइसेंसों का 62.4 प्रतिशत प्राप्त किया। इन प्रहार की गठनाती नीति से देश का सीमित विकास हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करता भी आवश्यक है कि लाइसेंस देने वाले अधिकारी लाइसेंस देने से पहले पूरे देखते हैं कि कच्चे माल की उपलब्धि है या नहीं, तथा अभ्य मालव व्यापार में उत्तम है या नहीं, लेकिन औद्योगिक नीति में इस बात को स्पष्ट कर स नहीं बदलते किया गया है।

(4) विदेशी सहयोग : मन् 1940 में प्रधार ने देश में औद्योगिक विकास के कार्यक्रम वीं बड़ाने के लिए विदेशी व भारतीय उत्तरकारी में कोई भेद स्पष्ट नहीं किया। लेकिन इस प्रधार की उत्तरकारी नीति ने एक ही प्रधार के उद्योगों में कई विदेशी सहयोग वालों कर्म स्थापित वीं जाने लगी, जिनकी दावें भी अलग-अलग होती थीं। विभिन्न प्रधार के कल-पुँजी के आवाह की पाप बड़े गये, रामलटी का बहुत अधिक भाचा में भुगतान किया जाने लगा, दम्तुमो का अधिक भुगतान किया जाने लगा आदि। इस प्रधार विदेशी कर्मों को उत्तराधिकार का स्थान किया गया।

(5) स्वतंत्र एवं छोटे उद्योग : 1945 तथा 1956 दोनों ही औद्योगिक नीतियों में लघु उद्योगों को विकास के लिए एक विशेष दर्दा प्रदान किया गया, जेविन वट औद्योगिक समूहों को ऐसे उद्योगों के लिए लाइसेंस दिए गए, जो फिं छोटे एवं स्वतंत्र श्रेणी में शान्ति थे तथा इनके साथ ग्राम अन्य मुख्यालयी जैसे, विस्त, विपणन, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण आदि को भी सुविधाएं नहीं प्रदात वीं गई।

अब; उपरोक्त विभिन्न यथा स्पष्ट है कि प्रधार ने 1956 वीं औद्योगिक नीति से देश में अधिक मना के केंद्रीयकरण में नृदि हुई है। हालांकि इस अवधि में देश में औद्योगिक विकास के दार्ढीकर्मों की प्राप्तियां गया है, लेकिन निजी साहसियों को अत्यधिक स्थान मिला है तथा भाव्य ही माय प्रादेशिक असन्तुलन भी बढ़ा है। इस स्थिति ने लकारियां जाच प्रायोग द्वारा दी गयी “बड़े औद्योगिक घराने” (Large Industrial Houses) की धारणा को स्थिकार करते हुए भारत सरकार को निज्ञ प्रधार वीं लाइसेंसिंग नीति की धोणां दरने के लिए सशब्दूर कर दिया।

(1) प्रमुख तथा भारी विनियोग (Core and Heavy Investment) वाले उद्योगों के लिए नियन्त्र प्रधार की नीति वीं धोणा को।

(अ) चतुर्थ योजना में प्रमुख उद्योगों वीं वृची में 9 बड़े प्रमुखों वाले उद्योगों को लिया गया, तथा जिनको कि प्राथमिकता के भावार पर अविवायं घोषित (Essential Inputs) उपकरण कराए जाएंगे।

प्रमुख उद्योगों की सूची (1) कृषि आदान-साद (नाइट्रोजन एवं कॉर्सफेटिक साद), कोटनाशक दबावया, ट्रैक्टर और पावर टिल्स, रोक फॉलकट, पाइराइट्स। (2) लोहा व इहात—इच्छा लोहा, बिंग लोहा व इसात, मिथ चातु और विशेष इरणात। (3) व लौह चातु (४) पेटोलियम—डेल की खोज व उत्पादन, बेटोल शोध कार्य; चुने हुए पेटोलरसायन, (सामग्री) बृहत पेटोलरसायन काम्पलेस, डी० एम० टी०, के ग्रोलेटरम, एकी कोमिटी०इट, मिथित २३३) (५) बोलिंग कोम्पा। (६) भारी ओद्योगिक मशीनरी आदि (७) बहाल निर्यात और बुक्स, (८) असवारी कागज, (९) इलेक्ट्रोनिक्स।

(अ) प्रमुख क्षेत्रों के अन्तर्गत इन नए ओद्योगिक प्रदानों की राशि ५ करोड रुपये से अधिक होगी, भारी विनियोग बाले क्षेत्र में समझे जाएंगे। 1956 की ओद्योगिक नीति के कानूनीत सार्वजनिक स्थेत्र के आविष्ट उद्योगों को ढोक कर शेष के लिए बड़ ओद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्युती वर्धनियों को भी छूट दी गई।

(2) १ करोड रुपये से ५ करोड रुपये के विनियोग के बीच बाले पश्चिम क्षेत्र में बड़ समूहों को ढोकार अन्य संस्थानों को प्रायगिकता दी जाएगी, तथा लाइसेंस देने में उदार नीति को अपनाया जाएगा। केवल हायवानी इस बात में बरतनी होगी कि बुलंड विदेशी मुद्रा का अपव्यय न हो। बड़ तथा विदेशी संस्थानों को सिर्फ विस्तार की छूट प्रदान की जाए।

(3) लकु खेतों के लिए आरक्षणी की वर्तमान नीति जिसने मशीनरी तथा पुँजी में कुछ विनियोग ७५ लाख रुपये दा हो, जारी रहेगी।

(4) कृषि उद्योगों विवरण गना, पट्टरत आदि का विधायन करने वाले उद्योगों में सहकारी क्षेत्र को प्रायगिकता प्रदान की जाएगी।

(5) १ करोड रुपय तक के विनियोग बाले उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विभ्न प्रकार के उद्योगों के लिए यह छूट प्रदान नहीं की जायगी।

(६) ऐसे संस्थान जो कि बड़े ओद्योगिक घरानों द्वारा नियन्त्रित किए जाते हैं।

(७) एवी कम्पनिया जिसमें विदेशी स्वामित्व ५० प्रतिशत है।

(८) ऐसे संस्थान जो एकाधिकार अधिनियम दे परिवारिक प्रभुता-सम्पन्न संस्थानों (dominant undertakings) की श्रेणी में आते हैं।

(९) ऐसे उद्योग जो कि प्रभुत्य उद्योगों की श्रेणी (Core sector) तथा लम्बे उद्योगों की श्रेणी में आते हैं।

[उ] वा उत्तरादन इत्तमाना मतीनहि और सामान के लिए 10 लास रखने से अधिक या तुल विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक विद्यो विनिपत्ति के आवाहन को बादाध्यक घमजाती है।

उपरोक्त नीतियों के अहितरिक सांबंद्धिक वित्तीय सम्बन्धों के विवरण में खंडित मात्रा में हित्या, चिट्ठे हुए लोगों के उद्योगों के विकास के लिए विवेद अनुदान आदि के लिए भी नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। अनुबन्धन का विकास, भारतीय टकनीलोंने, हिजाइन व इन्डोनियरिंग दलता आदि के विकास के लिए भी महत्व-ममत्व पर विद्युत कार्यक्रम निर्धारित करने का प्रावधान रखा रखा है।

उन् 1970 की लाइसेंसिंग नीति की समाप्तीचना ।

जैसा कि लिखा जा चुका है कि देश में बढ़ता हुआ आर्थिक मत्ता का ऐन्डोपरिण, प्रादेशिक व्यवस्थाएँ, धीमा यति में विकास की दर आर्द्ध कुछ ऐसे हार्ष थे, जिसको कि दूर करने के लिए नग् 1970 में भारत सरकार ने नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। ऐसा समझा जाने लगा था कि नयी औद्योगिक नीति वह औद्योगिक विन्द्याली के एकाधिकार की व्यवस्था कर देगी, पर इसे उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सका। ९ करोड़ रुपये से अधिक विनियोग वाले उद्योगों को कुछ अपवाह सांबंद्धिक दोष के लिए छोड़कर, वहे समूहों द्वारा खोलने की इजाजत दी गई, जो कि समाजवादी ओर स्पष्ट कदम नहीं है, इसने एकाधिकार की प्रवृत्ति में और बदातरी होगी।

नयी औद्योगिक नीति में अमूल होशो वाले उद्योगों के लिए योजनाएँ तैयार करने के लिए भी कोई ऐसी एवंविवाद नहीं बनायी गयी, जो कि इन प्रकार का कार्य करेंगी।

इसी औद्योगिक नीति की बातोंचना इस आधार पर भी की गई है कि वह उद्योगों के विकास से लघु उद्योगों को प्रार्थना रूप में कम्बा माल नहीं उपलब्ध हो पाएगा, जिसप कि इनकी प्रतिष्पदा का सामना करना पड़गा और इस प्रतिष्पदा के बारण बहुन से लघु उद्योग बन्द भी हो जाएग।

इसी प्रधार नयी उदाहर नीति से चाट पैमाने के उद्योगों के हिनो पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने उत्तरादन क्षमता में दिना साप्त विचार किए लाइनें दन की जो नीति ढायनाई है उनका निषेप करने से पूर्व वहे पैमाने ओर लघु-स्तर जी इवाइपो में बहंगान क्षमताओं का बनुप्रान लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

उपमुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि नयी औद्योगिक नीति में नामाविक तथा आर्थिक उद्योगों को व्यापार में रखा गया है, जो उसके हारा देश में औद्योगिक विकास की पति को लीव करने के लिए, प्रादेशिक सम्मुलन को दूर करने के लिए, तथा एक

समाजवादी भवान की इच्छाएँ को पूरा करने का एक विशेष कार्यक्रम अनुगमन गया है। लेकिन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रशासनिक मुद्रार के लिए एक विशेष समिति गठित बर्तनी चाहिए, जो कि प्रशासन में मुद्रार लाने का व्यवस्था करेगी।

1970 की बोरोगिक लाइसेंस-नीति में सशोधन

1971 तथा 1972 में बोरोगिक गति लीप्र पह जाने वे कारण तथा देश में समाजवादी स्थापना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एवं वाचकी योजना के लिए एक निश्चित कार्यक्रम वी बनाने के लिए करत्वरी 1973 में सरकार ने 1970 की बोरोगिक नीति में कुछ सशोधन किए, जो कि निम्न हैं—

(i) आधिक व्याय, आत्म-विभरता तथा विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1956 की बोरोगिक नीति प्रस्ताव सरकार की नीतियाँ बनाने के लिए प्रयाप्त जारी रहेंगी।

(ii) आधिक गति के केन्द्रीयकरण पर व्याविक विवरण करने के लिए ऐसे नम्यान जिनकी पूँजी 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, “बड़े बोरोगिक भवस्थान” (Larger Industrial Houses) घोषित कर दिए गए। 1970 की बोरोगिक नीति में पहली गति 35 करोड़ रुपये की थी।

(iii) प्रमुख धात्र बाले उद्योगों की भव्यता को बढ़ाकर 19¹ कर विधा गया तथा इसमें लघ, मध्यम, बड़े स्थान, विदेशी कम्पनियाँ तथा सरकार सद की स्थान दिया गया कि वे इन क्षेत्र बाले उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन 1956 की बोरोगिक नीति के 'A' अनुसूची के उद्योगों वा यद्यावत विकास सार्वजनिक धोन के लिए छोड़ा गया।

(iv) 1 करोड़ रुपये वाली लाइसेंसिंग स्टूट यथावत जारी रहेंगी, लेकिन ऐसे स्थान जिनकी स्थायी पूँजी 5 करोड़ रुपये से अधिक है, वह स्टूट नहीं बी जाएगी।

I- These include metallurgical industries, boilers, some prime movers, certain est. go. es of electrical and electronic equipment, vehicles & ships, industries in chemistry and machine tools, agricultural and earth moving machinery, industrial and scientific instruments, nitroglycerous and phosphatic fertilisers, heavy and fine chemicals, synthetic resins, plastics and rubbers, manu. in dyes, industrial explosives, insecticides etc. Synthetic detergents, and chemicals for industrial use, drugs and pharmaceuticals, paper and pulp, automobile tyres and tubes, plate glass, ceramic and cement products.

(v) लघु उद्योगों का आरक्षण सुरक्षित रहेगा, लेकिन इनके विकास को रखते हुए इस आरक्षण को बढ़ाया भी जा सकता है।

(vi) हर एक ऐसे निषेध जो कि 'मिश्रित क्षेत्र' (Joint Sector) वाले संस्थानों पर लागू होते हैं, वा निर्णय सरकार के सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की ध्यान में रखकर दिए जाएंगे। मिश्रित क्षेत्र वाले सभी उद्योगों पर सरकार का प्रभावशाली नियन्त्रण रहेगा तथा मिश्रित क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में यह बात विशेष रूप से सौची जाएगी कि कहीं वह औद्योगिक संस्थानों को पिछले दरवाजे से प्रवेश (Back door entry) न हो जाए।

इस प्रकार पारबंधी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक उदार मीठी घोषणा भी है।

प्रश्न

1 "ओद्योगिक नीति का उद्देश्य समाजवादी समाज स्थापित करना होता चाहिए।" भारत की ओद्योगिक नीति इस कथन से कहा तक मेल खानी है? आप अपने सुझाव दीजिए। (Raj Second year T. D. C Arts 1970)

2 "ओद्योगिक विकास के लिए एक सुनिश्चित और प्रगतिशील ओद्योगिक नीति आवश्यक है।" इस कथन को दृष्टि से रखते हुए भारत की ओद्योगिक नीति की जांच कीजिए। (Raj Second year T. D. C Arts 1969)

3 स्वतंत्र हो जाने के उपरान्त भारत सरकार ने अपने ओद्योगिक नीति सदबोधी प्रस्तावों में जिस ओद्योगिक नीति को निर्धारित किया है, उसकी महत्वपूर्ण विवेचना कीजिए। देश की वर्तमान ओद्योगिक नीति से आप कहा तक महमत है? आप इसमें क्या सुधार करने का सुझाव देंगे? (Raj B A Hons 1967)

4 भारत सरकार की 1970 की घोषित ओद्योगिक नीति पर एक आलोचनात्मक विवरण दीजिए।

भारत में आर्थिक सत्ता का संकेन्द्रण (Economic Concentration in India)

पिछले कुछ वर्षों से यह बढ़ा विवाद का विषय रहा है कि क्या भारत की मिशन अर्थव्यवस्था में अधिक सत्ता का संकेन्द्रण हुआ है। इस विवाद का हल पिछले वर्षों के एकाधिकार जाच आयोग ने कर दिया है, जिसने यह बताया कि देश में कुछ जिसे चुने बड़े व्यवसायी समूह (Larger Business Houses) के हाथ में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण हो गया है। हालांकि इन बड़े-बड़े समूहों ने देश के आर्थिक विकास में काफी हचिंदियाँ हैं, नए उद्योगों की स्थापना भी की गई है, और आर्थिक विकास की दृष्टि से भी इन्हें बहुत अच्छी दृष्टि है, तथा नई तकनीकियों आदि का भी विकास हुआ है, लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा आर्थिक सत्ता या केन्द्रीयकरण समाजवाद की विचारधारा के पूरणरूप से अनुकूल है। आज टाटा तथा विरला समूहों ने अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना कर रखी है, जिसमें छोटे बड़े के व्यवसायियों द्वारा पूर्ण प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है, और इस प्रतिस्पर्द्धा में उनकी शक्ति इतनी शिक्षित हो गई है कि उनका टिकना भी कठिन हो गया है।

आर्थिक सत्ता के केन्द्रोपकरण में धृढ़ि के कारण

आज वह बड़े उद्योग समूहों द्वारा पूँजी पर जो एकाधिकार लमा लिया गया है वो निम्न कारणों से है।

1. द्वितीय विश्वयुद्ध में धृति उनोपायेन द्वितीय विश्वयुद्ध में कुछ उद्योग-पतियों द्वारा अर्थाधिक धन अर्जित दिया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार द्वारा आर्थिक विकास के कायकमों को विस्तार देने की नीति लगानीए जासे के कारण इन उद्योगपतियों ने इस धन का उपयोग नए उद्योगों की स्थापना एवं पुराने उद्योगों के विस्तार में किया। फलस्वरूप धनी उद्योगपतियों को अपने धन से वृद्धि करने की सुविधाएँ प्राप्त हुई।

2. श्रीटिष्ठ संस्थाओं का विकास : स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् बहुत सी विदिषा ध्यापारिक व आर्थिक संस्थाएँ अपने संस्थानों को भारतीयों के हाथ बच-

कर चली गई। वे संस्थान अर्थन्त कुमालरा के माध्यम संचालित किए जाते थे। परिणाम वह हुआ कि भारतीय उद्योगपतियों द्वारा बना यन्हें सुधृष्टवस्थित एवं सुरक्षित संस्थानों को क्षय करने के लिए उपयोग करने का बवासर मिला। इन संस्थानों की पूर्व अजित साह और राम भी इन्हीं उद्योगपतियों ने उठाया जिससे इतनी आर्थिक सत्ता का तीव्र मति से विस्तार हुआ।

3 तात्प्रिक विकास सम्बन्धित प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक दोनों ने तात्प्रिक विकास पर विद्युत वर्तन विद्युत यन्त्रों द्वारा प्रोत्साहित दरावादल का राम उठाया था। सके। तात्प्रिक विकास देश में बड़-बड़ उद्योगों में ही सूखत बनाया गया जिसका लाभ चन्द बड़ पूर्जीपरिया को ही हुआ और फलस्वरूप यता के नेत्रीयकरण को बढ़ा मिला।

4 अत्तर कम्पनी विनियोजन एवं कम्पनी की पूर्जी का अन्य सहायक कम्पनियों में विनियोजित परने का मुद्दिया के पारम् पुछ औद्योगिक घरानों को बनाने वाले गहायक कम्पनियां स्थानों का अवसर मिलना रहा है जिनके परिवारम्-स्वरूप एक प्रमुख काष्ठपती (Holding Company) पर नियन्त्रण रखने वाला परिवार अनेक नई कम्पनियों पर नियन्त्रण प्राप्त कर सका। इस प्रतीक्षा ने भी आर्थिक सत्ता के नेत्रीयकरण को बढ़ा दिया।

5 तीव्र औद्योगीकरण द्वितीय विद्युत के भारत में औद्योगिक अनिवार्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यथा इस में आर्थिक नियोजन के पूर्ण का सूत्रावधि हुआ हो औद्योगीकरण की गति और अधिक तीव्र हो गई। यह कि तीव्र औद्योगीकरण के लक्ष्य को लक्ष्य अवधि में प्राप्त करने का उद्देश्य रहा है अब सरकार को औद्योगिक विकास के लिए उन लोगों का सहाया लेना पड़ा जो पहल से ही इस दात्र में विद्यवान थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वे लोग और अधिक अविद्या नहीं हो यए और आर्थिक लक्ष्य इनके हाथों में केन्द्रित हो गई।

(6) वित्तीय सहायानों पर नियन्त्रण वेक राष्ट्रीयकरण के पूर्व इन समूहों का देश के बड़े बड़े बड़े पर नियन्त्रण था, जिसमें कि इन संस्थानों द्वारा वित्त प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होता थी, तथा छोट पशान वे उद्योग इन लाभों से वित्त रह जाते थे और अब भी वेक राष्ट्रीयकरण के पश्चात इन नीतियों में कोई विद्युत परिवर्तन नहीं हुआ है।

I Thus, he period immediately following in open + c, the very few cases which were harassed to produce the quick industrialisation of the country worked at the same time to concentrate power in industry in a few individuals or firm lies who were already wealthy and powerful. Govt. of India Report of the Monopolies Inquiry Commission p. 6

(7) बड़े पैमाने की चर्चों के लाभ - इन सहितों को बड़े पैमाने की चर्चों के लाभ भी प्राप्त हुए हैं जिसमें कि ये दलपादक अपनी उत्पादन लागत को घटाने में एकल हो जाते हैं, और इस प्रकार से छोटे उद्योग व्यवसन आप बाजार छोड़ देती है। कलहव्यवस्था आर्थिक सत्ता चर्च हाथों में ही केन्द्रित होकर रह जाती है।

(8) सरकारी नीति आर्थिक सत्ता के गठनकार्य के लिए सरकारी नीति भी जिम्मेदार है। नए उद्योगों के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने में, तथा इसी प्रकार से कई वित्तीय सुविधाएँ जैसे कर प्रोत्साहन आदि नियन्त्रण में इन बड़े उद्योगव्यवसियों को फायदा पहुँचा है। इसके साथ साथ विदेशी नियन्त्रण, आयात लाइसेन्स आदि प्राप्त करने वाले उदार नीति न भी इन उद्योगव्यवसियों को फायदा पहुँचार आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण में वृद्धि दी है। इस प्रकार की प्रणाली में छोटे व्यवसायियों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। दौ भुगतान के अनुसार, "लाइसेन्स लेने वाली प्रणाली ने इन एकाधिकारी सहितों को लोकहानिक बदलाने के कानून मुदृद्ध ही बनावा है।"

(9) सरकारी क्षेत्र के वित्तीय सहायानों वा कार्य भाग सरकारी वित्तीय सहायानों में भी आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण में वृद्धि की है। जीवन बीमा नियम के 70% दीर्घकालीन ऋण तथा स्टॉट बैंक ब्राफ़ इंडिया के 62% ऋण इन व्यवसायों को प्राप्त हुए हैं। कलहव्यवस्था आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण हुआ है।

(10) प्रदूष अभिकर्ता प्रणाली में भी आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण में वृद्धि की है। इस पद्धति के अन्तर्गत एक फर्म का प्रबन्ध किसी एक व्यक्ति के हाथ में एक उनित प्रतिफल के बदल सौंप दिया जाता है। इस प्रकार कुछ व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रीयकरण हो जाता है। इस पद्धति के आर्थिक दोषों को देखते हुए 3 अप्रूल, 1970 से सरकार में कामकाजी व्यवस्था में सुशासन करके इस प्रणाली को समाप्त कर दिया है।

केन्द्रीयकरण के परिणाम

भारत जैसी अर्थव्यवस्था में जहां पर 45% जनसंख्या जीवन स्तर की न्यूनतम सीमा से भी नीचे निवास करती है, इस अर्थव्यवस्था में इस केन्द्रीयकरण के कितन भयकर परिणाम हो सकते हैं, इगको कल्पना लुढ़ ही ही जा सकती है। सन् 1950 से जब से स्वतन्त्र भारत ने सर्विद्याल की स्वीकार दिया है, सर्वज्ञाद की स्थापना पा ल्यो, व्यक्तियों को भौतिक विकास का बायदा आदि सारे सदृश सरकार न एक ताक में रख दिया है और भूष्याचार के एक ऐसे हृषि की जन्म दिया है, जिसमा कि बोल एवं साधारण सामाजिक द्वारा सहन नहीं किया जा सकता और यह धन के केन्द्रीयकरण के परिणामस्वरूप ही ही रहा है।

जैसा कि लिखा जा चुका है, कि हालांकि देश में आधिक विकास की दर बही है, लेकिन इसका लाभ नितमें व्यक्तियों को मिला है। इस केन्द्रीयकरण के बढ़े भयकर परिणाम होते हैं, जिससे कि हानि आम उपभोक्ता वर्ग को होती है। एकाधिकारी प्रवृत्ति के कारण वस्तुओं की बीमतों से तीव्र गति से बढ़ि हो रही है, वस्तुओं की किसी भी विवाद, छोटे उचितगणितियों का बाजार से निकाल फेंकना आदि प्रहृतियां बहुत ही तीव्र गति से जाम ले रही हैं।

केन्द्रीयकरण के बूरे परिणाम यही तक सीमित नहीं हो रहे हैं, बल्कि मानव की प्रवृत्ति, स्टेटवाजी आदि की प्रवृत्ति भी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। मरीच और अमीर के द्वीच असमानता की खाई बढ़ रही है।

आधिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के परिणाम सामाजिक निम्नलिखित हैं :

१. देश के कुछ चुने हुए छठे-बड़े व्यापारिक अरामे सामाजिक दूताव के समय राजनीतिक दलों (सामवर स्तोहक दल) को बहुत बड़ी घरतराजि पन्दे के हप में देकर, बनेहिकता एवं रिवतहोशी को बढ़ावा देते हैं।

२. देश की नयी पीढ़ी ने सामाजिक एवं बीड़िक मूल्यों का द्वास होता जा रहा है ; वे बन विविक धनवान लोगों के विलासपूर्ण जीवन एवं उपभोग का अनुकरण करते जा रहे हैं जो नियम्य हो देश के लिए अहिलकर है।

३. आधिक सत्ता के केन्द्रीयकरण ने एकाधिकार समझौती दोषों को जन्म दिया है। आज बड़े बड़े व्यापारिक समूह समाचार पत्रों पर भी नियन्त्रण रखने लगे हैं तथा विसापन के भाष्यम से भी वे छोटे साहियों को परास्त करने में सफल होते जाते हैं जिससे वन और आय की विषमता में खोर अधिक बढ़ि होती है।

४. पूँजी निपाणि में भी आधिक सत्ता के केन्द्रीयकरण से कई प्रकार से दाधाएं पैदा की हैं। इनके द्वारा हीने बालों वस्तों का प्रयोग दिलावे के उपभोग में अधिक हुआ है। इन लोगों से बचत किए गए धन को देश ने आधिक विकास में न ल्याकर नूपि, सोना-चांदी, आमूषण आदि में लगाया है जिससे पूँजी निपाणि की गति मर्द बढ़ी है।

५. आधिक सत्ता के केन्द्रीयकरण ने छोटे-छोटे साहियों का गला थोटकर चलाक कुशनता को कभ दिया है। इसके पक्षरक्षण छोटे-खोटे उत्पादकों में साहस चढ़ा है, उनकी कामे बढ़ते व आधिक विकास में थोग देने की समता में शिपिलता आई है। इन सरकार परिणाम यह हुआ है कि देश में नरपादन की मात्रा में आपेक्षित बढ़ि नहीं हुई है।

६. आधिक सत्ता के केन्द्रीयकरण ने देश में धन व आम सम्बन्धों विवरणार्थी में बढ़ि की है जिसके लिए दुष्परिणाम हुए हैं।

आर्थिक सकेन्डरे को दूर करने के उपाय

आज भारतवर्ष में केन्द्रीयकरण की भावना इस हद तक बढ़ गई है, कि सरकार हमेशा इसको दूर करने के लिए चिन्तित हैं। लेकिन इसको दूर करने के सारे उपाय अब तक हीमे जब तक कि प्रशासन में पूर्ण रूप से सुधार नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार के निरोप को दूर करना सरकार के लिए एक बड़ी विकादयस्त विषय बन गया है, लेकिन प्रथम यह उत्तर नहीं है कि वया सरकार इसको दूर कर सकती है। जान भारतीय नायरियों ने अपनी नीतिकृति को बिल्कुल धोग दिया है, जिसके कि विना किसी भी प्रकार की सरकारी नीति अफल नहीं हो सकती है यहाँ पर इस विषय पर विवाद करना अच्छा है, योकि भ्रष्टाचार जो दूर करना किसी भी राष्ट्र की सरकार के हाथ में नहीं है, अब आधिक सकेन्डरे को दूर करने के लिए नीच कुछ ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं, जो कि सरकार की नीति विपरीक तथ्य के बद में विनियोग साधित होंगे।

(1) यांवज्ञिक देश का विकास सरकार को नाबज्ञिक देश का विकास करना चाहिए, लेकिन निजी शब्द को इस प्रकार हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, कि देश विकास के कार्यक्रमों में बाधा उत्स्थित हो। लास्टौर से एमे खत्री में अधिक से अधिक मात्रा में प्रविष्ट होना चाहिए, जहाँ पर कि निजी शब्दों का एकाधिकार है।

(ii) सहकारी क्षेत्र का विकास महाराष्ट्री शब्द को चीनी रथा जूट बनाने तक ही भीमित नहीं रखना चाहिए, योकि सहकारिता के लियो का अधिक से अधिक विकास नहीं चाहिए।

(iii) छोटे उद्योगों का विकास सरकार को अपनी ओरोगिक नीति में इस प्रकार का विश्वर्तन करना चाहिए कि जहाँ पर छाड़ उद्योगपतियों द्वारा कारखाने का विकास किया जा सकता है, वहाँ पर वड़ उद्योगपतियों की हतोत्साहित करना चाहिए।

(iv) वित्तीय सम्पादों द्वारा जहाँ भी सुविधाएँ सरकार की इन वित्तीय सम्पादों के लिए एक ऐसी नीति बनानी होगी, जिसके कि अग्र आदि भी उपविधाएँ इन छोटे उद्योगपतियों द्वारा देना हो, उक्त दूर नियिकता लीका विर्यालिक कर देनी चाहिए, कि उस सीमा तक अग्र की सुविधाएँ उद्योगपतियों को देनी विनिवार्य होगी।

(v) साइर्सोंतर ग्रामीणों में प्रशासनिक सुधार सरकार को लाइसेंस देने के लिए अपने उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारी को सुधारना अनिवार्य है, योकि इसे उद्योगपति अपने 'समर्क' के कारण इन अधिकारी को प्रशासन करने में सकल हो जाते हैं, जिसके कि अधिकारिक लाइसेंस ग्रामीण पर लेते हैं।

(vi) प्रशासनिक चलाचार को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल अपने चुनाव कार्यकर्त्ताओं के लिए बड़े-बड़े शौश्योगिक गृहों से चर्चे स्वीकार न करें।

(vii) उद्योगों वी स्थापना एवं विस्तार के लाइसेन्स देने की विधि को इस प्रकार सरल बनाया जाय कि साहसी विना अधिक शम घट्य किए तथा अधिक प्रतीक्षा किए जावश्यक लाइसेन्स प्राप्त कर याके।

(viii) उपमोक्ता महनारी अधिकारी वी स्थापना की प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा क्य की जाने वाली वस्तुओं में उप उद्योगों द्वारा निपित वस्तुओं को प्राप्तिकरण दी जानी चाहिए।

हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भरकार ने आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण की घटावन करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, केविन प्रश्न यह है कि वहा आर्थिक विभाग की दर बढ़ाना तथा आर्थिक असमानता को दूर करने के बीच एक समन्वय स्थापित किया जा सकता है। एक तरफ तो आर्थिक विभाग की दर को बढ़ाना भी किसी भी राष्ट्र के लिए अनिवार्य होता, तथा दूसरी तरफ आर्थिक असमानता को दूर करने के प्रयत्न भी अविवार्य है, लेकिन दानों कदम सरकार के द्वारा एक साथ नहीं स्थापित किए जा सकते, अगर इसके लिए प्रयत्न भी किए जायें, तो सरकारी नीतियों को उमी प्रकार में निपारित करना होगा जिससे हि दोनों कामे एक साथ हो सकें।

एकाधिकार जांच आयोग (Monopolies Inquiry Commission)

इस आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण का दूर दरते के लिए भरकार ने 1964 में दो ऐ. सी. डान गृष्मा वी प्रब्लम में एक जायोग की नियुक्ति की थी, जिसे अपनी रिपोर्ट 1965 में प्राप्त की। इस आयोग ने उद्योगों में दो प्रकार के सेन्ट्रोफ़ करण के रूप बताए।

(i) वस्तु के अनुमार केन्द्रीयकरण (Product-Wise Concentration)

(ii) दश के अनुमार केन्द्रीयकरण (Country wise Concentration)

(i) वस्तु के अनुमार केन्द्रीयकरण म एक विशेष वस्तु या सदा के उत्पादन या वितरण सम्बन्धी शक्ति की एक या कुछ कमों व्यवदा ठहूत सी कमों (जाहे दें बहुत नी कमों कुछ विकारों द्वारा नियंत्रित की जाए) से प्राप्त हो। (ii) जब वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण म नलात अनेक कमों वा नियन्त्रण एक व्यवित या एक परिवार के पास हो तो यह देश के अनुमार केन्द्रीयकरण कहलाता है।

आयोग ने उत्पादनमुक्त नियन्त्रण म 100 वस्तुओं की जांच की, जिसमें अनिवार्य आवश्यकताओं वालों वस्तुओं म (जैसे सावुन, दियामलाई, जून, रेत,

भारत में आर्थिक सत्ता का संकेत

पाउडर तथा दबाईयों लाइसेंस) वैद्यनीयकरण की अधिक मोर्चा विद्यमान है। करोड़ 55 बस्तुओं में उच्च भीमा का केन्द्रीयकरण पाया गया तथा तीव्र उत्पादक 75 प्रतिशत से अधिक माल उत्पन्न कर रहे हैं।

देश के अनुमान वैद्यनीयकरण के लिए आयोग ने 2259 कम्पनियों के विस्तृत जाकर्ते एकत्र किये, जो कि 83 वटे व्यवसायिक समूहों के अधिकार में हैं, जिनमें से 75 समूहों वो परिसम्पत्ति 5 करोड़ रुपये से कम नहीं हैं। इसमें से प्रयग स्थान दाया का है, तथा द्वितीय विरला का।

जनवरी 17, 1973 को लोक नगर में सकेन्ड्रण के सम्बन्ध में दी गई जानकारी की दुल मुख्य बारों निम्न तालिका में दी गई है—

पर्स का नाम	कुल विक्री (करोड़ रु.)	आयकर से पहले नफा (करोड़ रु.)
विडल	718	62
टाटा	679	54
मफतलाल	165	12
श्रीराम	153	8
डाबड	137	6
आपर	127	13
हारामार्ड	127	8
आई० सी० आई०	105	11
साहूजैन	101	3
वडे हिल्जर	100	3

देश के प्रमुख 20 उद्योगातियों में उपर्युक्त 10 के बलाया जन्म 10 कम्पनी इस प्रकार है। वाल चन्द, मिथानिया, ए० सी० सी०, गोपनका, किलिक, अंडियूल, सिधिया, दिला चन्द, काटिन बने तथा सूरजमल नागरमल। उपर्युक्त बक नात्र 1971 के हैं।

एकाधिकारात्मक एवं प्रतिबन्धात्मक व्यवहार (Monopolistic and Restrictive Pact) :

एकाधिकारात्मक व्यवहार से तात्पर्य ऐसी किया से है, जिसका उद्देश्य एकाधिकारी शक्ति का सरकण, बढ़ाव या उमेकन होता है।

प्रतिबन्धात्मक कार्य प्रतिवर्षी शक्तियों के गार्भ में बाधक होते हैं या जो पूरी या तापनी के उत्पादक में लगाते हैं स्वतंत्र प्रबाह में बाधक होते हैं। प्रायः यह नात्र प्रकार होते हैं जो निम्न हैं—

- (1) कीमतों का लेनिय नियन्त्रण (Horizontal Fixation of Prices)

(2) वीमत का उदय निश्चयन और पुनः विकल्प कीमत को कावम रखना (Vertical Fixation of Price and Price Re-sale Maintenance) (3) उत्पादकों के बीच बाजारों का बटवारा (Allocation of Markets between Producers) (4) कलाओं के बीच भद्र भाव (Discrimination between Purchasers) (5) बहिष्कार (Boycott) (6) एकान्त्रिक बाजार संवि (Exclusive dealing Contracts) (7) या बलान्द प्रबन्ध (Tie up arrangements)

एकाधिकार जात्यापाग द्वारा सिफारिशें (Recommendations of Monopolies Inquiry Commission)

(अ) येर वैष्णविक (Non legislative) आयिह के शीरकरण को रोकने के लिए कुछ सुनाव दिए थे जो चक्रों हैं ले के इन एकाधिकार जात्यापाग ने कुछ सुनाव और दिए हैं, जिनम से येर वैष्णविक सुनाव निम्न हैं

(1) एक एकाधिकार एवम प्राप्त वातनक ब्रिटिश आयोग की व्यापक होनी चाहिये जो कि इन्हे हासे वाले लनरा को दूर करने के लिए मुनाव देती।

(2) सरकार द्वारा लाइसेंस जारी करने में छोट उद्योगपत्रियों को लाइसेंस देने में उत्तरता को नीति को दरकारी चाहिये।

(3) विदेशी यात्रा का परिस्थितियों को देखते हुए जायाह लाइसेंस प्राप्ति-धारा के जावार पर मिलने चाहिये तथा जिन उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से इसकी आवश्यकता है।

(4) साप्तजनिक लक्ष का विस्तार किया जाना चाहिए।

(5) सरकारी कार के लिए प्राप्ति-धारा छोट उद्योगों को मिलनी चाहिये।

वैष्णविक सुझाव (Legislative Suggestions)

(1) आदिक उत्तर के केन्द्रीयकरण का जरूर जब हो करमा चाहिये, नर यह उत्पादन व वितरण के लिए स्वतंत्र बन जानी है।

(2) एकाधिकार व प्रतिव्याप्तक द्रष्टव्य नी पर रोक लगानी चाहिये।

(3) एक एसी स्थायी संस्था की व्यवस्था को नष्ट पना करनी चाहिये जो एसी स्थायी वी उनिविदियों का प्रयत्न करें। मुनाफ लोधी का अन्त करें तथा कीमतों को लियर रखने से मदद प्रदान परें।

सरकारी उपाय

एकाधिकार जात्यापाग की सिफारिशों के जावार पर एकाधिकार व प्रतिव्याप्तक व्यापार अधिनियम 1969 (The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969) जून 1970 से लागू हो गया था। तथा अगस्त 1970, में शीर अविदियों का एकाधिकार व प्रतिव्याप्तक व्यापार विधि जायोग

स्थापित किया है, जिसका प्रमुख कार्य आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकना है तथा प्रभृतशील या बड़े प्रतिष्ठानों की क्रियाओं को नियन्त्रित करता है।

आज सरकार के सामने बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, कि व्यावाहारिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोककर आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करके केन्द्रीयकरण को रोका जा सकता है? अब परिस्थिति इनसी विषय हो गयी है कि सरकार को अगर आर्थिक विकास के द्वारा नमी को पूरा करना है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यकुशलता को बढ़ाना होगा। हुटीर तथा लघु उद्योगों का तो व गति से विकास करना अनिवार्य हो गया है, अन्तः उसके लिए वैशी ही परिस्थितिया बतानी होगी जिससे लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

प्रश्न

1. भारत में नियंत्री सेव में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण के बाय कारण रहे हैं? भारत सरकार ने इस केन्द्रीकरण रोकते के लिए इस दृष्टान्त अपनाए हैं?

[राज० वि० वि० द्वितीय वर्ष कला 1973]

भारत में रेल परिवहन

(Rail Transport in India)

"The extraordinary rapidity with which the construction of railways in India was achieved, produced an economic revolution in that country which like all revolutions, was not unaccompanied by sufferings. The obligations to save life in times of drought and the necessity of lines of strategic utility have been the cause of rapidity"

— Loveday

रेल वास्तव में देश की जीवन रेखाएँ हैं, जिन पर देश के यात्रियों और सम्पदों का इस प्रकार आवागमन होना रहता है जैसे मानव धरीर में रक्तवाहिनी नाड़ियों के द्वारा रक्त प्रवाह होता है। भारतीय रेल देश वा सदसे पुरामा, सबसे बड़ा और सम्भवतः सबसे अधिक संगठित सरकारी प्रतिष्ठान है। सगठन की दृष्टि से भारतीय रेलों का एविया में प्रथम तथा दिश्व में चौथा स्थान है। लम्बाई की दृष्टि से यह विश्व में दूसरी सदसे बड़ी व्यवस्था है। आज भारतीय रेल आत्म-निर्भरता एवं प्रगति के स्वयंसेव्य पुण्य महं हैं तथा विश्व के ऐसे गिरे चुने देशों में से एक है, जिहे रेल सम्बन्धी प्रत्येक क्षेत्र की प्रयाप्ति बानकारी है। भारतीय रेल अपनी वादशयक ताबों को पूरा करने के साथ-साथ विदेशों को भी रेल सामग्री का निर्णयत कर रही है।

रेलों का विकास : भारतवर्ष में रेल यातायात का प्रारम्भ सन् 1853ई० से प्रारम्भ हुआ। इसी वर्ष बम्बई से याना तक 22 मील की दूरी पर प्रथम रेलनाली चलाई गई। सन् 1854 मे कलकत्ते मे भी एक रेलवे लाईन बनाई गई। विकास के प्रारम्भिक वर्षों में रेल यातायात ने बहुत तीव्र गति से विकास किया। इस काल मे रेलों के विकास की प्रगति विशेषता यह थी कि इनका विकास देश मे उद्योगों के विकास के साथ-साथ ही हुआ। सन् 1900 ई० तक भारतवर्ष मे 25,000 मील

कम्बा रेल मार्ग संयोग हो चुका था। भारत में रेलों का प्रबन्ध निजी कम्पनियों के हाथ में था जिनके मालिक अधिक थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक 50 वर्षों में रेलों के विकास की गति बहुत धीमी रही। सन् 1950 ई० तक केवल 34,000 मील से ज़्यादा ही अधिक रेल मार्ग बनाया गया था। भारतवर्ष में रेल परिवहन के विकास का फार्म निजी कम्पनियों के हाथ में था, जिन्हें सरकार ने कई सुविधाएं दे रखी थीं : मुफ्त जमीन, 'पूँजी पर निमनतम राम या व्यापक की गारन्टी' आदि। निजी कम्पनियों द्वारा रेल यात्रायात का विकास नाइट गति से होने के कारण तथा इनकी प्रबन्ध सम्बन्धी आलोचनाओं के कारण सन् 1925 ई० में भारत सरकार ने पहली रेलवे कम्पनी व्यवसे अधिकार क्षेत्र में ले ली। सन् 1944 तक घोरे-घोरे सभी निजी रेलवे कम्पनियों समाप्त हो गईं और उनका स्वामित्व सरकार के हाथों में आ गया। सन् 1944 में भारतवर्ष में 3 प्रकार की रेल थीं : (i) सरकार के अधिकार व प्रबन्ध क्षेत्र की रेलें; (ii) देशी महाराजाओं के अधिकार होकर की रेलें; तथा (iii) कुछ छोटी-छाटी रेलें। इनके प्रबन्ध एवं स्वामित्व में मिलता पाई जाती थी। इनमें ही कुछ लाइनें इनी छोटी थीं कि उनका लागप्रद होना बहुमुद्र था। इनकी कार्य विधि भी अलग-अलग थी। पारम्परिक प्रतिष्ठार्द्ध एवं द्वैष भाष के कारण जनता की भी कुशल एवं योनित सेवा भी नहीं प्राप्त हो पाती थी। रेल-इकाइयों की अनेकता कि कारब्र प्रबन्ध में भी कुशलता एवं मिलभ्यता नहीं हो पाती थी। अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1950 ई० में देशी राजाओं के बढ़ीन समस्त रेलों की भारत सरकार ने लगने अधिकार क्षेत्र में ले लिया तथा उनके प्रबन्ध में सुधार करने के उद्देश से इनका पुनर्वर्णन (regrouping) कर दिया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के ताम्र भारत को जो रेल व्यवस्था विद्युत में मिली, वह 1930 के दशों की भवी तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेलों के व्यापक उपयोग के कारण बीणाविद्या में पहुँची हुई थी। फिर देश के विभाजन के परिणामस्वरूप भी भारत की रेल समर्पित और कम हो गई थी।

रेलों के पुनर्वर्णन के पश्चात् अब रेलों के 9 छोड़ हैं। फक्त से गहरे नम् ; 1951 में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय व उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र बनाये गये। सन् 1955 व 1958 में अभ्यास पूर्वी रेलवे व उत्तरी रेलवे के दो दो टुकड़े कर दिये गये। अक्टूबर 1966 को रेलवे का 9वा क्षेत्र 'दक्षिणी केन्द्रीय रेलवे' बनाया गया। इस प्रकार भारतवर्ष में इस समय रेलों के 9 छोड़ हैं : (i) दक्षिणी रेलवे; (ii) पश्चिम रेलवे; (iii) पश्चिमी रेलवे; (iv) उत्तरी रेलवे; (v) उत्तरी-पूर्वी रेलवे; (vi) पूर्वी-रेलवे; (vii) दक्षिणी-पूर्वी रेलवे; (viii) उत्तरी-पूर्वी सीमान्त रेलवे; (ix) दक्षिणी-केन्द्रीय रेलवे।

रेलों के पुनर्बन्धीकरण से प्रबन्ध में कुशलता की सम्भावनाएँ बढ़ गई हैं तथा दृष्टे पैमाने पर प्रबन्ध से प्राप्त होने वाली नित्यधननाएँ भी सम्भव हो गई हैं। पुनर्बन्धीकरण ने पारस्परिक प्रतिस्पर्द्ध को भी समाप्त कर दिया है।

शोजनाकाल में रेल परिवहन का विकास : योजना प्रारम्भ होने के 10 वर्षों से ही भारतीय रेल विवरण पर मुद्रा एवं देश विभाजन के परिणामस्वरूप भौतिक बहुत अधिक बढ़ गया था जिसे देश की तस्तुग्रन्थी अर्थ-विवरण प्राप्त अस्त-व्यवस्था हो गई थी। अतः योजना के प्रारम्भिक वर्षों में रेलों के आधुनिकीरण व प्रतिस्पर्द्धन पर बढ़ दिया जाना आवश्यक था। नियोजन काल में रेल परिवहन की दिशा में जो प्रगति हुई उसका उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

प्रथम अन्वयीय योजना में रेल प्रयम पञ्चवर्षीय योजना के अन्वयते रेल परिवहन पर 423.23 करोड ४० लाख रुपए जिम्मे से 242 करोड हफ्ते बेल इन्जिनों व डिव्हो पर व्यय किया गया। इस योजना के दौरान रेल परिवहन में 16% वृद्धि हुई। प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्वयुद्ध तथा देश के विभाजन के कारण हुई लाति को पूरा करना था। इस योजना काल में रेल इन्जिनों, सवारी डिव्हो एवं माल के डिव्हो में कमध 1586, 4758 तथा 61254 की वृद्धि हुई। रेलों का आरम्भ नियंत्रित बनाने के लिए चित्तरम्बन में इन बनाने तथा मादार्पण के निकट रेल के डिव्ह बनाने का कारखाना लगाया गया। सन् 1955-56 तक रेलों ने प्रतिवय 179 इंजन, 14300 माल के डिव्हे तथा 940 सवारी डिव्हे बनाने की समता प्राप्त करली। योजनावधि में 430 मील लम्ब पुराने रेल मार्गों को चालू किया गया तथा 1304 कि० मी० लम्बे नए रेल मार्गों का निर्माण किया गया। 46 माल लम्ब मार्ग को नैरोडल से भीटर येज व दरिवतित किया गया। प्रथम योजना के अन्त में कुल इसकी लम्बाई 34,736 योक थी।

द्वितीय योजना में रेलों द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना काल में रेल परिवहन की समता को बढ़ाने, रेल मार्गों, पुरो, इंजिनों सह डिव्हो आदि के पुनर्व्यवस्था वे कार्य को पूरा करन तथा रेलों को आत्मनियंत्रित बनाने का उद्देश्य था। इस योजनावधि में रेलों पर साधन 1041.69 करोड रुपए व्यय किए गए। इस योजनावधि में अन्यमात्र 1311 कि० मी० वर्षीय लाइन बिल्डर्स हुई। 1512 हिलोमीटर लाइनों १। दोहरा कर दिया गया। द्वितीय योजना काल में रेलवे लाइनों की लम्बाई 65,963 कि० मी० हो गई। योजनाकाल में पैसेन्जर ट्रैकिंग में 27 प्रतिशत तथा माल ट्रूलाई में 26 प्रतिशत वृद्धि हुई। द्वितीय योजनाकाल में 2216 इंजन, 7718 यात्री डिव्हे तथा 97,959 मालमार्गों के डिव्हों का प्राप्त किया गया। द्वितीय योजना काल में चित्तरम्बन के कारखाने में 83। इंजन तथा ट्रैको (Tata Engineering and

Locomotive Works Co., Ltd.) द्वारा स्टोटर बेज के 246 इंजिनों का उत्पादन हुआ।

तृतीय योजना में रेलवे: तृतीय योजना में रेल परिवहन के विकास पर 1685.8 करोड रुपये व्यय किए गए। इस योजनावधि में यात्रियों के आवासमात्र 1.5 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया तथा 26.40 करोड टन माल दोने की व्यवस्था की गई लेकिन योजनावधि में वृद्धि केवल 20.5 करोड टन ही हो चकी। इस योजना में 1801 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बनाई गई, 3228 किलोमीटर रेलवे लाइनों को दोहरा किया गया। योजनावधि में इंजिनों, संचारी विद्युत एवं मालगाड़ी के निर्माण में क्रमशः 1864; 8019, 1,44,789 की वृद्धि हुई।

भारतवर्ष में विभिन्न योजनाओं में तिए गए व्यय के एलावहपर रेल परिवहन के विकास में सम्बन्धित बुद्धि आवाहनों में दिए जा रहे हैं :

योजनाओं के अन्तर्गत रेल परिवहन की प्रगति

विवरण	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	वापिक योजनाएँ	चतुर्थ योजना
1. नई रेलवे लाइने					
(किलोमीटर में)	1304	1311	1,801	1061	1020
2. लाइनों को दुहरी बनाना (किलो- मीटर में)	370	1512	3,228	1268	1800
3. विद्युतीकरण (किलोमीटर में)	—	361.5	1,746	541	1700
4. रोलिंग स्टाक का निर्माण					
(क) इवल	1586	2,216	1,864	877	1260
(ख) रायारो दिव्ये	4,758	7,718	8,019	3795	6500
(ग) मालगाड़ी के दिव्ये	61,254	91,959	1,44,789	55,317	1,01,000

चतुर्थ रेलवर्धीय योजना : चौथी रेलवर्धीय योजना के द्वारा रेल परिवहन के विकास पर कुल निर्माण 1525 करोड रुपये व्यय करने की व्यवस्था है। इसमें से रेलवे 520 करोड 60 लाखनी संचित निर्मियों से व्यय वरेगी तथा यों 1000 करोड 80 की व्यवस्था संरक्षार द्वारा रेलवे विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित की गई है। इस योजनाकाल में 1020 किलोमीटर मार्ग में नई रेलवे लाइनों का निर्माण

किया जातेगा। 1700 किलोमीटर रेल भाग पर दिल्ली द्वारा उपरा 2800 किलो-मीटर रेल मार्ग पर ही बड़ा द्वारा गाड़िया प्राप्ति करने का कार्यक्रम है। इस योजनाकाल में 6500 सवारी डिव्हें तथा 101000 मालगाड़ियों के डिव्हों के निर्माण करने का लक्ष्य है। याजनापरिवहन में सवारी व माल परिवहन की वृद्धि, परिवालन साथै में कमी तथा आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा रेल प्रणाली की बुशरता बढ़ाई जायेगी।

पर्याप्तमान अवस्था भारतवर्ष में इस समय रेल परिवहन कुल माल परिवहन का 80% तथा मात्री परिवहन का 70% भाग ले जाता है। रेलों द्वारा प्रतिदिन लगभग 64.5 लाख यात्री यात्रा करते हैं तथा 5.7 लाख टन माल प्रतिदिन ढोया जाता है। देश में प्रतिदिन लगभग 10,800 गाड़िया चलती हैं। इस समय देश में 12000 इंजन, 34700 यात्री डिव्हें तथा 384 लाख मालगाड़ियों के डिव्हों हैं। भारत के सार्वजनिक सेवा में रेलवे सदसें बड़ा उद्योग है। इसमें 13.60 लाख व्यक्तिकालीन और हारीव 3 लाख अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं। आज भारतवर्ष में रेल मार्गों की लम्बाई 59684 किलोमीटर है। यह देश पर सदसें बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्योग है जिसके पास 3928 करोड़ रुपए से भी अधिक की सम्पत्ति है तथा जिसकी वर्तमान लम्बाई 1978 करोड़ रुपए से भी अधिक है।

रेल यातायात की समस्याएँ भारतीय रेल यातायात के सामने कुछ महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं

1. विना टिकट यात्रा भारतवर्ष में एक अनुमान के अनुसार विना टिकट मात्रा के फलस्वरूप 5 से 7 करोड़ 40 तक की प्रति वर्ष रेलवे प्रशासन को हावि होती है। विना टिकट यात्रा करने वालों में प्राय विद्यार्थियों, रेलवे कर्मचारियों व उनके पितृ तथा सम्बंधियों तथा पुलिस असेंबलियों, मालवालों व शिक्षमणी की सद्व्यवधिक होती है। वे लोग भी जिन्हें भीड़ के कारण टिकट नहीं मिल पाते, विना टिकट यात्रा करते हैं। विना टिकट यात्रा के बारण एक और तो रेलों की नार्थिक हानि होती है तथा दूसरी ओर टिकिट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की कम्प होता है।

2. दुर्घटनाओं को अविकल्प गाड़ियों के टकरा जाने, पटरी से उत्तर जाने आग लग जाने, बादि से रेल दुर्घटना हो जाती है। इन दुर्घटनाओं के कारण रेल सम्पत्ति को बहुत लक्षित हानि होती है तथा बहुत से यात्री घायल हो जाते हैं वा मर जाते हैं, जिनके लिए रेलों को लटिभूर्त करती पड़ती है। रेल कर्मचारियों के असाधारणी व अनुशासनहीनता तथा तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के कारण भी बाज़ कुल रेल दुर्घटनाओं की सहमा बढ़ गयी है।

३ कार्यशमता का अभाव : भारतीय रेलों की कार्यशमता विदेशों की तुलना में बहुत कम है। तेज़ चलने वाली गाडियां पहा बहुत कम हैं। गाडियों का समय पर न जाना एक सम्प्राण्य बात है। कार्य कुशलता की कमी फ़ालुकासान यात्रियों व माल भेजने वालों को उड़ाना पड़ता है।

४ यात्रियों को अधिक सुविधा दिलाने की समस्या : रेलगाडियों में प्रायः बहुत भीड़-भाड़ होती है। तृतीय थर्डों के यात्रियों की गत्रा के द्वारा ताकी कम्बल उठाने पड़ते हैं। इन्होंने प्रायः समूचित रोशनी व पब्लो का अभाव होता है। विश्वामृह, कैन्टीन व्यवस्था, पीले के पानी का प्रदान, सूने की व्यवस्था, सफाई, आदि की व्यवस्था का भी प्राप्त छोट छोटे स्टेशनों पर अभाव होता है।

५ रेलवे इंजनों तथा डिव्हियों की कमी पद्धति देश में रेलवे इंजन व डिव्हियों का निर्माण होने लगा है। तथापि देश की अवश्यकता को देखते हुए बहुत अधिक सम्भाय में इंजनों, डिव्हियों व वैयनों की आवश्यकता है। भारतवर्ष में बहुत से इंजन, डिव्हिये तथा वैयन विष चुके हैं जिनके प्रतिस्थापन की समस्या भी बड़ी महत्वपूर्ण है।

६ रेल मार्गों के विस्तार की समस्या : एक अनुमान के अनुगार भारतवर्ष में एक लाख व्यवसितों के पीछे केवल ९६ भील व भवा रेल-मार्ग ढालदृढ़ है, जबकि अमेरिका, कनाडा व इंग्लैण्ड में व्रति लाख वर्ग सड़कों के पीछे आवश्यकता २२४, ४६५, व ४६ भील लम्बा रेल मार्ग उपलब्ध है। यद्यपि भारतीय रेल-व्यवस्था एक्सिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में चौथे नम्बर पर है तथापि अन्य देशों ने तुलना करने पर हमें पता चलता है कि हम इह दिशा में जितने पाए हैं। देश का धोन, जन सहशा तथा विकास की योजनाओं को देखने हुए रेल मार्गों के विस्तार की समस्या बड़ी प्रमुख समस्या है।

७ इंधन की समस्या भारतवर्ष में अधिकांश इंजन भाव से अलग हैं जिनके लिए सराम कोटि के कोषले की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में इस प्रकार से कोषले की कमी है। विद्युत विद्या का भी अभी इस क्षम में समूचित प्रयोग नहीं किया गया है।

८ लाइनों के बदलने की समस्या भारतवर्ष में आवे में अधिक रेलवे लाइनें मीटर व मीट्रिक की हैं। रेलों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इन लाइनों को बांद गेज में बदलने की आवश्यकता है। इस क्षम में देश में हो रहे कार्य की गति बहुत थीमी है।

९ रेल मार्गों को दोहरा करने की समस्या भारतवर्ष की अधिकांश रेलें एक-मार्गीय हैं। गाडियों के दिना वाप्ता आने जाने के लिए सब दुर्घटनाक्रों की कम घरने के लिए रेल मार्गों को दोहरा किया जाना आवश्यक है। यद्यपि देश में रेल

मार्गों को दोहरा बत्ते वा बायं पचवर्धीय घोड़नाओं में किया गया है, तथापि इसकी पति बहुत मग्न है।

10. रेल सम्पत्ति की क्षति : आजकल देश के किसी हिस्से ने राजनीतिक क्षमता होने पर रेल सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई जाती है। इन प्रकार की टोड-पोड, और बायं-बाहियों से प्रति बर्ष रेलवे प्रशासन को करोड़ों रुपये की क्षति होनी है।

11. यात्रा की अनुरक्षा : आधुनिक युग में रेल यात्रा भी क्षमता के लिए रही है। लक्षणात्मिक तत्त्वों द्वारा आये दिन रेल के हितों में लूट-गाट के समाचार मिलते रहते हैं जिसमें रेलों की प्रतिष्ठा को ध्वना दग्धा है।

12. चोरी की समस्या : भारतीय रेलों को, उपरी मार्ग के तारों की चोरी वैष्णों व माल बाह्नों की सम्पत्ति लूट-गाट, यैगत पिटिंग व मार्ग चिटिंग की ददी वैष्णों पर आए दिव होने वाली चोरी से, प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की आपात क्षति होती है।

13. बग्ग समस्यायें : रेलों के विद्युतीकरण, रेलवालिंग स्थिनत व्यवस्था, सचालन क्षमता आदि की भी महत्वपूर्ण हमरस्यायें हैं, जिनका निराकरण हिया जाना आवश्यक है।

सुनाओ . रेल यात्रायात की उच्चतम समस्याओं को हल करने के लिए निम्नान्वित गुराओं महत्वपूर्ण हैं :

- (i) रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार स्वापरवाह वर्मचारियों को बढ़ा दण्ड मिलना चाहिये, दुर्घटनाओं से बचने के लिए आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग किया जाय, 'दुर्घटना बचाको' सप्ताह मनाये जाएं, पदोन्नति योग्यता के द्विसाप से वी जाय, उचित प्रशिक्षण एवं योग्य कर्मचारियों की ही नियुक्ति की जाय, रेल सुरक्षा आयोग वी तथापना की जाय तथा रेल बोर्ड ने सुरक्षा सचालक की नियुक्ति की जाय; (ii) बिंग टिकट यात्रा को रोकने के लिए धारदर्दक एवं प्रभावपूर्ण कदम उठाये जाए, (iii) भारतीय रेलों को बनाने कार्यकारी रूप में किशायन करनी चाहिए, (iv) रेल यात्रायात को सुरक्षित व सुविधाजनक बनाया जाय, (v) रेल परिवहन से सम्बन्धित सामाजिक आयात बग्ध किया जाय तथा देश को स्वाक्षरता बनाया जाय, (vi) रेल यात्रायात का विस्तार किया जाय तथा रेल प्रशासन की सचालन क्षमता बढ़ायी जाय, (vii) रेलों में आधुनिकीकरण की नीति का तपर्याता से पालन किया जाय, तथा (viii) रेलों में आवश्यकता से अधिक वर्मचारी काम कर रहे हैं जिन्हें कम किया जाय।

भारतीय अर्थ व्यवस्था में रेलों का महत्व : भारतीय अर्थ व्यवस्था में रेलों के निर्माण एवं विस्तार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसने हमारी अर्थ-

व्यवस्था के साथ-साथ राजनीतिक व राजनीतिक व्यवस्था पर भी काफ़ी प्रभाव दला है। गारकीद अर्थ-व्यवस्था में रेलों के योगदान का अनुमान नीचे लिखे हुए विवरण में लगाता जा सकता है।

1. हृषि में योगदान : ३० बॉनसन के भवानुसार कृषि को रथारीय महत्व की विषया राष्ट्रीय महत्व का विषय बना देने का अंग रेलों को ही है।¹ रेलों के विकास के पश्चात्, कृषि पदार्थों का बाजार विस्तृत हुआ है, विभिन्न देशों में कृषि पदार्थों के मूल्यों का अन्तर बहुत हूँ जाता है, परिवहन अव्यय में बही हुई है, व्यापारिक पहुँचों की ओर प्रियलोक हड्डी है तथा नाशवान वस्तुओं का उत्पादन और व्यापार बढ़ गया है। रेलों द्वारा विकास से भवपूर्वी प्रेरणा में किसानों के ज्ञान में वृद्धि हुई है। सन्तत खत्ती के लिए उत्तम बीज, यंत्र व उद्योग प्रामीण देशों में पहुँचने लगे हैं। रेलों के ही कारण बहुत से यात्रीग औरोतिक वेगङों में अधिकों के हव में जा जाने हैं जिसके प्रत्यक्षरूप भूमि गर जनवास्था का भार बहुत ही जाता है।

2. औद्योगिकरण में योगदान : रेलों के विकास के प्रत्यक्षरूप कभी भाल को कारखाने तक तथा देश हुए भाल को बाजार तक पहुँचाने में सुविधा हो गयी है। इससे औद्योगिकरण को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला है। आज देश के सभी घड़े-बड़े उद्योग इनीलिए विकसित हो रहे हैं, जोकि उन्हें रेल परिवहन का सत्ता व मुख्य साधन उपकरण है।

3. व्यापार में योगदान : रेलों के विकास ने देश के आन्तरिक व बाहरी उद्योगर के विराटर में काफ़ी योगदान दिया है। चाय, जूट, कपास, लोहा, कोयला, साले, मैदानीज, अब्जक, तिलहन आदि वस्तुओं का नियर्ति, रेल सुविधाओं के मिलने के कारण ही सम्भव हो सका है। महत्वपूर्ण उद्योगर में भारतवर्ष की लो महत्वपूर्ण दिवसित है ताके बनाने में रेलों का ही योगदान रहा है। दूध, फल, महाली, सज्जी, बड़ों, आदि शीघ्र बढ़ हो जाने वाली वस्तुओं का बेतान्यापी उद्योगर रेलों के कारण ही सम्भव हो सका है। इस प्रकार रेलों द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं और विदेशकर भारी एव नाशवान वस्तुओं के बाजार के विस्तार में सहायता मिली है।

4. अन्य देशों में योगदान : (i) रेलों के विकास से सरली, नियमित तथा बुद्धल ढाक सेवा का प्रमार हुआ है; (ii) रेलों में सांकुलिक दलों के बादान-प्रदान के साध्यम से राष्ट्रीय एकता की मानवा को विविदशाली बनाया है; (iii) रेलों ने अन्य विदेश, छुम्ह-छूत तथा डेव-नीच के भेदों को उपाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है; (iv) रेल उद्योग में देश की जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को

1. Dr. J Johnson : The Economics of Indian Railway Transport, p. 93-97

रोजगार मिलता है; (v) रेलों ने वेत्तिय व शीमा व्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है; (vi) डांड देसाई के मतानुभाव 19वीं शताब्दी के उत्तरांड से देश में जो राजनीतिक संघठन था हुए रुप्ता जो राजनीतिक चेतना का प्रबल हुई उमड़ा थे वे रेलों को ही हैं; (vii) ग्रों मैलन वीस के भत्ते में अमितों की गणितीयता को बढ़ाने में रुप्ता राष्ट्रीय स्तर पर इनके आवागमन में रेलों ने मदद की है, (viii) डांड देसाई के मतानुभाव रेलों ने भारतीय योरों के स्वावलम्बन तथा एकादी अस्तित्व वो समाप्त करके राष्ट्रीय भाषना का जन्म दिया है।

रेलों के दुष्परिणाम (Adverse Effects)

भारतीय जर्जन्यवस्था में रेलों का योगदान सर्वसुन ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बनेह लाभों को दिलाने वाला ऐसा परिवहन देश के लिए कुछ मानों में हानिकारक भी रहा है, यथा (i) रेलों के विकास के कारण भारत के परामर्शदात दलालों का पतन हआ, (ii) रेलों ने विकास के कारण ही भारत की प्रशासन देश रह गया, (iii) रेलों के विकास न योग्यिक नवयों को जन्म दिया जहा कई प्रकार की बुराइया पाई जाती हैं; (iv) रेल मालों के बनाने में उच्चता नूमि का बहुत बड़ा भाग चैकार ही गया, (v) इसन मुकुदमेश्वरी की भी बड़ाया; क्योंकि जड़ गाव के लोग नवयों की जिलाली में खालाकी से पहुँचने लगे और प्राप्त पकायन द्राघ समाप्त हो गई, (vi) रेलों ने गाव के स्वावलम्बी जीवन को समाप्त कर दिया, तथा (vii) देश के विभिन्न भाषाओं में अपनी शासन को पहुँचाने का उत्तरदायित्व भी रेलों पर ही राला जाता है।

उपर्युक्त चिंगिद दृष्टिरिणाम यस्तुत रेलों के विकास में प्रत्यक्ष परिणाम नहीं कहे जा सकते। यदि रेलों का विकास सोब यात्रकर व देश के हित की व्याप्ति में रखा हो तो रेलों के विकास के परिणाम धन्दे ही होते। यह तो यह है कि रेलों ने हमारे देश में आधिक चुनाविक तथा राजनीतिक कांति की जग्य दिया है।

भारत के आधिक विकास में रेलों का विकास कर एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्तमान समय में रेलों देश के विशेषित आधिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वर्तमान समय में रेल यातायात के सामने कई प्रमुख समस्याएँ पैदा हो गयी हैं, जिनका विवेकन कर दिया जा चका है। इन समस्याओं और कठिनाइयों के परिणामस्वरूप ही रिहें दो वर्षों में रेलों की विस्तीर्ण विधिति असलोप छनक रही है तथा शीमधीं सनातनी में प्रथम दार रेलों का धाटा उठाता पड़ा है। अब रेलों के विकास एवं संगठन की ओर सोब समझकर महत्वपूर्ण बदम उठाने की आवश्यकता है जिसने रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त हो सके, क्योंकि रेल परिवहन की उन्नति के साथ-साथ ही हमारे देश की आर्थिक सुन्नति जुड़ी हुई है।

प्रश्न

1 सक्रिय टिप्पणी लिखिये 'भारत में रेल सहक समन्वय'।

(राज० प्र० व० टी० हौ० सी० कला, 1966, 1968)

2 देश की कृषि तथा बड़े पैमाने के उद्योगों पर भारतीय रेलों के आर्थिक प्रभाव बताइये। (राज० प्र० व० टी० हौ० सी० कला, 1967)

3 भारतीय रेलों ने निम्नलिखित को आर्थिक दृष्टिकोण से कहा तक प्रभावित किया है ~

(अ) भारतीय हस्तकलाएँ।

(ब) कृषि।

(स) बड़े पैमाने के उद्योग।

(द) जातिन्यवस्था। (राज० प्र० व० टी० हौ० सी० कला, 1966)

4 भारतीय रेलों के साधन कोन से समस्याएँ हैं? काप इन समस्याओं को सुलझाने के लिए व्याक्या सुझाव देंगे?

5. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय रेलों की प्रगति पर विचार कीजिए और पिछले कुछ वर्षों से रेलों की व्याय तथा कार्य क्षमता में गिरावट के विभिन्न कारणों को समझाइए। (राज० टी० हौ० सी० कला, प्रथम वर्ष 1971)

6 स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से भारतीय रेलों के विकास और उन्नति पर सुधैर में आलोचनात्मक निवन्ध लिखिए। (Raj T D C final year, 1971)

भारत में सड़क परिवहन

(Road Transport in India)

"Road transport enables industrial enterprises to utilize hitherto untapped sources of labour and significantly contributes to the mobilization of all available resources."

—Alak Ghosh

निचो भा देज के व्यापक विकास में सड़क परिवहन का दशा महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे कृषि का विकास हो या उद्योग घन्हों का व्यवस्था व्यापार आ. सड़क परिवहन के तुनियोडित विकास के क्रमाव में इनका विकास नहीं हो सकता। सुशिल भारतीय विद्वान व राजनीतिज्ञ औटिल्य ने भी सड़कों के महत्व की स्वीकार किया है उन्होंने के प्रमुख इर्दगिर्दों में से सड़कों के निर्माण को बहुत महत्वपूर्ण माना है उन्होंने 24 से 48 क्लीट चौहाई की सड़कों के निर्माण का मुकाबल दिया था।¹ अब जे० देव्यमन ने सड़कों के महत्व के सम्बन्ध में लिखा है, "सड़कें किसी देश की धर्मनिया व धिरायें हैं जिनके द्वारा सुधार हो सकता है। सड़कें किसी देश की धर्मनिया व धिरायें हैं जिनके द्वारा सुधार हो सकता है।"² रहित ने भी इस सम्बन्ध में दही महत्वपूर्ण दारत की है, "राष्ट्र की सारी सामाजिक व व्यापक प्रगति सड़कों के निर्माण में विनिरुद्ध है।"³

सड़क परिवहन का महत्व : राष्ट्रीय कम्बूडी के दृश्य की प्राप्ति के लिए सड़कों का बहुत अधिक महत्व है। आज समाज के सभी सन्दर्भों में सड़क यातायात को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है उन्होंने इसका विकास किया जा रहा है। सड़कों के महत्व को हम अप्रलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं :

1. Shamasanry . Kautilya's Arthashastra, P. 46

2. "Roads are the veins and arteries of a country through which channels every improvement circulates."

3. "All social progress resolves itself into the making of good roads."

—Rudra

१. कृषि से महत्व - ग्रामीण द्वे त्रो में सड़क पातायात महत्वपूर्ण योगदान देते सकता है। सड़कों के माध्यम से कृषकों को अपनी उपज का उचित गृहण प्राप्त हो सकता है। वे कृषि उपज को शहरी व मनियों दे के जा कर अच्छे मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। सड़कों के माध्यम से ही किसान को अपने जीवन की आवश्यक कर सकते हैं। सड़कों के माध्यम से ही किसान को दूसरी जगह से खालीन बस्तुये शहरों से प्राप्त हो जाती है। खालीन के अभाव को दूसरी जगह से खालीन ला कर पूरा किया जा सकता है और इन प्रकार सड़के ग्रामीण द्वे त्रों को बहाल कर पूरा किया जा सकता है और इन प्रकार सड़के विकास के परिणामस्वरूप भी स्थिति से बचती है। इसके अलावा सड़क परिवहन के विकास के परिणामस्वरूप कृषकों को कृषि उपज बढ़ाने के प्रयत्नमाला प्राप्त होते हैं, बाजार-द्वे त्रों की बाजारी कृषकों को कृषि उपज बढ़ाने के प्रयत्नमाला प्राप्त होते हैं, तथा शीघ्र वट्ठ होने वाले पदार्थों को भी बाजार में सुविधाएँ प्राप्त हो जाती है। सबैप में, ग्रामीण द्वे त्रों के पुनर्निर्माण में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है।

२. उद्योगों के विकास में महत्व सड़कों के विकास से कारखानों के लिए ग्रामीण द्वे त्रों से कम्बा माल आप्त होता है तथा कारखानों का बना हुआ माल दूर-ग्रामीण द्वे त्रों से कम्बा माल आप्त होता है तथा कम्बा हुआ माल दूर-दूर तक फेले हुए उद्योगवालों तक पहुँचता है। सड़कों के विकास से उद्योगों के दूर तक फेले हुए उद्योगवालों तक पहुँचता है। सड़कों के विकास से उद्योगों के केंद्रीयकरण और साथ ही विकेंद्रीयकरण को भी व्योत्साहन मिलता है। सड़कों के दूर तक उद्योगों को भी व्योत्साहित करती हैं, जिनकि इनका बना हुआ माल शहरों में आसानी से पहुँच जाता है।

३. देशपार में योगदान देश का आन्तरिक व्यापार मुक्तयत्या राज्यों पर ही निर्भर करता है। पहाड़ी व पठारी इलाकों में, जहाँ रेल व जल यातायात की पर ही निर्भर करता है। पहाड़ी व पठारी इलाकों में, जहाँ रेल व जल यातायात की पर ही निर्भर करता है। सड़कों का विशेष महत्व है। सड़कें बन्दरगाहों के पृष्ठ सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, सड़कों का विशेष महत्व है। सड़कें बन्दरगाहों के पृष्ठ सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, सड़कों का विशेष महत्व है। सड़कों बन्दरगाहों की ओर पहुँचाने में महत्वपूर्ण प्रदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में माल बन्दरगाहों की ओर पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और इन प्रकार विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी इनका वापी योगदान है।

४. देश की तुरंता में योगदान देश की सुरक्षा व्यवस्था में भी सड़कों महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत एक विशाल देश है जिसकी तुलना एक उपमहाद्वीप से की जा सकती है। एक स्थिति में इसकी गोपालों पर रामी जगह पर उपमहाद्वीप से की जा सकती है। एक स्थिति में इसकी गोपालों पर रामी जगह पर उपमहाद्वीप से की जा सकती है। देश पर हमें के गम्य देश के तिराहियों व बहन शहरों से निका रखना सम्भव नहीं है। देश पर हमें के गम्य देश के तिराहियों व बहन शहरों से निका रखना सम्भव नहीं है। देश पर हमें के गम्य देश के तिराहियों व बहन शहरों से निका रखना सम्भव नहीं है। देश पर हमें के गम्य देश के तिराहियों व बहन शहरों से निका रखना सम्भव नहीं है।

५. सड़कों के अन्य योगदान : (i) सड़कें देश में विभिन्न द्वे त्रों में रहने वाले व्यवितरणों को नियन्त्रित करती हैं तथा उनमें सामाजिक व सास्कृतिक सहयोग तथा एकता की आवश्यकता है, (ii) इनमें सरकार को विविध कर्त्ता के रूप में एकता की आवश्यकता है,

जाय प्राप्त होती है। (iii) सुडकों के अनेक उपयोग हो सकते हैं और इस तरह से इनसे विदिष प्रकार के लाभ उठाये जा सकते हैं। (iv) अन्य परिवहन के साधनों की अपेक्षा सुडकों का निर्माण अधिक कम होता है; (v) जोड़ी दूर की यात्राओं के लिए रेली की अपेक्षा सुडकों का महसूल अधिक है, वर्तमान में यात्राएँ मित्रव्ययतापूर्ण एवं सुविधापूर्ण होती हैं; (vi) सुडकों के महसूल की एक विशेष बात यह भी है कि इनमें अन्य परिवहन के साधनों की अपेक्षा अधिक सोन याई जाती है क्योंकि यह दर-बाजे तक की सुविधाएँ प्रदान करती हैं, (vii) परिवहन के अन्य साधनों के पूरक साधन के रूप में भी ये लाभदायक हैं, (viii) कुछ जगहों में, जैसे पहाड़ों पर जहाँ रेलों का निर्माण नहीं हिया जा सकता है, सुडक परिवहन का विद्युप महत्व है; (ix) सुडक परिवहन अधिक फूलीला एवं अधिक सुविधाजनक है, (x) रेल परिवहन के अन्तर्गत एक समय में एक लाइन पर एक ही यादी गुजर रहती है, जबकि सुडक पर निरन्तर मोटर चलती रहती है।

संक्षेप में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रशासन, प्रतिरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा बन्ध किसी आर्थिक, सामाजिक और साकृतिक प्रयत्न को अपने पूर्ण रूप में फैलायू होने और लागे बढ़ाने के लिए सुडक परिवहन का विद्युप महत्व है।

भारत में सुडक परिवहन का विकास भारतवर्ष में मडक निर्माण कार्य में प्राचीन काल से ही रचि ली जाती रही है। सभ्यता के प्रारम्भिक युग से लेकर अब तक सभी युगों में सुडकों का किसी न किसी रूप में विकास होता आया है। चत्त्वार्युग्म भौम, अशोक महान तथा योरदाह जैसे शासकों के शासनकाल में सुडकों का बड़े देशाने पर निर्माण हुआ था लेकिन त्रिदिव शासन काल में सुडकों के विकास पर व्यपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया। लाई इलहौजी के समय से भारत में सुडकों के निर्माण का एक युग प्रारम्भ हुआ। इलहौजी ने रेल निर्माण की सरह मुद्रकों के निर्माण पर भी आवश्यक ध्यान दिया था। सन् 1853 ई० से देश में प्रथम द्वारा सुडकों के विकास के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग खोला गया। उसी वर्ष विभिन्न प्रान्तों में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग खोले गये इनसे देश में सुडक-निर्माण को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। लेकिन इसके बाद रेलों के प्रसार से सुडक निर्माण के कार्य में कुछ दिग्गिलता आने लगी। इसके पश्चात् देश में जो कुछ सुडकों का निर्माण हुआ, वह रेलों के प्रसार के परिणामस्वरूप ही हुआ। सन् 1919 में सुडकों को प्रासीद विषय बना दिया गया। सन् 1927 ने श्री एम० आर० जयकर जी अध्यक्षता में एक सुडक विकास तमिति की रप्रपना की विस्तृत सुनाव के कलस्वरूप सन् 1929 में केन्द्रीय सुडक कोष बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में सुडकों का अभाव सरकार को विद्युप रूप से सटका। अतः सरकार ने दिसम्बर 1943 में विभिन्न राज्यों के मूस्य इंजीनियरों का नायपुर में एक रामेश्वर बुलाया जिसमें दश की

स्थानीय आवश्यकताओं के बनुसार एक योजना बनाई गई जो नागपुर योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 10 वर्ष की अवधि में सड़कों के निर्माण पर कुल 448 करोड़ रुपये व्यय किए जाने वे तथा मूल 4 लाख मील लम्बी सड़कों का निर्माण किया जाता था। इस योजना में देश की न्यूनतम आवश्यकताओं के बड़े सहत्यपूर्ण सुधार दिये गये थे। इस योजना में देश की न्यूनतम आवश्यकताओं के आवार पर सभी प्रकार की सड़कों के सतुरित विकास की व्यवस्था की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि कोई भी विकसित कृषि क्षेत्र में स्थित या यह सुधक से 5 मील से अधिक दूर न हो।

नागपुर योजना के अन्तर्गत देश में सड़कों के विस्तार के लिए एक योजना संयोग की गई, जिसमें विविध प्रकार की सड़कों की लम्बाई की बढ़ावार निम्न प्रकार से करने का आयोजन था-

नागपुर सड़क योजना¹

सड़क	सड़कों की लम्बाई (हजार मीलों में)	व्यय (करोड़ रु ३ में)
राष्ट्रीय सड़क	25	50
राजकीय सड़क	65	121
बिला सड़क (बड़ी)	60	62
बिला सड़क (छोटी)	100	80
स्थानीय सड़क	150	30
सुध काल में विचार हुए कार्य	—	10
पुलों का निर्माण	—	45
मूर्मि प्राप्ति करना	—	50
पूरा		448

सरकार ने नागपुर सम्मेलन की बेनक सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। तथा देश के राष्ट्रीय यात्रों के विकास का उत्तरदायित्व अपने डॉगर ले लिया था। इस योजना के अन्तर्गत 1944 से कार्य प्रारम्भ हो गया सन् 1947 में देश के विभाजन होने पर योजना द्वारा निर्धारित लद्य में 3.11 लाख मील सड़कों का

1 C N Vakil, Economic Consequences of Divided India, p. 415-16

निर्माण भारतीय क्षेत्र में किये जाने का निश्चय किया गया जिस पर लगभग 373 करोड़ रु. की लागत का अनुमान था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लड़क परिवहन का विकास सन् 1947 ई० में पवरी सड़कों की उम्मदाई 88 हजार मील तथा कच्ची सड़कों की उम्मदाई 1 लाख 32 हजार मील थी। सन् 1947 से 1951 तक सड़कों का विकास में मात्र प्रगति हुई। पवरी सड़कों की उम्मदाई 98 हजार मील तथा कच्ची सड़कों की उम्मदाई 1 लाख 51 हजार मील तक ही 1951 हो गई थी।

प्रथम पचार्हीय योजना में सड़क परिवहन प्रथम पचार्हीय योजना में सड़क विकास कायबद्दल पर 135 करोड़ रु. खन दिए गये। इस योजना के अंतर्गत 24 हजार मील पवरी सड़कों का तथा 41 हजार मील कच्ची सड़कों का निर्माण किया गया। विभिन्न स्थानों की विलास वाली 640 मील शृङ्खला मार्गों (Road links) बनाई गयी तथा लगभग 17 हजार मील पुण्यानी सड़कों की मरम्मत की गई। इस प्रकार 1955-56 में भारत में पवरी सड़कों की कुल उम्मदाई 1,22,000 मील तथा कच्ची सड़कों की कुल उम्मदाई 1,95,000 मील हो गई।

द्वितीय पचार्हीय योजना में सड़क परिवहन द्वितीय पचार्हीय योजना में सड़क याताधार के विकास पर 228 करोड़ रुपये खप किये गये। इस योजना अवधि में पवरी व कच्ची सड़कों की उम्मदाई लगभग 1 लाख 44 हजार व 2 लाख 50 हजार मील हो गयी। इस योजना अवधि में विभिन्न राज्यों के सड़क कार्यक्रमों के अंतर्गत 72 हजार मील उम्मी सड़क बनी। द्वितीय योजना के अंतर्गत सड़कों की कुल उम्मदाई 3,94,000 मील हो गई जो नामांगुर योजना के तात्पर्य से कही अधिक थी। इस योजनापरिवहन में अन्तिम वित्त कार्यों में सड़कों के विकास पर विद्युप बड़ दिया गया। सन् 1960 में नीगांव और जोधपुर में सड़कों के विकास के लिए भारतीय (Border Roads Development Board) बनाया गया जिसका प्रमुख कार्य इन क्षेत्रों में सड़कों के विकास को तोड़ करके इन तह पहुँचाने के लिए परिवहन साधनों को विकसित करना था।

साइक विकास की हेदरावाद योजना सन् 1959 में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य इंजीनियरों वा हेदरावाद में सम्मेलन हुआ जिसमें 1961 से 1981 तक के लिए एक 20 वर्षीय योजना तैयार की गई। इप योजना में 2,52,000 मील पवरी सड़कों व 4,05,000 मील कच्ची सड़कों के बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इपके बाव लक्ष्य निम्नांकित थे-

(1) एक विकसित व कुषी शहर का गाव पवरी सड़क से 4 मील व अन्य सड़क से 25 मील दूरी से आ जाय।

(ii) लद्दूं विकसित दोष का गांव पवकी सड़क से 8 मील व अन्य सड़क से 3 मील की दूरी में आ जाय।

(iii) अविकसित तथा अकुपि दोष का गांव पवकी सड़क से 12 मील व अन्य सड़क से 5 मील की दूरी में आ जाय।

हैदराबाद योजना के सड़कों को प्राप्त कर लेने पर भारतवर्ष में प्रति 100 दर्गे मील के पौधे 52 मील सड़क ही जायेगी। इस योजना पर 4700 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

तृहीण वचवर्धीय योजना में सड़क परिवहन तृनीय वचवर्धीय योजना में सड़क परिवहन के विकास पर 445 करोड़ रुपये किए गये। इस योजना के अन्तर्गत 49 हजार किलोमीटर नदी पवकी सड़कों बनाई गयी। इस योजना के अन्तर्गत नदी पवकी सड़कों की कुल लम्बाई 2,82,500 किलोमीटर ही गयी तथा कच्ची सड़कों की लम्बाई 6,07,500 किलोमीटर हो गई। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत में कुल राहों की लम्बाई 8,90,000 किलोमीटर हो गई थी। इस योजना की गुरुत्व वाले वह थी कि सड़क-निकास कार्यक्रम की 20 वर्षीय योजना को प्रथम चरण के रूप में व्यवस्था गया था। इस योजना के अन्तर्गत अविकसित झज्जो व सुरक्षा के लिए आवश्यक सेत्रों में सड़कों के विकास पर बहु दिया गया। सन् 1966 से 1969 के दर्बार में हीन एकवर्धीय योजनाओं के अन्तर्गत राह के परिवहन पर 308 करोड़ रुपये खर्च किए गए तथा 1969 के अन्त में पवकी एवं कल्पी सड़कों की लम्बाई कम्बज़ा: 3,26,000 किलोमीटर एवं 6,39,000 किलोमीटर हो गई व्याप्ति, सड़कों की कुल लम्बाई 9,65,000 किलोमीटर तक पहुँच गई।

चतुर्थ पचवर्धीय योजना में सड़क परिवहन। चतुर्थ योजना में केंद्रीय खेत्र में सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 860 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजनावधि में चौड़ी सड़कों की लम्बाई 3,17,000 किलोमीटर से बहार 3,67,000 किलोमीटर हो जायेगी ग्रामीण कड़वे के विकास पर विशेष ध्वनि दिया जायेगा जिससे राज्य सरकारे कुल निर्णायित राजि का 25 प्रतिशत भाग इन ग्रामीण सड़कों के लिए अलग से रखेंगे। वाजार बाले नगरों से सम्बन्धित सड़कों की योजना-विधि में ग्रामीणिकता दी जायेगी।

रेल व सड़क परिवहन में प्रतिस्पर्धा। भारतवर्ष में यात्री तथा माल ढोने के लिए मोटर गाडियों का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दाद से शुरू हुआ था। युद्ध काल के पश्चात कोजी मोटर गाडिया गारसे मूल्य पर उपलब्ध होने के कारण मोटर परिवहन का महत्व बढ़ने लगा। घीरे-घीरे मोटरगाडियों की संख्या में वृद्धि होने लगी और इनकी रेस परिवहन से प्रतिस्पर्धा होने लगी। हीसा की संख्या की व्यवस्था में मोटर

तथा बड़ों के किरायों में भारी कमी हो गई जिससे धनेक शावियों ने रेल की बजाय मोटरों द्वारा यात्रा बरती प्रारम्भ कर दी। इसका ऐल परिवहन पर बुगा बढ़ा पहा और उनकी आय घटने लगी। इन प्रश्नों 1929 के दाद से रेल व सड़क परिवहन के दोनों प्रतिवर्षों की समस्या उत्पन्न हो गई। भारतवर्ष में दोनों व रेल परिवहन ध्वनि-एव डरयोग व्यव्याप्त हैं, लैसेन फिर भी परिवहन के इन दोनों सामग्रीों से प्रति-स्पर्शी पाई जाती है। इन प्रतिवर्षों के प्रमुख वारपत्र हैं : (i) मोटर परिवहन अपेक्षा कुछ पहला है; (ii) यह अपेक्षाकृत लचीला है और पर से पर सक गुविधा प्रदान कर सकता है; (iii) इनमें मार्ग परिवर्तन की तबत्त्वता के गुविधा रहनी है; (iv) माल चेज़ने में सुरक्षा नहीं है; (v) सड़क परिवहन में माल की तिथि भी समय व तिथि भी स्थान पर चढ़ाया या उतारा या नहिं है; (vi) इन मालों को अपेक्षाकृत बम पूँजी की आवश्यकता होती है।

इस्युक्सन विवेदनाओं के वारपत्र अधिकार व प्रमोक्षण रेल-परिवहन की बजाय सड़क परिवहन का प्रयोग करते हैं। रेलों की इस प्रतिवर्षों के बचाने के लिए सन् 1932 व 1937 के छठे 'नेचेन किंसेन निमिति' (Matchel Kirkness Committee) व 'विच्वेड निमिति' (Wedge-wood Committee) की नियुक्ति की गई थी। इन दोनों निमितियों का यह था कि मोटर परिवहन तर पहा नियमन दिया जाय तथा रेल यात्रा को छोड़ा जाए तर पहा। इन निमितियों ने रेल व सड़क परिवहन के दोनों व्यवस्थाएँ दो विकार्यालय की ओं कृपा गई महत्वपूर्ण मुहावर दिये थे जिन में प्रमुख इन प्रश्न हैं—।) मोटर परिवहन पर नियमन रखकर प्रतिवर्ष यात्रा की यात्रा; (ii) मोटरों के सर नियमन पर दिया जाए; (iii) रेलों को जप्ती शोटरे बचाने का जी.वी.रोड विभ जाए; (iv) रेलों की जावरक्षताओं को ध्वनि में रखकर ही ने जो वी.वी.लाइलेन विभ जाए; (v) मोटरों द्वारा जाने व ले जाने व ले दिये जाएं; (vi) माल की नीया नियोगित ही यात्रा; (vii) यात्राएँ दिया जाएं; (viii) गवर्नर उत्तराधी की मोटर वर जीति में कहावता लायी जाए काहि।

विच्वेड निमिति (Wedge-wood Committee) की रिपोर्टों की समन्वय 1939 ने माटर व डी.वी.वी.रोड (Motor-Vehicle Act, 1939) परिवहन विधा विभ में छठे परिवहन पर नियमन स्थापित करने की व्यवस्था की गई। इन विधियों के अन्तर्गत प्रधान बाट परिवहन व्यवस्था की गई हस्त संस्कृति व राज्य परिवहन व्यवस्थाएँ 11 नियुक्ति दिया गया। इस विधियों के अनुसार मोटर गाड़िया चलाने के लिए लाइसेन्स लेना जावस्थक कर दिया गया तथा कुछ इनों के

शासन को अनिवार्य बना दिया गया। ये परमिट क्षेत्र विशेष के लिए ही काम में लाए जा सकते थे।

मन् 1945 में सरकार ने राज्य सरकारी को मोटर परिवहन के नियन्त्रण के लिए सिद्धान्त व अवधार सहित (Code of Principles and Practice) जारी की। इस सहित के अनुसार नाशाखात व टूटने वाली वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी वस्तुएँ 75 मील तक की दूरी के लिए किसी भी परिवहन द्वारा ले जाई जा सकती थीं लेकिन इससे अधिक दूरी के लिए सड़क परिवहन को उसी तरीके परिषद दिया जा सकता था जब ऐसे माल ले जाने में असमर्पित प्रकार करें।

मन् 1950 में गठित मोटर बाहन कर जाच समिति ने ऐसा नुहक समन्वय पर विचार किया तथा यह नह अवक्तव्य किया कि मोटर परिवहन पर जब तक कर का सार अधिक है तब तक ऐसा नुहक प्रतिस्पर्द्धा की सम्भावना नहीं रहेगी; लेकिन यात्रियों व माल भेजने वाले को किसी भी साधन के प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

मन् 1958 में गठित, सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति (भारतीय समिति) ने यह विचार अवक्तव्य किया कि सड़क परिवहन पर कोई प्रतिक्रिया न लगाया जाए। याकी व सामान भेजने वालों को किसी भी साधन के प्रयोग करने से स्वतंत्रता होनी चाहिए। समिति इस नियम पर यहाँ वीं कि सड़क परिवहन की अवैधता एवं लार्जों के कारण सुधार ऐसे परिवहन की असुविधाओं के कारण, सड़क परिवहन पर प्रतिवन्ध लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। समिति का मुझाव यह कि परिवहन के दोनों साधनों को अर्थ-व्यवस्था की बहसी ही परिवहन की आवश्यकता नहीं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास करना चाहिए। इस नियमि ने सड़क परिवहन प्रशासन व्यवस्था में मुख्य लाने के लिए भी भहतपूर्ण मुझाव दिए थे। इन मुद्दाओं के बाघार पर ही अन्तर-राज्य लार्जों पर सड़क परिवहन सेवाओं के विकास, समन्वय एवं नियमन के लिए वरकार ने अकर्तव्य परिवहन आयोग (Inter State Transport Commission) की स्थापना की।

मन् 1959 ई० में श्री कें सो० नियोगी की अध्यक्षता में परिवहन व समन्वय समिति बनाई गयी, लेकिन श्री नियोगी के त्याग पत्र देने के कारण इस समिति ने श्री तरलोकसिंह की अध्यक्षता में कार्य करके फरवरी 1961 से प्रारम्भिक दिवारियों तक जून 1966 ये लप्ती अन्तिम रिपोर्ट देकी जिसमें परिवहन के विभिन्न साधनों के नापान्ति विकास पर जोर दिया गया तथा गमन्यम गामन्यमी गहरव-पूर्ण मुझाव दिये गये।

सड़क परिवहन की समस्याएँ भारतवर्ष में जनसंख्या की वृद्धते हरे सड़क वाहनान की स्थिति असन्तोषजनक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर देश भी

जिविकाश करता निवास करती है, सड़कों के विकास से अपेक्षित बृद्धि नहीं दुर्द है। सड़क यातायात के सामने कुछ समस्याएँ हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं-

(I) भारत में उत्तम सड़कों का अभाव है, केवल कच्ची सड़कों की ही बहुलता है, (II) प्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास की समस्या, (III) पुरानी सड़कों की मरम्मत की समस्या, (IV) रेलों से प्रतिस्पर्द्धा की समस्या, (V) देश में मोटर-याडियों की अवधारितता, (VI) भारत में मोटर गाडियों पर अत्यधिक कर लाये जाने की समस्या, (VII) मोटर वाहन कानून के द्वारा भार वाहन भव्यताएँ सीमाएँ अवैधानिक हैं फलस्वरूप मोटर गाडियों का दूरा उपयोग नहीं हो पाता, (VIII) मोटर गालिकों की पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा, (IX) राष्ट्रीयकरण के भव्य की समस्या। (X) मोटर गाडियों में भीड़-भाड़ की समस्या, तथा (XI) द्रुपेटनाओं की समस्या।

सड़क परिवहन वा राष्ट्रीयकरण भारतवर्ष में सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण की ओर प्राय उठाई जा रही है, लाइ इसके गृह व दोषों का विवेचन करता उचित रहेगा।

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क (I) किराये की दरों में निश्चितता हो जाने से यात्रियों को घोषण से पुरिन मिलेगी, (II) यात्रियों की सुख सुविधाओं में बृद्धि होगी, (III) मोटर गाडियों की कार्यशक्ति में बृद्धि होगी, (IV) भीड़-भाड़ की समस्या से मुक्ति मिलेगी, (V) समय दी नियमितता का लाभ प्राप्त हो सकेगा, (VI) पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा का अन्त होग, (VII) अलामकारी नार्यों में भी वरिवहन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी (VIII) सड़कों के नियोगकर्ताओं एवं प्रयोगकर्ता में बेद समाप्त हो जाएगा। (IX) राजनीय बाप के सामने में बृद्धि होगी, (X) कर्मचारियों की दशा में गृहाय एवं उनके कल्याण में बृद्धि होगी, (XI) राष्ट्रीयवादी वर्ष व्यवस्था की ओर दाय की वर्ष व्यवस्था बग्रस्त होगी, (XII) राष्ट्रीय सुरक्षा के सक्षरे की समय महत्वपूर्ण हो जाएगा, तथा (XIII) परिवहन के विभिन्न साधनों में समवेदन का सम्भावना बह जाएगा।

संक परिवहन के राष्ट्रीयकरण के विषय में तर्क (I) निजी मोटर गाडियों वर विविध प्रकार की पारदिवा लग जाने के बाद राष्ट्रीयकरण अनादृश्यक हो जाता है (II) यह निजी मोटर गालिकों के ब्रह्मि बन्धाय होगा क्योंकि लगभग के सब सरकार राष्ट्रीयकरण करना चाहती है, जबकि प्रारम्भ में हानि उन्होंने उठाई है, (III) राज्य सरकारी के पास राष्ट्रीयकरण करने के लिए पर्याप्त धन की कमी है, (IV) राष्ट्रीयकरण के परिवास्वरूप मुआवजा देने के दबाव सरकार उसी धनरक्षण को अन्य आवश्य कार्यों में लगा सकती है, (V) निजी वालों में यात्रियों को रास्ते में बंदाने व उतारने की जो सुविधा है, वह राष्ट्रीयकरण के बाब भवान्त

हो जायेगी, (vi) सरकारी कर्मचारियों में लगन, सेवाभाव व अव्यावसायिक शोषणता का सामान्यत अभाव पाया जाता है, (vii) प्रतिस्पर्द्धि के अभाव में सरकार एकाधिकारी शक्तियों का दुरुप्रयोग कर सकती है, (viii) सरकारी संस्थानों में सामान्यत कार्यकुपलता का अभाव पाया जाता है और वे प्राय बाटे में चलते हैं, (ix) सरकार व कर्मचारियों के बीच मालिक व मजदूर के से सम्बन्ध हो जाने से तनाव पैदा हो सकते हैं; (x) प्रतिस्पर्द्धि के अभाव में हो सकता है कि यरकारी दसों में वे तमाम सुविधाएं न मिलें जो निजी चालकों द्वारा प्रदान की जाती हैं, आदि।

उपर्युक्त विवेचन राष्ट्रीय परिवहन के पक्ष व विपक्षपर काफी गोष्ठी डालता है। बत्तमात एरिस्प्रिंटिंग में, जबकि हम समाजवादी समाज को अपनाना चाहते हैं, राष्ट्रीयकरण उचित ही नहीं, अपितु ज्ञावद्यक है। यह बात इसी है कि राष्ट्रीयकरण को नीति, साधनों को देखकर अपनायी जाए।

व्यापिय भारतवर्ष में सड़क यातायात का महत्व बहुत अधिक है, तथापि इसमें विकास के लिये किसे गणि विविध प्रश्न सौमित ही रहे हैं। भारत में प्रतिवर्ष मील क्षम्भ के लिए, केवल $1/4$ मील लम्बी सड़क पाई जाती है जबकि क्रिटेन, कानाडा व अमेरिका में कम्प 3½, 3 व 1 मील लम्बी सड़कों पाई जाती हैं। इसी प्रकार भारत में प्रति लाख जनसंख्या के पीछे 134 मोटर है, जबकि अमेरिका, कनाडा, बाल्टिमोर, क्रिटेन व फ्रान्स में इसी ही जनसंख्या के पीछे ग्रम्प 41000, 28800, 27000, 15000, व 14000 मोटर हैं। हमारे देश की दो तिहाई सड़कों का ज्वाही है जो वर्ष के कई महीने बेकार हो जाती है। देश के आधिक विकास में सड़कों के महत्व को ध्यान में रखते हुए इनके विकास की गम्भीर योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए। तथा सड़क परिवहन वौ विभिन्न समस्याओं से मुक्त किया जाना चाहिये। आसाम के भूतपूर्व गवर्नर श्री कजलबली की निम्नांकित भविष्यव्यापी इस सम्बन्ध में इलेक्शनीय है।

"जहाँ तक दृष्टिगोचर हो राकता है, वही तक भविष्य में सड़क परिवहन का महत्व न सौ परिवहन का कोई अन्य साधन प्राप्त करेगा और न वह उसको हटा सकेगा, जहाँ तक दूसरे नाधित कितने ही उनक नर्मों न हो जाए।"

प्रश्न

1. टिप्पणी लिखिये—'भारत में रेल सड़क सम्बन्ध'।

(राज० प्र० व० टी० डी० सी० कला 1966, 1968)

2. भारत में सड़क यातायात के महत्व व विकास का संक्षिप्त विवरण लेखिए। मोटर-यातायात के राष्ट्रीयकरण से नया लाभ है?

(राज० प्र० व० टी० डी० सी० कला, 1964)

३. भारत में सहक यातायात के महत्व का वर्णन कीजिए। इन वर्णनों में सरकार ने सहक यातायात के विकास के लिये क्या कदम उठाये हैं?

(जोधपुर वि० वि० ट्र० ही० सौ० बलिम वप०, 1964)

४. भारत में सहक यातायात के राष्ट्रीयकरण के लाभों व हानियों को समझाकर लिखिए। (विकास वि० वि० बी० ए०, 1963),

५. भारतीय धर्मविद्या में सहकों का महत्व बतलाइए। पवर्द्धीय धर्म-नाथों में सहकों के विकास का वर्णन कीजिए। (दिक्षम् वो० ए० 1971)

६. ऐल-सहक सम्बन्ध का क्या मर्यादा है? इसे प्राप्त करने के लिए भारत में क्या क्षय किया गया है? (ब्राह्मरा बी० ए० 1971)

भारत में जल परिवहन

(Water Transport in India)

"A country set like a pendant among the vast continent of the old world, with a coast line of over 4,000 miles and with a productiveness of numerous articles of great use, unsurpassed elsewhere, is by nature meant to be a sea faring country. Her ports are adequate in size and numbers to meet the various requirements of her products."

— S N Hajli

जल परिवहन नदियों में नाव अथवा स्टीमर तथा समुद्र में जहाज चलाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जल परिवहन को प्रकार का है, (क) अन्तर्देशीय जल परिवहन (Inland Water Transport) तथा (ख) समुद्री जल मार्ग ।

अन्तर्देशीय जल-परिवहन (Inland Water Transport)

इन मार्गों के अंतर्गत नदियों तथा नद्दियों की शामिल किया जाता है, जिनमें नावों तथा स्टीमरों द्वारा पालियों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाया, ले जाया जाता है। भारत में अन्तर्देशीय जल परिवहन 19वीं शताब्दी के मध्य तक गंगा, सिन्धु, हुण्डा, गोदावरी तथा पश्चात की बुँद नदियों में नावों द्वारा कुछ बल्कि एक स्थान से दूसरे पक्के राहि एवं लेजाई जाती थी तथा ये जलमार्ग सुडकों के अभाव के कालस्थलष काली लोकरिय थे ।¹

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यीकार काल में ऐल परिवहन के विकास के परिणाम-स्वरूप तथा नदियों ने जल का निर्वाह के लिए बढ़ते हुए उपयोग के कारण जल-परिवहन का महत्व घट गया। लेकिन वर्तमान समय में भी जनम, परिवहनी बगाल, बंबिहार में आहरिक जल परिवहन वा गहरवा है। देश के बुँद अन्य राज्य जहाँ अन्तर्देशीय जल परिवहन का महत्व है, वे हैं डाढीपा, केरल, थान्ऱु प्रदेश एवं तामिलनाडू।

1. Dr D H Buchanan The Development of Capitalism Enterprise in India p. 176

झासम एवं कलकत्ता के बीच कुल 25 लाख टन यातायात (Traffic) में से आज भी आधा भाग जल परिवहन द्वारा ले जाया जाता है जबकि शेष में रेल एवं सड़क भागीदार है।

भारतवर्ष में नियोजित काल के प्रारम्भिक काल में जातरिक जल परिवहन की उपेक्षा की गई। प्रथम तथा द्वितीय धनवर्षीय योजनाओं में इस पर 1 करोड़ रुपए से भी कम धनराजि धर्य की गई। जन् 1939 में पवर वार अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति के प्रतिवेदन के आधार पर भारत के प्रान्तरिक जल मार्गों के विकास की अपापह योजनाएं बनाई गई। इस प्रतिवेदन के आधार पर ही तृतीय धनवर्षीय योजना में साड़े नारंग करोड़ रुपए की लागत का विकास कार्यक्रम तैयार किया गया। इस योजना काल में गोदानपूर्ण पुनर बोट के द्वारा गुन्दरवन में एक प्रयोगात्मक नाव चौड़ते की परियोजना (Pilot Towing Project) समिक्षित किया गया। सुदूरवन तथा गढ़वाल के लिए इन्हें तथा लौम्पिज लरीदान का कार्यक्रम रखा गया। केरल में परिषमी तटीय नहर का विन्तार किया गया था। उडीपा में तालडाडा व केन्द्र पारा नहरों के सुधार के कार्यक्रम रखे गए ताकि पाराग्रीष्ठ वर्षदरमाह से कच्छ छोड़े के नियंत्रण में सुविधा रहे।

चतुर्थ धनवर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए 9 करोड़ रुपये की अपाप्त्या की गई है। इस योजना की अवधि में केवल चुनी हुई नियिकत परियोजनाओं को कार्यनित किया जायेगा।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के महत्व में कभी के द्वारा भारतवर्ष अन्तर्देशीय जल परिवहन के महत्व में 19वीं यातायात के मध्य में जो कभी आई है उसके कई प्रमाण हैं। उनमें से प्रमुख कारण हैं, (1) नावों की गति 40 मीटर अवधा रेल की गति से अत्यधिक धीमा होता, (2) नावों की यात्रा का अपेक्षाकृत अधिक लंबी होता; (3) जल मार्गों के उत्तरोग का प्रकृति की दशा पर निमंत्र रहता; (4) जल मार्ग सम्बन्धी सुविधाओं का संबंध लगातार न हो पाना, (5) जल मार्ग में जान व माल की अत्यधिक ओपिम का पाया जाता।

भारतीय जहाज राजनी (Indian Shipping)

भारत के लिए, जिसकी तटवर्ती सीमा 4160 मील है, और जहाज व बरतुओं का बहुत बड़ी मात्रा में, विदेशी अपापार होता है, जहाजरानी का विदेशी महत्व है। जहाजरानी के विकास में प्रारम्भी, दृष्टिगती, की, लगातार कम, बहु, यद्यन्ति तथा विदेशी विनियम में काफी वक्त हो भवती है जिसे हमें विदेशी कानूनियों को देता यहता है। देश की रक्षा में भी जहाजरानी का प्रमुख प्रयोग होना है यथोकि ताकि

1. अन्तर्गत होर अमृह को समिक्षित करके।

के समय व्यापारिक जहाज (Mercantile marine) रक्षा की हूसरी प्रक्रिया का कार्य करते हैं। जहाजों द्वारा गन्डियों का विस्तार होता है तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास को बढ़ा मिलता है। समय एक अधिकारभूत उद्योग होने के नाते, जहाज निर्माण संस्थाएं अनेक उद्योगों को जग्म देता है। विदेशी व्यापार के भुगतान संतुलन को सुधारने में भी जहाजरानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसके इसके विकास में विदेशी कम्पनियों को करोड़ों का दिया जाने वाला भाड़ा बच जाता है।

भारतीय जहाजरानी या इतिहास और परम्पराये अत्यन्त पुरानी है। भारत में सूदियों पहले ही जहाजरानी और जहाज निर्माण उद्योग का जन्म हो चुका था और यहाँ के व्यापारियों ने अपनी प्रतिभा पर कमटता वा परिचय दिया था। यहाँ के नाविकों ने अपना शौशल व उस्ताह विकाया था तथा विदेशी को संदेश पहुँचाने वाले धर्म-प्रचारकों ने अपना उस्ताह दिखाया था। भारतीय पौन विविध देशों को भारतीय यस्तुओं वा निर्यात और वहाँ की वस्तुओं का भारत में याहायात करते थे। अपनी जहाजरानी के कारण भारत का सम्बद्ध रोम, बिश्र, यूनान जैसी प्राचीन सभ्यताओं के माध्य था। सूदियों तक समुद्री भागों पर भारत का प्रभुत्व बना रहा और उसे अपने पूर्वी समुद्री भागों पर गवर्न था अनुभव होता था।

ठाठ राघवन्युद मुख्यों के शब्दों में, "प्राचीन भारतीय सभ्यता संसार के कोने कोने से इसलिए पहुँच मकी जिसकि भारत के पास विशाल समुद्री शक्ति थी। हमारे शक्तिशाली यज-जहाजों की उद्योग के कारण ही संसार के लोग हमारे धर्म एवं एक सम्झौता में प्रभावित हुए।"

भारतीय जहाजरानी का एतना भारत में अप्रेजो के आने के बाद यह रिक्ति बदल गयी और भारतीय जहाजरानी उद्योग को बहुत बड़ा घटका लगा। भारतीय जहाजरानी के पतन के कई कारण थे जो इस प्रकार हैं-

(i) इस्पात के जहाजों का प्रचलन होना, (ii) भारतीय जहाजों की दीमी गति, (iii) विटिश सरकार द्वारा उपेक्षापूर्ण नीति, (iv) अप्रेज व्यापारियों की ईर्ष्या, (v) विदेशी जहाजों व न्यूनियो द्वारा भारत में रियायत तथा भुगतान की गरल प्रणाली द्वारा प्रतिवधी करना, (vi) किराये भाड़े की लहार्ह आदि।

उपर्युक्त कारणों के फलस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से भारतीय जहाजरानी उद्योग का पतन प्रारम्भ हो गया था और आजादी मिलने के समय भारत की कुल जहाजों की शक्ति जहाजों की फिल का बेकल २ प्रतिशत भाग ज्यों रह गई थी। भारतीय जहाजरानी के पतन के लिए विटिश सरकार की नीति ही मुख्यतः क्रिएटिव थी। गोषीजों ने ठीक ही कहा है, "भारतीय जहाजरानी की समाप्त होना पहा ताकि विटिश जहाजरानी कल्पना करे।"

भारत में ब्राह्मिक जहाजरानी का प्रारम्भ : भारतवर्ष में ब्राह्मिक जहाज-रानी का प्रारम्भ वास्तव में 1919 में हुआ जबकि और यात्रावन्द हीराचंद्र के प्रयत्नों से विद्युत्या स्टीम नेवीगेशन कम्पनी वी स्वापना की गई। यद्यपि इससे पूर्व 1893 में टाटा द्वारा दृष्टा 1906 में लिलाम्डिल पिल्लर्ड द्वारा जहाज कम्पनिया प्रारम्भ की गई थी लेकिन वे प्रतिशतहाफी के बागे ठहर न सकी थी। 1921 में विद्युत्या स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने रिटेल इंडिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार इसे भारतीय टट पर 75 हजार टन के जहाज खलाने का अधिकार प्राप्त हो गया। 1933 में समझौते की शर्तों में कुछ सुधार किया गया फलस्वरूप इसे भारत व दर्शनी के बीच मवारियों के होने का अधिकार भी प्राप्त हो गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय जहाजों कम्पनियों को अपने हाथों क्षेत्र में विस्तार करने का सुशब्दर प्राप्त हुआ और इस्टर्न न्यूयार्क तथा लंदन तक अपनी जहाजी सेवाएँ प्रारम्भ कर दी। युद्धोत्तर काल में भारत सरकार ने भी भी० दी० राष्ट्रस्वामी आयर की अध्यक्षता में एक जल परिवहन नीति समिति (Shipping Policy Committee) वी नियुक्त की। जड़ाभी परिवहन के इतिहास पर टिप्पणी करते हुए समिति ने कहा, "भारतीय जहाजरानी का इतिहास वर्तन भग, पूर्ण न रिए जाने वाले आश्वासन एवं अवसरों की उपेक्षा की दुखद कहानी है।"¹

इस समिति द्वारा 1947 में प्रेषित प्रतिवेदन में जहाजरानी के विकास के निम्नांकित सुझाव दिए गए : (i) 5-7 वर्षों में 2 मिलियन टन भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जाए; (ii) भारत का तटीय व्यापार का सम्बन्ध भारतीय जहाज-रानी के होश में जा जाय, तथा (iii) पठोसी देशों के व्यापार का 75 प्रतिशत, समुद्र पर व्यापार का 50 प्रतिशत तथा अपनी आदि जनु देशों के साथ हुए व्यापार का 30 प्रतिशत साथ, भारतीय जहाजरानी के अधिकार में आजाए; (iv) इष्ट समिति ने भारतीय स्वामिन्द्र, लियन्शन व प्रदेश में एक युद्धद व्यापारिक जहाजी देशों के विकास का भी सुझाव दिया; (v) वन्द्रयाहों की व्यवस्था परिवहन विभ गों से छटाकर वाणिज्य विभाग में करने वाले भी सुझाव दिया गया।

स्वतन्त्र भारत में जहाजरानी : सन् 1947 ई० में भारत स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने भारतीय जहाजरानी के विकास की नीति घोषणा की। इष्ट समय गरकार के साथने जहाजरानी उद्यग के विकास से सम्बन्धित वई कठिनाइयों सामने आई जैसे, (i) पहली जाइनाई जहाजरानी उद्योग में लापो हुई किदेनी कम्पनियां

1. "History of Indian Shipping is a tragic tale of broken promises, unredeemed assurances and neglected opportunities."

दो जो इस क्षेत्र में पहुँचे ही कार्य कर रही थीं, (ii) जहाजो को प्राप्त करने और चलाने के लिए बहुत बड़ी भावा में पूँजी की आवश्यकता थी तथा दूँजीपति इस क्षेत्र में जाने से कठशास्ते थे तथा (iii) देश में जहाज निर्माण की क्षमता नहीं थी। हमें अपनी आवश्यकता के सभी जहाज विदेशों से खरीदने पड़ते थे जिसमें काफी विदेशी मुद्रा सचें होती थी।

इन कठिनाइयों के कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रारम्भिक वर्षों में देश में जहाजरानी का विकास छोटे पैमाने पर हुआ लेकिन इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति होती गयी। भारत सरकार ने जहाजरानी व्योग के विकास के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कई कदम उठाये। सन् 1950 ई० में भारत सरकार ने यह धोषणा को कि तटीय ब्यापार के बहुत मार्तीय जहाजों द्वारा ही किया जाय। सन् 1950 तथा 1956 में कमज़ोर पूर्वी च परिवहनी जहाजरानी नियम स्थापित किये गये। जहाजरानी के विकास के लिए 2 अस्ट्रौल 1961 ई० को ऐ दोनों नियम विलाकर भारत की जहाजरानी विगम बनाया गया।

सन् 1960 ई० में भारत सरकार ने मुगल लाइन जहाजरानी कम्पनी के 80% लक्ष खरीद लिए। लेकिन यह कम्पनी भी सरकारी प्रतिष्ठान के रूप में कार्य कर रही है।

सन् 1952 ई० में देश में जहाज नियमि के बाये को ओस्ताहित करने के लिए विद्यालयकृतम का जहाज कारखाना ले लिया गया। भारतीय जहाजरानी के टन भार को बढ़ाने के लिए देशी जहाजरानी व्यवसियों को जहाज खरीदने के लिए रियायती दर पर भूग्र देने की घोषना भी चालू की।

ब्यापारिक जहाजों के सम्बन्ध में प्रबलित विभिन्न व्यवसियों को विलाकर मन् 1958 ई० में एक नया ब्यापारिक जहाज व्यवसियम पारित किया गया। इस व्यवसियम के पारित होने के परिणामस्वरूप भारतीय जहाजों की रजिस्ट्री बद भारत में होने लगी है। इसी समय राष्ट्रीय जहाजरानी मण्डल की स्वापना की गयी तथा मार्तीय जहाजों की सहायता के लिए जहाजरानी विकास कोष बनाया गया। इस बब्बिय ने भारत सरकार ने जहाजरानियों के अधिकारियों और नाविकों के प्रशिक्षण की सुविधायें बढ़ाईं। नाविकों की भलाई के लिए भलाई मण्डल तथा ब्यापारिक जहाजरानी विकास मण्डल, भादा जान्स मण्डल, समुद्री भाला आदोग, जहाजरानी रामनवमि आदि की स्थापना भी की गयी।

प्रबलित योजनाओं के प्रारम्भ में जहाजरानी सन् 1947 ई० में भारत के पात्र के बहुत लाल 92 हजार टन भार के जहाज थे। प्रथम प्रबलित योजना के प्रारम्भ में अप्र० 1951 में भारतीय जहाजों का टन भार 3 लाल 90,707 हो

मग्ना था। इसमें से 2,17,202 हजार टन भार के जहाज तटीय व्यापार में लगे थे तथा योग 1,73,505 टन भार के जहाज विदेशी व्यापार में लगे थे।

प्रथम पचवर्षीय योजना प्रदम पचवर्षीय योजना में 2,75,000 टन के जहाज प्राप्त करने का उद्देश रखा था तथा इसके लिए 36 करोड़ ६० की पन राशि निर्धारितीय थी गयी थी। पुराने तथा नए आ संबंधी आयक जहाजों को रद्द करने के लिए 60 हजार टन भार की व्यवस्था करने के बाद मार्च 1956 में 6 लाख टन भार के जहाज प्राप्त करने वा लड़या था। मार्च 1956 में बन्धुता हमारे पास 4 लाख ५० हजार टन के जहाज चालू हुएकत में तथा 1 लाख 20 हजार टन भार के जहाज निर्धारित थे। इन प्रदार प्रथम योजना का लक्ष्य लगभग पूरा हो गया था।

इस योजनावधि में इन मद पर 18.7 करोड़ रुपये खर्च हुआ। योजनावधि में विकास कार्यक्रमों के पालन्बंधन लूल 6,00,707 टन (GBT) के जहाज वं जिनमें 3,12,202 तटीय व्यापार; 2,83, 505 टन विदेशी व्यापार तथा 5 हजार टन के हैंकर जहाज थे। इस योजनावधि में 5500 ऐटिग्रेड, 143 ऐरिन इंजीनियर तथा 268 नैविकोंशन कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई। बन्दरगाहों एवं पोर्टों के विकास पर योजनावधि में 27.6 करोड़ रुपये खर्च किया गया।

द्वितीय पचवर्षीय योजना : इस योजनावधि में सामुद्रिक परिवहन के विकास के नियारित उद्देश्य थे, (i) देश के तटीय व्यापार का प्रयापम्भव विस्तार करना ताकि इन द्वीपों ने रेल परिवहन का भार कुछ कम हो सके; (ii) भारतीय विदेशी व्यापार के लिए जहाजों का अधिकारिपक्ष प्रयोग किया जाए, (iii) निवी जहाजों का प्रयोग की उचित विनीय महात्मा द्वारा प्रोत्साहन दना तथा प्रशिक्षण केन्द्रों में इनके कर्मचारियों को प्रोत्साहन दना; तथा (iv) वेल तथा पेट्रोल ले जाने वाले जहाजों का नियन्त्रित करना। दूसरी पचवर्षीय योजना में 46 करोड़ 25 लाख रुपये की कारबत से 3 लाख 90 हजार टन भार के जहाज प्राप्त करन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पुराने व नई जहाजों के लिए 90 हजार टन भार की व्यवस्था करने के बाद, दूसरी पचवर्षीय योजना में 3 लाख टन वृद्धि का लक्ष्य था। मार्च 1961 में बन्धुता ५ लाख ५२ हजार टन भार के जहाज चालू हुएकत में थे और 93 हजार टन भार के जहाज या तो निर्धारित थे या प्राप्त किये जा रहे थे। इस प्रकार दूसरी पचवर्षीय योजना में 50 हजार टन भार अधिक जहाज थे। इस योजनावधि के अन्त में 2,92,000 टन के जहाज तटीय व्यापार में तथा 5,65,000 टन के जहाज विदेशी व्यापार में लगे हुए थे। इस योजनाकाल में जहाजरानी के विकास में २२.७ करोड़ रुपये लग्जे किए गए।

तृतीय बंदवर्धीय योजना : तृतीय पंचवर्धीय योजना में 35 करोड़ हॉ की सागत से 3 लाख 75 हजार टन भार के लिए जहाज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। इस आयोजित भन राशि में आधा बार्वेजिक फ्लोट में तथा निचो फ्लोट में खर्च किया जाना था। इम योजना के अन्तर्गत 1 लाख 81 हजार टन भार के नये जहाज प्राप्त करने तथा 1 लाख 94 हजार टन भार के पुराने जहाज बदले जाने थे। तीसरी योजना के अन्त में भारतीय जहाजरानी में 10 लाख 81 हजार टन भार के जहाज करने का लक्ष्य था, पर्याप्त यह लक्ष्य राष्ट्रीय जहाजरानी पर्टन द्वारा निर्धारित 14 लाख टन भार से बहुत कम था। योजना के अन्त में भारतीय जहाजरानी में 15 लाख 40 हजार टन भार के जहाज हो गये थे और इस प्रकार सरकार द्वारा दिया गया आवासन पुरा किया गया। इम काल में और भी अधिक प्रवर्ति होती थीं प्रस्तावित 1 लाख 94 हजार टन भार के अधान पर 2 लाख 54 हजार टन भार के जहाज रही मिये गये होते।

तृतीय योजना काल में 11 भारी सामान ढोने वाले जहाज, 4 समुद्र पार जाने वाले टैक्स स्प्राथ किए गए जिससे खाद्याभ्यास, खनिज पदार्थ तथा पेट्रोल ढोने में सुविधा हो। इन योजना काल में बन्तुत जहाजरानी पर 47 करोड़ रुपया ब्यवहार हुआ। तृतीय योजना काल में लक्ष्य से भी अधिक उपलब्धि के कारण थे, (i) स्थगित मुवाताम की चारों पर जहाज का खरीदा जाना, (ii) पुराने जहाजों का सस्ते भावों से प्राप्त किया जाना, (iii) हिन्दुभालन विषयान्त्र की अमल का पूरा उपयोग किया जाना था।

चतुर्थ पंचवर्धीय योजना (1969-74)² चतुर्थ पंचवर्धीय योजना में नए जहाजों को खरीदने के लिए 125 करोड़ रुपए की अवधाया हो गई है। चौदी योजना के अन्त तक जहाजरानी का टन भार लगभग 35 लाख टन हो जायेगा। देश के दिवेशी व्यापार में जहाजरानी का लग लगभग 40 प्रतिशत हो जायेगा। इस योजना-पर्याप्त में बन्दरगाहों की परिवहन क्षमता 550 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 900 लाख टन हो जायेगी।

प्रशिक्षण जहाज 'डफरिन' के स्थान पर नया जहाज खरीदने, छोड़े छोटे जहाजों को खरीदने के लिए आधिक महायता देने, प्रशिक्षण मुविधाओं के विस्तार करने तथा नाविकों के कल्याण कार्य पर 5 करोड़ रुपये अतिरिक्त ब्यवहार किए जाएंगे। इस योजना में बन्दरगाहों के विकास पर भी बहु बल दिया गया है और इस पर योजनाकाल में 180 करोड़ रुपया ब्यवहार किया जायेगा।

बर्तमान विवित : जनवरी 1972 में भारतवर्ष में जहाजों की संख्या 256 थी जिसकी क्षमता 25 लाख टन भार थी।

भारतवर्ष में इस समय शिपिंग कारपोरेशन आफ दृष्टिगत 35 घन्य भारतीय जहाजों कुप्रयोग है। भारतीय जहाज प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अचित कर रहे हैं। इस समय भारतवर्ष में जहाज बनाने के दो कारखाने हैं जो विश्वास्तापतनम व कोचीन में स्थित हैं। इन्होंनियरों व नाविकों की प्रशिक्षण देने की भी कई संस्थाएँ हैं, मध्या, 'बॉर्डर' मेरीग इंजीनियरिंग कालेज, वलक्का, नाटिकल एण्ड इंजीनियरिंग कालेज, बम्बई, आदि। इस समय देश में 8 बड़े बन्दरगाह हैं—बम्बई, कलकत्ता, पट्टम, विश्वास्तापतनम, कोचीन, कॉडला मारुमा गोआ व प्रदीप। इन बड़े बन्दरगाहों के अतिरिक्त देश में लगभग 225 छोटे बन्दरगाह भी हैं।

हमें भारतीय जहाजरानी ने द्वतीयता की प्राप्ति के पहचान् यथा महत्वपूर्ण प्रयोग की है, तथापि इसके विकास के मार्ग में कई कठिनाइयाँ या समस्याएँ हैं जो इस प्रकार हैं—

1 जहाजों क्षमता का अनाव भारत जहाजरानी के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है—

विश्व की जहाजी शक्ति (जुलाई, 1968)¹

देश	क्षमता लाख टनों में	तुल का प्रतिशत
1 लाइब्रिला	2,7	13.25
2 प्रट ब्रिटेन	219	11.29
3 संयुक्त राज्य अमेरिका	197	10.13
4 नावे	197	10.13
5 जापान	196	10.09
6 फ्रान्स	74	3.82
7 दृटली	66	3.41
8 पर्दिचमी जर्मनी	65	3.36
9 काल	58	2.99
10 नीदरलैण्डस	53	2.71
11 भारत	20	1.00
अन्य देश	539	27.82
योग	1941	100.00

1 सोन इकानाइक राहग, 17, अगस्त, 1967

उपर्युक्त लाइका से स्पष्ट है कि भारतीय जहाजों की समता विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। अत इसे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

2 विदेशी प्रतिस्पर्धा भारत को जहाजरानी के क्षेत्र में बिटेन, अमेरिका तथा जापान से हीब्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा रहा है। अभी कुछ बद्दों से जर्मनी तथा इटली ने भी इन क्षेत्र में पदार्थ किया है और भारतीय जहाजरानी से प्रतिस्पर्धा बरने रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इस प्रतिस्पर्धा से भारतीय जहाजरानी को बचाए। भारतीय तटीय व्यापार का यह प्रतिशत तथा विदेशी व्यापार का 50% भाग भारतीय जहाजरानी की मिलता ही चाहिए। सरकार को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।

3 ऐल परिवहन से प्रतिस्पर्धा भारतीय ऐल भी तटीय क्षेत्रों में जहाजरानी से हीब्र प्रतिस्पर्धा कर रही है। तटवर्ती सामुद्रिक मार्गों परार कपास, सीमेण्ट, तेल, चावल, तिलहन आदि को जाने के जाने में अपेक्षाकुल कम व्यय पड़ता है। लेकिन भारतीय ऐल भी इन बस्तुओं को कम मात्र की दर पर ले जाने व साजे के लिए दूरतार रही है जिससे इन दानों परिवहन साधनों में अनुचित प्रतिस्पर्धा होती है तथा जहाजरानी को आवश्यक थाल उठानी पड़ती है। 1955 में Rail Sea Co-ordination Committee, जो कि इन दोनों परिवहन साधनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए गठित की गई थी, भी इस दिशा में अधिक सफल नहीं हो सकी है। इस गमन्यता का निराकरण शीघ्रातिकीद्र दिया जाना चाहिए।

4 जहाजों की कम चो साधत विश्व में जहाजों की मात्रा में बृद्धि होने के कालस्वरूप जहाजों के मर्कों में अत्यधिक बृद्धि हो गई है। 1945 की तुलना में इस समय फ्रिटन में 16% जहाजी मूलप बढ़ गए हैं। भारत में ही यह बृद्धि 20% तक पहुंच गई है। सरकार को चाहिए कि वह जहाज निर्माण कार्यों को अधिकाधिक आर्थिक गहायता प्रदान करे।

5 अब हमस्यायें उपर्युक्त वर्णित समस्याओं के अतिरिक्त भारतीय जहाजरानी को कुछ अन्य समस्याओं को भी साधना करना पड़ रहा है, वे हैं—

- (i) माल बाहक, तेल बाहक एवं यात्री जहाजों की अब भी बहुत कमी है और हमे प्रतिवर्ष आइ के रूप में करोड़ों रुपये व्यय करने पड़ते हैं, (ii) तटीय जहाजों की सह्या विरन्तर कम होती जा रही है, (iii) भारत में जहाज निर्माण की गति का अवन्त मन्द होता, (iv) विदेशी से जहाज खरीदने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा का अवाव, (v) देश के समुद्रान्त की विद्युतता के अनुच्छ प्राकृतिक बन्दरगाहों का न होना, (vi) स्वदेशी जहाजी वाप्तियों के बास अपोचित पूँछों का अभाव, (vii) दृदरगाहों पर काम करने वाले अमिको द्वारा आये दिन हड्डाल, (viii) ज्वला सम्बन्धी भूर्ध भाव, (ix) बढ़ते हुए सचालन व्यय की समस्या, तथा (x)

भारतीय जहाजों की भाड़ा दरों का कम होता; (xi) जहाजों की सरन्मत को समुचित व्यवस्था का देश में न होगा।

भारतीय जहाजरानी के तीव्र विकास के लिए यह बावश्यक है कि उपर्युक्त समस्या प्रेरणा का निराकरण किया जाय।

योजना आयोग ने प्रारम्भ से ही जहाजरानी के महत्व पर बल दिया है, क्योंकि भारत जैसे दिशाल देश के लिए शिसका समृद्ध-कट बहुत सम्भव है तथा समुद्री मार्गों से बड़े पैमाने का व्यापार होता है, जहाजरानी वा विशेष महत्व है। सरकार ने भी यद यह महसूस कर लिया है कि जहाजरानी के विकास एवं विस्तार को प्राप्तिकार देना आवश्यक है, क्योंकि देश के विदेशी व्यापार में जहाजी भाड़े के हाप में विदेशी मुद्रा की बड़ी राति व्यय की जाती है, वह बच सकेगी। पड़ित जवाहर लाल नेहरू ने ठीक ही कहा था कि समृद्ध पर अधिकार रखने वाले ही व्यापार पर अधिकार रखते हैं और जिनकी मुद्राओं में विश्व का व्यापार होता है, उन्होंने पास समृद्ध जाती है और अन्तोरत्व वही विश्व का नेतृत्व करते हैं। १० नेहरू की यह उत्कट अभिभावा थी कि भारत का क्षणा फैहराते हुए, भारतीय जहाज समृद्ध-व्यापार दूरबर्ती देशों के नामर टटो पर जाए। हमें इन दिनों में विरन्तर बढ़ते रहने का सकल्प करना चाहिए, ताकि देश की समृद्ध बनाने तथा गोरक्ष दिलाने में भारतीय जहाजरानी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका लड़ा कर सके।

प्रश्न

१. भारतवर्ध में जहाजरानी के विकास का विवेचन कीजिए, साथा इससे घरेलूमान स्थिति पर प्रकाश डालिये।

२. भारतीय जहाजरानी के विकास की बाधाओं की चर्चा करते हुये, वह वर्षों में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की विवेचना कीजिये।

३. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतवर्ध में जहाजरानी के विकास के लिए प्रायः यथा महत्वपूर्ण बाब्द किये गये हैं? साथप में विवरण दीजिए।

४. देश की व्यर्थ व्यवस्था में जहाजरानी के महत्व की विवेचना कीजिए। देश में जहाजरानी के विकास की समस्याओं पर प्रकाश ढालते हुए उन्हें सुलझाने के लिये सुनाव प्रस्तुत कीजिए।

५. भारत में जल-परिवहन का महत्व समझाइए और इसके विकास के लिए अपनाए गए उपायों का सक्षेप में वर्णन कीजिए।

(वि. कम वि. दि. वी. ए. १९६५)

भारत में वायु परिवहन

(Air Transport in India)

“मनुष्य को उपलब्ध विभिन्न साधनों में से वायु परिवहन सबसे नवीनतम् सबसे अधिक विकासशील, सबसे अधिक चुनौती देने वाला तथा हमारे आर्थिक एव साम्झूतिक जीवन में सबसे अधिक छान्ति लाने वाला है।”

— फँयर व डिलिपस्स

भारतवर्ष के प्राचीन धर्म सभ्यों में अनेक ऐसे वृत्तान्त पढ़ने में आते हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि वायुयात भारतवर्ष ने अति प्राचीन वाल में भी उपयोग में आते थे। वर्तमान वायु यातायात की घटना यातायात के इतिहास में नवीनतम् घटना है। वायु यातायात के विकास ने यातायात के इतिहास में क्रन्ति का दी है और इससे एक बड़े युग का सुरक्षण होता है। मानव की पश्चियों की मात्र गगन में उड़ने की इच्छा की पूजि, वायु यातायात के प्रादुर्भाव से पूरी हो गयी है। श्री कपर एव डिलिपस्स के शब्दों में, ‘मनुष्य को उपलब्ध विभिन्न साधनों में से वायु परिवहन सबसे नवीनतम् सबसे अधिक विकासशील, सबसे अधिक चुनौती देने वाला एव हमारे आर्थिक व साम्झूतिक जीवन में सबसे अधिक छान्ति लाने वाला है।’

भारत के वायु परिवहन का विकास

भारतवर्ष में पूर्व 1911ई० से प्रवीणाम्बद्ध रुडान प्रारम्भ हुई थी जबकि वर्तमान के दीच प्रथम द्वार रुडान की बाबत्या की गयी थी। परन्तु विषय वर्षिक परिवहन का वास्तविक उपयोग सन् 1920 से किया गया जब सरकार द्वारा बुल्ह हवाई बड़डो का निर्माण किया गया। सन् 1927ई० में भारतीक विमान परिवहन दिनांग स्थापित किया गया और वह बड़वायन क्लब (Flying clubs) स्थापित किये गये। विमान चालकों, प्राविधिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। 1928 में दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा कराची में बड़वायन चलक प्रारम्भ किए गए। इसी दैर्घ्यात्मक विमानवेज के द्वारा भारत तथा लंदन के दीच नियमित रूप से हवाई परिवहन प्रारम्भ हुआ।

सन् 1932 में टाटा एयरवेज ने इलाहाबाद, कलकत्ता व कोलकाता के मध्य तथा बाद में कराची व मद्रास के बीच आन्तरिक वायु सेवाएं प्रारम्भ कर दी। सन् 1938 में एम्पायर एयर मेल स्कीम प्रारम्भ की गई, लेकिन युद्ध के छिड़ जाने के फलस्वरूप इसे समिति कर दिया गया।

हिन्दीय विश्व युद्ध के समय तथा इसके बाद नामिक विमान परिवहन में उल्लेखनीय प्रगति हुई। रान् 1946 ई० में भारत सरकार ने विमान परिवहन नीति की घोषणा की। इस घोषणा में नियोजित कम्पनियों को सहायता देने का आवश्यकता दिया गया। इसी बर्ष वायु परिवहन लाइसेंस बोर्ड बनाया गया। यह नियोजित कर दिया गया कि लाइसेंस देते समय बोर्ड नियन्त्रित बातों का ध्यान रखेगा।

(क) कम्पनियों की विस्तीर्ण रिपोर्ट; (ख) कार्य व्यवालन की दस्तावेज़ के स्तरों (Standards) की उचित देखभाल, तथा (ग) कम्पनी की वायु परिवहन सेवाओं की जनहान की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की समर्थन।

बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त यी कि लाइसेंस प्राप्त वायु कम्पनियों द्वारा लिए जाने वाले किराए और भाड़े की न्यूनतम और अधिकतम सीमा नियोजित कर द। फलस्वरूप इस समय बहुत-सी नियोजित वायु-परिवहन कम्पनियां बन गयीं। इन कम्पनियों की अधिकता के कारण इन्हें घाटा हुआ।

विदेशी वायु सेवाओं के लिए भारत सरकार ने टाटा कम्पनी के सहयोग से एयर इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना की। स्थापना के समय यह तथा किया गया था कि इस कम्पनी की हिस्सा पूँजी में सरकार 21 अक्ष 49 प्रतिशत रहेगा और यह विस्तृत रहेगा कि सरकार इसमें बूढ़ी करके इस 51 प्रतिशत करदे। सरकार 5 बर्ष के समय तक होने वाली हानि की संति पूर्ति करेगी, जिसकी अद्यायी भावी लाभों में से को जा सकेगी।

उत्तराञ्चल के पश्चात् वायु परिवहन स्वतं प्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वायु परिवहन के विवाद के लिए आवश्यक कक्षम उठाये। सन् 1950 ई० में श्री राज्याध्यक्ष की अध्यक्षता में एक वायु परिवहन जात्य समिति दबाई गई। वायु परिवहन के क्षम्भ में विभिन्न कम्पनियों के बीच प्रतिस्पर्द्धी समाप्त करने के लिए इस समिति ने सभी कम्पनियों को समन्वित कर चार बड़ी कम्पनियों के समर्गन की सिफारिश की। इस समिति की अम्य लियारिंगों थीं, (i) अवधि समाप्त होने वर अस्थाई लाइसेंसों को रद्द कर दिया जाय, (ii) भाड़ की न्यूनतम दरें नियोजित की जाए, (iii) सरकारी आर्थिक सहायता 1952 तक जारी रखी जाए, (iv) वायुयान कम्पनियों के लाभ पर सरकार नियन्त्रण रखें, तथा (v) अगले 5 वर्षों तक वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण न किया जाय।

2 वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष व विपक्ष में तकँ

(I) पक्ष में तकँ वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में वायु परिवहन समिति ने जो-नो विचार प्रस्तुत किए थे, वे हैं— (i) एकाकी सचालन से उपलब्ध भागों का अधिकतम उपयोग हो सकेगा, (ii) सुरक्षा की हिट से राष्ट्रीयकरण आवश्यक है, (iii) राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप नागरिक उद्योगत विभाग व भारतीय वायु सेवा के प्रशिक्षण कार्य में सामग्री उपलब्ध हो जायेगा; (iv) जनता को सही व अच्छी सेवाएँ प्राप्त होगी, (v) अन्तर्राष्ट्रीय कानून व प्रतिस्पर्द्ध का सामना अच्छी तरह से किया जा सकेगा, (vi) सेवाओं में दृढ़तापूर्ण समाझ ही जाने से स्थिरता होगी, तथा (vii) यह उद्योग सरकारी सहायता के बिना चल नहीं सकता, अत मरकार ही इसे चलाये तो अच्छा रहे।

(ii) विपक्ष में तकँ वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में निम्नान्वित तकँ दिये गये थे— (i) यामी देशों की सरकारें वायु परिवहन को आर्थिक सहायता देती है, अत भारत को यी देशों का हित, (ii) सरकारी प्रबन्ध में लोचहीनता पाई जाती है, (iii) प्रशिक्षित एव अनुभवी व्यक्तियों के अभाव से सरकार के साथने कठिनाई होगी, (iv) सन् 1948 की बौद्धिगिक नीति में वायु परिवहन को 10 वर्षों के लिए निजी क्षम के लिए छोड़ा गया था, अत इस रामय का राष्ट्रीयकरण का कार्य सरकार द्वारा अपने वायदे से विमुख होना था, तथा (v) राष्ट्रीयकरण करने पर सरकार को गुआवजा देना पड़ेगा, जिससे सरकार के आर्थिक दायित्व में बुद्धि ही जायेगी।

सरकार ने कुछ समय तक के लिए राष्ट्रीयकरण को घ्यनित कर दिया। परन्तु चूंकि निही कम्पनियाँ (वेज़ला से बिल्यन के लिए तैयार न थी), इसलिए सरकार ने राष्ट्रीयकरण करना उत्तित संगता। मार्च 1953 से वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर लिया तथा इनके सचालन के लिए, वायु परिवहन निगम अधिनियम के अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन (Indian Air-Lines Corporation) व एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन (Air-India International Corporation) को स्थापना की गई, जिन्होंने 1 अगस्त 1953 से कार्य करना आरम्भ कर दिया।

3 व्यवसायीय योजनाओं के अन्तर्गत वायु परिवहन ।

प्रथम व्यवसायीय योजना : प्रथम व्यवसायीय योजना में वायु परिवहन पर 9.5 करोड़ 40 लाख रुपये का ब्रावोन था, लेकिन योजना काल से केवल 7.24 करोड़ रुपये ही लाभ किये जा सके। योजनावधि में हवाई अड्डों का आयुनिकरण, निर्माण,

सचार सुविधाओं एवं परिवहन उपकरणों पर विशेष ध्यान दिया गया। योजनावधि में 9 हजार अड्डे बनाए गए तथा पुराने हवाई बड़ों को सुधारा गया।

द्वितीय पश्चवर्षीय योजना इस योजना काल में 30·53 करोड रुपये ध्यव किए जाने का प्राप्तान था। इसमें से 16 करोड रुपये इण्डियन एयरलाइंस काररो-रेशन पर तथा 14·53 करोड रुपये एयर इण्डिया इटरनेशनल पर व्यय किये जाने की ध्यवस्था थी। योजनावधि में 8 नए हवाई बड़ों के निर्माण की भी ध्यवस्था की गई थी। इस योजनाकाल में मार्ग के अनुसार सुविधाएँ बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। योजनावधि में सान्ताक्रूज, दमदम एवं पालम हवाई बड़ों का विकास किया गया तथा उन्हें बैट वायुयानों के सेवा-धोरण बनाया गया। इस योजनाकाल में देश के सभी नगरों को वायु सेवाओं द्वारा मिला दिया गया। योजनावधि में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का भी विस्तार किया गया। योजनावधि में 15·9 करोड रुपये वायु परिवहन पर वस्तुतः व्यय किए गए।

तृतीय पश्चवर्षीय योजना तृतीय पश्चवर्षीय नायरिक उड़ायन के लिए 55 करोड रुपयों का प्राप्तान किया गया था, जिसमें से 25·5 करोड रुपये तायरिक उड़ायन के विविध कार्यों पर व्यवहार किये जाने थे। इस धनराशि में से 18·50 करोड रुपये भवन व हवाई बड़ों के निर्माण पर, 5·00 करोड रु० विमान टार, उचार व्यवस्था पर, 1·00 करोड रु० हवाई पार्क व बड़ों पर, 0·84 करोड रु० प्रशिक्षण ग्रन्त एवं उपकरणों पर तथा 0·16 करोड रु० अन्वेषण व विकास पर व्यय दिए जाने थे। इस योजना काल में वायु परिवहन पर वस्तुतः 47 करोड रु० व्यय हुए।

1966-69 की अवधि में क्रियान्वित नी गई तीन एक-एक वर्षीय योजनाओं पर कुल धनराशि 60 करोड रु० व्यय किए गए। इण्डियन एयर लाइंस कारपोरेशन द्वारा एयर इण्डिया की धारता बढ़ कर क्रमशः 224 मिलियन टन किलोमीटर तथा 437 मिलियन टन किलोमीटर तक पहुंच गई।

चतुर्थ पश्चवर्षीय योजना (1969-70) चतुर्थ योजना में दैनंदीय क्षेत्र में वासीनिक वायु परिवहन के विकास के लिए 202 करोड रुपये की ध्यवस्था की गई है। इस धनराशि में नायरिक वायु-परिवहन विभाग पर 72 करोड रु० 'इण्डियन एयरलाइंस' कारपोरेशन पर 50 करोड रु०, एयर इण्डिया पर 60 करोड रु० तथा मिटिक्रोरोलैंडिल विभाग पर 15 करोड रु० व्यय किए जायेंगे। इस योजनावधि में दिल्ली, स्टक्टोना, गढ़वाल तथा बम्बई-इन बार अन्तर्राष्ट्रीय द्वारा हवाई बड़ों में सुविधाएँ बढ़ाई जायेंगी ताकि वे ज़मीं बैट जैसे भारी तथा अधिक कमता वाले विमानों के छप्पों के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सके। योजनावधि में एयर इण्डिया 4 बोइंग 747 बोट प्राप्त करेगा। इस योजना के अन्त तक इण्डियन एयर लाइंस कारपोरेशन को

समता 392 मिलियन टन किलोमीटर तथा एयर इंडिया की समता 990 मिलियन टन किलोमीटर तक पहुँच जाने की सम्भावना है।

वर्तमान हिस्ति: इस समय दोनों परिवहन निगमों की अवस्था सहोपजनक है। भारत में इस समय वायु परिवहन प्रणिक्षण के लिए 23 रथानों पर उद्घवहन दलवाह हैं। हवाई बद्दों की संख्या इस समय भारतवर्ष में 85 है, जिनमें से शान्तानुज, दमदम व पालम अन्तर्राष्ट्रीय वड्ड हैं। भारत में वायुयान तथा विद्विति व समान बनाने की कई फिल्में बाज़ कर रही हैं, जैसे, हिन्दुस्तान एयर क्रापट फिल्मी, बगलीर, वायुयान उत्पादक लिपो, कामपुर; वायुयान ढाने बनाने की फिल्मी; नासिक; एंगरी इंजिन फिल्मी, कोरापुट (उड्डीसा) तथा विद्युत पदार्थ उत्पादक फिल्मी, हैदराबाद। 'विग' वायुयान के उत्पादन का कार्य भी हसी सहौला से प्रारम्भ हो गया है। इस समय इण्डियन एयरलाइंस के पास 7 कारबेल जेट, 14 बाइकाउट, 3 स्काइमास्टर, 15 फोटर फैर्विशिप, 19 डेकोट तथा 3 एच० एग० 748 विमान हैं, जिनके माध्यम से भारत के प्राय सभी बड़े नगर वायु सेवा ढारा जुड़े हुए हैं। एयर इण्डिया के पास इस समय 9 थोइश बैट विमान हैं, जिनके द्वारा 24 देशों को भारत से वायु सेवायें प्रदान की जा रही हैं। सन् 1970 में भारतीय विमानों ने कुल पिलाकर 7·23 करोड़ किलोमीटर लम्बी उड़ानें भरी तथा वे 28·93 लाख यात्री तथा 547·5 किलोग्राम माल एवं डाक लेकर एक रथान से दूरारे रथान को गए।

4 वायु परिवहन का महत्व-

वायु परिवहन का परिवहन के माध्यमों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके महत्व को विभावित विवरण से समझा जा सकता है।

1 अध्यात्मिक क्षेत्र से महत्व - शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएँ जैसे वाडा, मठली, दूप तथा बहुमूल्य वस्तुओं जैसे हीरा, चदाहरात आदि वायु परिवहन द्वारा भेजना सुविधाजनक व निरापद रहता है। समाचार-प्रबन्धिकाएँ भी वायु यातायात के द्वारा शीघ्रातिशीघ्र एक रथान से दूसरे रथान मेंजी जा सकती हैं। इस प्रकार नाशनान, मूल्यवान, कोमल व कलात्मक वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने में वायु परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है।

2 कुपि क्षेत्र में महत्व - वर्तमान समय में कुपि विकास के क्षेत्र में भी वायु परिवहन में उल्लेखनीय योगदान दिया जाता है। टिड्डियों तथा फसल के अन्य कीटाग्नीयों को नष्ट करने के लिए भी वायु छिड़कने के काम में वायुयानों का प्रयोग समाजता-पूर्वक किया जा रहा है। हवाई जहाजों द्वारा एक निश्चित ऊँचाई पर एक रासायनिक द्रव्य से जाकर उसे बादलों पर फेंकने से जारी न बढ़ कर वही पर वर्षा कर देते हैं। अमेरिका में कपास की चुनाई से पूर्व हवाई जहाज से खेत में एक रासायनिक द्रव्य डाल देते हैं, जिससे पहों झाड़ जाते हैं तथा कपास की चुनाई सहेल ही जाती है।

3. देश की सुरक्षा के क्षेत्र में महत्व : विदेशी लोकमण के द्वारा बाहु परिवहन का महत्व बहुग अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इनके नाभ्यम से रोना की टुकड़ियों को प्रभावित क्षेत्रों में बहुत कम समय में भेजा जा सकता है। यही नहीं बायु कीटोंगां की द्वारा शब्दु सेवा तथा उनके गुप्त सैनिक बड़ों का पता लगाया जा सकता है। सीमान्त क्षेत्रों पर नियोजित रखने में भी बायुदान सम्बोधी सिद्ध हुए हैं।

4 आरामकाल में महत्व . भारतवर्ष में कई क्षेत्रों में प्रायः बात आ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप ये क्षेत्र देश के अन्य भागों से बलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों को जावशक चत्तुर लेवल विनानों द्वारा ही पहचाई जा सकती है। अजन, वस्त्र तथा दवाइयों के खेलों को विनान द्वारा निया कर प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की रक्षा की जा सकती है। सकारात्मक वीमारियों की स्थिति में दवाइया तथा चिकित्सक पीड़ा-नाश्त सेवों में भजे जा सकते हैं। बायुनिक समय में जलि प्रस्तु क्षेत्रों से अनन्त को बचाने में हेलीकोप्टर बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं।

5 औद्योगिक नगरों की भीड़-भाड़ को समस्या का निराकरण . बायु परिवहन के विकसित हो जाने पर नगरों में भीड़-भाड़ की समस्या को हल किया जा सकता है। उन्नत देशों में विविध उद्योगों के बासन्यास स ही श्रमिकों व अन्य कर्मचारियों को बचाना आवश्यक नहीं है क्योंकि हवाई परिवहन द्वारा वे प्रतिदिन औद्योगिक नगर बा जा सकते हैं।

6 अन्य महत्व (i) बायु परिवहन सारकुतिक एकता व सम्पर्क बनाने में योगदान देता है, (ii) दूसरे बहुत विज्ञान को सहायता मिलती है; (iii) बायु कीटों-ग्राफी से विविध कार्यों के लिए विस्तृत क्षेत्रों का सर्वेक्षण सुविधाजनक हो जाता है; (iv) बायु परिवहन में सड़कों, रेलों अथवा अन्य मार्गों की जाति मार्ग-नियर्माण में व्यय नहीं लगता; (v) अत्यन्त व्यस्त रहने वाले ज्योगपतियों, ज्यापारियों व राजनीतिकों के लिए यह बादायं एव सर्वेक्षण साधन है क्योंकि यह अर्थन्त द्रुतगामी साधन है; (vi) जन स्वास्थ्य पर भन्दर व अन्य विषेले कीटाणुओं के प्रभावों को बायुयानों द्वारा दबाई छिपक कर समाप्त किया जा सकता है; (vii) दाक लाने व ले जाने में बायु परिवहन का विषय महत्व है; (viii) मूल्यवान वस्तुओं को बायुयान द्वारा ले जाने व देने के लिए से जितु पाइ जा सकती है।

बायु परिवहन की सीमाएँ - बायु परिवहन की सीमाएँ निम्नलिखित हैं—

- (1) इस साधन द्वारा सीमित यात्रा व वजन भर माले ले जाया जा सकता है।
- (2) सचालन व्यव अधिक होने के कारण इसका भाड़ा बहुत अधिक होता है, इसलिए न तो सामान्य यात्री ही इस ओर आवृप्ति होता है और न ही लोग बायुयान द्वारा सामान ही मेजते हैं।

(3) काहरे व दूरे दोसम पर वायु परिवहन अब तक विजय नहीं प्राप्त कर सका है।

(4) रात्रि डट्टवान (Night Flying) भारतीय किसोरावस्था में है व अधिकार दुर्घटनाएँ रात्रि यात्राओं से ही होती हैं।

5 वायु परिवहन की समस्याएँ

भारतवर्ष में वायु परिवहन के विकास के नारे से अतेक समस्याएँ हैं, यथा—
 (i) भारतवर्ष को अब भी अधिकार विमानों की प्राप्ति के लिए विदेशी पर निर्भर रहना पड़ता है, (ii) भारतीय वायु परिवहन को विदेशी कम्पनियों की प्रतिस्पद्धि का सामना करना पड़ता है। ये कम्पनियों भारत की दरों पर रियायतें बढ़ा विलम्बित भूषणान की सुविधाएँ देकर यात्रियों को अपनी ओर आकृष्ण कर लेती है, (iii) वायु परिवहन की सेवाएँ पेट्रोल की कची लागतों के कारण अपेक्षाकृत बहुत महगी पड़ती हैं, (iv) वायु दुर्घटनाओं के कलहव्यप बाय अब जम की अपार क्षति हो जाती है, (v) प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएँ अपेक्षाकृत कम है, (vi) भारतीय वायु परिवहन नियमों के विविकारियों की व्यावसायिक दोष्यता अपेक्षाकृत कम है, (vii) तकनीकी प्रवृत्ति के अभाव से पुराने विमानों का उचित उपयोग नहीं हो पाता, (viii) भारत में अदारी बांध लहान तो पर्याप्त हैं, पर भारताक विमानों की कमी है, (ix) भारतीय हवाई अड्डे आपुलिक सुविधाओं से सुधून नहीं हैं (x) दृष्टि व धोय विमान चालकों द कर्मचारियों की कमी है।

6 सुझाव

भारतीय वायु परिवहन की विविध समस्याओं का शीघ्रातिशीघ्र नियन्त्रण किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्नांकित सुझाव महत्वपूर्ण है— (i) उच्चकोटि के नवीन हवाई अड्डों का विनियंत्रण किया जाना चाहिए, जिनमें वे सभी सुविधाएँ प्राप्त हो सकें, जो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पाई जाती हैं, (ii) कर्मचारियों को प्रतिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का विकास किया जाना चाहिए तथा नये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने चाहिए, (iii) भारताक विमानों की सवाया में बृद्धि की जानी चाहिए, (iv) वायु परिवहन की दुर्घटनाओं को कम करने के प्रदल करने चाहिए, (v) पर्यटकों की सुविधा के निए विभिन्न अपेक्षारिकता कम की जानी चाहिए, (vi) पहाड़ग व राहाइंग केंद्रों की सवाया बढ़ाई जानी चाहिए, (vii) वायु परिवहन सम्बन्धी योग्य कार्य किये जाने चाहिए, (viii) विमान यात्रियों को सुनिष्ठाओं को बढ़ाने के लिए उपयुक्त संपाद किये जाने चाहिए तथा देश में अनियमित यात्राओं (Non Schedulled) के लिए पर्याप्त सक्षम हैं, जब और अनुमूलिक सेवाओं दो ग्रोताएँ हैं दिया जाना चाहिए और देश के उन तथरों को वायु भागों द्वारा मिलाया जाना चाहिए, जो नव तक वायु मार्गों से नहीं गिलाये जा सके हैं।

वायु परिवहन का आर्थिक महत्व तो ही ही, राजनीतिक एवं सामरिक महत्व भी है। अतः इसके विकास की ओर समर्चित व्यान दिया जाना चाहिए। वायु परिवहन की अनेकानेक समस्याओं वा नियन्त्रण किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन क्षेत्र से स्थान बनाने के लिए भारतीय वायु परिवहन को आवश्यक वदम उठाने चाहिए। सरोकार का विषय है कि भारत सरकार अपने उत्तराधिकार के प्रति संज्ञा है और इसके विकास के लिए आवश्यक वदम उठा रही है :

प्रश्न

1. भारतवर्ष में वायु परिवहन के महत्व तथा विकास पर एक सक्षिप्त मिवन्ध लिखिए। (राज० प्रधम वर्ष टी० ढी० सी० कला 1965 and 1968)

2. भारतवर्ष में वायु परिवहन के पिछलेषन के कारण बतलाइये। इसके विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

3. भारतवर्ष में कौन-कौन से आद्यनिक परिवहन हैं? संसेच में इनके सापेक्षिक लाभ व हानियों की विवेचना कीजिए। (राज० ढी० ए० 1962)

भारत में औद्योगिक श्रम

(Industrial Labour in India)

"The alleged inefficiency of the Indian labour is largely a myth granting more or less identical conditions of work, wages efficiency of management and of the mechanical equipment of the factory, the efficiency of the Indian labour generally is no less than that of workers in most other countries"

—Rege Committee

श्रम उत्पत्ति का सक्रिय एवं सर्वाधिक सहत्यपूर्ण साधन है, क्योंकि उत्पत्ति की कोई भी क्रिया इसके बिना सञ्चालित नहीं की जा सकती। इसका महत्व सासार के सभी देशों में और सभी कालों में रहा है। वास्तव में आज वे ही देश आविष्कार हादूदि के विस्तर पर पहुंच दाये हैं, जिन्होंने देश की दरिद्रियताओं के अनुकूल, अपनी श्रम शक्ति का यथोचित उपयोग किया है। आगे बाला भविष्य भी उन्हीं देशों में सम्भवता का प्रसार करेगा जो अपनी श्रम शक्ति का समुचित उपयोग करेंगे। औद्योगिक आनंदि के बाद से श्रम शक्ति का संगठित शक्ति औद्योगिक क्राति की ही देन है।

भारत में औद्योगिक श्रम का उदय

ब्रौद्योगिक श्रम का उदय औद्योगिक विकास के साथ-साथ हुआ। इन्हें ऐसे ज्ञारतवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध पे संगठित डकोनों का प्रादुर्भाव होने पर औद्योगिक श्रम के एक नये सामाजिक घर्म का विकास प्रारम्भ हुआ। भारत में यो तो डकोन वर्षे लाइ प्राचीन वाल से अपनी गुणशक्ति के लिए उत्तरार्द्ध मर में ह्याति रखते थे, लेकिन वाधुनिक युग के बड़े एवं संस्थित डकोनों का विकास उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार भारत मे संगठित श्रम शक्ति का उद्भव भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से ही माना जाहए। हमारे देश का औद्योगीकरण अपेक्षाकृत धीमी गति से हुआ है। फलस्वरूप यहाँ की श्रम शक्ति या औद्योगिक श्रम का विकास एवं विस्तार भी म-द गति से ही हुआ है। सन् 1971 की जनगणना के

अनुमान देता को कुल अमरणि 28 करोड़ थी। कारबाही गे काम करने वाले औद्योगिक श्रमिकों की संख्या 10 लाख थी। भारत एक कृषि-श्रद्धाल देश रहा है। जब भी कृषि ही यहाँ के लोगों का मुख्य अन्या है और अधिकांश लोग (लगभग तीन औदार्ह) कृषि से ही अपना रोजगार पाते हैं। परन्तु देश अपनी वायिक स्थिति को सुधारने तथा आर्थिक सुलग प्राप्त करने के लिए उत्तरोत्तर औद्योगिक विकास के पद पर बढ़ाव दी रहा है जिससे अब नक्षित्र भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। भारतवर्ष में औद्योगिक विकास के फलस्वरूप प्राचीन कुटीर उद्योगों का पतन होता गया तथा उनमें लग हुए कारोगर औद्योगिक श्रमिकों के हप में कार्य करने की वाप्त होते गये हैं। यही कारण है कि भारत में औद्योगिक अम शब्द में धीरे-धीरे चूँदि होती चली गई उत्तरोत्तर चूँदि का अनुमान निम्नावित तालिका से चलता है —

अम शब्द में चूँदि

वर्ष	श्रमिक संख्या (लाख म)
1900	5 0
1920	14 0
1940	22 0
1950	29 6
1961	33 0
1964	45 6
1965	47 0
1966	47 0
1966	70 0

मारतीय श्रमिकों की विशेषताएँ (Characteristics of Indian Labour)

श्रमिक एक सामाजिक प्राणी है। अन्य ग्रामाजिक प्राणियों की भाँति वह भी सामाजिक परिवर्तियों से प्रभावित होता है। मारतीय समाज की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। श्रमिक वर्ग इनमें अछूता नहीं रह सका है, अठ यहाँ के श्रमिकों में भी कुछ विशेषताएँ पाई जाती हैं जो अन्य देशों के श्रमिकों में सामान्यतया नहीं पाई जाती। हक्केप में ये विशेषताएँ विस्तृत हैं —

1. प्रवासी प्रवृत्ति (Migratory Character) मारतीय श्रमिक मुख्यतया गांव से दूसरों की ओर जाते हैं। उनका गांव व कृषि से किसी न किसी प्रकार का राष्ट्रीय अवश्य बना रहता है। व्यवितर श्रमिक औद्योगिक नगरों के पास के गांवों

कि होते हैं। इनमें प्रवासी प्रवृत्ति कई बारणों से पाई जाती है, यथा : (i) मार्केट अमिकों का कार्य स्थावी होने के कारण उन्हें कभी भी कार्य से बळग किया जा सकता है। विदेश होकर उन्हें गाव से सम्बन्ध बनाए रखना पड़ता है; (ii) मार्केट उच्चोद-संघों में कार्य की दमाएं असन्तोषजनक हैं, रहने की बच्ची व्यवस्था नहीं है तथा रहने-सहन का अपय अधिक है। इसलिए आव-हवा बदलने के लिए अनाज, धी, चम्पो आदि गौवों से लाने के लिए तथा अपने अधिकों को नम्मालाने के लिए प्राप्त वह गाव की ओर जाता रहता है और जमकर कार्य नहीं जारता; (iii) अमिकों के मित्र, जातेश्वर आदि गावों में ही रहते हैं, अतः उसे गावों की ओर प्राप्त जाना ही पड़ता है; (iv) फरालों को बोने लाला काटने के समय भी अमिक गाव चले जाते हैं; तथा तो यह है कि यदि उसे उसके गाव में ही उचित रोजगार सम्बन्धी युक्तिशाली विन जाय तो गम्भीर विधिशाली अमिक कारखानों में काम करना छोड़ कर गावी को खले जायेंगे¹ भारतवर्ष में अमिक शहर जाने के लिए आकर्षित ही नहीं बरन् वाघ हो जाते हैं।² प्रवासी प्रवृत्ति में कई दोष हैं, जिनमें (i) अमिकों के बीच में स्थानिक नहीं आ पाता; (ii) उनकी कार्यकुशलता कम हो जाती है, (iii) देशाचारी की समझ जटिल हो जाती है; (iv) मालिक व अमिक के बीच सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता; (v) अम लगड़न की उन्नति में इकावट पड़ती है; (vi) अमिकों के स्वास्थ्य पर दूरा असुर पड़ता है, तथा (vii) अमिकों पीछे आर्थिक हानि होती है।

2. अनुपस्थिति में अधिकता (Greater Absenteeism) : भारतवर्ष में अमिकों को काम से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके कई कारण हैं जैसे—अमिकों का गिरा हुआ स्वास्थ्य, दुरी आदतों का होना, प्रबन्धकत्तियों का दुर्योगहार, जूण-दाताओं का भय, राष्ट्र की पालियों में काम होना, काम के प्रति निष्ठा का अभाव, श्रम कर्त्ताओं का अनुपस्थिति व सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों की कमी, आवास व्यवस्था का अभाव, प्रामिक व सामाजिक उत्पाद, सुकरानीयों तथा प्राप्ती से सम्बन्धी जारि। इन सब परिस्थितियों के परिणामस्वरूप अमिक प्राप्त अपने कार्य से अनुपस्थित रहता है। यह अनुपस्थिति न हो अमिकों के हित में होती है और न उत्पादक के हित

1. S. K. Bose Some aspects of Indian Economic Development Vol II P. 131

2. "Few industrial workers would remain in Industry if they could secure sufficient food and clothing in the village, they are pushed not pulled to the city."

—Report of the Royal Commission on Labour in India p. 16

में ।^१ इससे कई नुकसान होते हैं, जिनमें (i) कार्यानुभाव मरमदूरी मिलने के कारण काम से अनुपस्थित रहने के कारण अधिकों की आर्थिक हानि होती है, (ii) इससे अनुशासनहीनता बढ़ती है; (iii) उत्पादन कम हो जाता है; (iv) अधिकों की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है; तथा (v) प्राक्तिकों द्वारा अधिकों के बीच मध्यर सम्बन्ध बेदा नहीं हो पाता ।

3. विभिन्नता अथवा असमानता (Heterogeneity) : भारतवर्ष के जौदो-पिक लगरों में देश के विभिन्न भागों से काम करने वाले अधिक लाते हैं। इनके रहन-सहन, वर्ष, जाति, शायान-बोली, वैष्णवी, खानपान आदि में विभिन्नता एवं असमानता पाई जाती है। प्रार्थीय एवं शोधीय विभिन्नताओं के कारण वे न तो बापू में न जड़ीक आ पाते हैं और न ही एक दूसरे की कठिनाइयों व बाबत्यक्तताओं की समझ पाते हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ विलक्षण अपेक्षा में सहीयता भी नहीं कर पाते। इस विशेषता का परिणाम यह होता है कि मरमदूरों की मोल-भाज की शमता (Bargaining Capacity) कम हो जाती है तथा इसका असर उनकी मरमदूरी पर पड़ता है।

4. जिज्ञासा का अनाव एवं अज्ञानता (Illiteracy and Ignorance) : भारतीय अधिक बविशित और ज्ञानी होते हैं। प्रायः ग्रामीण लोगों से कारबालों में काम करने के लिए आते हैं। चूंकि यामोण क्षेत्रों में जिज्ञासा का प्रसवार बहुत कम हुआ है इसलिए अधिकाया अधिक भी बविशित रह जाते हैं। ग्रामीण वातावरण एवं परिविहारी में पले होने के कारण वे भोजन-भूजे एवं सरल प्रकृति के होते हैं। इस जिज्ञासा एवं ज्ञानता के फलस्वरूप भारतीय अधिक न सो जपनी समस्याओं को भली भाँति समझ पाते हैं और न ही उनका निराकारण कर पाते हैं। उन्हें कानून डारा दलदार सम्बन्धी एवं सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी जी सुविधाएँ मिलनी चाहिए, उनके बारे में भी वे जनभिज्ञ रहते हैं। इसी कारण हमारे देश के अधिक जपने हिन्दों की रक्षा भी नहीं कर पाते।

5. संगठन का अभाव (Lack of Organisation) : भारतीय अधिक पाश्चात्य देशों के अधिकों की जाति गुणावित नहीं हैं। भारतीय अम सम सम अभी भी जपनी रीढ़न कबूल्या गे है। उचित नेतृत्व का अभाव, दलनगत राजनीति, सबौं

1. "The loss due to absenteeism is two-fold. Firstly, there is a distinct loss to the workers, because the irregularity in attendance reduces their income when 'no work no pay' is the general rule. The loss to the employers is still greater as both discipline and efficiency suffer."

—Labour Investigation Committee Reports, p.100

की अनेकता, मालिकों का विरोध, सरकार की उदासीनता, अमिकों की अविज्ञा, सहयोग की कमी, घनामाव, कार्य के खटों की अधिकता, अमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति, जाति कुल ऐसे कारण हैं जिनके फलस्वरूप भारतीय धर्मिक लोग भी बहुमठित हैं। इस सम्बन्ध के अभाव के कारण धर्मिक के मोल-भाव करने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे उसे आर्थिक हानि होती है। सम्बन्ध के हड्ड न होने के कारण ही ऐसी प्रौद्योगिक सेवा अपनी रक्षा नहीं कर पाते। इसी सम्बन्ध की कमी के कारण उनकी न्यायोचित सेवा पर भी कोई उपाय नहीं देता।

6. भाग्यवादिता एवं रुदिवादिता (Fatalism and Conservatism) : भारतीय धर्मिक रुदियों, प्रथाओं एवं परिवर्तनों से जाकड़ा हुआ है। भाग्यवादी होने के कारण वे अक्षमंश्य एवं आलसी होते जाते हैं। धर्मिक अन्यविद्यालय उनके प्रशंसन के कार्य में बाधक है। वे रुदिवादी एवं भाग्यवादी होने के कारण सातोधी दत रखते हैं और अपने आर्थिक, सामाजिक एवं नीतिक उत्थान के प्रति उदासीन हो रहे हैं।

7. अकार्यकुशलता (Inefficiency) : भारतीय धर्मिकों की जन्म उन्नत-शील देशों की अपेक्षा कार्यकुशलता कम है। उनकी कार्यकुशलता की कमी जन्म-जात न होकर परिस्थितियों के प्रतिकूलता के परिणामस्वरूप है। भारत की यर्म जल-वायु, कम वेतन, निम्न रहन-न्याहन वा रुठर, रुदिवादिता, सामाज्य व तकनीकी शिक्षा का अभाव, दोषपूर्ण अप सम्बन्ध, उत्तरदायित्वहीनता, परिवर्तीहीनता, कार्य करने की प्रतिकूल दशाएं, मशीलों का पुरानी होना आदि अनेक कारण हैं, जिनके भारतीय धर्मिक की कार्यकुशलता पर बुरा असर पड़ता है। कार्यकुलता के अभाव के कारण ही अमिकोंको अप मजदूरी मिलती है और उनकी आर्थिक स्थिति आप शोचनीय रहती है। इन प्रांतकूल परिस्थितियों में भारतीय धर्मिक जिस तन्मयता से काम करते हैं, वह सराहनीय है।

8. निम्न जीवन स्तर (Low standard of living) : भारतीय धर्मिक प्रात काल से जागकाल तक कठिन परिवर्तन करता है। एसी-धोटी का पसीना एक दर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती, न उसे भर पेट व पीटिक भोजन मिल पाता है और न पहनने के लिये पर्याप्त वस्त्र। रहने के लिए शब्दी बहितयों में छोटी-छोटी कोठरिया होती है, जिनमें दिन को भी अधेरा आया रहता है। सम्भार के बायव ही किसी देश के धर्मिकों की हिति इससे अधिक दूर नहीं होती। निम्न जीवन-स्तर उनकी कार्यक्षमता पर बुरा असर डालती है और परिणामस्वरूप वह भी विर्द्धनका की ओर बढ़ जाता है।

9. प्रासीद प्रकृति (Bursal Nature) : यद्यपि भारतीय धर्मिक अब नयरों में विप्राह करते हैं, उथापि प्रकृति ऐसी वह भी देहाती है। उनका खाल-पान,

रहन-नहन, बोल चाल सभी ग्रामीण हैं। तियि त्यौहारों व मामाजिक उत्सवों में वे जपने ही लोकगीत गाते हैं और लोकनृत्यों में भाग लेते हैं।

10 लोकोमिक श्रमिकों को को अपेक्षाकृत कमी (Relatively Small Number of Industrial Workers) : भारतवर्ष की कुल जनसंख्या में लोकोपिक श्रमिकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। भारत कृषि-प्रदान देश है। उद्योगों का विकास जमी पूरी तरह नहीं ही पाने के कारण वटे उद्योगों में ऐसे हुये श्रमिकों का अनुपात ज्ञान भी कार्यशील जनसंख्या के 4 या 5 प्रतिशत से लघिक नहीं है।

11 गतिशीलता का अभाव (Lack of Mobility) : भारतीय श्रमिक एक अवधारणा से दूसरे अवधारणा तथा एक स्थान से दूसरे रूपान को जाने में अपने की अक्षमत्य पाता है। परिणामस्वरूप उसे विचित्र पुरुषकार नहीं मिल पाता। जबक स्थान से प्रम, बिधिका, भाषा सम्बन्धी भिन्नता, निर्वनता, धारायात के साथनों की कमी जाहि कारण अपनी गतिशीलता को घटाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय श्रमिकों की जो दशा कल थी, वह जाज नहीं है और जो जाज है, वह सम्भवत कल नहीं होगी। इतनवत्ता प्राप्ति के बाद से भारतीय श्रमिकों की दशा में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। आशा है कि अगले 5-10 वर्षों में भारतीय श्रमिक सम्पर्क के किसी भी देश के श्रमिक के समान उत्तिशील हो जायेगा।

भारतीय श्रमिक की कार्य-कुशलता

श्रमिक की कार्य-कुशलता से आशा यह है कि एक श्रमिक में एक निश्चित समय में एक विशेष प्रकार की वस्तु का कितना उत्पादन जितनी अच्छी तरह कर सके की धारित है। कार्य-कुशलता नापेश (relative) होती है, भारतीय श्रमिक के बारे में प्राप्त यह कहा जाना है कि वह सापेक्षाकृत कम कार्य-कुशल है। सर अलेक्जेंडर मैक-रोबर्ट (Sir Alexander Mac Robert) के अनुसार एक अद्येत श्रमिक, एक भारतीय श्रमिक की वर्षता 35 ग्रना ब्रिक कार्य करने की क्षमता रहता है। थोक्सीमेंट सिम्पसन (Clement Simpson) के अनुसार लकड़ाशयर के सूती वस्त्र उच्चोग का एक श्रमिक भारतीय सूती-वस्त्र उत्पादन में काम करने काले 267 श्रमिकों की कार्य-कुशलता के बराबर है। शाही अपनी वायोग के अनुसार कोयला ज्ञान उच्चोग में प्रति श्रमिक कीवड़े का वायिक उत्पादन अमेरिका में 780 टन, इंग्लैण्ड में 250 टन, द्राम्बदल में 426 टन है, जबकि भारत में केवल 131 टन ही है। ऐसा कहा जाता है कि जापान के कपड़े के कारखाने में एक श्रमिक 240 तकुवी, इण्डिय में 540 से 600 तकुवी तथा अमेरिका में 1120 तकुवी की देखभाल करता है, लेकिन भारत एक मजदूर केवल 180 तकुवी की देखभाल करता है। एक कपड़ा बूनने

चाला इंग्लैंड में 4 से 6 खड़ियों, अमेरिका में 9 खड़ियों लेकिन भारत में 2 केवल खड़ियों की देखभाल करता है।

उम्मेपक्त विवेचन से पता चलता है कि भारतीय अमिक की कार्यक्रमता इमेलेंड बगदा अमेरिका के अमिक की तुलना में गहूत बम है। पर कुछ बिहान ऐसे भी हैं जो इन भरत को नहीं आनते। सर बामत्र हॉलैंड ने भारतीय अमिकों की श्रेष्ठता तिद्द करने का प्रयत्न किया है। इनके मतानुसार भारतीय अमिक किसी भी उद्योग में सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। द्वितीय विश्व युद्धकाल में आपे हुए, सेढी शिएट मण्डल के अनुसार, 'पेमठ सेट प्रतिदिन पाने वाले भारतीय अमिक अब्देरे बातावरण में अच्छी मशीनों का उत्पादन कर रहे थे। अम्बई के फायरस्टोन के कारखाने में भारतीय अमिक डेट्रायट (Detroit) स्थित फायरस्टोन वो कारखाने में काम करते वाले अमिकों के बराबर काम करते थे। टाटा लोहे एवं इस्पात के कारखाने में प्रति दिवानिय वो उत्पादन ज्ञानदा पिट्सबर्थ के कारखानों से कम नहीं है।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि योरोप तथा अमेरिका की तुलना में भारतीय अमिक अकुशल नहीं हैं। और यदि यह मान भी लिया जाय कि भारतीय अमिक अपेक्षाकृत अकुशल हैं तो यह उनका दोष नहीं है वरन् इसके लिए बातावरण, प्रबन्ध की अकुशलता भी असत उत्तरदायी है।

भारतीय अमिक की कार्यकुशलता कम हीने के कारण भारतीय अमिक जनजात अकुशल नहीं है। केवल परिस्थितिया ही उसे अकुशल बनाती है। ऐसे परिस्थितिया या कारण जो अमिकों को अकार्यकुशल बनाती हैं, संक्षेप में निम्नानुकूलित हैं।

1. प्रतिकूल जलवायु : भारतीय अवधायु गर्म एवं शुष्क है। अधिक गर्मी से अमिक शोष्य ही अकान महसूस करते जाते हैं। गर्म जलवायु अमिक की कार्यक्रमता को भी कम कर देती है।

2. कार्य के घट्टों की अविकल्प भारतीय अमिक को प्रतिकूल जलवायु से अधिक पर्दे काम करना पड़ता है। योरोप के अनेक देशों में जलवायु की अनुकूलता के बावजूद भी अमिकों द्वारा अधिक पर्दे काम नहीं लिया जाता। अधिक पर्दे तक काम करते-करते अमिक घक कर चुर हो जाता है और उसकी कार्यकुशलता कम हो जाती है।

3. प्रवासी प्रवृत्ति : भारतीय अमिक एक स्थान या एक कारखाने में जल कर काम नहीं करते जिससे उनकी कार्यकुशलता घट जाती है। (इस सम्बन्ध में पहले प्रकाश दाला जा चुका है।)

4. रहन-सहन का नोचा स्तर : भारतीय अमिक के रहन-सहन का स्तर अत्यन्त निम्न है। दो और्ध्विक पदार्थों को कीन करे, तापावरण भोवन भी भर देट

नहीं मिल पाता। स्वामिक है कि हुबंल अमिक की कार्यक्षमता अपेक्षाकृत कम होती है।

5 शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं की कमी भारतीय अमिकों में सामाजिक तकनीकी, दोनों प्रकार की शिक्षा का अभाव पाया जाता है। वे नई-नई मशीनों के प्रयोग तथा नई-नई विधियों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं जिसके अभाव में उनकी कुशलता का विकास नहीं होता।

6 प्रतिकूल कार्य की दशायें भारतवर्ष के विधिकाश कारबानों में सकारी, योशी, तापकम, धाक दानी, बाराम आदि की सुविधाएँ सतीयजनक नहीं हैं। इन प्रतिकूल दशाओं में कार्य करने से अमिक का स्वास्थ्य गिर जाता है और कार्यक्षमता भी कम हो जाती है।

7 प्रब्रह्म की अकुशलता भारतीय उच्चोच्चतियों में प्राप्त दूरदर्शिता की अभाव पाया जाता है। वे अमिकों से काम लेना गहरी जानते। उगड़ा अपवाहर भी तहानुभूतिपूर्ण नहीं होता। अमिकों में वे उत्तरवादित की भावना भरने में रुद्दि ही असमर्थ रहे हैं कलश्वरण अमिकों की कार्यकुशलता कम है।

8 कल्याणकारी कार्यों का अभाव अमिकों के बावास तथा कल्याण के क्षेत्र में बहुत कम काम किया गया है। कल्याणकारी कार्यों से यमिकों की कार्यकुशलता बढ़ती है और इनके ब्रह्माव में कार्यक्षमता का ह्रास होता है।

9 महत्वाकांक्षा का अभाव, पहल्वानाओं होने पर व्यविन में काम के प्रति रुचि पैदा होनी है तथा वह कुशलनापूर्वक हार्य करता है। भारतीय अमिक दूरदर्शिता भाव्यदादी है। उसमें महत्वाकांक्षा का अभाव है। कलश्वरण उसकी कार्यक्षमता भी कम है।

10 प्रतिकूल की स्वल्पता भारतीय अमिकों को उष्ट्री मेहनत का नाबोधित पुरस्कार नहीं मिलता। कारखानों में वास करने वाले कुछ उच्च पदविकारी हजारों रुपय मतिज जेलन पाते हैं, जबकि अमिक कठो मेहनत के वाष्पन्दी भी जापर्याति बेरन पाते हैं। अत उनकी कार्यक्षमता कम हो जानी है। प्रतिकूल की स्वल्पता एक और उनका काम के प्रति जर्माह कम बरनी है तथा दूषरी ओर उन्हें उचित रहन सहन का स्वर प्रदान नहीं करती।

11 अन्य कारण उपरोक्त कारणों के अतिरेकन कई और कारण भी हैं जो अमिकों की कार्यक्षमता घटाते हैं, जैसे यमिकों की छह-प्रस्तुता, दोषपूर्ण भर्ती प्रवाली, पुरानी व घिसी-पिटी मशीनों का प्रयोग, आदि।

मुमाद : इस प्रकार हम देखते हैं भारतीय अमिकों की कार्यक्षमता परिस्थिति-वश निरी हुई है। यदि इन परिस्थितियों में मुकाबले कर दिया जाव, तो भारतीय

अमिक की कार्यक्षमता बढ़ सकती है। भारतीय अमिकों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये ये सुधार महत्वपूर्ण हैं—(i) खोजन, वस्त्र, निदान तथा कार्यक्षमता को बढ़ाने वाली जन्म सुविदाओं की व्यवस्था, (ii) सामान्य व तकनीकी रिशा की व्यवस्था, (iii) कारसानों में कार्य करने की दशाप्रो में एवा वानरिक प्रबन्ध में आमूल परिवर्तन करके इन्हें सुधारना, (iv) नये व अच्छे औजारों व मशीनों की व्यवस्था, (v) सामाजिक सुरक्षा व आग बल्याल कार्यों का विस्तार, (vi) कार्य का उचित विभाजन एवं कार्यों की व्यवस्था में कमी, (vii) भर्ती के दोषों को दूर करने की व्यवस्था, (viii) अधिकों की अप्रग्रतता को तमाज़ करना, (ix) अमिकों के स्वारचय की ओर ध्यान देना, (x) अधिकों का नैतिक व शिक्षित विकास करना, तथा (xi) अधिक उत्पादन करने के लिए कई प्रकार के प्रोटोकॉल प्रदान करना जैसे उत्पादन के अनुसार मण्डूरी बाति।

जैसा कि पहले कहा चुका है अमिकों की कार्यक्षमता में कमी जल्दी बात नहीं है। अपितु परिस्थितियों द्वारा प्रतिकूलता के कारण है। समयानुसार सुधार पाकर जब ये परिस्थितियां अनुकूल हो जायेंगी, अमिकों की कार्यक्षमता भी बढ़ जायेगी। इस सम्बन्ध में अमिकों समिति के विमानाकृत विचार उल्लेखनीय हैं, “जो भी प्रकाशित प्रमाण पत्र हैं तथा जिन्होंने जीवन के दौरान हम इस विकल्प पर आये हैं कि भारतीय अमिक की तबाकियत लकार्यकृतता एक कोरी कृत्त्वा है। यदि हम अपने अधिकारों को यंसी ही कार्य करने को दरायें, सजूदी, उचित व्यवस्था, मशीनें, यथा जादि प्रदान करें जो दूसरे देशों के अमिकों को निलंबी हैं, तो भारतीय अमिकों की कार्यकृतता भी बन्ध देशों के अधिकों से कम न होनी। इतना ही नहीं, बरन् यिस पार्यं से भी याचिक यामान और रागड़ग की व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं होती, वहा भारतीय अमिक ने दूसरे देशों के अमिकों की अतेका अधिक कार्यकृतता का प्रमाण दिया है।”

प्रश्न

1. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये, भारतीय अमिकों की अकुशलता।

(राज० शी० ए० 1962)

2. भारतीय औद्योगिक अम को द्रुत विस्तारात्मक उत्पादन करने हुए यह यत्त्वात्मक विशेषताएँ उन ही आविष्कार हितति एवं कैदों प्रभावित करती हैं?

3. भारतीय अमिकों की कार्यकृतता कम बतो है? इसे बढ़ाने के लिए जात वया सुधार देंगे?

4. भारतीय अमिक की अकुशलता के कौन कौन से कारण उत्पन्न होती है?

अम की कुशलता को बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से सुधार देंगे?

(राजस्थान प्र० व० दी० शी० कला, 1969)

भारत में औद्योगिक संघर्ष

(Industrial Disputes in India)

"Laws and libraries are full of statutes and court cases and decisions on the conduct of married life, but they have not made a marriage happy and successful. This is true in industrial relations. It is just as hard and impractical to prescribe iron-bond rules of behaviour of dealings between Labour and Management, as it would be to prescribe them for husbands and wives."

— H S Kirkaldy

बौद्धिगिक संघर्ष से तात्पर्य मेवा येज़क तथा अमिको के बीच उत्पन्न होने वाले मतभेदों से है, जिनके परिणामस्वरूप हृष्टाल, ताले-बन्दी, काम भी धीमी गति, घेराव, छटनी आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक ओर अमिको के पास 'हृष्टाल' नाम का स्थानशाली वस्त्र है। अधिक इसके द्वारा उस समय तक काम बन्द कर देते हैं जब तक कि उनकी मार्ग स्वीकार न करली जाए। दूसरी ओर सेवा-योजकों के बास भी उन्ना ही अवित्तशाली वस्त्र है, जिसे नाला-बन्दी बहते हैं। ताले-बन्दी के अन्तर्गत सेवायोजक कारखानों को उस समय तक बन्द रखता है, जब तक कि अमिक उसकी सती पर काम करने की संयार नहीं हो जाते। हृष्टाल एवं ताला-बन्दी दोनों ही औद्योगिक संघर्ष के दो पहलू हैं। एक ओर ये अमिको में यह भावना पाई जाती है कि मिल मालिक उनका आपन कर रहा है और दूसरी ओर मिल मालिक यह सोचता है कि अधिक सुध उनकी सत्ता को हृषिकाना चाहते हैं। परिणामस्वरूप अमिको व मालिकों में बेमनस्य पैदा हो जाता है, जो बौद्धिगिक संघर्ष के रूप में समाज में दिखाई पड़ता है। डॉ राधाकृष्ण मुद्दों के शब्दों में, "पू. जी. बाबी उद्योग के विकास ने, जिसका क्षय योद्दे से साहसियों के बांग के हाथ में उत्पादन के साथों का नियन्त्रण हो जाता है, विश्व भर में प्रबन्ध और अम के बीच संघर्ष की बढ़ी समस्या को हमारे सम्मुख ला दिया है।"

भारत में औद्योगिक संघर्ष—ऐतिहासिक समीक्षा

भारत में औद्योगिक विकास के प्रथम चरण में कोई महत्वपूर्ण हड्डताल नहीं हुई; क्योंकि अनिक संघठित नहीं थे। 19वीं शताब्दी में सन् 1877 व सन् 1882 में कमशो एन्प्रेस मिल नागपुर सथा बम्बई की एक सूतो मिल में औद्योगिक संघर्ष हुए। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् ही अधिकों ने हड्डतालों का सहारा लेना प्रारम्भ किया। सन् 1920 में 200 हड्डतालें हुईं, जिनमें 15 लाख अधिकों ने भाग लिया। सन् 1922 में 396 हड्डतालें हुईं, जिनमें 6 लाख अधिकों ने भाग लिया। सन् 1928 में भव्यों के कारण अधिकों की मजदूरी में की जाने वाली कटौती के परिणामस्वरूप हड्डतालों की एक तहर री फैल गई, किन्तु सरकार के पास इनके निपटारे के लिए आवश्यक प्रशासनिक अवस्था का अभाव था, जिसके कारण वह हस्तक्षेप न कर सकी। सन् 1929 में याही अग जायोग नियुक्त हुआ, जिसकी रिपोर्ट ने केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों को कुछ वैधानिक कायेदाहिया करने के लिए प्रोत्ताहित किया। सन् 1930 से 1937 तक सामाज्यन औद्योगिक क्षेत्र में शान्ति थी। सन् 1937 में कायेसी अनिष्टित बनने के कारण अधिकों में वर्षे बेतना के विकास हुआ। फलस्वरूप सन् 1937 से 1942 तक कई हड्डतालें हुईं। सन् 1937 में 379 हड्डतालें हुईं, जिनमें 6 लाख 38 हजार अधिकों ने भाग लिया। सन् 1942 में 694 हड्डतालें हुईं, जिनमें 7 लाख 73 हजार अधिकों ने भाग लिया।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार ने हड्डतालों व ताले घन्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया, ताकि मुद्र के समय औद्योगिक उत्पादन के विवाद सामा के चलता रहे। इत दिनों होते वाले औद्योगिक संघर्षों को समझौता एवं अनिवार्य वचनियों द्वारा हट किया जाता था।

द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही महायादि के प्रश्न को लेकर पुन औद्योगिक संघर्षों में वृद्धि हुई। सन् 1947 में 1,800 औद्योगिक विवाद हुए, जिनमें 18 लाख अधिक प्रभावित हुए। बाद में 1951 तक अपेक्षाकृत कुछ शान्ति रही। सन् 1951 में तथा सन् 1955 में भी हड्डतालें हुईं। सन् 1955 में कानपुर के सूतो मिलों में अभिनवीकरण के प्रश्न को लेकर 80 दिनों की अम्बी हड्डताल हुई। सन् 1957 के पश्चात् संघर्षों की संख्या में कमी हुई। 1962-63 में राष्ट्रीय सुकट के कारण स्थिति कुछ शान्तिमय रही, लेकिन भारत के पाकिस्तानी आक्रमण के द्वारे उत्तर को छोड़ वर औद्योगिक सम्बन्ध 1964 व 1965 में किर रो बिघट गये। औद्योगिक विश्वासित की रिपब्लिकनिय अम्बी रोक्कारों की हुक्मना में, निर्भय दलोंमें अधिक सराद थी। सार्थकिय क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सुलना में भविक हड्डताल हुई।

भारतीय अर्थव्यवस्था

कीमतों में वृद्धि के कारण जोबन-निर्बाह कठिन हो गया तथा चीन एवं पाकिस्तानी लाइसेंसों द्वारा बैदा हुआ उत्तमाह पीरे-पीरे समाप्त होने लगा। वास्तविक गड़बूरी के क्षेत्र में, 1951 से 1963 तक के 12 वर्षों में निर्माण उद्योगों में वास्तविक मजदूरी देवल 14 प्रतिशत बढ़ी, जबकि कौशल सात तथा अन्य लालों में चाहूरिक मजदूरी त्रिमास 80 प्रतिशत तथा 29 प्रतिशत बढ़ी। इस तरह मूल्यों में वृद्धि के पालटबहर निर्माण उद्योगों में बायक करने वाला अभिक दर्ग व्यवस्था ही गया। भारतीय सावंतव्यिक दीर्घ के द्वारों में औद्योगिक अनुग्रामन महिना और थम कानूनों को उचिन हृष संकायीनित न कर सकी। 1967 में औद्योगिक विवादों में 'धराव' का भी प्राप्तुर्भव हुआ। इन सब वारधों के पछाड़ना औद्योगिक विवादों की संख्या 1967 में 2815 तथा 1968 में औद्योगिक संघर्षों की संख्या 2477 तक पहुंच गई। 1966-69 में हड्डाल, लाल बन्धी जैसे वारधों द्वारा दुल 134 लाख अवधिनों की अवृत्ति हुई।

स्वनन्धन प्राप्ति के बाद से अब तक भारतवर्ष में हुए औद्योगिक संघर्षों का अनुग्रामन नाचे दिये गये वारधों में लगाया जा सकता है —

वर्ष	औद्योगिक विवादों की संख्या	औद्योगिक विवाद में भाग लेने वाले अधिकारों की संख्या (लाखों में)	अधिकारों की हानि (लाखों में)
1947	1,811	18	166
1951	1,071	7	38
1956	1,203	9	69
1961	1,357	5	49
1966	2,226	14	138
1967	2,815	12	171
1968	2,477	12	138
1969	2,627	18	190
1970	2,829	18	205
1971	2,137	12	127

औद्योगिक संघर्षों के कारण (Causes of Industrial Disputes,

औद्योगिक संघर्ष पूर्णीवादी अर्थव्यवस्था में नालिक-मजदूरी के हितों में अन्तिरिक्ष विवेष का परिचार है। इन संघर्षों के बारज लगेक है। कुछ आर्थिक कारण हैं, कुछ लानाशिक, कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ राजनीतिक तथा कुछ प्रश्न वास्तविकी कारण हैं। ये कारण संक्षेप में अन्तिरिक्ष हैं।

(1) अधिक मजदूरी की मांग (Demand for higher wages) : अधिक संघर्षों का बदले महत्वपूर्ण कारण अधिक मजदूरी की मांग है। भारतीय नियोजक मजदूरी के सम्बन्ध में उदार नीति नहीं व्यपना सकते हैं। वे कभी मजदूरी देकर अधिक सामग्री उठाना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मजदूरी में महगाई के अनुपात में बढ़ि नहीं हुई है, कलस्वरूप वहाँ से औद्योगिक विवाद अधिक मजदूरी की मांग को सेवर हुए हैं।

(2) बोनस व महगाई भत्ते की मांग (Demand for Bonus and D.A.): बोनस मम्बन्धों मींग भी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है। मजदूरी में पह जेतना था पहुँच है कि उद्योगों के लाभ में से उन्हें भी एक हिस्सा शिलना चाहिए। इसलिए वहीं बार बोनस न मिलने व्यवहा कभी बोनस मिलने के कारण भी हड़ताल हो जाती है। बढ़ती हुई महगाई के साथ-साथ, महगाई भत्ता भी बढ़ाना चाहिए। प्रायः महगाई नो बद जाती है, परन्तु महगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाता, जिससे अधिक हड़ताल पर उतार हो जाते हैं।

(3) सुविधाओं की मांग (Demand for amenities) : कारखानों में कार्य करने वाले अधिकों को नकद भजदूरी के अतिरिक्त प्राप्त अन्य सुविधाएं देने की प्रवा चली था रही है। इन सुविधाओं से अधिकों की वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है। सेवायोजक जब इन सुविधाओं में कमी करते हैं, या इन सुविधाओं को किसी कारण-बश वापस ले लेते हैं, तो अधिकों में असतोष पैदा हो जाता है और पलस्ट्रह्य हड़ताल हो जाया करती है।

(4) काम के घण्टे (Hours of work) : फिल-मालिक अधिकों से अधिक दे अधिक घटी रुपों तक काम लेना चाहते हैं। वे समझते हैं कि इससे उनके लाभ में बढ़ि हो जायेगी। अधिकों से अधिक काम के घण्टों के प्रति असतोष पैदा हो जाता है और हड़ताल कर दिया करते हैं।

(5) कार्य की दशाएं (Conditions of work) : प्रायः कई कारखानों में काम करने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं होता। गर्दनी, ट्विच्च हवा का अभाव, खुदों की अधिकता आदि वातावरण को दृष्टिकोण से रहते हैं। कई जगह स्नानगृह, पिशाच गृह, कैंस्टीन आदि की समुचित सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती। अतः कमी कर्त्ता काम करने के स्थान के दृष्टिकोण वातावरण के कारण भी हड़ताल हो जाती है।

(6) अधिकों की छंटनी (Retrenchment) : जब कभी अधिकों को अनुशासन या अन्य कारणों से काम से निकाला जाता है तो इस बेरोजगारी के मुग में अधिकों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसके बिना वे अपनी नीकरी की रथा के लिए हड़ताल करते हैं।

(7) विवेकीकरण (Rationalisation) : बौद्धिगिक उत्पादन बढ़ाने तथा प्रित्यधिता के हिन्दिकोष से कई कारखानों में विवेकीकरण की मोड़ना लागू की गई, जिससे बहुत से अधिकों को काम में हाथ छोड़ा पड़ा। अमिको ने विवर होकर इसका विरोध करने के लिए हड्डतालें की। सन् 1955 में कानपुर के मूर्ती मिलों में इसी बात को लेकर 80 दिनों की हड्डताल हुई थी।

(8) प्रबन्धकों का दुर्बंधवाहार (III-behaviour of managers) भारतीय प्रबन्धक एवं नियोजक (Supervisors) अधिकों के साथ अनुचित एवं असम्मानपूर्ण व्यवहार करते हैं, जिसमें अधिकों के सम्मान को ठेस लगती है और ये इसके प्रतिशोध के लिए हड्डताले कर देते हैं। याही अम आयोग के अनुमार सन् 1921 से सन् 1928 हक के काल में कुल 976 संघर्ष हुये थे जिनमें से 425 संघर्ष नियोजकों के दुर्बंधवाहार से सम्बन्धित थे।

(9) अधिकों की दोषपूर्ण भर्ती प्रणाली (Defective recruitment system) : अधिकों की भर्ती भारतवर्ष में ठेकेदारों, प्रिस्टियों, जमादारों आदि विचारालियों या मध्यस्थों के हारा होती है। ये विचाराली कारखाने विशेष को, अपने बाप की मर्बेश्वरी समझते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये अधिकों का दोषज समझने दण से करते हैं। इन विचारालियों के दुर्बंधवाहार तथा दोषपूर्ण से पीड़ित होकर भी कभी-कभी अधिक हड्डतालें कर देते हैं।

(10) अम-संघों को मान्यता न देना (Non-recognition of Trade Unions) : नियोजन प्रायः अम-संघों को अपना प्रतिहानी समझते हैं और इन्हें मान्यता नहीं देते। मन्दूरों को विशेष होकर अपने संघ को मान्यता दिलाने के लिए हड्डताल करनी पड़ती है।

(11) छुटियों के लिये सम फरवा (Refusal of Leave with pay) : जब अधिकों की धार्मिक व सामाजिक अवसरों पर छुट्टी की मांग ढुकरा दी जाती है या उन्हें बेतन गहिर अवकाश नहीं दिया जाता, तो वे हड्डताल कर देते हैं।

(12) सामूहिक सोडेवाजी का अभाव (Absence of Collective Bargaining) भारतीय अधिकों व मेवा-योजकों के बीच प्रायः सम्पर्क नहीं हो पाता, अतः अधिकों की कठिनाइयों को वे समझ नहीं पाते। परिणाम यह होता है कि छोटी-छोटी बातों पर हड्डतालें हो जाती हैं, क्योंकि उन बातों को सामूहिक सोडेवाजी के बाबत में सुलझाया नहीं जा सकता।

(13) राजनीतिक कारण (Political causes) . भारतवर्ष में अधिक संघों द्वा नेतृत्व राजनीतिक नेताओं द्वारा दिया जाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए हड्डताले 91 जाती थी। आजकल अधिक अपने राज-

नैतिक नेताओं के चक्रवार में फैस कर उनके राजनीतिक स्वायों को पूरि के लिये हड़ताल कर बैठते हैं।

(14) साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव (Effect of Communism) - साम्यवादी, पूजीपति वर्ग के घट्ट शत्रु हैं। अगिको के शोषण के कारण, अमिको के द्वितीय इनका काफी प्रभाव है। ये अगिको को प्रश्न एवं लाभ में हिमा दिलाने के लिये अमिको को उत्तराते रहते हैं। नक्षत्रन साम्यवादी प्रवाव वे माय माय हमारे देश में हड़तालों की सद्या म भी नृदि हुई है।

(15) अन्य कारण (Other Causes) उन कारणों के अतिरिक्त अन्य कई और कारण भी हैं जो हड़तालों को जन्म देते रहते हैं जैसे, भारतीय अमिक संघों का विष्व-सारमह ट्रिप्टिकोण, दाम की अधिक सुरक्षा की मांग, अमिकों की अधिकाएँ भोलापन, आदि।

इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक संघर्षों के बातेक कारण हैं। इन कारणों का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर विदित हो जाता है कि सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारण अधिक कारण है। याही यम आयोग का भी यही विचार या।¹ आग वी तालिका में औद्योगिक संघर्षों का कारण के अनुसार महत्व दिखाया गया है।

कारणों के अनुसार औद्योगिक संघर्ष

कारण	1959	1960	1961	1962	1964
1 मजदूरी एवं भत्ता	27 1%	37 1%	30 4%	30 2%	34 9%
2 बोनस	10 3%	10 5%	6 9%	12 3%	7 6%
3 रोजगार एवं छटावी	29 1%	24 7%	29 3%	25 2%	27 4%
4 अवकाश एवं कार्य के घट्टे	3 7%	2 4%	3 0%	7%	2 0%
5 अन्य कारण	29 8%	25 3%	30 4%	30 6%	27 8%

ओद्योगिक संघर्षों के प्रभाव या वरिकास औद्योगिक संघर्षों से कुछ अच्छे परिणाम अवश्य निकलते हैं लेकिन सामान्यतः इसके द्वारे परिकास ही अधिक होती है। अगिको में हड़ताल के कारण एकता व सहयोग की भावना जागृत होती है, वे अपने आर्थिक द्वितीय की रक्षा कर सकते हैं तथा अपने काम की व्यक्तिगत दशाओं में सुधार करा सकते हैं। अमिकों को संवेदन छुट्टिया, काम के घट्टों में कमी आदि की।

1 "Although workers may have been influenced by persons with nationalist, communist or commercial ends to serve, we believe that there has been rarely if any importance which has not been due entirely or largely to economic reasons." —Royal Commission on Labour.

सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं। साथ ही वे प्रदानी के दुर्बलहार व शोषण ने भी बच जाते हैं। औद्योगिक संघर्षों के दबावि पर अक्षुण्णु परिणाम है, तथापि इनके मुख्यरिणाम बहुत भयकर व गम्भीर हैं। संघेप म औद्योगिक संघर्षों के बारे परिणाम गिरावटित हैं।

1 उत्पादन मे हमी जपनी दृष्टिका या तालेवनिया होती है, तब-तब उत्पादन कार्य मे दबावट पड़ती है, जिससे उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है, राष्ट्रीय आमादा व प्रति व्यक्ति वाय पट जाती है।¹

2 उपभोक्ताओं को बढ़ औद्योगिक संघर्षों के कारण, उत्पादन मे कमी हो जाने से बस्तुओं की पूर्ति पट जाती है, जिससे बस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तथा घोर बाजारी जैसी समाज विरोधी प्रवृत्तिया सक्रिय हो जाती है। उपभोक्ताओं को बस्तुओं के ऊंच मूल्य देने पड़ते हैं तथा कभी भी आवश्यक बस्तुओं का मिलना भी कठिन हो जाता है।

3 अमिको द्वारा हानि औद्योगिक सर्वे का सबसे बुरा अपर अविको पर पड़ता है। उहें हृष्टाल के समय वेतन नहीं मिलता। भजदूरी के आमादा मे उनके थ उनके अविको के स्वास्थ्य पर दुरा अपर पड़ता है। उत्तम विराजा की भावना पैदा होती है तथा अनेकियता के दबाव लगती है। अमिको को कमी-कभी लाठियो व गोलियो का भी सामना करना पड़ता है। असफल हृष्टालें से और भी अधिक चारक होती है, क्योंकि इनके परिणामस्वरूप अमिको की जाने संगठन के प्रति आत्मा कम हो जाती है।

4 उद्योगरक्तियों को हानि उद्योगरक्ति हृष्टाल या तालेवनी के द्वारा दान नहीं करा पाते। यही नहीं, उन्हें सहायक खर्च, जैसे-कारखाना भवन का किराया, पू की पर व्याज, ऊन परी पर काग करने वाले कर्मचारियों का वेतन आदि भी देना हो पड़ता है। इतना बिना लाभ प्राप्त किये, इन व्ययों के कारण उनकी हानि मे बूढ़ि हो जाती है।

5 सामाजिक दातावरण वा दूषित होना हृष्टालों व तालेवनियों के फल-स्वरूप सामाजिक दातावरण दूषित हो जाता है। समाज मे अविविष्टता का दाता-

1. "When labour and equipment in the whole or many part of an industry are rendered idle by a strike or lockout, national dividend must suffer in a way that injures economic welfare."

— Pigou, Economics of Welfare, P. 411

वरण तथा जनसाधारण में असुरक्षा की सामना पैदा होती है। कई दिनों तक कफ्टूँ लगने से सारा जन-जीवन टप्प हो जाता है।¹

6. उद्योगों में अनुशासन व्यवस्थाएँ का समाप्त हो जाता : हड्डताल भवित्व लक्षण में अनुशासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है। दगे फ्रांस, सार्थीट वा असामाजिक बातावरण पैदा हो जाता है। औद्योगिक होत्र में चारों ओर उचल-धुण्डल व अशान्ति फैल जाती है। असामाजिक तत्त्व औद्योगिक अशान्ति का लाभ उठाकर अर्द-जकता का वालायरण पैदा कर देते हैं।

7. जनसाधारण को कष्ट : रेल, डाक-पार, पानी, विजली आदि से सम्बन्धित सूक्ष्याएँ में हड्डताल हो जाने के कारण जनसाधारण का दैनिक जीवन कष्टमय हो जाता है, वयोंकि ये जीवन के लिए आवश्यक सेवाएँ हैं और इनके अभाव में जनसाधारण का दैनिक जीवन गहर-धरत हो जाता है।

8. सरकार को हानि . औद्योगिक संघर्ष में सरकार को भी हानि व असुविधाएँ का सामना करना पड़ता है। एक ओर तो देश में अशान्ति फैलती है, जिसे रोकने के लिए इसे काफी ध्येयस्था करनी पड़ती है। दूसरी ओर उत्पादन कम हो जाने के कारण कर के रूप में मिलने वाली क्षापदनी घट जाती है। कई बार हड्डतालें व तालेबन्दिया इन्हीं गम्भीर स्थिति पैदा कर देती हैं कि सरकार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक शगडों से अमिक, मालिक तथा राष्ट्र को अपार जाधिक क्षति होती है। इससे देश की जारीक व्रगति को भारी धक्का पहुँचता है। श्री लालनू भाई देशाई के शगडों में "ध्येयक महाभिकार पर आधारित धनतंत्र में; हड्डतालें व तालेबन्दिया, न केवल कालातीत ही गई है, बरन् वे जिन सदैशपो के लिए प्रपुवड की जाती हैं, उनके लिए भी हातिप्रब हैं।"² श्री हॉम्सन के विचार भी इस सम्बन्ध में महतवपूर्ण व ललेतीरीय हैं, "हड्डताल और तालेबन्दी का अधिकार बिलकुल ही खत्म कर देना चाहिए। यह जन्यायपूर्ण है, वयोंकि औद्योगिक संघर्ष की दशा में यह दानित के प्रयोग पर निर्भर है। अमिकों की दुर्दशा के सदर्भ में

1. "Often the strike menaces the public safety, infringes upon property rights and becomes malicious in its effects, if not in its purpose."

Caitlin 'The Labour problems, p. 416

2. "In a democracy based on franchise, strikes and lockouts have not only become outdated but are positively harmful for the very purpose for which they are used"

यह अमानवीय है। यह धम और पूँजी के साधनों का व्यवधाप है। यह मुश्ता को कन्स देता है, अतः घृणित है। खूँकि यह समाज में अस्त्यवस्तुता देवा करता है, इसलिए यह असामाजिक है।¹

बोद्धोगिक भ्रादो की रोकथाम (Prevention of Industrial Disputes)

बोद्धोगिक सघयों की रोक "य उनके उपचार से बेहतर होती है, जब उनके उपचार से बेहतर होती है, जब मजदूरों और मालिकों में सघयों की नीति ही न आये, हमें ऐसे प्रयासों पर विचार करना चाहिए। भारत सरकार ने भी इसी दिशा में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जो तिमालिनित हैं।

1. कारखाना समितियों का गठन (Formation of Works Committees): कारखाना समितियों में सेवायोदयकों एवं अमिकों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि होते हैं। इन समितियों के मुद्द्य दार्ये सेवा योजनों और अमिकों के मध्य सांति एवं सोहाइट्यों सम्बन्धी की बढ़ावा देना, पारस्परिक हितों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करना तथा ऐसे यामलों के सम्बन्ध में यदि कोई गम्भीर मतभेद हो तो उसे मुल्काने का प्रयत्न करना है। इन समितियों में अमिकों के प्रतिनिधियों द्वा चुनाव उनके अधिक एथों से वरामर्द लेतार किया जाता है। सरकार ऐसे बोद्धोगिक प्रतिष्ठानों को दिनमें 100 से अधिक अविन काम करते हैं, इन कार्य समितियों के गठन का आदेश दे सकती है।

2. धम कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति (Appointment of Labour Welfare Officers) बोद्धोगिक सघयों की रोकने एवं अमिकों की विकायतों को कारखाने के बाहर ही दूर करने में अधिक कल्याण अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी कारखाने में धम कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गयी है, जहा 500 या इससे अधिक अमिक कार्य करते हो। उन कारखानों में जहा धम कल्याण अधिकारियों ने सफलता एवं प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य किया है, बीडीनिक नीति को बढ़ावा मिला है।

1. "The absolute right to lock out or to strike must go. It is unjust, in that it is an appeal to force, in a matter of disputed right, it is injurious, because of the misery it causes to the workers, it is wasteful of the resources of capital and labour, it is wicked because it stirs up hate. It is anti-social, in that it divides and disrupts the solidarity of the community."

J. A. Hobson, *The Condition of Industrial Peace*, p. 30

३ शक्ति एवं अधिकाराली अधिकार संघ (Strong Trade Unionism) :- एवं स्वस्थ एवं शक्तिशाली अधिक संघ, जो प्रजातात्त्विक ढंग से चलाया जा रहा हो तथा जिसे नियोजकों द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो, औद्योगिक जनरल डो कम करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मिल मालिकों एवं सरकार को यह बात पूर्णतया भाननी होशी कि मजदूर संघ आज के औद्योगिक समाज की एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सत्त्वा है और देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपर देश से औद्योगिक याति बनाये रखने के लिए एक स्वस्थ एवं सुवल अधिक मध्य भागीदार अनिवार्य है। मिल मालिकों को अधिक सुधों के प्रति अपनी हीष भावना का उपाय करना चाहिए तथा उसे उचित सम्मान एवं मान्यता प्रदान करने चाहिए।

४ सम्युक्त प्रबन्ध परिषद (Joint Management Councils) :- सन् 1948 की औद्योगिक नीति प्रराख के अन्तर्गत उद्योगों के प्रबन्ध में अधिकों के महयोग की महत्वा को स्वीकार किया गया है। कल्पनात्मक संघों में सम्युक्त प्रबन्ध परिषद (Joint Management Councils) समठित की गई है। इनमें नियोजकों व अधिकों के प्रतिनिधि होते हैं। इन परिषदों में प्रतिनिधित्व पाने के कारण अधिक अपने को कारबाने का भागीदार समझने लगता है। इन परिषदों का लक्ष्य यह है कि धीरे-धीरे अधिकों को प्रबन्ध प्रबन्ध में भाग लेने को श्रीसाहित किया जाए एका करने से अधिकों व उद्योगपतियों के बीच सद्भावना का विकास होगा तथा अधिक औद्योगिक ध्यानित को बनाये रखने में योगेष्ट रहेगा। इस समय ११ इकाइयों में, ३६ सावधानिक लेन्ड व ६१ नियों छेत्र में—सम्युक्त प्रबन्ध परिषदे काम कर रही हैं।

५ वैलिंग विवादन या पच नियंत्रण (Voluntary Arbitration) :- एन्जिनियर विवादन या पचनीयंत्रण में दोनों पक्ष, सर्वेष्टम अपने मतभेदों को आपस में सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें असमझ होने पर स्वस्थ एवं समझोताकार या पक्ष के माध्यम से दोनों को सुलझाने की व्यवस्था की जाती है। यदि इसमें भी व्यवस्थाना ही मिलती है तो दोनों पक्षों का अपना गायत्रा एक विवादक के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसका नियंत्रण दोनों पक्षों को अनियावर्त स्वीकार करता पड़ता है। अमेरिका की INTUC (भारतीय रोब्टीय कारप अधिक संघ) का यह है कि वैलिंग विवादन यूनियनों द्वारा औद्योगिक सम्पर्कों को कम करते, तथा व्यापारों को रोकने का सर्वोत्तम साधन है।

६ अनुकासन सहिता (The Voluntary Code of Discipline) :- सन् 1957 के 15वें भारतीय अधिक सम्मलन ने एक औद्योगिक अनुकासन सहिता बनाई, जिसे सन् 1958 में लागू किया गया। इस सहिता का लक्ष्य मालिकों पृष्ठ मजदूरों पर एकित्तक दबाव दालना है जिसे अपने समर्त द्वारा पारस्परिक बातों, समझोता

बीर एंचिल्ड के विवाचन द्वारा निपटायेंगे। इस सहित के बहुतांतर निम्न बातों पर जोर दिया गया है-

(1) नोटिस दिये बिना हड्डाल या तालेबन्दी न की जाय।

(2) जिसी भी औद्योगिक मामले में एक तरफ़ा कार्यवाही न की जाय।

(3) 'कार्य छीरे करो' नीति का सहारा न लिया जाय।

(4) बारतीने की सम्पत्ति को जानवृत्त कर क्षति न पहुँचाई जाय।

(5) हिंसा, घम्फी, उत्साह एवं शारदाने के लिए भटकाने के कार्य न किये जायें।

(6) औद्योगिक संघर्षों को निपटाने के हेतु यत्नमान व्यवस्था का पूर्णतया उपयोग किया जाय।

(7) निर्णय एवं समझौतों को शोधाविधीय कार्यान्वयन दिया जाय।

(8) ऐसा कोई कार्य न किया जाय जिसमें औद्योगिक सम्बन्धों में दिग्गज हो।

उपर्युक्त अनुदामन सहित को पुष्टि थम के प्रमुख केन्द्रीय संगठनों एवं सेवायोजकों के सभी प्रमुख संगठनों ने कर दी है। इससे औद्योगिक शास्ति के लिए अनुकूल बाह्यवरण का निर्माण हुआ है, जिससे सन् 1958 के पश्चात् औद्योगिक संघर्षों में कमी हुई है।

7 संयुक्त विचार-विमर्श सम्बल (Joint Consultative Board), संयुक्त विचार-विमर्श द्वारा एक पक्ष दूसरे के दृष्टिकोण से भौतिकात्तिपरिवर्त हो जाता है तथा एक दूसरे की रक्खनामक आलोचना करने का अध्ययर दोनों पक्षों को प्राप्त हो जाता है। फलस्वरूप पारस्परिक द्वेष व सदैह की भावना समाप्त हो जाती है। मिलजूल कर पारस्परिक विचार-विमर्श से जो निर्णय लिये जाते हैं, उन्हें आसानी से कार्य रूप में परिवित किया जा सकता है। योरोप में इता प्रथा ने औद्योगिक शान्ति बनाये रखने में काफी योगदान दिया है। भारतवर्ष में सन् 1952 में केन्द्रीय सरकार ने Joint Consultative Board of Industry and Labour की स्थापना एक निपक्षीय समिति के रूप में की। सन् 1954 में इसे द्विपक्षीय समिति का रूप दिया गया। अब यह समिति राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक संघर्षों को दूर करने के लिए प्रयत्न कर रही है।

8. सामूहिक सोसेकारी (Collective Bargaining) अधिक संघों एवं नियोजकों के बीच सामूहिक सोसेकारी की विधि औद्योगिक, सेवा अवकाश राष्ट्रीय या किसी भी तरर पर भावनायी जा सकती है। इसमें मजदूरी की दरों, कार्य के घट्ठी तथा अन्य सम्बन्धीय मापदंडों पर दो पक्षों के बीच सोसेकारी के द्वारा फैला कर लिया जाता है, ताकि यन-मुद्राव या संघर्ष के कारण दूर हो जाए। इससे पारस्परिक

तनाव कम हो जाता है तथा उच्चोगपत्रियों व अधिकों को लाभ पहुँचता है। जिन उद्योगों में सामूहिक सौदेकारी की व्यवस्था है, वहा अमिक संघ अपने उत्तरदायित्व को समझते लगते हैं। बाबई, अहमदाबाद एवं जमशेदपुर तथा अन्य जिन नगरों में सामूहिक समझौते हुए हैं, वहा औद्योगिक शांति के लिए वृत्त्युक्त बांदावरण तंयार हुआ है।

9 मूल्यांकन एवं फ़िसान्ड्यन समितियाँ (Implementation and Evaluation Committee) . कमीनभी निर्णयों एवं समझौतों को उचित रूप से लागू न करने पर उच्चोगपत्रियों एवं अधिकों के मध्य तनाव पैदा हो जाता है। 1958 म अब एवं रोजगार मन्त्रालय ने एक केन्द्रीय मूल्यांकन एवं किरान्दयन समिति बनाई जिसमें मालिकों व अधिकों के 4-4 प्रतिनिधि तथा 4 सरकारी प्रतिनिधि रखे गये हैं। कुछ प्रान्तों में भी ऐसी समितियाँ बनाई गयी हैं। ये समितियाँ निर्णयों एवं समझौतों के पालन में जुटि का पता बलने पर सम्बन्धित पक्ष का ध्यान आकर्षित करती हैं तथा उन्हें दूर करने के लिए बनुरोध करती हैं। इन समितियों से मालिकों एवं अधिकों के बीच भानिया दूर होकरी होना औद्योगिक शांति व श्रीहान मिलेगा।

10 मजदूरी संघर्ष का संगठन (Formation of Wage Boards) औद्योगिक अशांति का मूल्य कारण मजदूरी, भत्ते बोगम आदि में सम्बन्धित यांत्रे हैं। मजदूरी संघर्षकी समस्याओं को दूर करने के लिए मजदूर मण्डल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन दृष्टिकोण से विद्युतीय मजदूरी मण्डलों का मठन बहुत बहुत उपयोगी हो सकता है। प्रस्त्रीक उद्योग के लिए अलग-अलग मजदूरी मण्डल बनाये जा सकते हैं। इसमें सेवा योजनों एवं मजदूरों के प्रतिनिधि द्वारा एक स्वतंत्र वैयरमेन होता है। इनसे औद्योगिक संघर्षों को कम करने में मदद मिलती है। ये मण्डल जीवन निर्वाह व्यय, उत्तोग की व्यवस्था आदि को बेपत्ते हुए सम्बन्धित उद्योग मजदूरी के विषय में सम्पत्ति देते हैं।

11 औद्योगिक तनाव के कारण को दूर किया जाय (Removal of the causes of grievances) इसके लिए यह आवश्यक है कि तनावपूर्ण सम्बन्धों और संघर्षों के बारणों ही जान-पड़ताल ही जाय, तथा उनके उपचार खोजे जाए। योजना आयोग ने भी इस प्रकार की जाच की उपयोगिता को महत्वपूर्ण यताया है। इस सम्बन्ध में जाच का काम उन दोनों प्रकार के उदांगों में होना चाहिए जहाँ सर्वर्य कम होते हैं और जहाँ संघर्ष जटिक होते हैं। इससे सुलनात्मक व्यवस्थान होता यह ज्ञात किया जा सकेगा कि कौन सी रुग्णित औद्योगिक शांति को बढ़ावा देती है और कौनसी इसके मार्ग में बाबक है।

12 औद्योगिक शांति प्रस्ताव (Industrial Truce Resolution) . यन् 1962 में खीनी हमले के समय नवम्बर सन् 1962 में श्रीगुलजारोहाल नन्दा की

अध्यवस्था म केन्द्रीय अम संगठनों व नालिको के संगठनों की एक समा बुलाई गयी थी जिसने देश को सुरक्षा के लिए अधिकतम उत्पादन के लक्ष्यों की स्वीकार किया था और औद्योगिक शांति प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रस्ताव के स्वीकार करने से रान् 1963 में बहुत कम अम दिवसों का नुकसान हुआ और औद्योगिक शांति की स्थापना में आश्वर्यवाचक सफलता प्राप्त हुई। अब, अधिक्षय में भी ऐसी ही औद्योगिक शांति प्रस्तावों के द्वारा औद्योगिक शांति स्थापना के लिए दिल से प्रयत्न किये जाने चाहिए।

13 स्थायी अध्यादेश (Standing Orders) इस व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार रोजगार के नियम या धर्ते निश्चित कर देती है, जिनका अधिकों व सेवा-योजनों दोनों को ही पालन करना पड़ता है। इन नियमों को निश्चित कर देने से सब व्यवस्था-योजना उत्तरदायित्व निभाते हैं। फलस्वरूप औद्योगिक संघर्षों को सम्मानना करने हो जाती है।

उपर्युक्त प्रयत्न अम संघर्षों को रोकने के लिए किये जाते हैं। लेकिन यदि संघर्ष हक नहीं पाता और हक्काल या तालेबानी हो जाती है तो उसके निष्ठारे के लिए कानूनी व्यवस्था का प्रावधान है। अब अब हम, भारतवर्ष में औद्योगिक संघर्षों के निष्ठारे के लिए जो कानूनी व्यवस्था पाई जाती है, उसका अध्ययन करेंगे।

औद्योगिक विवादों का समाधान (Settlement of Industrial Disputes)

1 अम विवाद अधिनियम, 1929 (Trade Disputes Act, 1929) : भारतवर्ष में औद्योगिक संघर्षों को रोकने व उनका निष्ठारा बरतने के लिए उपयुक्त कानूनी व्यवस्था यद्युपके पहले सन् 1929 में 'व्यापारिक कानून अधिनियम, 1929' के अन्तर्गत की गयी। इस अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक संघर्षों को निष्ठाने के लिए निम्न व्यवस्था की गयी है —

1. जाच अदान्त (Court of Enquiry),
2. समझौता बोर्ड (Conciliation Board),
3. सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के लिए व्यवस्था (Provision for Public Utility Concerns)।

1 जाच अदान्त इस अदान्त का कार्य औद्योगिक झगड़े से सम्बन्धित दातों की जाच करने वाली रिपोर्ट तथा दोनों बोर्ड के सामने प्रस्तुत करना था।

2 समझौता बोर्ड इसका कार्य दोनों पक्षों की निकट लाकर परस्पर समझौता कराना होता था। समझौता बोर्ड अपने कार्य में असकलता पाने पर उसकान्वयी संघर्षों नी सूचना और अपनी रिपोर्ट दास्तार को भेज देता था।

3. सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित व्यवस्था : इस अधिनियम में सार्वजनिक हित सम्बन्धी सेवाओं पथा रेल, हाई-ट्रायर, विशुद्ध एवं जल-पूर्ति आदि में हड्डाल करने के 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह ऐसे किसी भी बौद्धोगिक झगड़ों को आईचार्जिट घोषित कर सकती है, जो सामाजिक दृष्टि से अहितकारी है।

उक्त अधिनियम की यह अनिवार्य थी कि इसमें ऐच्छिक पञ्च-तिण्य के प्रिदातों को अपनाया गया था। इस अधिनियम का दोष यह था कि इसमें जनका रोपने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार को अदालत या बोर्ड के फैसले को लागू करने के अधिकार नहीं थे। इथायी बौद्धोगिक न्यायालय के गठन का भी कोई प्रावधान नहीं था, अतः व्यवहार में यह अधिनियम प्रभावपूर्ण रिद नहीं हुआ।

उक्त अधिनियम से लग्तू 1938 में तकोधन किया गया जिसके अनुसार सरकार को समस्तीता अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार मिला। ऐसे अधिकारी बौद्धोगिक संघर्षों में मध्यस्थिता के हारा झगड़ों को निपटाने का प्रबन्ध करते थे।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय मात्र सरकार ने बौद्धोगिक शांति बनाये रखने के लिए, भारत सुरक्षा अधिनियम की पारा 81-ए के द्वारा हड्डालों व ताकेवन्दियों को अद्यतात्त्व घोषित कर दिया।

2. बौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार ने बौद्धोगिक विवाद के निपटारे के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएँ की हैं : (क) आन्तरिक व्यवस्था, तथा (ख) बाह्य व्यवस्था।

(क) आन्तरिक व्यवस्था : कार्य समितियां (Works Committees) : लग्तू अधिनियम के अन्तर्गत 100 या 100 से अधिक मजदूरों वाले कारखाने में अन्तरिक समितियों की स्थापना अनिवार्य है। इस समिति में अभिको व नियोजको के बराबर-दराबर प्रतिनिधि होते हैं। इन समितियों का उद्देश्य अभिको एवं नियोजको के मध्य देविक वीचन में उत्पन्न होने वाले थोटें-मोटे झगड़ों को रोकना है। इनका मुख्य कार्य नियोजको एवं अभिको में पारस्परिक मतभेदों को दूर करके अच्छे सम्बन्ध उत्पन्न करना है। जून 1970 के अन्त में दैनंदीय गरणार के उद्धमों में 376 कार्य-समितियां कार्य कर रही थीं।

(ख) बाह्य व्यवस्था : बौद्धोगिक संघर्ष अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत बौद्धोगिक झगड़ों के निपटारे के लिए अवलोकित व्यवस्था की गयी है :

1. समझौता अधिकारी (Conciliation Officer): इस व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार किसी विशिष्ट उद्दोग का केन्द्र के लिए एक समझौता या सुलह अधिकारी नियुक्त कर देती है। जब कभी औद्योगिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है या इसके उत्पन्न होने का मत होता है, तो इसे समझौता अधिकारी के मुपुर्दे कर दिया जाता है। समझौता अधिकारी ताब्धर की सुन्नताने का प्रयास करता है तथा उसे 14 दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट सरकार को देती पड़ती है। यदि दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है, तो दोनों पक्ष इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और वह समझौता दोनों पक्षों को मानता पड़ता है। यदि यह अपने दोनों में जरूरत हो जाता है तो वह इस बारे में सरकार को रिपोर्ट नहीं करता है, जिसमें अपनी असफलता के कारण एवं अपने द्वारा किये गये प्रयत्नों का उल्लेख करता है। तत्पश्चात् सरकार इसके को समझौता महल या जौन न्यायालय को सौंप देती है।

2. समझौता या सुलह मण्डल (Board of Conciliation) समझौता मण्डल में एक स्वतन्त्र शिक्षान तथा मामाल संस्था में दोनों दलों के दो अवकाश अधिकारी नियुक्त होते हैं। समझौता मण्डल को दो महीने के अन्दर ही समझौते के अपने प्रयत्न समाप्त करने होते हैं। इसके द्वारा किये गये समझौते दोनों पक्षों को कम से कम 6 महीने या दोनों पक्षों की सहमति से अधिक दिनों के लिए लागू होते हैं। असफलता की दशा में समझौता दोनों को अपने दोनों की रिपोर्ट सरकार को भेजनी पड़ती है।

3. जाच-न्यायालय (Court of Inquiry) समझौते वी असफलता की स्थिति में सरकार संघर्ष का मामला जाच-न्यायालय को सौंप सकती है। इस बदालत में एक या दो स्वतन्त्र व्यक्ति होते हैं। इस न्यायालय को मैचल जगटे के बारे में आवश्यक तथ्य एकत्रित करने पड़ते हैं तथा 6 महीने के भीतर ही अपनी रिपोर्ट सरकार तो देनी होती है। 6 महीने की अवधि पात्र आरम्भ करने के दिन से लगाती जाती है।

4. औद्योगिक न्यायालिकरण (Industrial Tribunal) अन्त में, सरकार जगटे पर अपना नियंत्रण देते के लिए गावला औद्योगिक ट्रियुनल को सौंप सकती है। इनमें हाइकोर्ट या जिला जज पद के दो अवकाश अधिकारी सहित एक दल के द्वारा विवाद में समर्पित दोनों पक्ष जाना जाएगा औद्योगिक न्यायालिकरण दो सौपिने के हेतु सरकार से लागु होता कर्ते या जज सरकार स्वयं ही पहले अपने नियंत्रण को सौंप देनी चाहिए, तो वह एका कर सकती है। न्यायालय का नियंत्रण दोनों दलों को मानता पड़ता है। सरकार दो 30 दिनों

के नीति इस निर्णय को अस्वीकार करने अथवा इसमें संशोधन करने का अधिकार होता है।

इन् 1947 के अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवाओं में हड्डाल के लिए हड्डाल से 6 सप्ताह फूले नोटिस देना अनिवार्य है। यदि विवाद पर विचार चल रहा है या न्यायिक कार्यदाही चालू है या निर्णय दिये हुए दो माह तकी दीते हैं, तो ऐसी अवस्था में हड्डाल अथवा दानेवदी जरूर होगी।

ओद्योगिक संघर्ष अम-जपोल अदालत अधिनियम, 1950 (Industrial Disputes Labour Appellate Courts Act, 1950) : इस अधिनियम के अन्तर्गत अधीक्षित अदालत की स्वापना व्यवस्था की गई है। इसकी स्वापना इत्तिए आवश्यक हो गई कि ओद्योगिक अदालतें विभिन्न राज्यों में परस्पर विरोधी निर्णय देने लगी। 'अधीक्षित अदालत' गजबूरी, बोनग, ग्रेन्यूटो-गुगतान व छटवारी आदि के मामलों पर अधीक्षित सुनने के लिए बनाई गयी थी।

ओद्योगिक संघर्ष (संशोधन एवं मिश्नें प्रावधान) अधिनियम, 1956 (Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provision) Act) : इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्न हैं—

१. अब 500 रुप्रतिशत पाने वाले समृद्ध व्यक्ति (टैक्सीकल कर्मचारी व प्रबन्ध करने वाले कर्मचारी आदि) 'मज़हूरों' की श्रेणी में माले जावेंगे।

२. इस अधिनियम ने 'अम अधीक्षित अदालत' को समाप्त कर दिया।

३. इस अधिनियम के अन्तर्गत ओद्योगिक न्यायाधिकरणों को बनाये रखा गया है तथा नई रास्थाये—अम न्यायालय व राष्ट्रीय न्यायाधिकरण—स्थापित की गयी है। ये दोनों संस्थायें बलग-जलग काम करेंगी। एक संस्था से दूसरी संस्था में अधीक्षित नहीं की जा सकती, किन्तु राष्ट्राधित पक्षी को हाइकोर्ट वा सुप्रीम कोर्ट में अधीक्षित करने का अधिकार है।

१. अम न्यायालय (Labour Courts) राज्य सरकारों ने इस नियम के अन्तर्गत नियोजकों के विवादात्पद अदेशों, प्रबन्धकों द्वारा विलम्बित एवं पदच्युत किये गये अधिकों, हड्डालों और खालावदी के वैधानिक या अर्थप्रानिक होने के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए, अम न्यायालय स्थापित किये गये हैं। अम न्यायालय इन विवादों के बारे में खोल्य तिर्यक करके सरकार को रिपोर्ट भेज देते हैं। ऐसे न्यायालय में केवल उन्हें न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जिन्हे कम से कम 7 वर्षों का न्यायिक अनुभव प्राप्त हो।

२. राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (National Tribunals) : राष्ट्रीय न्यायाधिकरण जी नियुक्ति के न्यूनीय सरकार द्वारा की जाती है। इन एवं विनाद माला जाते हैं।

जो या तो राष्ट्रीय यहत के होते हैं या ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित होते हैं, जो एक से अधिक राज्यों में स्थित हो। इनका निर्णय दोनों पक्षों को मानता ही पड़ता है।

सन् 1956 के अधिनियम के अन्तर्गत तीन प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की गयी है। इन तीन न्यायालयों के अतिरिक्त औद्योगिक शाहिर को बनाये रखने की जो पहले से ही व्यवस्था चली आ रही है, उन सरको मिला कर बर्तमान समय में भारत में निम्न व्यवस्थाएँ हैं-

1. वार्षि समितियां (Works Committees),
2. समझौता अधिकारी (Conciliation Officer),
3. समझौता सम्बल (Conciliation Board),
4. अधिक न्यायालय (Court of Inquiry),
5. अम न्यायालय (Labour Courts),
6. औद्योगिक न्यायाधिकरण (Industrial or State Tribunals), तथा
7. राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (National Tribunals)।

इन प्रकार बर्तमान समय में भारतवर्ष में औद्योगिक समर्थों को निवारने के लिए उपलब्ध व्यवस्था में ऐचिक समझौता (Voluntary Conciliation), मध्यस्थीता (Mediation), अनिवार्य समझौता (Compulsory Arbitration) तथा अदालती निर्णय (Adjudication) यदि सम्भवित है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में नवम्बर, 1965 में सदोघन किया गया, जिसके अन्तर्गत मजाकुरों को नोकरी से पदच्युत व पूछलता किये जाने के दिशा में और अधिक सुरक्षा प्रदान की गई तथा इसकी अवहेलना करने पर बूमिनों को और कठा कर दिया गया। जुलाई 1966 में पुनः औद्योगिक विवाद कानून में सुशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया। इसका उद्देश्य अधिक अदालतों और औद्योगिक अधिकरणों को आन्तरिक जीव के बाद ही पदच्युत के मामलों पर निर्णय देने का अधिकार प्रदान करना है।

श्री यश-नानाडासर की अध्यक्षता में छठित राष्ट्रीय अम-आपेन ने आपनी अपहृत 1969 में दी गई रिपोर्ट में औद्योगिक समर्थों को निवारने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। यहांपर्यन्त दिए गए निम्नलिखित हैं-

1. आयोग न मालिक एवं अधिकों के आपही जगह निवारने के लिए केन्द्र द्वारा प्रत्येक राज्य ने स्थायी औद्योगिक समर्थ आयोग स्थापित करन का सुझाव दिया है। यह आयोग किसी अधिक यूनियन को मान्यता दें सकेंगे और उनके उद्योग

के साथ समझौते तथा पन्न नियुक्ति आदि के बारे में निर्णय कर सकेंगे। बैन्ड्रीय वायोग राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर सम्मति प्रकट करेगा और राष्ट्रीय के वायोग राज्यीय सहकारी के होते में अवधार करेंगे।

2. आयोग ने अनिवार्य और कम अनिवार्य अथवा समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण उद्योगों में भेद किया है। समाज की उपयोगी सेवाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। इन उद्योगों में हड्डताल की अनुसत्ति नहीं दी जायेगी। कम महत्वपूर्ण आयोगों में भी तीस दिनों से अधिक हड्डताल नहीं चल सकेगी। इससे अधिक चलने पर वह आयोग हड्डताल ने हस्तक्षेप कर सकेंगे और कोई न कोई विषय देंगे। दोनों यदों को वह निर्णय माननीय होगा। इस रिफारिश को अमल में लाने के लिए यह आवश्यक है कि सब भजदरन्दण इन निर्णयों को अधिकार करें और इनके विरुद्ध कोई आचरण न करें। इस रिफारिश के द्वारा आयोग ने अभियोग के हड्डताल करने के अधिकार को तो स्वीकार किया है, किन्तु उन्हें अधिक समय तक उद्योगों को हानि पहुंचाकर राष्ट्र की हानि करने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया है।

3. आयोग की सम्पत्ति में वहि कोई हड्डताल युक्तिसंगत नहीं है तो उस अनुदानि से अभियोगों को बेतन लेने का अधिकार नहीं होगा। तालाबन्दी युक्ति संगत न होने पर उन्हें पूर्ण बेतन लेने का अधिकार होगा।

भारत के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक धोति में शांति बनी रहे तथा अभियोगों और नियोजकों के भव्य संघर्षों की सख्ता कम से कम हो। औद्योगिक संघर्षों की जटिल जनस्था केवल नारेश्वाजी, अबचन मा भावणी से नहीं मुलज सकती। औद्योगिक संघर्षों को दूर करने के लिए हमें इन संघर्षों के प्रार्थनिक कारणों को दृढ़ निकालना होगा तथा समकानिराकरण करना होगा। हमें अभियोगों की अनेक कठिनाइयों को दूर करना होगा। उन्हें कानून द्वारा चूप नहीं किया जा सकता और न ही दबाया जा सकता है। उन्हें तो उचित सज़हरी देकर, कार्य की दशायें सुधार कर और प्रबन्ध में भागीदार बना कर उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, ताकि देश के नव-निर्माण में वे तहसीं योगदान दे सकें और औद्योगिक अस्ति दूर हो सके। इस सम्बन्ध में प्री० के० एव० औद्योगिक के निवालिहित दाव बड़े महत्वपूर्ण हैं।

"यदि जनता की सरकार, जो जनता के लिए हो और जनता द्वारा शासित होती हो, अभियोगों के हितों को उपेक्षा करती है, तो उसे जनता की सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं। वस्तुतः भूसे मरने वालों से यह कहना कि तुम अपना मुँह बन्द करलो और अपने प्रति होने वाले अन्याय का विरोध न करो, केवल इसलिए कि इससे दूसरों को पोछा पहुंचती है, यन्हीं और समृद्धियाली अविजयों के सुख खेन में

बाधा पहुंचती है, भरपुर अन्यथा होता। गदि कोइ रोधी लीड पीड़ा से कराह रहा है, तो उसना पह वह कर चुप रही दिया जा सकता कि उसके बराबरे स अमरो की गाड़ी नीद म बाबा पहनी है औद्योगिक शानि की स्थापना के लिए अमिक वर्ग की पीड़ा का कारण दूर हो जाएगा और इस तर वरना होगा। अमिक वर्ग को चुप कराने स अथवा दबाना से बास रही चलेगा।¹

प्रश्न

1 Discuss industrial disputes in India. What measures have been adopted in recent years to promote industrial peace in the country? (Raj B A, 1960)

2 भारत मे औद्योगिक सघों के प्रभुत्व कारण क्या है? औद्योगिक शानि वर्ग स्थापना के लिए क्या कदम उठाया जा रहे हैं?

(बागरा बी० बाम० 1960, 61)

* 3 औद्योगिक सघ के प्रयुक्त कारणो पर प्रकाश ढालते हुए इन्ह द्वार करने के मुखाव प्रस्तुत कीजिए।

भारत में श्रम संघ आन्दोलन

(Trade Union Movement in India)

"It is only one of the great social and economic weapons, that industrial worker has to emancipate itself from its present dependence upon capitalism and to win for it, in co-operation with the other sections of toilers, complete political and economic power in modern society."

—Prof N G Ranga

जीशोलिंग काति के कलसवर्ण विशालकाय उद्योगों का जन्म हुआ, जिनमें महारो श्रमिक काम करने लगे। समाज, कलसवर्ण दो बड़ों में बढ़ गया—एक बड़े चासम्पन्न पूँजीपतियों का और दूसरा वर्ग उन लोगों का जो कारखानों में काम करते थे। पूँजीपतियों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उत्पादन के निरीह वर्ग—श्रमिक-वर्ग का शोषण करना प्रारम्भ कर दिया। प्रारम्भ में बहुत दिनों तक श्रमिकों ना शोषण होता रहा लेकिन कुछ समय बाद विचारकों एवं समाज सुधारकों ने श्रमिकों को शोषण से अपनी रक्षा करने के लिए समझित होने को कहा। इस सम्बन्ध में आधुनिक समाजबाद के प्रवर्तक वाले मानसं का माम उल्लेखनीय है, जिन्होंने मसार के श्रमिकों को सम्बोधित करते हुए कहा, "विश्व के श्रमिकों समझित हो जाओ, तुम्हें अपनी जजीर (दासता की) के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है।"

बहुत समार भर में जहाँ भी भी श्रमिक बहुत बड़ी राह पर कारखानों में काम करते थे, उन्होंने शोषण से अपनी रक्षा करने के लिए अपने समृद्ध बनाए। इस प्रकार समार के विभिन्न देशों में श्रमिक संघों का उद्भव एवं विकास हुआ।

श्रम संघ की परिभाषा श्रम संघ श्रमिकों का मन्त्रज्ञ है, जो उद्योगपतियों ने शोषण में बचने तथा श्रमिकों के अधिकारों व हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनाए जाते

है। सिंडी व वेद के शब्दों में “अधिक भव अभिकों के ऐसे स्थायी समाज को कहते हैं जिसका उद्देश्य काम की दशाओं को बनाए रखना और सुधारना होता है।”¹

प्रसिद्ध थम सघ नेता एवं भारत के बत्तमान राष्ट्रपति श्री बी० यो० गिरि ने थम सघ को इस फ़क़ार परिभाषित किया है, “थम सघ अभिकों के ऐच्छिक रागठन है जो सगठित कार्य द्वारा अभिकों के आधिक हितों की रक्षा तथा सुधार हेतु बनाए जाते हैं।”²

थम सघ के उद्देश्य, अभिक सघ के उद्देश्यों के सम्बन्ध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मात्रमें व एजिला के बनुमार थम सघ पूजीवादी को उद्घाट फौहने, शासन सत्ता हृषियावै तथा वर्गहीन समाज बनाने के साधन हैं। सिंडी व वेद थम सघों को उद्योग के क्षेत्र में जनतन्त्र के सिद्धान्त को केलाने की साधन मानते हैं। साधारणत अभिक भव निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सगठित किए जाते हैं :

(1) अभिक एवं मालिक के बीच अच्छे सम्बन्धों को बनाने के लिए, जिससे औद्योगिक सान्ति बनी रह सके, (2) अभिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए; (3) अभिकों ने पारस्परिक भेद भाव समाप्त करने तथा उनमें भाई-बारे की भावना पैदा करने के लिए, जिससे अभिकों में आपसी सहयोग की भावना बढ़ सके, (4) कठिनाइयों के समय अभिकों का व्यापक-दर्शन करने, उन्हे मदाह देने तथा हृष्टिनार्या वीमारी के समय उनकी अधिक यहायकता करने के लिए, (5) अभिकों के कार्य करने के लिए, यजद्दुरी की दरें तथा कार्य के द्यावत के बाताबरण को सुधारने के लिए; (6) अगिकी व उनके परिवार के मदस्यों के सामाजिक, आर्थिक व नैतिक विकास के लिए, (7) समयानुकूल अभिकों को वेधानिक सलाह देने के लिए; (8) अभिकों के लिए हितकर योजनाएँ प्रारम्भ करने के लिए जैसे बहुकारी बाज़, बिक्री, चिकित्सा एवं मनोरक्षण की सुविधाएँ आदि। (9) अभिकों को इस योग्य बनाने के लिए कि वे उद्योगपतियों से स्विन व बराबर के स्तर पर सौदा-कर सकें; (10) औद्योगिक संघर्ष के समय मरकिहो से मिठहर डमका समाधान बराने के लिए तथा समाधान के अनुकूल होने पर हड्डिल की धौपणा करने तथा उसे सफलतापूर्वक

1. “A continuous association of wage-earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of their working.”

— Sidney and Webb

2. “Trade Unions are voluntary organisations of workers formed to promote and protect their interest by collective actions.”

— V. I. Giri.

दलाने के लिए, (11) अमिकों में कार्य के प्रति निष्ठा एवं बनुशासन पैदा करने के लिए, (12) अमिकों को उद्योगों के इवांड में हित्सा दिलाने का प्रयाप्त करने के लिए।

अम संघों के कार्य अम संघों के कार्यों को तीन भागों में बाटा जा सकता है-

- 1 आन्तरिक कार्य,
2. बाहरी कार्य, तथा
- 3 राजनीतिक कार्य।

1 आन्तरिक कार्य औद्योगिक संस्थानों के अंदर अभिक सभ अमिकों के हितों की रक्षा के लिए जो कार्य करते हैं, वे आन्तरिक कार्य कहे जाते हैं। उचित समझौते दिलाना, काम के घटे कम करना, प्रबन्ध में अमिकों को हित्सा दिलाना, उद्योग के लाभ में अमिकों को हित्सा दिलाना आदि कार्य आन्तरिक कार्य कहे जाते हैं।

2 बाहरी कार्य अमिकों के कल्याण के लिए अम समठनों द्वारा कार्य करने के स्थान के बाहर जो कार्य किये जाते हैं उह हे बाहरी कार्य कहते हैं। अमिकों की कार्यकुशलता दराने के लिए उनके निवाय स्थानों की सफाई की व्यवस्था करने के लिए तथा उनमें एकता, बनुशासन, बाराम-सम्मान व ईमानदारी की भावना भरने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, बाहरी कार्य कहलाते हैं। इन दार्थों में हड़ताल व तालेबादी के सभी लायिक सहायता, डचों की शिक्षा, प्रोड शिक्षा, पुस्तकालय एवं दावतालयों की व्यवस्था तथा अमिकों के लिए मनोरवन सम्बन्धी किये गये सभी कार्य वा जाते हैं।

3 राजनीतिक कार्य दर्शनालय मुख के अमिक सभ राजनीतिक कार्यों की ओर भी विशेष धृति रखते हैं। सदस्यों को अपने अधिकारों व कांतियों के प्रति धृति रखते करना, सदाशीवता व समानता की भावना वा विवास करना, चूतावों में माझ लेकर अमिकों के लाभ के लिए आवश्यक अधिनियम बनवाना और यदि अवश्य मिले हो अमिकों की तरकार बनाना इत्यादि कार्य इस श्रेणी में जाते हैं।

भारत में अम संघ आन्दोलन की प्रगति उद्देश्य एवं विकल भारतीय अम संघ आन्दोलन को अप्पवत जो सुविधा की हाप्ति से चार कालों में विभाजित किया जा सकता है-

- 1 अम संघ आन्दोलन का प्रादुर्भाव-(1875-1900 ई० तक),
- 2 अम संघों की धीमी प्रगति का युग-(1900 से 1918 ई० तक),
- 3 अम संघों की तेज प्रगति का युग-(1918 से 1947 ई० तक), तथा
- 4 अम संघों की बर्तमान अवस्था-(1947 से वर्त तक)।

१ अम संघ आन्दोलन का प्रारुद्धिक : अन्य देशों की भावि भारतवर्ष में भी अधिक सब आन्दोलन का जन्म एवं विकास ओद्योगीकरण के परिणामस्वरूप हुआ। तब्बेपर्यम सन् 1875 ई० में दरबारी ने सोराजी की सापुरजी ने अमिको की हुईदाकी की ओर सरकार का घ्यान आकर्षित किया था। सन् 1884 ई० थी नारायण मेधाजी लोखाडे ने दरबारी के मजदूरी का एक सम्प्रेलन बुलाया था तथा उन्होंने ही सन् 1890 ई० में 'बाब्बे मिल हैप्पम ऐ कोहियेशन' की स्थापना की थी। उन 1897 ई० में रेलवे कमचारियों को एक समिति बनी। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण तक भारतवर्ष में अमिक संघों का जन्म एवं प्रारम्भिक विकास हो चुका था। इस समय के अम संघ समूचित हृष से समर्थित नहीं गे।

२ अम संघों की धीरो प्रगति का युग : सन् 1905 ई० में रवदेशी आन्दोलन के फलस्वरूप अमिकों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। फलस्वरूप विभिन्न ओद्योगिक केंद्रों में अम संघों की स्थापना हुई, जैसे सन् 1903 में 'वेट्टर्स यूनियन कलकत्ता', 1907 में 'पोस्टल यूनियन', 1909 में 'कामगार हिक्कद्वंक नसा' और 1910 में 'सोशल सर्विस लीग' आदि की स्थापना हुई। इन अमिक संघों के अतिरिक्त 'इंडियन लेइंड यूनियन', 'सोसेन यूनियन' आदि अम संघ भी समर्थित किये गये।

अध्यम विश्व युद्ध ने कीमतों के वृद्धि के फलस्वरूप उद्योगपतियों ने बहुत लाभ कमाया, लेकिन यजदूरी में बहुत बग वृद्धि की गई। परिणामस्वरूप अमिकों ने अपनी अपनी राजनीतिक भावि ने भी अमिकों को प्रोटेस्टांटिव किया तथा अम संघों के विकास के लिए उचित बातावरण देंपार किया।

इस काल में अम संघों ने केवल वैद्यानिक तरीकों पर ही घ्यान दिया। वस्तुत इस समय तक के अमिक संघ सही माने में अमिकों के संगठन नहीं थे, बरत् अमिक नेताओं के संगठन य जो समाज सुधारक होने के नाते अमिकों के कल्पाण के लिए तथा अमिकों की दला सुधारने के लिए प्रयत्नशील थे।

३ अम संघों की तेज़ प्रगति का युग प्रथम महायुद्ध के पश्चात् अमिक संघ आन्दोलन का विकास बड़ी तेजी से प्रारम्भ हुआ। सन् 1918 ई० में अवाटिया ने पद्मास के सूती-वस्त्र मिल मजदूरों को लेकर 'पद्मास अम संघ' की स्थापना की। सूती गिलों में काम करने वाले प्राय अधिकारा राजनीय अमिक इसके सदस्य बन गए। भारतवर्ष में सम्भवत औमुक सब आन्दोलन का मह पहला सफल प्रयत्न था सन् 1920 ई० से अम संघों का प्रथम अविल भारतीय स्तर पर एक संगठन बना जिसका नाम "आल इंडिया ट्रेड यूनियन कारेस" (All India Trade Union Congress) था। हन् 1922 ई० में तीन महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना हुई—

अमिक समिति, बाल इंडिया रेलवेरेन्ट फैडरेशन तथा बाल इंडिया पोस्ट प्राव्ह डलीग्राफ यूनियन ।

सन् 1921 ई० में अपालय के द्वारा 'मद्रास अम-संघ' को अवैध घोषित कार दिये जाने पर अमिक नेताओं में बसतोप की छहर फैल गई । थी एन० एम० जोशी ने विद्यालय सभा में अमिक उम्हों के लिए वैधानिक सरकार की मांग उठाई । सन् 1926 ई० में अमिक सभों को उपादेयता को समझते हुए सरकार ने अम-संघ अधिनियम पास किया तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत अमिक सभों को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई । इस अधिनियम के पारित होने से अमिक संघ विकास को बहुत बढ़ मिला ।

सन् 1928 ई० में अमिक नेताओं में फूट पड़ जाने के परिणामस्वरूप अम संघ दो बगाँ में बट गया । एक बर्ग का नेतृत्व उदाधबादियों तथा दूसरे बर्ग का नेतृत्व अम संघ अधियों के हाथ में लेता गया । इस फूट के परिणामस्वरूप अमिक आन्दोलन की यति फूछ भन्द पड़ गई । सन् 1933 में नेशनल ट्रेड यूनियन फैडरेशन (National Trade Union Federation) की स्थापना हुई जिसपे बाधायियों के अतिरिक्त अन्य येद सभी अपरुप में सम्मिलित हो गए । सन् 1924 से सन् 1934 ई० तक अमिक सभों पर साम्बद्धियों का प्रभाव छाया रहा ।

सन् 1933 ई० अमिक संघ आन्दोलन में एकता लाने की बहुत कोशिश की गई, तिन्हुं इकमें सकलता चिह्न से पहले ही इंटीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया ।

4 बर्तमान काल इंटीय विश्व-युद्ध समाप्त होने ही देख गुलामी की जड़ीरों में हमसा हमेशा के लिए मुक्त हो गया । हवतंत्रियों प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों ने अमिक उम्हों पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश की । सन् 1947 ई० में अलिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने गतवार बहलभाई पट्टल के नेतृत्व में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, (I N T U C) बनाई । सन् 1948 ई० में प्रजा मोर्शिष्ट पार्टी ने 'हिन्दू पश्चाद् समा' (H M S) की स्थापना की । यह सन् 1949 में प्रौ० के० टी० दाह के नेतृत्व में यूनाइटेड ट्रेड यूनियन बैरेस (U T U C) द्वारा स्थापना की गई । साम्बद्धादियों का बाल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर पहले से ही अधिकार [था । इसमें से सबसे बड़ी 'इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस' (I N T U C) है । यद्यपि इसकी स्थापना सन् 1947 में ही हुई तथापि अब हमका प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है तथा कोण्डीय संस्थानों की कुल सदस्यता में से आपे स भी अधिक इसके सदस्य हैं । इसके बाद साम्बद्धादियों से प्रभावित 'बाल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' (A I T U C) है जिसके लगभग २ लाख सदस्य हैं । इस समय भारत में अधिक भारतीय स्तर पर भार अमिक

समझन पाए जाते हैं, जिससे सम्बन्धित सधों की सहजता तथा जिनकी सदस्य संख्या का ज्ञान निम्नतालिका से प्राप्त हो सकता है।

अधिक भारतीय अम सधों की सदस्यता (31 मार्च 1968)

केंद्रीय उगठन का नाम	सम्बद्ध संजुटोरों की संख्या की संख्या	सदस्यता (लाल में)
1 इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन काप्स (INTUC)	1165	13 26
2 आइ इण्डिया ट्रेड यूनियन काप्स (AITUC)	1008	6 35
3 हिंद मजदूर संघ (HMS)	248	4 64
4 प्रूनाइट्रेड ट्रेड यूनियन काप्स (UTUC)	216	1 26
प्रौग्य	2637	25 51

सन् 1968 में भारतवर्ष में 584 के द्वाये अम के सध तथा 15128 अधिक सध ये जिनमें से सरकार विवरण देने वाले सधों की संख्या कमश 162 तथा 3926 थी। विवरण देने वाले इन अधिक सधों की भद्रस्य संख्या कमश 4,04,630 तथा 17,79,211 थी।

अधिक सध सम्बद्धी कानून अधिक सध सम्बद्धी प्रथम विधियम सन् 1926 ई० से बना। इसके अन्तर्गत अधिक सधों को उगठन व हड्डतान का अधिकार दिया गया। सन् 1947 ई० में इस अधिनियम में संशोधन दिया गया तथा इस संशोधन के अनुसार उच्चोपरियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वे अधिकों के सधों की मान्यता प्राप्त करें। सन् 1964 ई० में इस नियम से पुनः संशोधन हुआ, जिसके अनुसार अधिक सधों के लिए यह अधिकार कर दिया गया कि वे अपनी रिटन फैलिंग वर्पं के आधार पर भेजे जाय। ऐसे प्रक्रियाएँ को अम समठन का अधिकारी न बनाए जो नैतिक अवधारण के लिए दायित किये गये हों।

अधिकों सधों से लगभग अधिक सधों के स्वत्य समठन का प्रभाव देय के लियोगिक विकास पर बढ़ा अनुकूल फृलता है, जिससे सभी वर्गों को लाभ पहुँचता है, सकार में इस प्रकार है —

(1) अधिकों में एकता बढ़ती है, (ii) अधिकों वो उचित वेतन भत्ता विलगे लगा है, (iii) अधिकों की शोषण से रक्षा होती है, (iv) अधिकों के काम के घट्टे काम व काम की दशा सुधर जाती है, (v) अधिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं समाज कल्याण के अनेकानेक लाभ मिलने लगते हैं, (vi) अधिक सध औद्योगिक चान्ति की स्थापना में सहायक होते हैं, (vii) अधिक सध उत्पादन में वृद्धि जपा

उत्तराधिन के लक्ष्यों की प्राप्ति में महायक होते हैं, (viii) अधिक संघों की स्थापना से सभाज में अधिक वर्ग का भवर छचा डढ़ जाता है, (ix) अधिक संघ राजनीतिक दोनों में प्रगति कर अधिकों के हितार्थ कानून बनवाते हैं, (x) अधिक संघों से अधिकों की सामूहिक सौदाकारी की शक्ति बढ़ जाती है।

अधिक संघठनों से हानिपूर्ण अधिक संघों के विकास का कई लोगों ने विरोध निपाहा है, क्योंकि इनके से विकास कई प्रकार की हानियों की सम्भावना रहती है, यथा (i) अधिक संघ शाय तात्त्विक सुधार (विवेकीकरण) आदि का विरोध करते हैं, (ii) अधिक संघ हड्डालों को प्रोत्साहित करते हैं, (iii) अधिक संघों के कारण अधिकों में अनुसासनहीनता बढ़ती है, (iv) अधिकों में काप करने के प्रति उत्तराह कम हो जाता है, (v) अधिक संघ को गणितियों के कारण ही आज़-इल घराव की प्रवृत्ति से बढ़ावा पिलता है, (vi) बलू-बलू राजनीतिक दलों से सम्बन्धित होने के कारण अधिक संघ राजनीतिक लक्षाव पैदा करते हैं, (vii) विभिन्न दलों हे सम्बन्धित होने के कारण अधिक संघों में पार्टीवाजी का बोलबाला हो जाता है तथा पारस्परिक एकता सुमाप्त हो जाती है।

अधिक संघों की ऐ कमिया बरकुता हानिया नहीं बही जानी चाहिए, क्योंकि ये हानिया उसी समय दृष्टिपोकर होती है, जबकि अधिक संघ का नेतृत्व स्वार्थी व दलगत राजनीति में कहीं हुदै व्यक्तियों के हाथ में आ जाता है। संघ दात ही यह है कि एक शक्तिशाली अधिक संघ जो स्वस्य आपार-शिलापार लटा हो, हिसी भी देश के लिए बरदान रखत है।

भारतवर्ष में अधिक संघ आन्दोलन को समस्याएँ, लक्षिताद्या व दोष यथापि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् तथा मुक्त्यत इवतन्तता शाप्ति के पश्चात् अधिक संघ आन्दोलन ने हमारे देश में दड़ी प्रगति की है तथा इससे अधिकों को दड़ा माझ पहुँचा है, तो भी यदि अन्य देशों के अधिक संघों के लक्षाव की ओर देशा जाय सो एसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में अधिक संघों ने उन्होंने प्रगति नहीं की है जिन्होंने प्रगति इनसे अरेक्षित थी। इसीलिए थी रॉबर्टस (Roberts) ने कहा है, 'भारत में अधिक संघ आन्दोलन इतना सुदृढ़ नहीं है जितना उसे होना चाहिए था।' प्रतिदृष्ट अप संघ जेता वी० वी० गिरि के विचार भी कुछ इसी प्रकार के हैं, "भारत में अधिक संघ आन्दोलन अभी अन्य देशों काल में ही है।" अब अब हम भारतवर्ष में अधिक संघ आन्दोलन की विविध कठिनाइयों के दोषों का विवेचन करेंगे। संशरण में ये दोष पाकठिनाइया यस प्रकार है—

1. अधिकों की प्रवासी प्रवृत्ति भारतीय अधिक स्वभाव से प्रवासी हैं। वे दूरदूर के गाँवों से शहरों को और कारखानों में काम करने आते हैं और उन्हें जाते

है। वे व्यक्ति कामें और उद्योग भी परिवर्तित करते हैं। फलस्वरूप वह व्यमनव वे व्यापों में वयोवित आग नहीं के सकते।

2 अमिको की निर्धनता, भारतीय अमिक कम वेतन पाने के बारण निर्धन है। फलस्वरूप वह अम संघ का चम्दा देने में असमर्थ है। आवश्यक धनराशि के अभाव में अम ग्रामपंचायती वर रहते।¹ वित्तीय आधार के कमज़ोर होने के कारण अमिक गम बढ़ने की विधों एक उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाते।

3 अमिको की अशिक्षा एवं अवानता, भारतीय अमिक असितित हैं तथा अज्ञानी हैं। वे सगड़ा एवं अनुशासन के गहराव को नहीं समझते, फलस्वरूप अम सगड़ा के कामें में लचि नहीं रहते। पहीं कारण है कि हमारे अम गम उतने ज़्यादात़ी नहीं हैं जितने कि पाइनाल्टी देशों के अमिक सुध।

4 काम करने की बाधा, शहरों में अमिकों को कारखाने व् गृहस्थी के कामों में दूसरों व्यवस्था रहना पड़ता है कि सगड़ा आदि कामों के लिये उन्हें अवकाश ही नहीं मिल पाता। वे यादारात् कारखानों में 8-10 घण्टे तक काम करते आते हैं और व्या-पीकर भी जाने हैं। इस प्रकार अवकाश का अभाव भी अमिक संघों की प्रगति में बाधक सिद्ध होता है।

5 अमिकों में एकता वी भाषी भाषा, संस्कृति, रीटिनिवाज, घर्म, छान-पान, रहन-सहन आदि की विभिन्नताओं के कारण अमिकों में प्रायः पृथकता की मात्रवा पाई जाती है, जो सगड़ा के मार्ग में धारक है फलस्वरूप स्थाई अमिक संघ नहीं बन पाते।

6. बोद्धुर्जन भर्ती प्रणाली भारतवर्ष में अमिकों की भर्ती प्रायः मध्यस्थों के द्वारा होती रही है। मध्यस्थ अमिकों से पूरा आदि लेफ़र उन्हें काम दिलाते रहे हैं। पै मालिकों के प्रतिनिधि के लिये काम करते रहे हैं तथा मालिकों के दशारों पर अमिकों के संगठित होने के रास्ते में रोहा अटकते हैं। चूंकि अमिक संघों द्वारा प्रत्यक्ष अमिक भर्ती की व्यवस्था में मध्यस्थों का कार्य-व्यापार सहाय हो जाता है, इसानीए मध्यस्थों ने अपनी ल्लाम्बृति से ब्रेरिण होकर अमिक संघों के मार्ग में रोहे लटकाए हैं।

7 मालिकों का विरोध भारत में मिल मालिकों की दमन जीति भी अमिक संघों के विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा निहृ होती है। यथा सब आम्दो-

1 "Indian workers oppressed by poverty and heavy debt and receiving low wages, have neither the means to pay union subscriptions regularly nor the inclination and leisure to take part in trade union activities."

लत के प्रभावशाली बन जाने पर मालिकों को अधिकों की मात्रे मानने के लिए विचार होता पढ़ता है। फलस्वरूप वे अम संघों को उचित तथा अनुचित सभी प्रकार के साधनों से हाति पट्टवाने की कोशिश करते हैं तथा उनके विकास के मार्ग में रोड अटकाते हैं।¹

8 इच्छात्मक कार्यों का अभाव भारतीय अम संघ अभी अपनी शैशव अवस्था में होने के कारण केवल संघर्षात्मक कार्यों पर ही बल दे रहे हैं। इच्छात्मक या कल्याणकारी कार्यों लेसे विकास, चिकित्सा, अमोरजन वी और उनका व्यापक अभी नहीं मग्ना है जितके अभाव में दे अधिकों को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रहे हैं।

9 उचित नेतृत्व का अभाव भारतवर्ष अधिक मध्यों के सचालन करने वाले अधिक नेता न होकर बाहरी अवित्त हैं, जो दलभूत गजनीति में फैसे हुए हैं और अपने स्वाये की सिफ्ट के लिए अधिकों का मलत पथ-प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने एक प्रकार से अपका एकाधिकार कायम कर रखा है तथा कई अधिक संघों को एक साथ नेतृत्व करते हैं।²

10 अमताविक भावना का अभाव बहुत अधिक समय तक शोषण के लिकार रहने के फलस्वरूप, भारतीय मजदूर अपनी दशा में सुधार के प्रति उदासीन हो गए हैं। इन्हे अपने अधिकारों के प्रति सजग करना तथा इनमें जनताविक भावना का विकास करना कठिन कार्य है। इसलिए भारतवर्ष में अम संघों में जनताविक भावना का अभाव पाया जाता है। प्राय बड़े-बड़े निर्णय अधिकों की राय जाने विना ही ले लिए जाते हैं। इसलिये इन संघों को पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता।

11 पूर्णकालिक एवं यैतानिक अधिकारियों को कम्बी भारतवर्ष में अम संघ के कार्यों मा सचालन करने याले लोग अधिकों की समस्या की ओर पूरा व्यापक नहीं दे पाते, इसीकि न तो उन्हें इस कार्य के लिये वेतन मिलता है और न ही वे इस कार्य के लिए अधिक समय दे पाते हैं।

1. They first try to scoff at (the trade union movement) then try to put it down and lastly, if the movement persists to exist then recognise it.' —N. M. Joshi, Trade Union Movement in India, p. 17

2. "The leadership is interested in keeping a sort of leadership monopoly" and for that reason perhaps, it has not been able to train up new cadre of leadership that will be able to shoulder the responsibilities of trade union leadership. A good number of leaders are also handling the affairs of several unions simultaneously."

12. स्थिति तदृपता : भारतवर्ष में अम संघों का आकार बहुत छोटा है। समग्र दोन-चौदाहरि अधिक संघों की सदृपता 500 से भी कम है। ग्रामीण अधिक संघों परिधि के पूर्णतः बाहर है। नगरों में भी सभी अधिक संघों के सदृप्त नहीं हैं। कलस्वरूप अधिकों का संगठन बढ़ नहीं हो पाता तथा वित्तीय आडार भी मञ्जबूत नहीं हो पाता।

13. राजनीतिक दलों से सम्बन्ध . भारतीय अम संघ हिसी ने किसी राजनीतिक दल से सम्बन्धित है। इन दलों के विचारों में जमीन आसमान का अन्तर पाया जाता है। स्वाभाविक है कि ऐसे संगठनों से अधिकों को उचित मार्य दर्जन नहीं मिल सकता, यदोंकि वे प्रायः अपने वक्तावत् गणलोगों में ही अधिकों की छसाए रखता चाहते हैं।

14. अनेक अम संघों की समस्या : भारतवर्ष में एक ही संघोग या कारखाने ये दो या दो से अधिक अम संघ पाए जाते हैं जो परस्पर प्रतिस्पर्द्धि करते हैं। इससे सेवा नियोजकों को लाभ होता है और अधिक एकता की सति पहुचनी है। अम संघ किसी रचनात्मक कार्य को भी इसीलिये नहीं कर पाते, यदोंकि उनमें मतंक्षय नहीं होता है।¹

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवर्ष में अधिक संघों का विकासदृष्ट आवारों पर नहीं हो सका है। योजना आयोग के वटदो में, “अधिक संघों की अधिकता, राजनीतिक मतभूटाव, साधनों की कमी एवं अधिकों में एकता का व्यापक, भारत में अधिक संघ आन्दोलन की ओरात चुटियाँ हैं।”²

अम संघों के स्वस्य विकास के लिए सुझाव

भारतवर्ष में अम संघों के स्वस्य विकास के लिए निम्न सुझाव दिए जा रहे हैं :

1. एक उचोग में एक ही संगठन थी वी० बी० पिरि का सुझाव है कि एक संघोग में एक संघ’ की भावना का प्रसार किया जाए। यह उद्देश्य तभी पूरा

1. “In our country, the main difficulty in labour assuming constructive and responsible role is the one created by the existence of multiplicity of trade unions.”

Shri G. Ramaswamy—General Secretary, INTUC,AICC Economic Review, July 1, 1968

2. Multiplicity of trade unions, political rivalries, lack of resources and dissunity in the ranks of the workers are some of the major weaknesses in a number of existing unions.”

—Planning Commission, Second Five Year Plan

ही सकेगा, जबकि अमिक सदों को राजदैतिक दलवर्गी से हटकारा मिल जाए। राष्ट्रीय धम आयोग द्वारा अगस्त 1969 में दी गई अपनी रिपोर्ट में यह मह प्रकट किया है कि प्रत्येक उद्योग में उसी मूलियत को मान्यता दी जाय, जिसका उस उद्योग में बहुमत हो। जिस उद्योग में 100% व्याधिक कमन्यारी काम करते हों, अद्यता एक नियम मात्रा से व्याधिक पूँछी लगी हो। उससे बहुसंख्यक मूलियत ही व्याधिकारियों से कोई दातव्यता या समझौता कर सकेगा। यथा बल्दसल्फक यूनियन अपने सदस्यों को नियुक्ति या बर्खास्तगी आदि के कारण प्रश्नों पर ही वार्ता करेंगे। यदि आयोग के इस सुझाव को मान लिया गया तो व्याधिकारियों की बहुत सी समस्याएँ हल हो जायेंगी। इन्टक (INTUC) के जनरल सेक्यूरिटी, श्री शीरो रामानुजम का भी यही मत है कि केन्द्र में केवल एक जनितशाली धम संघ बनाया जाए जिससे सभी छोट सद सम्बन्धित हो जाया जिसका नेतृत्व एक योग्य अधिकारी द्वारा हो।¹

2 अनिवार्य सदस्यता। अमिक सद की सफलता उसके धाकार पर निर्भर पड़ती है। अत अमिक सद को प्रभावशाली बनाने के लिये यह प्रयत्न किया जाये कि सभी अमिक सदों के सदस्य हो जाएं।

3 अमिकों में विकास का प्रसार। अमिकों में विकास का प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि वे सबउन के महत्व को समझ सकें और उन्घटन के कार्य सद्वय कर सकें। जिसित हो जाने पर अमिक, धम सदों के कार्यों के प्रति उदासीन तरहेंगे वरन् व्येच्छा में संगठन कार्य में सक्रिय सहयोग देंगे।

4 योग्य नेतृत्व अधिकों का नेतृत्व जहा तक सभव हो, अमिकों के हाथ में ही होना चाहिए। अमिक नेता यदि अमिक वर्ग से ही आएं तो वे अमिकों को उचित नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे। योग्य नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण की उचित अवधार की जानी चाहिए।

5 रचनात्मक कार्यों को छोर ध्यान धम सदों को धम कल्याणकारी कार्यों के अन्य ऐसे कार्य भी करने चाहिए जिससे अमिकों का बौद्धिक, शारीरिक एवं धैर्यालिक विकास हो सके। केवल हृडताल या चेराव तक ही उन्हें अपनी नतियिधियों को सीमित नहीं रखना चाहिए।

1 It is not merely desirable but even necessary to have a single strong national centre for trade unions in the country to which all the unions at the plant level are affiliated so that the trade union movement in the country will be genuine and will have one objective, one method and one leadership which would enable them to march forward in an orderly and disciplined way taking the nation too along with it.

6. अधिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को व्यवस्था : अधिक आनंदोलन की गणकलता के लिए यह आवश्यक है कि अम सघो का सचालन करने वाले अधिकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। कलकत्ता में अम सघो के सिद्धान्तों के विषय में विज्ञा देने के लिए खोला गया एविडन ट्रेड यूनियन कालेज इस दिवाने में सही कदम है।

7. सेवायोजकों द्वारा साम्यता : सेवायोजकों ने चाहिए यि वे अग्रिम संगठनों को साम्यता देने में अलग बनें न डालें, वयोःकि स्वस्य अम संगठन सेवायोजकों के लिए भी उतना ही लाभदायक है जितना कि अधिकों के लिए। एक अस्तित्वालोकी अधिक संगठन के रूप से ब्रीडविग्निक संघर्षों में कमी आ सकती है जिससे उत्पादन ये वृद्धि होती।

8. पूर्णकालिक एवं सर्वतनिक कार्यकर्ताओं को नियुक्ति अम सघो को क्षमता कार्य नियमित रूप से उपलेने के लिए पूर्णकालिक एवं सर्वतनिक व प्रशिक्षित कार्यकर्ता रखने चाहिए जिनमें विचारन्वात्मक सत्त्वाह एवं ईमानदारी के गूण हो।

9. हड्डताल शोधो की स्वापना : प्रतिदू अधिक नेता श्री बी० बी० गिरि का गुजारा है यि अधिक सुध फलाण कीष व हड्डताल कीष विसम कि हड्डतालों के समय वे संगठन अपने सदस्यों को गार्थिक मदद दे सकें और उनका नैतिक नर दबाए रखें।

10. जनसत्र को अनुकूल बनाना : अमसघो की मध्यम-मध्य पर अपनी गतिविधियाँ जनता को बताना चाहिए तथा अधिकों की मध्यस्थितों की ओर जन-साधारण का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, ताकि अधिक मध्य आनंदोलन वाँ जन-सहयोग प्राप्त हो सके।

11. दलगत राजनीति से मुक्ति, अधिक मध्य आनंदोलन की राजनीति न दूर रहना चाहिए, वयोःकि राजनीतिक बालाकरण बढ़ा दूखित है तथा राजनीतिक एवं अधिकों की भलाई के बजाय अपना राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं। अधिक मध्य आनंदोलन एक परिवर्त संगठन है। अतः इसे दलगत राजनीतिक से बचना चाहिए तथा किल अधिकों के हितों के लिए ही कार्य करना चाहिए।

12. लोकतन्त्रीय भावना का विकास : राजकीय मध्य जापोग ने श्रमसभों के स्वरूप विकास के लिए यह तुकार दिया है कि अमसघ लोकतन्त्रीय भावना वि संघर बनाकर अपने कार्यों का संचालन करें। इससे अमसघ जो भी कार्य करेंगे उन्हें जनसहयोग प्राप्त होगा।

13. उचित सरकारी दृष्टिकोण : सरकार को भी अमसघो के द्वारा है लिए स्वस्य नीति अपनानी चाहिए। अमसघो को उचित प्रोत्साहन देना चाहिए।

भावादेश में आकर इनके प्रति क्षम्याद्युत्प पक्षपात नहीं करना चाहिए, वयोंनि इससे उनमें भ्रमुद नन्हीनता बढ़ेगी और संगठन व सज्जार हो जाएगा।

14 संघों की दिक्षिय स्थिति मुख्यार्थी जाय : भारतवर्ष में अमिकी के देश को बढ़ाकर उन्हे अपना चन्दा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि संघों के पास अपने कार्य समाजन के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध हो जाए।

15 एकता को भावना का विकास विभिन्न के द्वीप सम्बांधों से सम्बन्धित घटिक संघों द्वारा समान्य लड़श्यों के आधार पर कार्यक्रम निर्धारित करक मिलजूँड़ कर कार्य करना चाहिए, तथा अपना पारस्परिक विरोध समाप्त करना देना चाहिए।

उपर्युक्त सुन लो के माध्य ही साथ अनुशासन महिना में अमसंघों को मान्यता देने वाले लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका गम्भीर रूप से पालन होना चाहिए। योजना आयोग ने अमसंघों के समृद्धि विकास के सम्बन्ध में कहा है, “अमिक संघों की आर्थिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के अनिवार्य ढांचे के रूप में जाना जाना चाहिए, और उन्हें जिम्मेदारिया उन न लिए जानेवाले विद्या जाना चाहिए। अमिकों में शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए जिसमें सुवर्ण का नवृत्त अमिकों के हाथ में ही रहे। अनुशासन महिना में अम संघों की मान्यता देने के लिए बनाए पूर्ण नियमों का सम्बुद्धि रूप से पालन होना चाहिए। देश में सदृशत तथा स्वस्य अम संघ आन्दोलन का विकास के लिए यही आवश्यक है।”

भारतवर्ष में अमिक संघों के स्वस्य विकास की परमा आवश्यकता है। देश में अमिकों की स्थिति मुख्यार्थों के लिए उनकी सामाजिक व अाधिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए तथा देश में उत्पादन के लक्ष्यों वी प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि अमिक संघों का विकास स्वस्य व उचित दिनांक में हो जाए। यद्यतक अमिक संघों को हमारे देश में उचित नतुर व्यापत नहीं हो सकेगा, हमारे अमसंघ विकास नहीं कर सकेग। अब अम संघों रिकास के लिये विस्तार, विभावी, कुसल, इमानदार, लग्नशील व्य उत्पादी कार्यकर्ताओं द्वी आवश्यकता है, जिनके नेतृत्व में अमसंघ प्रगति के बद वर अप्रसर हो सकता है।¹

1. “Like the cognate field of the co-operative movement in the Indian villages, the labour movement in our cities and towns calls for a devoted band of intellectuals who have to live unknown among the working folk for a long time to organise them and to train them for constructive union work. Correct leadership is essential for a le deeshep which is not prepared to sacrifice the interest of the workers to imported doctrinaire at home.”

प्रश्न

1 भारतवर्ष में धर्मिक संघ आन्दोलन के जन्म तथा विकास का विवरण दीजिए। इसकी क्षमता कमज़ोरिया है?

(राज० प्र० व० टी० ही० सी० वला 1964, 1967)

2 भारत में धर्म संघ आन्दोलन के प्रादुर्भाव एवं विकास का वर्णन कीजिए। इसे सुन्दर बनाने के लिये क्या क्रिया जाना चाहिए?

(11व० प्र० व० टी० ही० सी० वला, 1966)

3 भारतवर्ष में धर्मिक संघों के बार्यों का विवरण दाते हुए उनकी कमियों को वर्णन कीजिए। इन कमियों वो दूर करने के लिए मुगाब भी प्रस्तुत कीजिए।

4 Survey briefly the development of Trade Union Movement in India. What are the main obstacles of their growth?

(Raj B A , 1962)

5 भारतवर्ष में धर्म संघ आन्दोलन' (धर्मदूर आंदोलन) वा सक्षम में विवरण दीजिए और बत इए कि भारत में मज़दूरों का साठन अच्छा क्यों नहीं है?

(Raj B A , Hons , 1967),

6 Discuss the growth of the Trade union Movement in India and point out its main weaknesses? (R A S 1968)

भारत में सामाजिक सुरक्षा

(Social Security in India)

"Each country must create, conserve and build up the intellectual, moral and physical vigour of its active generation, prepare the way for its future generation that has been discharged from productive life. This is social security, a genuine and rational economy of human resources and values."

First Inter-American Conference on Social Security

मीदोगीकरण एवं शहृरीकरण से परिणाम बहुप्रभुत्वात् गमाव का जो स्वरूप हमारे सामने उभर रहा है, उसमें परम्परागत भारतीय संवृत्त परिवार प्रथा प्राय लुप्त होती जा रही है। अब परिवार का क्षेत्र सकुचित होवर स्त्री-बच्चों तक ही सीमित रह गया है मग्नुकृत परिवार प्रणाली के अन्तर्वत किसी भी व्यक्ति को नी दूरे दिनों में बस्तृप्त अवस्था का अनुभव नहीं होता था, विन्तु अब ऐसी वात नहीं रह गयी है। आज दीर्घकालीन बीमारी, दृढ़ावस्था, देहारी, अस्मर्दता व मृत्यु जैसी सदाचान्त्र अवस्थाओं में अमिको व उनके परिवारों की दोषभाल करने वाला सनदा संयुक्त परिवार नहीं है। आज इन अवस्थाओं में अमिको की रक्षा वा भार समाज ध्येय राष्ट्रीय सरकार ने क्षणे लंपर ले लिया है।

सामाजिक सुरक्षा का पर्याय एवं परिभाषा

सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज अपनी प्रतिनिधि मस्था, राज्य के हारा अपने सदाहरणों को उनके जीवन में बाने वाली वेकारी, बीमारी, दुष्टनाशो, धोयोगिक रोग, प्रतुलि अवस्था, दृढ़ापा, परिवार में जीविका त्याने वाले की मृत्यु आदि जावेस्मक विपर्तियों से उनको रक्षा करने हेतु एक वाणीय आधिक, शारीरिक एवं नैतिक स्तर को बनाये रखने के हेतु प्रदान करता है।

मानविक सुरक्षा की परिभाषा विभिन्न व्यवितरणों एवं संस्थाओं ने इस प्रकार की है :

(i) अन्तर्राष्ट्रीय असंघ के अनुसार, "सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है, जो

समाज के किसी उपर्युक्त संगठन द्वारा अपने सदस्यों को उन अनिश्चित घटरों से लिए, जिनसे कभी भी प्रभावित हो सकते हैं।¹

(ii) सर बिलिंगम बेवरिज के शब्दों में, "सामाजिक सुरक्षा से अभिप्राय पाने वालों—अमाव, बीमारी, अज्ञानता, गम्भीर देहावधि—के ऊपर आकर्षण हैं।"²

(iii) श्री मार्टिस स्टैक के शब्दों में, "सामाजिक सुरक्षा से अभिप्राय हम समाज द्वारा दी गई उम सुरक्षा को समझते हैं, जो कि बाधूनिक जीवन से उत्पन्न होने वाली आर्थिक विपर्तियों, जैसे बेकारी, बृद्धावधि, परावलभवन, औरोगिर्दुर्घटना तथा अपनता के विरुद्ध प्रदान वो जाती है, जिनसे अपने तथा अपने परिवार की अपनी क्षमता या दृढ़तिंग के लावार पर रक्षा करने की आशा एक व्यक्ति से नहों को जा सकती।"³

मुख्यमंत्री हेवर तथा फार्डेन ने सामाजिक गुरुक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी है, "सामाजिक सुरक्षा जनता की आर्थिक कठिनाइयों से रक्षा करने के लिए लगातार अद्याद्य तथा अस्तु प्रयत्न है, जिसके अभाव में बीमारी, वेरोजगारी अथवा बुद्धावधि से तथा मृत्यु के नश्वर ब्राय में बाधा पड़ती, जिससे चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ तथा परिवारों में बच्चों के पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता उत्पन्न हो जाती है।"⁴

1 Social security : the security that society furnishes through appropriate organization against the risks to which its members are exposed

—Approaches to Social Security J. L. O. p 83

2 Social security is an attack on five giants. Viz Wants Disease Ignorance, Squalor and Idleness
—Sir William Beveridge

3 By Social Security we understand a programme of protection provided by society against those contingencies of modern life—illness, unemployment, old age, dependence, industrial accidents and invalidity—which the individual cannot be expected to protect himself and his family by his own ability or foresight
—Maurice Stack

4 Social security is the result achieved by a comprehensive and successive series of measures for providing the public (or a large sector of it) from the economic stress that in the absence of such measures could be caused by the stopping of earnings in sickness, unemployment or old age and after death for making available what some public medical care as needed, and for subsidising families bringing up young children

—Haber and Cohen, Readings and Social Security, p. 74

प्रो॰ कोल के शब्दों में, “सामाजिक सुरक्षा का आवश्यक यह है कि सरकार जो समाज का प्रतीक एवं व्रतिनिधि है अपने समृद्धि नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन-तंत्र कायम बरने के लिए उत्तरदायी है। इस स्तर पर जीवन से लेकर मरण तक की मारी सुविधाओं एवं आवश्यकताओं सम्बलित होगी।”¹

सामाजिक सुरक्षा के रूप

सामाजिक सुरक्षा के मुख्यतः दो रूप हैं—(i) सामाजिक बोमा, तथा (ii) सामाजिक गहापता। सामाजिक बोमा के अन्तर्गत सहायता पाने वाले व्यक्ति की समय-समय पर अवश्यकता के बजे में दोषदात देना पड़ता है जैसे कमेंटारी राज्य यीजा योजना, कमेंटारी भविष्य निधि योजना आदि। सामाजिक सहायता के अन्तर्गत लाभ पाने वाले उद्दित को कोई अवश्यक नहीं देना पड़ता। गहापता के रूप में वर्त्त की जाने वाली कुल धन राशि सरकार अपने खजाने से बढ़ाव करती है, जैसे—मृद्दावस्था वैश्व, पारिवारिक भत्ता, आदि।

सामाजिक सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत जिन सुरक्षाओं जिन सुविधाओं को सम्बलित किया जाता है, वे हैं (i) अस्वस्थता के समय चिकित्सा का प्रयोग, (ii) कावें करते समय चोट लगने पर निकिटा एवं मुद्रा लाभ, (iii) ग्रन्तस्थला के समय अवकाश एवं बेकर लाय, (iv) मानवक नाल से सबूत अवकाश, चिकित्सा सुविधा एवं मुद्रा लाभ, (v) प्रयगना के समय अति पूर्ति एवं पैन्थन, (vi) बुद्धावस्था पैन्थन, (vii) मृत्यु होने पर अनितम सम्पाद सम्बन्धी ज्येष्ठ, (viii) आवितो की लाभ, (ix) योकारी के समय आविक सहायता, तथा (x) पारिवारिक भत्ते वरिवार के बच्चों के लिए आदि। सक्षेप में सामाजिक सुरक्षा उद्दित गगड़न हारा सदस्यों की यर्जन से मृत्यु तक रहा करती है।²

सामाजिक सुरक्षा की मारतवद में आवश्यकता

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवश्यकता परिचयी देखे की अपेक्षा भारत में कही अधिक है। भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा का महत्व इसलिए अधिक है, क्षेत्री (i) भारतीय व्यापिक दृष्टि निर्भन है और निर्वनता के कारण जपनी सुरक्षा

1. The idea of social security is that the State shall make itself responsible for ensuring a minimum standard of material welfare to all its citizens on a basis wide enough to cover all the main contingencies of life of an individual from birth to death
—D G H Cole

2. Social security saves up members from want so that comb the ugly approach organisations.

इतने नहीं बर सकते, (iii) भारतीय अमिक अधिनियम एवं लूटिवादी हैं तथा भविष्य के बारे में ज्ञान नहीं दे पाते, (iv) भारत में पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत उत्पादन के लक्षणों को प्राप्त करने के लिए तथा अमिकों की कार्बोक्समास बढ़ाने के लिए यह बाबशक्त है कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, (v) भारतीय अमिकों व उद्योगपतियों के सम्बन्ध मधुर नहीं है उन्हें मधुर करने के लिए तथा औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिए, (vi) भारत ए अमिकों में मृत्यु इर दहूल ऊची है, इसे कम करने के लिए, (vii) भारतीय भविष्यान में बकारी हृदावस्था, रोग तथा अग्र भव के अवसरों के लिए अमिक वग के लिए मरकारी महापता वा मास्पता प्रदान की गई है। राजनी में, सामाजिक सुरक्षा अमिकों के जीवन को मुहरी और सम्पन्न न बनायेगी और वे औद्योगिक केंद्रों में स्थायी हृषि से बग जाएंगे। इसमें औद्योगिक ग्रज्यां तथा होग तथा आविर्वाच सामाजिक विवरता घटेंगी।

भारत में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था

सामाजिक सुरक्षा के दाव में भारत इतनी प्रगति नहीं कर सका है कि उन्होंने कि सासार के अन्य देशों देशों ने की है। इस समय भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा को जो व्यवस्था है, उसका अध्ययन हम निम्नलिखित अनुच्छेदों में करेंगे।

1 अधिक अतिरिक्त अधिनियम, 1923 (Worksmen's Compensation Act 1923) भारतवर्ष में नामाजिक सुरक्षा का प्रारम्भ इसी अधिनियम से लागू होने से माना जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सेवायोजकों को मजदूर के काम करते समय चोट आ जाने पर या काम से सम्बन्धित दोमारियों से पीड़ित होने पर मुआवजा देना पड़ता है। इसके लिये यह शर्त है कि अमिक ने सदर्शनियत कारबाने में 6 महिने से अधिक बार्थ किया हूँ अमर्मयता दस दिन से अधिक ही तथा चोट होने में अमिक की स्थित कोई बुटि न हो। यह नियम कई बार संशोधित हो चुका है। सदर्शना प्राप्ति के पश्चात भी इस अधिनियम से 1948, 1950, 1951, 1959 व 1962 में संशोधन किया जा चुका है। कन्. 1962 के संशोधन के बाद यह अधिनियम अब उन सभी अवित्यों पर लागू होता है जिन्हें 500 रु. से अधिक परिधियां नहीं प्राप्त हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत, मृत्यु, स्थायी एवं त्रुप्त अवस्थाएं स्पाई-रैशिक अवस्थाएं एवं अस्थाई अवस्थाएं अवस्थाएं के लिए विभिन्न दरों से अतिरिक्त निर्भरित की गयी है। अमिक की मृत्यु हो जाने पर अतिरिक्त की रकम उनके आधितों को दी जाती है। इस अधिनियम में अव उक कई संशोधन हो चुके हैं। वर्तमान समय में मृत्यु की दरमा में अतिरिक्त पूति की रकम 500 रु. से 4,500 रु. तक दी जाती है। त्रुप्त अवस्था की स्थिति में हरजाने की

रकम 100 रुपये से लेकर 6,300 रुपये तक होती है। अमिलों की शतिष्ठिति की रकम, उनकी ओरत मज़हूरी और दुर्घटना की गम्भीरता पर निर्भर नहीं है। आधिक अग्र हानि वी विधिति में शतिष्ठिति की विभिन्न गतियाँ, हानि के अनुपात में भी जाती हैं। सन् 1948 में इसकारों राज्य बोमा बोझता के लागू होने से अब जिन उद्योगों में यह योजना लागू हो चुकी है, वहाँ से अधिक शतिष्ठिति नियम हटा दिया गया है।

आतोचना अमिल शतिष्ठिति अधिनियम में एई दोष है, जैसे (i) इसका कोन अत्यन्त सीमित है, बहुत से व्यवसाय इनके अन्तर्गत नहीं आते, (ii) मालिक शतिष्ठिति इन से बचने के लिए भरमह प्रयत्न करते हैं, (iii) शतिष्ठिति की रकम एक माथ मिळ जाने के बारण अमिल या परिवार के लिए कुछ ही दिनों में संचय कर लाते हैं, (iv) गार्जिक दुर्घटनाओं की गूचना कई बार नहीं दी जाती, (v) अमिल अधिकारियन व निधें जोने के बारण मालिक के हातानान देने पर नानूनी कार्यवाही नहीं कर पात, (vi) अमिल अधिकारियत होने के कारण अन्य कानूनी अधिकारों को नहीं रखते, (vii) कार्यालयों प्रबासियों अधिकारी समलौके नियमान्तर में दैर लगा देते हैं, तथा (viii) इन अधिनियम वा कोन भी यहाँ मनुचित रहा है व्योकि इसमें दोहरी, बीमारी, बृद्धावस्था आदि जोखियों की तोई बदलता नहीं दी जाती।

2. मातृत्व हित लाभ अधिनियम (Maternity Benefit Acts) भारत-वर्ष में सन् 1961 में पहले मातृत्व या प्रमूलति लाभ गर्भद वी कोई केन्द्रीय अधिनियम नहीं था, जो गर्भी अधिक लिंगों पर लागू होता है। प्रांतों पर सरकारों ने अपने दोनों में इस सम्बन्ध य अधिनियम पारित किये थे, पर उनमें एकहमता का अभाव था। मर्दप्रथम सम्बन्ध प्रान्त में 1929 में, भारतविहित लाभ अधिनियम पारित हुआ था। बाद में मर्दप्रदेश में 1930 में, झारखंड ने 1934 में यू. वी. ने 1938, बंगाल ने 1939 में पश्चिम प्रान्त में 1943 में, नद्दास ने 1944, बिहार ने 1943 में केरल ने 1952 में तथा उडीका व राजस्थान ने 1953 में मानूसविन-काभ अधिनियम पारित किये। भारत सरकार ने 1941 में यान में काम वरन वाली लिंगों के लिये, 1948 में कमचारी राज्य बोमा योजना के अन्तर्गत तथा 1951 में दामानों के स्वीकारियों दे लिए मातृत्व हित लाभों की व्यवस्था की।

इसका अधिनियमों में एकहमता वा अभाव है। इनके लेख, लान पान वाली शहरी, प्राचीन अवधि आदि से भिन्नता पाई जाती है। भारत सरकार ने इन अनुकूल अधिनियमों में एकहमता के लिए 1961 में मातृत्वहित-लाभ अधिनियम पारित

लोडकर), जिनमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तथा विद्युत या प्रयोग होता है। इस योजना के अन्तर्गत बष्ट वे सभी अधिक व कर्मचारी लाभ के अधिकारी हैं जिनकी मजदूरी 500 रुपये प्रति मास तक है। ठेके पर कार्य करने वाले अधिक भी अब इस योजना की परिधि में आ जाते हैं।

(बा) प्रशासन : इस योजना का प्रबन्ध कर्मचारी राज्य बीमा निगम करता है, इस निगम में 38 सदस्यों पर आधारित एक प्रबन्ध समिति है जिनमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारी, लोकसभा, नियोजकों, कर्मचारियों तथा चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह समिति ही निगम द्वा प्रबन्ध यारती है। केन्द्रीय अम-संघों इस प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य गन्ती उपायकालीन होता है। निगम का कार्य जलाने के लिए दो ममितिया होती है (अ) चिकित्सा परिषद जिहवे चिकित्सा सम्बन्धी विवेष होते हैं और इनका नाम चिकित्सा सम्बन्धी परामर्श देना होता है तथा (आ) स्थायी समिति जो सामाजिक प्रशासन व निर्देशन का कार्य नियती है।

(द) वित्त व्यवस्था एवं अवशान इस अधिनियम के अन्तर्गत 'कर्मचारी राज्य बीमा निधि' बनाई गई है, जिसमें मजदूर मालिकों का अवशान तथा अन्य नूबों हे प्राप्त अनुद न शामिल है। जिन अधिकों को प्रतिदिन 1 रुपये से कम मजदूरी मिलती है उन्हें कोई अवशान नहीं देना होता। जिन अधिकों की ओसत मजदूरी 1 रुपये से 1 50 रुपये के बीच में है उन्हें 12 घंटे देने पड़ते हैं तथा 8 रु 00 या इससे अधिक मजदूरी पाने वालों को 1 25 रु 00 अवशान के रूप से देना पड़ता है। यह अधिकों द्वारा दिये जाने वाले अवशान की अधिक से अधिक स्वतंत्रता है। मालिक सदसे कम बेतन पाने वाले अधिक के लिए 44 पंसे तथा गवसे अधिक बेतन पाने वाले अधिक के लिए 2 50 रु के हिसाब से चन्दा देता है।

निम्नादित तालिका में अधिकों व मालिकों द्वारा दिये जाने वाले अवशान को दिखाया गया है।

अधिकों का औसत वैसिक बेतन	अधिकों का औसत अवशान	मालिकों का लगादान	कुल अवशान
1 00 रु से 3 म	—	0 44	0 44
1 00 रु से 1 50 रु तक	0 12	0 44	0 56
1 50 रु से 2 00 रु तक	0 25	0 50	0 75
2 00 रु से 3 00 रु तक	0 37	0 76	1 13
3 00 रु से 4 00 रु तक	0 50	1 00	1 50
4 00 रु से 6 00 रु तक	0 69	1 37	2 06
6 00 रु से 8 00 रु तक	0 94	1 87	2 81
8 00 रु से अधिक	1 25	2 50	3 75

योजना काल के प्रथम 5 वर्षों के कुल प्रशासनिक खर्च का $\frac{1}{3}$ भाग बेन्फ़िट सरकार ने दिया है भाग राज्य सरकारों ने दिया था। अधिकों को बीमारी अवधा मातृत्वहीन लाभ प्राप्त करने के लिए यह लाभवक है जिसने वर्ष से वर्ष 26 सप्ताहों तक बन्दा दिया हो।

(ई) योजना के अन्तर्गत निम्न बाले लाभ इन योजना के अन्तर्गत अधिकों व उनके परिवारों को निम्नांकित 5 प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं :

1. बीमारी लाभ (Sickness Benefit) : बीमित अधिकों, नियम के भवित्व के प्रमाणन्तर पर 56 दिनों तक का बीमारी सम्बंधी लाभ घिल सकता है। बीमारी के अवधारण के समय प्रथम दो दिन को छोड़कर बाद के दिनों के मध्यदूरी का $\frac{1}{3}$ भाग बीमारी लाभ के रूप में दिया जाता है। खण्ड, कोड मानविक व अन्य बोमारियों की स्थिति में 309 दिनों के लिए बीमारी की विस्तृत सहायता मिलती है।

2. चिकित्सा लाभ (Medical Benefit) : बीमित अधिक व उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाती है। साधारण चोट अथवा दोमारी के अतिरिक्त अब खण्ड रोग, कुष्ट रोग, मानसिक रोग आदि की भी चिकित्सा मुक्तिप्राप्त होती है।

3. प्रसूती-लाभ (Maternity Benefit) : प्रसूती रक्षी-अधिकों को बारह दिनों के लिए नहाई सहायता दी जाती है। यह दून राशि वा तो बीसत मध्यदूरी की दर से बाधी, अथवा 75 प्रते, जो भी अधिक हो, की दर से दी जाती है।

4. अयोग्यता लाभ (Disablement Benefit) : यह लाभ अधिकों को दुष्टेनाया चोट की हानि में दी जाती है। स्पादा असमर्थना की दरमा में बीमित मध्यदूर को उसकी शीर्षता साप्ताहिक मध्यदूरी का भाग प्रीवेन्यूमेंट दिया जाता है। अस्थायी असमर्थता के लिए, असमर्थता की अवधि तक इसी दर से लाभ मिलता है। आशिक असमर्थता की असमर्थता में जान असमर्थना के स्वरूप के बनुआर भूति-पूति अग्रिमियत की दरों के अनुसार दिया जाता है।

5. आधिक लाभ (Dependent's Benefit) : कारखाने में काग करने के समय यहि बीमित अधिक की मृत्यु हो जाती है तो अधिक के आधिकों को आर्पिक सहायता दी जाती है। मृतक अधिक की विधवा जो अपने जीवन भर के लिए या पुत्र: शादी करने तक पूर्ण दर ($\frac{1}{3}$ भाग) का $\frac{1}{3}$ दिया जाता है। प्रत्येक आधिक पुत्र व पुत्री को पूर्ण दर का $\frac{1}{3}$ भाग आधिक लाभ के रूप में दिया जाता है।

बच्चों को यह लाभ 15 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होता है। लेकिन यदि वे शिक्षा प्राप्त कर रहे हों तो यह लाभ 18 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होता है।

(३) योजना की प्रगति यह योजना सर्वप्रथम कारबरी 1952 में दिल्ली व लालपुर से लागू हुई। धोरे धोरे इस योजना का विस्तार किया गया। जबकि १९५३ में इसे बधाई में चालू किया गया। तीव्री योजना के अन्तर्गत इस योजना में लघुभग 30 साल अविक्षिकों को लाने का लक्ष्य रखा गया था। तथा उनमें सभी ओरोगिक क्षत्रियों में इतना विस्तार किया जाना था जहाँ ३० वा इससे अधिक अविक्षिक कार्य करते हों। 31 मार्च 1972 तक 3976 साल अविक्षिकों को 318 ओरोगिक केन्द्रों पर इस योजना के अन्तर्गत विज्ञाने वाले काम प्राप्त हुए।

आलोचना ११ अक्टूबर दीपा योजना में कई दोष भी पाए जाते हैं, जैसे (१) इस योजना का धारा सीमित है, (३) जिकि सा गम्बन्धी सुविधाएँ अपर्याप्त हैं, (३) अवकाश लाभ की अवधि कम है, (५) यात्रा डाकरों का अमाव है, (६) छोटे उद्योग प्राप्त नियमों को अवश्यकता कर जाते हैं, (७) जाम कुछ महत्वपूर्ण जीवितों तक ही सीमित है, तथा (८) सहायता की अवश्यकीय अपर्याप्त है।

4 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (Employees Provident Fund Act, 1952) सन् 1952 ई० में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम पारित हुआ था। वहें इसे 6 प्रमुख उद्योगों सीमें, विगोट, इजोनिशनिंग लोड च इम्पाल कार्गज तथा वस्त्र विद्योग में लागू किया गया। बाब में यह अधिनियम अन्य उद्योगों पर भी लागू किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत अविक्षिकों के लिए अनिवार्य भविष्य निधि के साथ की अवस्था की गई है। यह अधिनियम उन उद्योगों के उन कारखानों में लागू होता है जिन्हें स्थापित हुए ३ वर्ष हो चुके हैं तथा अविक्षिकों की संख्या ५० वा इससे अधिक है। यह अधिनियम उन कारखानों में भी लागू होता है जिन्हें ३ वर्ष पूरे हो गए हैं तथा जिनके अविक्षिकों की संख्या २० से अधिक तथा ५० से कम है।

इस योजना का लाभ उन सभी कर्मचारियों को प्रियता है जिनकी मूल /दूरी क महारार्द तथा यिलाहर / हजार ह मालिक से लियह न हो तथा जिन्होंने १ वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो अवश्य १२ महीने या कम की अवधि में २४० दिन बर्सुत काय किया हो। इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारी को ६% प्रतिशत की दर से तथा कारखाने के मालिकों को भी इसी दर से बन्दा देना पड़ता है। ३० सितम्बर 1969 तक ८१ उद्योगों में अदान की दर बढ़ाकर ४ प्रतिशत बर दी गई। १५ वर्ष की नीकरी के बाद, कर्मचारी के नोहरी छोड़ने पूर्व ही जाने, स्पाई

सम्बन्धित एक स्थाई योजना बनाइ जानी चाहिए; (viii) भविध निधि को एक वैधानिक पेंदन योजना में परिणित कर दिया जाना चाहिए, तथा (ix) न्यूनतम मजदूरी नीति स्थापित करना चाहिए।

अब पर राष्ट्रीय आयोग के अनुमार अपेक्षा कुछ वर्षों में अग्रिमों के असाधान नीतियों से बढ़ि करके कुछ और जोखिये सम्भिलित हो जा सकती है। काम पर लगे हुए, ऐकार हो जान वाले व्यक्तियों के लिए आयोग ने बेरोजगारी बीमे का सुनाय दिया है।

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात हो जाता है कि भारत सरकार ने अग्रिमों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन इह विचार से होने वाले कायें अभी तक अध्ययन्ते हैं। अभी तक जो भी सुविधाएँ दी गई हैं, वे अलग-अलग कानूनों के अन्तर्गत हैं जिससे इनमें दीहराव पाया जाता है तथा कई कठिनाइया उत्पन्न हो जाती हैं। बस्तुत भारत में एम ही सत्या के अधीन विविध प्रकार की सुविधाओं के एकीकरण की आवश्यकता है क्योंकि एक ओर तो मित्रव्यवस्था बढ़नी तथा दूसरी ओर विविध सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को आयोजित विवास कार्यक्रमों के साथ सम्बन्धित किया जा सकेगा। एक अच्छा-विकसित देश हीमें के नात अपने सामाजिक सुरक्षा के लोग में सुविधा दिलाने में व्यापक कार्यक्रम नहीं बनता¹ तथापि इने अपने उपलब्ध साधनों का उपयोग सामाजिक सुरक्षा के कार्यों में इस प्रदान करता चाहिए कि इससे अग्रिमों पर अधिकारिक सुरक्षा प्राप्त हो।

अब तक देश के अधिक निर्धन, अभाव-प्रत्यक्ष, समस्या-प्रस्तु, रोग प्रस्तु, तथा भूषणकी के दिकार वने रहे, तब तक न को हमारी ओद्योगिक प्रगति हो सकेगी और न ही देश का आधिक विवास राघव हो सकेगा। अत दर विलियम बेवरिंग हाया विष्ट, अभाव, बीमारी असानता, यदवी एवं बकारी नामक पाचो दानवों पर आक्रमण कर दियद पाना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए।

प्रदर्शन

1 भारत में अग्रिमों के लिये सामाजिक सुरक्षा की जो व्यवस्था है, उसकी >>>“सोसायटील स्यास्टम” कीजिये। भारत में सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम को व्यापक रूपने के लिए वने सुझाव भी दीजिए।

1. "A poor underdeveloped country cannot, in the early stages of economic development, really afford much of the type of redistributive measures which in advanced countries are known under the label of 'Social Security'.

—Dr Gunnar Myrdal : I C O Asian Regional Conference Report II, p. 3.

2. 'कर्मचारी राज्य बोगा अधिनियम' के प्रावधानों का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।'

3. संक्षिप्त इतिहासिक लिखिये—

(क) कर्मचारी भविध निधि अधिनियम, 1952

(ख) मातृत्व हितशाख अधिनियम

(ग) श्रमिक शत्रिपूति अधिनियम, 1923

4. भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थना एवं महत्व पर प्रकाश डालिये।

5. सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? भारत सरकार ने इन् 1923 से सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए कौन-कौन से कदम उठाये?

(राज० टी. डी. सी. प्रथम वर्ष, 1970)

खण्ड पाच

1. भारत का विदेशी व्यापार
India's Foreign Trade
2. विदेशी सहायता
Foreign Aid

Nicolaus Siegen

भारत का विदेशी व्यापार

(India's Foreign Trade)

"What is prudence in the conduct of every private family can scarcely be folly in that of a great kingdom. If a foreign country can supply us with a commodity cheaper than we ourselves can make it, better buy it from them with some part of the produce of our own industry employed in a way in which we have some advantage."

—Adam Smith

बहुमान युग में विश्व के निसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए दिखो व्यापार की उन्नति बत्यन्त आवश्यक है। पहले तमैमी देश स्वावलम्बन प्राप्त करना अच्छा समझते थे, लेकिन अब वह स्थिति नहीं रही है। लोग विदेशी व्यापार के महत्व एवं गुणों से उत्तरोत्तर प्रभावित होते जा रहे हैं। आज बहुत सो बस्तुएँ हैं, जो एक देश द्वारा पैदा नहीं की जाती है, जिनमें प्राकृतिक एवं अन्य कारणों से उन्हें उचित लागती पर पैदा करना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में विदेशी व्यापार के माध्यम से उन्हें प्राप्त कर सम्भवित देने का उठा सकते हैं। अनर्वाण्डीय यम विभान्न विनियोगों एवं विनियम के आधिक लाभों को पाने के लिए विदेशी व्यापार को विकसित किया जाना आवश्यक है। प्राकृतिक स्रोतों के ममुचित शोषण के लिए देश के खोटोगीकरण वा बढ़ावा देने के लिए, अतर्वाण्डीय सहयोग व सद्मानना बटाने के लिए, कुलंभ विदेशी बस्तुओं की प्राप्ति के लिए देश के उत्पादकों को उत्पादन विधियों में सुधार लाने की प्ररणा देने के लिए, भारतीक मूल्यों में स्थिरता पाने के लिए एवं मकाट वाल की स्थिति में पारस्परिक सहायता प्रदान करने के लिए भी विदेशी व्यापार का पर्याप्त महत्व है।

भारत के विदेशी व्यापार का इतिहास

भारतवर्ष जतीत वाल से ही अपने विदेशी व्यापार के लिए प्रगिढ़ है। बहुत द्वीन वाल में भी, भारत ने अनेक तत्कालीन सम्भव देशों से अपने व्यापारिक सम्बन्ध

बना रहे थे। भारत से मिथ, रोम, चीन, अरब आदि देशों को सूखी वपटा ब्राह्म के बर्तन, सुखित इन, गरम सामाजा, हथी दात, हवियार, जग एवं बलात्मक सामाज जैसी बस्तुओं का निर्यात किया जाता था। इनके बदले में हमारा देश नाभान्यतः पीतल, ताजा, टीन, धीशा, दाराड, घोड़ी आदि का आयात करता था। हमारे निष्पत्ति आय: आयात से अधिक होते थे, जिसके कल स्वरूप व्यापार सञ्चालन (Balance of Trade) हमेशा ही हमारे पक्ष में होता था। व्यापार सञ्चालन की अनुकूलता के कारण हमें सोना-चोदी जैसी बहुगूण्य धनतुएँ प्रचुर भावा में उपलब्ध होती थी।

विभिन्न देशों से कोई गई खुदाई और उनमें पाई गई बस्तुओं से यह प्रभावित होता है कि इसा से 300 वर्ष पहले भी भारत से सीपियो, बर्तनों तथा अन्य कई बस्तुओं का निर्यात मिथ, ईराक तथा ईरान को निष्पत्ति रूप से किया जाता था। मुगल काल में भी भारत का पश्चिम में योरोप के कई देशों के साथ तथा पूर्व में चीन के साथ व्यापार निरन्तर चलता था। योरोप के कई देशों ने अपनी व्यापारिक कम्पनियों भारत में स्थापित की थीं, जो भारत से सूखी वस्त्र, मसाले आदि बहुत बढ़ी गाचा में ले जाती थीं। इगलेंड, फ्रान्स, पुर्णगांड विदा नोवरलैंड के व्यापारी भारत में व्यापार के लिए सदैव आवासित रहते थे। गुगली के पत्तन के बाद भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी (East India Company) ना आधिपत्य स्थापित हुआ। - ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारतवर्ष से सूखी कपड़े, मलमल तथा मसाले इगलेंड को निर्यात करती थी।

ब्राह्मही शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इगलेंड में होने वाली ओशोगिन-जन्मन्त ने भारत के विदेशी व्यापार को बहुत प्रभावित किया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय विदेशी व्यापार वा अवलोक्य ही परिवर्तित हो गया। सन् 1857 के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों ने भारत के शासन की बागडोर विदिश सरकार के हाथ में ला गई। विदिश हिंदौ वी रथा के लिए लोशोगिक आन्ति से इगलेंड को पूर्ण रूप से लाभ विद वराने के लिए, विदेशी सरकार ने समय-ममता पर जो नीतिया अपनाई उनका इष्टट विदिश गह निकला छि भारत इगलेंड के निमित भाल का बापात करने वाला तथा कच्च माल का निर्यात करने वाला देश बन गया। उन्नीतयी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रेलों के विकास ने इस प्रवृत्ति को और भी अधिक बढ़ावा दिया।

बोसकी शताब्दी में भारत के विदेशी व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई। यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व तक (सन् 1914 ई. तक) भारत का विदेशी व्यापार सदैव ही भारत के अनुकूल रहा, तथापि इसकी सरचना को देखने से पता चलता है कि यह प्रगतिशील दिशा में नहीं बढ़ रहा था। श्रावांदी से पहले "इगलेंड का

उपनिवेश होने के कारण भारत का विदेशी व्यापार भी औपनिवेशिक ही था । भारत योरोप के लौदोगिक देशों, विशेषकर इंग्लॅण्ड को कर्जे माल तथा लाईनों का नियंत्रित करता था तथा विदेशी से, विद्युतकर इंग्लॅण्ड से बनी हुई सामग्री का आयात करता था । निमित्त माल के तिरंतर आयात का प्रभाव हमारे देश के आर्थिक विकास पर बहुत प्रतिकूल पड़ा, यदोकि इसके कारण भारत का लौदोगीकरण सही दिया में नहीं हो सका । देश कुपि अवस्था में रह कर ही आधुनिक आर्थिक प्रणालि की दौड़ में विछड़ गया । यही नहीं अपितु सदियों से जले आ रहे हस्ती-शिल्प का भी पतन हो गया, जो किसी समय दिश्व में भारत की प्रसिद्धि का कारण था ।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यद्यपि व्यापार शब्द आमतौर पर हमारे अनुशूल था, तथापि यह समय भारत की समृद्धि का नहीं था । यदोकि सद्ये दासों पर हमारा कच्चा माल विदेशी को भेजा जाता था, जो सब्द हमारे बयने लौदोगिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक था ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का विदेशी व्यापार

पंद्रह अगस्त सन् 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया । उस समय यह आज्ञा की गयी कि देश के विदेशी व्यापार में समुचित वृद्धि की जा सकेगी तथा भुगतान संतुलन की जगत दो बर्षों से चली आ रही प्रतिकूलता याप्त की जा सकेगी । लेकिन आजायी मिलने के साथ साथ देश का विभाजन हुआ और कुछ ऐसी आर्थिक कठिनाइया उपस्थित हो गई कि यह आज्ञा पूरी तरफ़ी जो जा सकी । देश के विभाजन के कालस्वलय देश में लाईनों तथा यूट व कपास की बहुत अधिक कमी हो गई थी । विद्युत कारबंग इनका आपात करना जावश्यक हो गया था । सितम्बर, सन् 1949 में इंग्लैण्ड ने अपनी मुद्रा अवधारणा कर दी । विवश होकर भारत को भी अपनी मुद्रा का 30.5 प्रतिशत से अधिकूप्यन करना पड़ा । इसने आपातों में दर्शी हुई तथा नियंत्रों में बढ़ातरी हुई । इनना होने के बावजूद भी हमारे विदेशी व्यापार की प्रतिकूलता समाप्त न की जा सकी । इसमें कमी अवश्य हो गई, परन्तु अवमध्यन का प्रभाव अधिक समय तक प्रभावदाती न रहा । अन् 1950 तक हमारा विदेशी व्यापार अनियोजित आपात पर ही चलता रहा । सरकार ने यद्यपि इस अवधि में नियंत्रों को बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए, अपनी आपात व नियंत्रि सेतियों में भी समय समय पर कई परिवर्तन किये तथा विद्व के प्राय सभी प्रमुख देशों में आपारिक प्रतिनिधि नियुक्त किए एवं आपारिक शिष्ट मण्डल गठने, तथापि आपात रातुलन की प्रतिकूलता बनी रही । सन् 1949-50 में आपात भतुलन 90.9 करोड़ रुपये में प्रतिकूल था ।

पचवर्षीय योजनाओं से द्रष्टव्यगत विदेशी व्यापार

एन् 1951 ई० से भारत ने अपनी विभिन्न आर्द्धक समस्याओं के समाप्तान के लिए तथा देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए नियोजन का मार्ग अपनाया। तब से अब तक तीन पचवर्षीय तथा तीन एकांशीय योजनाएँ क्रियान्वित की जा चुकी हैं। हन योजनाओं के अन्तर्गत, भारत के विदेशी व्यापार की जो प्रगति हुई है, उसका अध्ययन हम नीचे के अनुच्छेदों में करेंगे।

प्रथम पचवर्षीय योजना ने पूर्व सक्रिय पायनी की उपलब्धि, मूल्य-स्तर में मुद्याट तथा योजना के अन्तिम तीन वर्षों में जात्यानो के उत्पादन में मृद्दि के कारण व्यापार सन्तुलन की हिति में सुधार हुआ तथा प्रतिकूलता की सात्रा में कमी हुई। प्रथम योजनावधि में भारत के कुल व्यापार 3,650.5 करोड रुपये तथा कुल विपणि 3108.6 करोड रुपये के हुए अर्थात औसतन प्रति वर्ष 730 करोड रु० के व्यापार तथा 62.2 करोड रुपये के विपर्यास हुए। व्यापार सन्तुलन की प्रतिकूलता योजना के पात्र वर्षों में अधिकतम 108 करोड रुपये रही।

प्रथम पचवर्षीय योजना काल में आयात, नियात प व्यापार-दोष की हिति का अनुपात निम्न तालिका से लेयाया जा सकता है।

प्रथम योजना काल में आयात नियात व व्यापार दोष (करोड रु० में)

वर्ष	आयात	नियात	व्यापार-दोष
1951-52	962.9	730.1	- 232.8
1952-53	633.0	601.9	- 31.1
1953-54	591.8	539.7	- 52.1
1954-55	689.7	596.6	- 93.1
1955-56	773.1	640.3	- 132.8
	3650.5	3108.6	- 541.9
वायिह असत	730	622	- 108

हितीय पचवर्षीय योजना में विकास की गति तीव्र हो गई। परिणाम-स्वरूप आयातों में मृद्दि हो जाना स्वाभाविक था। हितीय योजना को क्रियान्वित करने के लिए मसीधो, यन्त्रों एवं कच्चे पदार्थों का बढ़ पैमाने पर आयात किया गया। दूसरी योजना में नियातों को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाये गये,

परन्तु निर्धारों में विशेष दृढ़ि न की जा सकी। इसके कई कारण थे, जैसे (1) हमारी घरेलू माल की अविकल्प के कारण, हमारे नियंत्रित के लिए बड़ी मात्रा में निर्यात-पदार्थ उपलब्ध न हो सके, (2) विदेशी बाजारों में हमारे माल की माल पर्याप्त नहीं थी, तथा (3) हमें इस काल में विदेशी से कठी प्रतिस्पर्द्ध का गामना करना पड़ा था। द्वितीय योजनावधि में भारत के कुल आयात 5402.6 करोड़ रु. तथा कुल निर्यात 3063.6 करोड़ रु. के हुए थे, अर्थात् औसतन 1050 करोड़ रु. के आयात हाथा 613 करोड़ रु. के निर्यात प्रतिवर्ष हुए। दूसरी पचवर्षीय योजना में भारत का व्यापार महज एकली योजना की तुलना में और भी अधिक प्रतिकूल हो गया। इस योजनावधि के पार्थ वर्षों में व्यापार सन्तुलन की प्रतिकूलता औसतन 467 करोड़ रु. रही।

द्वितीय योजना काल में अग्राह, एवं निर्यात व्यापार शब्द की मिथि निम्न प्राप्त रही-

द्वितीय योजना काल में आयात, निर्यात व्यापार शब्द (करोड़ रु. में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार शब्द
1956-57	1102.1	632.2	- 466.9
1957-58	1233.2	594.2	- 639.0
1958-59	1029.3	576.3	- 453.0
1959-60	932.3	627.4	- 304.9
1960-61	1105.7	630.5	- 475.2
	5402.6	3063.6	- 2338.1
साधिक औसत	1080.0	613	- 462

तृतीय योजनाकाल में भारत का विदेशी व्यापार

तृतीय योजनाकाल में तृहीय योजना के प्रदम दो वर्षों में नियंत्रि में मालगूली दृढ़ि हुई। 1963-64 व 1964-65 में नियंत्रि और भी बड़े, लेकिन योजना के अन्तिम वर्ष में नियंत्रि में धूवं वर्ष की अपेक्षा कमी हुई। 6 अूू, 1966 को नियंत्रि बढ़ाने वाले रिट्रिट से ही भारतीय रखे का 36.5 प्रतिशत से बढ़मूल्यन किया गया। योजनाकाल की साधूपूर्ण अवधि में व्यापार शब्द देश के प्रतिकूल रहा और यह प्रतिकूलता योजना के अन्तिम वर्ष में सर्वाधिक थी। योजनाकाल में आयात, नियंत्रि द व्यापार शब्द सम्बन्धी आकृह निम्न सार्वालक्षण में दिए गए हैं-

वृत्तीय योजना में आयात, निर्बात एवं व्यापार शेष		(करोड रु० में)	
वर्ष	निर्बात	आयात	व्यापार-शेष
1961-62	1041	1720	- 679
1962-63	1080	1783	- 703
1963-64	1250	1927	- 677
1964-65	1286	2126	- 840
1965-66	1269	2216	- 949
	1926	9774	- 3848
वार्षिक औसत	1185.2	1955	- 769.6

वार्षिक योजनाओं में विदेशी व्यापारनुत्रीप योजना के बाद 1966-67, 1967-68 एवं 1968-69 के तीन वर्षों में एक-एक वर्ष की वार्षिक योजनाएँ स्थापित की गईं। इन योजनाओं के बीच आयात, निर्बात व व्यापार शेष की स्थिर नियम प्रकार की थी।

वार्षिक योजना में विदेशी व्यापार-		(लारोड रु० में)	
वर्ष	निर्बात	आयात	व्यापार-शेष
1966-67	1137	2078	- 921
1967-68	1199	2008	- 809
1968-69	1358	1909	- 551

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम वार्षिक योजना के प्रबन्ध वर्ष से जहां व्यापार संतुलन 921 करोड रु० था, वहां अन्तिम वार्षिक योजना में घट कर 551 करोड रु० रह गया।

चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना में विदेशी व्यापार चतुर्थ योजना के अन्त तक भारतीय नियांनि 1900 करोड रु० तक पहुँचाने का लक्ष्य है तथा आयात 2030 करोड रु० तक पहुँच जायेग। योजनावधि में 7 प्रतिशत वार्षिक विभिन्न दर के नियांनि के बाद जाने की समावना है। इस योजनाकाल में नियांनि सम्बन्धी सहय प्राप्त करने के लिए जो वद्दम उठाए जायेंगे वे हैं (i) देश के नियांनित वस्तुओं के उत्पादन आधार का विस्तार, (ii) जब तक यवर्षक आन्तरिक उत्पादन न हो,

1 Commerce 19 Aug. 72

2 Ibid.

तब तक लगते पर अस्थायी नियन्त्रण लगाना; (iii) किसान-नियन्त्रण को कड़ाई से लागू करना; (iv) उत्पादन लागत में कमी करना; (v) उत्पादन प्रणाली में सुधार करके विदेशी माल की आवश्यकता को कम करना; तथा (vi) नियंत्रि के लिए नएनए बाजारों की सेवा करना तथा पुराने बाजार में विदेशी की सुधारना।

कनूर्ध योजना में विदेशी व्यापार¹ (करोड़ रु. में)

वर्ष	निर्धारित	आयात	व्यापार सेवा
1969-70	1413.21	1582.57	-169.46
1970-71	1535.16	1625.17	-90.01
1971-72	1567.00	1853.00	-286.0

योजनावधि में भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएँ

यदि हम सम्पूर्ण योजनावधि की विदेशी व्यापार सम्बन्धी गतिविधियों का अवलोकन करें, तो हमें अपने विदेशी व्यापार की विभिन्निकित प्रमुख विशेषताएँ दिखाई पड़ेंगी :

1. कुल व्यापार की भावा में वृद्धि : हमारे देश के विदेशी व्यापार में निरन्तर वृद्धि होती रही है। एक ओर हम निर्धारित बढ़ावे का प्रयत्न करते रहे हैं, जिससे निर्धारित में तृदंड हुई है और दूसरी ओर, आर्थिक विकास की गति को लीप करने के लिये उठाये गये कदमों के पात्रस्वरूप आयातों में भी स्वभावतः वृद्धि हुई है। इस प्रकार कुल आयात एवं नियंत्रि में बढ़ोतारी होती रही है। सन् 1951-52 में हमारे आयात य नियंत्रि क्रमशः 662.9 व 730.1 करोड़ रु. के थे, जो सन् 1971-72 में बढ़ कर क्रमशः 1853.00 व 1567.00 करोड़ रु. के हो गए।

कनूर्ध योजना के प्रदूष दो वर्षों में विदेशी व्यापार यो विधियोंका द्वारा रही नियंत्रित होसरे वर्षं रियल पुत. विष्ट गई, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है :

2. व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता : 1950-51 में भारत का व्यापार संतुलन देश के प्रतिकूल था। यह प्रतिकूलता न देवल आज भी बनी हुई है, अपितु वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही रही है। सन् 1950-51 में भारतीय विदेशी व्यापार यो प्रति कूलता 232.8 करोड़ रु. थी, यह बढ़कर 1971-72 में 286.00 करोड़ रु. तक

1 Ibid.

पृथ्वी पर्याप्त है। यदि हम व्यापार सम्बन्धों की प्रतिकूलता को एतिहासिक कान में देखें तो हमें पता चले गए कि इसमें काफी उत्तरार्द्धावधि रहे हैं। कभी व्यापार सम्बन्धों की प्रतिकूलता बहुत अधिक थी, तो किन्तु वर्षों में इसमें कमी भी रही है, लेकिन इस सम्पूर्ण अवधि में प्रतिकूलता विश्वास बनी रही है।

3. कच्चे माल तथा पूँजीगत माल के व्यापार में बृद्धि सम्पूर्ण योजनावधि में आयातों में जो बृद्धि हुई है, उसमें कच्चे माल व पूँजीगत सामान की प्रबलता रही है। यातान्त्रों को होट कर भग्य उपभोग पदार्थों के आयातों में कोई विशेष बृद्धि नहीं हुई। कच्चे माल तथा पूँजीगत सामान के आयात में बृद्धि हीने का प्रमुख कारण यह था कि देश के बोर्डरीकरण की गति ने तीव्र बढ़ते के हिए इन दानों ही घन्टुओं जी आवश्यकता थी।

4. भारत के आयात सुधृत अमेरिका से तथा निर्यात सुधृत इंग्लैण्ड से हुए भारत ने देश के बोर्डरीकरण विकास के लिए, यद्यपि गूँजीगत सामान रुक, प० जम्मूक्री, जापान आदि देशों से भी संग्राम, वरन् तु सहृदय इस प्रकार के सामान की खरीद बोर्डरीकरण से ही को गई। इस प्रकार योजनावधि में भारत के आयात अमेरिका से दढ़े। जहाँ उक्त निर्यात का प्रदूष है, भारत ने इस अवधि में जनने वार्षिकादा विर्यात इगलेंड को ही किये।

भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तिया

किसी भी देश के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों को जानने के लिए हमें सामान्यतः सम्बन्धित देश की निम्नावित वातों का अवलोकन करना चाहिए—

1. व्यापार की मात्रा (Value of Trade),
2. विदेशी व्यापार की स्वरूप (Composition of Foreign Trade), तथा
3. विदेशी व्यापार की दिशा (Direction of Foreign Trade)।

1. व्यापार की मात्रा (Value of Trade)

व्यापार की मात्रा देश के आयात व निर्यात के कुल योग द्वारा जात की जाती है। भारतवर्ष के विदेशी व्यापार के अवलोकन से जात होता है कि गत वर्षों में इसमें वर्षांत बृद्धि हुई है, क्योंकि यह वर्षों में भारत के आयात व निर्यात दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। हम इनका बहुग अलग विवेचन करेंगे।

(क) आयात—भारतवर्ष ने बोर्डरीकरण द्वारा एवं वार्षिक विकास के साथ-साथ आयातों में तेजी से बृद्धि हुई है। जैसा कि निम्न सारिणी में दिलाया गया है।

आयात में बृद्धि

वर्ष	आयात (करोड रु. म)
1951-52	962 90
1955-56	773 10
1960-61	1105 70
1965-66	1269 00
1966-67	2078,00
1967-68	2008 00
1968-69	1909 00
1969-70	1582 67
1970-71	1625 17
1971-72	1853 00

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रबल्यांव योजनावधि में औसत प्रति वर्ष आयात कमशु 730, 1080 व 1955 करोड रु. का हुआ।

(ख) नियंत्रित भारत में यह बद्दों में नियंत्रित व्यापार में भी बृद्धि हुई है, लेकिन यह बृद्धि आयातों की तुलना में पिछड़ी रही है। प्रथम योजना में प्रतिवर्ष औसतन नियंत्रित 622 करोड रु. का या तथा दूसरी योजनावधि में यह औसत 613 करोड रु. तक ही पहुंच पाया। तृतीय योजना काल में हमारे देश का व्यापिक बोर्ड नियंत्रित 1185 करोड रु. का था। भारत में नियंत्रित व्यापार का गिरावंत सम्बन्धी प्रशंसन का अन्दाज़ा निम्नांकित टालिया से लगाया जा सकता है।

नियंत्रित में व्यवस्था

वर्ष	नियंत्रित
1951-52	730 1
1955-56	640 3
1960-61	630 5
1965-66	1269
1966-67	1157
1967-68	1199
1968-69	1358
1969-70	1413 21
1970-71	1535 16
1971-72	1567 00

उपर्युक्त इन विवेचन से यह पता चलता है कि यह दर्पों में इसरे आयात व निर्यात दोनों ही तीव्रता से बढ़े हैं। आपातों में हीने वाली वृद्धि नियमिती में हीने वाली वृद्धि की तुलना में कही अधिक रही है। यही कारण है कि व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता निरन्तर बढ़ती हुई है।

भारत के विदेशी व्यापार की रचना (Composition of India's Foreign Trade) :

किसी देश की 'व्यापार रचना' से हालायद उस देश द्वारा आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुओं से होता है। भारत के विदेशी व्यापार की रचना का जब-लोकन करने से पता चलता है कि इसमें स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद काफी परिवर्तन हुआ है।

भारत के आयात की रचना (Composition of India's Imports) :

यह दर्पों में आयातों के अकार में परिवर्तन के साथ साथ आयातों में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं के आकार में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। सन् 1951 ई० में पूजीगत वस्तुओं के आयातों का गूह्य लाभम् 24 प्रतिशत था जो तृतीय योजना के अन्त तक यह कर 35.1 प्रतिशत हो गया - पूजीगत वस्तुओं के आयात में हानि वाली इस वृद्धि का कारण नियोजनकाल में देश की विकास योजनाओं के लिए बढ़ती हुई पूजी उपकरणों की माग की पूर्ति करना था। पूजीगत उपकरणों के आयात प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजना में कमशा 1,154,2,283 रुपया 2,500 करोड़ रु० के हुए।

प्रथम योजनावार्ष में 106.1 करोड़ रु० के कर्वे माल का आयात किया गया था जो कुल आयात का 24.4 प्रतिशत था। दूसरी योजनावार्षि में कर्वे माल का आयात अपेक्षाकृत कम हुआ, अर्थात् यह पट कर 91.9 करोड़ रु० रह गया। यह कुल आयात का 17.7 प्रतिशत था। तृतीय परवर्षीय योजना में कर्वे माल की माग बढ़ जाने के कारण आयात में पुनः इनका भाग बढ़ गया जो कुल आयात का 2.2 प्रतिशत था। इन्हन्हना प्राप्ति के पहचान् व्यावाहरों के आयात में भी वृद्धि हुई। प्रथम तथा द्वितीय योजना कल से कमशा 15,6,14.9 प्रतिशत आयात स्थायान्त्रों का था। तृतीय योजनावार्षि में खाद्यान्त्रों का आयात बढ़ कर 24.5 प्रतिशत तक पहुँच गया।

निम्नांकित सारिणी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनावधि में भारत द्वारा आयात की जाने वाली बस्तुओं के वार्षिक औषत आयात पर प्रकाश ढालती है।

आयात का वर्गीकरण (कुल आयात के मूल्य का प्रतिशत)

माद	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
पू. औ. पदार्थ	28.8	42.2	35.1
फलवा माल	24.4	17.7	21.2
उष्ठोक्ता पदार्थ	22.5	19.8	15.5
खाद्यान्न	15.6	14.9	24.5

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि नियोजन काल के प्रथम पन्द्रह वर्षों में आयात का स्वरूप बदल कर पू. औ. पदार्थ बस्तुओं व कच्चे माल के पक्ष में हो गया है तथा उत्थोक्ता बस्तुओं का आयात धीरे धीरे कम होता गया है। आयातों का यह बदला हुआ स्वतंप हमारी अर्थ व्यवस्था के बढ़ने हुए औद्योगिकरण का प्रतीक है। खाद्यान्नों का आयात हमारी व्यापक समस्या की जोखीनीद स्थिति का दिशान्तर करती है।

भारत के प्रमुख आयात—भारत में आयात किए जाने वाले प्रमुख पदार्थ निम्नांकित है—

1. मशीनें व परिवहन का सामान भारतवर्ष के नियोजन के 21 वर्षों के बाद भी, मशीन बनाने वाले उद्योगों का अभी तक पूरी तरह विकास नहीं हो पाया है। देश के पुराने कारखानों को निरन्तर चालू रखने के लिए तथा नए-नए कारखानों को खोल कर औद्योगिक इन्डस्ट्री को गति को तेज़ करने के लिए, भारत को विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं के द्वारा, अपनी तुलेभ विदेशी मूद्रा का एक बहुत बड़ा भय मरीनों के आयात पर नर्त दरना पड़ा है। हमारा देश सामान्यतः श्रिटन, अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत रूस, जापान एवं पूर्वी योरोप के अन्य देशों से मरीनों का आयात दरता है। सन् 1969-70 ₹० में भारत ने 403 करोड़ ₹० की मरीनों का आयात किया था। सन् 1970-71 में 393.8 करोड़ ₹० की मरीनों का आयात किया गया।

2. खाद्यान्न भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी खाद्यान्नों के मामले में मेलाम तिरंगे नहीं हैं। प्रथम योजना के अन्तिम वर्षों को छोड़ कर, हमें

संदेव ही विदेशो से गहरे व चावल का आपात करना पड़ता रहा है। गहरे का आपात भारत में भूष्यत अमेरिका, कनाडा व आस्ट्रेलिया से किया जाता है, जबकि चावल के मुख्यत अर्था, अर्बलैण्ड तथा सदूचत अरब गणराज्य से मियाया जाता है। सन् 1967-68 में हमारे देश में 518.2 करोड़ रु. का राष्ट्रान्व आपात किया गया था। सन् 1970-71 में भारत ने 213 करोड़ रु. का चावाल आपात किया। सन् 1971-72 में राष्ट्रान्वी का आपात और नया हुआ है।

3 तोहां व इसात भारतवर्ष में विगत कुछ वर्षों में लोहे व इस्पात की मांग बहुत व्यापक बढ़ गई है, क्षेत्रिक देश का तेजी से वृद्धिमीकरण ही रहा है। निषेजन के विगत चर्चों में हमने सार्वजनिक खेत में सीन बड़े लोहे व इस्पात के कारखाने चालू किए हैं तथा तिजी क्षत्र को भी इस दिवास में प्रयत्न करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया गया है, तथापि भारतवर्ष खब तक भी लोहे व इस्पात के मामले में स्वावलम्बी नहीं हो सका है और हमें लोहे व इस्पात का विदेशो से आपात करना पड़ता है। भारत में सामान्यत इगर्लैंड, अमरीका तथा परिषदी जर्मनी से लोहे व इस्पात का आपात किया जाता है। सन् 1970-71 में भारत ने 147 करोड़ रु. का इस्पात विदेशो से मियाया था।

4 पेट्रोलियम भारत की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को एक बहुत बड़ी कमी यह है कि यह पेट्रोल जैसी महत्वपूर्ण वस्तु की मात्र के बड़े 17 प्रतिशत भाग ही पैदा करती है तथा यह 43 प्रतिशत आवश्यकताओं के लिए हमें विदेशो द्वारा की गयी पूति पर निर्भर रहना पड़ता है। गत कुछ वर्षों में भारत में तेल साफ करने के लिए कई कारखाने लोके गए हैं, लेकिन कूड़ बायल (Crude Oil) का आपात आज भी करना ही पड़ता है। भारतवर्ष में परिषहन के साधनों की बृद्धि के साथ-साथ पेट्रोलियम की मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, अत ऐट्रोलियम का उत्पादन बढ़ाना देश के लिए आवश्यक ही गया है। भारत सामान्यत अर्था, ईरान, ईराक तथा अमेरिका से बाही बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम का आपात करता है। सन् 1967-68 ई० में हमारे देश में 59.73 करोड़ रु. का पेट्रोलियम विदेशो से मियाया गया। सन् 1969-70 में 138 करोड़ रु. के खनिज तेल (पेट्रोल व मिट्टी का तेल) का आपात किया गया।

5 कपास विभाजन के पश्चात् स भारत गे कपास की कमी भी महसूस की जाती, करी, क्षेत्रिक कृषिय पैदा करने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र, उत्तरारे के फलस्वरूप, पर्याप्ततान में चला गया। भारत में अच्छे बस्तों के नियमित के लिए, बड़े रेत वाली कपास की वर्षत है, जो देश में पैदा नहीं हो जाती, अत इसे अमेरिका, संयुक्त अरब गणराज्य, मुदान एवं पर्याप्ततान से बंगाला पड़ता है। भारत में सन्

1969-70 में 82.8 करोड़ रु० की कमास का आयात किया गया था। 1970-71 में 98.8 करोड़ रु० की कमास का आयात किया गया।

6. उर्वरक एवं रासायनिक पदार्थ : भारत में उखोयों, रसो एवं दवाइयों के लिए विविध प्रकार के रासायनिक पदार्थों का आयात करना पड़ता है। तथा खेतों को सादे देने के लिए उर्वरकों का आयात किया जाता है। रामान्धतः अमरीका, रुस तथा ब्रिटेन ने इनका आयात किया जाता है। 1970-71 में कमास 216.5 करोड़ रु० के रासायनिक पदार्थों एवं उर्वरक का आयात किया गया था।

7. जूट . विश्वजन के बाद भारत में जूट की बहुत कमी महसूस की जाते लगी थी, वजेकि जूट के प्रायः सभी कारखाने तो भारत में था एवं ये तथा कच्चा जूट पेंदा करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में रह गए थे। थीरे-वीरे भारत ने कच्चे जूट की कमी पूरी कर ली है, लेकिन भी भी कुछ न कुछ मात्रा में जूट का पाकिस्तान से आयात करना पड़ता है। सन् 1969-70 में भारत ने केवल 1.1 करोड़ रु० का कच्चा जूट मांगा था। सन् 1970-71 में 0.1 करोड़ रु० का ही कच्चा जूट विदेशी से मांगा गया।

बन्य वस्तुएँ : उपर्युक्त व्यित वस्तुओं दे अतिरिक्त भारत विदेशी से तीव्र, हीसा, रागा, आदि व्यतिज पदार्थों का आयात करता है। इनके बिलावा सौवालीन, तेल, भेंट की चर्ची, कच्चा राजू, दूध का पाउडर, सौपरा, सुन्दी रखड़, पेपर, ऐपर वोड तथा कच्चे ऊन का भी आयात करते हैं।

भारत के निर्यात की रचना (Composition of India's Exports) । आयातों की भावति भारत के निर्यात व्यापार में भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् वरिवर्तन हुए। भारत के निर्यात की प्रमुख वस्तुएँ तीन व्येणियों में बाटी जा सकती हैं, यथा (i) उत्तरोत्तर वस्तुएँ; (ii) कच्चा माल; (iii) अन्य वस्तुएँ। नीचे दी हुई तालिका में प्रत्येक व्येणी के विवरों में हुए वरिवर्तनों को दर्शाया गया है :

वस्तुये	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66
उपभोग वस्तुये	41.0%	33.0%	37.0%	42.0%
कच्चा माल	36.0%	41.0%	36.0%	36.0%
अन्य वस्तुये	23.0%	26.0%	27.0%	22.0%
योग	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

उपर्युक्त तालिका से हम वस्तुओं के बारे की निर्णायक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निर्णायक की प्रमुख वस्तुओं के औसत वार्षिक निर्णायक का ज्ञान हमें अधिलिखित तालिका से प्राप्त हो सकता है—

योजना काल में औसत वार्षिक निर्णायक (करोड ६० में)

वस्तु	प्रथम योग्यावधि में	दूसरीप्रथम योग्यावधि में	तृतीय योग्यावधि में	1966-67 से 1970-71
चाय	106	132	120	151
निर्मित जूट	149	120	157	209
सूती कपड़ा	81	76	55	85
कच्ची खाले	32	35	35	72
घानुषे (लोहा, अश्वक, जस्ता आदि)	30	37	50	112
कपास	27	18	16	17
तम्बाकू	15	16	20	30
बनस्पति तेल	27	16	10	6

तृतीय वर्षवर्षीय योजना काल में कच्चे लोहे, चौड़ी, लोहे व इस्पात, हाँच करघ वी वस्तुओं तथा अभियानिक वस्तुओं का निर्णायक रद्द याद। इसके विपरीत चाय, जूट की वस्तुओं एवं सूती कपड़े के निर्णायक में पहले की तुलना में कमी हुई। सन् 1960-61 में निर्णायक में इन वस्तुओं का भाग 48 प्रतिशत था जो 1965-66 में घट कर 43 प्रतिशत रह याद। इस योजना काल में राजायनिक तथा अभियानिक दोनों में कुछ नई वस्तुओं का निर्णायक प्रारम्भ किया गया। वस्तुतः भारत का निर्णायक एवं एक बहु-विकसित अर्थ-व्यवस्था का प्रतीक है जिसका अधिकतर भाग उपभोग वस्तुओं, एवं कालो और कुपि पदार्थों का है। पूजीगत वस्तुओं का भाग 1966-67 व 1970-71 के मध्य कुल निर्णायक में केवल 8.6 प्रतिशत था। निर्णायक वस्तुओं का भाग 37.7 प्रतिशत, कच्चे मालों का 17.3 प्रतिशत तथा खाद्य देश व तम्बाकू का भाग 30 प्रतिशत था।

भारत के प्रमुख निर्णायक भारत के निर्णायक की प्रमुख वस्तुएँ निम्नोक्ति हैं—

1. जूट का सामान जूट के सामान का भारत के निर्णायक व्यापार में अहत्यकूण न्यून है। जूट के टाट, चटाइवर, बोरे, चडीचे, सुतली आदि इनाये जाते हैं। आजादी से पहले जूट के सामान की दूरी में भारत को प्राय एकाधिकार-सा प्राप्त था, लेकिन देश के विभाजन के बाद यह स्थिति नहीं रही। पाकिस्तान हमारा प्रतिपथी बन गया तथा कई आयात करने वाले देशों में इसकी स्थानापन्न बनाना

प्रारम्भ कर दिया, फिर भी जूट के सामान को बाहर भेज कर भारत बहुत बढ़ी मात्रा में छाल बनाता है। भारत सामान्यतः अमेरिका, इंग्लैण्ड, संयुक्त अधिकार गणराज्य, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड आदि देशों को जूट का सामान भेजता है। सन् 1970-71 में जूट के निर्यात से भारत ने 190 00 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

2 चाय जूट के सामान ही चाय भी भारत के परम्परागत निर्यात की बस्तु है तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण पदार्थ रहा है। इंग्लैण्ड भारतीय चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और प्राय हमारी चाय के कुल निर्यात का दो तिहाई भाग इंग्लैण्ड को ही भेजा जाता है। ये एक तिहाई भाग के खरीदार देशों में अमेरिका, कनाडा, ईरान, संयुक्त अधिकार गणराज्य, सूडान, हग तथा पश्चिमी चीनी आदि देश आते हैं। आजकल भारत की चीन, लक्का तथा इन्डोनेशिया से चाय के निर्यात में प्रतिस्पर्धा का सामना करता पड़ रहा है। सन् 1970-71 में भारत ने 184 3 करोड़ रु. की चाय का निर्यात किया था।

3. सूती वस्त्र . सूती वस्त्र तथा तूत के निर्यात से भारत का प्रमुख स्थान है। बीदोनिक कानित से पूर्व, भारत की उच्चकोटि की सलमल धोरीप के देशों में बहुत स्थान प्राप्त कर चुकी थी। आजादी से पूर्व अंग्रेजों की स्वार्यपूर्ण आर्थिक नीति के कारण भारत को इंग्लैण्ड से सूती वस्त्रों का आवाहन करना पड़ता था, लेकिन अब यह बात नहीं रही है। इस समय भारत इंग्लैण्ड, दर्मा बलेशिया, लक्का, आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान एवं मध्य पूर्व के अनेक देशों में सूती वस्त्रों का निर्यात करता है। इस समय चीन, जापान तथा प्रिटेन से इसे प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा है। बरत इस उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक हाविन को बढ़ाने के लिए समूचित उपाय बाढ़ीय है। भारत ने सन् 1970-71 में 75 3 करोड़ रु. के वस्त्र का निर्यात किया था।

4 कच्चा लोहा भारत में कच्चे लोहे के अनुल भण्डार उपलब्ध हैं और सम्भवत विषय के किसी भी देश में उसका इतना अधिक भण्डार नहीं है। देश के नियों व सार्वजनिक धोन के सभी कारखानों को कच्चे लोहे सम्बद्धीय मात्रा को पूरा कर लेने के बाद भी हमारा देश बड़े पैमाने पर कच्चे लोहे के निर्यात करने की हितिहासी है। वर्तमान समय में भारत का कच्चा लोहा मुख्यतः जापान की भेजा जाता है। सन् 1970-71 में भारत ने 117 3 करोड़ रु. का कच्चा लोहा निर्यात किया था।

5 चमड़ी तथा चमड़े का सामान भारत में विषय के सर्वाधिक पद्धु पाये जाते हैं, अतः हमारे देश में प्रतिवर्ष काफी चमड़ा निकलता है। भारतवर्ष चमड़े तथा चमड़े की बड़ी हृदृष्टि अनेक बरतुओं का निर्यात करता है। अमेरिका, चीनी, फाल,

सू, इगलेंड, पश्चिमी जम्नी तथा हालेंड हमारे देश के चमड़े तथा चमड़े के सामान के प्रमुख आपात करने वाले देश हैं। सन् 1970-71 में भारत द्वारा 72.2 करोड़ रु० का चमड़ा व चमड़े का सामान विदेशों को भेजा गया था।

६ अध्रक विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत अध्रक भारत में ही उत्पन्न होता है। भारत से जो देश अम्रक आपात करते हैं, उनमें प्रमुख वेष्य अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा पश्चिमी जम्नी हैं। सन् 1969-70 में भारत ने 15.2 करोड़ रु० का अम्रक विदेशों को भेजा था।

७ हम्बाक भारत कच्चे टन्डाकू के निर्यात करने वाले देशों में प्रमुख स्थान रखता है। गत कुछ वर्षों से रोडेरिया एवं इक्सी अटीका हमारे साथ हीब्र प्रतिस्पद्धी करने लगे हैं। भारत मुख्यतः इगलेंड, जापान, स्वीडन, हालेंड, मलेनिया आदि देशों द्वारा हम्बाकू का निर्यात करता है। सन् 1970-71 में भारत ने 32.6 करोड़ रु० की उत्पादन का निर्यात किया था।

८ मैग्नीज भी भारत में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वर्तमान समय भ भारत अपनी उपज का हीन चौपाई भाग विदेशों को निर्यात कर देता है। भारत अपनी मैग्नीज को अमेरिका, योरोपीय देशों व जापान को वेच कर विदेशी मूद्रा बजित करता है। सन् 1969-70 में भारत ने 1100 करोड़ का मैग्नीज विदेशों को भेजा था।

९ बनस्पति तेल भारत में मूँगफली, कालसी, बरेण्डी का तेल हाफी पैदा किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हमारा दम निलहनों का निर्यात करता था, लेकिन वह तेल निलों की सहज में बृद्धि हो जाने के कारण भग भारत निलहनों की बजाय बनस्पति तेल का निर्यात करता है। भारत से सामान्यतः बर्मा, श्रीलंका, प्राची, अंडमान और निकोबार देशों द्वारा बनस्पति तेल का निर्यात किया जाता है। सन् 1970-71 में भारत ने लगभग 10.8 करोड़ रु० बनस्पति तेल के निर्यात से प्राप्त निए। इसी वर्ष तेल की खाली (oilcakes) का निर्यात 5.34 करोड़ रुपये का हुआ।

१० विविध वस्तुएँ उत्पादक देशों के अलावा भारत कुछ अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का भी निर्यात करता है। जैसे भराके, काजू, लाख, बिजली के पद्धे, कपड़ा, सीने की पद्धीने, साइरिंड दृष्टा अन्य इनीनिर्यातिंग वस्तुएँ। हाल ही में भारत जीवी वा भी निर्यात करते रहा है।

भारत एं विदेशी व्यापार की दिशा (Direction of India's Foreign Trade)

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार में इगलेंड तथा उसके साम्राज्य के देशों का भाग सर्वाधिक रहा था और यह स्वामानिक था था, वर्षोंकि

प्रतन्त्र होने के नाते भारत अपने हितों के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र व्यापार नीति रही अपना सहता था। परन्तु स्वतन्त्रता पापि के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अब डिटेन तथा उनके सामाजिक के देशों का भारत के विदेशी व्यापार में भाग उत्तरोत्तर कम हो गया है। भारत के विदेशी व्यापार की यह प्रवृत्ति अब भी क्रियाशील है। भारत के अपारिधिक मम्बन्ध अगे-रिखा, जापान, कम तथा पूर्वी योरोप के बम्ब दशों के साथ अधिक भवित्व बढ़ते जा रहे हैं। भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में होने याके परिवर्तनों की हुच तथ्यों द्वारा पुष्टि की जा सकती है, उदाहरणस्वरूप नगृ 1951 में भारत अपनी समस्त आवश्यकताओं का 11 प्रतिशत इंगलैण्ड य आयान बरता था, लेकिन 1966-67 से 1970-71 में यह भाग घट कर केवल 7.7 प्रतिशत ही रह गया। इसी तरह इस अवधि में भारत के निर्यात व्यापार में इंगलैण्ड का भाग 21.6 प्रतिशत से घट कर 11.1 प्रतिशत ही रह गया।

भारत के विदेशी व्यापार में अग्रिका, पूर्वी योरोप के दशों हामार स्थिता तथा नव मवन्त्र अपनी हो देशों का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व भारत के ज्ञायात में अमरिका का भाग प्राय 7 प्रतिशत के बराबर ही रहा रहता था, जो 1950-51 म बढ़ कर 18.0 ही गया और 1966-67 से 1970-71 में 27.4 प्रतिशत तक पहुच रहा। इसी प्रकार भारत के निर्यातों का भी एक बहुत बड़ा भाग अमेरिका की ओर होता है। इनोप विश्व युद्ध से पूर्व भारत के नियर्ति व्यापार में अमरिका का 9 प्रतिशत भाग था, जो 1950-51 व 1966-67 व 1970-71 में उत्तरोत्तर बढ़ कर कम्बा 17.8 प्रतिशत तथा 13.5 प्रतिशत ही गया। भारत के विदेशी व्यापार की बदलती दिशा ना जान हमें निम्न-लिखित से मिल सकता है।

भारत का अन्य दशों के साथ विदेशी व्यापार

(प्रतिशत)

दश	भायात			निर्यात		
	1950-51	1960-61	1966-67 से 1950-51	1960-61	1966-67 से 1970-71	
अमरीका	18	29.6	27.4	17.8	16.3	13.5
इंगलैण्ड	11	19.6	7.7	21.6	27.2	11.1
प. जप्पनी	2	11.0	6.5	1.7	3.1	2.1
सोवियत संघ	0.0	1.4	6.4	0.2	4.6	13.6
जापान	1.5	5.5	5.1	1.6	5.6	13.2
आस्ट्रेलिया	5	1.6	2.2	4.7	3.5	1.6

तीलिका से स्पष्ट है कि भारत के विदेशी व्यापार में एक ओर इंग्लैण्ड, अस्ट्रेलिया के हिस्ते में कमो होनी जा रही है, जबकि अमरीका, रूस तथा जापान का भाग बढ़ता जा रहा है। हाल ही में लूस के साथ हुई सधि के परिणाम स्वरूप लूस के साथ हमारे व्यापार के बढ़ने की ओर भी अधिक सम्मानार्थी है।

भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएँ

(Chief Characteristics of India's Foreign Trade)

भारत के विदेशी व्यापार के विस्तर विवेचन से हमें इसकी कुछ विशेषताओं का ज्ञान होता है, जो उल्लेख में गिनती किते हैं -

1. भारत के आयात व निर्यात बढ़ने जा रहे हैं जिसके कलात्मक भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा में उन वर्षों में स्थगित वृद्धि हुई है।

2. व्यापार भारत के आयात एवं निर्यात दोनों बढ़ रहे हैं, तथापि आयातों में निर्यातों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है।

3. भारत का व्यापार सत्रुतम् इत्यत्त्वता प्राप्ति के पश्चात् से और विदेश कर नियोजित अर्थ-व्यवस्था के प्रारम्भ होने से प्रतिकूल चल रहा है। अब भी व्यापार सत्रुतम् की प्रतिकूलता भारतीय अर्थ-व्यवस्था का सिरदर्द बनी हुई है।

4. यन वर्षों में भारत के आयात में पूरी जीवन वस्तुओं एवं वज्रे माल का महारव बढ़ रहा है तथा निर्यात में माल का पहचन बढ़ना जा रहा है।

5. भारत के बड़ानी देशी संग्राह एवं विकास न होने के कारण, भारत का अधिकारी व्यापार अर्थात् 6.8 प्रतिदिन व्यापार, तम्बो मार्ग स होता है।

6. भारत का विदेशी व्यापार भूल्यत वर्मदर्द, वलवता तथा गदास के घनदर्शाहों से ही होता है, अब इन घनदर्शाहों पर व्यापार का काफी दबाव रहता है।

7. भारत वे विदेशी व्यापार वा काम आज भी विदेशी फर्मों, जहाजों कम्पनियों, वित्तिय देंको व यामा कम्पनियों द्वारा दिया जाता है, कारबहूप विदेशी व्यापार का विविधांश लाभ इन्हीं को प्राप्त हो रहा है।

8. भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। लिटेन का महरव हमारे विदेशी व्यापार से भीरे भीरे घटडा जा रहा है तथा अमरीका लूस, पूर्वी योरोप एवं जापान का महरव बढ़ता जा रहा है।

9. भारत का प्रति व्यक्ति विदेशी व्यापार अब भी बहुत कम है। यदि हम विश्व के अन्य विदेशों से इसकी तुलना तो तो प्रति व्यक्ति विदेशी व्यापार का मूल्य बहुत ही कम है।

10 भारत सरकार द्वारा नियंत्रित सम्बद्धन की दिशा में किये गये प्रयत्नों का कुछ सफलता प्राप्त हुई है तथा कुछ नई वस्तुओं का नियंत्रित बढ़ाया जा रहा है।

11 भारत के प्रमुख आपात में मशीनों, खाशालों, कपास, पेट्रोल आदि का प्रमुख उत्पाद है तथा नियंत्रित में चाप, सूती वस्त्र एवं जूट के सामान प्रमुख हैं।

12 विदेशी व्यापार में द्विपक्षीय समझौतों (Bilateral Trade Agreement) का महत्व बढ़ रहा है। सूलभ मुद्रा (Soft Currency) द्वारा से आवश्यक सामान प्राप्त करने हेतु भारतीय माल के नियंत्रित को बढ़ाने के लिये इस प्रकार के समझौते किए जा रहे हैं।

13 राजकीय व्यापार (State trading) की महत्ता हमारे विदेशी व्यापार में बढ़ रही है। राजकीय व्यापार नियम सम्पर्कदारी देशों के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

14 वर्तमान समय में नियंत्रित की वस्तुओं जूट, मैग्नीज, कानू, सूती वस्त्र, स्ट्रिंज पदार्थ में वृद्धि हुई है, लेकिन चाप, चीनी, आदि वस्तुओं का कम नियंत्रित हुआ है। खाश पदार्थों, कपास, इस्पात व लोहा, मशीनों तथा राष्ट्रायनिक खाद के आपात में वृद्धि हुई है।

भारत सरकार की व्यापार नीति

किसी भी देश का विदेशी व्यापार, समन्वय देश की अर्थ व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालता है। मुनियोजित आपात एवं नियंत्रित व्यापार समूलता को पक्ष में लाऊंट देश वो प्रचुर व्यवस्था प्रदान करते हैं, जिन पर देश के बौद्धिक विकास की दृष्टि नोक रखी जा सकती है। व्यापार नीति के दो पहलू होते हैं, आपात एवं नियंत्रित नीति। अगले अनुच्छेदों में हम भारत की आपात व नियंत्रित नीति की अलोचनात्मक विवेचना करेंगे।

1. भारत सरकार की आपात नीति - स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत सरकार की व्यापार नीति का प्रमुख आपात, देश हित के साथ साथ इमर्लेण्ड के हितों की रक्षा करता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस नीति में परिवर्तन किया गया, जो स्वागांधिक था। सन् 1948 ई० में बांग्लादेश मवी की अड्डालता में एक आपात सलाहकार परिषद का घटन किया गया था। यह परिषद आयातकर्त्ताओं की आपात के लिए अनुद्घान (लाइसेन्स) प्रदान करती है। आपात की समर्पण वस्तुओं को लीन भाष्यों में रखा गया है— (i) ऐसी वस्तुएं जिनके लिए लाइसेन्स नहीं दिये जा सकते, (ii) ऐसी वस्तुएं जिनके आपात के लिए केवल सीमित अवधि तक ही साइरेन्स दिये जाते हैं, तथा (iii) ऐसी वस्तुय जो खुले मामांडे काइसेन्स के अन्तर्गत

आही है। यह परिपद् आयात के लिए कन्वे माल, मशीन तथा स्ट्रॉनग क्लेच की वस्तुओं को प्राथमिकता देती है। *प्राथमिक मालीन व्यवस्था*

मन् 1950 हूँ मे, भारत सरकार ने एक 'आयात नियन्त्रण जाव सरिति' बनाई, जिसने आयात नियन्त्रण नीति के तीन उद्देश्यों पर वल दिया। ये उद्देश्य ये:

- (i) आयात, अधिक विदेशी विनियम तक सीमित हो,
- (ii) उपचार विदेशी विनियम का इस प्रकार उपरोक्त किया जाय कि एक ओर ही उपभोक्ताओं की अधिकतम सुधोप्राप्त हो तथा दूसरी ओर नियोजित विधान की उन्नति हो, तथा
- (iii) जहां तक सम्भव हो कीमतों में होने वाले उत्तर-वड़ाब रोके जाए।

इस नीति ने आयात सम्बन्धी कुछ विधारिणी भी की थी जिसमें मे प्रमुख यह है, (i) लाइसेन्स के लिए वाम्बिक उत्तरोक्ताओं स्थापित आयातकर्ता कर्मी तथा सम्बुद्धित नए व्यापारियों को दिये जायें, (ii) लाइसेन्स प्रदान करने की नीति इस प्रकार की हाजी बढ़ावा दिये हुन्नप्राप्त उपरोक्त उपभोक्ताओं द्वारा जाए, (iii) सरिति ने जो प्राथमिकता कम सुनाया था वह इस प्रकार है, (क) आवश्यक कम्बामाल (ल) मशीनों के प्रयोग (ग) हृषि से सम्बन्धित वस्त्र (घ) वर्तमान चालू उद्योगों के लिये मशीनरी, (इ) अविदेशी उपभोक्ता सामान (ब) वर्तमान उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनरी (उ) व्यय उद्यानों के लिये आवश्यक मशीनरी, तथा (ज) अन्य आवश्यक सामान।¹⁴ खुने सामान्य लाइसेन्स (Open General Licences) की सूची द्वा विधान उम समय सक्त न किया जाय जब तक कि इसे दीर्घकाल तक दबावे रखना सामयिक न हो, (ए) व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी प्रशासनिक कुशलता में नृदि की जाए। भारत सरकार ने उपर्युक्त यशो सिकारियों स्वीकार बत ली थी। केवल प्रावामादा अम म परिवर्तन हिया गया। नवांन प्राथमिकता कम इस प्रकार रखा गया। (क) आवश्यक कच्चा माल, (ल) पुरानी मशीनों के पुर्जे एवं भाग, (ग) जावकोपयागी एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वस्तुयें, (घ) व्यय वज्ज्वा माल तथा मशीनरी, (इ) अन्य आवश्यक सामान, तथा (ब) अनावश्यक सामान।

इस नम्प भारत सरकार दी आयात नीति के अन्तर्गत देश के धोदोपिक विकास के लिये मशीनों, यात्रा एवं आवश्यक सामान सामान के आयात दो वडाया जा रहा है। कच्चा माल के आयात में भी नृदि दी जा रही है। अरेकाहु कम महस्त चीज़ अस्तुजों का आवश्यक न किया जा रहा है। उत्तरोक्त वस्तुओं के आयात को कर्षे सीमा करो द्वारा हनोरनाहिं किया जा रहा है। सरकार आयात के लिये लाइसेन्स देनी है, परन्तु कुछ आयात वस्तुओं के कोटे निर्बाधित कर दिये गये हैं। विदेशी विनियम सम्बन्धी कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने विदेशी सरकारों

से आधिक मद्दापना ली है। 6 जून, 1966 को सरकार द्वारा उपर्योग के अवमूलन किये जाने के परिणामस्वरूप आयात नीति में भी गतिविनंत्र दिया गया और इसे उदार बनाया गया। इस उदार नीति के अन्तर्गत देश के 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को कच्चे माल, खनीनों एवं उक्तों पुँजी के आयात के लिये वित्तव्य लाइसेंस दिये गये। यह आया की गई थी कि इससे देश का आन्तरिक उत्पादन बढ़गा तथा आयातों पर दबाव कम होगा। 1967-68 में सरकार द्वारा घोषित आयात नीति की मरम्मत उद्देश्य उत्पादन एवं नियंत्रण में बुद्धि करना था।

जून 1972 के भारत सरकार के विदेशी व्यापार मंत्री ने 1972-73 जिस आयात नीति की घोषणा की उन्होंने प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं-

(i) नई नीति का लक्ष्य आप्त नियंत्रण। तथा निःति में बुद्धि करना है। इन्ही उद्योगों की पूर्ति के लिये आयात नीति के अन्तर्गत 160 वस्तुओं के आयात पर पूर्ण तथा 87 वस्तुओं के आयात पर आशिक प्रतिवर्त्तन लगा दिया गया है।
 (ii) नई आयात नीति के अन्तर्गत 46 नई वस्तुओं का आयात सरकारी मस्थाओं के आधारपूर्वक किया जायेगा। (iii) प्राथमिकता प्राप्ति लघु उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता के आधार पर ही आयात कर सकते। (iv) विदेशी से लौटने वाले भारतीयों को उद्योग खालीने पर 5 लाख रु. की खण्डने व 2 लाख रु. तक का वच्चा माल आयात करने की मुश्किल बिलेगी, (v) नियंत्रण संस्थाओं की अनुदान की सुविधाएं बढ़ाई जायेगी, (vi) नई वस्तुओं के नियंत्रण करने वाले नियंत्रण संस्थाओं को अधिक कच्चा माल आयात करने की छूट दी जायेगी, (vii) नई नीति के अनुपार कुछ बदलाव इसी विधि द्वारा और संस्थाओं पर सोलमें के लिए विशेष सहायता दी जायेगी, (viii) एसे इस्पात आयात करने वालों को विदेशी मुद्रा की सुविधा दी जायेगी, जो अपने उत्पादन का नियंत्रण करते हैं, (ix) लाइसेंस के लिए एवं अवैदन वर्तों को तेजी से निवाटने के लिए आवश्यक उपबन्धा की गई है आदि।

भारत सरकार द्वारा अपनाई गई आयात नीति की विद्वानों द्वारा समय समय पर जो आलोचना वीर्य वह है निम्नलिखित है-

(क) अतिरिक्तता सरकार की आयात नीति में इन्होंने जल्दी परि वर्तने किये जाते हैं कि दैनंदिन में व्यापारिक अनिश्चितता वा वातावरण उत्पन्न हो गया है।

(ल) सरकार की आयात नीति दा आयात विदेशी विनियम की उपलब्धता है, जबकि इसमें आयात देश की व आधिक खोजीगिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिये था।

(ग) सरकार द्वारा जारी की गई लाइसेन्स व कोड़ा प्रणाली इतनी बहित्र एवं अवैज्ञानिक है कि इससे अम्टाकार को प्रोत्साहन मिल सकता है।

2. भारत की सरकार नियंत्रित नीति : भारत सरकार की नियंत्रित नीति का आधार नियंत्रित नियन्त्रण न होकर नियंत्रित-प्रोत्साहन है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही सरकार नियंत्रित बढ़ा कर भुगतान सम्बुद्धन की प्रतिकूलता की नियन्त्रित करने का प्रयत्न करती चली आ रही है, लेकिन कई कारणों से सरकार अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हो पाई है। यही कारण है कि भुगतान सम्बन्धी समस्या का समूचित निरापरण नहीं किया जा सका है। गत कुछ वर्षों में तो भारत के नियंत्रित प्राप्ति स्तर रहे हैं। सरकार द्वारा नियंत्रित की प्रोत्साहन करने के लिये विभिन्न वर्षों में जो नियंत्रित नीति अपनाई गई है तथा जो कदम उठाये गये हैं, उनमा मधिमा विवरण दी जाएगी।

(i) सरकार ने विभिन्न वस्तुओं के नियंत्रित बढ़ाने के लिये नियंत्रित प्रोत्साहन परिषदों (Export Promotion Councils) बनाई हैं, जो नियंत्रित बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार को समय-समय पर सुआव देती हैं। इन परिषदों के कामों के काल स्वल्प रैशम, रेखन, तम्बाकू, मसाले, खल व इन्हींनियंत्रित के सामान आदि के नियंत्रित को प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

(ii) सरकार ने नियंत्रित करनी जोखियों को कग करने के लिए जौखिया श्रीमा रिसर्च (Export Risk Insurance Corporation) की स्थापना की है।

(iii) भारतीय माल के बारे में विदेशियों को आवश्यक जातकारी प्राप्त होती रहे, इस उद्देश्य की दृष्टि के लिये सरकार ने नमय-नमय पर विदेशी में व्यापारिक मेलों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया है।

(iv) नियंत्रित प्रोत्साहीत हो सके इम्बिप्रे नियंत्रित होने वाली बिकान वस्तुओं पर से नियंत्रित कर समाप्त कर दिये गये हैं।

(v) नियंत्रित की जान वाली वस्तुओं को यातायात सम्बन्धी मुद्रिताओं में प्राप्तिकरण दी जाती रही है।

(vi) भारत सरकार ने 'राज्य व्यापार निगम' (State Trading Corporation) की स्थापना की है, जो नीतिपूर्ण रूप तथा पूर्ण योगीत के अन्य सम्बद्धादी देशों के लाप व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील है। कुछ वस्तुओं के नियंत्रित बढ़ाने में इतनी नियंत्रित वडा व्याहोनीय कार्य किया है।

(vii) नियंत्रित बढ़ाने के ही उद्देश्य से सरकार ने नियंत्रित वस्तुओं के उत्पादन करने में सहाय दी है तथा नियंत्रित वस्तुओं के नियंत्रित में प्रदोग होने वाली वस्तुओं पर दिये गये तट कर या उत्पादन कर औ बापम कर देने की नीति अपना रही है, ताकि नियंत्रित की जाने वाली उत्पत्ति की ८,५१,३० लाख वटाई जा सके।

(vii) रिजर्व बैंक, इटेट बैंक और इण्डिया एवं निगम, निर्यात व्यापार को शोत्राहित करने के लिए निर्यात करने वालों को अल्प एवं मध्यम-कालीन साल सुविधायें भी देते हैं।

(ix) सरकार ने निर्यात व्यापार की वृद्धि के लिये सुझाव देने तथा सम्बन्धित समस्याओं पर सरकार को उचित प्राप्ति देने के लिये समय-समय पर कई जात समितियां नियुक्त की, जिनके सुझाव निर्यात-सम्बद्ध ने में बड़े सहायता हुये हैं। इन समितियों में 'गोरखाला समिति' 1949, 'दो सुझाव समिति' 1957 तथा 'मुद्रालिपर समिति' 1961 के नाम उल्लेखनीय हैं।

(x) नियंत्रित सम्बद्धन के बार्थों को गुचारु हा से चलाने के लिये, सरकार ने कुछ अन्य साधागत सबृहन देता है जिनके कार्यों का विवरण इस प्रकार है :
 (क) व्यापार सम्बद्ध 1962 द्वारा व्यापार के सभी पहलुओं पर विनाश घरको जनके सम्बन्ध से सरकार को मलाह देना है। (ख) नियंत्रित सम्बद्धन विदेशालय 1957 : इसका प्रमुख कार्य नियंत्रित लक्ष्यों को आवश्यक नूचनामे तथा सहायता देना है। (ग) लेन्ड्रीव नियंत्रित सम्बद्धन गलाहकार समितियाँ : इन समितियों का प्रमुख कार्य अपने लेन्ड्रीव के नियंत्रित में सम्बन्धित समस्याओं की ओर सरकार का उत्तराधारणीय व्यापार है। (घ) नियंत्रित सम्बद्धन परियदे भारत में इस समय 15 परियदे हैं तथा ये विविध बस्तुओं के नियंत्रित सम्बद्धन सम्बन्धी रार्थ कर रही है। (ङ) बस्तु-मण्डल , जो बस्तु-मण्डल स्थी नियंत्रित-सम्बद्धन परियदों की भालि ही नियंत्रित घटाने के पार्थ में लगे हुये हैं। (च) नियंत्रित साधा गारम्ही निगम 1951 : यह नियम नियंत्रितों को उन जोखिमों के लिये बीमा सुविधायें दियता है, जो साधारण बीमा कम्पनियों द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। (छ) खनिज व धातु व्यापार निगम 1963 : यह राज्य व्यापार निगम से भिन्न है तथा इसका प्रमुख वार्थ स्थनिज व धातुओं का आयात व नियंत्रित करना है। इस निगम ने कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के नियंत्रित से वहा सराहनीय कार्य किया है। (ज) नियंत्रित निरीक्षण परियद 1963 : यह परियद किसी नियंत्रण का कार्य करती है, ताकि नियंत्रित किये जाने वाला यामात धटिया न हो।

(xi) नियंत्रित सम्बद्धन यांत्रिकी सुविधाओं के विस्तार के लिये सरकार ने कुछ अन्य कदम भी उठाए हैं, (क) नियंत्रित सदन—नियंत्रित व्यापार में विशिष्टीकरण का निकाम करने तथा नियंत्रों के उच्च भूर की बनावे रखने के लिये, सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत प्रसिद्ध व्यावसायिक फर्मों की नियंत्रित सदनों के रूप में यात्यावधी जारी रखी जाएगी तथा इन्हीं नियंत्रित सम्बन्धी उत्तिष्ठय सुविधायें दी जायेंगी। (ख) विवरन विकास निधि 1963—भारत में नियंत्रित वदार्थों एवं नियंत्रिकरणों व उत्पादनों के लिये विदेशी बाजारों के विकास की योजनाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करने लिये इसका गठन किया गया है। (ग) नियंत्रित अपरिविष्ट 1963—

इसके अन्तर्गत बाहर भेजे जाने वाले मूल पर अनियाये विस्मनियन्त्रण तथा यहाँ पर सारे लाइटे गे पूर्व निरीक्षण व्यवस्था लिनियाएं कर दी गई हैं।

(xi) 6 जून 1966 को सरकार ने निर्यात दातान के एवं इसका काव्यमूल्यन दर दिया, ताकि भारतीय वस्तुये विदेशी बाजारों में सभी होने वाली अधिक बिक सकें।

उपर्युक्त प्रयत्नों के द्वारा भी हमारे निर्यात अभी तक यथास्थिर बने हुए हैं और इनमें कोई विशेष बद्धि नहीं हुई है। 1967-68 में सरकार ने कई निर्यात वस्तुओं पर लगाने वाले फ्रैट में कमी कर दी, जैसे चाव तथा जूट वे ताजान पर नियोज कर घटा दिये गये थे एवं इसके पर निर्यात कर पूछत रामात् वर्दिया गया। यही नहीं, कुछ चुनी हुई गैर व्यवस्थागत व सूने दर दिये जाने वाले तदृद उपचान की मात्रा बढ़ाया गई।

जुलाई 1970 में भारतीय समूह में प्रस्तुत नियात नीति दस्तावेज़ भेज़ दिया दर से निर्यात अर्जन के लिए नियात मूल्य उत्पादन से बटाने पर जोर दिया गया है। उत्पादन में विकास के माध्यम आधिक कुइलटा एवं चृड़ि उत्पादन का दृढ़ मृद्योकरण तथा कुमार एवं बबुल बनाविक वा अधिक लाम उपयोग करने पर बल दिया गया है। कृषि तथा विभिन्न उद्योगों में डापादान चुंड़ि के प्रयत्नों के राष्ट्र-राष्ट्र नियोजन करने वाले उद्योगों की सहायता के लिए विदेशी प्रब्रिटिश औद्योगिक अमरा उत्पन्न या विकास वर्तन के लिए लाइसेंस दी गयी अजीतरी व कर्जने माल के आवात के लिए लाइसेंस व्यवस्था में उपर्युक्त मुद्दाएँ भी व्यवस्था बरते का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त विवेचन से इष्ट है कि सरकार ने व्यापक-संघरण पर निर्यात विधि के लिये आवश्यक बदम उठाये हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यथापि विदिव प्रकार के प्रयत्नों एवं विधियों की भी स्थापना की गई है, फिर भी इस दिशा में और अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। ऐसा होते पर ही हमारा देश भूमतान असन्तुलन की स्थिति से छुटकारा पा सकेगा। इस विषय से निम्नान्ति सुनाव महत्वपूर्ण है:—
 (i) निर्यात करने वाले व्यापारियों को और अधिक सुविधाएँ ही जाएं, (ii) निर्यात वस्तुओं की उत्पादन लागत पटाई जाए, (iii) हाइ लोग एवं खनिज पदार्थों का उत्पादन बढ़ाये जाए, (iv) सरकार, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों द्वारा मराठिं एवं गुनियोजित दस्त से निर्यात बढ़ाने वा इयाम किया जाए, (v) भारतीय व्यापारियों एवं उत्पादकों को नियात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी स्तरों पर बनाव रखने के प्रयाप्त दिये जाए (vi) नये-नए विदेशी बाजारों की खोज की जाये तथा इनमें व्यापक व्यवस्था विकास किया जाए, (vii) विदेशी में औद्योगिक प्रदर्शनिया एवं व्यापारिक मेल बदलाये जाए, (viii) माल भेजने समय व्यापारियों द्वारा इमानदारी बरती जाए; (ix) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किंमत को गुणारा जाप, (x)

यदि निर्यातकर्ता राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करें तो विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये; तथा (xi) निर्यात सम्बन्धी वस्तुओं की घरेलू स्थित पर धोनित नियन्त्रण रखा जाये।

प्रश्न

1 भारतवर्ष के प्रमुख आधारों व निर्यातों का वर्णन कीजिये तथा गत कुछ वर्षों में इन्हें बढ़ाने की दिशा में सखार द्वारा उठाये गये बदलों की आलोचनामक व्याख्या कीजिये।

2 भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिये।

3 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत का व्यापार सत्रुलन सुर्दृश ही प्रतिकूल रहा है आइंडो द्वारा इस वर्षन की पुष्टि कीजिये। व्यापार सत्रुलन की प्रतिकूलता को सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव भी दीजिए।

4 भारत के विदेशी व्यापार की चर्चा, यात्रा व दिशा का संक्षेप में विवेचन कीजिए।

5 भारत में गहर वर्षों में निर्यात सम्बद्धन की दिशा में सरकार द्वारा व्याक्या प्रयत्न किय गये हैं तथा इन प्रयत्नों को कहा तक सफलता उपलब्ध हुई है?

6 भारत के विदेशी व्यापार के स्वरूप की सकल में विवेचना कीजिए। पिछले वर्षों में सरकारने निर्यात को बढ़ाने के लिए व्या-व्या उपाय किए हैं? उनकी चर्चा कीजिए। (Raj B A Hons , 1967)

7 हमारे आज के आधार और निर्यात की मूल्य वस्तुओं का वर्णन कीजिए। क्या हमें औद्योगिक उन्नति की हाइट से विदेशी व्यापार के स्वरूप में कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता है? प्रवाय ढालें। (Raj T.D C. Final Year 1967)

30

विदेशी सहायता

(Foreign Aid)

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विश्व में विदेशी सहायता की बाबत अक्षयता बहुत ही लोक गति से समझी जाने लगी। हालांकि जिस समय द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका द्वारा जापान तथा जर्मनी को बहुत अधिक मात्रा में भारी योग्यता के अन्तर्गत विदेशी सहायता दी गई, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक समय ऐसा भी आया था, जब कि अमेरिका ने भी अपने आर्थिक विकास के लिए इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों से आर्द्ध सहायता प्राप्त की थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस समय विश्व के जिन्हें भी सदृढ़ियां राख रहे हैं, उन्होंने अपने आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में विदेशी सहायता का आश्रय लिया था।

विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 प्रतिशत भाग गरीबी की ज़ोरों में फसा हुआ है और वह एक अच्छी जिन्हीं के लिए तरम रहा है। अत्यन्त-विकसित एवं अविकसित राष्ट्रों में यह गरीबी, उस देश की कम उत्पादन स्तर (Low level of production) तथा कम उत्पादन कमोशित (Low level of production) का परिणाम है। किंतु भी देश का आर्थिक विकास उस देश के वित्तीय आन्तरिक साधनों से प्रभावित होता है। इन राष्ट्रों में आन्तरिक साधनों का सर्वथा से ही जमाव पाया गया है तथा इन्होंने विदेशी सहायता को ओर अपने हाथ फेंजाये हैं।

विश्व के विकसित राष्ट्रों को विकास-दर ने इन अत्यन्त-विकसित राष्ट्रों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज विश्व में उक्तनीशी तथा खोद्योगिक कानिंह ने एक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहराव को बढ़ावा दिया है। इसी सदर्भ में पियरसन कमीशन (Pearson Commission) ने अपनी रिपोर्ट में जो विश्व बैंक को 1969 में पेश की थी, यह बतलाया कि “अत्यन्त-विकसित राष्ट्रों में विदेशी सहायता द्वारा विकास किए जाने से वह नहीं समझना चाहिए कि वो कोई एक विदेशी विकास विकारधारा को ही अपनायेंगे तथा इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि उस देश में राजनीतिक स्थिरता

भी रहेगी। यह भी आवश्यक नहीं है कि वे राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय धरमहार के लिए शान्तिप्रिय नथा उत्तरदायिश्व भावना को अपनाए।¹ इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि विदेशी सहायता का प्राप्त हो जाना इस बात का प्रतीक नहीं है, कि वह राष्ट्र आर्थिक समृद्धि की ओर अपसर होगा।

विदेशी सहायता की आवश्यकता

(1) अल्प विकसित राष्ट्रों से सर्वदा से ही पूँजी का अभाव पाया जाता है, जो कि आर्थिक विकास के मार्ग में बहुत बड़ी मात्रा है। इन राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति ज्ञाय भी बहुत कम है, जिसके कारण आन्तरिक बचतों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। आन्तरिक साधनों के अभाव में इन राष्ट्रों में पूँजी निर्माण (Capital Formation) की भी बहुत नीची दर पायी जाती है।

(II) आज के बढ़ते हुए वैज्ञानिक युग में देश में उद्योगों की स्थापना को भी एक विशेष महत्व दिया गया है। उद्योगों की स्थापना के लिए पूँजी की आवश्यकता बहुत ही अधिक मात्रा में चाहती है तथा पूँजी के अभाव में इन अल्प विकसित राष्ट्रों को विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

(III) विकसित तथा अद्वैतिक राष्ट्रों के बीच आर्थिक अममानता वो साइ की कम करने के लिए भी विदेशी सहायता की आवश्यकता दिनो-दिन बढ़ती जा रही है।

भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही देश में आर्थिक विकास का भार बढ़ गया। योजना निर्धारित करने वाले अर्थ शास्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों ने राष्ट्र के पुनः निर्माण हथा विकास की आवश्यकता को ममता तथा जिसके बिना देश की आर्थिक प्रगति का मार्ग अवश्य हो गया था। स्वतन्त्रता के बाद से ही राष्ट्रीय सरकार ने भारत को एक कल्पालकारी राज्य बनाने की योग्या वीक्षा पञ्चवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भी इसी वहेश्य को सेकर की गई। यही कारण है कि भारत की पहली पञ्चवर्षीय योजना में देश के आन्तरिक साधनों का विदेशी सहायता के साथ परन्तु स्थापित किया गया और भारत को योजना 20 वर्षों में बहुत ही मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त हुई है।

पञ्चवर्षीय योजनाओं में विदेशी सहायता की साम्राज्य

भारत की पञ्चवर्षीय योजनाओं में विदेशी सहायता बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त हुई है। पहली योजना में कुल विनियोग का 5 8%, दूसरी योजना में 13 1%, तीसरी योजना में 19 4%, चौथी योजना में 34 2% तथा चौथी योजना में 8 7% विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त किया गया है। पिछले

बीत वर्षों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई सहायता तथा उसके उपयोग में निम्न तालिका में दिखाया गया है।

कुल विदेशी सहायता (रुपये करोड़ में)

अवधि	वीकृत की मई विदेशी सहायता (Authorization)	प्रयोग म लाई मध्ये विदेशी सहायता (Utilization)
तृतीय योजना के अन्त तक	5730.8	4508.8
1966-67	1419.0	1054.9
1967-68	717.9	1193.7
1968-69	942.3	902.6
1969-70	634.3	866.3

इम प्रवार उच्च तालिका स म्पष्ट है कि भारत को 1951 से 1970 तक करीब 10,000 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता न्यौकृत की गई है, जिसमें से 8500 करोड़ रुपये का प्रयाग किया जा चुका है। इस न्यौकता व प्रयोग करने की गणि भारत में शुरू म बहन थीमी रही, लेहिन वैसे जैसे विकास के बीज योग्य जाने लग, वैसे वैसे विदेशी सहायता का प्रयोग भी तीव्र गणि व निया जाने जागा है।

पारं 1971 तक कुल प्रयुक्त सहायता म अमरीकी सहायता का अद्य 53.4% परिमाण इर्दगाही व प्रट फ्रिटेन प्रत्येक का 7.2%, अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजन्सी का 12.9%, सोवियत रूम का 9.7% तथा अन्य राष्ट्रों का 13.6% था।

प्रथम योजना का अध्ययन म भारत का अध्यभग 382 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता व्यकृत है, जिसमें स इस योजना में 197 करोड़ रुपये प्रयुक्त किए गए। दूसरा योजना म 2039 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त हुई, जिसमें से 1320 करोड़ रुपये प्रयोग किए गए तथा तृतीय योजना म 2810 करोड़ रुपये में से 2673 करोड़ रुपये प्रयुक्त किए गए। तथा चौथी योजना म विदेशी सहायता का अध्य 2134 करोड़ रुपये था रखा गया है।

विदेशी सहायता वा वर्षोंकरण—भारत की विदेशी सहायता कई प्रकार से प्राप्त हुई है, विभिन्न वर्गोंकरण जिन प्रकार से किया जा सकता है।

1. विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय भूमा कोष, जलवायन्य प्रबन्धन एवं विकास वैकाशी के बाब्ति के तात्र प्रयुक्त है।

(1) ऋण (Loans) विदेशी सहायता में ऋणों का एक विशेष महत्व है। इस प्रकार की विदेशी सहायता को व्याज पर प्राप्त किया जाता है, अर्थात् इस पैमाने की वापसी एक निश्चित व्याज दर पर की जाती है। भारत की अभी तक प्राप्त कुल विदेशी सहायता का 60% गहायता ऋणों के रूप में मिली है।

(ii) अनुदान (Grants) : अनुदान के अन्तर्गत प्रभा राशि पर किसी भी प्रकार से व्याज नहीं देना पड़ता तथा न ही इस श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त सहायता की वापसी ही की जाती है। इस प्रकार की सहायता का अब तुल सहायता का 9% है।

(iii) खात्राम्बो के रूप में आर्थिक सहायता इस प्रकार की सहायता अमरीकी सार्वजनिक कानून (PL 480 तथा PL 661) के अन्तर्गत प्राप्त हुई है। इसके अन्तर्गत प्राप्त ऋणों का भुगतान स्पष्टीये किया जाता है। उस राशि का उपयोग विशेषतया भारत में ही निजी क्षेत्र में विनियोजित करके किया जाता है। इस प्रकार की सहायता का अब 31 प्रतिशत है।

विदेशी सहायता का वर्गीकरण दो ढो हुई (used) अथवा 'स्वतन्त्र' (unused) के आधार पर भी किया जाता है। दो ढो हुई सहायता या तो देश के अनुसार होती है, या विशेष परियोजना (project) के अनुसार होती है, अर्थात् उसी राष्ट्र से माल लारीदान पड़ता है, जिसने सहायता दी है। इस प्रकार की सहायता प्रभाग निर्धारित रामण मध्य का प्रयाग नहीं किया जाता है तो सहायता भी उपर्युक्त ही रह जाती है क्योंकि दूसरी तरफ स्वतन्त्र सहायता में कियी भी प्रकार का बन्धन नहीं होता है। इसीलए भाजकल इसी प्रकार की विदेशी सहायता को एक विशेष महत्व दिया जाने लाया है।

इस विदेशी सहायता के अलावा भारतवर्ष में विदेशी निजी पूँजी का विनियोग भी अधिक मात्रा में होता है। इसका वर्गीकरण भी दो आधार पर किया गया है—

(i) प्रायक्ष विनियोग (Direct Investment) इस प्रकार के विनियोग के अन्तर्गत मध्यूर्ण नियन्त्रण विदेशी स्वामित्व में होता है।

(ii) पोर्टफोलियो विनियोग (Portfolio Investment) इस प्रकार के विनियोग के अन्तर्गत मध्यूर्ण नियन्त्रण भारतीय स्वामित्व में रहता है तथा विनियोग पर या तो व्याज या साधारण लादि का भुगतान कर किया जाता है।

इस प्रकार उपर्युक्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि विदेशी सहायता विभिन्न राष्ट्रों से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। भारत की वचनवीच योजनाओं के अन्तर्गत देश के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में विदेशी पूँजी ने एक बहुत ही

महत्वपूर्ण शोभानाल किया है। अर्थ-व्यवस्था के हर खंड में चाहे वह कृषि हो अथवा उद्योग वडी मात्रा में विदेशी पूँजी वित्तियोजित है।

विदेशी सहायता व्यवस्था की सम्भावित कठिनाइयाँ

विदेशी भी राष्ट्र को विदेशी सहायता का प्रयोग करने से कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयाँ व्याज के बोझ तक ही सीमित नहीं हैं, अधिक कई प्रकार के राजनीतिक कारण भी विदेशी सहायता को मात्रा निर्धारित करते हैं।

(i) किसी भी स्वतन्त्र राष्ट्र को विदेशी सहायता प्राप्त करने से उसकी आर्थिक स्वतन्त्रता का हल्का होता है, व्योकि इस प्रकार की पूँजी राजनीतिक कारणों से प्रभावित होती है। आज विश्व के दो महान् राष्ट्र भौविष्यत रूप तथा अमरीका द्वारा जितनी भी विदेशी दूधी, अर्थव्यवस्था अनुदान के रूप में दी जा रही है, राजनीतिक कारणों से प्रभावित है। इस प्रकार इन राष्ट्रों से विदेशी पूँजी प्राप्त करने के लिए देश की आर्थिक नीतियों में उसी प्रकार से परिवर्तन करना पड़ता है, जिस आधार पर इसकी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

(ii) अधिक मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त करने से देश की आर्थिक निर्भरता भी अर्थ तथा अनुदान की सुविधाएँ देने वाले राष्ट्र की तरफ बढ़ जानी है। इस निर्भरता से बोई भी अत्यधिकमित राष्ट्र अपने आन्तरिक साधनों को विस्तार करने की कोशिश नहीं करता। कल्पव्रह्य वह राष्ट्र गुलामी की बेड़ियों में ज़कड़ा रहता है।

(iii) विकासित राष्ट्रों द्वारा विकासील राष्ट्रों को जो सहायता दी जाती है, उसका मुख्य उद्देश्य अपने पूँजीवत उत्पादन को यथाघट विपणन सुविधा प्रदान करना होता है। अन्यथा देश बतायुक्त सहायता प्रदान करते हैं जिसके बन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले देश को सहायता प्रदान करने वाले देश से पूँजीगत प्रसाधन एवं कच्चा माल आदि प्राप्त करता होता है। दूसरी ओर, विकासित राष्ट्र विकासोन्मुख राष्ट्रों से उपभोक्ता एवं प्रविविक्त (processed) वस्तुएँ आपात करने को तैयार नहीं रहते अब तक कि ने अस्तुएँ उन्हें न्यूत्रल मूल्य पर न दी जाय। इसका परिणाम यह होता है कि सहायता प्राप्त करने वाला देश अर्थ लोटाने न प्राप्त असमर्थ रहते हैं और उन्हें पुराने अर्थों को नुकाने के लिए नए अर्थ लेने पड़ते हैं जिससे उनका ग्रातिकूल गुणतान शय तथा विदेशी अर्थ-व्यवस्था बढ़ जाता है।

(iv) इस आर्थिक निर्भरता अथवा राजनीतिक दबाव के अन्तर्वा विदेशी सहायता के परिणामस्वरूप देश पर व्याज तथा अर्थ के भूगतान का बोझ निरन्तर बढ़ता रहता है। अर्थे दो गई तालिका से भारत के कुल अर्थ गत्ती अद्यापतिर्यां स्वरूप हो जाएँगी।

कुल छह सम्बन्धी बदायगी

(करोड रुपये में)

	मूलधन की बदायगी	ज्याज की बदायगी	कुल छह सम्बन्धी बदायगी
प्रथम ग्रोवना	10.5	13.3	23.8
द्वितीय ग्रोवना	55.2	64.2	119.4
तीसीप ग्रोवना	305.6	237.0	542.6
1966-67	159.7	114.8	274.5
1967-68	210.7	122.9	333.0
1968-69	236.2	138.8	375.0
1969-70	268.5	144.8	412.5
1970-71	282.5	152.2	434.7

Source : Economic Survey 1970-71

इस प्रकार छापर्षु कहा जालिका हो स्पष्ट है कि भारत के ऊपर मूलधन व ब्याज को चुकाने का भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। यह घट राशि की कि 23.8 करोड रुपये जो कि पहली ग्रोवना में थी, बढ़कर 1970-71 में 434.7 करोड रुपये तक पहुँच गई है। इस बढ़ती हुई छह सम्बन्धी बदायगी से भारत में विदेशी सहायता (Netforeign aid) का अक्ष काफी कम हो गया है और पहले 1971-72 में कुल सकल विदेशी सहायता (gross foreign aid) का 43% या, अतः स्पष्ट है कि कुल विदेशी सहायता का 57% छह सम्बन्धी बदायगी के रूप में पापिता किया जा रहा है।

इस बढ़ती हुई छह सम्बन्धी बदायगी का मुख्य कारण एक तो निर्यात को प्रोत्साहन न दिलने के कारण तथा दूसरा छठो का ठीक प्रकार से उपयोग न करने वे कारण विदेशी मुद्रा की सदा से ही भारत में कमी भहसुस की गई।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विलने 23 वर्षों में भारत को बहुत ही अधिक मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त हुई है और यह भी स्पष्ट है कि अगर इस प्रकार से विदेशी सहायता प्राप्त नहीं होती तो भारत में ओद्योगिक तथा कृषि के विकास के लिए जो विस्तृत कार्यक्रम बनाये गये हैं, अपूर्ण रहते। आज भारत के हर ओद्योगिक क्षेत्र में विदेशी पूँजी किसी न किसी रूप में लागी हुई है।

लेनिन उनके टाप-गाथ यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर विकास के लिए विदेशी पूँजी की ओर दूर्ज निर्भरता रखी गई, तो देश का विकास विदेशियों के हाथ में फैस जाएगा तथा देश की स्वतन्त्रता को उससे लातरा लड़ाया, जैसा कि 1971 के भारतेन्द्राक युद्ध में स्पष्ट हो गया है। अपरीका हारा दी जाने वाली विदेशी

सहायता ने पाकिस्तान उसके नियन्त्रण में रहा, लेकिन इस प्रकार के ग्रूप की सुविधाये भारत को बद्द हो जाने से भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। घर इस प्रकार की नीति अमरीका ने 1971 में दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपनायी, उससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि अमरीका सिफे अपना राजनीतिक प्रसुत्व जमाने के लिए इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में विदेशी सहायता प्रदान कर रहा है।

जहाँ तक प्रश्न भारतीय अर्थ-व्यवस्था का है भारत के ऊपर इन विदेशियों का अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और इब सरकार प्रबलशील है कि सन् 1980 तक भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाए। ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि तभी देश अपनी नीतियों में स्वतंत्रता बनाए रख सकेगा।

प्रश्न

1. भारतीय योजनाओं में विदेशी सहायता के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
2. विदेशी महायता से किसी भी राष्ट्र को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनका सरिस्तार वर्णन कीजिए।
3. विगत तियोजन काल में भारत को जो विदेशी सहायता मिली है उसका उल्लेख करते हुए उन समस्याओं पर प्रकाश ढालिए जो इसके भुगतान से सम्बन्धित हैं।

ਖੱਣਡ ਛਠਾ

1 ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾ਷ਟਰੀ ਆਈ

(National Income of India)

2 ਭਾਰਤ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਰੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇ ਉਦੇਸ਼ ਏਵਾਂ ਅਤੇ ਤਤਾ

(Objectives and Strategy of India's Five Year Plans)

3 ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੀ ਅਥੰ ਵਿਵਰਾ

(Financing of Indian Plans)

4 ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਸਿਧੌਰਤ ਦੇ ਅਨੱਤਗੰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤਿ

(Economic Progress under Planning in India)

भारत की राष्ट्रीय आय

(National Income of India)

**National Income Statistics provide a wide view of the Country's entire economy, as well as of the various groups in the population who participate as producers and income receivers, and that if available over a substantial period, they reveal clearly the basic changes in the Country's economy in the past and suggest, if not fully reveal trends for the future.*

—National Income Committee

मूल एवं परिभाषा (Meaning and Definition)

राष्ट्रीय आय किसी देश की किसी वर्ष विशेष में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन वे कुल योग के बराबर होती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों द्वारा सम्पूर्ण रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कुल उत्पादन होता है, उसे राष्ट्रीय आय के नाम से बुकारा जाता है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति वे अर्थों के अन्तर को रखना भी अनुपयुक्त न होगा। राष्ट्रीय आय प्रायः देश के एक वर्ष में हीने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन को कहते हैं, जबकि राष्ट्रीय सम्पत्ति से आशय है कि समय विशेष पर देशवासियों के पास हीने वाली समस्त सम्पत्ति है।

राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में प्रो॰ मार्शल, पीरू तथा फिशर से अलग-अलग मत दिए हैं। प्रो॰ मार्शल के अनुसार, “एक देश का अम एवं पूँजी इसके प्राकृतिक साधनों की सहायता से प्रति वर्ष भोतिक एवं ज्ञानिक वस्तुओं (जिनमें सेवाएँ भी सम्मिलित हैं) की एक निश्चित शुद्ध उत्पत्ति करता है। इसे ही वास्तविक शुद्ध वायिक आय अथवा राष्ट्रीय आय कहते हैं।”¹ प्रो॰ पीरू ने राष्ट्रीय आय को इस

1 The Labour and Capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial including services of all kinds. This is the true Net Annual Income or Revenue of the country or the National Dividend.²

है (विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित करते हुए), जिस मुद्दा में मापा जा सकता है।¹ इस प्रकार पीणू राष्ट्रीय आय में केवल उस उत्पत्ति को सम्मिलित करते हैं, जो मुद्दा में नापी जा सकती है। किन्तु इन दोनों विवारणाराजों से उपर्युक्त नहीं है उनके मतानुमार राष्ट्रीय आय सम्बूँण उत्पत्ति का वह भाग है जिसे किसी वर्ष उपरोक्त में लिया जाता है। प्रो० किशर के ही शब्दों में, 'राष्ट्रीय आय या लाभाश में केवल प्रकार परिभाषित किया है, "राष्ट्रीय आय समाज की भौतिक आय का वह भाग वही सेवाए, खाए ये उनके भौतिक वाहावरण से प्राप्त हो या मानवीय वाहावरण से सम्मिलित होनी है, जोकि अन्तिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त ही जाती है।'² प्रो० साइमन कुजनेट्स का विचार बहुत कुछ किशर की धारणा से मिलता-जुलता है। कुजनेट्स के शब्दों में, "राष्ट्रीय आय बस्तुओं तथा सेवाओं की विशुद्ध उत्पत्ति है जो अन्तिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुँचती है अथवा देश के पूर्जीगत माल के स्टॉक में तृढ़ि करती है।"³

उपर्युक्त परिभाषाओं के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रो० मार्शल की परिभाषा अध्यावहारिक है, क्योंकि (i) कुल उत्पत्ति की गणना करना बठिन है, तथा (ii) राष्ट्रीय आय की दस्तुओं व सेवाओं के रूप में प्रणट करने पर इसकी उपयोगिता बन हो जाती है। पीणू की परिभाषा गणित नियन्त्रित एवं अध्यावहारिक है लेकिन यह तर्क सवत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐहो दस्तुओं व सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता जो मुद्दा के माध्यम से नापी नहीं जा सकती है। प्रो० किशर की परिभाषा भी अध्यावहारिक नहीं है क्योंकि उपभोग में प्रयोग हुई दस्तुओं की गणना करना और भी बठिन बात है। अब तर्कमयता न होते हुए भी अध्यावहारिक दृष्टि से पीणू की ही परिभाषा नो उपयुक्त माना जा सकता है।

1949 की भारतीय राष्ट्रीय आय सीमिन (India's National Income Committee) ने भी या १२ आय को परिभाषित किया है। इसके बनुमारे "राष्ट्रीय आय एवं नि-नमय में बरत्तुओं और सेवाओं को माप है। इसी देश

1. "National Dividend is the sum of the objective income of the community, including, of course, income derived from abroad, which can be measured in terms of money." —Pigov¹

2. "National Dividend or Income consists solely of services as received by ultimate consumers, i.e., to their material or from their human environment." —Irving Fisher

3. "National income is the net output of goods and services flowing during the year from the country's economic system into the hands of the ultimate consumers or into net additions to the country's stock of capital goods." —Kurzweil

की सुधी भाविक विधि द्वारा को सम्मिलित किया जाता है, जहे इनका सम्बन्ध खुले या जटियों के निर्गण करने से हो या चिकित्सा एवं व्याय सम्बन्धी सेवाओं से ।¹² राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्व (Importance of the Study of National income) :

किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। ये कारण ऊंचालित हैं :

1. देश के आर्थिक वस्त्राण की माप : किसी देश के आर्थिक कल्याण में हृष्ट परिवर्तनों को मापने में राष्ट्रीय आय के अनुमानों का सहारा लिया जा सकता है। प्रौ० साहेल के मतानुमार, "व्याय वार्ते समाज रहने पर, किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है, उस देश का आर्थिक कल्याण उतना ही अधिक सुखाजता है।"

2. जीवन-स्तर सम्बन्धी ज्ञान . किसी देश की राष्ट्रीय आय से उन देश के नियांसियों के रहन-गहन के स्तर वा गहरा सम्बन्ध होता है। सामाजिक देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ लोगों का जीवन-स्तर उँचा उठता है। लेकिन देश में यदि आर्थिक असमानता पाई जाती है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के बावजूद जीवन-स्तर में पोई असर नहीं आता है। राष्ट्रीय आय के वितरण सम्बन्धी अंकड़ों से हमें मालूम पड़ जाता है कि उन्नाज के विभिन्न घरों में असमानता बढ़ रही है जबकि पट रही है।

3. देश की आर्थिक अवस्था का ज्ञान . देश के आर्थिक विकास की अवस्था सम्बन्धी जानकारी भी हमें राष्ट्रीय आय के अंकड़ों से प्राप्त हो सकती है। ये अंकड़े देश की अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक प्रगति द्वारा प्रकाश लालते हैं। इन अंकड़ों को देखकर ही यह विषय किया जाता है कि देश विकसित है अथवा अल्प-विकसित। इन अंकड़ों के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि अर्थ-व्यवस्था सुधार की दिशा में उत्सुख है या नहीं।

4. आर्थिक नियोजन में महत्व : राष्ट्रीय आय का अध्ययन आर्थिक नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है। योजनाओं को बनाने पर उनके लक्ष्य निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अंकड़े बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इन अंकड़ों पर ही बचत एवं विनियोजन की दर निर्भर करती है। आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत देश की अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न घरों, क्षेत्रों एवं घरों में से किसको प्राथमिकता दी जाय, इसका निश्चय राष्ट्रीय आय के अंकड़ों के आधार पर ही किया जाता है। स्वयं आर्थिक नियोजन का मूलभूत उद्देश्य भी तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना ही होता है।

5 सरकारी सेवित के निर्धारण में महत्व : राष्ट्रीय आय सरकार को आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण आवाह का काम करनी है। उचित मौद्रिक, राजस्व तथा रोडगार सम्बन्धी नीतियाँ निर्धारित करने के लिए ये आँखें बाबदवाह माने जाते हैं। लेकिन इनकी उपयोगिता बहुत कुछ व्यापकता एवं मिरवनियता पर निर्भए करती है।

6 विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं की तुलना में सहायता : राष्ट्रीय आय के आँखों से हम विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं की तुलना करने में सहायता मिलती है। विभिन्न देशों की कुल व्यवस्था प्रनियतिक राष्ट्रीय आय के आँखों से हम उन देशों की आधिक हितिं की तुलना कर गर्ते हैं। राष्ट्रीय आय की ही जानकारी से यह मालूम किया जा सकता है कि विभिन्न देशों में उद्योग, व्यापार, कृषि, परिवहन ने प्राप्त आय कुल आय का कितना भाग है। इन प्रवार के तर्थों की जानकारी स मध्यनियन क्षेत्रों की प्रगति का ठाक एवं तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन करें कारणों से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय नियित (National Income Committee) द्वारा यह कथन उचित ही है, "राष्ट्रीय आय नमदियों आँख के नमूर्ण अर्थ व्यवस्था वा। एवं व्यापक हृष्य प्रस्तुत करते हैं और आय ही देश की जनसूख्या के उन चीजों पर भी प्रकाश ढालते हैं जो या तो उत्पादक के हर में भाग लेने हैं अथवा आय, प्राप्त करने वालों के हृष्य में। यदि राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँख एक लम्बी अवधि के उपलब्ध है, तो इनसे देश की अर्थ-व्यवस्था में हूए आवारमूल परिवर्तनों का पता चलता है और यदि पूरी तरह से रहस्योदास्तन न भी करे तो भी ने आँखें, अविष्ट की प्रवृत्तियों की ओर सकेत होते हैं।"¹

राष्ट्रीय आय और आर्थिक उन्नति

(National Income and Economic Progress)

सामान्यतः जिसी देश की राष्ट्रीय आय अथवा प्रति वर्षित आय को देश की आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय आय में हृदि होन से प्रति वर्षित आय बढ़ती है तथा देश की उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन सम्भावनाओं में भी वृद्धि

1. "National Income statistics provide us of the country's entire economy, as well as of the various groups in the population who participate as producers and income receivers and that if available over a substantial period they reveal clearly the basic changes in the country's economy in the past and suggest, if not fully reveal, trends for the future."

हो जाती है। लेकिन ऐसा सदैव नहीं होता। निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि, देश की समृद्धि का संकेत नहीं दर्शी है:

(1) देश के निवासियों की भौद्विक आय के बढ़ जाने के बावजूद भी यदि, मुद्रा की कम शक्ति कम हो जाय तो उनका वास्तविक उपभोग नहीं बढ़ पाता।

(2) राष्ट्रीय आय के बढ़ने से यह तो जात होता है कि देश में बस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है। युद्ध काल में यदि देश में युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि होती है तो इससे राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो ही जाती है, लेकिन देश के लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं उठता। इसी प्रकार यदि जानिकाल में गैंगा, घरू, शराब जैसी नदीयों वर्तुओं का ही उत्पादन बढ़ता है तो इससे भी जापानी जनता के वास्तविक जीवन स्तर में कोई उन्नति नहीं होती।

3 राष्ट्रीय आय की मुद्रित, यादि लोगों के आराम रहित परिवहन का वरिज्ञाम है तो राष्ट्रीय आय के बढ़ने के बावजूद भी लोगों का जीवन सुखमय नहीं हो सकता। राष्ट्रीय आय के आढ़ड ही तथ्य दो नहीं प्रकट करते कि इसे प्राप्त करने के लिए देश की जनता की वित्तन कष्ट उठाना पड़ा है।

4 यदि देश की राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि देश के प्राकृतिक साधनों के अति अन्यकाल में अत्यधिक अतियोगित जापान के फलस्वरूप होई है, तो ऐसी जाय वृद्धि के दूरमासी वरिणाम देश को अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे नहीं होते।

5 देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि हो जाती है। लेकिन इस औसत आय की वृद्धि के साथ साथ देश में आय के वितरण की विवरता भी बदली जाती है, नो जनसाधारण का रहन सहन का स्तर उन्होंने की बयान नीचा भी हो न सकता है।

6 यदि राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को वागाहर दिनियोजन में वृद्धि की जाती है, तो इससे देश के जावी आर्थिक विद्या पर 'तो अनुकूल प्रभाव पड़ता है लेकिन देश के निवासियों के यत्नान उपयोग व जीवन स्तर पर बुरा असर पड़ता है।

**राष्ट्रीय आय की गणना की रूपिता निम्न लिखित हैं
(Methods of Calculating National Income) —**

1 उत्पत्ति गणना प्रणाली (Census of Production Method) : इस प्रणाली के अन्तर्गत हम पृष्ठ वर्ष की अवधि पे उत्पत्ति का विशुद्ध मूल्य सात कर लेते हैं। इसी सात करते समय हम पूछ उत्पत्ति के मूल्य में से विसाई के कारण हुआ

मूल्य-ह्रास तथा इच्छे माल का मूल्य निकाल देते हैं। हमों उद्योगों का विशुद्ध मूल्य मालूम करके योग कर लिया जाता है। इप प्रकार हमें विशुद्ध घोलू उत्पादन मालूम हो जाता है। इसमें विदेशी से प्राप्त होने वाली विशुद्ध आय को जोड़कर विशुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात कर ली जाती है।

2. आय गणना प्रणाली (Census of Income Method). इस प्रणाली¹ के अनुसार उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की प्राप्त होने वाली आय को जोड़ लिया जाता है। इन सभी व्यक्तियों का जो आय कर देते हैं, तथा जो साय-कर नहीं देते हैं उनकी आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात कर ली जाती है। इसमें सरदारी और पर प्राकृतिक सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय को भी जोड़ लिया जाता है। आय की गणना करने में यह सारांशाली रहनी चाहिए कि एक आय को दो बार न जोड़ लिया जाय।

3. उत्पादन गणना तथा आय गणना प्रणाली का सम्मिलित उपयोग-कई बार इन दोनों प्रणालियों को मिलाकर राष्ट्रीय आय को मालूम किया जाता है। ३० बी० के० आर० बी० राव ने इन दोनों प्रणालियों के सम्मिलित प्रयोग का सफलता से दिया है। भारत जैसे पिछड़े हुए देश म यह विधि विशेष रूप से उपयोगी है। भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय समिति ने राष्ट्रीय आवै अनुमान लगाने में इन दोनों विधियों का सम्मिलित उपयोग किया है। कृषि, वन-पालन, बन उद्योग, शिक्षा, भाष्टी वक़ड़ने, खान खोदने तथा औद्योगिक उत्पादन के अनुमानों के लिए उत्पादन गणना प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। व्यापार, परिवहन, प्रभावन, लिंग कलाओं सहज उरेजु सेवाओं के अनुमान लगाने के लिए आय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।

भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय के अनुमान (National Income Estimates of India) भारत की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनुमान लगाए गए हैं। इस सम्बन्ध में सबसे पहले सन् 1868 ई० राष्ट्रीय आय का पहा दादा माई नौरोजी ने लगाया। उनके अनुमान के अनुमान उत्तरवर्ष देश की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। उठ से लकर आज तक अनेक विद्वानों द्वारा राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में अनुमान लगाए गए हैं।

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अनुमान स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में जो अनुमान लगाए गए थे, उनमें से प्रमुख अनुमान पृष्ठ 473 पर दी गई तालिका में दिए आ रहे हैं।

स्वतंत्रता-पूर्वकाल में प्रति अवित आय के अनुमान

अनुमानकर्ता	अनुमान का वर्ष	प्रति अवित आयिक आय (रु० में)
दादा भाई नोरोजी	1868	20
कोमर तथा बारबर	1881	27
विलियम डिग्गी	1899	18
छाउं बर्जन	1900	30
फिल्डले शिराज	1911	49
बाडिया और जोधी	1922	116
शाह एवं सम्बत	1913-14	74
बी. के. आर. बी. राव	1921	65
आर. सी. देसाई	1913-14	85
ईस्टर्न इकानॉमिस्ट	1931-32	72
	1913-14	
	1939-40	

उपर्युक्त अनुमानों में से अधिकतर अनुमानों का केवल ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि वे या ही सो अवितगत प्रदाताओं के परिणाम थे या फिर प्रशासकीय लालौर्यताओं के फलस्वरूप लगाए गए थे। इनमें से अधिकांश अनुमानों में गम्भीर त्रुटियाँ थीं क्योंकि एक ही इन अवितियों के साथतः अस्त्र त्रौमान सीमित होने के कारण उनके लिए समस्त देश के उत्पादन सामग्री आँकड़े एकत्र बरता सम्भव नहीं था तथा दूसरे, अलग-अलग अनुमानकर्ताओं ने भिन्न-भिन्न पिधियों का उपयोग किया था, जिससे इन अनुमानों की उपयोगिता अत्यन्त कम हो गई। इन आँकड़ों में अनुमान पा. ही अस्त्र अधिक होने के कारण इन्हें विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। चूंकि स्थिर भूलों पर कम-अनुमान (series estimate) लैजार करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, अन इन आँकड़ों के आधार पर हम विभिन्न समयों के राष्ट्रीय आय अनुमानों में तुलना नहीं कर सकते।

इन अनुमानों की एक बुटि यह भी है कि ये निष्पक्ष नहीं थे। ये अनुमान या सो विद्युत सरकार की नीतियों वा विरोध करने के लिए राष्ट्रद्वादी विजारों वाले अवितियों द्वारा तैयार किये गये थे या हक्क सरकार द्वारा अपनी नीतियों के समर्थन के लिए या अपना पक्ष प्रबल करने के लिए तैयार किए गए थे।

इन त्रुटियों के बावजूद भी अनुमानकर्ताओं को श्रेय देना उचित होगा, क्योंकि गम्भीर होमांडी के बावजूद भी इन अवितियों ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने का

वह आदेश हाथ में लिया, जो साचारणतः देश की सरकार को करना चाहिए था। उपर्युक्त अनुमानों में डा० वी. के अग्र वी. राव के अनुमान अपेक्षाकृत अधिक बैज्ञानिक माने जाते हैं। डा० राव ने खान सर्वेक्षण से सम्बन्धित उपलब्ध तात्परी का प्रयोग करने के अिरिक्त कुछ वैयक्तिक हठर्थ जान भी दी।

(८) स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् किए गए अनुमान : सन् 1947 ई० में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय एवं सम्बन्धीय तथ्य ज्ञात दरवेदी की आवश्यकता की भवसूल करते हुए, भारत सरकार ने 4 अगस्त, 1949 ई० को कलकत्ता स्थित भारतीय साहित्यीय संस्थान (Indian Statistical Institute) के प्रो० प्रशान्तचन्द्र महालनाथिस की अवधिता में राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee) का गठन किया। इस समिति के अन्य सदस्य प्रो० डी. आर. गाँधिजी तथा प्रो० वी. के. आर. वी. राव थे। इस समिति के लिए प्रेषिलेबेनिया विश्वविद्यालय के प्रो० साइमन कुज्नेट्स तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रो० रिचर्ड इटोन और राष्ट्रीय दैविक विद्यालय के डा० जे. बी. डी० उससे जैसे विदेशी से परमर्श लेने की भी व्यवस्था की गई।

इस समिति के लिए असलिकित दार्य निश्चित किए गए

- (१) राष्ट्रीय आय एवं सम्बन्धित तथ्यों पर रिपोर्ट तैयार करना,
- (२) प्राण औंडडी में सुधार करना तथा नए औंडडी के संग्रह के सम्बन्ध में सुझाव देना, तथा
- (३) राष्ट्रीय आय सम्बन्धी शोष-न्याय को प्रोत्ताहन देना।

राष्ट्रीय आय समिति की पहली रिपोर्ट 15 अप्रैल, 1951 को उद्घाटित हुई। 14 फरवरी, 1954 को प्रकाशित हुई। भारत के आधिकारिक इतिहास में राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट का प्रकाशन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इससे पहली बार सम्पूर्ण भारत की राष्ट्रीय आय के औंडडे उपलब्ध हुए थे। इस समिति के अनुमान 1948-49, 1949-50 तथा 1950-51 में हृषारी राष्ट्रीय आय, चालू मूल्यों में क्रमशः 8650, 90%, तथा 9030 करोड़ रुपये थी तथा प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 246.9, 253.9 तथा 265.2 रु० प्रति वर्ष थी।

राष्ट्रीय आय समिति ने राष्ट्रीय आय को मालूम करने के लिए उत्पादन गणना एवं आय वृद्धि दोनों ही रीहियों का प्रयोग किया था। समिति को कुछ ही दोनों में आय ज्ञान करने के लिए अनुमानों का महारा लेना पड़ना था, विवेचित उन सेत्रों सम्बन्धी जीवंडे पर्याति मात्रा में उपकरण नहीं दे। राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट की प्रमुख बातें असलिकित हैं।

भारत की राष्ट्रीय आय

(i) राष्ट्रीय आय में कुपि लगभग जाया योगदान होता है, (ii) राष्ट्रीय आय का लगभग छठवा भाग सनिज, निर्माण व हस्तशिल्प होता है, (iii) वाणिज्य, परिवहन व संचार का योगदान राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय के छठवे भाग से कुछ अधिक है, (iv) सेवाओं व्यवसायों, प्रशासनिक व धरेलु सेवाओं आदि का बैश्च राष्ट्रीय आय का 15 प्रतिशत है, (v) कुपि, सनिज, कारखानों व हस्तशिल्प से राष्ट्रीय आय का लगभग दो तिहाई भाग पाप्त होता है, (vi) कुल राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की सेवाओं का योगदान लगभग एक तिहाई है, (vii) धरेलु उद्योगों व भाग वान्तरिक उत्पादन में लगभग दो-तिहाई है जबकि कारखाना उत्पादन से वान्तरिक उत्पादन का 10 से 11 प्रतिशत उपादन प्राप्त होता है, (viii) देश की कुल अम व्यक्ति कुल जनसंख्या की 39.8 प्रतिशत थी, (ix) व्यापि कुल अम जनवित का 72.4 प्रतिशत भाग कुपि में लगा हुआ था, तथापि राष्ट्रीय आय में कुपि का योगदान केवल 51.3 प्रतिशत ही था, जो कुपि के स्वयंसेफ उत्पादक व्यवसाय होने का सूचक है, (x) सगरत उद्योगों में इमान बाले अग्रिमों का संख्या लगभग 140 लाख थी, जिसमें से 110 लाख छोट उद्योगों में थे, वह 30 लाख बड़े कारखानों में, (xi) 1950-51 में कुल धरेलु उत्पादन में सावंजनिक व निजी धन का भाग कमश 7.6 प्रतिशत व 92.4 प्रतिशत था, (xii) राष्ट्रीय व्यय में सरकार का भाग 1950-51 में 820 करोड़ रुपये अर्थात् राष्ट्रीय आय का 8.2 प्रतिशत था।

योजनाकाल में राष्ट्रीय आय को प्रदृश भारतवर्ष ने सन् 1965-66 तक अपनी हीन पश्चवर्तीय योजनाएं पूरी कर दी है। भारतीय नियोजन का प्रभाव राष्ट्रीय आय पर क्या पढ़ा, इसे समझने के लिए 1950-51 से 1965-66 के काल में राष्ट्रीय आय की वृद्धि का अध्ययन करना आवश्यक है।

योजनाकाल में राष्ट्रीय आय की प्रगति

वर्ष	वृद्धि गणितीय आय (आगे हरयों में)		प्रति वर्षित आय (रुपयों में)	
	चालू मूल्यों पर	1948-49 के मूल्यों पर	चालू मूल्यों पर	1948-49 के मूल्यों पर
1950-51	95.3	88.5	266.5	247.5
1955-56	99.8	104.8	255.0	267.8
1960-61	141.4	127.3	306.1	293.2
1965-66	203.4	146.6	425.0	301.8
1966-67	231.2	149.5	482.7	300.8
1970-71	342.5	N/A	633.1	N/A

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम तीन योजनाओं के अन्तर्गत वर्षों 15 की अवधि में 1948-49 के स्थिर मूल्यों पर भारत की राष्ट्रीय आय 65.5 प्रतिशत बढ़ी है और प्रति व्यवस्था प्राप्ति 21.7 प्रतिशत। इसलिए इन वर्षों में राष्ट्रीय आय की अधिकता वायिक तृदि की दर 3.1 प्रतिशत से कम रही है और प्रति व्यवस्था प्राप्ति आय की 1.3 प्रतिशत से कुछ अधिक रही। तृनीव प्रतिवर्षीय योजना के बाद के तीन वर्षों में भी प्रतिशत प्राप्ति इमो प्रकार रही है। विकास की यह गति भारत के समान आकार एवं साधनों वाले अन्य देशों ना विकास की गति की अपेक्षा कम है। इस सम्बन्ध में एक तथ्य यह भी है कि राष्ट्रीय आय की तुलना में जन संख्या की गति इस अवधि में अधिक थी, अत यह हवाभाविक आ कि 1965-66 में प्रति जनवित आय में कमा हो जाती।

भारतवर्ष में जनसंख्या प्राप्ति 2.5 प्रतिशत की गति से बढ़ रही है, जबकि आयिक विकास की गति गम्भीर होती जा रही है। इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रति व्यवस्था प्राप्ति आय के तीव्र गति से बढ़ने की सम्भावना अपेक्षाकृत अवकाशप्रद दिखाई पड़ती है।

राष्ट्रीय आय का सेक्टरवार वितरण

(Sectoral Distribution of National Income)

भारत की राष्ट्रीय आय का सेक्टरवार वितरण की निम्न तालिका में दिखाया गया है।

राष्ट्रीय आय के विविध स्रोत¹

(कुल आय के प्रतिशत में)

स्रोत	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66
1 कृषि तथा संसाधनीय कार्य	49.0	47.9	46.4	39.0
2 उत्तिव, निर्माण एवं लघु सुस्थान	16.7	16.8	16.6	18.2
3 वायिक, बैंकिंग एवं परिवहन	18.8	18.8	19.3	20.3
4 बजेट सेवाएं	15.0	16.5	17.7	22.5

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का सर्वोच्च स्थान है। राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। 1960-61 के मूल्यों के आधार पर तो 1965-66 में कृषि का कुल राष्ट्रीय आय में योगदान 48.1 था, जो 1966-67 में डट कर 48.4 हो गया था। यह गहरे प्रात्तिकालमात्र त्रन में उद्घाटित था लेनन, व्यापार, बिंग एवं बीमा आदि हैं। विंगत 15 वर्षों में भारतीय अर्थ व्यवस्था प्राप्त स्थापी रही है।

1 ये सभक 1948-49 के मूल्यों पर अव्याख्यित हैं।

विश्व के अन्य देशों से तुलना

(Comparison with other countries)

भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय विश्व के ग्राम सभी सुरक्षित देशों से कम है। आय की यह कमी हमारी निवासनता की निशाली है। भारत की प्रति व्यक्ति आय की जन्य देशों की प्रति व्यक्ति आय से सुलना निम्न तालिका में की गई है, जो विश्व बैंक के एक प्रकाशन पर आधारित है। इह तालिका में दिए गए अक अव-मूल्यन (1966) के पूर्वी रो हैं :

प्रति व्यक्ति वाधिक आय (अमरीकी डालर में)

देश	आय	देश	आय
1 अमरीका	3,240	7 चीन अरब गणराज्य	150
2 आस्ट्रेलिया	1,710	8 श्रीलंका	140
3 कानून	1,620	9 भारत	90
4. इण्डिया	1,550	10 वाकिस्तान	85
5 जापान	760	11 नाइजीरिया	80
6 टक्की	230	12 बर्मा	65

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत की प्रति व्यक्ति वाय केवल 90 डालर प्रति वर्ष है। अवमूल्यन के प्रभाव तो यह केवल 60 डालर ही प्रति वर्ष रह गई है।

राष्ट्रीय आय वितरण की अन्य देशों में आय वितरण से तुलना (Distribution of National Income and its comparison with other countries) राष्ट्रीय आय के वितरण से सम्बन्धित औरडों को देखने के पक्ष में चलता है कि अन्य देशों की व्यवस्था भारत में वितरण सम्बन्धी अधिक समग्रता है। रिज़वी बैंक द्वारा इण्डिया द्वारा प्रतिशत और इह सम्बन्ध में व्यवस्थीचित्र प्रकाश ढालते हैं। भारत-वर्ष में (सन् 1953-54 से लेकर सन् 1956-57 तक मध्य) नीचे के 20 प्रतिशत व्यक्तियों के पास राष्ट्रीय आय का 8 प्रतिशत तथा नीचे के 60 प्रतिशत व्यक्तियों के पास राष्ट्रीय आय का 36 प्रतिशत भाग था। अमेरिका में (1950 ई० में) उपर्युक्त दोनों वर्गों के पास जनश 4.8 व 32 प्रतिशत राष्ट्रीय आय थी तथा इण्डिया में (1951-52) में जनश 5.4 व 33.3 प्रतिशत राष्ट्रीय आय थी। इनी प्रकार ऊपर के 5 या 10 व्यक्तियों के पास, भारत की तुलना में, इन देशों में, आय का अधिक भाग प्राप्त था। इहसे यह निष्कर्ष लियलता है कि भारत में इन पूजीवादी देशों की तुलना में, आय के वितरण में अपेक्षाकृत कम असमानता थी।

राष्ट्रीय आय का विभिन्न राज्यों में वितरण (Distribution of National Income in different States) सन् 1960-61 से National Council of Applied Economic Research, (NCAER) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से, भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय आय के वितरण व प्रति व्यक्ति आय की स्थिति के विषय से आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। इस तर्वेक्षण के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार थी।

भारतीय राज्यों में आप का वितरण

राज्य	मुद्रा उत्पत्ति (करोड़ रुपये में)	प्रति व्यक्ति आय (रुपये में)
1 दिल्ली	232	871 6
2 महाराष्ट्र	1,853	468 5
3 पांचमी बगाल	1,623	464 6
4 पंजाब	917	451 3
5 गुजरात	812	393 4
6 लापिलनाडु	1,125	334 1
7 आसाम	396	333 3
8 त्रिपुरा	38	329 9
9 हिमाचल प्रदेश	42	328 4
10 केरल	532	314 9
11 रंगूर	719	304 7
12 उत्तर प्रदेश	4,193	297 4
13 यमूना कश्मीर	103	289 0
14 झान्धा प्रदेश	1,063	287 0
15 मध्य प्रदेश	924	285 4
16 रुडीसा	486	276 2
17 राजस्थान	539	267 4
18 बिहार	1,025	220 7

राष्ट्रीय व्यावहारिक जीविका औषध परिषद (NCER) के सर्वेक्षण के अनुसार देश के प्रति व्यक्ति की आय 1960-61 में 301 5 रुपये थी। उपर्युक्त औकड़ों से इष्ट है कि किंवल 4 राज्यों में, अर्द्धत, महाराष्ट्र, पंजाब, पंजाब व गुजरात में, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है, मगार ये आसाम की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से थोड़ी ही कम है, ऐसे 12 राज्यों ने प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। राज्यों में प्रति व्यक्ति आय नमूदःयों यह त्रस्तमानता। इन तथ्य पर प्रकाश ढालती है कि इतने बर्बाद के व्यववध भी राज्यों के मध्य जायिक ममानता नहीं लाई जा सकी है, जो राज्य पहले से ही समृद्ध थे, वे इन बर्बाद में और समृद्ध हो गए हैं। अधिक क्षेत्र में विद्युत हुए राज्यों

में जातिक विकास के फलस्वरूप कुछ सुधार अवश्य हुआ है, परं राज्यों की असमानता में विशेष अंतर नहीं आ सका है। इन बाकीदों से यह भी दत्ता चलता है कि कृषि प्रधान व प्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों में, उद्योग प्रधान एवं नागरिक जनसंख्या वाले राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक निधि नहीं है।

भारत की राष्ट्रीय आय की विशेषताएँ (Main features of National Income of India) भारत की राष्ट्रीय आय के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन से भारत की राष्ट्रीय आय के निम्नलिखित प्रमुख लक्षणों पर प्रकाश पड़ता है :

1 भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय, विश्व के अन्य सुसम्म देशों की तुलना में बहुत कम है।

2 कृषि, भारतवर्ष में, राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इसकी दशा पिछली हुई है।

3 भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है, औद्योगिक एवं नागरिक लोगों में, ग्रामीण व कृषि क्षेत्रों की अपेक्षा आय अधिक है।

4 राष्ट्रीय आय में बृद्धि के साथ साथ जनबृद्धि हो जाने से, राष्ट्रीय आय की बृद्धि के बावजूद भी प्रति व्यक्ति की आय में विशेष बृद्धि नहीं हो पाती।

5 राष्ट्रीय आय में देश के लघु उद्योगों का अशादान, बड़े उद्योगों की अपेक्षा 6 युना अधिक है।

6 अल्प विकासित होने के नाते भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग (लगभग 53 प्रतिशत) जातान्त्रों पर व्यय कर किया जाता है।

7 ग्रामीण क्षेत्रों में, नागरिक क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण दूरुनी निधि-नहीं है।

भारत में राष्ट्रीय आय के इन हीन दो कारण (Causes of Low National Income of India) भारत में, अन्य सुसम्म जैसे जाने वाले देशों की तुलना में, राष्ट्रीय आय बहुत कम है, जिसके लिए कई कारण उत्तरादाधी हैं, जैसे (i) भारतीय अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है, फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में बृद्धि की गति अत्यंत शिथिल है, वयोंकि कृषि प्राकृतिक तरबी के लाधीन है, (ii) भारत में अन्य देशों की अपेक्षा वचत व विनियोजन की दरें बहुत नीनी है, (iii) भारत औद्योगीकरण की दृष्टिं से बहुत निष्ठा नहीं है, (iv) यहा जनसंख्या बृद्धि की दर बहुत ऊची है, (v) देश के विभिन्न भागों का असतुलित विकास हुआ है, (vi) परिवहन

व्यवाह का व्यव्यक्ति विकास नहीं हुआ है, (vii) बैंकिंग व अन्य वित्तीय विकास हुआ है, (viii) सामाजिक एवं धार्मिक सत्त्वाओं द्वारा आदिक प्रवर्ति

में प्राय शाश्वत उपस्थिति की गई है, (ix) शीर्षकालीन विदेशी शासन में अर्थ-व्यवस्था को व्यपगु बना दिया गया, जिसे मुघारखे में समय का लगता स्वामानिक है; (x) शिक्षा के अभाव में देशवासियों में महत्वाकांक्षा की भावना नहीं पाई जाती, बरन् वे भाग्यवादी अधिक बह यह है, जिसके विकास सम्बन्धी उत्ताह का अभाव पापा जाता है।

राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के सुझाव (Suggestions for Increasing National Income of India) भारत की राष्ट्रीय एवं प्रति अवित आय में वृद्धि करने के लिए सुन्दर सुझाव निम्नलिखित हैं

1 उत्पादन में वृद्धि भारतवर्ष में राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए सभी दिशाओं में प्रयत्न किए जाने चाहिए। हृषि कुटीर एवं लघु-उद्योग, सांग, व्यापार, परिवहन आदि सभी को उन्नत करके उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए।

2 बचत व विनियोग की दर में वृद्धि भारतवर्ष में बचत व विनियोग दोनों की दरें कम हैं। देश के निवासियों को कष्ट नहीं कर भो दबन व विनियोग की दरों में वृद्धि करने की जेव्हा करनी चाहिए।

3 जनसंख्या की वृद्धि पर तिपत्रण परियार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों को सौंकप्रिय बना कर जनसंख्या की वृद्धि को रोकना चाहए, ताकि राष्ट्रीय एवं प्रति अवित आय सम्बन्धी लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई न हो।

4 धन का वितरण की असमानता में कमो करना देशवासियों में राष्ट्रीय असमान पैदा करने के लिए तथा देश के सभी लोगों में उत्पादन बढ़ाने के लिए उनमें उत्ताह नभी पैदा किया जा सकता है यहाँकि बढ़ने हर उत्पादन में उन्हें यथोचित हिस्सा मिले। इत देश में अधिक आर्थिक विपरता जा कम करने के प्रयास करने चाहिए।

5 समुलित आर्थिक विकास के लिये प्रयत्न देश के समुलित आर्थिक विकास के लिए, एक तो, देश में औद्योगीकरण की गति को हेज़ करके अर्थ-व्यवस्था की हृषि पर निर्धनता कम की जानी चाहिए तथा दूसरे, विकास की प्रक्रिया देश के सभी भागों में समान दर से गतिशील होनी चाहिए। निछडे हुए लोगों को भी विस्तृत किया जाना चाहिए।

6 सामाजिक सुविधाओं में वृद्धि देश के नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा रोजगार सम्बन्धी सुविधाओं दिक्काई जानी चाहिए, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि ही सके तथा वे अपने अप का उद्दित उत्पाद करके देश के उत्पादन में वृद्धि कर सकें।

राष्ट्रीय आय की अकलन सम्बन्धी कठिनाइयाँ (Difficulties of National Income Estimation in India) : किसी देश की राष्ट्रीय आय का आकलन जरूर बड़ा चिन्ह कार्य है। भारत जैसे अन्य-विकसित देश में तो आकलन सम्बन्धी कठिनाइयाँ और भी अधिक हैं। प्रमुख कठिनाइया निम्नलिखित हैं—

1 अर्थात् एवं अमीदिक सेवा को विद्यमानता भारतीय अर्थ-व्यवस्था का अधिकारा भाग अनरेटिड एवं अमोटिड (Non-monetised) है। राष्ट्रीय आय की गणना के समय सापारणत यह मान लिया जाता है कि उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का पूँजा से विनियोग होता है। ऐसे भारत जैसे अन्य-विकसित एवं कृषि प्रबान्द देश में उपज तथा वाणी नाम विक्री के लिए ग्रामार पर नहीं आया जाता। या तो उत्पादक उन्नें निजी उत्पादन के लिए रस के हैं या वस्तुओं व व्यवसायों से विनियोग में दूसरे उत्पादन की देते हैं। उत्पादन के उत्पादक के जौ कि मदा में विनियोग में नहीं दिया जाता, महाराजन भविनाई पैदा हो जाता है।

2 छोट दायादों की आय ले सम्बन्ध में सामग्री का उत्पादन न होना भारतवर्ष में अ अराज घरेलू राजीवर ग्राम छोट छाटे ढगढ़ों से उनके उत्पादन के सम्बन्ध में शोद विभिन्न विश्वासीय मूलना नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि उन उत्पादकों में अधिक ग इन्हें अस्तित्व नहीं या तो ये लेखा रखना जाते ही नहीं या इनकी आपश्यता का ही अनुमद नहीं करत, फलवत्त्व उनके उत्पादन के मूल्यांकन में अनुमान ल ही कार्य चलाना पड़ता है।

3 आर्थिक विधार्भ क सामाय वर्षोंकारण या न घपनाया जा सकता। भारत में ग्रामवासिक विशिष्टीकरण के अभाव में विभिन्न अवृत्ताया के अधार पर, देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना गठित है क्योंकि यह एक ही एवं विभिन्न समयों पर विभिन्न वाय लगता है। लक्षणगार्थ व इतीर उद्योग अविक कुछ समय लगती में उठ कुशर उद्योगों में तथा इक प्रक्रियी वाय में लगता है। ऐसो इक्षिति में इन लोगों नी आय तथा अनुमान लगाना के ठन होता है तथा राष्ट्रीय आय के आकरण में दोहरी विचारी पा भव रहता है।

4 विश्वसनीय अस्तित्व का अभाव राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन, उपभोग, वर्षत वायेशील जनसंख्या आदि से सम्बन्धित सही आकड़े उपलब्ध होता आवश्यक है। पर हमने सम्बन्धित विश्वसनीय अस्तित्वे उपलब्ध नहीं हैं। भारत की अधिकारा जनसंख्या ग्रामीण धोन में रही है। ग्रामीण धोनों में अस्तित्वे एवं उनके बाल या तो पटवारी हीते हैं या ग्राम-सेवक, जिनका न तो गणना करना मुश्य वाय है और न ही वे इन वायें दे लिए रखि दाता होते हैं। फलवत्त्व उनके द्वारा प्राप्ति नए जीवड विश्वसनीय नहीं होते।

5. क्षेत्रीय विभिन्नताएँ : भारत एक विशाल देश है, जिसके विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितिया एक-नहीं नहीं हैं, कल्पस्वरूप किसी एक क्षेत्र से सम्बन्धित जानकारी का प्रयोग दूसरे क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता।

6. अधिकारी एवं अन्वय-विकास : अधिकारी एवं अन्वय-विकास के कारण, अद्विकाश लोग अपनी आप अवय, अपापार आदि से सम्बन्धित जानकारी देने में अनाउनी चाहते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय मन्दिरी का आकाशन बढ़ा दिन पार्थ्य है। प्राय गहुन से तथ्यों पर अनुमान पर ही आधारित उत्तर पड़ता है। इसलिए कई अर्थ-शास्त्रियों का विचार है कि इन अनुमानों को बदल कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें अटकतवादी वा बग बहुत अधिक होता है। राष्ट्रीय आय समिति ने इसीलिए अपने अनुमानों में 10 प्रतिशत अनुदान का अंश (margin of error) छोड़ा है।

सुझाव के लिए सुझाव (Suggestion for Improvement) : भारत की राष्ट्रीय आय मन्दिरी ओँकड़ी की उत्तराधिक के लिए राष्ट्रीय आय समिति ने कुछ यहूदपूर्ण सुझाव दिये हैं। विभिन्न क्षेत्रों में मुगर के लिए निम्नान्वित उपाय प्रयुक्त किये जाने चाहिए।

1. कृषि कृषि क्षेत्र में व्यापक सर्वेक्षण किये जाने चाहिए तथा हरएक गाँव में कृषि उपग्रह सम्बन्धी अको का हिसाब देखा जाना चाहिए। कृषि की कृपली से सम्बन्धित ओँकड़ी की चारपाई के लिए फल बटाई प्रयोग रीत (Crop cutting experiment method) का प्रयोग किया जावा चाहिए। विगत वर्षों में कृपली की चारपाई बटाई के अ-कृपित भारतन किये गये थे, लेकिन वे भी पूर्ण हैवेज सर्वोपर्याप्त नहीं हैं, योहि वे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण वो नामप्री पर आधारित उत्पत्ति के अँकड़ा से कम्फी भिन्न हैं। कृषि ए-नन्ही ओँकड़ी के आनंदन के सम्बन्ध में डॉ. बी के ब्रांड वार्ग निम्नलिखित सुझाव दिये यहे हैं-

(क) भूमि उपयोग के सम्बन्ध में सारी कृषि भूमि वी गणना करके तल चिन्ह गणना (Bench Mark Census) करना, (ख) उपज के अनुमानों के लिए आकृतिक नमूना (Random Sampling) फसल बटाई पद्धति, सब कृषि कृपली के बारे में जानाई जाए, (ग) कृपली के बारे में सही ओँकड़े प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन होना चाहिए, जिनके अन्तर्गत इनहीं सम्बन्ध-सम्बन्ध वर नमूना-चौक (Sample Chauk) को अवश्यक हो सके; (घ) पूरे जौलों की नमूना आपार पर न-विहृ गणना वी जानी चाहिए, जिसमें कभी परिवारों के उत्पादन, उपभोग सम्बन्धी जीवे शामिल हो।

2. पशु-गणना : पशुओं की गणना का कार्य वार्षिक होना चाहिए तथा इसके लिए प्रति वर्ष केवल उने हुए 20 प्रतिशत सांखों को ही सुना जाना चाहिए। इस गणना के आधार पर पूरे पशुओं की संख्या की गणना की जा सकती है।

3. निर्माण उद्योग (लघु एवं बड़े उद्योग) : राष्ट्रीय आय समिति ने लघु एवं बड़े उद्योगों से सम्बन्धित आकलन कार्य को अवगत-जल्दग करने का सुझाव दिया है तथा वार्षिक आकलन का सुझाव दिया है। प्रत्येक राज्य में प्रति गण एक या दो लघु उद्योगों का व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए तथा इस अध्ययन का वायिस्थ विभाग व्योप विभागों को दिया जाना चाहिए।

4. खनिज उद्योग : राष्ट्रीय आय समिति ने समिति उद्योग सम्बन्धी औंकडों को अब सुनियत द्वारा ही आवलन कर प्रकाशित करते रहने की सिफारिश की है।

5. व्यापार व्यापार सम्बन्धी औंकडों के आकलन में राज्य के विक्री कर-विभाग से सहायता लेनी चाहिए लेकिन प्राप्त औंकडों को प्रयुक्त करने से पहले उनमें योग्यता संशोधन कर लेना चाहिए।

6. भवन-निर्माण : जूँकि भवन निर्माण से पूर्व निर्माणकर्ताओं को नगर पालिकाओं अथवा प्रचावतों से अनुमति लेनी पड़ती है, इसलिए ये ऑफिस उन्हीं संघर्षित कराये जाने चाहिए।

7. परिवहन : रेल परिवहन से सम्बन्धित औंकडे हो उपलब्ध होते हैं, किंतु मोटर परिवहन सम्बन्धी औंकडे के आकलन की जापश्यकता पड़ती है। इस कार्य को केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय व राज्य परिवहन निगम कुशलता से वर सकते हैं। इन्हे भोटर परिवहन सम्बन्धी तथ्य एकत्रित कर प्रकाशित करने चाहिए।

8. आय कर समिति वा आय कर के सम्बन्ध में सुझाव है कि आय-कर विभाग वो चाहिए कि वह आद कर न देने वाले व्यक्तियों की आय के भी सर्वे करवाए।

9. स्वतंत्र अध्यसाय : समिति ने इस सम्बन्ध में सुझाव दिया है कि स्वतंत्र अध्यायों में कार्य करते वाले लोगों के देतन, भर्ते, व्याप, लाभास, कर्तिन्यूति आदि के लांकड़ जल्द-जल्द समझ कराए जाएँ।

10. राजनीतिक अध्यसाय : इस समिति का सुझाव है कि केन्द्रीय सालिपकीय संघठन सरकारी व अर्द्द-सरकारी संस्थानों के प्रणाली विवरण अर्थौत उत्पादन व्यय से सम्बन्धित औंकड़ प्रकाशित करें।

11. राष्ट्रीय आय इकाई : वित्त मंत्रालय में स्थापित राष्ट्रीय आय इकाई (National Income Unit) के सम्बन्ध में समिति ने सुझाव दिया है कि इसे केन्द्रीय सालिपकीय संगठन में गणनान्वित कर दिया जाय तथा इसके द्वारा राष्ट्रीय आय सम्बन्धी व्योप कराई जाय।

राष्ट्रीय ज्ञान समिति उपर्युक्त के दर्जन सभी सुवादों का सरकार ने मान लिया है। फलस्वरूप उच्च राष्ट्रीय ज्ञान से सम्बन्धित जीके अधिक विश्वसनीय होने लग गई है।

प्रश्न

1. राष्ट्रीय ज्ञान ने आप क्या समझते हैं? भारत की राष्ट्रीय ज्ञान के बहु हाने के कारणों का उल्लेख करना है। इसे वडे ने के चिर सुनाव प्रस्तुत कीजिए।

2. राष्ट्रीय ज्ञान क्या है? भारत में इनका साप कैसे होता है?

(आगरा बी ए 1967)

3. प्रार्थीय ज्ञानकार्य के ज्ञान भारत में राष्ट्रीय ज्ञान के विकास की दिशेदन के लिए। (झज्जूरा बी ए 1962)

4. What do you understand by National Income? What is the National Income of India? (Raj T D C Final, 1967)

5. What are the main difficulties in estimating India's national Income? (Delhi, B A, 1961, 1965)

6. What do you understand by National Income? How has it been calculated for India from time to time and how far it can be taken to be an index of her economic prosperity?

[Punjab B A, 1963]

7. Give an estimate of India's National Income indicating the proportion derived from different sectors. How has the position changed during the Five Year Plans?

(Bbaesalpur U B A, Honours 1966)

भारत में पंचदर्शीय योजनाएः

उद्देश्य एवं व्यूह-रचना

(Objectives and Strategy of India's Five Year Plans)

'If we want to accelerate the rate of economic development then the volume of state expenditure on right type of projects has to be stepped up, the flow of new investment has to be increased, social structure has to be properly adjusted and floodgates of popular enthusiasm have to be opened up.'

Alak Ghosh

नियोजन के उद्देश्य तथा व्यूह-रचना

(Objectives and Strategy of Planning)

आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समय में प्राप्त करना होता है, अत. अब व्यवस्था को इस प्रवार साठिन एवं मध्यालित किया जाता है कि देश में उपलब्ध समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनों का पूर्ण तथा कुशलतम उपयोग किया जा सके। मारुति में भी, जब में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, तब से इसी प्रमुख उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मतलब प्रयत्न किये जा रहे हैं।

भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के योजनाबद्ध आर्थिक विकास के लिए भन् 1950 ई० में योजना आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का प्रमुख कार्य देश के भौतिक, मानवीय एवं पूँजीयत् साधनों की जाच करना तथा इनके सर्वाधिक प्रभावपूर्ण तथा सहुलित उपयोग के लिए पचवर्षीय योजनाएँ बनाना है। भारतीय योजना आयोग ने अपनी सर्वप्रथम योजना की घोरेता दिसम्बर 1952 में भारतीय संसद के मात्र माल प्रतुत की। तब से अब तब इसमें सीन पचवर्षीय योजनाएँ एवं तीन एक-एक वर्षीय योजनाएँ बनाई हैं, जो त्रिवार्षिक भी जा चुकी हैं। चतुर्थ पचवर्षीय योजना अप्रैल, 1969 से लागू मान ली गई है।

इस अध्याय में हम भारत की विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों का विवाद विवेचन करेंगे तथा योजनाकाल में अपनाई गई आर्थिक विकास की घटूँह रखना की समीक्षा करेंगे।

स्वतंत्रता से पूर्व की दशाजिद्दी में विदेशी यजन, योग्यता व विकासवाद ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था को निर्धारित दर्शायी, तबाह आर्थिक व्यवस्था के कुचक में ढकेल दिया गया। तत्कालीन सरकार की उपेत्या एवं स्वामींपूर्ण नीतियों के परिवास-स्वल्प भारत विश्व के एक विछड़ हुये देश के स्वयं में अपनी अपौण्डव्यवस्था को किमी प्रकार प्रस्तोते हुए चल रहा था। देश में न तो कृषि की ही अवस्था ठीक थी और न ही उच्चोग घन्घो की। आधारभूत उच्चोग घन्घो का अभाव था तथा उन विश्वाओं में उन्नति के कोई प्रयत्न नहीं किये गये थे, जो एह देश को आर्थिक विकास का एक दृढ़ आधार प्रदात करती है, इस आजादी विलेने के बाइ योजना आयोग द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए जा कार्यक्रम बनाया गया, उसका प्रमुख घेव भारतीय अर्थ-व्यवस्था से अविकास, अस्थिरता तथा अनिश्चिन्ता की स्थिति दूर करना या उस देश के आर्थिक विकास की एसी आधारशिला रखना या जिससे देश - आर्थिक विकास स्वाभाविक एवं निरन्तर बनि में हो सके। हमारी आर्थिक योजनाओं के उद्देश्य खुद्दिष्ट एवं देश की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर निर्धारित किये गये हैं। बदलते हुए देश की विभिन्न आर्थिक योजनाओं के जो उद्देश्य मिहारित किये गये हैं, उनमें से प्रमुख तिन्हींलिखित हैं —

1. राष्ट्रीय आय व व्रति व्यवित आय में वृद्धि करना।
2. सातांनों के गामले में आत्म-निर्भंता प्राप्त करना तथा तदि उत्पादन में अविकासिक वृद्धि करना।
3. देश के गोदानीकरण के विभूषण को दूर करके उच्चोग घन्घो का शीघ्र गति से विकास करना।
4. देश में व्याप्त बेयोग्यारों को दूर करने के लिए रोजगार के अवधारणे में वृद्धि करना।
5. आद एवं चम सम्बन्धी व्याप्त असमानताओं को कम करना।
6. मूल्य वृद्धि को रोकना।
7. जनसंस्था की वहाँ पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखना।
8. देश को अपौण्डव्यवस्था को गोतव्यीक बनाना तथा देश का स्वैरीण विकास करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में दखले पर स्पष्ट विदित हो जाता है कि ये उद्देश्य परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। राष्ट्रीय आय तथा अविकास अर्थ में वृद्धि

लमी समय सम्भव है। जबकि अध्य-विवरण के विभिन्न बगों में पर्याप्त मात्रा में वित्त-योजना किया जाए। अर्थात् देश की कृषि व्यवस्था को सुधारा जाय तथा आधारभूत उद्योगों का विकास किया जाय, अर्थ व्यवस्था के इन दोनों महत्वपूर्ण अंगों के विकास के लिए देश में उपलब्ध जन-नायित तथा प्राकृतिक साधनों का लगिकतम व लाभप्रद उपयोग किया जाना आवश्यक है। भारत जैसे वनी जनसङ्ख्या बाले दश म, जहाँ जन-नायित के आधिकार्य के कारण, वेकारी व अर्हन्त्रेकारी का साम्राज्य है, गोपनार के अवसरों को बढ़ाना एक स्वाभाविक एवं आवश्यक उद्देश्य हो जाता है। देश के आधिक विकास के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि देश के उन कारोड़ों लोगों को योजना से होने वाले लाभों में दिस्ता पिले, जो जीनोह मेहमत के बाबजूद भी निर्धन दृष्टे हुए हैं और निमनम जीवन-स्तर व्यनीत करने के लिए परिचित योजना बाध्य है। अतः आधिक विषयनाप्री को कम से कम करने का उद्देश्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। देश के विविध क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ यदि महण्ड-स्तर भी बढ़ते चले गये तो देश की बास्तविक प्रगति की दर कम हो जायेगी, अतः मूल्यों पर नियन्त्रण रखना भी आवश्यक है। जनसङ्ख्या की वृद्धि हमारी आधिक विकास की योजना की प्रगति पर पानी ढाल रुकती है। जनसङ्ख्या की पिस्फोटह वृद्धि ही हमारी, सभी समस्याओं का मूल कारण है, अतः योजनाओं में बढ़ती ही जनसङ्ख्या को नियन्त्रित करने का उद्देश्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, वरोकि विना इस समस्या का नियन्त्रकरण किये, किसी भी प्रकार की आधिक प्रगति गम्भीर नहीं है। इस प्रकार हम दृष्टि है कि हमारे जाधिक नियोजन के लक्ष्य परस्पर सम्बन्धित व समन्वित हैं तथा एक दूसरे के पुरक हैं। इन उद्देश्यों को नियोजन से निर्धारित करके ही देश सर्वांगीण विकास के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है।

प्रथम वर्षीय योजना के उद्देश्य (Objectives of the First Five Year Plan)

प्रथम वर्षीय योजना (First Five Year Plan)—प्रथम वर्षीय योजना का प्रारूप जूलाई 1951 में घोषित किया गया था, पर इसका अन्तिम रूप न्यूर्दिम्बर, 1952 में ही उपलब्ध हो नका। इस योजना की छविपि 1 अप्रैल, 1951 से 31 मार्च, 1956 तक ही थी। इस योजना में बास्तविक अवधि 1960 करोड़ रुपया हुआ। प्रथम वर्षीय योजना कुर्वि-प्रधान योजना थी।

योजना आयोग ने प्रथम वर्षीय योजना के प्रतिवेदन में इसके उद्देश्य पर प्रश्नाएँ डालते हुए कहा था—“भारतीय योजनाकरण वा केन्द्रीय उद्देश्य जनना के जीवन-स्तर को ज्ञाना करना तथा उन्हें अच्छे योजन के लिए अवधर प्रदान करना है, इसलिए योजनाकरण वा उद्देश्य एक तरफ तो देश के उन मानवीय और भौतिक

क्रम बनाए व क्रियान्वित किये जाए जिससे आने वाले वर्षों में विशाल विकास-योजनाओं की नीव डाली जा सके। भारत जैसे अर्थ-विकसित देश में विकास के आधारभूत साधनों का अभाव था, यथा गिरजाई, कृत्रिम खाद, विद्युत, लोहा-दस्ताव, मशीन, परिवहन के साधनों आदि की कमी थी। आधारभूत उत्तरों का अभाव था, जिनके अभाव में अधिक विकास नहीं किये भी योजना को कार्यान्वित रखना गठित था। अतः प्रथम योजना में इनके विकास पर पर्याप्त वल दिया गया था।

(५) इस योजना का एक यह भी उद्देश्य था कि राष्ट्रीय बाय में बृद्धि हो लय आयिक विप्रसता को जहाँ तक समझ हो उस दिया जाय। सर्विपात्र के निर्देशक सिद्धान्तों (Directive Principles) के जननुमार विस्तृत रूप में सामाजिक त्याय के उत्तरों को लागू किया जाय, औरों के रहन सहन के स्तर को ऊचा उठाया जाय।

(६) इन योजना का एवं उद्देश्य यह भी था कि ऐसी प्रशासनिक व अन्य सम्बन्धों स्थानाएँ जायें जो भारत के भावी विकास के कार्यक्रमों वो क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

इस प्रकार प्रथम पचवर्षीय योजना में जहाँ इस दान का ध्यान रखना गया था कि पूँजी वा विनियोग इस प्रकार दिया जाय कि जिससे उपलब्ध साधनों प्राप्त तकालीन उद्देशों को पूरा किया जा सके, वहाँ दूसरी ओर हर बान का भी ध्यान रखा गया था कि भविध में इन साधनों का योग्यता विकास हा सके तथा वे अधिकायिक गतिशील बन सके। यह सब एक दीर्घालीन इटिक्सन के आधार पर किया गया था। योजना में पर्याप्तारी ठिकातों पर आणारित एक मिश्रित अर्थ-ज्यवर्षा के निर्माण यो अदर्श के रूप में नीदार किया गया था।

(८) प्रथम पचवर्षीय योजना की अमूल्य रखना

(Strategy of the First Five Year Plan)

प्रथम पचवर्षीय योजना में विभिन्न भौति पर सरकारी क्षेत्र में 2069 वरोड रुपये ध्यय दिये जाने वे, लेकिन कुछ समय पश्चात् देश भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये यह घनरा यि बदाकर 2376 वरोड रुपये वर दी गई, पर वास्तुतः योजनाध्यय में केवल 1916 वरोड रुपये ध्यय किया जा सका। प्रथम योजनाध्यय में विभिन्न भौति पर होने वाला ध्यय अकलित्त तालिका में दिलाया गया है :—

मंद	वास्तविक व्यय (करोड रुपयों में)	वास्तविक व्यय वा प्रतिशत
1. कृषि तथा सामुदायिक विकास	291	15
2. बड़ी तथा सम्पद विचार्ह योजनाएँ	310	16
3. सचालन विकास (Power)	260	13
4. ग्रामीण तथा लघु उद्योग	43	2
5. उद्योग एव खनिज	74	4
6. परिवहन एव सेवाएँ	523	27
7. सामाजिक वेवाएँ एव विद्युत मंद	459	23
कुल व्यय	1960	100

उपर्युक्त तालिका में विभिन्न मंदों पर क्रिए गए व्यय की घनराशि इस योजना की व्यूह रकमा वा स्थान वापरम् देनी है। प्रथम योजना पे कृषि विकास कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राप्तमिहता दी गई है। इस योजना मे 861 करोड रुपये क्षमिता, कुल व्यय का 44 प्रतिशत नाग कृषि विकास पर व्यय हिया गया। इनका परिवर्तन यह हुआ कि उद्योगों के विकास की ओर उम ध्यान दिया जा रहा। आवंगनिक क्षेत्र का केवल 4 प्रतिशत भाग ही उद्योग व खनिज विकास कार्यक्रम एव व्यय दिया गया। सचाल उठना है कि प्रथम योजना मे कृषि पर अधिक और उद्योगों के विकास पर कम बहु व्यय दिया गया? इन बात पर प्रकाश डाढ़ने हुये प्रथम योजना मे इत प्रकार की नीति को उचित ठहराते हुए कहा गया है।

“पहले पौर्व बयों के क्रिए हमारे विषाट से कृषि, जिम्में विचार्ह तथा सचालन चाहित भी सुमाविष्ट हैं, को सर्वोच्च प्राप्तमिहता दी जानी चाहिए। इसे महत्व देने का उद्देश्य चालू योजनाओं को पूरा करना है। इसके अतिरिक्त हमारा वह हठ लिख्वय है कि उद्योगों के क्रिए आवश्यक कर्जे भाल तथा स्थायान के उत्पादन मे भारी धूढ़ि किये दिना कौदोगिक विकास की सोब्रगति को काप्तम् रखना सम्भव न होगा।”

—योजना आयोग

प्रथम पचवर्षीय योजना मे यह नीति (Strategy) अवलाइ गई थी कि देश के योद्योगिक एव अवाणीय विकास के क्रिए पहले कृषि विकास की भार ध्यान दिया जाए। एक क्षर्द्धविकसित देश मे, कृषि की उपेक्षा करके, उद्योगों को प्राप्तमिहता नहीं ही जा सकती, क्योंकि इसके कौदोगिक विकास का मात्र लक्ष्य होवेगा। यद तक देश मे स्थायानों एव वर्ष्ये याल के उत्पादन की बढ़ाया नहीं जाता, कृषि उपज

की दर बढ़ाई नहीं जाती, तब तक औद्योगिक विकास की वहसतानहों की जा सकती। कृषि विकास से एक ओर खाद्यान्नों पैदा कर्त्तव्य माल की पूर्ण बढ़ जाने से औद्योगिक विकास की आवारशिता तैयार होती है तो दूसरी ओर बहुमध्यक लोगों की आप पर अच्छा असर बढ़ाने से उनकी उपभोग क्षमता (*Propensity to consume*) बढ़ जाती है। इशलेड जैसे खाद्यों प्रयाप देश में भी पहले कृषि कान्ति ही हुई थी, उसके बाद ही औद्योगिक कान्ति मध्यम हो सकी।¹ अत इसी कौर देश के आवारमूल सम्बन्ध की उपेक्षा उस मध्यम नहीं थी जो नहीं जरूरि विकास से उत्पन्न विकास की व्यापक योजना का निर्माण किया जा रहा है, गर यह आवश्यक है कि नियोजित आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में, गर्दि अन्ततो-गत्वा औद्योगिकरण का लक्ष्य है तो कृषि विकास के माले की सारी आवारण दूर नहीं जाए। उम्मुक्त विवेचन योजना आप्योग की प्रथम योजना के अन्तर्गत कृषि एवं तिचाई के क्षेत्र दिये गए महत्व परीक्षित व्यूहोंपर व्यवस्था करता है।

कृषि-विकास के लिए यह आवश्यक था कि ग्राम्य जीवन में कान्तिवारी परिवर्तन साधा जाय तथा कृषि भव्यनित सभी व्यवस्थाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा लपाय प्रथम पचवर्षीय योजना में अपनाये गये, उन्होंने यो सहायक संस्थियों को जन्म दिया।

पहली सहायक संस्था परिवहन, टिचाई, विद्युत, नामुदायिक विकास योजनाओं से सम्बन्धित थी। योजना के निर्माण कान्तिवारी का विवराम था कि इसके विकास से बाह्य मिन्हायिताओं (*external economies*) में जृद्धि होगी, लोग कृषि में अधिकाधिक विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जलसंवर्क उत्तराधार बृद्धि सुरक्षा से हो सकेगी। नामुदायिक विकास योजनाओं की प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो अर्थव्यक्ति महत्वपूर्ण ह्यान दिया गया था। उससे कई उद्देश्यों की पूर्ति की आज्ञा की गई थी, यथा: (1) इन्हें ग्रामीण क्षेत्र के लद्द बैकारों को काम लिल सकेगा, व्योगिक नामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण, स्वास्थ्य एवं सफाई, भवन निर्माण, ममाज कल्याण आदि कार्यों का गमवेश

1. "Even in countries like Great Britain where planning was not undertaken for economic growth, an agricultural revolution preceded an industrial revolution and it was the reorganisation of agriculture which increased agricultural productivity and released surplus labour for industry. This basic relationship between agricultural use and industry cannot be ignored when planning is undertaken for an all-round development and ultimate industrialisation of underdeveloped economy."

द्वितीय पचदर्शीय योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नान्वित हैं —

1 राष्ट्रीय आय में पर्याप्त बृद्धि करना ताकि देशवासियों का जीवनस्तर कैचा डण सके। प्रथम योजनावधि में राष्ट्रीय आय 9110 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,800 करोड़ हो गई थी, अर्थात् योजनावधि में 18.4 प्रतिशत की दर से राष्ट्रीय आय में बृद्धि हुई थी। यह बृद्धि पर्याप्त नहीं थी, अत जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए तथा राष्ट्रीय आय में बृद्धि करने के लिए और अधिक आर्थिक विकास आवश्यक था। इसलिए दूसरी पचदर्शीय योजनावधि में 25% राष्ट्रीय आय में बृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित नियम गया, अर्थात् राष्ट्रीय आय को 10,800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13,480 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया। इसे प्रत्यक्षत व्यक्ति व्यवहार के उपर्योग व्यय में 8% की बृद्धि का उद्देश्य या जोकि देशवासियों के रहन सहन के स्तर और जीवा उठाने के लिए आवश्यक था।

2 लोक गति से औद्योगीकरण को बढ़ावा देना द्वितीय पचदर्शीय योजना का दूसरा प्रमुख उद्देश्य आघारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष जोर देते हुए, तीव्र-गति से उद्योग-व्यवस्थों का विकास करना था। तीव्र औद्योगीकरण के लिए प्रशील बनाने वाली मस्तिशक्ति के निर्माण कार्य को प्राप्ति करना आवश्यक था। लोहा व इस्पात, कोयला, सीमेण्ट, भारी रसायन आदि को प्राप्तिकरण देना जरूरी था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, द्वितीय योजना में, औद्योगीकरण को, साझा कर, आघारभूत तथा भारी उद्योगों के विकास की उच्च प्राप्तिकरण दी गई।

3 रोजगार के अवसरों में बृद्धि करना जगतीयारण को उमाजवादी अर्थ-व्यवस्था अवश्य नियोजित अर्थ अवस्था के महत्व का बाधास उभी मिल रहकरता है जबकि देश की बेरोजगारी व अद्वृद्धि बेरोजगारी समाज हो जाय। भारतवर्ष ये प्रथम योजना के बाबजूद भी यह समस्या न हल हो सकी, वरन् उहटे प्रथम योजना के बन्त में बेरोजगारों की संख्या पहले से अधिक बढ़ गई। अब दूसरी योजना में बेरोजगारी की समस्या ने तूल करने का प्रमुख उद्देश्य सामने रखा गया। योजना बायोग ने इस दिशा में दीर्घकालीन व्यावहारिक नीति द्वारा 1966-67 तक देश में पूर्ण रोजगार की अवस्था करने का हد्द निश्चय किया। इस योजना के अन्तर्भृत हृषि के अतिस्तित लक्ष्य उद्योगों में 80 लाख अठिरिक्त व्यक्तियों तक के लिए रोजगार के अवसर दिलाने की अवस्था नहीं गई थी। इस लक्ष्य को प्राप्ति हो लिए, अस प्रवास-सूचीय (Labour Intensive Industries) पर वक्त देने के साथ-साथ औद्योगिक ढाँचे में विविधता लाने पर जोर दिया गया। वहें उद्योगों के साथ कुटीर व लघु उद्योगों पर जोर दिया गया ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें।

4. आधिक विद्यमानों को दूर करना : द्वितीय पंचवर्षीय योजना का चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य आय तथा सम्पत्ति की असमानताओं को कम करना तथा आधिक लक्षित का अधिक समान वितरण करना था । पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था से सम्पत्ति एवं ज्ञान का वितरण बड़ा ही दोष पूर्ण होता है, वहाँ जन-नलियाण के उद्देश्य से आय के वितरण की इस असमानता को दूर करना आवश्यक होता है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही उद्देश्य पर अधिक तेज नहीं दिया जा यका, लेकिन समाज के समाज-वादी दैनिक के आदर्श को अपनाये जाने के कारण, दूसरी योजना में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया । इस उद्देश्य की सफलता के लिए एहु और तो सामान्य जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना जहरी होता है तथा दूसरी ओर सम्पत्ति के खोल्नाण (Concentration) की रोकना आवश्यक होता है । एकाधिकारी शनित के हारा, विभिन्न उरीयों से जनता का दोषण किया जाता है, अतः गमाजवादी अर्थ-व्यवस्था में एकाधिकार के लिए कोई स्थान नहीं होता चाहिए ।

गथम में, योजना वायोग के शब्दों में, — “हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य प्राप्तीय भारत का पुनर्निर्माण करना, भारत की आवृद्धिक प्रगति की गुहड़ नीव रखना, जनता के शक्ति-हीन एवं अधिकार-हीन वर्गों की समुन्नति का ध्यानसंरक्षण करना तथा देश के सभी भागों का समुलित विकास करना है ।”

2. (स) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की गिकास शैलो या अनुहृत-रचना (Strategy of the Second Five Year Plan)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न मदों पर, सरकारी क्षेत्र में 4800 करोड़ रुपये अव्यय किये जाने थे, परन्तु वस्तुतः इस योजनाद्वारा में सरकारी क्षेत्र में केवल 4600 करोड़ रुपये का ही विनियोग किया गया । इस योजना पर विभिन्न मदों पर ठाने वाला अव्यय निम्नांकित तालिका में दिलाया गया है ।

मद	वारकारिक रूपन करोड़ एवर्षीय में	चास्तुरिक अव्यय का प्रतिशत
1. कृषि तथा सामुदायिक विकास	530	11
2. बूहुल तथा मन्यव निचाई-योजनाएँ	420	9
3. सचालन शक्ति	445	10
4. प्रामोण तथा लघु उद्योग	175	4
5. उद्योग एवं व्यापार	900	20
6. परिवहन एवं सभार	1300	28
7. सामाजिक सेवाएँ एवं विविध मद	830	18
कुल अव्यय	4600	100

इन्हें बन सकिका के देखने से संष्ट प्रतीत होना है कि इस योजना में कृषि को सहना महत्व नहीं दिया गया, जिनमा की प्रथम योजना में दिया गया था। प्रथम योजना में कृषि लक्षण पर कुल व्यय का 31 प्रतिशत व्यय दिया गया था, लेकिन द्वितीय योजना में इन कृषि विषयक गंधों पर कुल व्यय का 20 प्रतिशत व्यय दिया गया। इस योजना में उद्योग एवं सकारात्मक योजनों को उच्च प्राथमिकता दी गई और इन पर व्यय का लापेक्षित प्रतिशत प्रथम योजना में 4 से बढ़ कर द्वितीय योजना में 20 हो गया। परिवहन एवं संचार को दोनों योजनाओं में लगभग समान महत्व मिल जाकिए गांधीनिय रोडवालों का प्रतिशत प्रथम योजना में 23 से घटकर द्वितीय योजना में 18 रह गया। द्वितीय योजना में ध्याय सम्बन्धी व्यौक्ति इस योजना में बदलाइ रखी गयी थर प्रकाश आलत है, जिसका अध्यवन अब हम नीचे के अनुच्छेदों में करेंगे।

द्वितीय पवर्योगीय योजना की मूल धौली औद्योगिक क्षेत्र के विकास की सम्भायनाओं से सम्बन्धित है। प्रथम योजना में कृषि विकास पर बहु दूसरे अर्थ व्यवस्था औ जपारभिका रखी जा चुकी थी। अतः इस आधाररसिला पर औद्योगिक विकास के ढांचे पर निर्मित करना द्वितीय योजना का लक्ष्य था। यह धौली व्यावरणार्थिक एवं तकनीकीय योजना भी है, आर्थिक विकास के निर्माता है तथा व्यावरणार्थिक एवं तकनीकीय योजना भी प्रारभिक अवस्था में औद्योगिक विकास की मति देखा जाता रहा। अतः इस व्यावरणार्थिक एवं तकनीकीय योजना की पूर्ति दरम प्रभावित होती है। दूसरे शब्दों में, जब तक देश में साकारात्मकी वी उपलब्धि व धूली को व्यापारित भाग में न बढ़ाया जायेगा, तब तक देश में औद्योगिक विकास की यति का भा तेज नहीं रिया जा सकेगा। चूंकि भारत में प्रथम योजना अवधि में खाकाना जी पूर्ण म आवश्यक बृद्धि नी जा चुकी थी, अतः द्वितीय योजना में योजना के निर्माण-वक्त्ताओं न भारी व सूक्ष्म उद्योगों - निर्माण पर जार देकर उचित धौली व अपताप। दूसरी योजना में लोहा व इस्पात, भीड़ भारी रासायनिक तथा भारी निर्माण उद्योग जैसे जपारन्तु एवं भारी उद्योग के विकास पर जल दिये जाने का औचित्र इसलिए भी है कि इन उद्योगों में बड़े पैमाने से सम्बन्धित सभी लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं तथा वह पैमाने के उद्याय परस्पर एक दूसरे का तोप्रगति से प्रवर्ति की ओर ले जाते हैं और देश के आर्थिक विकास की यति को अवधित बढ़ा जाते हैं, अतः दूसरी योजना ने इन उद्योगों को उच्च प्राथमिकता देना न तोबड़ उचित ही नहीं बर्त आवश्यक एक तरहाना भी था।

चूंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, अतः कल्याण सम्बन्धी लक्ष्यों में कठोनी नहीं की जा सकती थी, अतः योजना के निर्माणाओं ने कल्याणकारी कार्यों

पर व्यय के लिए एक बहुत बड़ी घम-राशि (कुल व्यय का 22.6 प्रतिशत) का प्रावधान रिया था । इस योजना में स्थानावन, स्वस्थर, निकाय, अनुपधान, समाज व्यवाण, आमजिक सुरक्षा तथा सामुद्रिक कार्यकर्ता में लगभग 830 करोड़ रुपये खर्च हिए गए जो कुल व्यय का 18 प्रतिशत था ।

इनीय योजना में बहुत उद्योगों के साथ साथ आमीण व लघु उद्योगों के विकास पर भी समृद्धि दल दिया गया था । आधारभूत उद्योगों के विकास से देश में उपभोक्ता पदार्थों की कमी आ जाने वाली सम्भावना थी, एक और श्रमिकों के बेतन बढ़ जाने में तथा दूषणी और उपभोक्ता पदार्थों की कमी समाज में विवित स्थिति बैदा कर सकती है तथा इससे आदिक पिताम हे बाबाएँ उत्तरान हो सकती हैं । इनीय दूसरी पचवर्षीय योजना में आमीण व लघु उद्योगों के विकास पर समृद्धि दल दिया गया था । इन उद्योगों के विकास से देश में एक और तो उपभोक्ता पदार्थों की कमी दूर की जा सकती थी और दूषणी और इत्य के अधिकाधिक लोगों को रोजगार की सुविधाएँ दिलाई जा सकती थी । यही नहीं, इनका विकास समाजवादी धर्म-व्यवस्था के अनुरूप भी था । इन प्रकार इनीय योजना में बहुत उद्योगों के साथ-साथ आमीण व लघु उद्योगों के विकास वो प्रोत्तराहिं करना इन योजा की महत्वपूर्ण ईलो थी ।¹

इनीय पचवर्षीय योजना की मुख्य नीति या शैली को संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है । इनीय योजना में पौरीतर विकास वर बन दिया गया तथा अर्थ-व्यवस्था को दृढ़ आवार पर रखने का प्रयास हिया गया । इस मूल शैली को पूरक शैली हृप में समाज कल्याण सम्बन्धी सेवाओं पर बन दिया गया । उक्त दोनों मूल-मूरु एवं पूरक शैलियों के अपनाने से लोगों के जात कर्म-विन बढ़ जाने वाली जिनके वे अधिकाधिक सपभोक्ता सामाज वी साज नहीं । इस समस्या को हल करने के लिए

This means that at the one end we have deep capital-intensive investments with low employment potentiality and high overhead expenditures, at the other end we have labour intensive investments with high employment potentiality and low overhead costs. The former effectively prepares the ground for industrialisation and accelerated growth and the latter endeavours to solve simultaneously the problems of consumption and employment.”

दूसरी पचार्थीय योजना में कुटीर एवं रथू दण्डों के विवरण की बातों दिया गया।¹ इससे उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ण बढ़ते से लोगों की बढ़ती हृदृ उपभोक्ता दम्भों की मौज़ पूरी की जा सकेगी, साथ ही आधिक लोगों को कार्य दिलाया जा सकेगा।

द्वितीय योजना में आर्थिक विकास की दिशा ही ही को अपनाया गया है उपर्युक्त कुछ कमिया अथवा दोष रह गये हैं जो इस प्रसार है, (1) भारी उद्योगों के परि माणस्मक (Quantitative) लक्षण पर ध्यान तो दिया गया, लेकिन गुणात्मक पहल की ओर ध्यान नहीं दिया गया। उत्पादन की तकनीक सुधारने व धमन्दृशलता बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। (2) कृतार एवं रथू उद्योगों में हीने वाली बन्दर को एकत्र करने की ओर विदेशी ध्यान नहीं दिया गया, इसमें पूँजी का एवं बहुत बड़ा भाग, जो देश के आधिक विकास में विनियोगित ही सकता था, नियोजित नहीं किया जा मान। (3) इस योजना में अपनोई गई विकास धर्मों ने लागतों को कम करने एवं सधूर्ण कार्यक्रमों का बढ़ाने की समर्थी की ओर ध्याचित ध्यान नहीं दिया। (4) यद्यपि नियोजित वर्धनव्यवस्था में धीरे-धीरे कृषि की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, लेकिन मानव प्रकृति के कृषि क्षेत्र से याचित विकास न होने के बावजूद भी द्वितीय योजना में इसके विकास की उपेक्षा वीर्य गई। कल्पवस्तु देश में भूगतान सत्रुता सम्बन्धी कठिनाइयाँ, मुद्रा प्रमाण गमनन्वयों दोष, बेरारों की ममस्था आदि वही आर्थिक कठिनाइयाँ पैदा हो गई।

सार्वजनिक क्षमता में 7500 करोड़ रुपये अधिक किए जाने का प्रावधान या किसी वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तुतः 5631 करोड़ रुपये अधिक किए गए, अर्थात् 1131 करोड़ रुपये निर्धारित घनराशि में अधिक खर्च किये गये।

तृतीय पचवर्षीय योजना कृषि-अवध्या को सुहृद बनाने, विद्युत एवं परिवहन का विवाह करने, औद्योगिक एवं प्रावधानिक परिवर्तन की गति को बढ़ाने, लक्ष्यसंरक्षण की समाजता एवं समाजादी समाज की स्थापना की दिशा में तीव्र गति से बढ़ने तथा रोजगार के साधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से निर्मित ही गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वावलम्बी और स्वयं-स्फूर्ति अर्थ-व्यवस्था (Self-reliant and self-generating Economy) रखा गया। इस योजना के मुख्य-मुख्य उद्देश्य निम्नान्ति थे :

1. राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना : योजना काल के पाछे वर्षों में राष्ट्रीय आय में ३ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। विनियोग इष्ट प्रकार में करने की व्यवस्था की जानी थी कि आगामी योजनावारी में भी इस विभास की दर को बढ़ावा देना चाहिए। प्रथम एवं द्वितीय पचवर्षीय योजनावधि में राष्ट्रीय आय में 42.6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। तृतीय योजना में कुल 25 प्रतिशत से अधिक राष्ट्रीय आय 140000 करोड़ रुपये हो जानी चाही थी। प्रति व्यक्ति आय को भी 330 रुपये से बढ़ावा देनी योजना के अन्त तक 385 रु. प्रति वर्ष की जानी थी।

2. खाद्यान्न की उपलब्धि में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना : तृतीय योजना का दूसरा मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न की उपलब्धि में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना तथा कृषि-उद्योग में इतनी वृद्धि करना था कि एक ओर देश के उद्योगों की कच्चे माल सम्बन्धी व्यावस्थाएँ पूरी रूप से नया दूसरी ओर इनका कुछ निर्वात भी हो सके। द्वितीय पचवर्षीय योजना में कृषि के महत्व को कम करने के कारण योजनाकाल में साधारणी का अभाव हो गया था, इसलिए तृतीय योजना में कृषि विकास पर धूम ओर दिया गया। योजनावधि में कुल कृषि उद्योगदान में 30%, तक खाद्यान्नों के उद्योगदान में 26 प्रतिशत वृद्धि का आगेजन था। ऐसी बात की जानी थी कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लक्ष्यान्तरे देश साधारणी के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा।

3. आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना : इस योजना में बुनियादी उद्योगों पर ध्येयीति जार दिया गया। इसात, रिजनो, तेल, ईंधन, रासायनिक उद्योगों का विस्तार करना तथा मशीन निर्मित करने वाले कारखानों की स्थापना करना जाकि यांत्रिकी 10 वर्षों में देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक मशीनें देश में ही प्राप्त की जा सकें। दूसरी ओर से आधिक विकास के लिए औद्योगिक उद्योग नि गवर्नेंट आवश्यक है, इसीलिए इस योजना में आधारभूत उद्योगों के विकास पर ध्येयीति ओर

दिया गया। योजनावधि में बोरोगिक उत्पादन में 69 प्रतिशत वृद्ध करने का आयोजन था।

4 रोजगार के साधनों में बढ़ि करता : इम योजना का चौथा प्रमुख उद्देश रोजगार के साधनों को बढ़ाना था ताकि देश की मानव शक्ति राजधिकार सीमा तक उपयोग किया जा सके। इम योजना के सम्मिलित कार्यक्रमों के कलश्वस्य योजनावधि में 140 नाल अनिवार्य लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था का आयोजन था। इसमें में 30 नाल शक्तिनालों को कृषिक्षेत्र में तथा योग 105 लाल व्यक्तियों को बैर कृषि क्षेत्र में रोजगार दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

5 आर्थिक विषयस्ता को दूर करना : त्रिनीय पचवर्षीय योजना का प्रबंध उद्देश थन एवं श्राय के विनाश की विषयस्ता का रूप कर आर्थिक शक्तियों का अधिक व्याप्रोचित विनाश करना था। इम योजना में ताम्र के लाल सामय अधिक व्यक्त मात्रा में जनना ये सुप्राप्त अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष विधि दिया गया।

3 (ख) तीव्र दबावर्णीय योजना को विकास शनों पर व्यूह रखना (Strategy of the Third Five Year Plan)

त्रिनीय पचवर्षीय योजना में विभिन्न पदों पर, सार्वजनिक खेत्र में 7500 करोड रुपये अवधि किए जाने थे, पर वस्तुत 8631 करोड रुपये खर्च हुए, अर्थात् अनुमानन् 1131 करोड रुपये दियाहित राशि से अधिक अवधि अवधि किए गए। इस योजना पर विभिन्न मरों पर होने वाला अवधि निम्न तालिका में दिया है—

मर	वार्तावक अवधि करोड रुपयों में	वास्तविक अवधि का प्रतिशत
1. कृषि एवं सानुदायिक विकास	1103	12.8
2. बृहत् एवं मध्यम विकास योजनाएँ	675	7.6
3. विशुद्ध दा सचालन शक्तिका	1262	14.6
4. शास्त्रीय पद लक्ष्य-स्थापना	220	2.6
5. संवर्धित उत्पादन एवं खनिज	1735	20.1
6. परिवहन एवं सचार	2116	24.5
7. राष्ट्राजिक मेलें एवं एवं विद्यु	1538	17.8
कुल	8649	100.0

उपर्युक्त तालिका के देखने से स्पष्ट है कि तृतीय योजना में कृषि, निर्बाही, एवं संचालन विभिन्न पर बूल व्यय का 35.0 प्रतिशत व्यय किया गया जबकि द्वितीय योजना में इन सभी पर 30 प्रतिशत व्यय किया गया था। इस प्रकार तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में चूपि को सर्वोच्च प्राप्तिकता थी गई। परिवहन एवं संचालन और आनंद इस योजना में उपेक्षित रहा, जबकि इस योजना में इस पर 20 प्रतिशत घटनराशि थी। यद्यपि की गई, जबकि दूसरी योजना में इस गढ़ पर 28 प्रतिशत व्यय किया गया था। अन्य मर्दों के व्यय स्वरूप में कोई विवेग परिवर्तन नहीं हुआ। यह मत्त है कि इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राप्तिकता थी गई, पर ऐसा उद्योगों के स्थान पर नहीं किया गया। आधारभूत उद्योगों के विस्तार को अर्थिक विकास की हीट से आवश्यक समझा गया, परस्पर्य ही इस योजना में भी इस महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।

तृतीय योजना में अर्थिक विकास की जो जेली अवधार्ड गई, उसमें कृषि विकास को देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मानदा गया। प्रथम दो योजनाओं, खाल कर हास्यरी योजना, में जो अनुभव प्राप्त हुआ, उसमें यह स्पष्ट हो गया कि इस समय कृषि-उत्पादन की जो मन्द परिस्थि है, वह देश की जय व्यवस्था को प्रगति को भीमित रखने वाले प्रमुख कारणों में से एक है। इसीलिए तृतीय योजना में कृषि उत्पादन की यथा मम्भव उठाने पर वाल दिया गया और कृषि के विषय में लक्षणों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मापदंडों की आवश्यकी गई। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को विभिन्न दिग्गजों में मोड़ने के प्रयत्नों पर जोर देकर कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों के अनुपात को कम करने का प्रयास किया गया। योजना में निर्माणकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया था कि कृषि अर्थ-व्यवस्था का मानव साधनों के उपयोग और अर्थ व्यवस्था की साधनों में अनिष्ट मम्भव है, अत यदि कृषि के विकास पर यथोचित ध्यान दिया गया तो इसके मम्भूत ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार होगा। कृषि धात्र में विकास वार्तों के अभाव में भारत जैसे जलाधिक याले देश में लोकोपिकरण की गति ही प्रति नहीं की जा सकती। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दो योजना में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विविधीकरण के दृष्टि सहायक नघु एवं कुटीर उद्योगों में मानव साधन का उपयोग करके कृषि पर से मानव भार कम करने का प्रयास किया गया। बगोल्डारी को दूर करने के लिए, अधिक जनसङ्ख्या के दबाव वाले धात्रों में श्रम प्रयास (labour intensive) कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। वहाँ न होंगा कि कृषि अर्थव्यवस्था भारत में सर्वाधिक महत्व रखती है और इस पर दिया गया बल उचित ही था। इस योजना में कृषि विषयक जैसे व्यायक्रम अन्तर्गत यह, उनमें से प्रमुख हैं—(i) तिचाई सुविधाओं वा विस्तार किया गया, (ii) भू-सुरक्षण, सूखों सही एवं नई मूर्म का कृषि के अन्तर्गत लाने के व्यायक्रमों को गहन

किया गया। (iii) खाद एवं लर्वरको के वितरण करने की समुचित व्यवस्था की गई; एवं (iv) अपेक्षाकृत उन्नत हुए एवं उन्नत विश्व के यन्मों के प्रवास को समुद्रिन प्रोत्साहन दिया गया।

कृषि को बर्बेच्च प्राथमिकता देते हुए भी भूलभूत उद्योगों के विकास के महत्व और भी पर्याप्त मात्रा में स्वीकार किया गया। इस योजना में ऐसे उद्योगों के विकास पर विशेष ध्वनि द्वारा दिया गया, जो अर्थ व्यवस्था की स्वयं स्फूर्ति द्वारा उन्नत नहीं हो सकत थे, यथा इस्पात व मशीन निर्माण उद्योग, ईंधन, मन्मालन आदि रमायन उद्योग आदि, हुआँगुर, लिलाइ व राउरकेला के स्टील बनाने के कारखानों को विस्तृत करने एवं एक सार्वजनिक धन व पौधे कारखाने को खोलने की व्यवस्था औद्योगिक आवारोग को मबवृत बनाने पर बल दिया गया।

योजना आयोग ने परिवहन व सूदेश-व्याहृत के साथ के आर्थिक विकास में महत्व को समझते हुए इसके विकास पर भी पर्याप्त व्यय की व्यवस्था की कृपि एवं उदायों का विकास तक तक समझव नहीं हो सकता अब तक इस प्रकार की सेवाओं का समुचित विस्तार न किया जाय। सेलप में, तृतीय विश्ववर्षीय योजना में आर्थिक विकास की जो शैली अपनाई गई वह कृपि एवं उद्योग दोनों के संतुलित विकास की एसी अवध्या तक तक आने वाली थी, उर्ध्व अर्थ व्यवस्था स्वावलम्बी व्युत्पन्न व्यय स्फूर्तिमय हो जाती है।

नव 1962 तथा 1965 में कम्पश चीम एवं पाहिजनन के आक्रमण के कारण इस योजना की व्याहृत रखना में कुछ परिवर्तन नितान्त अवश्यक हो गए थे। योजना को देश की प्रतिरक्षा के लिए प्रतिरक्षा परक (Defence Oriented) बनाना पड़ा। औद्योगिक अनुभवात् ०५ कृपि विकास तथा तुनसगठन के साथ साथ प्रतिरक्षा में क्षेत्र में अनुसवान जी और भी विशेष ध्वनि दिया गया।

4 (क) चौथी पचवर्षीय योजना के उद्देश्य (Objectives of Fourth Five Year Plan)

इस योजना का ग्राह्य प्रो जी आर गैडलिन द्वारा अप्रैल 1969 में मसद में प्रस्तुत हित गया था। परन्तु अनित व्युत्पन्न इसे जई 1970 में दिया जवा। इस आरप्ट्यु में योजना के उद्देश्य भी बदलाये गये थे। उद्देश्यों के बारे में लिखा जा कि "योजना" का दुनियावी उद्देश्य समानता और जापानीक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले सभी दृष्टियों द्वारा योजना के जीवनमहर दो नेत्री में छवि उठाता है। जन-याचान्य, निबेल वर्ती तथा बम घटिकार इत्यात्मकों पर विशेष व्यवहार देना है।" परन्तु योजना के दो ही वर्ष पूरे हुए रिं प्रो गैडलिन एवं उनके मन्त्रियों द्वारा योजना आयोग से स्पष्टपत्र दे दिया। इसके पश्चात् दश में द गन मन्त्री ने नये योजना आयोग का

गठन किया जिसमें थी सी सुशाम्बन्धम् योजना मन्त्री नियुक्त किये गये, जो अप्रैल 1971 के तीसरे सप्ताह में इसके उपाध्यक्ष बना दिये गये। थी सी सुशाम्बन्धम् एवं उनके साथियों ने प्रो गैटिल हारा बताए गवे उद्देश्यों पर पुन विचार किया और इस योजना के निम्नलिखित तीन उद्देश्य बताय —

(1) भारत निर्भरता प्राप्त करना (To achieve Self Reliance)

इस योजना का प्रथम एवं प्रमुख उद्देश्य आत्म निर्भरता प्राप्त करना रखा गया। इसमें विदेशी महायता को बाधी कर देने का उद्देश्य रखा गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये पी.एन. 480 के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता को 1970-71 तक विलुप्त समाप्त करने का उद्देश्य रखा गया। इस विदेशी निर्भरता को समाप्त करने के लिये निर्यातों में 7 प्रतिशत की वृद्धि करने वा उद्देश्य रखा गया। इस प्रकार निर्यातों से आप 1360 करोड़ रुपये स बढ़ा कर 1973-74 तक 1900 करोड़ रुपये करने वा उद्देश्य रखा गया।

(2) अंतर्धान समानता (Regional balance)

दूसरा उद्देश्य योजना के विकास में अंतर्धान समानताओं को दूर करना रखा गया अर्थात् विकास के लाभों को सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरित किया जाएगा। प्रो. गैटिल इस विचार के समर्थक थे कि देश का विकास परमे के लिये सभी क्षेत्रों का विकास दर्शन अवश्यक है। विकासी सभी योजनाएँ अंतर्धान समानता के बाधाय वर वनाई गई थीं जैसे प्रथम योजना कुषिक विकास के लिये, द्वितीय योजना और एक विकास के लिये इस योजना में कुषिक एवं उत्तीर्ण दोनों क्षेत्रों वा विकास करने वा उद्देश्य रखा गया है। इयम कृपि में 5 प्रतिशत एवं उत्तीर्णों में 8 से 12 प्रतिशत तक आधिक विकास प्राप्त करने वा उद्देश्य रखा गया है। इसी आधार पर उपर्यादेश के बायिन विकास की दर 1.5 प्रतिशत प्राप्त करने वा उद्देश्य रखा गया है।

(3) स्थिरता के साथ विकास (Growth with Stability)

इस योजना का अन्तिम उद्देश्य देश वा विकास के साथ विकास करना रखा गया, परन्तु यह इस योजना वा नया उद्देश्य नहीं था। वह उद्देश्य जब से योजना बननी प्रारम्भ हुई है, तभी से है। परन्तु इसके तीन वर्षों से भूल्यों में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसपे यह अनुभव हुआ है कि देश के सभी प्रतिशत विकास के लिये मूल्य स्थिरता इन वें रखना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि यदि इस उद्देश्य की प्राप्ति विकास विद अन्य सभी लक्ष्य पूरे भूं वर दिये गए तो वे वेतन विकास हो जायें। इसलिये इस उद्देश्य वो योजना का प्रमुख उद्देश्य कहना अविद्याशोकित नहीं होगी।

**4 (क) चौथी पचवर्षीय योजना की विवास शैली
(Strategy of the Fourth Five Year Plan)**

चौथे पचवर्षीय योजना में मार्बंडिङ हेत्र से 1509 करोड रुपये बज़ बाने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा उत्तर भारत से चतुर्थ पचवर्षीय योजना में निर्धारित प्रारब्धिक हावों के बासार पर दरम के नितरण वा अनुमान लगाया जा सकता है।

मट	अनुमानित विवरण	(करोड रुपये में)	
		कुल परिवाह का उत्तिवान विवरण	विवरण
1. कृषि व सम्बन्धित खेत्र	2728.2	17.1	
2. मिट्ठाई व बाढ़ नियन्त्रण	1016.6	6.8	
3. शहिन	2447.3	15.4	
4. ग्रामीण व लघु उद्योग	293.1	1.8	
5. उच्चीय व उत्तर	3377.7	21.0	
6. यातायात व सूचार	3237.3	20.3	
7. आशाजिक सेवाएं व अन्य	2771.6	17.6	

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना में देश के कृषि विवास को भवित्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उत्पादन के सिए भी 5% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, तथा अद्वालयत इलाके में विसानों को अधिक सुविधाएँ प्राप्त करने का भी लक्ष्य सरकार ने रखा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुप्रयोग कारोबार को अपनाना, ग्रामीणिक भाव बांट द्वारा प्रयोग करना तथा वित्तीय विवरण में सुधार बरका, आदि विधियाँ (strategies) निर्धारित की रहीं।

बीजोगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि का अनुमान भी 8-10%, लगाया गया है, तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करनानों की पूर्ण क्षमता का प्रयोग करके, नए कृषिकाने लगा कर, बांट द्वारा पूरा करने की जाति सोची गई।

इसके अलावा विद्युत विकास, परिवहन व्यवस्था परिवाह विधेयन के कार्यक्रमों को भी विस्तृत रूप से प्रोत्साहन देना का लक्ष्य निर्धारित किया।

5 पांचवीं योजना के लक्ष्य

योजना वायाम द्वारा प्रदत्ती योजना की परिवर्तना पर 30 और 31 मई, 1972 को अधिनियमी भीमती इंडिया गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विवाह परिषद ने विचार किया जिसमें मरीच वर्षी श्री न्यूनरम सुनियादी आधरस्वताएँ

उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर जोर दिया गया । पहली पचवर्षीय योजना में कृषि पर, दूसरी एवं तीसरी योजनाओं में औद्योगिक विकास पर जोर और चौथी योजना में सामाजिक स्थिरता के विकास पर जोर दिया गया था । इन योजनाओं के दोस्रान पश्चात् कुछ दोशों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन बढ़ती हुई बेरोजगारी और रामाज के एक बांग की भयकर गरीबी ने देश के सामने गम्भीर सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याएँ उड़ा कर दी है । यह तिर्यकतम बांग देश की पूरी जातियों का बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें प्रत्येक पांच भारतीयों में से दो आते हैं । इस प्रकार भयकर गरीबी का जीवन जीने वाले देश के भारत के समस्त नागरिकों का 2/5 ने लेकर 1/2 हिस्सा तक है । इसलिए पांचवीं योजना का प्रमुख लक्ष्य चापक स्तर पर रोजगार वी सुविधाओं की व्यवस्था कर बेरोजगारी की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रतार करना और लोगों की अनुनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर 'गरीबी हटाओ' के बायदे को पूरा करना है । इस योजना का प्रमुख उद्देश्य "लैंजी में आर्थिक विकास और रोजगार के इनमें से के विकास और एवं यम्पत्ति वी समाजताओं में नपी, आर्थिक जकियों के द्विषेषकरण वी रोक्याम और एक स्वतंत्र तथा समन्वय पर आधारित समाज के लक्ष्यों और दृष्टिकोणों के नियमण के लिये समाजवादी आधार पर विकास करना है ।"

इस योजना के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

(1) आत्म निर्भरता इस योजना की अवधि में आत्म-निर्भरता के लक्ष्य वी और पूरा करना है । सन् 1978-79 तक मुद्रा विदेशी सहायता को शून्य कर देना है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस योजना में अनाज में आत्म निर्भरता वी और मण्डवृत बनाना, इन्हात एवं अलौह धानीओं, उर्खरों, विना साफ किये तल, पेट्रोलियम के सामाज, इजीनीयनी नागरिक और अनियादी रसायनों का उत्पादन बढ़ाना होगा । अनाज में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के बाद गरीबों भी आवश्यकताओं वी ज्यान में रखते हुए स्वतंत्र धोय बरतुओं के पुनर्गिरण की व्यवस्था भी जायगी । मध्यम और उच्च जाय के लोगों वी अपनी स्वतंत्र के संदर्भ में स्वयम रखना होगा, विशेषकर ऐसी बस्तुओं और स्वामी के द्वारे में जिसका आवाहन करना आवश्यक है । ऐसे दृष्टिकोणों का भी देश के विकास सम्बन्धी प्रयासी और आत्मनिर्भरता के अभियान में महत्वपूर्ण स्थान है । इसमें विदेशी टेक्नोलॉजी की विशेष ज्ञान नहीं किया जायगा, विहित आवाहन तथा विदेशी टेक्नोलॉजी का सिलांगना प्रयोग इस प्रकार किया जायगा कि धोर वीरे देशी टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनता जाय ।

आत्म निर्भरता के लक्ष्य वी पूरा करने के लिए नियंत्रण में बृद्धि की जायगी । इस योजना में नियंत्रण में 7 प्रतिशत वी बृद्धि का लक्ष्य रखा गया है । नियंत्रण वी

दृष्टि से देश में कीमतों को भी हिंसर रखा जायगा। इसमें उन वस्तुओं के आवानों पर प्रतिशत छोड़ा जायगा जिनका देश के नुसान न मनुष्यन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परन्तु आवानों में उन वस्तुओं की महत्व दिया जायगा जो देश के निर्णयों में बृद्धि की दृष्टि स महत्वपूर्ण है।

(2) विकास की दर एवं स्वरूप पांचवीं याजना की अवधि में विकास की दर और स्वरूप का निवारण याजना के लिये एवं कार्य विधि के आधार पर किया गया है। अनेक विकास दरों पर विचार करन के बाद इन निष्पत्ति पर यहां यहां है कि प्रति वर्ष ५-८ प्रतिशत की दौरभावति याजना दर ही मर्ही होगी। यह विकास दर देश के निर्णय वर्षों की स्थिति के स्तर को पर्याप्त छोड़ा नहीं उठा सकती, परन्तु इसी आवादी के ३० प्रतिशत निम्नतम लोगों को रहना रहन का अधिक सुलोपजनक स्तर प्राप्त करने में महायाद ही सकेगी।

अ. विकास के स्वरूप में लूपि, महत्वपूर्ण एवं बनियादी उद्योगों और ज्ञानक खण्ड का समान बनाने वाले उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया है। योजना आयोग ने यह निकारिय की है कि प्रति वर्ष ७ प्रतिशत की दर से नियमित बृद्धि के नियंत्रण दिया जायगा। असमानता में कमी करने आवान होने वाले समान के स्थान पर देश में बने समान के अधिक उपयोग और नियमित बृद्धि के प्रयोगों से इस योजना के अन्त तक शुद्ध विकेशी सहायता की ममार्दिन भी स्थिति में पहुंच जावायी।

योजना के लगभग ने अनुहय गरीबी को समाप्त करने के लिये असमानता में बगी बी लायगी। यन 1978-79 नव देश ने ३० प्रतिशत अनुनतम खण्डक वाली आवादी ने खण्ड प्रति बृद्धि प्रति माह बढ़कर देशी इलाजों में ३६.६४ ह० और अहरी इलाजों में ३९.६० रुपये हो जायगी। इन प्रकार पूरे देश के लिये ३७.१० ह० अग्रगत बेठाः। १९७३-७४ के विनियादी दर से पांचवीं योजना भी अवधि में योग्यों के गरीब लोगों के लिये यह बृद्धि ६० प्रतिशत और अहरी गरीब लोगों के लिये यह बृद्धि ५० प्रतिशत बेठानी है। यिन्हें हुए लक्ष्यों एवं इलाजों के विकास पर विवरण से जोर देकर समाज के विभिन्न वर्षों भी जाय ये निरवय ही बृद्धि भी जा सकती है।

3. निर्धनता उन्मूलन पांचवीं योजना का विनियादी लक्ष्य यह है कि सबसे अधिक गरीब लोगों का स्तर छोड़ा उठाया जाय और इन प्रतार देश आर्थिक स्वाधीनता की दिशा में एक कदम लोग आये बढ़। गरीबी ममाप्त करने के मार्ग में एक महत्वपूर्ण अवशेष सेजी से या छोड़ी दर से आवादी में बृद्धि होता है। अप अवशेष को समाप्त करने के लिये उचित एवं उत्पादन रोजनार देना आवश्यक

है। रोजगार नीति इस प्रकार की होगी कि वेतन पर अधिक से अधिक काम देने की अवस्था के साथ ही साथ लोगों को इस अपने बच्चे शुल्क परने का भी प्रोत्साहन दिया जायगा। इस नीति से उत्पादकता नृष्टि में सहायता मिलेगी। इस योजना परे पैर-कृषि क्षेत्र में वेतनमेंगी कर्मचारियों की पस्ता में पर्याप्त नृष्टि की सम्भावना है। ये पैर-कृषि क्षेत्र निर्माण, खनन एवं उत्पादन, विजलीपरों से मुदूर स्थानों पर उसे पहुँचाना और वितरण की अवस्था, परिवहन और सचार, ज्यापार, भण्डारण, लैंक-अवस्था, वीमा कम्पनियां और सामाजिक सेवाएं हैं।

पानवी योजना की अवधि में देने पर काम करने वाले लोगों के लिये अधिक भूमि परे रोजगार की जो समावना है, वह बास चाहने वाले लोगों की संख्या के अनुच्छेद नहीं है, इनकी लोगों को इस अपने शुल्क करने के प्रोत्साहन देने की गुम्जाइश है।

रोजगार की सम्भावनाओं के विस्तार की साधा य नीतियों के साथ-साथ विभिन्न बेरोजगारों को उत्पादक कार्यक्रमों में लगाने के लिये विशेष कार्यक्रम भी शुरू करने होंगे। इस उद्देश्य से कुशल व्यक्तियों एवं सामान्य व्यक्तियों के बीच अन्तर रखना होगा। यह एक टाकटरों एवं चिकित्सकों की सहायता का रपबन्ध है इनके रोजगार की गम्भीरता व्योजनाकून सरल है। वैज्ञानिक, इंजीनियरी और तकनी-शियनों को पूर्ण रोजगार देने का योगान अन्तर अनुपयोग और विकास की तोदर-यतिविधियों और शोषणीयिक विकास में निहित है इसके साथ ही विश्वविद्यालय स्तर की विज्ञा का इस प्रकार नियमन करना ही आजि युवकों के लिये उपलब्ध रोजगार की सम्भावनाओं के अनुमार ही स्नातक हैं।

कृषि क्षेत्र ने अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिये खेती के काम में मशीनों दा अन्यान्य प्रयोग नहीं किया जायगा। बोयल उन्हीं मशीनों का उपयोग किया जायगा जो भूमि की प्रति इवाई उपज बढ़ाने में महायक हो सके। पानवी योजना में कृषि क्षेत्र में सघन खेती कार्यक्रम को लागू करने के लिये विशेष अवस्था की गई है।

4 सामाजिक खपत का भागक गिर्धेरित करना - शरीरी को समाप्त करने के गम्भीर में समाज के नियंत्रण यों को अविद् रोजगार एवं आय देने की कारबाइज़ी के साथ-साथ किसी एवं अनुकूल स्तर तक सामाजिक खपत की अवस्था करनी होगी। यह सामाजिक खपत गिर्धा, स्वास्थ्य, पौधिक आहार, पीने के पानी, महान सचार, और विजली के रूप में होगी।

बहुत तक प्राप्तिक शिक्षा का सम्बन्ध है इस योजना में 6-11 उम्र वर्ग के सब बच्चों और 11-24 उम्र वर्ग के 60 प्रतिशत बच्चों की शिक्षा देने की व्यवस्था करना तर्फ़ सद होगा। प्रत्येक गाँव के एक से बाच किलोमीटर के भीतर एक प्राइमरी स्कूल और बाच किलोमीटर के भीतर एक मिडिल स्कूल होगा। इस योजना में लड़कियों की शिक्षा के लिये विद्येष व्यवस्था की जायगी। इस योजना में प्राप्तिक शिक्षा की सफल बनाने के लिये प्रस्तावित धन-राशि चौथी योजना के चार गुण से भी अधिक है।

इस योजना में गाँवों में पीढ़ि के पात्रों की पूर्ण और विज्ञनी पहुँचाने के कार्यक्रमों को प्रो डाक्टर दिया जाएगा। इसके लिये आमोंग विद्यालीकरण विषय की तरह ही आमोंग पात्री सप्टार्ड विषय की राष्ट्रपता की जायेगी।

गाँवों के राष्ट्रपत्र कार्यक्रम में गोंदों की रोपणाम, परिवार नियोजन, पीपिटक आहार देना बच्चों के गोंदों पर विद्येष व्यान दिया जाएगा। गाँवों के राष्ट्रपत्र केन्द्रीय एवं उप केन्द्रों के लिये डाक्टर एवं चिकित्सा व्यायक उत्तराधि जायेंगे। विनके लिये तीन वर्षों के नीटिक दिल्लोपा नोसे बों फिर ऐ प्रारम्भ किया जाएगा और स्वारेष शिक्षा वो जामान्य नियम प्रशासी हा बन दिया जाएगा। पीपिटक आहार के लभाव वो एनूर लष्ट लगाने के लिये गम्भवती विधियों एवं दृष्टि विकाने वाली भागांको तथा नियंत्रण वर्षों के स्कूल ने जाने वाले बच्चों के पीपिटक आहार की व्यवस्था की ओर विद्येष व्यान दिया जाएगा।

गाँवों वे भूमिहीन लोगों के लिये मजान दिया जाएगा प्रदान की जायगी गाँवों में जमीन को बेहतर और जिधि सुविधाजनक बनाने के लिये इस योजना के बजाए तक 1000 की आवादी के प्रत्येक बाब एक हजार जौसम में उपभाग घोषण सड़कों बनाने हा लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में 30-40 प्रतिशत आमोंग आदादी को विद्याली की सुविधा उपलब्ध कराने हा लक्ष्य है।

5 क्षेत्रीय क्षेत्रनुस्ख को दूर करना। नभी पचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय अम-तुरन जो दूर दर्शन के प्रबल विषये गय, एवं उसका वर्णित प्रभाव दियाई नहीं देता। इस योजना में एिए दूरावों के विकास की ओर विद्येष व्यान दिया जाया है रथोंकि आदादी के ८० प्रतिशत निवंत्तम लोगों हे रहन महत वा स्तर ऊपर चढ़ाना है। विश्व हुए दूरावों वा विकास के लिये दूर दृष्टिकों वो व्यान में रखते हुए कार्यक्रम बनाय ता नहीं हैं। इस सम्बन्ध में पहला बदम यह होगा कि पिछडे हुए इलाजों का नामानन दिया जाय और बाद में उपरब्द साधनों का मूल्यांकन दिया जाए और इस एनवे द्वारा दृष्टियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनकी व्यापकता

एवं प्रभावशालिता वा पता लगाया जाए। इन कार्यक्रमों में सिचाई, सचार, छुण, हाट, दिजली, गिरा स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार की ओर विचार हण से व्याप्त दिया जाय। इस योजना में फिछड़ हुए बगों के विकास की कार्य-प्रणाली के अन्तर्गत समान्य क्षेत्र की प्रमुख कार्यक्रम प्रस्तुत करने की भूमिका पर ध्यान जार दिया जाएगा।

(6) वेतन, दाम और आय के मध्य उचित समुलन स्थापित करना। वेतन, दाम और आय के दीप उचित समुलन कार्यम करने और उठा मनुष्यन को बनाये रखने की आवश्यकता है। ये विनियोग के कार्यक्रमों में इन बात का ध्यान रखा जा रहा है कि आवश्यकता से अधिक मात्रा की स्थिति त दबा जाय। योजना में ऐसी बस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था है जिनकी दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है। अविवाही समुलन की बस्तुओं की नियमित पूर्ति के लिए सार्व-जनिक स्तर पर इन बस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में प्राप्त बरन और वितरण करने की प्रणाली चालू की जायेगी और यह व्यवस्था बस से कम निर्धन बगों के लिए अवश्य की जायगी। खेती की उपज के बारे में मात्र और पूर्ति के बीच मनुष्यन स्थापित रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इम पर मानसून का बहुत अधिक अमर पड़ता है। इसके अतिरिक्त विना माफ की हुई काम, परम्परा, तिलहन और रखड़ ऐसी कुछ चीजें हैं जिनमें भौमक के अनुपार बहुत उत्तर-चढ़ाव यहां है। निरन्तर प्राप्ति बनाये रखने तथा उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों के लिए को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि दोनों के इस उत्तर-चढ़ाव को यथा सभव नियमित किया जाय। इस योजना में दोनों को कम करने के लिए लागत घटाने को अत्यधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि तकनीकी, प्रबन्ध सम्बन्धी और अन्य उपायों से लागत घटाई जा सकती है।

इस योजना में इन पर विशेष जोर दिया जायगा कि उत्पादकता में सुधार के बिना वेतन बढ़ि से बचा जाय। क्योंकि उत्पादकता में बढ़ि करते हुए यदि बगों में बढ़ि की जाती है तो दृष्टि प्रति इकाई उत्पादन की दृष्टि से वेतन और लागत का अनुपान बढ़ जाता है। इसके लिए राष्ट्रीय रसग पर एक न्यायसमर्पित वेतन प्रणाली तैयार करनी होगी जो सार्वजनिक एवं निजि धर्म दोनों पर लागू होगी। मात्र ही उन लोगों को भी उचित अनुशासन रखने की आवश्यकता है जिन्हें सम्पत्ति एवं उधमों से आय प्राप्त होती है।

प्रश्न

1 “भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य समाजवाद जैसी अर्थव्यवस्था करने का होता चाहिये।” भारत की योजनाओं के क्या उद्देश्य हैं? वे कहाँ तक इस कथन से मेल खाती हैं।

(राज टी ही सी द्वितीय बर्ष कला 1969)

2 आर्थिक नियोजन के विविध उद्देश्यों पर प्रकाश डालिये। हमारी प्रबन्धपर्याय योजनाओं में ये उद्देश्य कहाँ तक अपनाए गए हैं?

3 भारत की विभिन्न प्रबन्धपर्याय योजनाओं के उद्देश्यों का संक्षेप में बर्णन कीजिए?

4 भारत में आर्थिक विकास के लिए योजनाओं में अपनाई गई शैली का समीक्षात्मक विवेचन कीजिए।

भारतीय योजनाओं की अर्थ-व्यवस्था

(Financing of Indian Plans)

Unless the habits of consumption and saving, the institutions and legal framework for accumulation lending and investing can be adopted to the building and maintenance of capital, foreign aid can bring only transitory benefits. A permanent basis for higher living standards must be created within the society, indeed this is the very meaning of economic development. Unless the chief nature of growth is indigenous the society is constantly exposed to retrogression.

-N S Buchanan and H S Ellis.

आधिक नियोजन का उद्देश्य पूर्व निर्धारित लल्हो को निश्चित काल में प्राप्त करना होता है। इसके लिए आवश्यक वित्तीय साधनों को जुटाना पड़ता है, वर्षोंकि बिना वित्तीय साधनों के देश के आधिक विकास की कल्पना करता ग्राम बिना वस्त्र शस्त्रों के युद्ध जीतने की कल्पना के समान हो होता है। बिना पर्याप्त वित्तीय साधनों के देश के आधिक विकास की गति को बाढ़ित रूप में गति नहीं प्रदान की जा सकती, इसीलिए देश की पञ्चवर्षीय योजनाओं के निर्माण के समय यह प्रयत्न किया जाता है कि योजनावधि में आवश्यक वित्तीय साधनों को किसी न किसी प्रकार थक्कर जुटाया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधिक विकास के लिए वित्तीय साधन जुटाना एक सतत प्रक्रिया है। इस वर्धाय में हमें भारतवर्ष की पञ्चवर्षीय योजनाओं के लिए वित्तीय साधनों का अध्ययन करेंगे।

भारतीय नियोजन के लिए उपलब्ध वित्तीय स्रोत

भारतवर्ष में योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आन्तरिक व बाह्य दोनों प्रसार के वित्तीय साधनों वा महारा लिया जाता है। आन्तरिक वित्तीय साधन वे साधन हैं जो देश में ही उपलब्ध हो जाते हैं यथा चालू राजस्व से व्यवत, रेलों का

योगदान, सार्वजनिक जहण, अल्प बचतें, सार्वजनिक उपकरणों से होने वाली बचतें, भविष्य निधियाँ अतिरिक्त कर, इसात समीकरण-कोण, हीतार्थ प्रबंधन आदि। देश के आन्तरिक साधनों से प्राप्त होने वाले वित्तीय साधनों की दो भागों में बाटा जा सकता है प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाला वित्त तथा परोक्ष रूप से प्राप्त होने वाला वित्त। प्रत्यक्ष रीति से वित्तीय साधनों के अन्तर्गत घाटे की अर्थ-व्यवस्था को छोड़ कर उपर्युक्त बणित सभी साधन आ जाते हैं, क्योंकि इन सभी साधनों से वित्त दी प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप में होती है, लेकिन आधुनिक समय में कवल प्रत्यक्ष वित्तीय साधनों पर ही देश की सरकार निर्भर नहीं रहती। देश के प्रचुर प्राकृतिक साधनों का विद्योहन आवश्यक होता है, अत यदि प्रत्यक्ष साधनों से नियोजन के लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है, तब सरकार अप्रत्यक्ष रीति से वित्तीय साधन जुटाती है, अर्थात् सरकार घाटे की अर्थ-व्यवस्था अपनाती है। इन प्रकार वित्तीय साधनों की कमी को अधिक नोटों को छप कर पूरा किया जाता है। थाजबल, भारत में ही क्या, सप्ताह के सभी देशों में घाटे की अर्थ-व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन के रूप में अपनाया जा रहा है।

अल्प विकसित अवयवा विकासशील देशों में आर्थिक विकास की प्रारम्भिक दशा में पूँजी निर्माण की गति बहुत धीमी होती है, फलस्वरूप देश के आर्थिक विकास के लिए आन्तरिक साधनों से वित्तीय साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। भारत भी एक विकासशील देश है। भारत में भी पूँजी निर्माण की गति बहुत मन्द रही है, अत यहाँ भी आन्तरिक साधनों के साथ-साथ बाहु साधनों से भी वित्त प्राप्त करने के प्रयत्न सदैव किए गए हैं। भारत में तकनीकी ज्ञान एवं उपादन के लिए आवश्यक मद्दीने न या अन्य माज़न्समान विदेशी से आयान करने के लिए विदेशी मुद्रा की अन्यायिक आवश्यकता भी, लेकिन व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता के कारण देश विदेशी मुद्रा अंजित करने की स्थिति में नहीं था और अब भी नहीं है। इसीलिए भारत प्रारम्भ से ही, नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विदेशी सहायता लेता रहा है और आज भी विदेशी सहायता पर वहन कुछ निर्भर रह रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत ने अपनी योजनाओं के लिए आवश्यक वित्त जुटाने के लिए आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के वित्तीय साधनों का सहाया लिया है। हम अब इनमें से प्रमुख वित्तीय साधनों का अलग अलग वर्णन करेंगे और युक्त वित्तीय साधनों में इनके योगदान की समीक्षा करेंगे।

(क) आन्तरिक वित्तीय स्रोत (Internal Financial Resources)

1. **करारोपण द्वारा (Taxation)** आन्तरिक वित्तीय स्रोतों में करों का प्रमुख स्थान है, आर्थिक और सामाजिक नीति के व्यापक सदर्शन में करारोपण नियी

सेव के लोगों से खपणा लेने का एकमात्र उपाय ही नहीं, बरन् राष्ट्रीय नीति का एक प्रमुख साधन है। हमारे द्वारा मेरा करारोपण के प्रमुख उद्देश्य है, (i) सरकारी क्षेत्र के विकास कार्यकरों के लिए साधन पूटाना, (ii) सम्पत्ति एवं आय की विष-
-र्जितों को कम हरके आधिक न्याय के द्वेष की आगे बढ़ाना, तथा (iii) व्यवितृत बचत और उत्पादक पूँजी विनियोग को प्राप्ताहन देना।

भारत में आष्टकर, व्यक्तिगत आयकर, राष्ट्रियकर, बन कर आदि करों द्वारा राष्ट्रीय आय का लगभग 14 प्रतिशत भाग कर के रूप में लिया जाता है।¹ योजना के आरम्भ से ही, सरकारी क्षेत्र के अत्यंत विकास व्यव को पूरा करने के लिए हर बर्ष कर राजस्व में बढ़ि की जाती रही है। इसीलिए कुछ आलो-
जकों का मत है कि करा को दर अधिक होने के परिणामस्वरूप उत्पादन और बचत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परन्तु यह आलोजना उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि नियोजन के दौरान नियोजन क्षेत्र में दूसरी नियमित अधिक तीव्र गति से हुआ है। 1951 के बर्ष में नियोजन क्षेत्र में पूँजी नियमित की दर 6 प्रतिशत थी जो सन् 1956-57 में बढ़ कर 16.5 प्रतिशत हो गई। नये करों के द्वारा के दावजूद भी ऐसी विनियोग के योग्य घन में विवाद कमी नहीं हुई।

यदि हम कुल राष्ट्रीय आय में कराधान से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत पर हृष्ट डालें तो स्पष्ट हो जायेगा कि हमारे यही कराधान कुल राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में अधिक नहीं है। गत 18 वर्षों में राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में कर से प्राप्त राजस्व में उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, लेकिन किर भी यह प्रतिशत 1970-71 तक 17 प्रतिशत से भी बढ़ रहेगा। विकसित देशों में कर से प्राप्त राजस्व कुल राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में इस प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। यही नहीं, दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ जल्द विकसित देशों में भी करों से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में भारत के गुणावले में कहीं अधिक है। उदाहरणार्थ, तन् 1962 में विश्वनो जम्मू में राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व 43.5, जम्मू में 35.1, बिटां में 33.7, आस्ट्रेलिया में 27.4, अमरीका 24.9, लका में 21.7 तथा वर्मा में 17.8 था।²

भारत नी प्रथम प्रबल्योग योजना में कुल सार्वजनिक क्षेत्र का व्यव 1960 करोड़ रुपये था, जिसमें से 752 करोड़ रुपये करों तथा रेंजों के अधाधान से प्राप्त

1 श्री मोरारजी देसाई आदित विकास के लिए साधन, आधिक समीक्षा, 26 जनवरी, 1969।

2, प्रो० थी० सी० चि० हा० भारत नये करों की सीमा, आधिक समीक्षा 5 मई, 1967।

हुआ था। यह कुल बद्द का 38 प्रतिशत भाग था। हिसीय पचवर्षीय योजना में, अतिरिक्त करो से 1,052 करोड रुपये प्राप्त किये गये। यह धन राशि कुल वित्तीय साधनों की उपलब्धि (4,600 करोड रु.) का 22.9 प्रतिशत थी। तृतीय पचवर्षीय योजना में नये दरों से 2,880 करोड रु. प्राप्त किये गये। यह धन-राशि कुल वित्तीय साधनों (6,630 करोड रु.) का 33.8 प्रतिशत भाग थी। 1966 से 1969 तक की तीन एक चर्चों योजनाओं में अतिरिक्त करो से 910 करोड रु. प्राप्त किये गये। चतुर्थ पचवर्षीय योजना में करो स 2,455 करोड रु., अर्थात् कुल वित्तीय साधन (1308 करोड रु.) का 17 प्रतिशत भाग, करो हारा प्राप्त करने का आवधान किया गया है। इस प्रदार हम देखते हैं कि हमारी पचवर्षीय योजनाओं में करो का 17 प्रतिशत भाग साधनों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है।¹

2 अल्प बचते (Small Savings) अधिक नियोजन के लिए वित्तीय साधनों में अन्य बचतों का महत्वपूर्ण गढ़न है। भारत में राज्यीय आय औसतन तीन से चार प्रतिशत तक बढ़ती रही है। साथ ही देश की उन्नतस्थि भी लगभग 2.5 प्रतिशत दर से बढ़ती रही है। अधिकारा व्यविधि की आय का स्तर अत्यधिक इन के बारे बचत ने साधारणा बहुत कम हो जाती है। लेकिन छोटी छोटी बचतों की जब मिलाया जाता है तो इस साक्षी धन राशि एकत्र हो जाती है। अधिकतर अन्य बचतों की बढ़तों पर लिम्बर है यथा (i) बर्तमान आय में वृद्धि अवधा कमी की सम्भावना, (ii) इष्टान की वर्तमान दर जो भाजी दरों में होते वाले परिष्करणों की सम्भावना, (iii) आय ना वितरण एवं विधमता का स्वरूप, (iv) मूल्यन्तर और अविष्य मूल्य स्तर बढ़त या घटन की सम्भावना, (v) गुदा के मूल्य में स्थगता, (vi) छोटे और देनदारियों की विधति, (vii) रभीष्ट बरनुओं और सेवाओं की उपलब्धि, (viii) नीति द्वारा दी प्रतिलिपि, (ix) परिवार के गढ़स्थों की संख्या, (x) राजनीतिक स्थानिक दायित्व, (xi) दायन और व्यवसाय की स्थिति तथा जाति-माल की सुरक्षा, (xii) परिवार ने प्रति उत्तरादायित्व की भावना, एवं (xiii) बचत की गुणवानों का होना, आदि।

अधिक नियोजन राज्यव्यवस्थी योजनाओं के लिए विदेशी महानता ही तुरन्त,²

1 भारतवर्ष में 1951-52 से 1955-56 तथा 1956-57 से 1960-61 तक, तथा 1961-62 से 1965-66 तक करो से प्राप्त कुल आय कम्त 5,533.0, 5,599.1 तथा 11,195.0 करोड रुपये थी। इससे प्रत्यक्ष करो से आय त्रिमास 12,144.4, 17,497 तथा 31,449 करोड रु. थी जबकि परोन्य करो से आय त्रिमास 23,486.38494 तथा 80,500 करोड रु. थी।—सोत, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन, मार्च तथा अगस्त 1967

में यह साधन अधिक अच्छा है। विदेशी नहायता राजनीतिक दृष्टि से अवाञ्छनीय होने के लक्षित विषय, अनिवार्यता भी रहती है और इस अनिवार्यता के कारण आर्थिक विकास की प्रक्रिया को हानि हो जाने की सम्भावना बहुत रहती है। अत एक अर्थ-विवरित देश में निर्धारिता और अर्थ-विकास के कुछ कठोर तोड़ने के लिए, परेलू अल्प बचतें, पूँजी विनियोग वा अधिक उपयोगी साधन हैं।

भारतवर्ष में डाकखाना बन्त विशाग, सहकारी कर्म समितियाँ, राष्ट्रीय बचत योजना मर्टफिकेट, राष्ट्रीय योजना मर्टफिकेट, बादि कई गाड़वयों से अल्प बचतें प्राप्त की जाती हैं। चूंकि इन प्रकार की अल्प बचतों का वित्तीय साधन के अप में काफी महत्व है। अस इन बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए मरकार दी बुद्ध महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, यथा (i) पोस्ट बॉक्सिट, स्टेट बैंक तथा सहकारी रामितियों का विस्तार निया जाय। (ii) अल्प बचत करने वालों के लिए विनियोजन के आसान माध्यम सुलभ किए जाए। (iii) देश में दिलावटी वशा विलानित सम्बन्धी उपभोग की दस्तुओं के उपभोग-बृद्धि की कम से कम 10-15 वर्षों तक के लिए सम्भावनाएं कम पार दी जाय। (iv) कीमतों में होने वाली बृद्धि पर रोक लगाई जाए।

भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में अल्प बचत योजनाओं एवं चालू झणे के स्पृग्न में 304 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए थे, जो कुल वित्तीय साधनों का 16 प्रतिशत था। द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में अल्प बचतों से कमशः 400 करोड़ 40 व 585 करोड़ 40 की घन-राशि प्राप्त हुई, जो कुल वित्तीय स्रोतों की घनश 9 व 63 प्रतिशत थी। 1966-69 के द्वितीय की एक एक दर्यों योजनाओं में अल्प बचत द्वारा 355 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अल्प बचतों से 1,000 करोड़ रुपये की घन-राशि, जो कुल वित्तीय स्रोत का 6.3 प्रतिशत है, प्राप्ति की आगा की पर्दी है।

3 सार्वजनिक झण (Public Debts) भारत ने वित्तीय व अनु-विवरित देश में सरकार को लम्बी अवधि के सार्वजनिक झण लेने पढ़ते हैं, ताकि प्रायः यद्यपि विकास के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक किया जा सके। सार्वजनिक विवरित देशों में सार्वजनिक झणों की लावश्यवना अल्प अवधि के लिए होती है।

वित्तीय देशों में नए कर दमाने अथवा पुराने करों की दरों में पृदि करने का गागान्यत भारी रिशेश दिया जाता है। यदि कर पद्धति उदादा व्यापक क्षेत्र में लगू की जाय तो भी कर की चोरी भारी मात्रा में होती है। इस प्रकार, इन देशों में वर-राजस्व के सीमित होने के पार भरकार को देशवासियों से दोष-

कालीन झूण लेने पड़ते हैं। सरकार की इस प्रकार सार्वजनिक झूण लेने की नीति देश में पूँजीय नियम की प्रक्रिया को यह पहुँचाने तथा सरकार के लिए आवश्यक राजस्व बुटान में सहायता होती है।

भारत में प्रथम पचवर्षीय योजना की अवधि में भारत सरकार के क्षृण-पत्रों के संग्रहने वाले और कापी लोग आकर्षित हुए और बाजार में इनके द्वारा 205 करोड़ रुपय एकल कर लिए गए, जो कि निर्वाचित लक्ष्य से 90 करोड़ रुपये अधिक था। इस योजनावधि में अगस्त 1951 में 7-वर्षीय झूण-पत्र 3 प्रतिशत व्याज दर पर आरी हिए थे। जून 1953 में भारत सरकार ने व्याज दर दबाकर 3 $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी और 8-वर्षीय राष्ट्रीय योजना बाण्ड आरी किए जिनसे 75 करोड़ रुपये सार्वजनिक झूण के रूप में प्राप्त हुए।

द्वितीय पचवर्षीय योजना में सरकार को अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय सापेक्षों की आवश्यकता थी, योकि यह योजना पहली योजना की अपेक्षा बहुत बड़ी थी। सरकार प्रारम्भिक वर्षों से अपनी क्षूण नीति की ओर दिखाए गए, जब उत्ताह का पूरा उपयोग नहीं आहटी थी। अत उसने बाजार क्षूण, सार्वजनिक क्षूण का लक्ष्य 700 करोड़ रुपया रखा था। इन 1958 के वर्ष को छोड़कर (उस वर्ष वर्षीय जम्ही नहीं हुई थी)। बाजार में बारकारी क्षूण पत्रों की मात्र अच्छी रही थी और दूसरी योजना की अवधि में भारत सरकार में 780 करोड़ रुपए क्षूण पत्रों से प्राप्त किए। इस योजनावधि में 1 अप्रैल 1960 में पाच वर्षीय इनामी बाण्ड चालू किए गए। सन् 1963 में प्रामियम इनामी बाण्ड की योजना चालू की गई।

तीसीय पचवर्षीय योजना काब में सावबनिक झूणों द्वारा 800 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अक्टूबर 1962 में भारत पर चीनी पम्ले के वारण तथा सन् 1963 में पाकिस्तानी आक्रमण के कारण सरकार की वित्त समझौती आवश्यकताएँ बढ़ती गई। उसने नवम्हर 1962 में दस वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा बाण्ड और पांच वर्षीय रुपय बाण्ड, क्रमशः 4.1 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत की दर पर आरी हिए तथा इन्हें ग पर्ति वर व पूँजीयत लाभ कर से मुक्त रखा गया।¹ 1963-64 म आग वर देने वालों पर अनिवार्य जमा योजना लाभू की गई। सन् 1964-65 में इनकी जगह पर 15,000 ह० से अधिक आय पाने वालों के लिए वार्षिक जमा योजना लागू की गई। 1968-69 में इसे समाप्त कर दिया गया। तृतीय योजना काल में सार्वजनिक झूणों से 915 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। दोनों एक-एक वर्षीय योजनाओं में इस मद से 719 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए। चूंकि

1 केवल 10,000 से अधिक के बाण्डों पर आपने कर लगाया गया।

योजना में इस स्रोत से 1,800 करोड रुप प्राप्त होने की आशा की गई है जो कुल वित्तीय माध्यमों वा 55 प्रतिशत है।

अल्प-विकसित देशों में सार्वजनिक उपको से प्राप्त होने वाले वित्तीय साधनों में प्राप्त कुछ स्काव दे आती हैं। इन देशों में जनता अपनी व्यवस्था, आमूल्यणों के रूप में या जमीन के नीचे छिपा कर रखती है, खासकर भारी क्षेत्र के लोगों में यह प्रवृत्ति बही हुई है। रूपये जमा करने की इस आदत का नतीजा यह होता है कि सम्पूर्ण व्यवस्था उत्पादन से नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त इन देशों में मुद्रा प्रभार की प्रवृत्ति से जनता वी व्यवस्था की क्षमता और इच्छा न म हो जाती है।

4 सार्वजनिक उपकों से प्राप्त अधिक्षय (Surpluses from Public Undertakings) भारत में स्वायीनता के बाद देश की लोकशिव मरकार ने गिरिधर अर्थ व्यवस्था को, देश के आर्थिक विकास के लिए, नीति के रूप में न्यौकार चिन्ह दिया है। जन् 1948 की औद्योगिक नीति में इग प्रकार की नीति की अष्ट घोषणा दी गई थी तथा सार्वजनिक क्षेत्र गे उद्योगों को चालू बनने का कम प्रारम्भ किया। मन् 1956 की नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को और आर्थिक व्यापक विद्या यथा। सार्वजनिक क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले लाभ भी मरकार को योजनाओं के लिये एक वित्तीय स्रोत प्रदान करते हैं। भारत में इस समय मरकारी क्षेत्र में 80 मे उपर औद्योगिक स्थान है। सार्वजनिक क्षेत्र गे, केन्द्रीय मरकार के आधीन कारखानों एवं व्यापारिक उद्यमों मे इस समय कुल भिला कर देश की 3500 करोड रुपये की पूँजी लगी हुई है। इनके अतिरिक्त ऐल परिषहन, भारत रक्कार वा गदरों वाटा उपकरण हैं। दाक तार सवारे, सिचाई तथा विजली अवस्थी योजनाएँ भी सार्वजनिक क्षेत्र मे आती हैं। ऐलों को छोड़ कर, प्रधम तथा द्वितीय योजना मे, सार्वजनिक उद्योगों से योजना के कार्यक्रमों के लिए, कोई विस्तृ प्रलब्ध न हो सका। सौसारी योजना मे सार्वजनिक उपकों मे 395 करोड रुपए पत हुए, जो कुल वित्तीय साधन का 4.5 प्रतिशत था। 1966-69 के दौरान लागू गई एन-एन वर्षीय योजनाओं मे सार्वजनिक उपकों से 409 करोड रुपये प्राप्त हुए। चतुर्थ एवं पार्वीय योजना मे सार्वजनिक उपकरणों द्वारा व्यवस्था से 1,730 करोड रुपये आप्त होने वा अनुगाम हैं, जो कुल वित्तीय साधन का 12.6 प्रतिशत है।

सार्वजनिक दाता के उद्यमों से बालित व्यवस्था की प्राप्ति प्राप्त सदिवध रही, नयोंकि हवारे देश के आर्थिक स्थितीय मरकारी उद्यम पाठ पर चल रहे हैं। हेवी इंद्रिय वॉर्पोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, हेवी इलेक्ट्रिकल्सस (इडिया) इड गदा गार्डन एन्ड एन्ड इंड मनीनरी कॉर्पोरेशन आदि वाटे पर चल रहे

है। इशिपत्र ऑफिल कम्पनी, हिन्दुमान ऐरोनाटिक्स, पर्टिलाइजर एंड पोर्टल, भारत इलेक्ट्रोनिक्स, तत्त्व और प्राकृतिक गैस कमोशन आदि मरेखारी उद्यम भी अपनी सक्षमता उठा रहे हैं। देश के तीनों इम्पोर एकरियोंना आ प्रारम्भ से लेकर 1967-68 तक बुल मिला कर 127 करोड़ मप्पें का धारा हुआ। इन प्रत्यार हम देखते हैं कि मरेखारी उद्यमों में कई कमिया है, जिसमें इन्हें धारा होना है और ये भारत में अच्छे वित्तीय सामने, नहीं बन पाए हैं। इनकी नियन्त्रिति सफलगाए है, (i) बायं प्रबन्ध में विलम्ब होना, (ii) प्रबन्ध अकुणालता, (iii) दोप-पूर्ण योजना का होना (iv) अपवाहन, (v) दिवालटो खर्चों पर अधिक लब्ध, (vi) बच्चे भाल व धर्मिका को आवश्यकता से अधिक लगाया जाना। सरकार इन भमलताओं के प्रति आगह है और उसने सरकारी सेवा को काय विधि का सुधारने के लिए बड़े केंद्र संचार एवं—यथा, लेखानों में विविधता का समावेश, प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारी में वृद्धि, यात्रा व्यक्तियों का प्रबन्धन के लिए नियुक्ति, और किन्तु खर्चों को रोकन एवं किकायदारा बदलन के लिए सचाह लेखा परीक्षण की व्यवस्था आदि।

३ अन्य प्रत्यक्ष आन्तरिक वित्तीय स्रोत (Other Direct Financial Resources) आन्तरिक प्रत्यक्ष वित्तीय स्रोतों में, जिनका नियोजन के वित्तीय साधनों में महत्वपूर्ण स्थान है, अनिवार्य निक्षेप योजना, नवित्र्य निक्षेप योजना विविध पूर्जीगत आय आदि है। ये माध्यम कुल वित्तीय स्रोत में अपेक्षानुसृत छोटा अग रखते हैं। ५०% भी वित्तीय साधन के लिए इनका महत्व है और गत पचासीय योजना में इनमें शाशांकनव धनराशि की उपलब्धि दूढ़ है। पहली दबावर्दीय योजना अवधि के पूर्जी खाते की विविध प्राप्तियों में १ करोड़ रुपये प्रत्येक हुए, जो बुल वित्तीय साधन का १ प्रतिशत था।

लिया जाता है। डा. बी. के आर यो. राज के अनुसार, 'घाटे की वित्त व्यवस्था एक दैनीय विषय है, जब गरमार करो और दूसरी प्राप्तियों से होने वाली आय से अधिक सरकारी संचय करने की नीति अपनाती है।' पहली इच्छाएँ योजना में कहा गया है कि 'घाटे के बजट द्वारा, चाहे वह याटा राजस्व साते के बजट में रखा जाए या पूर्णी याते के बजट में कुल राष्ट्रीय व्यय में प्रत्यक्ष वृद्धि को घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा जाना है।' भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का अथ रिवर्ब वेक द्वारा सुनकार में आदेशानुसार अधिक धन राशि के नीट द्यावता है।

भारत के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था घरदान सिद्ध हुई है और हमारे धार्योंजनों के लिए राजस्व और व्यय के दीन नी खाई को गठने के लिए इसने अद्यु का सा रास किया है। यदि घाटे की वित्त व्यवस्था वा महारा वही लिया गया होता है तो प्रत्येक योजनाधा में रक्षण गए लक्ष्यों को शामिल में वर्तमान सीधा तर इस सफल नहीं हुए होते।

भारतवर्ष में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रवर्षों योजनाओं में क्रमशः 420, 948 व 1100 करोड़ करों की व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था वा अपनाकर ही की गई, जो कुल वित्तीय उपलब्धियों का क्रमशः 21,20,8 सौ 12.2 प्रतिशत थी। 1960-61 के दीना लागू की गई दीन पक्ष एक वर्षीय योजनाओं में 682 करोड़ पए होनार्थं प्रबन्धन से प्राप्त किए गए। चौथी योजना की प्रारंभिक रूप स्थानेयार करने वालों ने बहा कि चौथी योजना में घाटे की वित्त व्यवस्था नहीं ही जावगी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसी दोष से न दिलाए गए ज्ञान के लिए 61 वर्षों तक जगह दिलाया गया था, जिसके मान दु अधिक पक्ष मुद्रा जारी रखा। नवीन प्रवर्षीय योजना (1969-74) में हीनार्थं प्रबन्धन ही 2709 करोड़ प्रति प्राप्त होने वी योजना है जो कुल प्रत्यक्षिन वित्तीय गांधीजी का 18.7 तरहत है।

हीनार्थं प्रबन्धन के फलवरूप बढ़नी हुई कीमतें ह विकासक होती है, जोकि हे मुद्रा स्फीति की प्रतिया प्रारम्भ हो जाती है और योजना के लिए रखे गए पान यत्न होने लगते हैं। म-पी और बेतरी में वृद्धि हो जाने से ही योगांश की 1% अनुपातिक लागत गे बढ़ जाती है। इसे लिए और अधिक मुद्रा वा प्रसार ना पड़ता है, कानूनवर्ष स्तर और भी बढ़ने लगते हैं। इन बढ़ते हुए मल्यों के ग अर्थमें दारा हुतातें की जाते हैं। सभाज के बेतन भोगी वर्ष पर बहा बगार पड़ना है। भारतवर्ष में गत सीन योजनाओं में पाटे की अर्थव्यवस्था वा धिक गहारा लिए जाने के पारण देश में मुद्रा प्रवार अद्यधिक बढ़ गया है, और नीय एवं व्यवस्था के जिए वह एक चिन्हाजनक विषय बन गया है। ऐसिन आज

आज विदेशी सहायता लेना व देना सासार के किसी भी देश के लिए सामान्य बात है, व्योकि पारस्परिक सहायता से ही देशों का आर्थिक उत्थान स्थायी रूप से हो सकता है। आज एक देश की समस्याएँ धीरे धीरे अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ बन जाती हैं। यही कारण है कि आज विकसित देश, अल्प विकसित देशों की सहायता का कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर चला रहे हैं। अल्प विकसित देशों के गास मामान्यता पूर्णी की कमी रहती है, व्योकि ऐसे देशों में बचत कम होती है, आव कम होती है और श्रीदोगिक विकास की प्रविधि में वे आत्म निर्भर नहीं होते हैं। इन देशों में तकनीकी ज्ञान व प्रशिक्षित व्यक्ति की कमी रहती है, इल्लिहरुए ऐसे देशों में प्रबुर प्रकृतिक साधनों के होते हुए भी उनका समुचित विदेशन नहीं हो पाता। विदेशी महायता से पूर्णी, तब नीची ज्ञान, उन्नत गशीन प्राप्त करके ऐसे देश अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। विदेशी विनियोग से आर्थिक सहायता के साथ मात्र तकनीकी ज्ञान, व आधुनिकतम मशीनों के रूप में सहायता प्राप्त होती है। साधारणत अल्प विकसित देश नए उत्सोगों को प्रारम्भ करने में व पूर्णी लगाने में हिचकरे हैं, परन्तु विदेशी सहायता की प्राप्ति के पालस्वरूप यह स्थिति नहीं रहती। भारतवर्ष में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों की पूरा वरने के लिए विदेशी सहायता का गवेद ही रवाना किया गया है।

प्रथम घरेलू योजना काल में उरकारी व निझी झेव दोनों में मिला कर ३०० करोड़ रुपया अवय हुआ, इसमें से १९४ करोड़ विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हुआ जो बुल विनियोजन का ५८ प्रतिशत तथा मरकारी विनियोजन का १०। प्रतिशत था। सहायता देने वाले प्रमुख देश अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, नार्वे, न्यूजीलैण्ड इत्यादि थे। विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त राशि में इन देशों का प्रतिशत भाग कमश ६९.३ प्रतिशत, १०.१ प्रतिशत, २.७ प्रतिशत, ०.३ प्रतिशत ०.२ प्रतिशत तथा विश्व बैंक का भाग १७.४ प्रतिशत था।

द्वितीय योजना काल में विदेशी महायता का भाग १४२२ करोड़ रु. रहा। प्रथम योजना काल में प्राप्त रकम में से जिसका उपयोग प्रथम योजनावधि में नहीं हो सका उसका उपयोग भी द्वितीय योजना काल में हुआ। यह योजना उद्घोष-प्रधान थी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए इस योजना काल में काफी बड़ी मात्रा में मशीनों का आवान करना पड़ा। इसलिए विदेशी पूर्णी वा अधिक विनियोजन हुआ। सहायता प्रदान करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, रूम, कनाडा, तथा जापान प्रमुख थे। इन देशों वा कुल विदेशी सहायता में कमश ५४.१, ८.९, ८.६, ५.४, ५.३, १.१ प्रतिशत भाग था। इस योजना में विश्व बैंक का सहयोग कुल विदेशी सहायता का १५.८ प्रतिशत था।

तृतीय वर्षवर्षीय योजना में 10,400 करोड रुपया व्यय हुआ, जिसमें विदेशी सहायता का भाग लगभग 25 प्रतिशत था। इस योजना में विदेशी सहायता से 2,455 करोड रुपये प्राप्त हुए। अनुर्ध्व वर्षवर्षीय योजना में 2,514 करोड रुपये विदेशी सहायता से प्राप्त किए जाने का लक्ष्यमान है जिसमें से 380 करोड रुपये P L 480 के अन्तर्गत तथा योप 2,134 करोड रुपये अन्य बोगो से प्राप्त किए जायेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशी सहायता हमारे वित्तीय स्रोत का एक प्रमुख अग्र धन गई है। मार्केजनिक लक्ष्य में नो इकाई भाग बहुत अधिक रहा है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में केवल सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए क्रमशः 18,81090, और 2,455 करोड रुपये की विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त की गई।

लीन एक-एक वर्षीय योजनाओं ने सार्वजनिक कानून 480 के अन्तर्गत 919 करोड रुपये का अन्य जोना से 1517 करोड रुपये प्राप्त किए गए।

भारत को वित्तीय सहायता कर्दे होमें प्राप्त हुई है यथा (1) विदेशी निजी व्यवसायों, संस्थाओं या व्यापारियों से यूरो, (11) विदेशी सरकारों से यूरो, (111) विदेशी सरकारों से अनुदान, (17) निजी व्यवसायों, संस्थाओं द्वाया अनुदान-जैसे रॉकफेलर संस्थान, फोर्ड फाउंडेशन आदि, (v) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से, यथा विन्यवंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त विभाग आदि से सहायता।

भारतीय अर्थ व्यवस्था में विदेशी महायत्ता नो प्रोग्राम देने की नीति देना वे हित में नहीं है बल्कि इसके वापरी परिणाम ही नक्ते हैं। इपर्यंत कुछ हद तक देश में आर्थिक विकास की गति तेज हो मरकता है, लेकिन इसी योजना-वद आर्थिक विकास की दक्षिण के लिए आवश्यक सामाजिक उद्देश्य को जलि पर्दृचते वी सम्भावना है तथा इसमें भुगतान सुनुलन की कठिनाइया भी ऐसा होने वी सम्भावना है। इस प्रकार की नीति ऐसा उप्र स्व धारण कर सकती है, जिससे हमारी आर्थिक स्थितिज्ञता सतरे में पढ़ सकती है। निजी विदेशी पूँजी के अर्थव्यविक प्रभाव से भारत में एकाधिकारवादी, पूँजीवादी प्रशृतियों को प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना है, जिससे हमारे विकास का स्वरूप छिन गया हो सकता है। सम्पत्ति के वितरण में विषयमानांक बढ़ सकती है, सब्दा भारतीय उपभोक्ताओं के लोकण वा प्रोटेशन हित सकता है। विदेशी महायत्ता में सामाजिक परिवर्तनों की भावना इस नहीं करती। विदेशी सहायता, अनुदान देने वी अन्तर्राष्ट्रीय नीति का एक माना हुआ हितवार है। उसके अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे-व्यापार अव बनाए रखना और उसे विकसित करना, आम कमाना, सुमान विचारा बढ़ावाने और राजनीतिक प्रणालियों को पुष्ट करना, अपनी सहृदयि, भाषा, रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, साहित्य, शिक्षा

आवि के प्रचार द्वारा पिछलमूँ देश पैदा करना, जो उनका झटा लेकर चल सके, ज्ञानि प्रमुख उद्देश्य होते हैं। कोई देश सहायता देते समय किस उद्देश्य को प्रमुख मानता है, यह उसकी अपनी नीति होती है, आजकल विदेशी सहायता के पीछे ये सब उद्देश्य मिले रूप से चलते हैं।¹

अत विदेशी पूँजीपतियों व सरकारों से विदेशी सहायता लेते समय, इसमें लिहिट, आधिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों की ओर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। विदेशी सहायता का सर्वथेष्ठ विकल्प, स्वदेशी साधनों का पूर्ण उपयोग का आरम्भन-निर्माण है। हमें यदि अपनी योजनाओं को गफल बनाना है तो अन्ततोपत्त्वा हमें अपने साधनों पर ही निर्भर रहना गड़गा।

योजनावार वित्तीय साधनों का विवरण (Planwise Financial Resources)

जबीं तर हमने अपनी पञ्चवर्षीय योजनाओं के लिए उपलब्ध प्रमुख वित्तीय स्रोतों का अध्ययन किया है और उनके सापेक्षिक गहन्त्व तथा उनकी बाल्लीयता की समीक्षा की है। अब हम योजनावार वित्तीय साधनों की संख्या में विवेचना प्रस्तुत करेंगे।

1. प्रथम योजना के वित्तीय साधन

भारतवर्षीय योजना 2। प्रथम पञ्चवर्षीय में सावेज़निक व्यवस्था में कुल 1,960 करोड़ ८० रुपये किए गए। प्रथम योजना के विभिन्न वित्तीय स्रोत निम्नांकित हैं—

प्रथम योजना के वित्तीय साधन

साधन	धन राशि (करोड़ ८० में)	कुल वित्तीय साधन का प्रतिशत
1. कर तथा रेलवे से बचत	752	38
2. बाजार से उपलब्ध ज्ञान	215	10
3. दृष्ट बचत १२ वाले शृण	304	16
4. अस्य पूँजीवाले साधन	91	5
5. विदेशी ज्ञान एवं सहायता	188	10
6. घाट की वित्त व्यवस्था	420	21
कुल	1,960	100

इन तालिका में पहचानी पञ्चवर्षीय योजना के विभिन्न साधनों से प्राप्त वित्तीय साधनों का प्रता चलता है। प्रथम योजना में सावेजनिक व्यवस्था में वेयल 1,960 करोड़

1. श्री त्रिम्बकन चतुर्वेदी विदेशी सहायता और आधिक विकास, आधिक समीक्षा 20 सितम्बर, 1967

र० का ही विनियोग दिया जा सका। इस योजना में चालू राजम्व से बचत पर अधिक जोर दिया गया। योजना के लिए चालू राजम्व (करोड़) तथा रेलों के अवश्यकन में 752 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि अल्प बचत से 304 करोड़ रु० भविष्य नियि में 91 करोड़ तथा जनता द्वारा खर्चों से 295 करोड़ रुपयों की बन राशि प्राप्त हुई। इस योजना में सार्वजनिक खर्चों से कुल मिलाकर 600 करोड़ रु० प्राप्त हुए। इस योजना में न हो सए करो द्वारा विह श्रावन करने की चेष्टा की गई और न ही पाटे की वित्त व्यवस्था को ही जट्ठधिक ओजिल बनाया गया, विदेशी सहायता भी कम ही प्राप्त हुई। घाटे की वित्त व्यवस्था तथा विदेशी सहायता में केवल 420 व 188 करोड़ रु० ही कमाया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस योजना के अधिकांश वित्तीय सापेन अर्धांश् 1352 करोड़ रु० प्रत्यक्ष आन्तरिक लोकों से प्राप्त हुए। इसका प्रभाव यह हुआ कि देश की अर्थ-व्यवस्था पर कम दबाव पड़ा। तथा योजना को बाहित सफलता प्राप्त हुई।

2 द्वितीय योजना के वित्तीय साधन

प्रथम योजना की तुलना में यह योजना काफी महत्वाकांक्षी एवं बढ़ी जा। इस योजना में प्राप्त वित्तीय स्रोत विभिन्न तात्त्विकों से स्पष्ट होते हैं।

द्वितीय योजना के वित्तीय साधन

(करोड़ रु० में)

साधन	प्रस्तावित बन राशि	उपलब्ध बन राशि	कुल उपलब्धि का प्रतिशत
1 चालू राजम्व से बचत (1955-56 के करोड़ की दर पर)	350	-50	-13
2 रेलों द्वारा योगदान	150	150	32
3 जनता से खण्ड	700	780	174
4 अल्प बचत	500	400	90
5 नविष्य नियि		170	34
6 इन्द्राजल सम्योकरण कांप		35	08
7 विभिन्न श्रावित्यां (पूर्जो खाते न)	250	22	5
8 अतिरिक्त दर	400	1052	229
9 विदेशी खर्च एवं सहायता	800	1092	231
10 घाटे की वित्त व्यवस्था	1200	948	204
कुल	4800	4,600	100

कारण विदेशी मद्रा का साट भी देंदा हो गया। इस प्रकार हन देखते हैं कि वित्तीय साधनों की प्राप्ति के उटिक्षेण से यह योजना सतोपलनक नहीं रही।

3 तृतीय पचवर्षीय योजना के वित्तीय साधन

तृतीय पचवर्षीय योजना में मार्यजनिक क्षेत्र में कुल 7,500 करोड़ रु. अर्थ करने का प्रावधान था किन्तु वास्तविक अर्थ 8,630 करोड़ रु. हुआ। इस योजना के लिए प्रमाणित तथा उपर्युक्त वित्तीय साधन अग्रलिखित तालिका से स्पष्ट है।

तृतीय योजना के वित्तीय साधन (करोड़ रु. में)

साधन	प्रमाणित धन राशि	उपर्युक्त धन राशि	कुल प्राप्त धन का अनुशान राशि
1 जन्ममान करों के आपार पर राजस्व से इच्छते	250	470	5 4
2 रेंटो हारा योगदान	100	80	0 9
3 मार्यजनिक उपकरणों द्वारा बचत	450	395	4 3
4 मार्यजनिक ऋण	600	915	10 6
5 अप्त बचत	600	585	6 3
6 भविष्य निधि लादि में मिलने वाला धन	240	220	6 1
7 अविचार्य जबा एवं वार्षिकी		115	1 3
8 अनिरिक्त कर	1710	2880	33 8
9 विदेशी ऋण एवं सहायता	2200	2155	28 5
10 घाट की बत्त व्यवस्था	250	1150	13 4
ग.ल	7,200	8,630	100 0

उपर्युक्त तालिका के अन्यथा से पता चलता है कि इस योजना में वित्तीय साधनों की स्थिति अत्यधिक उत्तिल रही है। प्रशासनिक लार्जों में बड़ोत्तरी के फल स्वरूप चालू राजस्व में प्राप्ति की जगह हानि रही। घाट की अर्थ व्यवस्था भी कहीं की तुलना से दुगनों करने पड़ा। इस योजना में प्रश्नक वा तरिक वित्तीय स्रोतों से 5,020 करोड़ रु. तथा विदेशी सहायता एवं घाट की वित्त व्यवस्था से 3,605 करोड़ की धन राशि उपलब्ध हुई। प्रत्यक्ष आन्तरिक वित्तीय स्रोत में अतिरिक्त करों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और इसी मद से तर्वाचिक धन राशि प्राप्त हुई। वित्तीय स्रोतों की प्राप्ति के इस स्वरूप का देना की अर्थ व्यवस्था पर मारी दबाव पड़ा।

1 इस धनराशि में P. L. 480 दायरों के व तात्त्र प्राप्त 880 करोड़ रु. भी सम्मिलित है।

मूल्य स्तर उत्तरोत्तर दृढ़ते गए और जन साधारण की वास्तविक आप कम हो गई। योजनावधि में चीन एवं पाकिस्तान से युद्ध के कारण तथा रगतार दो बर्ष सूखे की हितिके कारण भारतीय साधनों पर अधिक दबाप पड़ा। भुगतान चतुलन की निरन्तर प्रतिकूलता के कारण विदेशी मुद्रा का भवकर सहट उत्पन्न हो गया था, फलमध्यव्यापार को विदेशी द्वारा मुद्रा अवमूल्यन की सलाह दी गई थी। तृतीय योजनावधि में एक नई प्रकार नी अनिवार्य बचत योजना का कार्यक्रम बालू किया गया जिसे बाद में वार्षिकी जमा के स्पष्ट में बदल दिया गया। योजना बालू में इस सद से 115 करोड़ रुपये की बचत राशि प्राप्त हुई।

तीन व्यापिक योजनाएँ (1966 to 1969)

तीसरी योजना की समाप्ति के बाद भारत के योजना इतिहास में तीन वर्ष का योजना अवकाश हो गया, अर्थात् इस अवधि में आर्थिक नियोजन अन्वय सा हो रहा। लंकित आर्थिक नियोजन के कार्य को नालू रखने के लिए व्यापिक कार्यक्रम निर्धारित करके योजना कार्य को जारी रखा गया।

मन् 1966-67 की अवधि में 2137 करोड़ रुपये बद्य किए गए, जिनकी वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार की मर्ई है: (1) सार्वजनिक उपक्रमों से बचत 151 करोड़ रुपये (ii) अतिरिक्त करोड़ से बचत 153 करोड़ रुपये (iii) जनता में ऋण 204 करोड़ रुपये (iv) अल्प बचत 118 करोड़ रुपये (v) विदेशी सहायता 788 करोड़ रुपये (vi) घाट की वित्त व्यवस्था 169 करोड़ रुपये तथा शुद्ध अन्य राशनों में। इस योजना अवधि में विदेशी सहायता 21 महत्वपूर्ण हाथ रहा।

मन् 1967-68 में 2205 करोड़ रुपये बद्य किए गए, जिसमें से (i) सार्वजनिक उपक्रमों से बचत 148 करोड़ रुपये, (ii) अतिरिक्त करायान 299 करोड़ रुपये, (iii) जनता में ऋण 200 करोड़ रुपये, (iv) अल्प बचत 110 करोड़ रुपये, (v) घाट की वित्त व्यवस्था 14 करोड़ रुपये, (vi) विदेशी सहायता 991 करोड़ रुपया (vii) अन्य शुद्ध अन्य साधनों से प्राप्त किए गए।

मन् 1968-69 में 2337 करोड़ रुपये बद्य किए गए, जिसमें से (i) सार्वजनिक उपक्रमों से बचत के स्पष्ट में 179 करोड़ रुपये, (ii) अतिरिक्त करायान से 499 करोड़ रुपये, (iii) सार्वजनिक ऋण से 150 करोड़ रुपये, (iv) अल्प बचत से 120 करोड़ रुपये, (v) घाट की वित्त व्यवस्था से 307 करोड़ रुपये, तथा (vi) विदेशी सहायता से 176 करोड़ रुपये तथा शेष अन्य साधनों से एकत्र किए गए।

4. चौथी व्यापिक योजना के वित्तीय हालन घोषी योजना का निर्माण तृतीय योजना वी नियोजनह प्रगति के बातावरण में हुआ। इस योजना में सार्व-

जनिक दोंग मे 15902 करोड रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना मे ०८% को पुरा करने के लिए निम्नलिखित साधन निर्धारित किए गए हैं।

(करोड रुपये)

1 बर्तमान करोड के आधार पर राजस्व से बचत	1673
2 रेलो द्वारा योगदान	265
3 सार्वजनिक उत्क्रमो द्वारा बचत	1764
4 ट्रिप्पर बैंक के रज लिए गए लाभ	202
5 सर्व जनिक छूट	1415
6 अल्प खर्चों	769
7 वार्षिक जमा, अविवार्य जमा, इनामी बोंड	-104
8 भविष्य-प्रिय	560
9 कृष कर पूँजीगत बृद्धि	1665
10 L T C तथा सरकारी धन्यो के बाजारी कर्ज तुल	506
11 सरकारी वित्तीय संस्थाओं से लिए गए छूट	405
12 अतिरिक्त कर	3198
13 विदेशी भ्रष्ट	2614
14 घाड की व्यवस्था	850

कुल 15902 करोड

उपर्युक्त योजना ने स्पष्ट है कि चौथी योजना मे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुरक्षित ध्यान सरकार ने कर आदि पर दिया है। इसके बालंबा सार्वजनिक छूट की प्राप्ति मे भी बढ़ियी गयी है। इस योजना मे विदेशी कर्ज के ऊपर सरकार की नियंत्रण धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है। सन् 1971 मे चौथी योजना मे कुछ परिवर्तन किए गए तथा सार्वजनिक शब्द मे विनियोग बढ़ाकर 15 898 करोड रुपये कर दिया गया है।

भारत मे वित्तीय साधनों की समहाराे भारतवर्ष के आधिक नियोजन के 18 बष्ठों को गतिविधियों की गमीक्षा करने पर यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि हमारे देश के आधिक विकास के मार्ग मे वित्तीय साधनों का अभाव एह महत्वपूर्ण बाधा रहा है। जब तक देश की धाजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रयाप्त वित्त साधन संपर्क न हों तब देश का आधिक विकास सम्भव नहीं हो सकता, वयोकि आधिक विकास के लिए नए-नए उद्योगों की स्थापना, देश के प्राकृतिक

माध्यमों का गोपन और व्यापार में बृद्धि के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के विनियोग करने वाले हैं, जिनके लिए वित्तीय साधनों की आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय माध्यमों के अभाव में भी विकासात्मक कार्य रुक जाते हैं और देश, आधिक क्षेत्र में पिछड़ जाता है। भारत के नियोजन के मार्ग में भी कई समस्याएँ हैं। जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं —

1. व्यवित्रित बचतों से कठिनाई। भारत में राष्ट्रीय आय एवं व्यवित्रित आय बहुत बहुत कम है, परिणामस्वरूप बचत की कोई कम है, सामान्य जोखन स्तर बनाए रखना भी, जनसाधारण के लिए नहिं हो रहा है। इच्छा रखते हुए भी लोग बचत नहीं कर पाते हैं। नियोजित आधिक विकास के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली अविवित आय का अधिकांश भाग उन्नीस में समाप्त हो जाता है। इसके अलावा देश में बढ़ते हुए मूल्य स्तरों का प्रभाव भी बचत करने की शक्ति पर विपरीत पड़ रहा है। आटे की अर्थव्यवस्था के कारण लोगों की मोदिह आय तो बढ़ गई है पर वास्तविक आय नहीं बढ़ी। प्रॉफ. शिनीय (Prof. Sheany) के मत में मूल्य बृद्धि के इस चक्र में बास्तव में बचतों केवल घटी ही नहीं है, अतिरुपित बचतों का उपयोग बताना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर लिया गया है। यही कारण है कि 'भारत में घरेलू बचतों से अधिक वित्त प्राप्त नहीं किया जा सकता'।

2. करों से बृद्धि को सम्भालना का न होना। भारतवर्ष में यह तीन योजनाओं में करों द्वारा बहुत बड़ी घन राशि वित्तीय-प्राधन के हथ में एकत्र की गई है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि भारत में कर हासमान प्रतिकल नियम की स्थिति तक पहुँच गए हैं जिनमें बद बदोत्तरी करना सम्भव नहीं है, क्योंकि अब ऐसा करना हानिकारक होगा। कर-भार की अधिकता के वरिणामस्वरूप बचत पर भी बुरा असर पड़ता है और इस प्रकार देश में पूँजी निर्माण के मार्ग में चांचा उपस्थित हो जाती है।

3. प्रशासनिक व्यवस्था में भारी बृद्धि। मूल्य स्तर में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ सरकार को अपने कर्मचारियों के देतन बढ़ाने पड़ते हैं, महगाई भी में बृद्धि करनी पड़ती है। प्रशासनिक व्यवस्था में होने वाली बृद्धि, योजना के ममत्त समूहों को छिन्न-भग्न कर देती है। यह द्वितीय या तृतीय पञ्चवर्षीय योजनाओं में चालू राजस्व से मिलने वाले वित्तीय साधन इसी व्यापरण आटे के पारंपरित हो गए। अब बढ़ते हुए प्रशासनिक व्यवस्था भी वित्तीय साधनों की प्राप्ति के मार्ग में समस्या पैदा कर रहे हैं।

4. आटे को दित्त-व्यवस्था की हीमा देश के आधिक विकास के लिए भारतवर्ष में विवन तीनों परम्पराएँ योजनाओं में घटे का विल-व्यवस्था अर्थाई गई है, इसके परिणामस्वरूप द्वितीय या तृतीय पञ्चवर्षीय योजनाओं में मूल्य स्तरों में

कम्य 30 व 40 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इससे देश की साधारण जनता को अपनी अपनी आवश्यकताओं की सतुष्टि के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है, अतः सामान्य दबत को आघात पहुचता है। मत्य वृद्धि ने जमांझोरी, बोर-वजारी, अनुचित सट्टवाही जैसे असामाजिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। सम्पूर्ण भारत बढ़ते हुए भूलों से तग आ चुका है, अतः अब इस साधन से वित्त प्राप्त बरका न तो सम्भव है और न बाढ़नीय ही।

5 सरकारी उद्योगों में हानि भारत में केंद्रीय सरकार के आधीन उपकरणों में, अब तक 3,500 करोड़ रु. का विनियोग निया जा चुका है लेकिन पिर भी ये अपने पैरों पर नहीं चढ़े हो नके हैं। इससे से अधिकांश उपकरण शास्त्र में बल रहे हैं जिसके लिए अक्षय व्रत घ, तीकरणाही व्यवस्था अधिक उत्पादन लाया, भव्याचार, निर्णय लेने में देरी, राजनीतियों पा अनुचित हस्तक्षेप, वहयाणकारी दृष्टिकोण आदि कहीं कारण जिम्मेदार हैं। अब भावी नियोजन के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए इस साधन से भी वित्त की प्राप्ति मिलेगी है।

6 विदेशी सहायता की अधिकांशता भारतवर्ष से गहरी तीन पर्यावर्तीय योजनाओं में वित्त वापरकर्ताओं के लिए उदारतापूर्वक विदेशी क्रृष्ण लिए हैं जिनके लिए उन्हें मुद्रधन के साथ साथ व्यापक युक्ति पड़ रही है। गहरी युद्धों में भारत वो जिनकी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है, उससे अधिक विदेशी मुद्रा युक्ति के क्षेत्रों को स्थिर चुनाव के लिए आवश्यक हो यही नहीं, विदेशी सहायता में अब चतुरोंतर सहायता का बहुत कम होता जा रहा है और आज का जय बढ़ना जा रहा है। कई विदेशी ज्ञानों के उपयोग के बारे में ज्ञान लेने वाले राष्ट्र स्वतन्त्र नहीं होने। यह कहना अनुचित न होगा कि विदेशी ज्ञानों की व्यवस्थिता एक अनिवार्यता के कारण ही भारत को अपनी चतुर व्यवस्थीय देशना का स्थान करता रहा। अब भी यह समस्या बनी रही है।

7. भुगतान सुलभता की प्रतिकूलता भारतवर्ष का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी यत 10-15 वर्ष से भुगतान सुलभता की प्रतिकूलता से वीक्षित है। हमें कई कारणों से आयात अधिक बढ़ रहा है। न हम केवल यू.जी.एस. माल ही विदेशी संग्राही अपितु हमें लातान्ना का भी बहुत बड़ी लादाद में आयात बरना पड़ता है। फलस्वरूप हमारे वित्तीय न्याय प्रतिकूल अनुराष्ट्रीय व्यापार के कारण, व्यापक बढ़ने के, पट रहे हैं। हम भुगतान सुलभता को पक्ष में लाकर आवश्यक विदेशी मुद्रा द्वारा देश के वित्तीय स्थान का बढ़ाने में असमर्थ हैं।

8. अन्य समस्याएँ : भारत में वित्तीय साधनों की समस्याओं के उपर्युक्त विषयों का अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जो इस समस्या को धोर भी

जटिल बना रहे हैं, यथा (i) वंक व अन्य साधा सम्बन्धी सुविधाओं का अपर्याप्त होना, (ii) परिवहनसील, अस्थाई व अनिश्चित व्यावसायिक क्षेत्रोंमध्ये वित्तीय नीतियाँ, (iii) गर्मसंस्थाएँ की उत्तरोत्तर हृदि, (iv) सतुरित आर्थिक विकास का अभाव; (v) योग्य, अनुभवी एवं कुशल राज्यालयों की कमी आदि कृष्ण ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो वित्तीय न्योतों की उपलब्धि के मार्ग में वाधक हैं।

गुरुत्व भारत ने वित्तीय राज्यों को बढ़ाना, एवं उनका उचित उपयोग करना देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है, लाता वित्तीय न्योतों की वृद्धि के मार्ग में जो कठिनाइयाँ मात्र समस्याएँ हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। इन समस्याओं को हल करने के लिए तिथाकित सुनाव भूत्व-पूर्ण हैं-

(1) प्रशासनिक इयाय सम्बन्धी किसी भी सम्बन्धी को दूर करके प्रशासनिक कुशलता में घृद्धि की जाय।

(2) अत्य बचत सम्बन्धी कार्यक्रम को जोर आर्थिक व्यापक बनाया जाय। इसके लिए पोस्ट अफिलो, सहायता समितियों एवं बैरेंस की संस्था में वृद्धि की जानी चाहिए तथा इनका विस्तार उन क्षेत्रों में किया जाय, जहाँ इनकी संस्था अभी कम है। यूनिट ट्रूस्ट जैसी वित्तीय सम्बन्धों को विकासित किया जाय।

(3) भारत में कुल राजस्व बर का लगभग 72 प्रतिशत भाग जहारी क्षेत्रों से तथा लगभग 28 प्रतिशत भाग आपील क्षेत्रों में प्राप्त होता है। यह कृष्ण यन्मों में आमों क्षेत्रों की जाय में पर्याप्त वृद्धि हुई है, लासकर सम्पदन किसानों की जाय में काफी वृद्धि हुई है, जिसे कर द्वारा बमूल करके वित्तीय साधनों में व्योचित बहोतरी की जा सकती है।

(4) विदेशी तथा यथा सम्बद्ध कृष्ण से कम ज्ञान लिए जाय और देश की योजनाओं को यथामात्र यादों के अनुरूप बनाया जाए।

(5) उत्पादन तथा उपयोग पर उचित नियंत्रण रख कर जाए की वित्त-व्यवस्था सम्बन्धी कुप्रभावी को रोका जाए। साथ ही जाटे की दिरा व्यवस्था की उमी सीमा तक जाया जाय जरूर तक इसे ले जाना बाहुनीय हो।

(6) कर राजस्व से वित्तीय साधनों को बढ़ावे के लिए अनावश्यक उपभोग पर नियन्त्रण रखना जाए, कृषि जाय पर कर सम्बन्धी जाय तथा कर से बचाव नी गुजारना रक्षायी जाय, परोक्ष करों की अनेका प्रत्यक्ष वर्तों को बढ़ाया जाय।

(7) गारंजनिक शब्द वे उद्योगों को दिलाकर्तों द्वारा प्रतिष्ठा-मूलक क्षेत्रों में बचता चाहिये तथा इन्हे घुड़ व्यावसायिक वापार पर छलाया जाना चाहिए। मूल्य निर्धारित करते रहने वाले के दृष्टिकोणों औ भी ध्यान में रखना जाय।

(8) आगाम प्रतिस्थापन तथा निर्दित सबदेन तीव्रियों के द्वारा देश के भूग-साम सतुलन को पक्ष में लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। लोगों को सदैशो वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिये तथा कृषि खेत में साधानों की उत्पत्ति बढ़ा कर आमनिर्भरता प्राप्त करने के प्रमाणशाली प्रयत्न किए जाने चाहिये।

(9) सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण इहुत सोच-विचार कर किया जाना चाहिय तथा किसी भी ऐसे कार्यक्रम को प्राप्तम नहीं करना चाहिये, जिसे दोनों में छोड़ना पड़े। यदि सरकार अपनी किन्नूखांची को रोकने में समर्थ हो जाय तो पर्याप्त धन बचाया जा सकता है और निर्माण कार्य के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

अन्त में, यह कहा जा सकता है कि वित्तीय स्रोत किसी देश की वर्ष-व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमें इन स्रोतों को सभी सम्बन्धियों से बढ़ाना चाहिए ताकि इनके अभाव में देश के आर्थिक विकास की गति धीमी न पड़ जाए। माथ ही हमें इनका विवेकपूर्ण उपयोग भी करना चाहिये, ताकि देश को इनके लिए विकास का पात्र लेकर इधर-उधर न झटकना पड़े। कोई भी देश दूसरों की मदद पर हृदयों नहीं रह सकता। बत हमें अपने पैरों पर दौड़े होने भी चेष्टा करनी चाहिये तथा आन्तरिक साधनों को जहाँ तक सम्भव हो, बढ़ाना चाहिए।

प्रश्न

1. साधन टिप्पणी लिखिए :

भारत की वर्ष-व्यवस्था योजनाओं के लिए वित्तीय साधन।

(राजस्वान वि वि डिलीय वर्ष, टी डी शी कडा, 1969)

2. भारत के विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं के लिए वित्तीय साधन जुटाने के लिए किन क्षात्रों का सहारा लिया गया है? क्षय पे साधन पर्याप्त मात्रा में दित प्रदान करने में सफल रहा है?

3. भारतीय योजनाओं के लिए आवश्यक वित्त जुटान में किन किन सम-स्थानों का सामना बरना पड़ रहा है? इन समस्थानों को सुलझाने के लिए क्षयने सुलाने भी दी जाय।

4. भारतीय नियोजन के वर्षमें पे विभागित पर राज्यपत्र रिपोर्ट लिलिये-

- (क) घाटे की वित्त व्यवस्था, (ख) विदेशी ऋण एव सहायता,
- (ग) अंतर वर्षीय योजना, (घ) संरेखित ऋण

5. भारत की चतुर पचवर्षीय योजना (1969-74) के वित्तीय साधनों की गणीयकार्यक आवधा बीड़ियों।

भारत में नियोजन के अन्तर्गत आर्थिक प्रगति

(Economic Progress under Planning in India)

मन् 1950-51 से 1970-71 की अवधि में भारतवर्ष ने आर्थिक नियोजन के बीम दर्पं पूरे कर लिए हैं। इस अवधि के दौरान हम तीन पचवर्षीय योजनाएँ तथा तीन एक एक वर्षीय योजनाएँ पूरी कर चुके हैं। चतुर्वं पचवर्षीय योजना की अवधि भी धोरे धोरे अब समाप्त होने जा रही है। लोकतंत्रीय राजनीतिक द्वाचे की सीमाओं, योजना के निष्पादन में भावनात्मक एवं सचालन सम्बन्धी कमज़ोरियों तथा समन्वय नीतियों के एक सिलसिले को कभी होते हुए भी 1950-51 से लेकर 1970-71 तक के दो दशकों में भारत का विकास कार्य अपग्रदे प्रभावशाली रहा है तथा इसकी तुलना विकसित देशों द्वारा अपने विकास की समान स्थिति में की गई प्रगति में की जा सकती है। सच हो यह है कि 19वीं शताब्दी में विकसित देशों ने जिन परिवर्तनियों में योजना कार्य प्रारम्भ किया था, उसकी तुलना में भारत को अधिक बाधाओं एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इन अव्याय में हम योजनाकाल में हुई आर्थिक प्रगति एवं बफलताओं तथा कमियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति एवं सफलताएँ

(Progress and Achievements under Economic Planning)

राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाओं की अवधि में शुद्ध राष्ट्रीय आय में लगभग 69 प्रतिशत वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय 1950-51 में 9850 करोड रुपये से बढ़ कर सन् 1965-66 में 15441 करोड रुपये (1960-61 के मूल्यों पर) हो गई। सन् 1970-71 में राष्ट्रीय आय बढ़ कर 18755 करोड रुपये हो गई। दूसरे शब्दों में, 1950-51 की तुलना में 1970-71 में राष्ट्रीय आय समान दूनी हो गई। पहली योजनावधि में राष्ट्रीय आय 3.5 प्रतिशत, दूसरी में 4 प्रतिशत और तीसरी में औसतन 2.9 प्रतिशत की दर से बढ़ी। सन् 1966-67, 1967-68 व 1968-69 की एक-एक-वर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर क्रमशः 1.5 प्रतिशत, 9.3 प्रतिशत व 2.4 प्रतिशत रही। चतुर्वं पचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में अर्धतः 1969-70 व 1970-71 में राष्ट्रीय आय

कम्यु 53 व 55 प्रतिशत की गति से बढ़ी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक नियोजन के काल में हमने राष्ट्रीय वाप की दिशा में गहरपूर्ण प्रगति की है। इसमें समझ स्व से विगत दोस्रे वर्षों में लगभग 94 प्रतिशत अथवा प्रति वर्ष चक्र वृद्धि दर पर लगभग 3-4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सन् 1951 की जनगणना के अनुमान भारत की जनसंख्या 36·1 करोड़ थी, जो 1971 में बढ़ कर 54·7 करोड़ रुपये हो गई, अर्थात् विगत 20 वर्षों में 18·6 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हुई। जनसंख्या की इतनी तीव्र गति के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय में लगभग सबा गन्ती वृद्धि हुई है जो निश्चय ही सतोषजनक रही जा सकती है। सन् 1950-51 में प्रति व्यक्ति आय लगभग 270 रुपये थी, जो 1970-71 में बढ़ कर 347 रुपए (सन् 1960-61 के भावों पर) हो गई। इस प्रकार विगत 20 वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 28 प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय वाप में प्रति वर्ष 1·3 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई।

कृषि में प्रगति गत 20 वर्षों के नियोजन काल में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषिगत उत्पादन का सूचनाकार जो सन् 1950-51 में 95·6 था, (सन् 1949-50-100), वह सन् 1970-71 में 182·2 हो गया। इस प्रकार विगत 20 वर्षों में कृषि उत्पादन में लगभग 90 प्रतिशत वृद्धि हुई। सांचान्तों का उत्पादन सन् 1950-51 में 55 मिलियन टन था, जो बढ़ कर 1970-71 में 107·8 मिलियन टन तक पहुँच गया और सौभाग्य से हम सांचान्तों के आयात के बोतल से आप भ्रूक्त हो गए। नियोजनकाल के प्रारम्भिक वर्षों में तो कृषि उपज की बढ़ाती के लिए कृषिगत उत्पादन कानून में वृद्धि की गई, लेकिन बाद में उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। यूरोप एवं चतुर्थ योजना के अन्तर्गत जन, राजायनिक लाद, बीटालायर दबाइशी, उत्सम कोटि के बीच, तथा तिचाई बादि की तुविधाओं के विस्तार से कृषि देश में कानूनिकारी परिवर्तन हुए गए। कृषि देश में इस हरित कानून में संत्वादन में उल्लेखनीय वृद्धि को प्राप्तिहित किया है। विगत 20 वर्षों में कृषि जूनी हुई कृषिगत यस्तुओं के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, उनका अनुमान निम्न तालिका में लगाया जा सकता है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि

काल	1950-61	1960-51	1970-71
सांचान्त (मिलियन टन)	55·0	82·2	107·8
निरहन (मि० टन)	5·0	6·9	9·2
मना (गुड़) (मि० टन)	7·0	11·4	13·2
कपास (मि० ग्र०ड़)	2·9	5·2	4·6
जूट (मि० ग्र०ड़)	3·5	4·1	4·9

ओदीपिक लेंच से प्रगति —

ओदीपिक उत्पादन के लेंच में विगत 20 वर्षों में जो प्रगति हुई है, वह अद्यतन महबूब की है। विशाल इस्पात के कारखाने, केगिकल, गूती वस्त्र, दवाईयों के उद्योग, इन्डिनियरिंग, फटीलाइज़र, मशीन ट्रूट तथा हैमो इलेक्ट्रिकलस के कारखाने स्थापितना के बाद हमारी उपलब्धियों के चमकते उदाहरण हैं। आज हमारे उद्योगों में दरनोकी और विज्ञान का उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है और हमने अनेक उत्पादों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त कर ली है। विगत 20 वर्षों में देश ओदीपिक उत्पादन में लगभग तीन गुनी वृद्धि हुई है। आज हमारा देश विद्व के दस-बारह ओदीपिक राष्ट्रों में गिना जाने लगा है। देश में नए-नए आधुनिक उद्योग स्थापित किए गए हैं और इनके कारण उद्योगों और उनियों को लूढ़ उत्पादन 170 प्रतिशत बढ़ गया है। पहले हमारे देश में ज्वाइटर वट्सन व गुनी कांडे व कृषि पर आधारित होल्ट-मोटे उद्योग ही थे। परेल लाइकिंग के लिए अधिकतर पूजीगन गमान विदेशों से मण्या जाता था, लेकिन अब यह सब सामान देश में ही तैयार हो रहा है।

नियोजन-काल में यद्यपि सरकारी व गैर सरकारी, दोनों क्षेत्रों में बहुत अधिक धन का विनियोजन किया गया है तो भी परकारी क्षेत्र का कैलाइ ब्योडाक्ट और अधिक तेजी से हुआ है। सरकारी क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण एवं जटिल परियोजनाओं को रसायनिक किया गया है। हिन्दुस्तान मशीन ट्रूट, दिल्लायन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, हिन्दुस्तान इलेक्ट्रोसाइल्य हि दुनिया एस्ट्रीजॉडीटिप, भारत इलेक्ट्रोनिक्स, हिन्दुस्तान केविल्स, आदि प्रतिष्ठान सार्वजनिक क्षेत्र के जाव्हन्यपूर्ण उदाहरण हैं। प्रारम्भ में ही नए उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत अधिक पूँजी आवायित समझो, कल-पूँजी लगा नियोजिती की आवश्यकता पड़ी जिनके कारण देश के विदेशी मूद्रा के साथसाथ पर अमाधारण दवाव पड़ा लेकिन पीरो-धीरे देश की विदेशी पर आधिकारिक सम्पत्ति का अधिकार नहीं। अब ओदीपिक क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि के लिए उत्तरोत्तर आन्तरिक साधनों की ही अपनाने पर बढ़ दिया जा रहा है।

शक्ति एवं परिवहन की दमता में वृद्धि विगत 20 वर्षों में दर्शित की प्रस्थापित छापा में लगभग 7 गुनी वृद्धि हुई है। मध्य 1950-51 में विजली की प्रस्थापित कमता 23 लाख विलोवाट थी जो 1970-71 में बढ़ कर 165.3 लाख विलोवाट हो गई। विजली लगे गावों एवं ग्रामों की संख्या 3700 से बढ़ कर 1,04,438 हो गई।

नियोजन-काल में मार्टीय रेलों ने आग निर्भाव, और प्रगति का एक स्तरिम

मुग रखा है। आज भारत विदेश ऐसे फिन्नने देते में पहुच गया है, जिन्हें रेल सम्बन्धी प्रत्येक ट्रेन की जानकारी है। भारतीय रेलें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के माध्यम द्वारा रेल समझी जा नियंत्रित कर रही हैं। पहले हम रेल के ट्रिप्पों तक वा विदेश से आयात करते थे, लेकिन अब देश में ही अधिकारी भारतीय माल-नामान के नियंत्रण के अलावा हम इनका नियंत्रण भी कर रहे हैं। विगत 20 वर्षों में रेलों की माल ढोने की क्षमता 93 मिलियन टन से बढ़कर 199 मिलियन टन अर्थात् दूने से भी अधिक हो गई है। यहाजरानी के क्षेत्र में भी हमनायरश्च प्रशंसनी है। 1250-51 में विदेश की कुल टन भारत क्षमता 872.4 लाख टन (जो बार टी) की जिसमें भारत का माल बेटर 3.9 लाख टन आयात बेबल 0.45 प्रतिशत था। 31 दिसंबर, 1971 को यह टन भारत क्षमता बढ़ कर 25 लाख टन हो गई। हम पहार टन भारत क्षमता में 6 गनी से भी अधिक बढ़ि हुई है। मन् 1950-51 के अन्त तक बेबल 6.8 प्रतिशत विदेशी व्यापार में भारतीय जटाजरानी का योगदान था, जो अब 20 प्रतिशत ने अद्यत हो गया है।

सामाजिक सेवाओं में प्रतिति नियोजन के दिशा 20 वर्षों में 61.1, स्वास्थ्य विकास, परिवार नियोजन, पिछड़ी जातियों के विभाग, बोडोगिक अभियानों के लिए आवास व्यवस्था आदि की दिशा में भी महत्वपूर्ण 1.0-1.6% गई है। प्राविहिक स्कूलों माध्यमिक स्कूलों व विदेशी द्वारा दिए गए विदेशी द्वारा दिए गए प्रदेश क्षमता में 9 में 11 प्रतिशत की वापिक दर से बढ़ि हुई है। क्षेत्र तक नीकी दिक्षा के लिए प्रदेश क्षमता में 9 में 11 प्रतिशत की वापिक दर से बढ़ि हुई है। क्षेत्रों में डाकटरों और वितरण की स्थिति में क्षमता 3.5 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत की वापिक दर से बढ़ि हुई है। साधारणता की दर 16.5 प्रतिशत से बढ़कर 29.4 प्रतिशत हो गई है, जबकि जन्म के समय जीवनकाल की सम्भावना 32.2 वर्ष से बढ़कर 52 वर्ष हो गई है।

जीवन-स्तर में मे सुधार आयोजना के द्वारा देश के जीवन-न्यायन स्तर में भी सुधार हुआ है। आज आम व्यक्तियों के घोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक जीवन में नया परिवर्तन दिखाई देता है। विकली, सड़कों साइकिलों, रेलियों, ट्रान्सिस्टरों तथा अनक नामारिक सुविधाओं के प्रादूर्षाव से सामाजिक व्यक्ति पहले से कहीं अधिक खुशहाल है। प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी गूहसूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने की दिशा में उन्नति दिखाई पड़ती है, जैसा कि आग दी गई तालिका में अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रतिवर्षित उपलब्ध बहुमुण्ड

	1951	1971
आलान (ग्राम) प्रति दिन	394.9	456.8
द्वाते का तेल (किलोग्राम)	2.7	3.3
चीनी (किलोग्राम)	3.0	7.3
सूनी बत्त (मीटर)	11.0	13.6
चाय (ग्राम)	257.0	383.0
काशी (ग्राम)	51.0	64.0
घर के लिए विजली (किलोवाट)	1.6	7.0

गोत 1971-72 आर्थिक संबंधकान, भारत सरकार

योजना के दिग्गत 20 वर्षों में उपर्युक्त वर्णित स्थानों के अतिरिक्त कई अन्य अनेक स्थानों में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सन् 1950-51 में घरेलू बचत राष्ट्रीय-आय का 5.5 प्रतिशत थी, जो 1968-69 में 8.4 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार विद्योग्य की दर सन् 1950-51 में 5.5 से बढ़ कर 1968-69 में 9.5 प्रतिशत हो गई। यथापि नियोजन काल में योजनार्थी वी समस्या को हल नहीं किया जा सका है तो भी राजगार की मात्रा में दिग्गत वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। नियोजन काल में आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण को कम करते के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। निर्धन व पिछड़ी हुई जनता तथा विद्युत इलाकों के लाभ के लिए विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए।

भारत में आर्थिक नियोजन की कमिया एवं असफलताएँ (Shortcomings and Failures of Planning in India)

योजनाबन्द आर्थिक विकास के दिग्गत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने बहुई दृष्टिव्यों से उत्तेजितीय प्रगति की है। लैखित यदि हम अपनी योजनाओं की वास्तविक उद्दलितियों की सुलना योजना में निर्धारित किए कए दृष्टियों व उद्देश्यों से करें हो दूसे एक निराशाजनक स्थिति वा अव्याहास मिलता है। आवश्यक वस्तुओं की उत्तरीतर बढ़ती हुई कभी महगाई गूँहों में अत्यधिक वृद्धि, विदेशी मुद्रा संबंद, निर्धनता, योजनार्थी भुखमरी आदि हमारी योजनाओं की असफलताओं को उत्पादन करती हैं। देश विदेश के अनेक विद्वानों ने समय समय पर इन असफलताओं की चर्चा की है जिनका मकाना विवरण नीचे दिया जा रहा है।

1. आर्थिक विकास को दर का अहमतीपूजनक हीना भारतवर्ष में दिग्गत नियोजन के 20 वर्षों में प्रति वर्षे और गत विकास की दर 3 से 4 प्रतिशत रही है।

जो उन्तोप्रबनक नहीं कही जा सकती। हमी अवधि में जापान, याइलैंड, राष्ट्रवादी चीन, नेपालिया व कोरिया में क्रमशः 6, 7, 8, 6, 6 प्रतिशत की गति से राष्ट्रीय द्वाय में बढ़ि हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एशिया के तमाम देशों वी तुलना में ही हमारी आर्थिक विकास की दर बहुत कम है विकसित देशों वी तुलना में तो यह और भी अधिक निश्चापूर्ण हित है।

2 मूल्य-स्तर में निरन्तर बढ़ि हमारे आयोजन की सबसे बड़ी कमी अथवा व्यापकता यह है कि इससे दय के मूल्य स्तरों में अत्यधिक बढ़ि हुई है। एक विकासशील जर्मन-जर्मनी में सामन्यतः 3 से 5 प्रतिशत तक की आपिक मूल्य बढ़ि शायद स्वाभाविक मानी जा सकती है। चूंकि विश्वाल पूँजीगत परियांजनाओं में जितनी अधिक मात्रा में पूँजी लगाई जाती है, उग मात्रा में उत्पादन उत्तनी जड़ी नहीं मिल पाता, इनलिए इहानी मूल्य बढ़ि से बचना सम्भव नहीं है। लेकिन भारतवर्ष में नियोजनकाल के द्वीरान यह बढ़ि चिन्ताजनक बन गई। केवल न्यूयर्म व्यवसायीय योजना की अवधि में मूल्य त्विति लगभग स्थिर रही या उससे घोड़ी कमी आई। लेकिन दूसरी प्रवर्धीय योजना की अवधि से पूँजीयता मात्र के उत्पादन पर जोर दंत के कारण लगातार मूल्य में बढ़ि हुई है। 1952-53 को आधार वर्ष मानने पर योक मूल्य सूचनाक 1962-63 में 127.9 और 1963-65 में 210.2 था। 1939 को आधार वर्ष मानने पर यह मूल्यनाक क्रमशः 446 और 800 थाना है। 1961-62 को आधार वर्ष मानने पर जून 1972 में योक न्यूयर्म सूचनाक 197 में, लगात् चीन के वर्षों में 6 प्रतिशत के लकड़ि दर स, मूल्य में बढ़ि हुई। इस मूल्य बढ़ि का परिणाम यह हुआ कि देश में नहगाई बढ़ गई और लोगों के जीवन-निवाह वज्र बहुत बढ़ गए। मूल्य बढ़ि के कारण कर्मचारियों के बेतन व भत्तों में समय-समय पर बढ़ि की गई जिससे कीमतों से और बढ़ि हुई। इन प्रकार नियोजन के प्रत्यरोक्ष उत्तर-न मूल्य-बढ़ि के दुश्चक्ष से जन साधारण दुखी हो गया और उसका आर्थिक नियोजन की सम्पूर्ण प्रक्रिया से विश्वास उठने लगा है।

3 बटोरोजारी में बढ़ि भारतीय आयोजन की एक बड़ी व्यापकता यह भी है कि यह बटोरोजारी एवं अहं-बटोरोजारी की नमस्या सुलझाने में अतकल रहा है। मह ममस्या इस समय देश के नियोजनकर्त्ताओं के हिए यहाँ बड़ी चुमोती बनी हुई है। एन वर्षों में प्रवर्धीय योजनाओं के मात्रम से जित भद्रा ने रोजगार के व्यवसरों का विकास हुआ, उससे भी कही अधिक देश में अम शक्ति तथा फलवहन बटोरोजारों की सहया का प्रादुर्भाव हुआ। आज एक बहुत बड़ी सदृश बटोरोजार अविकल्पों की सेषार हो गई है। इन रोजगार नियोन लोगों में शिक्षित लोगों की सहया भी बहुत अधिक है। 1970 में एक कराट में भी अधिक ऐसे अवित थे जो

मैट्रिक्य या हताहक । देरोजगारों द्वीप सम्पद के नामधन में बनुमान है कि वे जन-सम्पद के 3 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक हैं । स्पष्ट है कि योजनाकाल में अम शक्ति की वृद्धि की तुलना में रोजगार के व्यवसरों में यहूत बहु वृद्धि हुई है । 1970-71 व 1971-72 में यह सम्पद्या और भी गम्भीर हप धारण कर चुकी है । एक बनुमान के अनुसार यदि जनसम्पद्या 2.5 प्रतिशत वार्षिक दर में बढ़ती रही तो चौथी योजना के अन्त में अर्थात् मार्च 1974 में देरोजगारों की सम्पद्या 2 करोड़ 80 लाख तक पहुच जायेगी ।

4. यह व आप की असमानता में वृद्धि, हमारी योजनाजों को एक त्रुटि यह भी रही है कि वे देश में धन व आय को विप्रवासी को दूर करने में असमर्थ रही है । १० के० एन० राज के बनुपार, “आज आय व धन की असमानताएं नियोजित विकास की अवधि के प्रारम्भ की तुलना में अधिक हो गई है । यद्यपि अर्थ-व्यवस्था आज भी मिथित ही दर्जा हुई है तथापि मिथित के तत्व इसे समाजवादी प्रारम्भ की अपेक्षा पूजीवादी प्रारम्भ को ही अधिक समीप ले जाते हैं ।”¹ बस्तुतः योजनाकाल में भी अधिक धनी तथा निधन और अर्धचक निधन हुए हैं । नियोजनकाल में अपनाई गई तीतिथों के व्यापक आय का हस्तान्तरण ललसाधारण व बेतन भोगी मध्यम तर्ग की ओर संकेते व्यवहारी तर्ग की तरफ लगातार होता गया है जिससे देश में धन व आय की असमानताएँ जैविक हुई हैं । प्रा. जेनाम के मानुसार आर्थिक विषयता की वृद्धि के सीन कारण है, प्रथम, आर्थिक नियन्त्रण, द्वितीय बाढ़े की विस्त व्यवस्था, तथा तृतीय जायात लाइब्ररी व्यवस्था ।

5. आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण में वृद्धि हमारे नियोजन की एक प्रमुख असफलता यह भी है कि इसके होने तुए भी आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । दैश की उत्पादक पूजी और परिस्थिति टाटा, बिरला, डालमिया, साहूजैन, आदि कुछ गोटे से पूजीनाहियो एवं बीजोनिक चरानों के हाथों में आ गई है । इन चरानों द्वीप सम्पत्ति नियोजनकाल में काफी बढ़ो है । कलरवर्स्य हप जपने जायोजन के प्रमुख उद्देश्य समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की स्थापना से विमुक्त हो गए हैं ।

6. विदेशी सहायता पर निर्भरता ने वृद्धि—यद्यपि प्रथम योजना की क्षमतेका के ही हमन यदा आहम-निर्भरता का लक्ष्य मेंदानिक हप रेता निर्धारित किया था तो भी व्यवहार में हम निरन्तर विदेशी सहायता पर अधिदापित निर्भर होते रहे गए । प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पञ्चवर्षीय योजनाजों म शमश. 201, 1430, व

1 K. N. Ray, Indian Planning of 'A Critique and An alternative Approach', in *Mainstream* Dec. 14, 1981, p. 14.

2877 करोड रुपयों को विदेशी सहायता का उपयोग किया गया। 1966-67, और 1969-70 के तीन वर्षों में 4020 कराड रुपये की विदेशी सहायता का उपयोग किया गया; 1970-71 में 769 करोड रुपये की सहायता प्राप्त हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे विदेशी नोटों पर निर्भरता कम करने के प्राप्त योगों द्वारा किया असफल रहे। विकास के लिए विदेशी सहायता के लाभों को नकारा नहीं जा सकता, यदोकि भौतिक नोटों के साथ गाय प्रतिविधि, ज्ञान व आर्थ-आयता भी आपनीत ही होती है जिसका कि एक पिछड़े देश में नियोजन अभाव पाया जाता है। नितु विदेशी सहायता के दुकारिशा कभी-नभी बड़ा दुखदायी है। यथार्थ में कुछ उद्देश्यों में बधा होना, आधिक तीनि निर्वाचन में विदेशी हस्तक्षण, विदेशी राजनीतिक दबाव द्वारा, मूल घट के हव में भारी भूयतान, वायान नियोजन की शर्तों की प्रतिकूलना, विदेशी व्यापार में प्रतिकृद्धता आदि अनेक उल्लेखनीय वर्णन हैं, जो विदेशी सहायता से ये प्राप्त जुड़ी रहती है।

7 विविध भूमि में असफलताएँ आर्थिक नियोजन के 20 वर्षों में कई अन्य क्षेत्रों में भी असफलताएँ बढ़ गई हैं, जो राष्ट्रोप में निम्नालिखित हैं—
 (i) नियोजन काल में हमारे भूयतान शाख के घाट में बृद्धि हुई जिससे दश में विदेशी भवा एक दृष्टपन हो गया। (ii) पश्चिम नियोजन के शाज में आवश्यक सफलताएँ नहीं मिल सकी। फलस्वरूप देश में अनप्रवृण्य के विस्फोट की भगवद्वा उत्तर्न हो गई है। (iii) देश में काइतकारों को भूमि का मालिदाना अधिकतर दिलाने के साधनों में तथा भूमि सुधार के क्षेत्र में कानून सो अनेक बना दिए गए हैं लेकिन उनकी ऊंच से ऊंचू त एवं सकारे के कारण उनसे सम्भावित लाभ पूरी तरह से नहीं उठाए जा सके, (iv) सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार ही उत्तरोत्तर होता जा रहा है, लेकिन इसके प्रबन्ध एवं कुशलता को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्न सफल नहीं हो सके हैं, फलस्वरूप अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्ध आहे में चल रहे हैं, (v) मामूलाधिक विकास घाट में उत्पादन बढ़ाने की दिशा में जो प्रगति हुई वह प्राप्त सिराजजनक रही है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतवर्ष ने विजले लगभग दो दशकों में अनेक क्षेत्रों में महान् सफलताएँ प्राप्त की हैं। कुणि, उद्योग परिवहन सामाजिक सेवा आदि सभी क्षेत्रों में तीव्र परिवर्तन से बृद्धि हुई है। इन सब उपलब्धियों को देख कर हम गौरव ये सतोपय की अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आज भी हमारे सामने ने अनेक चुनौतीयों समर्थयें सही हैं जिनका समाधान सोजने में हुगारी नियोजन द्रष्टाली असफल रही हूँ। जब तक देश को इन समस्याओं को अभावशाली दग्ध से हड़क नहीं कर सका जाता तब तक नियोजन का लाभ देश के कोटि कोटि जन को नहीं प्राप्त हो सकेगा।

साधी आयोजन के सम्बन्ध में सुझाव

(1) समाजवादी समाज की स्थापना हेतु सच्चे दिल से प्रयत्न किया जाय, योग्य समाजवाद के नाम दी बार-बार रट लगाने मात्र से इसकी स्थापना होना सम्भव नहीं है। प्रशासन से सुदृढ़ता के अभाव से भूमि गुप्तार कानून, सहकारी कृषि आदि क्षेत्रों में वाहित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। श्री टी. टी. हृष्णा-माचारी के अनुसार इसकी स्थापना हगु बच्चट सम्बन्धी नीतियों एवं दिन-प्रति-दिन की नीतियों में परिवर्तन तथा देश में ही रहे परिवर्तनों को यथार्थवादी दृष्टि से समझना आवश्यक है। पह कार्य किसी एकाधिकारी को समाप्त करके नी करना सम्भव नहीं है। इसकी स्थापना हेतु उपनीय पर निवारण करना आवश्यक है, योग्य इसे डिपाया नहीं जा सकता। अतः व्यय कर को पुन लाभ करना चाहिये। सरकार द्वारा अन्न का व्यापार, आयात-नियर्ति कार्य, देको का राष्ट्रीयकरण आदि कदम उठाये जाय ताकि इससे लाभ को पुनर्विनियोजित किया जा सके एवं वह लाभ कर्तव्य व्यक्तियों को ही न पिल रहे। कौन्सेस बद्धता भी निर्जीवितण के अनुसार हमारा लोकतन्त्रीय समाजवाद भारतीय परम्पराओं, विचारों, भावनाओं तथा परिवर्तनों के अनुसार हो रहा हइने गमी लोगों को रोटी, बस्त, मकान जैसी अनियार्थ आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

(2) कृषि विकास सम्बन्धी सुझाव : कृषि क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दिया जाय। इस हेतु उत्तम योगों, उर्वरकों, सिचाई, सस्वागत परिवहनों आधुनिक-उक्तनीक आदि की व्यवस्था की जाय। कुछ अर्थशास्त्रियों की राय में पर्याप्त सेटों, उर्वरकी तथा कृषि सम्पत्ति पर कर लगाना इसके विकास के लिये हानिकारक है। कृषि व्यवस्था का उचित सरगठन किया जाय।¹ सिचाई की व्यवस्था के अन्तर्गत छोटी मिचाई योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाय, योग्य इससे अधिक अम शक्ति का उपयोग सम्भव हो सकेगा तथा शीघ्र फलोदादन होने से मुद्रा प्रमाण की सम्भावना नहीं रहेगी। भूगर्भ विज्ञान के प्रब्लेम विद्वान् प्रो० जे० लो० बोय से अनुसार इससे भूकम्प का सतरा भी दूर होगा। 'सील बनाओ तथा भूकम्प को नियंत्रण दो,' जीय० लेख में उल्लेख यताया कि बड़े बड़े घट यीजे बनाए, ये, भूकम्प के दूर, अभागों में भूकम्प आये हैं, योग्य 100 फुट से अधिक गहरा पानी होने पर भूमि की सतह उन भार को सहन नहीं कर सकती है तथा फटमे को विवर हो जाती है।

1. It is not finance but proper organisation which is the main obstacle in the path of agricultural progress in India."

जनवी राय में महाराष्ट्र में कौयना के भूकम्प का कारण प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित मारी जीले हैं। हर्षि दिक्षान से उद्योगों को इच्छा माल मिलेगा, आवासन सुन्दर होगा तथा रोजगार म बृद्धि होगी।

(3) रोजगार सम्बन्धी प्रश्नान् बेरोजगारी दूर करने हेतु रोजगार के जन-सर्वों में बृद्धि करना आवश्यक है। इस हेतु शम शिविर आयोजन की ओर व्यान देना चाहिये। उनसम्मा बृद्धि की दर वर्ष करने हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम का विस्तार करना आवश्यक है। दिक्षान की दर तोब्र करनी आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो।

(4) आत्म स्वाधेन्द्रन का दृढ़ सकल्प योजना में स्वावलम्बन का दृढ़ सुखल हक्कर इन और भरपूर प्रयत्न करना आवश्यक है क्योंकि वहाँ यहाँ है 'उद्योगेन ही सिद्धपन्ति कार्यालि न च मनोरथ ।' इन हत् हृषि, उद्योगों, यातायात, तहनीकी ज्ञान आदि का विकास करना आवश्यक है, ताकि प्राकृतिक प्रनाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। अकायेकुदलता को दूर करना, शीघ्र फलदायक इकाइयों की प्रारम्भ करना, जाधिक साधनों पर नशबन नियन्त्रण रखना, विदेशी गठबन्धन मन्त्रालय नरका, अनावश्यक नियन्त्रणों के नियमों को कम करना, निजी व सरकारी दोनों को प्रोत्साहन देना, राज्यों का आधिक आवार पर पूर्णगंठन करना, प्रशासन में अपव्यय को कम करना, कौमतो पर नियन्त्रण स्थापित करना, आयोजन को लचीला बनाना आदि वाले इसमें सहायक होंगी।

(5) वित्तीय साधनों सम्बन्धी सुझाव इन सम्बन्ध में विदेशी सहायता पर निर्भरता कम वर आन्तरिक साधनों से आय बनाना आवश्यक है। सावधानी से कार्ये करने पर सुरक्षा पर व्यय कम करें, घोटू बचत बटाकर, सरकारी क्षेत्र में स्थापित सदौगों के ढीक सचालन द्वारा वचन वर रोक लगाकर उथा प्रगामन में अपव्यय को रोक वर धरेलू साधनों से आय बढ़ायी जा सकती है। आयात प्रतिस्थान आप्तत नियन्त्रण आदि द्वारा आयातों को कम करके तथा निर्यात प्रोत्साहन वायंकर्मों द्वारा निर्यात दटाकर निदेशी मृद्गा प्राप्त करने का प्रयत्न रखना चाहिये। सरकार को विदेशी गठबन्धन का वर चाहिये। हीन योजनाओं न लगभग 3000 विदेशी गठबन्धनों के कारण लाभाद्य कर्ष म भारी अन राजि विदेशों को जा रही है। सन् 1956-57 से सन् 1967-68 के मध्य लगभग 3882 करोड़ हपया लाभाद्य के कर्ष में दाहर भेला गया। घाटे की दित व्यवस्था का कम एवं मावधानी पूर्वक क्रयोग विद्या जाय।

(6) आधिक असमानाएँ दूर करना । इस हेतु क्षेत्रीय क्षतिग्रहण दूर करने आय एवं सम्पत्ति की असमानता नो दूर करके एकाधिकारी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण लिखापित् बनने की आवश्यकता है । आधिक विकास में अदिकसित क्षेत्रों की उपेक्षा के बारण ही मुख्यतः तैलगाना की समस्या उत्पन्न हुई है । यी निजलिंगप्पा के अनुसार आधिक हितों के आधार पर राज्यों का पुनर्संगठन किया जाना चाहिये अन्यथा क्षेत्रीय असमुल्लन से उत्पन्न असन्तोष भयकर विस्फोट के रूप में प्रकट होकर विनाश का कारण बनेगा । उद्योगों का विकेन्द्रीकरण तथा वहे व छोटे उद्योगों में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है ।

(7) आयोजन की विधि आयोजन लचीला हो, सुदृढ़ नीतियों की अपनाया जाय तथा अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय हो ।

(8) सामाजिक सेवाओं को अध्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, आदि सामाजिक सेवाओं की अध्यवस्था को जाय ताकि जनसाधारण का बीड़न सुखी हो । नियुक्त तथा अनियाय शिक्षा, शाश्वत क्षेत्रों में विभिन्न स्तरियों द्वारा उपलब्ध कराने, सकारात्मक रीयों को समाप्त बनाने आदि के सम्बन्ध में दबूत कुछ करना शीघ्र है । शिक्षा का माध्यम हिन्दी तथा मातृ भाषा में हो, ताकि भारतीय विद्वान् विदेशी लेखकों द्वारा प्रस्तुत विचारों का अधानकरण न कर भारतीय परिवर्तियों के अनुसार स्वतन्त्र चिन्हन न कर आधिक विकास के उभाव मुद्दा सकें ।

9) आधिक नीतियों के अन्तर्गत स्वतन्त्रता प्रो० जे० को० चलारिया के अनुसार योजना आयोग को मुख्य मर्यादा आधिक नीतियों की नियारित कर इन नीतियों के अन्तर्गत स्वीकृतों को उनकी वैनिक आधिक प्रवृत्तियों को स्वतन्त्र रूप से चलाने देना चाहिये । राज्य का ध्यान बैदल महाव्यपूर्ण आधिक विषयों पर ही केन्द्रित हो, अन्यथा प्रत्येक छोटी-छोटी घात को महाव्यपूर्ण घानने पर सम्भव है कि बहुत सी महव्यपूर्ण घानों पर ध्यान न दिया जा सके । योजना आयोग को चाहिये कि उन सभी नारणों को समाप्त कर दे जिनके आधिक प्रणाली के संगठन में जकार्य समता बा जानी है ।

विष्कर्वे के स्वप्न में कह सकते हैं कि असफलताओं से न पवरा का इसके कारणों के प्रति भविष्य में सजग रहना आवश्यक है । देश ने आयोजित आधिक विकास के मार्ग को बहुत सोच विपार कर चुना है तथा भविष्य के प्रति निराशावादी होने का कोई कारण नहीं है ।

प्रति

1. भारत में आर्थिक नियोजन के दोषों का व्यालोचनात्मक विवरण दीजिए।
 2. निछले 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हुए उद्योगिकों का सम्प्रेषण में वर्णन दीजिए।
 3. भारत में आर्थिक नियोजन की इसकल्पना के मृत्यु भागों का विवरण दीजिए, जो इसकी सफलता के लिए लगते सुनाव दीजिए।
-

राजस्थान—एक नज़र में (1972 की जनगणना पर आधारित)

1 जनसंख्या		कुल	25,7,65806
		पुरुष	13,484,383
		स्त्रियाँ	12,281,423
2 सेव	342,214 वर्ग किलोमीटर		
3 वृद्धि दर 1961-71	27.83	प्रतिशत	
4 जन-संख्या का घनत्व	70	चौकित प्रति	किलोमीटर
5 लिंग-अनुपात	911	स्त्रियाँ प्रतिसहस्र	पुरुष
6 कुल जनसंख्या में साक्षरता का प्रतिशत	कुल	19.07	
	पुरुष	28.74	
	स्त्री	8.46	
7 शहरी जनसंख्या में साक्षरता	43.47	प्रतिशत	
8 ग्रामीण जनसंख्या में साक्षरता	13.85	"	
9 शहरी केन्द्रों की संख्या			157
10 कुल जनसंख्या में शहरी जन संख्या का अनुपात	17.63	प्रतिशत	
11 कुल गांवों की संख्या	बसे हुए	33,305	
	पैर बसे हुए	2,490	
12 कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात	82.37	प्रतिशत	
13 कुल जनसंख्या से अमिकों का प्रतिशत	कुल	31.24	
	पुरुष	52.09	
	स्त्री	8.34	
14 कुल जनसंख्या में अनु० जाति के लोग (O castes)	15.82	प्रतिशत	
15 कुल जन संख्या में अनु० जन० जाति के लोग (S tribes)	12.13	"	
16 अनु० जातियों में साक्षरता	9.14	प्रतिशत	
17 अनु० जन जातियों के साक्षरता	6.47	"	

30

राजस्थान : एक परिचय

(Rajasthan An Introduction)

"Rajasthan is the collective and classical denomination of Western India, which for centuries remained of the territory controlled, ruled and predominantly inhabited by (Rajpoot) princes"

स्वतन्त्र भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की विशालता के आधार पर बर्तमान राजस्थान का द्वितीय स्थान है। इस राज्य का बर्तमान स्वरूप एवं भाकार विटिंग वास्तवकालीन राजपूताना क्षेत्र के कई छोटी-छोटी देशों रियासतों एवं छिपानों के विलयन का परिणाम है। 'राज्य पुनर्गठन एक्ट, 1956,' (State Reorganisation Act, 1956) के अन्तर्गत यह 1 नवम्बर, सन् 1956 को भारत के भौतिक एवं गणराज्य का एक अभिन्न भाग बन गया।

इस राज्य के उद्घाटन (Origins) के सम्बन्ध में प्रमुखता दो विचारधारायें प्रचलित हैं। प्रथम के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आज के राजस्थान वा समुद्रं भू-खण्ड प्राचीन-त्रिहाहिक काल में 'टायथिस सागर' (Tythes Sea) का एक भाग था। धीरे-धीरे इस सागर के बहों से हटने के कारण एक विस्तृत भू-खण्ड उदय होने लगा। सामर, हीडबाना, पचभ्रा, बापरिन तथा लूनकरणमर की नमक की झीलें तथा भरतपुर में नमकीन जल के द्वारा इस तथ्य के प्रमाण हैं। इस क्षेत्र में जिल्हाया खटिया मिट्टी का होना भी इस विचारधारा को प्रमाणित करता है। पृथ्वी के भीतर गढ़े हुए पत्थर के अस्थिपत्र (Fossils) भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। द्वितीय विचारधारा के अनुसार, विद्वानों का यह मत है कि प्राचीन बाल में यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ तथा विवित था। ऋग्वेद के अनुसार यहाँ सरखती नदी शताहित होती थी, जिसका प्रमाण आधुनिक घटधर नदी का भूमिताल है। नोवर द्वितीय में दृष्टिगत के निष्ठ 'चतुर्थारा' नामक स्थान भी इस तथ्य की पुष्टि करता

है। परन्तु ध्रीरेखों और भू-तत्त्वों के अभ्युत्थान के कारण इस क्षेत्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया।

1. हिति (Situation) : राजस्थान राज्य के उत्तर-पश्चिम में $23^{\circ}30'$ तथा $30^{\circ}12'$ उत्तरी अक्षांश रेखाओं (North Latitudes) तथा $69^{\circ}30'$ और $78^{\circ}17'$ पूर्वी देशान्तर रेखाओं (East Longitudes) के पश्च दिशा है। देश के विभाजन के बाद इसकी विभिन्न सीमा के अन्त से परिक्षितान की भीमा प्रारम्भ हो जाती है। इसके उत्तर में पंजाब, उत्तर-पूर्व में दिल्ली तथा हरियाणा, पूरब में उत्तर-प्रदेश, दक्षिण में गुजरात तथा दक्षिण-पूर्व में पश्चिम प्रदेश राज्य स्थित हैं।

2. क्षेत्रफल तथा जन-संख्या (Area and Population) : क्षेत्रफल की हिटि से राजस्थान भारतीय संघ का मध्यप्रदेश के बाद दूसरा दहा रज्य है। इस राज्य का क्षेत्रफल $1,32,147$ वर्गसील या $3,12,251$ वर्ग किलोमीटर है, परन्तु 'सर्वेयर जनरल ऑफ इण्डिया' (Surveyor General of India) के लम्बासार इसका क्षेत्रफल $3,41,732$ वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सम्पूर्ण देश के क्षेत्रफल का 10.14 प्रतिशत है। जन् 1971 की जन-गणना के अनुसार सम्पूर्ण राजस्थान की जनसंख्या 2.94 करोड़ है तथा जनसंख्या का घनत्व 25 है। इस प्रदार भारत के राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का दूसरा स्थान है, परन्तु जनसंख्या के आधार पर डस्को दूसरा स्थान है।

3. सामान्य लक्षण (General Features) : इस राज्य की आकृति एक असमान एवं अनियमित समचतुर्भुज के समान है। बराबरी की पर्वत-ध्वनियाँ राजस्थान को दो भागों से बांटती हैं—उत्तरी-पश्चिमी भाग, सम्पूर्ण क्षेत्रफल का $3/5$ भाग है तथा विभिन्न-पूर्वी भाग, सम्पूर्ण क्षेत्रफल का $2/5$ भाग। दक्षिण-पूर्व में चम्पल नदी मध्यप्रदेश तथा राजस्थान राज्यों की विभाजन-रेखा है। इसका क्षेत्रफल विस्तृत होने के कारण, यह राज्य विभिन्न प्राकृतिक विवरणाओं का प्रदेश है। जहाँ इसके एक ओर शूखलावाहक पर्वत श्रेणियाँ हैं, वही दूसरे ओर इसके विचमी भाग में मीलो नद 'थार मरम्भूमि (Thar Desert) के रेगिस्तानी मैदान भी है, जहाँ पा दो बर्पा होनी ही नहीं, और यदि होनी भी है तो बहुत कम। सबसे अधिक विद्यमान हो यह है कि इस क्षेत्र में कहीं-कहीं तो गूँहे पठार हैं, तो कहीं-कहीं कई प्राकृतिक झीलें भी हैं। इन विषमताओं के पारन ही, इस राज्य के स्थल या भूमि की आकृति, जलवायी तथा मिट्टियों में विभिन्नता है।

4. प्राकृतिक लक्षण (Physical Features) : राजस्थान का प्राकृतिक विभाजन भार भागों में किया जा सकता है : (i) मह प्रदेश या रेगिस्तानी भार; (ii) बराबरी पहाड़ियाँ, (iii) पर्वत, बचा (iv) पठारी भार। राजस्थान की

बर्यं-ध्यवस्था में इन प्राकृतिक भागों का अलग-अलग योगदान है। अतः इनका सहित पर्याय प्राप्त करना आवश्यक है।

(i) रेगिस्तानी भाग (The Desert) भारत में 'धार का मरुप्रदेश' सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी ढाल से सिंध तक 300 से 380 मील तक फैला रहा है। जैगलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाढ़मेर तथा शेखावाटी के द्वेष दर्शनों के लिए यहाँ रिप्पत है। जैगलमेर, बाढ़मेर तथा बीकानेर की तरफ तो मीठों तक चालू के टीवे ही टीवे (Sand dunes) नजर आते हैं। इन धोबी में कहीं पर भी हरियाली नजर नहीं आती। कुछ ऐसे भी स्थान हैं जो बिलकुल ही निर्जन हैं। गर्मी के मीसुम में वे धोबी काफी गरम रहते हैं तथा शू चलती है। प्रायः इन रथानों पर घूल-भरी आंधिया आती है। उत्तर से पश्चिम वी और बर्यां की माथा भी घटती आती है और कहीं नो बर्यां 15°-20° तक तो कहीं 10° ये 5° के बीच ही होती है। इस धोबी में बहुत ही कम जुए हैं, जिनका जल-स्तर जूमी की गतह से 200-300 नींव होता है। मुच्छ धोबी में तो पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है। यातायात के माध्यमों का अभाव होने के कारण, ऊटों के द्वारा ही पानी पहुँचाया जाता है। इसी धोबी में सामर, कुचामन, डीडवाना तथा डेमाना की नमक की खीलें हैं।

राजस्थान का यह मरुप्रदेश मृत्यु-प्रदेश कहलाता है। यहाँ की आवादी जनी नहीं है। यहाँ के निवासियों को अपनी जीविका के लिए कट्ठी मेहनत करनी पड़ती है। बर्यां-झतु में लूपी नदी, जो इस धोबी की एकमात्र नदी है, लोगों को नदीजीवन प्रदान करती है, अन्यथा इस धोबी पे गिराई के लिए अत्य कोई माध्यन नहीं है। जहाँ बर्यां 15 से 20 तक हो जाती है, वहाँ बाजरा, गवार, योठ, तिल तथा गुग की खेती की जाती है। कम बर्यां वाले धोबी में सरीक की फसल ही बाती जाती है। निसानों को बहुधा अपने जानवरों के लिए चारे तथा जल की व्यवस्था करने के लिए दूसरे धोबी की ओर आता पड़ता है। इस धोबी का विकास करने के लिए एक 'केन्द्रीय मूला धोबी अनुमधान मस्त्या' (Central Arid Zone Research Institute) स्थापित रखी गयी है। एक केन्द्रीय रेगिस्तान विद्यालय बोर्ड भी रेगिस्तान की उत्तरांक गूमि में परिवर्तित करने के लिए बना है।

(ii) अरावली की पहाड़ियाँ (Aravalli Hills) राजस्थान प्रदेश में अरावली की पहाड़ियों में खेती तथा दिस्ती नक फैली है। इन पहाड़ियों का प्रदेश अरावली का पठारी भाग कहलाता है। दक्षिण-पश्चिमी में इन पर्वतमालाओं का विस्तार गूबरात के मैदानों तक है। इस प्रकार यह पठारी प्रदेश 430 मील या 692 किलोमीटर लम्बा है और पर्वत-मालाओं की औसत ऊँचाई 3,000 फीट है।

इसकी मदसे ऊँची चोटी माउन्ट आबू की गुरुगिल्डर चोटी है (2,650 फीट)। इगंडे वहिरिकल सांमर-हिरोही पर्वत-मालाओं के क्षेत्र में दुख अन्य प्रमुख पर्वत चोटियां भी हैं : गोरम, जो उदयपुर ज़िले में कुम्भलगढ़ के निकट है, 3,075 फीट, अजमेर में दारापाड़ 2,85 फीट (873 मीटर) सांमर-खेतड़ी क्षेत्र की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं रघुनाथगढ़ (1,055 मीटर), लोहार्गंग आदि ।

राजस्थान के अन्यतरी पर्वत-मालाओं के क्षेत्र को उनमें निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं

1. नदियों इन पर्वत-में गियों से कई नदियों निकलती हैं, जैसे—बनाई, महो, काकनो, लूणो आदि जो वर्षा कटु में प्रवाहित होती हैं। इन नदियों का पानी एकत्र करके तथा बाध बनाकर मिलाई द्वारा घटकस्था की जा सकती है ।

2. बन तथा चारागाह इन पर्वत-मालाओं की ढाल पर घने जगल हैं, जिनसे कई उद्योगों के लिए वाच्चा माल प्राप्त होता है। इन बनों के कारण ही इन क्षेत्र में वर्षा भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। इन पर्वत-शूलकों की ढालों पर चारा-गाह हैं ।

3. खनिज : पर्वत-ओणियों के कारण खनिज में राजस्थान काफी सम्पन्न है और यहां विभिन्न प्रकार के खनिज गदावं उपलब्ध हैं। अगर हम राजस्थान की खनिज पदार्थों ता अज्ञायकर कहे तो गलत न होगा। यहां परिषमी क्षेत्र में जलौह धातुएँ, जैसे—तिम्नाइट, चूना, डिम्बम, नगक, मंगायरमर आदि पाई जाती हैं तथा वरावली के उत्तरी ओर गे ताँचा, सीमा, जम्ता, लोहा, बैंगनीज आदि पाये जाते हैं। कुछ खनिज तो ऐसे हैं कि भारे देश में केवल राजस्थान में ही प्राप्त होते हैं, जैसे—मीमा, जस्ता, बुलफाय और टनाटन। खेतड़ी, अलवर तथा जयपुर ज़िले में ताँद के नये भण्डार खिले हैं। कोयले और लोहे की यहा कमी है। उदयपुर से 14 नील दूर डबोक में जिक स्पेल्टर वा कारखाना मूला है, जो जस्ते की अन्य खनियों, जैसे सीमा और चौटी से अलग करेगा ।

4. वर्षा इन क्षेत्र में पहाड़ों तथा जगलों के कारण वर्षा की मात्रा अधिक है। यहा सामान्य वर्षा होती है तथा मैदानी ओर है, बहु खेती भी की जाती है। राज्य की 90 गे 95 प्रतिशत वर्षा वर्षा-कटु में जुलाई से नितान्दर तक होती है। राजस्थान के विभिन्न भागों में वर्षा का वितरण बहुत अधिक असमान है। वर्षा की मात्रा दक्षिण-पूर्व में उत्तर पश्चिम की ओर से कम होती जाती है। उत्तर-पश्चिम राजस्थान के थार भव्यतम में वर्षा सप्तांत का होती है। दक्षिण-पूर्वी भागों में वर्षा 100 सेन्टीमीटर के बास्याम होती है जर्दी तार के रेतिक्षान में यह 25 सेन्टी-मीटर से भी कम है ।

(iii) मैदान (Plains) : 'राजस्थान प्रदेश' मैदानी भाग अरावली के पूरब से प्रारम्भ होकर गगा यमुना के मैदान तक विस्तृत है। राजस्थान राज्य के अन्तर्गत पूर्वी मैदान वा प्रदेश दो भागों में बाटा जा सकता है—(i) बनास घाटी का मैदान तथा (ii) उदयपुर का दक्षिण-पूर्वी भाग और बासवाडा और चित्तोडगढ़ का दक्षिणी भाग। प्रथम के अन्तर्गत अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टीक, भीकर, सुजन-तथा भोलवाडा के जिले आते हैं। दूसरे क्षेत्र में उदयपुर, बासवाडा तथा चित्तोडगढ़ का दक्षिणी भाग सम्प्रसित है। इन लेखों में कई नदियाँ बहती हैं, जैसे बनास (वेवाड में) तथा उसकी महायक नदिया, तथा माही और उसकी महायक नदिया। बनास नदी घाटी का मैदान का भी उपजाऊ।

आविद हृषि ने राजस्थान का मैदानी प्रदेश काफी विविसित है। सामान्य वर्षा होने से बहा रखी तथा खरोक दीनों की ही कमले बोई जाती है। कुओं से मिचाई की भी व्यवस्था की जाती है। अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इन क्षेत्र में गश्न-मालन व्यवसाय भी अधिक विकसित है। उटोग-भस्यों में मूली-बस्त्र, शब्दर तथा तेल के डारखाने भी कही-रही स्थापित किये गये हैं। इन क्षेत्र की मुख्य फसले गेहूँ, चना, चावल, मक्का, उदार, मूँग, मोठ, बाजरा, जी, सरसो, तिल, तथा मूँगफली हैं।

(iv) पठारी भाग (Plateau) राजस्थान के मेवाड़ के मैदानी भाग के दक्षिण पूर्व में कीला हुआ पठारी भाग 'हाडोती' (Hadoti) कहलाता है। इसमें बोटा, धूदी, आलवाड़ तथा चित्तोडगढ़ के जिले सम्प्रसित हैं। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ चब्बल, दाणगाठ, बनोस, काली सिंच तथा यारनती हैं। वर्षा और नदियों के कारण यह भाग तृप्ति की हृषि से सम्पन्न है तथा यहाँ चावल, मक्का, उदार तथा मूँगफली की उत्पत्ति काफी भात्रा में होती है।

5 मिट्टी (Soil) राजस्थान जैसे राज्य की अर्द्ध-व्यवस्था में, जहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, मिट्टी की निःसं वा महस्त्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की मिट्टी मा मैदानी भू-भाग भारत के विस्तृत मिट्टी-गण के मैदान का ही एक भाग है। परन्तु मध्यपूर्व भारत के विभिन्न भागों में भोटे हीर पर विभिन्नतित प्रकार की 'मिट्टियाँ' पाई जाती हैं।

ताल मिट्टी (Red Soil) - इस प्रकार की मिट्टी अजमेर, विजयगढ़, उदयपुर, डूगरपुर, बासवाडा तथा अरावली के चूर्बी से याई जाती है। इस मिट्टी में लोह की अधिकता होती है तथा इसमें चूने और पाटाम ना प्रतिशत भी अधिक होता है, परन्तु नादडाजन, फौसोरस तथा नमों की नगी होती है। इस प्रकार वी मिट्टी सामान्यतः उपजाऊ होती है।

(ii) काली मिट्टी (Black Soil) कोटा, झालावाड़, मालवा, बासवाड़ा, ढूगरपुर और प्रतापगढ़ के कुछ शेषों से होती है यह मिट्टी पायी जाती है। इसमें नमी की वनाये रखने की क्षमता अधिक होती है, परन्तु इसमें 'फॉलकोरिक एसिन' का अभाव रहता है। इसमें शोषास तथा चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है।

(iii) कढारी मिट्टी (Alluvial Soil) भरतपुर, अटबर तथा गढ़ा-नगर जिले के कुछ भागों में इस प्रकार की मिट्टी पायी जाती है। इसमें पोटाम, कॉम्फोर्म, चूना तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में होते हैं, पन्नु नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। कुओं तथा नहरों से मिचाई की व्यवस्था करके इस प्रकार की मिट्टी से गहरे, चावल, खेत, गन्ना तथा तनबादू की फसलें प्राप्त की जाती है।

(iv) लेटराइट मिट्टी (Laterite Soil) इस प्रकार की मिट्टी बागड़ाड़ा, प्रतापगढ़ तथा कुशलगढ़ में पायी जाती है। इसमें नमी, नमी नया नाइट्रोजन है तथा वीची होती है।

(v) बस्तुही मिट्टी या रेत (Sand) जोगपुर दोनों, बीकानेर के दक्षिण म, बीसलमेर जिले तथा जयपुर दोनों के उन्नर पांचवर्षीय में यह मिट्टी पायी जाती है। इसमें भूमि की लागताऊ बनाने वाले तरबों का अभाव होने तथा धूलगदील गमक का आधिक्य होने के कारण, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। जिन स्थानों पर 10° से 15° तक वर्षा होती है, वहाँ लागताऊ, मुग, भोज आदि फसलें होती हैं और जहाँ पर लिचाई की व्यवस्था है, वहाँ पर नाइट्रोजन तादृदेकर चावल, गेहूँ, चना, कपास आदि की अच्छी फसलें उत्पन्न की जाती है।

6 जलवायु (Climate) राजस्थान की जलवायु उष्ण-दटिपत्थीय है, अर्थात् यहाँ ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म और शूष्क होती है। सर्दी के मौसम में इसके उत्तरी-पश्चिमी भाग म फिल्ग-पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक मर्दी पड़ती है। जलवायु की हाइट से राजस्थान के तीन मौसम हैं—(1) ग्रीष्म ऋतु (The Hot-weather Season), (2) नामांग्न वर्षा ऋतु (The Season of General Rains), तथा (3) शरद कठु (The Cold Weather Season)। भारतीय ऋतु विभाग ने इस राज्य की शरद कठु को भी दो उपनिभागों में विभाजित कर दिया है—(a) सौंदर्यी हुयी मानसून का मौसम, अन्दूवर से दिसम्बर तक, तथा (b) सर्दी का मौसम, जनवरी से फरवरी तक।

उष्ण ऋतु वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान म (i) ग्रीष्म ऋतु भारत-अंग्रेज से प्रारंभ होती है तथा सितम्बर तक रहती है। इस ऋतु में मई तथा जून के महीनों

में अधिकतम तापमान होता है। धून-भरी आधियों भी प्रायः इसी छतु में आती हैं। परन्तु इस गहु की विशेषता मह है कि इसकी रानियाँ ठार्डी तथा सुखद होती हैं।

(ii) वर्षा छतु की अवधि जून के मध्य से शितम्बर तक है। 90 प्रतिशत वर्षा मानसून की अवधि ये जून से शितम्बर तक होती है। शरद-छतु अवधि, सर्दी के मौसम में भी घोड़ी-बहुत वर्षी हो जाती है। मामाभ्य वर्षा-छतु में भी, अवधि राजस्थान के पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है, पश्चिमी भागों में उसकी मात्रा कम होती है। अग्रवली पर्वत की अणियाँ मानसूनी हवाओं को आगे नहीं बढ़ाते देती, जिसमें इनके निकट तो 40° वर्षी हो जाती है, परन्तु इस राज्य के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों पर उसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। राजस्थान के पूर्वी भाग में बगाल औ लाडी तथा भरतीय महासागर (Indian Ocean) से आने वाली मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। यही कारण है कि गेवाड़, हाड़ोती घाटर तथा अग्रवली की पर्वत अणियों के पूर्वी ढालों पर तथा दूगरपुर और बासवाड़ा में अच्छी वर्षा हो जाती है। इस राज्य में औसत वर्षा 6'' से 40'' तक होती है।

(iii) शरद-छतु, राजस्थान में शश्द्र-छतु अबटूबर से प्रारम्भ होती है और फरवरी तक सर्दी पड़ती रहती है। अबटूबर से दिसम्बर तक की अवधि मानसूनी हवाओं के लाठों की अवधि होती है जिससे राजस्थान के लगभग आधे भाग में 21.4 cm से कुछ ही कम वर्षा हो जाती है, जिससे वहां का मौसम काफी अच्छा हो जाता है अबटूबर महीने में मर्वेश तापक्रम सुमान ही रहता है। नवम्बर में अपेक्षाकृत कुछ सर्दी पड़ते रहती है। दिसम्बर से फरवरी तक अपनी सर्दी पड़ती है। अत्यधिक सर्दी एहते पर महस्थानीय प्रदेश में कहो-कही तापक्रम प्रायः शून्य से भी नीचे गिर जाता है। पश्चिम में आगे बढ़े चक्रवातों से इस मौसम में कमी-ज्ञानी वर्षा हो जाते पर गहुं तथा चटों की कमी को काफी लाभ पहुँचता है।

7. राजस्थान की पशु-सम्पदा राजस्थान पशु-सम्पदा में गम्फन है। पशु-पालन यहां की एक महत्वपूर्ण व्यापिक किया है, जिसने जनराज्य के एक बहुत बड़े भाग को स्वतन्त्र सेक्षण महाभक रोटीन-रोटी का मानन प्रदान किया है। उत्तरमान समय में राजस्थान में पशु समुदाय (LWI Stock) की संख्या लगभग 390 लाख है, जिसका गृह्य 76 करोड़ हपये है। प्रति वर्ष पशु-समुदाय या इससे सम्बन्धित उत्पादन के नियंत्रण में लगभग 20 ल.रोड हपये की आप प्राप्त होती है। भारतवर्ष में उत्पादन होने वाली ऊन का 40% भाग राजस्थान के पशुओं में ही प्राप्त होता है।

देश की उत्तर छिस्म की पशुओं की ऊन में से अनेक ऊनें राजस्थान में पाई जाती हैं। 'राथी' (Rathi), थारपारकर (Tharparkar), गिर (Gir) व नागारी (Nagauri) यहां की उत्तम कोटि की ऊनें हैं। विषत् 12 वर्षों के दीरान अकाल की भयन-रक्ता के कारण राजस्थान के पशु-समुदाय पर बुरा असर पड़ा है।-

लोगों ने पशुओं की भकाल के कारण बट्टी हुई सरपा से सुरक्षा के लिए डा. पशुमो को भी पाल रखा है, जिन्हे आर्थिक दृष्टि से रखना उपयुक्त नहीं है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बुशा प्रभाव पड़ा है, मात्र ही उनकी पशु-संग्रहन की प्रेरणा हमीरहा हित हुई है।

राज्य सरकार पशु-सम्पदा की सुरक्षा एवं विकास के लिए अनेक बदल रही है। राज्य में चारे के विकास वार्षिक को पशु सम्पत्ति के विकास एवं दूध विकास दो लक्षणों के माध्यम से हो रहा है। सरकार ऐसकानी क्षेत्रों में पशुओं के स्थिरोकरण, उनकी नस्ल के विकास, आर्थिक हालिंग से अनुबंधीय पशुओं के उपयोग आदि की योजनाओं को क्रियान्वित करने के प्रयत्न में रही है। वीनानेर, जोधपुर, अग्रनेर, शीलवाडा, उदयपुर, अलवर, सरतपुर व कोटा में 8 डिरियाँ सोलों पा रही हैं, ताकि योग्यान पोजना के अन्तर्गत दूध की पूर्ति 20000 लिटर प्रति दिन से बढ़ कर 3 लाख लीटर प्रति दिन की जा सके। राज्य से दिल्ली को दूध व दूध से बने उत्पादों को भेजने की भी योजना बनाई जा रही है। राज्य में पशु वय की आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि राज्य के 2 करोड़ भेड़ व बकरियों के स्वामी अधिक लाभ कमा सकें। इस समय राज्य में 120 लाख विलोगाम गोस्त व 108 लाख किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष पेंडा होती है, जिसे कमज़ 150 लाख कि याम तथा 120 लाख किलोग्राम तक विविध भविष्य में बढ़ाने की योजना है। राज्य मुर्गी पालन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। यहाँ पहले राज्य ने 5000 अण्डे प्रति दिन बाहर भेजे जाते थे, वहाँ अब प्रति दिन 1 लाख अण्ड बाहर भेजे जा रहे हैं।

राज्य की पशु-सम्पदा का क्षेत्रमोन निम्न तालिका से लगातार जा सकता है :

राजस्थान की पशु सम्पदा (1971)

पशु	महस्य (1000 मे.)
वाष्प, बैल	12470
भैस, भैसे	4393
भेड़	5556
बदरी	12162
घोड़े व टट्टू	4%
खच्चर	1
गधे	356
ठोट	745
सुअर	117
मुर्गे, मुर्गियाँ	1235

8 ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या (Rural and Urban Population)

सन् 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का 3/5 से अधिक भाव 82.7 प्रतिशत गांवों में विवास करता है, जबकि लगभग 16.3 घेष प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में। इम प्रकार मूल रूप से राजस्थान कृषि प्रधान तथा ग्रामों का प्रदेश है। यहाँ जीवोंगिक विकास के कार्यक्रम अभी कुछ बर्पे पहले भी ही प्रारम्भ किये गये हैं, परन्तु इनका विकास इतना अधिक नहीं हुआ है, जिसमें कि ग्रामीण तथा शहरी सेत्रों की जनसंख्या के प्रतिशतों में कोई महसूदपूर्ण परिवर्तन हो सके।

निम्नलिखित तालिका ग्रामीण जनसंख्या के विवरण तथा विभिन्न आकार के गांवों की संख्या वो व्यक्त करती है।¹

गांवों का प्राकार तथा ग्रामीण जनसंख्या का विवरण 1971

गांवों का आकार	कुल ग्रामीण जनसंख्या मिलियन में	गांवों की कुल संख्या	जनसंख्या का प्रतिशत	गांवों का प्रतिशत
200 से कम	0.936	8,771	4.41	26.33
200-499	3.687	11,010	17.37	33.06
500-999	5.523	78,17	26.03	23.47
1,000-1,999	5.494	4,308	23.89	12.03
2,000-4,099	4.390	1,514	21.69	4.58
5000	1.076	16	5.07	0.50
10,000 से अधिक	0.116	10	0.54	0.03
योग	21.222	33,305	100.0	100.0

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण जनसंख्या 33,305 गांवों में विवास करती है। उपर्युक्त आंकड़ों से यह भी ज्ञात होता है कि 83.0 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या 1,000 व्यक्तियों से भी कम है। ऐसे गांवों ने 48 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इन गांवों के श्वाय विवरण का व्यव्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि अधिकतर पश्चिमी रेतीले मैदान तथा अरावली के पहाड़ी क्षेत्र में विवरे हुए हैं। प्राकृतिक तथा भौगोलिक पर्यास्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण इनके आकार में विस्तार नहीं हुआ है। अधिकतर विस्तार अपनी भूमि के निकट ही झोपड़ियों में निवास करता प्रस्तु दरते हैं। 10,000 से अधिक आकृतियों वाले बड़े गांवों में निवास करने वाली ग्रामीण जनसंख्या वा प्रतिशत के बहुत 54 ही है।

1 Source: Census of India 1971, Rajasthan Population Statistics.

परन्तु इस राज्य में शहरीकरण की योजना का प्रारंभ जनसंख्या पर काफी प्रभाव पड़ा है। कई सेंच्रो से शहरी केन्द्रो में गामों में जनसंख्या का प्रवास हुआ है, जिससे आमीण जनसंख्या का विकास रुक गया है। इसके अतिरिक्त राज्य की शोलोगिक विकास की योजनाओं ने भी शहरी जनसंख्या में वृद्धि की है। बास्तव में सन् 1921 से आमीण जनसंख्या में अधिक बढ़ी होनी रही है। सन् 1921 से आमीण जनसंख्या इन इनिटियून 86.7 था। सन् 1932 में 86.3 प्रतिशत तथा सन् 1941 में 85.7 प्रतिशत। अब तक तथा महाराष्ट्रियों के कारण भी इनमें दर कम रही है, जिससे भी आमीण जनसंख्या में बोही वृद्धि नहीं हो सकी। सन् 1961 की जनगणना के आधार पर आमीण क्षेत्रों की जनसंख्या में बुल वृद्धि हुई। इसका कारण यह था कि ऐसे 14 कस्बे गाँवों के दर्बा में सम्मिलित कर दिए गए, जिनकी जनसंख्या 420 हजार थी। इस प्रकार आमीण जनसंख्या का प्रतिशत जो सन् 1921 में 71.5 प्रतिशत था, सन् 1961 में बढ़कर 83.7 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त उम समय तक कृषि और भूमि का विस्तार तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाने से आम-क्षेत्रों में रोजगार के साधन भी उपलब्ध होने लगे थे। सन् 1971 में राजस्थान की आमीण जनसंख्या 21,222,045 थी, जबकि शहरी जनसंख्या के बल 4,543,761 थी।

शहरी जनसंख्या सन् 1941 तक राजस्थान में शहरी जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। सन् 1901 में सन् 1941 के मध्य यह केवल 13.0 प्रतिशत से बढ़कर 14.0 तक ही पहुंच हकी थी। सन् 1951 में यह प्रतिशत बढ़कर 17.3 तक पहुंच गया था, परन्तु सन् 1961 में शहरी जनसंख्या पुन बढ़कर 16.3 प्रतिशत हो गयी। इस राज्य में शहरी जनसंख्या में वृद्धि वही कारणों से हुई है। गाँवों की वार्षिक अर्थ-व्यवस्था के टूट जाने, कई गाँवों के शहरी दाजार-केन्द्रों में परिवर्तित होने तथा यातायात एवं सदेन यात्रा के साधनों, वाणिज्य तथा व्यापार का विकास होने के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। सन् 1951-61 के मध्य आमीण जनसंख्या में 29.65 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या में 11.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि सन् 1961-71 के मध्य वृद्धि ता यह प्रतिशत क्रमशः 23.77 व 38.47 था। अगले पृष्ठ की तालिका शहरी जनसंख्या के वितरण तथा विभिन्न आकार के शहरों की संख्या को व्यक्त करती है।

राजस्थान में सन् 1941 से तुड़बड़े शहरों की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। मध्यम आकार के शहरों वीं गजला रह शहरों में जोने लगी है। जप्पुर शहर का विकास तो उसके राजस्थानी होने तथा इधर कुछ वर्षों से शोलोगिक विकास के कारण हुआ है। गगनगर के विस्तार का थोड़े उस थोड़े में कृषि के विकास को

शहरों का ज्ञाकार तथा शहरी जनसंख्या का विवरण (म)

शहर का आठ शहरों का अधिक प्रिलियन में	कुल शहरी जनसंख्या	शहरों की कुल संख्या	जनसंख्या का प्रतिशत	शहरों का प्रतिशत
100,000 से अधिक	1902	7	41.87	4.46
50,000-99,999	488	7	10.75	4.46
20000-49999	930	31	20.47	19.75
10000-19999	898	67	19.77	42.67
5000-9999	308	41	6.78	26.11
5000 से कम	017	4		
गोम	4,543	137	100.00	100.00

है। कोटा में जनसंख्या राजस्थान के अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक तीव्र घटि से बढ़ी है। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि इस जिले में औद्योगिक विकास-कार्यक्रमों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राजस्थान शहरीकरण की ओर अधिक अग्रार हो रहा है। अधिकांश शहरों में अच्छी आवास-सुविधाओं, विजली की पूनि आमोद-प्रमोद, शिक्षा, चिकित्सा तथा यातायात की सुविधाओं और सुरक्षा ने लोगों को नगरों में बहने की प्रेरणायें प्रदान की हैं।

9 उद्यगत ढाँचा (Agrarian Structure) : यहां के लगभग 80 प्रतिशत लोगों का धर्मांकुपि ही है। राज्य की लगभग आधी आय कृपि से ही आती है। कृपि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी, यहां की कृपि अवस्था सन्तोषजनक नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि यहां कृपिह-क्षेत्र के केवल 13 प्रतिशत पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं—जोकि 87 प्रतिशत भू भाग को मात्रानुकी कृपा पर निर्भर रहता देता है। राजस्थान में 8 करोड़ 47 लाख एकड़ भू-भाग कृपि धोष्य है। लेकिन सुविधाओं के अभाव से केवल 4 करोड़ एकड़ भू-भाग में ही कृपि की जाती है। पानी एवं सिंचाई की सुविधाओं की कमी से प्रति एकड़ उत्पादन भी कम ही है, परन्तु यह कुछ वर्षों से कृपि उत्पादन के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ है। बब राजस्थान स्थानों में निर्धारित करां की रिखति में है। बबहारिक, आधिक एवं अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् ने 8 लाख टन खाद्यान्नों के वार्षिक अतिरेक का अनुमान लगाया है।

10 औद्योगिक ढाँचा (Industrial Structure) राजस्थान भारतवर्ष के अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ राज्य है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक कल्चरा माल व विभिन्न फैनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध

हैं परन्तु नकिल व परिवहन के साधनों के अभाव में राज्य का ओद्योगीकरण नहीं हो सका है। इसनन्दना प्राप्ति के पहले राज्य में बहुत ही नम बढ़े पैमाने के उद्योग थे। सात सूती कपड़ों की मिलों के अतिकिंत राज्य का एक मात्र मुख्य उद्योग लाखों में सीमेट का ही था।

वर्तमान में मूर्खी वर्ष उद्योग, जीनी उद्योग, सीमेट उद्योग, दीशा उद्योग, नमक उद्योग, उबरक उद्योग, उन उद्योग आदि महत्वपूर्ण हैं। इन उद्योगों के बलावा राज्य में प्रयोगशाला यन्त्र शिवर दोर्ड औजार, टैक्सी मीटर्स, गृह कार्ब हेतु बिद्युत एवं गानी के मीटर आदि के कारखाने भी राज्य में प्रारम्भ हो चुके हैं।

कोटा में कैल्सियम कारबाइड, वाइलोन लथा रेखन के कारखाने स्थापित किये गये हैं। य सभी कारखाने निजी क्षेत्र में सरकारी सद्भाव व महायोग से चलाये जा रहे हैं। राजस्थान में सन 1970 म पीजूत कारखानों की संख्या थी।

राजस्थान के जल साधन (Water Resources of Rajasthan)

राजस्थान के जल स्रोतों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, (क) भूमि की ऊपरी मतह का जल स्रोत, (ख) भूमिगत जल स्रोत।

(क) भूमि की ऊपरी मतह या घरातलीय जल स्रोत—इन जल स्रोतों के अतिरिक्त राजस्थान की प्रमुख नदियाँ एक और हैं आती हैं, जिनका सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ राजस्थान में विस्तृत विविहित प्रमुख नदियाँ हैं।

1 चम्बल नदी यह नदी मध्यप्रदेश में निकलकर राजस्थान के काठा, बूदी व सदाईमाथोपुर जिलों में बहती हुई उत्तरप्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी के पानी को एक बहुउद्दीप्त योजना द्वारा रोक कर राज्य में जलविद्युत उत्पन्न की जाती है तथा सिन्चाई के लिए प्रयोग किया जाता है।

2 बनास नदी आर्थिक मह व की हाप्ति से इन नदी का स्थान राज्य में चम्बल के बाद दूसरा है। यह नदी उदयपुर जिले में कुम्भलगढ़ दुर्ग से ३ किलोमीटर पूर्व अरावली शी पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी के ऊपरी क्षेत्र पहाड़ी है, जहाँ भारी बर्षा होती है। इसकी लम्बाई ४८३ किलोमीटर है और इसके दोनों ओर सूखन बन हैं।

3 लूमी नदी यह नदी पूर्णत बरगाती नदी है जो अजमेर के बासामार के पास नाम पहाड़ियों से निकल कर ३२० किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जोधपुर, बांदेर तथा जालीर के सूखागरस्त जिलों में बहती है।

4 माहो नदी यह नदी मध्यप्रदेश में विहानानल घंटेत से निकल वर राजस्थान के बासामार व ढूगरपुर जिलों में बहती है।

5. घट्टवर नदी : यह नदी हिमाचल प्रदेश से निकल कर राजस्थान के गगानगढ़ क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है।

6. देहन नदी : यह नदी बनास की सहायक नदी है, जो उदयपुर के उत्तर-पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से निकल कर उदय सागर झील में गिरती है। इस नदी की पृष्ठ भूमि में गन्ना, चावल व गेहूँ की अच्छी खेती होती है।

7. बाण गंगा : यह नदी जयपुर व सीकर जिले की सीमा के पास देराठी की पहाड़ी से निकल कर अरतपुर जिले में बहती हुई आगरे के पास बमुना में मिल जाती है। इस नदी धारी के क्षेत्र में पर्याप्त नर्सा होती है, फलस्वरूप यह क्षेत्र ऊपर-जाड़ है।

8. आध्य मन्दिरी : उपर्युक्त नदियों के अलावा राजस्थान में पारबती, काली-हिंदू, कोठारी नदी, खारी नदी, सावरमती नदी आदि मन्दिरी भी बहती है, जिनकी धाटियों से अच्छी फसलें उत्पादी जाती हैं।

राजस्थान की प्रमुख झीलें व तालाबः

यर्षा के अभाव के कारण राजस्थान में बर्षा के जल की गिराई व पोते के लिए झीलों व तालाबों में एकत्र कर लिया जाता है। यही पानी मुख्यतः पहाड़ी व पठारी झीलों में रोक लिया जाता है। राजस्थान में अधिकांश झीलें झीठे पानी की हैं, लेकिन मरु-क्षेत्र की कुछ झीलें खारे पानी की भी हैं।

(अ) राजस्थान की झीठे पानी की झीलें : राजस्थान की झीठे पानी की प्रमुख झीलें निम्नलिखित हैं—

1. जयसमन्त झील : यह उदयपुर नगर से 45 कि० मी० द० पूर्व में स्थित है। इस झील से लगभग 1800 वर्ग कि० मी० धोव का पानी एकत्र होता है। इस झील की परिधि 145 कि० मी० है। इस झील से नहरें निकाली गई हैं, जो सिंचाई के काम आती है।

2. राजसमन्त झील : यह उदयपुर नगर से 59 कि० मी० उत्तर में काक-रोड़ी के पास है। इसकी सम्प्राई 6.44 कि० मी०, व चौड़ाई 2.50 कि० मी० है। इसमें लगभग 513 वर्ग कि० मी० का पानी एकत्र होता है। इस झील से खारी नदी को पानी दिया जाता है तथा इसका जल भी सिंचाई के काम आता है।

3. पिछोला झील : यह झील 7 कि० मी० लम्बी तथा 2 कि० मी० चौड़ी है।

4. फतेह सागर झील : यह झील पिछोला झील के उत्तर में है तथा नहर द्वारा उससे जुड़ी हुई है। इसकी सम्प्राई 2.50 कि० मी०, तथा चौड़ाई 1.61 विलोमीटर है।

5 अनासागर झील यह झील बजपेहर नगर के दक्षिण में बरामदी की पहाड़ियों पर स्थित है। यह लगभग 13 दि. मी. की परिधि से फैली हुई है।

6 अम्ब झीले उपर्युक्त झीलों के बादावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण भीठे पानी की झीलें भी हैं जैसे अलवर के पारा गिलिसेड बूदी की नबलखा झील, बीकानेर के निकट कोलायन झील, चूगरपुर में जैव सागर जिसीट वी भोजनाल, दीग वा पहाड़वाल जोधपुर का बाल समाव गाउन्ट लाबू की निश्ची झील आदि।

(बा) राजस्थान की खारे पानी की झीलें राजस्थान की प्रमुख खाट पानी की झीलें निम्नलिखित हैं—

1 सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की यह झील कुलेरा ज़क्कान से 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी कम्बाई लगभग 31 किलोमीटर तथा फैलाव 3.25 से 11.25 कि. मी. तक है। इसका फैलाव लगभग 234 वर्ग कि. मी. है जिसमें 5720 दर्ता कि. मी. क्षेत्र का पानी एकत्र होता है। इस झील में भैड़, स्पन्डर, तथा खड़ला नदियाँ जाकर गिरती हैं। इसकी गहराई 4 मीटर तक रहती है। एक अनुमान के अनुसार इसमें 650 लाख टम नमक भरा पड़ा है। इस झील का उपयोग नमक निकालने के लिए किया जाता है। इसमें से प्रतिवर्ष देश के कूल नमक उत्पादन का 8-7 प्रतिशत नमक प्राप्त होता है।

2 डोडवाना झील यह झील नागीर ज़िले में डोडवाना कस्बे के पास स्थित है। इसका फैलाव 10 वर्ग कि. मी. है। इस झील में से वर्ष भर नमक निकालने का काम चलता रहता है।

3 लून करवसर झील यह झील श्रीकान्तेर ज़िले में सून करवार कस्बे के पास स्थित है। पह भी एक खाटे पानी की झील है, जिसपे से नमक निकालकर स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति की जाती है।

4 वचनगढ़ा झील यह झील बाड़पेहर ज़िले है। मैं इस झील में 1040 वर्ग कि. मी. क्षेत्र का पानी जाकर एकत्र होता है। इस झील में से मैगनेशियम लवण निकाला जाता है।

राजस्थान के भूर्गमिक जल खोल राजस्थान में सर्वेव बहुत बहुत नदी के अभाव में खेतों की सिचाई एवं बहुत बही समस्या रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए प्राप्त में भूर्गमिक जल खोलों का उपयोग प्रारम्भ किया गया। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में भूर्गमिक जल के उभी प्रकार पर्याप्त खोल हैं जिस प्रकार उत्तर के बहे मैदानी खेत में हैं जैसे कि राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग मैदानी हैं और नदियों की लाई गई मिट्टी से बने हैं। इस प्रकार के खेत में पानी की सबूत की रहती है। सामान्य 15 से 20 मीटर की गहराई में पानी उपलब्ध हो जाता है। इन खेतों

में सिक्काई के लिए कुओं से पानी, खरद, रहूठ तथा द्रूग दंत हारा निकाला जाता है। राज्य के उनरी परिच्छी मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थित जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वीक्रोनेर आदि जिलों में जूमी के नीचे अधाह झरावली के पासे जाने वा अनुमान है। एक अनुमान के अनुसार राज्य में हुए 149 लाख एकड़ फ्लौट मूर्गभिंव पानी के स्रोत होने की सम्भावना है।

12. राजस्थान की खनिज सम्पदा (Mineral Wealth of Rajasthan) खनिज सम्पदा की इटिंग से राजस्थान काफी सम्पन्न है। यहाँ विविध प्रकार के खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। अगर हम राजस्थान की खनिज पदार्थों का अनावश्यक कहे तो वह यत्न न होगा। यहाँ पश्चमी क्षेत्र में अलौह धातुपे, जैसे लिंगाराइट, चूना, जिम्माम, नमक, मगमरमर आदि पाई जाती है तथा झरावली के उत्तरी क्षेत्र में ताबा, सीसा, जस्ता, लोहा, मैग्नीज आदि पाये जाते हैं। कुछ खनिज नी ऐसे हैं जो देश में केवल राजस्थान में ही प्राप्त होते हैं, जैसे भीसा, जस्ता, बुलशाम, ब्टगस्टन आदि। इस समय देश का 88% रिप्लम, 87% सोप स्टोन, 61% फैलमपार तथा 72% एम्बरबट्टस यहाँ निकाला जा रहा है।

बाध्ययन की सुविधा की इटिंग से राजस्थान में पाये जाने वाले खनिज पदार्थों को बगों में रखा जा सकता है। (क) धात्विक खनिज, (ख) गैर धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों को भी दो बगों में रखा जा सकता है। (1) लोह धातु खनिज जिनमें लोहा एवं मैग्नीज मुख्यतया आते हैं, (2) बलौह धातु खनिज जिनमें ताबा, जस्ता, भीसा, चादो, बेरेलियम, द्यूरेनियम, धोरियम, टागस्टन आदि। अधात्विक खनिज पदार्थों में अन्ध्र, जिम्माम, चिपा पत्थर, नमक, चूना, हीरा पाईराइट, सिलीका, एम्बरबट्टस, धाय की बालू, कैलसपार आदि आते हैं।

राजस्थान में पाये जाने वाले प्रमुख खनिज निम्नलिखित हैं-

(1) **खनिज लोहा (Iron Ore)** राजस्थान में लोहा अन्य लोहा उत्पादक राज्यों की तुलना में कम लोहा मिलता है। अधिकांशत यह लोहा हेमेटाइट किसी का होता है। वहीनही बर्टाइजाइट व मैग्नेटाइट किसी का भी लोहा प्राप्त होता है। यहाँ लगभग सभी लोहे के खनिज क्षेत्र झरावली पर्वती अथवा इसके दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ भवं प्रथम 1953 में लोहा निकाला गया था। राजस्थान में सन् 1970 में 3.2 हजार टन लोहे का उत्पादन हुआ।

(2) **मैग्नीज (Manganese)** राजस्थान में मैग्नीज का उत्पादन भी अन्य राज्यों की तुलना अपेक्षाकृत कम है। राज्य के जयपुर, उदयपुर एवं बालवाडा जिलों में मैग्नीज का खनन किया जाता है। बौसवाड़ ज़िले के खनिज सेत्र सुर्वायिक

है। एक अनुमति के अनुसार राज्य में लगभग 300 करोड़ टन चूने पत्थर के भवार हैं। सन् 1970 में लगभग 28 लाख टन चूने पत्थर का खनन किया गया था।

10 सचमरमर (Marble) सचमरमर के उत्पादन में भी राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में मकराना के सचमरमर के पत्थर थ्रेट्कोटि के गिरे जाते हैं। जयपुर, अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, नागौर जिलों में सचमरमर का बहुतायत में खनन किया जाता है। सन् 1970 में राज्य में लगभग 50 हजार टन सचमरमर का खनन किया गया।

11 चिंचा पत्थर (Cinch Stone) चिंचा पत्थर के उत्पादन में भी राजस्थान का देश में प्रमुख स्थान है और प्राय देश के कुल उत्पादन का 85 प्रतिशत चिंचा पत्थर राजस्थान में ही निकाला जाता है। इसका प्रयोग वर्तक प्रकार की बम्बुओं के बनाने में निया जाता है। राज्य के जयपुर, डूगरपur, भीलवाडा, उदयपुर जिले चिंचा पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में प्रति वर्ष प्राय 2 लाख टन चिंचा पत्थर का उत्पादन होता है।

12 भूरंग कोयचा (Lignite) • राजस्थान में घटिया किस्म का भूरंग कोयचा भी नीरपित मात्रा में निकाला जाता है। इनकी साने दीकालेर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में इस प्रकार के कोयले का वार्षिक उत्पादन 8 में 10 हजार टन होता है।

उपर्युक्त खनियों के अतिरिक्त राजस्थान में अन्य अनेक खनिय भी पाये जाते हैं। राज्य में फ्लोरोटाइट फैल्सपार, टागस्टन, बेरानाइट, इगार्ली पत्थर, पन्ना सेल्काइट आदि अनेक प्रदार के खनिय भी व्यापारिक स्तर पर निकाले जाते हैं। राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी मठाथली क्षेत्र में खनिय तेल की भी प्राप्त होने की मम्भावना है। भारतीय तेल एवं गैंग आयोग, भारतीय भू-संबंधान, डिप्टियम व्हारो अैंड माइन्ट आर्ट द्वारा किये गये नमवन्समय पर सर्वेक्षणों में पता चलता है कि जैमलपोर अव में ही लगभग $1\frac{1}{2}$ लाख वर्ग किलोमीटर भौति में खनिय के भण्डार उपलब्ध हैं।

सन् 1971 ने सीसा, जहाज व चौदी को छोड़कर निकाली गई प्रमुख धातुओं का विक्रम पूर्य 7 83 करोड़ रुपया था जबकि छौदी धातुओं का विक्रम पूर्य लगभग 8 करोड़ रुपया था। प्रमुख धातुओं के क्षेत्र में 25 हजार व्यक्ति तथा छौदी धातुओं के क्षेत्र में लगभग 1 लाख लोगों वौ रीजार गिला हुआ था। आज वह विक्रिया दोष से राज्य सरकार द्वारा लगभग 139 लाख रुपये की प्रति वर्ष आय होती है।

प्रश्न

1. राजस्थान के प्राकृतिक विभागों का विवरण देते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि उनका उसके आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है ?
2. राजस्थान की मिट्टियाँ उसके कृषि-विकास में कहा तक उपयोगी हित हैं ?
3. राजस्थान की जलवायु पर एक समीक्षा लेह लिखिए ।
4. राजस्थान की पशु-पश्चदा पर प्रकाश लालिए ।
5. राजस्थान के जल-माध्यनों पर यथेष्ट प्रकाश लालिए ।
6. राजस्थान की लोनिजन्सम्बद्धि वा उल्लेख कीजिए और यह बताइए कि राज्य सर्विज वी हाउट से यथापूर्ण सम्बल है ।

31

राजस्थान में कृषि

(Agricultural in Rajasthan)

जिम प्रकार भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार राजस्थान एक कृषि-प्रधान राज्य है। यहाँ के लगभग 80 प्रतिशत लोगों का धन्दा कृषि ही है। कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी यहाँ की कृषि-व्यवस्था खतोखनक नहीं है, वयोंकि लगभग 90 प्रतिशत भू-भाग को मानसून की कृषा पर निर्भर रहता है। मानसून की अनिश्चितता राजस्थान को भी उसी प्रकार प्रभावित करती है, जिस प्रकार देश के अन्य राज्यों को। राजस्थान में वर्षा का औसत, अन्य राज्यों की तुलना में, बहुत कम है। फलस्वरूप राज्य के अधिकांश भागों में केवल एक फसल भरीफ ही उत्पाद जाती है। राजस्थान में 8 करोड़ 47 लाख एकड़ भू-भाग कृषि-योग्य है लेकिन सूचियाओं के अन्याय में केवल 4 करोड़ एकड़ भू-भाग में ही कृषि की जाती है।

राजस्थान की कृषि-विधियक विशेषताएँ: कृषि के क्षेत्र में राजस्थान की कुछ अपनी विशेषतायें हैं जो अन्य राज्यों में नहीं पाई जाती हैं। ये विशेषतायें प्रमुखत निम्नलिखित हैं—

1. प्राकृतिक वातावरण एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ राज्य की कृषि को बहुत बड़ी भीमा तक प्रभावित करती है। चूह, बीकानेर, जैसलमेर, बाढ़मेर, निरोही, पाली, झुनझुनू एवं सीकर जिले राज्य के मूले क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा अत्यधिक बहुत होती है। दुसरी ओर अलवर, जयपुर, भरतपुर टौंक, मधाई मधोपुर, कोटा आदि जिले वर्षा की हृष्टि से सम्पन्न हैं। उदयपुर, दूगरपुर, काठवाडा, चित्तौड़ आदि जिले भी सूखे क्षेत्रों की अपेक्षा, वर्षा की हृष्टि से सम्पन्न कहे जा सकते हैं। फलस्वरूप कृषि के हृष्टिकोण से ये क्षेत्र सम्पन्न हैं। राजस्थान के पश्चिमी मह व अद्यमह क्षेत्रों में केवल 25 सेन्टीमीटर औसत प्रति वर्ष पानी वर्षमता है, जबकि पूर्वी भाग के कई क्षेत्रों में वर्षा का औसत 200 सेन्टीमीटर है।

शक्ता पड़ती है। राजस्थान में उदयपुर, भीलवाडा, अजमेर, पाली, टोक, जयपुर, सीकर, स्वार्इ माधोपुर, भरतपुर, अलवर व गगानगर के जिलों में ही लगभग 90% जी की खेती होती है। राजस्थान में सन् 1971-72 में 456000 हेक्टर भूमि पर जी की खेती की गई तथा 590000 टन जी का उत्पादन हुआ।

5 गेहूं गेहूं की खेती के लिए उपजाइ भूमि, वर्षा तथा सिचाई की आवश्यकता होती है। इसे प्रायः अबटूवर के मध्य से नदम्बर के मध्य तक दोया जाता है। दिम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों में सिचाई की आवश्यकता होती है और इसे अप्रैल के प्रारम्भ से लेकर मई तक मध्य तक काट लिया जाता है। गेहूं को बोते समय सुन्दर जलवायु और काटते समय गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। गगानगर, टोक व्यार्इ माधोपुर, जयपुर व कोटा में गेहूं की खेती की जाती है। कुल गेहूं पैदा करने वाले कृषि दोत्र का 11% भाग गगानगर जिले में है। सन् 1971-72 में 1524000 हेक्टर भूमि पर गेहूं दोया यथा तथा 1904000 टन गेहूं पैदा हुआ।

6 चना यह लगभग कुल कृषि दोत्र के 11.2% भाग पर अर्थात् 1.6 मि हेक्टर क्षेत्र में दोया जाता है। इसे 1 अबटूवर से 20 अबटूवर तक दोया जाता है तथा मार्च के मध्य से लेकर अप्रैल के मध्य तक काटा जाता है। राज्य के चना पैदा करने वाले कुल भू क्षेत्र वा 2% भाग गगानगर जिले में है। गगानगर के अलावा चूल, झुझुल, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोक स्वार्इ माधोपुर व अजमेर में भी चने की खेती की जाती है। ढूगरपुर व चालवाडा भी चने की खेती के लिए उपयुक्त हैं। राजस्थान ने सन् 1971-72 में 1644000 हेक्टर भूमि पर चना दोया यथा तथा 886000 टन चना पैदा हुआ।

7 चावल राजस्थान के कुछ भागों में चावल की भी खेती की जाती है। चावल की उपज के लिए पानी की अप्रिकला की आवश्यकता होती है। इसीलिए राज्य के उन भागों में, जहाँ पा तो अधिक वर्षा होती है पा सिचाई की गुविधाएँ उपलब्ध हैं, केवल चावल पैदा किया जाता है। ढूगरपुर, चालवाडा, उदयपुर, दूबी, कोटा व गगानगर जिलों में चावल दोया जाता है। राजस्थान में चावल की खेती सन् 1971-72 में 133000 हेक्टर भूमि पर भी मई तथा 109000 टन चावल पैदा हुआ।

8 दाले राजस्थान में चने वो छोट वर बरहर, मूग, चाँद, मोठ आदि लगभग 1.7 मि हेक्टर भूमि पर अर्थात् कुल कृषि क्षेत्र के 12.1% भाग पर दोई जाती है। यदि चने वो भी जिला लिया जाय, तो राज्य के कुल कृषि भूमि के 11.5 भाग पर चाले पैदा की जाती है। जयपुर, झुझुल, सीकर, मागोर, जोधपुर, बीकानेर

तथा चूर्छिलो में कुल दाल उपजाने वाले क्षेत्र वा ४५% क्षेत्र पाया जाता है। सन् १९७१-७२ में चने ममत ३७१४००० हेक्टर भूमि पर दाले बोई गई तथा १३१९००० टन दाल पैदा वी गई।

९ बपास - राजस्थान में लगभग २,३६,३०० हेक्टर भूमि पर बपास डार्इ जानी है जो कुल कृषि-क्षेत्र का १.७% भाग है। कुल बपास उगाने वाले धैन वा ३०% भाग अकेले गणनागत जड़े में तथा लगभग १% भाग उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर व जालावाड़ में पा जाता है। बपास दोनों का कार्य अप्रेल से जून के मध्य तक तथा बुनने वा काम हितम्बर के अत से दिसम्बर वे अत तक चलता रहता है। बपास की रासी के लिए बर्पा अथवा 'गचाई' के अन्य नामों वी अस्यात आवश्यकता होती है। सन् १९७१-७२ में ३३०० एक्टर भूमि पर बपास बोई गई तथा ३९४००० गांठ कपास वा उत्पादन हुआ।

१० गन्ना - राज्य के जिन भूमों में मिचाई की मुद्रिधार्य उपग्रह है, वहा गन्ने की खेती की जाती है। यह परबरी से अप्रेल तक बोया जाता है तथा नवम्बर से इसकी कटाई शुरू हो जाती है। राज्य के गन्ना उत्पादन क्षेत्र हैं गगानगर, भरतपुर, सदाई माधोपुर, टीक, कोटा तथा उदयपुर। सन् १९७१-७२ में ४००० एक्टर भूमि पर गन्ने की खेती की गई १२०३००० टन गन्ने वा उत्पादन हुआ।

११ तिलहन तिलहन में मूँगफली राजस्थान में मूँदत ऐदा वी जाती है। यह प्रति वर्ष २ लाख हेक्टर भूमि में बोई जाती है तथा प्रति वर्ष लगभग १ लाख टन से कुछ अधिक ऐदा होतो है। राज्य के जिन जिला में मूँगफली ऐदा की जाती है, वे हैं चित्तौड़, कोटा, जालावाड़ व मवाई माधोपुर। मूँगफली के अलावा राज्य के प्राय सभी भागों में तिल उगाया जाता है। तिल का उत्पादन लगभग ६ लाख हेक्टर भूमि में किया जाता है और प्रति वर्ष लगभग २० हजार टन तिल ऐदा किया जाता है। इन दोनों कम्पो के बलावा, मरसा, बलसी, तोरिया आदि भी राज्य के मध्यी भागों में तिलहन के इष में ऐदा किये जाते हैं सन् १९७१-७२ में राजस्थान में १३४८००० हेक्टर भूमि पर तिलहन उगाया गया तथा ३६७००० टन तिलहन ऐदा हुआ।

राजस्थान ने विभिन्न कम्पो की ऐदावारा में भी दिवल कुछ वर्षों में उत्ते-खनीय प्रवर्ति की है। सन् १९६६-६७ व १९६७-६८ के वर्षों में कृषि उत्पादन में घासाही त वृद्धि हुई, जैसा कि आगे दी गई तालिका में स्पष्ट है-

प्रमुख फसलों का उत्पादन (हजार टनों में)

	उत्पादन	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72
बाजार	940	1229	1423	448	801	2676	1371	
उदयगढ़	792	346	428	201	392	573	255	
गोहौर	785	872	1319	1175	1258	1951	1904	
मलका	642	614	1026	423	517	930	752	
जो	448	474	766	575	510	764	590	
चाल	24	32	95	57	99	135	159	
तिळहन	204	201	328	152	218	534	366	
गन्ना	940	393	312	52	670	123,	1203	
कपास	165	184	226	172	119	229	394	

1. कृषि का उत्पादन हजार टनों में दिया गया है। प्रसेक गाठ में सामान्यतः 180 फिलोफाम कपास होती है।

भूमि का उपयोग

(हजार हेक्टर म)

बर्गीकरण	1951-52	1951-52	1966-67	1966-67
	म. कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत			
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	34280	100 00	34023	100 00
1. बन	1159	3 4	1145	3 4
2. हृषि के लिये प्राप्त	8980	26 2	6010	17 9
3. अन्य विना दोया गया क्षेत्र [चालू पड़ते अतिरिक्त]	9003	26 3	8244	24 2
4. घटत	5825	17 0	4027	11 8
5. चास्तविक दोया गया क्षेत्र	9313	27 1	14597	42 9
6. एक से अधिक दोया गया क्षेत्र	442	1 3	149	~ 9
7. (5 + 6) - कुल दोया गया क्षेत्र	9755	28 4	15446	45 4

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि नन् 1966-67 म. कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40 4% कुल दोया गया क्षेत्र वा जबकि 1951-52 मे यह केवल 28 4% ही था। पढ़हर दोया मे हृषि के लिए अप्राप्त भूमि की मात्रा मे काफी कमी आयी है जिससे वास्तविक दोये गये क्षेत्रफल म. वृद्धि हो नहीं है।

कृषिगत विकास की दर

1952-53 से नन् 1964-65 की अवधि मे राजस्थान मे क्षेत्रफल की वृद्धि प्रतिवर्ष 2 9%, रही जो भारत म. गवर्स अधिक थी। लेकिन इस राज्य के नम्बरमे एक चिन्ह का विषय यह रहा है कि इसमे उत्पादन मे गिरावट आई है। इस अवधि मे यह प्रतिवर्ष 0 11 प्रतिशत घटी है।

राजस्थान मे इसी अवधि म. लादानो मे उत्पादन की नक्काशि वृद्धि की दर 2 42 प्रतिशत रही है और जनसंख्या की 2 68 प्रतिशत रही है। इस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि की दर लादानो की वृद्धि की दर से 0 26 प्रतिशत आग रही है।

कृषिवत विकास में नई नीति का इपयोग :

आय राज्यों की भाँति राजस्थान में भी कृषिवत विकास की नई नीति सन् 1965-66 में प्रारम्भ थी गई। इसके अन्तर्गत पुने हुए लोनों में कृषिवत विकास के कार्यक्रम अपनाये जाने लगे। सकर दाऊरा, सकर चवार, सकर मचका व भैकिसकन गेहूँ के अन्तर्गत तथा धोन 11 प्रा. बाने लगा। अधिक उपज देने वाली किस्मों का विस्तार सन् 1968-69 में लगभग 3 लाख हैंटेकर रख कर दिया गया। सन् 1968-69 में रामायनिक खादों का उपभोग 100 लाख टन कर दिया गया। इसी प्रकार सिंचाई के विस्तार से खाद्यान्नों, कपास व तिलहन तथा गन्ने में उत्पादन की गई कमताएँ उत्पन्न की जा रही है। इसी के साथ गरजरवान राज्य में भी हरिल क्रान्ति प्रारम्भ हो गई है। इसमें उत्पादन में महत्वपूर्ण उप से वृद्धि होने की आशा है।

राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि

प्रथम पंचवर्षीय योजना में : कृषि सम्बन्धी मदों पर कुल 210.88 लाख रु०, अर्थात् कुल योजना का 81% भाग, व्यय किया गया था इस योजना के अन्तर्गत 7 हजार 50 कुओं का निर्माण किया गया था। एक हजार 'पंचिवत ब्लौल' तथा 348 पर्मिग सेट लगाये गये थे। कृषि उपज की बढ़ावे के लिए 7 हजार 123 टन अपोलियम चुहफेट तथा 025 टन मुधर फॉसफेट साद तथा 9 हजार 142 टन उन्नत किट्स के बीचों का वितरण किया गया था। 290 लाख रु० की कीमत की फसलों के पौधों की सुरक्षा की आवश्या थी गई थी। कृषि में यन्त्रीकरण की प्रोत्तराहित करने के लिए 199 ट्रैक्टरों को खरीदने हेतु 14.16 लाख रु० उत्तर दिए गये थे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के सामन्थ में भी महत्वपूर्ण कदम उठाये गये थे। कौटा में एक अनुसंधान क्षेत्र तथा सबाई गांवोंपुर व उदयपुर में दो दूनियादी पाठशालाएँ स्थाली गई थी। इन सब कार्यों के परिणामस्वरूप कृषि-उत्पादन में बासातीत वृद्धि हुई थी और राज्य साक्षात्कार के मामले में अन्य राज्यों पर निर्भर रहने के बायां आत्म-निर्भर हो गया था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि कार्यक्रमों के लिए 31555 लाख रु० के व्यय करने वा प्राप्तधात रखिया गया था। सन् 1969-70 तक खाद्यान्नों में 21%, तिलहन में 60%, गन्ने में 149% तथा कपास में 82% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लक्ष्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इई जमीनों को खेती के अन्तर्गत लाने दोहरी फक्तल उपग्रेड तथा गहरी कृषि को जपनाने के लिए लिंचाई, भू संरक्षण, उन्नत चीज, उन्नत कृषि-पन्ज, पोष-रुपरक्षण आदि की विधियों पर वल दिया गया था। इस योजना काल में 38 बीजों के कार्म तथा 174 बीजन्नोदाम बनाये गये थे, 16.75

लाख भूमि पर उन्नत बोजो का प्रयोग किया गया था। 10 हजार 465 टन नाई-दोबन की खाद तथा 2 हजार 540 टन फॉस्केट की खाद 1960-61 में वितरण की गई थी। इसी बर्ग 13 35 लाख टन कम्पोस्ट की खाद भी बांटी गई थी। 41 लाख हैक्टर भूमि पर हरी खाद का प्रयोग किया गया था। 20 हजार छृष्टि-वर्षों का भी वितरण किया गया था। 11 47 लाख हैक्टर भूमि पर पीधों की सुरक्षा प्रदान की गई थी तथा नवम्बर सन् 1960 से राज्य के पाली ज़िले में 'ऐकेज कार्म-कम' चालू किया गया था। इस योजना में छृष्टि-विषयक प्रशिक्षण एवं शिक्षा का भी विस्तार किया गया था।

405 लाख हैक्टर भूमि पर दोहरी प्रक्रियों की सेवी की जाती थी। 45 लाख हैक्टर नई जमीन कृषि के अन्तर्गत लाई गई थी तथा 7 9 लाख हैक्टर भूमि में चक्करन्दी की गई थी। राज्य ने 319 17 लाख १० छृष्टि-कार्यों पर व्यय किये थे। इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न कपास, गम्भा व तिलहन के उत्पादन के कमत्र 11 30 लाख टन, 60 लाख गांडे, 27 लाख टन तथा 64 लाख टन की बुद्धि हुई थी।

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में छृष्टि-कार्यों पर 639 33 लाख रुपया व्यय किया गया। इस योजना के अन्तर्गत छृष्टि-उत्पादन में 32% बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना का काल के ३ वर्षों में न लगभग 3 वर्षों में अवाल की स्थिति रहने के कारण इसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो गया। योजना अवधि में खाद्यान्नों में केवल 11 97 लाख टन की ही बुद्धि हुई। कपास, गम्भा तथा निलहन में भी कमत्र 1 46 लाख गांडे, 61 लाख टन तथा 49 लाख टन की ही बुद्धि हुई, जबकि खाद्यान्न, गम्भा, निलहन व गन्ने के उत्पादन में बढ़ोत्तरी का लक्ष्य कमत्र 16 26 लाख टन, 1 52 लाख गांडे, 1 12 लाख टन तथा 91 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तृतीय योजना के अन्तर्गत 21 30 लाख हैक्टर भूमि ताह पीधों की युक्ति प्रदान की गई। उन्नत बोज एवं यन्त्रों वा भी वितरण किया गया। 1 69 लाख हैक्टर अतिरिक्त भूमि छृष्टि के अन्तर्गत लाई गई तथा 4 20 लाख हैक्टर भूमि ताह दो कम्पोस्ट के उपयोगी भी सुविधाप्रो वा विस्तार दिया गया। 11 72 लाख हैक्टर भूमि पर चरम्बी की गयी। छृष्टि सञ्चालनी विद्या एवं प्रशिक्षण की सुविधाओं वा भी विस्तार किया गया। छृष्टि-वर्षों में विचारी, खाद, भू-रारक्षण आदि सेवाओं पर भी विद्योप ध्यान दिया गया।

तीन वार्षिक योजनाएँ एवं चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना :

राजस्थान की चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना में पहले 43 4 करोड़ रुपये खन्ने करने की व्यवस्था की गयी थी और अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य रखने गये थे। 17 लाख टन खाद्यान्न, 1 62 लाख टन तिलहन, 8 55 लाख टन गन्ना और 1 97 लाख टन

पाट व पत्ते। लेकिन विदेशी सहायता की अनिश्चितता के कारण योजना स्थगित हो गयी और 1966-67 से 1968-69 तक की अवधि में केवल बार्पिक योजनाएँ ही बनाई गईं, जिनका ब्योरा निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

राजस्थान में योजनामत्तर्गत अवय (1966-69)

(लाख रुपये)

संक्षेप	1966-67	1967-68	1968-69	कुल अवय
कृषि नियंत्रण	265.47	394.91	551.15	2011.53
महाकारिता एवं सामुदायिक विकास	245.33	147.47	115.26	508.06
सिन्हाई एवं बिदूत	2943.83	2286.86	3023.88	8254.57
बोग	4054.63	3029.24	3690.29	10774.16

बार्पिक योजनाओं से कृषि की उपज बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम लागू किये गये, जिनमें चक्रवृद्धि, प्रशिक्षण देनदार वा प्रस्ताव कृषि नियंत्रणालाभी का विकास, भरीफ की फसलों में ज्ञार, सभका धार्जना और ताईचु म धान तथा रबी की फसल में मैक्सिमम गहर की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का प्रचलन शामिल था। इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर पोंग बोंध आदि जैसी सिंचाई को छोटी और बड़ी परियोजनाओं को नियंत्रित किया गया। इन उपयोग से 1966-67 से उत्पादन धूमला गो बढ़ि गय प्रकार रही—साधान 52 हजार बीटिक टन नियंत्रण 4 हजार टन, पापांग 19 हजार गांठ और गन्ना 2 लाख टन। इसी अवधि में 4.69 लाख हैक्टेएक्टर अर्तीरक्त जमीन में सिंचाई की भी व्यवस्था हुई। 1966-67 से 42,5000 एक्टर जमीन में अधिक उपज देने वाले बोन बोए गय और 24.3 हजार हैक्टेएक्टर भूमि की चक्रवृद्धि पूरी की गयी। 1967-68 में उत्पादन धूमला से बढ़ि इस प्रकार रही। साधान 2.08 लाख बीटिक टन नियंत्रण 9 हजार बीटिक टन, गन्ना 5 हजार गो—न टन और पापांग 1.5 हजार गांठ। अधिक उपज देने वाले बीजों की बुआई का धर्व बढ़ा न र 4.10 लाख एकाड हो गया। 1968-69 की अधिक योजना में अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य ऊँचे रखल गये हैं परन्तु अकाल की स्थिति के कारण उनके पूरे होने म शक्त है।

बीजी योजना के निवेशपत्र में योजना भाष्यक ने मुझाव दिया है कि कृषि उत्पादन म बढ़ि जी न्यूनतम मिथ दर 3 प्रतिशत मालावा रखी जाए। राज्य सरकार ने जी लाय निर्धारित किये हैं, वे आग वो गई तालिका में दिए गये हैं—

कृषि क्षेत्र के महरपूर्ण लक्ष्य
बृद्धि को दर

फ़र्मल	आधार वर्ष का उत्पादन	प्रतिवर्ष उत्पादन	चौथी योजना में अनिरिक्त उत्पादन	चौथी योजना के अन्त में कुल उत्पादन	उत्पादन
(लाखटन)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(लाख टन)	(लाखटन)	(लाखटन)
खाद्यान्न 64 30	6	32 60	21 00	83 30	
तिलहन 3 30	9	48 40	1 60	4 20	
गन्ना 21 00	6	33 00	7 10	28 60	
लाल गांठ			लाल गांठ	लाल गांठ	
कपास 4 00	8 5	50 00	2 00	6 00	

विभिन्न खाद्यान्नों और व्यापारिक पालतों की उपरोक्त बढ़ियों की प्राप्ति के लिए कृषि कार्यक्रमों के बास्ते 24 03 करोड़ रुपये निष्पारित किये गए हैं। चौथी योजना में पैदावार बढ़ाने वाले वस्तुओं के प्रमुख लक्ष्य निम्न तालिका में दिये जा रहे हैं—

कार्यक्रम	लक्ष्य
अधिक उपज बाले बीजों की कुशाई	45 00 लाख एकड़
उद्वरकों की व्यवस्था का क्षमता	9 65 लाख टन
पौद्य सरकाण उपाय जहाँ लिये गये	125 00 लाख एकड़
भू-सरकाण	5 00 लाख एकड़

नियोजन के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र से उपलब्धिया—

तीनों प्रबन्धीय योजनाओं में राजस्थान में कृषि विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास और सिचाई पर कुल मिला कर 202,74 करोड़ रुपये (कुल वास्तविक व्यय का 54 90 प्रतिशत) हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप हीनी योजनाओं में कृषि विकास की उपलब्धिया इस प्रकार रही—

(क) खाद्यान्न की अतिरिक्त उत्पादन धूम्रता लाभग 26 36 लाख टन बढ़ी है।

(ल) राजस्थान की राष्ट्रीय आप में कृषि तथा उससे सम्बद्ध वित्तिविधियों का दोगदान जो 1954-55 में 40 12 प्रतिशत था, 1965-66 में बढ़कर 46 92 प्रतिशत हो गया।

(ग) 1950-51 में 15.72 लाख हैक्टर भूमि की सिंचाई हो रही थी, जबकि 1965-66 में 30.80 लाख हैक्टर की होने लगी। इसी तरह कुल कृषि भूमि के मुकाबले सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत 9 से बढ़कर 13 हो गया।

(घ) 18.71 लाख हैक्टर से अधिक भूमि में नक्काशी का काम पूरा हो गया।

1966-67 और 1967-68 की वार्षिक घोषणाओं में खेती, सहजारिता और सामुदायिक विकास पर 17.6 करोड़ रुपये तथा सिंचाई और विजली पर 52.3 करोड़ रुपये खर्च हुए। 1968-69 में इन क्षेत्रों के लिए क्रमशः 6.28 करोड़ और 21.19 करोड़ रुपये खर्च गये थे।

विफलताएँ —

इस प्रगति के बावजूद, कृषि ने क्षेत्र में हमें अपनी विफलता दी इन्हीं से स्वीकार करनी होगी।

(1) राजस्थान 15 साल के आयोजन के बावजूद, यातायात के भावले में आनुपानिक नहीं हो सका है। यातायात का अभाव बराबर बना हुआ है और भारत के बचत वाले राज्यों की ओर विदेशों से यातायानों के आयात पर विभंग रहवा पड़ा है। यह देसते हुए कि आवादी का काफी बड़ा भाग खेती ने लगा हुआ है, अभाव की विधिंति एक विडम्बना प्रतीत होती है। यह स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है —

वर्ष	अनुमानित आवादी (लाख में)	खायानों की कुल वास्तविक उत्पादन (लाख टनों में)	कुल वास्तविक उत्पादन (लाख टनों में)	(+) बचत या (-) कमी	(+) बचत या (-) कमी
1961-62	205.1	49.86	54.61	(+)	6.75
1962-63	218.7	50.54	50.48	(—)	0.06
1963-64	212.4	51.28	40.11	(—)	11.17
1964-65	216.2	52.07	53.08	(+/-)	1.01
1965-66	220.4	52.91	37.77	(—)	15.14
1966-67	224.3	53.71	42.55	(—)	11.16

(2) राजस्थान में मुख्य कफलों की पैदावार राष्ट्रीय स्तर से केवल भीष्म ही नहीं है, अल्प विद्युत के उन्नत देशों में होने वाली प्रति हैक्टर पैदावार की एक भीष्माई से पचास भर है। कृषि भूमि के अनुपात में सिंचित भूमि का शेषकल भी अल्प भारतीय स्तर से कम है।

इस निराशाजनक रिपोर्ट में जारी ये हैं —कृषि वर्षा पर निर्भर, पश्चीमों से होने वाली खेती लोकशिय नहीं है। सरजनात्वक दौर समझनात्वक नमिया है तथा कृषि अनुसंधान और कृषि सुविधाएँ अपर्याप्त हैं।

सुझाव :

चौथी पञ्चवर्षीय योजना में हृषि धोध के लिए निर्धारित रक्ष्य प्राप्त बराने के लिए राजस्थान सरकार हृषि विकास कार्यशाला पर निम्नलिखित सुझावों को ध्यान में रखते हुए पुनः विचार करें, ताकि बाहित विकास की गति प्राप्त की जा सके।

(1) राज्य में हृषि विभाग को चाहिए कि वह उदयगुर विद्वविद्यालय के हृषि सबाय के सहयोग से खाती के तरीकों, अधिक उपज देने वाले तथे पौधों को कीड़ों और रोगों से बचाने के उपायों, जल व्यवस्था की विधियों, मम्बढ़ विधाय से प्राप्त अनुभव पर आधित हृषि क्षुत्सघान कार्य वो बढ़ावे। इस अनुसधान कार्य के द्वारा प्रकार से प्रति एक उपज बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। हृषि के लोट-तरीकों में परिवर्तन से अधिक सक्षम विरतार सेवा की माग होगी। इसे सम्भव बनाने के लिए राज्य सरकार वो विश्वा पर पर्याप्त लंबे बरना चाहिए, जिससे हृषि अनुसधान कार्य और विस्तार सेवा के लिए शक्तिशाली लोग मिलते रहे।

(2) राज्य की योजना बनाने वाले अधिकारियों को चाहिए कि वैदाकार बढ़ाने वाली कुछ आवश्यकताएँ जैसे अधिक उपज बढ़ाने वाले दीज, आवृत्तिक रसायनिक खाद, नियाई त्रिपायिक पानी की व्यवस्था, पौधों को रोगों और कीड़ों से मुक्त रखने के लिए बीटताशक दवाएँ प्राप्त कराने। सबसे बड़ी वात यह है कि खनी के गुंधरे हुए गाज-तमाज और ट्रैम्पटर आदि मशीनें किनानों की ओर आधिक संस्थ में उपलब्ध कराई जाय, जिससे वे बड़े पैमाने पर भर्तीनों से खेली हो गके। राजस्थान सरकार को धनी ह मान भादान, मुख्य उपकरण, रुट और दर्दरखो आदि के उपचारों को भी बढ़ाया दना चाहिए। उन उदाहरणों का एक लाभ यह होगा कि औद्योगिक, आशार व्यापक होगा, ये गीजों की बरोजगारी घटगी और होगों की गाड़ी रोक हरह की ओर जाने की इच्छा कम होगी।

खतिहरो को पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में शजहान हृषि निगम, फ्रिस्का यटन इह ही किया जाने वाला है, और सामाजिक विवरण के आधीन वाणिज्य दैनंदिन हमारे विसानों के सीमित साधनों को बढ़ाने में बहुत महायक हो सकते हैं।

हमारी दृष्टि से यदि राजस्थान में हृषि विकास को योजना बनाते समय उपर्युक्त सुझावों की ध्यान में रखकर जाय तो सरकार के लिए विकास की प्रस्तावित बृहि दर का हृषि प्राप्त करना बहिन नहीं होगा। इस प्रकार इस नई वाले राज्य को बचाव वाला राज्य बनाया जा सकता है।

राजस्थान में उद्योग

(Industries in Rajasthan)

राजस्थान में उद्योग (Industries in Rajasthan) राजस्थान भारत-वर्द्ध के अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक क्षमता में पिछड़ा हुआ राज्य है। यद्यपि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल व विभिन्न खनिज प्रबूद्ध मालों में उपलब्ध हैं, और यहाँ के उद्योगपति अपनी योग्यता के लिए विख्यात हैं, यद्यपि इन विद्येपताओं के उपरान्त भी राजस्थान एकीकरण के समय औद्योगिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय राज्य में बहुत कम बड़े पैमाने के उद्योग थे। सात सूती कृषियों की मिलों के अतिरिक्त शृंखला का एकमात्र मूल्य उद्योग लालेरी में सीमेन्ट का ही था। इस प्रकार राज्य में बड़े पैमाने के उद्योग प्रायः नागर्य ही थे। सन् 1949 तक राज्य के समस्त कच्चे माल को अन्य राज्यों के कारखानों के लिए भजा जाता था तथा अन्य राज्यों से बचा हुआ माल मंगाया जाता था। राज्य की औद्योगिक क्षमता भा न हो पता लगाया गया था और न राज्य के औद्योगिक विकास के लिये कोई ठोस कदम ही उठाये गये थे। राज्य के औद्योगिक विकास के लिये बड़े व छोटे, उद्योगों का प्रयत्न आर उचित रीत से सर्वेक्षण द्वितीय पचवर्षीय प्रोजेक्ट के दौरान ही किया जा सका। इस प्रकार राज्य के औद्योगिक विकास का धीमणेव उस समय हुआ, जबकि अन्य राज्यों में उद्योग अपनी स्थिति काफी उजबूत कर चुके थे।

राजस्थान के प्रमुख उद्योग राज्य के प्रमुख उद्योगों का अध्ययन राज्य के औद्योगिक विकास की स्थिति के ज्ञान के लिए परमावश्यक है। अतः अब हम राज्य के कुछ उद्योगों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं-

1. सूती वस्त्र उद्योग :

राज्य के उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस उद्योग के विकास के लिये कच्चे माल के रूप में कपास की आवश्यकता होती है सोमाय-

बहु राजस्थान में छोटे व बड़े बाली कृषि क्षेत्र की पर्याप्ति सेवी है। लम्बी रेत बाली कृषि के उत्पादन के लिये भी प्रयोग जारी है तथा देश के अन्य भागों से भी कृषि क्षेत्र की प्रयोग जारी है। सुस्ते धनिकों की प्रति भी कावशक सहयोग में उपलब्ध है। आम-पाम के क्षेत्र के ही नुस्खे आवासी से व कम मजदूरी पर काम करने के लिए कारबानों में आ जाते हैं। अधिकारी कारबानों में धनिक के साधन के रूप में कोप्पल की कावशकता पड़ती है, जिसे बाहर से भगा कर पूरा किया जाता है। सूती दक्ष उद्योग व विकास के लिये विस्तृत बाजार की मी मुविधा की ज़रूरत होती है। राज्य की विद्यालय, इम उद्योग को बाजार सम्बन्धी बठिनाइयों से भी मुक्त रखता है। जहाँ तक जलवायु का प्रश्न है बाजार सूती उद्योग के केन्द्रित होने से यह बाबा गहरपूर्ण नहीं होती, वयोंकि कृषिय दण में जलवायु को उद्योगों के विकास के अनुकूल बनाया जा सकता है। जिन स्थानों में तृतीय उद्योग का विकास किया जा रहा है, उन्हें गर्ती भूमि व जल सम्बन्धी सुविधाएँ भी प्राप्त हैं।

सूती योजना से बहुत में राज्य में 17 सूती यिले थे, जिनमें 3,09,456 तकूए लग गए हैं। इन कारबानों के अनियन्त्रित राज्य में अन्य कई कारबानों को खोलने की स्वीकृति भी राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है। जयपुर, उदयपुर, चाली, चिंचीगढ़, विजय नगर, कोटा, गगानार में एक एक सूती यिले हैं। भीलबाड़ा और अलवर में 3-3 सूती यिले सूती उद्योगादन में लगी हुई हैं। इन नगरों के बालावा दूगरपुर, हुमायांगढ़, झुजनू, जोधपुर, नोहर, विसोट, अलवर, पौलपुर में भी सूती कारबाना दीक्षित ही सुन्नने वाले रहे हैं। सन् 1970 में सूती उद्योग का उत्पादन 647 लाख मीटर व मूर का उत्पादन 334 लाख किलोग्राम हुआ। सन् 1971 व 1972 में सूती उद्योग का उत्पादन क्रमशः 549 व 497 लाख मीटर हुआ। तापा गुह का उत्पादन 290 व 266 लाख किलोग्राम हुआ। इन उद्योग का दूर्घे माल की निरत्तर पूलि होती रहे। इसलिए राज्य सरकार ने गगानगर, भीलबाड़ा, चिंचीगढ़ व शास्त्रबाड़ जिला में नियंत्रित वी सूतीयोगाओं पर विस्तार करके कृषि के उत्पादन वृद्धि की गोलीहानि किया है। सन् 1971-72 में राजस्थान में 3, 94,000 गोडि कृषि का उत्पादन हुआ।

राजस्थान में सूती उद्योग अपनी वैश्व अवस्था में है। सूती उद्योग का नामने नियन्त्रित गमन्यमाण है। (1) राज्य में केवल देश के कुल हमुओं का 1.4% भाग ही पाया जाता है, जबकि गुवाहाटी, तापिलताड़ु, महाराष्ट्र में क्रमशः 21.3, 23.4 व 25.2% लकड़े खपें जाते हैं। इस प्रकार राज्य में देश के कुल हमुओं की संख्या क्रमशः 26.3, 3.9, 39.7 है। राज्य में केवल 6 बड़ी सूती यिले हैं। अन्य मिलों वा आकार होता है।

(2) राज्य की अधिकारी पुरानी मिलों में मरीने विस चूकी है तथा पुरानी किस्म की है। इनकी उत्पादन दामता कम है।

(3) सूती कपड़ की मिलों को चलाने के लिए राजस्थान में कोषले की कमी है ही। साथ ही बिदुत शिविन का भी अभाव पाया जाता है।

(4) आये दिन हड्डतालों के कारण राज्य के सूती कपड़ों के गिलों के उत्पादन में घाटा उत्पन्न होती रहती है।

(5) राज्य में पैदा होने वाली कपास छोटे रेशे वाली एवं घटिया किस्म की है।

(6) बच्चे गाल की हड्डि से भी राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। राज्य में केवल कपास की 18-19 लाख मठिं ही पैदा होती है, जो राज्य के सूती बस्त्र उद्योग के विकास को देखते हुए अपर्याप्त है। पारखानों की स्थिति की दृष्टि से भी सूती बस्त्र उद्योग का विकास अनुकूल न परिवर्तियों को ध्यान में रख कर नहीं किया जाय है। इन सेनों में कपास का उत्पादन किया जाता है या कपास के उत्पादन में बढ़ि की सम्भावना है, इन सेनों में से वई क्षेत्रों में बभी तक सूती मिले स्थानित नहीं की जायी हैं।

सुशाश्वत् राज्य में सूती बस्त्र उद्योग को विकसित करने के लिए कीद्राति-शाश्वत् कई कदम ठड़ाये जाते चाहिए, यथा (i) उत्तम कोटि की कपास को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। (ii) उद्योग के लिए सभी शिवित के साधन अर्थात् सभी विजली वी व्यवस्था की जानी चाहिए। (iii) पुरानी मिलों में अभीनवीकरण किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में 5 करोड़ हूँ की पूँजी से राज्य द्वारा प्रस्तावित राज्य निगम भृत्यपूर्ण धोषदान दे मिलता है। (iv) राज्य में काते जाने वाले सूत की स्थित के लिए सूती बस्त्र उद्योग से सम्बन्धित अन्य सहायक उद्योग जैसे होजरी उद्योग का विकास विया जाना चाहिए। (v) राज्य सरकार को उद्योग के विकास के लिए उदारतापूर्ण शर्तें व सुविधाएँ दी जानी चाहिए, ताकि राज्य के प्रमुख नदोगपति राज्य के औद्योगिक विवाह के प्रति आकर्षित हो सकें। (vi) राज्य में औद्योगिक शाति की स्थापना के लिए राज्य सरकार, उद्योगपतियों एवं अनिक मरी को मिल कर प्रयाह केरना चाहिए।

2. चौनी उद्योग

राजस्थान में भी गन्ने से ही चौनी बनाई जाती है। गन्ने के अतिरिक्त इस उद्योग के लिए दूध, चूते के पश्चात् य सहज की लालक्षण्यता होती है। सामान्यत गन्ने के बजेन का 9 से 12% भाग चौनी के हप में प्राप्त होता है। राजस्थान में उदयपुर, भरतपुर, भोजपुर, बूदी, चित्तोडगढ़, जालावाड़, लोटा, गगानगर, सवाई माधोगुर तथा टीक में मुख्य गन्ने की खटी की जाती है। राज्य के सभ्यपूर्ण गन्ने

का उत्पादन एक निहाड़ के बज उदयपुर व भरतपुर जिलों में पैदा हिया जाता है। राज्य में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन, अर्थात् 17%, गगानगर में किया जाता है। इस राज्य राज्य में चीनी उत्तरीय भोलवाहा, गगानगर, भौपाल सागर (उदयपुर) तथा विजय नगर (अजमेर) में केन्द्रित है।

तृनीय योजना के अन्त में राज्य में दो चीनी मिले यगानगर व भौपाल सागर में चल रही थी। इनसी बाबिंड अमता कमता 1 हजार मीट्रिक टन एवं 8 हजार मीट्रिक टन है। तृतीय योजना के अन्त में चीनी का उत्पादन 13 हजार मीट्रिक टन था। सन् 1966 ई० में राजस्थान में चीनी का उत्पादन 18 हजार मीट्रिक टन हुआ। सन् 1970 में 28.5 हजार टन चीनी का उत्पादन हुआ। सन् 1971 व 1972 में चीनी का उत्पादन कमता 11 हजार व 10 हजार टन हुआ। मिचाइ वी सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ गन्ने की कलह में सुधार एवं बढ़ि हीनी जा रही है। राज्य के गगानगर, सवाई माधोपुर, बूदी, कोटा एवं भरतपुर जिलों में बोर अधिक चीनी मिले स्थापित किये जाने के मुख्य सर राज्य में विद्यमान हैं। बूदी बिल वे केवल राज्य पाठन नामक स्थान पर सहकारिता के आधार पर निरत मन्त्रिय ने एक चीनी फैक्ट्री स्थापित किय जान की सन्मानना है।

राजस्थान की जलवायु एवं मिट्टी गन्ने की संपत्ति के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। मिचाइ वी सुविधाओं का असाध तथा अपानी कमी के दारण गन्ने के उत्पादन को नहीं बढ़ाव देते। राजस्थान में गन्ने की किसिम मी बन्डों नहीं है। सन् 1961-62 में राजस्थान में गन्ने का उत्पादन 8.1 लाख टन था, जबकि 1963-66 व 1969-70 में इसका उत्पादन कमपश 5.4 व 6.7 लाख हुआ। गगानगर व भौपाल सागर की मिलों में गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा कम्प 9.66 व 9.8% है। गमता बन्डों हाथ व कारण तथा सूखन के कारण चीनी कारखानों की स्थापना गन्ने उत्पादन स्तर में ही उत्पन्न रहती है। राजस्थान में चीनी उत्पादन के विकास की सम्भावनाएँ पर्याप्त हैं। चीनी की मात्रा निरतर बढ़नी जा रही है। मिचाइ वी सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ गन्ने की जलती का मा विस्तार हो रहा है। जल आवश्यकता इस बात की है कि राज्य में या तो बहुमान चीनी मिलों की उत्पादन दमना बढ़ाई जाय अथवा पुर्णे गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में जैस भरतपुर व बूदी में चीनी उत्पादन की नई मिले खोजी जाय। पुर्णे क्षेत्रों में ही 20 से 30 दिन गन्ना पेरन की कमता वाले, खोजी उद्योग के लघु उत्तरीय बारहांसी को भी विकसित किया जाना चाहिए।

३ सीमेण्ट उद्यान

सीमेण्ट उद्योग आधारभूत हजोरों में गम्य स्थान रखता है। सब प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए सीमेण्ट की आवश्यकता पड़ती है। देश के औद्योगिक विकास

के साथ-नाथ इस उद्योग के विकास की भी आवश्यकता है। इस उद्योग के लिए कच्चे मात्र के रूप में चूने के पत्तर (Limestone) व लडिया (Gypsum) की मुहूरत आवश्यकता पड़ती है। कच्चे मात्र को सीमेण्ट में परिणित करने के लिए साधित के साधन के रूप में कोयले की भी आवश्यकता पड़ती है। चूने के पत्तर व लडिया को एक निश्चित अनुपात में मिला कर 2400° फारेनहाइट से 3000° फारेनहाइट ताप भाग वर्ग गर्म किया जाता है। सामान्यत एक बैरल (Barrel) सीमेण्ट बनाने के लिए 120 घोण कोयले की आवश्यकता पड़ती है तथा 2 टन कच्चे गोल के प्रयोग से 1 टन सीमेण्ट प्राप्त की जा सकती है।

राजस्थान में इष समव सीमेण्ट के तीन कारखाने हैं। एक सवाई माधोपुर में है, दूसरा लालोरी (बूदी) में तथा तीसरा चित्तौड़गढ़ में। सवाई माधोपुर का सीमेण्ट का कारखाना देख कर ही नहीं अपितु समस्त गियारा का लुबधे ददा सीमेण्ट वा कारखाना है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 8.49 लाख मीट्रिक टन है। लालोरी के सीमेण्ट का कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3.52 लाख मीट्रिक टन है। सन् 1966 ई० में राज्य में 11.24 लाख टन सीमेण्ट का उत्पादन किया गया। सन् 1965 ई० में तीसरे वा उत्पादन 10.48 लाख टन था। तृतीय पचासर्हीय घोजनाकाल में चित्तौड़गढ़ में सीमेण्ट का तीसरा कारखाना प्रारम्भ किया गया। सन् 1972 में राज्य में 16.14 लाख टन सीमेण्ट का उत्पादन हुआ।

सीमेण्ट उद्योग की समस्याएँ राज्य के सीमेण्ट उद्योग को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना छढ़ रहा है :

- (1) उद्योग को यथार्थ मात्रा में कोयला नहीं मिल पा रहा है। राज्य में ही कोयले वा उत्पादन कम है, बाहर म गी परिवहन व्यव अधिक एवं वर्षमानों वी कमी की समस्या के कारण कोयला पर्याप्त मात्रा में उद्योग वा नहीं मिल पा रहा है;
- (2) इस उद्योग को उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता है, जो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है;
- (3) उद्योग में ग्राम करने के लिए कुशल अभियोग का नभाव है। अभियोग को उद्योग ने गवर्नियर प्रशिक्षण दिलाने की शुद्धियाएँ भी नहीं हैं;
- (4) उद्योग में लाभ का प्रतिवान कम है, अतः बाहु पूँजी इस उद्योग की ओर आकर्षित नहीं हो पाती;
- (5) लालोरी के कारखाने वी गशीनें पूरानी पड़ चुकी हैं, जिनके नवीनीकरण की समस्या है;
- (6) राज्य में इस उद्योग पर गरकारी हस्तक्षेप द्वारे स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयत्ने पेता। सरकार की वितरण व मूल्यों नम्बद्धी नीति समय समय दर बदलते रहने के कारण उद्योग में प्रायः अनिश्चितता वी हिति वी रहती है।

4 शीशा उद्योग

राजस्थान शीशा की रेत के लिए काफी प्रसिद्ध है। शीश की रेत ही प्रबुर उपलब्धि से सामग्री के लिए राज्य से शीशे के उद्योग या विकास किया जा रहा है। इस समय राज्य में शीशे के दो कारखाने हैं, जो भरतपुर ज़िले के घोलपुर नाम स्थापित किये गये हैं। काठा एवं गधक, मेनीज, औंसाइड आदि कच्चे माल की आवश्यकता इस उद्योग को पढ़ती है, जो प्राय घोलपुर के निकट ही उपलब्ध है। कच्चे माल की दृष्टिं पूर्ण एवं दोपहें दी उपलब्धि भी इस उद्योग के स्थिर आवश्यक है। कोयले की पूर्ति प्राय सभ्य प्रदेश न बिहार से भएगा कर की जाती है। घोलपुर के कारखाने में शीशे की बीतलें वैज्ञानिक उत्करण, पश्चात् व अंग विविध प्रकार की शीश वीं बन्तुओं का निर्माण किया जाता है। सन् 1965 व 1966 ई० में राज्य में कम्यु 3,86,000 व 2,88,000 टन शीशे का निर्माण किया गया।

5 नमक उद्योग :

राज्य के बड़े उद्योगों में नमक उद्योग का भी महत्वपूर्ण रूपान्त है। सामाजिक दृष्टि में देश होने वाले नमक का संग्रहण 100% भाग राजस्थान में ही देश किया जाता है। गोभर, झीठवाना, और पचमद्वा ज़ोल नमक उद्योग के लिए, राज्य में प्रसिद्ध थेके हैं। इन शीलों के अतिरिक्त कठीनी, कुचामन, दोपहरण, एवं सुदानगढ़ शीलों से भी नमक बनाया जाता है। सन् 1965, 1966 व 1972 ई० में राज्य में नमक का उत्पादन कम्यु 544.7, 410.8 व 564.5 हजार टन हुआ था।

6 उर्वरक उद्योग :

कृषि विकास के लिए रसायनिक उर्वरकों की मात्रा की पूर्ति के लिए कोटा में एक पारस्पाना खोला गया है। इस कारखाने की प्रति वर्ष लगभग 221285 मीट्रिक टन रसायनिक उर्वरक उत्पादन करते की क्षमता है। सन् 1971 व 1972 में कम्यु 259583 व 254014 मीट्रिक टन उर्वरक का उत्पादन हुआ।

7 जल उद्योग :

राजस्थान उत्तम कोटि के जल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में लगभग 75 मिलियन खड़े पाई जाती है, जिसमें प्रति वर्ष लगभग 29 मिलियन पाउंड जल प्राप्त होती है। राज्य के जूनूनू औ सेवर ज़िले में लक्ष्मा जयपुर, चूरू व नानीर के कुछ नामों में उत्तम कोटि की जल प्राप्ति ही जाती है। दीकोनेर, गयानगर, ओष्ठपुर, बहवर, भरतपुर, उचाई माधोपुर व जयपुर ज़िले के क्षेत्र में लक्ष्म व मध्यम विस्त्र की तथा उदयपुर विविधन में अत्यधिक छटिया किलम वीं जल दाई जाती है। राज्य में पाई

जाने वाली अधिकारा ऊन कालीन बनाने के काम में आती है तथा अन्य राज्यों को भज दी जाती है। ऊन से कुछ अन्य समान जैसे पफलर, कन्बल, चर्सी आदि राज्य में बनाये जाते हैं। सन् 1968-69 व 1969-70 में ऊनका 15.60 व 18.70 साल वर्गे भीड़र ऊन प्राप्त की गई।

8 खनिज पर श्राधारित उद्योग

भारतवर्ष की जस्ता, जिक, एपरेल एवं प्रानाइट की दूर्ति अधिकतर राजस्थान से हो रही है। जिप्सग, सोपस्टोन आदि के भवडार भी राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। डदयपुर के समीय देहारी नामक स्थान पर एक जिक सेलटर समन की स्थापना भी गयी है। कारखाना प्रतिविन दो हजार टन के लगभग छूंगे तथा 18 हजार टन लैनद्वा लाइटिक जिक के उत्पादन की क्षमता रहता है। लतडी में तांदि के विशाल भवडारों का घटुपयोग करने के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक लेन में एक विशाल कारखाने की स्थापना की है।

9 घन्य उद्योग

उष्णयुक्त उद्योगों के अलावा राज्य में प्रयोगशाला यन्त्र, विच बोर्ड औजार, ढेंकसी मीटर्स गृह कार्य हेतु विषुक एवं पानी के सीटर्स, हाईएण्टलो टनक इ. युलेटर्स तथा बी० आई० थार० के बहु बनाने के कारखाने भी राज्य में प्रारम्भ हो चुके हैं। कोटा में कैंटिलायम कारोबाइड नाइलोन तथा रेयन के कारखाने स्थापित किये गये हैं। ये हमी कारखाने नियों क्षेत्र में सरकारी गद्दाम व राहगीर से बलाये जा रहे हैं।

1951 से सन् 1972 की अवधि में राज्य में विभिन्न उद्योगों में उत्पादन ददा है, जिसका परिचय निम्नलिखित सालिका से लग जाता है-

प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि

उत्पादन का नाम	इकाई	1951	1966	1968	1970	1971	1972
1 सीमेट	हजार मोट्रिंह टन	258	1124	1346	1392.5	1398.6	1614.5
2 चीनी	हजार बीट्रिक टन	1.5	18	6	18.5	11.3	10.4
3 सूखी बत्त	लग्ज मीटर	301	625	535	647	549	497
4 चूल	लाल किलोग्राम	120	345	306	334	290	266
5 बालवियरिंग	लाल महाना	—	56	60	71.7	72.6	74.1
6 विजली के मीटर	हजारों मे	—	170	298	556.5	491.4	380.2

1965 में राजस्थान में उद्योगों के वार्षिक भवेशाग के अनुमार 765 कारबाहों में सूचना दी गई। इनमें 63 करोड़ रु. की उत्पादन पूँजी लगी हुई है और औपर देविक रोजगार 72283 व्यक्तियों को मिला हुआ था। कुल उद्पर्जन का मूल्य 47 करोड़ रु. था।

राजस्थान में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में एक विछाड़ा हुआ राज्य है। राज्य के दोसाताहों क्षेत्र के अनेक साहसी उत्पादनपत्रि, देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं और उन्होंने इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परन्तु यह एक अद्भुत विडम्बना ही है कि इन उद्योगपत्रियों द्वारा राज्य का औद्योगिक विकास नहीं विद्या आ सका। राज्य के औद्योगिक विकास के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ जो राज्य की इस पिछड़ी हुई औद्योगिक स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं :

(1) सिचाई के साधनों का अभाव राज्य का अधिकांश भाग रेतीला एवं गूँखा है। वर्षों बीजनियमिता, अवर्षानिता और अनिश्चितता के कारण कृषि विकास नहीं हो पाया है। एक अध्यवसन के अनुमार सन् 1949 से अब तक केवल सन् 1960 के अलावा कोई वर्ष ऐसा नहीं रहा है, जबकि राज्य के कुछ क्षेत्रों को गूँखा और अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किये गये हों और सरकार द्वारा राहत कार्यों पर व्यवहार नहीं करना पड़ा हो। जैसलमेर जैसे दाहर में मात्र वर्ष बी आयु के क्षेत्रों में यह नहीं देखा कि वर्षा कौसे होती है? तीनों पर्यावरणीय घोड़तात्रों में हिचाई को सर्वोच्च प्राविमिकता देने के बावजूद भी तिथियाँ लेने बहुत कम हैं। आज भी कुल कृषित क्षेत्र का केवल 15% भाग ही सिचाई के अन्तर्गत आ पाया है।

सन् 1968-1969 के अकाल ने राजस्थान की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को झकझकार दिया। वित्त के 17 वर्षों में इतना बुरा अकाल नहीं पढ़ा। इन अकाल से लगभग दो दर्जा आवादी तदा बीस लाठा पशु प्रधायित हुए हैं। राजस्थान का आर्थिक विकास उमी समय सम्भव होगा, अवधि निचाई द जल पूर्ति की व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हो जायेगा।

(2) शवित के साधनों की अपर्याप्तता : राज्य में कोयला एवं जल विधुत का प्रयोग साधारणतः शवित के साधनों के रूप में हिया जाता है। कोयले वी सानों की अभाव में इसे विहार राज्य से कोयला मिलाना पड़ता है जो काफी महत्व पड़ता है। कोयला और विधुत उत्तिके अभाव में औद्योगिक विकास नहीं है। यद्यपि गत कुछ वर्षों में जल विच्छृं शवित के विकास की दिग्गजे में कुछ प्रगति हुई है, तथापि राज्य की औद्योगिक बाबूश्कतात्रों के अनुरूप जल शवित उपलब्ध नहीं है।

(3) परिवहन साधनों का अभाव : यहाँ एक लाख की आवादी पर राड़कों की कुल लम्बाई लगभग 150 मोल है जो पर्याप्त नहीं है। परिवहन के साधनों के अभाव में कृषि, उद्योग, व्यापार तथा लोनियों का विकास नहीं होने पाया है। रेल भी राज्य में कम है। बासवाडा जिले के तो किसी भी भाग में रेल नहीं पहुँची है।

(4) कृष्णे माल का अभाव : राजस्थान का अधिकांश भू-भाग महस्तक है, जिसमें कवास, तिळहन, गन्ना आदि व्यापारिक फसलें नहीं उगाई जा सकती। कुछ केन्द्रों में जहाँ वर्षा हो जानी है या तिथाई की सुदिधाएँ उपलब्ध हैं, व्यापारिक फसलें होती हैं; परन्तु राज्य के औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए इनका पोगदान बहुत कम है। फलस्वरूप कृष्णे माल के अभाव के कारण औद्योगिक विकास सम्भव नहीं हो सका।

(5) कुशल अभियों का अभाव : राजस्थान के अधिक सामन्तर अवधीन प्रकृति के हैं। राजस्थान के अभियों गांवों के निवासी होते हैं। वे राज्य के औद्योगिक केन्द्रों में केवल कृषि से प्राप्त अपनी आय से बढ़ावा करने के लिये ही आते हैं। इस सम्बन्ध में जाही अम आयोग (Royal Commission on Labour, 1931) का यह कग्न राजस्थान के अभियों के सम्बन्ध में पूर्णतया चरितार्थ होता है, "यदि औद्योगिक अभियों को गांव में ही मोजन और बन्द प्राप्त हो जाये, तो जापद ही सद्यों में काम करना पसंद करेंगे।" अस्तविकता तो यह है कि अभियों प्राप्त सम्भवत होती है। लाखों और सवाई माधोपुर की मीमेंट फैब्रिरियों में नियुक्त किये गये अभियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के बाद अर्द्ध-कुशल रुप कृशल अभियों के रूप में महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाना है। कुशल अभियों के अभाव में यहाँ उद्योग-सम्बन्धों का समुचित विकास नहीं हो सका है।

(6) सामीण तथा तथु उद्योगों की प्रवाहता : राजस्थान में अधिकांश औद्योगिक कार्यकाल प्राप्तीय तथा तथु उद्योगों तक ही सीमित है। वे उच्चोग परामर्शदात पद्धति के अनुमान चलाये जाते हैं, जिसमें न केवल उत्पादक-लागत अधिक होती है, बल्कि अम, वच्चे माल य समय का अपव्यय भी होता है। ऐसा अनुमान लोपाडा भवा है कि राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त अभियों वी कुल संख्या का 65·2 प्रतिशत भाग घेरलू उद्योगों में स्थान हुआ है, जबकि सम्पूर्ण भारतवर्ष का यह श्रोता 54·5 प्रतिशत है।

(7) केन्द्रीय पिनियोग का अभाव : अम राष्ट्रों के औद्योगिक विकास में केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक सहयोग प्रदान किया है, परन्तु राजस्थान में इस दिशा में केन्द्रीय सरकार ने कोई महत्वपूर्ण सहयोग नहीं किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी

निर्माण योजनाएँ जिनको केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिली हो, वही के बराबर हैं।

31 मार्च, 1966 तक इस राज्य में केन्द्रीय सरकार से बुल दिनियोग का 0.86 प्रतिशत भाग ही इस राज्य को प्राप्त हुआ था, जबकि भव्य प्रदेश को 25 प्रतिशत उड़ीसा को 22 प्रतिशत तथा दग्गल को 17.6 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ था।

(8) कृषक प्रशासन का अभाव राजनीतिकों के आये दिन हस्तक्षेप के कारण प्रशासन अधिक विधिल एवं धृष्ट हो चुका है। प्रशासन की लक्ष्यता एवं अध्याचार के कारण उद्योगपतियों के प्राधना वज्र परम्परा से विचार नहीं किया जाता है और प्राय आर्थिक विकास की अनेक परियोजनाएँ लालफीलादाही के नकार में फस कर नमाम्त हो जाती हैं।

(9) सार्वजनिक क्षेत्र की असहजता भारत सरकार ने मिथित अर्थ-व्यवस्था को अपनाकर यह आशा की थी कि नियोग एवं सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर देश की अधिक प्रगति में दोगदान देंगे। दुर्भाग्यवश हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग आसानुकूल कार्य न कर सके। आज सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत से उद्योग चाटे ने चल रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र की नियायाजनक प्रबलि से एक ओर तो साधनी का दुर्योग हो रहा है और दूसरी ओर नियोग क्षेत्र के साहसियों को अपनी कुशलता दिखाने का कोई मोका नहीं मिलता है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि यदि सरकार ने नियोग क्षेत्र की समुचित प्रोत्पादन दिया होता तो अब तक राज्य की कामय ही पलट जाती और सरकार हाथा किया गया अपर्याप्त न हो पाता।

राजस्थान के कुटीर तथा लघु उद्योग

(Cottage and Small Scale Industries of Rajasthan)

राजस्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उद्योगों के लिए विद्यात रहा है। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उद्योग कठाई व बुनाई रहा है। साड़ी-उत्पादन का राजस्थान एक महत्वपूर्ण केन्द्र माना जाता है। यहाँ के लगभग घरेलू उद्योगी में लगड़ा कमाई, सानी तेल, रसो बनाने, कम्बल बनाने आदि के उद्योग प्रमुख हैं। राजस्थान के दून उद्योगों में इस्ता उत्पादन भी घरेलू उद्योग के बर्ग में जाता है।

राजस्थान के प्रमुख घरेलू उद्योग निम्नलिखित हैं-

1. घरेलू वस्त्र उद्योग (Textiles) यह सबसे पुराना उद्योग है और सभी गोदों में समान रूप से लगाया जाता है। इस उद्योग में गाँवों के बिनिकाश व्यक्ति लगे हुए हैं। इस उद्योग के हारा केवल मोटे कपड़ का ही उत्पादन नहीं किया जाता,

बल्कि सु दर रेशमी साडियों का भी उत्पादन किया जाता है। मधुरिया कपड़ तथा गोटा की साडिया और बरी पहने इतने आँपक होते हैं कि उन्होंने इम घरेलू उद्योग की प्रतिष्ठा को बनाये रखा है। जयपुर तथा उदयपुर में पश्ची के लिए सु दर मलमल तंयार की जाती है।

2 छपाई व रसाई कपड़ों की रगाई तथा छपाई का काम मावो तथा शहरों-दोनों ही जगह किया जाता है। चाहोरे में फूहार रोगन (Spray printing) का प्रयोग किया जाता है। पक्के रग की छपाई बहुत ही अकृपक होती है। सागानेरा की छोट या चमाई पक्के रग तथा 'डिजाइन' के लिए विस्थात है। जोधपुर की चुनरी तथा साफ्फा उदयपुर का लहरिया, बाडमेरी धोता तथा पर्दे इम उद्योग की ही देन हैं। बघव का काम केवल फहरो में ही किया जाता है। यह उद्योग जयपुर, सीकर, लुङ्नु तथा जोधपुर में प्राय मुख्यमान कारीगरों के हाथों में ही है।

3 बरी तथा निवार राजस्थान की दरियाँ अधिक टिकाल, छ-छी किस्म तथा पक्के रग बी होती हैं। दरियाँ तथा निवार प्राय जलों में ही तंयार कराये जाते हैं।

4 गोटा उद्योग गोटा सुनहरा तथा लपहला होता है या उसमें दोनों रगों का सिंचन होता है। यह बादला सोने या चाढ़ी के लार से तंयार किया जाता है। सोने या चाढ़ी के लार का गोटा हाथ से हथ करके द्वारा तंयार किया जाता है। गोटा नकली या असली दोनों ही प्रकार का होता है। जयपुर का गोटा पूरे देश में विस्थात है। गोटा विर्माण का दूसरा केंद्र जोधपुर भी है।

5 चमड़ा तथा फल्ट (Nawdas and Fells) हितीय विश्व युद्ध के पूर्व नमदा तथार करने का काम गाँवों में किया जाता था परन्तु युद्ध काल में ही शहरों में भी इमका उत्पादन हिया जाने लगा। इसके उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर हैं।

6 चमड़ा उद्योग चमड़ा कमाने का घरेलू उद्योग क्षब भी अधिकतर गाँवों में ही चल रहा है। यहा चमड़ा कमाने का काम पुराने तरीकों से किया जाता है। खातब में राजस्थान का चमड़ा जागर तथा मधुरा भज दिया जाता है जहां उसकी कमाई आधुनिक तरीके हैं जी जाती है। देशी जूते गाँवों में ही तंयार किये जाते हैं। कमानार जूतियाँ जोधपुर तथा जयपुर में तंयार की जाती हैं। जालोंर में भीनमाल भी ऐसी जूतियों का एक बच्चा उत्पादन केंद्र है। जोधपुर में चमड़े के कामशार थेले भी तंयार किये जाते हैं।

7 कापाज हाथ से कापाज सामानेर सदाई माधोपुर उदयपुर तथा कोटा

मेरे तैयार किया जाता है। यह एक सुराना घरेलू उद्योग है। ग्रामनेर मेरे पहले उद्योग जयपुर राज्य के दारकान के कारण ही बनवा है।

8. कागज की लुगड़ी के लिलोने (Papier Mache) - कागज की लुगड़ी से अनेक प्रकार के खिलोने तैयार किये जाते हैं। इस उद्योग के मुख्य केन्द्र चाराई भाष्टोपुर तथा उदयपुर है।

9. समरमर पट्टर का काम समरमर से अनेक वस्तुओं तथा मूर्तियों का निर्माण जोपुर, सामनोर, उदयपुर तथा रिलदेव मेरे किया जाता है। दूसरे पुर, घरेलू वस्तुओं, जैसे—प्यासे, छक्का, बेलन आदि का निर्माण किया जाता है। दूसरे आकार की सफेद समरमर की भूतियाँ जोपुर तथा मवराना मेरे तैयार की जाती हैं।

10. साल की चूड़ियाँ इस उद्योग का प्रमुख केन्द्र जयपुर है। यहाँ बहुत ही सुन्दर तथा कलात्मक चूड़ियाँ तैयार की जाती हैं, जिनको काफी अधिक माप है। सवाई भाष्टोपुर, लाडला, जयपुर तथा उदयपुर मेरे सुनहरी बानिया और लकड़ी के से (Lacquer) खिलोने, भोजड़ही दान, फूलदान, बिजली के लैप्प आदि भी बनाये जाते हैं।

11. हाथोन्दात तथा चन्दन की लकड़ी का काम यह भी जयपुर की विद्यपता है। वे दोनों वस्तुएँ (हाथोन्दात तथा चन्दन की लकड़ी) मैसूर से प्राप्त की जाती हैं और यहाँ इनसे अनेक सुन्दर और कलात्मक वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। पाली तथा जोपुर इन वस्तुओं के निर्माण केन्द्र हैं।

12. मिट्टी के नीले तथा सफेद बर्तन इन प्रकार के बर्तन जयपुर मेरे बनाये जाते हैं। यहाँ इनके बनाने के लिए कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। फूलदान, कटोरे तथा बान्ध इसी प्रकार की सुन्दर वस्तुएँ यहाँ तैयार की जाती हैं।

13. पीतल का दाम जयपुर पीतल की सुन्दर और कलात्मक वस्तुओं के लिए विद्यपता है। नावद्वारा तथा प्रदापगढ़ मेरे भी पीतल पर 'हनेमल' का काम किया जाता है। इस उद्योग मेरे हजारों श्रमिक काम करते हैं।

खादी तथा ग्राम उद्योग

सन् 1957 मेरे अधिकारी भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग (All India Khadi and Village Industries Commission) ने अपना अधीक्षण कार्यालय जयपुर मेरे स्थापित किया था। राजस्वान चरकार ने भी अपनी 'राजकीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड' स्थापित किया है। तेल, चमड़ा, गृह खाद्याली, ताढ़—बूढ़, साबुन भ्रष्टमब्दी पालन, आठान्चकड़ी, हाथ से बना कागज आदि घरेलू उद्योगों को यह बोर्ड समर्थन समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 1970-71 में इन उद्योगों की उत्पादन मात्रा नीचे ही रथी रुपियों में दी गयी है।

प्राम-उद्योग उत्पादन-मात्रा व सूल्ह

उद्योग	उत्पादन की इकाई	(उत्पादन 1970-71)	
		परिमाण	मूल्य, ००, ०० रु.
1 धानी देल	फिबटल	29577	14,450
2 गुड़ व खाद्यारो	,,	67053	5,845
3 हाथ का बना कागज	कि० प्राम	2329	789
4 अशादा तेल	,	7511	1,923
5 भिट्ठी के बर्तन	सरल्या	N A	1599
6 मधुमधु धालन (शहद)	कि० प्राम	250	3 54
7 हाथ से कुटा हुआ चावल	फिबटल	8126	851

लघु उद्योग (Small Scale Industries)

राजस्थान में निम्नलिखित लघु उद्योग निर्मिन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं।

राजस्थान के लघु उद्योग

उद्योग	राजस्थान, जहा पर ये स्थित है
1 इन्लीनियरिंग	बदगुर तथा जोधपुर
2 छोटे बगाने वाली कैंटरियाँ	जोधपुर तथा कालना
3 रहर फैक्टरी	कोटा
4 साकुन फैक्टरी	मधी वस्तों तथा नमरों में
5 रासायनिक उत्पादन तथा धौधर्य- निर्माण	, , , "
6 कारेट फैक्टरिया	बीकानेर तथा जोधपुर
7 उन्द-दाव की फैक्टरिया	उदयपुर
8 फलमा तथा गोदा फैक्टरिया	बदगुर
9 चावल मिले	गणगानगर, विजयनगर तथा हिन्दोप
10 शोबरी फैक्टरी	जयपुर तथा भीलवाडा
11 शनिय फैक्टरी	दौसा।

उपर्युक्त उद्योगों के विकास के लिए योजनाकाल में पर्याप्त आविष्क राज्यालय प्रदान की गयी। राजस्थान की अधिक धूधवर्ती योजना में 32.50 लाख रुपये देनी

रियसेतों में चल रहे लघु उद्योगों के पुनर्संगठन के लिए प्रदान किये गये थे। योजना-काल में सार्वजनिक लेप के अन्तर्गत दोई महत्वपूर्ण लघु उद्योग नहीं स्थापित किया गया।

हिसीय योजना काल में लगभग 2,000 वर्षी लघु औद्योगिक इकाइया स्थापित की गयी। इनमें से 640 इन्जीनियरिंग उद्योग, 62 लोहमय वापारभूत धातुओं के उद्योग, 150 रासायनिक उद्योग तथा 1,100 से अधिक साबुन, आदि की इकाइयाँ थीं। इन योजना-काल में 56-83 लाख लघु, ग्राम, हाथ-करघों तथा दस्तकारी उद्योगों पर व्यय किये गये। कार्यशील पूँजी, कच्चा माल खरीदने, भूमि, भवन तथा मशीन के लिए घटण आदि के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। कई नगरों में औद्योगिक वस्तियाँ उत्पादित की गयी। सरकार ने इन उद्योगों को उम्मेदवाले पर अनुदान (Subsidy) भी प्रदान किया गया। कई स्थानों पर प्रयोक्तण केन्द्र तथा नगरों में विक्री केन्द्र भी खोले गये।

तीव्र योजना काल में इन उद्योगों के लिए 260-24 लाख स्थानों की राशि निर्धारित की गयी। इस योजना के अन्तर्गत पचासवट सुविधाओं के अन्तर्गत सामान्तर सुविधा केन्द्रों को स्थापित करने की योजना चालू की गयी। अब तक एम् 27 केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं।

राजस्थान मरकार ने 59 लाख हपयों की लागत से 11 औद्योगिक वस्तियों का निर्माण किया गया है जिसकी अधिकृत पूँजी 25 लाख रुपये है। इह निर्माण द्वारा लघु उद्योगों की व्याकृतकानुसार कच्चा माल प्राप्त किया जाता है तथा उद्योगों पूर्ति से आती है। यह निर्गम विषयम सम्बन्धी सुविधाएँ भी प्रदान करता है।

राजस्थान मरकार ने 59 लाख हपयों की लागत से 11 औद्योगिक वस्तियों का निर्माण किया है। 5 लाख स्थगे डिजायन विहार केन्द्र (Design Extension Centres) स्थापित करने के लिए प्रदान किये गये हैं। एक्स 16 केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। दस्तकारी उद्योगों के डिजाइन के किस्म निर्धारण की योजना भी कार्यी चिह्न की गयी है। केंद्रीय सरकार की सहायता से 330 लक्षिं द्वारा बढ़ावे वाले करघे (Powerlooms) लगाये गये हैं। ऐसे 1,100 करघे लगाने की योजना है। नायोट तथा चूर्छ जिलों में लघु उद्योगों के गहन विकास की योजना बनायी गयी है। इस कार्य के लिए 20 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं।

राजस्थान वित्तीय बिगम (Rajasthan Financial Corporation) ने जिसकी स्थापना 1955 में की गई, अपनी स्थापना के समय से लेकर अब तक 848 इकाइयों को 17,52 करोड़ रुपए की साथ प्रदान किया है, जिसमें से 519 करोड़ रुपए ही साथ 414 इकाइयों की विगत दो वर्षों, अर्थात् 1971 व 1972, में

प्रदान की गई। इन् 1960 से 1972 के मध्य इंडोनिशा-पाहुसियो को लघु-उद्यागों के लिए 5 54 लाख रुपए का क्रूण प्रदान किया गया। अधी हाल ही में एक याजना चालू की गई है जिसके आधीन वारीगो को नाम मात्र की बाज दर पर कच्चा माल, ओजार, ग्रामायनिक पदार्थ आदि सरीदाने के लिए क्रूण सुविधा प्रदान की गई है। राज्य सरकार लघु उद्याग को श्रोतमाहन देने के लिए जूगीकर, विशेषकर आदि में भी छूट प्रदान कर रही है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य सरकार ने लघु तथा ग्राम उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया है।

सन् 1966-67, 1967-68 व 1968-69 में क्रमशः 14.76 लाख, 43 51 लाख तथा 59 33 लाख रुपए बृहत् एव मध्यम उद्योगों के विकास के लिए व्यय किए गए। आमील एव लघु आकार के उद्योगों के विकास के लिए इसी अवधि में क्रमशः 11 48, लाख रुपए, 8 57 लाख रुपए तथा 11 38 लाख रुपए व्यय किए गए। इस प्रकार 1966 से 1969 वी अवधि में बृहत् एव मध्यम आकार के उद्योगों पर हुल मिला कर 149 03 लाख रुपये व्यय किए गए।

चतुर्थ योजना के प्रथम वर्ष में अर्थात् 1969-70 में बृहत् एव मध्यम आकार के उद्योगों के विकास पर 45 96 लाख रुपए तथा बुटीर एव लघु-उद्योग पर 10 48 लाख रुपए व्यय किए गए।

जो दिना किसी तैयारी तथा पूर्व विवार के बनायी गयी थी। इस योजना का समाचार उद्देश्य जल्दी में निर्धारित की गई प्रजोगनाओं (Projects) तथा योजनाओं का आवाहन तैयार करना था, क्योंकि यह योगना राज्य के वित्तीय साधनों का अनुभव लगाये बिना ही तैयार की गयी थी। यही कारण है कि जबकि अन्य राज्य अपनी प्रथम योजना की क्रियान्वयन करने में लगे हुए थे, यह राज्य केवल उपर्युक्त समस्याओं के समाधान में व्यस्त था। अत राजस्थान की प्रथम पचवर्षीय योजना मार्बंजनिव वित की बुँद निश्चित परियोगनाओं का ही सामूहिक रूप था, जिसे भाविक नियोजन की भूमिका कहना असंगत न होता।

1 प्रथम पचवर्षीय योजना (1951-1956)

राजस्थान की प्रथम पचवर्षीय योजना का उद्देश्य प्रमुखन राज्य तथा लोगों को प्रारम्भिक या आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मात्र ही जाप, न कि राज्य की आव तथा लोगों की मार्बंजनिक सुविधाओं में बढ़ि करना। प्रारम्भ में (वर्ष 1951-52 में) इसके अन्तर्गत विषय का प्रावधान 15 26 करोड रुपये के बराबर निर्धारित किया गया था, परन्तु वर्ष 1955-56 में इसे बढ़ा कर 27 68 करोड रुपये कर दिया गया। इससे दिनों पचवर्षीय योजना को प्रारम्भ करने के लिए आधार नैयार करने में सहायता मिली।

उपर्युक्त प्रावधान में भास्तवा तथा चम्पल की उहुउद्देशीय प्रायोजनाओं के लिए निर्धारित रकमे गम्भीरता नहीं बी गयी थी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा सचालित योजनाओं के लिए 37 22 करोड रुपये का प्रावधान भी किया गया। इस प्रकार प्रथम पचवर्षीय योजना में कुल ०५३ का प्रावधान 64 50 करोड रुपये के बराबर था, जो राष्ट्रीय योजना के 2 7 प्रतिशत के बराबर था। इस निर्धारित प्रावधान में से बास्तव व विषय 54 14 करोड रुपये के बराबर ही किया गया, जो नियोजित प्रावधान व ४४ प्रतिशत के बराबर था। दिकाम कार्यक्रमों के लिए निर्धारित रकमों का पूरी तरह स प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय राज्य मरकार आयिं नियोजन व कार्यक्रमों को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार नहीं थी।

प्रथम पचवर्षीय योजना में निर्धारित प्रावधान तथा वास्तविक व्यय का स्पौरा भासे दी भवीतानि हार में दिया गया है-

प्रथम पचवर्षीय योजना में प्रावधान तथा व्यय का विवरण

(करोड रुपयों में)

दात्र	प्रस्तावित प्रावधान	प्रस्तावित कुल प्रावधान का प्रतिशत	प्रस्तावित व्यय	कुल आस्तविक व्यय वा प्रतिशत
1 कृषि तथा यामन विवाद	6 64	10 29	6 99	12 92
2 मिनाई	29 84	46 25	30 24	55 86
3 गविन	9 58	14 86	1 23	2 27
4 उत्तोग तथा स्वनत	1 55	0 83	0 46	0 85
5 सड़क	6 27	9 72	5 05	10 25
6 नामाजिक सरबाए	11 06	17 16	9 12	16 84
7 दिविध	0 56	0 87	0 05	1 01
गोग	64 50	100 00	54 14	100 00

2 द्वितीय पचवर्षीय योजना (1956-1961)

राजस्थान में आस्तविक आर्थिक नियोजन का युग द्वितीय पचवर्षीय योजना से ही प्रारम्भ होता है। प्रथम पचवर्षीय योजना के पास वर्षों में तो केवल कुछ ऐसी आवश्यक दण्डाज्ञाके निर्माण करने में ही सफलता मिली थी जिनके आधार पर भारतीय विकास कायक्रमों को प्रारम्भ किया जा सकता था तथा उनके विस्तार की योजनाएँ बनायी जा सकती थीं। प्रथम योजना काल में प्राप्त अनुभव के आधार पर ही एक दृढ़ी तथा अपेक्षित साहसी द्वितीय योजना तयार की गयी। राजस्थान के साइंस जनिक विकास कायक्रमों के लिए इस द्वितीय योजना में 105 21 करोड रुपये का 2 3 प्रतिशत ही था। इस प्रकार जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की द्वितीय योजना के लिए भी किया गया आनुपातिक प्रावधान अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही था। द्वितीय योजनाकाल में आस्तविक व्यय 102 74 करोड रुपये वे बगावत ही हुआ जो प्रस्तावित प्रावधान का 97 60 प्रतिशत ही था। इस व्यवहार में प्रतिशत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि द्वितीय योजना काल में आर्थिक नियोजन की प्रगति पहली योजना की अपेक्षा सतोषजनक थी।

प्रावधान तथा बास्तविक व्यय वा विवरण

(करोड रुपयों में)

योजना	प्रमाणित प्रावधान	बास्तविक व्यय
प्रथम पचवर्षीय योजना	64 50	54 14
द्वितीय पचवर्षीय योजना	105 27	102 74
तृतीय पचवर्षीय योजना	236 00	212 63
गां	412 77	369 51

महत्वपूर्ण क्षेत्रों ने विकास

राजम्यान में 15 वर्षों के आधिक नियोजन ताल में निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अत्यधिक विकास हुआ है

(i) तिचाई तीनों योजनाओं में मिला कर मिचाई पर 369 51 करोड रुपये में से 129 66 करोड रुपये केवल सिपाइ पर व्यय किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लिपित क्षेत्र 11 74 लाख हेक्टर (1950-51 में) से बढ़ कर गृहीय-पचवर्षीय योजना के अन्त में 20 80 लाख हेक्टर तक पहुँच गया है।

(ii) शक्ति शक्ति के साधनों पर कुल व्यय की गयी रकम 55 02 करोड रुपये के बराबर है। वर्ष 1950-51 में विजली उत्पादन लम्हा 7 48 मेगावाट थी, 1967-68 में वह बढ़ कर 163 मेगावाट हो गयी। वर्ष 1950-51 में केवल 32 विजली पर थ तथा 112 स्थानों वो ही विजली की सुविधाएं प्राप्त थीं। परन्तु 1967-68 में विजली परों की सहाय बढ़ कर 70 हो गयी तथा 1,837 रुपानों को विजली की सुविधा प्राप्त होने लगी। प्रति वर्षित विजलों का उपयोग भी 1962-66 तक 3 06 किलोवाट से बढ़ कर 15 37 किलोवाट हो गया।

(iii) सामाजिक सेवाएं तीनों पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक सेवाओं के द्वेष पर 75 46 करोड रुपये व्यय किए गए, अर्थात् कुल व्यय का 20 42 प्रतिशत अन्त विकास, विकिरण तथा श्रम कर्त्त्वात् की विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करने वाला उत्तरी सुविधाओं के प्रिसार पर व्यय किया गया। इससे विकास तत्वाओं की संख्या 6,026 (वर्ष 1950-51 में) से बढ़कर 32,826 (वर्ष 1962-66 में) हो गयी। विकिरणालयों नवा डिस्पेंसरी की संख्या सी 366 से 535 हो गयी। जल पूर्ति की योजनाएं भी 72 धारीण तथा घट्टरी केन्द्रों में पूरी तरीका जा चुकी हैं। राजधानी में वीन विद्युतिकालय, 5 मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज,

५ कृषि क्षेत्र व स्थापित किये जा चुके हैं। पचासवीं राज्य सम्मानों के विभिन्न सदस्यों को मानवाधिक विकास एवं पचासवीं राज्य सम्मानों के अधिकार, वर्तम्य एवं उत्तरदायित्व का ज्ञान कराने के लिए 10 स्थानों पर पचासवीं राज प्रशिक्षण केन्द्र बांध कर रहे हैं। विस्तार सेवाओं के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किये गये। राज्य में 5 ग्राम-सेवक प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

पशु पालन क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया गया। बीकानेर में पशु-पालन महाविद्यालय में स्नातक स्तर तक विकास प्रदान की जाती है। राज्य में मछली-पालन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना उदयपुर में की गई है। जोधपुर में उन प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया है। उन विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 2 वन-गाल प्रशिक्षण विद्यालय अलवर व बौसवाडा में चालू किये गये हैं।

(11) कृषि राजस्थान में आदिक नियोजन के फलस्वरूप इन 15 वर्षों में कृषि उत्पादन में आशानीत वृद्धि हुई है। तीन पचवर्षीय योजनाओं से कृषि कार्यक्रमों पर 73.09 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं जिससे राजस्थान अज सालानों का नियति करने के लिए समर्थ है। प्रथम योजना के अन्त में यहा खाद्यान्तों की उत्पादन मात्रा 41.7 लाख टन थी, द्वितीय योजना के अन्त में 44.81 लाख टन थी तथा तृतीय योजना के अन्त में प्रतिकूल प्राकृतिक कारणों से यह शोटी घटकर 44.69 लाख टन ही रह गयी।

कृषि क्षेत्र में किये गए प्रयत्नों के फलस्वरूप राज्य में प्रतिकूल प्राकृतिक कारणों के दबावजूद भी कृषि उत्पादन में वृद्धि हुयी है, जैसे कि नीचे दी गई तालिका में दर्शन है।

कृषि-उत्पादन में वृद्धि

(चार साल के उत्पादन के औसत के आधार पर)

पर्याय	इकाई	1952-53 से	1957-58 से	1962-63 से
		1955-56 तक आदिक औसत उत्पादन	1960-61 तक पार्यक औसत उत्पादन	1965-66 तक आदिक औसत उत्पादन
खाद्यान्त	लाख मीट्रिक टन	30.88	46.37	45.40
तिलहन	2.06	2.12	2.61
कपास	लाख ग्राहं	1.32	1.64	1.74
गेहूं (गुड)	लाख मीट्रिक टन	1.45	0.69	0.74

मीन राजस्थान सरकार, तृतीय पचवर्षीय योजना प्रतिवेदन, 1961-66

1 सूती-वहन उद्योग तृतीय योजना में राज्य में 17 नूत्री मिलों की शक्ति 3,09,456 की हो गयी। भीलदाढ़ा, भवानी मण्डी तथा चिश्हनगढ़ में नयी मुखी मिलों द्वारा पित की गयी। गगानगर, भीड़बाड़ा, चित्तोदगड़ एवं झालावाड़ जिलों में पिचाई सुविधाओं में वृद्धि होने से कपास के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि होती है, जिससे इस उद्योग के विकास की परामित बाधता राज्य में है।

2 चीनी उद्योग तृतीय योजना के अन्त में राज्य में दो चीनी मिले द्वी गगानगर व भीपाल सामर में स्थित हैं। तृतीय योजना के अन्त में चीनी का उत्पादन 13 हजार मैट्रिक टन था। निचाई सुविधाओं के विस्तार से गज्ज में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि होती, जिससे गगानगर, मवाई माधोपुर, बूदी कोटा एवं भरतपुर जिलों में अधिक चीनी मिले स्थापित दी जा सकती हैं। बूदी जिले में केशवराय पाठन स्थान पर महाराजिता के आधार पर भी एक चीनी कंस्टर्ट्री न्यायिता बरते की योजना दतायी गयी है।

3 सीमेट उद्योग राज्य में नीमेट वी पुराणी कंस्टर्टिया रावाई माधोपुर तथा लाल्हरी (बूदी) में है। एक मोमट फैक्ट्री चित्तोदगड़ में भी तृतीय योजनावाल में शुरू की गयी है, जो सन् 1968-69 से चालू होई है। इन दीनों कारखाना का नामिक उत्पादन 14 लाख टन है।

4 उर्वरक रासायनिक उर्वरकों की माग की गूर्ति के लिए कोटा में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त हो गया है। इस कारखाने की उत्पादन-शक्ति 2,21,285 मैट्रिक टन होगी।

5 खनिज पर आधारित उद्योग राज्य ने अपने खनिज भण्डारों के समूचित प्रयोग द्वारा अपनी व्यवस्था को दृढ़ बनाने के प्रयास किये हैं। खनिज पर आधारित उद्योग निधन न्यायों पर स्थापित किये गये हैं-

(i) उदयपुर के पास देवगारी नामक स्थान पर ज़िक्र जोधपुर (स्मेलटर) यत्र।

(ii) खेतड़ी में भारत सरकार द्वारा सर्वजनिक क्षेत्र में ताबा औरक कारखाना (कापर स्मेलटर)।

6 अन्य उद्योग राज्य में विशृंत उत्पादन में वृद्धि होने से राज्य में अन्य कई उद्योग भी स्थापित जिये गये हैं, जैसे

(i) कोटा नगर वैत्तियम कार्बाइड, नाइलोन (जै० के० सियेटिव्स) एवं रेल (रेल लिमिटेड के कारखाना), अणुशक्ति का विद्युती घर, केबल तार (Oriental Power Cables) तथा साइ फैक्टरी।

(ii) डीडाना (नगोर) सोडियम सल्फट का कारखाना।

(iii) धीनपुर दी शीता फैक्टरी।

- (i) भरतपुर : रेल वैगन फैब्रिरी ।
- (ii) जयपुर : (i) पाती के मीटर वा कारखाना, कॉमटन फैब्रिरी ।
(ii) विद्युत-मीटर वा कारखाना, जयपुर मेटल्स तथा
इलेक्ट्रिकल्स ।
(iii) इंजीनियरिंग के सामान - मान इण्डस्ट्रियल ।
- (iv) दाल विद्यरिंग नेशनल इंजीनियरिंग वर्क्स ।

7 ग्रामीण तथा लघु उद्योग . बड़े उद्योगों के विकास के साथ-साथ राज्य में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। राज्य के नागीर एवं चूक जिलों में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं भी तृतीय योजना में प्रारम्भ की गयी। लघु उद्योग में वा निराम भी लघु संस्थाओं के लिए बहुत रामबद्ध सिद्ध हुआ है। इन उद्योगों को विकसित करने की दिशा में 11 औद्योगिक वस्तियों का निर्माण किया गया है, जिनकी स्थापना जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, सुमेरपुर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, भीलवाहा, नालायपुरा (अजमेर), भरतपुर एवं कोटा जैसे की गयी है। इन वस्तियों में 379 उत्पादन केंद्र (शैद्धम) का निर्माण किया गया है, उनमें से 310 शैद्धम बाट दिये गये हैं व 229 में उत्पादन-कार्य प्रारम्भ हो गया है।

औद्योगिक विकास के लिए यह विभिन्न उपर्युक्त प्रयासों के परिणाम-स्वरूप यह आशा ही जा सकती है कि राज्य औद्योगिक हाफिर से विकसित होकर अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुहृद करने में सक्षम हो सकेगा।

3 वार्षिक योजना (1966-67)

मन् 1966 में तृतीय पञ्चवर्षीय योजना की समाप्ति पर देश में व्याप्त आपत्तिकालीन स्थिति के कारण घुटुंगे पञ्चवर्षीय योजना को स्थगित करना पड़ा। योजना आयोग ने, जब तक नवुर्धे पञ्चवर्षीय योजना को चालू करने से लिए अनुचूल परिस्थितियाँ नहीं हो जाती, उस समय तक चार्टर्ड योजना का समाप्तन ही देश के लिए हितकर समझा। राज्य सरकार को प्राप्त बादेशानुसार राजस्थान के लिए भी 1966-67 को वार्षिक योजना तैयार की गयी तथा इस वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य कार्यालय के लिए प्रारम्भ में 76 66 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था जिसे बाद में बढ़ा दर 46 87 करोड़ रुपये कर दिया गया।

वर्ष 1966-67 में सर्वाधिक प्रावधान चित्तार्दि एवं विद्युत सेवा के लिए रखा गया था। इस क्षेत्र के लिए 29 72 करोड़ रुपये वा प्रावधान रखा था, जो कि कुल प्रावधान की राशि का 60 81 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सेवाओं

वार्षिक योजना 1967-68 में प्रावधान एवं व्यय का विवरण

(करोड रुपयों में)

ग्रन्थ	प्रावधान	व्यय
1 कृषि कार्यक्रम	6 19	5 91
2 जलविभागिता व सामुदायिक विकास	1 47	1 47
3 विचार्ह एवं शक्ति	24 07	22 87
4 संदोग तथा दूतान	0 95	0 73
5 यातायात एवं संचार	1 25	1 29
6 मानविक सेवाएँ	9 18	7 14
7 विविध	1 54	1 42
योग	43 65	39 88

वर्ष 1967-68 में सरकारी आवधान सिवाई एवं शक्ति को रखा गया था। इन धन्त्र के लिए 21 82 करोड का प्रावधान रखा, जो कि कुछ प्रावधान वीर राशि वा 55 95% है। भारत में हृति आन्ति (Greens Revolution) के सुझावमें के माध्य राजस्थान में यदन खेती कार्यक्रम को विस्तृत तरफे पहार पर भी कृषि की प्रति एकड़ लप्त घ बृद्धि के लिये जानित प्रारम्भ की गई। योजना में कुल 39 27 करोड रुपय हुए विसमें सरकारी व्यय मिवाई एवं शक्ति पर 22 85 करा, तुमा जो कि प्रस्तावित व्यय से 1 03 करोड रुपय अधिक था।

उपचालितर्या

आधान 20 8 लाख मीट्रिक टन, तिलहग 9 हजार मीट्रिक टन, गना 5 हजार मीट्रिक टन और कपाय 15 हजार गाड़, उत्पादन खमता से बढ़ि हुई। अतिक उपज देने वाले दो जीं की बृद्धाई का क्षेत्र बढ़कर 4 010 लाख एकड़ हो गया। चूरू तथा लालू ने दो जीं जीं की बृद्धाई मिले लगाई गयी, इसके माध्य है। बीजोगिक विकास के लिए सहकारी बीनी मिल व सहकारी स्टिनिंग मिल भी लगाई गई। वर्ष 1967-78 में 100 वर्सिनो तक 4000 कुओं का विद्युतीकरण हिया गया। 1967-68 में 264 किलो मीटर साइको का निर्माण हुआ। वर्ष 1967-68 के अन्त तक 81 लाख जन प्रशाय की योजनाएँ तय। 169 लाख जन प्रशाय की योजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं। विभिन्न जातियों के विवरण के अन्तर्गत 16,000 छात्रों को छात्र-बृद्धियों से लाभान्वित किया गया।

आधिक योजना 1968-69

राजस्थान की आधिक योजना 1968-69 में बजटानुमार 37 33 करोड़
रु० व्यय का प्रावधान रखा।

आधिक योजना 1968-69 का अनुमानानुसार व्यय विवरण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रस्तावित व्यय
1 कृषि कार्यक्रम	5 - 6
2 सहरारिता एवं सामुदायिक विकास	1 20
3 गिरजाई व शक्ति	22 44
4 उत्पाद तथा स्वन	1 13
5 घटायात एवं सचार	1 07
6 सामाजिक सेवाएँ	8 34
7 विविध	0 42
योग	40 06

इस योजना में भी गिरजाई व शक्ति का उपर्युक्त प्रायमिकता दी गई थी।
इस क्षय के लिये 22 44 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया जो कि शुल्क योजना व्यय
का लगभग 57 प्रतिशत है।

इसके बाद सामाजिक सेवाओं को फिर कृषि कार्यक्रमों को प्रायमिकता दी
गई।

योजना में लगभग 40 करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है।

उपलिख्य —

इस समय अकाल व सूख की स्थिति के कारण कृषि व्ययों को छोड़ कर,
शिक्षा, सहरारिता, सहकारिता व जलप्रौदि वे लक्ष्यों में सफलता मिलने की आशा है।
आदान का उत्पादन पिछले वर्ष वीं तुलना में निम्न गया है। इस योजना में शहर
कृषि कार्यक्रम 10 और स्थानी में कराया गया जिससे गहन कृषि कार्यक्रमों के अधीन
स्थानी दी सम्या वृद्धि 110 हो गई है। कृषिकार्यक्रम 3 09 लाख है वृद्धि
जबकि 1967-68 के वर्ष में यह वृद्धि 1 64 लाख है वृद्धि ही थी। 1968-69
के वर्ष में 1 20 लाख टन नाइट्रोजन व 0 39 लाख टन कार्बोरेट खाद कृषकों से
बढ़ी गई।

सहकारी शेत्र में मन् 196 -69 दी योजना अवधि में 1426 प्रायमिक
कृषि मित्रियों वा गुरुमंडल, 19 करोड़ रुपयों का अन्पमालीक व मध्यकालीन व

2.20 करोड ८० की दीर्घकालीन ऋण वितरण करना व केन्द्रीय सहकारी बैंक व भूमि दब्खक बैंक प्रत्येक की ५ अतिरिक्त योजना ए स्थापित करना उल्लेखनीय है। 1968-69 में लगभग 234 किलोमीटर सड़क वा निर्माण हुआ है, जिसमें राजन में सड़कों की कुल लम्बाई 31365 किलोमीटर हो गई है। योजना के क्षेत्र में 1968-69 की योजना में 194 प्राइवेट स्कूलों वो मिडिल स्कूलों, 92 प्रिमियल स्कूलों को हाई स्कूलों में तथा 9 हाईस्कूलों की हायर सेकेन्डरी स्कूलों में परिणित किया गया है। साथ ही तीन नये कलिङ खोले गये हैं। सार्वजनिक होश में प्रथम दुलत टेक्नोटाइल मिल द्वियानेर से स्थापित वी गई है।

संविधान में तीन वार्षिक योजनाओं में कुल सम्भालित व्यय 138 करोड ८० हुआ है। तीन वार्षिक योजनाओं में कुल सम्भालित व्यय वा लगभग 75% कृपि, मिचाई व शक्ति पर व्यय हैं और सामाजिक सेवाओं पर 15.5% व्यय होता है। इस प्रकार कृपि, सिचाई व शक्ति को पहल से दी जाने प्रायमिकता में और भी बढ़ा कर दी गयी है। सामाजिक सेवाओं पर क्रिये जाने वाले प्रतिशत व्यय में द्वितीय व तृतीय योजनाओं की तुलना में कमी की गयी है। इन तीन वार्षिक योजनाओं में दो व्यय सन् 1966-67, 1967-68 आवास व सूखे के बर्बं रहे जिससे वर्धन व्यवस्था को बाकी छति पहुँची। 1968-69 में व्यय वितरण इस प्रकार है-

1968-69 ~ व्यय वा वितरण

(लाख रुपयों में)

मदे	व्यय
१ कृपि कायवन	551 15
२ सर्वारी व सामुदायिक विकास	115 26
३ मिचाई एवं	
४ शक्ति	3023 88
५ उद्योग व खनन	97 44
६. परीवहन व मन्देशवाहन	110 42
७ सामाजिक सेवाएं	856 65
८ विविध	43 05
योग	4797 85

राजस्वान की नियोजन के 20 वर्षों में आधिक प्रगति

राजस्वान राज्य तीन पक्षयोग्य योजनाएं और तीन वार्षिक योजनाएं समाप्त

करके तथा चौथी योजना के 2 वर्ष पूरे करके 1971 मे योजना के 20 वर्ष पूरे हिते। इससे राज्य का पिछडापन पहले की अपेक्षा बहुत हुआ है और विकास के लिए बाधारभूत ढाँचा तैयार हो गया है, जिसका उपयोग करके नवर्थ योजना के बाह वर्षों मे एव भावी योजनाओं मे कृषि व उद्योगों के विकास के लिए नये प्रयत्न किये जा सकेंगे। राज्य की 20 वर्षों की प्रशंसन का उत्तेजन निम्न प्रकार से है-

1. राज्य की आय मे परिवर्तन

राजस्थान राज्य की आय के अनिट सन् 1954 व 1955 की अवधि मे उपलब्ध है। स्थिर मूल्यों (1954-55) के भावों पर राज्य की कुल आय व प्रति व्यवित आय की स्थिति तुने हुए वर्षों मे इस प्रकार रही है-

राज्य की आय (सन् 1954-55) के स्थिर भावों पर

1955-56 1960-61 1965 66 1966 67 1967-68 1970 71

1. कुल आय

	1955-56	1960-61	1965 66	1966 67	1967-68	1970 71
(करोड रु० मे)	413 2	467 1	533 0	549 0	614 3	748

2. प्रति व्यक्ति

	1955-56	1960-61	1965 66	1966 67	1967-68	1970 71
आय (रुपयों मे)	236	237	241	243	265	302

1. तालिका स स्पष्ट है कि द्वितीय योजना मे राज्य की कुल आय मे 13% की वार्षिक वृद्धि हुई। तृतीय योजना के अन्त मे सन् 1965 66 मे सूक्ष्म की स्थिति के कारण राज्य की आय 533 करोड रु० थी, जबकि सन् 1964-65 मे यह लगभग 555 करोड रु० थी। इस प्रकार तृतीय योजना के अन्तम वर्ष मे राज्य की आय पूर्व वर्ष की तुलना मे घटी, लेकिन योजना के प्रारम्भ की तुलना मे यह 14% बढ़ी है।

सन् 1966-67 मे आव मे 3% वृद्धि ही हुई तथा 1967-68 मे राज्य की आय पूर्व वर्ष की तुलना मे 12% बढ़ी है। अनुमान है कि 1968-69 मे राज्य की आय मे बढ़ि मही होगी।

जहा तक प्रति व्यक्ति आय का प्रश्न है, द्वितीय योजना काल मे यह स्थिर नहीं एव तृतीय योजना की अवधि मे इसमे केवल 1.6% वृद्धि हुई जो नगण्य थी। सन् 1966-67 मे भी प्रति व्यक्ति आय मे मुश्किल रो 1% की वृद्धि ही पायी दिनान सन् 1967-68 मे लगभग 9% बढ़ा सन् 1968-69 मे इसमे गिरावड की स्थिति आई। सन् 1970-71 मे (1954-55 के मूल्यों के आधार पर) राज्य की कुल आय व प्रति व्यक्ति आय कम्या 748 करोड रु० व 302 रु० थी।

अन्त स्पष्ट है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय म बहुत धीमी रफ्तार से वृद्धि हो रही है, जो वास्तव मे एक निराशाजनक स्थिति है।

2 कुपि उत्पादन व विचार

1960-66 भ समस्त दमलो के उत्पादन का मूल्यनाक सन् 1950-56 से कम तथा सन् 1960-61 से काशी कम था। औपस की अनिवार्यता के प्रभाव से प्रत्येक वर्ष ने उत्पादन मध्यमी उत्तार-चंडाल उत्पन्न करते रहते हैं।

खाद्यान्नों का उत्पादन सन् 1950-51 के अन्त में 29.46 लाख टन से बढ़े हर नन् 1967-68 में 66 लाख टन हो गया। इन वर्षों में राज्य में 29.21 लाख टन अनिवार्य खाद्यान्नों के उत्पादन की क्षमता उत्पन्न हो गयी। विसुद्ध मिहित भव लगभग दुगुना हो गया। सन् 1971-72 में कुछ मिहित क्षमता बढ़ कर 22.3 लाख है^{१५} रुपया गया। सन् 1970-71 में राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में एक नया शीर्णिमान व्यापित हुआ। इन वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन 88 लाख टन हुआ। सन् 1951-52 में केवल 324 टन उत्पन्न का उत्पादन होता था, जो कि 1970-71 में बढ़ कर 3.54 लाख टन तक पहुँच गया।

3 विद्युत विद्युत व विद्युत

शोजनाड़ाल में विद्युत विभिन्न के विभाग में विद्युत रुप से प्रयोग हुई है। सन् 1950-51 के अन्त में शबिन की उत्तरविधि 7500 किलोवाट थी, जो बढ़ कर सन् 1970-71 के अन्त में 97 वरोड़ किलोवाट हो गया। विजली का प्रति व्यक्ति उपयोग 2.6 इकाइ (K W H) से बढ़ कर लगभग 35 इकाइ (K W H) से भी अधिक हो गया।

4 औद्योगिक विकास

"योग्य" वर्ष में राज्य में बड़े नव कारखाने खोले गये हैं। राज्य में सीमेट का उत्पादन 1951 से 1971 में लगभग पाँच गुना से भी अधिक हो गया। मृती बत्त का उत्पादन वर्ष अवधि में लगभग दुगुना हो गया और गूत का तिगुना हो गया। राज्य के 7 सन् 1961 वस्त्र मिला का सम्पर्क जिन क्षमता 2.92 लाख तकुओं से बढ़ कर 4.2 लाख हो गद है। राज्य में धाल विधारित व विजली के बीटर बनने स्थ, जिनकी संख्या सन् 1950-51 में कम्बा 90 लाख व 298 हजार से भी अधिक रही है। राज्य में नम्रह का उत्पादन पहुँच से बढ़ा है। सन् 1969 में राज्य सरकार की समर्पित उद्योगों से आय वा 4.5 प्रतिशत तथा असमिति उद्योगों से 11.3 प्रतिशत प्राप्त हुआ।

5 सड़कों पर विकास

राज्य में सन् 1950-51 के अन्त में सड़कों की लम्बाई लगभग 17339 किलोमीटर थी, जो बढ़ कर सन् 1971-72 के अन्त में 32052 किलोमीटर हो

गयी। 4000 व उपर की अनसुख्या वाले समस्त गाव राज्य के सड़क के नवशे पर प्रा मर्ये हैं।

६ शिक्षा की प्रगति

3000 व ऊपर की अनसुख्या वाले सभी गावों में प्राथमिक स्कूल खोल दिये गये हैं। सभी पचायत समितियों में एक या अधिक माध्यमिक उच्चस्तर माध्यमिक स्कूल खोले गये हैं। सभी जिलों में कॉलेज-हाईरीज शिक्षा की व्यवस्था वर दी गयी है। सामान्य शिक्षा के लिए बॉलिभो की सूख्या 27 में बढ़ा कर 70 कर दी गयी है। ६-११, ११-१४ व १४-१७ वर्ष के लड़के-लड़कियों के स्कूल जाने वालों का अनु-वात सन् १९५०-५१ में कमज़ 16.6, ३४ व १४ प्रतिशत पर था गया है। ६ से ११ वर्ष के लड़के व लड़कियों का प्रतिशत सन् १९७१-७२ में बढ़ कर ३४.८ प्रतिशत तक पहुँच गया था।

७ चिकित्सा व जल-पूर्ति के क्षेत्र में प्रबलि

फिलिया व चेचक आदि पर काफी मात्रा में नियन्त्रण स्थापित किया गया है। रोगियों के लिए दिस्तरों की सम्या लगभग तिमुनी में भी अधिक हो गयी है। भेड़िकल रस्याओं (एलोपैथिक व आयुर्वेदिक) की सूख्या सन् १९५१-५२ में केवल 732 थी जो कि १९७१-७२ में 2200 हो गई। इन रस्याओं की सूख्या १९७३-७४ में 24.93 हो जाने की आशा है। बालबाडा एवं हूगरपुर जिलों में इन समस्या को जट मूळ से समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

143 नवरी में से 78 नवरी में जल पूर्ति के कार्यक्रम लागू किए जा सके हैं और ग्रामीण जल पूर्ति के 189 कार्यक्रम पूरे किए जा सके हैं। रेगिस्टर्नी थोकों में 230 नलनूसों के कार्यक्रम में से 130 नलकूप चालू किये जा सके हैं, जिससे उन थोकों में थीं वे पानी की रसाया कुछ सीमा तक हल हो पायी है। चतुर्थ योजना के अन्त तक लगभग 1673 गांवों में पाइप द्वारा पानी पहुँचाने की योजना लागू हो जायेगी।

८ नियोजन के 20 वर्षों की आधिक प्रगति का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकालता है कि इस वर्षाधि में राजस्थान में विकास के लिए आधार ढाचा काफी सुट्टा किया गया है। मिछाई, विद्युत, सड़क, पीने के जल, शिक्षा व चिकित्सा की मूविधाओं के बढ़ने में भावी आधिक विकास के लिए उत्तम पृष्ठ भूमि तैयार हुई है।

राजस्थान का चतुर्थ पचवर्षीय योजना

भारत गरकार ने चतुर्थ पचवर्षीय योजना के भवित्वे में जो 1968 में राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) और सगद के सम्मुल प्रस्तुत किया गया था,

राजस्थान के लिए 239 करोड़ रु. की धन राशि प्रस्तावित की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में यह स्पष्ट राय प्रकट की गई थी तिं इम आकार की योजना कठरी मान्य नहीं है और यह मार्ग की गई थी कि चौथी योजना के मासिदे पर देश के पिछले राज्यों में विकास की गति तीव्र करने की इच्छा से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में यह मजबूर दिया गया कि पांचवीं वित्तीय आयोग की निकारिशों के बाद राज्य की योजनाओं पर विचार दिया जायगा। राज्य सरकार के पांचवे वित्तीय आयोग को निकारिशों के कलश्वरूप वित्तीय साधनों पर विनार करके और संस्थात्मक चौंतों से अधिक साधनों की उपलब्धि खाता है और पर व्यावसायिक बंदों के राष्ट्रीयकरण वो ज्ञान में रक्तवर योजना आयोग के सम्मुख 316 करोड़ रु. की योजना प्रस्तुत की।

यह बताना अनुगमनकृत नहीं होगा कि राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच में मुख्यतः इम दात पर मतभेद था कि अतिरिक्त साधन जुटाने से होने वाली आय को किस प्रकार खांचे किया जाये। योजना आयोग की यह राय थी कि सांचारण बन्द में थाट को मदेनजर रखते हुए अतिरिक्त नावनों से होने वाली आय को योजना में खांचे नहीं किया जाना चाहिए। उपर राज्य सरकार की यह पक्की राय थी कि गैर-योजना साधनों में जो कमी रह जाती है, उसे केन्द्र सरकार विशेष सहायता के पूर्ण करे, और चतुर्थ योजना के अतिरिक्त साधनों को जुटाने से जो आय हो उसे विकास कार्यों में खांचे करने की बहुमति दी जावे। मिहानत योजना आयोग ने हुगारी बलील मान ली है कि अतिरिक्त साधनों से जितनी आय होगी, उस पूरी धर्म राशि को चौथी योजना के लिए साधनों के रूप में मान लिया जायेगा। अब जो संस्थापक सोनों से प्राप्त होने वाले साधनों की मात्रा के बारे में कृच्छ मतभेद हैं। राज्य सरकार और योजना आयोग के मध्य 14 करोड़ रु. का अन्तर है। इस प्रकार योजना आयोग की राय में राजस्थान की चौथी योजना 302 करोड़ रु. की होनी चाहिए। बास्तव में राष्ट्रीय विकास परिषद में भी राजस्थान की योजना का आकार 308 करोड़ रु. स्वीकृत कर दिया है।

चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना के सम्बन्ध में 1969-70 की वार्षिक योजना

राज्य की नदी चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल, 1969 से प्रारम्भ हो गयी है। अत सरकार ने 1969-70 की वार्षिक योजना का आकार 49.60 करोड़ रु. रखा है।

"इसमें कुप्रिय, उचित व व्यक्ति पर कुल प्रस्तावित व्यय का लगभग 73% व्यय किया जायेगा और मानसिक सेवाओं पर लगभग 19% व्यय किया जायेगा। इस प्रकार राजस्थान की योजनाओं में प्रारम्भ से ही गिरावट व अवित्त वो जो प्राप्त-

मिलता था गई है, वह सन् 1969-70 की योजना में और भी थह गई है। यहन कृषि की तथा विधियों का प्रयोग बढ़ने के लिए सिचाई के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए विद्युत की सुविधाओं का भी समुचित विकास होना चाहिये। सिचाई व शक्ति पर अधिक ध्यान का प्रावधान करने से अन्य सदों पर व्यय की राशि कम करनी पड़ी है।

लेविन अब 1969-70 की योजना में आकार के प्रावधान में बुद्धि करके 49.60 करोड़ रु. से बढ़ा कर 53.47 करोड़ रु. कर दिय। इसका मुख्य कारण राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अधिक अहितिक साधन प्राप्त होना तथा दूसरा कारण प्रधान मन्त्री द्वारा राजस्थान नहर और लम्बे सिचाई यार्डों के लिए 3.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त भत्ताराशि देने की विधिय व्यवस्था है।

वार्षिक योजना पर लगभग भी लगभग इतना ही होने का अनुमान है।
चतुर्थ योजना के सम्बन्ध में सन् 1970-71 की वार्षिक योजना।

राजस्थान राज्य की चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष की वार्षिक योजना अधर्ण् 1970-71 का कुल व्यय 56.23 करोड़ रु. रखे गये हैं, जो कि पिछले वर्ष की योजना से 2.76 करोड़ रु. अधिक है।

इस योजना में सिचाई व विद्युत की अधिक प्राप्तिमित्ता देने हुए कृषि को ही महत्व दिया गया है।

कृषि के क्षेत्र में जिन इलाकों में सिचाई की सुविधाएँ हैं और वर्षा नियमित होती है वहाँ उत्पादन बढ़ाने के विद्येष प्रयत्न जानी चाहिये। सदाई माध्योपुर, टाटा और नूदी जहाँ कृषि उत्पादन की अचौकी सम्भावनाएँ हैं, इन जिलों को ग्रन्थि कृषि क्षेत्र प्रायाम के नीचे लाया जायेगा। राजस्थान में कृषि की वर्जनीयता का विशेष प्रयत्न किया जाएगा। अधिक पैदावार देने वाली विद्यों के अन्तर्गत धोब दम वर्ष 5.20 लाख हैट्टर से बढ़ कर 1970-71 में 6.32 लाख हैट्टर हो जायेगा। इसी प्रकार अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का वितरण भी 1969-70 में 2.53 लाख निवटल से बढ़ कर 1970-71 में 3.38 लाख निवटल हो जाने की आशा है। इस वर्ष रामायनिक गांव का सम्भावित वितरण लगभग 2.12 लाख टन होगा, यह बढ़ 1.1 लाख अतिरिक्त लगान उत्पादन बढ़ाने की क्षमता बढ़ाई जा सकेगी।

योजना में लगभग 40,000 हैट्टर इलाके में भू-उत्पादन कार्य किया जायेगा, जो अब तक राहत कार्य के अन्तर्गत हीन बाल कार्य के अन्तर्गत है। इन सब प्रयत्नों और सिचाई की सुविधाओं में विस्तार होने के कालस्वलए आशा है कि 1970-71 में दरीव 1.1 लाख अतिरिक्त लगान उत्पादन बढ़ाने की क्षमता बढ़ाई जा सकेगी।

हृषि विवाह के दायों और दाना दोग पर उप सिनाई को गति देते के लिए एप्रीकलचर रिफाइनेंस बारपोरेटन की सहभास स निश्चित भूल जल बाले स्कीमों में सपन विवाह गोबना संसार की जा रही है। एप्रीकलचर रिफाइनेंस कारपोरेटन के बलावा हन स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए हम व्यावसायिक देंकों और एप्रीकलचर फाइनेंस बारपोरेटन के जर्निय भी सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

चौथी योजना में प्रस्तावित ग्रामधारण

क्रम	प्रस्तावित ग्रामधारण वर्गोड रुपयों में
1 मिशनी एवं विद्युत्	193 00
2 हृषि कार्यक्रम	24 00
3 खंडकारिता एवं सामाजिक विकास	7 20
4 उद्योग एवं लग्निज विकास	7 40
5 यातायात एवं सचार व्यवस्था	13 30
6 सामाजिक सेवाएँ	66 70
7 विविध	1 40
योग	313 00

1. देशज्ञत

इस योजना की मुहूर विशेषता यह है कि 25 40 करोड रुपया आमीन यात्रितरण योजना के लिए प्रस्तावित किया गया है, जबकि तीसारी योजना में केवल 3 करोड रुपया ही रखा गया था। इनमें से 10 करोड 80 लए 100 नक्कूण लोदने पर लाले करने के लिए नलकूप संगठन को दिये जायेंगे। 4 करोड रुपया प्रधायत नमिति क्षेत्रों में देशज्ञत के लिए कुरे सोशने पर लाले किया जायेगा। 11 करोड रुपया देहाती क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाने पर लाले किया जायेगा। 11 हरी देशज्ञत क्षेत्रों के लिये 9 50 करोड रुपया रखा गया है। इससे राज्य के तीसों कास्बों में गानी उपलब्ध ही जायेगा।

2. विजली

चौथी योजना के अन्त तक राज्य की विजली मम्बान्डी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की योजना बनायी गयी है। योजना के अन्त तक 630 मेगावाट विद्युत् की मांग रहेगी, जिसे पुरा कर दिया जायेगा। इस योजना के अन्त तक 30 हजार कुबों की विद्युत् उपलब्ध करायी जायेगी।

3. लग्निज तथा उद्योग

लग्निज एवं उद्योग के निर्धारित 7 4 करोड रुपये की रकम में से लगभग एक

करोड़ रुपये औदौगिक सम्पदाओं का वित्तीय को पानी, बिजली एवं अन्य मुकाबिलाएं उपलब्ध कराने पर व्यय किये जायेंगे।

प्रदेश में विभिन्न खनिज सम्पदाओं की खोज पर लगभग ८० लाख रुपये व्यय किए जायेंगे। योजना में इस बात पर सर्वाधिक जोर दिया गया है कि प्रदेश में उपलब्ध खनिज सम्पदा की खोज की जाए। उदयपुर में फ्लोराइट परियोजना पर 147 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त डेगाना में टगस्टन समवत्तथा उदयपुर में फॉस्फट सम्बन्ध स्थापित किये जायेंगे। औदौगिक खनिज नियम के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

चौथी योजना में जोधपुर में एक नयी ढक्की मिल स्थापित की जायेगी तथा टीक में चपड़े का बारलाना खोला जायेगा।

4 यातायात

इस योजना की अवधि में राज्य में सड़क निर्माण कार्य पर 12.66 करोड़ रु. व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। इसमें से एक करोड़ रुपये गाँवों में कन्चनी एवं पवारी सड़के बनाने पर व्यय विए जायेंगे। लगभग 1.75 करोड़ रुपए राजस्थान नहर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य पर व्यय किये जायेंगे।

5 सामाजिक सेवाएं

चौथी योजना में शिक्षा के विस्तार एवं उसको मुहूर्ह करने पर बहु दिया गया है। इस योजना के दौरान 300 प्राथमिक, 200 माध्यमिक, 75 उच्चत तथा 50 उच्चतर माध्यमिक एकाऊ को खोलने का प्रावधान किया गया है। सामाज्य एवं नक्की की शिक्षा पर कुल मिलाकर 16.25 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में चौथी योजना में 1,200 अतिरिक्त शैक्षणिक स्थापित की जायेगी। इसके अतिरिक्त 200 शैक्षाओं की एक भ्रगणशील इकाई स्थापित करने का उद्दय रखा गया है। चिकित्सा पर 5.43 लाख रुपये तथा आमुर्वद पर 1.6 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान है।

राजस्थान की चौथी योजना की जो रुपरेखा प्रस्तुत की गई है, वह यथार्थ पर आधारित प्रतीत हाती है। इस योजना में अर्थ-तन्त्र के रूप पहलुओं पर पहली चार उल्लेखनीय विषय गाए हैं, जो अहीमयद रखते हैं। समूर्ज्योदयी योजना का केन्द्र-विन्दु प्राप्त है। गहो माने में अर्थ-तन्त्र की नीति ही अब परेंगी, जिसकि पानी व विजली की उपलब्धि पर च्यान दिया जायेगा, जो कि कृषि एवं उद्योग दोनों की वृत्तियादी आवश्यकताएं हैं।

राजस्थान में नियोजन के २२ वर्ष

राजस्थान व नियोजन की प्रक्रिया वा युभारम्भ दर्श. 1951 में हुआ था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उस समय तक राजस्थान का प्रशासनिक एवं वित्तीय एवं कानूनीकरण भी नहीं हुआ था। नियोजन प्रक्रिया का अपन या जाना सब में एक कानूनिकारों कदम था। परम्परा एवं सामनवादी धराम्भा में से विकास एवं सामाजिक ध्याय हेतु आधुनिक नियोजन युग में प्रवेश, अथवे आप में एक साहसिक और आक्रियक परिवर्तन था। परम्परा से पीड़ित सामनवादी राजस्थान में शिक्षा वा विस्तार सीमित था एवं सामाजिक बुरीतिया सब फैली हुई थी। आधिक क्षेत्र में तो उगम्भ निकिपता एवं गविहीनता की स्थिति थी। सबसे बड़ी जहरत उस समय यह थी कि मानसून पर निपटता को खत्म किया जाय तथा कृषि उत्पादिता हो जाने के लिये आवानिक प्रविधियों को अपनाया जाय। एक हूमरी बड़ी समस्या भूमि सुधार के उपायों का अगोचार करने से बढ़ी हुई थी। सबाल यह था कि किस प्रकार से शजाओं, गहराजाओं और जारीरदारों के चागुल से भूमि को उसे उपके बास्तविक स्वामी, खेती करने वाले किसान की हाँपा जाय। राजस्थान राज्य के मह म्यनीम सूखे परिवर्षीय भारत के दिवार की तरफा भी ज्वली ही महत्वपूर्ण थी।

यद्यपि लोकतंत्रीय नियोजन वे ज्ञानगत विकास अपेक्षाकृत कम प्रभावमाली होता है, तथादि निविदाद व्य में वह अधिक स्थापी होता है। विन्त 21 वर्षों में कुन मिला कर 680 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। चम्प प्रथम, दिनीय एवं तृतीय एवं चौथायी गोलार्थों पे 54, 103 एवं 212 करोड़ रुपया खर्च किया गया। हीन वायिक बोजनाश्री में 138 करोड़ रुपया खर्च हुआ तथा चारुंय बोजना के प्रथम तीन वर्षों में 173 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। इस समस्त व्यष्ट राजि का बहुतांश अर्थात् 56 प्रतिशत व्यष्ट एवं तिचाई पर किया गया। समाज सेवाओं एवं कृषि कार्यक्रमों पर कम्पा 21 एवं 11 प्रतिशत खर्च हुआ। जीवाणुक विकास

के क्षेत्र में राज्य सरकार निकं बनियादी आतंरिक हाना घटा कर सकी है। आमतौर पर औद्योगिक विकास का कार्य निवी क्षेत्र के हाथों में छोड़ दिया गया था। अगले वर्ष से जो कि चर्युं योजना का आगामी वर्ष है, लगभग 75 करोड़ रुपया खाय होने की सम्भावना है तथा वर्तमान वर्ष में 64 करोड़ रुपया सम्भवत स्वर्चं होगा।

खात्यान उत्पादन में बृद्धि और आत्म निर्भरता का लक्ष्य जिला संघत कृषिकार्यक्रम एवं सरकारी कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त किया गया। ये कार्यक्रम उन स्थानों पर चुनून किये गये, जहाँ पर कि निचाई के लिये जल मुनिश्चित दृष्टि से उपलब्ध था। बटी, गध्या एवं ओटी पिन्चाई परियोजना को द्वारा अधिक संखिक भूमि में सिंचाई द्वारा विस्तार किया गया। ज्यादा अनेक ऐसे वेदा करने वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया। खाद एवं अन्य कृषिकार्यकों वा व्यापक पैदाने पर ध्योग आरम्भ किया गया। दूसरे सभी नवीन सुधारों के परिणामस्वरूप खात्यान उत्पादन में उल्लेखनीय बृद्धि हुई। सन् 1951-52 में अनाज का उत्पादन जहाँ सिक्के 29 लाख टन था, वह सन् 1970-71 में बढ़ कर 88 लाख टन के रिकार्ड-स्तर तक पहुंच गया। पश्चु-पालन के क्षेत्र में प्रपत्ती का सक्षय पहुंच था कि छूट की वामाचियों वा उन्मूलन किया जाय तथा पशुओं की उच्च पूर्यु-दर 40 कम किया जाय। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 199 पशु चिकित्सालय अधिया दवाहाने सोने गये। ये चिकित्सालय सन् 1951 के पूर्व से विद्यमान 145 चिकित्सालयों के बाहिरत्वन्तर द्वितीय वर्ष विद्यमान स्थान के क्षेत्र में अधिकांश दक्षिणी राजस्थान में स्थापित किये गये। बन-विकास के क्षेत्र में अधिकांश दक्षिणी राजस्थान में स्थापित कोटिकून (degr.-d.d) बनी थी पुनर्वास करने का तथा वैज्ञानिक विधि से पन सोनों के विद्योहन वा पर्याप्त सफल प्रयोग किया गया है।

झीटे किसानों की आधिकारिक किसित के लिए लद्दापुर, भरतपुर एवं अमरवर जिलों में विशिष्ट कार्यक्रम तथा मीमांसा किसानों एवं भूमिहीन लतिहर मजदूरों वे लिये भीलगाड़ा और जलमेर जिलों में विशेष कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। लोधपुर, नितींदगढ़ और लद्दापुर जिलों में नीन सुखी भूमि कृषि परियोजनाएँ (Dry land farming) प्रारम्भ की गई हैं। निचाई पालापुर जिले को टीहाभीष दण्डादन समिति एवं बोटा की लायुग पचादन नियमित में विचित्र भूमि के अधिकतम उपयोग की हाइट में बहुल पैदावार परियोजनाएँ हाथ में ली गई हैं।

सौकर्तनिक विकेन्द्रीकरण के मामले में राजस्थान अग्रणी रहा है। 2 अप्रैल, 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में ही इस महान् होक्सानिक परीक्षण का

आरथ्रम् तु था। 7361 ग्राम पश्चायते और 232 पश्चायत गिरिहिंडौ लग्नेश्वरने द्येत्र के विकास कार्य में सभी हुई हैं। एवं उनके द्वारा आमीण जनता में आमीण विकास की गति को तौद्वारा शदृश करने के लिये नई चेतना को जन्म दिया गया है। सहकारिता के द्येत्र में ५६ महाराष्ट्रांतर्यांत्रिय लग्नमय पूरा हो चुका है। 7102 कृषि न्यूट्रिनियो के व्याधिक न्यूट्रिन न्यूट्रिन हवाई (visible) बनावे से लिये उन्हें पुनर्योगित कर दिया गया है। इस वितरण में प्रभावशील प्रबन्धि का अनावर इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि लघु एवं मध्यम अवधि के कृषी के वितरण की रुचि जहाँ मन् 1970-71 में छठाकार 16 लग्नेड ३३ लाख रुपया हो गयी है। भूमि विकास बैंकों की प्रशंसि भी जो कि दीर्घकालीन ऋण देने का कार्य रखती है, उनमी ही प्रभावोन्तराव एवं विस्तर बाली है। इसके अनावर रमगोर छहकारों बैंकों के पुनर्योगित की ओर भी यथाट इवान दिया जा रहा है। कृषी को गोदाय मुद्रिताओं का प्रबन्ध बरने के लिये भी वित्तीय महायता दी जा रही है। चोनी फैक्टरी, बताई मिल, तेल मिल सहित विलायक्यंजन घाट (Solvent extraction plant) जैसी बड़ी संस्थाएँ इडाइयो का सहकारी दाता में आविभाज्य रहा है, बल्कुत चोनी की फैक्टरी में तो उत्पादन भी घुल हो गया है।

विचा ऐ द्येत्र में आस्था और चन्द्र जैसी बृहत् परियोजनाएँ पूरी हो चुकी है। यार रेगिस्तान के हिस्मे का जेहुरावदलने वाली राजस्थान नहर का निर्माण कार्य प्राप्ति के पथ पर है। इस नहर के प्रबन्ध चरण का निर्माण चार्य चौथी योजना के अन्त हक पूरा हो आयेगा। मन् 1971-72 में करीब-करीब दो लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई इसी नहर के द्वारा ही हो और निर्माण कार्य पूरी हो जाने पर यह दम्भीद दी जावी है कि इस नहर द्वारा 12 62 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। अनेक बड़ी योजनाएँ, उदाहरण के लिये गोया-बाढ़, नमंदा क्षेत्रा मिपमुख गिरावै प्लाजमाएँ इस समय विचायाधीन हैं एवं विभिन्न स्तरों पर मन्त्रालयों एवं बार्ताओं का क्रम जारी है। मध्यम स्तर की ४४ विधियोजनाएँ पूरा हो चुकी हैं एवं उन पर अर्थात् जात्यम, नेत्राकीटर, सेक्युडाइवर्सन, जनपरा, गोपालपुरा एवं हरिश्चन्द्र मानगर पर निर्माण कार्य प्रगति पथ पर है। गू-ज़ज़ योहो के विशेषत के माल्यम से लबू गिराई कार्यक्रमों को जाता में विस्तृत दिया गया। इस दिवा में राज्य स्तरीय प्रदाताओं को मास्थानत वित्तीय सहायता दी सुनिभाना में पूरकता के रूप में मदद की। इस समय लगभग ए० लार० सी० की २३ योजनाएँ चालू हैं। सन् 1951-52 में इन सभी योहो में जहा 11 71 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई होती थी वहाँ इस समय मन् 1971-72 में 26 31 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई हो रही है।

विद्युत विभिन्न एवं उद्योगों वा विकास परस्पर जुड़ा हुआ है। सन् 1950-51 में 8 MW कार्बन विद्युत शक्ति उत्पादन थी तथा 42 लाहौरों का विद्युतिकरण हुआ था। जिसे 168 पज़ीज़त फंचिट्रोपा अधिकार में थी। सन् 1971 में यह शक्तिवान बढ़ कर 280 MW हो गयी थी। एवं उग्रोही राष्ट्रस्थान अग्ना-शक्ति घोट तथा जवाहर मानकर परियोजनाएँ दूसरी एवं तीसरी इमार्ड चालू होगी, जिसने शक्तिकी गावा बढ़ाकर 458 MW तक पहुंच जायेगी। चालू होने वाली बड़ी परियोजनाओं में पज़ाय की भालूरा नागर, मठद प्रदेश की सहायता, गायों हांगर एवं राणा इताएं सागर तथा राजस्थान में जवाहर सागर वी प्रश्नम इकाई उत्पादनीय है। पञ्चम धन्दवर्धीय योजना के प्रारम्भ में ब्याग सागर से भी उत्तुग विजली जूह हो जाएगी। ब्याग सागर परियोजना पूरी हो जाने पर राजस्थान नहर वां अप्रवाहित रूप से पानी मिलेगा। सन् 1950 में प्रति वर्षित विजली की खपत जहां तक 3 यूनिट (KWH) था, वह 1971 में बढ़ाकर 45 यूनिट हो गयी है। अधिक विजली उत्पादन के साथ-साथ उसके संचारण और वितरण को भी उच्च प्राप्तमिश्रता दी गया थी। सन् 1971 में राज्य में कुल विजला कर 2240 पज़ीकृत फैक्टरियों थीं। विद्युत शक्तिका उत्पादन द्वारा प्रयुक्त दिया जाता है, जिसनु कुछ दर्थों से ज्ञानीय अवलो में भी कुछ को विद्युत-मय इनाम देता है। कृषि एवं आवारित-द्वोगों के विकास के लिये विजली की मात्रा तेजी साथ बढ़ती जा रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण-कार्यक्रम व अधीन सन् 1971-72 के अन्त तक 4168 स्थानों वा विद्युतीकरण हो चुका है एवं 48389 कुओं द्वारा विजली का उपयोग किया जा रहा है। भविष्य में लगभग 20,000 कुओं एवं 1,000 ग्रामों को प्रति वर्ष विद्युतीकृत किया जायेगा।

तीव्र औद्योगिक विकास के लिये बनेद प्रकार से श्रोत्मालन दिया जा रहा है। भूग्र मस्ता वाली गव विद्युती क्षेत्रों में छूट नहा। उदाहरण शतों पर ज्ञान आदि देवर औद्योगिकरण वीर्ग से तीव्रता प्रदान की जा रही है। इस समय 15 औद्योगिक क्षेत्र एवं 11 औद्योगिक एस्टेट्स (Industrial Estates) शेष आदि बावधान सुविधाका सहित सुलभ हैं, जिसमें कि औद्योगिक इकाइयों वी स्थापना की जा सके। राजस्थान औद्योगिक एवं मनिज विकास निगम की स्थापना दर्ती हृष्टि से की गई है। कि औद्योगिक विकास वी प्रदूषितियों को प्रोत्साहन प्रिल तथा उनमें नवानन्ता का गवार है। यह निगम न्युक्त क्षेत्र परियोजनाओं में भी बाग लगवे रखा है। सभा शोध ही चार परियोजनाओं वा राय शुद्ध होने वाला है। भावधानिक क्षेत्र में इस समय प्रमुख ज्ञानान्तरों में हैं उत्तर प्रिल-दीवानर, यतदी तांबा परियोजना, जिव स्पेल्टर उदयपुर, गजोन दूल्हन फैक्ट्री अवमर, ग्रेसीजन उपकरण फैक्ट्री कोठा, एवं सोहियम सफ्टह फ्लाट हीडवाना। इन सावेजनिक क्षेत्र के उत्तरों न राज्य गे-

हृष्टलब्ध स्रोतों के विदोहन में पर्याप्त सहायता दी है। हाल ही में 16 जिलों को चुना गया है, जिन्हे कि सह्यागत वित्तीय अभिकरणों द्वारा नई इकाइयों की रख-पता के लिए विशेष छूट प्रशान की जायगी। अलवर, जोधपुर, उदयपुर, नीहाड़ा, नाशीर तथा चूक जिले का औद्योगिक हृष्टिकोण से, सबसे पिछड़े हुए जिलों के स्थान से नियन किया गया है तथा इन जिलों को भारत सरकार द्वारा तत्काल ही पूँजी विनियोजन पर दम प्रतिशत अनुदान (Subsidy) दिया जायेगा। यह इमदाद उन इकाइयों को भी दी जायेगी, जिनका कि पूँजी विनियोजन पचास लाख रुपयों तक का है। बढ़ विविधाजन याली इकाइयों पर भी वरीयता के आधार पर इम अनुदान के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बजिरिकत राजस्वान वित्त निगम भी लघू एवं मध्यम श्रणी के वित्ती संबंधों को विशेष सहायता प्रदान कर रहा है। खनिज संक्रमे, खनिज भण्डारों के विदोहन के लिये विभिन्न छूटों एवं लपन पर्यवर्तन द्वारा प्रयास किय गये थे। रॉक-फाल्फट के विशाल भण्डारों की लाज क साथ-साथ इम क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रवर्ति हुई है। बत्तमान में इसका दैनिक उत्पादन 800 टन है तथा इन् 1972-73 के अन्त तक यह बढ़ कर 1,500 टन हो जाएगा।

यह अनुभव करते हुए कि परिवहन सुविधाओं का विकास, विकास गति-विप्रयो से अधिक तत्त्व लाभ उठाने के लिये आवश्यक है, राजपत्रकार ने सड़कों के विस्तार को भी प्राप्तिकर्ता दी है। सन् 1950-51 से राज्य की राष्ट्रकोषी भी अनार्द्ध जहा 17339 कि० मी० थी, वही सन् 1971-72 में बढ़ कर 32052 कि० मी० हो गई है। इस विद्या में मध्य हृष्टिकोण यह रहा है कि गाँवों कस्बों, एवं मण्डियों द्वारा परस्पर एक दूसरे से जाह दिया जाय। बच तक हमारे पास ही ही बति थी दोड़ने वाले वाहन नहीं होग, अर्थात् ट्रक्स-वस्ते नहीं होगी सड़के स्वयं में लपर्याप्त हैं। सन् 1970 के अन्त तक 90 हजार नवचालित वाहन इन सड़कों पर ढोड़ रहे थे।

समाज सेवा के लेव में जहा सन् 1951-52 में 4-11 आयु वर्ग के सिर्फ 16.6% विद्यार्थी शाला जा रहे थे वही संस्था सन् 1971-72 में 18.4%, हो गयी है। हम सार्वजनिक प्रायोगिक शिक्षा के लद्य को प्राप्त वरते वो दिन मत तभी से आग बढ़ रहे हैं। 30000 विद्या दस्ते अधिक आवादी वाले प्रत्येक गाँव में एक उच्च प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है, एवं प्रत्येक पचासत मिनिट में एक वा एक से अधिक प्रायोगिक द्य उच्च साधनिक विद्यालय की स्थापना हो चुकी है। कलेज शिक्षा की सुविधाओं का सभी जिलों तक विस्तार कर दिया गया है। व्यापक-सामिक तथा तकनीकी निकाल के विकास के लिए भागारथ प्रयास विद्ये जा रहे हैं। राज्य में इस समय 5 चिकित्सा महाविद्यालय, 2 आयुर्वेदिक महाविद्यालय, 3

अभियंता महाविद्यालय, 4 हृषि महाविद्यालय, 1 पशु चिकित्सालय महाविद्यालय तथा 6 पद्मिनी विद्यालय हैं। इसके अलावा राज्य भर में अनेक प्रचिकित्सण संस्थाएँ भी कारबोल हैं।

चिकित्सा के क्षेत्र में मुख्य धारा छुआछूत वी बीमारियों के नियन्त्रण एवं उपचार की ओर दिया गया है। मारे राष्ट्र में प्राथमिक स्थानाध्य केन्द्रों एवं दवाखानों का जाल सी बिछा दिया गया है। विशेष रूप से आमीण अचल में व शहरी क्षेत्रों में आन्तरिक (Indoor) चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार किया गया है तथा विशेषज्ञ सेवाओं द्वारा शैल्य चिनियां सुविधाओं में सुधार हुआ है। पिछले 21 वर्षों में 224 एलोपेथिक चिकित्सालय एवं दवाखाने खोले गये हैं तथा 8543 नवीन रोग शैल्याएँ बढ़ा दी गई हैं। इस प्रकार सन् 1950-51 में जहां चिकित्सालयों एवं रोग शैल्याओं की संख्या 4100 तथा 5720 थी, वही सन् 1917-18 में बढ़ कर अपका 614 एवं 14263 हो गयी है। आमीण क्षेत्रों में 232 प्राथमिक हाराड्य केन्द्र अस्पताल में आ चुके हैं। परिवार नियोजन के कार्य को लोकप्रिय बनाने तथा उसकी सुविधाएँ बढ़ाने के लिये 330 परिवार नियोजन बैन्द्र लोडे गये हैं, भरत याकीन दाखों में ही 1500 नये आयुर्वेदिक लोपथालय खोले गये हैं एवं उनकी संख्या 346 से बढ़ कर 1846 हो गई है। प्रथम थर्डों के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में दीर्घी शैल्याओं की संख्या 345 है। विगत 21 वर्षों के नियोजित विद्यालय के दीराव 116 वक्तों की नियोजित (Filtered) जल की सफ्लाई की गई है तथा 381 आमीण जल घोड़नाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। यह विर्णव लिया गया है कि सन् 1961 मी जनसंख्या के आधार पर जिन घटों मी जनसंख्या 5,000 या उससे अधिक है उनमें जल धानी बीजनाएँ प्रारम्भ कर दी जाती है। इसी प्रकार से जिन घटों मी पहला 2000 से 5,000 के बीच में है, उनमें प्रथम एवं तालाब बोजनाओं को लागू किया जा रहा है, तथा 2000 से उम आगामी बाले घटों को कुओं से नल ढंडा पानी देने वी शोलाना कार्यान्वयन की गई है। यह दाताना दी जाती है कि व्यूनतम विनियोजन करके पान मालारण को लायादा फारदा बहुचाला जा सकेगा। यह आशा की जा रही है कि सन् 197-74 के अन्त तक राज्यवाहन के सभी वस्त्रों में नियोजित (Filtered) जल की सफ्लाई हो सकेगी। समाज के दृष्टिकोणों की ओर उठाने के लिये आयुर्वेदियों द्वारा दास सुविधाओं एवं भवन तथा कुओं के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य सरकार उठाने को दुरार्दि को बाधून रूप से नष्ट बरते के लिये पृथक्कर्ता है। यांची शताब्दी समारोह घटें के दीराव रम दिशा में एक बृहत् कार्यक्रम हाथ में लिया गया था। हरियन दरिया के विद्युतिकरण एवं चाटर गढ़ एवं हस्तों द्वारा प्रयोगना या भी एक वार्षिक

हाय में लिया गया था तथा हरिजनों को भवन निर्माण के लिये भी राहायता प्रदान की गई थी। थम कल्याण गतिविधियों को कल्याण केन्द्रों की स्थापना हारा एवं मजदूरों की जीवन। दशाओं को सुधारने के लिए नये जायाम प्रदान हिये गये। 17 राजगार कार्यालय सोले गये और इस प्रकार इनकी सहाय बढ़ कर 22 हो गई है। भवन निर्माण का विविध योजनाओं का अन्तर्गत तथा नियम हारा मुख्य की गई वडी पन रुचि के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्ति अपने घर का निर्माण करवा सके हैं तथा भवन निर्माण प्रमण्डल की सहाय की स्थापना के मायथाय और ज्ञान लाग आते लिए मकान बनवा सकते हैं।

रोजगारी की समस्या

एकाधीनता प्राप्ति के पूर्व सत्ता प्रतिष्ठानों पर आधीन किसी व्यक्ति को इस बात की चिन्ना नहीं थी कि हर एक आदमी को रोजगार मिला। हुआ है या नहीं। पदवर्षीय योजनाओं के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष एवं प्रतीक्षा रूप में रोजगार अवसरों का एक विस्तार हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ बोजगार लोगों की मरणों भी लगातार बढ़ती जा रही है। कार्यों के मुकाबले में रोजगार पाने के उम्मीदवारों भी मरणों से ज्यादा बढ़ती है। इन समस्या का हल नहिं जनसंख्या नियन्त्रण हारा किया जा रहा है बल्कि आधिक विकास के दौर में भी आवश्यक समायोजन करके भी किया जा रहा है, जागमी कुछ दर्दों के द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार अधिकार सदृश नियोजन की मुविधाये तेजी के साथ बढ़ती, तर्फ़ीकी ग्रामीण विद्युतीकरण का तेजी से विस्तार हो रहा है खनिज सम्पदों का संगठित रूप से विदोहन हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है लघु उद्योगों एवं ग्रामीण जनाओं का प्रोत्साहन मिल रहा है, सड़कों, भवन कुओं एवं नहरों का निर्माण किया जा रहा है तथा विविध कार के व्यापकण की मुविधाओं वा प्रियार हो रहा है। इस वीच के समय में राज्य सरकार योजगारी की ममत्या की ओर पूरा ध्यान दे रही है। इजिनियरिंग स्नातकों एवं हिन्दूमा प्राप्तकर्त्ताओं की समस्या को सुलझाने के लिये 1,000 व्यक्तियों वीरे एक नूची तैयारी की गई है। इन इकलियतों को विभिन्न विभागों एवं नियमों के कार्यनुबन्ध प्राप्त हो रहा है। 150 इंजीनियरों एवं टेक्नोलॉजोग्राप्टकर्त्ताओं वीरोंगों में प्रतिशत देने के लिये आधिक छावनीत व्यावहार भी शुरू की की गयी है। एक नवीन के द्वीप सेस्टट योजना भी हाय में ली गई है तथा उसे आर० आई० एम०, डी०, सी० आर० एफ० सी० एवं आर० एस० आई० सी० हारा लागू किया जा रहा है। इन योजना के पार्च भाग है, उदाहरण के लिए साम्य (Equity), तकनीकी गहकारिता व्यावसायिक एस्टटस औद्योगिक एस्टट्स एवं स्वदेशी गश्तीनों का किराया करा। हाल ही में भारत सरकार ने एक विषय पर रोजगार कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें कि 1.26 करोड़ रुपया

भारत सरकार हारा प्रयान किया गया है। इम कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ सेवा केन्द्रों, गड़कों एवं नाहियों का निर्माण एवं सुधार, गंदी बस्तियों की बफाई एवं सर्वेक्षण तथा जाव भी तुच्छ बाजार एवं हाथ में ली है। भारत सरकार ने आमीण इजनियरिंग सर्वेक्षण का भी एक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है तथा इस सर्वेक्षण के लिये बांग-बाढ़ा तथा जोधपुर जिलों को चुना गया है। डाकटरी की स्थिति रोजगार पाने में सहायता देने के लिये वित्तीय ग्रोत्साहन चुनिन्दा क्षेत्रों में दिया जा रहा है। अनुसूचित जातियों एवं अनुपूचित जन जातियों के बेरोजगार भवानों एवं स्कॉलरशिपों को आवधि एवं उपहारपत्र दी जा रही है और अब उन्हें एवं तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तब बृति (Scraped) मिलती रहती।

आमीण क्षेत्र में नये रोजगारी की रचना के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम दृढ़ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन हर ज़िले में दस माह के लिये 1,000 लाभिकों को आफ मीजन प्रजादूरी दर पर बाज़ मिलता। लगातार अकाल पीड़ित लोगों के लिये आमीण निर्माण कार्यक्रम (Rural work programme) हाथ में लिया गया है। राज्य के उन दस ज़िलों में जहाँ पर यह बारबार अकाल की स्थिति पैदा होती रहती है, 20 करोड़ रुपया प्रत्येक दिया जा याए। हर एक ज़िले में जीवी योजना के दीरान दो दो करोड़ रुपया प्रत्येक होता। इस कार्यक्रम के अधीन अकाल राहन के अघुरे कामों का पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है तथा ऐसे उत्पादनशील कार्यों की हाथ में लिया जा रहा है जो कि उन शैक्ष की गर्भ-व्यवस्था को संज्ञयूती बनने के माध्यम से रोजगार के नये अवधार भी बढ़ाव करता।

राजस्थान की पौर्वी उच्चवर्द्धीय योजना प्रयत्न एवं कार्यों योजना का दृभारप्रभ ग्रन्थ 1951 में दृआय। आज हम चतुर्वें योजना के माध्यमाला में हैं। प्रारम्भ संधन एवं बहुमुखी विकास कार्यक्रमों से किया गया था और आज राज्य का साधूर्ण आर्थिक जीवन नई दिशाओं में विकासित हो रहा है। विकास के एक नये दौर में से हम गुजर रहे हैं। लातों, कारखानों एवं जगनों का विकास हो रहा है, नई रोकनी वंश प्रतीक चारों ओर पर्यालादित हो रहे हैं।

व्याघ्रनिकला एवं प्रतिक्रिया दिना में तेज़ गति में बढ़ने हुए इन कदमों के बावजूद भी राजस्थान राज्य देश के अपेक्षाकृत पिछड़ हुए राज्यों में से एवं है। प्रति व्यक्ति कागज की टैपिट गो राजस्थान देश में नवसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर आता है। ग्रन्ति व्यवित्रित रिक्तियों की संख्या राज्यीय स्थान दर 50% से भी जीवी बग है। राज्य न्यूट पर बेंगी याम भूमि के 22 प्रतिशत हिस्से में गिरावं की सुविधा है, जबकि राजस्थान में इसमें 17 प्रतिशत भूमि में सिराई होती

है। प्रति व्यक्ति बंक में बमां राखि एवं बैंक हारा दिये गये अण की दृष्टि से भी राजस्थान का स्थान देश में सबसे नीचे आता है। सङ्केत एवं रेल यातायात की दृष्टि से भी हम राष्ट्रीय बोर्ड से बहुत नीचे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर साधारण परिवहन 1971 की जनगणना के अनुमान 29.3 प्रतिशत है। जबकि राजस्थान का अपेक्षित 1971 की प्रतिशत है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राजस्थान निरन्तर मूँहे और अकारण से आकान्त रहता है एवं लगभग प्रत्येक दूसरे बर्ष राजव के दिसी तिथियों में उसे अकाल का अस्तित्व रहता ही है।

बत यह गहरी है कि राजस्थान जो पौच्ची योजना साहसी हो। यदि इन् 1974-79 के दोषान राज्य की विकास दर जो 7% तक ले जाना है तो लगभग 2,100 करोड़ रुपया लग्ने करना आवश्यक होगा और फिर भी इन् 1978-79 में प्रति व्यक्ति आय की दर चौथी योजना के अन्त हक की अनुमानित 646 हो की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की दर से कुछ बह द्वारा रहेगी। आर्थिक एवं सामाजिक विकास की वित्तिविधियों में नये आव फूँडने के लिये तथा निम्नाधित लद्दों की प्राप्त करने के लिये प्रयत्न जारी रहेंगे।

(1) विकास की नीति जो हीवर्तर रूप प्रदान करना, जिससे कि राजस्थान एवं दोष राज्यों के मध्य की विकास की अवस्थाओं में जो अन्तर है, उसे पाठा जा सकता है।

(2) आय एवं सम्पत्ति के विवरण में विद्यमान असमानताओं को कम करना तथा इस बात को सुनिश्चित रूप देना कि विकास के सुफल समाज के अपेक्षाएँ दुर्बलतम एवं दरिद्रतम बर्यों दो प्राप्त हो सकें।

(3) रोजगार के नये अधिकार प्रदान करना।

(4) दरिद्रता-इकाई से भी नोने के जीवन-स्तर से रहने वाले जन समाज के जीवन-स्तर से मुग्ध भक दरिद्रता लाना तथा उने उन्हें बनाना, जीवन के कुछेकु अविवाद्य क्षेत्रों में जनजा की बुनियादी न्यूनतम जल्दतों को पूरा करने की प्रत्यामूर्ति प्रदान करना।

उपर्युक्त व्यक्तों को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित दृष्टि उठाने पड़ेगे:—

(1) उन क्षेत्रों की पहचान की जाए जो कि विनियोजन करने पर अत्यन्त समय में अधिकतम कायदा हे सकें, जिससे कि राज्य को अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत भल्दूत बन सके। इसके लिये यह भी आवश्यक होगा कि उन क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रगति किये जाएं ताकि उनमे समुचित विनियोजन किया जाय। इस दृष्टिकोण की पुरिये के लिये खनिजों एवं पद्धु पालन की क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देना पड़ेगा।

साथ ही कृषि में उत्पादन की बढ़ोत्तरी एवं अन्य सम्बन्ध क्षेत्रों के विकास पर भी सास हीर से ध्यान देना पड़ेगा। राज्य की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों के साथ अनुकूलता का ध्यान रखते हुए विकास की नई दैदनीक एवं प्रणालियों को व्यवस्था पठेगा। अठ सूखी जली (Dry farming) पद्धतियों को व्यावहारिक रूप प्रदान करन के लिये तिशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसी प्रकार से पशु पालन के क्षेत्र में पशुओं की नस्ल और उठाने सकरण पर विद्युत और देना पड़ेगा।

(ii) शामीण निर्माण कार्य विधान सभा विशेष स्तर पर हाथ में लेना पड़ेगा जिससे कि लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल सके तथा यामीण क्षेत्र के विकास का आनंदिक दाता हो जाये।

(iii) ऐसे कार्यक्रमों की दिशा में कदम उठाये जाय कि जिससे यामीण जनता की अविद्याये छापशब्दकाताएं प्रभावी ढंग से पूरी हो सकें। दुनियादी अनुकूलताएं पूरी करने के विधान सभा की कार्यवाही लोगों की जीवन-स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाया जाय।

(iv) राज्य के विकास समस्या प्रस्ताव लोगों को पहचाना जाय एवं उनके विवास के लिये विदेशी प्रोजेक्ट लेनार विदेशी जाय।

(v) अमरावती को कम करने के लिये आवश्यक आधिक एवं सामाजिक कदम उठाये जाय।

(vi) प्रशासनिक भाषीन की पुनर्जीवित किया जाय। सरकार की आयोजना निर्माण शाला को सदृश बनाया जाय, जिससे कि योजना कार्यक्रमों का व्यापार बढ़ते तरह से लाभ किया जा सके। राज्य क्षेत्र के बाहर से आधिकारिक गवाहागत वित्तीय सहायता को ग्राहक करने की कोशिश की जानी चाहिये।

पांचवीं पर्याय योजना के अन्तर्गत लागत प्रतिशत निम्नानुसार होना चाहिये-

क्रमांक	विकास की मद	चौथी योजना का लागत विध्य प्रतिशत	पांचवीं योजना में व्रस्ती-वित्त लागत विध्य प्रतिशत
1	कृषि कार्यक्रम	8.1	13.00
2	पहुँचारित एवं मापदारिक	2.9	1.9
3	विज्ञी विकास एवं सिवाई	60.2	59.8
4	उद्योग एवं वित्त	2.5	4.5
5	यातायात एवं संदेश-वाहन	3.0	4.5
6	सामाजिक सेवाएं	22.9	15.0
7	विविध	0.4	1.3
योग		100.00	100.00

राज्य योजना की वज्र राशि 775 करोड हथें निर्भरता की गयी है। यदि 600 करोड रुपये की केन्द्रीय सहायता भी प्राप्त हो जावे तो भी कुल विनियोजन राशि का विकास 36% ही पूरा हो सकेगा। समरण रहे फिर भी योजना है दोगुने केन्द्रीय सहायता वो राशि 220 करोड हथें थो।

दरिद्रता, एवं विडेपन की समस्या से हर योजने पर लड़ना आवश्यक है। राज्य में कुछ ऐसा लकड़ा है—उदाहरण के लिये गर्वन्यान नहर परियोजना एवं चम्बल परियोजना, जो दि वैशाखिक एवं कल्पना योजना इग से शाक्तिक स्त्रोतों को जुटाने पर राज्य को विशेष उन्नति दी दिता में अगे बढ़ा सकती है। राज्यव्यापान नहर परियोजना वो पूर्णता, पर्यावार, वोकानेर तथा जैवलसेर जिये का सम्मूलता व्यापारक वर देगी। यह अनुमान लगाया जाना है कि लगभग एक लाख किलोमीटर परिवारों को बहाया जा सकता। इसी प्रकार से काठा एवं वृद्धि बिले का लगभग एक हजार वर्ष मील का चम्बल परियोजना क्षेत्र बहुमुखी विकास की राह प्रशास्त करता है। राज्य सरकार से वित्तीय योजना बहुत ही मीठिन हैं, अब वह बहु यहायता की प्रतीक्षा में रहती है। उदाहरण के लिये विशेष ये— एवं अन्य छह व्यापारिक अभियानों का भारत सरकार द्वारा उदार वित्तीय गहायता प्रदान की जा रही है।

राज्य के महान्यवलीय एवं आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये भी विशेष प्रयत्नों की वाचवणता है, जिनसे कि लोगों को रोजगार मिल सके तथा उन क्षेत्रों की विनियादी अर्थ-व्यवस्था विकसित हो सके। महान्यवलीय क्षेत्र के लिए, चारागाह विकास, भेड़ पालन, पशुओं का नहल सुधार, वन विस्तार एवं भूगतिष्ठ युल विकास के लिये एक बहुत योजना तैयार की जा रही है। आदिवासी जनता के लिये एक बहुत सामाजिक विकास योजना वो हीयारी विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत विस्तृत लकड़ी वो प्राप्त करने का कोशिश की जावेगी—

- (i) अध्यायनना का नियामण
- (ii) जीन वी इसार्ट वृद्धि वारना,
- (iii) बालकों के द्याला प्रवेश इतु प्रोत्याहन प्रदान करना,
- (iv) आवास एवं इन्हर्टियो के इप में शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान करना।
- (v) आदिवासी क्षेत्रों के कृषिगत एवं औद्योगिक विकास के आन्तरिक ढाँचे का प्रावधान बरना।
- (vi) एक ऐसी मनीनरी की स्थापना करना जो कि आदिवासी जनता को मुकद्दमेवाली की समस्या गो दो सुलझाने में यहायता प्रदान कर सके।

प्रियोगता आधिक दृष्टि से समृद्ध सोगो हारा ज्ञानिकाओं को गंगा कानूनी दृग से भूमिहीन बना देने वी प्रियति से उत्तम होने वाले गुणदमो को निपटने के लिये इन प्रकार की सहायता ज्ञानव्यवस्था है।

उपर्युक्त सभी योजनाओं दो लागू करने के लिये राज्य सरकार के पास बहुत ही सीमित वित्तीय स्रोत है, इसलिए राज्य योजना के अलावा भी भारत सरकार एवं अन्य सम्बद्धाओं से वित्तीय महायहा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

यह तेजी के साथ नहसूस किया जा रहा है कि आधिक उन्नति को सामाजिक एवं शायद से अलग नहीं किया जा सकता है। योजना आयोग ने याचनों वचवर्णिय योजना के दृष्टिकोण में यह सबैत दिया है कि विभन्न लिंग सात ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य सामाजिक सेवाओं का प्रावधान न किंव उन क्षेत्रों में विकास के लिये आनंदित ढौंचा प्रदान करेगा, बल्कि गरीब ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में भी गुणात्मक सुधार लायेगा —

- (i) प्रार्थामिक शिक्षा ।
- (ii) परिवार नियोजन एवं बालकों को पोषाहार के साथ संयुक्त सार्व-जनिक स्वास्थ्य की सुविधाएँ ।
- (iii) ग्रामीण जल प्रदायन का प्रावधान ।
- (iv) गाँधी में महकें ।
- (v) भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थलों का प्रावधान ।
- (vi) ग्रामीण विद्युतीकरण ।
- (vii) गदी विमितयों का सुधार ।

उपर्युक्त यात्रा गी विद्याम आणार अत्यधिक प्रभावी होने के कारण राजस्थान में न्यूनतम आवश्यकताओं वी पूर्ति की दृष्टि से इन सामाजिक सेवाओं के विकास के स्तर को ऊँचा लडाना जास होरे से बहुत ही मुश्किल काम है। किर भी उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये निम्नानुहार 506 करोड़ रुपयों का खर्च अनुमानित किया गया है जेंगा कि पृथ्वे 630 पर दी गई तात्त्विका रोपण है।

इस न्यूनतम राष्ट्रीय कार्यक्रम वी सम्पादित करने के लिये जितनी धन यात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, वह केन्द्रीय सरकार हारा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त मह बाजा भी की जानी है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर पर शुरू की जायेगी। उदाहरण के लिये कृषि में सम्बन्धित शोध के अधिक भारतीय व्यायाम उच्च राष्ट्रीय मार्ग (National High Way) विद्योप रोडगार कार्यक्रम एस एक दी ए,

क्रम संख्या	मद	लक्षण	आवश्यक धन-राशि की मात्रा (करोड़ों में)
1	प्राथमिक शिक्षा	1975 तक 6-11 वर्ष वर्ग में लड़कों का शत प्रतिशत शाला प्रवेश । मन् 1978 तक 6-11 वर्ष वर्ग की लड़कियों का शत प्रतिशत शाला प्रवेश, मन् 1978 तक 11-14 वर्ष वर्ग के बालक-बालिकाओं का 50% शाला प्रवेश ।	226
2	सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं	80 हजार से एक लाख तक की आवादी के लिये एक ४ या ८ से 10 उड़ उप देश्ट्रो सहित एक पूर्ण सर्विजेट सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना, प्रत्येक केन्द्र में बत्तेमान ३ रोगी शोषणाशों के स्थान पर 25 रोगी शोषणाशों का प्रावधान ।	11
3	ग्रामीण सड़कों	1500 एवं उपसे अधिक आवादी वाले समस्त ग्रामों तक सभी मौजमों वी सड़कों का निर्माण ।	100
4	ग्रामीण चल प्रदाय योजना	सन् 1978-79 तक नभी ग्रामों को पैय जल उपलब्ध कराना ।	116
5	भूमिहीन मजदूरों के लिये आवास स्थल	इस याजमा के बन्दरगांव एक लाख बक्सीय हजार परिवारों को फायदा पहुँचाया जावाए ।	3
6	ग्रामीण विद्युतीकरण	40% ग्रामीण जनता को विद्युती प्रदान करना ।	48
7	गंदी दस्तियों का सुधार	हमके अन्तर्गत जनपुर में 30 हजार परिवारों को लाग पहुँचेगा ।	2
		योग	506

एक ऐ ऐ, अकाल पोडित दौत्र कार्यक्रम, योजनार को केंद्र लेव रुद्धोग, तहकारी सम्भालो एवं ग्रामीण विद्युतीकरण नियम के गांधग से जुग्न प्रदान करना, इत्यादि कार्यों से एक हजार छियासी करोड़ रुपये जुटाने की आशा रहते हैं ।

सत्यागत वित एवं निजी क्षेत्र विनियोजन को वाक्प्रित करने की योजना भी सभवत् 300 करोड़ रुपयों का विनियोजन करवा सकेगी।

ये सारे के सारे विनियोजन सिफे तभी सम्भव हो सकेंगे, जबकि राष्ट्रीयकृत व्यावरणिक बेको से धन २१शि के प्रबाह को तेज किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सामरिक दृष्टदायि सत्यागत एवं मारत सरकार की ओर से पिछडे हुए राज्यों को उप-युक्त नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से पिछडे हुए राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में तेजी लानी होगी। राजस्थान सरकार ने योजना आयोग से अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सहायता के आवर्णन की क्षेत्रीय ज्यादा व्यापक होनी चाहिये और आवर्णन करते समय राज्यों में आम पिछड़पन को घ्यान में रखा जाना चाहिये।

पांचवीं पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत आवश्यकताओं एवं सम्भाव्य क्षेत्रों की योजना होगा एवं समन्वित क्षेत्रीय विकास की योजनाओं को लागू करने को तैयारी करनी होगी। इसके जलादा राज्य सरकार द्वारा विकास के लिये विस्तृत जिला योजनाओं के निर्माण की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा, जिससे कि क्षेत्रीय कार्यक्रमों (सेम्टोरियल प्रोग्राम) को अधिक सावधानी के साथ कार्यान्वित किया जा सके। एवं साथ ही जिला योजनाओं एवं कार्यक्रमों में उच्च दर्दों की विकास सम्भावनाओं का प्रतिविमित किया जा सके। इसी उद्देश्य का घ्यान में रखते हुए आकड़ा सगह एवं प्रायोजना निष्पत्ति (प्रोजेक्ट निष्पत्ति) एक बृहत् मानीसी समिति की गा रही है।

राज्य सरकार ने एक राज्य योजना प्रमण्डल की स्थापना का निर्णय लिया है जिससे कि योजनाओं के निष्पत्ति एवं कार्यान्वयन में राज्य सरकार को परामर्श मिल सकेगा।

मजदूरी एवं उत्पादिता

(Wages and Productivity)

किसी उत्पादन साधन के पड़ह-उत्पादन (input-output) अनुपात (ratio) को उस साधन की उत्पादिता (productivity) कहते हैं। उदाहरणार्थ, धम की एक अतिशिक्षित इकाई को उत्पादन-कार्य में लगाने पर वाधवा अभिक की कार्यकुशलता में बढ़ि होने पर उत्पादन में यदि, अन्य वातों के समान रहने पर, बढ़ि होती है तो यह वहा जा सकता है कि धम की उत्पादिता (productivity) में भी बढ़ि हुई है। इस प्रकार उत्पादिता किसी उत्पादन साधन की कार्य-क्षमता अथवा समस्त साधनों की सम्मिलित कार्यक्षमता में बढ़ि का एक मापदण्ड है। किमी भी उत्पादन सम्यक के लिए इस प्राप्त दण्ड का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके आधार पर ही वह अपने उत्पादन-फल (Production Function) में उत्पादित के विभिन्न साधनों के सम्बन्ध के सम्बन्ध में आवश्यक नीति निर्धारित करती है।

मजदूरी और उत्पादित दो घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। मजदूरी धमिक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का प्रतिफल है और धम-उत्पादित उच्च प्राप्त की गई मजदूरी के बदले में दी गई सेवाओं का परिणाम है। अत यह स्पष्ट है कि मजदूरी-बढ़ि एक ऐसी आर्थिक प्रेरणा है, जिसके प्राप्त होने पर ही धमिक वपनी उत्पादन क्षमता या उत्पादिता में बढ़ि करने हेतु प्रोत्तमाहित होता है।

विकसित देशों ने, जहाँ लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मजदूरी प्राप्त होती है, धमिकों की उत्पादिता में बढ़ि करने के लिए आर्थिक प्रेरणाओं (मजदूरी तथा अन्य मीट्रिक लाग) का महत्व कम होता जा रहा है।

किन्तु अधिकसिंह तथा विकासशील देशों में इन प्रेरणाओं का आज भी विशेष महत्व है। यही कारण है कि मजदूरी वृद्धि तथा उत्पादिता वृद्धि की प्रवृत्तियों में स सम्बन्ध स्थापित किया जाता है और मजदूरी-दरों या दूसरे घटकों में, प्रति अभिक आय में वृद्धि होने पर यह अपेक्षा की जाती है कि उसकी उत्पादिता भी वृद्धि हो। इस आधार पर नीचे के खण्डों में भारत में अभिकों की मजदूरी तथा उनकी उत्पादिता की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है।

ओद्योगिक मजदूरी (Industrial Wages)

ग्राहक देश में मजदूरी नीति का उसके सामाज्य आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से बनिए सम्बन्ध होता है। अतः सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप मजदूरी-नीति वा निर्माण एवं विकास करने के लिए मजदूरी निपटिय, मजदूरी-स्तर, मजदूरी संरचना तथा मजदूरी सूक्ष्मा की सुमरणाओं की व्यापार में रक्षणा अवश्यक है।

मजदूरी निपटिय

भारत में रक्त-त्रैता सशाम के अन्तिम चरण तथा रक्त-वृत्ता प्राप्ति के पश्चात् प्रारम्भिक संघों के द्वारा अपनी आर्थिक दशाओं में सुधार लाने के लिए ओद्योगिक अभिकों द्वारा मजदूरी वृद्धि के लिए संघर्ष करना पड़ा। पहले मजदूरी वृद्धि के प्रश्न को हेठल अनेक संघर्षों के परिणामस्वरूप डक्ट अद्यति में कई लाल अमन्दिन (1947 में 166 लाल, 1948 में 78 लाल, 1949 में 66 लाल तथा 1950 में 126 लाल) गठ्ठ हो, एवं जिसमें धम की उत्पादिता जो पहुँच ही कर थी, और भी कम ही गई।

सन् 1950 के पश्चात् धम संघर्षों एवं विवादों की स्थिता में तो व्यापि कोई कमी नहीं हुई, किन्तु 'ओद्योगिक संघर्ष अधिनियम, 1948 (Industrial Disputes Act, 1948)' के पास हो जाने के पश्चात् समझौता तथा मध्यस्थ निर्णय की व्यवस्था होने से ओद्योगिक संघर्षों के बहुत बिन्दु यहाँ की सम्भावनाएँ कम हो गई। इसी समय इन संघर्षों में यात्रियां विवादों पर अन्तिम निर्णय देने के लिए विभिन्न राज्यों में ओद्योगिक द्विव्युतल भी स्थापित किए गए। इन व्यवस्थाओं का परिणाम महत्वों व्यवदय हुआ कि शीघ्र निर्णय लिए जाने से अग घट्टों दी हानि तो कम ही गई, परन्तु अभिकों की आर्थिक स्थिति यथावत् बनी रही। कत. इस दिवां में रचनालमक कदम उठाने के लिए सन् 1948 में एक 'मजदूरी समिति' (Wages Committee) नियुक्त की गई, जिसमें सरकार अभिकों तथा नियोक्ताओं (employers) के प्रति-

निधि थे। इस समिति वा उद्देश्य शमिको के लिए जीवन निर्बाह मजदूरी निर्धारित करना था। देश में व्यापक औद्योगिक मर्याद की दूर हरने के लिए इस समिति ने यह सुझाव दिया कि इन समस्या का तत्कालीन हल शमिको की 'उचित मजदूरी' देने की व्यवस्था करना है।

उचित मजदूरी से आशय मजदूरी की उम राशि से था जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (minimum wage) से अम न हो। इस समिति का इस मध्यम में यह सुझाव भी था कि उचित मजदूरी प्रत्येक उद्योग की भुगतान क्षमता उभ क्षेत्र में विभिन्न तुलनात्मक पेशी एवं व्यवसायों तथा अव्यवसायों में उसी प्रकार वे उद्योग में प्रचलित मजदूरी वरों के बाधार पर निर्धारित की जानी चाहिये। परन्तु प्रारम्भ में औद्योगिक ट्रिब्युनल द्वारा यथा पन निर्णयों में इन गुणाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। विभिन्न ट्रिब्युनल द्वारा इम मध्यम में जो निर्णय दिये गए, उनमें उद्योग की मजदूरी-भुगतान-क्षमता, देश की वर्ष-व्यवस्था में उन उद्योग के न्याय, राष्ट्रीय वाद के स्तर अवधार थम की उपायिता एवं घटकों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

उत्तर स्थिति अधिक समय तक नहीं चल सकी। औद्योगिक ट्रिब्युनल ने उचित मजदूरी की मात्र का समर्थन करना प्रारम्भ कर दिया। काउन अत्युभिन्नगम वकर्म, वेकूर तथा उसके शमिको के मध्य सधर्य के मिलमिले में सुधीर कोई द्वारा दिये गये निर्णय में यह स्पष्टत कहा गया कि वक्तव्य औद्योगिक निर्णयादेश (adjudication) वेते गमय अनेक सिद्धान्तों, जैसे तुलनात्मक मजदूरी का सिद्धान्त, व्यापार व्यवसा उद्योग की उपादिता, जीवन न्यूनतया उद्योग की भुगतान क्षमता, की ध्यान में रखा जाता है, किन्तु यदि कोई उद्योग न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने से भी वस्त्रमर्य है तो उसे जीवित या विचारन रहने का काई अधिकार नहीं है। इसी निर्णय में गविष्यान के निदेशक मिडान्टी (Directive Principles of the Constitution) पर चल दिया गया और यह कहा गया कि शमिको को जीवन-निर्बाह मजदूरी दिलाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिये। अन्य मुकादमे में सुधीर कोई ने कहा कि जीवन निर्बाह न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा स्विर नहीं है। यह राष्ट्रीय वर्ष-व्यवस्था की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। बाद में महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए मजदूरी-दर निर्धारित करने के लिए जिन मजदूरी खोड़ों की स्थापना की गई, उनके द्वारा भी इन्हीं पिछानों का मर्यादन किया गया। सन् 1948 में लास किए गए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (The Minimum Wages Act, 1948) भी अनेक उद्योगों के असमिन शमिको के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करने में सहायक हुआ।

**मजदूरी-स्तर
(Wage Level)**

उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद कुछ ही वर्षों में सामान्य मजदूरी स्तर में तीव्र वृद्धि होई। यद्यपि बाद में यह वृद्धिन्द्र स्थायी नहीं रखी जा सकी, किंतु भी मजदूरी का सामान्य स्तर निरन्तर बढ़ता ही रहा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है-

निर्माण वर्द्धोगर्णों ने 200 वर्ष प्रतिमाह से लग मजदूरी आय प्राप्त करने
वाले व्यक्तियों को औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक मजदूरी-आय¹

(आधार वर्ष 1947 = 100)

वर्ष	मजदूरी-आय	मौद्रिक आय	वर्ष	मजदूरी-आय	मौद्रिक-आय
1947	737	100·0	1954	1,111	151·8
1948	833	120·0	1955	1,173	159·4
1949	986	134·4	1956	1,183	161·0
1950	959	132·0	1957	1,134	167·4
1951	1,396	140·9	1958	1,285	174·3
1952	1,112	150·9	1959	1,310	177·7
1953	1,111	151·8	1960	1,385	187·9

उपरोक्त तालिका से यह जात होता है कि सन् 1950 में श्रमिकों की औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक मजदूरी आय में चोटी कमी हुयी परन्तु सन् 1952, 1953 व 1954 में स्थिर रहने के बाद उसमें निरन्तर वृद्धि होती गयी। इस तथ्य की पुष्टि आये दी गई तालिका से होती है-

¹ Source Indian Labour Statistics.

मजदूरी-आय का समान्य सूचकांक¹
(General Index of Earnings)

(400 रु. प्रतिमाह से कम मजदूरी आय पाने वाले फैब्रिरी शमिकों की औसत वार्षिक मजदूरी-आय के आधार पर)

(आधार वर्ष 1961 = 100)

वर्ष	सूचकांक	वर्ष	सूचकांक
1962	106	1966	139
1963	109	1967	151
1964	114	1968	160
1965	128	1969	171
		1970	175 अस्थायी

यद्यपि प्रथम तालिका में उन व्यक्तियों की नीट्रिक आय दी गई है जिनकी आय 200 रु. प्रतिमाह से कम है, किर भी सूचकांकों में उनकी मजदूरी आय में वृद्धि की प्रवृत्ति का संकेत मिलता है।

उन् 1965 में 'घोनस भुगतान अधिनियम' (Payment of Bonus Act, 1965) में पास हो जाने पर यह अधिनियम प्रत्येक ऐसी फैब्रिरी द्वारा संरक्षित वर्ष 20 में अधिक अवधि वाले करते हो। इस अधिनियम में यह प्रावधान दिया गया कि प्रत्येक ऐसी फैब्रिरी वर्षावा संरक्षित द्वारा लाभों को ध्यान में रखे विना प्रत्येक लेखा-दर्पण में प्रत्येक शमिक के बेतन या मजदूरी का कम से कम 45% या 40 रु. (बाल अग्रिक दी दिशा में 25 रु.) जो भी अधिक हो, दिया जावेगा। अधिकतम घोनस की दर बेतन या मजदूरी के 20% के बराबर निर्धारित की गई। इस प्रकार शमिकों की नीट्रिक आय से और भी अधिक वृद्धि हो गई, जैसा कि पृष्ठ 337 पर दी गई तालिका में विभिन्न राज्यों तथा शहरीय स्थेश्वरों के उन फैब्रिरी शमिकों वाली, जो 400 रु. प्रति माह से कम मजदूरी प्राप्त करते हैं, औसत वार्षिक आय से स्पष्ट है।

1. Source India 1975

फैसली अमिकों की प्रोत्तर प्रति व्यक्ति वार्षिक सौट्रिक आय¹

राज्य/संघीय क्षेत्र	1901	1966	1967	1968	1969	1970
आनंद प्रदेश	1,149	1,454	1,601	1,830	2,088	2,117
असाम	1,599	2,130	2,099	2,108	2,340	2,363
बिहार	1,856	2,050	2,196	2,432	2,486	2,712
गुजरात	1,702	2,340	2,663	2,696	2,643	2,820
हरियाणा	—	1,212	2,864	2,219	2,436	2,616
हिमाचल प्रदेश	1,288	2,115	2,950	2,851	2,521	2,511
जम्मू व काश्मीर	—	938	1,209	532	1,865	1,638
केरल	1,152	1,724	2,009	2,125	2,467	2,467
मध्य प्रदेश	1,816	2,118	2,318	1,691	2,932	2,912
महाराष्ट्र	1,775	2,480	2,676	2,826	2,903	2,003
मैसूर	1,375	1,840	1,158	2,204	2,088	2,088
राईसीना	1,180	2,401	2,325	2,333	2,143	2,899
पंजाब	1,175	1,636	1,659	1,690	2,070	2,159
राजस्थान	761	1,412	1,882	1,853	2,003	2,003
तामिल नाडू	1,465	2,032	2,204	2,297	2,442	2,442
चिंगुरा	—	1,171	1,897	1,945	2,010	2,010
झारखण्ड प्रदेश	1,264	1,825	1,978	2,157	2,200	2,293
बंगाल	1,410	2,029	2,175	2,282	2,675	2,761
अण्डमान व निकोबार	1,34	1,611	1,566	1,791	2,023	2,170
दिल्ली	1,655	2,321	2,497	2,788	3,013	2,845
गोआ, डागम व इंदू	—	2,105	1,751	1,242	2,075	2,406

यदि निर्माणी तथा सरन उद्योगों की सौट्रिक मजदूरी आय की तुलना पूरी आय तो यह ज्ञात होता कि मन् 1955 तक दोनों उद्योगों की मजदूरी-दरों में बदले वी प्रवृत्ति सामान थी। परन्तु 1956 के पश्चात् खनन उद्योगों विशेषकर कोयला नाना के अमिकों भी मजदूरी दर में तीव्र गति से वृद्धि हुई।

मजदूरी-वृद्धि तथा भूत्य स्तर

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यथापि जीवोगित अमिकों की मजदूरी, अधांत् सौट्रिक आय में वृद्धि वी प्रवृत्ति रही है, तथापि अमिको नो जो भी वास इस वृद्धि से दूजा वह भूत्यों में वृद्धि के बारण वर्णित हो गया। मजदूरी-वृद्धि तथा भूत्य-वृद्धि का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि 1951-61 की 12 वर्षों की अवधि अवधि में जवाहि सौट्रिक आय से 40% की वृद्धि हुई, भूत्यों में भी इसी अवधि में 28% की वृद्धि हो गई। फलतः मजदूरी में यान्त्रिक पृद्धि केवल 14% ही रह गई। तान् 1970 तक के उपलब्ध जानकारी से वास्तविक सौट्रिक आय का ज्ञान आगे वी गई तालिका से प्राप्त जाए सकता है:

1 Source India, 1971.

भूमिका की वास्तविक आय¹

[1961 = 100]

विवरण	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
आप का समान्य सुचारा	106	109	114	128	139	151	160	171	175
समूह भाइत के भूमिका वर्ग के उपनोक्ता मूल्य	103	106	121	132	146	166	171	169	172
सूचकांक	103	1.3	94	97	95	91	94	101	98

1. Source : India 1973

उपर्युक्त सालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता मूल्य भूखकारी में बृद्धि के क्रतस्वरूप 1963 के पश्चात् अभिको की वास्तविक मौद्रिक आय से निरन्तर कमी होती गयी। यद्यपि सन् 1969 में इस में कुछ सुधार अवश्य हुआ था, परन्तु सन् 1970 के पश्चात् वह पुन जीचे की ओर उभयुक्त हो गई। 1970 के पश्चात् जिम तीव्र गति से, यिलेष्कर 1972-73 में मूल्यों में बृद्धि हई है, उसके बाधार पर यह कहा जा सकता है कि आज अभिको की मौद्रिक आय पहले की अपेक्षा बहुत ही कम है।

मजदूरी-स्तर तथा राष्ट्रीय आय

मजदूरी राष्ट्रीय आय का एक अंश है। अतः राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर मजदूरी में बृद्धि होनी चाहिए। इस दृष्टि की ओर भारत की राष्ट्रीय आय में बृद्धि एवं मजदूरी-स्तर में बृद्धि का तुलनात्मक विश्लेषण हारा ही की जा सकती है। 1951 से 1963 तक की अवधि में निर्माणी उद्योगों के अभिको की मौद्रिक आय में 43 प्रतिशत की बृद्धि हुई थी, जबकि घरेलू साधनों में राष्ट्रीय आय (विदेशी आय को छाड़कर) 80 प्रतिशत की बृद्धि आकी गई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय में बृद्धि की तुलना में औद्योगिक अभिको की मौद्रिक आय में बृद्धि बहुत ही कम थी।

एक सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कुल राष्ट्रीय आय 1950-51 में 8,500 करोड़ रुपये थी, जो 1970 में बढ़ जार 16,544 करोड़ रु. हो गई। कारखानों में काम करने वाले अभिकों की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ तथा उन राज्यों में जहाँ 'हरित-क्यन्ति' आई, लोगों का जीवन-स्तर घोड़ा ऊपर उठा। इस प्रकार देश में आर्थिक विकास तो हुआ, परन्तु उसका पूरा लाभ देश के अभियों एवं साधारण जनता को मिला है, यह विश्वव्यापूर्वक कहना कठिन है। इन दोषों में आम जनता की मौद्रिक आय में बृद्धि अवश्य हुई है, परन्तु वाम्परिक आय में नहीं बढ़ नहीं हुई। इसका प्रधान कारण यह है आकाश छूती हुई लोमटे। मूल्यों में बृद्धि 1950 के बाद शुरू हो गई जब प्रयग पञ्चवर्षीय योजना का शोभ्यग्रह हुआ। द्वितीय लोर तृतीय पञ्चवर्षीय योजनाशी के काल में हालत हुद से ज्यादा विश्व तई। इस प्रश्नार्थी को कि एक अन्य स्रोत से ज्यादात्मक आकड़ों से तेजार की गई निम्न तालिका से स्पष्ट है, यद्यपि राष्ट्रीय आय में बृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी का सह-संबन्ध रहा है, परन्तु मूल्य-बृद्धि से ज्यादात्मक मौद्रिक आय कम ही होती गयी है।

राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी

दिवरण	1950-51	1960-61	1970-71
राष्ट्रीय आय (करोड़ १० में)	10243	13264	18722
प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)	284	306	347

मजदूरी वृद्धि तथा लाभ वृद्धि

भारतीयों में काम करने वाले व्यक्तिकों की औद्योगिक आय तथा सदौरा की आय की तुलना करन पर यह जात होता है कि सन् 1955 तक व्यक्तिकों की औषत आय में वृद्धि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के वरावर ही थी। सन् 1955 से व्यक्तिकों की औषत आय में बढ़ोत्तरी की वृद्धि हुई, परन्तु औद्योगिक उत्पादन भी उत्तरी ही तेज़ी से न बढ़ा। सन् 1960 से औषत आय में वृद्धि उत्पादन की मात्रा में बढ़ि भी अपेक्षा कम होनी गई। यद्यकि 1971 से उत्पादन में 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और उत्पादन की दैशल 119 प्रतिशत की ही वृद्धि हो सकी थी।

उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप औद्योगिक लाभ में व्यक्तिकों की आव भी तुलना में अधिक तेज़ी से वृद्धि हुई। 1951-62 की अवधि में जर कि निर्माणी औद्योगिक लाभ के व्यक्तिकों की आय में केवल 44 प्रतिशत की वृद्धि भनु निर की गई थी औद्योगिक लाभ में 129 प्रतिशत की वृद्धि तुर थी। इससे पहले स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय में विविध वृद्धि का अविकाश भाग औद्योगिक लाभ के स्प में विवरित निया गया और व्यक्तिकों को मजदूरी के हृद में उगकर कम भाग ही प्राप्त हुआ।

कृषि-व्यक्तिकों की मजदूरी

कृषि क्षेत्र में दूर व्यक्तिकों की आय में सुधार लाने के लिए श्री 'न्यूनतम मन्त्र' द्वारी अधिनियम 1948 द्वारा किया गया है। इस बान्नूत के अन्तर्गत ब्रह्मा व बाह्यनीर राज्य जो ढाढ़ कर अन्य समस्त राज्यों तथा सभी देशों के कृषि व्यक्तिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है। केन्द्रीय सचिवालय ने कुछ कृषि संस्थाओं सेनिक फार्मों तथा पुरातत्वीय उपकरणों के व्यक्तिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी है।

वर्तमान कृषि व्यक्तिकों की मजदूरी का नियमन ऐव निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 द्वारा किया जाता है फिर भी औद्योगिक व्यक्तिकों की मजदूरी की तुलना में कृषि-व्यक्तिकों की मजदूरी का स्तर कम ही रहा है। 1956-57 वर्ष के लिए उपलब्ध आठवाँ से बह जात होता है कि कृषि-व्यक्ति की प्रति व्यक्ति औषत वार्षिक आय 99.4 रुपयों थी।

सामाज्य मजदूरी स्तर से वृद्धि के कारण

भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों को प्राप्त मौद्रिक आय के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् मजदूरी स्तर में अधिक वृद्धि हुई है। मजदूरी में बढ़ने की प्रवृत्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित रहे हैं।

(1) राजनीतिक स्थितियों के पश्चात् श्रमिकों में आर्थिक दासता से मुक्ति पाने तथा अपने जीवन-स्तर में सुधार करने की इच्छा बढ़ायती ही गई, जिसकी अभिव्यक्ति औद्योगिक संघर्ष के रूप में की गई। परिणामस्वरूप न्यूतंत्रम् भजदूरी अधिनियम, 1948 वास किया गया, जिसके आधार पर जीवन-निर्वाहि मजदूरी एवं उचित मजदूरी निर्धारित की गई।

(2) औद्योगिक राघवों के निपटारे के लिए समझौते, निर्भयादेश, पञ्च-निर्भय-दद्वयस्वा तथा औद्योगिक ट्रिब्युनल की स्थापना की गई, जिसके द्वारा दिए गए निर्णयों में भी जीवन-निर्वाहि मजदूरी हेतु पर वक़ दिया गया था। सुश्रीम कोटे के निर्णयों में भी मजदूरी वृद्धि करने तथा देश के सविशान में निरेशक सिद्धान्तों का पालन करने पर खोर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी में वृद्धि हुई।

(3) इन् 1951 में जब देश के नियोजित आर्थिक विकास के लिए प्रथम पञ्चवर्षीय योजना का शीर्षक हुआ और तदुपरात् द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना चालू की गई, तब देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए कृपि एवं औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि करना आवश्यक हो गया। श्रमिकों की मजदूरी-स्तर को कौचा उठाये बिना विकास-कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना सभव नहीं था।

(4) नियोजित आर्थिक विकास होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। देश का बहुमुक्ति विकास होने के कालस्वरूप औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय में से कुछ अधिक अवृत्ति गिरना स्वाभाविक था।

(5) शोगम भुगतान अधिनियम, 1965 वास होने के पश्चात् तथा अधिसमय तक काय करने के कारण अधिसमय की मजदूरी (overtime wages) में भी वृद्धि होने पर, श्रमिकों की मौद्रिक आय में भी वृद्धि हुई है।

(6) श्रमिकों में उत्पादिता वृद्धि से लाजी में होने वाली वृद्धि में कुछ भाग

पाने के लिये किये गये संघर्षों के परिणामस्वरूप प्रेरणात्मक योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये दोनों से अधिकों की मजदूरी में वृद्धि हुई है।

यद्यपि उपर्युक्त कारणों से अधिकों का सामान्य मजदूरी-स्तर ऊचा रहा है, पिछे भी मूल्य-वृद्धि के बारण मजदूरी-वृद्धि से अधिकों के जीवन-स्तर में कोई पर्याप्त सुधार नहीं हुआ। आवश्यकता इस बात की है कि मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति नियन्त्रित की जाये, जिससे अधिकों की वास्तविक आय में वृद्धि हो सके। दोष मजदूरी दाँवे में नहीं है, वहिं मूल्य दाँवे में है।

उत्पादिता

(Productivity)

अम वी उत्पादिता (Productivity of Labour) का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि आधिक विनाम की योजनाओं के अन्तर्गत बाषुनिक घन्डों के प्रयोग, चिदंब्री पूँजी की उपलब्धता, अधिकों के प्रशिक्षण आदि बारणों से अम की उत्पादिता में पर्याप्त वृद्धि हुई है, यद्यपि अधिकों की मजदूरी में उम बन्धान में वृद्धि नहीं हुई है जैसा कि आगे दी गई तालिका से स्पष्ट है :

अम की आय, अम पूँजी उत्पादिता¹

(आमार 1951 = 100)

वर्ष	आय का सूचकांक	उत्पादिता का सूचकांक		लाभ का सूचकांक
		अम	पूँजी	
1952	107	102	93	77
1953	107	106	89	85
1954	112	120	97	97
1955	115	142	105	117
1956	111	134	90	128
1957	108	125	72	141
1958	104	136	64	130
1959	100	100	100	100
1960	108	105	94	126
1961	113	109	92	146

उपर्युक्त तालिका से गहर स्पष्ट है कि अधिकों की आय में वृद्धि अम-उत्पादिता में हुई वृद्धि से कम है। इस अवधि में पूँजी की उत्पादिता में अवश्य कमों हुई, परन्तु

1. See e. Indian Journal of Labour Economics.

इस काली का कारण उत्पोदन में अधिक विनियोग (1951 में 2,752 मि० रुपये से 1958 में 6,311 मि० रु० तथा 1959 में 11,342 मि० रुपये से 1961 में 24,144 मि० रुपये) हुआ, जिसका फल भविष्य में प्राप्त हुआ।

इस सम्बन्ध में यह तथ्य यह विशेष उल्लेखनीय है, कि इस अवधि में अधिकारिक विनियोग किए जाने के फलस्वरूप उत्पादिता से पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, फिर भी लाभों में निरन्तर वृद्धि होती गई। इसका अर्थ यह है, कि लाभों में वृद्धि अम-उत्पादिता में वृद्धि का ही परिणाम थी। इसके बावजूद भी अभिकों की मजदूरी में वृद्धि नहीं की गई।

अम-उत्पादिता में वृद्धि के कारण

भारत के योजना काल में अम-उत्पादिता में वृद्धि के निम्नलिखित कारण होते हैं-

1 विद्रान एवं उत्पादन की नई प्रविधियों का विकास होने से थम की कार्य-क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

2 अभिकों की तकनीकी शिक्षा एवं उनके प्रशिक्षण की दिशा में किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप उनकी कार्य विधि में परिवर्तन आया है।

3 उत्पादन की नई-नई विधियों का समावेश किया गया है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है।

4 प्रदूषण व्यवस्था अधिक वैज्ञानिक बनाने के प्रयास किए गए हैं, जिससे लाभत में कमी हो सके, और सामग्री, थम एवं पूँजी का अनादरणक दब्द रोका जा सके। यह भी थम उत्पादिता में वृद्धि करने का एक तरीका है।

5 थम शक्ति को पूर्ण रूप से उपयोग में लाने के लिए वेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उपाय किए गए हैं। थम वृद्धि से भी अम-उत्पादिता में वृद्धि हुई है।

6 थम उत्पादिता में वृद्धि बरते ही उद्देश से अनेक योजनाएँ एवं प्रेरणादायिक योजनाएँ लागू भी गई हैं।

विष्कर्षण योग्य आवृत्ति अर्थशास्त्रियों वी यह मान्यता है कि मजदूरी और उत्पादिता वृद्धि में वोही सम्बन्ध नहीं है। परन्तु एक विकासशील देश में दोनों में बहुत सम्बन्ध पाया जाता है। अत चरकार, नियोक्ताओं तथा थम सभों की उत्पादिता वृद्धि के लिए गिर कर प्रयत्न करने चाहिए, जिससे अभिक अत्यन्तुष्ट न रहें, और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहें।